



# आधुनिक भारतीय इतिहास

एक प्रगत अध्ययन

भाग-2  
(1813-1919)

255  
—  
57

जी० एन० छावरा

मुद्रण

एन० टी० मिश्री

11/1/1977  
11/1/1977  
11/1/1977



स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि०

नई दिल्ली-110016 बंगलूर-560009 जायपूर-144003

.

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक के सम्यक संपादन एवं गुणात्मक दृष्टि से इसमें सुधार हेतु, मैं प्रकाशक श्री ओ० पी० घई के परिश्रमिता और दृढ़ निश्चय के प्रति अनुग्रहीत हूँ। प्रकाशन के लिए पुस्तक भेजने से पूर्व लेखक ने इसे पूर्णरूपेण दुहराया ही नहीं है वल्कि इसमें तमाम नई और चीजें जोड़ी हैं। प्रथम संस्करण के प्रकाशनोपरांत, भारत के इतिहास के इस क्षेत्र में जो शोध विद्वानों ने किया है, उन्हें भी दृष्टि में रखकर इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। लेखक का विश्वास है कि तथ्यात्मक दृष्टि से पाठकों के विश्वास के अनुरूप यह पुस्तक सिद्ध होगी। वैसे जहाँ कहीं भी निष्कर्ष और निष्पत्ति के क्षणों में कुछ लिखा गया है वह सब लेखक की अपनी समझ से ही सम्बद्ध है।

—जी०एस० छाबड़ा

## प्रथम संस्करण की भूमिका

जिस काय को इंग्लैंड के गुप्त शासन नियंत्रकों ने वेल्सली को नहीं पूरा करने दिया, वही काय लाड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को वेप वैनोरिन से सतलज सीमा तक बढ़ाकर किया, जिसके बाल से ही पुस्तक का यह भाग प्रारंभ किया जा रहा है। इस गवर्नर जनरल के काल से भारत में साम्राज्यवादी क्षेत्र में नयी नीति के युग का श्रीगणेश हुआ। इस काल में क्षेत्र विस्तार पर उत्तनी दृष्टि नहीं रखी गई जितनी पहले से प्राप्त क्षेत्र को कुशल प्रशासन देने और राजनैतिक रूप से संगठित करने की इस दिशा में लाड विलियम वैटिक और लाड डलहीजी ने महती भूमिकाएं अदा कीं। इसके फलस्वरूप जहाँ दश के रंगों में ब्रिटिश शान्ति समा गई, वहीं इसकी निरकुशता ने राजनैतिक दासता से देश को उबा दिया जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही 1857 का शक्तिशाली विद्रोह प्रबल हुआ। इस संघर्ष ने देश को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया। इस भावना को लाड लिटन और कजन जैसे गवर्नर जनरल की अनुदारवादी नीति ने तीव्र ही किया जिससे देश में विरोध और आंदोलन की प्रवृत्ति और बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन और 1920 तक के सर्वधार्मिक सुधारों ने जबकि देश के दृष्टि पटल पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ, भारतीय राजनैतिक ऊहापोह को और आगे बढ़ाया। इस सबका विवरण पुस्तक के इस भाग में आया है जिसका आधार उपलब्ध और प्रकाशित सभी ग्रंथों को बनाया गया है।

—जी०एस० छाबड़ा





## विषय सूची

- 1 **मार्शिवस हेस्टिंग्स (1813-1823)** 1  
चाटर ऐक्ट 1813 एवं भारतीय राज्यों से युद्ध, मराठा क्षेत्र की पुनरचना, हेस्टिंग्स के प्रशासकीय सुधार, विदेश सबध, मराठों की अधीनता ।
- 2 **लाड एमहस्ट (1823 28)** 48  
प्रथम बर्मा युद्ध (1824 26), एमहस्ट के अन्तगत भारतीय राज्य, बैरकपुर में विद्रोह ।
- 3 **लाड विलियम बटिक (1828 35)** 60  
बटिक के सुधार, भारतीय राज्यों से सबध, 1833 का चाटर ऐक्ट, राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्मसमाज ।
- 4 **आकलड (1836 42)** 91  
आ तरिक सुधार, भारतीय राज्यों से सबध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ।
- 5 **राजा रणजीत सिंह (1780 1839)** 119  
रणजीतसिंह का शक्ति प्राप्त करना, आंग्ल सिख सबध, अफगानिस्तान से सबध, शाह शुजा और रणजीत सिंह, उत्तर पश्चिम सीमा नीति ।
- 6 **रणजीत सिंह और सिख राज्य (1780 1839)** 138  
नागरिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन ।
- 7 **एलेनबरो (1842 44)** 172  
सिंध का संयोजन, ब्रिटिश सरकार में ग्वालियर ।
- 8 **विस्फाउण्ट हाइड्रिज (1844 48)** 186  
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, गुलाबसिंह और कश्मीर राज्य ।

- 9 **मार्क्स डलहौजी (1848 56)** 213  
द्वितीय आंग्ल सिंध युद्ध पंजाब पर अधिकार द्वितीय बर्मा युद्ध, राज्य हड़पने का सिद्धांत, सर्वधानिन परिवर्तन प्रशासकीय सुधार ।
- 10 **ब्लोमेसी कनिंग (1856 62)** 257  
प्रारम्भिक परिवर्तन, 1857 का विद्रोह, विद्रोह के उपरांत परिवर्तन, भारत में बहूतर सरकार के लिए ऐक्ट, महारानी की घोषणा, अय विवरण, 1861 का इंडियन कांसिल ऐक्ट ।
- 11 **सर जान लांगेस (1864 1869)** 311  
आंतरिक सुधार, भारतीय राज्या के साथ संबंध, उत्तर पश्चिम सीमा, अरब कबीले, पूर्वी तुर्किस्तान, भूटान का युद्ध, उत्तर पूर्वी सीमा, अफगानिस्तान की ओर प्रभुत्व पूर्ण निष्क्रियता ।
- 12 **लाड मेयो (1869 72)** 354  
आन्तरिक सुधार भारतीय राज्या के साथ संबंध, वहावी और कूका आंदोलन, अफगानिस्तान, कलात, उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बंध, प्रभाव क्षेत्र में सीमांकन की आवश्यकता, अरब राज्यों के प्रति नीति ।
- 13 **नाथब्रुक (1872 76)** 394  
आन्तरिक नीति, नाथब्रुक और बडोदा का गायकवाड, आर्य समाज, नाथ ब्रुक की विदेश नीति ।
- 14 **लाड लिटन (1876 80)** 429  
आन्तरिक नीति द्वितीय अफगान युद्ध दक्षिण में उसकी सीमा नीति ।
- 15 **लाड रिपन (1880 84)** 455  
स्थानीय स्वशासन, आर्थिक विकेंद्रीकरण, शिक्षा, इलबट बिल, अय आन्तरिक सुधार रूस से संबंध ।

288  
87

- 16 लाड डफरिन (1884 88) 475  
आंतरिक सुधार, कश्मीर पर ब्रिटिश नियंत्रण शक्तिशाली बनाया जाना, दक्षिण, पंजाब का सक्क, बर्मा का तृतीय युद्ध, राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।
- 17 लाड लसडाउन (1888 93) 508  
आंतरिक स्थिति, 1892 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट, भारतीय राज्यों से सम्बंध, विदेशों से सम्बंध ।
- 18 लाड एलिंग (1894 99) 535  
आंतरिक स्थिति ।
- 19 लाड फजन (1899 1905) 540  
आंतरिक प्रशासन, फजन किचनर विवाद, उत्तर पश्चिम सीमा नीति, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अफगानिस्तान से सम्बंध, फारस की खाड़ी, दक्षिणी फारस और सीस्तान, तिब्बत से सम्बंध ।
- 20 लाड मिण्टो (1905 10) 596  
उग्रवाद का उत्थान और सरकार के उपाय, 1909 का मिंटो माले सुधार, सम्प्रदायवाद और मुस्लिम लीग, भारतीय राज्यों से सम्बंध, आंग्ल रूसी समझौता ।
- 21 लाड हार्डिंज (1910 16) 639  
आंतरिक स्थिति, मेसोपोटामिया सम्बंधी गडबडी, होमरूल आंदोलन, पान स्लाव आंदोलन, गदर पार्टी ।
- 22 विस्काउट चेम्सफोर्ड (1916 21) 664  
आंतरिक सुधार, माटेग्यु घोषणा, कायकारिणी सम्बंधी परिवर्तन या द्वितन्त्र, तृतीय अफगान युद्ध ।
- प्रथम सूची 707



## मार्क्विस हेस्टिंग्स (1813-1823)

चार्टर ऐक्ट, 1813 एवं भारतीय राज्यों से युद्ध

फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स, जिसे बाद में मार्क्विस हेस्टिंग्स कहा गया, 9 दिसंबर 1754 को पैदा हुआ। सर डब्लू० डब्लू० हण्टर के मतानुसार उसका प्रशासन काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग था जिसमें "ब्रिटेन ने अन्ततः महाद्वीपीय भारतीय साम्राज्य पर मुख्य नियंत्रण और अविभाजित उत्तरदायित्व प्राप्त किया।" वह जॉन लाड राउडन की तृतीय पुत्री लेडी एलिजाबेथ हेस्टिंग्स (हॉटिंगडन के नवम् अल थियोफिलस की सबसे बड़ी पुत्री) का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने भाई एव दसवें अल के 1789 में मरने पर उसे उत्तराधिकार में हेस्टिंग्स परिवार की बहुत सी प्रतिष्ठा व जायदाद प्राप्त हुई। इसे उसने अपने पुत्र फ्रांसिस को उत्तराधिकार में दिया जिसने अपने नाम के साथ मा का नाम भी जोड़ लिया। इस तरह उसने अपने व्यक्तित्व में दो मुख्य परिवारों का प्रतिनिधित्व व परंपरा समेट ली।<sup>1</sup>

फ्रांसिस राउडन 1761 में, जब वह 7 वर्ष का ही था, उसे लाड राउडन के नाम से जाना जाने लगा। हैरो में उसकी शिक्षा हुई और 17 वर्ष की आयु में 1771 में 15वें फूट में उसे गजेटेड उपाधि प्राप्त हुई। इसके थोड़े काल ही बाद उसने आक्सफर्ड के यूनिवर्सिटी कालेज से मैट्रीकुलेशन किया। महाद्वीप की यात्रा समाप्त के बाद उसे 5वें फूट में 1773 में लेफ्टीनेण्ट बना दिया गया जिसके तुरंत बाद वह अमेरिका में छिड़े स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध कायवाई हेतु रवाना हो गया, जहाँ उसे ऊँचे-ऊँचे स्थान प्राप्त हुए। अमेरिका से वापसी पर उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में ही रैण्डलस राउन अंतरिम कंपनी की ओर से आयरलैंड के हाउस ऑफ कामंस का सदस्य चुन लिया गया है। 1783 में उस ब्रिटेन का पियर बना दिया गया। वैसे उसने राजनीति में बहुत कम रुचि ली,

1 "सडेन्सवग, मेजर रास द मार्क्विस आफ हेस्टिंग्स, सस्तरण, सर डब्लू० डब्लू० हण्टर, पृ० 142।

## 2 आधुनिक भारतीय इतिहास—एक प्रगत अध्ययन

पर उसे चूकि प्रिंस आफ वेल्स के निकट जाने का अवसर प्राप्त हो गया, इसलिये उसे इससे अत्यधिक लाभ हुआ। जून 1793 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे द्वितीय मोयरा के अल की उपाधि सहित उत्तराधिकार मिला और आयरलैंड का पियर भी वह बना। दूसरे वर्ष उसे मेजर जनरल का पद प्रदान किया गया। लॉड मोयरा की 1804 में पलारा से शादी कर दी गई। वह लंदन की काउंटेस थी जिसके छ बच्चे हुए। 1808 में उसकी मा की मृत्यु की बाद उसे उत्तराधिकार में उसका पद व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। 1812 में उसे गाटर का नाइट बनाया गया और लार्ड मिण्टो के इस्तीफे के बाद उस बंगाल का गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति बनाया गया। "14 अप्रैल 1813 को ही वह पोर्टस्माउथ से समुद्री पथ से रवाना हुआ और 4 अक्टूबर को कलकत्ता पहुंचा। उसी समय उसने कायभार ग्रहण कर लिया।"<sup>1</sup>

### 1813 का चाटर ऐक्ट

भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहुंचने के साथ ही ब्रिटिश संसद ने 1813 का चाटर ऐक्ट पारित किया। यह ऐक्ट 1793 के ऐक्ट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए भी था कि इसके कारण भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अत्यधिक आघात पहुंचा। साथ ही इस ऐक्ट ने भारतीय लोगों के हित में भी कुछ काय किया।

इस ऐक्ट ने हेस्टिंग्स एवं उसके उत्तराधिकारियों के काल में ब्रिटिश काय शक्ति को प्रभावित किया। इसीलिए भारत की स्थिति और हेस्टिंग्स की समस्याओं को जानने के पूर्व हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस ऐक्ट के पारित होने के समय की परिस्थितिया क्या थी?

19वीं सदी का प्रथम दशक यूरोप के इतिहास में संकट का काल था। महाद्वीप का बहुत-सा भाग इस समय नपोलियन के हाथ चला गया जिसने दृढ़ निश्चय के साथ 'दूबानदार' ब्रिटिशों को भूखो मारने और नतमस्तक करन के लिए उसके व्यापारियों के लिए यूरोप के बंदरगाहों को बंद कर दिया। ब्रिटिश व्यापार इस तरह दबाव में आ गया और अंग्रेज व्यापारी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए यूरोप के बाहर के बाजारों की ओर देखने लगे। इसी समय 1813 में संसद में बिल प्रस्तुत किया गया। अवसर पाकर प्राइवेट व्यापारियों ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार का विरोध किया और भारत से व्यापार की स्वतंत्रता चाही। परिस्थिति ने भारत में उनकी शक्ति को ब्रिटिश शासन को यह समझने को बाध्य कर दिया कि, '1800 के बाद के सहायक से अधिक कुछ नहीं है। वे एक साधन हैं जिनके द्वारा

1 इनाइम्युअर्स मंजर राम द भास्विम आफ हेस्टिंग्स संस्करण सर उन्सू दन्सू हट्टर, पृ० 142।

भारतीय बाजारों में शांति व व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है और जिससे ये बाजार ब्रिटिश उद्योग के काम आते हैं।”<sup>1</sup>

देश के आर्थिक दृष्टि रखने वालों के मस्तिष्क में ऐडम स्मिथ के “लैसेज फेयर” के सिद्धान्त की लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। यह सिद्धान्त इसपर बल देता था कि एक देश का बेहतर आर्थिक विकास तभी संभव है जब राज्य व्यक्तियों के आर्थिक प्रयासों पर हस्तक्षेप न करे। इस विचारधारा के अनुसार व्यापार का एकाधिकार स्वतंत्र राष्ट्र के हित के प्रतिकूल था और इसीलिए इन परिस्थितियों में कंपनी के एकाधिकार को भी पसंद नहीं किया गया।

भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। भारत में सचमुच ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने इसे आवश्यक बना दिया था। मुगलों की पतनवत शक्ति ने भारत में एक शून्यता स्थापित कर दी थी जिसको भारत में कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति भरने की स्थिति में नहीं थी। और चूंकि पूरा भारत देश एक इकाई था, इस कारण लोगों के मस्तिष्क में यह बात थी कि देश के किसी एक भाग पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो स्वाभाविक रूप से देश के शेष भाग पर भी उसका अधिकार हो जाता। कंपनी ने इस तरह अपनी शक्ति का विकास किया, पर जितना ही अधिक उसने ऐसा किया उतना ही इंग्लैंड में उसका विरोध हुआ। बहुत से लोगों की दृष्टि में इसका विकास एक कष्ट का विषय था जिसका निदान कंपनी की समाप्ति या कम से-कम उसके एकाधिकार की समाप्ति था।

इन लोगों को उस समय सुअवसर प्राप्त हुआ जब कंपनी की विजय एय युद्ध नीति के कारण इसके ऋण बढ़ गये और पांच वर्ष के अंदर ही 1805 तक ऋण बढ़कर लगभग दोगुना अर्थात् 2 करोड़, 10 लाख पौण्ड हो गया। डाइरेक्टर्स को बाध्य होकर ससद से आर्थिक सहायता मागनी पड़ी। ‘हाउस आफ कामन्स’ ने इसपर एक जाच समिति नियुक्त की जिसने कीथ<sup>2</sup> के मतनुसार, ‘इतने अच्छे ढंग से काम किया कि 1812 की इसकी पांचवी रिपोर्ट ‘याथिक व पुलिस-व्यवस्था पर एक स्तर का कार्य है। राजस्व व्यवस्था पर भी इसकी स्तरीय रिपोर्ट थी।’ इन रिपोर्टों ने ससद के मेजों पर कंपनी की व्यवस्था के दोषों को उजागर किया जिससे राज्य का हस्तक्षेप संभव हुआ।

वहा विल्वर फोस के नेतृत्व में धार्मिक उत्साही भी थे जिन्होंने कंपनी के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म फैलाने की मांग की। कंपनी इसके पक्ष में नहीं थी क्योंकि इससे लोगों के धार्मिक भावना पर ठेस लग सकती थी और वे चौंक सकते

1 एरिक टी० स्ट्रोकस द इंग्लिश इंडीपेंडेंस इन इंडिया, पृ० 13।

2 कीथ कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया पृ० 127।



#### 4 आधुनिक भारतीय इतिहास—एक प्रगत अध्ययन

ये जिससे बहा ब्रिटिश राज्य को खतरा पैदा हो सकता था।

इस तरह 1793 के चाटर के 20 वर्ष के काल के समाप्त होते-होते डाइरेक्टरों ने 1812 में इस चाटर की पुरानी शर्तों पर नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मन्निमडल ने इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। जब इस विषय पर विवाद प्रारम्भ हुआ तो उस समय कंपनी के व्यापार के एकाधिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिये गए। इंग्लैंड के अर्थ व्यापारियों तथा वस्तु निमाताओं ने कंपनी की आर्थिक कामवाहियों में भागीदारी की मांग की। धार्मिक नेताओं ने पूर्व के देश में स्वतंत्रतापूर्वक धर्म प्रचार के लिए इच्छा व्यक्त की। कंपनी सरकार की दक्षिणता की घोर आलोचना की गई और प्रशासकीय क्षेत्र में सुधार की मांग की गई। अपनी स्थिति की रक्षा हेतु कंपनी ने तब दिया कि चूंकि भारतीय राजस्व प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है इस कारण कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को उसके राजनतिक एवं प्रशासकीय कार्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी का कहना था कि यदि भारतीय व्यापार सम्पूर्ण अंग्रेजों के लिए खोल दिया जायगा तो उनमें से अधिकांश भारत में जाकर बस जायेंगे। अंग्रेज शासकीय जाति का होने एवं प्रेसीडेन्सी बस्तों में रहने तथा राजा के दरबार के अभ्यस्त होने के कारण वे भारतीयों के साथ अत्यधिक घृणा का व्यवहार करेंगे जिसपर नियंत्रण रखना और जिसे याय की परिधि में लाना कठिन होगा। इस सबंध में कंपनी ने अपनी विचारधारा के समर्थन में बार्ने-हेस्टिंग्स, कनल मैलकाम, कनल मुनरा, चार्ल्स ग्राण्ट एवं लाड टीनमाउथ के माध्यम प्रस्तुत किये।

कंपनी के प्रथम तर्कों के विरुद्ध इसके विरोधियों ने कहा कि इसके दावपूण समूह ने इस लाभ में विरत कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व ने ही उसके व्यापार को आगे बढ़ाया है। इमपर भी जोर दिया गया कि कंपनी भारतीय राजस्व के सम्बन्ध में ही धन लगाती रही है। दूसरे तर्कों के उत्तर में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत में कुछ प्रतिबन्धों के साथ जाने की आज्ञा होनी चाहिए।

कंपनी के विरोधियों का मत था कि यदि भारतीय व्यापार सभी के लिए खोल दिया जाय तो उसके चार लाभ हाने (1) भारतीय व्यापार को अन्य देशों के हाथ में जान में रोका जा सकेगा, (2) ब्रिटिश उद्योग व व्यापार में अभिवृद्धि होगी (3) व्यापार पर होनेवाला व्यय (खरखाब व परिवहन) बहुत घट जायगा, एवं (4) इंग्लैंड को भारत से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होगा।

यहां पर उस काल के भारतीय व्यापार की परिस्थितियों का आकलन समीचीन होगा और यह जानना भी कि कंपनी के विरोधियों के तर्कों में कितना दम था।

सही तो यह था कि अंग्रेजी विधि के अंतर्गत एकाधिकार प्राप्त कंपनी की शक्ति कुछ थी ही नहीं क्योंकि भारत में कंपनी के कमचारी भ्रष्ट एवं अनियमित कार्य करने में व्यस्त थे। इस कार्य को अपने अधिकारियों से गुप्त रखते थे। अतः कोई मांग भी नहीं थी कि वे इस तरह अज्ञात धन या सामग्री को अपने देश भेज सकें। इसीलिए वे भारतीय बंदरगाहों पर आनेवाले अमेरिकन, पुर्तगाली, स्वीडिश या अन्य युरोपीय व्यापारियों के माध्यम से यह धन अपने यहां भेजते थे। इस धन से वे व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदते थे और युरोपीय बंदरगाहों पर लाभ पर बेच देते थे और भारत में प्राप्त धन को अपने एजेंटों के द्वारा लंदन बैंक में जमा करा देते थे। इस तरह कंपनी के पास जो भी एकाधिकार था वह कंपनी के इंग्लैंड के व्यक्तिगत व्यापारियों के पास था। युरोपीय व्यापारी इंग्लैंड के व्यापारियों के कीमत पर लाभ ही नहीं कमाते थे बल्कि लंदन की भी उससे हानि थी। इस तरह यदि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाय तो जो भी वस्तुएं युरोपीय व्यापारी भारतीय बंदरगाह से खरीदते थे वह ब्रिटिश व्यापारियों के हाथ में जा सकती थी और फिर लंदन पहुंच सकती थी जिससे वह 'एशियाई व्यापार का विश्व प्रतिनिधि हो सकता था। इस परिस्थिति में विदेशी राष्ट्रों का या तो व्यापार छोड़ना पड़ता "या उन्हें भारत में अपनी पूजा लगानी पड़ती जिससे देश की समृद्धि होती।"<sup>1</sup> इस तरह कंपनी के एकाधिकार पर घनघोर प्रहार किया गया और प्राइवेट ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की।

इस तरह इन परिस्थितियों में कंपनी ने चाटर के नवीनीकरण के लिए प्रार्थना की और संसद में एक बिल तत्संबंधी प्रस्तुत किया गया और 1813 में उसे पारित किया गया। इन परिस्थितियों ने चाटर की धाराओं को भी प्रभावित किया।

एक्ट की धाराएं—धाराओं के बांड ऑफ कंट्रोल की भारतीय कार्यों के संबंध में निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन की शक्ति स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पूर्ण रूप से विस्तृत कर दी गई। कंपनी की सुरक्षा शक्ति घटा दी गई। वार्ट ऑफ डाइरेक्टर्स को ताज की सहमति में गवर्नर जनरल, सेनापति, गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार मिला। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षरित भी करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा नियंत्रित कम्पनी की अर्निव सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए 1805 में हैनोवरी (ब्रिटेन) में एक विद्यालय खोला गया। यह प्राविधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति चार सत्रों की इस विद्यालय की शिक्षा के बिना तथा योग्यता प्राप्त किये बिना लिपिक नहीं हो सकता था। ब्रिटेन में आदिसयाम्ब का

सैनिक विद्यालय बोर्ड द्वारा अनुरोधित और नियंत्रित था। यलकत्ता और मद्रास के विद्यालय भी इसी के नियम के अंतर्गत चलाये जाते थे।

कंपनी के सविधान में परिवर्तन नहीं किया गया। भारत में राजस्व बंगाली की सुविधा महित क्षेत्रीय विस्तार की शक्ति अग्रिम 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। पर कंपनी के क्षेत्र विस्तार पर ताज की प्रभुसत्ता स्पष्ट रूप से घोषित कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण धारा व्यापार के अवध में थी। चीन संधाय का व्यापार कंपनी के एकाधिकार में रखा गया। पर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के व्यक्तिगत व्यापारियाँ जो भारत से व्यापारिक संबन्ध स्थापना की छूट प्रदान की गईं। अपवाद मात्र यह था कि कोई भी व्यक्तिगत पानी का जहाज 400 टन से अधिक सामान नहीं ला सके था।

ब्रिटिश व्यापारियाँ एवं मिशनरियाँ के टाइटिलों पर या उनके इन्वार करने पर बोर्ड स लाइसेंस लेकर भारत में बसने और अपना बाय करने की स्वतंत्रता दी गई। एसा कंपनी द्वारा इंगित यतरा को ध्यान में रखकर किया गया। भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति माना गया और बिना लाइसेंस के महा प्रविष्ट होने वाले ब्रिटिश दस्तदाज माने गए। भारतीय लोगो के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, उनपर प्रहार करने या छोटा बज लेने के मामला को 'जस्टिस आफ पीस' के अधीन पायाय रखा गया। अंग्रेज व्यापारी निवासों या प्रेसीडेन्सी स दस मील की दूरी तक अस्थिर संपत्ति रखने वाले नागरिक मुकद्दमा के लिए सिविल कोर्टों के अधीन रखा गया। फौजदारी मुकद्दमा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी थी। यह भी प्रावधान किया गया कि वे अंग्रेजी प्रेसीडेन्सी से 10 मील से अधिक दूरी पर रहते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जिला कोर्ट में कराना पड़ेगा। अवध सिक्के ढालन, चोरी करने, झूठी शपथ घाने और घोषाघड़ी के मुकद्दमा के फसे लोगो को दंडित करने के लिए विशेष धाराएँ जोड़ी गईं।

क्षेत्रीय लोगो स भिन्न कंपनी को अपना व्यापारिक लेखा जाखा तयार रखना पड़ता था। भारतीय राजस्व के प्रयोग के संबन्ध में स्पष्ट कहा गया कि प्रथम वरीयता सना की भर्ती, और ब्याज देने दूसरी नागरिक व व्यापारिक क्षेत्र में काम करने और तीसरी वरीयता कंपनी के राजस्व पर होने वाले व्यय को दी जायगी। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अब कम्पनी के व्यय पर ब्रिटिश ताज को भारत में 20 हजार सैनिक भेजने का अधिकार हुआ। कंपनी भारतीय राजस्व द्वारा दस वेतन पर 29 हजार भारतीय सेना रख सकती थी। इस सेना के लिए वह नियम व परिनिग्रम बना सकती थी और उनका कोट माशुल कर सकती थी। लाभांश 10/5 प्रतिशत का रखा गया व शेपांश का 5/6 प्रतिशत राज्य को देने का

निश्चय हुआ। कंपनी के व्यापारिक लाभ से और कोई धन तब तक देय नहीं होता था जब तक कि लाभांश वितरित नहीं करा दिया जाता था। राजस्व में धन के बचने पर विशेष असफलताओं को झेलने हेतु कंपनी 10 लाख पौण्ड का धन अलग रख देती थी।

कंपनी को कलकत्ता में एक विशय की नियुक्ति के लिए कहा गया जिसके अधीन तीन आकडेक्स नियुक्त होते थे। यह सुविधा इंग्लैंड के धर्म उसाहिया के लिये थी। कंपनी से यह भी अपेक्षा की गई कि वह प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की व्यवस्था कर जिसे "साहित्य को पुनर्जीवित व विवसित करने तथा भारत के विद्वानों को उत्साहित करने व भारत के ब्रिटिश क्षेत्र के नागरिकों के मध्य विज्ञान की शिक्षा को स्थापित व उन्नत करने" पर व्यय किया जाय।

ये महत्वपूर्ण धाराये थी जिससे स्पष्ट था ताज की संप्रभुता भारत के कंपनी क्षेत्र पर प्रभावी हो गई। बोर्ड आफ कंट्रोल की शक्ति पर्याप्त बढ़ा दी गई, कंपनी को ताज व ससद के अधिक अधीन कर दिया गया। नागरिक व फौजी प्रशिक्षण हेतु कंपनी के सेवकों के प्रशिक्षण पर उनका नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण को बढ़ाने में और सफल हो गया।

कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। ब्रिटेन के व्यक्तिगत व्यापारी अब भारत में आकर बस सकते थे और कंपनी के व्यापार से होड़ ले सकते थे जो इसके पहले नहीं था। इस तरह व्यापार का मूल्य बढ़ गया। 1813 में यह एक करोड़ तीस लाख पौण्ड था जबकि 1865 में बढ़कर 100 करोड़ पौण्ड हो गया।

भारतीय व्यापार का इंग्लैंड के व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए खोला जाना जहाँ एक ओर ब्रिटिशों के अत्यधिक हित में हुआ जिससे वे नैपोलियन की महा द्वीपीय व्यवस्था का विरोध कर सके, वहाँ दूसरी ओर भारतीयों का इससे शोषण भी हुआ। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाने लगा जबकि उस देश का पक्का माल भारत के बाजारों में भरा जाने लगा। लकाशायर के उद्योग-पति लाखों में यहाँ आने लगे और भारत का उद्योग, लड़खड़ाने, नष्ट होने और मरने लगा। भारत पर एक अकथनीय विपत्ति आ गई जिससे वह गरीबी और असहायता की मूर्ति हो गया।

इंग्लैंड की ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्रता पूर्वक इस देश में आने और बसने की छूट मिल गई। इस दृष्टि से तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ा कि बहुत से मिशनरी स्कूल और कालेज भारतीयों की शिक्षा के लिए खाल दिए गये। पर इसका एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि ये मिशनरियाँ शीघ्र ही विरोध भाव से ग्रस्त हो गईं और भारतीय परंपराओं को उल्टा सीधा ही नहीं कहने लगीं, बल्कि बबर की सज़ा देने लगीं। इससे अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच जातीय शत्रु

विकसित हुआ।

एक लाख रुपये भारत में शिक्षा के विकास के लिए अलग से रखा जाना स्वागत योग्य कदम था। इसने भारत में अंग्रेजी तरीके की शिक्षा का प्रारंभ किया जिसने भारतीय मस्तिष्क को अंग्रेजी साहित्य के माध्यम में स्वतंत्रता और समानता का पाठ पढ़ाया। इंग्लैंड में व्यक्तिगत व्यापारियों के स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने से भारत में यूरोपीय सस्त्रों का आयात भी प्रारंभ हो गया।

युद्ध

इसी एकट की पट्टभूमि में लाइ हर्टिग्स भारत पहुँचा। वैन नपालियन के पराभव के बाद फ्रांसीसी छत्रा टल गया था, 1810 में मारीशस पर अधिकार ने इस छत्रे को और कम कर दिया। पर कंपनी की दशा अब भी भयानक थी।

हर्टिग्स के भारत आगमन पर भारत में तीन तरफ के राज्य थे जिनसे ब्रिटिशों के अलग अलग तरह के संधि थे। एक तरह के राज्य ता च थ जितके साथ ब्रिटिशों की सहायता संधिमा थी जिसके अंतगत ब्रिटिशों ने राज्य के आन्तरिक व बाह्य उत्तरदायित्व ले रखा था। सबधित राज्या का इसरे लिए सहायताथ सना प्राप्त होती थी जिसका व्यय-वह उच ही करना पडता था। इस संधि के अंतगत राज्य को अपनी स्वतंत्रता बचनी पडती थी। राया की दूसरी कोट वह थी जो ब्रिटिशों पर पहले राज्या की ही भाति निर्भर करती थी पर इहें सहायक सेना की आवश्यकता नहीं थी। राज्या की अतिम श्रेणी वह थी जिनकी स्वतंत्रता ब्रिटिशों द्वारा भाय होती थी और उनसे सबध साधारण संधियों पर आश्रित होत थे।

बेलजली के शासन काल में बहुत से राज्य उपरोक्त दो श्रेणियों में से आये गये। 'मुस्लिम आकाशाबा को विजयपतया दबा दिया गया जिससे हर्टिग्स का कष्ट कम हो जाय। निजाम को सहायक संधि के अंतगत ले आया गया, कर्नाटक को जीत लिया गया, जबकि मैसूर क वंश को बदलकर ब्रिटिशों के अधीन कर दिया गया। बेलजली ने मराठों से भी निवृत्तन का चेष्टा की। पर वह पूणतया कृचल दे उसके पहले ही उसे वापस बुला दिया गया और इस क्षेत्र में हर्टिग्स की यह एक प्रमुख कठिनाई थी।

मराठे मराठे जिस क्षेत्र में शासन करते थे वह पायक्षम्य न था। सबसे बड़ा बुराई उनकी थी अपन राज्य क म्दन के बाहर के क्षेत्रा में चौथ की वसूली। इसके कारण भविष्य में विभिन्न मराठा राज्या के विरुद्ध संधप सभावित था तथा आपस में श्रेष्ठता क लिए संधप की भी सभावना थी। इस तरह उनका आपस में द्वन्द्व था जिसमें पेशवा होल्कर द्वारा पराजित कर दिया गया और पेशवा न ब्रिटिश सरक्षण




1811 स ही यह राज्य एक बच्चे के हाथ में था जिसको लेकर उसकी विधवा माँ और भाग्यशाली सैनिक अमीर खाँ में सघप छिडा रहता था। 1812 स ही मिण्टो का भोसला को सहायक संधि के अंतगत लाने का प्रयास असफल हो चुका था। हालाँकि कमजोर था, पर सिंधिया और भोमला राजा भोपाल पर आक्रमण करने में जुटे हुए थे। पेशवा के गायकवाड सवधी अधिकार पर अभी निर्णय नहीं हुआ था और अजय यह वसीन के संधि के अनुसार ब्रिटिशों के हाथ में था। पेशवा सहायक संधि के जुए के नीचे दबा था। पर वह पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति आरंभ मराठा के बीच प्रतिष्ठा अर्जित करने में लगा था। मराठे बन्ने की भावना से उबल रहे थे इसलिए हेस्टिंग्स को इस कठिनाई का सामना करना पडा।

पिण्डारी मराठों के अतिरिक्त हेस्टिंग्स को अजय क्षेत्रों से भी कठिनाई का सामना करना पडा। इसमें से पिण्डारिया तथा पठाना का विवरण आवश्यक है। पिण्डारी शब्द के उत्पत्ति की जानकारी तो नहीं मिलती, पर यह कहा जाता है कि यह शब्द 1689 में सामने आया। कुछ लोग क मतानुसार इस शब्द की उत्पत्ति पठौर से हुई। पिण्डारिया का स्वयं यह विचार है कि उनके नाम का सवध पिण्डा शब्द से है जो उनके द्वारा प्रयुक्त मादक द्रव्य का नाम था।<sup>1</sup> कहा जाता है कि पिण्डारी पहले हिंदू थे जो औरंगजेब के अति बठोर धार्मिक नीति से घमडाकर शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गये। उनकी मृत्यु के बाद अनियमित घुडसवार सेना के रूप में पेशवा के काल में वे स्वयं आक्रमण करते थे। 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध के कुछ काल बाद उन्होंने अपने को दो दला में विभाजित कर दिया। एक ने अपने का सिंधिया से जोड़कर अपने को सिंधिया शाही कहना प्रारंभ किया जबकि दूसरे ने अपने को होल्कर से जोड़कर निजामशाही कहना प्रारंभ किया। मराठा की शक्ति घटने के साथ पिण्डारिया ने मराठा स अपने को अलग करना प्रारंभ कर दिया और अपने द्वारा स्वतंत्र रूप में लूट-पाट की नीति अपनाती प्रारंभ कर दी। 'नवम्बर के प्रारंभ में ये प्रतिबन्ध एकत्रित होत थे और अपने को योग्यतम व बहादुर नेता की अध्यक्षता में करके विभिन्न दलों में बटकर जो कभी-कभी हजारों का हाता था, आगजनी, चर्बादी और लूटपाट की क्रिया में लगा दते थे। उनका इस तरह का क्षेत्र कभी कभी मैसूर से जमुना तक होता था। वे नियमित सेना की रोकथाम की क्रिया की भी असफल कर देते थे।'<sup>2</sup>

1 मल्लिकार्जुन सद्गल इण्डिया, भाग 1 पृ० 433।

2 काठेन्द्रनाथ पूरुषोत्तम पृ० 52। देखें राम एम० पी ओगीजिन, ग्रोव एण्ड सप्रेतन आफ इण्डिया (1973) पृ० 1-2। यह राजस्थान विश्वविद्यालय का एक शोध प्रबंध है जो पिण्डारिया के उत्पत्ति मराठन पद्धति नेतृत्व उनके लूटपाट की बापदाहियों तथा सार्दी हेस्टिंग्स द्वारा उन्हें दबाने की क्रिया का विवरण देता है।





पठान—“क्षेत्रीय सबंधा से अयमनस्क और उत्तरदायित्वहीन नेतृत्व” के साथ पठान वे लोग थे जो झूट मार व अव्यवस्था बनाये रखते थे। पिण्डारिया से ये इस दृष्टि में भिन्न थे कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित तौर-तरीके नहीं अपनाते थे। सर्वैतनिक सैनिक होने के साथ-साथ पठानों के पास घुड़-सवारा के अतिरिक्त अच्छी पैदल व तोपसेना भी थी। उनमें अनुशासन भी था और अच्छी आदतें भी। उनके सफल नेताओं में अमीर खा या जिसके पास तीस हजार सेना थी।

स्वतंत्र क्षेत्र—भारत में हेरिस्टिम के आगमन के पूर्व ही ब्रिटिश प्रभाव दूर-दूर तक फैल चुका था। उत्तर-पश्चिम में सनलज से पार महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। पर ब्रिटिशा का प्रभाव व उत्तरदायित्व भारत के शेष भाग के आधे भाग से अधिक पर व्याप्त हो गया था। केवल एक क्षेत्र जो ब्रिटिश उत्तरदायित्व के क्षेत्र के बाहर था, वह भारत के मध्य में पड़ता था और बम्बई प्रेसीडेंसी को शेष भारत से अलग करता था। यह पच्छिम दिल्ली की बगैदा से अलग करता था। इसके एक ओर ठंडा भटा क्षेत्र था जिनका केन्द्र गोदावरी नदी के निचले नागपुर के दक्षिण का इलाका था और दूसरी ओर दक्षिण की ओर लम्बा होता मैसूर तक पहुँचता क्षेत्र था जो मद्रास और निजाम के क्षेत्र हैदराबाद के बीच पड़ता था। भारतीय महाद्वीप का यह मध्य क्षेत्र जो स्वतंत्र था, इसकी सीमाएँ ब्रिटिशा के लिए सुरक्षा हेतु अतिविस्तृत थी जिससे विकसित साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन कठिन ही नहीं कभी कभी असंभव हो जाता था। पर इससे भी अधिक गहन समस्या यह थी कि देश के इस क्षेत्र की दशा दयनीय थी लोग असंगठित थे और निरकुश शासकों तथा उनके द्वारा आरोपित करा के नीचे दबे थे। समाज विध्वंस के कगार पर पहुँच गया था, क्षेत्र डाकुआ के घमा-चौकड़ी का स्थल बन गया था और साधन-श्रोत शत्रुओं द्वारा बर्बाद किया जा रहा था, सेना तो लगता था कि लूटपाट, बर्बाद देने और विद्रोह के लिए ही बनी थी, सक्षेप में सरकार नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहाँ केवल बर्बाद और अत्याचार ही था।<sup>1</sup> और जब तक देश के इस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति चलती रहती, पास पड़ोस के ब्रिटिश नियंत्रित व सुरक्षित क्षेत्रों में शांति व व्यवस्था की जाशा नहीं थी। इसलिए देश के इस स्वतंत्र क्षेत्र के सबंध में कुछ किया जाना आवश्यक था।

आगल-नेपाली युद्ध—और फिर हेरिस्टिम के लिए नेपाल की ओर से एक समस्या खड़ी थी। उस देश के क्षेत्र के निवासी भगोलियन थे जिनके बीच राज-पूता व नेतृत्व में झूठ वस गये। इन राजपूत मरदारों ने अपने लिए स्थान-स्थान पर शासन-क्षेत्र बना लिए और अनवरत युद्ध करते रहे और क्षेत्र विस्तार के लिए

अशांति बनाये रखते रहे। प्लासी के लगभग 10 वर्षों के बाद गुरखा नामक एक पहाड़ी जाति ने अपने को राजपूत वंशीय बताते हुए काठमाडू की घाटी पर आक्रमण कर रौंद डाला। सैनिक प्रशिक्षण व अनुशासन में गुरखे घाटी वासिया से बेहतर होने के कारण जीत गए। उनकी सेना ब्रिटिशों की पद्धत पर प्रशिक्षित थी और लगभग 50 वर्षों में उन्होंने पूरे देश को अपनी शक्ति से अधीन करके उसे अपना नाम दे दिया। पर वे इतने से ही सतुष्ट न हो सके। शक्तिशाली एवं युद्ध-प्रिय होने के कारण "उह लगा कि पर्वतीय क्षेत्र का उनका देश काफी छोटा है।" 19वीं सदी के प्रारंभ में ही शक्तिप्राप्त चीन को उत्तर में पाकर उन्होंने "बंगाल और अवध के क्षेत्र में अनिश्चित सीमा क्षेत्र पर दबाव डालना प्रारंभ किया। इसी समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बताया गये उसके क्षेत्र पर दक्षिण के कुछ निचले भाग पर अधिकार कर लिया।"<sup>1</sup> 1812 में इस झगड़े के छानबीन के लिए दोना देशों ने कमिश्नरों की नियुक्तियाँ कीं। जांच से यह पता चला कि गोरखा ने जिन जगहों पर अधिकार किया है वहाँ का वह स्वामो नहीं है। 1813 में इसीलिए लाड मिण्टो ने अत्यंत शिष्ट भाषा में एक पत्र लिखकर इन जिलों को नेपाल से छोड़ने का आग्रह किया। मिण्टो के इस पत्र का उत्तर हेस्टिंग्स को काय-भार ग्रहण करने पर मिला जिसका आशय यह था कि गोरखा से यदि इस समस्या का समाधान करवाना है तो सेना का प्रयोग करना ही होगा।

1813 में लाड हेस्टिंग्स के कायभार ग्रहण करने के समय भारत की राजनीतिक दशा इस तरह की थी। हेस्टिंग्स भारत इस निश्चय के साथ आया था कि वह भारत में अपने पूर्ववर्तियों की निहस्तक्षेप की नीति अपनायेगा। पर परिस्थितियाँ ने उस इस नीति को परिवर्तित करने को बाध्य किया।

नेपाल की समस्या का समाधान पहले आवश्यक था। शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान न होने पर 34 हजार की एक सेना तैयार की गई और 1814 में उसे नेपाल के विरुद्ध भेजा गया। वैसे तो गोरखों 12 हजार से अधिक नियमित सैनिक न एकत्रित कर सके और कुछ नई सेना भी उन्होंने एकत्रित की, पर 1814-15 की इस लड़ाई में ब्रिटिशों को विनाशकारी विफलता भोगनी पड़ी। जावा में युद्ध लड़कर प्रसिद्धि प्राप्त गिलेस्पी ने एक पहाड़ी जिले पर आक्रमण किया, पर जीतने को कौन वह वह अपने 500 साथियों सहित पीछे ढकेल दिया गया और मारा गया। जनरल मार्टिंडेल जीतक से आगे नहीं बढ़ सका, जनरल मार्ले भी कुछ विशेष नहीं कर सका एवं पाल्पा व काठमाडू पर किये जाने वाले आक्रमण पर्याप्त हानि सहित विफल कर दिये गये। पश्चिमी क्षेत्र में जनरल आक्टरलोनी को कुछ सफलता मिली पर वह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। जनवरी 1815 के अंत तक

ब्रिटिश बुरी तरह असफल हो गये थे और उहाने पर्याप्त हानि भी उठाई थी। दूसरी आर गोरखे सफलता के नशे में प्रत्येक शक्ति का विरोध करने पर आमादा थे और दरों पर अब भी अधिकार किये हुए थे।

15 जनवरी को मेटकाफ ने लिखा “हमारा ऐसे शत्रु से सामना हो गया है जिसमें निश्चित रूप में हमारे से अधिक बहादुरी और शक्ति है, और यह कहना असंभव है कि इस तरह की विफलता का क्या परिणाम होगा। कुछ अवसरा पर ता हमारी युरोपीय और स्थानीय सेना विरोधिया की कम सेना द्वारा डडे और पत्थरो से खदेड दी गई है। वही-वही पर हमारी सेना को विराधिया न तलवार लेकर ऐसे खदेडा है जैसे भेडा का समूह हमारी शक्ति का स्रोत हमारी सैनिक उच्चता थी। पर वतमान शत्रु के समक्ष वह समाप्त हो गई है। इस युद्ध में, कितनी भयानक बात है सैनिक सड्या हमारी ओर थी नया शीय व युद्ध-चातुय शत्रु सना की ओर।”<sup>1</sup>

हेस्टिंग्स के आलोचक यह कहते हैं कि इस युद्ध में आत वाली कठिनाइया के प्रति हेस्टिंग्स सजग नहीं था। पर यह नहीं सोचा गया कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसका पथ कटकाकीण है और जिसके क्षेत्र सुरक्षात्मक खाड्यो से भरे हैं जिसका ज्ञान भी अर्थ का नहीं है। गोरखा लोग विश्व के अत्यधिक वीर सिपाहिया म स एक थे और व अपन पहाडी क्षेत्र में आक्रामक के विरुद्ध बुद्धिमानो से लाभपूण कदम उठा सकते थे। जबकि आन्नामक सेना को पवतीम क्षेत्र में युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही नेपाल के प्रवेश भाग के दरों पर गोरखो का नियंत्रण था जिसस ब्रिटिशा की कठिनाइयो में बढि हुई। ब्रिटिश सेनापतिया को पहाडी क्षेत्र में युद्ध का प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था।

इसी बीच नेपाल में ब्रिटिशो की असफलता ने भारत में भी दुष्प्रभाव डाला। गोरखो ने पहले ही पिण्डारी नेता के अतिरिक्त रणजीतसिंह, सिधिया सहित बर्मा और चीन का अपना दूत भेज दिया था। पिण्डारियो ने परिस्थिति से लाभ उठाने की तयारी की, पठान नेता अमीर खान भी कायबाई करने की सोची, रणजीत सिंह ने लाहौर में 20 हजार सैनिक एकत्रित कर लिया और कहा जाता है कि उह सतलज तक ले आया। इन सबके अतिरिक्त मराठो को लगा कि अब वह समय आ गया है जब वे ब्रिटिशा के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाकर पुरानी शत्रुता का बदला ले सकते हैं।

पर हेस्टिंग्स हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने कठिनाइया पर विजय प्राप्ति के नवीन साधन खोजे। भाग्य न भी साथ दिया। रणजीतसिंह पर अफगानिस्तान की आर स आक्रमण का घतरा पदा हो गया, पिण्डारिया में आपस में फूट पड गई

1 कुनार्णी बी० दी० ब्रिटिश स्टटमन् इन इंडिया पृ० 100 द्वारा उद्धृत।

और सिंधिया के मेनापति आपस में लड़ने लगे। इस तरह ब्रिटिश शत्रुओं के सगठित होने की संभावनाएँ धूमिल पड़ गईं। नई सेनाएँ नेपाल की ओर भेजी जाने लगी और सफलता ने ब्रिटिशों के पांव चूमने प्रारंभ कर दिये। 1815 के गर्मी के दिनों में गोरखा ने संधि की याचना प्रारंभ कर दी। 28 नवंबर को गोरखा दूत ने ब्रिटिशों से सगौली में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत (1) गोरखा को तराई का अधिकतर भाग अर्थात् नेपाल के दक्षिण का अति उपजाऊ भाग जो गंगा नदी से तीस्ता तक फैला हुआ था, ब्रिटिशों को देना पड़ा। ब्रिटिशों ने कुमायूँ और गढ़वाल के जिले भी प्राप्त किये। इस तरह ब्रिटिशों की उत्तर-पश्चिम सीमा पहाड़ों तक पहुँच गई। ब्रिटिशों ने नेपालियों की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये देना स्वीकार किया। (2) नेपाल ने सिक्किम के राजा की स्वतंत्रता स्वीकार की एवं (3) नेपाल ने काठमांडू में रेजीडेंट रखना स्वीकार किया।

9 दिसंबर को कलकत्ता की प्रधान ब्रिटिश सरकार ने इस संधि को स्वीकृत किया। पर इसी बीच नेपाली राजा के सहयोगी युद्ध प्रेमियों ने इस संधि को अस्वीकृत कर दिया। नया आक्रमण आवश्यक हो गया और फरवरी 1816 में नेपाली क्षेत्र में एक सेना भेजी गई। जब नेपालियों को यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश आक्रामक कायबाई को आगे बढ़ायेंगे तो गोरखों की लाल सरकारी सील सगौली के संधि पत्र पर लगा दी गई और उसे ब्रिटिश कैम्प में भेज दिया गया।

जब विजयो हेस्टिंग्स ने यह देख लिया कि नेपाली संधि चाहते हैं तो उसने उनके प्रति उदार रव्य अपनाया जिससे कि भविष्य में दोनों के मध्य अच्छे संबंध रहें। अंतिम व्यवस्था में ब्रिटिश सीमाओं का निर्धारण करके वहाँ जगह-जगह पर खम्भे लगा दिए गए। तराई का अधिकतर भाग नेपाल को वापस कर दिया गया जिसके लिए ब्रिटिशों को नेपाल को प्रतिव्यय 2 लाख रुपये देने थे। अवध क्षेत्र में पड़ने वाले तराई का कुछ भाग अवध के नवाब को दे दिया गया क्योंकि उसने 2 करोड़ रुपये व्यय हेतु दिया था। इस क्षेत्र के बदले 1 करोड़ का ऋण चुका मान लिया गया। शेष बाधा ऋण नवाब को कभी वापस नहीं किया गया। इसी सदर्भ में हेस्टिंग्स ने डाइरेक्टरो को लिखा "गोरखा युद्ध में कंपनी का एक शिलिंग भी व्यय नहीं हुआ है।"<sup>1</sup> तराई का एक छोटा सा भाग सिक्किम के राजा को प्रदान किया गया जिसके साथ ब्रिटिशों ने 1817 में एक सुरदात्मक संधि की। इस संधि के अंतर्गत भूटान और पूर्वी नेपाल के बीच सीमा-रेखा खींची गई। ब्रिटिशों ने वही क्षेत्र लिया जिससे नेपाल व उसकी सीमा के बीच विवाद की संभावना न रहे। सगौली की संधि उपरोक्त आधारों पर परिवर्द्धित की गई और नेपाल से

अच्छे सबंध की स्थापना हुई। अब से आगे सदा के लिए भारत की उत्तरी सीमा सुनिश्चित हो गई और स्थायी रूप से नेपाल से ब्रिटिशों का सबंध अच्छा हो गया। ब्रिटिश सेना में नेपाली भर्ती होने लग जिससे ब्रिटिशों की शक्ति भी बढ़ी।

1813 के चाटर ऐक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार में कटौती के कारण बाइ आफ डाइरेक्ट्स आर्थिक क्षति की कल्पना में आतंकित थे। इसी कारण वे हेस्टिंग्स की नेपाल के प्रति नीति को उचित नहीं मानते थे। पर जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि हेस्टिंग्स ने बाध्यतावश इसे किया है और अतः जब उसे विजय भी प्राप्त हो गई तो उन्होंने एक स्वर से उसकी प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। इसी अवसर पर हेस्टिंग्स को मार्बिसस व वैरन की उपाधि दी गई।

**पिण्डारी युद्ध**—उपरोक्त वर्णित पिण्डारी सभी जगह आतंक व विनाशलीला का प्रदर्शन कर रहे थे। लाड हेस्टिंग्स ने सदा-सदा के लिए इनकी लूटपाट की रीति नीति को समाप्त करने का संकल्प लिया। पर कुत्ता की मौत से शिकार चारों ओर उत्तेजित होने की आशा थी। इस तरह के किसी प्रयास से मराठा और ब्रिटिशों के बीच संघर्ष की गंजाइश थी क्योंकि मराठों पिण्डारियों की सहायता करते थे और वे निश्चित ही इस स्थिति से लाभ उठाकर पुरानी शत्रुता का बदला लेने को सोच सकते थे। ब्रिटिश नीति निर्धारक अब भी निहस्तक्षेप की नीति को उचित मानते थे और उन्होंने हेस्टिंग्स को “पिण्डारियों को समूल उखाड़ फेंकने के लिए या उनसे जासन खतरे को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाने के लिए”<sup>1</sup> सावधान किया। वे इस पक्ष में भी नहीं थे कि पिण्डारियों से त्रस्त लोगों के हित में कोई नीति अपनाई जाय या मराठा लूट के विरुद्ध कुछ किया जाय।

लाड हेस्टिंग्स इस तरह पिण्डारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने के सबंध में असहाय था। पर परिस्थितियां शीघ्र ही बदली। ब्रिटिशों की तटस्थ नीति के फलस्वरूप पिण्डारियों की लूटपाट की कार्यवाई और घनीभूत होती जा रही थी। 1815 में उन्होंने निजाम के क्षेत्र को लूटा और मद्रास प्रेसीडेंसी में कृष्णा नदी के आगे तक घावा मारा और तमाम लूट का सामान ले गये। 1816 में एक ब्रिटिश क्षेत्र उत्तरी सरकार में उन्होंने लूटपाट का वह दृश्य उपस्थित किया कि उससे धन की हानि ता हुआ ही सुवर्तिया तक को भी बल गये। इसी बीच मार्च 1816 में बजीर मुहम्मद का देहांत हो गया। वह भोपाल का नवाब था और हेस्टिंग्स ने उसे तिघिया और भासने के विरुद्ध अक्टूबर 1814 में सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया था। उसका पुत्र नासिर मुहम्मद उसका उत्तराधिकारी हुआ।

1 माधमन, ज० सी० हिस्ट्री ऑफ इंडिया (तीन भागों में) 2, पृ० 305।

कुकि यह मराठा व अय शत्रुआ स घिरा हुआ था इसलिए उसन भी हस्तिग से गुरना चाही । पर हेस्तिग उस शुभेच्छा व अतिरिक्त जोर कुछ न प्रदान कर सका । जमा हस्तिग न मूचना दी उसके प्रमाण था कि पिण्डारी, पतवा और अय मराठा तताआ न "भारत म ब्रिटिश का निवाल बाहुर करन के लिए"। एक महन पहयन रचा था । यदि ब्रिटिश समय न बायवार्ड न करत ता उनका भारत म रहना ही समस्याग्रस्त हो जाता । उस तरह डग्नड म बाहुर आप बङ्गाल का जब यह बात समझ म आई कि पिण्डारिया का दबाया जाना आवश्यक है और भारत मे राजाआ का उनका विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर ब्रिटिश प्रतिष्ठा बढ़ाई जानी है ता उमा हस्तिग का आवश्यक बायवार्ड हेनु अधिठन कर दिया ।

हस्तिग न बृहद तैयारियां प्रारंभ की । कुकि उम आशा थी कि मराठे और अय भी बठिनाया पैदा कर सकत था इसलिए उसन । साथ 20 हजार पी एक बडी मेना तैयार की और 300 बडूका की व्यवस्था की । "ब्रिटिश इन्टे व नीर भारत म एक उद्देश्य के लिए पहली बार इतनी बडी मेना तैयार की गई ।" इस साता की दो भागा म बाटा गया । एक हिन्दुस्तानी जना जिसम चार डिवीजन था और जिसका ताबू हस्तिग स्वयं पर रहा था । दूसरी दक्षिण की मेना जिसम पाच डिवीजन था और जिसका मतलब सभ टामग हिमालय पर रहा था । हस्तिग की योजना यह थी कि वह गाँव टण्डी के साथ पिण्डारिया को घेरना तथा दूसरी साता के साथ यह चेष्टा करना कि मराठे पिण्डारिया की गहायता के लिए न आ सकें । पर यह बायवार्ड प्रारंभ करत म पूर्व उमन भारतीय राजाआ म मबघ मुघलराज की खफा की । मध्य भारत म राजाआ तथा राजपूताना के प्रायका मतिव सिधिया, राजवर यहां तक कि अमीर घास मघर आदिन किया गया । परिणामस्वरूप 1817 म मानवा व तमाम राज्या म गहायका मधि की गई । भारत के गाँविर मुहम्मद व भी गहायका मधि की और इसका अतिरिक्त उदयपुर, जाधपुर और अय राज्या व भी सही करत की मधिवा की ।

पूरा व पतवा बाजीराव व यमीन की मधि व अग्रज अधिना स्वाकार की । पर ब्रिटिश की गहायता मे उम कुछ अय राजा पर प्रभाव स्थापित करन का असर मिला । जमा महल व सज्जारा म यमीन व राज्यकार पर राज्य उत्तरा साधिक अधिकाय का जिसके निरुत्तर व निरुत्तिया की गुरना म गहायका व मेना गहायका की पूरा भजन रचा । पर राज्या व निरुत्तिया का व र्धि दूर तथा व बायवार्ड राज्य मे उमा विरुद्ध माया व गहायका की । पर राज्या व निरुत्तिया का बहुर राज्य का हस्तिग उसन पतवा की व करती साता । राजा हा म के जव यह समस्या पर हो पता था

---

1 राजा पर व मुहम्मद व 100 ।

उमने अपने लड़के और पशवा की पत्नी की बहन के बीच विवाह का मबंध तब तोड़ दिया जब विवाह होन ही जाता था। राजीराव इसमें गुड़ हो गया और इस कारण शास्त्री की हत्या कर दी गई। इस अपराध में त्रिम्बक जी का सम्मिलित होना तो सिद्ध हो गया, पर पशवा भी इसमें था, सद्व्यवस्था वात थी। पशवा की परीक्षा के लिए पूना स्थित ब्रिटिश रेजीडेण्ट माउण्ट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन, जो एक योग्य राजनयिक विद्वान और कायशील व्यक्ति था, ने त्रिम्बक जी के विरुद्ध सुरत कायवाड़ की माग की। पेशवा कुछ क्षण के लिए तो सहमा, पर रेजीडेण्ट के बड़े रुख को देखकर उमने 11 सितम्बर 1815 को त्रिम्बक जी को उस समर्पित कर दिया। पर त्रिम्बक जी उसकी कैद से एक वर्ष बाद निकल भागने में सफल हो गया। पशवा ने इस घटना में अपना हाथ होना अस्वीकार किया, ब्रिटिशों के प्रति नरमी का रुख अपनाया और फरवरी 1817 में गायकवाड़ से मतभेद मिटाने हेतु एक तत्कालीन संधि कर ली। साथ ही ब्रिटिशों की पिण्डारी विरोधी योजना के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना व्यक्त की।

पर यह सब उसने रेजीडेण्ट की आँखों में धूल चकने के लिए किया। इस मध्य वह बराबर त्रिम्बक जी के सपके म रहा और पिण्डारियों के विरुद्ध ब्रिटिश नीति का सहायता कर वसूलता रहा। पर रेजीडेण्ट अपरिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं था। उसे पड़यंत्र की जानकारी हुई और उसने सुरत पूना के विरुद्ध सैनिक कायवाड़ का आदेश दिया कि पशवा को अपने अंतिम निणय की सूचना भिजवा दी। पेशवा आतंकित होकर ब्रिटिशों को मानने को तैयार हो गया और 13 जून 1817 को पूना की संधि में बसेन की संधि का स्थान ले लिया। नयी संधि में त्रिम्बक जी को अपराधी माना और उसके परिवार को ब्रिटिशों का बंधक बना दिया। बसेन की संधि में कुछ परिवर्तन किये गये। पेशवा ने अपने कई शक्तिशाली क्षेत्र ब्रिटिशों को प्रदान किये। दक्षिण के कुछ भाग, काकण प्रांत के समुद्रतटीय-क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा और नवदा के उत्तर क्षेत्र पर पेशवा को अधिकार त्यागना पड़ा। मध्य भारत में पड़यंत्र न करने का उसने वादा किया और मराठा सभ का स्वामित्व का पद भी न मागना स्वीकार किया। उसके क्षेत्र में सहायक सना में वृद्धि कर दी गई।

पर पशवा ने अपने अनुभव से कुछ सीखा नहीं। जे०एस० सरदेसाई ने लिखा है कि वह मराठा सभ का नेतृत्व करने की योग्यता प्राप्त करने की क्षमता खो चुका था फिर भी उसने ब्रिटिशों के विरुद्ध गुप्त रूप से नीति चलते रहने दी और उन्हें ऐसी बातों पर नियंत्रण करने में टालमटाल की। पर राष्ट्र से उसे कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि उसकी बसेन की संधि में अतन्त्र स्वतन्त्रता बेचकर सहायता स्वीकार करने की बात अनुचित मानी गई थी।<sup>1</sup> नागपुर में मार्च 1816


1 मर्यादा जी० एन द मन करेटन आण मराठा हिस्ट्री प० 194।

मे राजा रघुजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद भोसला शासन का उत्तराधिकारी और उसका दुबल और अधा पुत्र पुरसा जी हुआ। बालक शासन के सरक्षक पद के लिए दरवार में सघप हुआ जिसमें रघुजी भोसले के भतीजे अपा साहब को अतल सफलता मिली। पर चूँकि रघुजी ने असुरक्षा का अनुभव किया, इसीलिए ब्रिटिशों से सहायता संधि के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार किया गया और 27 मई 1876 का संधि हो गई। ब्रिटिशों को इससे अत्यधिक लाभ यह हुआ कि उन्हें नवदा के निकट सैनिक शक्ति सजोने का अवसर मिला। जहाँ से पिण्डारियों को सुविधापूर्वक दबाया जा सकता था। ब्रिटिशों को एक ऐसा मित्र मिल गया जो अपनी स्थिति से सतुष्ट था, पर जिसकी अभी परीक्षा नहीं हुई थी और हेस्टिंग्स ममझता था कि वह विश्वस्त नहीं है।

शासक होल्कर अल्पवयस्क था। उसका दरवार अव्यवस्था का केंद्र था। वहाँ दो दल थे। एक था होल्कर के पिता की विधवा का तथा दूसरा अमीर खा का। 1816 के अंत तक दोनों दल खुलेआम भिड़ गये, पर किसी को एक-दूसरे से ऊपर जाने का मौका न मिला। दौलतराव सिंधिया जैसे तो सगठनहीनता, सेना में विद्रोही प्रवृत्ति तथा आंतरिक कठिनाइयाँ से परेशान था, पर वह पिण्डारियों से गुप्त संपर्क में भी था और उनसे सहानुभूति भी रखता था। इस स्थिति से वह लाभ उठाना चाहता था। सिंधिया और होल्कर सच में पिण्डारी लूट पाट की प्रवृत्ति को चलते रहने देना चाहते थे जिससे हेस्टिंग्स की कठिनाइयाँ बढ़ें। हेस्टिंग्स गायकवाड़, भोपाल और बहुत से राजपूत राज्या द्वारा कठिनाई पैदा करने की आशा नहीं करता था। पर वह निजाम के प्रति आश्वस्त नहीं था। पर सिंधिया और होल्कर को सितंबर 1817 में शक्तिहीन कर दिया गया। सिंधिया से ब्रिटिशों ने कहा कि वह उनकी सेना को अपन क्षेत्र से होकर जाने दे जो कि दक्षिण से नवदा की ओर आगे बढ़ रही थी। जैसे तो बाह्य तौर पर सिंधिया ने पिण्डारियों के विरुद्ध ब्रिटिश योजना के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, पर पशवा के प्रति विश्वस्तता को ध्यान में रखकर व सेनापतियों के दबाव में आकर उसने ब्रिटिशों की मांग टाल दी। पर लाड हेस्टिंग्स भटकने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने धब और कठोर मार्ग पेश की और संधि-वार्ता पूरी भी न हा पाई थी कि युद्ध प्रारंभ हो गया। होल्कर से भी इसी आधार पर संधि-वार्ता हुई और वह भी उसी तरह असफल हा गई।

तृतीय मराठा युद्ध—यस तरह पिण्डारियों की खोजबीन में तृतीय मराठा युद्ध भी जुड़ गया। हेस्टिंग्स न इस बात की कल्पना को थी और इसी कारण इतन विस्तृत आधार पर सैनिक तैयारियाँ की गयीं। स्थिति का आकलन कर 1817 के अंतिम 3 महीनों में उसने सैनिक तैयारियाँ कीं। ब्लासडेवग मेजर रास न लिखा है—“पिण्डारियों को मालवा क्षेत्र में उनके गुप्त स्थलों से निकालकर समाप्त करना था। वे उज्जैन के पूरब में, नवदा के उत्तर, भोपाल तथा सिंधिया व होल्कर





घुडसवार और दो बटूका की सेना लेकर पूना की ओर जागे बड़ा। पर रास्ते में उसने अपने को पेशवा की 20 हजार घुडसवार और 8 हजार पैदल सेना से घिरा पाया। उस सेना में आधे अरब थे। मैदानी युद्ध से बचने के लिए स्ट्रान्टन निकट ही कोरेगाव पहुंचा जिससे मराठा खतरे से बचाया जा सके। पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस गाव के प्रमुख स्थाना पर अरब सैनिकों का पहले से ही अधिकार है। फिर भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कुछ भवना को घेरा। उसकी थोड़ी थकी, भूखी व प्यासी सेना पर मराठा पैदल सेना ने आक्रमण किया क्योंकि वहां पर घुडसवार सेना नहीं थी और उनका तोपखाना कमजोर था। एक के बाद एक आक्रमण उनपर किया जाता रहा पर प्रत्येक को ब्रिटिश बहादुरी से पीछे हटाते रहे। युद्ध होते होते जब रात होने लगी तो एक ब्रिटिश बटूक पर मराठों ने अधिकार कर लिया। युद्ध लगभग ब्रिटिश हार चुके थे जिसपर उत्साहित अरबा ने ब्रिटिश घायलों को भी कत्ल करना प्रारंभ कर दिया। स्ट्रान्टन ने अंतिम चेष्टा की। मराठों पर एक प्रतिआक्रमण किया गया, बटूक वापस ले ली गई और काफी सट्टा में शत्रुओं को मारा गया। ब्रिटिशों को आशा थी कि रात में मराठा द्वारा पुनः आक्रमण होगा, पर भाग्य से निरत्साहित मराठे हारकर दक्षिण की ओर खिसक गए। स्ट्रान्टन ने अपना उद्देश्य पूरा करके सिर लौट जाना उचित समझा। इस युद्ध में मराठों ने 700 सैनिक खोये, जबकि ब्रिटिशों ने 8 अफसरा में से 5 को खो दिया और उनके 271 सैनिक मारे गये।

इसी बीच लाड हेस्टिंग्स ने पेशवा पद समाप्त करने का अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके अनेक कारण थे। बाजीराव ने लगातार कई वर्षों से ब्रिटिशों का विरोध किया था। कोई संधि उस नियंत्रित नहीं कर सकी थी। इसके अतिरिक्त उसके पद की कुछ गरिमा और प्रतिष्ठा तो थी ही जिसके इद गिद जसतुष्ट एकत्रित हो जाते थे। उसका अधिकार चूंकि उसके क्षेत्र के बाहर के मराठों भी स्वीकार करते थे इस कारण कोई संधि उसके प्रभाव को कम नहीं कर पाती थी। इसके अतिरिक्त यदि उसके पद की समाप्ति कर दी जाती तो छोटे छोटे नेताओं को इससे, शिक्षा भी मिलती। इसलिए पेशवा के पद को समाप्त करने हेतु एक घोषणा पत्र प्रसारित करते हुए, जब कि वह अब भी विद्रोह में जुटा हुआ था, उसे एक विद्रोही व्यक्ति बताया गया।

साथ ही मराठों को सतुष्ट करने के लिए, शिवाजी के वंश के सतारा के राजा को मराठों का नेता स्वीकार किया गया। पर उसकी शक्ति इतनी कम कर दी गई कि वह महत्वाकांक्षा का शिकार न हो सके।

जनरल स्मिथ बाजीराव का पीछा कर रहा था और सतारा का राजा बाजीराव के बच्चे में था। स्मिथ एनाएक अस्ती में पेशवा के निकट पहुंचे

गया। पेशवा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा आवश्यक ममज्ञत हुए अपन सेनापति गाकला का पीछे छाड़कर आगे बढ़ गया। गोरला न कठोर सघष करत हुए मृत्यु को वरण किया और सौभाग्य से राजा वापस मिल गया। यह पेशवा की बहुत बड़ी हानि थी।

ब्रिटिशों से बचन और उह वार तार घोड़ा दत पशवा पर वर्धा और पेन-गगा के बीच मवनी नामक स्थान पर ब्रिटिशों ने आक्रमण किया। इस युद्ध में जहा दो ब्रिटिश सैनिक घायल हुए बहा पशवा के एक हजार सैनिक मार गये। इसके बाद पेशवा की दो तिहाई सेना न उसका साथ छाड़ दिया और बिगड़ गई। पेशवा स्वयं पुन बच निकलने में सफल हो गया।

यहा से पेशवा सिंधिया के क्षेत्र में शरण लेने के लिए रवाना हुआ। पर उसका रामना चकि रोक दिया गया था इसलिए उम मेलकाम के समग्र आम-ममपण करना पडा। मेलकाम वैसे भी उस क्षेत्र की हीदागी कर रहा था। पेशवा की आर से यह शत प्रस्तुत की गई कि उसे उसके साथिदा सहित अच्छा व्यवहार मिलगा। और उमे स्वयं 8 लाख रुपये वार्षिक की पेशन मिलेगी। मलकाम ने अपन उत्तर दायित्व पर इस स्वीकार कर लिया और इस तरह समस्या का समाधान हो गया। पेशवा का विश्वस्त साथी शिम्बक जो की बनारस के निकट चुनार में वित्ते में आजीवन कागवास प्रदान किया गया।

हेस्टिंग्स ने बाद में मेलकाम की कायवाई को इसलिए अमाय कर दिया क्योंकि दूमरा का पाठ पढाने की शिक्षा देने के लिए उसका बिना शत आत्म-समपण चाहता था। इसके अतिरिक्त उसे दो जान वाला वार्षिक पेशन भी उसे अधिक लगी। मलकाम का कहना था कि यदि पेशवा की बातें न स्वीकार की जाती तो वह अमीरगढ के किले में शरण ले लेता जिसे उस समय घेर सकना सरल न था। और साथ ही जब तक पेशवा को पकडा न जाता तब तक दक्षिण में शान्ति स्थापित न होती और युद्ध की स्थिति बनी रहती।

जा भी ही पेशवा की शक्ति समाप्त हा गई। वी० बी० कुतकर्णी ने लिखा है, पेशवा के निर्वासन पर महाराष्ट्र में खेद व्यक्त किया गया और इस राष्ट्रीय पतन का समापन माना गया। पर पेशवा स्वयं कष्ट की इस घड़ी से अप्रभावित रहा। उसने प्रसनतापूर्वक आर विवाह किये तथा लम्बों और अप्रतिष्ठापूण जिदगी धार्मिक कार्यों व प्रचारा में बिताई। जान-बूझकर इतनी महान परम्परा को वर्वाद करने वाले व्यक्ति के लिए अभु बहाना भी उचित नहीं लगता।<sup>1</sup>

उस बीच जनरल स्मिथ सतारा के राजा को सतारा ले गया जहा कमिश्नर के हाथा केद्र सरकार की ओर से 11 अप्रैल 1818 को उस मराठा का नना

स्वीकार किया गया। पी० ई० राबट्स ने लिखा है कि "इस वंश को प्रदत्त पुनर्जीवन बुरा व अकायक्षम सिद्ध हुआ, और सतारा भी उन राज्यों में से एक था जिसके ऊपर डलहौजी न राज्य हड़पने के सिद्धांत का अस्त चलाया।"<sup>1</sup> यह कहना उचित ही है कि राज्य की इस अयोग्यता के लिए जितना राजा उत्तरदायी था उतना ही ब्रिटिश कंपनी। और इस राज्य पर राज्य हड़पने के सिद्धांत का प्रहार राजा की अयोग्यता के कारण उतना नहीं था जितना डलहौजी के आक्रामक रूढ़ के कारण। इसका विवरण आगे आयेगा।

इस बीच पिंडारिया के विरुद्ध घेरा बड़ा होता गया। पिंडारिया ने अपने नेता करीम, वसील मुहम्मद और चीतू के नेतृत्व में सितम्बर में एक बैठक इस उद्देश्य में की कि ब्रिटिशों के विरुद्ध एक समन्वित नीति अपनाई जाय। पर आपसी ईर्ष्या व विभाजन ने उन्हें असफल कर दिया। पहले के अनुभवों के विपरीत कोई भी भारतीय शासक उनके परिवार की सुरक्षा देना तैयार नहीं हुआ। तब और भयभीत वे विलासा के आसपास इस आशा में मुस्त पड़े रहे कि कम से कम उनके सहायताथ मराठे तो आएं ही। पर मराठे तो बसे भी दवाये जा चुके थे। अंत वसील मुहम्मद ने ब्रिटिशों पर इसलिए पहला आक्रमण किया जिससे वह वहां से बचकर भाग सके। उसका साथ उसके समर्थकों ने दिया, पर यह चाल सफल नहीं सनी। पिंडारी पहले उत्तर की ओर मुड़े पर रोक दिए गये और व दक्षिण व पूर्व की ओर भागने को बाध्य हुए। बहाने से फाट व मार डाले गये पर कुछ अपनी तीव्र गति के कारण बच भी निकले। पठान नेता अमीर खा युद्ध के प्रारंभ में ही अपनी सेना समाप्त करने को तैयार हो गया और उस टाक की जागीर दे दी गई। पिंडारिया के एक नेता करीम को गोरखपुर में भूमि प्रदान की गई जहां वह अपने परिवार व 600 समर्थकों के साथ शांत नागरिकों की तरह रहने का तैयार हो गया। कुछ अर्थ भी इसी तरह की शर्तों स्वीकार कर ली पर बहुत न ब्रिटिशों की बात मानने में अब भी इनकार कर दिया। वसील सिंधिया के क्षेत्र की ओर भागा पर बाद में पकड़ लिया गया। उस जेल में डाल दिया गया। जहां उसने अल्पकाल ही बिताने की। चीतू घुमना बंद हो गया और एक जंगल में चीतों द्वारा मार डाला गया। इस तरह पिंडारिया का समूह नष्ट हुआ।

गोरखपुर में अण्णासाहेब, जो अब तक पुरसा जी का मार्कर गददी प्राप्त कर चुका था और बच्चे होल्कर की सरकार ने भी आश्चर्य रूप में उस समय विद्रोह कर दिया, जब ब्रिटिश सेना उनके राज्य को घेरती आ रही थी। इन परिस्थितियों के बावजूद ब्रिटिशों ने 27 नवम्बर को सीताबाबदी में अण्णासाहेब की सेना को हरा दिया, जबकि होल्कर की सेना 29 दिसम्बर को महीदपुर के युद्ध में बुरी

तरह हार गई।

सीतावाल्दी के युद्ध के बाद अप्पासाहब को क्षमा कर दिया गया और उमका राज्य वापस कर दिया गया। पर जस ही यह किया गया उसने पुन ब्रिटिश का विरोध प्रारंभ कर दिया। उसन चादा मे ब्रिटिश क विरुद्ध अरु सेना एकत्रित करना प्रारंभ किया और अपने किलेदारा व सहायका को यह आदेश भेजा कि जिन किला को उह समर्पित करने को कहा गया था व उसे न दें। जब बाजीराव के भी अप्पासाहब की ओर आगे बढन की सूचना मिली तो ब्रिटिश न उनके मिल जाने की कल्पना स त्रस्त होकर कठोर कायवाई की। जेकि स अप्पासाहब क विरुद्ध आगे बढा और उसे कैद करके रेजीडेन्सी म तब तक के तिए रख दिया जब तक कि गवर्नर जनरल उसके भाग्य का निबटारा न करे द। यह सन 1818 के बसंत मे हुआ। जब तक यह भी पता लग जान पर कि वह पुरसाजा की हत्या मे सम्मिलित था यह तय हुआ कि उसे पद से हटा दिया जाये और इसाहाबाद के किले मे भेज दिया जाय। उसके स्थान पर पुर्सा जी के बहन के लडके बाजीराव भामला को उत्तराधिकारी बनाया जाय। निणय होन के बाद 3 मई को एक सुरक्षा सैनिक के साथ अप्पासाहब का इसाहबाद भेजा गया, पर रास्ते मे अपने दल के कुछ भारतीय सैनिको को उत्तीच देकर वह बच निकला और फिर उसका पता न चला। बसे तो उमका भागना उतने महत्व का न था। पर इसस युद्ध कुछ काल तक के लिए और बढ गया।

बतुल के निकट कुछ असतुष्ट भारतीयो को मिताकर अप्पासाहब ने पुन सैनिक तैयारी प्रारंभ की। वर्षा के कारण मार्च 1819 तक उसके विरुद्ध कायवाई नहीं की जा सकी। अप्पासाहब ने पिण्डारी नेता चीतू के सहयोग से असीरगढ म शरण ली जिम 17 मार्च को घेर लिया गया। किलेदार जिस सिधिया ने गुप्त रूप से विरोध करने का कहा था, 9 अप्रैल को हार गया। पर अप्पासाहब भागने न पुन सफल हो गया। उसे ब्रिटिश ने 2 लाख रुपया पश्चन और ब्रिटिश क्षेत्र म निवास व्यवस्था कर देन को कहा। ठीक बसे ही जैसे पेशवा क साथ किया था, पर वह लौटा नहीं। वह पजाब चला गया जहा रणजीतसिंह न उससे मित्रने मे ता इनकार कर दिया पर अपन क्षेत्र म उसका रहना स्वीकार कर लिया। बाद मे वह राजपूताना चला गया जहा उसे परिनिरीक्षण म रहना पडा। इसके बाद अपने मृत्यु तक उसन ब्रिटिशो को कोई कष्ट नहीं दिया।

इस तरह महान क्रांति को प्रभावी बनाया गया जिसकी महत्ता तुरत हस्टिंग्स भी न समझ सका। मध्य भारत म दस आकस्मिक परिवर्तन से वह स्वयं चौक पडा और फरवरी 1818 म अपनी व्यक्तिगत पत्रिका म उसन लिखा कि 'उमके वतना निबट रहकर भी उसे पूर्णरूप से न समथ सका।' पिण्डारिया को बर्बाद कर दिया गया, सिधिया बिना प्रहार के और असहाय हो गया पेशवा का पद समाप्त

कर दिया गया, होल्कर का क्षेत्र आधा रह गया एव नागपुर का क्षेत्र घटाकर उसे एक सहायक की श्रेणी प्रदान की गई। कुछ कट्टर शत्रुओं को या तो जेल में डाल दिया गया या पेशान दे दी गई। राबर्ट्स ने लिखा है "ब्रिटिश राज्य की छाया पुरातन राजपूत राज्या तक पडने लगी और उसकी सीमायें कैमोरिन से सतलज तक फैल गई मध्य भारत में शांति और व्यवस्था ऐसी स्थापित हो गई जैसी महान् मुगल सम्राटों के बाद दुलभ हो गई थी।"<sup>1</sup>

ब्लाइडेसबग मेजर रास ने भी लिखा है, 'संभवतः पूर्व में ब्रिटिश उत्थान के इतिहास में इतना रुचिकर काल नहीं है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, 1817 के शरत में प्रारंभ होकर अगला जून आते-आते युद्ध समाप्त हो गया। इस संक्षिप्त काल में देश के विस्तृत क्षेत्र में जहाँ स्वतंत्र स्थानीय राज्यों की भरमार थी तमाम परिवर्तन हुए, और पूरा महाद्वीप, उत्तर पश्चिम में सतलज तक कलकत्ता सरकार के अधीन आ गया।"<sup>2</sup>


हेस्टिग्स द्वारा मराठा या पिण्डारियों के विरुद्ध उठाये गये कदमों की गंभीर आलोचना करना कठिन है। चरित्रहीन पिण्डारी बंदर युद्ध करके जो विनाशालीला प्रस्तुत करत थे तथा अशांति पैदा करत थे—उनके बर्बादी के विरुद्ध उठाये गये कदम आलोचना का विषय नहीं हो सकते। और न ही मराठा नताशा को प्राप्त फल ही अस्वाभाविक था। अपनी ईमानदारी व विश्वासपात्रता सिद्ध करने के अनेक अवसर उन्हें दिये गये। पर चूँकि वे मूर्ख थे, इस कारण उनमें न तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम था और न वे अपने स्वार्थ से ऊपर सोच सकते थे। उनमें संगठन की क्षमता भी न रही थी और न शत्रु से लड़कर पराजित करने की योग्यता ही। विशेषकर तब जब उनकी सैनिक सत्ता व सैन्य सामान की पूर्ति भी बेहतर थी। और इन दोनों गुणों के अभाव में भी वे ब्रिटिशों के प्रति विश्वस्त न रह सके जिस आधार पर उन्हें उससे अधिक प्राप्त हो जाता, जितना उन्हें प्राप्त हुआ।

### मराठा क्षेत्र की पुनर्रचना

जब पिण्डारियों का पतन हो गया और तृतीय मराठा युद्ध जीता जा चुका तो अब इसकी आवश्यकता आ पड़ी कि ब्रिटिश क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आनेवाले इन क्षेत्रों की रचना कैसे की जाय। काय बड़ा था क्योंकि लगभग 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र में परिवर्तन करना था। पर यह काय हेस्टिग्स ने सफलतापूर्वक किया जिसमें तत्कालीन आंग्ल भारतीय समूह के अच्छे प्रशासकों मुनरो, मेटकाफ, एलफिन्स्टन, आक्टर लोनी और मलकाम से बड़ी सहायता मिली।

1 रायट पूर्वोक्त पृ० 288।

2 इंग्लिशमन गवर्नर पूर्वोक्त पृ० 44।



पडने पर उस जिले से एक युवा को पकड़कर घटना-स्थल पर उसे मौत की सजा दे दी जाती। इससे इतना लाभ होता कि उस सड़क पर शांति स्थापित हो जाती। लोग दानवालिग के कोड आफ बगाल को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इसमें समय, धन, प्रायना देने की विधि में बर्बाद शक्ति, सरकारी टिकट, मुकद्दमा, वकील, 'यायाधीश, कई 'यायालय और अपील तमाम चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। मुनरो ने मद्रास को इससे बचाया और एल्फिंस्टन अपने अधिकार में आय क्षेत्र को इससे बचाना चाहता था।

एल्फिंस्टन ने इसलिए एक साधारण पुरानी परम्परा प्रारंभ कर पचायतो को पुनर्गठित किया और उह अधिक कायक्षम्य बनाया। गांव के मुखिया पटेल को बना रहने दिया गया। मजिस्ट्रेटों को 'यायिक राजस्व वसूली, पुलिस की देखभाल आदि सभी अधिकार प्रदान किये गये। पर मृत्यु दंड देने का अधिकार उह नहीं प्रदान किया गया। सजा दे दिये जान पर सदेह का लाभ देकर दंड मुक्त करने की विधि को भी प्रारंभ किया गया। मुकदमे साधारण रीति से चलते थे और उनका प्रचार अधिक हो इस पर अधिक दृष्टि रखते थे। जब एल्फिंस्टन को यह पता चला कि पूना के सभी यूरोपीयों को मार डालने का षडयंत्र किया गया है तो उसने सभी नेताओं को पकड़वाकर मार डाला। इससे लोगो ने अनुभव किया कि ब्रिटिश सचमुच कुछ करना चाहते हैं।

एल्फिंस्टन मराठों के बीच काय करना चाहता था, उनके क्षेत्र को पसंद करता था तथा वहा के सीधे सादे लोगो व प्राकृतिक दृश्यों को प्रेम करता था। 1819 में जब बम्बई के गवर्नर पद प्राप्ति उसे दक्षिण छोटना पड़ा तो उसे बहुत खला। उसे थियरिटस की कविता की पवित्रता उस अवसर पर तुरंत स्मरण हो आयी।

भोपाल—भोपाल के नवाब नमीर मुहम्मद न 1817 में ब्रिटिशों की अधीनता स्वीकार की थी, कि वह उनके प्रति विश्वस्त बना रहा और ब्रिटिशों की पिण्डारी विराधी योजना में सहयोग किया। इस कारण उसके छोटे राज्य क्षेत्र में कुछ क्षेत्र और मिला लिये गये जिससे मालवा में उसकी राजनैतिक महत्ता बढ जाय।

मालवा—फिलिफ उड्रफ के अनुसार मालवा "छोटे छोट राज्यों का एक जाल, एक मडन, एक आकाशगंगा जिनमें से प्रत्येक अपरिभाषित राजत्व का अपने को स्वामी मानता था।<sup>1</sup> यह क्षेत्रे बन्दाबस्त के लिए भूलकाम को सौपा गया। मालवा का क्षेत्र मराठों और पिण्डारियों के नश स आक्रमणा, हृदयहीन लूटा का शिकार होता रहता था। एक के हाथ विजय के बाद पड़ता यह राज्य दूसर के

1 उड्रफ फिलिफ पूर्वोद्धत द फाउंडस, प० 210।



हाथ में पहुँचता रहता था। फिर तीसरा इस पर अधिकार करता, तब तब, पहला फिर आ पहुँचता। इस कारण राज्य की सीमायें सदा टेढ़ी भठी बनी रहती। और वे एक दशक भी एक तरह की न रह पाती थी। यहाँ भी उसी तरह की नीतियाँ अपनाई गई अर्थात् पुरानी परम्पराओं और सम्प्रायिक मन्मन्-मन्मन् हस्तक्षेप, साधारण पर नियमित राजस्व का एकत्रीकरण, कृषि का प्रासाहन तथा उदारतामिश्रित कठोरता की नीति। अवशिष्ट पिण्डारी समूह का पोछा किया गया, विभिन्न राजाओं की सीमायें निर्धारित की गयीं एवं विभिन्न दानों और लोगों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उस लिखित रूप प्रदान कर दिया गया। दहातों में शांति स्थापित हो गई और किसान सुरक्षापूर्वक खेती करने लगे। जिनका जंगली पशुओं की तरह शिकार किया गया था, उन्हें पालतू बना लिया गया। मैलकाम ने अपनी पत्नी को लिखा, 'मरी इच्छा है कि बाण, तुम यहाँ यह सब देखने के लिए होतों। गरीब निवासी इस शांति का सारा श्रेय मुझे ही प्रदान करते हैं जिस देखकर मैं प्रफुल्लित हो उठता हूँ बड़े-बड़े प्रान्त इतने समद्विशाली हो गये हैं जितने वर्षों से नहीं रहे हैं।' मैलकाम ने जब एक डाकू सरदार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा तो उसका उत्तर था कि वह यह जानता है कि आपकी प्रतिष्ठा इतनी है कि यदि आपके विरुद्ध तलवार उठाई जायेगी तो हमारे पाप बोझ से उसकी प्रहार शक्ति समाप्त हो जायेगी।'<sup>1</sup>

**राजपूताना**—राजपूताना में शांति स्थापना हेतु मेटकाफ को नियुक्त किया गया जिसका स्थान 1819 में आक्टरलोनी का प्रदान कर दिया गया। जा कर राजपूताना से अभी तक मराठे और पठान लिया करते थे उसपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जताया और इसके बदले निर्धारित शर्तों पर उन्हें ब्रिटिश सुरक्षा प्रदान की गयी। सभी राजपूत राज्यों के साथ समान व्यवहार किया गया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अन्य राज्यों के साथ सुरक्षा संधियाँ की गईं। आक्टरलोनी का जयपुर में कुछ कठिनाइयाँ हुए पर अद्य स्थाना पर स्थिति ठीक रही। आक्टरलोनी ने अपनी कायवाई के संबंध में अपनी सरकार को सूचना प्रेषित की, राजा से एक तक सभी ब्रिटिश सरकार की कायवाई के जीवित्व को स्वीकार करते हुए प्राप्त प्रसन्नता के प्रति आभार प्रदर्शित करने हैं। अमताप और कष्ट की लामा को जानकारी ही नहीं है। हा, इसके अपवाद है उज्जैन व व अन्य कुछ क्षेत्र जहाँ पर सिंधिया के नातदारों का अधिकार है।"

**होल्कर**—प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उनके सुधारपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था ने भारतीय दरबारों तथा सिंधिया और होल्कर के राज्यों पर भी अच्छा

1 उद्धृत विनिप पूर्वोद्धृत द फाउण्डम प० 211।

प्रभाव डाला। जनवरी 1818 में होल्कर से मद्रास की संधि की गयी। होल्कर शासक के अवयस्क होने के कारण ब्रिटिश प्रभाव से एक योग्य प्रशासक तातिया जोग की नियुक्ति की गयी। वैन होल्कर व सिंधिया के क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना सरल न था, पर रजिस्ट्रार न पुरी चेष्टा की। तातिया जोग के नेतृत्व में होल्कर के राज्य का राजस्व 4 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गया। 1826 में तातिया का देहांत हो गया।

**सिंधिया**—नवम्बर 1817 में सिंधिया के साथ जा जस्थायी संधि की गयी थी उसे 1818 की एक स्थायी संधि में बदल दिया गया जिसके अंतर्गत राजकुमार ने व्यावहारिक रूप से कोई क्षेत्र नहीं खोया। कुछ स्थानों की बदला बदली अवश्य हुई जिनके अंतर्गत ब्रिटिशों ने अति आवश्यक स्थल अजमेर प्राप्त कर लिया। इसकी प्राप्ति से राजपूताना पर से मराठा प्रभाव जाता रहा और ब्रिटिशों को एक ऐसा केंद्र स्थल प्राप्त हो गया जहाँ से उस पूरे क्षेत्र पर वे निगरानी रख सकते थे। सिंधिया ने ब्रिटिशों को उसके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता के लिए आश्वासन दिया था। पर ब्रिटिशों को जब उनके दोगली नीति का पता चला जिसके अंतर्गत सिंधिया ने जसूरगढ़ के अपने किलेदार को अप्पासाहब को सहायता देकर दिया तो ब्रिटिशों ने इस किले को सदा के लिए अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सिंधिया ब्रिटिशों का सदा के लिए अनुगामी बन गया और 1820 में एक संधि कर ली जा सहायक संधि से बिल्कुल मिलत जुलती थी, वस केवल यह उस नाम से जुड़ी नहीं थी।

**अजमेर**—1819 तक के लिए सतारा का राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों के हाथ में रख दिया गया। इस व्यवस्था में राजा ब्रिटिश नेतृत्व के अंतर्गत कुछ और अधिकार प्राप्त करने में सफल हुआ। नागपुर में अप्पासाहब के स्थान पर एक बच्चे के हाथ में सत्ता सौंप दी गयी और वहाँ की शासन-व्यवस्था रजिस्ट्रार के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दी गयी। शासन युवा राजकुमार के नाम पर किया जाता था। हेस्टिंग्स के वापसी पर यहाँ भारतीयों का मंत्रिमण्डल बनाया गया। पर तब भी नागपुर की सेना ब्रिटिश नियंत्रण में बनी रही।

**हैदराबाद** के निजाम की राज्य सीमा भी अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी। उसके राज्य में मराठों ने राज्य की कुछ सीमा मिला दी गयी और उसके बदले में वहाँ के शासक ने ब्रिटिशों को कुछ वस मूल्य के स्थान प्रदान किये। इसी तरह का कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन बड़ोदा के गायकवाड के संबंध में भी किया गया। बड़ोदा का मूल्य राजा आनंदराव के राज्य पर 1819 तक ब्रिटिश शासन चलता रहा, जबतक उसकी मृत्यु न हो गयी। उसका भाई सयाजीराव उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ। उसके साथ 1820 में एक नयी संधि की गयी जिसके अंतर्गत ब्रिटिशों ने राज्य पर नियंत्रण बनाये रखते हुए भी नये राज्य को राज्य के

अतिरिक्त क्षेत्र में अधिक अधिकार प्रदान किया।

इस तरह नवीन परिवर्तित स्थिति में भारतीय महाद्वीप का दो तिहाई भाग ब्रिटिशों के सीधे प्रशासन में आ गया जबकि राज्य का एक तीसरा भाग भारतीय राजाओं के हाथ में होने के बावजूद ब्रिटिश दखलाल में आ गया। प्रिंसप ने लिखा है कि, 'कष्ट और हिंसा का अधिकार का काल जो मध्य भारत के उपजाऊ क्षेत्र पर आच्छादित रहा था इस समय से समाप्त होगया, एक नये युग का प्रारंभ हुआ। हमारा विश्वास है, एक नयी आशा की विरल सहित जिसमें शांति, समृद्धि और उच्च नतिकता की प्रगति समाहित है, एक नया युग प्रारंभ होगा।' <sup>1</sup>

### हेस्टिंग्स के प्रशासकीय सुधार

न्यायिक—क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में अतिरिक्त लाइ हेस्टिंग्स ने प्रशासन के क्षेत्र में कुछ आरंभ महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके न्यायिक सुधार हम सबसे पहले आदालत करते हैं। हेस्टिंग्स के आगमन से पूर्व न्यायालयों पर काय का भार अधिक हान के कारण मुकदमा के निणय में इतना समय लगता था कि उसके परिणामस्वरूप कचहरी में मुकदमा टाडनेवाले पक्ष और विपक्ष के लागू कानून अपने हाथ में लेते थे। यह आवश्यक था कि देश में न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की जाय। पर कंपनी इस कार्यवाई से इसलिए भागती थी क्योंकि इसमें व्यय की अधिक सभावना थी। हेस्टिंग्स हमारी ओर से इसलिए प्रस्ताव का पत्र है कि उसने नागरिक कानूनों को सामान्य बनाया और बहुत सी औपचारिक कार्यवाहियों में कटौती की जिसके तत्कालीन बहुत से कष्टों में कमी हो गयी।

प्रांतीय अपीलीय न्यायालय की स्वीकृति के आधार पर 1814 में प्रत्येक स्थान में मुंसिफ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्ति दीवानी अदालत करती थी। मुंसिफ को 64 रुपये तक के मूल्य के मुकदमों करने का अधिकार दिया गया जिसका निणय दीवानी अदालत से स्वीकृत होना आवश्यक था। खराब काय करने या अकाय क्षमता दिखाने पर मुंसिफ दीवानी अदालत द्वारा हटाया जा सकता था। मुंसिफ के निणय के विरुद्ध अपील भी दीवानी अदालत में ही होती थी। मुंसिफों के अतिरिक्त दीवानी अदालत को प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों के स्वीकृति पर प्रत्येक जिले और तमर में सदर अमीन नियुक्त करने का भी अधिकार था। उनकी सहायता के आवश्यकतानुसार होती थी। ये सदर अमीन 150 रुपये तक के मूल्य के मुकदमों का देख सकते थे पर इन्हें यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के मुकदमों में देखने का अधिकार न था। इनके निणय को भी अपील दीवानी अदालत में होती थी। 1814 के नियमानुसार नीचे के न्यायालयों की

अपील जब दीवानी अदालत में होती तो उसकी अपील आगे प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय में होती। पर यदि मुकदमा दीवानी अदालत में प्रारंभ होता तो उसकी अपील सदर दीवानी अदालत में होती थी। इस काय को और ठीक करने के लिए जिससे काम एकत्रित न होता जाय, यह निश्चय किया गया कि कुछ मुकदमा में अपील ही ही नहीं सकती थी जबकि जय में एक ही अपील करने की आज्ञा थी।

रजिस्ट्रारों को 50 रु० मूल्य तक के मुकदमों को करने का अधिकार था जबकि कुछ अन्य विशेष मुकदमों को 500 रु० मूल्य तक के होते थे दीवानी अदालत इनके पास भेज सकती थी। रजिस्ट्रारों के न्यायालयों से अपील सीधे प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों को जा सकती थी। पांच सौ रुपये से अधिक के मुकदमों में जिला दीवानी अदालतों को भेजे जाते थे जबकि पांच हजार रुपये से अधिक के मुकदमों में सीधे प्रांतीय अपीलीय न्यायालय में जाते थे अथवा कुछ निश्चित मुकदमों में सदर दीवानी अदालत को भेजे जाते थे। सदर दीवानी अदालत को भी यह अधिकार था कि वह नगर या जिला दीवानी अदालत के मुकदमों में प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों को भेज सके।

1821 में कुछ और परिवर्तन किये गये जिसके अनुसार मुसिफ को 150 रु० तक के मूल्य के मुकदमों में देखने का अधिकार हुआ, जबकि सदर अमीन को 500 रु० तक मूल्य के मुकदमों में देखने का। और जहाँ एक मुसिफ से काम न चलता वहाँ दो या उसमें अधिक की नियुक्ति की जाती।

1815 के नियमों के अंतर्गत यह नियम हुआ कि सदर दीवानी अदालत में वह नियुक्त नहीं हो सकता था जो प्रांतीय अपीलीय न्यायालय में कम से कम तीन वर्षों तक काम न कर चुका हो या जिसे न्याय करने का कम-से-कम 9 वर्षों का अनुभव न हो। 1818 के कानून के अनुसार मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया कि वे दो वर्षों तक की सपेक्षित सजा दे सकते थे और उन्हें 30 कोड़े की शारीरिक सजा देने का भी अधिकार था।

पर हेस्टिंग्स की और महत्वपूर्ण कार्यवाई फौजदारी न्याय के प्रशासन क्षेत्रों में थी। कानबलिस ने यह नियम बनाया था कि मजिस्ट्रेट और क्लेक्टर के कार्यालय एक कर दिये जाएं। इस नियम को समाप्त कर दिया गया क्योंकि रावटस के अनुसार, "लाड हेस्टिंग्स ने सभवतः यह अनुभव किया, जो समुचित ही था, कि कम्पनी के नौकरों की नयी पीढ़ी अपने उच्च परंपराओं की पृष्ठभूमि में तालच के विरुद्ध खरी उत्तरेगी जिसके समक्ष उनके पूर्वज धराशायी हो गये थे।" <sup>1</sup> पर हम यह ज्ञात नहीं है कि इस क्षेत्र में हेस्टिंग्स की भावना और रावटस का इसका पक्ष लेना कहाँ तक सच सिद्ध हुआ। बाड ऑफ कर्टौल ने यह सन्तुष्ट किया कि

पुरानी भारतीय सस्थायें पुनर्स्थापित की जानी चाहिए और पन्धायता को अपनी पुरानी शक्ति और अधिकार सहित वाप प्रारंभ करना चाहिए। बंगाल इन सस्तुतिया को वायरूप में तो न बदल रहा पर मद्रास और बम्बई में भारतम 'यायाधीशा का बतन व स्थिति में पर्याप्त सुधार ला दिया और सस्तुतिया का इस तरह वायरूप में बदला। बोड की यह सस्तुतिया इसलिए की गयी जिससे भारत में अंग्रेज 'यायाधीशा की कमी का पूरा किया जा सक। साथ ही उनके ऊपर बाल व्यय आधिक्य से भी बचा जा सक। 1820 में मद्रास में नियुक्त हानवाल गवर्नर टामस मुनरो ने लिया " सभी घुराइया का दूर कराने लिए और अधिक युरोपीय सस्थाओं की सस्तुति की जाती है। एसी सस्था अति महंगी है और यदि ऐसा न भी हो तो कई धार यह स्थानीय सस्थाओं से अवायधम्य है मैं किसी एमे युरोपीय का नहीं दखा जो भाषा जान के आधार पर योग्य पाया गया हा और लोगो का विचार जानकर उसका मूल्यांकन कर सका हो।" मुनरो ने आगे कहा कि यह सोचना गलत है कि, 'स्थानीय लोग अविश्वास की पराकाष्ठा तक ध्रष्ट हैं विशेषी आत्राताओं न उह हिसात्मक प्राप्त व बेरहमी प्रदान की है हमने अधिक घणा उनसे किसी न नहीं की है उह अविश्वासी बहकर हमलोगों से अधिक किसी ने उनकी निंदा नहीं की है।<sup>1</sup>

रय्यत—हस्तिस के कुछ जय सुधारों का सबध जमींदारों के विरुद्ध रय्यतो की अधिकार रक्षा से था। टामस मुनरो ने मद्रास में रय्यतवादी व्यवस्था की स्थापना की जिसके अंतगत बिचौलिय को समाप्त कर किसान से सीध मजध स्थापित किया गया। इस बदोबस्त की कहानी रुचिकर है। जब बेलजली भारत आया तो सभी लोग कानवालिम द्वारा बंगाल के जमींदारों से किय गय स्थायी बदोबस्त की सफलता के जादू के शिकार थे। इस आधार पर बिना यह सोचे विचारें कि मद्रास में बंगाल की तरह के जमींदार है या नहीं, इसकी निश्चित सफलता की परिवर्तन सहित बलजली ने इस प्रांत में भी उसी तरह की वायवाई के आदेश दे दिये। पर चूकि मद्रास में जमींदार नहीं थे इसलिए वहा की जमीन ठेकेदारों के हाथों बंधो जाने लगी और 1806 तक आधे प्रांत में यह प्रथा लागू कर दी गयी थी जब यह पता चला कि कंपनी ने इस प्रांत के कृषकों का साथ किस तरह का विचित्र व्यवहार किया है जिसके कारण वे ठेकेदारों के हाथों का ग्राम बत गय ह। इसके बाद मुनरो के नेतृत्व में एक वग न रय्यता का समयन प्रारंभ किया। जान हामसन के नेतृत्व में दूसरे पक्ष ने कहा कि, "बदोबस्त यक्तिया के साथ न करके पूरे गाव के साथ किया जाना चाहिए। अशधारियों की समिति या गाव

का प्रधान तीन वर्ष, दस वर्ष या सदा के लिए समझौता करें और वे ही तय करें कि गांव के प्रति आदमी को कितना कर देना चाहिए।"<sup>1</sup> हाग्सन की विजय हुई और उसकी प्रथा को तीन वर्ष तक चलाया गया। पर गांव का प्रधान या अशधारियों की समिति सदा दूसरो की ओर से समझौता करने को तैयार नहीं रहती थी, इसलिए यह प्रथा असफल हो गयी। कामस की एक सेलेक्ट कमिटी ने 1812 में मुनरो के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया और अतत यह तय किया गया कि उपरोक्त रैयतवादी प्रथा प्रारंभ की जाय। मुनरो को स्वयं अपनी प्रथा मद्रास में प्रारंभ करने हेतु भेजा गया।

1822 में बंगाल में 'टेनेसी ऐक्ट' पारित हुआ जिसके द्वारा खेती से उन्हे बेदखल करने या कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध उह सुरक्षा प्रदान की गयी। बम्बई में एलफिस्टन ने कृषकों की भूमि की माप कराई और उनके अधिकार व कतव्य को सुनिश्चित किया।

दिल्ली क्षेत्र—इस बीच मेटकाफ दिल्ली क्षेत्र में काय कर रहा था। उसे 1812 में दिल्ली सम्राट का रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया था। पर सम्राट का राज्य लाल किले की दीवारों के बाहर तो था नहीं। मेटकाफ ही "इंग्लैंड के उत्तर के छ देशों जितने बड़े क्षेत्र पर"<sup>2</sup> रेजीडेण्ट की तरह शासन करता था। मेटकाफ ने, जो इस भाग में 1819 तक रहा, कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित कीं। मृत्यु दंड, जिस पर सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी और जो प्रायः नहीं दिया जाता था, सुविधा के लिए बंद हो गया। यह दिल्ली में तो हुआ पर इसी काल में इंग्लैंड में 40 शिलिंग की चोरी के लिए भी किसी को फासी दी जा सकती थी। दास प्रथा समाप्त कर दी गयी, सती प्रथा दबाई गई और मेटकाफ ने "तलवारों व भाले एकत्रित किये, उन्हें फालो में परिवर्तित किया और उसे उनके मालिकों को वापस कर दिया।"<sup>3</sup>

शिक्षा—लाड हेस्टिंग्स के काल में शिक्षा विकास के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाये गये। यह बताने से पूर्व कि इस क्षेत्र में क्या किया गया, यह जान लेना आवश्यक है कि इंग्लैंड में इसी समय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती थी। भारत की ही भांति वहां चर्च या ईसाई ज्ञान बढ़ाने वाली सस्थाएं ही यह काय करती थीं। 1833 में पहली बार संसद ने 20 हजार पाँड शिक्षा विकास के लिए निर्धारित किया। पर 1854 में कही जाकर सरकार ने यह जाना कि यह धन किस तरह व्यय किया गया है।

1 उद्धृत लिपि द फाउंडर्स प० 233।

2 वही प० 270।

3 वही।

इन परिस्थितियों में, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उसी ब्रिटिश संसद ने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जब चाटर का नवीनीकरण किया तो ऐक्ट में साथ ही यह भी जोड़ दिया कि कंपनी को प्रति वर्ष "साहित्य के उत्थान व विकास के लिए और विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन के लिए तथा विज्ञान के धान के आरम्भ व उन्नति के लिए" एक लाख रुपये की व्यवस्था करना है।

समय से भारत में उस समय कुछ उदबुद्ध उत्साही विद्वान थे जैसे एल्फिंस्टन। वे 1819 में बम्बई के गवर्नर नियुक्त हुए थे और अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, इटैलियन और फ़ारसी के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने देश से भी तेजी से काय किया और बम्बई प्रान्त के लोगों को अपने ही अफ़मरा की उपेक्षा और परेशानी से बचाया तथा उनकी शिक्षा के लिए विस्तृत योजनाएँ बनाई। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश देकर स्कूल खोलवाने को बाध्य किया शिक्षा को पारितोषिक के माध्यम से प्रोत्साहित किया तथा इसे गौकरी का दरवाजा बनाया। एल्फिंस्टन ने लिखा भी कि कम आयु में विवाह, ऋण, सुधार का विरोध "इन सब के लिए एक ही निदान है और वह है शिक्षा।"<sup>1</sup>

लार्ड हेस्टिंग्स ने स्वयं बताया "सरकार इस गलत धारणा का शिकार कभी नहीं होगी कि लोगों के बीच सूचनाएँ अधिक पहुँचेंगी तो वे सरकार से दूर होते जायेंगे और अधिकारियों के समक्ष कम आदर व्यक्त करेंगे।" भारत में पुरोहितों ने इस क्षेत्र में जो कुछ किया उसको प्रोत्साहित किया गया और हेस्टिंग्स ने बलवत्ता के निकट भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ वर्तक्युलर स्कूल खोले।

प्रेस—लार्ड हेस्टिंग्स के ही काल में प्रथम वर्तक्युलर अखबार निकला। उस अखबारों को डाक से भेजने के लिए कम टिकट लगाने की आज्ञा भी प्रदान की। सब में उसके काल में प्रेस के प्रति अपनाई गई अभी तक की नीति को उलट दिया गया। यहाँ पर प्रेस के पुराने इतिहास को प्रस्तुत करना और हेस्टिंग्स ने इसे अपनी नीति से कैसे प्रमाणित किया, बताना समीचीन लगता है।

वैसे तो यह कहा जाता है कि मुग़लों के काल में वाक्यान्वय होते थे जो सरकारी कर्मचारियों पर निगाह रखते थे और अपने क्षेत्र के लोगों पर भी दृष्टि रखते थे। साथ ही उनके संवध में केन्द्र को नवीनतम समाचारों से अवगत कराते थे। पर जिस प्रेस की उत्पत्ति की बात हम आज करते हैं, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के काल ही में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। इसका प्रारम्भ हिक्की नामक व्यक्ति ने 1780 में एक साप्ताहिक अखबार बंगाल गजट छापकर किया। हिक्की के रास्त पर और लागो ने काय किया और 'कलकत्ता गजट' व 'द इंडियन वर्ल्ड' का

1 उद्भूत फिलिप, पृ. 242-43।

2 जेम्स बर्ग, पूर्वोक्त पृ. 45।

प्रकाशन हुआ। पर ये अखबार भारतीयों के लिए नहीं थे और न ही इन्होंने उहे जाग्रत किया। इनका प्रकाशन अंग्रेजी में, संपादन अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज पाठकों के लिए होता था। भारतीय स्थिति का अध्ययन करने के स्थान पर वे उनके जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के स्थान पर ये अखबार इंग्लैंड और यूरोप के अखबार से सामग्री लेकर छापते थे जैसे कि उनका उद्देश्य मात्र भारतीयों को दुनिया के उस क्षेत्र की जानकारी कराना हो। पर कभी कभी ये अखबार भारतीय सरकार और उनकी नीतियों की बड़ी साहसपूर्ण आलोचना भी छापते थे।

अंग्रेजों के प्रबन्ध में होने के कारण इहे पर्याप्त स्वतन्त्रता भी थी, पर वारेन हेस्टिंग्स जिसके समय में प्रेस स्थापित हुआ, उदार विचारों का नहीं था। प्रेस ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि उसके बाल में वे बेलगाम नहीं रह सकते। उदाहरणस्वरूप हिंदी जिसका विचार था कि "प्रेस की स्वतन्त्रता अंग्रेजों के जीवन तथा स्वतन्त्र सरकार के लिए आवश्यक है।" इस क्षेत्र में अपने विचारों की उदारता के कारण उसे अपने अखबार में श्रीमती हेस्टिंग्स के विषय में निंदा लेख छापने पड़े और उसने हेस्टिंग्स की भारतीय नीति की आलोचना भी सरकार को भेजी। और शीघ्र ही उसे हेस्टिंग्स की तलवार का प्रहार झेलना पड़ा। उसके अखबार पर रोक लग गयी और उसे कैद कर लिया गया। इस तरह 1780 में प्रारंभ होने वाला 'बंगाल गजट' 1782 में बंद कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी कानवालिस बेहतर नहीं सिद्ध हुआ। 'द इंडियन वर्ल्ड' के सम्पादक डुवाने को दंडित करके यूरोप भेज दिया गया। कानवालिस के उत्तराधिकारी सर जानशोर ने मानेनली पर प्रतिबंध लगाया जिसने अपने अखबार 'द टेलीग्राफ' में 1796 में कुछ सरकारी कमचारियों के काय-पद्धति की आलोचना की थी। 'द कलकत्ता गजट' में फ्रांसीसी गणतंत्र और कोट आफ डाइरेक्टस के बीच हुए पत्र व्यवहार को प्रकाशित करने पर उसे फटकार बतवाई गई।

इस तरह प्रेस के जन्म-काल से ही उसे अपने जीवन और मृत्यु के प्रश्नों की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। पर प्रेस की असली परीक्षा की घड़ी लाड बेलजली के समय में आई। प्रेस के जीवन के इतिहास में पहली बार 'प्रेस ला' बनाय गये। शक्तिशाली और साम्राज्यवादी बेलजली जब भारत पहुँचा तो उसे लगा कि ब्रिटिश शांति को चारों ओर से खतरा है। भारत में फ्रांसीसी खतरा उस समय घनीभूत हो गया जब यह पता चला कि टीपू मुल्तान का उनसे पत्र व्यवहार चल रहा है। मराठों की महत्वाकांक्षा करवटे लेने लगी थी और निजाम भी ब्रिटिशों के विरुद्ध जाने के सोच विचार में था। इन परिस्थितियों में बेलजली को प्रेस की स्वतन्त्रता से खतरा नजर आया जो उसके मतानुसार अपने अनुत्तरदायी विचारों से वातावरण को और खराब कर सकते थे।



इसलिए उसने 1799 में प्रेस को नियमित नियंत्रण में लाने के लिए पाच नियम प्रसारित किये। और ये इस क्षेत्र में प्रथम निश्चित नियम थे। इन नियमों के अंतर्गत सभी अखबारों पर एक निश्चित भावना में रोक थाम लगा दी गयी। अखबारों के मालिकों व सम्पादकों को अखबार पर अपना नाम छापने को कहा गया। उन्हें यूरोप में होने वाले युद्ध के विषय में कुछ भी प्रकाशित न करने के आदेश मिले, जिसकी सूचना सरकार की ओर से ही जनता को देने के लिए कहा गया। छुट्टी के दिन अखबार न छापने को कहा गया। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत यूरोप भेज दिये जाने की सजा मिलती थी। वेलजली के मतानुसार चार्ल्स मैकलीन ने जो 'द बंगाल हरबार्ड' का सम्पादक था प्रेस के द्वारा 'याय' के क्षेत्र में टीका टिप्पणी की थी और एक सरकारी अधिकारी जिसने अपने पद पर कुछ काय किये थे उसकी आलोचना की थी' उसे दण्ड-स्वरूप इंग्लैण्ड वापस भेज दिया गया। टामसन ने वेलजली के सबंध में लिखा है 'प्रेस को वही लिखने का अधिकार था जिसे वह स्वीकार करता था। यदि वह वैसा नही करते थे तो उन्हें भारत छोड़ना पड़ता था।'<sup>1</sup>

पर चार्ल्स मैकलीन स्वतंत्रता प्रेमी था। इसीलिए इंग्लैण्ड वापस जाने पर भी उसने वेलजली के भारत विराधी आक्रामक नीति के विरुद्ध अपनी कलम की लड़ाई जारी रखी। इसी के फलस्वरूप उसे अंततः उस देश में अपने उच्च पद से त्याग-पत्र देना पड़ा।

लाड मिण्टो ने वेलजली की नीति चलती रहने दी। पर उसका उत्तराधिकारी लाड हर्स्टिंग्स उदार व प्रेस स्वतंत्रता प्रेमी था। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध के बावजूद उसने प्रेस पर से रोक थाम की नीति समाप्त कर दी। पर उसने सावधानी के तौर पर कुछ कदम इसलिए उठाये कि कहीं प्रेम अनुत्तरदायी न हो जायें। इसी-लिए उसने 1818 में कुछ नये नियम प्रसारित किये। इनके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रेस गवर्नर जनरल, कौंसिल सदस्य, न्यायाधीशों और कलकत्ता के विषय के विरुद्ध कोई अशांतिपूर्ण या अनगल बातें नहीं छापेंगे। उन्हें यह भी निर्देश हुआ कि वे भारतीय सरकार की यहाँ के विषय में कोई ऐसी राजनैतिक कायवाई नहीं छापेंगे जो आपत्तिजनक हो। यही बात भारत के सबंध में इंग्लैण्ड में चलने वाली कायवाई पर भी लागू होगी। य भारत की धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के सबंध में कुछ नहीं लिखेंगे और न ही ऐसी अविनाशक आपत्तिजनक बातें ही छापेंगे जिसके कारण समाज पर दुष्प्रभाव पड़ सकता हो। उपरोक्त सर्दभित कोई बात यूरोप के अखबारों से लेकर भी उन्हें छापने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया।

लाड हर्स्टिंग्स की प्रेस पर रोक थाम न रखने की उदार नीति ने प्रेस के

विकास में बड़ा योग दिया। उसके काल में कुछ नये समाचार पत्र व पत्रिकाएँ देशी भाषा तक में प्रकाशित हुए। इनमें से 'समाचार दपण' और 'सम्बन्ध कौमुदी' वर्नाक्युलर भाषा में थे और 'द कलकत्ता जर्नेल' अंग्रेजी में। 'द कलकत्ता जनल' जे० एस० बर्किन्गम द्वारा 1818 में स्थापित किया गया। वह एक साहसी पत्रकार था जिन्होंने किसी को भी आलोचना के पाश में लेने से नहीं छोड़ा, जैसे कलकत्ता के लाड विशप, मद्रास के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस कारण इन्हें भी इंग्लैंड वापस भेज दिया गया जहाँ उन्होंने बड़ा नाम कमाया। पर यह सब कुछ 1823 में ऐडम्स के काल में हुआ जो लाड हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी था। ऐडम्स प्रेस के मामले पर कम उदार था और भारत के अपने अल्पकालिक शासन में उसने यही नीति अपनाई।

लाड ऐडम्स के काल में भारत में प्रेस स्वतंत्रता हनन के लिए भारत सरकार ने सर टामस मुनरो को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वे इस सम्बन्ध में आख्या दें। मुनरो भी प्रेस स्वतंत्रता का प्रेमी नहीं था। इस कारण उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि यूरोपीय पत्रकारों पर प्रतिबंध व रोकथाम पुनः प्रारम्भ होना चाहिए और नियमों का पालन न करने पर उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रेस के सम्बन्ध में उसने कहा कि कुछ खतरा इससे भी है। यह भारतीय सेना का बेईमान बना देगा जिसमें ब्रिटिश शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह लोगों में स्वतंत्रता का सिद्धान्त फैलाएगा और भारत के विदेशी अजनबी शासकों को भगाने के लिए प्रोत्साहन देगा और उनके स्थान पर एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की आरंभ माग प्रशस्त करेगा।

आख्या की पृष्ठभूमि में मार्च 1823 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नियम रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके अन्तर्गत कोई पत्र या पुस्तक प्रकाशित करने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इनकी प्रतियाँ जाच-पड़ताल के लिए सरकार के समक्ष पेश होती थीं जिनमें से किसी को गवर्नमेंट गजेट में एक सूचना प्रकाशित करके पचलन से रोका जा सकता था। भारतीयों के विचार निश्चित रूप से इसके विरुद्ध जाने थे। द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोगों ने सरकार की इस नीति की घोर आलोचना की। पर इसका कोई परिणाम नहीं निवृत्ता और नियमों का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 1823 को हो गया। इस तरह लाड हेस्टिंग्स के सेवा निवृत्ति के दो महीने के भीतर ही प्रेस के प्रति उसकी उदार नीति दफना दी गयी।

पुनः लाड हेस्टिंग्स के सुधारों की ओर आते हुए यह कहा जा सकता है कि उसने सड़का, नहरों और पुलों का निर्माण किया और उनकी मरम्मत कराई। दिल्ली में एक नहर जो अब प्रयोग में नहीं आती थी उसे ठीक करके नगर के लिए प्यापन पानी की व्यवस्था की गई। कलकत्ता नगर का सौन्दर्यीकरण किया गया।

ब्लेडेन्सवर्ग ने लिखा है कि, "सक्षेप में उसका प्रशासन देश के आंतरिक विकास में, जब उसका आर्थिक ढांचा रास्त पर लाया गया, महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी काल में भारत को एक राष्ट्रीय परिवार के परिधि में भी लाया गया और इसी काल में गृह सुधारों की आधार शिला भी रखी गई।"<sup>1</sup>

### विदेश सबंध

हेस्टिंग्स के विदेश सबंध की संक्षिप्त व्याख्या की ही आवश्यकता है। पूर्व में बर्मा के उत्तेजनात्मक कायवाहियों के बावजूद उस देश से मित्रतापूर्ण सबंध बनाए रखने में वह सफल रहा। यह महत्त्वपूर्ण है कि 1818-19 में भारतीय सैनिकों की सहायता से लका पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। जावा बिना शर्त उच्च को वापस कर दिया गया। पर डचा ने मूलतः लाभ प्राप्त कर उस द्वीप पर विदेशी सामान को बिक्री पर रोक लगा दी तो हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश हितों की सुदूर पूर्व में रक्षा के लिए और चीन में मुरभिन व्यापार मार्ग के लिए सिंगापुर पर अधिकार कर लिया जो उस समय जीवनहीन द्वीप था। हालैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच कुछ मतभेद भी पैदा हो गये जो 1824 तक चले और फिर उनमें एक संधि हुई जिसके अन्तर्गत दोनों का प्रभाव क्षेत्रों में विभाजन कर दिया गया।

ममुद्री डाकू कोकण से लेकर कच्छ तक के क्षेत्र में अव्यवस्था मरिद्या से फलित रहते थे। 1819-20 में कुछ विशेष तरह के अभियान प्रारम्भ किये गये और 1822 तक भारतीय समुद्र तट पर होने वाली अव्यवस्था का अन्त हो गया।

भारत में रणजीतसिंह के साथ मित्रतापूर्ण सम्बंध चलता रहा। सिंह के अमीर के साथ सबंध में कुछ कठिनाइयाँ आयी पर उन्हें दूर किया गया। कच्छ से बारवार ब्रिटिश सरक्षित राज्यों पर किया जाने वाला आक्रमण एक समस्या बन गया था। 1822 में उस पर आक्रमण करके जीत लिया गया और के ड सरकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया गया पर हेस्टिंग्स के काल में एक दुभाग्यपूर्ण घटना घटी जिसके कारण अन्ततः उसे इस्तीफा देना पड़ा। उसका सबंध 'विलियम पामर एण्ड कम्पनी' से था जिसने गवर्नर जनरल के कहने पर निजाम को कुछ ऋण दिया था। ऐसा एक प्रश्न उठा कि क्या वह सस्या जिम्मे ऋण प्रदान किया है, वह 1796 में समझ के ऐक्ट की धारा के अपवाद में है? हेस्टिंग्स ने इस आर्थिक ऋण को स्वीकृति प्रदान करने में उस क्षेत्र के भूतपूर्व रेजीडेण्ट के निणय का आधार बनाया था। टाइरेक्टर ने जो हेस्टिंग्स की भारत नीति के विरुद्ध थे इस अवसर का लाभ उठाया। वैसे उसपर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया गया, पर अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया कि गवर्नर जनरल ने इस कार्य में व्यक्तिगत सबंध।

1 ब्लेडेन्सवर्ग पूर्वोक्त, पृ० 45।

के आधार पर सब कुछ किया है। भावुक हेस्टिंग्स इसे बरदाश्त नहीं कर सका और 1821 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वैसे वह इस पद पर 1 जनवरी, 1823 तक काय करता रहा।

और इस तरह भारतीय इतिहास के एक काल का अंत हुआ। इस पुस्तक के वतमान लेखक का बिना क्षमा याचना के रॉस-ब्लेडेसवर्ग की पुस्तक से उसकी पुस्तक 'माक्सवस आफ हेस्टिंग्स' के उस अंश को यहाँ प्रस्तुत करने में सकोच नहीं है जिसमें हेस्टिंग्स की महत्त्वपूर्ण मफलताओं का आकलन किया गया है। उसने लिखा है कि जब हेस्टिंग्स "नरकता पहुँचा अंग्रेजों के अधिकार टूटे और बिखरे थे, लकी सीमाओं की सुरक्षा व व्यवस्था की जानी थी, एक भाग से दूसरे भाग में आवागमन का साधन कठिन और अनिश्चित था, तमाम प्रांतों में शीघ्र पहुँचना कठिन था। इन क्षेत्रों का कठिन व विरोधी पड़ोसिया में संपन्न था जिससे हिंसा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता था और उच्चको और डाकुओं के द्वारा विनाश व बर्बाद का पहाड़ प्रस्तुत किया जाता रहता था। मराठे निरंकुश हो गए थे उनका शासन विनाश का पर्याय था, यह धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वस्तुस्थिति के ठीक करने का प्रयास इनकी ओर से नहीं हो रहा था। लूट खसोट करने वालों के गिरोह और सैनिक प्रजा को दबा रहे थे जिससे कंपनी के शासन की कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। विकास रुक गया था शांति लापता थी और ब्रिटिशों का अस्तित्व उतरने या अपमानित होने के खतरे से ग्रस्त था।"

"हेस्टिंग्स ने इन तबकों पर विचार किया। नेपाल विरोध पर विजय पायी गयी और उत्तर की सीमा सुनिश्चित की गयी। ब्रिटिशों के विरुद्ध मराठा के संगठन और कंपनी के राज्य-भेद को समाप्त करने वाली लूट-पाट की प्रणाली का समाप्त किया गया। मध्य भारत व्यवस्थित व शांत किया गया। संक्षेप में स्वतंत्र देशी राज्यों की 1813 की यह धारणा कि वे अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, चूठला दी गई। 1823 तक सतलज तक के क्षेत्र के प्रत्येक राजा को बलवत्ता की सरकार का अनुगामी बना लिया गया।"

विजित क्षेत्रों का नियोजन चालाकी से किया गया। प्रशासकीय क्षेत्र में हेस्टिंग्स की प्रणाली ही करनी होगी कि उसने जमींदारों के विरुद्ध विमानता को अधिकार निलंबित, विजित देशों को शांत किया तथा कंपनी के आय विभाग में भारतीयों का नवीन आशा की किरण के दशन कराये। राबर्ट सॉनेर लिखा है 'वह एक योग्य प्रशासक, परिश्रमी व ममत्तदार कायकता था। उसकी आदमियाँ की पहचान उत्तम थी। उसका नाम व उसकी प्रतिष्ठा श्रेष्ठ गवर्नर जनरल के पोटो



और जब ब्रिटिश आक्रमण की आधी बहनी प्रारंभ हुई तो वे खर-पतवार की तरह उड़ गये।

यदि मराठा राजा विदेशी सबधो मे अशान्त थे तो अपने आन्तरिक मामलो मे भी वे बेहतर स्थिति मे नही थे। उनका प्रशासन बेईमानीपूण और अकायक्षम्य था। घूसखोरी, भ्रष्टाचार और झूठेपन का बाजार गम हो गया। किसान दबा दिया गया और शासक व शासित के बीच सबध मात्र राजस्व वसूली के माध्यम से हुआ। क्षेत्र मे शांति और व्यवस्था की समाप्ति हो गई। 'माय मे देर ही नही की गयी, उसे बेचा भी जाने लगा। लोग भूखी मरने लगे, जबकि सरकारी अधिकारी और जमीदार विलासिता मे मग्न थे।

मराठा की आर्थिक व्यवस्था भी सगठित न थी। भूमि अनुपजाऊ थी और वर्षा कम होती थी। लूट और चोथ उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। चोथ की प्रथा का प्रारंभ शिवाजी के काल मे ही हो गया था। और डा० सेन<sup>1</sup> ने लिखा है कि यह सैनिक नेता को प्रजा की ओर से देय एक सहयोग था, रानाडे के अनुसार इसे किसी के आक्रमण से बचाने के आश्वासन के लिए लिया जाता था जिसकी तुलना चेलजली की सहायक सधि प्रथा से की जा सकती है। जबकि जदुनाथ सरकार<sup>2</sup> का कहना है कि इसके कारण किसी क्षेत्र मे मराठा सैनिक व नागरिक वमचारी अनुपस्थित रहते थे। इसके कारण शिवाजी पर उस क्षेत्र के बाहर से आक्रमण या आन्तरिक क्षेत्र मे अराजकता का उत्तरदायित्व नही आता था। इस व्यवस्था का जो भी आधार रहा हो, पर यह स्पष्ट है कि यह धन दूसरे लोगो द्वारा अधिकारित क्षेत्र से लिया जाता था। इसकी वसूली का कोई भी प्रतिष्ठित शक्ति स्वागत नही करती थी। मराठो की इसी तरह की कायवाहियो ने राजपूतो को ब्रिटिश चरणो मे ढकेल दिया। इतना ही नही, ये दो स्रोत भी अधिक दिना तक नही चले। जैसे-जैसे शांति की स्थापना होती गई, लूट के द्वारा धन प्राप्ति का साधन कम हाता गया। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, चोथ, प्राप्ति की सीमा भी घटती गयी। कृषि उत्थान के लिए कुछ नही किया गया और न ही उद्योग के विकास व उत्थान के लिए। और जब जीवन व धन की सुरक्षा सबसे कम रही, तो व्यापार व उद्योग के विकास का प्रश्न ही नही था। इसीलिए यह आश्चर्यजनक नही है कि मराठा नेताओ को आर्थिक कठिनाइया झेलनी पडी। बस तो उनके अपने विलासी जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त धन था, पर साथ ही वे अपने नौकरो व सैनिको का वेतन तक नही दे पाते थे। य ब्रैव वाला से धन उधार लेते थे। अति

1 एस० एन० सेन द ऐडमिनिस्ट्रटिव मिस्टम आफ द मराठान।

2 रानाडे एम० जी० राइज ऑफ मराठा पावर।

3 सरकार, जे० एन० शिवाजी ऐण्ड हिज टाइम्स।

प्रसिद्ध और थोड़ा मज़ादाजी सिधिया ने अपने समृद्धि के दिना म भी ऐसा ही किया।  
 बैंक वाले जब अपना धन वापस मागत ता अजीब अव्यवस्था पैदा जाती। यह  
 कल्पना की बात थी कि ऐसी सरकार कितने दिन तक चल सकती थी।

इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 20 जून 1818 को माट ऑफ़  
 डाइरेक्टस को इही परिस्थितिया म हस्तितस ने लिखा "पठान के कपनी के राज्य  
 क्षेत्र म जस्ता को जा सुविधा व गुरक्षा प्राप्त है उम लाग जात गय है, और सच म  
 उन्होंने नयी व्यवस्था को व उमकी कल्पना का अपनी इच्छा से स्वीकार किया है।"<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त मराठा लोगो म अनेक तरह के लोग थे। य विभिन्न जातिया  
 व वर्गों म बटे हुए थ। ब्राह्मण अश्राह्मणो स पूजा करत थ और अय साग ब्राह्मणो  
 से घणा करत थ। ब्राह्मण स्वय भी देश बाकण, चितपावन आदि भागो म बटे  
 हुए थे। वे आपस म झगडते भी थे। रवीन्द्रनाथ टगोर ने लिखा है "शिवाजी  
 पुरानी परंपरा को जीवित रखना और बचाना चाहते थे उस हिंदू समाज का  
 भी वे बचाना चाहत थे जिमके द्रष्टव्य भेद भाव व जाति आदि ही उनके जीवन के  
 आधार थ। वह इस भेद भावमर समाज को पूर भारत म विजयी बनाना चाहत  
 थे। पर व बालू की रस्मी बनाने के चक्कर म थे।'

मराठा शासक ने जनता के बीच शांति और सभ्यता पल्लवित करन की कोई  
 चेष्टा नहीं की। सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। शिक्षा  
 को लोगो म प्रचारित करने की चेष्टा नहीं की गई जिमम वे अपने का बुद्धिमान ही  
 न बना सके बल्कि भेद भाव आर अधविश्वास म अपने को दूर कर सके। और इसी  
 कारण मर जदुनाथ सरकार न ठीक ही लिखा, "मराठा राज्य म लागी की एवता  
 का आधार सगठन नहीं था बल्कि यह बनावटी व एकाएक प्रस्तुत हो जात के कारण  
 कष्टदायी था यह शासक के आश्चर्यजनक व्यक्तित्व पर निर्भर करता था।"<sup>2</sup>  
 रवीन्द्रनाथ टगोर ने लिखा है कि धार्मिक कट्टरता के आधार पर 'अस्थायी उत्साह  
 पूरे देश पर छा जाता था और हम यह कल्पना करन लगत थे कि यह एक ही गया  
 है।'

मराठा की सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा अपनायी गयी छापामार युद्ध की  
 नीति थी। पर यह विधि उनके लिए तभी ठीक पडती था जब वे सुरक्षात्मक बंदम  
 उठा रह हा और उनके अपन छोटे छोटे जंगलो व पहाडो से घिरे राज्य क्षेत्र में  
 रहना हो। मराठो के उत्थान व साम्राज्य विस्तार के साथ युद्ध की यह विधि बेकार  
 हो गई। समय बदल गया था उह अब आश्रमक लडाइया लडनी पडती थी। पर

1 'वेड'सबग पूर्वोद्धत प० 52।

2 सरकार ज० एन० शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स प० 429 32।

मराठों ने अपने को समय के साथ नहीं बदला। उन्होंने युद्ध की विभिन्न कलाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया और न ही अपनी सेना में अनुशासन रखने का प्रयास किया। बालाजी ने पर्याप्त ब्रेतनभोगी सैनिक रखे और सैनिक क्षेत्र में पश्चिम की विधि अपनाई। पर प्रयास इतने आधे मन से किये गये थे तथा इसमें अकायक्षमता का इतना पुट था कि उसके सैनिक नया तो कुछ सीख न सके साथ ही पुरानी पद्धति भी भूल गये। मराठा सेना में इतनी अनुशासनहीनता थी कि उनके सेनापति महत्वाकांक्षी और आदेशावरोधी हो गये। यदि हम अपनी लेखनी सदाशिव दिनकर की ओर मोड़ लें तो उस स्थिति की सच्ची जानकारी हम प्राप्त हो जायेगी।

1788 में मथुरा में नाना फडनीस के एक सहायक ने उसे तत्कालीन श्रेष्ठ मराठा नेता महादाजी सिंधिया की सेना की स्थिति का विवरण इस तरह भेजा। उसने लिखा "महादाजी ने 10 लाख रुपया प्राप्त किया है, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस धन का व्यय कैसे किया गया है। जहाँ तक सेना पर किये जानेवाले व्यय का सबध है, मराठा सेना दक्षिण से ही अवगनातीत बठिनाइयो से भरती है। वे अपना घोड़ों को बेचकर भी अपना ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है। एक सैनिक को मुश्किल से 10 रु० मासिक मिलता है, उसका भरण पोषण इससे कैसे हटा सकता है? महादाजी ने अपनी नवीन पदल सेना पर अपार धन-राशि व्यय की है पर उससे मराठा जो गोहद और ग्वालियर के युद्ध में मारे गये, उहाने बड़ी आर्थिक कठिनाइया भोगी। महादाजी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उसके रेजीमेन्ट के भर्ती सभी सैनिक युद्ध मैदान में उपस्थित हैं या नहीं। छानबीन करने, उपस्थिति लेने और सैनिकों पर व्यय करने की सही व्यवस्था नहीं है। सैनिकों के हाथ धन पहुँचने के स्थान पर बिचौलियों के हाथ में पहुँच जाता है। यहाँ अत्यधिक अव्यवस्था और गोलमाल है।"

जी० एस० सरदेसाई ने लिखा है "राष्ट्र के स्वतंत्रता की रक्षा कायक्षम सेना ही कर सकती है। वह सेना जो उचित प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हो, जिसके पास आधुनिक हथियार हों और जिनका नेतृत्व अच्छे सेनापतियों के हाथ में हो।"<sup>1</sup> पर मराठा के पाम इनमें से कुछ नहीं था।

मराठा तोषखाने की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं थी। वे स्वयं बढ़ते नहीं बनाते थे। इन्हें बाहर से मगाया जाता था और इनकी पूर्ति प्रायः समय पर न हो पाती थी। इस विभाग की सेवा का उत्तरदायित्व भी प्रायः विदेशियों के हाथ में था। मराठों ने अपने पर्याप्त सैनिकों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं किया।

मराठों की जासूस व्यवस्था भी कायक्षम नहीं थी। वे मात्र कल्पना के आधार



पर काय करते थे। वे कूटनीति में ही पिछड़े नहीं थे बल्कि उनका भूगोल-ज्ञान भी बहुत कम था। सेना के प्रस्थान के समय तक आवश्यक भौगोलिक जानकारी नहीं प्राप्त की जा पाती थी। इसीलिए प्रायः आगे बढ़ते समय या शत्रु सेना में बचकर भागते समय उन्हें रास्ते में नदी का सामना हो जाता था और तब वे किसी घाट या नाव की व्यवस्था के लिए सोचने लगते थे। तबतक शत्रु सेना बेहतर स्थिति में हो जाती थी और ऐसे में मराठों को विना लड़े ही पराजित हो जाना पड़ता था या भागते हुए पकड़े जाने पर मौत के घाट उतरना पड़ता था।

इसके विपरीत इतने दूर से आकर भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाले ब्रिटिश भिन्न कोटि के थे। उन्हें यूरोप में भिन्न भिन्न भाषा की लड़ाइयों का अनुभव ही नहीं था बल्कि भारत में भी लड़ने का अनुभव था। वे जो भी करते थे, योजनाबद्ध तरीके से करते थे। आखिरी मूड़कर कोई कदम नहीं उठाया जाता था। उनके जामूसों का जाल दूर दूर तक फला हुआ था। उन्होंने भारतीयों से निकट संपर्क स्थापना के लिए उनकी भाषा सीखी। देश में कहीं भी आक्रमण करने से पूर्व वे वहाँ की पूण भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते थे। कोई भी चीज सयोग और कल्पना पर आधारित नहीं थी। इसमें सदेह नहीं कि वे विज्ञान के ज्ञान में आगे थे। राजवाड़े के इस मत का किसी भीमा तक हम भी समर्थन कर सकते हैं। "1818 के प्रारम्भ में यदि पेशवा बाजीराव द्वितीय के किसी भागते हुए सैनिक से इसका कारण पूछा जाता कि वह क्यों जनरल स्मिथ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को देखकर भाग रहा है तो वह बिना रोक टोक के कहता कि वह मोरो से नहीं डरता बल्कि उनकी लम्बी लम्बी बंदूका से डरता है तथा डरता है उनके वैज्ञानिक अस्त्रों से जिनका प्रयोग वे युद्ध में करते हैं।" पर यही निश्चित रूप से मराठों के पराजय और ब्रिटिशों के विजय का कारण नहीं था। वैज्ञानिक उपकरणों के अतिरिक्त उनकी सेना का अनुशासन भी उनके विजय का कारण था। किर्की और कोरेगाव के युद्धों से यह प्रमाणित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि वे वैज्ञानिक प्रणाली उलनी न भी जानते तो भी उनकी अनुशासित सेना मराठों को पराजित कर देती।

एक पराजित मराठा सैनिक यह जानता था कि पराजय के बाद वह अपने गाव जाकर कभी भी एक नागरिक की तरह रह सकता था। पर एक ब्रिटिश सैनिक या कर्मचारी के लिए बात अलग थी। उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी ही थी। यदि वे पराजित हो जाते तो उन्हें सिर छुपाव के लिए और जीवन रक्षा के लिए जगह नहीं मिलती। उनके लिए यह एक विजय या मृत्यु का खेल था। इसीलिए वे साहसी थे और बठिन परिस्थिति में भी लड़कर विजयी हो गये।

जी०एम० सर०साइ ने लिखा है कि 'पूर्वी नीति की एक गम्भीर कमी उसकी विनाशात्मक पैतृक-भवा और पने की प्रथा थी जो हमारे समाज में राज्य और

व्यक्तिगत जीवन दोना का आधार थी।" लेखक ने आगे लिखा है कि, "40 दिन की आयु के माधवराव द्वितीय को पेशवा का पद सौंप दिया गया जिसका परिणाम भयानक हुआ।"1 मराठों के विपरीत ब्रिटिश-व्यवस्था व्यक्ति पर आधारित न होकर सगठन पर आधारित थी। सबसे योग्य व्यक्ति को गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। यदि वह अपने पद के अनुरूप न सिद्ध होता तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाता था। मराठों में अकमण्य यहाँ तक कि 40 दिन तक के बच्चे को शासक बना देना वर्दाशत कर लिया जाता था। मराठों में कुर्सी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती थी जब कि अंग्रेजों में इसके माध कतव्य का भाव जुड़ा हुआ था। परिणाम स्वाभाविक थे।

मराठों सच में अनुशासन व व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। उनमें प्रजा-तांत्रिक भाव नहीं के बराबर था। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र में निरकुश था। इसके नेता घमडी और अक्खड थे। जनता को दबाते और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान न देते थे। इन परिस्थितियों में हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट थे और दोनों ब्रिटिशों से सहायता मांगते थे।

शिवाजी की मृत्यु के बाद जागीरदारी प्रथा प्रारंभ हो गयी और इस प्रथा के अन्तगत, जैसा मध्यकाल में अनुभव किया गया था, राज्य का पतन होना ही था। जागीरदारों में से प्रत्येक को अपना वतन प्यारा था जब कि मातृभूमि का स्थान उनके लिए गौण था। राज्य के अतगत राज्य का निर्माण हो गया था और राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो गया था जिससे पतन होना स्वाभाविक था।

पहले के मराठा नेता अधिक योग्यता वाले थे। अहिल्या बाई, महादाजी सिंधिया और नाना फडनीस बुद्धिमान थे और अपने साधन व परिस्थिति का लाभ उठाते थे। महादाजी तो मुगल सम्राट तक को अपने नियंत्रण में लाने में सफल हो गया था। पर अपनी शक्ति के बाद वाले दिनों में मराठों ने हर व्यावहारिक योग्यता को गवा दिया। बाजीराव द्वितीय, जसवन्तराव होल्कर और दौलतराव सिंधिया सभी की अपनी कमियाँ थीं। उनमें ईमानदारी और उत्तरदायित्व का भाव नहीं था। उन्होंने युद्ध के लिए सही समय नहीं चुना। वे भी झूठेपन और जालफरेब में विश्वास करते थे जैसे कि साम्राज्य न हुआ जादू का खेल हुआ गया। वे छोटे मोटे झगड़ों में अपनी शक्ति गवा देते थे। वे मैकियावेली के दर्शन में भले ही विश्वास करते थे, पर वे अपनी कमठता समाप्त कर चुके थे। जब सिंधिया, होल्कर और पेशवा आपसी सघप में व्यस्त थे तभी वेलजली ने उन पर आक्रमण कर लाभ उठाया। पेशवा नमित कर दिया गया और मराठा अंत का प्रारंभ कर दिया गया।

जब आपस में शक्ति प्राप्ति हेतु सघप और विभाजन हुआ तो स्वाभाविक रूप

से हिन्दू नेताओं की आपस में मिलकर हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की कल्पना काफ़ूर हो गयी। और यह इसलिए कि इसके अतिरिक्त कोई और धारा नहीं थी। जब मराठे लूट मचाते थे तो वे शत्रु और मित्र में भेद भाव नहीं करते थे। और इसलिए उनके आम-पास के सभी नेता और लोग उनका विरुद्ध हो गए। उदाहरण के लिए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जिस उद्देश्य अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ा, किसी भी राजपूत नेता ने सहयोग नहीं किया। बलिन गंगा और दोआब के हिन्दू नेता-जा ने विदेशी आक्रमण की उनकी योजना में बाधा डाली। एसा इन्होंने मराठों के लूट की नीति के कारण ही किया। इन परिस्थितियों में मराठा का हिन्दू साम्राज्य की स्थापना के लिए कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ।

और इसके अतिरिक्त, देवी शक्ति भी लगता है मराठा के साथ नहीं थी। उनके पतन के इन कारणों में मराठा के प्रमुख नेताओं की असाधारण मृत्यु में भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की। जब शिवाजी की मृत्यु हुई मुगल शक्ति का प्रहार मराठा पर तेज कर दिया गया। बाजीराव की अकाल मृत्यु ने निजाम के राज्य की निश्चित समाप्ति की वधा लिया। पेशवा माधवराव की मृत्यु में मराठा के अतिरिक्त आर बाह्य अनकता को सघन रूप में सामना सा पड़ा गया। 1795 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु में शक्ति बाजीराव द्वितीय के हाथ में सीप दी जिसके न हान पर संभवतः मराठा राज्य कुछ और दिना तक बनता।

मराठों के अन्तिम दिना में जन सेनाशक्ति की एकदम अनदेखी कर दी गयी जिसके फलस्वरूप समुद्र शक्ति पर निर्भर करने वाले ब्रिटिशों से लड़ने में उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी। ब्रिटिशों के पास भारत में और भारत के बाहर अपार साधन थे। यदि भारत में कोई वस्तु कम पड़ जाती थी तो वह तुरंत बाहर से आ जाती थी। और मराठे अपनी जल सेना की कमजोरी के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे।

और अन्तिम बात यह थी कि मराठे इस दृष्टि से दुर्भाग्यशाली थे कि वे 1818 में किसी और जाति के स्थान पर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। राजवाडे ने लिखा है एक अंग्रेज अत्यन्त मजबूत दिखने के बावजूद जन्मजात राजनीतिज्ञ होना है और हृदय से दुष्ट होता है। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न था वह अपने पिता का भी नहीं छोड़ सकता था इसलिए आश्चर्य नहीं कि हम आध्यात्मिक उच्चता का ढोंग करते हुए अल्पकाल ही में अंग्रेजों के समक्ष धाराशाही हो गये।<sup>1</sup>

जनवरी 1823 में जब हेस्टिंग्स पद मुक्त हुआ तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। पर उसकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। रेकसेल ने उसे 'बनमानकान

1 काइफर्नी पूर्वोक्त प 375-84।

का टाइमन पुरस्कार है जिसकी बहादुरी व स्वल्प स्वभाव ने एव शानदार भाग्य की पूणतया घना दिया था।<sup>1</sup> उसने अपने अतिम दिन माल्टा के गवर्नर के पद पर बिताये। 1826 मे वह अपने घोडे से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। “दवा के लिए उसे एच० एम० एस० रिवेन्ज ले जाया गया जहा नेपिल्स की खाडी मे 28 नवम्बर 1826 को उसकी मृत्यु हो गयी। उस समय वह लगभग 72 बध का था।”

“लम्बा, ऊचा, शक्तिशाली और नसरती शरीर के अतिरिक्त घनी वाली मूछा वाला हेस्टिगस इंग्लैण्ड मे सबसे भद्दा आदमी माना जाता था। पर उसका व्यक्ति व उसके मिलनसारी व भद्रता के गुण स सतुलित हा जाता था भारत म उसने अपनी ईमानदारी और कायक्षम्य शासन की छाप छोडी।”<sup>2</sup>

1 मेरसी, विसकाउण्ट द वापसरायज ऐण्ड गवर्नसे जनरल आफ इडिया प० 45

2 वही।

## लार्ड एमहस्ट (1823-28)

लार्ड एमहस्ट के आगमन से पूर्व सात महीने के लिए गवर्नर जनरल के पद पर कर्तव्यता कौशल के एक वरिष्ठ सदस्य जान एडम्स हेन्टिंग्टन के अनुराधिकारी रहे। अपने सक्रिय काल में एडम्स ने पामर ऐण्ड कम्पनी को आदेश दिया कि वह निजाम को धन का ऋण न दे। जो धन निजाम ने कम्पनी से ले लिया था उस ऋण को चुकाने के लिए धन देने का आदेश दिया गया। एडम्स के पद पर नियुक्ति से पूर्व प्रेस पर कठोर प्रतिवध लग चुके थे। 'कलकत्ता जनल' के सम्पादक बकिंघम को सरकार की आलोचना करने के कारण इंग्लैंड भेजा जा चुका था। भाग्य से एडम का शासन अधिक दिना तक नहीं चला। 1823 में एमहस्ट को इस पद पर नियुक्त किया गया।

एमहस्ट 1773 में एक ऐसे सपन परिवार में पैदा हुआ जिसके ऊँचे राजनतिक मन्बन्ध थे। एमहस्ट ऐसे सौभाग्यशालियों में थे जिन्हें सफलता के लिए दृढ़ इच्छा और निश्चय के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बालक एमहस्ट में अपनी प्रतिभा और शक्ति के भरोसे एक निश्चित दिशा में जान की क्षमता थी। परिस्थितियों के पक्ष में होने के कारण उसका उत्थान मरल था। 1797 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज आक्सफोर्ड से उसने एम० ए० की उपाधि पाई और इसके तुरन्त बाद वह धनीमानी परिवार के बच्चा की तरह महाद्वीपीय यात्रा पर निकल पड़ा। 1800 में उसने अपनी इच्छा से एक विधवा से विवाह कर प्रसन्नतापूर्ण बवाहिक जीवन प्राप्त किया। 1809 में उसे सिसली का विशेष दूत बनाकर भेजा गया। 1815 में उस प्रीवी काउंसिलर और कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड में चीन का दूत व पूर्णाधिकारी बनाकर भेजा गया। ये पद महत्वपूर्ण थे जिन्हें उसने योग्यतापूर्वक सभाला। 1823 में उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1 अगस्त, 1823 को वह सपत्नीक कलकत्ता पहुँचा।

एमहस्ट के भारत पहुँचने पर ब्रिटिश सत्ता पर्याप्त विस्तार पा चुकी थी। विरोधियों का एक-एक करके बर्बाद किया जा चुका था और अप्रेजा की सत्ता अमीमित और विजय पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। एमहस्ट के आगमन से बीस

वष पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी के अतगत लेक ने उत्तर पश्चिम के प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया था और ब्रिटिश अधिकारियों को दिल्ली सम्राट का संरक्षक नियुक्त किया था। बेलजली न मद्रास प्रेसीडेंसी के जिला पर विजय पायी और लाड हॉस्टिंग्स ने बम्बई प्रेसीडेंसी के क्षेत्र को कम्पनी में मिलाया। "नेपाल और बर्मा को छाड़कर सतलज और सिंध के पूर्व का शेष भारतीय भाग ब्रिटिशों के अधीन था। राजपूताना, मालवा, गुजरात, अवध, बुंदेलखंड, इंदौर, भोपाल, बरार, हैदराबाद, मैसूर और द्रावणवोर सभी स्थानों पर कम्पनी के रेजीडेंट या अय एजेंट ही सवशक्तिमान थे।"

नवीन गवर्नर जनरल शांतिमय नीति अपनाते के पक्ष में था।<sup>1</sup> पर अधिक दिना तक भारत में वह यह नीति नहीं अपना पाया। और जब परिस्थितियाँ परिवर्तित हुईं, परिणाम वही हुआ, जो एक बमजोर इच्छा वाले व्यक्ति से अपेक्षित थी। लाड एमहस्ट के व्यक्तिगत जीवन में इसके कारण कष्ट और दुःखान्त स्थिति आ गयी।

### प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26)

"लगभग उसी क्षण से जब लाड एमहस्ट ने अपना वायभार सम्भाला, बर्मा के साथ युद्ध की स्थिति में उसके विचार उलझ गये।"

जब ब्रिटिशों ने बंगाल पर अधिकार किया उस समय कई ऐसे क्षेत्र उनके संपर्क में आये जिनपर बर्मा के सम्राट या तो अपना अधिकार रखते थे या उसकी प्रभुसत्ता के अपने को अधिकारी बताते थे। उत्तर में काफी दूर रंगपुर जिले से बाहर आसाम की घाटी पर उत्तुम्ब निगाहों बना, लालच की निगाहों से वे देखते थे। दक्षिण में ब्रिटिशों का सिलहट जिला चाचर से जुड़ा था। बंगाल के समुद्र तट पर चटगाव सबसे दूर पड़ता था और यही से दक्षिण की ओर पुराना अराकान का राज्य पड़ता था।

और बहुत सी बातें थी जिससे ब्रिटिशों और बर्मियों में कठिनाइयाँ प्रारम्भ हुईं। 18वीं सदी के अंत में बर्मा के सम्राट ने एक सेना भेजकर अराकान पर अधिकार कर लिया और पुराने बड़े साम्राज्य का अंत कर दिया। पर राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित होकर तथा बर्मियों कुशासन से क्षुब्ध होकर इस क्षेत्र के कुछ लोग नफ मुहाने को पारकर जो चटगाव और अराकान के बीच सीमा रेखा थी, ब्रिटिश क्षेत्र में आने लगे। कुछ सीमा पर ही रुककर अपनी मातृभूमि पर आक्रमण करने लगे। ऐसे लोगों के एक समूह का पीछा करती हुई बर्मा की एक सेना

1 हटर, डब्ल्यू. डब्ल्यू. (संस्करण) लाड एमहस्ट पृ० 25।

2 हटर पूर्वोक्त, पृ० 66।

ब्रिटिश क्षेत्र में घुस आई और अपने देशवासियों के वापसी की मांग करने लगी। सर जानशोर जो शांतिप्रिय थे, ने क्रुद्ध होने की जगह पर सघष की बात मान ली और ब्रिटिश क्षेत्र में आये बर्मिया की वापस करने को भी तैयार हो गया यदि वह अपनी सेनाएं वापस बुला लें। हमें डब्लू० डब्लू० हण्टर की यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा 'उच्च नैतिक आधार' पर किया गया। पर इसमें मंदाह नहीं है कि इससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। वाद में कैंप्टेन मीम्म को एक मैत्री मिशन पर आवा भेजा गया। इससे भी ब्रिटिशों द्वारा प्रदर्शित उस कमजारी की क्षति की पूर्ति नहीं हो सकी जिम्का प्रदर्शन शोर न किया था।

इससे बर्मा उत्साहित हुए। चटगाव में जाने वाले भगोडा की सख्या बढ़ी। बर्मा सेना न उनका पीछा करते हुए पुनः ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश किया। एक ब्रिटिश सेना उन्हें पीछे हटाने के लिए भेजी गयी पर उसे पीछे हटना पड़ा। यह घटना वेलजली के समय में हुई जो अत्यन्त स्थाना पर युद्ध में व्यस्त था इसीलिए वह इस पराजय या अपमान की ओर ध्यान न दे सका। पर उसने यह अवश्य किया कि जो बर्मा ब्रिटिश क्षेत्र में आ गए थे उन्हें बड़े व्यावसायिक श्रेणियों में बसा दिया। इससे ब्रिटिशों और बर्मियों के मतभेद बढ़ गये। एक ओर तो बर्मा से आये हुए लोगों की वह भावनात्मक पवित्रता थी जिसमें वह कहते थे "हम कभी भी अराकान वापस नहीं जायेंगे, चाहें आप हम मार ही क्यों न डालें। दूसरी ओर बर्मा के सम्राट का कहना था "यदि आप अपने देश में मेरे दोस्तों को शरण देते हैं तो दोनों का सबंध बिगड़ ही जायगा।"

1811 में इनके सबंधों को बिगाड़ने वाली स्थिति और खराब हो गयी। खेन न्यान, जिसे एंग्लो इण्डियन लोगों ने राजा बेरिंग नाम दिया है, नामक व्यक्ति अराकान से भागने वाला के साथ ब्रिटिश क्षेत्र में आ गया। वह अराकान के एक जिलाधिकारी का लडका था जिसने अपना क्षेत्र बर्मा को दे दिया था और जिसके कारण जनता में वह अलोकप्रिय हो गया था। इस कलक को धोने के लिए वह बर्मा क्षेत्र छोड़ने वाला में सम्मिलित हो गया, उन्हें एक लडाकू संगठन में परिवर्तित किया और अराकान पर आक्रमण किया और इसके केन्द्र स्थान पर अधिकार कर लिया। अराकान के राजा ने ब्रिटिशों को इसका उत्तरदायी बताया। पर कलकता के अधिकारियों ने इस सम्बंध में अनभिज्ञता प्रकट की और उन्होंने कैंप्टेन बर्निंग को बर्मा के राजा को सतुष्ट करने के लिए भेजा पर बर्निंग का मिशन सफल नहीं हुआ और उसे बचक बना लिये जाने की स्थिति से बचने के लिए जेल से भागना पड़ा। जावा के राजा के साथ ब्रिटिशों का यह अन्तिम शांति स्थापना का प्रयास था।

षाडे ही दिना में एक शक्तिशाली बर्मा सेना आयी और राजा बेरिंग को चटगाव में मारी। इस तरह एक त्रिकोणात्मक सघष की शुरुआत हो गयी। बच्चे

राजा वैरिंग की तलाश अराकान वाले और साथ ही-साथ ब्रिटिश भी करने लगे। इसके कारण आंग्ल-बर्मा सीमा पर अशांति बनी रही। इसी बीच 1815 में राजा वैरिंग की मृत्यु हो गयी। इससे बर्मा का राजा अपने को और शक्तिशाली अनुभव करने लगा जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी से गंभीर झगड़े की संभावनाएं बढ़ गयीं।

1817 में बर्मा के राजा ने ब्रिटिशों को सूचित किया कि अराकान के भगोडो को तुरन्त वापस कर दिया जाय। "समुद्र और पृथ्वी का अधिपति" (बर्मी राजा यह विरुद्ध अपने लिए प्रयुक्त करता था) बर्मी सम्राट ने कहा कि ऐसा न होने पर वह ढाका, चटगाव, बासिमबाजार और मुर्शिदाबाद पर अपना अधिकार जतायगा जो निस्सन्देह अराकान क्षेत्र के अंग थे। ब्रिटिश उत्तर सीमा पर कड़ा था। ब्रिटिशों ने राजा की बात नहीं मानी और उससे कह दिया कि वह जो चाहे करे। पर 1819 में राजा की मृत्यु हो गयी। अपने पीछे वह और भयानक परिस्थिति छोड़ गया।

तीसरी विफल स्थिति तब पैदा हुई जब नये बर्मी सम्राट ने आसाम में सेना भेज दी, वहाँ के राजा का हटा दिया और वहाँ का राज्य अपने ही एक विशेष व्यक्ति को दिला दिया। आसाम के राजा को भूटान में भेज दिया गया जहाँ से कठिन प्रयासों के बाद उसे आसाम पुन प्राप्त हो गया। पर उसकी सफलता अल्पकालिक थी। उसे पुन भागना पड़ा और एक पड़ोस के ब्रिटिश जिले में वह पहुंचा। परिस्थिति उस समय सचमुच गंभीर हो गयी जब बर्मी सेना ने ब्रिटिश क्षेत्रों में घुसकर राजा को पकड़ने को कहा।

एक अन्य घटना तो एमहस्ट के पहुंचते-पहुंचते घटी। एक पूर्व संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने मणिपुर के राजा को अपने संरक्षण में लिया था। इसी राजा की सहायता बर्मा के विरुद्ध करने की चेष्टा ब्रिटिशों ने की, पर वे इसमें अधिक सफल न हुए। एमहस्ट के भारत में पहुंचने से तुरंत पहले, "हम बर्माियों को चाचर की ओर आगे बढ़ता हुआ पाते हैं जो कुछ मनपुरी राजकुमारों का पीछा कर रहे थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ शरण ले रखी थी। पुन भगोडो की मांग ब्रिटिशों से की गयी और पुन कड़ाई से इससे इनकार कर दिया गया और इस तरह जब 1823 का वर्ष निवृत्त आया उसी समय एक बर्मी सिलहट सीमा पर मरा टगा पाया गया।"<sup>1</sup> 1822 में उन्होंने स्याम को जीता था जिससे उनका घमण्ड और बढ़ गया था, वे सोचने लगे थे कि कोई भी सेना उनके रास्ते में नहीं आ सकती।

पहला गम्भीर टकराव 17 जनवरी, 1824 को हुआ जब लगभग चार हजार बर्मी और आसामी पहाड़ों को पार कर आगे बढ़ आये और सिलहट के ४५ मील पूर्व विक्रमपुर के पास एकत्रित हो लड़ाई करने की स्थिति पैदा कर दी। एक



दूसरी सेना स्थानीय लोगों को पराजित कर मणिपुर से भाग बड़ी ।

जैसा पहले ही बताया जा चुका है लाड एमहस्ट शांति नीति को मानन वाला व्यक्ति था । वैसे तो उसने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, पर उसकी कार-वाइया अस्पष्ट और दृष्टिकोण मुस्त और अनिर्णायक थ । न ता युद्ध की तैयारिया ही पर्याप्त थी और न सहायका को सूचनाए स्पष्ट । इसीलिए युद्ध का संचालन उत्तम नहीं था । ब्रिटिशों में आश्रामक रुच नहीं अपनाया, और वस तो बर्मा अठन पराजित हुए, पर युद्ध अधिक समय तक चला । प्रारम्भ में ब्रिटिशों का कई बार पराजित भी होना पडा जिसमें होनवाले घन का व्यय अत्यधिक था । ब्रिटिशों का इस पर डेढ करोड रुपये व्यय करने पडे । और चूकि उनको 1822-23 की पूष वार्षिक आय दो करोड तीस लाख में थोड़ी ही अधिक थी, इससे स्पष्ट है कि युद्ध की विभीषिका के कारण कितनी आर्थिक कठिनाइया बढ गयी हागी ।

पर इस सबके लिए लाड एमहस्ट पर ही आराप लगाना अघाय होगा । हजारों मील दूर बैठे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया करते थे जिस सम्बन्ध में घटनास्थल पर होनेवाले व्यक्ति को अधिक जानकारी होती थी । यह सच है कि उन्होंने प्रारम्भ में युद्ध को अनावश्यक बताया और लाड एमहस्ट का युद्ध समाप्ति के पूर्व वापस बुलान का सम्बन्ध में तमाम हल्की फुल्की बातें हुई । स्पष्टतया उसके सर पर खुली तलवार लटकी हुई थी और यो तो हम यह कह सकते हैं कि लाड एमहस्ट ने कोई सफल मजबूती का कदम नहीं उठाया और अपने मालिकों को अपने सम्बन्ध में अच्छा मिद्ध करने का अवसर नहीं दिया, पर प्रश्न यह है कि क्या कोई दृढनिश्चयी व्यक्ति भी उन परिस्थितियों में इससे बेहतर कार्य कर सकता था ?

याडबू की सधि—1826 में युद्ध समाप्त होने पर बर्मा और भारत सरकार के बीच याडबू की सधि हुई जिसके अंतगत 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के, बर्मा द्वारा दान का कहा गया । बर्मा ने जावा में अपने व्यय पर ब्रिटिश रेजीडेंट रखना स्वीकार किया । अराकान और तेनसरिमें प्रांत कम्पनी को प्रदान किये गये । चाचर और आसाम से बर्मा की सेना वापस बुला ली गई और मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई । एक व्यापारिक सधि भी की गई जिसके अंतगत ब्रिटिशों ने कई व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए जो अस्पष्ट भाषा में लिपिबद्ध किए गए और जा आगे सघप के कारण बन । पर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि प्रथम बर्मा युद्ध ने बर्मा में ब्रिटिश रुचि का जाग्रत किया और यह ब्रिटिशों का बर्मा की पूष विजय की दिशा में प्रथम पग मिद्ध हुआ ।

एमहस्ट के अंतगत भारतीय राज्य

भारतीय राज्यों के प्रति एमहस्ट की नीति आश्रामक नहीं थी । वह यथास्थिति

मे विश्वास करता था जिसके लिए उसे कभी-कभी सैनिक बारवाई करनी पड़नी थी। पर उसकी इन बारवाइयो से उसे कुछ लाभ ही होता था।

**किन्नूर**—बर्मा के युद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रारम्भिक असफलताओं ने भारतीय राज्यों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1824 में एक ऐसी ही घटना किन्नूर में घटी। यह दक्षिणी मराठा देशों में एक छोटा-सा राज्य था। इसका शासक बिना उत्तराधिकारी के मर गया। विधवा ने एक बच्चे को गोद ले लिया पर जिला कलेक्टर ने इसे स्वीकृति नहीं प्रदान की। बम्बई की सरकार ने तत्सम्वन्ध में छानबीन करने को कहा और इस बीच सरकार के खजाने के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक से चलता रहा, पर एक दिन कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को किले में प्रविष्ट होने से रोक दिया गया। हाथापाई में इनमें से कुछ मार डाले गये जिससे ब्रिटिश-अधिकारी चकित रह गये और बारवाई करने को सोचने लगे। शीघ्र ही एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना आ पहुँची और विद्रोही नेताओं को हथियार डालने को बाध्य कर दिया जिससे वहाँ शांति की स्थापना हो गई।

**कोल्हापुर**—कोल्हापुर में कठिनाई तब उपस्थित हुई जब वहाँ के युवा शासक ने पेशवा के प्रदत्त कुछ राज्यों पर अपना अधिकार जताया। ये राज्य अभी तक सिंधिया के एक सम्बन्धी के हाथ में थे। सिंधिया ने कोल्हापुर से विरोध प्रकट किया जबकि बम्बई सरकार शांतिपूर्वक देखती रही। पर जब यह नीति असफल हो गई और कोल्हापुर की सेना आगे बढ़ी और विवादग्रस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो एक ब्रिटिश सेना स्थिति को ठीक करने के लिए भेजी गई। किले पर अधिकार कर लिया गया और राजा को 'विजित लूटे गए क्षेत्र को वापस करना पडा, ब्रिटिश रक्षा सेना का स्वागत करना पडा, शासन पर प्रतिबन्ध स्वीकार करना पडा और भविष्य में अच्छे व्यवहार के लिए आश्चस्त करना पडा। आश्चय यह था कि वह अपनी बात पर अटल बना रहा।'<sup>1</sup>

**कच्छ**—कच्छ में थोड़ी सी कठिनाई आई। यहाँ के कुछ सामन्तों को जब अपने क्षेत्र से निकाल दिया गया तो वे सिंध में प्रविष्ट हुए। सिंध के अमीरों ने उनका स्वागत किया और उहें कुछ सैनिक सहायता भी प्रदान की जिसके कारण उन्होंने कच्छ पर आक्रमण कर दिया। पर इस आक्रमण का विरोध किया गया और कच्छ में ब्रिटिश रक्षक सेना की शक्ति बढ़ा दी गई।

**भरतपुर पर अधिकार**—लाड एमहस्ट के भारतीय राज्यों के सबन्ध में सबसे महत्वपूर्ण घटना भरतपुर से सम्बन्धित थी जिसपर उसने अधिकार किया। भरतपुर में एक राज्य अपहृता ने गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रखी थी और अलवर तथा

जयपुर की सहायता से ब्रिटिश शासन को ही उखाड़ फेंकने की धुन म था।

1825 के प्रारम्भ में भरतपुर के राजा बलदेव सिंह का देहांत हो गया। वे अपन पीछे बलवत सिंह को अपना उत्तराधिकारी छोड़ गये। 1824 में दिल्ली के राजनैतिक एजेण्ट सर डेविड आक्टर लोनी ने उसे एक परंपरागत राजवस्त्र खिलवन प्रदान किया "जा इस बात का प्रतीक था कि वही राज्य का उत्तराधिकारी है।" बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ और प्रारम्भ में विरोध का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। पर कुछ ही सप्ताहों के बाद कठिनाई प्रारम्भ हुई जब बलदेव के छोटे भाई के पुत्र दुजनसाल ने सेना की सहायता लेकर किले पर आक्रमण कर दिया, ब्रिटिश एजेण्ट को मार डाला और अपन को शासक घोषित कर दिया।

एमहस्ट की पत्नी ने लिखा है "इस घटना के तुरंत बाद, डेविड आक्टर लोनी ने पास पड़ोस से सेना एकत्रित की और सरकार की आर स एक अनाक्रमक घोषणा प्रसारित की सैनिका को सहेजना प्रारम्भ किया और अभी तक अनछुए भरतपुर के किले की ओर आगे बढ़ने लगा। सरकार ने उमकी इस नीति को अनुचित बताकर उसे अपनी घोषणा वापस लेने और सेना को आगे न बढ़ने का आदेश दिया।" आक्टर लोनी की कारवाई को रोकने के लिए सरकार ने दो कारणों से आदेश दिये। प्रथम तो यह कि भरतपुर का किला अपनी शक्ति-शालिता के लिए प्रसिद्ध था जिसपर लेक जैसा सेनापति भी अधिकार न कर सका था और दूसरे अभी कुछ पहले लाड एमहस्ट के बर्मा के युद्ध की नीति से असंतोष व्यक्त किया था और अब वे एक नया ऐसा युद्ध नहीं करना चाहते थे जो उनकी प्रतिष्ठा को भारत में आघात पहुंचाये।

इसी कारण सरकार ने आक्टर लोनी की कारवाई को ही अस्वीकार नहीं किया बल्कि उसे सेवा निवृत्त करने का ही निश्चय कर लिया। आक्टर लोनी ने पहले ही एक अवसर पर पदमुक्ति की कामना की थी। इसमें लाभ उठाकर मेटकाफ को उसका उत्तराधिकारी बनाकर भेज दिया गया। पर मेटकाफ के आक्टर लोनी के पास पहुंचने से पूर्व ही जुलाई 1825 में आक्टर लोनी की मृत्यु ने उसे कष्ट व अपमान से बचा लिया।

पर आक्टर लोनी की घोषणा न चाह वह सही रही हो या गलत, वाय करना प्रारम्भ कर दिया। इसे जनता के बीच प्रसारित किया गया था कि वह दुजनसाल के अवधानिक कारवाइया के समक्ष घुटने न टेके। उसने वैध शासक का समर्थन भी करने का कहा था। इसी के परिणामस्वरूप दुजनसाल न युवा राजा की मारा नहीं और वह घोषणा की कि उसन युवा राजा के हित में ही यह कारवाई की है। उसन राजा बनने के प्रति अनिच्छा प्रकट की और कहा कि वह अययस्व राजा का सरणक मात्र ही बना रहेगा। जब मेटकाफ ने अधिकार ग्रहण किया तो उस

आक्टर लोनी की कारवाई की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी और अतत उसने गवर्नर जनरल को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि भरतपुर में हस्तक्षेप किया जाय। 16 सितम्बर को इस नीति के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह घोषित किया गया कि "यदि भरतपुर में वर्तमान अव्यवस्था शीघ्रता से शांत नहीं की जाती तो इससे अपरइंडिया में तहलका मच जायेगा।" प्रस्ताव में मेटकाफ को अधिकार प्रदान किया गया कि "वह वैध उत्तराधिकारी के हित में शक्ति का भी प्रयोग करे।"

जब ब्रिटिश आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया तो सेना तैयार की गई। जब दुजनसाल ने समपण नहीं किया तो आक्रमण कर दिया गया। प्रसिद्ध किला घेर लिया गया। नगर विनाशलीला का शिकार हुआ और किले की विजय के लिए किये गये प्रयास सबके लिए आश्चर्यजनक रहे। दुजनसाल को कैद करके इलाहाबाद भेज दिया गया। 20 जनवरी 1826 का सेनापति लाड काम्बरमियर और मेटकाफ ने किले में एक दरवार किया और बलवत सिंह को मसनद पर बिठाया। उसकी माँ को उसका व्यक्तिगत सरक्षण प्रदान किया गया और अय कायों पर नियंत्रण हेतु ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखा गया। हुटर ने लिखा है, "वह किले बंदी जो अभी तक हमारी युद्ध-नीति के लिए निराशा और शत्रु के लिए आशा का आधार रही थी, समाप्त हो गई।"

"भरतपुर के घेरे की कथा अपने में इतनी उत्साहजनक और शानदार थी कि यह प्रश्न बनावटी लगता है कि इसकी ऐतिहासिक महत्ता क्या है।" प्रथम तो इस पर विजय ने सिंध तक का रास्ता साफ कर दिया और दूसरे अब ब्रिटिशों का यह अधिनार स्वीकृत मान लिया गया कि सारे देश पर शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन्हीं का है। और तीसरे, मराठों पर शानदार सफलता के बाद इस घटना ने निष्पक्ष रूप में उत्तरी भारत पर ब्रिटिश महत्ता को सिद्ध कर दिया।

अलवर—अलवर का शासक भी कठिनाइयाँ पैदा करने का प्रयास कर रहा था। भरतपुर पर अधिकार के बाद ब्रिटिशों का कुछ ऐसे कागजात मिले जिससे यह सिद्ध हुआ कि दुजनसाल का अलवर से सबध था और यह राज्य ब्रिटिशों के विरुद्ध उसे सहायता देने को तैयार था। पर भरतपुर किले के पतन के कारण जैसे ही ब्रिटिश सेनायें इस राज्य की ओर आगे बढ़ी, यहाँ के शासक ने तुरंत आत्म-समपण कर दिया।

### बैरकपुर में विद्रोह

लाड एमहस्ट के काल में बैरकपुर में भारतीय सिपाहियों का विद्रोह सबसे दुःखद दुःघटना थी। इस विद्रोह के अनेक कारण थे। चूँकि समय पर इन कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अन्ततः यह अग्निज्वाला भड़क उठी।

सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि सरकार के ऊपर बर्मा युद्ध के कारण आर्थिक योजन बढ़ गया था। अपने मेवा शर्तों के अनुसार मिपाहिया का अपन सामान को अपने साधनों से ही ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी जो कठिनाईपूर्ण था क्योंकि उनके पास बजनी सामान हाता था। चूंकि सरकार की आवश्यकता अधिक आवश्यक थी और सैनिक इसके लिए अधिक मूल्य चुका सकते थे इसलिए सरकार ने लोअर बंगाल के तमाम लहू जानवरों को अपन प्रयोग में ले लिया। जो भी जानवर बच रहे उनकी कीमत उनके मालिकों ने बढ़ा दी जिस सैनिक नहीं चुका सकते थे। दूसरी ओर सरकार सेवा शर्तों का पकड़ना रटती रही। सैनिक समुद्र से ले जाय नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें उनका भारतीय सस्कार व्यवधान उपस्थित करता था।

रामू में बर्मियों के विरुद्ध ब्रिटिश असफलता को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था कि भारतीय मिपाही ब्रिटिश उच्चता के जादू से अपने को स्वतंत्र बनने का आतुर थे। पुनश्च उन्होंने ब्रिटिशों के लिए लड़कर पिछारिया और मराठा के विरुद्ध शानदार सफलता प्राप्त की थी। और इस कारण बंगाल के सैनिकों पर सरकार का अनुग्रह बढ़ गया था जिसने उनमें दप भाव को शक्तिशाली कर दिया था और अपने शासका के प्रति ईर्ष्याभाव को जन्म दे दिया था।

एसा अधिविश्वास सैनिकों में धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा था कि बर्मा के राजा में जादू की शक्ति थी और वह अजेय था। भारत की भीमा व बाहर युद्ध करने के प्रति इनमें आतंक भाव था। भारतीय सेना में पुनर्मगठन जिसमें पुरानी रजिमेण्ट प्रणाली को समाप्त किया जा रहा था और बटालियनों को नय अधिकारियों के अंतर्गत रखा जा रहा था, सैनिकों के लिए इसलिए स्वागत योग्य नहीं था क्योंकि अधिकारी उनके स्वभाव व विश्वास से भिन्न नहीं थे जिसने कारण उनकी स्वामिभक्ति नहीं जीत पाते थे।

साथ ही लहू जानवरों की बड़ी कमी ही नहीं हो गई थी बल्कि सामान ढाने वाले कुलियों ड्राइवरो और सेवकों की भी कमी हो गई थी। सेवा में लान के लिए कुनियों को इतना पारिश्रमिक भिन्नता था जो ऊंची जाति के सैनिकों से अधिक होता था। इससे ऊंची जाति के सैनिक ईर्ष्या करते थे। इस कठिनाई का अनुभव कुछ रेजिमेण्ट के अधिकारी करते थे पर अ य लोगों पर ज नहीं रेंग रहा था।

हण्टर ने लिखा है कि ठीक इसी समय 'बहु आपदा आ गई जब अत्यधिक विषयस्तता की आवश्यकता थी।' अराकान में इतनी कठिनाईया थी कि सैनिक इस प्लेग क्षेत्र के नाम से पुकारते थे। सैनिक प्रशासन सैनिकों के लिए मफाई व औषधि की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहा था और इसीलिए उन्होंने

अराकान जाने से इनकार कर दिया ।<sup>1</sup>

समस्या की उग्रता 31 अक्टूबर 1824 को तब और बड़ गई जब 47वें नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने जाने से तब तक के लिए इनकार कर दिया जब तक कि उनका वेतन न बढ़ा दिया जाय। सैनिकों ने अपने अफसरों के विरोध की भी घोषणा की। यह घटना बैरकपुर में हुई जो हुगली के तट पर कलकत्ता से 16 मील उत्तर में था। यहीं पर एक महल में धूल धक्कड़ से बचने के लिए गवर्नर जनरल भी था। सेनापति डाल्जेल ने तुरंत गवर्नर जनरल को सूचना भेजी। रात में 62वें रेजीमेण्ट के नेटिव इन्फैंट्री के 200 और 26वें रेजीमेण्ट के 30 सैनिक जब विद्रोह में और सम्मिलित हो गये तो विद्रोह ने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया।

पर अधिकारियों को इस सारी स्थिति से निवटने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। श्रीमती एमहस्ट ने विवरण दिया है कि, "आवश्यकतानुसार विद्रोहियों के विरुद्ध तोप दमदम के मैदान में दागने के लिए रखी गई कैप्टन मार्कन और अन्य दो अधिकारियों को उनके पास भेजा गया। उसने विद्रोहियों के समक्ष उन्हीं की भाषा में बड़ी मुलायमियत से भाषण दिया। कोई तब वितक नहीं हुआ। उनके नेता उसपर हमे और उसके सेनापति को रिपाट देने पर मृत्यु की घटी बजी कई बार गोलाबारी हुई।" बहुत से तुरंत भगे, चार या पांच मारे गये या घायल हुए और कई सौ कैद कर लिये गये। तुरन्त कोट माशल की व्यवस्था की गई। विद्रोही नेताओं में से छह को दूमरे दिन प्रातः फासी दे दी गई। कई सौ और दोषी पाये गये और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। यह मृत्यु दंड बाद में 14 वर्ष के सपरिश्रम कारावास में बदल दिया गया। सैनिकों से यह सूचना पाने के बाद कि उन्हें भारतीय अधिकारियों ने उत्तेजित करके विद्रोह कराया था, अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया। और सना से उस रेजीमेण्ट का नाम समाप्त कर दिया गया।

इस तरह अंत हुआ बैरकपुर के विद्रोह का। ऐसा लगता है कि सैनिकों का नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में नहीं था जो परिस्थिति के अनुकूल युद्धनीति बना सकते। क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा होता कि वे अपने ही निकट रह रहे गवर्नर जनरल या सेनापति की घेर लेते जो कठिन नहीं था। और ऐसा करने के कोई भी माग मनवा सकते थे।

उपरोक्त घटना के तुरंत बाद, 39वीं नेटिव इन्फैंट्री और 60वीं नेटिव इन्फैंट्री ने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की कि वह कहीं भी आदेश पाने पर जान को

1. दर्थ हटर पूर्वोद्धत पृ० 149 50

2. वही, पृ० 162 63।

तैयार है। बाद में इन्होंने रेजीमेण्टों में वर्मा में अपनी उच्च पुण्यलता का परिचय दिया। और इतीलिए उन लोगों को भी क्षमा कर दिया गया जिन्हें 14 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी और उन्हें अपने-अपने घर जाने की आशा मिल गई।

बरकपुर के विद्रोह ने लाड एमहस्ट और डाइरवटिंग का समर्थन विगाड़ दिया। प्रथम तो उसपर यह आरोप लगाया गया कि उसने विद्रोह के कारणों की जांच की रिपोर्ट शीघ्र उभे नहीं भेजी। दूसरे, रिपोर्ट के आधार पर ठीके गये निष्कर्ष व तत्संबंधी सत्यता या असत्यता की उसकी व्यक्तिगत व्याख्या न पाने पर भी बुरा माना गया। और तीसरे, सिपाहियों को सुरक्षित क्षमा न करने के लिए भी बुरा माना गया क्योंकि ऐसा करने में सिपाहियों की विरयस्तता में देरी लगी। लाड एमहस्ट का इंग्लैण्ड से एक पत्र मिला कि वह गवर्नर जनरल के पद से वापस बुलाया ही जाने वाला है। बाद में एमहस्ट न जा उत्तर भेजा उससे डाइरवटिंग सतुष्ट हो गये और उसकी व सेनापति की कारवाई का उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी।

लाड एमहस्ट को भारत में किसी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय सफलता के लिए स्मरण नहीं किया जाता। वर्मा युद्ध तथा ऐसी ही घटनाओं ने उसकी व्यक्तिगत समस्याएँ बढ़ाईं। फिर भी पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर योजना की ओर वह गम्भीरता से ध्यान लगाये रहा। पर यह काम उसने काल में पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुधारों और ठगों के दमन के सम्बंध में हम तत्कालीन अखबारों से सूचनाएँ मिलती हैं। लाड एमहस्ट ने मेड और भील जैसी खूबसूरत जातियों से भी निबटने की चेष्टा की। उसने सत्ता में मेडा की एक बटालियन ही अलग से बना दी। इस तरह एक चोर को दूसरे चोर से पकड़वाने की व्यवस्था हो गई। खानदेश के भीला से भी निबटा गया।

उसने देश में शिक्षा के प्रसार में भी सहयोग किया। उसके समय में दिल्ली और आगरा में विद्यालय खोले गये। 1813 के चाटर ऐक्ट के अंतर्गत स्वीकृत शिक्षा पर व्यय होने वाली धनराशि व्यय नहीं हुई थी। लाड एमहस्ट ने 1823 में कलकत्ता में 'जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' की स्थापना की जिसे शिक्षा के विस्तार का रास्ता बताने को कहा गया और यह बताने को कहा गया कि 1813 में जो एक लाख रुपये शिक्षा पर व्यय के लिए रखे गए थे उसको व्यय किया जाय। यह धन प्रतिवर्ष व्यय होता था पर यह एकत्रित होता जा रहा था।

लाड एमहस्ट पुरातनवादी था और अपने पूर्ववर्तियों की नीति के ही आधार पर उसने 1823 में कलकत्ता में सस्कृत कालज की स्थापना की। पर इस समय तक परिस्थिति विशेष बदल चुकी थी। यहाँ तक कि राजा राममोहन राय जैसे भारतीय विद्वान भी ऐसी समस्याओं की अनुपयोगिता स्वीकार करते थे। राजा न

इसीलिए 1823 में एक लम्बा पत्र गवर्नर जनरल को लिखा जिसमें उन्होंने कहा, "संस्कृत प्रथा पर आधारित शिक्षा निश्चित रूप से देश को अंधेरे में रखने में सफल होगी और ब्रिटिशों की यही नीति भी है। पर चूँकि भारतीयों का उत्थान सरकार का उद्देश्य है इसलिए अपेक्षा यह है कि वह उदार व उद्बुद्ध शिक्षा की व्यवस्था करे जिसमें गणित, दशन, रसायनशास्त्र, अनाटमी और अय उपयोगी विज्ञान की शिक्षा सम्मिलित हो। इसके लिए युरोप में पढ़े कुछ विद्वान बुलाये जाएँ और यहाँ अच्छे पुस्तकालय, सामग्री और विज्ञान की वस्तुओं से सपन कॉलेज खोले जाएँ।"<sup>1</sup>

18 फरवरी 1824 का कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स का पत्र भी पहली बार पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में आया। पर इसमें इस निर्णायक मत का अभाव था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। 'जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इस्ट्रक्शंस' ने इस नीति का अत्यंत कमजोर विरोध प्रस्तुत किया। पर बाद के पत्रों में यह नीति और स्पष्ट होती गई। पर बर्मी युद्ध के कारण यह मामला टल गया और लाड वैटिक के काल में ही इस पर कारवाई हुई।

भारत में लाड एमहस्ट का काल भारत का वह काल है जब यहाँ के शासक कठिनाइयों में घिरे रहने पर भी अनिर्णायक और कच्छप गति वाले बने रहें। 1825 से एमहस्ट भी कठिनाइयों के समुद्र में गीत लगाता रहा। यह अफवाह कि वह वापस बुलाया जाने वाला है, सदा गम रहती थी। वैसे गृह कैबिनेट और क्लक्त्ता कौंसिल उसे अपना समयन देती थी और प्रारम्भिक कुछ दिनों तक ड्यूक विलिंगटन भी उसके पक्ष में हस्तक्षेप करता था, पर दुभाग्यशाली गवर्नर जनरल सदा परेशानी में रहता था और इसी कारण किसी भी क्षेत्र में वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। अतः अगस्त 1826 में उसने बुरे स्वास्थ्य के आधार पर स्तीफा देने का निश्चय किया। मई 1827 को कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की आर से उसे एक पत्र लिखा गया जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह पवाद देते हुए उसके स्तीफे को स्वीकार किया गया था। मार्च 1828 में एमहस्ट ने क्लक्त्ता छोड़ा और इस तरह गवर्नर जनरल का उसका कार्यकाल समाप्त हुआ।

1835 में लाड एमहस्ट इंग्लैंड से कनाडा का गवर्नर जनरल नामित किया गया। पर शीघ्र ही ह्विंग शक्ति में जा गये जिसे उसका नामकरण रद्द कर दिया गया। 1838 में उसकी पत्नी का देहांत हो गया और अगले वर्ष, जब वह 66 वर्ष का था, उसने दूसरा विवाह किया। उसकी नवीन पत्नी एक सपन उच्च कुल की विधवा थी। एमहस्ट पदमुक्ति के बाद काफी दिनों तक जीवित रहा और 13 मई 1857 को 84 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई।



## लार्ड विलियम बेंटिक (1828-1835)

विलियम कैवेडिश बेंटिक एक ऊँचे ह्विग परिवार में 14 सितम्बर 1774 में पैदा हुआ। उसके पिता विलियम हनरी पोट-लैण्ड के तृतीय ड्युक थे और प्रधान मंत्री रह चुके थे। उसकी माँ डोरोथी कैवेडिश डेवेषामर के चतुर्थ ड्युक की पुत्री थी। वह भी प्रधानमंत्री रह चुका था। बेंटिक ने अपना जीवन मना में प्रारम्भ किया। कोल्ड स्टीम गाइड में 1791 में उसे गजेटेड पद प्राप्त हुआ। 1794 में उसकी पदोन्नति लेफ्टीनेन्ट कप्तान के पद पर हो गई, 1796 में वह कमेन्डफोइस एम० पी० चुन लिया गया, 1799 में उसे फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए भेजा गया जहाँ उसने कई युद्धों में भाग लिया।

1803 में 29 वर्ष की ही अवस्था में बेंटिक को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसी वर्ष उसका विवाह गैम्फोर्ड के प्रथम अल आर्थर की पुत्री मरी एचीसन से हो गया। बेंटिक ने अपने प्रांत में काननारिस के 1793 में प्रारम्भ किए गये स्थायी बंदोबस्त को प्रविष्ट नहीं होने दिया। बंगाल में जमींदारों का एक बग था जिनके साथ रैय्यतो की परवाह किये बिना यह बंदोबस्त किया गया था। पर मद्रास में बंगाल जमींदार नाम की कोई चीज नहीं थी और बेंटिक किसी ऐसी चीज को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था। वह रैय्यता से बंदावस्त करने के पक्ष में था। बेंटिक का मद्रास में अभी काम समाप्त भी नहीं हुआ था कि 1806 में बेलूर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसका सेनापति सर जान फ्रडाक इसक लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। पर डाइरेक्टरों ने बेंटिक का भी इस बाय के लिए उत्तरदायी बताया क्योंकि उनके मनानुसार उसने 'धर्म सत्रध में चतुराई का प्रदर्शन नहीं किया था जिसके कारण इस क्षेत्र के अनक कोर्टि के विचित्र लामा ने समस्याएँ उत्पन्न कीं।<sup>1</sup> उसे नैडाक सहित वापस बुना लिया गया। बेंटिक ने इसका विरोध किया और कहा कि डाइरेक्टर मामल की जांच करके यह बतायें कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। विद्रोह के अनक कारण बताये गये और बेंटिक इनमें से प्रत्येक के लिए उत्तरदायी नहीं था।

जैसा भी हो, वैटिक इंग्लण्ड वापस लौट गया और जल्दी ही उसे मेजर जनरल बना दिया गया और उसे पेनिनसुलर युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। 1811 में उसे सिसली में राजदूत बनाकर भेजा गया और उसे अपनी जी० एल० धी० युद्ध के बाद प्राप्त हुई। वह रोम में लगभग 10 वर्षों तक नौकरी-बिहीन रहा जब इसे 1827 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।

उसके इस पद की प्राप्ति के समय भारतीय प्रशासन आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त था। नेपाल युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध एवं बर्मा युद्ध जो लाड हेस्टिंग्स एवं लाड एमहस्ट के नतस्त्व में लड़ा गया था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक ढाँचे को ही हिला दिया था। आवश्यक था कि राष्ट्रीय ऋण को कम करने तथा खाली खजाने को पूरा करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाये जायें। इसके अतिरिक्त अर्थ बहुत से प्रशासकीय एवं सामाजिक समस्याओं भी थी जिस ओर ध्यान दिया जाना था।

जिस काल में वैटिक ने भारत पर शासन किया वह काल यूरोप में उदारता का था। फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी जो अपने प्रारंभिक चरणों में इंग्लैण्ड में "नव युग का उपाकाल" के रूप में स्वीकार की गई थी। स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का नारा अब भी पवन के झंकोरों में था जिसने इंग्लैण्ड के सामाजिक, साहित्यिक और राजनैतिक दशन को प्रभावित किया और कूपर, बस, कालरिज वडसवथ, शेली एवं बामरन जैसे लेखकों और कवियों को जन्म दिया। इनमें से प्रत्येक यह कहता पाया जाता था, 'इस युग में रहना एक धरदान है और युवा होना तो स्वर्ग के समान है।' जपेजी ससद उदारवादियों से भरा था जिन्होंने 1832 के ससदीय सुधार नियम को पास कराया। कंपनी के चाटर के नवीनीकरण की तिथि भी निकट आती जा रही थी और डाइरेक्टस यह अनुमान करते थे कि यदि भारत में सुधार नहीं किये जायेंगे तो कठिनाइया बढ़ेंगी।

इसके अतिरिक्त मराठों के पतन के उपरांत ब्रिटिशों ने अपनी महत्ता को पहचान लिया था और भारत में सावभौम शासक के उत्तरदायित्व का भान भी उन्हें हो गया था। इसके कारण इस देश में अपनी कारवाइयों के सबध में उन्हें नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। यह सब जब विलियम वैटिक के उदारवादी दृष्टिकोण से जुड़ गया तो भारत के आंतरिक प्रशासन में एक नयी चेतना ही आ गई। रैम्जेम्बोर ने इसी ससद में लिखा है कि "यह दो दिशाओं में गया जिसमें प्रायः आपस में टकराव दिखाई दी। एक ओर तो भारतीय कानून और परम्परा का आदरपूर्ण अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रारंभ हुआ जो वारेन हेस्टिंग्स के काल से चलता आ रहा था और साथ ही एक शक्तिशाली दृष्टिकोण था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का कतव्य था कि वह भारत में पश्चिमी कारवाइयों के परिणामों

का जानने का अवसर दे।”<sup>1</sup>

भारतीय कारवाइया के सदम म इसने पूव बबर अत्याचार हुए थे, पर अब समय आ गया था जब लाड बर्टिक व मतानुसार उन्हें न दुःराया जाय। उसन कहा “प्रथम बार विश्वजनीन शांति के आशीवचन की आशा की जा सकती थी।” भारत के भाग्य से महा पर उच्च अधिकारिया या एक ऐसा समूह या जो बर्टिक के विचारा का समयन करता था। मद्रास व भवनर मुरी के 1824 के मिनिट (न० 102) म यह स्पष्ट लिखा है कि ‘ब्रिटिश प्रशासका के कुछ योग्य लोग की दृष्टि मे भारतीय प्रशासन भारतीय लोग के स्वशासन की दिशा म एक कदम था।’ बर्टिक के य उद्देश्य निश्चित ही दूरगामी थे और साथ ही उसन प्राच्य निरकुशता म ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी। इह विभिन्न शोषका मे पढा जा सकता है।

### बर्टिक के सुधार

आर्थिक सुधार—प्रशासन सभालो के शीघ्र वाद ही लाड विलियम बर्टिक ने सरकार के सैनिक व असैनिक व्यया की जाच के लिए दो समितिया बनायीं। इह यह भी बताना था कि व्यय में कमी कैसे की जाय। इन समितिया न विस्तृत छानबीन की। इनकी सन्तुति पर बर्टिक ने कई अनावश्यक नौकरिया समाप्त कर दी और तमाम असैनिक सेवा मे लोगो का वेतन और भत्ता कम कर दिया।

पर सैनिक क्षेत्र म बर्टिक अधिक नहीं कर सका। एक ही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार जो किया जा सका, वह था सेना मे काम करने वालो के भत्ते म आधे की कटौती। भत्ता वेतन के अनुसार इसके अतिरिक्त पदानुसार प्रदान किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी कं डाइरेक्टरो ने इसने पहले भी इसे घटाने की चेष्टा की थी पर भत्ता पाने वालो के बडे विरोध के कारण यह संभव नहीं हुआ था। बर्टिक के लिए भी यह वाय सरल नहीं था। पर उसने कदम उठाया और कलकत्ता से 400 मील के अन्दर के लोगो का भत्ता जाधा घटा दिया। इसके विरुद्ध बडा विरोध हुआ। इसकी आशा भी थी। आग्ल भारतीय प्रेस न उसकी खुली कडी आलोचना की पर बर्टिक अपने निणय पर अडिग रहा और अतत अपने मतव्य मे सफल हो गया।

उसके याधिक सुधारो एव प्रांतो के अपीलीय सरकिट न्यायालयो की समाप्ति न धन की पर्याप्त बचत की। इसका विवरण आगे आयेगा।

पर उसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार अपील के सबध मे व्यापार सबधी नियम बनाना था। चीन और पूर्वी द्वीप समूह म अफीम की माग बढ रही थी। वैसे

1 रम्जम्पोर मॉनिंग आंक ब्रिटिश इंडिया पृ० 277 78।

2 वही पृ० 279 80।

तो एक सभ्य देश के लिए अफीम जैसी वस्तु के व्यापार के सबध में नियम बनाना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं था, तो भी भारत के ब्रिटिश अधिकारी इस राजस्व स्रोत का लाभ उठा रहे थे। जहाँ तक वैटिक का प्रश्न है उसने भी इस क्षेत्र में पूर्णरूपेण और कायक्षम ढंग से काय किया। वारेन हेस्टिंग्स ने भी इस स्रोत का उपयोग किया था। और जब वैटिक ने प्रशासन का कार्य-भार सभाला, बनारस तथा बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में अफीम उगाई जा रही थी।

मालवा में भी अफीम उगाई जाती थी पर ब्रिटिश अधिकारी अभी तक इससे कोई लाभ नहीं उठा सके थे जिसका कारण यह था कि इसे बम्बई भेजने से रोक दिया गया था। इसी कारण यह कराची होकर पुत्तगाली द्वीप दमन व दीव पहुँचने लगा। यहाँ से पुत्तगाली इसे पूरब के वाजारों में ले जाने लगे और पर्याप्त लाभ प्राप्त करने लगे। वैटिक ने मात्र इतना किया कि उसने मालवा से बम्बई अफीम जाने की अनुमति दे दी। इसके लिए एक कायक्षम लाइसेंस प्रथा प्रारंभ की गई जिससे सरकार की आय अत्यधिक बढ़ गई।

खजाने में धन वृद्धि के लिए वैटिक ने ऐसी भूमि पर फिर से लगान लगाया जो लोगों को मुफ्त में प्राप्त थी। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के प्राप्ति के समय कंपनी ने कुछ लोगों तथा सस्थाओं को मुफ्त भूमि प्रदान की थी जो इसके पूर्व इस तरह की भूमि अपने अधिकार में रखते थे। पर इनमें से बहुत सी भूमि के वागजात जाली और नकली पाये गये तथा कुछ भूस्वामियों के पास तो उहे दिये गये भूमि का प्रमाण भी नहीं रहा इसलिए 1793 एवं 1819 में नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वे इन जमीनों की कानूनी स्थिति जाच लें और यदि इसके प्रमाण उह न मिले तो उस भूमि पर कर लगा दिया जाय। भूस्वामियों को असैनिक न्यायालयों से अपील का अवसर दिया गया। इस तरह इस नवीन नियम के अंतर्गत बहुत-सी भूमि पर कर लगा दिया गया।

पर चूँकि काय सतोपजनक ढंग से नहीं चल रहा था, इसलिए वैटिक ने 1828 में रेगुलेशन तृतीय पास किया जिसके द्वारा कलेक्टरों को अपने काय के प्रति अधिक गंभीर कर दिया गया और विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई जो कलेक्टरों के यहाँ की अपीलें सुनते थे। भूस्वामियों को यह दलील कि चूँकि भूमि उह बहुत पहले प्राप्त हो चुकी थी इसलिए वे वागजात खा चुके हैं, इसे नहीं माना गया और इस तरह बहुता को अपनी पैतृक भूमि से हाथ धोना पडा। इससे सरकार को लगभग 30 लाख रुपये की आय हुई। सरकार के लिए यह अच्छा पारितोषिक था। इससे जनता में असन्तोष का भाव जगा जो वैटिक के उत्तराधिकारियों के काल में बढा और अंततः 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ।

एक अन्य मुद्धार, जो उसने प्रारंभ किया, वह उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व

घदोवस्त से संप्रधित था। यह प्रांत अग्र स काटनर और मिथिया स प्राप्त क्षेत्रों को मिलाकर बना था। पर अर तर एसी कोई कायदम राजम्य व्यवस्था नहीं स्थापित हा पायी थी जा सरकार व उद्दरय की प्रति कर सग एव जनता को कृषि की ओर आवृष्ट कर सक। लाड बेलजली के पचवर्षीय वन्दोवस्त से कोई निगन नहीं हुआ। सक्षिप्त बाल होने व कारण लाग अपनी भूमि का विकसित करन का प्रयास नहीं करत थ क्याकि इमग उनक अतिरिक्त आय के उम पाच मान के बाद भू राजस्व के बढ जाने के कारण लुट जान की सम्भावना बनी रहती थी। बर्टिक ने उनकी कठिनाई समझी और महत्त्वपूर्ण बुद्धिजीविया म इस कठिनाई को दूर करन व सवध म परामश किया। भूमि का नापा गया और उमना वक्शा तयार किया गया और नियमित रिवाड तैयार किये गये। सबसे महत्त्वपूर्ण काम उसन यह उठाया कि यह वदावस्त 30 वष के लिए किया गया, जमीन चाह रैम्यत की हा, जमींदार की हो या ग्रामवासी की हो। वन्दोवस्त की यह योजना 1833 म कानून बन गई।

इस व्यवस्था से जहा राज्य को लाभ हुआ वहा जनता को भी। इसस राय का राजस्व बढा और वह लम्बी अवधि की योजनाआ के रनान म सम्पदा सकी। दूसरी ओर जो लोग खेती करते थे वे यह जान गय कि एक निश्चित रवी अवधि तक व लिए उहे एक निश्चित धनराशि देनी है और इम तरह उह अपनी भूमि म उत्पादन वराने के लिए प्रोत्साहित हान का अवसर मिला। नियमित रजिस्टर आर रिवाड बनाये गम और व्यवस्था म अस्पष्टता समाप्त की गई। पर इस व्यवस्था म अब भी एक दोष था कि राज्य की माग आशा स अधिक थी। पर यह स्वीकार किया गया कि पुरानी व्यवस्था स अब बहतर स्थिति है।

कपनी की सेवा में भारतीयों के लिये जाने से भी धन की बचत हुई। जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, अधिक भारतीय सस्ते वेतना पर अंग्रेजों की जगह लेन लग। बर्टिक ने इससे भी लाभ उठाया। इसकी चर्चा आग की जायेगी।

इन सभी आर्थिक बदलों का परिणाम यह हुआ कि 10 लाख का घाटा 15 लाख पौंड के लाभ म बदल गया। राज्य के बजट से यह स्पष्ट था।<sup>1</sup>

प्रशासकीय सुधार—बर्टिक के काल म पारित 1833 के चाटर एक्ट म घोषणा की गई थी कि 'भारत का कोई भी नागरिक धम जन्म स्थान, वक्शा या रंग भेद के कारण किसी स्थान कार्यालय या नौकरी पाने से वंचित नहीं किया जायगा।' बर्टिक ने पूण रूप से इसी आधार पर काय करने की चेष्टा की। सर चार्ल्स मैटकाफने इस सस्तुति के आधार पर कहा कि भारतीयों को सभी

1 राबटम की ई० पूर्वदित प० 300 05।

विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इनके ऊपर एक सुपरिन्टेण्डेंट नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे पूरे जिले की स्थानीय शक्ति प्राप्त होनी चाहिए तथा उन्हें न्यायालया, राजस्व तथा पुलिस अधिकार सगठित रूप से प्राप्त करना चाहिए। इनके ऊपर कमिश्नर और उनके ऊपर बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए।

बेंटिक ने इन सस्तुतियों को स्वीकार किया और कुछ परिवर्तन भी इसमें जोड़े। इसके पूर्व भारतीयों में विश्वास नहीं किया जाता था और यह सरकार की निश्चित नीति थी, जैसा कि लाड कानवालिस ने किया, कि राज्य की सेवाओं में युरोपीय लोगों को ही रखा जाय। पर युरोपीयों पर व्यय बहुत करना पड़ता था। पर जैसा हम बता आये है अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के साथ ऐसे भारतीय उपलब्ध हो गये जो लिपिक या समक्ष स्थानों पर अंग्रेजों के स्थान पर कम वेतन में कार्य कर सकते थे। भारतीयों से वा म अवसर न पाने से खिन्न भी थे और उनकी इस समस्या का निदान भी आवश्यक था।

बेंटिक ने निम्न श्रेणी की सेवाओं में भारतीयों को लेने के लिए कदम उठाये। उसने अपनी महत्त्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत 'यायिक सेवा को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उसमें भारतीयों को भी रखने की योजना बनाई। इनमें से सबसे ऊँचा सदर अमीन कहलाता था जिसे 750 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था।

बेंटिक के ये कदम महत्त्व के थे। भारतीयों की एक समस्या का इससे आंशिक निदान ही नहीं हो गया बल्कि साथ-ही-साथ कुछ आर्थिक बचत भी हो गई।

**यायिक सुधार**—बेंटिक द्वारा किये गये यायिक सुधारों के परिचय के पूर्व यह वांछित है कि हम तत्कालीन याय व्यवस्था सम्बन्धी कुछ जानकारी करें। उसके दोषों को देखें जिसके कारण सुधार की आवश्यकता हुई। लाड कानवालिस के राज्य में जिसने 1786 से 1793 के बीच गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को चार डिवीजनों में बाटा गया था। प्रत्येक डिवीजन में कंपनी के प्रतिशाब्दक कमचारियों के नेतृत्व में सरकिट कोर्ट स्थापित की गई। यह यायालय अपने-अपने डिवीजनों में चलती फिरती रहती और तुरन्त उसी स्थान पर निणय देती रहती थी। उनके निणय का पालन जिला मजिस्ट्रेट करता था और छोटे छोटे मुकदमों में स्वयं देखता था। गभीर मुकदमों के अपराधी जेल में रख दिये जाते थे और जिले में सरकिट कोर्ट के आन पर उनका निणय होता था। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के लिए सदर निजामत अदालत से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी।

इसके अतिरिक्त इन तीन प्रांतों के लिए अपीलीय यायालय कल्पना, मुशिदाबाद, दाका और पटना में स्थापित किये गये थे। इन यायालयों में से प्रत्येक में कम्पनी के तीन प्रतिशाब्दक कमचारी होते थे। इस यायालय में मुकदमा दापर

भी हो सकता था और अपील भी हो सकती थी। एक हजार रुपये तक का मुकदमा में इनका निणय अंतिम होता था। और बड़े मुकदमा के लिए कलकत्ता का सत्र दौबानी अदालत में अपील करनी पड़ती थी। यह 'यायालय' 'यामिक' प्रशासन की देखभाल भी करता था और सीधे पांच हजार रुपये से अधिक के मुकदमों में दखल देता था।

उपरोक्त परम्परा में बहुत से दाप धजिगवी आर घ्यात दिया जाना आवश्यक था। इसका पहला दोष यह था कि कम्पनी की सीमायें बढ़ गई थीं और कलकत्ता वहां से दूर पड़ता था। दूसरा प्रांता के अपीलिय एव सरकिट कोर्ट में गभीर अकामक्षमता और अनियमितता थी। ब्रिटिश के अनुसार ये यायालय "उन लोगों के लिए विश्रामगृह थे जो ऊंची सेवाओं के अयोग्य थे।" इन यायालयों में यायाधीशाओं को विशेष ज्ञान नहीं था और इस कारण उनका काम एकत्रित होता जा रहा था। अपराधियों को जेलखाना में सरकिट काट बैठने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और तब याय हो पाता था। इसके अतिरिक्त ये अपराधी पुलिस की याचना भोगते थे जिससे सरकिट काट उन्हें मुक्त नहीं करा पाता था।

पूरी व्यवस्था व्यवसायिक थी, साथ ही इसमें दर भी हाती थी और कठिनाई भी। भारतीयों का जिला व नगर यायालयों में केवल मुंसिफ का पद प्राप्त होता था जबकि उच्च उत्तरदायित्व के पदा पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता था। फारसी यायालय की भांति थी और मुकदमों वाले अपनी भाषा में अपनी कठिनाईयां नहीं प्रस्तुत कर सकते थे।

सर चार्ल्स मेंटकाफ हाउट मैकेजी और बटर वध बली की सहायता से ब्रिटिश ने उपरोक्त दापों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए। उसने पहला कदम यह किया कि प्रांतों के अपीलिय और सरकिट यायालयों को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर वही कार्य करने के लिए राजस्व एव सरकिट के लिए अलग-अलग कमिश्नर नियुक्त किये गये। बंगाल प्रसीडेंसी को इस कार्य के लिए 20 भागों में विभक्त किया गया। प्रत्येक भाग का कमिश्नर के अधीन किया गया। समाप्त यायालयों का कार्य करने के अतिरिक्त कमिश्नरों को अपने क्षेत्र के पुलिस और राजस्व विभागों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। राजस्व के सम्बन्ध में वे स्वयं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधीन कर दिये गये और फौजदारी मुकदमों के लिए उन्हें सदर निजामत अदालत के नियन्त्रण में कार्य करना पड़ता था।

1829 में एक कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को 2 वर्षों का सपरिभ्रम कारावास का दंड देने का अधिकार मिला। इसकी अपील उस क्षेत्र के कमिश्नर के यहाँ ही सकती थी। 1831 के कानून के अन्तर्गत कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वे लगान सम्बन्धी मुकदमों का सुरत निणय कर सकें। इन मुकदमों में किसी ऊंची अदालत में अपील नहीं हो सकती थी। पर इसके लिए

एक तरीका था कि कलेक्टर के विरुद्ध ही असैनिक न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया जाय।

उसी वर्ष 1831 में कमिश्नरो का सेशन का काम न्यायाधीशों को सौंप दिया गया और इस तरह सेशन व जिला जज प्रथा की उत्पत्ति हुई।

1831 में एक अधि रैग्युलेशन पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठित भारतीयों का जिला और नगर न्यायालयों में नियुक्ति देने का निश्चय किया गया। उ हें मुसिफ कहा जाता था, वह निश्चित वेतन पाता था और 300 रुपये तक के मुकदमों देखता था। 1831 के कानून में यह भी था कि कौंसिल में गवर्नर जनरल प्रतिष्ठित भारतीयों को सदर अमीन के पद पर नियुक्त कर सकता है जो जिला और नगर न्यायालयों से अपीलें सुनेंगे और भारतीय मूल के सर्वोच्च न्याय पद पाने वाले होंगे। मुसिफों की भांति वे भी निश्चित और नियमित रूप से वेतन पाने वाले थे। पर यह निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि युरोपीयों एवं अमेरिकीयों के मुकदमों में मुसिफ व सदर अमीन नहीं देख सकेंगे।

1832 में इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की अलग अलग स्थापना की गई। 1832 के कानून के अंतर्गत बंगाल में जूरी की तरह ही नई व्यवस्था की गई। इसका मूल उद्देश्य यह था कि युरोपीय न्यायाधीशों को भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो सके। कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि न्यायाधीश इन मुकदमों को पंचायतों के पास भी भेज सकते थे जिसमें प्रतिष्ठित भारतीय होंगे और जो न्यायाधीशों को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। न्यायाधीशों को भारतीय निर्धारक नियुक्त करने का भी अधिकार हुआ जिनसे वे अलग से रिपोर्ट मांग सकते थे।

लाह विलियम बैंटिक का सुधार भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जहां प्रान्त की अपीलीय व सर्किट न्यायालयों की समाप्ति और उनके स्थान पर कमिश्नरो की नियुक्ति ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया, वही साथ ही इससे पुलिस के अत्याचार में कमी आई और अपराधियों के सशय की स्थिति में भी सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में भारतीय सत्त्वों का समावेश अति महत्वपूर्ण तथा सेना के भारतीयकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम था। बंगाल के न्यायाधीशों को न्यायालयों से सहायता प्राप्त करने की प्रथा का प्रारम्भ कर जहां बैंटिक ने एक ओर देश में जूरी प्रथा के विकास में सहयोग दिया वहां साथ ही स्थानीय समस्याओं व मानकों को भी न्याय पर प्रभाव जमाने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो यह कहना सच न होगा कि इन सुधारों ने भारतीयों के लिए सेवा का दरवाजा खोल दिया, पर इसमें कोई अत्युक्ति भी नहीं है कि यह कारवाई उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। नर मुरेड्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक आंदोलन का पथ प्रशस्त हो गया और भारत



उस गन्तव्य की ओर आगे बढ़ चला ।

शिक्षक सुधार—उसने जीवन क्यावार हेमेट्रियस सी० बोम्जर के अनुसार “लाड विलियम बेटिक के प्रशासन सम्बन्धी सभी कारवाइयाँ 1834 में प्रारम्भ की गईं उसकी नवीन शिक्षा-नीति सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली थी । जिसका आधार था भारत में अंग्रेजी का कार्यालयीय भाषा का स्थान प्रदान करना ।” यह समीचीन ही होगा कि बेटिक की शिक्षा-नीति की व्यक्त्या के पूर्व इसके पूर्व के शिक्षा विकास के सम्बन्ध में कुछ कहें ।

“यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि गौतम बुद्ध व महावीर जैन मत्सर हों नसाए के कान तक प्राचीन भारत आधुनिक मापदण्ड में एक अपार शिथिल देश था ।”<sup>1</sup> नालदा और तक्षशिला जैसे भारतीय विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे और बहुत से विदेशी छात्र भी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे । हिन्दू शक्ति के पतन के साथ भारत का प्राचीन गौरव भी जाता रहा । पर शिक्षा पूरी तरह नहीं पिछड़ी । इसके लिए राज्य का सहयोग तो घट गया पर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने पर्याप्त सहयोग दिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब अपनी शक्ति की महा स्थापना की उस समय धार्मिक स्थानों से सबद्ध अत्याय पाठशालाएँ थी तथा मजिस्ट्रेटों से लगे अनेक मकतब थे जो देश के बच्चा का शिक्षा प्रदान करते थे । पर ये शैक्षिक संस्थाएँ पूर्ण नहीं थी । इनके ऊपर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था और न ही अध्यापक नियमित पेशे के अनुसार कार्य करते थे ।

ब्रिटिशों के अधीन शिक्षा का गम्भीरता से प्रशासकीय विभाग के अन्तर्गत 1854 में लाया गया । 1854 से 1871 तक इसकी मुख्य विशेषता हायर सेकेण्डरी स्कूलों की स्थापना थी जिससे तैयार होकर बच्चे विश्वविद्यालयीय परीक्षा में बैठ सकें । 1871 के बाद प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा । पर उच्च शिक्षा का प्रभाव अब भी अधिक था ।<sup>2</sup> पर इसका अर्थ यह नहीं कि 1854 से पूर्व शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया । सच तो यह है कि शिक्षा का स्वस्थ आधार इसी काल में डाल दिया गया जिसके ऊपर भवन की रचना 1854 के उपरान्त की गई ।

कम्पनी की शक्ति के विकास के साथ प्रारम्भ में शिक्षा पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और राजाओं के तत्सम्बन्धी बतित्तदान को स्वीकृत किया गया । पहली बार वारेन हेस्टिंग्स के मन में इस सम्बन्ध में रुचि जागी और उसने 1772 में ‘कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा’ नामक एक विद्यालय खोला जिसका उद्देश्य मुसल-

1 वॉल्टर हेमेट्रियस सी० लाड विलियम बेटिक (1890) पृ० 149 ।

2 टाकरा जी के० इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन टू द डाल ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, पृ० 339 ।

3 टाम्पन ई० सी० मले इण्डिया आफ टुडे, 1913, पृ० 183 ।

मानो को कम्पनी की सेवा के लिए तैयार करना था। 1785 में ऐतिहासिक शोध के लिए सर विलियम जोस ने 'बंगाल एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना की। 1791 में बनारस निवासी डबल ने इसी नगर में एक संस्कृत कॉलेज खोला जिसका उद्देश्य देश के बानून, साहित्य और धर्म की रक्षा एवं विकास था। इसका काय हिंदुओं के लिये वही था जो मदरसा का मुसलमानों के लिए। साथ ही यह संस्था यूरोपीय 'यायाधीशा के लिए हिंदू सहायक भी इस संस्था से तैयार करती थी।' 'बंगाल रेजीडेंसी के जान आवेन का यह प्रयास कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक विद्यालय खोलने का प्रयास किया जाय, सफल नहीं हुआ।

1793 में कम्पनी के चाटर के नवीनीकरण के समय हाउस ऑफ वामस में जब विवाद प्रारम्भ हुआ तो विल्बरफोस ने सदन को यह मनवाने के लिए प्रयास किया कि भारतीयों को शिक्षा देने हेतु मिशनरी और शिक्षक भेजे जाय। पर इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। दो वर्षों के बाद कम्पनी के डाइरेक्टरो में से एक चार्ल्स ग्राण्ट ने भी यह चेष्टा की कि भारत में अंग्रेजी साहित्य और भाषा वैसे ही आयी जाय जैसे मुसलमान यहां फारसी लाये थे। और 1811 में लार्ड मिण्टो ने यह शिवायन भी की कि भारत में विज्ञान और साहित्य का विकास एकदम से रका हुआ है। इसी तरह की बात उसके साथी टी० लम्बडेन ने भी की।

इन्हीं परिस्थितियों में 1813 का चाटर ऐक्ट पारित हुआ जिसमें भारत सरकार को निर्देश दिया गया कि "प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया साहित्य के सज्जन व विकास के लिए तथा विज्ञान के प्रारंभ और उसकी ज्ञान की वृद्धि के लिए भारत निवासियों पर व्यय किया जायगा।" पर 20 वर्ष से अधिक काल तक शिक्षा विकास की किसी निश्चित योजना के अभाव में प्रतिवर्ष यह धन एकत्रित होता गया और प्रयोग में नहीं आ सका।

पर इस बीच अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय प्रयास चलते रहे और इसके कुछ परिणाम भी हुए। राजा राममोहन राय ने एक परिषद की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारतीयों को पश्चिमी दर्शन और भाषा की शिक्षा देना था। 1819 में एक हिंदू कालेज खोला गया। पश्चिमी संस्कृति व दर्शन के प्रति बढ़ते उत्साह को देखकर हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजी दर्शन की शिक्षा देने हेतु 1818 में कलकत्ता के विश्व ने एक संस्था स्थापित की। इस क्षेत्र में एक अन्य नेता बम्बई में एल्फिंस्टन थे जिनके प्रयास से बम्बई में एक विद्यालय खोला गया और दूसरा पूना में। इन संस्थाओं में अंग्रेजी के माध्यम से विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाती थी।

इन प्रयासों के फलस्वरूप अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का विकास हुआ और यह लोकप्रिय हुई। इसकी मांग बढ़ी, जबकि संस्कृत और अरबी के लिए मांग घटी। इसीलिए इन भाषाओं की शिक्षा देने वाली संस्थाओं ने भी अंग्रेजी पढ़ाने प्रारंभ

कर दी जिससे उनकी लोकप्रियता पर आच न आए ।

एक प्रश्न उठा कि इस देश में अंग्रेजी शिक्षा या प्राच्य शिक्षा, किसका विकास हो ? एक लाख की निर्धारित धनराशि अभी तक वही व्यय नहीं हो पायी थी । 1823 में एडम्स ने कमिटी आफ पब्लिक इस्ट्रुक्शंस की स्थापना करके इस विषय पर अपनी राय मागी, पर प्रथम वर्गों में शुद्ध न व्यवधान उपस्थित कर दिया और कुछ नहीं हो सका । 1833 के चाटर ऐक्ट के अनुसार एक लाख की धनराशि दस लाख में बदल दी गई और अब लाड वैंटिक को इस प्रश्न को गंभीरता से लेना पडा और उसे याजनाबद्ध ढंग से इस धन को व्यय करने के लिए सोचना पडा । एक बड़ा विवाद इसी बीच यह उठ खडा हुआ कि किस तरह की शिक्षा सरकार विवसित करे । इस सम्बन्ध में दो तरह की विचारधारायें उभरकर सामने आई । एक का नेतृत्व एच० एच० विल्सन कर रहा था जो प्राच्य शिक्षा का समर्थन कर रहा था तथा दूसरे का नेतृत्व सर चार्ल्स ट्रेवेलियन कर रहा था जिसके समर्थन में बाद में सर चार्ल्स मैकाले और राजा राममोहन राय ने किया । इनकी इच्छा अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन की थी ।

प्राच्यवादियों का यह कहना था कि 1813 के ऐक्ट के अंतर्गत जो एक लाख रुपय वार्षिक शिक्षा पर व्यय हेतु रखा गया था, वह प्राच्य शिक्षा के लिए था । इसलिए इस धन का प्रयोग कहीं और नहीं किया जा सकता था । प्राच्य शिक्षा प्राच्यविदा के लिए सबसे उत्तम थी जो उनकी इच्छा व दृष्टि के अनुरूप थी जो उनमें गुणा का विकास करती थी । साथ ही अंग्रेजी शिक्षा का विकास तत्कालीन पाठशालाओं और मदरसों की शिक्षा का विनाश कर देगी, ऐसा वे सोचते थे । संस्कृत और अरबी साहित्य संपन्न भी था । प्राचीन हिन्दू दर्शन के खजाने में ऐसी निधिवा थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता था । पर एक घड़ी तक यह अवश्य था कि अंग्रेजी का अज्ञान भारतीयों को ब्रिटिशों के समर्थ शत्रुओं को बाध्य करेगा ।

दूसरी ओर अंग्रेजी समयको का तक भी कमजोर नहीं था । 1835 में लाड मैकाले के सभापतित्व में नियुक्त एक समिति की सन्तुष्टियां ता रक सी गईं पर मैकाले ने अलग से अंग्रेजी पढाई की महत्ता को स्पष्ट किया । उसने दृढ़ता से यह तक निया कि 1813 के ऐक्ट के रचनाकारों ने अंग्रेजी शिक्षा के ही लिए धन का निधारण किया था । उसने बताया कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि "यूरोप की एक सल्फ का अच्छा पुस्तकालय पूरे भारतीय साहित्य के समान था ।" इसके अतिरिक्त "कानून और धर्म के भाषा के रूप में भी संस्कृत या अरबी को प्रात्माहित नहीं किया जा सकता था ।" पर दूसरों का यह कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अंग्रेजी व्यवस्था से ही परिचित करायगी और सस्ते लिपिका को तैयार करेगी । अंग्रेजी संस्कृति के फलाव से देश में अंग्रेजी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिससे अंग्रेजी उद्योग आगे बढ़ेंगे । प्राच्यविदा का वह तक भी उह नहीं ठीक

लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अंग्रेजों का अनुगामी बना देगी। इस सब्रध में मँकाले ने घोषणा की कि "क्या हम भारतीया को अनुगामी न बनाये रखने के लिए उन्हें अशिक्षित ही बना रहने दें?" उसने कहा कि युरोपीय ज्ञान के आधार पर यदि भविष्य में कभी युरोपीय सस्याओं की माग की गई तो वह "अंग्रेजी इति-हास में अति महत्व का दिन होगा।"

अंग्रेजी समाज में पैदा होने और पाला-पोसा जाने वाला मँकाले प्राचीन भारत की विद्वता के विषय में कितना ज्ञान रखता था, इसकी जानकारी हमें नहीं है। पर भारत के प्रति और उसके भूतकाल के प्रति उसकी समझ निश्चित रूप से अनाकपक थी। यदि ऐसी बात न होती तो वह ऐसा मत न व्यक्त करता कि भारत के पास अपना कुछ ऐसा नहीं है जिसपर वह घमड़ कर सके। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसने 1813 के चार्टर ऐक्ट की व्याख्या अपने ढंग से किस आधार पर कर ली। 'साहित्य का पुनरुत्थान और विकास' का अर्थ निश्चित ही दूसरा निकलता है जो मँकाले के अर्थ से भिन्न था।

जो भी हो इसमें सदेह नहीं कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का अपना गुण है। लाड विलियम बँटिक मँकाले और साथियों से प्रभावित हुए बिना न रहा और अंततः 7 मार्च 1835 को उसने कौंसिल में यह प्रस्ताव पारित कराया, "सरकार के पास जो भी धन है अबसे उसे अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को देने पर व्यय किया जायगा।"

"प्राच्य शिक्षा के विद्यालयों को बंद ता नहीं किया गया, पर ऐसे छात्रों की शिक्षा में सहायता को रोक दिया गया" और "प्राच्य शिक्षा की पुस्तकों के प्रकाशन पर धन व्यय करना भी रोक दिया गया।"

बाद में जब कलकत्ता के मुसलमानों ने लाड विलियम बँटिक को एक प्रार्थना-पत्र में यह भय व्यक्त किया कि इस नवीन नीति से भारतीयों के ईसाई हो जाने का खतरा है, तो गवर्नर जनरल ने निश्चित रूप से यह घोषणा की कि "ईसाई धर्म की शिक्षा और शिक्षा-प्रणाली को मिलाया नहीं जायगा और छात्रों के धार्मिक विश्वास से छेड़छाड़ नहीं की जायगी। पर विद्यार्थियों का ईसाई धर्म की शिक्षा दी गई।"

अंग्रेजी शिक्षा के गुण दोष पर विस्तार में विचार की जानकारी सभी को है। इसमें पक्ष में यह कहा जा सकता है कि इसने अंग्रेजी ज्ञान को बाढ़ ला दी और पूरे देश में इसमें क्रांति मच गई। एक नवीन प्रकार का साहित्य सामने आया जो अंग्रेजों के स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक विचारों से प्रभावित हो भारत में उसी तरह के अधिकारों की माग करने लगा। एक भाषा और एक विचार ने भारतीयों को राज-नैतिक एका प्रदान की जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। पर दूसरी ओर पश्चिमी 'चमक-दमक' व आत्म प्रशंसात्मक शिक्षा के कारण भारत में प्राचीन दर्शन

की विशेषता खोती प्रारंभ कर दी जिसमें बन्धन, सेवा और आभार की भावना प्रधान थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभावस्वरूप भारतीय जीवन पद्धति और व्यवहार में परिवर्तन हुआ गया। भारत न खाने, यस्त्र व आदतों में पश्चिम की नरत प्रारंभ कर दी और इसके कारण इस देश में अंग्रेजी सामानों का प्रयोग बढ़ गया। भारत का आर्थिक शोषण और बढ़ गया।

सती— 'लाड विलियम ब्रिटिश की सरकार व बाल वास्मूनि याग्य काय, जिसके लिए इतिहास में उसका नाम गण स्मरण दिया जायगा, यह था जीवन विधवाओं का जलाय जाने से रोकना।'<sup>1</sup>

सती शब्द की उत्पत्ति सम्भवतः 'सत शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सत्य। सतीप्रथा की उत्पत्ति, जिसमें विधवाओं अपने पति की चिता पर जन मरती थी, की निश्चित जानकारी नहीं मिलती। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत गार्चियर प्यारे लाल ने इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ सूचनाएँ प्रस्तुत की हैं। प्राचीन काल में आर्यों में स्त्रियों का अपना पति चुनने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी और प्रायः वह कम आयु में ही किसी के प्रेम में आवद्ध हो जाती थी जिसे बाद में पता चलता था कि यह वह पुरुष नहीं है जिसके साथ वह सारा जीवन बिता सकती। इसी कारण वह दूसरे पुरुष के प्रेमपाश में बंध जाती और अपने पहले पति को विष देकर रास्त से हटाने का प्रयास करती। जब जैसे इस तरह की घटनाएँ बढ़ती गईं और विवाहित पुरुष युवावस्था में मरने लगे, बड़े-बूढ़ों ने यह निश्चय किया कि अब आगे किसी स्त्री का पति बच्चा पैदा होने के पूर्व ही मर गया तो उसकी पत्नी को अपने पति के साथ चिता पर जलना होगा। इस तरह सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। पर हम यह नहीं मालूम कि कसे समय बीतने के साथ यह पवित्र हो गया और इसे गुणी विधवा के पवित्रता का चिह्न मान लिया गया।

ब्रिटिश काल में सती ऊँची जाति में प्रचलन में था जैसेकि युनानिया में, जर्मनी में, स्लावों में और अन्य जातियों में था। इस अवसर पर नाव्य-पाठ होता और धार्मिक काय किये जाते थे। यह अनिवाय नहीं था और मध्य व पश्चिम एशिया की प्रथा से भिन्न था जहाँ पर पति के मरने के बाद उसकी विधवा व दासियों की मृत्यु संस्कार स्थल पर ही विक्री होती थी। सती हान के समय विधवा अपना वस्त्र व आभूषण से श्रृंगार करती थी और अपने को सजाती थी। उसके सभी गहने और मूल्यवान वस्त्र ब्राह्मण को प्राप्त होते थे। रणजीत सिंह के मृत्यु परांत पंजाब के वजौर जवाहिर सिंह के विधवाओं के सती होने की घटना की

1 ब्रूजर पूर्वोद्धत पृ० 77।

2 कण पी० वा० हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया भाग 2 पृष्ठ 1 पृ० 625 कुरवर्णी वी०बी० पूर्वोद्धत पृ 127 28 द्वारा उद्धृत।

सूचना हमें प्राप्त होती है। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित सिख रक्षका के विषय में लतीफ ने लिखा है, "उन्होंने विधवाओं को बिना प्रायश्चित्त के लूटा और चूँकि दुर्भाग्यशाली विधवाओं चिता पर चढ़न वाली थीं अतः उनके नाक और कान के गहना को, जो उन्होंने अपने धर्म के अनुसार पहन रखा था, नीचे लिया चिता पर जाते समय उनके छल्ला आर कमींदे के सामान को छीन लिया।" 1

जो भी हो, स्पष्ट है कि इस प्रथा को स्वार्थी तत्त्वा ने प्रारंभ किया था जिनका उद्देश्य इस घुराई का समाप्त न करन देना था। अक्बर ने इस क्षेत्र में सुधार की चेष्टा की थी पर अमफन हो गया था। इसी तरह गोवा का अल्बुकुक भी असफल हो गया। 1823 में कोट आफ टाइरेक्टम ने इसकी समाप्ति की ओर इंगित किया, पर वे चाहते थे कि इस सुधार का विरोध न हो। एमहस्ट ने इस अवधि में अपने अधिकारियों की में राय मागी पर उनकी राय में एकमतता नहीं थी।

जब वैटिक आया तो यह प्रथा जोरा पर थी। "सतिया की सख्या तेजी से बढ़ी कभी-कभी पूर्वी प्रांता में 1 वर्ष में ही जीवित जल जाने वाली विधवाओं की सख्या 800 तक हो गई। जबकि 1828 से पहले दस वर्षों में जान देने वाली विधवाओं की सख्या का औसत भी 600 से कम नहीं था।" विलियम वैटिक इस अपराध को समाप्त करन का निश्चय कर चुका था। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह उसने इसमें सावधानी बरती क्योंकि यह मामला धर्म से जुड़ा होने के कारण पेचीदा था। इस मामले को हाथ में लेने से पूर्व वह इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहता था कि लोग विशेषकर सेना की ओर से इसका कोई विरोध न हो। 49 महत्त्वपूर्ण अधिकारियों से उसने इस मामले पर उनका मत मागा जिनमें से पांच न किसी हस्तक्षेप की राय नहीं दी, बाहर न इसे समाप्ति की राय दी पर सरकार की ओर से किसी कदम के उठाने के पक्ष में ये नहीं थे, आठ ने यह कहा कि मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से इसे समाप्त किया जाय जबकि शेष ने इस अपराध की पूर्ण और तुरत रोकथाम की आवश्यकता बताई।

1828 में इस मामले ने उस समय जार पकड़ा जब निजामत अदालत के पांच न्यायाधीशों में चार ने यह लिखित मत दिया कि इस अपराध को इस समय दबाया जा सकता है। राममोहन राय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने इसका समर्थन किया। विलियम वैटिक ने 8 नवम्बर 1829 के सती अवधि अपने एक प्रस्ताव में घोषित किया, "मैं हृदय से हिन्दुओं के हित की कामना करता हूँ। इनके भविष्य के उत्थान के लिए मुझे इससे अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ नहीं दिखाई देता कि उनका विश्वास

1 लतीफ मुहम्मद हिस्ट्री आफ पंजाब प० 536 37।

2 बूल्जर पूर्वोद्धत, प० 78।

चाहे जो कुछ हो उनमें शुद्ध नैतिकता का विकास होना चाहिए एक ईश्वर की और 'यायपूण शक्ति की उपासना होनी चाहिए।'<sup>1</sup> दिसंबर 1829 में कानून पारित किया गया जिसमें सती को 'निन्दनीय जीवहत्या' करार दिया गया।

इसकी प्रतिक्रिया में कुछ म्थानों पर, विशेषकर उगाल में चलने हुए। 'यायलप' में भी इस ले जाया गया। लंदन की प्रीवी कौंसिल में भी इस भेजा गया तथा राजा के पास प्रेषण हेतु एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया। पर य चीजे इसलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर और राममोहन राय ने सरकार की फारवाइ के समर्थन में पत्र लिखे।

ठगो—ठगों के अखिल भारतीय संगठन थे जो 300 या उससे अधिक के समूह में घूमा करते थे और आपात काल में य और अधिक संख्या में वही भी एकत्रित हो सकते थे। वे स्थानीय सरदारों, जमींदारों और अधिकारियों की गुप्त सहायता से संगठित अपराध करते थे। वे यात्रियों के साथ मीला यात्रा किया करते थे जब तक कि किसी स्थान पर उनका मतलब पूरा न हो जाय। उनके अपराध का यह विशिष्ट तरीका था कि वे किसी को लूटने से पूर्व उसकी गला कसकर हत्या कर देते थे।

1799 में श्री रंगपट्टम पर अधिकार करने के बाद ही अंग्रेजों ने पहले यह अनुभव किया कि ठगों का अखिल भारतीय दल है। यानटन और कैप्टेन स्लीमैन, जिन्हें इस संबंध में खोज ब्रीन के लिए नियुक्त किया गया था, ने यह बताया कि इनके प्रत्येक समूह में सभी का वर्गीकरण था और उनका नेतृत्व सक्षम प्रशिक्षित व्यक्ति करता था। उदाहरण के लिए इस संगठन में जमादार के पद की नियुक्ति के पूर्व उसमें कुछ योग्यता होनी आवश्यक थी। जैसे उसे घूमखोरी या आखा में धूल पाकने में माहिर होना चाहिए जिससे स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित किया जा सके या उस ऐसे परिवार का होना चाहिए जिसके पूर्वज इस पेशे में बहुत पहले से कार्य करते चले आ रहे हैं। या उस गला कसकर व्यक्ति का नाम डालने में महारथ हासिल हो तथा उसमें स्वाभाविक नेता के गुण हों। यदि उसमें इनमें से कोई योग्यता न हो तो उसे जमादार नहीं नियुक्त किया जा सकता था। मात्र प्रमुख और अनुभवी सदस्य को सूत्रधार नियुक्त किया जा सकता था।

यह भी पता चलता कि उनमें लूट का माल बांटने के लिए बड़ी अच्छी प्रथा थी। नेता के लिए विशेष भाग अलग से निश्चित रहता था दूसरा विशेष भाग स्थानीय नता के लिए निर्धारित होता था यह दूसरा भाग उस स्थानीय अधिकारी को भी दिया जा सकता था जिसके सहयोग से लूट-पाट में महायत्न प्राप्त होती थी। लूट का कुछ भाग धार्मिक समारोहों के लिए भी निर्धारित था जो अति

आवश्यक माना जाता था। कैंप्टेन स्लीमन बतताता है कि ठगा का यह विश्वास था कि इन अपराध में देवी काली का सहयोग था जो अपन भक्तों की सहायता करती थी। इस तरह यदि देवी प्रमत्त रहती और ठगी के नियमा का पालन होता रहता तो कोई कठिनाई नहीं आ सकती थी। इसके बाद लूट का माल सदस्या में बराबर-बराबर बांट दिया जाता था, पर व्यक्ति की जा हत्या करता था उसे एक भाग अधिक प्राप्त होता था।

इन विषय में कुछ जानकारी के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार ने इन अपराध को दमन का निश्चय किया। पर इस सम्बन्ध में कारवाई डीली-टावी आर अयमनस्क रही। साथ ही कम्पनी अभी भारत में सप्रभु शक्ति भी नहीं हा पायी थी जिसे दूर-दूर तक उसके अधिकार को मायता प्राप्त होने के और अखिल भारतीय स्तर की समस्या का वह समाधान कर सके। इसलिए यह काय लगता है, कि विलियम बेटिंग के लिए छाड़ दिया गया था जिसके समय में भारत में ब्रिटिश शक्ति के मगठिन हो जाने के बाद कोई कारवाई की जा सके।

1829 में बेटिंग ने नवदा क्षेत्र में अपने एजेण्टों को आदेश दिया कि वे इस तरह के गलत तत्त्वा का अपने क्षेत्र में जहाँ भी पाए गम्भीर कारवाई करें। कैंप्टेन स्लीमन जिसे इस सम्बन्ध में अगार ज्ञान प्राप्त था, उनके सहायताय भेजा गया। इसके अतिरिक्त पूरे देश में सरकारी अधिकारियों के पास एक विशेष आदेश भेजा गया कि वे इस तरह के सभी मामला की सूचना भेजे तथा वे क्या करने हैं, यह भी बतायें। पूरी सरकारी मशीन को इस सम्बन्ध में सावधान कर दिया गया।

चूँकि पूर देश में स्थिति गम्भीर हो गई थी इसलिए केन्द्र में तमाम सूचनाए आने लगी। विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा कई कठिनाइया सामने लायी गईं। अय अधिकारियों ने भी सूचनाए भेजी। ये कठिनाइया उह ठगी की समस्या के समाधान में भोगनी पडी। यह सूचित किया गया कि स्थानीय अधिकारियों और जमींदारों के अपराधियों के सहयोग के कारण समस्या समाधान में कठिनाई हो रही है। बुदलखड के एक मामले में बताया गया कि स्थानीय अधिकारियों की निश्चित रूप से ठग व अपराधियों से मिलीभगत थी। इस तरह का सहयोग कभी-कभी पराकाष्ठा को पहुच जाता था। एक फूटे हुए ठग गवाह ने बताया कि वे स्वानियर राज्य को कर देते थे।

अनराधियों की पहचान में यह कठिनाई भी थी कि वे अच्छे पशो में कायरत थे और अवसर-अवसर पर अपराध करत थे। जब भी वे अपराध करते थे तो वे अपने निवास के 30 मील के भीतर यह काय नहीं करते थे। कभी कभी तो वे कई दिना तक लगातार 12 बप से नीची उम्र के बच्चा के साथ सदेह मुक्त होने के



लिए सैकड़ों मील की बौलो और खच्चरा सहित सौदागरो के रूप में यात्रा करते थे। यह अपराध निजन स्थानों पर किये जाते थे। जैसा कि थानटन ने लिखा है, 'बीहड़ जंगलों के बीच से जाती हुई मुनसान सड़के, चम्र घोलने के लिए मुनायम भूमि या मार जाने वाला को छिपाने के लिए घने जंगल या जहा स्थानीय अधिकारी मरे हुआ की लाशा की ओर ध्यान न दें आदि उनके प्रियस्थल थे।'

थानटन इस बात का भी रुचिकर विवरण देता है कि वे किस तरह लागू को गला फसाकर मार डालते थे। "यात्रा के समय इनका समूह लूट जान वाले व्यक्ति के गले में एकाएक एक रस्सी या कपड़ा डाल देना और एक व्यक्ति इसका एक कोना पकड़ लेता तथा दूसरा कोना एक अन्य सह-अपराधी पकड़ लेता। मृत्यु का अस्त्र पीछे गदन में गने में घुसता जाना जिसे धीरे धीरे और बड़ा कर दिया जाता। दो ठग लूटन वाले व्यक्ति के माथे का रस्सी से दबाकर आगे खींचते तभी एक तीसरा अपराधी जो यात्री के पीछे तैयार खड़ा रहता उसका पैर पकड़ लेता जिससे वह गिर पड़ता। इस स्थिति में यात्री के विरोध का प्रश्न ही नहीं था। इस बीच उसकी नाक पर इतना तीव्र प्रहार किया जाता कि वह बुरी तरह धायल हो जाता और कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता।" चूंकि लोगों की हत्या हो जाती थी इसलिए सूचना प्राप्त हान में जोर अपराधियों का पता लगाना में कठिनाई होती थी।<sup>1</sup>

सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कम्पनी का कानून किसी व्यक्ति को विरुद्ध कारवाई करने में निश्चित प्रमाण चाहता था। केवल सदेह मात्र से कोई सहायता नहीं मिलती थी। जोर उपरोक्त परिस्थिति में अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिलता था।

उपरोक्त कठिनाइयाँ का दूर करने के लिए इसी कारण 1830 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का किसी ठग में मर्क ही उसके कंड का कारण बन सकता था चाहे उसने कोई अपराध किया हो या न किया हो। इस कानून के बन जाने के बाद, इस मामले पर अधिक गम्भीरता से कदम उठाने का अवसर मिला और इसके कुछ वर्षों के अंदर ही हजारों ठग पकड़ लिये गये और मौत की सजा के भागी हुए या कालापानी की सजा प्राप्त की अथवा उन्हें जबलपुर के सुधार-गृह में भेज दिया गया। इस तरह इस अपराध की समाप्ति हुई जिसने अधिकारियों को परेशान कर रखा था।

ब्रिटिश के काल के कुछ अन्य सुधार सांख्यिक निर्माण विभाग से संबंधित थे। बम्बई से आगरा को मिलाने के लिए एक सड़क का निर्माण प्रारम्भ हुआ। उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों में नहरों की खुदाई प्रारम्भ हुई और कलकत्ता व दिल्ली के

बीच ग्रण्ड ट्रक रोड की मरम्मत का काय प्रारम्भ हुआ ।

हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला को अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया । इससे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला की सुविधाएं बढ़ गयी ।

### भारतीय राज्यों से सम्बंध

भारतीय राज्यों से उसके सम्बंध, जिसके विषय में सरसरी तौर पर बताया जा रहा है, इस तरह के थे जिससे कि उसकी उच्चकोटि की कूटनीतिज्ञता सामने आती है । उसे ज्ञात था कि अपनी कम्पनी का अधिक से-अधिक लाभ कैसे किया जाय । उसकी नीति को निहस्तक्षेप की नीति मानना उचित नहीं है । भले ही यह आश्रामक न रही हो । उसकी नीति ब्रिटिश हिता के पक्ष में आश्रामकता की सीमा तक नहीं जाती थी ।

1829 में हैदराबाद के निजाम सिक्दर शाह की मृत्यु हो गई और नजीरुद्दौला उसका उत्तराधिकारी हुआ । नजीरुद्दौला ने वैटिक की सरकार से उसके कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को वापस बुतान के लिए कहा जिनके ऊपर राज्य में कुछ कठिनाइयाँ पैदा करने का सदेह था । वैटिक ने इसे स्वीकार कर लिया ।

जयपुर में भी कठिनाइयाँ थी । रानी और उसके प्रेमी को 1835 में मार डाला गया और ब्रिटिश रेजीडेण्ट की उसकी कुछ कारवाइयों के लिए आलोचना की गई । पर गवर्नर जनरल ने इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा । इसी तरह की नीति भोपाल के सम्बंध में भी अपनाई गई । यहाँ पर सिक्दर बेगम के राज्य पर नियंत्रण करने के समय कुछ गम्भीर समस्याएँ आईं ।

मैसूर और कुग के सम्बंध में प्रभावों हस्तक्षेप किया गया । मैसूर राज्य के प्रधान के विरुद्ध वहाँ की जनता ने इसलिए विद्रोह कर दिया क्योंकि उसकी नीतियाँ अदूरदर्शी और कठिनाई उत्पन्न करने वाली थी । गवर्नर जनरल ने स्थिति का कुछ काल तक आकलन करने के बाद राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जो वैटिक के भारत से वापसी के बाद भी ब्रिटिश हाथों में कुछ समय चलता रहा । कुग के शासक ने अपनी दबाने वाली और पागलपन की नीति के अतगत अपने परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को मार डाला । वैटिक ने उस राज्य पर से ब्रिटिश सरक्षण समाप्त कर दिया । पर इसपर भी जब उसे सफलता न मिली तो उसने इस राज्य को समाप्त करके इसे ब्रिटिश राज्य का एक भाग बना लिया ।

26 अक्टूबर 1831 को वह रूपड़ में रणजीत सिंह से मिला और अपनी नीति से उसने उसे जहाँ असावधानी की स्थिति में कर दिया वहाँ दूसरी ओर उसने पोर्टिजर को सिंध में सिख हितों को हानि पहुँचाने के लिए भेज दिया तथा

लिए उत्तरदायी था। ऐसा इसलिए था कि प्रशासन विकसित हो रहा था, केन्द्र की आवश्यकता में वृद्धि हो रही थी, राज्यों और विदेशों से सम्बन्ध पर भी धन के व्यय की आवश्यकता थी। यह केन्द्र ही था जो गृह विभाग के अधिकारियों के प्रति आर्थिक मामला में उत्तरदायी था। और ब्रिटिश पूंजीपतियों का विश्वास, जिनसे देश की आवश्यकताओं में धन नमाये जाने की आशा थी, भी बनाये रखना था। इन सभी ने आर्थिक केन्द्रीयकरण को आवश्यक बना दिया।

जहाँ तक प्रेसीडेन्सिया का सम्बन्ध था इस ऐक्ट के अन्तर्गत यह तय हुआ कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर के कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर दो कर दी जाए। केन्द्र के नियन्त्रण में बम्बई और मद्रास के लिए अलग-अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना रखने को कहा गया। कानून रचना के सम्बन्ध में प्रेसीडेन्सिया को केन्द्र के अधीन कर दिया गया। ऐसा ही आर्थिक मसला पर भी किया गया जिस सम्बन्ध में साधारण व्यय के लिए भी केन्द्र से अनुमति के लिए कहा गया। ऐक्ट के माध्यम से यह भी निश्चित हुआ कि मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई में भारतीय ईसाइयों के हित में विशेषों की नियुक्ति की गई। यह भी तय हुआ कि बंगाल की प्रेसीडेन्सी को दो भागों में बांट दिया जाय—एक बंगाल प्रेसीडेन्सी और दूसरी आगरा प्रेसीडेन्सी। पर 1835 के ऐक्ट के द्वारा इस धारा को स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर उत्तर पश्चिम प्रांतों (अब उत्तर प्रदेश) के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल माना गया।

सामान्य धाराओं में इस ऐक्ट की 87वीं धारा महत्वपूर्ण थी जिसमें यह बताया गया था कि 'भारत का कोई नागरिक या सम्राट की प्रजा कोई स्थान प्राप्त करने या नौकरी पान के लिए धर्म जन्म स्थान वंश या रंग के आधार पर नहीं रोका जाएगा।' यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने सभी भेद भाव समाप्त कर दिया। वैसे यह धारा तुरन्त तो नहीं लागू की गई, पर यह भविष्य में आंदोलन का आधार बन गई। लोग तब तक सन्तुष्ट नहीं हुए जब तक कि उन्हें जिसके लिए आश्वस्त किया गया वह नहीं प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट ने भारत सरकार से यह अपेक्षा भी की कि वह पूरे देश में दासता की परम्परा को समाप्त करेगी।

एक मूल्यांकन—स्पष्टतया 1833 का चाटर् ऐक्ट एक महत्वपूर्ण कदम था। कम्पनी को भारत और चीन में व्यापारिक आधिपत्य से वंचित कर दिया गया और इस तरह 1813 के ऐक्ट का कार्य पूरा हो गया क्योंकि अब कम्पनी के कार्य की प्रकृति व्यापारिक न रहकर प्रशासनिक और राजनतिक हो गई। केवल व्यापारी भाव से प्रत्येक वस्तु में लाभ की कल्पना से अच्छा प्रशासन सम्भव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की प्रकृति बदल गई। मासमैन

लिखता है, "राज्य के काय को आर्थिक दायित्वों से अलग कर दिया गया जिससे कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के विचार और नीति को एक उच्चता प्राप्त हो गई तथा प्रशासन चुस्त और वायक्षम हो गया।"<sup>1</sup> बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो अब भारतीय कार्यों के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी माना गया, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। इसकी सहायता के लिए कामर्स में एक सचिव भी रहता था। निश्चित रूप से राजनैतिक काय ने व्यापारिक काय को अपने घेरे में ले लिया। युरोपीयों को भारत में बाने और बसने की जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उससे उनका व्यक्तिवादी चरित्र व स्पष्ट मस्तिष्क भारतीय लोगों के परिवारों और दार्शनिक चरित्र के सम्पर्क में आया। पुरानी रूढ़िवादी प्रवृत्ति तिरोहित होने लगी और जैसे तो कुछ युरोपीय व्यवहार मूखता की सीमा तक दिखे, पर सम्पूर्ण परिणाम लाभपूर्ण ही था।

वैधानिक, आर्थिक और सामाय प्रशासकीय केन्द्रीयकरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। विस्तृत होता हुआ क्षेत्र और प्रशासकीय समस्याएँ, जो धीरे धीरे बढ़ती गईं, उन्हें एक स्वर के अंतर्गत लाया जाना था। यह काय इस ऐक्ट में किया। क्षेत्रों के संगठित होने की सम्भावनाएँ तृतीय मराठा युद्ध के बाद पहली बार सम्भव दिखाई पड़ी। स्थानीय और विभाजित दृष्टि रखने वाली समस्याओं पर राष्ट्रीय लाभ और एकता की भावना हावी हो गई। और चूँकि अब समस्याओं का स्वभाव स्थानीय से राष्ट्रीय हो गया, इसलिए संगठित राष्ट्रीय दृष्टि रखकर उन्हें हल करने की आवश्यकता पड़ी जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

कानून की एकरूपता भी कम महत्व की नहीं थी। इसमें बताया गया कि "एक क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों के लिए जो कानून लागू हो सकते हों, तत्संबंध में यहाँ के लोगों के अधिकार, विचार और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें बनाया जाए। और सभी कानून और प्रथाएँ जो वहाँ लागू हों उनका पता लगाकर उन्हें एकत्रित किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किया जाए।" इस काय के लिए एक आयोग बनाया गया और मैकाले को पूरे देश में लागू करने के लिए कानून रचना का काय सौंपा गया। मैकाले ने इस काय का वहन उचित रीति से किया। लायल के अनुसार इण्डियन पेनल कोड "मैकाले के विधायी बौद्धिक क्षमता और कायकुशलता" का परिणाम है।<sup>2</sup> सिविल और फौजदारी कानून भी इसी तरह रचे गये और इनकी महत्ता का भी मूल्यांकन आवश्यक है। पूरे देश के लिए सभी के लिए एक तरह का कानून एक वरदान था जो

1 माशमन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ० 115।

2 लायल ए० द ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया, पृ० 412।

एक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में उभरकर सामने आया और राष्ट्रीय हित में सहयोग दिया।

दासता की समाप्ति की धारा भी आदरणीय थी। पर इस ऐक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 87वीं धारा थी जिसमें नियुक्ति हेतु योग्यता की ही सबसे प्रधान स्थान दिया गया। रैम्जे म्योर ने लिखा है कि यह धारा “एक विवादाहीन सिद्धांत तथा उच्च आदर्श था जिसके अंतर्गत यहां के बाशिंदा की योरोपीय की तुलना में योग्यता के आधार पर आया गया। क्या इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक विजित जाति ने अपनी जीती हुई जनता की सुविधा हेतु ऐसी घोषणा की हो ?”<sup>1</sup> यह ऐक्ट के बनाने वाला का दोष नहीं था कि इसे काय रूप में बदलने वालों ने देश में विधिवत् लागू नहीं किया। इस ऐक्ट ने एक निश्चित स्तर के आधार पर काय का प्रारम्भ किया जो यदि तुरन्त नहीं प्राप्त हो सका तो भी कम से कम इसकी याद दिलाता रहा कि इसे प्राप्त करना है। इस सम्बन्ध में प्राप्त पूर्ण सफलता तो पूर्ण स्वतंत्रता के समान ही होती पर भविष्य में भारतीयों के आन्दोलन का यह एक अच्छा आधार बन गया कि अंग्रेज अपने ही दिए गए वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं।

इस ऐक्ट में कुछ दोष थे, विशेषकर इसकी वैद्रीयता में। विस्तार लिए हुए देश, उसकी विशिष्ट बस्ती व जनसंख्या, उसकी भिन्न भिन्न स्थानीय भाषा तथा अलग-अलग आर्थिक ढांचा निश्चित ही केंद्र के लिए प्रशासकीय समस्याएं लेकर खड़ा था। विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में इस ऐक्ट ने केंद्र व प्रान्तों के बीच भेदभाव किया, केंद्र ने प्रान्तों को छूट भी कम दी और वह भी समय से नहीं तथा प्रान्तों ने केंद्र से बिना देर किए अधिक की मांग की। सुस्त और भले गवर्नर तो परेशान हुए पर हिंसावादिना ने आर्थिक क्षेत्र में केंद्र से बहुत कुछ प्राप्त किया। यह आम आरोप था कि गवर्नर जनरल चर्कि बगल से विशेष रूप से सम्बद्ध है इसलिए वह उसकी तरफ्तारी करता है। ये आरोप पूर्णतया गलत भी नहीं थे। इस ऐक्ट ने प्रान्तों में अनुत्तरदायित्वता की भावना को भी जन्म दिया। यदि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अधिक मांग रखी जाती तो केंद्र से अधिक अनुदान की प्राप्ति होती। पर इस तरह से प्राप्त होने वाला धन चूंकि आवश्यकता से अधिक होता इसलिए यह बर्बाद हो जाता।

पर देश की तात्कालिक आवश्यकता चूंकि वैद्रीयकरण की थी इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति इस ऐक्ट ने की। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो यह ऐक्ट 1909 तक ब्रिटिश संसद में पारित होने वाले ऐक्टों में प्रमुख था। 1813, 1853, 1858 आदि का कोई ऐक्ट महत्ता में

इसके समान नहीं था। 1813 के चाटर ऐक्ट ने कम्पनी के व्यापारिक स्वभाव को अभी तक बनाये रखा था, 1853 के ऐक्ट ने प्रशासन के क्षेत्र में कुछ साधारण परिवर्तन किया, जबकि 1858 के ऐक्ट ने वही प्रस्तुत कर दिया जो देश में था। अथर्व विधायी कारवाइयो का 1823 के ऐक्ट के समक्ष कोई स्थान ही नहीं था। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना थी और इंग्लैंड की संसद का यह एक प्रमुख सफलतापूर्ण सुधार था।

### राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्मसमाज

वैटिक के काल का कोई भी विवरण तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक कि ब्रह्मसमाज और उसके नेता राजा राममोहन राय की चर्चा न कर ली जाय। रोमा रोला के मतानुसार वे "एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि न तो युरोप और न ही एशिया के किसी स्मारक भवन पर उनका नाम सुरक्षित है। पर उन्होंने भारत की भूमि पर अपने सुधारों का हल चलाया और 60 वर्ष के परिश्रम के बाद उसमें परिवर्तन-सा उपस्थित किया। और बंगाल की भूमि से कम और व्यक्तियों की फसल भी पैदा हो गई। उनकी ही प्रेरणा से टैगोरों का आगमन हुआ।"<sup>1</sup>

राजा राममोहन राय "जिनके बनाये जीवन्त पुल पर भारत ने अनजाने भूत को त्याग अगणित भविष्य की ओर पग रखा, जिनकी निर्मित मेहराब के बीच पुरातन जाति और आधुनिक मानवता की खाली जगह उन्होंने भरी, जिन्होंने अधविश्वास व विज्ञान, निरकुशता और प्रजातन्त्र, स्थिर परम्परा और अनुदार प्रगति, भ्रमित करने वाले बहुदेववाद और विशुद्ध ईश्वरवाद के बीच की खाई पाटी" उनका जन्म 1774 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका परिवार रूढ़िवादी तो था पर साथ ही सम्पन्न भी था। इसीलिए राजाजी का प्रारम्भिक जीवन सम्पन्नता में गुजरा। बचपन से ही उनकी धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में रुचि थी। पर उन्होंने रूढ़िवादी अध्ययन का रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि 15 वर्ष पूर्व ही उन्होंने बंगाली में एक पत्र लिखा जिसमें यह घोषित किया कि वैदिक दर्शन में मूर्ति-पूजा का कोई स्थान नहीं है। अत्यधिक रूढ़िवादी समाज में इस तरह के उद्देश्यों तथा उदारवादी विचारों का भला स्वागत कहा हो सकता था। इसी कारण यह आश्चर्यजनक नहीं कि उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया।

पर यह लगता है कि राजा उस 15 वर्ष की कम आयु में भी एक साहसी चालक हो चुके थे। इस तरह से घर से निकाले जाने के बावजूद वे कायरता

दियाए, इसके स्थान पर इस काल को उहाने अपन बुद्धि का प्रशिक्षण-काल बना लिया। व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान की तलाश में घूमते रहे, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन ग्रीक, हीब्रू, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा सीखकर इस क्षेत्र के खजाने को लूटते रहे और शीघ्र ही इस अध्ययन से उहाने विश्वधर्म की एक उदबुद्ध विचारधारा का विकास किया।

लगभग दो वर्षों तक उन्हाने कम्पनी की सेवा में बिनाया पर बाद में कलकत्ता में ही रहकर उदारतापूर्ण कार्य करने में सारा समय दिया। उहाने दिल्ली के मुगल बादशाह का समयन करते हुए ब्रिटिशों से कहा कि वे उसे अपने पद और विशेषाधिकार का प्रयोग करते रहने दें। इसी कारण सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। 1831 में राजा ने इंग्लैंड की यात्रा सम्राट के पत्र-समयन के लिए की। इंग्लैंड में ट्रिस्टल में उनकी 27 सितम्बर, 1833 का मृत्यु हुई।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वे राजा राममोहन राय ही थे जिन्होंने "भारत में आधुनिक युग का प्रारम्भ किया।" राजनतिक क्षेत्र में, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, राजा व प्रथम भारतीय थे जिन्होंने देश के उत्थान के लिए सघष किया। राजनतिक दृष्टि से उनका विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश दबी वृषा से आ गये थे। भारत में उह एक विशेष उद्देश्य प्राप्त के लिए भेजा गया था इसलिए उह कहा तब तक रहना था जब तक वह उद्देश्य पूरा न हो जाए। वे इस पक्ष में थे कि भारतीयों को राजनतिक अधिकार प्राप्त हो पर साथ ही उनका यह भी कहना था कि उन्हें वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिसके योग्य ब ह। दूसरे शब्दों में वे भारत में सुधार के पक्षधर थे। पर उनका यह भी कहना था कि देश में इसके लिए आवश्यक राजनतिक स्थिति पैदा की जानी चाहिए। इसी कारण उहाने देश में अंग्रेजी शिक्षा का समयन किया। उनका विचार था कि इससे भारत से अंग्रेजों के उदार और प्रजातात्विक विचारों का प्रसार होगा। 1819 में उहाने भारतीयों को आधुनिक आधारी पर शिक्षा देने हेतु एक हिन्दू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। उहाने अलेक्जण्डर टफ और जान विल्सन को अंग्रेजी विद्यालय खोलने के लिए भी सहयोग दिया।

राजा ने भाषण और भाव की स्वतन्त्रता की लिए भी सघष किया। उहाने 1821 में प्रथम वर्नाक्युलर अखबार 'सवाद कौमुदी' प्रारम्भ किया और देश में इस तरह पहला प्रेस स्थापित किया। उहाने 1823 के प्रेस रेग्युलेशन की आलोचना की और इसके विरुद्ध कठोर सघष किया। इसके विरुद्ध उहाने उच्चतम 'यायान्त्य के समक्ष एक प्राथना पत्र भी दिया। सम्भवत उनके राजनतिक विचार प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक बकन और वेथम से प्रभावित थे। वे देश के तत्कालीन प्रशासकीय व्यवस्था में सुधार के लिए आतुर थे। वे पहले भारतीय थे जिनसे भारत के सवध में ब्रिटिश संसद ने परामर्श किया। उन्हाने ब्रिटिश

हाउस ऑफ कामर्स की एक सेलेक्ट कमिटी के समक्ष गवाही भी दी।<sup>1</sup>

राजा हिंदू समाज में सुधार करने के विशेष पक्षधर थे। उन्होंने एक बार घोषणा की, "जातिगत भेदभाव और वह भी उनमें भाग व उपभाग के कारण, उनकी राजनैतिक धारणा का लोप हो गया था। असह्य धार्मिक सस्कार और काय तथा लोगो को पवित्र बनाने की बनावटी कारवाई ने उह कठिन काय हाथ म लेने से विरत कर दिया था।" इसी कारण उन्होंने जाति के भेदभाव को मिटाने का समर्थन किया और उत्साहपूर्वक लाड विलियम बंटिक के सती प्रथा समाप्त करने की कारवाई का समर्थन किया। कट्टर हिंदुओं द्वारा उनके ऊपर आश्रमण किया गया पर वे अपने विश्वास पर अडिग बने रह। यहां तक कि कुछ कट्टर हिंदुओं ने जब प्रीवी कौंसिल के समक्ष सती प्रथा के समाप्त करने के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने स्वयं सती-प्रथा के समाप्त के पक्ष में मत दिया। उन्होंने नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया, विधवा प्रथा का विरोध किया और बहुविवाह को भी अमाय किया। वे कम आयु में विवाह के पक्ष में भी नहीं थे।

पर उनका सबसे बड़ा काय धार्मिक क्षेत्र में था। उन्होंने ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के महान पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रत्येक धर्म में एक तरह के सिद्धान्तों को पाया और उनमें समन्वय लाने की चेष्टा की। उन्होंने आधारभूत सत्य में विश्वास किया। इसी कारण वे ईसाइया के बीच में ईसाई और मुसलमानों के बीच में मुसलमान थे। पर वे हिंदुओं में एक वदाती के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आगे बढ़ते हुए भारत की नीति का समर्थन किया और "ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्पन्न की गई बगाल में बेहोशी की स्थिति"<sup>2</sup> से उबारा।

अपने विश्वास और आदर्श के प्रचार प्रसार के लिए राजा ने 1828 में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। समाज के सम्बन्ध में वे 0 टी० पाल ने लिखा है "भारत तब तक भारत नहीं होगा जब तक कि उसका राष्ट्रीय आन्दोलन धर्म के घरातल पर प्रारम्भ न हो। ब्रह्मसमाज का जन्म ब्रिटिश में सम्बन्ध का परिणाम था।" और पुन राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज "पश्चिम के विचार व परम्पराओं से प्रभावित भारतीय धार्मिक जीवन व दर्शन के प्रस्पृष्टीकरण का एक प्रयास था।" यह "पश्चिम की विचारधारा का प्रभाव के उत्तर का प्रथम सोपान था।"<sup>3</sup>

1 देखें पत्राव लेन्सले रिपोर्ट 1881 प० 533-34।

2 बही पत्र 21० बी० मरण माल माइन इंडिया, सिन्धु 1964 का भा ८९।

3 बनेरजे एन। इंडिया ए नेशन पृ० 72-73।

4 पाल के० टी० द ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया 1927, प० 39।



20 अगस्त, 1828 को राजा ने ब्रह्मसभा की स्थापना की थी जिस बाद में ब्रह्मसमाज के नाम से जाना गया। 23 जनवरी 1830 को इग आंदोलन के प्रथम मन्दिर की स्थापना हुई जिसमें सभी को पूजा का अवसर दिया गया। केशव चन्द्र सेन (1834-84) ने इस आंदोलन को देश के और क्षेत्रों में फैलाया। उन्होंने '1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की और 1867 में बम्बई में प्रायना समाज की स्थापना की।' एम० जी० रानाडे और सर आर० जी० मडारकर जिन्होंने बम्बई प्रेसीडेन्सी में सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में बहुत कुछ किया वे भी प्रायना समाज के सदस्य थे।<sup>1</sup>

इसके पूर्व कि हम समाप्त करें वैदिक के व्यक्तित्व और सफलताओं का विषय में दो शब्द आवश्यक हैं। वैदिक की सफलताओं के विषय में अलग-अलग तरह के मत व्यक्त किए गए हैं। पी० ई० राबर्ट्स ने लिखा है कि वैदिक "की तुलना उनके उत्तराधिकारी अति उदार गवर्नर जनरल रिपन से की जा सकती है।" पर उसके "चरित्र में कुछ सीमा तक वह माधुय और सौन्दर्य नहीं दिखाई पड़ता।"

एच० पी० प्रिसेप ने, जो वैदिक के निकट सम्पर्क में था, लिखा है, "वह परिवर्तन के लिए अति प्रेम दिखाता था एवं सत्याग्रह तथा परम्पराओं में जो चलती रहती होती थी उनमें हस्तक्षेप अवश्य करता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके कुछ परिवर्तन लाभकारी थे। पर वह चूँकि प्रायः परिवर्तन के लिए मामला में फँस जाता था इसलिए उसमें सुधार भी कर लेता था। पर वह सरकारी मशीनों को सही स्थिति में लाने के लिए बहुत सारा काय अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी छोड़ देता था।"<sup>2</sup>

जहाँ तक प्रथम तक की बात है हम कह सकते हैं कि पी० ई० राबर्ट्स में विलियम वैदिक के चरित्र का सम्भवतया अधिक निकट से अध्ययन किया था जिसके कारण उसने यह लिखा कि उसके चरित्र में "माधुय और सौन्दर्य का अभाव था।" पर वैदिक के उपरोक्त अध्ययन के बाद, एच० पी० प्रिसेप के तक की तक तक समझना कठिन है जब तक हम यह न जान ले कि प्रिसेप वैदिक का समकालीन था और उसके काल में प्रत्येक व्यक्ति वैदिक की तरह उदारवादी और दूरदर्शी नहीं था। हो सकता है उसने कुछ भूलों की हाँ कपाँकि मानव में वे सम्भव ही हैं। पर उस आधार पर हम उसके पूरे जीवन की भत्सना नहीं कर सकते। बल्कि इनके विपरीत हम कह सकते हैं कि मद्रास के गवर्नर की हैसियत से हो सकता है उसने

1 दवेँ रघुवशी जी० पी० एम इंडियन नेशनल मूवमेंट एण्ड दार्क प 27-31 शास्त्री शिवनाथ हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मसमाज )

2 राबर्ट्स पूर्वोक्त प० 300-01।

3 प्रिसेप ऑरीजिन ऑफ द सिख पावर इन पंजाब (1834) प० 224।

कुछ गलतियाँ की हो। जिसके कारण कुछ समकालीन लोगों का मस्तिष्क भ्रमित हो गया हो। पर भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में व प्रशासक के रूप में वह प्रशंसा का पात्र है क्योंकि वह जिस पर भी हाथ रखता था उसे सफलता के सोपान तक पहुँचा देता था जिसकी सफलता से सर्वोच्च मस्तिष्क वालों को भी ईर्ष्या हा जाती थी।

बैटिक की आर्थिक बचत की योजना और सुधार, उसकी सरकारी नौकरियाँ में भारतीयों की भर्ती की योजना जिससे दो लाभ हुए—एक धन की बचत तथा दूसरे भारतीयों की एक भाग की पूर्ति हुई, उसके याथिक सुधार जिसके फलस्वरूप कि यह प्रभावी ही नहीं हुआ बल्कि जन साधारण को भी यह सुलभ हो सका, भारत में उसके नवयुग का सूत्रपात करने वाले शैक्षणिक सुधार, प्राचीन भारत के चेहरे पर कालिख पोतने वाले ठगी तथा अय सामाजिक बुराइयों का दूर करने का उसका प्रयास—यह ऐसी कुछ बातें हैं जिसके लिए भारत को उसका ऋणी होना पड़ेगा। भारत में हम, हो सक्ता है उसकी शिक्षा नीति के लिए उसकी आलाचना करें, पर उसके आन्तरिक शासन में अय सब कुछ, यदि हम आधुनिक सफलताओं को अपना मापदण्ड न बना लें, प्रशंसनीय है।

विलियम बैटिक ने भारत 1835 में छोड़ा और उसका जीवन गाथाकार डेमेट्रियस सी० बूल्जर लिखता है कि, “20 माच को उसकी वापसी, जबकि भारत में सुधार के सब काय वह पूरा कर चुका था, और अब अगली पीढ़ी तक इस सम्बन्ध में कोई काय नहीं होना था, मद्रास की उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न था जबकि 1806 में उसे एकाएक वहाँ से हटा दिया गया था। सेवाओं में उसके हस्तक्षेप से जिन सुधारों ने कुछ को कष्ट पहुँचाया था वे भी अपने का यह कहने से नहीं रोक पाये कि उसने भारत में अच्छा काय किया है तथा हमारी सरकार के भारतीय प्रशासन के इतिहास में उसने एक युग स्थापित किया है।”

इंग्लैण्ड पहुँचने पर उसे ‘पीरेज’ प्रदान किया गया उसने जिसे लेने से इनकार कर दिया। ग्लासगो से वह उदारवादी के रूप में एम० पी० चुना गया। पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और 17 जून, 1839 में पेरिस में उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था।

हम विस्वाउष्ट मेरेसी के शब्दों में निष्कप रूप में यह कह सकते हैं, “बैटिक एक शानदार व्यक्तिगत जीवन वाला पुरुष था जिसने बिना किसी पारिनायिक की आशा के देश की सेवा की। अच्छे परिवार का होने के बावजूद उसके पास कोई

1 ये गलतियाँ तकनीकी थीं जिसमें उसके सहायकों ने किया था और उन उत्तरदायों बर्ताया गया था।

2. बूल्जर पूर्वोक्त, पृ० 202-03।

विशेष बौद्धिक योग्यता नहीं थी। पर तन्मय अनुभव ने सरकार चलाने के विषय में उसे पर्याप्त जानकारी प्रदान कर रखी थी जिस उसने उदार मस्तिष्क से प्रयुक्त किया। विचाराव सरक्षण में शुद्ध भाव रखने वाला शानदार ढंग में सहायक वैटिक के विषय में कहा जाता है कि उसने कोई भी कदम अपनी पत्नी से राय लिये बिना नहीं उठाया। क्लकत्ता के गवर्नमेंट हाइड्रोग म लटकने वाला गवर्नर जनरल का चित्र उसकी पत्नी ने ही बनाया।”<sup>1</sup>

## आकलैण्ड (1836-1842)

आकलैण्ड का लाड और अल जिनके वचन का नाम जाज एडेन था, वह 25 अगस्त, 1784 को वेकेनहेम में पैदा हुआ। उसका पिता आकलैण्ड का प्रथम लाड विलियम एडेन था और उसकी मा एलिनार सरगित्वट इलियट की पुत्री थी। भारत का गवर्नर जनरल लाड मिण्टो जाज का मामा था और उसकी सबसे बड़ी बहन छोट पिट की पत्नी थी। जाज को ईटन में शिक्षा प्राप्त हुई और उसके बाद क्राइस्ट चर्च में। मात्र 25 वर्ष की आयु में वह बुड स्टार से एम० पी० हो गया। यह जगह उसके बड़े भाई की मृत्यु से खाली हुई थी। 1810 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह लाड्स का सदस्य हो गया। 1830 में ग्रे के मन्त्रिमंडल काल में वह वोड आफ ट्रेड का प्रेसीडेंट बना दिया गया, 1834 में लाड मेलबोन के नेतृत्व में उसे ऐडमिरेट्टी का प्रथम लाड बना दिया गया और 1835 में उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया।

लाड विलियम बैटिक का उत्तराधिकार कम्पनी के एक अति योग्य कर्मचारी सर चार्ल्स मैटकाफ को सौंपा गया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय प्रेस के ऊपर से प्रतिबन्ध का हटाना था जिसके कारण वह स्थायी नहीं हो सका। उसे वापस बुला लिया गया और आकलैण्ड ने उसका स्थान ग्रहण किया।

“शांत, मितभाषी, शर्मीला, अच्छे स्वभाव व व्यक्तित्व से पूर्ण, बनावटीपन का विरोधी और नियमित कार्यालयीय कामों में रुचि लेने वाला लाड आकलण्ड स्वभाव और अनुभव से शांत काल के सभी कर्तव्यों के योग्य था।”<sup>1</sup> साथ ही वह युद्ध और विजया के लिए अत्यंत अकुशल था। उसने भारत के गवर्नर जनरल का पद 1836 में सम्भाला।

1 ट्राटर कप्टेन द अल आफ आकलण्ड, 1893।

### आन्तरिक सुधार

काला कानून—उसके शासितकाल के कायों में से प्रमुख उसकी कीसिल के कानून मंत्री मैकाले द्वारा बनाया गया वह कानून था जिसे भारत की युरोपीय जाति ने काले कानून का नाम दिया। इस कानून के पूर्व एक युरोपीय को अपना दीवानी मुकदमा मुकस्सिल या देशी यायालय में ले जाना होता था जिसकी अपील सदर अदालत या कम्पनी के ऊचे यायालय में करने की जगह पर उसे सम्राट के सुप्रीम काट में करने का अधिकार प्राप्त था। यह एक विचित्रता ही थी कि सदर अदालत जिम्मे 'यायाधीश ईस्ट इंडिया कम्पनी के चुने हुए सदस्य थे वे लाखा भारतीयों के लिए याय तो कर सकते थे पर थाडे से बसे हुए युरोपीयों के लिए नहीं। यायाधीश अत्यधिक योग्य, ईमानदार और कायक्षम थे और यदि ऐसा था तो इसका कोई आघार नहीं था कि क्या युरोपीय जातियों का मुकदमा वहां न निर्णीत हो।

ऐसी ही स्थिति को ठीक करने के लिए मैकाले ने उपरोक्त कारवाई की। भारत में युरोपीय जाति के लोग उच्चता के विशिष्टभाव से ग्रस्त थे। उह यह भला नहीं लगा। ऐसी आशा भी थी। उहने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और मैकाले को मालिया देनी प्रारम्भ की। उसे धूत, धोखेवाज झूठा और ज्ञासा देने वाला कहा गया। पर मैकाले साहस और दृढता से अपने रास्त पर चलता रहा। युरोपीय लोगों ने अपना आंदोलन स्थल कलकत्ता से इंग्लैण्ड के हाउस आफ कामंस में कर दिया जहां पर 1838 में एक जाच समिति की रचना इसके निमित्त हो गई। पर चूकि मलबोन मन्त्रिमंडल ने मैकाले की नीति का समर्थन किया था इसलिए विरोधी कुछ नहीं कर सके।

शिक्षा—आकलैण्ट के नेतृत्व में 'कमिटी आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शंस' के अध्यक्ष की हैसियत से मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम काय किया। इस क्षेत्र में आकलैण्ड का एक प्रमुख काय यह था कि उसने कुछ सरकारी विद्यालयों में कुछ वजीफा की व्यवस्था कराई जिसमें पढ़ने वाले भारतीयों को सुविधा हुई।

दूसरा महत्त्वपूर्ण काय यह था कि जनता की शिक्षा के लिए वर्नाकुलर को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कोट आफ डाइरेक्टस बार बार इसके पक्ष में अपना अभिमत व्यक्त कर रहे थे। मैकाले मन्त्रि ने इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हुए गवर्नर जनरल को एक घापणा-पत्र भेजा और पूछा कि इससे इस क्षेत्र में कैसे सफलता मिल सकती है। आकलैण्ड ने प्राइमरी विद्यालयों के लिए वर्नाकुलर को स्वीकार कर लिया और इस नीति को काय रूप में बदलने के लिए उस सीमा तक आदेश दे दिया जिस सीमा तक धन की कठिनाई न हो।

वैटिक ने कलकत्ता में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की। देश में औपधि-

विज्ञान की शिक्षा का प्रचार हो इसके लिए आक्लैण्ड ने मद्रास और बम्बई में भी ऐसे ही विद्यालय खोले। इस तरह जहाँ तक परिस्थितियों न सहायता की, शिक्षा के प्रसार के लिए आधारशिला रख दी गई।

इसके पूर्व ही वर्णित लांड बैटिक की 7 भाग के प्रस्ताव के फलस्वरूप कुछ भारतीय विद्यालयों को अनुदान देना रोक दिया गया क्योंकि वे केवल पूर्व की महत्त्वपूर्ण भाषाओं की ही शिक्षा दे रहे थे। इसके कारण इन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गम्भीर कठिनाइयाँ हुईं। भारत की कुछ ईसाई मिशनरियों के विरोध के बावजूद 1839 में लांड आक्लैण्ड ने यह घोषणा की कि सरकारी वजीफे अब इन विद्यालयों के छात्रों को भी प्रदान किये जायेंगे।

एक भयानक दुर्भिक्ष—1837-38 के जाड़े में दिल्ली से इलाहाबाद के दोआब क्षेत्र में एक ऐसा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा कि सारी भूमि भूरी, रेतीली और बेकार हो गई। लोगों का भूख पर इतना तक नियन्त्रण न रहा कि वे कूड़े, बचरे यहाँ तक कि सेना के घोड़ों की लीदों के दानों तक से पेट भरने के लिए आतुर रहने लगे। दुर्भिक्ष की भयानकता का अंदाज इसी से लगता है कि 8 लाख लोग भूख या बीमारी से मर गये।

आक्लैण्ड की सरकार ने सस्याओं द्वारा दान देने की प्रथा को प्रोत्साहित किया और सरकार के व्यय पर ही लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था की। आक्लैण्ड न इस मद में अपने पास से भी धन दान में दिया और उसकी नकल इस मामले में और लोगों ने भी किया।

दुर्भिक्ष की रोकथाम के लिए बंगाल के इंजीनियरिंग विभाग के कप्तान जान कोल्बेन ने आक्लैण्ड के समक्ष एक महत्त्वाकांक्षी सिचाई की योजना प्रस्तुत की। मेजर काउटले (बाद में सर प्रोवी काउटले के नाम से प्रसिद्ध) को भूमि की पैमाइश के लिए नियुक्त किया गया जिसके फलस्वरूप 1840 की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। कोट ऑफ डाइरेक्टस ने योजना को स्वीकार कर लिया और इसके तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तीन अच्छे अधिकारियाँ—ऐबट, बेकर और काउटले की एक समिति बनाई जिन्हें यह सन्तुष्टि देना था कि इस योजना को किस तरीके से आगे ले जाया जाय। प्रथम अफगान युद्ध ने योजना को खटाई में डाल दिया जिसके कारण इसका शेष भाग लांड हार्डिंग के काल में पूरा हुआ।

धार्मिक—आक्लैण्ड के समय के पूर्व कुछ भारतीय मंदिरों और धर्मदाओं का प्रबन्ध अंग्रेज अधिकारी करते थे। भारतीय त्योहारों पर ब्रिटिश फौज-परदेड करती व आदर व्यक्त करती तथा हिंदू देवी-देवताओं के समान ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से चढ़ावा चढ़ता। दुर्गा और जग नाथ को विशेष आदर प्रदान किया जाता। पर अब समय बदल चुका था। हिंदुओं को फुसलाने की आवश्यकता अब नहीं रही थी क्योंकि यह विभिन्न जातियों और धर्मों का देश था जिससे धमनिरूपेण

नीति की आवश्यकता थी। लाड आक्लैण्ड ने परिस्थिति का अनुभव किया और अप्रैल 1840 में आदेश प्रसारित किये गए कि मंदिरों की आय पुजारियों को एक प्रबन्ध समिति को सौंपी जायगी या किमी और उचित समझन को प्रमाण का जाएगा। यह भी कहा गया कि किसी भारतीय त्योहार के अवसर पर कर्मता की सना उपस्थित नहीं रहनी और न ही हिन्दू देवताओं को भेंट प्रदान की जायेगी। इस तरह अपने धर्म के मामला में लागू की स्वतंत्र कर दिया गया।

लाड आक्लैण्ड ने सौंप-यात्रा-कर भी समाप्त कर दिया जिसके कारण कर्णों के राजस्व में तीस हजार पाण्डेयों की हानि हुई।

मानव बलि—लाड आक्लैण्ड के समय में भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई मानव बलि की प्रथा के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। हिमालय के आस-पास के क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित थी। नीलगिरि के टोला और बजारों में, जहाँ पूरे देश में पशुओं का समूह लेकर घूमते रहते थे और अन्ध-बकीले, दम भयानक प्रथा को टिढ़ी दला से बचने सूखे समुक्ति और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, प्रातन में रखे हुए थे। कुछ बड़े जमींदारों और सामंतों ने भी इस प्रथा को प्रवृत्ति की बुराईया से बचने के लिए पाल रखा था। उदाहरणार्थ 1830 में बम्बई में मानव ने देवताओं को प्रसन्न कर अपने हित साधन के लिए 25 लोगों की मानव-बलि दिलाई। पूना में प्रति वर्ष एक व्यक्ति बलि चढ़ा दिया जाता था सत्तारा के राजा के यहाँ भी यह प्रथा थी कि यह जब भी प्रतापगढ़ जाता तो यह एक बुढ़िया की बलि देता।

यह प्रथा अलग अलग लोगों में अलग-अलग तरह की थी। प्लाट लोगों में, जहाँ उड़ीसा, मद्रास व बंगाल क्षेत्रों में फैले हुए थे, इस सम्बन्ध में रुचिकर प्रथा थी। इन लोगों का मुख्य पेशा शिकार था, वस ये घाड़ों-बहुत खेती-बाड़ी भी करते थे। बलि दिये जाने वाले उठा लाय गए होते थे, या कुछ मा-थापो के द्वारा अपने शेष बच्चों के भरण-पोषण के लिए बच दिये गए होते थे। इन्हें भेड़िया कहा जाता था। इन्हें गाव वाले पिला खिलाकर वर्षों खूब मोटा करते थे। जब आवश्यकता होती थी तो इनकी बलि दी जाती थी। ये बलि इसलिए देते थे जिससे तितर-बितर हुए वादल वापस आ जाए और पानी बरसाए।

फिलिफ उड्रफ लिखता है कि "यह सत्वार दो या तीन दिनों तक चलता था। शिकार को उदारता से मंदिरों पिलाकर एक धम्भे से बाध दिया जाता था। नाच होती थी और उसका माया धोया जाता था और आश्चर्यचकित करने वाली प्रार्थनाएँ होती थी। अलग अलग कबीलों में अलग-अलग तरह से लोग मारे जाते थे। एक परम्परा के अनुसार शिकार चाह पुरुष, स्त्री, लडका या लडकी कोई भी हो उसका बाल धम्भे से बाध दिया जाता और उसे एक कब्र के ऊपर सपाट टांग दिया जाता था दूसरी परम्परा के अनुसार उसको लकड़ी के गट्टर से

बाध दिया जाता था जो लोहे की एक नुकीली कीली पर घूमा करता था और गाव वाले उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार करते थे। बलि की हर विधि में शिकार के देह से मांस का टुकड़ा निकालकर खेतों में गाड़ दिया जाता था। जिस पानी से सिंचाई होती थी उसमें गड़े खम्भे पर इसे बाधा जाता था। पर बलि की प्रत्येक विधि में शिकार का मदिरा अवश्य पिलाई जाती थी।<sup>1</sup>

यह अपराध ब्रिटिशों की दृष्टि में पहली बार 1830 में आया। पर 1836 में लाड आकलैण्ड के समय में जब मद्रास के एक असैनिक कमचारी रसेल ने इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट भेजी तब स्पष्ट बातें सामने आईं। सरकार ने तुरंत कारवाई की। पर उसके प्रारम्भिक कदम सावधानीपूर्ण थे जिससे कि जनता की धार्मिक भावनाओं को आघात न पहुँचे। उड़ीसा की पहाड़ियों में कैप्टन कैम्पबल को भेजा गया जिसने समझा-बुझाकर बड़े धमकाकर इस भयानक बलि प्रथा को छुड़वाया। उसने लोगों से यह भी कहा कि अब वे मानव की जगह पर जानवरों की बलि दें और अपने देवताओं से अप्रसन्न न होने की विनती करें।

प्रारम्भिक कदम फूक फूक्कर रखने के बाद सरकार ने कठोर कदम उठाये और इस बीच हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। जब पूरा गाव मानव बलि देने के उत्साह में पागल हुआ रहता था और मानव का गला काटा जाने वाला होता था तभी सरकार कारवाई करती और यह बताती कि उसका उद्देश्य इस बुराई को समूल उखाड़ फेंकना है। इस तरह यह अपराध शीघ्र ही समाप्त होने लगा।

### भारतीय राज्यों से सम्बन्ध

लाड आकलैण्ड ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में कोई अभिवृद्धि नहीं की। भारतीय राज्यों के साथ उसकी नीति ब्रिटिश हित साधन की थी। इसके लिए वह ईमानदारी, कभी-कभी आक्रामक अथवा बनावटी और क्रूर नीति भी अपनाता था।

अवध—अवध के साथ उसके सम्बन्ध हमारा विशेष ध्यान आकृष्ट करते हैं। 7 जुलाई 1837 को अवध के नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। सम्भवतः उसे उसकी दत्तकी मा बादशाही बेगम ने इसलिए विध्वंसित किया था क्योंकि उसने उसके लड़के मुन्नु जान को नहीं अपनाया था। उसकी मृत्यु के बाद अवध में ब्रिटिश रेजीडेण्ट जान लो न मुस्लिम कानून के अनुसार अधिकारी नवाब के चाचा को गद्दी दिलाने की चेष्टा की। पर बेगम ने उसके अधिकार प्राप्ति का विरोध किया। इस पर ब्रिटिश सेनाएँ बुला ली गईं और बेतावनी के बाद गालाबारी प्रारम्भ कर दी गई। लगभग 40 विरोधी तुरंत मार डाले गये और शेष भाग घड़े हुए। बेगम को अपने नामित व्यक्ति सहित कैद कर लिया गया और दोनों



को चुनार में कैद कर लिया गया। ब्रिटिश समय में मुहम्मद अली को गद्दी प्रदान की गई। इसके बदन में उसने लो द्वारा तैयार किया गया एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटिशों के साथ भविष्य में किसी भी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

शीघ्र ही संधि की शर्तें तैयार की गईं। नये नवाब ने अपमानस्वता से ही सही इसपर हस्ताक्षर कर दिया जिसके फलस्वरूप 1801 की बेलजली की संधि पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। नवीन संधि ने भूतकालीन बुराइयाँ को समाप्त करने के नाम पर राज्य के राजस्व पर कुछ बोझ डाला जिसके फलस्वरूप बुराइयाँ घटने की जगह पर कुछ बढ़ ही गईं।

संधि के अंतर्गत निश्चित हुआ कि अबध में नवाब अपनी ही एक लाख साठ हजार पौण्ड वाफिक के व्यय पर दो रेजिमेण्ट घुड़सवारों, पाच पैदल और ब्रिटिशों के नतत्व में अनुशासित और संगठित दा बटारिया रखेगा। इस सेना का प्रयोग "साधारण राजस्व बसूली" के लिए नहीं लिया जाएगा। संधि में यह भी तय हुआ कि यदि अबध का कोई जिला आतक और कुशासन में फसा तो उसे अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में सौंप दिया जाएगा। वहाँ के राजस्व का बचा हुआ भाग क्षेत्र की जनता के हित में व्यय किया जाएगा और उसके बाद जा बचेगा उसे नवाब के खजाने में भेज दिया जायेगा।

संधि का तकपूण आधारों पर नहाना स्पष्ट है। ब्रिटिश सेना पर व्यय के लिए नवाब को राजस्व और आय करों में वृद्धि करनी पड़ी। धन का अभाव कायसम प्रशासन के लिए एक समस्या था जबकि दूसरी ओर अधिक कर देने वाली जनता की ओर से शोर शराबा अलग से मच जाता था। इसका मूल परिणाम अव्यवस्था, आतक और कुशासन था जिसके फलस्वरूप प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ जाता था।

नवाब पर आकलण्ड द्वारा आरोपित इस कठोर तथा तकहीन संधि का लोने विरोध किया। उसका कहना था कि इससे भूतकालीन बुराइयाँ दूर होने के स्थान पर स्थिति की विकरालता में वृद्धि होगी। कोट ऑफ डाइरेक्टस ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। 1839 के डिस्पैच में उसने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और इसकी सूचना तुरंत नवाब को भिजवाने के लिए कह दिया। पर आकलण्ड इस संधि की तकपूणता के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं था। वैसे तो उसने नवाब को सूचित कर दिया कि वह सहायक सना रखने से मुक्त हो गया है पर साथ ही उसने उससे यह भी कह दिया कि संधि की कुछ शर्तें अब भी लागू हैं। कोट ऑफ डाइरेक्टस को भी इस मामले में धोखे में रखा गया।

ट्रायल ने लिखा है कि "लाड आकलण्ड के सचवाई को छिपाने की रीति ने भारत में उसके देशवासियों को भी गलतफहमी में रखा तथा साथ-ही साथ इंग्लैण्ड

के लोग का भी जानकारी नहीं प्रदान की। न तो 1847 में लाड हार्डिंज और 1854 में बनल स्लीमैन यह जान पाय कि यह सधि बेकार हो चुकी है। इस सत्यता की खोज लाड डलहौजी ने की जिसे उस काल के कौंसिल सदस्य लो ने स्वयं जाना। इस सम्बन्ध में इण्डिया हाउस को सूचना भेजी गई कि लाड आकलैण्ड ने किसी सीमा तक अपने अधिकारिया की आज्ञा की अवहेलना की थी।<sup>1</sup>

सतारा—शिवाजी के वंश के एक युवा प्रतिनिधि को लाड हेस्टिंग्स ने 1819 में गद्दी दिलाई। 1822 में युवा महाराज वयस्क होकर स्वयं शासन की देख रेख करने लगा। पर शीघ्र ही उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह गोवा के पुर्तगालिया और वरार के पदावनत राजा अण्णासाहब के साथ मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध पडयत्न कर रहा है। यह आरोप लगाया गया कि उसकी इच्छा ब्रिटिशों से मुक्त होना की थी। इसके लिए उसको कई बार चेतावनी दी गई पर वह रास्ते पर नहीं आया।

1839 में बम्बई के गवर्नर सर जेम्स कार्ले ने पडयत्नों के प्रमाण सहित राजा से अपनी गलतिया की स्वीकारण को कहा तथा यह चाहा कि वह भविष्य में अच्छे व्यवहार का आश्वासन दे। ऐसा न करने पर उसको इसका कुफल भोगने की तैयार रहने को कहा गया। चूँकि राजा ने इसका विरोध किया इसलिए आकलैण्ड ने एक घोषणा के माध्यम से उसे पद से हटा दिया। उसे कद करके बनारस जेल में भेज दिया गया और उसके भाई शाहजी को गद्दी दे दी गई।

राजा के समयको न भारत में गवर्नर जनरल के विरुद्ध आवाज बुलन्द की। इण्डिया हाउस के समक्ष भी इस मामले को लाया गया। 1845 में ह्युम ने ससद में यह प्रस्ताव पेश किया कि इस मामले की ससदीय छानबीन की जाए। फिर इस मसले पर जब मत पडा तो ह्युम का मतब्य पूरा नहीं हुआ।

सिधिया—महाराज जनकीजी सिधिया का आकलैण्ड के साथ अच्छा सम्बन्ध था। उसने आकलैण्ड की इच्छानुसार ग्वालियर सेना में सुधार करना स्वीकार किया और इसके बदले में आकलैण्ड ने 1837 में खानदेश के वे दो जिले वापस कर दिये जो दौलतराव के समय में ले लिये गये थे। ठगों के दमन में और इसी तरह के अनेक कार्यों में महाराजा ने ब्रिटिशों का भरपूर समर्थन किया। 1838 में जब एक नेपाली प्रतिनिधि मडल अंग्रेजों के विरुद्ध उससे मिलने आया तो उसने उसे निकाल दिया। जब आकलैण्ड ने पेशावर के दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो सिधिया ने अपने दरबार में अफगान राजदूत को कैद कर लिया।

आकलैण्ड महाराजा की स्वामिभक्ति से अति प्रसन्न था और इसी को ध्यान में रखते हुए शिमला से वापसी के समय 1840 में उसने ग्वालियर में कुछ दिन

निवास किया।

**इंदौर—**इंदौर का हरिराव होल्कर अकायक्षम हो गया था। उसका युववध के आधार पर आक्लण्ड ने यह चेतावनी 1837 में महाराजा को दी कि वह अपने यहां की स्थिति ठीक कर ले अन्यथा ब्रिटिश स्वयं उसके राज्य का शासन भार सभाल लेंगे। इस चेतावनी का प्रभाव हुआ और राजा ने बिजली की गति में स्थिति ठीक की। प्रशासन में सुधार हुआ और आक्लण्ड ने इसके लिए उसे बधाई दी।

**कन्नूल—**कन्नूल के नवाब के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने 1838 में ब्रिटिशों के विरुद्ध पड़्यत्र किया। मद्रास के सैनिकों ने आगे बढ़कर नवाब को बंदी बना लिया। उसे त्रिचनापल्ली भेज दिया गया जहां जल्दी ही उसे एक कट्टर मुसलमान ने मार डाला। उसके परिवार को पेंशन दे दी गई, उसका राज्य छीन लिया गया जिसे विद्रोह के बाद 'रेग्युलेशन' नियम के अंतर्गत रखा दिया गया और इसे मद्रास प्रेसीडेंसी का एक कलेक्टोरेट बना दिया गया।

**निजाम—**बेटिक ने निजाम द्वारा अपना शासन स्वयं चल्तान के अधिकार को माय किया था। आक्लण्ड के काल में निजाम के राज्य में पर्याप्त अव्यवस्था व्याप्त थी। पर इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सका। इसी बीच अफगान-युद्ध छिड़ गया और आक्लण्ड को उधर की ओर ध्यान देना पड़ा।

### प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध

आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल-अफगान सम्बन्ध एक अति नाटकीय अध्याय के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इंग्लण्ड और रूस के साम्राज्यों के बीच अफगानिस्तान का राज्य था जिसने ब्रिटिशों के अजेयता की शक्ति को जड़ से हिला दिया था और विश्व को दिखा दिया था कि एक स्वतंत्रता प्रेमी देश उत्तम सैनिक शक्ति वाले देश के विरुद्ध भी बचा कर सकता है।

पर दुर्भाग्य से बहादुर और दृढ़ अफगान जाति उस घुराई का शिकार भी थी जो ऐसे लोगों में द्रष्टव्य है। यदि किसी विदेशी शक्ति के लिए उन्हें जीतना और उनपर शासन करना कठिन था तो साथ ही किसी आंतरिक शक्ति के लिए उन्हें एक बनाय रखना भी सरल नहीं था क्योंकि वह उन्हें समकित, अच्छे तरह से अनुशासित, राज्य के प्रति जानाकारी नहीं बना सकती थी। आंतरिक संघर्ष और असनिद्ध युद्ध उनका चरित्र था। कोई आक्षेपक व्यक्तित्व ही उनकी परम्परा वादिता पर नियंत्रण करके उसे सामान्य हित में प्रयाग में ला सकता था। पर यह भी अल्पकाल के ही लिए संभव था। अफगानों की आपसी ईर्ष्या की ज्वाला सदा प्रज्वलित रहती थी।

इस युद्ध की परिस्थितियों के ज्ञान के लिए हम 18वीं सदी के अंत के प्राप्त

विवरणों को संक्षेप में देखना पड़ेगा। हमें यह मालूम है कि अहमदशाह द्वारा स्थापित अफगानिस्तान का महत्त्वाकांक्षी साम्राज्य पतनवत होने लगा था। तैमूर-शाह (1773-1793), जमानशाह (1793-1800) और महमूदशाह (1800-1803) सभी शासक कूटनीति में पिछड़े और अवायकक्षम थे। 1803 में गद्दी प्राप्त करनेवाला शाहशुजा भी कोई बेहतर शासक नहीं था। इन सभी अफगान शासकों के कान में आंतरिक विद्रोह और अव्यवस्था व्याप्त रही। 1809 में सिखों और अंग्रेजों के बीच जब संधि हुई तभी एलफिस्टन ने शाहशुजा से संधि भी की। पर अभी एलफिस्टन ने पेशावर छोड़ा भी नहीं था कि शाहशुजा के भाई महमूदशाह ने का धार पर अधिकार कर लिया और नीमला में शाहशुजा को पराजित कर उसे अफगानिस्तान से बाहर ढकेल दिया।

इसके बाद वहाँ एक लम्बा आंतरिक संघर्ष प्रारम्भ हुआ। पहले तो महमूदशाह के परिवार—सदोजाई परिवार में यह संघर्ष प्रारम्भ हुआ और बाद में सदोजाई एवं बडकजाई परिवारों के बीच। अंततः बडकजाई लोगों ने सदोजाई लोगों को पराजित कर दिया और पूरा देश आपस में बांट लिया। परिवार के सबसे योग्य व्यक्ति दोस्त मुहम्मद ने गजनी और काबुल पर अधिकार कर लिया, कोहिनदिल खाँ ने का धार पर कब्जा कर लिया और सुल्तान मुहम्मद ने पेशावर पर। महमूदशाह के पाम केवल हेरात रह गया। सिख सेना ने जब पेशावर पर अधिकार कर लिया तो उसने सिखों के समक्ष समर्पण कर दिया।

साधन विपन्नता, स्वतंत्रताप्रिय जनता और फैले हुए पहाड़ियों के कारण उन क्षेत्रों में प्रवेश कठिन था। इस कारण ब्रिटिशों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करने की बड़ी आशा नहीं थी। पर टुकड़ों में बटे और आंतरिक संघर्ष में पड़े अफगानिस्तान से रूस जैसे देश के किसी भी दल को समर्थन देकर हस्तक्षेप की आशा बढ गई थी। इसी बात से भारत में अंग्रेज बहुत घबराते थे।

जब आकलैण्ड भारत पहुँचा तो अफगानिस्तान में स्थिति भयावह थी। अफगानिस्तान के मुख्य भागों का शासक दोस्त मुहम्मद था। पर उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। "उत्तर में बलख में विद्रोह चल रहा था, दक्षिण में उत्तवा एवं भाई का धार में उसके विरुद्ध डटा हुआ था, पूर्व में उत्तरे रणजीत सिंह परेशान कर रहा था जिमकी पच्छिमी में शाहशुजा और ब्रिटिश थे, पश्चिम में महमूदशाह था और हेरात में था कामरान। फारस छिपकर पडपत्र कर रहा था और रूस दूर से यह सब देख रहा था।" उसकी कठिनाइयों में यह वृद्धि भी हो गई थी कि शाहशुजा रणजीत सिंह के हाथ अपने प्रसिद्ध कोहिनूर के छिद्र जाने के बाद ब्रिटिशों के संरक्षण में चला गया था और उनसे पचास हजार रुपये की पैमानों भी लेकर नुधियाना में रह रहा था। वह अबले ही यह दाँव निधाना नहीं भुगत रहा था बल्कि अफगानिस्तान का पुराना अधिपति जमानशाह भी उगी की स्थिति में

था। ब्रिटिश उनकी सहायता कोई उदारता के कारण नहीं कर रहे थे। 1765 में घुमक्कड़ शाहआतम से कताइव ने दोवानी का अधिकार प्राप्त किया था जिसके आधार पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। और ब्रिटिश और रणजीत सिंह इन भूतपूर्व अफगान शासकों से दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध कोई लाभ न उठाएँ, इसकी आशा नहीं थी।

अफगान गद्दी पर शाहशुजा का विठान के बड़े प्रयास इसके पूर्व हुए थे। रणजीत सिंह ने इसमें अत्यधिक रुचि दिखाई थी जिसके बड़े कारण थे। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण यहाँ आवश्यक है। डेरा गाजी खा का छाड़कर रणजीत सिंह का अटक के आगे के किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। पेशावर पर उसका अधिकार भी संदेहपूर्ण था। सिंध नदी के तट पर अटक से रावलपिंडी की सीमा तक युसुफजाई अशांति पैदा किये हुए थे जिससे महाराजा की कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। डेरा इस्माइल खा में भी उसके स्वत्व को ठीक से नहीं स्वीकार किया गया था। और अतः अफगानिस्तान की अव्यवस्था भी उसके लिए चिन्ता की बात थी। रणजीत सिंह के लिए इन सभी समस्याओं का समाधान यह था कि अफगानिस्तान पर उसी का समर्थित कोई व्यक्ति शासक हो। इसी कारण अफगान-गद्दी के लिए वह शाहशुजा का समर्थन कर रहे थे। यदि सिख सैनिकों की सहायता से शाहशुजा को अफगान-गद्दी मिल जाती तो उत्तर पश्चिम में सिख हिता की रक्षा की जाशा थी। इसीलिए 1826 में रणजीत सिंह ने शाह की सहायता करने को कहा। पर चूँकि ब्रिटिशों ने इस योजना का स्वीकृति नहीं दी इसलिए शाह ने इसे स्वीकार नहीं किया। शाह को सिखा पर विश्वास भी नहीं था। पुनः 1829 में और फिर तीसरी बार 1830 में सिख और शाह के समुक्त प्रयास की चेष्टा सफल नहीं हो पायी। पर 1832 में सिखा की सहायता से शाह की सना के अफगानिस्तान में प्रवेश की योजना पक्की हो गई। मध्य पूर्व में बढ़ते रूसी खतरे को देखकर ब्रिटिशों ने भी इस योजना को स्वीकृति दे दी। शाह ने अफगानिस्तान में अपनी सेना घुसेड़ दी। पर चूँकि दोस्त मुहम्मद उससे बहुत शक्तिशाली था इस कारण युद्ध में पराजित होने के पूर्व ही वह भाग खड़ा हुआ। पर शाहशुजा का दोस्त मुहम्मद के लिए खतरा अब भी टला नहीं था। इस सम्बन्ध में विवरण आगे है।

अफगानिस्तान में जब यह स्थिति थी तब लार्ड आक्लैंड भारत का गवर्नर जनरल होकर आया। दोस्त मुहम्मद ने यह सोचकर कि नया गवर्नर जनरल, हो सकता है उसके प्रति बेहतर नीति अपनाय, उसके पास मई 1836 में एक पत्र लिखा और उसको उच्च पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। इस पत्र में उसने अपनी कठिनाइयाँ बताईं सिख समस्या का विवरण दिया और यह आशा व्यक्त की कि इन कठिनाइयों को दूर करने में वह उसकी सहायता करेगा। उसने रणजीत सिंह से उस पेशावर दिलवाने का भी आग्रह किया। पर उसे जो उत्तर मिला, वह

निराशाजनक था। लाड आकलैड ने लिखा, "मित्त, तुम्हे यह भाले है कि ब्रिटिश सरकार की नीति स्वतंत्र राज्यों के कारवाइयो मे हस्तक्षेप की नहीं है।"

इस तरह निराश दोस्त मुहम्मद को अपनी समस्याओ के समाधान के लिए अय तरीका अपनाना पडा। उसने एक ओर तो फारस के शाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दूसरी ओर अपने पुत्र अकबर खान के नेतृत्व मे एक सेना पेशावर सिखो से छीनने के लिए भेजा। प्रथम बात के लिए तो वह उतना गम्भीर नहीं था क्यकि उसे अफगानिस्तान के विरुद्ध फारस के महत्वाकांक्षा का ज्ञान था। फारस के रूस के प्रभाव मे होने के कारण उसे यह ज्ञात था कि ब्रिटिश उसके शत्रु हो जाएगे। साथ ही वह यह भी जानता था कि रूस से भी कम खतरा नहीं था क्यकि मध्यपूव क्षेत्र मे उसकी भी क्षेत्रीय आकांक्षा कम नहीं थी। इस कारण फारस से उसका मन्त्री के लिए हाथ बढ़ाना मात्र एक कूटनीतिक चाल थी। पेशावर-प्राप्ति के लिए सिखो के विरुद्ध उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। इस तरह इस विधि से भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ जिससे वह अनावश्यक विवाद मे फस गया।

**बर्न का व्यापारिक शिष्टमंडल**—इसी बीच ब्रिटिशों के लिए भी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आग्ल रूस सम्बंध खराब हो गए और मध्यपूव में बढ़ती रूसी महत्वाकांक्षा तथा पामस्टोन की शक्तिशाली रूस-विरोधी नीति ने गृह सरकार को अतत कोई कारवाई करने को बाध्य किया जिससे कि रूसी विस्तारवाद सफल होकर भारत के दरवाजे को खटखटाने न लगे। नवम्बर 1836 में लाड जाकलैड ने बर्न के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल काबुल भेजा। बर्न तो इस शिष्टमंडल का घोषित उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की संभावनाएँ खोजना था, पर सच्चाई में इसका उद्देश्य पूणतया राजनैतिक था। 6 जनवरी, 1838 के लाड आकलैड के पत्र से यह बात सिद्ध हो गई। व्यापारिक एजेंटों के वेश में राजनैतिक खेल खेलने के लिए यह पद्धति अपनाने की राय आकलैड को सर जान मैलकाम ने दी। यह भी कहा जाता है कि आकलैड न बर्न को व्यापारिक शिष्टमंडल में अपन उत्तरदायित्व पर भेजा। पर यह सही नहीं है। जून 1836 को डाइरेक्टरो की गुप्त समिति के एक प्रेषण से, जो 1894 में जान रसेल काल्विन द्वारा प्रथम बार प्रकाश में लाया गया, यह स्पष्ट हो गया कि यह राय डाइरेक्टरो की ओर से पहले आई और इसके परिणामों के लिए मात्र आकलैड को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इस प्रेषण में स्पष्ट रूप से आकलैड को निर्देश दिया गया, "क्या कदम सही और अपेक्षित है इसका निणय आप ही करें, अभी तक जो दृष्टि इस ओर रखी जाती थी उससे अधिक सतकता में उस ओर देखें, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका प्रतिरोध करके रूसी प्रभाव घटाए क्योंकि हमारे पड़ोस में यदि यह प्रभाव बढ़ गया तो फिर घटेगा नहीं।"

## 2 आधुनिक भारतीय इतिहास—एक प्रगत अध्ययन

इस समस्या के समाधान की विधा की बात है हम चाह तो दोस्त मुहम्मद के । काबुल एक गुप्त दूत भेजकर वहाँ से गुप्त सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं, या चाह तो शासक से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं या प्रारम्भ में मात्र पारिवर्तिक सम्बन्ध रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं । हम इन आप पर छोड़ते हैं आप जिस रीति से चाह अफगानिस्तान के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करें । हम तरह हस्तक्षेप निश्चित रूप से आवश्यक है चाहे इससे उस क्षेत्र में फौजनवाला । सी प्रभाव घटे और चाहे रूसी हस्तक्षेप कम हो ।”

आकवोल्ड लिखता है कि सच में आकवोल्ड “न दूसरे के विचारों को आधार । कर कारवाई की । यदि वह अपने विचारों के आधार पर काम कर सका । तो वह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होता ।”

वस अपने की पूर्णतया व्यापारिक दूत बतताए हुए सिंध से होकर पंजाब नाव । हुचा तथा वहाँ से पेशावर पार करता हुआ सितंबर 1837 में काबुल पहुँचा । त मुहम्मद ने उसका शानदार स्वागत किया । दास्त मुहम्मद और ब्रिटिशों के । संधि के लिए वार्ता प्रारम्भ हुई । अभी किसी निष्पक्ष पर नहीं पहुँच पाये । के वस के शिष्टमन्त्र के राजनैतिक स्वरूप का विवाद जोर पकड़ गया । 09 में ब्रिटिशों ने फारस से एक संधि की थी जिसके अनुसार उन्होंने रूस से । से विरोध होने पर उनकी सहायता का आश्वासन दिया था । पर जब 1826 । इसने फारस पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने आश्वासन पूरा करने से इनकार । दिया जिसके फलस्वरूप उसे 1828 में रूस से तुर्कोमानचाई की संधि करनी । पड़े । विद्वान केयी के अनुसार फारस को तुर्कोमानचाई रूस का देना पड़ा । पर । स्या ब्रिटिशों के लिए तब परेशानी की हो गई जब नवम्बर 1837 में फारस । शाह मुहम्मद मिर्जा ने हरात पर घेरा डाल दिया । और चूँकि फारस रूस के । त्वण में था इसलिए यह समझा गया कि यह अफगानिस्तान में रूसी महत्वाकांक्षा । प्रतीक है ।

मध्य एशिया की समस्याओं के प्रति दोस्त मुहम्मद अनदेखी नहीं कर रहा । । इसलिए हेगट पर होनेवाले घेरे की समस्या को गम्भीरता से न लेकर वह । न का और शक्तिशाली बना रहा था । उसने अति इच्छा से ब्रिटिशों से संधि । ना स्वीकार किया, पर इसके लिए उसने दो शर्तें रखी । प्रथम तो यह कि । शो से पेशावर वापस दिलान में वे उसकी सहायता करेंगे और द्वितीय वे फारस । काबुल या कांधार पर आक्रमण के समय उसकी सहायता करेंगे । ब्रिटिश दूसरी । ता मान सकते थे पर वे पहली शर्त कस मानते ।

बन ने दोस्त मुहम्मद के विचारों से आकलैण्ड को परिचित कराया। उसने उसमें अपना यह मत भी जोड़ा कि यदि ब्रिटिश रणजीत सिंह के ऊपर कुछ दबाव पेशावर छोड़ने के लिए डालें तो संभवतः वह मान जाय। उसके अनुसार रणजीत सिंह की सिंध उम पार की नीति के कारण उसे धन और जीवन दोनों की हानि उठानी पड़ रही थी और कूटनीति के सहारे इस समस्या का निदान दोस्त मुहम्मद के पक्ष में किया जा सकता था। पर वस के तक आकलैण्ड को नहीं भाये क्योंकि वह यह जानता था कि रणजीत सिंह सतलज के इस पार के क्षेत्र तथा सिंध में ब्रिटिश-आक्रामक नीति से अप्रसन्न था। यदि अब ब्रिटिश उसे पेशावर अफगानिस्तान को वापस करने की बकालत करते तो रणजीत सिंह के सहिष्णुता का भाड़ा फूट सकता था। इसके अतिरिक्त यदि दोस्त मुहम्मद को पेशावर वापस दिलाने में सहायता की जाती तो भी उसकी मित्रता के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता था। आकलैण्ड सिखों की मित्रता का बलिदान अफगान की जविश्वस्त दोस्ती के लिए नहीं करना चाहता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि पेशावर को लेकर सिखों और अफगानों की समस्या का समाधान हो जाय क्योंकि ऐसा होने पर उत्तर-पश्चिम में फर्मी सिख सेना भारत की ओर आ जाएगी जिससे वह ब्रिटिशों के विरुद्ध बहादुर हो जायगा और अपनी सारी सैनिक शक्ति उनके विरुद्ध लगा देगा। इस कारण इन परिस्थितियों में ब्रिटिश मान यह चाहते थे कि दोस्त मुहम्मद फारस और रूस से अपना सम्बन्ध तोड़ ले। पर इसके बदले में वे उसकी इस स्थिति से उत्पन्न शत्रु देशों से उसकी रक्षा करने को भी तैयार नहीं थे और नहीं पेशावर सिखों से उसे दिलाने को तैयार थे।

इस तरह जब इन प्रस्तावों के प्रति ब्रिटिश नीति स्पष्ट होती गई तो दोस्त मुहम्मद की ब्रिटिशों के प्रति मित्रता कम होती गई। रूस का एजेंट विक्टोरिच काबुल में उपस्थित था। प्रारम्भ में दोस्त मुहम्मद ने उसके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया था पर अब उसने उसको बुलाया और विशेष आदर प्रदान किया। बन के शिष्टमंडल का उद्देश्य जब पूरा नहीं हुआ तो वह 26 अप्रैल 1838 को भारत वापस लौट आया।

इस बीच इस सबके प्रति प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही। अपन 12 मई, 1838 के मिनिट में उसमें स्थिति का आकलन किया और बनाया कि वर्तमान स्थिति में ब्रिटिशों के समक्ष तीन ही रास्ते हैं। प्रथम अफगानिस्तान और फारस को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए और ब्रिटिशों का अपनी शक्ति सिंध क्षेत्र में केन्द्रित करनी चाहिए। द्वितीय, काबुल और कांधार के अमीरों की आर्थिक सहायता की जानी चाहिए और अफगानिस्तान को रूस की महत्वाकांक्षा का व्यवधान म्यल न बनाया जाना चाहिए। और तीसरे, रणजीत सिंह को शाहशुजा के नतत्व में एक सेना तैयार करके अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए



प्रोत्साहित करना चाहिए। इन तीन बातों में यदि प्रथम बात को स्वीकार किया जाय तो पहले से चली आ रही नीति समाप्त हो जाती जिसका अर्थ होता मध्य-एशिया में ब्रिटिश नीति की राजनयिक हत्या। दूसरी नीति का अनुगमन किया गया था पर वह सफल नहीं रही थी। अब केवल तीसरा रास्ता ही शेष बचता था जिसका अनुगमन लाड आकलड का करना था। इस सम्बन्ध में गृह अधिवारियाँ को सन्तुष्टि भेजी गई और स्वीकृति प्राप्त की गई।

**त्रिपक्षीय संधि**—जसाकि बताया जा चुका है शाहशुजा ने 1832 में अफगान गद्दी प्राप्त करने के लिए चेष्टा की थी, पर वह सफल नहीं हुआ था। इस असफलता का एक कारण ब्रिटिशों एवं रणजीत सिंह द्वारा की गई आधे मन से सहायता थी। बदली हुई परिस्थितियों में ब्रिटिशों ने स्वयं यह कार्य अपने हाथ में लिया और ब्रिटिशों, सिखा और शाहशुजा के बीच एक त्रिपक्षीय संधि की व्यवस्था की जिससे शाहशुजा को अफगान गद्दी प्राप्त हो सके। इस संधि की शर्तें यह थी कि (1) शाहशुजा और उसका उत्तराधिकारी भविष्य में सिंध नदी के दाना तटा के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं जताएगा और पेशावर पर रणजीत सिंह का अधिकार स्वीकार किया जायेगा। (2) तीनों शक्तियों में किसी भी एक के क्षेत्र में भगोडे की शरण नहीं देंगे। (3) रणजीत सिंह को अपने फतेहगढ़ के किले में खंवर के नाला से पानी लेने की छूट दी जाएगी। (4) महाराजा का क्षेत्र जहाँ सिंध का छूटा था वहाँ को सिंध नदी पर उनका अधिकार होगा। (5) अंग्रेजों और सिखा के बीच सिंध के विषय में जो समझौता हुआ रहगा उसे शाहशुजा स्वीकार करेगा। (6) तीनों आपस में एक दूसरे के साथ सम्मानता का व्यवहार करेंगे। (7) अफगान व्यापारियों को लाहौर और अमृतसर से व्यापार करने की अनुमति होगी और रणजीत सिंह उनके लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा तथा अपने क्षेत्र से शाली और चावल को बाहर भेजने की आज्ञा देगा। (8) जब दा देशों के सैनिक आपस में मिलेंगे तो वे मवेशियों की हत्या नहीं करेंगे। (9) अफगानिस्तान और पंजाब जल्दी जल्दी शिष्टमंडल का जादान प्रदान करेंगे। (10) आतंक अशांति और बाह्य खतरे की स्थिति में दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। (11) एक का शत्रु अन्य दो का भी शत्रु माना जायेगा। (12) काबुल की गद्दी शाहशुजा को दिलाने के लिए रणजीत सिंह 500 सैनिकों की व्यवस्था करेगा और इसके बदल में दो लाख रुपये प्राप्त करेगा। (13) ब्रिटिशों और सिखा की अनुमति के बिना शाहशुजा किसी विदेशी शक्ति से सम्बन्ध नहीं रखेगा। वह अपने क्षेत्र अफगानिस्तान होकर किसी विदेशी सेना को नहीं जाने देगा। (14) हेरात स्वतंत्र रहेगा और (15) काबुल में शाहशुजा के पास एक राजदूत भेजा जायेगा।

ऐसा विचार किया गया कि ब्रिटिश शाहशुजा की सहायता के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। बल्कि इसके स्थान पर वे उसे कुछ सहायता करेंगे जिससे

सेना तैयार की जा सके। ब्रिटिश अधिकारी शाह की सेना को निर्देश हेतु भेजे जाएंगे। रणजीत सिंह अपनी सेना अलग से अपनी योजनानुसार इस काय के लिए भेजेगा। जैसाकि डॉक्टर आर० आर० सेठी का विचार है कि दूसरे शब्दा में ब्रिटिशों ने "शाह के लिए संधि में धन की सहायता से अधिक, ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी सेना से अधिक और एजेंटों ने सेना का साथ देने से अधिक की नहीं सोचा।"<sup>1</sup>

य सभी शर्तों महाराजा के स्वीकार करने योग्य थी। पर बाद में जब उससे यह स्पष्ट किया गया कि उसकी शिकारपुर पर अधिकार की चेष्टा को स्वीकार नहीं किया जायेगा, सिंध सभी तीन शक्तियाँ स्वतंत्र रहेगा और जलालाबाद पर उसे अधिकार करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी, और इस सबके अतिरिक्त जब ब्रिटिशों ने शाह के समर्थन के लिए सेना भेजना का निणय किया तो रणजीत सिंह को संधि में कुछ दूसरी चीजें दिखीं और उसने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। पर जब ब्रिटिशों ने अकेले ही संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा तो महाराजा को भी इसे मानना पड़ा।

1838 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। पर इसके पहले कि शाहशुजा अफगानिस्तान पर आक्रमण कर सके, 9 सितम्बर, 1838 को हरात से फारस पीछे हट गया और रूस का एजेंट विक्टोरिच वापस बुला लिया गया और रूसी सरकार ने उसके शिष्टमंडल को गैर सरकारी बताया। इस तरह अफगानिस्तान आक्रमण के मारे तक बेकार हो गया और यह अधिकारियों ने सावधानी बरतने को कहा। पर गम-जोशी से भरा जाकलड चूकि दोस्त मुहम्मद को पाठ सिखाना चाहता था इसलिए उसने अपनी योजना का निश्चय के आगे बढ़ाने की घोषणा की जिसमें 'अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांता के विद्रोही शक्ति के स्थान पर कोई मंत्री शक्ति स्थापित करने और उत्तर-पश्चिम सीमा पर आनामक योजना का रोकने के लिए स्थायी सीमा की व्यवस्था करना' था।

युद्ध—नवम्बर के अंत में 'सिंध की सेना' नामक एक बड़ी सेना जिसमें एक ब्रिगेड तोपखाना और घुड़सवार पांच ब्रिगेड पैदल सेना फीरोजपुर में एकत्रित की गई। सेनापति सर हेनरी फेन जिन्होंने इस आक्रमण का विरोध किया था उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर पदभूक्त कर दिया गया और उनके स्थान पर जान कौन को नियुक्त किया गया। बगाल की सेना का सेनापति सर विला वाय काटन को बनाया गया। मकनाटन को शाहशुजा के दरबार में ब्रिटिश दूत नियुक्त किया गया और सर अलेक्जण्डर बक्स का आक्रमण में राजनतिक कार्यों का नतत्व सौंपा गया।

1 सेठी आर० आर० द माइटी एण्ड ग्रेट महाराजा प० 214 19।

2 देखें, कनिंघम रिस्ट्री आफ द सिन्ध प० 192।

इसके अतिरिक्त इस आक्रमण के साथ कूटनीतिज्ञ भी जान थे जिन्हें मध्य-एशिया की शक्तियों के साथ अनेक संधियां करनी थीं। चूक रणजीत सिंह ने पंजाब हाकर सेना जाने देने से इकार कर दिया था इस कारण यह निश्चय किया गया कि सेना बहावलपुर, सिंध, बलूचिस्तान, घोलन और खबर दरें पार करके जायगी। डॉक्टर वी० ए० स्मिथ के अनुसार यह एक ऐसी योजना थी जो 'सभी स्वस्थ युद्ध नीति की स्थिति का उत्पन्न करती थी तथा एक ऐसी राजनीति की रचना मालूम होती थी जिसमें चालाकी की जगह बलपूर्वी अधिक नजर आती थी।'<sup>1</sup> सिंध के अमीरा की कमजोरी का पूरा लाभ उठाया गया। न तो नतिकता और न ही भूतकालीन राजनतिक बंधनों का आकलन के रास्त में मान दिया गया। अमीरा के विरोध का अनुपयोगी उछल कूद की सजा दी गई और ब्रिटिश सेनाएँ सिंध का सीना चीरती अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ीं।

इसके बाद होने वाले आक्रमण की कहानी का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा सकता है। 6 मार्च, 1839 को पूरी सेना बघटा पहुँची। कट्टर अफगान कबीला को घूस देकर रास्ता तय किया गया। शाहशुजा का धार में अप्रत में प्रविष्ट हुआ और 7 अगस्त को वह आराम से काबुल पहुँच गया जिस स्थान को दास्त मुहम्मद चार दिन पूर्व ही छोड़ चुका था। पर दोस्त मुहम्मद चकि जनता में लोकप्रिय था इस कारण काबुल में शाहशुजा के प्रवेश का स्वागत नहीं किया गया। क्योँ ने लिखा है कि उसका प्रवेश ऐसा था "जैसे मृत्यु का जुलूस जा रहा हो।" नवम्बर 1839 को दोस्त मुहम्मद ने मैकनाटन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उसे कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित कैदी की तरह रखा गया। इस तरह अफगानिस्तान पर ब्रिटिश विजय पूरी हो गई।

**समस्याएँ और भूलें—**इसके आगे अफगानिस्तान में ब्रिटिशों की कहानी युद्ध सम्बन्धी आर नैतिक भूलों की है। सफलता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस जिसे इतनी सफलता में अपन अधिकार में कर लिया गया, किस तरह अपन अधिकार में बनाये रखा जाय। शाहशुजा लोगों में इस कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था क्योंकि अपन साथ इस देश में वह इस्लाम के शत्रुओं को ले आया था। एसी स्थिति में ब्रिटिश सैनिकों को वहाँ की वापसी से शाह की स्थिति तो बिगड़ती ही, ब्रिटिश प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचता। जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश सेना का अफगानिस्तान में लगातार रुके रहना सैनिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से एक अनाकपक प्रस्ताव था। इस स्थिति में ब्रिटिशों का अधिक व्यय ही नहीं करना पड़ता बल्कि उन्हें अफगानों के आकस्मिक आक्रमणों को भी झेलना पड़ता। वैसे

1 स्मिथ आक्सफर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया प 603-06।

2 क्योँ हिस्ट्री आफ वार इन अफगानिस्तान भाग 1 प 124।

तो अफगान अच्छे अस्त्रा से दबाये जा सकते थे पर उह भयभीत नहीं किया जा सकता था और न ही लम्बे असें तक पराधीन ही। स्थिति कठिनाई उत्पन्न करने वाली थी।

अतत यह निश्चय किया गया कि अफगानिस्तान में 10 हजार सैनिक रखे जायें जिन्हें काबुल, कांधार, गजनी और जलालाबाद नामक स्थानों पर विभाजित कर दिया जाय। शेष सन्ना भारत वापस कर देना का निश्चय हुआ। पर जैसे ही पांडा काल बीता, ब्रिटिश डेवकूफी की सीमा तक ढीले पड़ गये। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह घटना तब हुई जब शाहशुजा काबुल में घुसा भी नहीं था। "उसकी मृत्यु ने ब्रिटिशों की संचार व्यवस्था को भी खतरे में डाल दिया क्योंकि सिख इसके बाद अलगाववाद की ओर आगे बढ़े।" कुछ सिख तो अफगानों के साथ मिलकर पड़ोस करने लगे। खैबर असुरक्षित हो गया क्योंकि इससे चारों ओर बसनेवाली जातियाँ केवल शक्ति और धूस के अस्त्र का लोहा मानती थी जिसमें से किसी को भी अधिक काल के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता था। पंजाब से होकर रास्ता रोक देने के कारण, और संभवतः अब पंजाब विद्रोही हो जाने के कारण ब्रिटिशों को अलग थलग पड़ जाने का भय हुआ होगा। साथ ही ब्रिटिशों और शाहशुजा की दुहरी सरकार ने बहुत से अफगान सरदारों को राजनैतिक शक्ति और प्रतिष्ठा का अपहरण कर लिया था जिससे उनके बीच धीमी धीमी कपकपी प्रारम्भ हो गई थी। इन परिस्थितियों में सरकार का केवल यह काय था कि जनता को कोई लाभ प्रदान किये बिना वह राजस्व वसूल कर रही थी जिससे उनमें असंतोष व्याप्त हो रहा था। अफगानिस्तान में भारतीय सेना भी विश्वस्त नहीं थी पर फिर भी ब्रिटिशों का व्यय भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। चूंकि भारतीय सरकार पर आर्थिक बोझ असहनीय ढंग से बढ़ गया था और अफगानिस्तान में आर्थिक साधन कम थे, इस कारण अफगान कबीलों को मिलने वाली अवाधुध धूस में भी कमी आ गई जिससे ब्रिटिशों की अफगानिस्तान में स्थिति और खराब हो गई फिर भी मस्तिष्क के ढीले ढाले वरस जैसे कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता में वृद्धि हो गई। आश्चर्य यह था कि आकलैण्ड जिसकी गंध पा सका उसकी सूचना गृह विभागों के अधिकारियों को हो गई। इसीलिए उन्होंने अपने 1840 के प्रेषण में आकलैण्ड को राय दी कि या तो वह अफगानिस्तान में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाये या पूरी तरह से वहाँ से वापस निकल आये। पर या तो लापरवाही के कारण या जोड़-घटाने की डेवकूफी के कारण आकलैण्ड ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

इसी समय ब्रिटिशों की कुछ भूलाने अफगानिस्तान में उनका विनाश ला उपस्थित किया। अप्रैल 1841 में एक बुजुग और शरीर से क्षत व्यक्ति जनरल एलफिंस्टन को जो कठिनाई से चल सकता था, सर विलाबी काटन का उत्तरा-

धिकारी बनाया गया। आकबोल्ड लिखता है कि यह “आक्लैण्ड की ओर म की गई भयानकतम भूल थी। क्रोधो होते हुए भी दृढ़ इच्छा और साधन वाला व्यक्ति नाट अधिक उत्तम उत्तराधिकारी ही बनता था।”<sup>1</sup> इसके अतिरिक्त काबुल की सेना को नगर के बाहर एक घराब बने और अच्छी तरह से किलबंदी न हुए स्थान वाले कैंपटोनमेंट में रखा गया। उन्हें इससे स्थान पर बालाहिसार में रखा जा सकता था। काबुल का किला, जिसमें राजभवन भी था, शाहशुजा को सौंप दिया गया था। सेना रमद विभाग दूर पर अलग बनाया गया जो एक गभीर भूल था और इसके लिए कौंटन और मैकनाटन उत्तरदायी थे। मैकनाटन की सैनिक गतिविधियाँ के विषय में अज्ञानता और लापरवाही सचमुच चिन्तनीय थी। टाम्पन और गैरेट लिखते हैं कि उसने हर सैनिक के दूर से हटकी चेतावनी दिलाई जबकि काबुल के हर क्षेत्र में घडयंत्र का बाजार गम था। उसने एक छोटे पर गभीर लड़ाई के विषय में उस समय लिखा जबकि विनाश निकट था कि ‘काम पूरा हान वाला है विद्रोही शक्ति समाप्त होने वाली है’

यह मूल्यवर्धित किया जाता है कि यदि ब्रिटिश अफगानिस्तान में ऐम ही बन रहने तो उन्हें प्रतिवर्ष 12.5 लाख रुपये व्यय करना पड़ता और शाहशुजा इतना व्यय नहीं कर सकता था। चूँकि यह विभाग के अधिकारियों द्वारा फिजूलखर्चों न करने को कहा गया था और दुभाग्य और दुगुद्वि से अपव्यय रोशन का माग अफगान नेताओं को दी जानेवाली धनराशि में कटौती के माध्यम में पाया गया, जब कि इसी के द्वारा उनसे सहायता अर्जित की गई थी। इस कारवाई की प्रतिक्रिया हुई। गिलजाई सरदार काबुल छोड़कर जलालाबाद के निकट पहुँचे और लूट मार प्रारम्भ कर दी। एक घडयंत्र पहले ही प्रारम्भ हो गया था जिसमें विभिन्न कबीला के लोग सम्मिलित थे और सामान्य विद्रोह की अफवाह गम थी। पर आश्चर्य यह था कि ब्रिटिशों की तैयारी खली जब तूफान तीव्र गति पकड़ चुका था और उस रोकना कठिन हो गया था। विश्वजनीन, धार्मिक, और राष्ट्रीय विचार-धारा सभी इसके विरुद्ध थी कि शाहशुजा एक विदेशी शक्ति की सहायता से अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए आया। ब्रिटिश उनके शत्रु हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने आये हैं इस प्रचार ने धीरे धीरे जोर पकड़ा। अब्दुल खा जो दोस्त मुहम्मद का पुत्र था और अति साहसी था और जिसमें आकबोल्ड के मतानुसार “अपनी खूबार जाति की सभी विशेषताएँ थी”<sup>2</sup> उसे ही विद्रोह का नेता मान लिया गया। प्रारम्भ में तो विद्रोही अग्नि सुलगो और फिर

1 कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 5 पृ 491-92।

2 टाम्पन एंड गैरेट राइज एंड फॉल ऑफ़ काबुल एंड द ब्रिटिश एल इन इंडिया, पृ 309।

3 कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 5 पृ 491-92।

प्रज्वलित हा गई।

विनाश—नवम्बर 1841 में सी अफगाना की एक भीड़ ने काबुल में बस के निवास पर आक्रमण करके उसे मार डाला। सचार साधन के अभाव में काधार में उपस्थित जनरल काबुल नहीं जा सका। गडमक में उपस्थित जनरल सेल जलालाबाद की ओर आग बढ़ा। 23 नवम्बर को वामारुम अग्रेज पराजित हा गये और मैवनाटन को बाध्य होकर 11 दिसम्बर 1841 को एक अपमानजनक सधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसकी शर्तें थी ब्रिटिश 22 दिसम्बर तक अफगानिस्तान छोड़कर चले जायेंगे, दोस्त मोहम्मद और अय अफगान जो कैद कर लिये गये हैं उन्हें छोड़ दिया जायेगा, शाहशुजा को अफगानिस्तान में साधारण नागरिक की तरह रहने या अग्रेजा के साथ वापस चले जाने की छूट होगी तथा चार ब्रिटिश अधिकारी अफगाना के पास बंधक रखे जायेंगे।

इस सधि पर हस्ताक्षर के बाद मैवनाटन ने जान-बूझकर अफगानिस्तान छोड़ने में देर की जिससे उसे अपना जीवन गवाना पड़ा। इससे ब्रिटिशों में एक आतक फैल गया। उन्होंने जनवरी 1842 को इस सधि को पुनः स्वीकृति प्रदान की, अपन हथियार अफगाना को सौंपे और 6 जनवरी को 16 हजार ब्रिटिश सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी प्रारम्भ हुई। उन्होंने अकबर खा पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर किया पर वह या तो इसके योग्य नहीं था या उसकी इच्छा ही नहीं थी जिसका परिणाम यह हुआ कि गिलजाई और अय खूबार जातियान वापसी के रास्ते को घेर लिया और वापस हौती हुई सेना पर प्रहार प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश सेना में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि उन्होंने साधारण-से साधारण बात का भी ध्यान नहीं रखा जिससे कि वे अपने को बचा सकते। एक के बाद दूसरा सेनापति अफगान पड़्यत्र का शिकार होता रहा, सामान्य सैनिकों का उत्साह भग्न हो गया। उन्होंने पोर्टिजर, एल्फि स्टन और कुछ अय अधिकारियों स्त्रिया व बच्चों को अकबर खा के पास बंधक के रूप में प्रस्तुत किया और शेष को गोली की बौछार झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। वापसी का पथ हत्या का केन्द्र लगने लगा। अपने को बचाने के लिए ब्रिटिशों ने जगदलक दर्रे पर अंतिम चेष्टा की पर वे भयानक विनाश से नहीं बच सके। अकबर खा के हाथ में जो 120 बंदी थे उनके अतिरिक्त 16 हजार लोगो म से केवल डॉ० ब्राइडन पूरी तरह बचे, अधभरे घावों से पूरित मुश्किल से जलालाबाद पहुंच सके। आहो, कष्टों और विनाश से पूर्ण ऐसा भयानक व हृदयद्रावक दृश्य था उन ब्रिटिश सैनिकों का जो वापसी के पथ पर थे।

सामान्यतया ब्रिटिश लेखकों ने अकबर खा के पड़्यत्र की भत्सना की है जिससे वापस आते ब्रिटिश सैनिकों का विनाश हुआ, पर डॉ० ईश्वरी प्रसाद और सूबेदार का मत है कि हमारी "सहानुभूति जा अफगानिस्तान में मारे गये ब्रिटिश

सैनिकों के प्रति उभरती है उसके कारण हमें उस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा करने का श्रेय उन सैनिकों के बंधु-बांधवों को ही था।<sup>1</sup> इन लेखकों के अनुसार कांधार, गजनी और जलालाबाद में उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों ने जब एल्फिंस्टन द्वारा हस्ताक्षरित संधि का मानन से इनकार कर दिया तो अफगान रूठ हो गये। ब्रिटिश अधिकारियों का यह कहना था कि सैनिकों के स्थान-त्याग की बात एल्फिंस्टन की सेना पर ही लागू होती थी और एल्फिंस्टन अपनी इच्छा और सैनिकों पर नहीं लाद सकता था। जबकि दूसरी ओर अफगानों का कहना था कि संधि में ब्रिटिश सैनिकों के वापसी की बात थी, किसी विशेष सेनापति के सेना की नहीं। पर इन लेखकों के मत को पूणतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। सच यह था कि दोस्त मुहम्मद के स्थान पर एक लोकप्रिय का थोपा जाना अफगानों को अपनी आत्म प्रतिष्ठा पर आघात जैसा लगा। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिशों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया जिससे कि वे उनकी मातृभूमि की जोर दृष्टि न कर सकें। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अफगान पदचक्र करने की स्थिति में नहीं थे। इस तरह उपरोक्त बातों के सद्भ म तथा एल्फिंस्टन की अपनी भयकर भूता के कारण और इस कठिन परिस्थिति में ब्रिटिश सेना में साहस बुद्धि व अनुशासन का अभाव आदि ही एल्फिंस्टन की सेना के पतन का कारण बना।

एलेनबरो—जबकि एल्फिंस्टन की सेना को उपराज्य दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा, दूसरी ओर जनरल नाट कांधार पर अधिकार बनाये रखने में सफल रहा। जनरल इंग्लैण्ड जो उसे मुक्त करने के लिए भेजा गया था, हकलजाई में पराजित कर दिया गया। पर जनरल इंग्लैण्ड और जनरल नाट की सेनाओं ने मिलकर स्थिति सुधारी। पामर के हाथ में पड़े गजनी को इसके बाद घेर लिया गया। जनरल सेज को जलालाबाद में घेर लिया गया, पर वहाँ पर वह तब तक अधिकार बनाये रखने में सफल रहा जबतक कि पोलक के नेतृत्व में नयी सेना नहीं आ गई। पोलक के पूर्व विल्ड के नेतृत्व में एक सेना सहायताय भेजी गई थी जो खैबर में घुसी और अली के किले पर अधिकार भी कर लिया, इधर इसे पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। और इसीलिए पोलक की सफलता ने ब्रिटिशों के पक्ष में स्थिति को सुधार दिया।

पर पोलक की सफलता लाड एलेनबरो के भाग में चली गई जो लाड आक्लैंड के वापस बुला लिये जाने पर उसके स्थान पर नियुक्त किया गया। फरवरी 1842 में लाड एलेनबरो उत्तराधिकारी हुआ और भारत आया। राबर्ट्स उसके विषय में कहना है कि वह “प्रतिष्ठा प्राप्त और निःसंदेह अपने पूर्वाधिकारी से

बेहतर व्यक्ति था। वह अलखून भाषा का प्रयोग कर दिना तैयारी का भाष्य-  
कर्ता था। वह आत्मविश्वासी भावुक और दृढ़ था। इसी कारण उसके मित्र इस्क  
क्रॉफ़ बिलिंग्टन ने उसे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी।”

भारत में पहुँचते ही एलेनबरो की पहले भावना यह थी कि किसी भी तरह  
अफ़गानों को पराजित कर ब्रिटिश प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाना था। पर एक नाट  
भी नहीं होता जब इसे हक़लजाई में जनरल इंग्लैंड के पराजय और ग़ज़नी में  
पानर के आत्मसमर्पण की सूचना मिली जिससे वह अति दुखी हुआ। इस विषय में  
गहन विचार किये बिना उसने तुरन्त ब्रिटिश सेना की वापसी का आदेश दिया।  
पोलक को पेशावर वा जाने को कहा गया और नॉट से कांधार छोड़ देने को कहा गया।  
सेनापतियों को यह आदेश बिजली की ग़रज की तरह सुनाई पड़ा। सच यह था कि  
पालक और मेल का जलालाबाद में गठजोड़, नॉट का कांधार पर अधिकार ही न  
बनाये रखना बल्कि अफ़गानों को अपार हानि भी पहुँचाने से अफ़गानिस्तान में  
स्थिति काफी बदल गई थी। पर साइ एलेनबरो चकि भावनाओं के आधार पर  
काय करता था इस कारण उसने इसकी अनुभूति न की। पर सेनापतियों ने बुद्धि-  
मत्ता का परिचय देते हुए संचार साधनों के अभाव का बहाना बनाकर अपनी वापसी  
को कुछ समय के लिए रोक दिया। इसी बीच गवर्नर जनरल द्वारा विशेषण मत  
तिलाजलि दे भारत की प्रतिष्ठा घटाने की नीति अपनाते और अफ़गानिस्तान में प्राप्त  
लाभ से फायदा न उठाने के लिए जब शोर मचा तो एलेनबरो को सत्यता का पता  
हुआ। ऐसी स्थिति में उसने प्रत्यक्ष रूप से नये आदेश दिया और सेनापतियों से  
परिस्थितियों के अनुकूल काय करने को कहा। इस तरह के आदेश को एलेनबरो  
के आलोचकों ने उसके उत्तरदायित्व से बचने की नीति का नाम दिया। पर मुझ  
मैदान में सेनापतियों ने नयी स्थितियों को स्वीकार करते हुए अपनी सैनिक स्थिति  
में और सुधार किया। एलेनबरो में भी शक्ति-समय हुआ और बाबुल प ग़ज़नी  
की सम्भावित विजय की ओर इंगित करते हुए उन्हें उसने सिखा कि यदि “तुम  
सौग आगे बढ़ो और जीतो तो महमूद ग़ज़नी की बन्न के ऊपर सटकी हुई गदा  
लेत आना तथा साथ ही इसका दरवाजा भी खोलें आना जो सोमाना मंदिर से ले  
जाया गया था। ये तुम्हारी सफल विजयों की द्रापियाँ होंगी।”

पोलक और नॉट जैसे अनुभवों और बुद्धिमान सेनापतियों के लिए यह हमारा  
पर्याप्त था। नॉट कांधार से बाहर निकला और पोलक जलालाबाद से तथा दोनों  
काबुल में मिले। अग़बर खाँ को तेज़ीत में पराजित कर पोलक 15 सितम्बर को  
बाबुल पहुँचा जबकि नॉट दो दिन बाद उगते जा मिला। बाबुल के रास्ते में नॉट  
ने ग़ज़नी के विजे को नष्ट किया और यहाँ के दरवाजे को भारत लाया जो 1024



मे सोमनाथ स ल जाय गये थे । विजयी ब्रिटिश सेनाआ ने यूरोपीय बंदियों को भी मुक्त कराया जिनके रक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उह लेकर भागते फिर रहे थे । पर इन सफलताओं के नशे में सेनापतिया ने नैतिकता के हर सिद्धांत का परित्याग कर दिया । 12 अक्टूबर को उन्होंने एक ऐसा मूखताभरा और बबर अपराध किया जिसके लिए उह कभी क्षमा नहीं किया जाएगा । राबर्ट्स ने लिखा है कि "यह एक अक्षम्य गुण्डागर्दी थी । काबुल की बड़ी बाजार को उडा दिया गया ।"<sup>1</sup> और पूरे नगर को बुरी तरह लूटा गया । इसके बाद ब्रिटिश प्रतिष्ठा की वापसी की नूर भावना से सतुष्ट होकर उहान वह क्षेत्र खाती कर दिया ।

इस बीच भारत में एलेनबरो ने ब्रिटिशों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ घोषणाएँ की । यह छिपाने के लिए कि ब्रिटिश अफगानिस्तान में रहने के एकदम अयोग्य हैं उसने यह घोषित किया कि ब्रिटिशों की अफगानिस्तान में कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है और वे अपनी प्राकृतिक सीमा से ही सतुष्ट हैं । इसलिए 10 अक्टूबर को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश 'अफगानों के ऊपर ही यह छोड़ने हैं । कि वे अपने अव्यवस्थित स्थिति में जैसी सरकार चाहें बनावें ।'

एक दूसरी घोषणा में जिसे उसे करना ही चाहिए था, उसने भारतीय राजाओं और सरदारों से कहा कि ब्रिटिश सोमनाथ का दरवाजा वापस ले आय है और इस तरह 800 वर्ष पुरानी शत्रुता का बदला ले लिया है । इस घोषणा ने प्रसन्नता के साथ ही बहुतों को हिंदू इसलिए प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि जो दरवाजा लाया गया था वह सचमुच सामनाथ वाला नहीं था । दूसरी ओर भारत के मुसलमान गवर्नर जनरल के एकतरफा कारवाई से बहुत असंतुष्ट थे । फीरोजपुर में एक शानदार विजय-समारोह किया गया । यही पर गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान से वापस आयी सेना का स्वागत किया । यह सारा प्रयत्न केवल इसलिए था जिससे कि अफगानिस्तान पराजय के अपमान के आसू का पाटा जा सके । ब्रिटिशों की स्थिति सच्चाई में अफगान युद्ध में पहले की स्थिति से बदतर थी । दोस्त मुहम्मद अपने स्थान पर आ गया जबकि शाहशुजा को अफगान गद्दी ब्रिटिश नहीं दिला सके । उसे सदा के लिए बेचो बैठे । 5 अप्रैल 1842 को खुराफाती शाहशुजा एक हत्यारे के हाथ का शिकार हुआ । बसे तो उसके न रहने से ब्रिटिशों को बड़ी क्षति नहीं हुई पर व एक ऐसे मित्त को छोड़ बैठे जिसके आधार पर मध्य एशिया के देशों में वे बड़ी आशाएँ लगाये बैठे थे ।

वेथी ने प्रथम अफगान युद्ध का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि "इतनी कायरतापूर्ण, दिल दहला देनेवाली असफलता इतिहास के पृष्ठों में कम मिलती है । पूरे विश्व के इतिहास में इससे अधिक अच्छा, आकषक और शानदार

पाठ पढाने वाली घटना भी नहीं मिलती।" जब ब्रिटिशों ने उस देश को त्याग तो वे उसके मित्र नहीं थे। केयी ने पुन लिखा है कि उन्होंने "अफगानिस्तान के प्रत्येक कस्बे और गाव में अपार शत्रु पैदा कर दिये। उस देश में ब्रिटिशों ने जो विनाश किया उससे फारसी आनामक रुख को बढ़ावा मिला तथा उससे मास्को की ओर झुकने की स्थिति पैदा हो गई।" भारत को भी कम हानि नहीं हुई। "यह कहा जाता है कि इस विनाशकारी युद्ध ने भारत से जो कीमत ली वह लगभग 15 लाख रुपये थी। यह सब भार भारत के राजस्व पर पड़ा और लम्बे कालावधि तक इस बोझ से दवा कराहता रहा।" 20 हजार लोग मारे गये जो एक बहुत बड़ी क्षति थी। ट्राटर ने लिखा है कि "चाह जिस दृष्टि से देखा जाए वह नीति भूल और अपराध दोनों थी। शाहशुजा ने बार बार राजा की हैसियत से काबुल में पुनः प्रवेश से अनिच्छा व्यक्त की थी। उसका ताज ब्रिटिश अस्त्रा पर आधारित था। मिस एडेन के अनुसार मिखो से हमारी मैत्री 'बद्ध पियक्कडलपट' (रणजीत सिंह) की इच्छा पर निर्भर करती थी जिसकी मृत्यु कभी भी सम्भावित थी। सिंध से होकर जाने वाली हमारी सेना के कारण संधि की शर्तों के अनुसार, उस क्षेत्र के शासकों को पथ प्रदर्शन करना होता था और वाहन व वस्तुओं की भी व्यवस्था करनी होती थी। सिंध क्षेत्र की सेना को अपने साधनों पर तो निर्भर होने के साथ-साथ उस क्षेत्र के शासकों की सहायता पर भी निर्भर करना पड़ता था। राजाभा से सहायता लेने के लिए वही नीति अपनाती पड़ती थी जो शक्तिशाली लोग कमजोरों के लिए अपनाते थे। यहाँ तक की बहावलपुर के मैत्री रखने वाले नवाब को दवाकर और भाषण देकर सामग्री की सहायता करने को बाध्य किया गया। दूसरी ओर बस खैरपुर के अमीर को जो अपर सिंध का रहने वाला था, उसे अपने मित्रों की सहायता करने के लिए आज्ञापालन का पाठ सिखाने पर उतारा था।"

प्रारम्भ से अत तक अफगान-युद्ध की पूरी योजना मूखतापूर्ण नीति पर आधारित थी। इतना ही नहीं इसे मूखतापूर्ण ढंग से चलाया भी गया और उसी तरह उसका अन्त भी हुआ। इस बारे में लार्ड आकलैण्ड ने बिना अपनी कौंसिल को विश्वास में लिये काय किया। इतना ही नहीं उसने अपने सेनापति के मत की अवमानना की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इच्छाओं का भी अनादर किया। और इससे अतिरिक्त मध्य एशिया में रूसी खनरे का बड़ा चढ़ाकर बताया गया। फारस सम्बन्धी ब्रिटिश मंत्री मैकलीन ने 1836 में कहा कि रूसी रेजीमेण्ट "जहाँ पर केन्द्रित था वह कैस्पियन के पश्चिमी किनारे के छोर पर था। यह मास्को वापस आने के लिए उतना ही दूर था जितना सिंध पर अटक। यह पीटसवग से लाहौर

1 देखें, केया पूर्वोद्धत प० 131 33 राबर्ट्स पूर्वोद्धत।

2 ट्राटर एल० ज० द अन आफ आकलैण्ड, प० 75 76।

से भी दूर पड़ता था जो सिखा की राजधानी थी।<sup>1</sup> और ब्रिटिश यह जानते थे कि उन दिना इतने दूर युद्ध करना सरल काम नहीं था। पर मध्य एशिया के देश के सदाभ मे रूस का नाम आ जाना ही ब्रिटिश के अदूरदर्शिता का कारण बन गया जिसके फलस्वरूप उहाने परिपक्वता से काम नहीं किया। दुर्भाग्य से आक्लैंड भी इसके लिए अपवाद नहीं था। 1839 के नवम्बर मे खीव पर पूण असफल रूसी आक्रमण से यह सिद्ध हो गया कि आखिर रूसी शक्ति के प्रति ब्रिटिश आतंक कितना बढा चढाकर देखा गया था।

हेरात पर फारस का घेरा भी अनुचित नहीं था। हेरात के शासक कामरान ने बार बार फारस से हुई सधि को तोडा था और उसके क्षेत्र मे आक्रमण किया था। इस कारण फारस के शाह द्वारा हेरात पर आक्रमण उचित था। वह उस क्षेत्र को अपने राज्य मे मिलाना भी नहीं चाहता था। ट्राटर ने लिखा है कि यदि वह सफल भी हो जाता ' तो वह नगर का धार के नेताओ को सौंप दिया जाता जो इसे काबुल रह रहे अपने बडकाई कबीले के एक भाई के लिए चाहते थे।'

राबट्स ने लिखा है कि "इस नीति को बनाने वाला ने आक्रमण के जो बेतुके बहाने बनाये वे सब घटनाओ की धारा मे पता नहीं कहा लापता हो गये जिससे उनका उद्देश्य भी पूरा न हो पाया।"<sup>2</sup> फारस की खाडी मे करक पर ब्रिटिश आक्रमण ने फारस के शाह को चौंका दिया जिसके फलस्वरूप 9 सितम्बर 1838 को उसने हेरात का घेरा उठा लिया। दबाव मे रूस ने इगलैंड से अपना दूत वापस बुला लिया। विकेटेबिच, जब अपमानित पीटसबग वापस लौटा तो उसने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यही वह सही समय था जब ब्रिटिश प्रतिष्ठासहित अफगानिस्तान से वापस लौट सकते थे। पर चूकि आक्लैंड के सर पर लडाई का भूत नाच रहा था इसलिए यह अवसर भी खो दिया गया जिसके फलस्वरूप विनाशकारी घटनाएँ हुई।

दोस्त मुहम्मद भी जिसके स्थान पर वे शाहशुजा को अफगान गद्दी पर नियुक्त करना चाहते थे अयोग्य शासक नहीं था। वह अफगाना मे लोकप्रिय था और साथ मे स्वतंत्र भी जिमके आंतरिक या बाह्य नीति मे ब्रिटिशो को हस्तक्षेप करन का अधिकार नहीं था। दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध युद्ध का जो औचित्य आक्लैंड ने अपने 1 अक्टूबर 1838 के मिनिट मे प्रस्तुत किया वह सत्य नहीं है। सर हरबट एडवडस ने लिखा है कि यहा दोस्त मुहम्मद का के विचारा और कार्यों को गलत पेश किया गया। इस सम्बन्ध मे उसका मत इतना कठोर था कि रूस के लोग भी उससे ईर्ष्या

1 देखें नारिस जे० ए० द फस्ट अफगान वार 1838 42।

2 ट्राटर पूर्वोद्धत प० 79।

3 राबट्स पूर्वोद्धत प० 317।

पर सकते थे।" दूसरी ओर शाहशुजा का मूल्यांकन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था। वह अफगानों का विश्वास नहीं प्राप्त किये हुए था और वे उसके अफगान-गद्दी प्राप्त करने के प्रयास को घृणा से देखते थे क्योंकि इस काय के लिए वह अंग्रेजों और सिखों की सहायता ले रहा था। 1809 में वह अफगानिस्तान से निकाला गया था और उसने वापसी का दो बार प्रयास किया था पर असफल रहा था। सच में वह एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। इस तरह ब्रिटिशों का दोस्त मुहम्मद के स्थान पर शाहशुजा को गद्दी दिलाने का प्रयास अफगान राष्ट्र के प्रति एक धोखा था।

इंग्लैंड के कुछ तत्कालीन महान राजनेताओं ने आकलैण्ड की इस नीति के लिए उसे उस समय ही चेतावनी दे दी थी जब युद्ध भी नहीं प्रारम्भ हुआ था। इनमें लाड बैटिक, बेलजली, सर चार्ल्स मेटकाफ और एलफिस्टन ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप की असफलता की भविष्यवाणी की थी। ड्युक ऑफ वेल्िंगटन की भविष्यवाणी सबसे ढंग की थी। उसने चेतावनी दी कि यदि एक बार ब्रिटिश सेना ने सिन्ध नदी पार कर अफगानिस्तान में सरकार बनवाने का प्रयास किया तो इसके बाद उन्हें "उस देश में लगातार चलते"<sup>1</sup> रहना होगा। यह सच्चा सिद्ध हुआ पर अपने उत्तेजना में आकलैण्ड दोस्त मुहम्मद से बदला लेने पर आमादा था और इन चेतावनियों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया।

अफगानिस्तान के ब्रिटिश कारवाइयों की योजना शीघ्रता में बनाई गई और उसे शीघ्रता में ही काय रूप में बदला गया। ऐसा लगता है कि अफगान युद्ध से सम्बन्धित आकलैण्ड के सभी निणय और इससे भी अधिक उसके उत्तराधिकारी लाड एलेनबरो के निणय भावनाओं पर अधिक आधारित थे, जान-बूझकर कम किये गये थे। ट्राटर लिखता है कि "आकलैण्ड ने जिन सेनापतियों को इस काय के लिए चुना वे इस काय के योग्य नहीं थे। मैकनाटन की प्रसन्नमुख विश्वसनीयता, एलफिस्टन की शारीरिक और मानसिक क्षति, शेल्टन का मूखतापूर्ण दुराग्रह, सैनिक और असैनिक शक्तियों के बीच गूढ़ मतभेद, सेल की सामयिक सहायता की वापसी आदि सभी ने मिलकर आकलैण्ड की योजना को और असफलता की ओर ढकेल दिया।" आकलैण्ड की इस नीति को भी क्षमा नहीं किया जा सकता था जो उसने सेना के सामग्री जुटाने के लिए उस ब्रीहड देश में व्यवस्था नहीं की तथा साथ ही सैनिक हित को मैकनाटन जैसे राजनीतिज्ञ के हाथ में इसे देकर गौण स्थान प्रदान कर दिया।

आकलैण्ड द्वारा चुने गये गलत सेनापतियों ने अफगानिस्तान में जो भूलें कीं

1 देखें नारिस जे० ए० पूर्वोद्धत।

2 ट्राटर पूर्वोद्धत पृ० 79 80।

उसके कारण अतत ब्रिटिशों का विनाश हुआ। अफगानिस्तान में स्थापित दुहरी सरकार जिसका काय केवल वहा कर वसूलना था और जो वहा के लागो के विचारा का आदर नहीं कर रही थी, यह नीति उचित नहीं थी। ब्रिटिशों की ओर से वहा के असंतुष्ट जनमत की ओर ध्यान न दिया जाना और अफगानों की पडयत्नकारी कारवाइया की सूचना प्राप्ति के लिए जासूसी व्यवस्था न स्थापित करना भी एक भयानक भूल थी। उनका अपनी सेना को काबुल में एक खराब स्थान पर नगर के बाहर ले जाना तथा काबुल के किले जैसे राजभवन वाला हिस्सा का शाहशुजा को वापस करना भूलतापूर्ण बात थी। इसके अतिरिक्त उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों की गैर जिम्मेदारीपूर्ण कारवाइ यथा बस जिस व्यक्ति की इस परिस्थिति में भी लालची प्रवृत्ति एक ऐसा अपराध था जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था।

सनापतिया और उत्तरदायी अधिकारियों की गलतियों का यही अंत नहीं था। सैनिकों में अनुशासन पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया गया जिससे खतरे की घड़ी में साहस खा देने से विनाश की स्थिति पैदा हो जाती थी। “असफलता भयानक सैनिक भूला के कारण विनाश में परिवर्तित हो जाती थी।”<sup>1</sup> यदि ऐसा न होता तो ब्रिटिश प्रतिष्ठा को इतना आघात न लगता।

इसके अतिरिक्त जिस भाति ब्रिटिश सेनायें भोपाल और सिंधु होकर आगे बढ़ी और जिस क्रूर विधि से उन की गई सधिया का उल्लंघन किया गया वह आबलड के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं थी। वी० ए० स्मिथ ने लिखा है “आबलड में सत्य जानने की क्षमता नहीं थी क्योंकि उसने मात्र छह वर्ष की गई संधि को ही नहीं तोड़ दिया, बल्कि कमजोरा का परेशान किया और एक कट्टर नीति अपनाई युद्ध की कला के सिद्धान्तों का तोड़ा, कमजोर सनापतिया के नेतृत्व में हजारों का जीवन समाप्त करवा दिया, और अतत चुपचाप ससद का सूचित किय जान वाले पागल को गडबड कर भेज दिया।”

आबलड “काम धाम में अच्छा व्यक्ति था मनापाग से समाचार पत्र पढता था ” आग प्रिंसप लिखता है ‘पर वह शीघ्र निणय करने में अक्षम था। वह हमें उत्तरदायित्व के बोध से दवा रहता था जिसके कारण उसके द्वारा लिखे गए निर्देश इतने अपूर्ण हान थे कि एजेण्टों को कठिनाई के अवसर पर अपने मन से बहुत कुछ करने का मिल जाता था।’<sup>2</sup>

साड आबलड ने “अपने प्राइवट सेक्रेटरी (जान काल्विन) के हाथों में बहुत

1 रिचर्ड थॉमस, इंग्लिश इतिहास पृ 309।

2 स्मिथ, एंथोनी पृ 603-06।

3 रिचर्ड थॉमस पृ 356।

कुछ छोड़ रखा था, जो अवसरो पर उससे विवाद करता रहता था जबकि आकलैण्ड अपने हाथ सिर पर पीछे रखा बैठा रहता था। इसीलिए युवा कमचारियों ने उसे लार्ड काल्विन का नाम दे रखा था।<sup>1</sup>

लार्ड एलेनबरो भी इस क्षेत्र में बेहतर नहीं सिद्ध हुआ। उसकी दो घोषणायें उसकी कमजोरियों का सबूत थीं और साथ ही आत्म विश्वास के कमी का प्रमाण। इस सम्बन्ध में लार्ड आकलैण्ड ने कहा कि “वह ठीक से जानता है कि लार्ड एलेनबरो भारत पहुंचते ही पागल हो गया है।” घोषणाओं की मूखतापूर्णता तब और सिद्ध हो गई जब यह पता चला कि तथाकथित सोमनाथ का दरवाजा सच में सोमनाथ मंदिर का नहीं है।

भारत में लार्ड एलेनबरो की कारवाइयों की चर्चा करते हुए लार्ड मैकाले ने 19 मार्च 1843 को हाउस ऑफ काम्स में कहा, “हम लोगों ने कुछ ऐसे गवर्नरों को भेजा है जिसे वे प्रेम करते हैं, कुछ से वे डरते हैं, पर इसके पहले कभी भी ऐसा गवर्नर नहीं गया जिसपर वे हसते रहे हों।”

इसने लिखा है कि प्रथम अफगान युद्ध सचमुच “पूरे ब्रिटिश भारत के इतिहास में घटने वाली भयानक भूल थी।”<sup>2</sup> पर जब यह सब कहा जाता है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एलेनबरो ने जो कुछ किया वह पुरानी भूलों का सुधारन के लिए किया जो लार्ड आकलैण्ड के काल में की गई थी। और इसके अतिरिक्त उन नीतियों को जिन्हें भारत में चालू किया वह मात्र ही उसके लिए उत्तरदायी नहीं था। आकलैण्ड के इस मत में दम है जिसके अनुसार यदि उस काल के कागजात का अध्ययन ध्यान से किया जाय तो पता चलेगा कि आकलैण्ड की नीति गृह अधिकारी उसके ऊपर आरोपित करते थे। और इस तरह यदि उसे अपने ढंग से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता तो वह अधिक बुद्धिमान सिद्ध हो सकता था।

लार्ड आकलैण्ड को भारत से 1842 में वापस बुला लिया गया। इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद लार्ड रसेल ने उसे अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया और उसे प्रथम लार्ड आफ ऐंडमिरैल्टी का पद प्रदान किया। पर अफगान असफलता ने उसके स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित किया था और [इसी कारण] जनवरी 1849 को उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि वह अविवाहित था इसलिए उसका अल का पद जब्त कर लिया गया।

चार्ल्स ग्रेनविल ने आकलैण्ड के सम्बन्ध में कहा, “उसकी समझदारी की शक्ति शानदार थी, उसका स्वभाव शान्त था, उसकी रुचि उत्कृष्ट थी, ऊपर से गम्भीर

1 कम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 490 और देखें, वही, अध्याय XXVIII केवी पूर्वोद्धृत, भाग 1।

दिखने के बावजूद वह प्रसन्न मनोवृत्ति का था। ऊपर से रूखा दिखने वाले आबलैंड में दयालुता का भाव छिपा था। वह स्नेह, दान और दया की भावना भी रखता था।<sup>1</sup> पर जहाँ उसके 'काले कानून', शिक्षा नीति, दुर्भिक्ष और धार्मिक नीति ने जो उसने गृह क्षेत्र में अपनाई, उसे प्रशंसा दिलाई, वहीं उसकी अवध के प्रति मक्कारीभरी नीति ने तथा अफगानिस्तान पर शुद्ध खुले आक्रमण नीति ने उसे आलाचना का शिकार बनाया। ऊपर बताया जा चुका है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो शान्ति काल में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता था, जबकि युद्ध और अधिक आपात काल में वह अपना चाय सतुलन खो बैठता था जिससे प्रसिद्धि के स्थान पर बदनामी नसीब होती थी।

1 इन्हें देखो हिन्दी भाग बार इन अफगानिस्तान भाग 1 पृ० 123।

## राजा रणजीत सिंह (1780-1839)

### राजा रणजीत सिंह का शक्ति प्राप्त करना

लाड आक्लड के काल की एक महत्वपूर्ण घटना 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु थी। भारत के दूसरे गवर्नर जनरल के अध्ययन के पूर्व यह रुचिकर होगा कि हम पंजाब के इस शासक की शक्ति प्राप्त करने के तथा अथ विवरणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। रणजीत सिंह बहादुर और साहसी युवा सुकर-चकिया सरदार महारिह का पुत्र था जिसका जन्म 2 नवम्बर, 1780 को हुआ। वह बच्चा ही था तभी उसपर चेचक का प्रकोप हुआ। वह बच तो गया पर चेचक ने उसके शरीर पर स्थायी चिह्न छोड़े और इसमें उसकी एक आख जाती रही। जसाकि गाडन ने लिखा है "एकाक्षी लडका लम्बाई में भी कम था और मिस्ल के प्रतिनिधि के रूप में जाटों के मध्य वह खिलवाड ही लगता था।"<sup>1</sup>

बालक की पुस्तकी में अधिकांश रुचि नहीं थी। उसके शिक्षकों—भाई फागन सिंह और दौलासिंह ने उसे शिक्षित करने की पूर्ण चेष्टा की पर असफल रहे और इसी कारण "उसने बचपन में जो सारी जानकारी प्राप्त की वह खेल और युद्ध कला के सम्बन्ध में थी। इन दोनों क्षेत्रों में उसने अति योग्यता का परिचय दिया जिसके आधार पर उसका भावी जीवन बना।"<sup>2</sup> सच में इस क्षेत्र में उसके पिता की उसके सम्बन्ध में ऊंची राय थी जिसे वह कई आक्रमणों में अपने साथ ले गया। इस सम्बन्ध में उसने कहा "गुजरानवाला राज्य मेरे शीर लडके के लिए छोटा पड़ेगा। एक दिन वह अपने लिए एक बड़ा साम्राज्य तैयार कर लेगा।"

रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु का ही था जब उसके पिता का देहान्त हो गया। चूंकि वह बहुत छोटा था इसलिए राज्य का कायभार उसकी माँ और

1 गाडन द सिद्ध प० 83।

2 पेने ए शाट हिस्ट्री आफ द सिद्ध, प० 71।



दीवान लखपत राय के हाथ में आया। चूँकि इनमें से कोई भी प्रशासन के योग्य नहीं था इसलिए प्रशासन की प्रतिष्ठा घटी। जब रणजीत सिंह 17 वर्ष की आयु का हो गया तो उसने सीधे शासन अपने हाथ में ले लिया और अपने दिग्भ्रमित करनेवाले सरक्षकों को पद में हटा दिया। रणजीत सिंह के पिता के मामा दल सिंह को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और युवा रणजीत ने अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया।

प्रिंसेप ने लिखा है कि पंजाब में जो कुछ सुन्दर था, रणजीत सिंह के जन्म के उपरांत वह समाप्त हो चुका था। और जब रणजीत सिंह सिंहासनासीन हुआ तो पंजाब में अव्यवस्था का ही साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अहमदशाह अब्दाली के होने वाले हमलों ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अलग-अलग सिख नताआ ने अलग-अलग स्थानों पर अपने लिए राज्य बना लिये थे। स्थिति यह थी कि जब रणजीत सिंह ने शासन सभाला तो पंजाब में छोटे-छोटे बारह राज्य थे जिन्हें मिस्ल भी कहा जाता था। इसी में से एक रणजीत सिंह का सुकरचकिया मिस्ल था। इसके अतिरिक्त सात छोटे-छोटे मुस्लिम राज्य थे, एक छोटा हिन्दू राज्य था और तमाम छोटे-छोटे बटे क्षेत्र थे।<sup>1</sup> सब में इस समय पंजाब छोटे-छोटे राज्यों का समूह था और अत्यन्त लड़नेवाली जातियाँ साहस दिखाने को म्बत थीं। रणजीत सिंह जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी इन्हीं परिस्थितियों के बीच था। परिस्थितियों ने उसका पक्ष लिया और उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे प्रोत्साहित किया। रणजीत सिंह आगे बढ़ा, लड़ा और जीता तथा छोटी-छोटी शक्तियों को समाप्त करके पूरे पंजाब में अपना राजतंत्र का झंडा ऊँचा किया।

रणजीत सिंह के अधिकार और विजय के विषय में विस्तार में बताना यहाँ स्थानाभाव के कारण संभव नहीं है। इसीलिए उसका अति संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। जैसा ही रणजीत सिंह ने शासन शक्ति प्राप्त की, जमानशाह ने पंजाब पर चौथा आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। पर रणजीत सिंह के भाग्य से, जब जमानशाह पंजाब में विजय की ओर अग्रसर था उसी समय उसे उसके सौतेले भाई महमूद के विद्रोह के कारण काबुल वापस बुला लिया गया। वह पंजाब की अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति में छाड़कर चला गया जिसका लाभ रणजीत सिंह ने पूर्णरूप से उठाया। बड़े-बड़े मिस्ल की नता और अपनी सास सदा बौर की सहायता से रणजीत सिंह लाहौर की ओर आगे बढ़ा और उसपर 16 जुलाई 1799 को अधिकार कर लिया, जिनपर अभी तक भगी

1 छाबड़ा जी० एम० सिन्धी आरु पंजाब भाग 2 प० 18-30।

2 वही भाग 2 प० 31-82।

सरदारों का अधिकार था। पंजाब की राजधानी होने के कारण लाहौर पर किया गया अधिकार युवा रणजीत के लिए एक महान सफलता थी। इसका राज-नैतिक महत्त्व भी था और मनोवैज्ञानिक भी। अब पंजाब के कुछ अति महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ ने सगठित होकर इस उगत हुए सितारे का विरोध करने का निश्चय किया। लाहौर के पूव भसीन गाव में 1800 के प्रारम्भ में एक सेना एकत्रित हुई। रणजीत सिंह इनसे मुकाबले के लिए तैयार हुआ। पर युद्ध प्रारम्भ होने से पूव ही शत्रु सैनिकों में आपस में अनबन प्रारम्भ हो गई। इसी बीच इनका एक नेता गुलाब सिंह भगी अत्यधिक भाग पीकर मर गया। इसके बाद ये सभी तितर बितर हो गए और भविष्य में पुन कभी लड़ने के लिए सगठित नहीं हुए। भाग्य-युद्ध रणजीत सिंह के लिए यह और सुनहरा अवसर था जब वह साहस और महत्त्वाकांक्षा से भरा प्रत्येक दिशा में अपनी नगी तलवार लेकर दौड़ पड़ा और जल्दी ही पूरा पंजाब उसके पावा तले आ गया।

1805 आते-आते जम्मू, हरवल, मिरोवल, अकलगढ़, कसूर, कांगड़ा, पिंडी, भाटिया, धनी, चिनियोट दस्का, फुगवाडा, क्षग, कर्ला और कठिया, अमृतसर तथा इसी तरह के अन्य स्थान या तो जीते लिये गए या उन्हें राज्य में मिला लिया गया या उन्हें अपना सहायक बना लिया गया। 1805 में जनरल लेक के पीछा किये जान पर होकर रणजीत सिंह की शरण में आया जिससे ब्रिटिशों से उसकी रक्षा हो सके। महाराजा चूँकि मुल्तान जीतने की तैयारी में व्यस्त था इसे अध-कचरा ही छोड़कर वापस आ गया और अमृतसर से स्थिति के मुकाबले की तैयारी करने लगा। गुरुमता की अन्तिम बैठक बुलाई गई जिसने उसे ब्रिटिशों से झगडा न मोल लेने की सलाह दी। महाराजा ने उनकी सलाह मानी और 1806 में ब्रिटिशों से एक मंत्री संधि की, गुरुमता सगठन को समाप्त किया और उसकी शक्ति स्वयं ग्रहण की। कुछ समय तक शात रहने के बाद उसने पुन अपनी विजय और छीना झपट की नीति प्रारम्भ कर दी।

1806 और 1809 के बीच कसूर पर अतत अधिकार किया गया। पठान-कोट, जसरोटा, छम्ब, दसोली, गुजरात, शेखपुरा, कांगड़ा आदि को या तो छीन लिया गया या उन्हें सहायक बना लिया गया। पंजाब से गुरखा शक्ति सदा के लिए समाप्त कर दी गई। 1806, 1807 और 1808 में रणजीत सिंह ने सत-लज नदी के पूव के क्षेत्रों पर आक्रमण किया जिसका उद्देश्य यह था कि दक्षिणपूव के सिख राज्यों को भी वैसे ही सगठित किया जाय जस सतलज के उत्तर पश्चिम। पर यहाँ ब्रिटिशों ने उसकी महत्त्वाकांक्षा को प्रतिबधित किया। महाराजा से कहा

1 सिखों की राष्ट्रीय सभा जिसमें मिल्ना के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने भाग लिया।

गया कि वह 1809 की अमृतसर की संधि के अंतर्गत सतलज के तम पार ही तक अपनी कारवाइया को सीमित रखे और सतलज के इधर के क्षेत्र को ब्रिटिशों के लिए छोड़ दे। अमृतसर की संधि ने महाराजा को ब्रिटिशों की ओर से करारी कूटनीतिक पराजय प्रदान की जिसके कारण वह अपने झंडे के नीचे गुरु गाविंद सिंह के पूरे खालसे को संगठित नहीं कर सका। पर तब भी एक दृष्टि से यह उपयोगी मिद्ध हुआ। ब्रिटिशों स मंत्री के वाद वह सतलज के उत्तर पश्चिम में बिना रोक टोक के अपनी शक्ति को संगठित कर सकता था। सही तो यह था कि 1809 के बाद ही मुल्तान कश्मीर और पश्चावर जैसे क्षेत्रों में उसने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी।<sup>1</sup>

इन सभी विजयों के बाद जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक लाख चालीस हजार बगमीन का राज्य छोड़ा जिसकी सीमाएं उत्तर की ओर लद्दाख तक थी और दूसरी ओर मुलेमान पर्वतों तक थी। दक्षिण-पूर्व में इसकी सीमा सतलज तक और दक्षिण पश्चिम में शिकारपुर के निकट तक थी। इस तरह रणजीत सिंह ने मुगल साम्राज्य के खंडहरों में से एक राज्य का निर्माण किया और अफगान आक्रमणों से जो अव्यवस्था उत्पन्न की गई वह "पंजाब की शक्ति, सैनिक संगठन और कायधमता की दृष्टि से निश्चित ही उत्तर के मुसलमानों से बेहतर सिद्ध हुई।"

### आंग्ल-सिख सम्बंध

रणजीत सिंह के नेतृत्व में आंग्ल सिख सम्बंधों का सक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। रणजीत सिंह और ब्रिटिशों के बीच नियमित सम्बंध 1800 में हुआ। उत्तरी और दक्षिणी भारत के कुछ भागों पर अधिकार के बाद और विशेषकर आंग्ल जवध मैत्री संधि के बाद ब्रिटिशों ने पंजाब की ओर ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त लाह वेलजली के नेतृत्व में जो घटनाएँ हुईं उसके कारण ब्रिटिशों को इस दिशा में देखना पड़ा। यह वह काल था जब भारत पर जमानशाह के आक्रमण का खतरा था। इस अफगान शासक को टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था। टीपू ब्रिटिशों का शत्रु था। सावधानी के तौर पर ब्रिटिशों ने मुन्शी युसुफ अली को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। वह रणजीत सिंह के लिए अच्छी भेंटें भी ले गया जिससे कि महाराजा ब्रिटिश लोगों के साथ आ जाय। पर शीघ्र ही जैसे जमानशाह के आक्रमण का भय जाता रहा वैसे ही युसुफ अली को वापस बुला लिया गया।

1 कोपण जी० एन० पंजाब एंड ए सावरन स्टेट प 238।

2 छाबडा पूर्वोक्त भाग 2 प० 45 83।

दूसरा सम्बन्ध 1805 में उस समय हुआ जब मराठा नेता होल्कर भागता हुआ पंजाब में घुस आया। जनरल लेक उसका पीछा कर रहा था। होल्कर रणजीत सिंह की सहायता चाहता था। जनरल लेक ने रणजीत सिंह को पत्र लिखा कि होल्कर को यदि वह सहायता देगा तो यह ब्रिटिश शक्ति के लिए एक चुनौती माना जायेगा। महाराजा ने पंजाब के प्रमुख सिख नेताओं की सभा बुलाई जिन्होंने ब्रिटिशों का विरोध न करने को कहा। इस कारण मैत्री सम्बन्ध स्थापना हेतु उसने ब्रिटिशों से 1 जनवरी, 1806 को एक नियमित समझौता किया। इसमें यह भी निश्चित हुआ कि वह होल्कर की सहायता नहीं करेगा और ब्रिटिशों से मित्रता रखेगा।

उसका ब्रिटिशों से तीसरा सम्बन्ध 1808-09 में हुआ। 1806 और 1807 में रणजीत सिंह ने सतलज के इस पार के क्षेत्रों पर आक्रमण किया जिससे वह वहाँ नियंत्रण स्थापित कर सके। इस क्षेत्र के राजाओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के रेजीडेंट सेटन से मिला और महाराजा से अपनी रक्षा हेतु निवेदन किया। ब्रिटिश स्वयं भी कुछ काल से इस सम्बन्ध में ऐसा करने को सोच रहे थे पर वे यह कदम इसलिए नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह नैपोलियन से न मिल जाय जो भारत के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहा था। 1807 में जब नैपोलियन ने रूस के जार के साथ संधि कर ली तो भारत के लिए यह खतरा और स्पष्ट हो गया। इसीलिए 1808 में मेटकाफ को महाराजा के दरबार में उसे ब्रिटिश पक्ष में करने के लिए भेजा गया। रणजीत सिंह ने इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटिशों से सतलज के उस पार के क्षेत्रों पर अधिकार करने में सहायता के लिए कहा और इसी बीच इस क्षेत्र पर तीसरा तुफानी आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रिटिशों ने महाराजा के इस व्यवहार को नापसन्द किया और उनके भाग्य से जब इस बीच नैपोलियन वहाँ आर व्यस्त हो गया तो भारत पर उसके आक्रमण का भय जाता रहा। इसके बाद 1809 में ब्रिटिशों ने महाराजा से अमृतसर की संधि करने को कहा। इस संधि के अंतर्गत सतलज नदी को सीमा माना गया जिसके दक्षिण पूर्व में राजा किसी क्षेत्र में कोई रुचि नहीं लेगा। वे क्षेत्र इसके अपवाद हांग जिनपर इस संधि से पूर्व महाराजा का अधिकार रहा होगा।

इस तरह दक्षिण-पूर्व में रोक दिए जाने पर महाराजा ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य पंजाब में अपने क्षेत्रों को मजबूत कर लिया। जैसा कि लॉर्ड एनेनबरो के अध्याय में हम पूरी गाथा दे आये हैं, महाराजा की महत्वाकांक्षा को सिंध क्षेत्र में उस समय ठेस लगी जब ब्रिटिशों ने 1832 में उस देश के अमीरों के साथ एक व्यापारिक संधि कर ली जिसका फल सिंध पर उनके अधिकार के रूप में मानने आया। महाराजा को अफगानिस्तान के भूतपूर्व शाह शाहजुआ में भी लाभ

उठाने का अवसर नहीं प्रदान किया गया जिसका विवरण आगे आएगा। सच ता यह है कि अमृतसर में महाराजा के कूटनीतिक पराजय के बाद, महाराजा आगे दिन ब दिन ब्रिटिश सम्बन्धों के कारण कमजोर हो जाता गया। उसके कुछ अत्यधिक तत्पूण अधिकार जो सिस सतलज क्षेत्र में थे जैसे वन्नी और फिराजपुर, इस संधि के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये सिंध में उसकी महत्वाकांक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, अफगानिस्तान में उसकी रुचि पर प्रहार किया गया। 1829 में जैकमाट ने लिखा कि महाराजा का यह स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश जम्ता का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। उसने एक बार कहा भी कि नक्सल पर ब्रिटिशों का रण लाल है और एक समय ऐसा आयेगा जब पूरे देश का नक्सल ही लाल हो जाएगा। 1839 में जब महाराजा की मृत्यु हुई तो वह अपने मन में आश्वस्त था कि उसके राज्य के दिन गिने चुने हैं।

### अफगानिस्तान से सम्बन्ध

जब रणजीत सिंह ने अपने मिस्ल का उत्तरदायित्व संभाला उस समय पंजाब में ऐसे भी क्षेत्र थे जिसपर अफगानों के विजय के बाद उन्हें नेताओं के अधीन सौंप दिया गया था जो अब उन्हें तो न दत्त था पर अफगानिस्तान के शासकों को अपना शासक मानते थे। इन क्षेत्रों में स महत्त्वपूर्ण थे कश्मीर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खा, डेरा गाजी खा और झंग आदि। इस तरह स्वाभाविक रूप से यदि महाराजा पूण पंजाब का सगठित करना चाहत तो इन छोट छोट राज्यों से भी लड़ना पड़ता। रणजीत सिंह ने 1807 में कसूर जीता और 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया और इस तरह के राज्यों पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। पर इनमें से किसी भी विजय ने उस अफगानिस्तान के संपर्क में नहीं पहुंचाया।

**कश्मीर की विजय**—वह अब बड़े राजनतिक खेल में लगना चाहता था अर्थात् वह कश्मीर और पेशावर पर अधिकार करना चाहता था जिसके फलस्वरूप वह सीधे अफगान शासकों के संपर्क में आ गया। 1809 के बाद अफगानिस्तान में गद्दी के लिए गम्भीर संघर्ष प्रारम्भ हुआ। उस वर्ष एल्फिंस्टन ने जैसे ही शाहशुजा से संधि पूरी की उसी समय उसके सीतेले भाई महमूद शाह ने कांधार पर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही नीमला में उसे पराजित कर अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया। शाहशुजा ने कश्मीर में अफगान गवर्नर अता मुहम्मद की सहायता से अपनी गद्दी प्राप्त करने की चेष्टा की पर पराजित हुआ। वह शरण के लिए पहले कश्मीर पहुंचा वहां से लाहौर और अंततः ब्रिटिशों ने उसे लुधियाना में शरण दी।

अफगानिस्तान में अपने को स्थापित करने के बाद महमूद शाह ने कबीर फतेह खा को कश्मीर पर आक्रमण कर अता मुहम्मद को दंडित करने का आदेश दिया।

1812 में फतेह खा एक सेना सहित आगे बढ़ा पर वह घाटी में प्रवेश करे उसके पहले उसे एक सूचना मिली कि इसी समय रणजीत सिंह की सेनाए भी कश्मीर पर आक्रमण व विजय के लिए आ रही है। रणजीत सिंह और फतेह खा रोहतास में मिले और यह समझौता किया कि दोनों मिलकर कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और बाद में लूटके माल और क्षेत्रों में से 1/3 भाग सिखों को दिया जायेगा।<sup>1</sup> पर जैसे ही सम्मिलित सेनाएं आगे बढ़ी एक स्थान पर पहुंचकर फतेह खा ने सिखा को घोखा दे दिया और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। सिखों को कुछ नहीं दिया गया न तो लूट सामग्री में से और न ही क्षेत्रों में से। फतेह खा ने घाटी को जीता और यहां पर शक्तिशाली गवर्नर के रूप में अपने भाई आजिम खा को नियुक्त किया।

पर रणजीत सिंह कूटनीति में कोई अचेतन नहीं था। उसने अता मुहम्मद के एक भाई अटक के शासक जहादाद खा में भरोसा किया। सिंध के दक्षिण में अटक एक महत्वपूर्ण जगह थी। इस सभावना से कि वही कश्मीर की तरह अटक पर भी फतेह खा अधिकार न कर ले उसने इस किले पर शक्तिपूर्वक सिखों का अधिकार हो जाने दिया। रणजीत सिंह ने जहादाद खा को उसके सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए एक लाख रुपये दिये। और इस तरह सिख राजा ने एक बड़ा इनाम प्राप्त किया। अटक के किले की युद्ध की दृष्टि से बड़ी महत्ता थी। मध्य एशिया के भारत के आक्रमणकारियों के रास्ते में यह किला पड़ता था जो पंजाब की रक्षा का अच्छा बाधा कर सकता था। इस किले के हाथ में होने से रणजीत सिंह अपने क्षेत्र को बड़ाकर घेरे तक ले जा सकता था।

जब फतेह खा को इसकी सूचना मिली तो वह अति दुखी हुआ और उसने तुरंत अपने छोटे भाई, दोस्त मुहम्मद के नेतृत्व में सिख चुनौती से निवटने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस तरह रणजीत सिंह के समय प्रथम सिख अफगान लड़ाई चुंच में हुई जिसमें सिखा को इतनी पूर्ण विजय प्राप्त हुई कि उन्होंने और आगे बढ़कर अफगान कैम्प हजरो को लूटा। दोस्त मुहम्मद ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय तो दिया पर उसके साथी निराश हो गये जिसके फलस्वरूप फतेह खा को निराश अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा।

चूंकि रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के बीच यह पहला सघर्ष था इसलिए सिखा की विजय न इन्हें उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने को प्रोत्साहित किया। पर इससे भी अधिक सिख विजय की महत्ता यह थी कि यदि फतेह खा अफगानिस्तान और कश्मीर पर विजय प्राप्त कर सगठन कर सकता और 'सिखों पर भी विजय प्राप्त कर सकता'। डॉ० एन० के० सिंहा के शब्दों

1 सिंध की शर्तों के सम्बन्ध में अलग अलग मत हैं। देखें छाबड़ा हिस्ट्री ऑफ पंजाब भाग 2 पृ० 61।

मे “निश्चित ही वह अहमद शाह अब्दाली की सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित करने की चेष्टा में सफल होता।”<sup>1</sup> रणजीत सिंह का कश्मीर पर दूसरा आक्रमण 1814 में हुआ। पर चूँकि आजिम खा ने अपनी शक्ति संगठित कर ली थी इसलिए इस घाटी में विजय सरल नहीं। बाद में जब अफगानिस्तान में फतेह खा की हत्या कर दी गयी तो आजिम खा को उसका स्थान लेने के लिए जाना पड़ा। जान से पूर्व एक कमजोर व्यक्ति जबर खा को उसने अपना उत्तराधिकारी गवर्नर बनाया। इसी कारण इसी साल में तीसरी बार 1819 ई० में मिस्र दीवान चंद के नेतृत्व में एक सेना भेजी गयी जिसने लगभग बिना शरिरपात किये विजय प्राप्त कर ली और कश्मीर पर अधिकार कर लिया।

पेशावर की विजय—पेशावर को कभी अफगानों द्वारा सिखा से छीना जाना इस दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण था कि पेशावर से अफगानों को हटाने के बाद, यह अफगान क्षेत्र पर अधिकार का एक नवीन प्रयास था। पेशावर पर प्रथम सिख आक्रमण ठीक उसी तरह की परिस्थिति में हुआ जिस तरह कश्मीर पर हुआ था। नाबुल का वजीर फतेह खा शक्तिशाली होता जा रहा था और खैबर के इस आर पेशावर, नौशेरा आदि क्षेत्र उसने अपने भाइयों सदर यार मुहम्मद खा, सुल्तान मुहम्मद खा और दोस्त मुहम्मद खा को सौंप दिया। फतेह खा की बढ़ती शक्ति काबुल के शासक शाह महमूद के आँखों में गड़ रही थी जिसके लड़के कामरान ने वजीर की हत्या करा दी। इसका विवरण ऊपर आ चुका है। इसी घटना के कारण फतेह खा का भाई आजिम खा कश्मीर से दृश्य स्थल पर पहुँचा। शाह महमूद और कामरान दोनों क्रम क्रम लिये गये और आजिम खा ने शाह महमूद के भतीजे शाह अब्दुल को गद्दी दिलाई और स्वयं वजीर हो गया। इन परिस्थितियों ने रणजीत सिंह को यह अवसर प्रदान किया कि वह पेशावर पर 1818 में आक्रमण करे।

जैसे ही सिख सेनाएं आगे बढ़ी, यार मुहम्मद और दोस्त मुहम्मद जो कश्मीर के एक साथ गवर्नर थे, कश्मीर नगर से भाग पड़े हुए और युसुफजाई पर्वतों में शरण ली। पेशावर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया पर उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना स्वीकार नहीं कर बुद्धिमानी का परिचय दिया। रणजीत सिंह ने 25 हजार रुपये का नजराना प्राप्त किया और नगर अपने पुराने अटक के मिर्ज़ा जहादाद खा के हाथों सौंप दिया और उसे अपना सहायक बना लिया। पर इसके कुछ समय ही बाद यार मुहम्मद खा ने नगर पर पुनः अधिकार कर लिया और जहादाद खा को खदेड़ दिया। रणजीत सिंह को तुरन्त आक्रमण करना पड़ा। पर अब की बार यार मुहम्मद ने स्वयं सिखा का सहायक बनना स्वीकार कर लिया

1 सिखा एन० के० रणजीत सिंह प० 52।

2 छाबड़ा पूर्वोक्त भाग 2 प० 59-65।

और 50 हजार रुपये का नजराना प्रदान किया जिससे सिख सेनाएं वापस बुलाई गयीं ।

यह सब काबुल के वजीर अजीम खा को अच्छा नहीं लगा । 1823 में दशहरे के अवसर पर जब रणजीत सिंह ने उसके भाई यार मुहम्मद से वार्षिक कर वसूला तो वह क्रोध हो गया । उसने एक बड़ी सेना एकत्रित कर सिख शक्ति को चुनौती दी और अटक तथा पेशावर के बीच बसने वाली कट्टर जातियों को जेहाद के लिए उभारा । समाचार पाकर रणजीत सिंह ने भी तैयारी की और एक शक्तिशाली सेना के साथ आगे बढ़ा । इस सेना में हरि सिंह नलवा, घना सिंह मलवाई, अत्तर सिंह सधनवालिया और दीवान किरपाराम जैसे प्रसिद्ध सेनापति थे । वह मिला दीवान चंद के साथ पीछे पीछे चला । दोनों सेनाएं नौसेरा में मिलीं । अफगान अपने कट्टरता से भरे साहस और बहादुरी के कारण कुछ समय तक तो अफगान जीतते दिखते थे । अकाली फूला सिंह मार डाले गये और सिख साहस खो ही रहे थे कि इसी समय रणजीत ने गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और सिखों के समक्ष हिंसापूर्ण भाषण दिया और 'सत श्री अकाल' का नारा लगाया । इससे सिख उत्साहित हुए और अफगानों ने यह अनुभव किया कि सिखों की कोई नयी सेना आई है और वे भाग खड़े हुए । व स ने लिखा है कि, "सिखों ने विजय 'सत श्री अकाल' शब्दों के उच्चारण के कारण प्राप्त की ।"<sup>1</sup>

इस युद्ध में सिखों के 2000 सैनिक मारे गये जबकि पठानों के 4000 सैनिक मारे गये । कुछ अति उत्तम सिख अधिकारी जैसे अकाली फूला सिंह, गुरखा जनरल बालु बहादुर और गभ सिंह भी मारे गये । पर अजीम खा बहुत निराश हुआ । "वह रोने लगा और उसने अपनी दाढ़ी नोचनी प्रारम्भ कर दी, उसने अपने साथियों के धोखेबाजी की आलोचना की जो उसके ऊपर इतनी बड़ी आफत ले आये ।"<sup>2</sup>

रणजीत सिंह ने विजयोल्लास में पेशावर नगर में फिर से प्रवेश किया जहां तमाम नागरिकों ने उसका स्वागत किया । यार खान जो अफगान सेनाओं को देख कर भाग गया था, वापस आया और पेशावर का फिर से गवर्नर नियुक्त किया गया । अब उसे एक लाख दस हजार वार्षिक का कर देना था । नौसेरा में रणजीत सिंह की विजय अति महत्त्व की थी । जिस तरह चुच की विजय ने सिंध के पूव में उसकी शक्तिशालिता को सिद्ध किया था ठीक उसी तरह "इस युद्ध ने सिंध और पेशावर के बीच उसकी महत्ता को सिद्ध कर दिया था ।"

पर इस विजय के तीन वर्षों के अंदर ही रणजीत सिंह को पेशावर में एक अन्य

1 बस ट्रेवल्स पृ० 124 ।

2 सतीश सय्यद मुहम्मद हिस्ट्री आफ द पंजाब पृ० 430-31 ।



चुनौती का सामना करना पड़ा। 1827 में एक अफगान कट्टरपंथी संव्यद अहमद, जो मंग्रेगर के अनुसार "अपने विरादरी के अध्या की भांति खतरनाक और पड़्यत्र-कारी था"<sup>1</sup> और जो कुछ के मतानुसार ब्रिटिशों के हाथ की बठपुतली था, ने अपन को पैगम्बर घोषित किया, यार खा को चुनौती दी, पेशावर पर अधिकार किया और अफगानों को रणजीत सिंह के विरुद्ध जेहाद छेड़ने के लिए कहा। हरिसिंह नलवा को भेजा गया जिसने अफगानों को सडू में पराजित किया। पर इससे कुछ ही दिनों बाद पठान पुनः एकत्रित हुए यार मुहम्मद को मार डाला और पेशावर पर पुनः अधिकार कर लिया। एक समय तो ऐसा लगा कि पेशावर सिखा के हाथ से निकल गया है। पर एक शक्तिशाली सिख सेना पुनः प्रकट हुई जिसका नेतृत्व सेनापति वेनतुरा और शेरसिंह कर रहे थे। इस नगर पर अधिकार कर लिया। डॉ० आर० आर० मेठी के अनुसार, 'रणजीत सिंह को उस व्यक्ति की प्रशासकीय योग्यता पर भरोसा न रहा जो सुदूर देश के इस नगर को सभाल सकता क्योंकि यहाँ के लोग और सिखा में जन्मजात शत्रुता थी।' इसलिए उसने यार मुहम्मद के भाई सुल्तान मुहम्मद को पुरानी शर्तों पर पेशावर का शासक नियुक्त किया।

1833-34 में रणजीत सिंह की सहायता प्राप्त कर अफगानिस्तान का भूत-पूर्व शासक शाहशुजा अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ा। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। जब अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक दोस्त मुहम्मद इस युद्ध से निबटने में लगा और चूंकि कुछ समय से हरिसिंह नलवा उत्तर-पश्चिम सीमा पर आगे बढ़ने की नीति का समर्थन कर रहा था रणजीत सिंह ने पेशावर जीतकर अपने नियंत्रण में रखने का निश्चय किया। फलस्वरूप अप्रैल 1834 में एक शक्तिशाली सिख सैनिक आक्रमण नौनिहाल सिंह के नाम मात्र के नेतृत्व में किया गया क्योंकि असलियत में हरिसिंह नलवा और फासीसी सेनापति वेनतुरा तथा कोट इसके सेनापति थे। इस सेना ने चमकानी पहुँचकर आक्रमण के लिए स्थिति सभाली। बडकजाई सरदारों ने अपने परिवारों को भेजकर स्थिति से निबटने की तयारी कर ली थी। वहाना यह किया गया कि कर देने में देरी की गई है और इससे भी आश्चर्यजनक यह था कि नौनिहाल सिंह की उपस्थिति व नेतृत्व में यह माग की गई कि कर बढ़ा दिया जाय। माग को तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। पर तुरन्त ही एक नया आश्चर्य पैदा करने वाला सवाद मिला कि चूंकि नौनिहाल सिंह नगर में आना चाहता है इस लिए सुल्तान मुहम्मद को कुछ काल के लिए इसे त्याग देना चाहिए। सुल्तान मुहम्मद ने ऐसा ही किया और बंग नदी के तट पर शेखा नामक अपने गाँव चला गया। सिखा ने पेशावर पर 6 मई 1834 को

1 मंग्रेगर रिस्टा आफ द निलम भाग 1 पृ० 162।

2 मेठी आर० आर० द माइनी एण्ड द श्रीउर महाराजा पृ० 168।

अधिकार कर लिया जिसे औपचारिक रूप से रणजीत सिंह के राज्य में मिला लिया गया और हरिसिंह नलवा को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया ।

जब दोस्त मुहम्मद को यह समाचार मिला तब वह शाहशुजा के साथ युद्ध में व्यस्त था । पेशावर की हानि ने उसे क्रुद्ध कर दिया और उसने अपने शत्रु पर भयानक आक्रमण करके पराजित कर दिया, जिसके फलस्वरूप शाहशुजा को अपने सैनिकों सहित भागना पड़ा । इस प्रथम विजय के उत्साह में दोस्त मुहम्मद ने रणजीत सिंह को लिखा और परामर्श दिया कि, "यदि आप कृपा करके, दया व उदारता की भावना में पेशावर हमें वापस कर दें तो हम आपके दरबार में सुल्तान खा को भेजेंगे ।" इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे युद्ध के लिए तैयार रहे । रणजीत सिंह ने इसे मानने से सीधे इनकार कर दिया जिसके फलस्वरूप 18 सितम्बर, 1834 को अफगानाना युद्ध की घोषणा कर दी और इसके उत्तर में महाराजा न उतनी ही मजबूत सेना उसके उत्तर के लिए भेज दी ।

पर सिखा के विरुद्ध सफलता बिना विशेष तयारी के संभव नहीं थी । अफगान शासक ने इसीलिए इस युद्ध को धार्मिकता का रंग देने का निश्चय किया । पर यह इसलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि वह अपने नाम से सिक्के नहीं ढलवा सकता था और चूंकि दोस्त मुहम्मद साधन के अभाव में तथा अपने विरोधी भाइयों के ईर्ष्यावश राजा की उपाधि नहीं प्राप्त कर सका था इसलिए उसके नाम से खुत्वा भी नहीं पड़ा जा सका । पर कुछ सोच विचार के बाद दोस्त मुहम्मद ने अतत यह सब करने का निश्चय किया । 4 दिसम्बर 1834 को काबुल के मुख्य मुल्ला मीर घायज ने उसे अमीरुल मोमिन घोषित किया । उसने दूमर दिन गाजी की पदवी धारण की और जेहाद के लिए तैयारी प्रारम्भ की । पर साधन के अभाव में उसे जनता का शोषण करना पड़ा जिसके कारण थोड़े ही काल में पूरा क्षेत्र "शोषण और कष्ट का चित्र" दिखाई पड़ने लगा । पर जब इससे भी पूरा नहीं पड़ा तो दोस्त मुहम्मद ने तमाम सरदारों से सहायता की अपीलें की । बाघार, बुन्दूज के मुहम्मद मुराद बेग और सिंध के अमीरा से भी सहायता की अपीलें की गयी । सिंध के अमीर ने सहायता के लिए बड़ी बड़ी शर्तें भेजी । केवल बिजनौर के मीर आलम खा और पजशीर के फतेह खा युमुफजाई ने कुछ सेना भेजने का कहा । ब्रिटिशों से भी दोस्त मुहम्मद ने रुस का भय दिलाकर सहायता की अपील की । लुधियाना में ब्रिटिश एजेण्ट चाडे ने गवर्नर जनरल के पास सस्तुति प्रेषित कर दी । पर गवर्नर जनरल ने सीधा इनकार करते हुए एजेण्ट को लिख भेजा कि अफगान शासक से मैत्री का पत्र-व्यवहार ता जारी रखा जाय पर उसे किसी सहायता का आश्वासन न दिया जाय ।

इस बीच रणजीत अपनी युद्ध की तैयारी करता रहा और अप्रैल 1835 में

पच्छीम हजार सिख सैनिक आगे बढ़े। दोनों सेनाएँ अपनी-अपनी गीमा पर लड़ी रही और किसी ने भी युद्ध प्रारम्भ नहीं किया। महाराजा ने कूटनीतिक चाल का ध्यान में रखकर देरी की जबकि दास्त मुहम्मद ब्रिटिशों से अब भी निश्चित उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। रणजीत सिंह अतत अपने कूटनीतिक खेल में सफल हुआ। वाडे ने लिखा है कि, "यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह सर्वोच्च था।" महाराजा ने अपनी मेवा में एक अमेरिकी हरला के साथ फ़रीर अजीजुद्दीन को दास्त मुहम्मद के साथ संधि करने के लिए भेजा। पर असल में इन्हें उसके दरबारियों का घूस देकर फोड़ने के लिए भेजा गया था। दोस्त मुहम्मद स्तम्भित रह गया। उसके भाई सुल्तान मुहम्मद को फुसलाकर अपनी आर मिलाया गया जिसने दोस्त मुहम्मद के सिख एजेंटों का कूट करने के प्रयास को भी विफल कर दिया। इस बीच गुलाब सिंह और अविताविले को कोहाट की ओर भेज दिया गया था और वे तुरा महाराजा से अटक में जा मिला था। इस बीच कुछ सेना आग इसलिए बढ़ाई गई जिसमें दोस्त मुहम्मद को सिख तोपखाने के दायरे में लाया जा सके। ऐसी स्थिति में दोस्त मुहम्मद के पास या तो तुरत लड़ने का रास्ता था या युद्ध क्षेत्र से तुरत भाग खड़े होने का। 11 मई, 1835 की रात को वह भाग खड़ा हुआ। इस तरह "सिख शासक के पडयत्न ने, जिसके कारण अमीरो के गृह क्षेत्र में दरार पैदा हो गई रात भर में अफगान तयारी को नस्त नाबूद कर दिया जिसकी ओर सिख सगठन और सना भय से देख रहे थे।"<sup>1</sup>

सुल्तान मुहम्मद और उसके भाय्या—पीर मुहम्मद और सय्यद मुहम्मद न जब पशावर पर अपना अधिकार त्याग दिया तो उन्हें कर के बदले हश्तनगर, कोहाट और तक्को प्रदान किया गया। इन्हें यह भी काय सौंपा गया कि वे सिखा के विरुद्ध दोस्त मुहम्मद की भविष्य की योजनाओं पर निगाह रखें।

इस सद्मे में उबरने में दोस्त मुहम्मद को समय लगा। इस बीच 1836 के बीच में सिखों ने शबकदर में एक किला पूरा कर लिया जिसने उन्हें पवतीय क्षेत्र में तोपे डीन के लिए पशावर से जलालाबाद तक रास्ता प्रदान किया। एक अन्य किले के निर्माण का काय जमरूद में प्रारम्भ किया गया जो खैबर के निकट ही था।

पशावर पर अतत शक्ति से अधिकार बनाये रखने के पव सिखा को अफगानों से एक बार और लड़ना पडा। 1837 में राजकुमार नौनिहाल सिंह का विवाह होना तय हुआ। हरि सिंह नलवा ने इस अवसर के लिए सेनाएँ भेजी। फास्ट नामक व्यक्ति जो भारत में ब्रिटिशों की सेवा में था और दोस्त मुहम्मद के पुत्र अकबर खा का मित्र था जमरूद से होकर इस समय जा रहा था। उसका उद्देश्य अकबर

से भेंट करना था। उसने जमरूद के किले को असुरक्षित देखा था और उसने अकबर से इस अवसर का लाभ उठाने को कहा। अकबर ने सिखा से झगड़े का बहाना खोजा और एक नाले से पानी लेने का झगडा 30 अप्रैल, 1837 के ऐतिहासिक युद्ध में बदल गया जिसमें अतत अफगान पराजित हो गए।

पर सिख हानि भी कम नहीं हुई। सिखों का महान सेनापति हरि सिंह नलवा किले की रक्षा करता हुआ, महाराजा को घटना की सूचना भेजने के बाद मारा गया। पर यह संदेश रणजीत सिंह के पड़्यत्तकारी डोगरा सरदारों द्वारा रणजीत सिंह को नहीं दिया गया जिसके फलस्वरूप युद्ध-स्थल पर सिख सेना प्रेषित नहीं की जा सकी। इस तरह यो तो महाराजा की यह विजय भी महान थी जिसके बाद पेशावर बराबर उसके हाथों में बना रहा, पर एकाक्षी सम्राट की हानि भी छोटी नहीं थी। जब रणजीत सिंह को हरि सिंह नलवा के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह उदास हो गया।

### शाहशुजा और रणजीत सिंह

अफगानिस्तान से रणजीत सिंह के सम्बन्ध का एक दूसरा पहलू भी था जिसमें अतत वह ब्रिटिश कूटनीतिज्ञता से पराजित हो गया। यह बात अफगानिस्तान के भूतपूर्व शासक शाहशुजा के सम्बन्ध में थी जिसे रणजीत सिंह ने पुन गद्दी दिलाने में सहायता के लिए आश्वस्त किया।

जैसा हम बता आए हैं, शाहशुजा 1809 में उस समय अफगानिस्तान से भगा दिया गया जब उसके सौतेले भाई महमूद शाह ने अफगान-गद्दी पर अधिकार कर लिया। कुछ कठिनाइयों के बाद शाहशुजा न कश्मीर में शरण ली जहाँ उसे नजर-बन्द कर दिया गया। उसकी पत्नी लाहौर की ओर आगे बढ़ी जहाँ महाराजा ने उसे शरण भी दी और अच्छी मासिक पेंशन भी बाध दी। बाद में इस महिला ने महाराजा से अपने पति को छुड़वाने में सहायता के लिए याचना की और यह वादा किया कि ऐसा हो जान पर इसके बदले लाहौर सम्राट को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर प्रदान किया जाएगा। यह भी एक कारण था जिससे महाराजा ने 1812 में कश्मीर पर आक्रमण किया था। इसमें रणजीत सिंह को फतेह पान घोखा दिया पर वह शाहशुजा को सुरक्षित वापस लाने में सफल हुआ। अफगान राज-परिवार को अब कोहिनूर दान के लिए बुलाया गया जिसमें उन्होंने आनावानी की और यह कहा कि वह हीरा तो उनके पास है ही नहीं। पर महाराजा को धासा नहीं दिया जा सका और शाहशुजा को कोहिनूर (प्रकाश के पर्वत यह कोहिनूर का साहित्यिक अर्थ था) में अलग होना पडा।

हीरे को गवान के बाद और कुछ अन्य दुभाग्या की झेलता शाहशुजा बचकर ब्रिटिश क्षेत्र में चला गया जहाँ ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए पचास हजार रुपये

की प्रति वष की व्यवस्था कर दी । यह धन उसके भरण पोषण, खान बपड़े के लिए पर्याप्त था और साथ ही उस गद्दी की पुनर्प्राप्ति का स्वप्न देखन का भी अवसर मिला । इस स्वप्न को साकार करने का प्रयास उसन 1818 में कश्मीर के अजीम खा की सहायता से करने की चेष्टा की पर उसे सफलता न मिली ।

रणजीत सिंह न 1818 में पेशावर पर अधिकार किया था । पर इस पर सीधे अफगान करने के स्थान पर अफगाना के भय से, उसन इस एक सहायक राज्य के ही रूप में अपने पास रखा । अफगान शासक की ओर से इसे वापस लेने का बराबर प्रयास चल रहा था और इस प्रयास में 1823 के बाद भी कमी नहीं आई जब सिखों के हाथों नौशेरा में अजीम खा बुरी तरह पराजित किया गया । इही परिस्थितियों में 1826 में महाराजा न शाहशुजा को अफगानिस्तान का पुनः शासक बनाए जाने का समर्थन किया जिससे उसे आशा थी कि सिंध के उस पार की तमाम समस्याएँ सुलझ जायेंगी । इससे युसुफजाई कबीले की समस्या भी सुलझ जायगी जो लगातार कठिनाइयाँ पैदा करते रहते थे ।

इसलिए शाहशुजा का लाभपूर्ण शर्तें भेजी गई पर शाहशुजा उन्हें स्वीकार करने का तैयार नहीं था क्योंकि उसे महाराजा में अभी पूर्ण विश्वास नहीं था । ब्रिटिश भी इस योजना के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहे थे जो इसलिए आवश्यक था कि उनका संरक्षण उस पर बना रहे ।

पर शीघ्र ही इस अवसर को खो देने के लिए शाहशुजा पछताया । और जब सैय्यद अहमद न पेशावर में जेहाद की घोषणा करके भी असफलता प्राप्त की तो शाहशुजा ने रणजीत सिंह से संपर्क किया और यह पूछा कि क्या वह अब भी उसे सहायता करने को तैयार है । रणजीत सिंह तो उसकी सहायता का तयार हो गया, पर ब्रिटिशों की चेतावनी के कारण मामला ठण्डा पड़ गया ।

1830 में शाहशुजा का एक ऐसा ही प्रयास फिर असफल हो गया । पर 1832 में चूँकि परिस्थितियाँ बदल गयीं इसलिए पुराने शासक के लिए अनुकूल अवसर आया । रूस की सहायता से फारस का शासक अब्बास मिर्जा अफगानिस्तान की ओर अपने क्षेत्र के विस्तार का प्रयास कर रहा था । बकि अफगान शासक ऐसे शक्तिशाली शासक का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे इसलिए शाहशुजा आश्वस्त था कि यदि इस परिस्थिति में वह शक्तिशाली सेना जुटा सके जिससे अफगान शत्रुता का विरोध सम्भाला जाय तो अफगान उसका फिर से शासक के रूप में स्वागत करेंगे । सिंध के अमीरा न जा अफगाना न अति साधारण साव भौमिकता में आते थे कुछ शर्तों पर शाहशुजा को सहायता करना स्वीकार किया । अफगान नेताओं द्वारा भी उन उसी तरह का सहायता देने का निमन्त्रण मिला । इन परिस्थितियों में शाहशुजा न एक बार फिर महाराजा से संपर्क स्थापित किया । इस बार महाराजा न शाहशुजा से बातचीत की जगह पर ब्रिटिशों से

सपक कर यह जानना चाहा कि क्या वे भी इस तरह की योजना में भाग लेने को तैयार हैं। पर हसी खतरे के बावजूद ब्रिटिशों ने इस सम्बन्ध में कब-कब बातें दियीं।

पर रणजीत सिंह ने इस ओर से अभी कदम नहीं खींचा। उन्होंने शाहशुजा को इस शत पर आर्थिक सहायता देने को कहा कि सफलता के बाद उसे सिख विभाजन सिखों के साथ कर लेगा। पर यह एक ऐसी व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं माना और बताया कि अमीर अफगानों के नेतृत्व में मुल्क को ब्रिटिशों ही अफगान गद्दी प्राप्ति में इसे बीच में लादा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका।

पर शाहशुजा ने ब्रिटिशों से इस सम्बन्ध में सन् 1809 में 16 हजार रुपये देने को तैयार हो गए। यह सहायता देना शुरू हुआ जो इस शत पर आर्थिक सहायता देने के लिए अफगान क्षेत्रों से अपने अधिकार का प्रतिष्ठापन करने के लिए सिखों के अधिकार में आ गया है। 1812 में 13 हजार रुपये की सहायता दी गई और इस तरह सहायता देने का प्रारम्भ हुआ।

मेरे ही समर्थों।”

इसने ब्रिटिश कारवाई में तीव्रता ला दी। रणजीत सिंह और शाहशुजा दोना का बुलाकर एक द्विपक्षीय संधि की गई जिसमें यह तय किया गया कि दोस्त मुहम्मद के स्थान पर शाहशुजा का शासन बनाया जाय। 1838 में संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसकी शर्तों का परीक्षण हम 'प्रथम अफगान युद्ध' के अध्याय में ही कर आये हैं।<sup>1</sup>

संधि की शर्तों रणजीत सिंह के स्वीकार करने योग्य थीं। पर जब बाद में उसे पता चला कि शिवाहरपुर पर उसका अधिकार नहीं माना जाएगा और न ही उसे जनालाबाद पर अधिकार करने दिया जाएगा और इसका अतिरिक्त जब ब्रिटिशों ने आपात काल के लिए संधि के तट पर सेनाएं भेजना का निश्चय किया तो रणजीत सिंह को दाल में कुछ काला नजर आया और उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कनिंघम लिखता है<sup>2</sup> कि जब ब्रिटिशों ने अपने बलबूत पर इस योजना को आगे बढ़ाने को कहा तो महाराजा को संधि-पत्र पर बाध्य होकर हस्ताक्षर करना पड़ा।

इस तरह जो महाराजा शाहशुजा को अफगान गद्दी पर लाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था समय आने पर इस मामले में अनिच्छुस हो गया। संभवतः महाराजा की यह इच्छा थी कि अफगान गद्दी पर जो व्यक्ति बैठे वह अफगानों पर सिख-सहायता और सदिच्छा से ही शासन करे। यदि ऐसा हो सकता तो जिन अफगान क्षेत्रों पर सिखों का अधिकार था उसे पकड़ा कराया जाता और सिखों की महत्वाकांक्षा को उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र में और आगे तक ल जाया जा सकता, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिशों ने उसके उद्देश्य को नकार दिया और इसके पूर्व कि शाहशुजा अफगान गद्दी पर अधिकार कर सके, रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय महाराजा ब्रिटिश आक्रामक नीति से निराश और त्रस्त था। अफगानिस्तान में ब्रिटिशों की कारवाही का विवरण हम पहले ही दे आये हैं। शाहशुजा को गद्दी प्रदान भी की गई तो शीघ्र ही वह मार डाला गया। ब्रिटिशों को स्वयं भी विनाश का सामना करना पड़ा। इस सम्बन्ध में मग्रेगर लिखता है, 'यदि रणजीत सिंह जीवित होता और शाह की सफलता में अपनी महत्वाकांक्षा के दशन करता तो शायद ही उसे कोई प्रसन्नता होती। पर यदि ब्रिटिशों का विनाश देखने के लिए जीवित रहता तो निश्चित ही वह इस स्थिति से नाभ उठाने की कोशिश करता।'<sup>3</sup>

1 देख अध्याय 4।

2 कनिंघम सिखों का इतिहास, पृ० 198।

3 मग्रेगर पूर्वोक्त भाग 2 पृ० 45।

### उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति

इसके पूर्व कि हम सिख अफगान सम्बन्धों की चर्चा समाप्त करें, यह रुचिकर होगा कि हम रणजीत सिंह की उत्तर-पश्चिम सीमा नीति पर विचार कर लें। भारत के इतिहास में इस सीमा की रक्षा और उचित प्रशासन भारतीय शासकों के लिए एक सिर-दर्द रहा है। रणजीत सिंह इसमें अपवाद नहीं था। कुछ लेखक सोचते हैं कि महाराजा की महत्वाकांक्षा अफगानिस्तान पर स्वयं अधिकार करने की थी और इस तरह "विधिवेत्ता के उस भविष्यवाणी को वह सच करेगा और चदन का दरवाजा वापस लायगा। यह एक ऐसा काय होगा जो रणजीत सिंह के और कार्यों में चार चांद लगा देगा।" और साथ ही भारत पर आक्रमण करके खून बहाने वाला से वह बदला भी ले लेगा और यह इस बात से सिद्ध है कि रणजीत सिंह न अफगान गद्दी पर अपना ही व्यक्ति रखने की हमेशा चेष्टा की।<sup>1</sup>

रणजीत ने बाड़े से स्वयं एक बार कहा, "फ्रांसीसी अपसर मुझसे यह कहते हैं कि यदि मैं 90 नियमित बटालियने, दो या तीन घुड़मवारों का रेजीमट और कुछ तोपखाना उह दे दू तो वे काबुल जीत लेंगे और पूरे अफगानिस्तान को मेरे अधिकार में ला देंगे।" महाराजा का सबसे अच्छा सेनापति हरि सिंह नलवा भी इस मामले में कम उत्साही नहीं था। मच तो यह था कि वह अरब से इस सीमा पर आगे बढ़ने की नीति की कालत कर रहा था। पर तथ्य यह है कि महाराजा स्वयं इस तरह की विजय की योजना को गम्भीरता से नहीं लेता था क्योंकि उस क्षेत्र में काफी दिना से अव्यवस्था फैली हुई थी। इस नीति के कई कारण थे। इनमें से प्रथम यह था कि वहां की स्थानीय भौगोलिक, क्षेत्रीय और जलवायु सम्बन्धी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह स्वयं या उसके सेनापति और सैनिक उसमें सुविधा में रह सकें। महाराजा ने एक बार कश्मीर में विनाश का सामना किया था और इस कारण इस तरह की योजना को वह पुनः अपने मन में न लाया होगा। दूसरे वह इसके लिए अपने को पर्याप्त शक्तिशाली भी नहीं समझता था क्योंकि इस नीति का अपनाते के बाद ब्रिटिशों की ईर्ष्या और विरोध का उस सामना करना पड़ता। तीसरे, उस भी इस ओर रणजीत सिंह के प्रभाव का बढ़ना हुआ न बढ़ाए करता और न ही रणजीत सिंह अपने राज्य की सीमा में रूस की सीमाओं के नियंत्रण जाना पसन्द करता। और अन्तिम रूप में, उस क्षेत्र के शक्तिशाली कबीले शक्तिशाली सिख साम्राज्य के अनुगामी कभी न होते, इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। इसके बिना अफगानिस्तान पर सिखों का अधिकार केवल विनाश का उपस्थित करता।<sup>2</sup>

1 मिश्रा एन० ए० पृष्ठ 62।

2 सेठी पृष्ठ 229-30।



रणजीत सिंह डरा इस्माइल खा, डेरा गाजी खा, बलू, पाहार, टाक और पेशावर आदि अफगान क्षेत्रों पर अधिकार करके ही सतुष्ट था। पर यहाँ पर उसने अपने वरदाता शासकों के माध्यम से शासन करना अधिक उचित समझा, सीधे शासकीय नियंत्रण द्वारा नहीं। पेशावर के मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। महाराजा ने यहाँ पर जो सावधानियाँ बरतीं उससे सिद्ध है कि वह कितना योग्य राजनयन था। 1834 तक इस क्षेत्र में वह मुस्लिम गवर्नरों के माध्यम से शासन करता रहा। यह उसने तब तक किया जब तक कि उस स्थान पर सीधे शासन करने की स्थिति में वह नहीं हो गया। उस स्थिति में एक आक्रमण द्वारा वह उस स्थान पर अधिकार कर लेता। पर राज्य छीनने के बाद भी प्रशासन में परिवर्तन कम से कम किया जाता और स्थानीय अधिकारियों को सीधे लगा सत्त्व का अवसर प्रदान किया जाता। स्थानीय खा और सरदारों को कर, अथ दंड और दंड देने के अधिकार नहीं स्थिति में भी प्राप्त हो जाते। यहाँ तक कि मौत की सजा तक वे दे सकते थे।

रणजीत सिंह की सीमा के कबीला के प्रति नीति में विचारहीनता या मध्य मार्गहीनता का पुट नहीं था। इन कबीलों के प्रति उसकी नीति को 'टिप एण्ड रन' की नीति का नाम दिया गया है जिसमें ब्रिटिशों ने उत्तर पूर्व के नागाओं के साथ और बाद में उत्तर पश्चिम में इन कबीलों के साथ स्वयं अपनाया। इस नीति का उद्देश्य था समय समय पर शक्तिशाली आक्रमण करके उनमें भय भर देना पर साथ ही इस बात का कभी प्रयास न करना कि वे नियमित रूप में सरकार के नियंत्रण में आ जायें। रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र में कई किलों का निर्माण किया। इससे अफगानिस्तान के विरुद्ध जहाँ एक ओर पंजाब सुरक्षित हुआ वहाँ दूसरी ओर कर वसूली में भी सुविधा हुई। इससे कबीलों को भी शांत रखा जा सता। ये किले दमा, नारा मारू और सताना आदि में बनाय गए। मचीन और मिखम में जो किले बने उससे पेशावर शक्तिशाली हुआ। इनके अतिरिक्त जहागीरा, खराबाद, शबकदर और अटक में भी किले बनाय गए। साथ ही हरिचुर, तबाशर और मनशेरा में भी किलों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली सेना भी संगठित की गई जो घूम फिरकर कबीलों पर निगाह रखती थी और उन्हें शांत रखती थी।

पर इस सबके बावजूद देश के इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की जा सकी। इन कबीलों से बार बार संघर्ष होता था। दीवान राम दयाल अमरसिंह कला और अन्तारसिंह जैसे योग्य सेनापति इन्हीं से लड़ते हुए मारे गए। पेशावर में भी शांति नहीं बनी रह सकी। जब कभी अफगानिस्तान में इनका कोई नेता सिखा के विरुद्ध जेहाद छेड़ता तो इस जाति की धार्मिक भावना सिखा के प्रति उमड़ पड़ती। सैयद अहमद ने ऐसा ही किया। पर इस जाति के द्वारा इस तरह की समस्याएँ

खड़ी करने से महाराजा को क्षेत्रीय हानि नहीं के बराबर ही होती। मासन ने मई 1835 में एक भविष्यवाणी की कि "पेशावर मित्त की भूमि की तरह है पेशावर के कबीले इसराइल की सतानो की भाँति हैं और रणजीत सिंह फरोह की तरह है। अटक नदी नील की तरह लाल हो जायेगी, यदि कोई मोजेज आकर फरोह को उसमें डुबो दे।" पर ऐसा कभी नहीं हुआ।<sup>1</sup>

---

1 मासन पूर्वोद्धृत भाग 6 पृ० 45।

## रणजीत सिंह और सिख राज्य(1780-1839) सतत

## नागरिक प्रशासन

सर लेपेल ग्रीफिन ने लिखा है कि "प्रशासन करना कला है जो बिना विशेष प्रशिक्षण के भी अति बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।" और रणजीत सिंह की इसी तरह के व्यक्तियों व शासकों में गिनती की जायगी।

कुछ लेखकों के अनुसार रणजीत सिंह अपने हाथों में विधायिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका की शक्ति सजोकर क्रूर तानाशाह बन गया था। पर यह उमके चरित्र का बड़ा श्रूर मूल्यांकन है। अपने स्वभाव से ही रणजीत सिंह तानाशाह होने लायक नहीं था। इसे हम उसकी आदतों और कारवाइया में देख सकते हैं। परम्परा में यह पता चलता है कि जब उसने अमृतसर के स्वर्णमंदिर की यात्रा की तो अकाली फूलसिंह ने उसे रास्ते में इसलिए रोका क्योंकि उसने कुछ सिद्ध नियमों और परम्पराओं की अवहेलना की थी। इस पर महाराजा ने तुरन्त कोड़े का दंड भोगन के लिए अपनी पीठ खोल दी।

रणजीत सिंह की नम्रता बहावत बन गई थी। वह ऊँची उपाधियाँ नहीं धारण करता था और न ही सरकार अपने नाम से चलाता था। उसने अपने सरकार का नाम सरकार ए खालसा रखा था। उसके सिक्कों पर नानक महाय या गोबिंद सहाय लिखा होता था। सहाय शब्द का अर्थ रक्षा था। उसके राज्य के सील पर 'श्री अकाल सहाय' लिखा होता था। कनिष्ठों उसके विषय में लिखता है 'चाहे खुले पाव किसी धार्मिक प्रतिनिधि के समक्ष सर झुकाने जाना हो, या लम्बे दाढ़ी वाले किसी सैनिक का पारितोषिक देना हो, चाहे कट्टर अकालियों पर राक लगाना हो अथवा किसी प्रांत पर अधिकार करना हो—वह सदा यह दिखाने की चेष्टा करता था कि सभी कुछ गुरु के लिए किया जा रहा है, खालसा के लाभ के लिए

}

किया जा रहा है और ईश्वर के नाम पर किया जा रहा है।”<sup>1</sup>

गुरु गोविन्दसिंह के पास ‘रणजीत नगाडा’ नामक एक ढोल थी और रणजीत सिंह कहता था कि वह स्वयं गुरु की ढोल है। पेन के अनुसार वह ‘राजशाही की कुछ बाह्य चीजें ही प्रयोग में लाता था। उसके वस्त्र अति साधारण होते थे। वह जिन गहना का प्रयोग करता था वे थे कमर में बाधने वाला मोतियों का पिरोया हुआ गहना तथा थलाई पर बघा हुआ कोहिनूर। उसने माथे पर कोई राजसी वस्त्र नहीं धारण किया और न ही गद्दी का प्रयोग किया।” एक बार उसने बैरन वान ह्युजेल से कहा, “मेरी तलवार मेरे पास बनी रहे बस इतना ही मैं चाहता हूँ।”<sup>2</sup>

इस तरह स्पष्ट है कि रणजीत सिंह का व्यवहार तानाशाह की तरह का नहीं था। पर यदि ऐसा होता भी तो परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थीं। गुरु गोविन्द सिंह ने सिखों के अनेक तरह के तत्त्वों को एक में मिलाया था। इसके अन्तर्गत ‘पजपियारा’ की स्थिति गुरु से भी अच्छी थी। इस सबके कारण सिखों में तानाशाही को स्थान मिलने का प्रश्न नहीं था। अपने प्रयासों के बावजूद महाराजा अकालिया को अनुशासित कर सकता था जो कि अमृतसर के सशस्त्र प्रहरी थे और सिख नैतिकता के पोषक थे। पंजाब के सरदार कमजोर तो हो गये थे, पर उनके पास अब भी ऐसी शक्ति थी जिससे महाराजा उन्हें वंचित नहीं करा सका। लाहौर में दरबार में शक्तिशाली डोगर परिवार के समक्ष कभी वह अपने को असहाय पाता था।

सैनिकों की शक्ति और स्वतन्त्रता की भावना तथा पंजाब के लोगों की इसी तरह के गुणों को भी कम नहीं आया जा सकता था। उन्होंने क्षेत्रों पर विजय महाराजा की व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं की बल्कि इसलिए की जिससे कि खालसा और गुरु का नाम आगे बढ़े। प्रायः महाराजा अपनी इच्छा के विपरीत विजय करने के लिए जाता था जिससे कि सैनिक उसके विरुद्ध खड़े होने की जगह उसी में व्यस्त रहें। जनता में विशेषकर सिख सभी जवान और बूढ़े सैनिक थे। उन्होंने युद्ध के युग देखे थे फिर भी हथियार नहीं डाला था। उनका चरित्र ही ऐसा था कि तानाशाह होने के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था।

फिर भी, जब यह सब कहा जा रहा है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रणजीत सिंह एक शक्तिशाली सम्राट था। एक ही बात स्मरणीय है कि वह शक्तिशाली था, जन सेवक था और जनता उससे प्रेम करती थी। रणजीत सिंह

1 बनिधम हिस्ट्री आफ द सिक्स प० 233।

2 पेने ए शाट हिस्ट्री आफ पंजाब प० 117।

3 ह्युजेल ट्रवेल्स इन पंजाब एण्ड कश्मीर प० 286।

उनका नेता था और गांधी जी का एक कथन इस सदम में यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, "यहाँ जनता जा रही है। मुझे उसके पीछे चलना चाहिए क्योंकि मैं उनका नेता हूँ।"

### केन्द्रीय सरकार

केन्द्र में राजा ही प्रशासन का केन्द्र बिन्दु था और वह जिम्मे चाहता सलाह लेता और जो चाहता वह करता। वैसे वह इसके प्रति सावधान रहता कि उसे क्या पसंद करना चाहिए और क्या नापसंद। उस पांच मंत्री सहायता करत थे। मुख्य मंत्री सबसे ऊँचा था। इस पद पर राजा के अति विश्वासपात्र जस राजा ध्यानसिंह जस लोग काय करत थे। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रिपद विदेश मंत्री का था जिसपर फकीर अजीजुद्दीन का नियुक्त किया गया था। महाराजा उसमें अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में भी राय लेता था। इसके बाद रक्षा मंत्री था जो महाराजा की सेना के सेनापति की तरह की शक्ति रखता था। दीवान माहकूम खान, मिस्त्र दीवान खान, और हरि सिंह नलवा इस पद का सुशोभित कर चुके थे। भवानी दास या दीनानाथ को अथ मंत्री के पद पर भी नियुक्त किया गया था। सदर ए डायरी का पद भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पद पर काम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण था क्योंकि वह महाराजा के निकट संपर्क में आता था जिम्मे उसकी उन्नति सरलता से हो सकती थी। राजा ध्यानसिंह भा इसी पद पर आग बढे थे।

केन्द्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे—  
 (1) दफ्तर ए अवबाव उल माल—इस विभाग में भू राजस्व विभाग का लेखा जोखा रहता था। इसके अतिरिक्त कर और आय के खोता का विवरण यहाँ होता था, (2) दफ्तर ए-ताजिहात—इसमें राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था थी। हरम के व्यय का भी प्रबंध यहीं से होता था, (3) दफ्तर ए मवाजाब—यह विभाग सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के वेतन का हिसाब रखता था, (4) दफ्तर ए रोजगामचा खच—इस विभाग में महाराजा के प्रतिदिन के व्यय का लेखा जोखा होता था।

### स्थानीय प्रशासन

राज्य चार प्रान्तों में बाँटा गया था। कश्मीर या जनत ए नाजिर मुल्तान या दारुल अमन पेशावर और लाहौर। इसके अतिरिक्त पक्तीय क्षेत्र थे जो महा राजा को कर प्रदान करते थे। ऐसे सरदार और नवाब भी थे जिनसे उनका राज्य छीन लिया गया था। पर उन्हें उदार जागीर प्रदान की गई थी जिसके अंतर्गत उन्हें शासन-अधिकार प्रदान किया गया था।

प्रत्येक सूबा परगना में बटा था, परगने तालुका में बट थे और प्रत्येक तालुका मौजा में बटा था जो 50 से 100 सख्या में होते थे। जिन सिद्धांतों पर विभाजन किए गए वे प्रशासन की सुविधा के लिए थे। इसके अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति सुविधा और रहने वालों की भिन्नता के बनावे रखने के लिए भी यह आवश्यक था।

प्रत्येक सूबे के अधिकारी को नाजिम कहते थे। यह पद उसे ही प्राप्त होता था जो महाराजा का बड़ा विश्वस्त व्यक्ति होता था। दूसरा पदाधिकारी करदार कहलाता था। वह प्रांत के एक भाग का नेता होता था। वह दिन प्रतिदिन शासन को देखने के कारण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। नाजिम का कार्यालय अपीलिया था इस कारण दूसरे पदाधिकारी की महत्ता और बढ़ जाती थी। अपने प्रभाग में करदार के अधिकार विस्तृत थे और वह अपने क्षेत्र में राजकीय छाया ही मालूम पड़ता था। करदार ही भू-राजस्व वदोबस्त की देखभाल करता था और राजस्व कलेक्टरी की तरह काय करता था। वह लेखाधिकारी भी था और खजांची भी, चापाधीश भी था और मजिस्ट्रेट भी, वह कस्टम अधिकारी भी था और इकसाइज आफिसर भी। वह अपने प्रभाग में प्रशासन के सभी क्षेत्रों की देखभाल करता था। उसके निष्पक्ष के विरुद्ध अपीलें भी नाजिम के यहाँ कम ही जाती थी क्योंकि अपने क्षेत्र का वह सर्वोच्च होता था।

एक दूसरे मन के अनुसार जिमका समयन डॉ० सिन्हा ने भी किया है, प्रदेश प्रांतों की जगह पर जिला में बटा हुआ था। तीन तरह के सागा का इन जिलों का प्रशासन काय सौंपा गया। प्रथम, वे जो केंद्र से नियुक्त किये गये और जिन्हें करदार कहा गया। दूसरे वे जो स्थानीय क्षेत्र में प्रभावशाली थे जैसे मुल्तान के दीवान सावनमल जिन्हें पैतृक आधार पर पद प्रदान किया गया। वे वार्षिक कर देते और केंद्र को अपनी आंतरिक स्थिति के विषय में बहुत कम सूचित करते। और तीसरे वे जो सैनिक नेता थे और जिनके पास जमींदारी थी। इससे बदले वे आवश्यकतानुसार एक निश्चित सख्या में सैनिकों की व्यवस्था करते थे। अपने क्षेत्र में उनकी शक्ति असीमित थी।

स्थानीय प्रशासन का सबसे प्रमुख पहलू पंचायत थी जो प्रत्येक गांव में थी। अपना क्षेत्र के इसके पास अत्यधिक अधिकार थे। डॉ० सिन्हा ने लिखा है कि, "इन पंचायतों को इतनी महत्ता प्राप्त थी कि इनके समक्ष कोई असत्य बालने का साहस नहीं कर सकता था।" प्रत्येक गांव आत्म निर्भर था। गांव में जमीन बंटा रहने वालों द्वारा भाई चारा के आधार पर मिल-जुलकर प्रयाग में सायी जाती थी।

1 सिन्हा एन० के० रणजीत सिंह प० 139।

2 वही प० 140।

लाहौर नगर का प्रशासन अथ प्रभाग के प्रशासन से अलग और स्वतंत्र था। यह मुहल्ला में बटा था जो वहाँ के एक प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया था। कोतवाल मुख्य पुलिस अधिकारी था जिसके पास शांति और व्यवस्था कायम करने के विस्तृत अधिकार थे। यह स्थान प्रायः मुसलमानों में मिलता था। इस महत्वपूर्ण पद पर मिया इमाम बरखी नियुक्त हुआ था। मुसलमानों के नागरिक मुकदमों की देखभाल के लिए काजी की नियुक्ति की जाती थी।

### आर्थिक प्रशासन

रणजीत सिंह के काल के पंजाब में आधुनिक अर्थ के सिद्धांतों की जानकारी की आशा नहीं की जा सकती। बजट की प्रथा नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर धन की व्यवस्था की जाती थी।

**भू राजस्व**—राज्य की पूरा आय का, जो तीन करोड़ रुपये थी, दो करोड़ रुपये भू राजस्व से जाता था। यह आय का प्रमुख स्रोत था। राजस्व निर्धारण की विधि के लिए महाराजा के काल में विविध प्रयोग किये गये। ये विधियाँ कुछ विशेष कोटि की भूमि के लिए बनीं और कुछ विशेष लोगों के लिए।

**बटाई**—यह प्रथा रणजीत सिंह ने मुगलता से ली और यह 1823 तक चलती रही। इस प्रथा के अंतर्गत भू राजस्व तब निश्चित होता था जब फसल बटकर आ जाती और उससे अनाज निकाला जाना होता। इस विधि में कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। इस प्रथा में एक दोष था। इसके अन्तर्गत पर्याप्त सख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी जो फसल बोने से लेकर बटने के काल के बीच कृषकों की निगरानी रखते रहें जिससे कि वह फसल का कोई भाग प्राप्त न कर लें। यह प्रथा महंगी भी थी और बठिनाईपूर्ण भी।

**कनकूत प्रथा**—कुछ कमियों के कारण 1824 में बटाई प्रथा समाप्त करके कनकूत प्रथा प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण फसल खड़ी रहने पर होता था। इसके प्रतिनिधि के साथ पैदावार का अनुमान लगाया जाता था और उसका कुछ भाग फसल के रूप में करके लिया जाता था। नयी प्रथा इस दृष्टि से ठीक थी कि अब कर निर्धारण पहले ही हो जाता था जिसके कारण फसल बटने तक कृषकों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस प्रथा में भी दोष थे। फसल का सही मूल्यांकन इतना पहल नहीं हो सकता था। इसी कारण 1835 के बाद राज्य ने एक नयी विधि अपनाई जिसके अन्तर्गत भूमि को 3 से 6 वर्ष के लिए सबसे अधिक बोली बोलने वाले को सौंप दी गयी।

**नकद देना**—रणजीत सिंह के शासन के अंतिम दिनों में कनकूत प्रथा के बाद नकद प्रथा लायी गई। इसके अन्तर्गत वस्तु के रूप में कर प्राप्ति को नकदी में बदल दिया गया। पर राज्य ने इस मामले में कोई बड़ाई नहीं बरती जिसके

फलस्वरूप लोग पुराने रिवाज के अनुसार ही काय कर सकते थे ।

**मिली जुली प्रथा**—कुछ स्थानों पर मिली जुली प्रथा भी थी । इसके अन्तर्गत कुछ फसलें तो कर के रूप में स्वीकार की जाती थीं पर कुछ जैसे गन्ना, कपास और तम्बाकू जिसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता था, इसका कर रुपये में ही देना पड़ता था ।

वे धातें जिनके आधार पर कर का निर्धारण होता था, तरह-तरह की थीं । पंजाब के कुछ भागों में जैसे अटक जिले में जमीन का कर-निर्धारण बीघे के आधार पर किया जाता था । यही मूल्यांकन उस क्षेत्र में प्रत्येक बीघे के लिए स्वीकार कर लिया जाता था । कर निर्धारण हो जाने के बाद उस निर्धारित वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता जो गांव को रुपये उधार देनेवाले से ले लिया जाता । इसके बदले में करदार रुपये देनेवाले को उसके बदले किसानों से उसे अनाज वसूल करवाता । कुछ स्थानों पर कर निर्धारण हल पीछे किया जाता था । ऐसी स्थिति में बीघे को आधार न बनाकर हल पीछे 15 एकड़ जमीन का औसत मानकर जो एक जोड़ी बैल जोत बो लेते थे, कर निर्धारित किया जाता था । सिंचित भूमि पर एक मुश्तराशि अलग से कर के रूप में लगा दी जाती और यह दर-दर सिंचित भूमि पर लागू की जाती ।

विभिन्न जिला की विभिन्न बन्दोस्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अलग-अलग तरह की भूमि पर अलग-अलग तरह की प्रथाएँ थीं । पर देश के प्रमुख भागों में रणजीत सिंह के प्रारम्भिक शासन में बटाई प्रथा ही प्रचलन में थी जिसका स्थान बाद में बन्दोस्त ने और उसके बाद नकद प्रथा ने ले लिया ।

कर निर्धारण के सिद्धांत के सम्बन्ध में डॉ० जी० एस० डिल्लो ने कहा है कि सरकार की मांग “भूमि पर राज्य के अधिकार के आधार को” देखकर किया जाता था जिसके अन्तर्गत समय पर कर न देने पर किसान से भूमि छीन ली जाती थी । डॉ० डिल्लो, सिन्हा और चोपड़ा के अनुसार सरकार की कर-मांग उत्पादन का 50 प्रतिशत तक होती थी । पर कम उपजाऊ भूमि पर लाड लारेस के मता-नुसार उत्पादन का 2/5 या 1/3 या 1/4 लिया जाता था । यदि भूमि पर किसी राज्य कर्मचारी, जैसे मुकद्दम जो कि कर वसूलने में सहायता करता था, का अधिकार होता था तो यह और नीचा होता था । कभी-कभी तो परा तालुक ही करदार को दे दिया जाता था जो एक निश्चित धनराशि देता था और किसानों से अपने ढंग का बन्दोस्त करता था ।

डॉ० डिल्लो ने लिखा है कि किसान “अपने सामर्थ्य के अनुसार कर देता था और इस तरह ऐडम स्मिथ का कर सिद्धांत अर्थात् ‘बलिदान में समानता’ प्रभावी



दम से लागू थी।<sup>1</sup>

कर एकत्रीकरण और जमा करना—भू राजस्व वष में दो बार एकत्रित किया जाता था। यह फसल तैयार होने के एक माह के बाद मुकद्दम चौधरी की सहायता से प्राप्त करता था। इस तरह वसूला गया कर करदार को दिया जाता था जो इसे जिले के खजाने में जमा कर देता था। यहाँ पर स्थानीय व्यय काटकर सारा धन हुण्डी के रूप में लाहौर भेज दिया जाता था जो सहमत अली के अनुसार अमृतसर में बैंका के नाम होता था।

सीमा शुल्क और आबकारी—भू राजस्व के अतिरिक्त सीमा शुल्क और आबकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत थे जिससे रणजीत सिंह को 16 लाख रुपये प्रति वष का लाभ था। 1849 के पंजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट से पता चला कि सिख राज्य में जगह जगह पर तमाम चुगिया स्थापित की गई थी। सभी वस्तुओं के उत्पादन पर उनके उत्पादन और गतव्य स्थल को ध्यान में रखे बिना उत्पादन कर देना पड़ता था। इस सम्बन्ध में विलासिता और आवश्यकता की वस्तुओं में भी अंतर नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि कृषि उत्पादन की वस्तुएँ भी इससे नहीं बचती थी। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर कर एक ही बार नहीं लगता था। जैसे-जैसे ये वस्तुएँ देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, प्रत्येक स्थान पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। इससे जिस स्थान से जिस दाम पर एक वस्तु चलती थी उसका दाम गतव्य तक पहुँचते पहुँचते दुगुना या उससे भी अधिक हो जाता था।

पर फिर भी सीमा शुल्क उतने कठिनाईपूर्ण न रहे होंगे क्योंकि डा० सिन्हा का विचार है कि सौदागर बड़ी आसानी से रास्ता बदलकर उस स्थान पर अपना सामान पहुँचा देते रहे हाँ जहाँ के क्षेत्र में इन्हें कम सीमा शुल्क देना पड़ता रहा होगा।<sup>2</sup> इस प्रथा का मूल्यांकन तत्कालीन यूरोपीय स्तर से और आधुनिक स्तर से नहीं किया जा सकता था। उस काल के आर्थिक नियमों के अन्तर्गत जो उस समय जाने जाते थे, रणजीत सिंह की प्रथा का उद्देश्य पूरा ही जाता था क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में चाहे जो बुराई रही हो, देश का व्यापार समृद्धि पर था।

आय के अ्य स्रोत—आय के अ्य स्रोत जागीरों थी जो उत्तम सदाओं और सेना में बहादुरी दिखाने के लिए प्रदान की जाती थी और जिससे सहमत अली के

1 सेटीनरी वाल्यूम ऑफ रणजीत सिंह अमृतसर सिन्हा पूर्वोक्त पृ 142 चोपडा पूर्वोक्त पृ 123।

2 सिन्हा पूर्वोक्त पृ 144।

3 सहमत अली मिर्ज़ा ऐंग्लो अफगान पृ 22।

मतानुसार 87,54,590 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। वैंस प्रिंसेप ने बताया है कि इससे 1,09,28,000 रुपये प्राप्त होते थे। राज्य एकाधिकार से भी राजस्व मिलता था। आठ नमक के खानों में से चार चलती थीं जिनके एकाधिकार से आठ लाख राजस्व का लाभ था। स्प्रिट बनाने के एकाधिकार से और दवाओं के निर्माण से भी कुछ लाभ होता था।

प्रिंसेप<sup>1</sup> के अनुसार 'यायालया से प्राप्त मोहराना नामक आय से प्रति वर्ष 5,77,000 रुपये का लाभ था। भू राजस्व के साथ इसके अतिरिक्त लगन वाले छोटे माटे अब्बात्र नामक कर पात्र प्रतिशत से लेकर पंद्रह प्रतिशत तक होते थे।

इसके अतिरिक्त पेशों पर कर था। जुलाहों, लोहारों, चमड़े का काम करने वाले कारीगरों को घर पीछे एक रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता था। छोटे कर्मचारी, जिन्हें कमीन कहा जाता था, उन्हें आधा रुपया देना पड़ता था और व्यापारियों को ढाई रुपया देना पड़ता था।

जागीरों व्यक्ति का केवल उसके जीवन काल तक के लिए दी जाती थी और उसकी मृत्यु के बाद राज्य उसे वापस ले लेता था। और जब कभी आपात काल होता था तो राज्य कर्मचारी तक को इसके लिए धन देना पड़ता था। उदाहरण के लिए 1825 में महाराजा की सेना में फ्रांसीसी सेनापतियों और उनके रेजीमेण्टों से दो माह का वेतन ले लिया गया।

व्यय—राज्य चूंकि विकासावस्था में था इस कारण आय का सबसे महत्वपूर्ण भाग सना पर व्यय होता था। सहमत अली<sup>2</sup> के मतानुसार इस मद पर प्रति वर्ष 1,27,96,482 रुपये व्यय होते थे। और इसके बाद नागरिक प्रशासन और आय मदों पर धन व्यय होता था।

आधुनिक पाठकों के लिए उपरोक्त कर व्यवस्था भद्दी लग सकती है। पर डॉ० जी० एस० डिल्ला के मतानुसार "उस काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह लागू किया गया, इस तरह के निष्पक्ष निवाले की आवश्यकता नहीं है।" चूंकि महाराजा की सरकार एक राष्ट्रीय सरकार थी इसलिए रुपया इस हाथ से उस हाथ में चला जाता था। यदि यह एक हाथ से लिया जाता तो दूसरे हाथ से वापस दे दिया जाता जिससे कि जनता का धन जनता के ही हाथ में बना रहे। इसे बाहर भेजा भी नहीं जाता था, इसलिए यदि यह कुछ कष्टकारक भी रहा हो तो भी दर्शाते करने योग्य था।

1 प्रिंसेप पूर्वोक्त, पृ० 235।

2 मुद्रानवासा इतिहास पत्रिका।

3 सहमत अली पूर्वोक्त, पृ० 23।

4 सेन्टीनरी वास्तुम ऑफ रणजीत सिंह, पृ० 158 का

### यायिक प्रशासन

रणजीत सिंह के काल में कोई लिखित सविधान या कानून नहीं था। 'य' य का आधार प्रथाएँ और परम्पराएँ थीं। इसके पीछे धर्म उत्साहवर्धन का काम करता था। कभी कभी 'यायाधीश की सनक' भी महत्त्व की हो जाती थी। पर सभी का यह स्वतंत्रता थी कि वह चाहे तो ऊँचे अधिकारियों को अपील कर सके। वैसे यह आजकल की भाँति नहीं थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि शताब्दियों के सिख मुस्लिम संघर्ष के पृष्ठभूमि में भी महाराजा न धर्म निरपेक्ष 'याय' व्यवस्था की स्थापना की जिसमें प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परम्परा के आधार पर 'याय' प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

इस तरह मुसलमानों को काजियों से 'याय' मिलता रहा। य काजी उनका विवाह-संस्कार कराते मुसलमानों के धार्मिक उत्सवों में भी भाग लेते थे, स्थानीय परम्पराओं को आगे बढ़ाते और लिखित बातों की घोषणा करते।

इस तरह 'याय' स्थानीय अधिक था और राष्ट्रीय कम। और यह मुख्य रूप से आय का एक स्रोत था क्योंकि इस सम्बन्ध में रुपये प्राप्त करने का कोई अवसर गवाया नहीं जाता था। वैसे यह चेष्टा होती थी कि 'जहाँ तक संभव हो ईमानदारी बरती जाय'।

'याय' का अजस्र स्रोत राजा स्वयं था जो राज्य की बड़ी से बड़ी अदालत की अपीलें सुनता था और यह चेष्टा करता था कि उसके हस्तक्षेप से ही सही 'याय' हो। उसके बाद 'याय' का दूसरा केन्द्र अदालत ए-आला अथवा केन्द्रीय 'यायालय' या उच्च 'यायालय' होता था जो राज्य की राजधानी लाहौर में स्थित था। यह 'यायालय' नाजिमों और करदारों के 'यायालयों' की अपीलों सुनता था जिसके बाद वे राजा के पास जाती थीं। इसके अतिरिक्त अमृतसर और पेशावर में विशेष अदालती 'यायालय' थे जो इन नगरों के फौजदारों और दीवानी मुकदमों देखते थे।

प्रान्तों में सबसे उच्च 'यायालय' नाजिम का होता था। यह अपीलीय 'यायालय' था जो करदारों के 'यायालयों' की अपीलों सुनता था। करदार का 'यायालय' हर जिले के केन्द्र पर था जो फौजदारी और दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था। ग्राम पंचायतें गाँवों में 'याय' करती थीं। इन्हें राज्य की आर से विशेष रूप से अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी।

इसके अतिरिक्त जागीरदारों के जागीरदारी 'यायालय' भी होते थे। ये हिंदू, मुसलमान और सिख—सभी के होते थे और अपने क्षेत्र में तानाशाही अधिकारों का प्रयोग करते थे। इन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों देखने का अधिकार था। जागीरदारों के क्षेत्रों के लोग साधारणतया राज्य के 'यायालयों' में अपीलें नहीं ले जा सकते थे।

दण्ड—रणजीत सिंह की दण्ड-व्यवस्था बहुत कष्टकारी नहीं थी। मृत्यु दण्ड

की बात उत्तर पश्चिम में पेशावर में वही कही सुनाई पड़ती थी। लोगों को बंदी कम ही बनाया जाता था। अधिकतर गम्भीर मुकदमों में अपराधी के शरीर के भाग काट लिये जाते थे। पर शायद ही कोई अपराध रहा हो जिसका दण्ड आर्थिक आकार न ले सकता रहा हो।

आमबान के अनुमार महाराजा जिन मुकदमों को देखते हैं उसका दण्ड "शीघ्र और साधारण होता है और उस पर अमल शीघ्र होता है। कुल्हाड़ी का एक प्रहार, इसके बाद खून रोकने के लिए तेल का प्रयोग, फिर लाश के सस्वार करने की व्यवस्था आदि ही वे धार्मिक थे जिसकी याय में वह आवश्यकता समझता था। वह स्वयं ही आरोप लगाने वाला, न्यायाधीश और ज्युरी सब है और लाहौर में उसके मुकदमों का सबसे लम्बा काल पाच मिनट है।"<sup>1</sup> एक मुकदमे, जिसका प्रत्यक्षदर्शी आसबोन भी था, में दो व्यक्तियों को महाराजा के समक्ष उपस्थित किया गया। इन्हें हरम के दरवाजे पर उड़ण्डना करते पाया गया था। महाराजा ने उन्हें देखा, उसने उनमें से एक की नाक बटवा ली और दूसरे का कान और इसके बाद मुकदमा समाप्त।

याय मुष्टयतया आम का स्रोत भी था। शायद ही कोई अपराध रहा हो जिससे मुक्ति के लिए रुपया आधार न रहा हो। विषय रुचिकर बात यह थी कि मुकदमों में जीतने और हारने वाले दोनों लोगों का पैसा देना पड़ता था। हारने वाला जुर्माना देता था और जीतने वाला नजराना देता था। यदि मुकदमा अधिक समय तक चलता तो दोषी पार्टी को न्यायाधीश का समय रद्द करने के लिए तैयारना देना पड़ता था। चुराई वस्तु यदि मिल जाती थी तो उसका 1/4 न्यायाधीश को शुक्राना देना पड़ता था। कभी कभी पूरे गांव को, जिसके निकट कोई अपराध किया जाता था और उसका कोई पता नहीं चल पाता था, अपराध का मूल्य चुकाना पड़ता था।

रणजीत सिंह की याय-व्यवस्था में दोष तो थे, पर इनमें बड़े सुधार भी किये गये। चाल्स मासन जो एक यात्री था और जा पजाब होकर गुजरा, लिखता है, "ऐसा समय था कि सिख और डकू दोनों एक ही शब्द माने जाते थे। अब कम चोरिया हाती हैं। अब कभी नहीं या बहुत कम वह घटनाएँ भी होती हैं जिसे सरदार करने के आदी थे।"

रणजीत सिंह की प्रशासकीय व्यवस्था में कई दोष गिनाये गए हैं। यह कहा जाता है कि उसकी सरकार उसके व्यक्तिगत मत पर आधारित थी। रणजीत

1 आसबोन कोर्ट एण्ड कम्प आफ रणजीत सिंह पृ० 67।

2 मासन पूर्वोक्त भाग 1 पृ० 423।

सिंह एक तानाशाह थे जिनकी इच्छा ही उनके देश के लिए कानून थी। जो शक्ति उसने दूसरा को दे रखी थी उसका दुरुपयोग होता था, भ्रष्टाचार व्याप्त था और रणजीत सिंह के कर्मचारी अपठ और अनजान जनता का शोषण करते थे। रणजीत सिंह की कर-व्यवस्था की आलोचना कपूरथला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ने भी की है जिसके अनुसार उसने "उतना सभी जनता से लिया जा सभव था और हर अवसर पर इस प्राप्त किया।" जे० एम० डोई के अनुसार कर-निर्धारण इतना कष्टकर था कि "गाव वाले कर वसूलन वाले अधिवाहियों का घूस देते थे जिससे कि उनसे कम धन वसूला जाय।"<sup>1</sup> कला के प्रास्ताहन के लिए देश में कुछ नहीं किया गया, शिक्षा के विकास की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई और उसके दरवार में कोई भी प्रसिद्ध विद्वान नहीं था। उत्तम प्रशासन के स्थान पर उसका व्यक्तिगत प्रभाव ही अधिक देश और उसके लोगों में एतना स्थापित किए हुए था। जिस क्षण यह चुम्बकीय व्यक्तित्व लोगों के बीच से उठ गया उसी समय अप-के-द्री शक्तियां शक्तिशाली हो गईं और सभी चीजें थोड़े ही ताल में गायब हो गईं।

यह कठिनाई से ही कहा जा सकता है कि महाराजा की प्रशासकीय मशीनरी में पूर्णता थी। पर पूर्णता ऐसा गुण है जो ईश्वरीय गुणा वाला व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। और कमियों के बावजूद महाराजा अपने को छालसा का साधारण सेवक ही मानते थे। पर यह आवश्यक है कि महाराजा का मूल्यांकन करते समय, जिस युग का परिस्थिति में वे रहते थे, उसको भी देखा जाय। आधुनिक मूल्यांकन के तराजू पर उनके प्रति न्याय नहीं हो सकता। और यह तकपूर्ण भी है कि उसके बहुत से आलोचक उसकी शासन परम्पराओं को बुराईया को एकत्रित कर जा मूल्यांकन करते हैं उससे हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते।

इसपर भी जोर नहीं दिया जा सकता कि कुछ ही अच्छाईया उस समय थी जिस ओर हम ध्यान देना चाहिए। "सैनिक निरकुशता के रूप में यह सरकार उदार है और सधीय एकता की दृष्टि से इसे शीघ्रता में जोड़-तोड़कर एक कर दिया गया है। यह शक्तिशाली और कायक्षम है।" टेम्पुल ने लिखा है कि "उस समय विप्लव नहीं हुए और न अधिकार तथा धन के लिए अव्यवस्था पदा की गई।" ब्रॉड ने भी लिखा है, "अपने राज्य के संगठित क्षेत्र में उसने वह सुधार किये जो ऊँचे मस्तिष्क से निकलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं उदारतापूर्ण निरकुशता, क्रूरताहीन निरकुश-तंत्र और एक ऐसा शासन-तंत्र जो पूरे में दुर्लभ भी था और युरोप के निकट भी नहीं था सामने आया।"<sup>2</sup> देश में वस्तु निर्माण और

1 डोई सेटिलमेण्ट मनुअल।

2 बाबबर डिस्ट्रिक्ट सेटिलमेण्ट रिपोर्ट।

3 ब्रॉड ट्रेवल्स भाग 1 प० 285।

व्यापार में संपन्नता तथा लाहौर व अमृतसर में बढ़ता धन, जिसकी स्वीकृति 'एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ द पंजाब (1849-51)', में भी प्राप्त होती है, इस बात का प्रमाण है कि वह जनता और उमकी समृद्धि के लिए कितना प्रेम रखता था।

उसके प्रशासन के गुणों की चर्चा करते हुए हम महाराजा रणजीत सिंह के काल में स्थापित सिख राज्य के टिमटिमाते उदीयमान पंजाबी राष्ट्रवाद की अनदेखी नहीं कर सकते। बिना भेदभाव के अपने अफसरों को चुनने के लिए वह हमारी प्रशंसा का पात्र है। डॉक्टर नारंग ने भी इसकी ओर इंगित किया है। गुण पहचानने में उसकी आंख बड़ी तीव्र थी और जब वह अपने अधिकारियों को चुनता था तो धर्म, जाति और जन्म को आधार नहीं बनाता था। साधारण न-साधारण नागरिक को उच्च-से-उच्च पद पर पहुँचाने का अधिकार था। मोहकम चंद, राजा ध्यान सिंह और हरि सिंह नलवा आदि में से कोई भी ऊँचे परिवार में नहीं पैदा हुआ था, पर वे सभी राज्य के विश्वस्त व मंचारी थे और यह इसलिए था कि वे योग्य थे।

सिख मत के विषय में यह कहना नितांत गलत है जैसा कि सर लेपेल ग्रिफिन ने लिखा है कि, "सिख धर्म का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म का विनाश है। इसीलिए मुसलमानों को नमस्कार करना गैर-कानूनी था। उनसे मिलना या समझौता करना भी उचित नहीं माना जाता था।"<sup>2</sup> पर यह नीति मुस्लिम निरकुशता के विरुद्ध जमकर लोहा लेनेवाले गुरु गोविंद सिंह और बदा बहादुर ने भी नहीं अपनाई। रणजीत सिंह तो इसमें विश्वास तक नहीं करता था। इसके नतत्व में सिखा ने अपने हाथ में सभी राजनैतिक शक्ति अर्जित कर ली और यदि वे चाहते तो मुसलमानों के साथ वसा ही दुर्व्यहार कर सकते थे जैसा कि अपने उत्थान के काल में उन्होंने किया था। महाराजा ने अपने प्रशासन और अधिकारियों के चुनाव में पूणतया भेदभाव की नीति का परित्याग कर दिया और केवल योग्यता को आधार बनाया। जाट प्रशासन में उतने अच्छे नहीं थे जितने लड़ने में। वैसे तो महाराजा भी जाट थे पर उन्होंने अपने मंत्रियों में कोई जाट नहीं रखा। सिख, जो लड़ाकू थे उन्होंने महाराजा की सेना में अधिक स्थान प्राप्त किया जबकि हिन्दू जैसा कि जार्जिक क्षेत्र में अधिक ज्ञान रखते थे, महाराजा के अथ विभाग में अधिक थे जैसे दीवान भिवानी दास और मोती राम। मुसलमान कूटनीतिज्ञता और गुप्तता में आगे थे जो राज्य का आधार थी। महाराजा ने इस तरह के पद उन्हें प्रदान करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उदाहरणार्थ फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था, यहाँ तक कि लाहौर में पुलिस के नेतृत्व का स्थान एक

1 नारंग जा० सी० ट्रांसफार्मेशन आफ सिखिज्म

2 ग्रिफिन पूर्वाद्धत प० 25।

मुसलमान मिया इमाम बख्श के हाथ में था। यह स्मरणीय है कि लाहौर राज्य की राजधानी थी। वस्तुओं को लेकर उसके बदले धन देने, विक्रय और ठेकेदारी के मामले का परामर्श राज्य में मुफती मुहम्मद शाह देता था। अमृतसर में गोविन्दगढ़ के किले का उत्तरदायित्व इमामुद्दीन के हाथ में था।

महाराजा की सहिष्णुता की नीति एक कहावत बन गई थी। कर निर्धारण में सैन्यदोष का स्थान दिया जाता था। उलेमा और अन्य पवित्र मुसलमान राज्य से अनुदान पाते थे। जो कोई भी याद करके पूरा कुरान सुना देता था उसे एक निश्चित इनाम दिया जाता था।

महाराजा राजत्व के दैवी सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करता था। उसने स्वयं कोई ऊँची लगने वाली उपाधियाँ नहीं ग्रहण की और अपनी सफलता के लिए ईश्वर एवं खालसा को उत्तरदायी बताया। यदि इस सबके बावजूद महाराजा एक निरंकुश व्यक्ति था तो ऐसा इसलिए था कि उसके ऊपर लोगों का विश्वास था। राज्य चूँकि निर्माणावस्था में ही था इस कारण सैनिकों पर निर्भरता स्वाभाविक थी। पर यदि कुछ विद्वानों की बात मान भी ली जाय कि उसका शासन सैनिक तानाशाही ही था तो भी इसे उदार तानाशाही का ही नाम दिया जाएगा। हमारे समस्त मोहकम चंद जैसे लोगों का उदाहरण है जो फिल्लीड के दरवाजे पर खड़ा रहता था और महाराजा के साथ अंग्रेजों को नहीं जान देता था। माहकम चंद कहा करता था कि जब तक वह जीवित है वह ऐसा नहीं होने देगा। इससे बाद वह स्वयं महाराजा के समक्ष उपस्थित होकर अपना सर घटवाने का तैयार हो जाता था। महाराजा अपने सेवकों के विचारों का आदर करता था और लौट जाता था।

उसके अतिरिक्त, उसकी कर-प्रणाली की तुलना यदि पूर्वी सम्राटों से की जाय तो यह उत्तम थी। पर यदि फिर भी इसमें कोई दाप था भी, तो भी इसका गुण यह था कि वसूला गया धन बाहर नहीं जाने दिया जाता था। यदि कर की दर ऊँची थी, तो लोगों को दिया भी अधिक जाता था। रुपया इधर उधर नहीं होता था। महाराजा जो एक हाथ से लेता था वह दूसरे हाथ से वाट देता था।

यदि पूणता प्राप्त कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं स्थापित हो पायी तो यह इसलिए हुआ कि इसकी उस समय जानकारी नहीं थी। इसकी सभी बुराइयों का बावजूद यह व्यवस्था ठीक से काम करती थी। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस समय अव्यवस्था व्याप्त थी उस समय भी वह इतना विकास कर सका।

महाराजा न जनता को त्रस्त करने के लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं की और उसमें आम्स ऐक्ट बनाकर जनता से अधिकार वापस लेने की बात नहीं साची। लोग अधिकार बनाते और स्वतंत्रतापूर्वक इसे रखते थे। असंतुष्ट हान पर वह इसका प्रयाग राज्य के विरुद्ध भी करते थे। पर ऐसे उदाहरण नहीं के ही बराबर हैं कि किसी अधिकारी या जाति में विद्रोही रुख अपनाया हो।

दैनिक जीवन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। राजस्व-संग्रह और कर संग्रह का छोड़कर राज्य की ओर से कोई तकनीकी बात नहीं थी। निम्न शीघ्र होत थे और प्रशासन को स्थानीय बनाने के लिए अधिकार लागू को प्रदान कर दिए जाते थे। पचायतों समूह थीं और गांव, प्रशासन तथा अन्य मामला में स्वतंत्र थे। जनता प्रसन्न थी।

उचित लोगो को महाराजा द्वारा उदारतापूर्वक जागीर प्रदान करत में जानी अपनाई गईं उसे भी उसके प्रशासका न सामने रखा है। मुंदर सिंह मजीठिया ने लिखा है कि "जाति विरादरी का ध्यान रने बिना धार्मिक सस्थाओं को जागीरें प्रदान की गईं, उमम उस युजुग नता के युद्धि विस्तार का परिचय मिलता है।"<sup>1</sup>

यह भी सिद्ध करना बठिन है कि महाराजा न शांतिवालीन बलाओं के विकास और देश में शिक्षा के प्रसार के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। उसके समयालीन यह स्वीकार करते हैं कि उसन हिंदू धर्मशालाओं और पाठशालाओं तथा मुस्लिम मस्जिदों और मस्जिदों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया। ब्रिटिश सरकार के जन-सूचना विभाग के डाइरेक्टर लेखनिक के अनुसार ब्रिटिश क्षेत्रों के तुलना में सिंग्र राज्य में पढ़े सिंग्रों की संख्या अधिक थी। ब्रिटिशों के समक्ष पंजाब की चर्चा करते हुए डाक्टर लेटनर ने लिखा है कि आक्रमण और नागरिक विद्रोहों के बावजूद उसन शिक्षा अनुदानों को बढ़ाया और सुरक्षित रखा। बेईमान सरदार, लालची धन वांटन वाले और यहां तक कि पूट पाट करने वाले भी साधारण जमींदारों में स्पष्टा करत हुए उनसे समझौता कर विद्यालयों की स्थापना और विद्वानों को पारितोषिक देने की व्यवस्था करते थे। उसने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सिंग्रों के नेतृत्व में स्त्री शिक्षा का जहां विकास हुआ है वहां ब्रिटिशों के क्षेत्र में यह घटी है।<sup>2</sup>

पुन यदि प्रदत्त अधिकार में दोष था तो हम यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक सबव्यापी दाप था जो उस काल में संचार-साधन के अभाव में देश में केन्द्रीय नियंत्रण में सरलता में नहीं आ पाता था। महाराजा ने स्वयं अपनी व्यवस्था में ईमानदारी और काय क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कौर-कसर बाकी नहीं रखी। वह लोगों के बीच वेप बदलकर घूमता था और किसानों की समस्याएं जानने के लिए स्वतंत्रता के साथ उनके साथ घूमता था।

अंत में, यदि हम उसकी प्रशासकीय मशीनरी में कोई दाप भी नजर आए तो

1 संग्रहणरी वा.पु.म. जाफ रणजीत सिंह वानपुर।

2 लेटनर सा० ड० वू० हिस्ट्री ऑफ इंडो-ब्रिटीश एजुकेशन इन पंजाब सिंग्र अनवर्सेसन इन 1882 (1882) प० 2।

3 वही प० 98-99।



मी हम उसकी प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसने एक विजेता का काय-बहन करते हुए एक अव्यवस्थित क्षेत्र में एक संगठित प्रशासकीय मशीनरी की स्थापना की। गार्डन ने लिखा है कि राज्य के लिए उसकी सबसे महान सेवा यह थी कि उसने "अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक संगठित राज्य छोड़ा जो वर्तमान इटली से क्षेत्र में बड़ा था।"<sup>1</sup> पंजाब के लोगों के लिए उसकी और बड़ी सेवा उसकी धर्म निरपेक्ष नीति थी जिसका अपनी मृत्यु से पूर्व उसने विकास कर लिया। यह कहा जाता है कि कसूर विजय के बाद जब कुछ सकुचित विचारधारा वाले सिखों ने उसके समक्ष मुस्लिम अजान के विरुद्ध शिकायत की जो वे प्रातः उपासना के लिए करते थे तो महाराजा ने उन्हें उत्तर दिया कि यह सिख धर्म के विरुद्ध नहीं है और सिख चाहें तो वे भी इस आवाज को सुनकर उठ सकते हैं और बाणी का पाठ कर सकते हैं। उन्होंने चालाकी से बात जारी रखते हुए कहा "पर यदि आप अजान रोकना ही चाहते हैं तो इस नगर के कुछ सिख प्रतिनिधि हमारे पास लायें जो मुसलमानों को दैनिक नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लें। यह सिख परम्परा के विरुद्ध है कि हम दूसरों के दैनिक उपासना में दखल दें।"

### सैनिक प्रशासन

1881 के मेमस रिपोर्ट में सिखों का पारिभाषित करते हुए इवटसन ने लिखा, 'एक सिख का जय एक सैनिक है।' और 1911 में ग्रिफिन ने इस सैनिक के विषय में कहा, "मजबूत बहादुर और बुद्धिमान, मार खान पर कम समझने वाला, अनुशासन का पालक" अपने अधिकारियों के प्रति स्वामिभक्त पूर्व में सैनिकों में वह सबसे आगे है।"<sup>2</sup>

इस महान सैनिक की उत्पत्ति सन गुरु नानक के काल में होती है। पाचवें गुरु के दुःखांत जन्म में सिखा को आध्यात्मिक ध्यान से जगा दिया। छठे गुरु ने उन्हें सैनिक अनुशासन प्रदान किया और वह एक श्रेष्ठ सैनिक सिपाही में बदल गया। नवें गुरु ने उसमें आत्म बलिदान की भावना का प्रवेश कराया जबकि दसवें गुरु ने उसमें "राजनतिक स्वतंत्रता का ज्वालामयी भाव भरवा" जिसने उस सिख से सिंह अथवा शेर में बदल दिया। गुरु गोविंद सिंह ने चार लड़कियों के बलिदान में उसमें यह बताया कि किसी उद्देश्य प्राप्त के लिए घर-बार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बड़ा बहादुर के कार्यों ने उसमें मुगलों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने में

1 गार्डन पूर्वोक्त पृ. 24।

2 परीषद सिंह द मिश्रणर श्वाटर्ली अप्रैल जून 1961।

3 ग्रिफिन रणनीति सिंह पृ. 132।

गर्च पैदा की। उसने अन्दाज़ी के आश्रमणा और दबाव से गुरिल्ला रणनीति की शिक्षा प्राप्त की और इस तरह जब तक रणजीत सिंह गद्दी प्राप्त करे उस सैनिक की परम्परा, 'एक अजेय विजेता के रूप में जो अपन उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी चीजा का बलिदान कर दे प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

पर मिथ्या न सगठित सना का अनुशासन नहीं सीखा। बदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था व्याप्त हुई उससे सिख विद्रोही प्रवृत्ति के हो गए और स्वतंत्र तथा व्यक्तिवादी। 'वे अपनी तलवारों लेकर एक नता से दूसरे नता के साथ रहकर लूट-पाट करन लगे और अपनी सुविधानुसार और इच्छानुसार अपने नेताओं में परिवर्तन भी करन लगे।' यह काम रणजीत सिंह के लिए ही शेष था जिसने इन अव्यवस्थित सैनिकों को अपनी सैनिक याग्यता के बलूनत पर इस तरह का बना दिया कि वे कुशल नतत्व में बलिदान और विजय के सस्वारों की पठ-भूमि में एक शक्तिशाली अनुशासित और अच्छे हथियारबंद सैनिक बन गए।

### रणजीत सिंह के नेतृत्व में पुनसंगठन

रणजीत सिंह की पुनसंगठित सना तीन भागों में विभाजित की गई— पैदल, घुडसवार और तापखाना।

पैदल—प्रारम्भ में सिख पैदल सेना को घुडसवार सेना से हय मानते थे। ग्रिफिन न लिखा है कि युद्ध के समय व या तो किला की देखभाल के लिए छाड़ दिये जाते थे या स्त्रिया की रक्षा के लिए। पर युरोपीय अधिवाारिया के प्रभाव में रणजीत सिंह ने अनुभव किया कि पैदल सेना घुडसवारों से भी महत्व की है और इस तरह अच्छे वेतन और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देन के कारण तथा सना-पति बतुरा के कठोर अनुशासन के प्रारम्भ किये जान के कारण, कठोर परिश्रम और अय गुणों को उत्तम उत्पन्न करन के कारण रणजीत सिंह के नतत्व में उसकी पैदल सेना अति कायक्षम हो गई।

पैदल सेना में भर्तों के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी सेवाएँ आकषक बतन पर्याप्त और साहसिक जीवन के कारण वैसे ही तमाम लोग इसमें भर्तों होते थे। पर महाराजा न युरोपीया की तरह स्थायी सेना में जो ड्रिल प्रथा प्रारम्भ की उसे प्रारम्भ में सैनिकों ने पसन्द नहीं किया। इसे व धणा से 'रुक्स लूलुआ नाम में पुकारते थे। पर बाद में जब यह प्रशिक्षण का एक भाग हो गया तो सैनिकों ने इस स्वीकार कर लिया।

पैदल सैनिकों का संगठन—संगठन की दृष्टि से पैदल सेना प्रशासकीय दृष्टि

1 ग्रिफिन रणजीत सिंह प० 132-33।

2 वही प० 132।



रेजीमण्ट पक्ष रहा हो। पहिल्यार वाहन की अनुमति नहीं है और उनकी बाजार में उनके लिए गबबुछ है।<sup>1</sup>

विदेशी पयवेशकों के विचार—1839 में पंजाब में आने वाले आसबोन भी इसी तरह के प्रान्तों के शब्दों का प्रयोग किया। सब-चौड़े 'पुरपोचित गुणा में पूण, अकिनगाली अगा क अधिपारी और चौड़ी छाती वाल वे अपने क्षेत्र के निवासियों से भी अधिप परिश्रमी है और प्रसन्न मन चित्त वाले दिव्याई पडते हैं।' फंटेन वाडे भी यह कह बिना नहीं रह सया कि 'उनमें प्रसन्नतापूण पुरतो में पपात बदारन करन की अपार क्षमता है।'<sup>2</sup> इससे अतिरिक्त बैरन वान ह्यूजेन का इस बात पर "आश्चय था कि रणजीत सिंह की सना यूरोपीय सैनिक तकनीक में आग है।"<sup>3</sup>

पर महाराजा की इस मना में कुछ दाप भी था। बटन लिखता है, "परेड के अवसर पर वे गालीपूण भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने न नीचे पद पर काय करनवाने का भारत भी हैं। कमाण्डेण्ट एडजुटेण्ट को बेंत से मारता है जो उसके बदन में कम्मनी का तत्व करन वाल अधिपारिया को पीटता है। और फिर अप्राप्त कमीशन व व्यक्तिगत सैनिकों की चारी आती है।"<sup>4</sup>

टानर, ग्रांगुरी और विगुल का सामान्यतया सिख पैदल सेना में प्रयोग हाता था। म्नीनबैच लिखता है कि रणजीत सिंह कुछ अपने प्रिय सैनिक टुकडिया में संगीत के धुना वाले बंड का भी प्रयोग करते थे। पर यूरोप से उधार ली गई धुनें पंजाबी लोकधुना में मल नहीं खाती थी।<sup>5</sup>

1811 में महाराजा के पैदल सैनिकों की सख्या 4,061 थी पर 1845 में जब उनकी मृत्यु को 6 वर्ष बीच चुके थे यह मख्या बढ़कर 70,721 हा गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि सैनिक सख्या की यह बढ़ोतरी उसके जीवन काल में ही हो गई थी या उसके बाद।

घुडसवार—महाराजा रणजीत सिंह की घुडसवार सेना चार भागों में बटी हुई थी जो निम्नलिखित थी

नियमित घुडसवार सेना—"मैंने चुनिंदा सैनिक और घोड़े होते थे। हथियार-बंद अनुशासित और दिव्यन में सुन्दर इन नियमित सैनिकों को यूरोपीय ढंग पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यह सेना 1822 में महाराजा द्वारा नौकरी में रखे गये

1 बटन फण्ट एण्ड सक्ण सिख वास प० 11 ।

2 आसबोन कम्प एण्ड कोट जाय रणजीत सिंह प० 102-04 ।

3 वॉयडा द पंजाब एण्ड ए मावरेन स्टेट प० 301-27 ।

4 ह्यूजेन ट्रवल्स इन इंडीया एण्ड पंजाब प० 289 ।

5 बटन द फ्रंट एण्ड सेवे ड सिख वास प० 11 ।

6 स्टान ग्रथ लफटी० वनल द पंजाब प० 103 ।

फ्रांसीसी सेनापति जीन फ्रैंकवेस अलाड के नेतृत्व में रखी गई थी। 1811 में इसमें 1209 सैनिक थे। 1838 में इसमें 4090 और 1845 में इसमें बढ़कर 6232 सैनिक हो गये।

घोड़ चढ़ा—यह रणजीत सिंह की नियमित घुड़सवार सेना के अतिरिक्त घुड़सवार सेना थी जिसे नियमित प्रशिक्षण नहीं मिलता था। यह किसी सैनिक दल पर अनुशासित भी नहीं थी। यह मिस्ला के खालसा सेना के आदेश के आधार पर बनाई गई थी जा बहादुरी और विकट साहस में विश्वास करती थी, नियमित सैनिकों की तरह आश्रमण और सुरक्षा में नहीं। इसे राज्य से सीधे वेतन प्राप्त होता था। प्रारम्भ में प्रत्येक सैनिक को प्रति वर्ष 300 रु० से 400 रु० तक की जागीर प्रदान की जाती थी। पर बाद में नियमित रूप से इसे 250 रु० से 300 रु० प्रति वर्ष प्राप्त होने लगा। जो व्यक्ति इस सेना में भर्ती होता उसे अपने लिए घोड़े की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। पर यदि वह ऐसा करने की स्थिति में न होता तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे उसके वेतन से थोड़ा थोड़ा करके काट लिया जाता था।

ग्रिफिन महाराजा की पैदल सेना की घुड़सवार सेना से तुलना करते हुए कहता है 'महाराजा की सेना में पैदल सेना के सैनिक देश के युवा होते थे। मुदर और स्वस्थ युवा ही इसमें चुने जाते थे। जबकि घुड़सवार सेना में नियमित सैनिक होते थे जिसमें उनके सरदारों की टुकड़ियाँ सम्मिलित होती थीं जिन्हें शक्ति या बहादुरी के आधार पर नहीं चुना जाता था। घोड़े छोटे कमजोर और खराब नस्ल के होते थे और उनकी सज्जा बड़ी बहूदी और अनाकंपक होती थी।<sup>1</sup> पर सम्भवतः यह घुड़ चढ़ा सेना पर लागू नहीं होता था क्योंकि इसमें दुबले पतल घाड़े वदार्शन नहीं किये जाते थे। इन घोड़ों को किसी तरह की नियमित जांच नहीं होती थी। जब कभी दुबला पतला घोड़ा कहीं दिखता तो उसके मालिक के वेतन से कटौती कर दी जाती जो दंड स्वरूप होता था।

मूर क्राफ्ट लिखता है कि 'अपने माहमपूणता के लिए घुड़ चढ़ा न अपने लिए और रणजीत सिंह के राज्य के लिए प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी।'

पता चलता है कि घुड़ चढ़ा सेना भी दो भागों में विभाजित थी—(1) घुड़ चढ़ा पास जो एक रजिमेण्ट की थी। इसमें प्रांत के सामंतों के भर्ती किये गये सैनिक थे। (2) मिस्लदार सवार जो पंजाब के सरदारों के नेतृत्व में स्वतंत्र रूप से काम करते थे। पर जब इन सरदारों की स्वतंत्रता जाती रही तो ये सैनिक महाराजा की सेवा में आ गये।

1 ग्रिफिन पूर्वोक्त, पृ० 135।

2 मूर क्राफ्ट दुबला भाग 1 पृ० 98।

जागीरदारी घुडसवार—ये जागीरदारों के सैनिक थे। महाराजा से हुई अपनी सधि की शर्तों के अनुसार उ हें आवश्यकता अनुसार निश्चित सख्या मे सैनिको को भेजना पडता था। इन जागीरदारो को वष भर मे दशहरे के दिन अपने सनिका का निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना पडता था।

महाराजा ने जागीरदारी घुडसवार सेना मे बेईमानी समाप्त करने के लिए कुछ कडे नियम बनाये थे। प्रत्येक जागीरदार को 'स्टेट रिंकार्ड आफिस' मे नियमित विवरणात्मक सैनिको की सूची प्रस्तुत करनी होती थी। इसकी अच्छी स्थिति देखकर जागीर का पुननवीनीकरण किया जाता था। हरिसिंह नलवा जैसा व्यक्ति भी इसीलिए दंडित किया गया क्योंकि उसने इस सम्बन्ध मे असावधानी बरती थी। इसीलिए उसपर एक बार 2 लाख रुपये का अर्थ दंड रखा गया क्योंकि उसने उतने सैनिक नही रखे थे जितने दिये गये थे।

अकाली—यह महाराजा की अनियमित सेना थी जि हे 'किसी खतरे की स्थिति मे या अति कठिनाई की स्थिति मे'<sup>1</sup> काम मे लाया जाता था। दो हाथो मे और दो पटियो मे तलवारें लिये, पीठ पर तोडेदार बंदूक बाधे और पगडी मे दो जोडा चकती लगाये वे भयहीन आगे बढ़ते थे। अकाली फूला सिंह के नेतृत्व मे वे दो से तीन हजार की सख्या मे थे। वे यूरोपीया और पठानो से घृणा करते थे और रणजीत सिंह उनके हाथो "एक बार से अधिक अवसरो पर हत्या प्रयास से बचा था।" कुछ स्थाना पर ग्रिफिन ने उनके बहुत पक्ष मे नही लिखा है। उनका कहना है कि "महाराजा इनके अति निकट जाकर हस्तक्षेप नही करता था। वे पियक्कड जगलिया से थोडे बेहतर थे, सिख उनमे कुछ पवित्रता के अंश का भी दर्शन करते थे। पर वे उस समय एक आवश्यकता थे जब कोई बड़ी और कड़ी आपदा हो तथा सेना के शेष भागा ने लगभग जवाब दे दिया हो। वे अफगानिस्तान के गाजियो तथा सोदा की भांति ही चरित्र और आक्रमण दोनो में थे। इनके भयानक तथा दिल दहला देने वाले आक्रमण से बढिया से बढिया सेना के छक्के छूट जाते थे। पर ये ईश्वर भक्त सैनिक अपना साहस मदिरा और कुछ नशा करने वाली औषधिया स प्राप्त करते थे। जहा इस्लाम के विरुद्ध धार्मिक उत्साह उह सडने की प्रेरणा देता था इनके लिए यह धात सही नही थी।"<sup>2</sup> स्टीन बैच ने भी इसी तरह का मत व्यक्त किया है।<sup>3</sup>

पर यूरोपीय लेखका ने इहे समझन मे भूल की है। अकाली अमृतसर (एक

1 आसबोन ट्रेवल्स भाग I पृ० 143।

2 स्टीन बैच पूर्वोक्त पृ० 104-05।

3 ग्रिफिन पूर्वोक्त पृ० 136-37।

4 स्टीन बैच पूर्वोक्त, पृ० 104।

पवित्र तालाब) की रक्षा के उत्तरदायित्व से प्रभावित होकर ही सारा काम कर ले। इस तालाब में नहाने ही अवाली माधारण व्यक्ति नहीं रह जाता था बल्कि शेर हा जाता था। वैसे तो उसमें भाग के लिए कमजारी थी पर अवाली नतिरवादी के जो खालसा पथ के प्रकाश जलत रहने देने के पक्ष में थे। उनके अनुसार गुरु गोविन्द सिंह ने उन्हें ऐसा ही बताया था। वे जब कभी लड़ते थे, भौतिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ते थे बल्कि आदेश के लिए लड़ते थे जो उन्हें अपने जीवन से भी प्यारा था।

फौज ए किलाजात—इन सबके अतिरिक्त महाराजा की सना में 10,800 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें फौज ए किलाजात कहा जाता था। ये लोग मुल्तान, पेशावर, कागडा और अटक आदि किला की रक्षा के लिए भर्ती किये गये थे। औसतन इन किला रक्षकों का वेतन 6 रु० मासिक था। जमादार को 12 रु० या इसमें कुछ अधिक मिलते थे। प्रत्येक किला धानदार नामक अधिकारी के हाथ में रखा जाता था। जो लोग किले की रक्षा करते थे उनकी चाल चलन आवश्यक रूप से अच्छी होती थी। उनमें से कोई शराबी नहीं हो सकता था। किले में नाचने वाली औरतें नहीं प्रवेश कर सकती थीं। इसके अतिरिक्त उन्हें अनैतिक न होने देने के लिए उनपर यह प्रतिवचन था कि वे अपने वेतन का आधे से अधिक व्यय न करें। शेष धनराशि उन्हें अपने घर भेज देने को कह दिया जाता था। किसी दूकानदार से ये सैनिक अनैतिक आर्थिक सम्बन्ध नहीं रख सकते थे और न ही इन्हें पास-पड़ोस के लोगों से मनमुटाव करने का अवसर ही दिया जाता था।

तोपखाना—1839 में आसबोन ने लिखा कि रणजीत सिंह, "अपने तोपखाने की प्रशसनीय स्थिति और कार्य-क्षमता के लिए घमंड की भावना से ग्रस्त है और यह उचित ही है क्योंकि अभी तक किसी राज्य ने इतना बड़ा और इतना अनुशासित तोपखाना नहीं रखा।"<sup>1</sup>

लेफ्टीनेंट वार ने महाराजा के बहूकचियां के सम्बन्ध में लिखा है कि 'आदेश फ्रांसीसी में दिए जाते थे तब वह कुछ बहुत अच्छी हालत में रहने वाले पलीता का प्रयोग करता था लाहे का सभी गोला बेकार लोहे का बनाया जाता जिसकी प्रत्येक की कीमत एक रुपये पड़ती और इसका मसाला अधिकतर जस्ते का होता था यह आश्चर्य की बात है कि जनरल कोट ने इतनी उत्तम तोपखाने की व्यवस्था कर ली।'<sup>2</sup>

महाराजा का तोपखाना चार भागों में विभाजित था—(1) तोपखाना फीली अथवा हाथिया का तोपखाना, (2) तोपखाना शुत्री या जम्बूरक अथवा ऊठो का तोपखाना (3) तोपखाना अस्पी अथवा घोडा का तोपखाना, (4) तोपखाना

<sup>1</sup> आसबोन कैम्प एण्ड कोट प० 144।

गवी अथवा बैला का तोपखाना ।

विदेशी अधिकारी—रणजीत सिंह के पूव सिख तोपखाने का प्रयोग बहुत अधिक गही करने थे । इसलिए महाराजा के लिए तोपखाने के लिए पजाबियों मे से खोज निकालना सरल न था । फलस्वरूप जनरल कोट और गाडनर जैसे यूरोपीय लोगो को तोपखाने मे अधिकारी पद पर काम करने के लिए विशेष रूप से आमत्रित किया गया । पर बाद मे लेहना सिंह जैसे व्यक्ति इस पेशे मे तेजी स आगे बढे । ग्रिफिन के अनुसार यह व्यक्ति खोजपूण मस्तिष्क का था जिसने कई सुन्दर बटूकें बनाई । मिया कादिर बटश इस पक्ति मे दूसरा व्यक्ति था । महाराजा ने अपने व्यय पर उसे लुधियाना मे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा । इस प्रशिक्षण के बाद उसने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी ।

महाराजा की प्रत्येक बटूक का अलग-अलग नाम था जैसे फतेह जग । इनमे से कुछ पर फारसी मे कुछ लिखा था और कुछ पर श्री अकाल सहाय लिखा गया था । बटूक बनाने के अधिकतर कारखाने लाहौर ही मे थे । इनमे से सबसे महत्त्व पूण किले के भीतर था ।

स्टीन बैच लिखता है कि महाराजा के पास कुल 176 बटूकें थी और जानबरो पर रखकर प्रयोग की जाने वाली चक्करदार बटूको की सख्या 370 थी ।<sup>1</sup>

अस्त्रो का निर्माण—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है बटूको के निर्माण के लिय लाहौर सबसे महत्त्वपूण केन्द्र था । भाले, तलवारे, पीठ पर लादी जान वाली बटूकें और पिस्तौलो का भी निर्माण होता था । हेलमट, रक्षास्त्र, सीने पर रखने की प्लेटें, दस्ताने आदि मुल्तान, जम्म, श्रीनगर और अमृतसर से बनकर आते थे । कश्मीर मे इसके लिए सबसे उत्तम कारीगर थे । पर बाद मे फकीर नूद्दीन, डॉ० होनिगबजर और लेहना सिंह मजीठिया के नेतत्व मे पजाबिया मे ही प्रशिक्षित कारीगरो की सख्या काफी हो गई ।

पूण निरीक्षण कर लेने के बाद महाराजा रणजीत सिंह की सेना को तीन भागो मे बाटा जा सकता है—

(1) फौज ए-खास—यह सैनिक ब्रिगेड यूरोपीय ढग से प्रशिक्षित किया जाता था और यह प्राय सीमा-क्षेत्रो मे लडता था । ग्रिफिन के अनुसार इसका नेतत्व सेनापति वेतुरा के हाथ मे था जिसमे निम्न सैनिक थे—

नियमित पैदल सेना	3,176
नियमित घुडसवार	1,667
34 बटूका सहित तोपखाना	855
योग	<u>5 698</u>



ग्रिफिन और आगे लिखता है कि, 'पैदल सेना में खास बटालियन भी थी जिसमें 820 सैनिक थे। 707 सैनिकों की गुरखा बटालियन, 839 लोगों की देवासिंह बटालियन और 810 लोगों की शम साटा बटालियन थी।'

"घुड़सवार सेना में एक ग्रेनेडियर रेजीमेण्ट था जिसमें 730 सैनिक थे, 750 लोगों का एक ड्रैगून रेजीमेण्ट था तथा 187 लोगों का लाइफ गार्डों का एक दल था।"

'तोपखाना सेना को इलाही बटल नाम दिया गया था जिसका सेनापति इसी नाम का व्यक्ति था। सिख सेना में वह श्रेष्ठ अधिकारियाँ में था।'<sup>1</sup>

(2) फौज ए आम—अकाली और जागीरदारी सैनिकों से भिन्न यह सेना राज्य द्वारा संगठित थी और नियमित थी। खालसा दरबार रिकार्डों के अनुसार 1838 में इनकी संख्या 38,242 थी। इसमें निम्न सैनिक थे—

पैदल	29 617
घुड़सवार	4,090
तोपखाना	4,535

(3) फौज ए बेकवायस—इसमें अकाली और जागीरदारी सैनिक आते थे। ये सैनिक अनियमित थे जिसका विवरण ऊपर आया है।

सहमत अली के अनुसार नियमित सेना पर महाराजा प्रति वर्ष अधोलिखित धन व्यय करते थे—

पैदल	28,09,200 रु०
घुड़सवार	24,53,656 रु०
घुड़सवार तोपखाना	3,24,864 रु०
अनियमित सवार	71,08,562 रु०
योग	1 27,96,282 रु०

पर सहमत अली आगे लिखता है कि "सैनिकों के वेतन से बहुत सी कटौतियाँ हाती हैं जो असली व्यय में पर्याप्त कमी ला देती हैं।

रेजीमेण्टीय बख्तर—उपरोक्त कोटि की पैदल सेना रणजीत सिंह के पूर्व नहीं थी। मिस्ल सरदारों के नेतृत्व में काम करने वाला साधारण सैनिक एक पगड़ी और आधी जाधिया पहनता था। उसके कमीज की बांह खुली होती और जूते बसे हाते थे। रणजीत सिंह के काल में इसमें कुछ परिवर्तन हुए। इसके अध्ययन के लिए पाठक लखन के पंजाब का इतिहास भाग 2 का अवलोकन कर सकते हैं।

तोपखाने वाले साल पगड़ी, काला कमरबंद, क्रास बेल्ट और पीतल से सजी

1 विभिन्न पूर्वोक्त पृ० 141-42।

2 सहमत अली सिख एण्ड ब्रजपात पृ० 23-25।

म्यान, लम्बे बूट और सफेद पाजामा पहने होते थे। महाराजा के अंगरक्षकों का वस्त्र दूसरी तरह का होता था। वे सिंघुरी या पीले वस्त्र पहनते थे। पीला साटन प्रायः उनके वस्त्रों में प्रयुक्त होता था। उनके वस्त्र का विशेष भाग शाल भी होते थे।

बिरादरी का भेद भाव नहीं—महाराजा की सेना के प्रशासन की एक विशेषता उनका यह प्रयास था कि अच्छे जानकारों द्वारा सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाय। इस मामले में वे जाति, धर्म और राष्ट्र की दीवार को लाघ जाते थे। भारतीयों और पजाबियों के अतिरिक्त उनकी सेना में इटैलियन, फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेज, ऐंग्लो-इण्डियन, स्पेनी, यूनानी और रूसी अधिकारी भी काम करते थे। महाराजा की सेना में इन यूरोपीय अफसरों की संपूर्ण संख्या ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार 20 थी। वार्मिकेल स्मिथ की सूची में 39 नाम हैं और गाडनर में 42। डब्ल्यू० एल० मग्रेगर के मतानुसार इन विदेशी अधिकारियों में “ही सेनापति वेन्तुरा और अलाड का नाम आता है। इनमें पहला इटालवी और दूसरा फ्रांसीसी था। दोनों पजाब में एक ही समय में पहुंचे और दोनों का सम्बन्ध एक-दूसरे से अति मधुर था।”<sup>1</sup>

श्रे और गारनेट के मतानुसार सेनापति वेन्तुरा व अलाड और अन्य यूरोपीय अधिकारियों द्वारा जो समझौता महाराजा से किया, उसके अनुसार उह उस क्षेत्र में ही विवाह करके वहीं का हो जाना था, गो-मांस नहीं खाना था, खुले आम चुहट नहीं पीना था और अपने दाढ़ी को बढ़ाना था। “यह भी चेष्टा करना था कि सिख धर्म वाले उनसे आहत न हों और यदि आवश्यकता पड़े तो वे अपने देश के विरुद्ध भी लड़ें।”

यूरोपीय जनता में अविश्वास—वैसे तो महाराजा की सेना में यूरोपीय ङग की प्रशिक्षित बटालियनों 1807 से ही थी, पर यूरोपीय अधिकारियों का नियमित आगमन काफी बाद में हुआ। एक मत के अनुसार अलाड और वेन्तुरा ने 1822 में सेवायें प्रारम्भ कीं। इन यूरोपीय अफसरों की उपस्थिति भारतीय सिपाहियों द्वारा प्रारम्भ में पसन्द नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि महाराजा के उत्तराधिकारी खडक सिंह भी इनके पक्ष में नहीं था। पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, जनता का अविश्वास घीमा पड़ता गया। यूरोपीय अधिकारियों न नयी परिस्थितियों में अपनी योग्यता का उत्तम परिचय दिया।

पर जीवन के सध्या-काल में रणजीत सिंह की दृष्टि में उनकी सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन दिखाई पड़ा। मग्रेगर के मतानुसार, ‘या तो वह मल्पना करता है

1 मग्रेगर हिस्ट्री आफ द सिख्स भाग 1 पृ० 254 62।

2 प्रो एण्ड गारनेट यूरोपियन ऐडवैन्चर्स आफ नादन इंडिया पृ० 12।

कि उनकी सेवाओं के बिना भी काम चल सकता है, या जो अधिक सभ्य दिखता है, वह उनके उस वेतन से ईर्ष्या करता है जिसे प्रत्येक सज्जन पान की कामना करता है।<sup>1</sup> जनता भी उन्हें मैत्रीपूर्ण दृष्टि से नहीं देखती थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत उनकी जीवन रक्षा भी कठिन हो गई। कनल फोक्स जा एक अग्रेज अधिकारी था, मार डाला गया और जनरल कोट और वे तुरा के घर लूट लिये गए। वे सभी देश छोड़ भाग पड़े हुए।

रणजीत सिंह के सैनिक पद्धति पर लिखने वाले कुछ विद्वानों का मत है कि उसकी सेना में कुछ ऐसे दोष थे जिसे महाराजा नहीं दूर कर सका। उदाहरण के लिए एक बुराई यह थी कि महाराजा की सेना, भर्ती होने वाले अनियमित सैनिकों के आसत के बराबर होती थी जिसका नतत्व जागीरदार करते थे। परिणाम स्वरूप सेना महाराजा से अधिक जागीरदारों की भक्त होती थी। इसके अतिरिक्त महाराजा की कड़ी देख रेख के बावजूद जागीरदार अपने सैनिकों और जानवरों की सही हालत में नहीं रखते थे।

महाराजा अपनी अकाली सेना में भी पूर्ण अनुशासन की व्यवस्था स्थापित नहीं कर सके। वैसे अपनी कटनीति और बुद्धिमत्ता से वह उनका अच्छा प्रयोग करने में तो सफल हुए, पर उनकी मृत्यु के बाद सेना के यही तत्त्व सिख-पतन का कारण बन।

सेना को यह नहीं सिखाया गया कि वह असैनिक अधिकारियों के अधीन रहे। अपने जीवन काल में चूंकि महाराजा युद्ध और विजयों में अधिक व्यस्त रहे, इस कारण उसके सैनिक अधिकारियों और नेताओं को असैनिक अधिकारियों से अधिक महत्ता मिल गई। असैनिक अधिकारियों की सैनिक अधिकारियों पर महत्ता कभी न सिद्ध होने से महाराजा की मृत्यु के बाद सेना सभी उद्देश्यों के लिए प्रशासन संगठन के रूप में बदल गई। इसकी अपनी कारवाइया प्रत्येक कंपनी के स्तरों पर वहा बनी पचायतों के माध्यम से प्रारम्भ हो गयी और नागरिक अधिकारियों की सत्ता ही खतरे में पड़ गई।

रणजीत सिंह ने वेतन देने की भी नियमित व्यवस्था नहीं की। “विशेष मामलों में उससे अधिक लोगों को रख लिया जाता था जितने के लिए धन की व्यवस्था की जा सकती थी और यह उनकी आदत थी कि किसी बहाने वेतन देना टाल देते थे।” पुन जैसाकि एक ममकालीन लेखक कहता है ‘कि सैनिकों की लम्बी सेवा के लिए न तो पेंशन की व्यवस्था थी और न ही और न ही इसकी व्यवस्था उनकी विधवाओं के लिए है न परिवारों के लिए। जब कि वे राज्य की सेवा में ही जान दे देते थे। वरिष्ठता के आधार पर किसी अच्छे सैनिक के उन्नति में बाधा के रूप में प्राय

घूस आकर बीच में खड़ा हो जाता था। ऊँचे पदों के लिए दरवार के प्रभावी लोगों द्वारा पहले से ही धन ले लिया जाता है। सैनिक नेता भी इस तरह का काम करता है।”

“मात्र युरोपीयों को ऊँचा वेतन मिलता है। पर वे भी रणजीत सिंह के जीवन के सध्या काल में अविश्वस्त हो गये और उनमें से कुछ ने तो महाराजा के उत्तराधिकारी के साथ दगावाजी भी की। पर चूँकि कुछ सरदार उनसे ईर्ष्या रखते थे, इस कारण उनमें से अधिकतर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पद से हटा दिये गये जिससे सेना का सगठन ही बिगड़ गया।”

“भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता और जाति के लोगों को महाराजा की सेना में भर्ती किया गया जिन्हें उनके जादुई व्यक्तित्व के नीचे ही सगठित रखा जा सकता था। एक तरह की वर्दी निधारित नहीं की गई। घुड़चढ़ों को छोड़कर घुड़सवार सेना “पदल सेना से हर मामले में बेकार थी।” सिख तोपखाने में बंदूकचियों की कमी थी। “वस्तुओं को मुहैया करने की सिखों की प्रथा यों तो कायम थी पर उसमें अभी और भी बहुत कुछ होना था। रण-कुशलता के क्षेत्र में सिख नेता अपने पूर्व मराठा की भाँति अपने युद्ध अनुभव पर ही निर्भर करते थे। पथ प्रदर्शन हेतु इस क्षेत्र में उनके पास कुछ नहीं था और न ही सिख नेताओं के अनुभवों की पूँजी ही थी।”<sup>1</sup>

कुछ विचारकों के अनुसार सेना के पश्चिमीकरण ने मजबूती देने की जगह पर इसे और कमजोर किया और इसी कारण सिखों की इस सेना ने जो गुरु गोबिंद सिंह और बाद में बहादुर के नेतृत्व में मुगलों से प्रतिष्ठापूर्वक लड़ी थी, रणजीत सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिशों के विरुद्ध इसने हथियार उठाने का साहस नहीं किया।

पर उपरोक्त दोषों के प्रस्तुतीकरण के बावजूद हमें युद्ध के मैदान में रणजीत सिंह की सेना का मूल्यांकन करना होगा। सर चार्ल्स गौफ जो सिखों के विरुद्ध लड़नेवाला प्रथम ब्रिटिश सेनापति था, ने लिखा है, “यह कहा जाता है और इसमें सत्यता भी है कि गैर-युरोपीय लोगों में ब्रिटिश सेना के सफल कट्टर शत्रु वे लोग रहे हैं जिन्होंने हैदरअली और होल्कर की तरह विदेशी युद्ध-पद्धति नहीं अपनायी पर सिखों से जो लड़ाई हुई वह इस नियम का अपवाद है। सिख सेना ने एक अनुशासन की छाया में युद्ध किया और उठाने वह टक्कर दी जो अभी तक किसी देशी सेना ने न दी थी। और वे ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि रणजीत सिंह ने अपनी विधि से उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया था।”<sup>2</sup>

1 और देखें डॉ० फौजसिंह वः लेख मिशनरी क्वार्टर्ली जनवरी-मार्च, 1961।

2 गौफ, चार्ल्स ऐण्ड इत्स ए० डी० द निरुन एण्ड मिथ वार्म १० 43।

सर चार्ल्स गीफ सोबराव मे सिख सेना के दिल दहला देने वाल हत्याकांड का जिक्र करता हुआ लिखता है, "नीति का यह तकाजा है कि मैं सबके समक्ष पराजित शत्रु की शानदार बहादुरी के विषय में कुछ न कहूँ। उन्होंने अत्यधिक बहादुरी का परिचय दिया। व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, सामूहिक रूप से भी। मैं यह घोषित करता हूँ कि चूँकि मेरे देश के हित में यह बलिदान आवश्यक था अथवा ऐसे देश भक्त लोगों की भयानक हत्या देखकर मैं रो पड़ता।"<sup>1</sup> सिन्हा के मतानुसार इस तरह इसमें सन्देह नहीं है कि रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व सचमुच "धुड़सवारा की एक भीड़ की एक उत्तम लडाकू मशीन के रूप में बदल दिया था।"<sup>2</sup>

यदि लाहौर के कुछ सरदारों ने पड़यन्तकारी भूमिका न अदा की होती तो प्रथम सिख-युद्ध में ब्रिटिशों की विजय सरल न होती।

27 जून, 1839<sup>3</sup> को रणजीत सिंह नहीं रहे। उन्होंने "पंजाब को पतनवत सगठन, मराठा के शिकार और अंग्रेजों की उत्तमता के समक्ष झुकने की स्थिति में पाया था। उन्होंने अनेकानेक छोटे छोटे राज्यों को साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने काबुल से उसका सुदूरतम प्रांत ले लिया और उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर नहीं प्रदान किया।"<sup>4</sup> जगमाहन महाजन के शब्दों में, "उसने उत्तराधिकार में विद्रोह पाया और अनुशासन स्थापित किया, अथवा पायी और उसे व्यवस्था में बदला और अपने जीवन भर के प्रयासों से अपने लिए एक साम्राज्य निर्माण में सफलता प्राप्त की। पर उसकी सफलता अति महत्त्व की होते हुए भी व्यक्तिगत थी और परिणामतः अस्थायी।"<sup>5</sup> उसका शासन लोगों की भावनाओं पर आधारित था पर इसके साथ ही इससे जो सिद्धांत जुड़ा हुआ था, वह था सैनिक क्षमता का विस्तार और क्षेत्र में वृद्धि। और जब सिख राज्य अपनी एक सीमा पर पहुंच गया और उसका नेतृत्व भी न रहा तो उसके जाति के गुण ही अपने लिए दोष सिद्ध होकर झगड़े का कारण बन गये।<sup>6</sup>

यह विरोधाभासी और विचित्र लगता है कि एक साम्राज्य सस्थापक को ही उसका पतनवर्तक स्वीकार किया जाय। मदिरा के सेवन की अति ने उसे समय से पूर्व ही उठा लिया। और साथ ही "इतिहास में ऐसे लोगों की तरह, जिन्होंने

1 गीफ चार्ल्स एण्ड इस, ए० डी० द सिख एण्ड सिख वास प० 43-44।

2 सिन्हा, एन० क० रणजीत सिंह पृ० 156-172।

3 15वीं हर सवत् 1896 गुरी लाल सोहनलाल उमदत उत तवारीख, भाग 3 (अंग्रेजी में अनवाद की० एस० गुरी) (1961) प० 695।

4 कनिंघम हिस्ट्री ऑफ द पंजाब प० 200।

5 महाजन जगमोहन सरकम्पसटन्सेज सीडिंग टू एनेक्सेसन ऑफ पंजाब प० 15।

6 कनिंघम पूर्वोक्त प० 200।

## रणजीत सिंह और सिख राज्य (1780-1839)

प्रशासन क्षमता और सैनिक कुशलता में नाम कमाया पर वे नारियाँ प्रति कमजोर थे, रणजीत सिंह भी थे।" उसने 18 विवाह किये जिनमें "नौ बदर रीति रिवाज के अनुसार हुआ और नौ चद्दर डालने की साधारण रीति के अनुसार।" पर उसकी पत्नियाँ और रखैलों के बारे में इतिहास बहुत कलकपूर्ण बातें प्रस्तुत करता है। जब वह खडक सिंह के रूप में बंध उठा धिकारी सत्ता पा गया तो उसने हरम के अप्रतिष्ठापूर्ण पड्यन्त्रों की चिन्ता की। इन महिलाओं में कई लडकियों को उसके सामने उसका पुत्र बताकर रखा जिसका उद्देश्य राजनीतिक भी था अथवा उसकी विशेष कृपा। अपने पुत्र पर सिंह और पौत्र नौनिहाल सिंह के पास उसने अपने जनाना से कई प्रतिष्ठा महिलाओं को भेजा। इन्हीं में से एक सुन्दर ईश्वर कौर थी जो महाराजा खडक सिंह के मृत्यु पर श्रद्धापूर्वक सती हो गई।"

महाराजा की इन सभी कारवाइयों का परिणाम यह हुआ कि नानिहाल सिंह के मरने के बाद कोई अविवादग्रस्त उत्तराधिकारी नहीं रह गया। यह सच विदित है कि सिखा के अंतिम शासक दलीप सिंह के विरुद्ध पड्यन्त्र इसीलिए प्रारम्भ हुआ क्योंकि उनके उत्तराधिकार की वैधानिकता सदेहास्पद थी।

राज्य के प्रशासन की कला और कूटनीति की शिक्षा उसने अपने तम सत्तानों को नहीं प्रदान की। यहाँ तक कि खडक सिंह के लिए भी कुछ नहीं किया गया जिसकी वैधानिकता पर कोई विवाद भी नहीं था। इसी कारण वह सीधा सादा बना रहा। ध्यान सिंह डोगरा<sup>3</sup> की ईर्ष्या ने उसे सदा दरबार से रहने को बाध्य किया और रणजीत सिंह के सावधान रहते हुए भी उसने बुद्धिमानों से दरबार के पड्यन्त्रों से निवृत्ति को चेष्टा नहीं की। ह्युजेल, जो रणजीत सिंह के दरबार में आया था, ने लिखा है, "महाराजा का सबसे बड़ा पुत्र खडक सिंह लाहौर में रहता है। पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उसमें बुद्धि की इतनी कमी है कि कोई यह आशा नहीं करता कि इतने फौजे हुए सिख साम्राज्य पर वह शासन कर सकेगा।"<sup>4</sup> पर हम यह पता नहीं है कि उसमें कितनी कमजारी मंच

1 इसका एक उत्तरण उसकी एक बरिष्ठ पत्नी महताब कौर का दो पुत्रों का प्रस्तुत करना है। देखें नवाप (हिस्ट्री ऑफ पंजाब पृ० 370) जिन्होंने उनका लोगा का नाम भी दिया है जिनमें लड़के प्राप्त किए गए। पर सिंह को उसके पिता एक किन्तु जवान भृत्यारियाँ निवामी निगल से खरादा गया और तारा सिंह को महताब कौर के दामाद की पुत्री एक मुस्लिम महिला से खरीदा गया।

2 ग्रिपिन पूर्वोक्त पृ० 106-107।

3 राजा ध्यान सिंह चोगरा जो रणजीत सिंह का प्रधानमंत्री था उसका सम्बन्ध जो रणजीत सिंह का मध्य के बाद के निरमहत्वाका हाथ पान रहे थे।

4 ह्युजेल बरावान ट्रैवल्स इन द गंगार एण्ड पंजाब चैप्टर (1845), पृ० 287।

मुच थी और कितनी गदी बतार्ई गई। औरगजेब की सदहात्मक प्रवृत्ति न उससे लडके को राजत्व की शिक्षा नहीं प्राप्त हान दी जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। पर रणजीत सिंह सदेहशील स्वभाव का नहीं था, पर दस सदभ म उसको लापरवाही के कारण स्थिति बिगड गई।

वैसे तो रणजीत सिंह तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं था पर उमम शक्ति वैसे ही निहित थी जैसे सनिक अधिनायक के पास। सैनिका की सहायता से ही उसका खजाना भरा रहता था। सभी चीजें बेई द्रत थी। महाराजा प्रमुख सैनिक नेता था, वही सबसे बडा कायपालिका का मालिक और यायाधीश भी था। किसी अधिकारी को प्रशासन या सनिक कारवाइया को करन का अवमर नहीं प्रदान किया जाता था। कुछ अपवाद को छाडकर उमके दरवार मे महत्वाकांभी चापलूना का जमघट था जिनम नूटनीति और प्रशासन की बहुमुखी प्रतिभा नहीं थी। और म्वाभाविक परिणाम यह था कि जब महाराजा की मृत्यु हो गई तो हर जगह कुशासन व्याप्त हो गया। सैनिको ने अपना सेनापति छो दिया और जनता ने अपना यायक्षोत और मुख्य प्रशासक।

और वैसे तो महाराजा ने गुणा के आधार पर अपनी सवा म लागू का लिया था और साथ ही उसकी इसके लिए भी प्रशसा करती हागी कि एक धार्मिक पतन के युग म उसने अपने दरवार मे बुद्धिमत्तापूण धार्मिक सहिष्णुता की नीति को चलाया, पर सिख आर हिंदू एक ओर और मुसलमान दूसरी ओर एक-दूसरे के विरोधाभासी मत के ही नहीं थे बल्कि उस युग मे एक दूसरे से बहुत दूर। महाराजा के आकषक प्रभाव मे वे एक साथ काम कर सकत थे पर उमकी मृत्यु के उपरान्त यह सहयोग सम्भव नहीं था। रणजीत सिंह ने इसकी कल्पना नहीं की थी।

महाराजा की आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध म भी अलग-अलग तरह के मत हैं। कुछ तो यह कहते हैं कि, महाराजा ने किसानो के शरीर से खून की अन्तिम बूद तक खीच ली। पर दूसरे यह कहते हैं कि महाराजा ने एक हाथ से लिया और दूसर हाथ से वापस कर दिया। प्रत्येक किसान परिवार से एक या दो लडके सेना मे भर्ती हा गय जिसके फलस्वरूप गाव म उनकी आय से रुपया आने लगा। पर राजा ने जिस तरह श्रमसाध्य जमीन की आय से कर के रूप मे शोषण किया वह पसंद नहीं किया गया। किसानो ने इसे इमीलिए सहा क्याकि उहाने इससे भी दुग दिन देखा था। पर जब उहे अंग्रेजा की विधि की जानकारी हो गई तो पुरानी परम्परा के साथ रहना उनके लिए कठिन हो गया। ब्रिटिश ने जो परि वतन प्रारम्भ किया वह वैज्ञानिक अधिक था और कष्टकर कम।

महाराजा की शुल्क प्रथा भी प्रशसनीय नहीं थी।<sup>1</sup> इससे न तो व्यापार को

1 पहले सिविन ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ रणजीत सिंह।

ही प्रोत्साहन मिला और न उद्योग को। जो लोग ब्रिटिश क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार की नीति के विषय में परिचित थे, स्वाभाविक रूप से उस प्रथा को पसंद नहीं करते थे जिसके अतगत अनियमित रूप से अनेक चुगी घर बनाये गए हों जिसके फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले सामान पर एक स्थान पर नहीं, दो पर नहीं और तीसरे पर ही नहीं बल्कि अनेक स्थान पर इस पर इतनी चुगी लगे कि यह वस्तु महगाई की उस सीमा में पहुँच जाय कि साधारण व्यक्ति के लिए उसे प्रयोग करने की सामर्थ्य ही समाप्त हो जाय। महाराजा की सरकार एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार थी जिसमें विशेषाधिकारी और पूजीपति वर्ग के समर्थन की आवश्यकता ही नहीं थी जिससे कि गरीबों पर नियंत्रण किया जा सके। इस तरह की नीति ब्रिटिशों ने वाद में अपनाई। रणजीत सिंह ने यह चेष्टा की कि धनी और धनी न होने पाए। कनिंघम ने लिखा है कि ये धनी और अकमण्य व्यक्ति रणजीत सिंह के बौद्धिक प्रतिभा के समक्ष सहम जाते थे। वे उसकी गुप्त शक्ति से प्रफुल्लित हो हृदयार लेकर दौड़ पड़ते थे और वे ये आशा करते थे कि परिवर्तन मात्र से ही वह सब हो जाएगा जो वे चाहते हैं।<sup>1</sup>

सैनिक प्रशासन में भी बहुत कुछ होना शेष रहा। उसकी अनियमित सेना जो अनुशासनहीन थी और अकाली जो अपने को अलग शक्ति ही मानते थे और महाराजा के जीवन के लिए भी कई बार खतरा बन चुके थे, व अतिरिक्त उसकी नियमित सेना भी असैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में काय करने को तैयार नहीं थी। इस सबका परिणाम यह था कि 1841 आते आते जब शेर सिंह को शक्ति मिलनी थी तो सारी सेना ही प्रशासन शक्ति में बदल गई। पेंने ने लिखा है कि "इसके काय पचायत या पाच लोग करते थे जिसमें प्रत्येक कम्पनी के प्रतिनिधि होते थे और जिन्हें सैनिक चुनते थे। खालसा के संगठन का सिद्धांत जिस गुरु गोविंद सिंह ने प्रारम्भ किया था और जिसके अतगत पाच लोग की शक्ति गुरु से भी अधिक मानी गई थी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही।" "इन पचायतों से लोग अपनी कठिनाइयों के निवारण की अपेक्षा करते थे, इनमें वेतन में य बढोतरी की माग करते थे या भ्रष्ट अफसरों को हटाय जाने की माग करते थे। यह प्रथा शेर सिंह के काल में प्रारम्भ हुई, और इतनी तेजी से पचो की शक्ति बढ़ी कि शीघ्र ही सेना पर ही नहीं बल्कि प्रशासन की हर शाखा पर इनका नियंत्रण हो गया।" सैनिक व्यक्ति के हाथ में नागरिक उच्चता का पहुँचना तो अच्छी बात नहीं। और इसमें आश्चर्य नहीं कि, 'उन दिनों शक्ति प्राप्ति एक खतरनाक चीज थी। प्रत्येक राज्य कर्मचारी जानता था कि सैनिकों को अप्रसन्न करना अपनी मौत को

1 कनिंघम पूर्वोक्त पृ० 246 सिंहा रणजीत सिंह पृ० 138।



आमंत्रित करना है।<sup>1</sup> कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आग बढन का न ता साहम करता और न इस परिस्थिति से खुलकर जूझता।

पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और नवविजित राज्य मठी में महाराजा की मृत्यु के बाद सनिका ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया और जब ध्यान सिंह ने कुछ रजीमटों का समाप्त कर दिया ' तो इससे अशांति फैली ही क्या कि मुकन सैनिक पास-पड़ोस के जिला में फैल गए, अपन भाग्य की उन्होंने ठाकू दला के साथ जाड दिया जो व्यवस्थित सरकार के अभाव में दहाता में स्वतंत्र रूप से घूमते रहे, किसानों को आतंकित करते रहे, पशु हार ले जाते रहे और फार्मों तथा गावों का लूटते रहे।<sup>2</sup>

बुद्धिमान विजेता रणजीत सिंह जनता के हृदय से अपनी सासे जाडन में असफल रहा और यह चेष्टा भी नहीं की कि कोई ऐसा अच्छा काम कर दिया जाय कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके आधार पर व एक बने रहे।<sup>3</sup> किसी सामूहिक कला को प्रोत्साहित नहीं किया गया, किसी सामूहिक सस्टृति का विकास नहीं किया गया। एक तरह की शिक्षा पद्धति भी प्रारम्भ नहीं हुई। लोग रणजीत सिंह के ग्राह्य व्यक्तित्व के नतत्व में ही सगठित हुए और जब वह सगठक शक्ति नहीं रही तो अराजक शक्तियां ने जोर पकडा और सभी चीजें अल्पकाल ही में बिखर गई।

वैसे तो रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा जैसे विश्वस्त कमचारियों की जागीरें उनकी मृत्यु के बाद जडन कर ली और अपन कमचारियों के प्रति विश्वस्त न होने की बदनामी उठाई, पर जी० एल० चोपडा न लिखा है कि ' रणजीत सिंह लगातार ऐसी नीति नहीं अपना सका जिससे पजाब के लोगो में थोडी या अधिक राजनैतिक एकरूपता आ जाय। इस असफलता का सबसे बडा उदाहरण एक मात्र डोगरा परिवार को इनने लम्बे चौडे राज्य का एक क्षेत्र प्रदान करना था।<sup>4</sup> इसी डोगरा परिवार के कारण सिख शक्ति का पतन आग चलकर हुआ। डोगरा राजा गुलाब सिंह जिहाने कश्मीर में अपने लिए एक अलग से राज्य की स्थापना की, रणजीत सिंह के शासन काल में कई बार विद्रोह किया था और सदा पजाब के प्रधान मंत्री और अपने भाई ध्यान सिंह के द्वारा उसकी रक्षा होती रही। वह महाराजा से उसके पक्ष में सदा उदार होने के लिए कहता रहा। यहां पर उदारता बेकार गई। पर गुलाब सिंह की महत्वाकांक्षा को आग बढ़ने का अवसर मिला

1 वेने शाट हिस्ट्री आफ द सिख प 151-52 गाडन १ सिम्न प० 124।

2 वेने पर्वोद्धत प० 144-45 गाडन प० 124।

3 सिहा एन वे० रणजीत सिंह प० 136-39।

4 चापडा जी एल० द पजाब ऐज ए सावरेन स्टेट प० 140।

क्याकि उसने अलग से डोगरा राज्य की स्थापना की। महाराजा के दरबार के लोग डोगरा लोगों के प्रति इस अति उदारता से असंतुष्ट भी थे।

डोगरा राजपूतो का पद्मसूत महाराजा के जीवन काल में ही राज्य को अपार हानि पहुँचाता रहा। यदि राजा घ्यान सिंह ने हरि सिंह नलवा का वह पत्र महाराजा को भेज दिया होता, जिसमें उसने अपने सैनिकों को, जिन्हें उसने नौनिहाल सिंह के विवाह में भेजा था, वापस होने को कहा था, तो इस अनुभवी पर दुर्भाग्यशाली और वस्तु सेनापति नलवा को पेशावर में बचा लिया गया होता और वह राज्य की बठिन घड़ी में बेहतर सेवा कर सकता। यदि डोगरा न किसी-न किसी बहाने राजकुमार खडक सिंह को महाराजा के दरबार से दूर न रखा होता तो उत्तराधिकारी राजकुमार राजतल्ल म बेहतर प्रशिक्षण पा जाता और अपने साम्राज्य तथा अपने जीवन दोनों को बचा लेता। रणजीत सिंह को अच्छी तरह पता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सत्ता को डोगरा राजा शासन न करने देंगे। "जम्मू भाइयो का उद्देश्य पूरे पंजाब को अपने नतत्व में लाना था। घ्यान दक्षिण पर नियंत्रण करने और गुलाब उत्तर पर नियंत्रण करने की साज्य रहे थे।" <sup>1</sup> पर फिर भी स्थिति में हेर फेर करने के लिए उसने कुछ नहीं किया।

उसके मन्त्री आम तौर पर उसके प्रिय थे और साहसी भी। महाराजा के अधिकारियों का चुनाव बाह्य योग्यता पर किया जाता था न कि उनके विश्वास के आधार पर। इसीलिए तब जाश्चय नहीं होता जब यह सूचना मिलती है कि उनमें से तमाम ब्रिटिशों से पत्र व्यवहार करते थे जिसका कुफल यह हुआ कि रणजीत सिंह के बाद पंजाब में ब्रिटिशों की सत्ता स्थापित हो गई।

एक बार जब रणजीत सिंह भारत का मानचित्र देख रहा था तो उसने पंजाब को छोड़कर शेष भारत को, जहाँ ब्रिटिशों का अधिकार था, लाल रंग से रंगा हुआ देखा। इस पर उसने कहा, "सब लाल हो जायेगा।" दूसरे शब्दों में वह जानता था कि ब्रिटिशों तो उसकी मृत्यु के बाद पंजाब पर अधिकार करेंगे ही। इसके लिए दोनों के बीच युद्ध की सभावना भी थी। उसकी गलती यही थी कि उसने इस युद्ध को टाला।

कुछ लेखकों के विचार से सिख शक्ति का पतन, 1809 में महाराजा द्वारा अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर से प्रारम्भ हुआ। इन लेखकों के मतानुसार 1823 के बाद उसके दृष्टिकोण में अग्रजों के प्रति जो नम्र भाव दिखाई पड़ा वह

1 पैन पूर्वार्द्धत प० 137।

2 इस पुस्तक का प्रथम भाग देखें, लाड मिश्री पर लिखा गया अध्याय।



मरकार सवार थी और रणजीत सिंह घोडा ।” “उसने कभी शान से साहस नहीं किया । वह प्रतीक्षा और अनिर्णय में विश्वास करता था ।”<sup>1</sup>

पर महाराजा की आलोचना में आइये अब और आगे न बढ़ें अथवा यह आरोप लगाया जायेगा कि हम उसके प्रति भेद भाव रखते हैं । आखिर वह भी तो हाड मांस का एक पुतला था । एक व्यक्ति के रूप में वह दुर्भाग्यशाली भी था क्योंकि उसके सभी विश्वस्त आर बहादुर सेनापति जैसे मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और राम दयाल महाराजा के मृत्यु से पूर्व ही मर गये थे । इनमें से किसी के न होने और जो बचे भी उनके कमजोर और गढ़ार होन के कारण सेना पर नियंत्रण ढीला पड गया । और यदि महाराजा एक कायक्षम और स्थायी प्रशासन नहीं स्थापित कर सका तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह अधिकतर काल के लिए क्षेत्रों के विजय आर सगठन म जुटा हुआ था जिसके कारण अथ कारवाइयों के लिए उसके पास समय नहीं था । इसके अतिरिक्त महाराजा का काल भारतीय इतिहास का मध्य काल था और जो परम्परा उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की भी वह सभी पूर्वी परम्परा की थी । उसके प्रशासकीय कार्यों की तुलना आधुनिक काल के कार्यों से करना या उसके समकालीन युरोपीय शासकों से करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उस महान् विजेता के साथ अयोग्य हो जायेगा । रणजीत सिंह वह महान् व्यक्ति था जिसने अपने शासित क्षेत्र में लोगो को धर्म निरपक्ष शासन का अनुभव कराया ।

1 सिंहा, एन० ए० पूर्वोक्त पृ० 90-91 ।

क्षम्य नहीं है। फीरोजपुरा को लेकर उसकी कूटनीतिक पराजय, शिकार के प्रश्न तथा सिंध नदी के नौ संचालन पर उसकी नीति कायरतापूर्ण थी। सिंध सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वह ब्रिटिशों से लड़कर उन्हें पराजित कर सकती थी पर इसका लिए शासक के साहस की आवश्यकता थी। यह बीज काबुल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों के विनाश से स्पष्ट है। वेने भी यह स्वीकार करता लगता है 'ब्रिटिश सेना ने ऐसे शत्रु के हाथों मुह की खाई जिनके ऊपर खालसा की सेना ने एक स अधिक बार निर्णायक विजय प्राप्त की थी।'<sup>3</sup> वैसे तो उस समय महाराजा जीवित था जब ब्रिटिशों को प्रारम्भ ही में अफगानिस्तान में असफलता मिली पर इस असफलता में उसने अपने लाम की खोज की। पर उसने युद्ध करने से पीछे हटने की न तो इच्छा व्यक्त की और न ही वह डरा। अपने हिता का तिलाजलि द उसने अपने पौत्र नौनिहाल सिंह के नेतृत्व में अपनी पूरी सेना पेशावर इसलिए भेज दी कि वह कैप्टेन वाडे से मिलकर कार्रवाई करे। यह काय उसने सतलज का क्षेत्र छाड़कर किया जहां पर ब्रिटिशों की एक डिवीजन सेना थी। इतना ही नहीं बल्कि "उसके देश का पशुओं अनाज आदि का सभी साधन ब्रिटिश शासन के लिए खोल दिया गया।"<sup>4</sup>

यदि वह साहस करता तो ब्रिटिशों से जीत जाता यह बात इससे भी सिद्ध है जब हम यह पता पाते हैं कि 1838 में महाराजा न जब अपनी सेना सतलज नदी के तट पर ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए भेजा तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल पेशावर गया। यह इसलिए किया गया था कि जिससे ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पर आक्रमण के लिए पंजाब में होकर न जाय।

पर 1838 में महाराजा की यह बहादुरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सिद्ध हुई। खालसा सेना प्रोत्साहित हुई और उन्हें अपनी शक्ति में विश्वास हो गया। पर उन्होंने यह तब किया जब महाराजा नहीं रहे। इसी घटना ने उन्हें सतलज पार करने की प्रेरणा दी और यह बात आत्महत्या की तरह सिद्ध हुई।

विस्माक कहा करता था कि दो शक्तियों के बीच संधि का अर्थ है एक सवार और एक घोड़ा। रणजीत सिंह के नेतृत्व में आंग्ल सिख सम्बंधों में 'ब्रिटिश

1 यह सतलज नदी के बाय तट पर था और उसपर उभरकर निर्णायक अधिकार था। पर ब्रिटिशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और 1835 में इस महत्वपूर्ण स्थान पर उन्होंने अधिकार कर लिया। नाड आकलण्ड ने 1838 में इसे एक कण्टोनमेंट में परिवर्तित कर दिया।

2 नाड एननबरा सम्बंधों अध्याय 7 में देखिये।

3 एन शाह हिन्दू आण्ड सिख १० 133 34।

4 कन्नडा रिप्यू अगस्त 1844 १० 475।

सरकार सवार थी और रणजीत सिंह घोड़ा।" "उसने कभी शाह से साहस नहीं किया। वह प्रतीक्षा और अनिश्चय में विश्वास करता था।"<sup>1</sup>

पर महाराजा की आलोचना में आइये अब आरंभ में न बड़ें अथवा यह आरोप लगाया जायेगा कि हम उसके प्रति भेद भाव रखते हैं। आखिर वह भी तो हाड-भास का एक पुतला था। एक व्यक्ति के रूप में वह दुर्भाग्यशाली भी था क्योंकि उसके सभी विश्वस्त आरंभ बहादुर सेनापति जैसे मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और राम दयाल महाराजा के मृत्यु से पूर्व ही मर गये थे। इनमें से किसी के न होने और जो बचे भी उनके कमजोर और गढ़ार होने के कारण सेना पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। और यदि महाराजा एक कार्यक्षम और स्थायी प्रशासन नहीं स्थापित कर सका तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह अधिकतर काल के लिए क्षेत्रों के विजय और संगठन में जुटा हुआ था जिसके कारण अथवा कारवाइयों के लिए उसके पास समय नहीं था। इसके अतिरिक्त महाराजा का काल भारतीय इतिहास का मध्य काल था और जो परम्परा उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की भी वह सभी पूर्वी परम्परा की थी। उसके प्रशासकीय कार्यों की तुलना आधुनिक काल के कार्यों से करना या उसके समकालीन युरोपीय शासकों में करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उस महान् विजेता के साथ अन्याय हो जायेगा। रणजीत सिंह वह महान् व्यक्ति था जिसने अपने शासित क्षेत्र में लोगों को धर्म निरपेक्ष शासन का अनुभव कराया।

1 मिहा, एन० के० पूर्वोक्त, प० 90-91।

## एलेनबरो (1842-44)

### सिंध का सयोजन

एलेनबरो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसमें विधि और चर्च में महारथ हासिल कर रखी थी। उसके पिता का नाम एडवर्ड लॉ था जो बाद में लाइ एलेनबरो कहलाया और लाइ चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया। उसकी माता का नाम ऐन था जो कैप्टन जाज टावरी की पुत्री थी। वह 8 सितम्बर, 1790 में पैदा हुआ और उसका नाम एडवर्ड ला रखा गया, बाद में उसे एलेनबरो के अल का नाम दिया गया। उसकी शिक्षा ईटन और सेण्ट जॉस कॉलेज में हुई। 1813 में वह ससद सदस्य हुआ और उसने लाइ कांसिलरों की बहन आर लदन डेरी के प्रथम मार्क्स की पुत्री आक्टविया स्टीवट से विवाह कर लिया। वह 1818 में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 1819 में उसकी पत्नी का देहान्त हो गया और 5 वर्ष बाद उसने सर हनरी डिग्बी की पुत्री जेन एलिजाबेथ से विवाह कर लिया। वह अति सुन्दर थी पर अविश्वस्त पत्नी थी जिसके कारण 1830 में उसका तलाक हो गया। 1828 में एडवर्ड लाइ प्रोवी सील नियुक्त किया गया और बाद में बोर्ड आफ कंट्रोल का प्रेसीडेण्ट। इस स्थिति में उसे भारतीय स्थिति के बारे में काफी जानकारी हुई। सर राबर्ट पील ने 1841 में उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया और वह लाइ आक्लण्ड की अफगान नीति का समाधान करने आया। उसने अफगान युद्ध समाप्त कराया फिर इस सम्बन्ध में वह विवाद का विषय भारत ही नहीं इंग्लैंड में भी बना।<sup>1</sup>

भारत में उसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना सिंध का सयोजन था। एक देश जो पंजाब के दक्षिण में बसा हुआ था, सिंध के दोना ओर फैला यह अरब सागर से जा लगता था। पूर्व और पश्चिम के वजह भूमि से यह घिरा था। मुगल काल में इसने उनका पथ स्वीकार किया। 1739 में जब नादिरशाह का आक्रमण हुआ तो यह स्थान उसके अधिकार में आ गया और इसके बाद यह अफगानिस्तान का

1 लाइ आक्लण्ड से सम्बन्धित अध्याय देखिये।

एक सहायक राज्य बन गया। 18वीं सदी के अंत में तलपुरा कबीले के कुछ नेता जा बलूचिस्तान से आ रहे थे, इस पर अधिकार कर लिया और आपस में बांट लिया। इन नेताओं में महत्त्वपूर्ण खैरपुर, मीरपुर, और हैदराबाद के थे। इनमें से प्रथम अंग्रेजों पर अपना अधिकार बताता था।

पिछला इतिहास—यदि हम सक्षेप में इस प्रदेश का पिछला इतिहास देखें तो पता चलेगा कि यहाँ से प्रथम सपक ब्रिटिशों ने अपने सौदागरों के माध्यम से 1758 में किया जब थेट्टा में एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त की गई। 1761 में उन्हें कुछ और सुविधाएँ प्रदान की गयीं, पर 1775 में अंग्रेजों के कारण सिंध के अमीरों के मन में अविश्वास पैदा हो गया क्योंकि वे सिंध की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से वापस चले जाने को कहा गया।

1799 में सिंध में अंग्रेजों ने पुनः असफल व्यापारिक रुचि दिखाई। पर जब 1807 में यूरोप में नेपोलियन और रूस के जार के बीच टिल्सिट की संधि हो जाने से राजनैतिक स्थिति बदली और यह संभव दिखा कि पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्य पर फ़ार्मीसी सेनाओं का आक्रमण संभव है तो ब्रिटिशों ने सिंध में वैसे ही एक शिष्ट-मंडल भेजा जैसा उन्होंने पंजाब में भेजा था। इस शिष्टमंडल ने अमीरों को 1809 में एक संधि करने को बाध्य किया जिसका 1830 में नवीनीकरण किया गया। जिसके माध्यम से सिंध के अमीरों और ब्रिटिशों के बीच एक स्थायी संधि की गई। इसके अंतर्गत अमीरों ने यह स्वीकार किया कि वे फ़ार्सीसियों को या अमेरिकियों को अपने देश में बसने नहीं देंगे। उन्होंने आपस में यह भी तय किया कि वे एक-दूसरे के यहाँ बस सकेंगे बशर्ते कि वे शांतिपूर्वक रहे। 1831 तक आगल सिंध के सम्बन्धों में कुछ अंग्रेज महत्त्वपूर्ण नहीं घटा।

इस बीच 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अधिकार कर सिंध की ओर महत्वाकांक्षा से देखना प्रारंभ किया। 1823 में उसने बलूचियों को दंडित करने के बहाने मुल्तान के सैनिकों पर आक्रमण किया जिसका सही उद्देश्य यह था कि शिकारपुर पर अधिकार की संभावनाओं का पता लगाया जाय। आतंकित अमीरों ने उसके पास भेंटें भेजी और रणजीत सिंह वापस लौट आया। 1824 में रणजीत सिंह ने यह जताया कि अफगान क्षेत्रों पर जो पंजाब में थे उन पर अधिकार कर लिया है और उनकी शक्ति अपने हाथों में ले ली है इसलिए अब अमीरों को वह कर उसे देना चाहिए जो अभी तक बहुत पहले से अफगानों को देते आ रहे हैं। चूंकि अमीरों ने एक अरस से कर देना बंद कर दिया था इसलिए उन्होंने इसका उत्तर

1 विस्तार के लिए दक्षिण प्रिंसेप ओरीजिन आफ द सिख पावर इन पंजाब पृ० 140 एवं छाबड़ा, जी०एस० हिस्ट्री आफ पंजाब अध्याय 8।



नकारात्मक ढंग से दिया जिसके फलस्वरूप रणजीतसिंह ने अपनी सेना 1825 में उस क्षेत्र की ओर बढ़ा दी। पर उस क्षेत्र में फैले हुए दुर्भिक्ष के कारण उसने इस योजना को पूरा नहीं किया और वापस चला गया। 1826 में उसने पुनः अपनी सेना भेजी। पर चकि सैय्यद अहमद ने पशावर में विद्रोह कर दिया था इसलिए उसे शीघ्रता में वापस लौटना पड़ा।<sup>1</sup>

ब्रिटिश सिंध की ओर रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा को निश्चित होकर नहीं देख सकते थे। और इसी कारण 1831 के आगे सिंध ने अत्यधिक कूटनीतिनता के खेल में भाग लेना प्रारंभ कर दिया जिसमें रणजीत की मात्र पराजित ही नहीं होना पड़ा बल्कि उस क्षेत्र से हटना ही पड़ा। यह खेल सिंध में नौसचालन को लेकर प्रारंभ हुआ।

सिंध में नौसचालन—19वीं सदी के प्रारंभ से ही सिंध नदी के नौसचालन में ब्रिटिशों की रुचि थी। वे मध्य एशिया के वाजारों को नियंत्रित करने का स्वप्न सजो रहे थे जो सिंध नदी के रास्ते से पूणतया संभव था। 1809 में ही विनियम मरनापट नं लिखा था सिंध नदी का नौसचालन युरोपीया का ताकम ही ज्ञात था क्योंकि उस क्षेत्र में उन्होंने प्रयास ही नहीं किया था पर पर्याप्त बोज वाली नौकाओं के लिए भी व्यवहार लाने योग्य था।<sup>2</sup> पर इस नदी में नौसचालन के और भी कारण थे। फरवरी 1828 में रूस और फारस के बीच तुर्कमचाई की जा संधि हुई उसके सम्बन्ध में केशी लिखता है “फारस को हाथ और पैर बांधकर सेण्ट पीटर्स के दरबार में पेश कर दिया गया।”<sup>3</sup> रूस अब मात्र अफगानिस्तान में कारवाई के लिए प्रयास नहीं कर रहा था बल्कि खुरासान और हैरात में भी। कुछ का कहना है कि भारत की ओर भी उसकी दृष्टि थी। सिंध में नौसचालन ब्रिटिशों को इन सभी राज्यों से संपर्क में ला सकता था और इस तरह रूस के कदम पर प्रतिबंध लगा सकता था।

इसी बीच फारस के शासक फतेह अली की ओर से एक शिष्टमंडल का आगमन हैदराबाद के अमीर के यहाँ उसके पुत्री के विवाह प्रस्ताव को लेकर हुआ। स्वाभाविक रूप से ब्रिटिशों का संदेह ही गया कि इन दोनों दशा में मैत्री ही गई तो रूस फारस से होकर सिंध पर अपने प्रभाव का विकास कर सकता था। इसके अतिरिक्त रूस का बुखारा व पड़ोसी खानात में व्यापारिक प्रभाव था जिसका प्रतिरोध

1 कनिंघम हिस्ट्री आफ द सिंध पृ० 165 तथाक हिस्ट्री आफ द पंजाब, पृ० 433।

2 मूर कोप्टर ब्लू ट्रेवल्स इन हिमालयन प्रोविन्सज आफ हिन्दुस्तान एण्ड पंजाब भाग 2 पृ० 338।

3 केशी हिस्ट्री आफ दार इन अफगानिस्तान भाग 1, पृ० 151-56।

सिंध और मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ाकर किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सिंध में नौसंचालन में यूरोपीयों के तथा भारतीयों के उत्पादित माल के लिए नयी बाजारों का विकास भी हो सकता था। और पुनः ब्रिटिश सिंध में रणजीत सिंह की बढ़ती हुई रुचि का भी दशन कर रहे थे जो अरब सागर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता पाने के लिए प्रयासरत था जिससे कि समुद्र के पार के देशों से संपर्क हो सके। कनिंघम का कहना है कि रणजीतसिंह के इस तरफ के प्रभाव को रोकने का तरीका 'सिंध में नौसंचालन को सारे विश्व के लिए खोल देना था।'<sup>1</sup> इसके अतिरिक्त चार्ल्स मासन के मतानुसार अंग्रेजों का गुप्त उद्देश्य महाराजा के राज्य क्षेत्र को घेर लेना था। 1842 में अक्टूबर में रानी को लाड एलेनबरो का जो प्रेषण भेजा उसमें लिखा था, "लाड एलेनबरो चाहता है कि इंग्लैंड के लिए वस्तु व्यापार पथ में सिंध गंगा से भी बाजों मार ले जाय और इसी रास्ते से यूरोप की सभी सेनाएं और सैनिक साजों सामान उत्तर-पश्चिम सीमा पर पहुंच जाय।"

यह भी अनुभव किया गया कि अंग्रेजों की इस तरह की कायप्रणाली स्वाभाविक रूप से रणजीत सिंह और सिंध के अमीरा, दोनों के लिए एतराज का विषय होगी इसलिए एक अतिसावधानीपूर्ण कदम की आवश्यकता थी जिसे ब्रिटिशों ने 1827-28 में घोषित किया।

1827 में रणजीतसिंह ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहस्ट को कुछ भेंटें भेजीं। दूसरे वर्ष जब एमहस्ट इंग्लैंड वापस चला गया तो यह योजना बनाई गई कि वे भेंटें ब्रिटिश शासक की ओर से महाराजा को वापस की जाएं। इन भेंटों में हथौड़े, एक बैलगाड़ियों का काफिला, एक साड़ और चार घोड़ियां। ये सभी सिंध क्षेत्र से होकर भेजे जायेंगे। "भारत और इंग्लैंड के सभी अधिकारियों का विचार था कि इससे बहुत से राजनैतिक और भौगोलिक तरह की जानकारियां प्राप्त होंगी।"<sup>2</sup> बस को इस कारवाई का प्रबंधक बनाया गया। यह भी योजना बनाई गई कि यदि सिंध के अमीर इस पर इतराज करेंगे तो उनसे यह कहा जायगा कि सबक से भेजे जाने पर महाराजा की भेंटें बेकार हो जायेंगी। इस कारण नदी से होकर भेंटों का भेजा जाना आवश्यक है।

स्पष्टतया इसमें ब्रिटिशों के नापाक और पड़पत्तकारी कूटनीतिके दशन होते हैं। डॉ० आर० आर० सेठी<sup>3</sup> के मतानुसार इस शिष्टमंडल का "ऊपरी उद्देश्य और सिंध से होकर जासूसी करने का विवरण अफगान युद्ध के अवसर पर सामने आया।

1 कनिंघम पूर्वोक्त, पृ० 172।

2 मासन चार्ल्स नरेटिव आफ वेरियस जर्नीज, पृ० 432।

3 सेठी आर० आर० द माइटी ऐण्ड फ्रीड महाराजा, पृ० 78।

4 वही पृ० 82।

मेटकाफ ने भी कहा कि इस तरह की कारवाई हमारी सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। पर माहनलाल के मतानुसार यह सूचना प्राप्त होती है कि इससे 20 वर्ष पूर्व भी इसी तरह की भेंटें रणजीत सिंह के पास मडक से होकर भेजी गई थी। इस कारण रास्ते में वस्तुआ के चराब होने का बहाना अनुचित था। सर अलैकज़ण्डर बॉस ने इस योजना के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है, "यह मुझे बहुत घुरा लगता है। मेरी दृष्टि में यह मेरी सरकार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल एक प्रयास है। जब इसका आगे पता चलेगा और जो निश्चित ही होगा, तो उन राज्यों की ईर्ष्या और अपमान भावना आगे की तरह भडक उठेगी जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग हो रहा है। इससे युद्ध तक हो सकता है।"<sup>1</sup>

जैसी कि आशा थी अमीरो ने ब्रिटिश नीति का विरोध किया। और अन्ततः उन्होंने रणजीतसिंह की सेना के आतंकित करने पर जो संयोग से डेरा गाजी खान के निवृत्त थी, शिष्टमंडल को आगे बढ़ने दिया। महाराजा के सैनिका की धमकी की सहायता महाराजा का भेंट भेजने के बदले प्राप्त कर अंग्रेजों ने महाराजा का इस मामले में हस्तक्षेप भी प्राप्त किया जिसने अमीर के दूत को अपने मामले बुलाया और इस व्यवहार के लिए उन्हें डाटा। रणजीत सिंह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सिंध के विरुद्ध स्वयं कोई कारवाई का बहाना ढूँढ रहा था। पर उसे क्या पता था कि इस बारे में वह ब्रिटिश कूटनीति से मुह की खा जायेगा।

भेंट देने के साथ ही, कहा जाता है कि बॉस ने ऐसे ही सिंध नदी और मतलज नदी में नौसंचालन की संभावना की चर्चा छेड़ दी। लुधियाना का ब्रिटिश एजेंट वाडे जो बॉस के शिष्टमंडल के साथ ही दरबार आया, उसने बर्टन के साथ भेंट करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। यह कहा गया कि रुड म रणजीत सिंह का शान से स्वागत किया जाएगा। इससे बाद दूसरे दिन गवर्नर जनरल महाराजा की सीमा की ओर भी आया।

26 अक्टूबर, 1831 को स्पड म गवर्नर जनरल और महाराजा के बीच भेंट की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर रणजीत सिंह ने लतीफ के मतानुसार गवर्नर जनरल से सिंध के विरुद्ध सामूहिक कारवाई करने का परामर्श दिया और यह प्रस्तावित किया कि कारवाई के बाद सिंध को आधा-आधा बांट दिया जायगा। पर गवर्नर जनरल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसकी सिंध में कोई रुचि नहीं है। अब्दुल कादिर ने लिखा है कि इस तरह गवर्नर जनरल ने महाराजा का यह बनाकर कि उस क्षेत्र में उसकी रुचि नहीं है उसे उस मामले में

1 मिनिंग एडवर्ड हारोत्र आफ माहन इदिया, पृ० 145।

2 वास्गा कानेज अमृतसर से प्रकाशित रणजीत सिंह सेटीनरी बास्कुम।

3 वही।

निश्चिन्तता की स्थिति में कर दिया जबकि इसके चार दिन पूर्व उसने पोर्टिजर को यह आदेश दे दिये कि वह सिंध जाकर अमीरा से व्यापारिक संधि कर ले।<sup>1</sup>

जब बस ने सिंध नदी के नौ संचालन के पक्ष में अपना मत दिया तो गवर्नर जनरल ने तुरन्त इस योजना पर अमल किया। पोर्टिजर को अमीरो के पास सिंध नौ-संचालन की योजना सहित भेजा गया। उसे इसके पूरे निर्देश प्राप्त हो चुके थे कि किस तरह उसे आगे बढ़ना है। उससे अमीरो से सिंध नदी से होकर निर्बाध व्यापार करने के लिए आश्वासन लेना कहा गया। वह अमीरा को यह भी बतायेगा कि इससे उसकी जनता समृद्धिवाण होगी। और यदि अमीरो को फिर भी एनराज हो तो पोर्टिजर को यह कहना होगा कि अमीरो को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत सिंध नदी क्षेत्र में बसने वाले लोगों के व्यापार हित पर रोक नहीं लगा सकता। इसलिए तो और कि उसका थोड़े से क्षेत्रों पर ही अधिकार है।<sup>2</sup>

पोर्टिजर को ये निर्देश एचड बेंट के चार दिन पूर्व ही दिए गये। योजनानुसार आगे बढ़ते पोर्टिजर अतत 4 अप्रैल, 1832 को अमीरो से संधि करने में सफल हुआ। इस संधि का मुख्य मुद्दा यह था कि अमीर ब्रिटिशों को सिंध से होकर व्यापार की छूट तो देंगे पर वे उन्हें सैनिक साज सामान नहीं ले जाने देंगे और न ही हथियार। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी ब्रिटिश को सिंध में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि अमीर ब्रिटिशों पर कितना अविश्वास करते थे। 22 अप्रैल की पूरक संधि में विदेशी माल पर लगने वाले कर के अधिकार को अमीरो के हाथ से ब्रिटिशों ने अपने हाथ में ले लिया।

गाडन<sup>3</sup> के मतानुसार, स्वाभाविक रूप से इन सभी योजनाओं ने महाराजा के मस्तिष्क में एक अति सदेह की भावना उत्पन्न की और यह कहा जाता है कि जब उसे इस संधि की सूचना प्राप्त हुई तो वह कई रातों तक सो नहीं सका। पर ब्रिटिशों ने उसे सतोष दिलाया। उसके ऊपर प्रभाव डालकर तथा भावलपुर के नवाब से भी कहकर यह चाहा गया कि सतलज को भी नौ-संचालन के लिए सिंध की तरह खोल दिया जाय। इस तरह सतलज और सिंध नदियाँ ब्रिटिशों के व्यापारिक और राजनैतिक खेल के अखाड़े के लिए खुल गईं।

इन नदियों के नौ संचालन हेतु खुल जान के बाद, बाड़े के काल से ही चला आ रहा दूसरा प्रस्ताव यह आया कि सिंध नदी क्षेत्र के अलग-अलग स्थलों पर ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति की जाय। उनका यह तक था कि सिंधो, सिन्धिया और दावोदपोत्रों के बीच शत्रुभाव है। इसलिए यदि इनके मध्य

1 छावडा पूर्वोक्त, भाग 2, अध्याय 8।

2 पंजाब गवर्नमेण्ट रिकार्ड्स 98/181 गवर्नमेण्ट टू पोर्टिजर, 22 अक्टूबर 1831।

3 गाडन द सिंध, पृ० 31।

ब्रिटिश अधिकारी न रहेंगे तो उनकी आपसी शत्रुता उनके व्यापार पर दुष्प्रभाव डाल सकती है, दूसरे रणजीत सिंह का यह प्रयास मिठनकोट को एक बाजार में बदलकर अपने क्षेत्र का उत्पादित माल वहां से न चलाया जाय, भी सफल नहीं हो पायेगा। तीसरे उसका तब था कि चूंकि इस समय ब्रिटिशों का उद्देश्य राजनैतिक है इस कारण ये अधिकारी इस उद्देश्य की वहां पूर्ति करेंगे। चौथे, मिठनकोट और शिवावरपुर के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र, जो अमीरों की दया पर रहता है, ब्रिटिशों उसकी रक्षा कर सकेंगे। और अंतिम रूप से, उसने कहा कि मिठनकोट केन्द्र स्थल होने के कारण यदि वहां ब्रिटिश अधिकारी रहेगा तो वह व्यापार को नियमित और नियंत्रित कर सकेगा।

पर इस प्रस्ताव को प्रभावशाली बनाना सरल नहीं था। सिंध के अमीर चूंकि ब्रिटिशों को जान गए थे इसलिए वे ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्ति अपने क्षेत्र में करने के लिए तैयार नहीं थे। पोर्टिंजर का पुन उर्हू समझाने को भेजा गया पर वे अपनी स्थिति से एक इंच भी नहीं हटे। जब समझाने-बुझाने और घमकाने की सारी नीति असफल हो गई तो अंततः एक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि एक यूरोपीय की जगह कोई स्थानीय व्यक्ति ही सिंध में ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस तरह सिंध नदी को व्यापार के लिए खोल दिया गया।

पर इन सारे प्रयासों के बावजूद यह व्यापार-पथ लोकप्रिय नहीं हो सका जबकि इसे महत्वपूर्ण बनाने की हर चेष्टा हुई। बस को बाबुल इसलिए भेजा गया कि वहां के व्यापारियों को इसकी उपयोगिता के विषय में बताया जाय, पर यह योजना भी सफल नहीं हुई और अंततः इस व्यापारिक पथ को बन्द ही कर देना पड़ा।

इसकी असफलता के कारण स्पष्ट था। जिन-जिन लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया ब्रिटिश ही इस योजना में रूचि रखते थे। पर उनकी योजना का मूल उद्देश्य भी व्यापारिक इच्छा से अधिक राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। रणजीत सिंह, भावलपुर के भावल खा और सिंध के अमीरों को इस योजना के विषय में मदेह था। अमीर अपने क्षेत्रों में नावों को रोक दते और देर में जानें देते थे और शांतिपूर्ण व्यापार में हर तरह का व्यवधान उपस्थित करते थे। यह ब्रिटिशों की घमकी के बावजूद होता था। इस तरह इन नदियों में नौ-संचालन प्रारम्भ करने का एक ही लाभ हुआ कि रूस और सिख लोगों को सिंध ने विरुद्ध योजना को सफलता नहीं मिली। चार्ल्स मासन ने लिखा, "इस नीति के पीछे बनाये गए बहाने का परिणाम यह हुआ कि इस नदी पर और इससे दूर के देशों में सैनिक भर्ती किये गए तथा नदी में लगभग 6 स्टीमर दिखाई पड़ने लगे जिनका

उद्देश्य युद्ध सम्बन्धी उद्देश्या का था, व्यापार का नहीं।<sup>1</sup> पर ब्रिटिशों का मूल उद्देश्य भी यही था और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त ही गई।

**राजनैतिक नियंत्रण**—सिंध से इस तरह व्यापार सम्बन्ध स्थापना के बाद अंग्रेजों के लिए राजनैतिक नियंत्रण बनाये रखना कठिन न रहा। सच तो यह है कि पूरब में ब्रिटिश राजनीति में ब्रिटिश व्यापारियों को दबाने में सफल रहा करते थे और सिंध में भी इसका अपवाद नहीं था। शिकारपुर की समस्या ने इनका काम और सरल कर दिया।

सिंध के पश्चिम और मिठनकोट के उत्तर में स्थित शिकारपुर अपने व्यापार केन्द्र होने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। साथ ही इसकी सैनिक महत्ता थी क्योंकि यह बोलन दर्रे के रास्ते में पड़ता था और इस तरह इस दर्रे की रक्षा के लिए यहाँ एक सैनिक केन्द्र स्थापित हो सकता था। रणजीत सिंह स्पष्टतया अपने उद्देश्यों के लिए यहाँ पर अधिकार करना चाहता था पर अंग्रेज भला इसकी अनुमति कैसे देते।

मिठनकोट के दक्षिण पश्चिम स्थित क्षेत्र में लूटपाट करने वाली एक जाति मेजारी सिंध, भावलपुर और लाहौर क्षेत्र पर आक्रमण करती रहती थी। पर चूँकि उनका क्षेत्र सिंध और पंजाब के बीच का था, इस कारण अमीर अपनी राजसत्ता के बावजूद उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते थे। 1836 तक लाहौर क्षेत्र में मेजारियों के आक्रमण बढ़ गये और रणजीत सिंह ने उनकी शक्ति का सदा सदा के लिए विनाश का निश्चय कर लिया। साथ ही उनके आक्रमणों से हुई हानि की पूर्ति हेतु उसने अमीरों से शिकारपुर की मांग की। "ब्रिटिशों को स्वाभाविक रूप से उसके इसपर अधिकार करने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। यह सतलज व सिंध के पश्चिम में पड़ता था और 1809 की संधि के अनुसार उन्हें सतलज के उस पार के क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने के लिए आश्वस्त किया था।" पर अमीरों ने ब्रिटिशों से सहायता की प्रार्थना की जो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही में थे। 25 नवम्बर, 1836 को अंग्रेजों और अमीरों के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार अमीरों के यहाँ एक ब्रिटिश एजेंट रखा गया जो महाराजा और अमीरों के बीच एक सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करने लगा। अमीर लाहौर से अपना बकील वापस बुलाने को तैयार हो गया। और इसके बदले ब्रिटिश अमीरों के क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार हो गया।

स्पष्ट है कि इस संधि पर अमीरों ने हस्ताक्षर क्या किया अपने मौतनामे पर हस्ताक्षर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि अब अमीर इतिहास के गर्दों गुब्बार में

1 मासन, चार्ल्स नरेटिव आफ बरियग जनीज इन बलोचिस्तान अफगानिस्तान, द पंजाब ऐण्ड बंगाल, पृ० 432।

खो जायेंगे और उनके क्षेत्र का समोजन हो जाएगा। रणजीत सिंह भी प्रोग्र व्यक्त किया पर वह असहाय था।

समोजन—भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने आक्रामकता के लिए विख्यात था। पर आक्रामकता की जिस तरह की नीति सिंध में दिखी वैसे पहले वही नहीं दीयी थी। ब्रिटिश ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चरणा में लागू किया। दूसरा चरण तब आया जब ब्रिटिश ने भूतपूर्व अफगान अमीर शाहशुजा के समय में अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजनी चाही, पर 1839 में रणजीत सिंह ने ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र से होकर नहीं जाने दिया। जहाँ शक्ति की ही प्रधानता थी वहाँ तकपूण बाता का कोई स्थान नहीं था। अब एक ही रास्ता था कि ब्रिटिश सेनाएँ 1832 के सिंध को ध्यान में रखे बिना अमीरा के सिंध क्षेत्र से होकर सेनाएँ भेजें। उनसे केवल यह कहा गया कि “जब तक यह स्थिति चलती है इस सिंध की सिंध सम्बन्धी शत की वह धारा, जिसमें सैनिक साजा-सामान ले जान पर प्रतिरोध लगा था, उसे आवश्यक रूप से म्यगित कर दिया जाना चाहिए।” सिंध के अमीर के उत्तर की प्रतीभा को अनावश्यक माना गया और ब्रिटिश सेनाएँ सिंध होकर आगे बढ़ी।

पर ब्रिटिश अब भी सतुष्ट नहीं हुए। जोर अब अमीरा से जो माग की गई उमके लिए न ता कोई तब था और न ही कोई नैतिक आधार। अमीरो से शाहशुजा को बकाया कर भोजन को कहा गया। अफगानिस्तान का यह भूतपूर्व शासक ब्रिटिशों की शरण में था। अमीरा ने बार-बार यह कहा कि उन्होंने पिछले तीस सालों से कर नहीं दिया है और शाहशुजा न स्वयं उन्हें इससे मुक्त कर दिया था। इसके अनिरीकत उनका कहना था कि यह कर अफगानिस्तान के शासक को देय है जो स्थान दोस्त मुहम्मद का प्राप्त है न कि शाहशुजा को। पर ब्रिटिशों को धन की आवश्यकता थी तक की नहीं। अमीरा का स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि “हमारे पास उन्हें दवान और जपमानित करने के लिए शक्ति है और हम उन्हें प्रयोग में लान में सकोच नहीं करेंगे।” ब्रिटिशों की इस दृष्टिकोण के लिए आलोचना करना बेकार है।

अब भी न सतुष्ट होकर सर जानकीन ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए घमकाया और 11 मार्च 1839 को अमीरो को एक सिंध करने को बाध्य किया। पर बाद में यह पता चला कि इस सिंध को असलियत में वह न होना चाहिए जो यह है। इसी कारण अमीरो से परामश किये बिना इसमें परिवर्तन कर लिया गया और उनके सामने हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। अमीरो ने इसपर विरोध व्यक्त किया, पर चूँकि ब्रिटिशों के पास उन्हें दवाने के लिए ताकत थी इस कारण उन्हें उसे मानना पडा। इस सिंध के अतगत प्रत्येक अमीर का अधिकार अलग अलग कर दिया गया और यदि उनके मध्य कोई झगडा हो तो उसे निबटाने के

लिए ब्रिटिशों की सहायता आवश्यक कर दी गई। सिंध औपचारिक रूप से ब्रिटिशों के संरक्षण में आ गया और ब्रिटिश सेना इस उद्देश्य के लिए सिंध नदी के पश्चिम रख दी गई। अमीरा को 3 लाख रुपये वार्षिक इनमें व्यय के लिए देना स्वीकार करना पड़ा। यह भी तय हुआ कि यह धन तीन अमीरा से उनकी भूमि के अनुपात में प्राप्त किया जायेगा। लॉर्ड आर्लेण्ड ने स्वयं इस संधि के विषय में कहा, "अमीरों का संधि लगभग समाप्त कर दिया गया है।"

प्रथम अफगान-युद्ध काल में सिंध का ब्रिटिशों ने युद्ध के आधार के रूप में प्रयोग किया। अफगानिस्तान में ब्रिटिश झगड़े के बीच गडबडी के आसार होने के बावजूद अमीर विश्वस्त बने रहे। पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो अमीरा पर विरोध और पड़ोस का आरोप लगाया गया। मेजर जेम्स आउट्रम के स्थान पर सितंबर 1842 में सर चार्ल्स नेपियर को हैदराबाद में रेजीडेंट बनाया गया। वह असैनिक व राजनैतिक कार्यों की सिंध में देखभाल करता व नियंत्रण रखता था तथा बीहड़ विस्तारवादी था। यह राजनैतिक अधिकार एक सेनापति के हाथ में जाना स्वाभाविक था। इस लिखता है "सर चार्ल्स ने अपनी कारवाई इस सिद्धांत पर की, कि सिंध का संयोजन एक लाभपूर्ण पाशविक्ता होगी जिसके लिए उसे कोई बहाना ढूँढना चाहिए—जिससे डाका डानों की क्रिया को उचित ठहराया जा सके।"

नेपियर के लिए अपने-आप परिस्थिति तैयार हो गयी। खैरपुर में उत्तराधिकार का संध प्रारम्भ हुआ और इस स्थिति के गुण दोष का विचार किये बिना नेपियर ने अली मुराद<sup>1</sup> का पक्ष ले लिया। पर जब यह खेल भी उसे शीघ्र लाभ न दिला सका तो उसने घोषणा की, कि अमीरों के विरुद्ध अविश्वस्तता का जो आरोप अफगान युद्ध के अवसर पर लगाया गया था वह अब सिद्ध हो गया है और इस कारण वे एक कठोर दंड के अधिकारी हैं। यह दंड एक संध के रूप में होगा जिसके अंतर्गत वे तीन लाख रुपये कर के बदले एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिशों को प्रदान करेंगे जिससे सहायक सेना का व्यय निकल सके। इसके अतिरिक्त वे अग्नेजी स्टीमरो के लिए, जो सिंध में चलते हैं तेल की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त वे अपना सिक्के ढालने का अधिकार ब्रिटिशों को प्रदान करेंगे। इसके बाद सिंध में जो रूपया ढाला जायेगा उसपर 'इंग्लैण्ड के सम्राट की तस्वीर' बनी होगी। दिसंबर 1842 को नेपियर ने घोषणा की, कि यदि 20 जनवरी 1843 तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता तो अमीरों का शत्रुतापूर्ण रवैया सिद्ध हो जायेगा।

संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थीं जिसके अंतर्गत अमीरा को राष्ट्रीय अधिकार



का परित्याग कर उचित होना था। आउट्रम न खैरपुर के अमीरा की एक बटक बुलाई और उह समझाया। दक्षिण के अमीर ता समय पर पहुँच गये पर उत्तर के अमीरा को अली मुराद की योजना के फलस्वरूप दागिन जोर लग गया। य साम्राज्यवादी, क्रीधी सेनापति नैपियर के लिए वदाशत करना कठिन था। उसने एक आश्रयचकित करने वाला कदम उठाया। बिना युद्ध की घोषणा किए खैरपुर और हैदराबाद के बीच मकान बिले इमामगढ़ पर आक्रमण कर दिया और द्रम मिट्टी म मिला दिया। 'ऐसा लगता था कि मकान जनरल का भी सिध पर उसकी कारवाई करने पर कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं था।'

पर नैपियर का अमीरा का सिध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए समझाने में सफलता प्राप्त हुई जिससे कि बहुत बुरा हाने स बच गया। अमीरा न नैपियर को हैदराबाद छोड़ देने की चेतावनी दी क्योंकि उनके देशवागिमा स ब्रिटिश लोगो के हानि की सम्भावना थी क्योंकि वे वतमान परिस्थिति में नियंत्रण में नहीं लाये जा सकते थे। पर चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया गया और तीन दिना में नैपियर के अत्याचार नीति से रस्त हावर बलूचिया ने आउट्रम के तियास पर आक्रमण कर दिया जिसने कि बहादुरी से आत्म रक्षा में जुटे रहते हुए एक म्टीमर पर जाकर शरण ले ली। अब युद्ध प्रारम्भ हो गया।

17 फरवरी 1843 को नैपियर न एक शानदार लड़ाई लड़ी। एक योग्य सेनापति नैपियर ने केवल 3,000 सैनिकों की सहायता में मियानी के अमीर को उसके 30,000 सैनिकों सहित पराजित किया और उनमें से 5,000 को मार डाला। 27 मार्च 1843 को हैदराबाद पर अधिकार हो गया। मीरपुर पर अधिकार हो गया। नैपियर ने एलेनबरो को लिखा, "मैंने सिध जीत लिया है।" सिध का सयोजन कर लिया गया और अमीरा को खदेड़ दिया गया। नैपियर को हैदराबाद की लूट में से 70 हजार पौण्ड प्राप्त हुआ। आउट्रम को 3,000 पौण्ड देने को कहा गया जिसे उसने रखने से इनकार करते हुए यह कहते हुए दान दे दिया, "मैं इस नीति से आगिज आ गया हूँ।"

इस तरह से सब कुछ हुआ। पी० ई० राबट्स ने लिखा है "एक योग्य और महत्वाकांक्षी सेनापति, जो ऊँचाई पर पहुँचने का आकांक्षी था और बचैनी से इस बात में विश्वास रखता था कि ब्रिटिश शासन के लाभ के कारण इस किसी तरह विस्तृत किया जाना चाहिए। इसी कारण उसने एक पहले से ही तैयार सैनिक समाधान के द्वारा एक काफी कठिन प्रशासकीय समस्या का हल किया।"<sup>2</sup>

1 नैपियर विलयम द कान्क्वेस्ट आफ सिध।

2 राबट्स हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया, प० 329।

डाइरेक्टरो ने स्वय नैपियर के सिंध नीति को स्वीकार नही किया जीर न ही एलेनबरो के सिंध के मोन छीना-झपटी को ही पसन्द किया । यह बात और है कि उ होने सिंध अमीरा को वापस नही किया । यहा पर दुहराना अनुपयोगी ही है कि अमीर निर्दोष थे, उहोने ब्रिटिशो को उत्तेजित होने का अवसर नही दिया था और वे ब्रिटिशो से होने वाले समझौते के प्रति विश्वस्त बने रहे थे चाहे वह अफगान युद्ध का काल रहा हो अथवा उसके बाद का समय । “यदि हमारे भारतीय इतिहास मे अफगान-युद्ध अति विनाशकारी रहा तो सिंध की घटना नतिक दृष्टि से क्षम्य नही है ।” नैपियर ने अपनी डायरी मे स्वय लिखा, “हमे सिंध छीनने का कोई अधिकार नही है, पर फिर भी हम ऐसा करेंगे । यह एक अति लाभकारी, उपयोगी और शैतानीपूण मानवता का काय होगा ।” इस सम्बन्ध मे माशमन कहता है, “नैपियर की कारवाई मे लाभ से अधिक पाशविकता को स्थान मिला है ।”<sup>1</sup>

रैम्जेम्योर ने लिखा है कि भारत मे सिंध का मिलाया जाना ही ब्रिटिशो का एक ऐसा काय है “जिसके विषय मे उचित ही कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति मे यह अनिवाय नही था और इसी कारण यह एक आश्रामक काय था ।” सिंध विजय अफगान युद्ध का ही परिणाम था । “अमीरा के विरुद्ध ब्रिटिशो का यह अत्याचार उसका जवाब था जो उहाने अफगानो के हाया भोगा था ।”

डब्लू० ए० जे० आर्बोल्ड स्वीकार करता है, “अगला इतिहास देखन पर भी यह तर्क दिया जा सकता है कि आउट्रम की अमीरा पर विश्वास की नीति भी नैपियर की सावधानीपूर्वक दवाने की नीति से अधिक सही न होती । पर फिर भी पूरी कारवाई अयामपूणता का रंग ओढ़े हुए जो सचमुच कुछ स्थाना पर द्रष्टव्य है । जहा तब जनता की प्रसन्न करने की बात है जिसने दस परिवर्तन से बहुत कुछ प्राप्त किया, इस सदभ म भी यह कहा जाता है कि इतना होने पर भी इस घटना का कोई औचित्य नही है ।”<sup>2</sup>

डा० ईश्वरी प्रसाद के मतानुसार हम इस निष्पत्ति पर पहुच सकते हैं कि सचमुच अमीर “ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दुर्भाग्यशाली शिकार हुए । उह अपना सब कुछ गवाना पडा और उन्हें कोई ऐसा यायालय सुलभ नही हुआ जहा व अपील कर सकें ।”<sup>4</sup>

1 मासमैन हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 333 ।

2 रैम्जेम्योर मनिंग आफ ब्रिटिश इंडिया, पृ० 243 ।

3 कनिंघम हिस्ट्री आफ इंडिया भाग 5, पृ० 538-39 ।

4 प्रसाद ऐन्ड मूवदार पूर्वोक्त, पृ० 252 ।

### ब्रिटिश सरक्षण में ग्वालियर

एलेनबरो के काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना इसके ग्वालियर सम्बन्ध का लेकर घटी। कम से कम यहाँ एलेनबरो का दृष्टिकोण आक्रामकता पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित था। 1818 में समाप्त होने वाले तृतीय मराठा युद्ध के बाद मराठा में सबसे शक्तिशाली सिंधिया ही रह गये थे। 1843 में इस गद्दी पर एक अल्प वयस्क बैठा जिसके काल में शासन पतनवत होने लगा। शासक का संरक्षक इसके लिए उत्तरदायी था। भूतपूर्व शासक की विधवा ने एलेनबरो की स्वीकृति में उस सरक्षक को पद से हटा दिया। यह उस इलाके में अव्यवस्था फैलाने का कारण बन गया। सिंधिया की सेना में 40,000 सैनिक थे। एलेनबरो के मशिवर्क में यह बात आई कि कहीं ऐसा न हो कि चूक पंजाब में गम्भीर कठिनाइयाँ हैं जिस स्थिति में कहीं यह सेना सिंधो से न मिल जाय और ब्रिटिशों के लिए एक खतरा पैदा कर दे। 1804 में सिंधिया से की गई बेलजलो के संधि की अपील करते हुए एलेनबरो ने अपना सेना चम्बल की ओर बढ़ा दिया और साथ ही यह साक्षात् भी कि सभी कुछ शांतिपूर्वक ठीक हो जायेगा। ग्वालियर की सेना ब्रिटिशों से शक्ति आजमाने की तैयार खड़ी थी और अपने शासक को समझौता करने की मनाही कर रही थी। 29 दिसम्बर 1843 को दो लड़ाइयाँ हुईं भी। एक लड़ाई महाराजपुर में हुई जिसमें मराठे हार गये और उनके 3,000 सैनिक या तो मारे गये या घायल हो गये जबकि ब्रिटिशों के 297 सैनिक मारे गये। ब्रिटिशों की विजय हुई पर इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी लड़ाई भी उसी दिन पानिमार में लड़ी गई जहाँ सेनापति भ्रे को तुलनात्मक दृष्टि से आसानी से विजय प्राप्त हो गई।

इस युद्ध के परिणामस्वरूप, वैसे तो ग्वालियर क्षेत्र का कोई स्थल नहीं छोड़ा गया, पर ग्वालियर राज्य ब्रिटिश सरक्षण में ले आया गया। शासक के अल्प वयस्क होने के कारण अगले एक दशक तक यहाँ के राज्य का प्रशासन ब्रिटिश रेजीडेंट ही चलाता रहा। राज्य के सेना की संख्या घटाकर 9,000 कर दी गई और वहाँ के लिए 10,000 सेना की एक ब्रिटिशों से नियंत्रित टुकड़ी बनाई गई।

एलेनबरो कठिनाई से कलकत्ता में यह विजय प्राप्त कर पहुँच पाया था और उस आशा थी कि गृह विभाग इस काय के लिए उसकी बड़ाई करेगा। पर इसके स्थान पर हुआ यह कि उसे वापस आने के आदेश मिल गया। डाइरेक्टरों ने सिंध में उसके खुले आक्रामकता की भूमिका को पसंद नहीं किया और उसके पत्नी के आन्तमक प्रेषण गैली से भी वे परेशान थे। इसने एलेनबरो के काल को भारत में सशिष्ट बना दिया।

इंग्लैण्ड वापसी पर वह जी० सी० बी० हो गया और उसे अल भी बनाया गया। 1846 में सर राबर्ट पील ने उसे अपने मंत्रिमंडल का 'फ्रंट लाड आफ ऐडमिरेल्टी' बनाया और 1850 में वह पुनः लाड डर्बी द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल का प्रेसीडेण्ट बनाया गया। पर चूंकि उसके व्यवहार से रानी और ससद को आघात लगा था। इस कारण 1858 में उसने अपने पद से स्तीफा दे दिया। इसके बाद वह ससदीय भाषणा में भाग लेता रहा, पर उसे कोई महत्त्वपूर्ण पद नहीं प्राप्त हुआ। 22 दिसम्बर 1871 को उसकी मृत्यु हो गई।

## विस्काउण्ट हार्डिन्ज(1844-48)

हेनरी हार्डिन्ज 30 मार्च 1785 को पैदा हुआ। उसका पिता स्टेनहोप काउंटी डरहम का रेक्टर था और उसका नाम था रेवरेण्ड हेनरी हार्डिन्ज। उसकी मा फ्रांसेस वेट म बाक्सले के जेम्स वेस्ट की पुत्री थी। उसका परिवार डर्बीसायर के किंग्स नाटन से संबंधित था जिसके एक पूर्वज ने चार्ल्स प्रथम के लिए एक घुड़ सवार सेना से सहायता करके 1660 में रेस्टोरेशन<sup>1</sup> के समय नाइट की उपाधि प्राप्त की थी। डरहम में शिक्षा प्राप्त कर हेनरी 1800 ई० में कनाडा में क्वींस रॉजर में भर्ती हुआ और वहाँ 19 वर्ष की अवस्था में 57वीं फुट में कॅप्टेन के पद पर पहुँच गया। बाद में राम्ल मिलीटरी अकेडेमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर और वहाँ उत्कृष्टता प्राप्त कर वह सर वेट स्पे सर के नेतृत्व में क्वार्टर मास्टर जनरल स्टाफ में नियुक्ति पा गया। उसने प्रायद्वीपीय युद्ध में भाग लिया, पुतगाल और अय स्थानों की लड़ाइयाँ में उसने भाग लिया और तेजी से मेजर से लेफ्टीनेण्ट कर्नल के पद तक प्रोन्नति पाता गया और फिर वह ब्रिगेडियर जनरल हुआ। हेनरी चार बार घायल हुआ और एक युद्ध में उसे बाएँ हाथ में चोट भी आ गई। वाटर लू के युद्ध के बाद वेलिंगटन ने उसे नेपोलियन की तलवार इनाम में दी और उसे 10 विदेशी सैनिक पारितोषिक मिले।

युद्ध के बाद उसे कै० सी० बी० बना दिया गया। बाद में वह ससद सदस्य हो गया और 1821 में उसकी एक अच्छे परिवार में शादी हो गई। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ वासिलरे और लाड एलेनबरो (1842-44 के बीच भारत का गवर्नर जनरल) उसके निकट संबंधी थे। इसके बाद उसे मंत्रिमंडल में युद्ध सचिव का स्थान प्राप्त हुआ। बाद में वह आयरलैण्ड का मुख्य सचिव हो गया। 1842 में प्राप्त भारतीय सेनापति के पद की नियुक्ति उसने अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद उसे 1844 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वह अपने निकट संबंधी भूतपूर्व गवर्नर जनरल एलेनबरो का ही उत्तराधिकारी हुआ जिसने सिंध

का सयोजन किया था।

लाड हार्डिंज ने, इस तरह जो एक बहादुर सैनिक और राजनीतिज्ञ था, एक ऐसे समझदार व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की जो समझदारी से काय भी करता था। 20 वर्षों तक वह ससद सदस्य रह चुका था और युद्ध सचिव भी। इस तरह दृश्य पटल पर जब काय करने के लिए वह पहुँचा तो उसके पास एक सैनिक और राजनीतिज्ञ दोनों का अनुभव था।

पर भारत में हार्डिंज में राजनयज्ञ या प्रशासक की जगह सैनिक प्रतिभा अधिक मुखर हुई। इसी कारण उसके गवर्नर जनरल के काल की सबसे प्रमुख घटना प्रथम सिख युद्ध थी जिसमें जम्हेदनीय सिख सैनिक प्रथम बार पराजित ही नहीं हुए बल्कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित सारा सिख राजनैतिक महल भहराकर गिर पड़ा।

इस महत्वपूर्ण घटना का हम विवरण दें, उसके पहले उसकी अन्य कारवाइयों का संक्षिप्त विवरण यहाँ वाञ्छनीय है। आ तरिक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जिसे उसे हाथ में लेनी पड़ी, वह थी महत्त्वाकांक्षी गंगा नहर की सिंचाई योजना। यह कई वर्ष पहले स्वीकृत हो चुकी थी पर इसका प्रारम्भ 1856 तक नहीं हो सका था। इस क्षेत्र में उसने उत्साह से काय किया। उसके व्यक्तिगत सचिव और जीवनी लेखक पुत्र चार्ल्स विस्काउण्ट हार्डिंज ने इस विषय में लिखा है, “दोआब के कृषक इस दिशा में दृढ़ हृदय से काय करने के लिए सदा नृणी रहेंगे।”<sup>1</sup> कलकत्ता की सफाई-यवस्था में सुधार किया गया। मध्य भारत के राज्यों में लगने वाले सामानों पर कर को समाप्त कर दिया गया और सतलज व सिंधु नदियों पर बने चुंगी पोस्ट खत्म कर दिए गए। डाक्टर जेम्सन के नेतृत्व में चाय की खेती का आसाम में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया और इस उद्देश्य के लिए वहाँ एक कम्पनी भी स्थापित की गई।

उसके अन्य कार्यों में उसके द्वारा सती प्रथा का समाप्त करना भी आता है। ब्रिटिश क्षेत्रों में लाड बैटिक ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया। इस काय का परिणाम यह हुआ कि सती प्रथा नेपाल के स्वतंत्र राज्य में ही शेष रह गई।

लाड हार्डिंज ने भारत में प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों की सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया। ताजमहल और आगरा के किले की मरम्मत की गई तथा कुतुबमीनार के ऊपर जो अशोभनीय और भद्दा अलंकरण रखा गया था उसे हटा दिया गया।

पर अधिकार महत्वपूर्ण थे वे सैनिक सुधार जो उसने प्रथम सिख युद्ध के बाद किये। ये सुधार दो सिद्धान्तों पर आधारित थे। पहला तो यह कि भारत में

1 चार्ल्स विस्काउण्ट हार्डिंज विस्काउण्ट हार्डिंज, पृ० 164।

अनवरत रूप से युरोपीय सैनिक शक्ति बनी रह और दूसरे सैनिका को इस तरह से रखा जाय जिससे कि उत्तर पश्चिम सीमा और पञ्जाब सुरक्षित हो जाय। इन सिद्धांतों के आधार पर ही भारतीय रेजीमेंट में सैनिकों की संख्या घटाकर 1,000 से 800 कर दी गई जिससे कि 50,000 सैनिक हटा दिए गए। पर इसके बावजूद "सेना 1837 से अधिक बड़ी हो गई जोकि भारत में शांति का अंतिम वष था।"<sup>1</sup> जहां तक तोपखाने में सैनिकों की शक्ति का प्रश्न था उसे बग़ायर रखा गया। नौ पीण्ड की जो तोपें बलगाड़ी पर लटकर चलती थीं वे अब घोड़ा पर रखी जाने लगीं। इन सब सुधारों का परिणाम यह हुआ कि सैनिक बजट में 1 करोड़ 16 लाख से कम की वृद्धि नहीं हुई।

सिख युद्ध की समाप्ति पर सैनिकों को 12 महीने का भत्ता प्रदान किया गया। घायल व्यक्तियों की पंशन 4 रु० महीने से बढ़ा कर 7 रु० कर दी गई। वैरक में मिलने वाले घेत पर रोक लगा दी गई और सभी घायल सैनिकों को अस्पताल से मुफ्त राशन प्राप्त होने लगा।

उसके अन्वय कार्यों में एक आदेश यह भी था कि भविष्य में सामाजिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उसी को चुना जाएगा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुका है। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों में गाड़ों में जो मानव शक्ति दी जाती थी उसे दबाया गया। लाडें हाइड्रिज ने स्वतंत्र व्यापार का प्रावधान किया, चुगिया समाप्त की और नमक-कर घटाया। भारत में लाडें हाइड्रिज की ये शांतिवादी नीतियाँ सफलताएँ थीं।

### प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध

1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और मुश्किल से 6 वर्ष बीतें होंगे कि यह युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारणों के विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। 12 दिसम्बर 1845 को सिख सैनिकों ने सतलज नदी पार किया। इसके पूर्व 13 दिसम्बर को गवर्नर जनरल ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा करते हुए सिखों को दोषी ठहराते हुए उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अपने काल को यादगिरि सिद्ध करते हुए उसने अन्वय भाषा के अतिरिक्त यह भी बताया कि ब्रिटिशों ने विश्वस्तता से अमृतसर की संधि का अनुपालन किया है जिसमें सतलज को दोनों के बीच सीमा रेखा माना गया था, कि "दरबार के कई अर्म्तो-पण कार्यों के बावजूद गवर्नर जनरल की ओर अति सहनशीलता का परिचय दिया गया था" कि इसके बावजूद "कि ब्रिटिश मैत्री रखने की इच्छा रखते थे" सिख सेना ने दरबार के आदेशानुसार लाहौर से आगे बढ़कर ब्रिटिश क्षेत्रों पर बिना

उत्तेजनापूर्ण स्थिति के आक्रमण कर दिया।" गवर्नर जनरल ने इस तरह युद्ध की घोषणा तो की ही, साथ ही यह भी घोषित किया कि सतलज के बायें किनारे के लाहौर दरवार के सभी क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता है।

गवर्नर जनरल की उपरोक्त घोषणा की कुछ भारतीय तथा युरोपीय इतिहासकारों ने आलोचना की है। इनमें से कुछ ने ब्रिटिशों को पूणतया दोषी ठहराया है और यह सिद्ध किया है कि सिखों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जो इसका उलटा कहते हैं। पर सही ढंग से घटनाओं का आकलन करने वाला व्यक्ति जहाँ ब्रिटिशों की ज्यादती की आलोचना करेगा, वहाँ साथ ही सिखों की उन कारवाइयों की भी आलोचना किए बिना न रहेगा जिसके कारण यह आपदा आ गयी। सत्य तो यह है कि कई कारणों में यह युद्ध भडका। इस कारण सही स्थिति की जानकारी के लिए हमें उन सभी का मही ढंग से परीक्षण करना चाहिए।

### ब्रिटिश उत्तरदायित्व

प्रथम सिख युद्ध का मुख्य उत्तरदायित्व ब्रिटिशों का था जो 1809 से अमृतसर की संधि काल से ही आक्रामक रख अपनाये हुए थे। इस संधि को ही रणजीत सिंह की एक कमजारी माना जाता है। 1823 में वदनी, 1835 में फीरोजपुर और 1836 में शिवारपुर में आंग्ल सिख संधि इसके प्रमाण हैं। रणजीत सिंह के मृत्यु के पक्के आसबोन जब 1838 में लाहौर त्रिपक्षीय संधि के सम्बन्ध में आया तो उसी अपनी डायरी में लिखा कि महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिशों की जो प्रथम कारवाई हानी चाहिए वह पंजाब पर सेना भेजकर अधिकार करने की होनी चाहिए।

सतलज की सीमा पर लगातार बढ़ता सैनिक दबाव, जो रणजीत सिंह की मृत्यु के पूर्व और बाद में इस वहाने से देखने में आया कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर में प्रशासकीय मशीनरी के टूटने पर इसकी आवश्यकता रहेगी, सिख राष्ट्र को निश्चित ही उत्तेजित करता। पर इस ओर ब्रिटिशों ने ध्यान नहीं दिया। 1809 की संधि के अंतर्गत ब्रिटिशों को लुधियाना से अपनी सेना हटानी थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर 1838 तक सबाथू में ब्रिटिश फ्रंटियर सेना की एक रेजीमेण्ट थी और लुधियाना में दो। इसके अतिरिक्त यहाँ एक तोपखान की टुकड़ी थी और सैनिक 2,500 थे। आबलैंड ने यह सख्या बढ़ाकर 8,000 कर दी। फीरोजपुर में एक कॅम्पेनमेण्ट खोल दिया गया। एलेनबरो ने अम्बाला, बत्तौली और शिमला में स्टेशन स्थापित किये और सैनिकों की सख्या 14,000 कर दी। 48 मैदानी तोपों की भी व्यवस्था की गई। लाड हार्डिज ने यह सख्या बढ़ाकर 32,000 कर दी और 68 तोपें भी तैयार कराईं। इसके अतिरिक्त मेरठ में



10 000 सैनिक रसे गए और वहा भी तोपखान की व्यवस्था की गई ।

इसके अतिरिक्त 1838 में रणजीत सिंह, ब्रिटिश और शाहशुजा के बीच एक त्रिपक्षीय संधि की गई जिसकी चर्चा हम पीछे कर आये हैं । इस संधि की शर्तों में एक आवश्यक शर्त यह थी कि शाह सफलता के बाद पेशावर सिखा को दे दगा । पर संधि की सामान्य शर्तों से असंतुष्ट होने के बावजूद ब्रिटिश एक ओर तो सिखा का अपनी ओर से विश्वस्तता दिखाने का प्रयास कर रहे थे, पर दूसरी ओर अपने एजेंट मैकनाटन के माध्यम से उन्होंने शाहशुजा से एक गुप्त संधि भी कर ली । इस संधि में यह तय हुआ कि जब रणजीत सिंह के पौत्र नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद उनकी शासन-शक्ति समाप्त होगी तो शाहशुजा को पेशावर दिलाने में सहायता की जाएगी । बर्निपम ने लिखा है कि "यह सोचना सच नहीं है कि लाहौर सरकार को उस योजना का पता न रहा होगा जो कार्यालयीय पत्र-व्यवहार में प्रस्तुत किया गया था ।"<sup>1</sup>

बाद में जब अफगानिस्तान में ब्रिटिश योजनाएँ अमफल हो गई और उन्हें प्रथम अफगान युद्ध करना पड़ा तो संधि की शर्तों के अंतर्गत हनरी लारेन्स ने जे० सी० मागमन का अप्रैल 1842 में लिखा "सिखा को 6,000 सैनिक रखने का ही अधिकार था पर ध 15 000 सैनिकों से कम नहीं रखत थे । व अतिरिक्त सैनिकों का पनावर और जमरूद में रखने में जहा पर आवश्यकतानुसार ये सैनिक दरों में उनकी सहायता करत थे ।"<sup>2</sup> अप्रैल 21 का रात्री को एक पत्र में गवर्नर जनरल ने ग्यब लिखा "मिथ्र मना न भारतीय सैनिकों की अली मस्जिद की ओर जाने वाले दरों के धोर में सहायता की ओर मिथ्र सरकार की विश्वस्तता पर हम तरह सदेह नहीं किया जा सकता ।"<sup>3</sup> पर जब मिथ्र इस तरह ब्रिटिशों की हर गतिव्य मुठभेड़ में सहायता कर रहे थे तब ब्रिटिश 'फोराजपुर में जो पजाब की सीमा पर था, मिथ्रों का रात्री के लिए' एक सौसरो मना तयार कर रहे थे । पर सिध यह नहा समझ पा रहे थे कि उन्हें किस चीज में उनकी रोकने की इच्छा है ।

30 गिाम्बर 1843 में एक पत्र में मह विभाग के अधिकारियों का साठ पत्रों में एक पत्र में टिप्पणी की, "(पजाब में) हमारे विरुद्ध कई भावनाएँ रही हैं । स्पष्टता से आराम में ही सब रहे हैं । मुझे बड़ी अपना व विरुद्ध कुछ दिगार्द नहीं मना ।" अर्थात् मगाराजा कैरगिह की हया ह्य चुकी थी और उसके बाद भी गवर्नर जनरल एच्युड आर बर्निपटन का 20 नवम्बर 1843 का लिखा, "ब्रिटिशों की विनाश भावना को हवा देना की इच्छा कही भी नहीं दिगार्द देनी ।"

1 बर्निपम दिने की आर व दिपल प० 250-51 ।

2 लारेन्स की मना के दिने के दिने की आर व दिपल पत्रों में पृ० 363 ।

3 बर्निपम पृ० 407 ।

2 जुलाई 1844 को उसने फिर लिखा, "शेर सिंह की हत्या के बाद से अबतक के काल में यह समय समुद्र की तरह शांत है।"

लाहौर दरबार के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेने के प्रयास में भी कोई कोर बसर उहाने बाकी नहीं रखी। जब महाराजा शेरसिंह ने प्रथम अफगान युद्ध में हर तरह का सहयोग दिया और राजा गुलाब सिंह को जनवरी 1842 में अफगाना के विरुद्ध उनके सहायताथ भेजा तो हेनरी लारेस को यह लगा कि "राजा ध्यान सिंह और गुलाब सिंह को उनकी सहायता के बदले कुछ मिलना चाहिए क्योंकि पंजाब में केवल वे ही सहायता देने में सक्षम थे।" 29 जनवरी 1842 को उसने लिखा, "कार्यक्षम सहायता के बदले हम जलालाबाद की घाटी गुलाब सिंह को दिलाने में सहायता करते हैं और साथ ही उनके परिवार को पेशावर दिलाने की भी व्यवस्था करते हैं।" <sup>1</sup> रोहतास के किले के पूर्विया अधिकारियों तेज सिंह व लाल सिंह तथा वेतुरा जैसे युरोपीय अधिकारियों को भी इसी तरह फुसलाया गया। और इन सब में वे सफल हुए।

1 जनवरी 1844 को लाहौर दरबार को यह पता चला कि ब्रिटिश फीरोजपुर में किले का निर्माण कर रहे हैं। वैसे यह समाचार तो सही नहीं था। पर 8 फरवरी को यह पता चला कि इसके म्यान पर वहाँ एक बरूदखाना बन रहा है। 17 मई को यह सूचना प्राप्त हुई कि अंग्रेज फीरोजपुर में पर्याप्त अनाज एकत्रित कर रह हैं और 1 जून को यह पता चला कि फीरोजपुर के अंग्रेज सेनापति ने जमींदारों को यह बहलाया है कि वे अपने खेतों में खरीफ की फसल न बोयें क्योंकि वर्षा के उपरांत वहाँ एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित होने वाली है। ऐसी ब्रिटिश कारवाइया ने निश्चित रूप से सिखों को परेशान कर दिया।

1844 45 के मध्य दम्बई में ब्रिटिशों ने बड़ी सख्या में नावें तैयार करनी प्रारंभ की जिसका उद्देश्य सतलज पर पुल तैयार करना था और जैसाकि लाड एलेनबरो ने 9 मई 1844 को डयूक आफ वेलिंगटन को लिखा कि "इससे सैनिकों को भेजने और बुलाने में तो सुविधा होगी ही, व्यय भी कम होगा।" स्वाभाविक रूप से सिख ब्रिटिश उद्देश्यों से भयभीत हो गये। पर जब इस सब में पूछताछ की गयी तो उहाने यह बताया कि यह सिंध और सतलज में व्यापार वृद्धि के लिए किया जा रहा है। सिंध नौवहन की योजना की अमफलता के बाद ब्रिटिश उत्तर पल्ले पडने वाला नहीं था।

राजकोट के निकट बसिया में एक वस्तुपूति डिपो जब ब्रिटिशों ने स्थापित किया तो सिखों का सदेह और पक्का हो गया। इससे अतिरिक्त सिंध में शककर में बरूद का एकत्रीकरण, जिससे 5,000 सैनिक सज्जित किये जा सकें, एक

साधारण पत्र के माध्यम से किया गया। वैसे तो सिंध के गवर्नर चार्ल्स नैपियर ने कमचारियों के बीच पूणतया इस पत्र व्यवहार के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की है। यह सूचना उसने कॉन्ग्रेस को दी। पर यह कल्पनातीत है कि सिखा की जानकारी में यह बात नहीं थी जिससे यह सब ज्ञात होने पर वे उत्तेजित हो गये।

ब्रिटिशों की उत्तेजित करने की नीति यही समाप्त नहीं हुई। सच में तो वे युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व पंजाब पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। 22 अक्टूबर 1841 को ही लार्ड एलेनबरो ने ड्यूक ऑफ वेल्िंगटन को लिखा था, "फीरोजपुर के निकट इस 12,000 सैनिक सिखों की निगरानी के लिए उपस्थित हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर कारवाई को भी तैयार हैं। इसलिए मैं आपका मत जानना चाहता हूँ क्योंकि आपको प्राप्त सूचना मूलतः भौगोलिक विवरणों पर आधारित है।"

पुनः जान लुडलो ने लिखा है, 'सतलज के निकट के ब्रिटिश एजेंट ने 12,000 सैनिक सहित लाहौर की ओर बढ़कर शांति की योजना बनाई है। कलकत्ता के वागजात में पंजाब विजय की भी योजना थी।"

6 अप्रैल 1842 को ड्यूक ऑफ वेल्िंगटन को लिखे गये लार्ड फिन्जराल्ड के एक पत्र में भी ब्रिटिशों की कुटिल और आक्रामक योजना का पता चलता है जो वे सिखा के विरुद्ध तब बना रहे थे जब सिख ब्रिटिशों की अफगान समस्या में सहयोग कर रहे थे, 'सिख सरकार की कारवाई से मुझे प्रसन्नता है पर मैं यह कह सकता हूँ कि यदि हमें अपनी स्थिति अफगानिस्तान में ठीक बनाये रखनी है तो हमारे पास पशावर, खबर दर्रा, जलालाबाद और इन स्थानों तथा काबुल के बीच के दर्रे हाने चाहिए।"<sup>1</sup>

ये दो उदाहरण ब्रिटिशों की अपने मित्रों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हैं। पशावर, लाहौर दरबार के अधिकार में था और इस कारण यदि इसपर अधिकार किया जाना था तो बिना युद्ध के यह संभव नहीं था।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ब्रिटिशों ने सिखों को उत्तेजित करने के लिए प्रस्तुत किये और जिनका विवरण विस्तार को और बढ़ा देगा। यहाँ एक ही उदाहरण प्रस्तुत करना उचित होगा। ब्रिटिश फ्रण्टियर एजेंट के रूप में जून 1843 में कलकत्ते के स्थान पर लेफ्टीनेण्ट कनल रिचमण्ड और रिचमण्ड के स्थान पर नवंबर 1841 में मजर ब्राडफूट को नियुक्त किया गया। इस तरह से जल्दी-जल्दी एक के बाद एक परिवर्तन से सिख परेशान हो गये। उनकी परेशानी तब तो और बढ़ गई जब ब्राडफूट ने कहा कि "यदि बीमार (चेचक से) दत्तोपसिंह को कुछ हो

1 छाबड़ा हिस्ट्री ऑफ पंजाब भाग 2 अध्याय 10।

2 वही अध्याय 2, पृ० 14-15।

गया तो उस स्थिति में उसने लाहौर क्षेत्र तथा सतलज के उस पार के क्षेत्र पर अधिकार करने की योजना बना रखी थी। और उसने दरबार को किसी भी उद्देश्य के लिए सेना भेजने की मनाही कर दी।" आगे कैम्पबेल कहता है, "उसने इस भांति कारवाई की जैसे कि लाहौर व सतलज के क्षेत्र उसके नियंत्रण ही में रहे हों। उसने इस तरह के औपचारिक नियंत्रण के लिए स्थिति भी बना रखी थी और उसने यह स्पष्ट भी किया कि लाहौर क्षेत्र उसके अधिकार में उतना ही है जितना कि 'अथ सरक्षित राज्य।' इतना ही नहीं, अपने अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए उसने लाहौर के एक 'यायाघीश लाल सिंह अदालती को, जो लाहौर क्षेत्र में तलवडी में अपने सरकारी कार्यों के लिए आया था, ब्राडफूट न "बड़े अपमानजनक ढंग से पूरे सिख दल की नदी पार चले जाने को कहा। लाल सिंह चूँकि झगड़ना नहीं चाहता था इसलिए वापस नदी तट पर पहुँच गया और अपने साथियों सहित नदी पार करने लगा। ब्राडफूट ने इतने से सतुष्ट न होकर उनका व्यक्तिगत रूप से पीछा किया। कम-से-कम एक बार गोली दागी गई सिख नेता पकड़कर रोक लिये गये। उस समय जो गोली दागी गई वह सिख युद्ध का पहला गोला बताया जाता है।"<sup>1</sup>

कार्मिकेल स्मिथ ने लिखा है, "पंजाब युद्ध के विषय में, न तो मैं यह मानता हूँ कि सिखों ने बिना उत्तेजित हुए आक्रमण किया, और न ही यह कि हमने उनके साथ भलमनसाहत वरती। इसके अतिरिक्त सिखों के पास सर चार्ल्स नैपियर के भाषणों का अनुवाद था जिसमें उसने कहा था कि वह उनके साथ युद्ध करने वाला है। और जैसा अथ युरोपीयों ने इस परिस्थिति में किया होता, सिखों ने भी सोचा कि वे भी क्यों न इस क्षेत्र में प्रथम रहें। इसके अतिरिक्त वे हमारे क्षेत्र में नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र में थे।"<sup>2</sup>

### अथ बातें

पर कुछ और भी बातें थी जिन्होंने प्रथम सिख युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब की तुलना में ब्रिटिश भारत एक बड़ा देश था और इस कारण वहाँ व्यापार और उद्योग का अच्छा अवसर था। यह शांति काल में तो और भी सभव था, पर पंजाब में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कठिनाई ही-कठिनाई थी। इसी कारण बहुत ही कम पंजाबी व्यापारियों ने ब्रिटिशों से संपर्क का उत्तर दिया जिससे उनकी रूचि उस क्षेत्र में बढ़ती ही गई।

लाहौर की सेना में अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति की भी अनदेखी नहीं की जा

1 कैम्पबेल मेमाघस भाग 1 पृ० 75-77।

2 स्मिथ, कार्मिकेल ए हिस्ट्री आफ द रेनिय फमिली आफ साहोर पृ० 241।

सबती। अफगानो के विरुद्ध ब्रिटिश असफलता न, जिन्हें खालसा ने कई बार पराजित किया था, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे भी ब्रिटिशों से चार चार हाथ कर लें। चूँकि रणजीतसिंह सेना पर असैनिकों का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाये थे इसलिए उनकी मृत्यु के बाद सैनिक अधिकारी अनुत्तरदायी हो गये। शेर सिंह के काल तक तो सेना ने शासन के लिए अपना संगठन बना लिया। इसकी कारवाइया सैनिकों द्वारा चुने कर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाली पचायतें करने लगी। “उन दिना शक्ति एक खतरनाक चीज थी। प्रत्येक राज्य व मन्त्री यह जानता था कि सेना का क्रोध मोल लेना मृत्यु के बराबर है।”<sup>1</sup> गौफन लिखा है कि “स्थिति की गंभीरता इस भय से और बढ़ गई क्योंकि सिख सैनिकों ने अपने लिए जो ऊँचा वेतन प्राप्त किया था और अवज्ञा के बाद जो सामान्य सफलता उठाने प्राप्त की थी, उस सबका ब्रिटिश सेना पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था।”<sup>2</sup> पंजाब के अधिकारी भी इससे परेशान थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सैनिक व्यवहार दुगुने से भी अधिक बढ़ गया जबकि राज्य की आय घट गई। यह सचमुच ही अकार्यक्षम लाहौर शासकों के लिए एक कठिन समस्या थी और ब्रिटिशों को भय हुआ कि वही उत्तर पूर्व में वे खालसा को अशांति के लिए न उकसायें जिसके सबंध में ब्रिटिश बहुत पहले से ही शोर मचा रहे थे। और यही सचमुच घटित भी हुआ।

लाहौर के सरदारों की देन का विवरण भी अपेक्षित है। आपसी ‘विद्वेष’ में वे ज्यादा लिप्त थे। ब्रिटिश सना से उन्हें भय न था। पंजाब के सरदार धन और विलासिता से चिपके थे। प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की उन्हें परवाह नहीं थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी कहानी पडयत्त, क्रूरता और रक्तपात से भरी पड़ी है। रणजीत सिंह के जीवन काल ही में उनके दरबारी डोगरा पंजाब पर अधिकार करने का स्वप्न पाल रहे थे। राजा ध्यान सिंह<sup>3</sup> जो महाराजा का प्रधान मंत्री था उसने यह चेष्टा की थी कि महाराजा के पुत्र और उत्तराधिकारी खडक सिंह को राज्य काय की कोई शिक्षा प्राप्त न हो। राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी वह अपने लडके राजा हीरा सिंह को बनाना चाह रहा था और उसे अधिकार दिलाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसने खडक सिंह को गद्दी दिलाई। पर कुछ ही दिना बाद उसे उसने विपद दिलाकर मार डाला। इसके बाद उसका लडका नौतिहाल सिंह गद्दी पर बठा। पर वह भी अधिक दिना तक शासन नहीं कर सका। किले के एक भाग को उसके ऊपर पडयत्त से गिरवा दिया गया जिसमें वह मरा तो नहीं पर घायल हो गया। इसके

1. पेंने शाह हिस्ट्री आफ द सिख्स प० 51 पीछे देखें अध्याय 2।

2. गौफ एण्ड द सिख एण्ड सिख वार्स (1897), प० 59।

3. धाबदा पूर्वोक्त अध्याय 13 एवं 14।

बाद यह मार डाला गया। इसके बाद नीनिहाल सिंह की मां माई चंद कीर सिंहासन पर बैठी। पर उसने चूकि राजा हीरा सिंह को गोद लेने से इनकार कर दिया इस कारण उसे भी पीट पीटकर मार डाला गया। रणजीत सिंह ने एक अजय पुत्र शेर सिंह को इसके बाद गद्दी दी गई। पर उसे ध्यान सिंह के योजना का पता चल गया। इस कारण उसने उसकी हत्या का पक्षपात रचवाया। पर यह ऐसा कर सके, इसके पूर्व ही राजा ध्यान सिंह के एक विशेष व्यक्ति अजोत सिंह सिंघनवालिया ने उसे गोली से मार डाला। पर अजोत सिंह किसी के प्रति विश्वस्त नहीं था। जिस दिन उसने शेरसिंह को गोली मारी, उसी दिन उसने ध्यानसिंह को भी गोली से भून दिया। इसके बाद हीरा सिंह की बारी आई जो लाहौर की ओर आगे बढ़ा, सिंघनवालिया सरदार को आगे भेजा और रणजीत सिंह ने एक दूसरे पुत्र दलीप सिंह को शासक बनाया तथा स्वयं वजीर हो गया।

पर इस तरह शक्ति प्राप्त कर हीरा सिंह स्वयं पंडित जुल्ला मिश्र के बुरे प्रभाव में पड़ गया जो पंचतीय धर्म का एक कट्टर ब्राह्मण था। जैसे-जैसे ब्राह्मण की राज्य के मामलों में पकड़ मजबूत होती गई, हीरासिंह अलोपप्रिय होता गया। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए उसने सेना को घूस देना प्रारंभ किया जिससे सेना की राजनैतिक शक्ति बढ़ने लगी। वजारत के लिए हीरासिंह उसके चाचा मुचेरसिंह, महारानी जिन्दन के भाई जवाहिरसिंह के बीच सघप प्रारंभ हुआ। महारानी जिन्दन दलीपसिंह की मां थी। इसी तरह राजगद्दी के लिए भी रणजीत सिंह के दो पुत्रा कश्मीरा सिंह, पेशोरा सिंह और महारानी जिन्दन के अभ्यर्थी दलीप सिंह के बीच सघप था। इनमें से प्रत्येक सेना का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था जिसके फलस्वरूप जिन्दन और दलीपसिंह को छोड़कर सब मारे गये और सेना सर्वशक्तिमान हो गई। पर जिन्दन का जीवन भी दूभर हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार उसने अपने सैनिकों को सतलज पार करने को प्रोत्साहित किया जिससे ब्रिटिशों को चुनौती स्वीकार की जा सके। गौफ के अनुसार उसका उद्देश्य था कि "यदि उसकी सेना हार जाती तो दरबार सेनापति के हस्तक्षेप से बच जाता और यदि यह जीत जाती तो दरबार को विजय योजना का श्रेय मिलता।"<sup>1</sup>

इस तरह प्रथम सिख युद्ध के लिए कई बातें उत्तरदायी थीं। ब्रिटिश बहुत पहले से सिखा के प्रति आक्रामक नीति अपना रहे थे। पर जहां रणजीतसिंह चतुर था और उन्हें पास नहीं फटकन देता था वहीं उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिशों के हाथ में खेलते थे। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की अनुभवहीनता, लाहौर के अयोग्य सरदार, अनुशासनहीन पाल्सा सेना, साधनों की कमी और खराब युद्ध

नीति उनके पतन के कारण बने।

## युद्ध

युद्ध के विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है। इसके महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण ही पर्याप्त होगा। सतलज पार कराने के बाद सिखों के लिए सबसे उचित फीरोजपुर पर आक्रमण करना होता क्योंकि लुडलो लिखता है कि, “हमारी 8,000 सेना बर्बाद हो जाती और विजयी 60,000 सैनिक सर हेनरी हार्डिज पर टूट पड़ते जिसके पास उस समय केवल 8,000 सैनिक थे।”<sup>1</sup> पर यह करने की जगह पर लाहौर के पड़ोसवासी बजीर लालसिंह ने, जो ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट से पहले ही पत्र व्यवहार कर रहा था, फीरोजपुर के असिस्टेंट एजेण्ट कैप्टेन पीटर निकल्सन को लिखा, “मैं सिख सेना के साथ नदी पार कर चुका हूँ। आप ब्रिटिशों के लिए मेरी मित्रता जानते हैं। बताइयें मैं क्या करूँ।” इसके उत्तर में निकल्सन ने लिखा, “फीरोजपुर पर आक्रमण न करिये। जितना दिन सम्भव हो, रुकिये और तब गवर्नर जनरल से मिलने के लिए आगे बढ़िये।”

इन परिस्थितियों में, बस तो सेना ‘ब्रिटिशों के विरुद्ध बुरी तरह से विरोध भाव से पूर्ण थी’ और साथ ही “शक्तिशाली आत्मविश्वास और खालसा के प्रति विश्वस्त थी।”<sup>2</sup> पर गौफ के अनुसार इतने पर भी उनकी विजय असम्भव थी। योजनानुसार लालसिंह तब तक रुका रहा जब तक कि ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू गौफ अपनी सेना लेकर मैदान में नहीं आ गया। ब्रिटिशों की अम्बाला और लुधियाना की डिवीजनों फीरोजपुर के 20 मील दक्षिण-पूर्व मुदकी नामक स्थान पर पहुँची जहाँ 18 दिसम्बर 1845 को प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया। लतीफ के अनुसार ब्रिटिशों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व लालसिंह ने किया पर जब ‘युद्ध दोनों ओर से भयानक ढंग से चल रहा था उसी समय लालसिंह ने अपनी योजनानुसार युद्ध का मैदान छोड़ दिया और सिख सेना को अपनी बहादुरी का जौहर अकेले दिखाने का अवसर दिया।”<sup>3</sup> सिख अति शक्ति से लड़े पर व अतंत हार गये और उन्हें खदेड़ खदेड़कर मारा गया। इस तरह ब्रिटिशों को पहली सफलता मिली, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद।


21 दिसम्बर 1845 को मुदकी और फीरोजपुर दोनों स्थानों से 10 मील दूर पड़ने वाले गाँव फीरोजशाह में दूसरी लड़ाई हुई। ब्रिटिशों की पूरी तैयारी थी तथा

1 लुडलो ब्रिटिश इंडिया भाग 2, पृ० 142।

2 कोहली, एम० आर० सनसेट आफ द सिख इम्पायर पृ० 121।

3 गौफ पूर्वोक्त पृ० 66।

4 लतीफ पूर्वोक्त पृ० 569।





खालसा सेना का नेतृत्व लाल सिंह के ही हाथ में था। तेज सिंह उसका समर्थन कर रहा था। पर इसके बावजूद ब्रिटिशों को एकाएक जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उसके कारण वे अव्यवस्थित हो गए। इसके बाद की रात को इसी कारण 'आतंक की रात' की संज्ञा दी गयी। 22 दिसम्बर को अपने जनरल म राबर्ट कस्ट ने इस तरह से लिखा, 'गवर्नर-जनरल से सूचना प्राप्त हुई कि हमारा कल का आक्रमण असफल हो गया है, कि हमारी स्थिति नाजुक है, कि सभी राज्य सरकार के वागजात नष्ट कर दिये जायें और यह भी कहा गया कि यदि आज का प्रातः-नालीन आक्रमण भी असफल हो गया तो सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। मि० क्यूरी ने ये सभी सूचनाएँ गुप्त रखी और हम सभी अपने-अपने बचान के लिए आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहे थे। इस समाचार ने मुझे अति दुःखी किया।'<sup>1</sup>

यदि सिखों ने ब्रिटिशों पर रात को आक्रमण कर दिया होता, तो युद्ध की कहानी कुछ और ही होती। पर लाल सिंह ने अपनी वही पुरानी अनुबद्ध भूमिका अदा की और एकाएक गायब हो गया। 22 दिसम्बर को प्रातः सिखों की बची-खुची सेना को खदेड़ दिया गया। पर जैसे ही दिन चढ़ा तेज सिंह के नेतृत्व में दूसरी सिख सेना ने, जिसे ईर्ष्यालु सैनिकों ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हेतु उत्साहित किया था, युद्ध भूमि में प्रवेश किया, "और उनके माथे अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि उनके सामने एक निराश सैनिक भीड़ है जिससे लड़ने की भी आवश्यकता न पड़ेगी।" पर तेज सिंह लाल सिंह से बेहतर सिद्ध नहीं हुआ। "11 बजे अपने शत्रु सेना के बायें पक्ष पर गोलाबारी की और फिर रुक गया। चार घण्टे के बाद उसने दाहिनी ओर आक्रमण की चेतावनी दी। और इसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से और ब्रिटिशों के पक्ष में यह सेना एकाएक उत्तर की ओर की दिशा में तेजी से वैसे ही चली गयी जैसेकि लाल सिंह की सेना चली गयी थी।"

जब इस तरह लाल सिंह और तेज सिंह अपने-अपने तमाशों में लगे हुए थे, उस समय एक विश्वस्त सिख नेता रणजोध सिंह लद्दा के अजीत सिंह की सहायता से 8,000 सैनिकों और 70 बंदूकों के साथ लुधियाना पर आक्रमण कर चुका था और उसके एक भाग में आग लगा दी थी। एक पर्याप्त सेना के साथ सर हैरी स्मिथ नगर की रक्षा के लिए पहुँचा। पर बंधोवल के पास ही उस रोक लिया गया जिसमें उसके कुछ सैनिक मारे गये और उनका सब सामान छीन लिया गया। 21 जनवरी 1846 को यह सब घटा। बंधोवल में ब्रिटिशों को जो अपार क्षति हुई उससे विषय में कनिंघम ने लिखा है कि, 'वे अपने घर की दिशा पूर्व की ओर देखने लगे और अंग्रेजी सेना की भीड़ विजय प्राप्त करने के स्थान पर सघष की

1 कस्ट राबर्ट लिग्विस्टिक एण्ड ओरियंटल प्रेस, भाग 6 पृ० 43।

2 येन पृथ्वीदत्त प० 175।

कल्पना से ही काली पड गयी पराजित ब्रिगड के नेता ने अपने समक्ष अथक प्रयास के बाद भी अपना कलकित नाम देखा ।” इसके कुछ ही समय बाद अंग्रेजों के सौभाग्य से रणजोध सिंह पीछे हटने लगा । रास्ते में अंग्रेजों ने आठ मील दूर आलीवाल गांव में उसपर आक्रमण किया । डा० ऐंड्रु एडम्स ने लिखा है कि, कुछ गोलाबारी व एक या दो ब्रिटिश स्ववाङ्मनो का आक्रमण एक महत्वपूर्ण सघर्ष में परिवर्तित हो गया । इस तरह आलीवाल युद्ध की घटना भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाने वाला हो गया ।”<sup>2</sup>

अंतिम युद्ध सोबराव में हुआ जिसमें लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह ने गद्दारी की । महारानी ज़िन्दन की सेना को वस्तुएं और खाद्य सामग्री भेजने की अपीलें बेकार गईं । खालसा सेना का साथ इसके नेताओं ने छोड़ दिया और सतलज पार करते हुए पीछे वे पुल तोड़ते गए जिसके फलस्वरूप खालसा सेना भटकती रही, बबाद हो गई या डूब मरी । और इस तरह ब्रिटिशों ने अंतिम विजय प्राप्त की । सर ह्यू ग्रीफ ने जिसे सत्यता मालूम थी, लिखा, “नीति के कारण मैं स्पष्ट रूप से पराजित शत्रु के शौर्य की प्रशंसा नहीं कर सका और मैं यह घोषित करता हूँ कि यदि देशहित में यह बलिदान आवश्यक न होता तो मैं इतनी विश्वस्त सेना के इतने भयंकर हत्याकांड पर रो पड़ता ।”<sup>3</sup>

### लाहौर की संधि

जब इस तरह सिख पराजित कर दिए गए, तो भी ब्रिटिश पंजाब जीतने का साहस न जुटा सके क्योंकि वे जानते थे उस स्थिति में, जो पंजाब के गद्दार उनकी सहायता कर रहे थे, वे भी विरोध में आ जायेंगे । और उस स्थिति में भगवान ही जानता था कि क्या होता । इस कारण लॉर्ड हाडिन्ज ने किसी बेहतर अवसर की प्रतीक्षा की । उसने इस नीति को दुनिया की दृष्टि में प्रायोगिक उदारता का नाम दिया । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ था कि सिखा को शांति के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है । यदि वे इसमें सफल नहीं हुए तो वे विनाश को ही आमंत्रित करेंगे ।

इस तरह 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई जिसकी धाराएं थी—

- (1) सतलज नदी के दक्षिण का सिख क्षेत्र जिसपर ब्रिटिशों ने पहले ही अधिकार कर रखा था, उनका अधिकार होगा, (2) कि सतलज और व्यास के बीच में जालंधर दोआब का क्षेत्र भी ब्रिटिशों को प्राप्त होगा, (3) लाहौर दरबार को

1 कनिंघम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० 274 ।

2 एडम्स डॉ० एंड्रु एडम्स ब्रांडरिग्स ऑफ नेचुरलिस्ट इन इंडिया पृ० 60-61 ।

3 ग्रीफ पुब्लिशर, पृ० 138 ।

डेढ़ करोड़ रुपय क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ेगा। यदि वह यह धन नहीं दे पायगा तो व्यास और सिंध के बीच का पर्वतीय क्षेत्र कश्मीर और हजारा सहित ब्रिटिशों को दिया जाएगा।<sup>1</sup> (4) कि दरबार अपनी सना समाप्त कर दगी और अपने पास केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार रखेगी। (5) आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिशों को स्वतन्त्रतापूर्वक पंजाब से होकर जान की आशा मिलेगी। दलीप सिंह को पंजाब का अल्पवयस्क शासक स्वीकार किया गया। महारानी जिनको राजा का संरक्षण प्रदान किया गया और लाल सिंह को प्रधानमंत्री। 11 मार्च 1846 को लाहौर दरबार से एक पूरक संधि की गई जिसके अंतर्गत (1) लाहौर में दिसम्बर 1846 तक दलीप सिंह की रक्षा हेतु पर्याप्त ब्रिटिश सेना रखी गई। (2) नये प्रशासन के अंतर्गत लाहौर क्षेत्र के जागीरदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। (3) ब्रिटिशों को यह सुविधा होगी कि वे अपने नियंत्रण में प्राप्त राज्यों के किलों की संपत्ति के किमी भाग पर उचित मुआवजा देकर अधिकार कर लें।

### भरोवाल की संधि

लाहौर की संधि के अंतर्गत ब्रिटिशों ने पंजाब से दिसम्बर 1846 के अन्त तक अपने सैनिक वापस करने के लिए स्वयं बहा था। पर जैसे ही यह तिथि निकट आई ब्रिटिशों ने अपनी सेना वहाँ पड़ी रहने देने का एक पड़यत्न रचा। योजना अनुसार सिंधो से इस अवधि में यह कहने को कहा गया कि वे महाराज दलीप सिंह के वयस्क होने के काल तक सेना वहाँ बन रहने देने के लिए निवेदन करें। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज ने कुछ सूचनाएँ मनिक्वा के इधर उधर जान सम्बन्धी निकाली। उसने बताया कि, "मेरा उद्देश्य लाहौर दरबार को यह इंगित करना है कि मेना आगे बढ़ने वाली है।"<sup>2</sup> इसी बीच इसकी चेष्टा चलती रही कि लाहौर के कुछ सरदारों की ओर से यह कहा जाय कि सेना को हटाया न जाय। प्रयास फलो-भूत हुआ और 15 दिसम्बर 1846 को ब्रिटिशों के पक्षधर सरदारों की एक सभा हुई जिसमें सरक्षिका महारानी जिनको नहीं बुलाया गया क्योंकि यह आशा थी कि वे इस योजना का विरोध करेंगी। इन लोगों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ब्रिटिशों ने जो शर्तें रखी वे सब यथावत स्वीकार कर ली गयी। दूसरे दिन प्रातः 18 दिसम्बर को भरोवाल की संधि कर ली गई।

नवीन संधि की शर्तें थी—(1) लाहौर में ब्रिटिश सेना 4 सितम्बर 1854

1 इनमें से कश्मीर को ही कीमत पर गलाब सिंह के हाथों बच दिया गया। यह युद्ध में उनकी सहायता के बदले में पारितोषिक था। इसी अध्ययन में आगे देखें।

2 एडवर्ड्स एण्ड मेरीवले साइफ आफ सर हेनरी सारेन्स (लंदन 1872) भाग 2 पृ० 100-101।

सब बनी रहेगी। इस समय तक महाराजा दलीप सिंह 16 वष के हो जायेगे और सब तक इस सेना के व्यय के रूप मे दरवार ब्रिटिशा को 22 लाख रुपये प्रति वष देगा। (2) दलीप सिंह के वयस्क हो जाने तक ब्रिटिश रेजीडेन्ट को पजाब पर शासन करने का अधिकार मिला। रेजीडेन्ट के सहायताथ 8 सरदार रखे गये। इसमे से किसी को भी रेजीडेन्ट हटा सकता और उसके स्थान पर नये को नियुक्त कर सकता था। (3) ब्रिटिश सेना लाहौर के अतिवित्त अय किलो मे भी रखी जा सकती थी। यह करना उनकी दष्टि मे इसलिए आवश्यक था क्योंकि महाराजा के हित की इससे रक्षा होती थी।

इस संधि ने सिख शक्ति के लिए मौत के घण्ट का काम किया क्योंकि अब "ब्रिटिश पजाब के असली मालिक हो गये।" लाड हार्डिंज जो व्यावहारिक उदारवाद की नीति अपना रहा था वह भी लाहौर की संधि मे इस दिशा की ओर आगे बढ़ा था। उसने हेनरी लारेन्स को, जो लाहौर मे ब्रिटिश रेजीडेन्ट था, 23 अक्टूबर 1847 को लिखा, "मार्च 1846 को लाहार की संधि द्वारा पजाब को स्वतंत्र राज्य बनाये रखने की कल्पना नहीं की गई सच्चाई तो यह है स्थानीय राजा हमारी सुरक्षा मे बध गया है और हमारे सामने चुक गया है।"<sup>1</sup> इस दष्टि से अंगरेजों की संधि लाहौर की संधि के उपरांत एक अग्रिम कदम था।

### गुलाब सिंह और कश्मीर राज्य

सिख शासन को समाप्त करने मे गुलाब सिंह की अच्छी खासी भूमिका थी। इसी कार्य को करने के लिए पारितोषिक रूप मे उसे स्वतंत्र कश्मीर का राज्य प्रदान किया गया। 1847 मे कार्मिकेल स्मिथ ने गुलाब सिंह के विषय मे लिखते हुए कहा, "स्वभाव से महत्वाकाक्षी, खराब और क्रूर उसने जान बूझकर अति दुखदायी अत्याचार इसलिए किये कि जिससे विरोधी लोगो की हिम्मत टूट जाय और उनका नाम आतक से जुड जाय। पर इसके बावजूद वह व्यवहार मे ठीक और उदार था और भाषा व चाल डाल मे उसमे इतने विरोधाभासी अवगुण थे कि भय लगता था। उसके गुण उसके अवगुणो पर पर्दा डालन वाले मात्र थे।"

स्मिथ, गुलाब सिंह के एक मित्र के हवाले से कहता है कि "वह अफीम का प्रयोग करता है। लम्बी कहानिया कहता है, समय का ध्यान नहीं रखता और कम सोता है। वह अस्थिर चित्त है, देता कम है, वादा भी कम करता है, पर दिये वचन का पालन करता है। उसकी स्मरणशक्ति ठीक है और अमीर व गरीब सभीमे

1 एडवर्ड एण्ड मेरीक्ले लाइफ आफ सर हेनरी लारेन्स (लन्दन, 1872) भाग 2 पृ० 100 101।

2 स्मिथ रैनिंग फेमिली आफ लाहौर प० 257।

स्वतंत्र ढंग से मिलता छपता और हसी मजाक करता है पर इस सबके साथ वह उनका शोषण भी करता है। वह प्रजा में लडका, लडकिया, पत्नियों और परिवारों के साथ दासा की तरह व्यवहार करता है वह सभी कुछ करता है। वह भोगी है, रुपये का लालची है, घूस देन और लेने वाला है।”<sup>1</sup>

ग्रिफिन ने गुलाब सिंह और उसके भाई ध्यान सिंह के विषय में लिखा है कि, ‘उनके उत्तम गुण और उनकी अदम्य वीरता ने ही उनमें उपस्थित निरकुश क्रूरता, पडयत्न, लालच और कुटिल महत्वाकांक्षा की ओर और ध्यान आकृष्ट किया है।”<sup>2</sup> पुन उसके वंश की चर्चा करते हुए वह उनके तीसरे भाई सुचेत सिंह सहित चर्चा करते हुए लिखता है, ‘चाहे वे राज परिवार के रहे हों या न रहे हों, वे निश्चित रूप से व्यक्तिगत बुद्धि में कुछ लोगो में से एक थे। उनकी सफलता भी स्पष्ट रूप से उस बिरादरी में स्वाभाविक थी जहाँ ईमानदारी और गुण बेकार थे और जहाँ हिंसा व धोखाधड़ी ही विजय के प्रति आश्वस्त करते थे।”<sup>3</sup>

कनिष्क, जो गुलाब सिंह का समकालीन था, उसके अनैतिक चरित्रके विषय में लिखता है ‘पर ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वह अपकारपूर्ण बुरे चरित्र का है। वह निश्चित ही अपने शत्रु को धोखा देकर निःसंदेह उसकी जान ले लेगा। रुपये पैसे की बसुली में वह तमाम बठोर नियम लागू करेगा। पर उसका मूल्यांकन युग और उसकी जाति की नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। उनकी स्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी रही होगी। यदि उसके साथ य रियायतें की जाएं तो गुलाब सिंह एक योग्य और साधारण व्यक्ति सिद्ध होगा जो थोड़ा ही घुरा करता है और जिसमें अच्छे गुणा व उदारता की कमी नहीं है।”<sup>4</sup>

गुलाब सिंह 21 अक्टूबर 1792 को किशोर सिंह के वंश में पैदा हुआ। किशोर सिंह जम्मू के प्रसिद्ध शासक भुवदेव का वंशज था जिसके लडके रणजीत सिंह देव न किशतवर, चनेजी, भदरवा के छोट छोट पहाड़ी राजाओं को पराजित किया। पर किशोर सिंह अपने सबंधी शासकीय परिवार में दूर था और उसे पद या धन की कोई इच्छा भी नहीं थी। इसीलिए अखनूर में वह साधारण व्यक्ति की तरह रहता था। उसके पिता जोरावर सिंह के सत्ता के निकट घयोन में जागीर थी और इमी के साथ गुलाब सिंह ने अपना बाट्यकाल व्यतीत किया।<sup>5</sup>

1 स्मिथ रनिंग फमिली आफ लाहौर पृ० 258।

2 ग्रिफिन सर सपल रणजान सिंह पृ० 127।

3 वही पृ० 190।

4 कनिष्क हिस्ट्री आफ द सिन्ध पृ० 289।

5 गुलाब सिंह की मा महादेबा थी जो बगोहली के निकट मन्तरा के राजा कृष्णपाम की पुत्री थीं। कहा जाता है कि इन्हें इनके पिता ने ब्याह होने के कारण जिन्दा ही दफन कर दिया था। पर बाद में इन्हें खोजकर निकाला गया। उस समय वे जीवित थीं। देखें नरसिंह दास नरसिंह चौकान गुलाब सिंह पृ० 15।

गुलाब सिंह को घुडसवारी, तलवारबाजी और तीर-दाजी की अच्छी शिक्षा मिली। पर पढाई लिखाई में वह शून्य ही रहा। बजलाल देव के उत्तराधिकारी और भतीजे जीत सिंह के काल में 1808 में जम्मू में फैली अव्यवस्था में एक अवसर प्रदान किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना इस राज्य को जीतने के लिए भेजी। होने वाले युद्ध में गुलाब सिंह अपने वंशजों की ओर से लड़ा और अपनी शक्ति से विरोधियों का भी मन मोह लिया और इसीलिए जल्दी ही जैसे ही जम्मू लाहौर के राज्य का एक भाग बन गया वह सिख महाराजा की सेना में घुडचढ़ा सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। स्मिथ के अनुसार, "मिश्र दीवान चंद ने, जो सिख सेना का नेता होकर जम्मू गया था, महाराजा से उसका परिचय कराया जिसके फलस्वरूप वह और उसका छोटा भाई दोनों "तीन रुपये प्रति दिन"<sup>1</sup> के हिसाब से सेना में नियुक्ति पा गये। "रणजीत के प्रियजनों में वे सबसे प्रिय थे। पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि गुलाब सिंह अपने भाई की तरह महाराजा की मंत्री पसंद नहीं करता था। 1813 में रणजीत सिंह के कहने पर उन्होंने छोटे भाई सुचेतू (सुचेत सिंह) को बुलाया। वह अभी लगभग 12 वर्ष का सुंदर लड़का था जिसके आकर्षक व्यक्तित्व ने रणजीत सिंह का स्नेह जीत लिया। राजपूत भाई अब दरबार में सर्वेसर्वा हो गये।"

1814 में कश्मीर पर सिख आक्रमण के समय गुलाब सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब 1818 में सिख सेना मुल्तान की ओर आगे बढ़ी तो गुलाब सिंह भी उसके साथ था। किले के घेरे के समय रणजीत सिंह का एक प्रिय सिख सरदार किले की दीवार के आधार पर मरकर गिर पड़ा। जब गोलावारी के बीच कोई भी शव लेने के लिए जाने का साहस नहीं कर सका उस समय गुलाब सिंह ने इस निमित्त अपनी सेवाएं अर्पित की और इस काम को पूरा कर महाराजा की प्रशंसा का पात्र बना। इसी तरह और कई अवसरों पर उसने अपना नाम रोशन किया। उदाहरणार्थ युसुफ कबीले के विरुद्ध 1819 में पेशावर पर आक्रमण करते समय उसने धन, हीरे-जवाहरात और अन्य वस्तुएं पुरस्कार के रूप में अर्जित की।

विजय के बाद जम्मू खडक सिंह को जागीर के रूप में प्रदान किया गया। पर उसके सहयोगी बहादुराति और व्यवस्था नहीं स्थापित कर सके क्योंकि उस क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली राजपूत सिख सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इन

1 स्मिथ पूर्वोक्त, पृ० 250 शहमत अली सिंघम एण्ड अफगान्स पृ० 92 के अनुसार गुलाब सिंह को दो रुपये प्रतिदिन मिलता था। पर क्याराम के गलाबनामा के अनुसार उसे तुरंत एक रेजीमेण्ट का सेनापति बनाया गया और 75 रुपये महीने दिया गया और वे० एम० पाणिक्कर ने अपना पुस्तक द फाउंडिंग ऑफ द कश्मीर स्टेट में पृ० 29 पर इन बातों को ही स्वीकार किया है।

2. स्मिथ पृ० 250 51।

के बीच मिया देदो नामक व्यक्ति आस पास के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। उसने अपने समर्थन जुटाये और चारों तरफ सूफानी आक्रमण प्रारंभ कर दिया। गुलाब सिंह ने इस समस्या के निदान का कार्य अपने कंधों पर लिया जिसे उस प्रांत में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई जहां उसने शक्ति, कूटनीति और फुसलाहट की नीति का प्रयोग कर देदो का मार डाला और विद्रोही तत्त्वा को नतमस्तक कर दिया। इसी की प्रशंसा में 1820 में यह क्षेत्र उसे प्रदान कर दिया गया।

इसके बाद गुलाब सिंह अधिकतर अपना समय जम्मू में बिताने लगा चूंकि महाराजा के प्रतिनिधि के रूप में कर वसूलना सरल कार्य नहीं था इसलिए उसे अपनी सेना भर्ती करने की आज्ञा प्राप्त हो गयी। इसी बीच घ्यान सिंह का सट्टे ड्यूटी बना दिया गया जिसके कारण महाराजा पर उसका प्रभाव बढन लगा। गुलाब सिंह अब निश्चिन्त हो गया कि उसकी अनुपस्थिति में लाहौर में उसका भाई उसका अहित नहीं हान देगा।

1821 में गुलाब सिंह ने सिख राज्य के लिए किशतबर पर विजय प्राप्त की। उसने राजौरी पर भी आक्रमण कर अधिकार किया। यहाँ का राजपूत राजा जिसने रणजीत सिंह के प्रति शत्रु भाव प्रदर्शित किया था, कैद कर लिया गया। इस सब ने उसे महाराजा को श्रावो में ओर उठा दिया। इसी कारण गुलाब सिंह का राजा की पतक उपाधि प्रदान की गई और जम्मू क्षेत्र उसे प्रदान किया गया तथा यह राज्य उसके उत्तराधिकारियों को भी मिलेगा, यह भी तय हुआ। रणजीत ने स्वयं अखनूर के किले में उसका तिलक किया और 16 जून 1822 का उस सनद प्रदान की।<sup>12</sup>

इसके बाद गुलाब सिंह ने अपनी कारवाइया शुरू कर दी, अपने राज्य का विस्तार किया और आवश्यकानुसार लाहौर दरबार की सेवा भी करता रहा। उसकी विजयों में सबसे महत्वपूर्ण 1834 में उसके सेनापति द्वारा प्राप्त लद्दाख की विजय थी। उसके अग्र भाई भी धीरे धीरे पद और महत्ता में आगे बढ़ते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पूर्व घ्यान सिंह को जागीरें मिली उससे लगभग 3 लाख रुपये वार्षिक की आय थी। मुन्त सिंह की जागीरें 3 लाख रुपये से ऊपर की थी, और हीरा सिंह की जागीरें 4 लाख 22 हजार रुपये वार्षिक से अधिक की थी। गुलाब सिंह की जागीर से 7,37,287 रुपये वार्षिक का लाभ था। जम्मू के अतिरिक्त गुलाब सिंह के पास अखनूर, परमदिन, रिहासी, किशनवर, रामगढ, भिम्बेर और डेरा बाबा नानक

की जागीरें थी।<sup>1</sup>

ब्रिटिशों से मिलकर पड़्यत्र—जम्मू प्रान्त में गुलाब सिंह ने लगभग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। लासा पर अधिकार करने के लिए उसने लद्दाख पर अधिकार कर लिया था जिसे लाहौर के शासक ने पसंद नहीं किया। कश्मीर पर अधिकार की उसकी आकांक्षा किसी से छिपी नहीं थी। लाहौर सरकार में ध्यान सिंह की गुस्ता कम नहीं थी। लाहौर के अय सरदारों को यह पूर्वाभास था कि वह अपने लड़के राजा हीरा सिंह को सिख गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। ध्यान सिंह के ऊपर रणजीत सिंह के प्रसिद्ध सेनापति हीरा सिंह नलवा को मरवा डालन का आरोप था क्योंकि उसने उसके पास समय पर सीमा पर सेना नहीं पहुंचने दी। वह अपने भाइया सहित इस बात के लिए भी उत्तरदायी बताया गया कि खडक सिंह को शासन की उचित शिक्षा उद्दान नहीं देने दिया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब खडक सिंह का चेत सिंह से निकट सम्पर्क हुआ और ध्यान सिंह के मुख्य मन्त्री पद को खतरा हुआ तो उसने चेत सिंह को मरवा डाला। इन तीनों भाइयों ने खडक सिंह को रास्त से हटा दिया होता यदि सही समय पर माईचंद कौर और उसका पुत्र नौनिहाल सिंह न पहुंच गये होते। नौनिहाल सिंह को जब शक्ति प्राप्त हुई तो उसने पंचतीय डोगरा राज्य को घेरकर उसकी शक्ति समाप्त करने की चेष्टा की। पर वह इस दिशा में कुछ अधिक कर सकता कि उसके पहले ही भयन का एक भाग दुर्भाग्य से उसके ऊपर गिर पड़ा अथवा डोगरा लोग के पड़्यत्र का वह शिकार हुआ।

लाहौर के सरदारों में केवल डोगरों को ही पैतृक जागीरें प्रदान की गई। इसी कारण उनमें भूमि और पद दोनों में स्वाध की भावना आकर जुड़ गई। जम्मू में गुलाब सिंह की शक्ति ने लाहौर में ध्यान सिंह को भी शक्ति प्रदान की। दूसरी ओर ध्यान सिंह के मुख्यमन्त्रित्व ने गुलाब सिंह को लाहौर में सुरक्षा प्रदान की। इसलिए दोनों की एक दूसरे के लिए पूरक शक्ति थी। पद और जागीर पर वे अपने अधिकार वसे ही मानते थे जैसे कोई राजपरिवार। दोनों का आधार शक्ति और घोखाघड़ी थी।

बहुत थोड़े काल के लिए घटनाओं ने गुलाब सिंह और ध्यान सिंह को विरोधी खेमें में उस समय पहुंचा दिया जब गुलाब सिंह ने चांद कौर का समर्थन किया और शेर सिंह की सेना के विरुद्ध उसकी रक्षा की। शेर सिंह ने लाहौर पर आक्रमण ध्यान सिंह के उत्साहित करने पर किया था।<sup>2</sup> जम्मू से ध्यान सिंह के भा जाने पर शांति स्थापित हो गई और गुलाब सिंह यहां से अपार धन ले गया। वह यह धन

1 सहमत अली सिख एण्ड अफगान्स प० 103 06।

2 ऊपर माई चंद कौर देखें।



बिना घ्यान सिंह के मिलीभगत के नहीं ले जा सकता था। इससे शेर सिंह की कठिनाइयाँ भी बढ़ी जो घान्ना सेना का बेतन समय पर नहीं दे पाया जिसके कारण सेना अशान्त हो गई और जो सिंघा के बिनाश का एक कारण बना। यदि शेर सिंह कुछ दिनों तक और जीवित रहता तो निश्चित ही वह जम्मू में गुलाब सिंह की शक्ति को भी वैसे ही समाप्त करने का प्रयास करता जैसे उमन लाहौर में घ्यान सिंह से मुक्त होने की चेष्टा की थी। एक के बाद दूसरे राजकुमार का लाहौर में उत्तराधिकारी होना डांगरी का उन्हें नष्ट करने की योजना का एक भाग था जिसके अंतर्गत उन्होंने उन्हें बंध देने, छत्र के नीचे दबा देने, मार मारकर मौत ला देना या बद्रूक के गोली का शिकार बनाने की नीति अपनाई।

इन परिस्थितियों में इसीलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब गुलाब सिंह ने सीमा पर अफगाना और भारत में ब्रिटिशों से पहलुएँ कर अपने हिता की रक्षा की और पर्वतों में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। लाहौर राज्य के अन्त में उन्हीं ऐसा करने की प्रेरणा दी। घ्यान सिंह की हत्या पर दी गई और मुचेत सिंह को अपने भाई के पुत्र हीरा सिंह से मुख्यमन्त्री पद छीनते समय मार डाला गया। जलालाबाद में ब्रिटिशों की गुलाब सिंह के लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना खालसा सेना की जानकारी में थी। यदि यह सफल होती तो उस भी मार डाला गया होता। पर ऐसा हुआ नहीं। पर गुलाब सिंह सुरक्षित नहीं था। वह मुचेत सिंह के द्वारा छोड़े गये खजाने की लेकर राजा हीरा सिंह से लड़ गया और दोनों आपस में बघका के आदान प्रदान के बाद ही शांत हो सके। पर स्मिथ के अनुसार चाचा और भतीजे में यह मतभेद नवती था क्योंकि खालसा गुलाब सिंह इस धुएँ के पर्दे के पीछे डांगरी हित की रक्षा करना चाहता था। पर इससे कोई इनकार कैसे कर सकता था कि गुलाब सिंह की प्रविष्टा और जीवन दोनों दाव पर थे। और चूँकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह साथ ही साथ अपनी चमड़ी भी बचाना चाहता था। इसीलिए जिनके<sup>1</sup> के आदेश पर हीरा सिंह की हत्या के बाद लाहौर के मुख्यमन्त्री के पद के लालच में वह चला आया। वह 3 करोड़ रुपये का अथ दंड नहीं दे सका, इसलिए खालसा से बिरा हुआ वह लाहौर आया। रास्ते में लालच और घूस देकर उसने सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया।<sup>2</sup> वह कुछ तो निराश था पर साथ ही कुछ प्रसन्न भी कि वह अपने भतीजे

1 पहले देखें—प्रथम आंग्ल सिंध युद्ध के कारण।

2 स्मिथ यह बताता है कि जिस तरह जम्मू में घान्ना सेना से फिर गुलाब सिंह ने यह कहकर अपनी जीवन रक्षा की कि वह डांगरी परिवार का बड़ा अतिम सदस्य था जिसे मान्य था कि खजाना कहाँ दबा पड़ा है। इस घोषणा को सच सिद्ध करने और शक्ति प्रदान करने के लिए उसने कुछ शेरों को कुछ स्थान जम्मू क्षेत्र में मरम्मत करने के लिए कह दिया और इन्हीं स्थानों के चिह्न बता दिये। उन्होंने इन स्थानों पर पंद्रह बाँस

की जगह मुख्यमन्त्री बना दिया जाएगा। जिन्दन ने उसका स्वागत किया पर रानी के भाई जवाहर सिंह ने उसके पद प्राप्ति की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और वह निराश होकर जम्मू वापस चला गया। पर उसे इस वादे के साथ जान का अवसर मिला कि वह दरबार को 65 लाख रुपया अथ-दण्ड प्रदान करेगा। जवाहर सिंह के बाद एक अथ अवसरवादी लाल सिंह को मुख्यमन्त्री का पद प्राप्त हुआ। स्थिति बिगड़ती रही और सिख सेनाओं ने सतलज को पार किया जिसके फलस्वरूप वे ब्रिटिशों के टक्कर में आ गये। चूंकि युद्ध दरबार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ इस कारण हर कोई यह सोचने लगा कि इस स्थिति से केवल गुलाब सिंह ही उह बचा सकता है। इस कारण उसे बुलाकर मुख्यमन्त्री बनाया गया और समझौते के लिए बातचीत करने को कहा गया। पर वह यह जानता था कि जिस क्षण शांति स्थापित हो जायेगी उसी समय जिन्दन के प्रेमी लाल सिंह की शक्ति बढ़ जायेगी और उसे अपना पद ही नहीं छोड़ना होगा बल्कि जम्मू को भी खतरा पैदा हो जायेगा। इसीलिए वह जब गवर्नर जनरल से संधि के लिए मिला तो उसने लाहौर दरबार को धकाने की चेष्टा नहीं की। दरबार की सैनिक शक्ति घटाने की क्रिया को स्वीकार करते हुए जो महत्वाकांक्षी और चालाक लाल सिंह की अध्यक्षता में भी किसी के लिए समस्या न पदा कर सके। "उसने एकाएक गवर्नर जनरल से यह निवेदन कर उसे कठिनाई में डाल दिया कि आखिर इस तरह अति शीघ्र शांति स्थापना और सेना को लोगों के शिकार बनाने के लिए पैदा की गई स्थिति के लिए उसे क्या प्राप्त हो रहा है।"<sup>1</sup>

सिख शासन के क्षमावादियों ने गुलाब सिंह की आलोचना की है। भारतीय और यूरोपीय यूटे आदर्शवादियों ने भी उसके लाहौर दरबार के विरुद्ध पड्यत्र करने और ब्रिटिशों के साथ उसके अनैतिक पड्यत्र की चर्चा की है। वह अपने पंचतीय राज्य की उनसे स्वीकृति चाहता था। लाहौर सरकार को देय राजस्व का उसने गोलमाल किया और सिखों के आगे पहाड़ी सिख सहायक राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1836 से ही वह कश्मीर छीनने के प्रयास में था। उसने लाहौर दरबार के विरुद्ध पड्यत्र किया जिससे मुजफ्फराबाद में जिहाद की स्थिति पैदा कर दी और कश्मीर सीमा पर अथ पंचतीय राज्यों में भी यही स्थिति पैदा हो गई।" 1844 में वह ब्रिटिशों को इस आधार पर सहायता को तैयार हुआ कि

---

और यहाँ तक कि एक एक स्थान पर 40 हजार रुपये तक प्राप्त किया। गुलाब सिंह के इसे न बताने की स्थिति में यह सदा के लिए छिपा रह जाता। इस तरह सैनिकों ने राजा को सोने की मुर्ती की उपाधि दी।' स्मिथ पूर्वोद्धृत पृ० 136।

1 कनिंघम पूर्वोद्धृत, पृ० 287।

2 हसरत बिक्रमजीत ऐंगलो सिख रिलेशंस, पृ० 19।

वे "पर्वतों में उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करें।"<sup>1</sup> 1845 में भी उसने ऐसा ही किया जब उसने "ब्रिटिशों को पर्वतीय क्षेत्र के वसूले कर को उह देने को कहा, पर शत थी कि यदि वह पंजाब पर अपना अधिकार जमा ले।" यह उसने फरवरी में किया और अगस्त में पुनः उसने 50 हजार सैनिक सहित सिख सेना को नष्ट करने और लाहौर पर ब्रिटिश आधिपत्यस्थापन में सहयोग देने को कहा।<sup>2</sup> दो सिख सेनाओं के सेनापति के रूप में और लाहौर सरकार के एक सहायक के रूप में उसने लाहौर दरबार के आदेश का अनुपालन नहीं किया और टालमटोल वाले उत्तर दिए। जब मुदकी और फिरोजशाह के बाद सतलज में उससे सिख सेना को मजबूत करने को कहा गया तब भी वह उसने कुछ नहीं सुना।<sup>3</sup> आलीवाल के बाद जब उससे वजीर होने को कहा गया तो वह लाहौर आया और साथ ही उसने ब्रिटिशों को सूचित कर दिया कि वह उनका विश्वस्त रहेगा और उह सूचनाएं भेजेगा। सोबराव की पराजय के बाद 'अपने वजीर की चालाकी से भ्रातृवित हो रानी और उसके सरदारों ने 12 फरवरी 1846 का एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जिसमें गुलाब सिंह को अधिकृत किया गया कि वह ब्रिटिशों से जो भी संधि करेगा उसे वे मानेंगे।' वह दरबार की ओर से संधि पत्र पर हस्ताक्षर हेतु गवर्नर जनरल से मिला और स्पष्ट रूप में माग की कि, 'उस यह मंत्र करने के लिए क्या दिया जा रहा है।'

18 फरवरी को युवा महाराजा को कसूर में गवर्नर जनरल के कैम्प में संधि की स्वीकृति के लिए लाया गया। गुलाब सिंह ने परामर्श दिया कि महाराजा को रानी के पास वापस न भेजा जाय और रानी से कहला दिया जाय कि यह गवर्नर जनरल पर निर्भर है कि वह युवा शासक से जसा चाहे वैसा व्यवहार करे। हार्डिज ने भोलेपन से सिख सरकार के कमचारी की ओर देखा। उसने उसकी तटस्थता की प्रशंसा की फिर उसने उसकी बात नहीं मानी।<sup>3</sup>

गुलाब सिंह द्वारा की गई पद्धतियों की यह लम्बी फिहरिस्त सचमुच इतिहास में उसके लिए क्लब है। उसका वह अंतिम काम जिसमें उसने यह राय दी कि महाराजा को रांक लिया जाय जिसके हित के लिए वह गवर्नर जनरल से मिला था, स्पष्टतया उस घूत व ढोंगी सिद्ध करते हैं। पर उसका मूल्यांकन इस बात का ध्यान में रखकर करना चाहिए कि लाहौर में उसका पूरा परिवार मार डाला गया, किस तरह उसका पद और जीवन दोनों खतरे में पड़ गये तथा लाहौर की खालसा सेना राजकुमारों रानियों और वजीरों की वेशर्मी, आत्मकेन्द्रियता,

1 हमरत, विक्रमजीत ऐंग्लो सिख रिलेशन्स पृ० 237 कोटिंग कन्ट्रेम्परी रिकाइस।

2 वही पृ 243 254 255 284 385 कोटिंग रिकाइस।

3 वही पृ० 286 कोटिंग रिकाइस।

अवसरवादिता और अनुत्तरदायित्वता ने भी उसमें परिवर्तन ला दिया ।

जो भी हो गुलाब सिंह के कारण ही 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई । वैसे उसने स्वयं उसपर हस्ताक्षर नहीं किये । इस संधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए लाहौर सरकार ने ब्रिटिशों का कश्मीर और हजारों सहित सिंध और व्यास के बीच का क्षेत्र प्रदान कर दिया । अमृतसर की संधि की एक अर्थ धारा के अंतर्गत, जिसपर 15 मार्च 1846 का हस्ताक्षर हुए, गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर उसके कार्यों के परितोपिक के रूप में प्रदान कर दिया गया । इसके बदले में उसे एक करोड़ रुपये और वाद में कुछ कम देना पड़े ।

स्वतंत्र शासक—अमृतसर की संधि में था, “ब्रिटिश सरकार महाराजा गुलाब सिंह और उसके उत्तराधिकारी पुत्रों को सदा के लिए स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रदान करता है । उसे सिंध नदी के पूर्व और लाहूल को छोड़ चम्बा सहित रावी नदी के पश्चिम का सभी भाग व इस क्षेत्र के सभी राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र में है और जो लाहौर से ब्रिटिशों को प्राप्त हुआ था, उसे दिया जाता है ।” इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश और गुलाब सिंह द्वारा नियुक्त एक कमीशन बनाने का निश्चय हुआ । इसके बदले महाराजा अपने पास पड़ोस के झगड़े ब्रिटिशों के हाथ में सौंपने को तैयार हुआ । वह ब्रिटिशों को सैनिक सहायता देने तथा ब्रिटिशों का बताने बिना किसी युरोपीय या अमेरिकी को सेना में न रखने के लिए भी तैयार हुआ । उसने ब्रिटिशों की महत्ता भी स्वीकार की जिसके प्रतीक स्वरूप वह प्रतिवचन “एक घोड़ा, 6 बकर और 6 बकरिया और तीन जोड़े कश्मीरी शाल देने को तैयार हुआ ।”<sup>1</sup>

इस तरह स्थापना हुई वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य की । प्रारंभ में गुलाब सिंह को उस समय कठिनाइयां हुई जब पंजाब के मुख्यमंत्री लाल सिंह के उक्तान पर कश्मीर का सिख गवर्नर वह घाटी उसे देने को तैयार नहीं हुआ । पर ब्रिटिशों ने इसकी प्राप्ति में उस सहायता की । दूसरी ओर लाल सिंह के ऊपर मुकदमा चला, उसे पद से हटाकर अपमानित किया गया और अंततः पंजाब से उसे निकाल दिया गया ।

गुलाब सिंह ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली और कश्मीर के प्रशासन में कई सुधार किये । शाल उद्योग को पुनर्गठित किया गया । बेगार समाप्त किया गया और सीमा पर कई विद्रोह दबाये गये । अपने बाद के जीवन में वह जलोदर से बीमार पड़ा । फरवरी 1856 में उसने औपचारिक रूप से अपने एकमात्र जीवित पुत्र राजबीर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं कश्मीर के गवर्नर का पद स्वीकार करते हुए घाटी की ओर चला गया । वह तब अपनी

मृत्यु शय्या पर था जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ। उसने डोगरा सैनिकों को दिल्ली जाने का आदेश दिया जहाँ उन्होंने ब्रिटिशों को उनका अधिकृत क्षेत्र दिलाने में सहायता की। वह 66 वर्ष की आयु में अगस्त 1858 में मर गया।

यदि अमृतसर की संधि की ओर पुनः लौटें तो इसी संधि के अंतर्गत हार्डिंज ने गुलाब सिंह का जम्मू और कश्मीर प्रदान किया था और इसके बदले उस अंग्रेजों को एक करोड़ रुपये देने पड़े थे। यह बताना आवश्यक है कि इस धन का एक भाग कश्मीर के खजाने से दिया गया। जबकि कश्मीर लाहौर का एक भाग होने के कारण महाराजा दलीप सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसके विषय में बताते हुए कनिंघम ने यह मत व्यक्त किया है कि, “इस संधि की कारवाई ब्रिटिश नाम और महानता के अनुरूप नहीं थी। यह इतराज तब और शक्तिशाली हो जाता है जब यह सोचा जाता है कि गुलाब सिंह ने लाहौर दरवार की ओर सशुद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही 60 लाख रुपये देने का वादा कर लिया था। और पूर्व तथा पश्चिम दोनों स्थानों पर यह प्रथा है कि सहायक अपने मालिक की सहायता गृह और वैदेशिक दोनों युद्धों में करते हैं। गुलाब सिंह ने इस तरह लाहौर की एक प्रजा की हैसियत से यह धन दिया होगा।” आगे कनिंघम लिखता है, “उमें जो धन देना था उसे 1/4 कम कर दिया गया और इसकी वापसी की शर्तों और सरल इसलिए कर दी गयी क्योंकि उसे फोरोजपुर में जमीन में गड़ी सुचेत सिंह के धन का उत्तराधिकारी बताया गया।”<sup>1</sup> गाडन ने लिखा है कि सरकार की ओर से, “यह सचमुच एक बुरा प्रयास था जो दुर्भाग्य से तत्कालीन राजनतिक आवश्यकता के कारण आवश्यक हो गया।”

लगभग उसी समय, जैसे ही कश्मीर गुलाब सिंह को दिला दिया गया, हार्डिंज के आलोचकों ने इसे ‘एक राजनतिक भूल की सजा दी। यह परामर्श दिया गया कि यहाँ की उत्तम जलवायु और अच्छी भूमि वाली घाटी अंग्रेजों द्वारा बड़ी आसानी से अधिकार में करके एशिया में एक दूसरे इंग्लैंड के रूप में विकसित किया जा सकता है।’<sup>2</sup>

पर हार्डिंज ने कश्मीर, जिसे उसने 1846 में गुलाब सिंह को प्रदान किया, उसके पीछे भी शक्तिशाली तक थे। यह याद रखना चाहिए कि पंजाब को प्रथम सिख युद्ध के बाद नहीं मिलाया गया और हार्डिंज को यह आशा थी कि ब्रिटिश सहायता से स्थापित यह राज्य ऐसे ‘बफर’ राज्य का काम करेगा जो उत्तर-

1 कनिंघम पूर्वोद्धृत पृ० 288।

2 गाडन पूर्वोद्धृत पृ० 164।

3 वेक्फील्ड इन्सू द हैपी वली (1879), पृ० 85-86 कपूर, एम० एन कश्मीर सोल्ड एण्ड स्लेड (1968), पृ० 9-10 द्वारा उद्धृत।

पश्चिम से आनेवाली कठिनाइयों को झेलेगा। इस तरह कश्मीर विजय से सतलज से आगे एक लंबे आवागमन के माग को बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती जो 300 मील से होकर गुजरता और जहाँ के लोगों के चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कश्मीर पर हार्डिंज इसलिए भी अधिकार नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे उसे उस क्षेत्र के शक्तिशाली कबीलों से सघप करना पड़ता। इसका एक कटु अनुभव ब्रिटिशों को प्रथम अफगान युद्ध में मिल चुका था। इसीलिए उसने इसे स्वतंत्र रखना ही उचित समझा। इससे यह राज्य और पंजाब मिलकर सीमा क्षेत्र के कबीलों का काबू में रख सकते थे और साथ ही इनसे सिखा पर भी नियंत्रण रह सकता था। इस प्रकार सतलज की ओर ब्रिटिश सीमाएं शांत और सुरक्षित रह सकती थीं। हार्डिंज भारतीय राजाओं और सरदारों को यह भी दिखाना चाहता था कि ब्रिटिश हिता में रुचि लेने वाला को किस तरह का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

पर उस समय स्थिति बदल गई जब पंजाब पर प्रथम सिख युद्ध के बाद भी अधिकार न करने की नीति को गलती माना जाने लगा। पंजाब में ब्रिटिशों की उपस्थिति के नये बहाने किये गये और साथ ही कश्मीर राज्य में हस्तक्षेप करने और वहाँ पर ब्रिटिशों के अधिकार विकास की चेष्टा की गई। गुलाब सिंह के शासन को निरकुश और अक्षम बताते हुए हार्डिंज ने महाराजा को 1848 में लिखा कि ब्रिटिश ऐसे शासन से अपने को प्रतिबद्ध करने को बाध्य नहीं है जहाँ के शासक ने अपने गलत नीतियों द्वारा जनता में अपने को अलग कर लिया है।<sup>1</sup> और उसने यह भी घोषित किया कि जहाँ कहीं भी शासक असफल हो गया हो वहाँ "सीधे हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए।"<sup>1</sup>

पर महाराजा के ऊपर निरकुशता की नीति के जो आरोप लगाये गये वे छानबीन से सही नहीं सिद्ध हुए। इसी बीच हार्डिंज पदमुक्त हो गया। उसका उत्तराधिकारी लॉर्ड डलहौजी महान साम्राज्यवादी था। यदि कश्मीर में हस्तक्षेप की कोई स्थिति नहीं थी तो वह एक कोई पदा करने की चिन्ता में था। प्रत्येक मामलों में यूरोपीय इस घाटी में जाने लगे और वहाँ लोगों से दुर्व्यवहार करने लगे। महाराजा ने ब्रिटिशों से इसकी शिकायत की। डलहौजी को अवसर मिल गया और उसने यह प्रस्ताव रखा कि घाटी में यूरोपीय लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाय। महाराजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की किसी भी नियुक्ति से राज्य में ब्रिटिश एजेण्ट रखने की प्रथा का प्रारंभ हो जायेगा। उसने इससे बचने के लिए अपने तक दिये पर गवर्नर जनरल ने उसे जाल से बाहर नहीं जान दिया। इसी के

फलस्वरूप 1852 में महाराजा को ऐसे एक अधिकारी के नियुक्ति को स्वीकार करना पड़ा जिसे नाम दिया गया "आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी इन कश्मीर।" इसमें यह तय हुआ कि यह अधिकारी गर्मी के दिनों के बाद जब वहाँ यूरोपीय पयटक नहीं जायेंगे तो लौट आयागा।

अमृतसर की संधि ने अंग्रेज भारतीय राज्या की तुलना में कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की थी। यह लगभग एक स्वतंत्र राज्य हो गया था जहाँ पर हस्तक्षेप के लिए ब्रिटिश रेजिडेण्ट नहीं नियुक्त किया गया था। पर 'आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी' की कश्मीर में नियुक्ति ने वहाँ की स्वतंत्र स्थिति में हेर फेर कर दिया और इस तरह एक ऐसी शुरुआत कर दी गई जिसके आधार पर आगे चलकर इसे पूर्णतया ब्रिटिश नियंत्रण में ले आया गया। इसकी चर्चा आगे की जायगी।

लाड हार्डिंज ने सिख युद्ध में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और उसकी महानता इस बात में थी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने सेनापति गीफ को प्रेरणा दी। 1848 में वह आत्म-निवेदन द्वारा अपने पद ले हट गया। इंग्लण्ड पहुँचने पर उसे 1852 में अंग्रेजी सेना का सेनापति बना दिया गया। पर कुछ ही दिनों बाद कीमिया का जो युद्ध प्रारंभ हुआ वह उसकी बढ़ती आयु के लिए एक बड़ा सिद्ध हुआ। 1855 में वह फील्ड मार्शल बना, पर अगले ही वर्ष वह लकव का शिकार हो गया और इस तरह 71 वर्ष की आयु में 24 सितंबर 1856 को उसकी मृत्यु हो गई। पनहस्ट का हार्डिंज जो उसकी मृत्यु के 54 वर्ष बाद भारत का वाइसराय बनकर आया वह उसका ही पौत्र था।

## मार्क्स डलहौजी (1848-56)

जेम्स ऐंड्रु ब्राउन रैम्जे का, जो बाद में दशवें अल के रूप में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ और साथ ही डलहौजी का मार्क्स हो गया, जन्म 22 अप्रैल 1812 को हुआ। उसके पिता ने वाटरलू में एक रेजीमेंट की कमान सम्भाली थी, बाद में वह कनाडा का गवर्नर जनरल हो गया और भारत का सेनापति। उसकी माँ हैरिंग्टनशायर में कोल्सटून के ब्राउंस की उत्तराधिकारिणी थी। जेम्स को हैरो में शिक्षा प्राप्त हुई, फिर क्राइस्ट चर्च और उसके बाद आक्सफर्ड जहाँ पर भविष्य में होने वाले भारत के वाइसरायो—एंग्लिन और कनिंग से उसकी मित्रता थी। 1835 में जेम्स ने एडिनबरा से चुनाव लड़ा पर उसे पराजित होना पड़ा। 1836 में उसने ट्वीडेल के आठवें मार्क्स की सबसे बड़ी लड़की सूमा ह में विवाह किया। 1837 में हैरिंग्टनशायर से ससद सदस्य हो गया और 1838 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे अल का पद मिल गया। 1843 में सर राबर्ट पील ने उसे बोर्ड आफ ट्रेड का वाइस प्रेसीडेंट नियुक्त किया। 1845 में उसे प्रेसीडेंट बनाया गया और 1847 में सर जान रसेल ने उस मारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया।

“उत्तम माधे, चुभन दृष्टि और क्रुद्ध मिजाज गवर्नर हार्टम के इस नाटे आदमी का प्रथम मिलने वाले व्यक्ति पर भयपूर्ण प्रभाव पड़ता। फिर विश्वास के अतुर जमन और अतत विश्वस्ततापूर्ण आदर सहित प्रेम की भावना का उस पर प्रभाव जम जाता।”<sup>1</sup>

भारत में डलहौजी के गवर्नर जनरल का काल उसके अयायपूर्ण राज्य छीनने के लिए स्मरण किया जाता है। उसने इसे छिपाया भी नहीं। उसने युत्रग्राम घोषणा की, अपन क्षेत्र के विस्तार की नीति की मुफ्त अधिव बोर्ड आनापना नहीं कर सपना। पर यह तभी जब इससे बचा जा सके या हमारी सुरक्षा के लिए जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो और प्राता में शांति स्थापना के लिए हमकी उर



योगिता न हो। पर मैं इसे किसी के लिए संभव नहीं मानता कि वह उचित अवसर पान पर इस नीति का उपयोग न करे क्योंकि इससे अपने पहले के उपस्थित क्षेत्रों का संगठन होता है और यदि उन राज्यों पर अधिकार न किया जाय तो व राज्य उन्नी अशांति में अपना अस्तित्व अपने आप का बैठेगा। इस तरह के छोटे २ राज्यों की हस्तक्षेपपूर्ण नीति से कठिनाई में वृद्धि ही होती है, हमें उससे कोई शक्ति नहीं प्राप्त होती। इससे खजान की शक्ति तो बढ़ती ही है साथ ही हमारे शासन की एकरूपता जो जनहित में है और स्थानों में भी फैल जाती है जिससे वहाँ की रक्षा होती है।' अथ बिल्कुल स्पष्ट है। टाम्सन और गैरेट न इस सदन में यह कहकर डलहौजी के नीति का समर्थन करने की चेष्टा की है कि 'डलहौजी ने एक पुरातन व्यवस्था प्रारम्भ की जो उसके कठोर प्रशासन के अंतर्गत टूट गई।' पर जगले पष्ठों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह दृष्टि साम्राज्यवादी चश्मा पहने हुए विद्वानों से ही मिलती जुलती है।

### द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध

लाड डलहौजी के शासन काल की सबसे प्रमुख घटना पंजाब पर अधिकार की थी। भैरोवाल की संधि की धारा के अनुसार ब्रिटिशों को स्वयं पंजाब 4 सितम्बर 1854 तक छोड़ देना था। पर इस तिथि के आने के बहुत पहले ही उन्होंने इन राज्यों पर अधिकार करने का बहाना ढढना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि सारा खेल ही समाप्त हो जाय। अवसर आया उसका लाभ उठाया गया, द्वितीय सिख युद्ध हुआ और पंजाब पर अधिकार कर लिया गया।

कारण—ऐसे कारण थे जिन्होंने अवसर का उपस्थित किया। सामान्य जन की ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवद्धक नहीं थी। पत्र लिखता है कि सिख नयी चीजों का स्वागत तो करते थे पर उसके प्रति उत्साह नहीं दिखाते थे' वे अनुभव करते थे कि एक जाति के शासकीय रूप में भी उनकी स्थिति अब नीची हो गई है। तमाम सिख बिना लगान की भूमि पर बाबिज थे जिसके कारण राजस्व की वृद्धि या ह्रास पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हा यदि कर वसूलने वाले हात थे तो अवश्य प्रभाव पड़ता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों का समाज-सुधार यथा बच्चा को मारे जाने की प्रथा को दवाना एवं सती प्रथा की समाप्ति को व अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते थे। यह एक ऐसी चीज थी जिस हिन्दू या सिख सहन करने को तैयार नहीं थे।

सिख सैनिक अपनी पराजय को मात्र एक सकोच मानते थे। कनिंघम लिखता

1 टाम्सन एण्ड गैरेट राइज एण्ड फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया प० 350।

2 पत्र पूर्वोक्त प० 176।

है कि यह स्पष्ट है कि अपने सैनिक संगठन के समाप्त किये जाने के समय उन्होंने "न तो विद्रोही सैनिकों का नैराश्य प्रदर्शित किया और न ही घट्टता और तटस्थता।" वे अपने नेताओं के पडयत्र को ही अपनी पराजय का कारण मानते थे। खाल्सा ने भविष्य में विश्वास करते हुए वे नम्रता सहित कहा करते थे कि जैसे जैसे समय बीतना जायगा वैसे वैसे गुरगोविंद सिंह का सिख संगठन निश्चित रूप से विजयवस्त्र धारण करता जायेगा। यह विजय अंग्रेजों पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर उमे प्राप्त होगी।

बिखर सिख सैनिकों ने भी समस्या पैदा की। या तो दरबार ने उन्हें उनका वकाया वेतन दे दिया था, पर वे शांतिपूर्वक दूसरी नौकरियां नहीं पा सकते थे। वे कानून और व्यवस्था को आधार बनाकर जीवन नहीं जी रहे थे। जिससे भी समाज में सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती वह उनके विरुद्ध जाती थी। पर ये सैनिक जब दर दर की गांवों में ठोकें खाते थे तो भी स्थानीय लोग इनका स्वागत नहीं करते थे। उन पर छोटाकशी ही की जाती। स्वाभाविक रूप से यदि ब्रिटिशों से शक्ति आजमाइश का कोई अवसर आता तो वे उसका स्वागत करने को उत्सुक थे।

लाहौर के सभी सरदार भी सतुष्ट नहीं थे। कनिंघम लिखता है कि "उनका उद्देश्य अंग्रेजों से अपनी बची बची सेना को बर्बाद करके मुलह करना नहीं था बल्कि विरोधियों की सेना के सामने अपने सैनिकों को इधर-उधर कर देना था। वे विजय द्वारा सहायक राज्यों की स्थापना का उद्देश्य रखते थे।" पर इनमें से अधिकतर सैनिकों को अपने देशवासियों की हत्या के बाद जो पारितोषिक मिला वह सतापजनक नहीं था। लालसिंह सबसे असतुष्ट व्यक्ति था। गुलाब सिंह ने खाल्सा के विरुद्ध पडयत्रकारी भूमिका निभाकर भी इनाम के तौर पर कश्मीर प्राप्त कर लिया, पर लालसिंह को कुछ नहीं मिला। केवल प्रधान मन्त्रित्व से वह सतुष्ट नहीं था और लाहौर के संधि की म्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि उसने ब्रिटिशों के विरुद्ध पडयत्र प्रारंभ कर दिया और उस दश से निकाल दिया गया।

महारानी जिन्दन भी नयी व्यवस्था से सतुष्ट नहीं थी। भरोवाल की सवि उस की इच्छा के विपरीत की गई क्योंकि वह चाहती थी कि ब्रिटिश पंजाब में न रहें। इसके लिए दंडस्वरूप उसे अपना लडके के मन्त्रिका पद से हटा दिया गया। उसके ऊपर इसके बाद से निगरानी रखी जान लगी।

लगभग सभी उपरोक्त बातें द्वितीय सिख युद्ध के लिए उत्तरदायी हुईं। पर मुख्यतया यह पंजाब में ब्रिटिश आक्रामक नीति का परिणाम था। यदि प्रथम सिख

1 कनिंघम पूर्वोक्त पृ० 289।

2 वही पृ० 295।

युद्ध के बाद पंजाब पर अधिकार नहीं किया गया तो यह इसलिए नहीं कि "ब्रिटिश अपनी शक्ति पराकाष्ठा के काल में सहनशील और उदार हो गये थे।" इसी तरह की बात ब्रिटिशों की ओर से कही गई जैसा कि हम ऊपर बता आये हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ की जनता को समपण की आशा नहीं थी। यदि उन्हें वहाँ के लोगों का सहयोग मिल जाता तो सारे देश के ब्रिटिश काल का इतिहास ही और होता। इसके अतिरिक्त पंजाब अधिकार के विरोध में बातें थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर राबर्ट पील ने हार्डिंज का लिखा कि "पंजाब पर अधिकार हमारे लिए शक्ति का स्रोत होने के स्थान पर कमजोरी का सबक हाता। इसमें हमारे देश की सीमाएँ उत्तर पश्चिम में अत्यधिक दूरी तक हा जाती। अफगा निस्तान में हमारी कमजोरी और बढ़ जाती और सभी सीमांत दशा में हमारी स्थिति सितम्बर से भी खराब हो जाती।"<sup>1</sup> यह भी अनुभव किया गया कि यदि पंजाब पर अधिकार किया गया तो सिखा को नामित करना कठिन हा जायगा। यह भी नहीं सोचा जा सकता था कि पंजाब की भूमि उबरा होगी। इस तरह इस दृष्टि से भी यह शक्ति के स्थान पर कमजोरी का ही प्रतीक होती।

पर एक बार जब ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो य सारी बातें एक के बाद एक गायब होती गई। जा ब्रिटिशों के समयक थे उनमें स एक-एक का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। उन्होंने यह भी पाया कि पंजाब पर पर अधिकार में शक्ति का ह्रास नहीं होगा वरिष्ठ इससे शक्ति बढ़ेगी ही। आर्थिक दृष्टि से यदि पंजाब को उचित रीति से संगठित किया जाय तो राज्य में लाभ अर्जित किया जा सकता था।

"ब्रिटिशों के लिए पंजाब का कपास मुख्य आकर्षण था जा उनके माल के लिए एक अच्छा बाजार तयार कर सकता था। अमतसर पंजाब का केन्द्र स्थान बनाया गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, मुल्तान और पेशावर ब्रिटिशों के लिए अफगानिस्तान हेतु व्यापार के द्विपो बन गये। आक्सस के जाने तक य उपयोगी थे।

'पंजाब ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए नौकरी की पर्याप्त सुविधाओं का अब सर प्रदान किया। इससे विस्तृत सैनिक छावनियाँ एवं पक्कीय प्रशिक्षण मैदान बनाने का भी अवसर आया।' और यदि परिश्रमी और शक्तिशाली सिखा को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर यूरोपीय ढंग पर उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाय तो ब्रिटिश विश्व के किसी कोने में भी विजय प्राप्त कर सकते थे।

इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भैरोकाल की सधि आरोपित की गई। सिखों को शूरतापूर्वक भगाने की नीति अपनाई गई और प्रमुख

1 हार्डिंज चांसलर सेक्रेण्ट विस्काउण्ट विस्काउण्ट हार्डिंज प० 143 44।

2 गेहा सिंह प्राइवेट करसपोडेस रिजोर्टिंग ट द ऐंग्ला सिख वास प० 165।

स्थानों पर एक के बाद एक अंग्रेजों को नियुक्त किया गया। लोगों को बबर मान-वर ब्रिटिशों का किया गया उन पर सभ्य शासन हेनरी लारे स के शब्दों में उनका च्छाण माना गया। मुघार के लिए जनता के जीवन में हस्तक्षेप किया गया।

महारानी जिन्दन के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। बिना प्रमाण के भैरोकाल की सधि से उसको हटा दिया गया। उस पर ब्रिटिशों के विरुद्ध पडयत्र का आरोप लगाया गया। उसकी पेशान घटाकर डेढ लाख रुपये से 48,000 रु० कर दी गई और उसे जबरदस्ती पदमुक्त कर शेखपुर भेज दिया गया। इस तरह उसके पास जो भी राजनतिक शक्ति थी, समाप्त हो गई। पर उसको कष्ट देना अभी भी जारी रहा। उसकी पेशान और घटाकर 12 हजार रुपये कर दी गई। उसके हीरे जवाहरात छीन लिये गये और उसे बनारस भेज दिया गया। दोस्त मुहम्मद न लिखा कि "इस तरह का व्यवहार अनुचित है जिसके बदले छोट और बडे मौत पसद करेंगे।" खात्सा सेना को भी छोडा गया और अब जनता यह मानने लगी कि "यह एक राष्ट्रीय अपमान है और यह रानी के लडके के गद्दी से हटाने का प्रयास मात्र है जिसस राज्य का विनाश हो जाएगा।"<sup>1</sup>

क्या ब्रिटिश सचमुच दलीप सिंह का जीवन बर्बाद करने पर आमादा थे इसके परीक्षण के लिए एक घटना का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। हजारा जिले के नाजिम छत्तर सिंह ने यह प्रस्तावित किया कि महाराजा जिनका विवाह उनकी लडकी से तय हो चुका है उसे शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाय। पर रेजीडेन्ट ने इसका उत्तर जब उसे कठोर और नकारात्मक भाषा में दिया तो सिखा के मस्तिष्क में व्याप्त सदेह पुष्ट हो गया। छत्तर सिंह को उस समय दूसरा आघात लगा जब उसके परामशदाता और रेजीडेन्ट के सहायक कप्टन ऐन्टन उसके विषय में सूचित किया था कि एक अच्छा अधिकारी होने के बावजूद वह 'प्रश्न को नैराश्य भाव से लेता है। उसे एकाएक सदह हुआ कि छत्तर सिंह विद्रोह की तैयारिया कर रहा है। इसीलिए उसने अपने रहने की जगह से उसे तीस मील दूर भेज दिया, मुस्लिम किसानों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उत्साहित किया और छत्तर सिंह की सवा के एक अमेरिकी अधिकारी कनल कनोरा को अपन सरदार की आज्ञा न पालन करने को प्रोत्साहित किया। वैसे तो अपने व्यक्तिगत पत्र में रेजीडेन्ट न उसके इस व्यवहार की आलोचना की, पर छत्तर सिंह को यह नहीं बताया गया कि किस पर किया गया सदेह सच था। इसीलिए वह अपने पुत्र शेर सिंह सहित, जो रीजेन्सी कौमिल का सदस्य भी था, मुल्तान के मूलराज के पास चला गया जो विद्रोह का झडा पहले ही खडा कर चुका था।



“जब चेलियान वाला की घटनाआ की सूचना इग्लैण्ड पहुची तो वहा पूरा राष्ट्र दुखी हो गया।” लाड गौफ को पद से हटाने की तैयारी प्रारम्भ हो गई। पर इसी बीच 21 फरवरी को लाड गौफ ने गुजरात में सिखा से दूसरी लड़ाई की। सिख बुरी तरह विखर गये, रावलपिण्डी में उहान आत्मसमर्पण किया और इस तरह खेल खत्म हो गया।

### पजाब पर अधिकार

29 मार्च 1849 को विदेश सचिव सर हनरी इलियट ने लाहौर में एक दरबार किया। यहाँ पर गवर्नर जनरल की ओर से एक घोषणा पढी गई जो अधोलिखित थी

‘निख जनता आर उनके नेताआ न अपना ओर से स्पष्टतया वादा खिलाफी की है। उनके वापिक कर का कोई भी भाग वभी नहीं दिया गया और भारत सरकार की ओर न दिये गये ऋण भी उहान वापस नहीं किये। ब्रिटिश सरकार के जिस निमंत्रण को उहोंने स्वयं स्वीकार किया था उसने विरुद्ध वे हथियार लेकर खड़े हो गये। शांति को ताक पर रखा दिया गया। राज्य की सेवा कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला गया, इसी तरह की अन्य सेवाओं में लगे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जतन पूरा राज्य और पूरी सिख जनता पजाब के नरदारा में सहयोग पाकर, जिहाने सधि पत्रा पर हस्ताक्षर किये थे, यहाँ तक कि रीजेन्सी के एक सदस्य तक न हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिया है और ब्रिटिश और उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए भयानक और रुधिरमय युद्ध छेड़ दिया है।’

‘सरकार की विजय की अन्य कोई इच्छा नहीं है, पर यह अपना वक्तव्य समझती है कि अपनी रक्षा का उपाय करे और उनकी भी जो उनके आदर्शों के पथ पर है।’ और इसीलिए गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया है कि पजाब का राज्य समाप्त किया जाता है।<sup>1</sup>

जब घटनाएँ स्वयं अपनी कथा कहती हो तो घोषणा और ब्रिटिश कारवाइ की आलोचना बेकार है। मैरोवाल की सवि की एक धारा में कहा गया था कि ‘प्रशासन चलाने और महाराजा दलीप सिंह के अल्पवयस्क काल में रक्षा के लिए’ गवर्नर जनरल को विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी किले पर अधिकार कर सकता है। 21 दिसंबर 1846 का लाड हार्डिज द्वारा घोषित रीजेन्सी की कौंसिल रेजीडेण्ट के अधीन पूर्णतया रखी गई जा किसी भी सदस्य को हटा और रख सकता था। 1847 में रेजीडेण्ट ने स्वयं

1 लतीफ हिस्ट्री आफ पजाब प० 572-73।

कहा, "संपूर्णता में दरबार (रीजेसी की कौंसिल) मुझे उतनी सहायता देता है जितने की अपेक्षा है।" इसके अतिरिक्त लाहौर में ब्रिटिश सेनापति के पहुंचने पर महाराजा न और सरदारों ने उदारतापूर्वक उसका स्वागत किया, विद्रोहियों के विरुद्ध लाहौर से सेना भेजी गई और दरबार न 12 तोपों को दागकर मुल्तान की विजय मनाई।<sup>1</sup>

इस तरह दलील सिंह पूरा नया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और लाहौर दरबार तथा पंजाब सरकार पूरा नया रेजिडेंट के नियंत्रण में आ गये। इन परिस्थितियों में यदि कोई सहायक सरदार दरबार के विरुद्ध विद्रोह करता या यदि पंजाब के किसी क्षेत्र में शांति भंग होती तो गवर्नर जनरल का यह कर्तव्य था कि वह महाराजा की रक्षा करे और शांति की स्थापना करे। पर उसने इसका उल्टा किया। जब वही आपदा आती तो महाराजा को जीर परेशान किया जाता और उनके राज्य का भाग हड़प लिया जाता।

दीवान मूलराज ने पहली बार विद्रोह नहीं किया। उसने और उसके पिता सावनमल ने लाहौर अधिकार की बार बार अवहेलना करते हुए मुल्तान पर पिछले 30 सालों से शासन किया था। यदि मूलराज ने पुनः विद्रोह किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके साथ उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए था।

यह भी उचित नहीं है कि शेर सिंह के विद्रोह में सम्मिलित होने को अत्यधिक महत्त्व दिया जाय। उसने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया। मार्च 1848 में जब मुल्तान में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो सिगवर तब शेर सिंह मही रासन पर था। इस रेजिडेंट ने स्वयं स्वीकार किया। रेजिडेंट के सहायक एडवोकेट के अनुसार जब उसे मुल्तान में विद्रोह को दबाने का भेजा गया तो उसने वहाँ उचित ढंग से कार्य किया। और यदि वह अतः विद्रोह में सम्मिलित हो गया, तो ऐसा उसे अति कठोर नकारात्मक रवैया के कारण करना पड़ा जो विवाह प्रस्ताव के संबंध में अपनाया गया। कैप्टन एवट का उसके पिता के प्रति आक्रामक दख भो कम उत्तरदायी न था। पर रीजेसी के अन्य सदस्य स्वामिभक्त बन रहे। केवल 16 में से 5 न विद्रोह करने की मधि तत्र पर हस्ताक्षर किया। जब कि शेख इमामुद्दीन, सरदार झंडा सिंह, कनल भूप सिंह, सरदार फतह सिंह, कनल बहादुर सिंह और कनन बुध सिंह जस लोग ने ब्रिटिशों के प्रति विश्वस्तता बनाये रखी।

फिर मुल्तान का विद्रोह आरम्भ था। मूलराज सतानहीन अस्वस्थ और अपनी प्रजा में अनोक्प्रिय था। रेजिडेंट ने स्वयं स्वीकार किया कि "उसने लगभग सभी मैना खर्चास्त कर दी क्योंकि वह पट्टमुक्त होना चाहता था। उसके पास

1 गंगा सिंह पूर्वोक्त।

2 रीजेसी का एक सदस्य।

विद्रोह के समय पांच या छ तोपे थी।' इन परिस्थितियों में उसे विद्रोह करने की आशा नहीं की जाती थी। जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश अधिकारियों को छुरा मारा वह स्वयं आगवा से ग्रस्त था कि उसे उसके साथियों की तरह नौकरी से हटा दिया जायगा जिसके लिए उसने ब्रिटिशों को दोषी ठहराया और अपने व्यक्तिगत समस्या के आधार पर उसने अधिकारियों पर आश्रमण कर दिया। इस अवसर का असंतुष्ट जनता ने लाभ उठाया और विद्रोह कर दिया। यह एक हल्की समस्या थी जिसे तत्काल हल किया जा सकता था यदि समय पर घेर वाली बंदूकों सहित सेना पहुंच जाती। पर ऐसा करने की जगह पर यह बहाना बनाया गया कि मौसम की खराबी के कारण तुरंत सना नहीं भेजी जा सकती। यह सेना मुल्तान के विद्रोह के 5 महीने बाद पहुंची। इस बीच विद्रोह की जगह दूर दूर तक फैल चुकी थी।

पंजाब मौसम का बहाना बनाये जाने के संबंध में एडवर्ड लेक ने बयूरी को लिखा, "जहां तक मौसम का संबंध है इस समय से बेहतर और आरामदायक मौसम हा ही नहीं सकता। रातें अति ठंडी हैं और दिन भी चुरे नहीं हैं।" 24 मई 1848 को एडवर्ड स्पष्ट रूप से रेजीडेण्ट के राजनीतिक सहायक मेजर होड्सन को लिखा, 'आपने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि ब्रिटिश सरकार स्वयं कारवाय करेगी और गिरते हुए बश को सभालेगी नहीं। दूसरे शब्दों में आप यह आशा करते हैं कि हम पंजाब पर अधिकार करने का अवसर नहीं खोयेंगे। इसमें मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। सधिया सरकार और जनता से की गई थी। इसे मुल्तान में एक गुरखा सेना के पडयत्न के आधार पर या एक पदमुक्त सरदार के विद्रोह के आधार पर या रानी मा के पडयत्न के आधार पर जिसमें उसके लक्ष्य की सरकार का कोई हाथ नहीं है, वापस नहीं लिया जायगा।'<sup>1</sup>

18 नवम्बर 1848 की गवर्नर जनरल की घोषणा में ब्रिटिश पडयत्न की बातें निहित हैं। 5 फरवरी 1849 को भी उसने कहा कि ब्रिटिश सेनाएं पंजाब में 'वहां के सरकार के शत्रु के रूप में' प्रविष्ट नहीं हुईं जबकि रेजीडेण्ट को लिखे 3 अक्टूबर 1848 के अपने गुप्त पत्र में उसने लिखा कि उसका विचार है कि "लाहौर का राज्य सभी आधारों पर ब्रिटिश सरकार से मुद्धरत है।"


यदि सचमुच ब्रिटिशों की यह इच्छा थी तो पंजाब पर अधिकार के घोषणा के रकों को तकहीन नहीं माना जाना चाहिए। घोषणा के अंतर्गत यह दोषारोपण किया नहीं अदा किया गया या ऋण नहीं वापस किया गया, गलत था। सच तो यह था कि दरबार ने 23 फरवरी 1848 को 13,56,837 ₹० का स्वर्ण उद्दे दिया

1 गेंडा सिंह पूर्वोद्धत पंजाब पेंपर्स 1849 पृ० 590, इटर, ड लू० डब्लू० माक्सवेल आफ डलहौजी, पृ० 74।

2 इन्स पूर्वोद्धत, पृ० 262 पंजाब पेंपर्स 1848 पृ० 591।







प्रारम्भ होना है, लाठी की फिर जोत हाती है। इसी समय पुनिग इन्स्पेक्टर महिला का सूचना देता है कि उस महिला का बट्ट भवन और भूमि जहाँ यह पड़ा है अब उनकी नहीं है। इस पुलिस न अपन शुल्क का एवज में ले लिया है। यदि वह मनान छोड़कर चली जायेंगी तो उन्हें किराय के मूल्य का कुछ भाग पेंशन के रूप में दे दिया जायगा और इसने अनिश्चित उस कमिश्नर के लिए उस अपना उत्तम गले का हार देकर जाना चाहिए।”<sup>1</sup>

### द्वितीय बर्मा का युद्ध

बर्मा का प्रथम युद्ध 1824-26 के बीच लड़ा गया था। इसी के परिणाम स्वरूप याङ्गू की संधि की गई और व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिससे अतगत ब्रिटिशों ने कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त किये। बर्मा ने स्वयं अपनी ही कीमत पर आवा में ब्रिटिश रेजीडेंट रखा।

डलहौजी के काल तक आशातीत बठिनाइया के अतिरिक्त इस दिशा में कुछ नयी बातें भी हुई। पूर्वी सागर में अमेरिका और फ्रांस का आगमन और बर्मा के उनके प्रभाव और निम्नत्व का आ जान की संभावना ने ब्रिटिश हित को उस दिशा में खतरा पैदा कर दिया और डलहौजी ने इस बठिनाई पर कानून पान के लिए इतजार किया। इसके अतिरिक्त जैसी कि आशा थी याङ्गू की संधि के बाद रगून में बहुत से व्यापारी बस गये थे जिन्होंने बहुत लाभ कमाया और फिर भी बुरे व्यवहार की शिकायतें तो की ही साथ ही बर्मा सरकार द्वारा अधिक कर वसूल करने के विषय में भी कहा। बर्मा वाले दूसरी ओर इन व्यापारियों के अत्याचार पूर्ण नीति और कर चोरी की शिकायत करते थे। 1826 के समझौते की शर्तें चूँकि बहुत ही अस्पष्ट थी इस कारण यहाँ अव्यवस्था फैली और हर दल ने अपने हित साधन में शर्तों में तोड़ मरोड़ किया।

इसके अतिरिक्त आवा के ब्रिटिश रेजीडेंट को पहले ही वापस बुला लिया गया था और इस समय बर्मा से ब्रिटिश सम्बन्ध तेनसरी में ब्रिटिश कमिश्नर के माध्यम से स्थापित था। इस सम्बन्ध में मतभेद था कि ब्रिटिश रेजीडेंट को हटा दिया गया है या उसे वापस बुला लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि बर्मा के राजा धारवदी ने जिन्होंने अपने भाई राजावागीदा को पद से हटाकर गद्दी छीनी थी, याङ्गू की संधि को स्वीकार नहीं किया। बर्मा के संविधान के अंतगत इस तरह के सभी समझौते और संधियाँ नये राजा के पदारूढ होने पर समाप्त हो जाती थी जब तक कि नया शासक उन्हें स्वीकार न कर ले। दूसरे राजा ने यह कहा कि यह उसके राजसी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि वह रेजीडेंट से सम्पर्क करे। उसने

बर्मा में एक ब्रिटिश राजदूत के नियुक्ति की माग की जो वहाँ ब्रिटिश हितों को देखे और सम्बन्ध निर्वाह करे।

पर डलहौजी को दुलभ क्षण भी देखने को मिला जब रगून के कुछ व्यापारियों ने उसके समक्ष एक विस्तृत प्रार्थना पत्र पेश किया और बर्मा अधिकारियों की ज्यादाती की इसमें शिकायत की। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने शेप्पाड और लेविस का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिन्हें रगून सरकार ने आर्थिक दण्ड का भागी बनाया था। प्रथम के ऊपर यह आरोप था कि उसने चटगाव के एक सैनिक को फेंक दिया है और दूसरे के ऊपर यह आरोप था कि उसने उनके एक सैनिक को मार डाला है। इस प्रार्थना पत्र को पाकर डलहौजी ने बिना छानबीन किये यह घोषित किया कि यादबू के संधि की अवहेलना हुई है और बर्मा सरकार को रगून के गवर्नर की ओर से क्षतिपूर्ति करना चाहिए और बिना समय बर्बाद किये कमोडोर लैम्बट को मुलह करने के लिए बर्मा भेजा गया। आश्चर्य यह था कि उसके साथ फाक्स, प्रासपेरीन और तेनसरीम नामक तीन युद्ध की जहाजे भी उसके साथ थी। लैम्बट से यह कहा गया था कि वह रगून के गवर्नर का खुलेआम अपमान किये जाने की माग करे और किये गये अपमान के क्षतिपूर्ति के लिए 9,000 रु० की भी माग करे जिसे कैप्टन शेप्पाड और लेविस ने झेला था।

25 नवम्बर 1851 को लैम्बट रगून में उतरा और तुरन्त आवा पत्र भेजा और तीन सप्ताह के भीतर इसका उत्तर मागा। बर्मा का राजा इन घटनाओं को सुनकर चौंक पड़ा और तुरन्त अपने दरबार से एक अधिकारी को इस सम्बन्ध में बात करने के लिए भेजा। उसने अपने उत्तर में रगून के गवर्नर की वापसी की बात मान ली और अयाय की छानबीन करने को कहा और आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति करने को कहा।

रगून में पुराने गवर्नर को हटाकर एक नया गवर्नर रखा गया जिससे मामले की छानबीन करने को कहा गया। कायभार ग्रहण करने के बाद गवर्नर ने लैम्बट से उसकी इच्छानुसार कभी भी मिलना स्वीकार किया। पर डलहौजी की महत्वाकांक्षा और घमंड में डूबा लैम्बट ने नवीन स्थिति में भी समझौता करना अस्वीकार कर दिया। गवर्नर से मुलह के लिए बातचीत की जगह पर उसने कुछ जल सेना अधिकारियों का एक शिष्टमंडल उसके पास भेजा। जब ये अधिकारी गवर्नर निवास पर पहुँचे तो वह सो रहा था जिसके कारण उसके जागने तक उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ी। जागने पर गवर्नर ने पाया कि वे अधिकारी उसके निवास क्षेत्र में सवारी करते हुए आये और इस तरह उसे अपमानित किया। इसके अतिरिक्त गवर्नर के अनुसार वे सभी मदिगा पान किये हुए थे तथा उनका उसके आदमियों के प्रति व्यवहार भी बड़ा रूखा था। इसलिए उसने अनुवादक को छोड़कर सभी से मिलने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के लिए इसे बर्दाश्त करना कठिन हो

गया। और वे क्रोध से तडपते हुए वापस लौट गये।

अपने अधिकारियों का विवरण सुन लैम्बर्ट ने तुरन्त सधि की वार्ता तोड़ दी। घेरेबदी की घोषणा कर दी गई और गवर्नर से तुरन्त क्षमा याचना की माग की गई और क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त उसने बर्मा की सरकारी जहाज 'येलोशिप' पर अधिकार कर लिया, रस्सी से बाधकर समुद्र में जहाज को खूब हिलाया-डुलाया और बर्मा के जल क्षेत्र का भी उल्लंघन किया। जब रगून का गवर्नर लैम्बर्ट के इस व्यवहार से भी उत्तेजित नहीं हुआ, तो दूसरे दिन प्रायः उसने और भी उत्तेजित करने वाला कदम उठाया। उसने ब्रिटिश जहाजी ब्रेडे का 'येलोशिप' सहित चले जाने को कहा। यह बर्माियों के लिए बर्दाश्त करना कठिन था। इस कारण उन्होंने अपनी तोपें चला दी जिसका उत्तर लैम्बर्ट ने अपने तोपों से दिया। यह द्वितीय बर्मा युद्ध का प्रारम्भ था।

जब यह समाचार डलहौजी के पास पहुँचा तो उसने बर्मा के राजा के पाम चेटावनी भेजी। यह चेटावनी 1 अप्रैल 1852 तक का मौका दिम्ने हुए थी जिस समय तक रगून के गवर्नर के काय के लिए क्षमा-याचना की माग की गई तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख पौण्ड की माग की गई। पर अन्तिम तिथि की समाप्ति के पूर्व ही डलहौजी ने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली और सेनापति गाडविन के नेतृत्व में एक सेना बर्मा भेज दी। इस सभी से बर्मा परेशान हो गया और वे किसी भी दिशा में कारवाही नहीं कर पाये। 2 अप्रैल को गाडविन ने बर्माियों के विरुद्ध आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। मतवान पर अधिकार हाँ गया और कुछ समय बाद रगून भी हाथा से निकल गया। बेसीन छीन लिया गया और इससे पेगू क्षेत्र के सामुद्रिक इलाके में ब्रिटिश का अधिकार हो गया। गाडविन और आगे बढ़ा। 9 अक्टूबर को प्रोम पर अधिकार कर लिया। वैसे तो कुछ ब्रिटिश अधिकारी आवा तक आगे बढ़ने के पक्ष में थे पर गाडविन ने ऐसा नहीं किया। एक ब्रिटिश ससद सदस्य रिचर्ड काव्डन ने कहा, "प्रत्येक चीज खेल वस्तु की भाँति अधिकार में आ गई।" बर्माियों को "हमारे स्टीमरो, राकेटो, बमो और तोपों से पेश पाना सरल न था क्योंकि उनके पास वह था ही नहीं।"<sup>1</sup>

दिसम्बर 1852 में डलहौजी ने पेगू पर अधिकार की घोषणा कर दी। इस आवश्यक पारितोषिक को प्राप्त करने के बाद उसने बर्मा से सधि करने में तनिक भी रुचि न दिखाई। वार्ता कुछ काल तक चलती रही पर फिर यह टूट गई और अन्ततः स्वाभाविक रूप से शांति की स्थापना हो गई।

द्वितीय बर्मा युद्ध में ब्रिटिश लाभों की महत्ता स्वीकार करने योग्य है। पगू पर अधिकार ने ब्रिटिशों की सामुद्रिक क्षेत्र परिधि को बढ़ा दिया और स्वतन्त्र

1 रहीम एम० ए० साह डलहौजी'ज एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० 107।

बर्मा को समुद्र तक पहुँचने पर अकुश लगा दिया। इसके फलस्वरूप युरोपीय या अमेरिकी शक्तियों को यहाँ रुचि लेने में कठिनाई हुई। उसके अतिरिक्त इस विजय के फलस्वरूप चावल और सागौन के व्यापार पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। और अतंत पेगू ने ब्रिटिश साम्राज्य में एक धनी प्रांत की अभिवृद्धि कर दी और इस तरह उनके साधनों में भी वृद्धि हो गई।<sup>1</sup>

समानता या तक के आधार पर डलहौजी के द्वितीय बर्मा युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। इसके पीछे उसका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ही कायम रहा था। आनल्ड के अनुसार न तो इसकी "उत्पत्ति" यथोचित थी और न समानता के आधार पर ही इसकी कोई महत्ता थी।<sup>2</sup> सचमुच जाश्चयजनक था कि डलहौजी ने एक कमोडोर को बर्मा भेजा जबकि वह शांति चाहता था। पर उसका मुख्य उद्देश्य बर्मा में कोई और विदेशी प्रभाव न बढ़ने देना था। और यह वैसे ही सम्भव था जैसे किया गया। काय पूर्ति के लिए केवल बहाना चाहिए था।

### राज्य हड़पने का सिद्धान्त

चाहे युद्ध हो या शांति, डलहौजी की भारतीय गवर्नर जनरली के काल में अधिकार की नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इस नीति का प्रयोग पहले ही किया गया था पर उसके काल में यह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसके कारण भी थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से-अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अपने औद्योगिक उत्पादन के क्रय बाजारों की भी आवश्यकता थी। और चूँकि कई अन्य युरोपीय देश स्वार्थ में थे, इसका सबसे अच्छा हल यही था कि जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया जा चुका है उन्हें संगठित किया जाय और वहाँ प्रभाव विस्तार किया जाय। भारत में भी स्थिति बदल चुकी थी। ब्रिटिश शक्तिशाली तो थे ही उनकी महान् शक्तियों में गिनती होती थी और इसी कारण अब इस देश पर राजाओं के माध्यम से शासन करने की आवश्यकता नहीं थी। भारत के राजाओं की शासन-पद्धति भी ब्रिटिशों से मेल नहीं खाती थी। इन दोनों के बीच जमजात विरोधाभास था जो ब्रिटिशों के लिए कठिनाई का कारण बना हुआ था। इस समस्या का डलहौजी की दृष्टि में हल यही था कि इन छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति कर दी जाये। इसे राज्य हड़पने के सिद्धान्त के अन्तर्गत आराम से किया जा सकता था।

1. देखें हटर डब्ल्यू० डब्ल्यू० मार्क्स और डलहौजी (रूलर्स आफ इन्डिया सारोज) इण्डियन रीप्रिंट 1961, पृ० 82-83।

2. आनल्ड एडविन मार्क्स और डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन आफ ब्रिटिश इंडिया भाग 2 पृ० 273।

राज्य हड़पने का सिद्धांत नया नहीं था जो डलहौजी के काल में प्रथम बार प्रयोग में आया। 1834 में कोर्ट आफ डाइरक्टर्स ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि सन्तान न होने पर गोद लाने की आज्ञा “अपवाद ही होनी चाहिए, नियम नहीं। इसे कम ही स्वीकार किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ही इसका अनुमोदन होना चाहिए।” 1841 में यह पुनः प्रस्तावित हुआ कि, “किसी क्षेत्र या राजस्व की भी रक्षा की जानी चाहिए।” डलहौजी के काल ही में यह व्यवस्था पराकाष्ठा पर पहुँची।

राज्य हड़पन का सिद्धांत पहले भी और डलहौजी के काल में भी तीन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। प्रथम, कि ब्रिटिश भारत में सबसे शक्तिशाली थे, दूसरे, कि गोद लिए पुत्र ब्रिटिशों से आज्ञा प्राप्त कर अपने राज्य पर अधिकार रख सकते थे और तीसरे, ब्रिटिश इस अधिकार पर रोक लगा सकते थे क्योंकि उनमें यह करने की शक्ति और क्षमता थी।

आलोचना के तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ तक ब्रिटिश प्रभुसत्ता के प्रथम सिद्धांत का प्रश्न है इस सिद्धांत की ‘यायोचितता’ केवल यह थी कि ब्रिटिश सवशक्तिमान थे इस कारण शक्ति के आधार पर उनकी महत्ता थी तब के आधार पर नहीं। भारत में वे सब अधिकार जिसका प्रयोग ब्रिटिश करते थे, वे इसे विजय के अधिकार से या सधि के आधार पर करते थे। और एक राजनीति शासन का छात्र यह जानता है कि इनमें से कोई भी विधि सप्रभुसत्ता का अधिकार नहीं प्रस्तुत करती। 1813 तक अंग्रेजी कंपनी की मुहर पर गवर्नर जनरल अपने को भारत के सम्राट का नौकर ही कहता था। 1835 तक कंपनी के सिक्के भारतीय शासन की प्रधानता स्वीकार करते थे। इसी वर्ष रूपय पर अंग्रेजी सम्राट का चिह्न बनवाया गया। ऐसा भी नहीं था कि मुगल सप्रभुता ब्रिटिशों के हाथ में चली गई थी। मुगल शक्ति अस्त में नहीं रह गयी थी और ब्रिटिश अपने स्वायत्त की सिद्धि को छोड़कर कभी उहे उस रूप में स्वीकार भी नहीं करते थे। पर भारत छोटे-छोटे राज्यों का देश था जिनमें से प्रत्येक के साथ ब्रिटिशों के अलग-अलग सम्बंध थे। इनमें से कुछ राज्य तो मुगलों की तरह ही अपने को शक्तिशाली मानते थे। अथवा उस समय ब्रिटिशों की भाँति अपने को मानते थे। इस तरह स्पष्टतया भारत में ब्रिटिश सवशक्तिमान थे, ऐसा नहीं था।

पुनः जहाँ तक दूसरे सिद्धांत का प्रश्न है, यह उतना ही तर्कपूर्ण और ‘यायोचित’ था जितना कि प्रथम। इस सिद्धांत के अंतर्गत गोद लिये लड़कों के शासन में आश्रित राज्य ब्रिटिशों की अनुमति बिना सम्मिलित नहीं हो सकते थे। इसमें आश्रित राज्य का अर्थ ही अव्यवस्था का सूचक था। इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए ‘स्वतंत्र’, ‘आश्रित’ और ‘सहायक’ राज्यों में अंतर माना गया और डलहौजी की नीति आश्रित राज्यों पर ही लागू की गयी। पर यहाँ पर सभी बातों में भ्रम

था। पर तत्कालीन परिस्थितियों में भारत में यूरोप के स्पेन या पुतगाल या इंग्लैंड की तरह स्वतंत्र राज्य नहीं थे। और इस तरह 'सहायक' और 'आश्रित' राज्याएँ 'सहायक' और 'परतंत्र' राज्यों में अंतर और कठिनाइयाँ पैदा कर देता था। उदाहरणार्थ करौली का पुराना राजपूत राज्य डलहौजी ने अपहृत कर लिया। डाइरेक्टरो ने उसे 'संरक्षित मिन' बताया जबकि डलहौजी ने इसे 'सहायक राज्य' कहा और अपने हडप सिद्धांत के अंतर्गत ले लिया। जब 'परतंत्र' और 'सहायक' शब्दा में विवाद उठता तो डलहौजी अंतर स्पष्ट करने के लिए कहता कि यह नीति उन राज्यों पर लागू होती है जो "मूलतः ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किये हैं या वे राज्य जिन्हें अपनी पूर्व स्थिति के आधार पर सरकार से इस तरह जोड़ा है जिससे सरकार ने उत्तराधिकार के लिए गोद लेने हेतु अवशक्तिमान अधिकार प्राप्त किया है।" पर इसमें 'पूर्व स्थिति' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यह कहना तो गलत ही है कि ब्रिटिशों ने भारत में किसी राज्य की स्थापना की। इसमें सदेह नहीं कि ब्रिटिशों ने बिना युद्ध या युद्ध के आधार पर कुछ राज्यों की स्थिति स्वीकार की। पर नवीन स्थिति में तो ऐसी नवीन बातें सामन आती जैसे कि किसी अधे को आर्षें मिल जाने पर नवीन विश्व के दर्शन होते।

इसके अतिरिक्त दूसरे सिद्धांत से जुड़ा जो सिद्धान्त पुत्र के गोद लेने की आज्ञा से जुड़ा था वह भी सही नहीं था और इस कारण अवायव्य था। हिन्दुओं में पुत्र को गोद संपत्ति उत्तराधिकार के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए भी होता है जो मृत्यु के उपरान्त गोद लेनेवाले को प्राप्त होता है। एक हिन्दू जिसके पास पुत्र न हो उसके लिए गोद लेना आध्यात्मिक और धार्मिक आवश्यकता है। इस तरह इसकी केवल राजनीतिक उपयोगिता ही नहीं है। इसलिए इन परिस्थितियों में यह समझना कठिन है कि कैसे और किन परिस्थितियों में गोद लेने के अधिकार के लिए आज्ञा देने का कार्य कंपनी ने प्राप्त कर लिया।

इसके अतिरिक्त तीसरा सिद्धांत कि कंपनी गोद लेने पर रोक लगा सकती थी, यह बात भी इतिहास या तर्क परीक्षण पर खरी नहीं उतरती। मुगलों के पास यह अधिकार था। पर हिन्दू समाज में विचित्रता के हाते हुए भी वे राजकुमारों का गोद लेने से नहीं रोकते थे। इसलिए स्पष्ट रूप से यह अधिकार उन्हें कभी मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ होगा, पर हिन्दुओं में इसकी मान्यता नहीं थी। प्रारम्भ में ब्रिटिश भी मुगलों की तरह आगे बढ़े। 1831 में एक विशेष परिषद उस समय हुआ जब बम्बई की सरकार ने परिस्थिति के अनुसार इस तरह के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। यही नीति बाद में डाइरेक्टरो ने 1834 के प्रेषण में स्वीकार कर लिया। इसकी कच्चा ऊपर आ चुकी है। अब यह निश्चिन्त रूप में विश्वास किया जाने लगा कि गोद लेने की स्वीकृति के साथ अस्वीकृति का प्रश्न भी जुड़ा है। यह प्राप्त न नीति धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करने लगी और डलहौजी के शासन में यह



पराकाष्ठा को पहुँच गयी। तभी उसने सतारा, जैतपुर, सभलपुर, भगत, उदयपुर, क्षासी और नागपुर पर अधिकार किया।

सतारा—यह राज्य मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के मुख्य आवागमन मार्ग पर पड़ता था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का केंद्र होने के कारण मराठे इस स्थान को अधिक आदर देते थे। 1848 में सतारा के राजा शाहजी महाराज की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के पूर्व उसने डेक्कराव नामक लड़के को उत्तराधिकार के लिए गोद ले लिया। डलहौजी ने राज्य को 'ब्रिटिशों द्वारा बनाया' जान के कारण 'परतंत्र' मानकर गोद को अवध घोषित कर दिया। उसका कहना था कि सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गयी। डेक्कराव ने इस सन्तुति को स्वीकार कर लिया और राज्य पर अधिकार कर लिया गया।

जहाँ तक इस कदम के 'यायोचित' होने का प्रश्न है, इस 'ब्रिटिशों द्वारा बनाना' स्वीकार करना या 'परतंत्र राज्य' मानना दोनों तक पर खरा नहीं उतरता। प्रथम बात इसलिए गलत थी कि यह राज्य ब्रिटिशों के आने से बहुत पहले से था। सतारा का राजा पेशवाओं का शासक रह चुका था। वैसे वाद में पेशवाओं ने उसके अधिकार छोड़ लिए और उसकी स्थिति दब गयी। पर अपनी कमजोरी के बावजूद मराठों का आदर उसे मिलता रहा जो उसे महान शिवाजी का उत्तराधिकारी मानते थे और अपने भावनाओं को उसके साथ जोड़ते थे। मराठों को सन्तुष्ट करने के ही लिए 1819 में डलहौजी ने सतारा के शासक प्रताप सिंह से एक संधि की। इसे 1839 में पद से हटा दिया गया और उसका उत्तराधिकारी शाहजी महाराज हुआ।

'यायोचित' रीति से इसे 'परतंत्र' राज्य भी नहीं माना जा सकता था। 1818 में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि "सतारा का राजा जो बाजीराव के यहाँ कैद है उसे छोड़ दिया जायगा और उसे एक स्वतंत्र संप्रभुता का मालिक बनाया जायगा।" यह विशेष रूप से कहा गया कि 1819 में जो संधि ब्रिटिशों और राजा के बीच हुई थी वह दो समान लोगों के बीच थी और दोनों के बीच सदा के लिए चलेगी। 'सदा चलने वाली' और साथ ही 'स्वतंत्र संप्रभुता' शब्दों का प्रस्तुतीकरण ही डलहौजी के सिद्धांत को धूलधसरित कर देता है। सतारा के अपहरण का कोई औचित्य नहीं था इसके अतिरिक्त कि यह डलहौजी के साम्राज्यवादी स्वार्थ की पूर्ति करता था। आनल्ड ने अपने तर्कों की समाप्ति पर कहा है कि डलहौजी के लिए सतारा 'एक सपन पर अनियमित पारितोषिक' था।<sup>1</sup>

बरार—बरार जहाँ की सपन कपास पैदा करनेवाली भूमि मैनचेस्टर की औद्योगिक भूख को शांत कर सकती थी और जो निजाम हैदराबाद के क्षेत्र में पड़ता

था, ब्रिटिशों की दृष्टि में अत्यधिक लालचवा के द्र था। 1853 में इसका अपहरण इसलिए कर लिया गया क्योंकि निजाम ने अपनी रक्षा हेतु नियुक्त ब्रिटिश सेना के व्यय के लिए जो ऋण लिया था वह वापस नहीं किया जा सका था। डलहौजी का यह काय वंसा ही था जैसे उसके अग्र साम्राज्यवादी काय।

इस विषय पर विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है। 1800 की संधि के अंतर्गत निजाम के पास पहले से ही सहायक सेना थी। और अग्र इसका कोई आश्चर्य नहीं था कि पहले से उपस्थित सेना के अतिरिक्त अपनी सुरक्षा के लिए वह एक और ब्रिटिश सेना रखे। यह सैन्य दल भी निजाम को अपने व्यय पर सदा के लिए रखना था। प्रारंभ में इस नीति के माध्यम से सहायता की आवश्यकता भी रही हा पर अब वह विलुप्त समाप्त हो गया था। ऐसी कोई वैधानिकता भी नहीं थी जो उसे यह काय करने को बाध्य करती। रेजीडेण्ट लो से व्यक्तिगत बातचीत में 12 मार्च 1853 को निजाम ने यह पूछा कि चूंकि उसके यहां सेना पेशवा का विरोध करने के लिए संगठित की गयी थी और अब पेशवा पराजित हो चुका है, फिर "यह सेना युद्ध के बाद भी क्यों रकी हुई है?" रेजीडेण्ट का इस प्रश्न का उत्तर सरल और रुचिकर था। उसने निजाम से पूछा कि वह क्या 36 वर्ष पूर्व की बात के सदृश में उससे प्रश्न पूछ रहा है और विशेषकर 'जब मैं भारत के किसी भी भाग में उस समय नहीं था?' निजाम को डलहौजी के 6 जून 1851 के पत्र की याद दिलायी गयी जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया था कि "उसका विरोध मोल लेना खतरनाक है" और "उसका विरोध तुम्हें उसकी इच्छानुसार तबाह कर देगा।"<sup>1</sup> निजाम की कायरता ने ही उसे इस कष्ट की ओर ढकेला। वह व्यय नहीं दे सका, उसका ऋण बढ़कर 7,80,000 पौण्ड हो गया और फिर उममें एक नयी सेना आत्मरक्षा और ऋण के बदले अपने व्यय पर रखने को कहा जाने लगा।

निजाम के लिए ब्रिटिश भाग मानन के अतिरिक्त अग्र कोई सुरक्षित माग नहीं था। 1853 में एक नया समझौता हुआ जो अतकपूण रीति से संधि कहा गया। अतकपूण इसलिए कि निजाम ने इसपर हस्ताक्षर दबाव में किया। नयी संधि के अंतर्गत निजाम को बरार का राज्य ब्रिटिशों को प्रदान करना था। इसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये थी। संधि की शर्तें थी कि इसके राजस्व से ही ऋण की अदायगी की जायगी, ब्रिटिश सेना का वेतन इसी से दिया जायगा और यदि ब्रिटिशों के निरीक्षण में इसके बाद भी धन बचेगा तो उसे निजाम के खजाने में जमा कर दिया जायेगा। इस तरह उस निजाम के साथ यह व्यवहार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया जो उनके प्रति अति विश्वस्त था।

1 रहाम एम० ए० पूर्वोद्धत प० 183-189।

भासी—बरार पर अधिकार हड़प के सिद्धान्त के अतगत नहीं आता था। पर ज्ञासी आता था। ज्ञासी का क्षेत्र पेशवा द्वारा 1817 में अंग्रेजी कंपनी को अर्पित कर दिया गया था। हस्टिंग्स ने इसके बाद ज्ञासी की गद्दी पर राव रामचंद्र राव को बठाया और उसके साथ एक संधि की। संधि की दूसरी धारा के अतगत उसे अनवरत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी या नामित उत्तराधिकारी को उसका राज्य प्राप्त हो सकता था।

राव रामचंद्र राव ने 1835 तक शासन किया और उसके बाद उसकी नि सतान मृत्यु हो गयी। उसने एक बच्चे को गोद लिया, पर ब्रिटिशों ने उसे स्वीकृति नहीं प्रदान की। ब्रिटिश मृत्यु प्राप्त राजा के चाचा रघुनाथराव को वहा का उत्तराधिकारी मानते थे। 1838 तक रघुनाथराव शासन करके मर गया जिसके बाद उसका भाई गंगाधर राव उत्तराधिकारी हुआ। वह 1853 में मर गया। पर मृत्यु से पूर्व उसने आनंदराव को गोद ले लिया और रानी लक्ष्मीबाई को उसका संरक्षण प्रदान कर दिया। नियमानुसार उत्तराधिकार का समारोह हुआ पर ब्रिटिशों को इसकी सूचना बाद में भेजी गयी।

पर बिना उचित छानबीन और विचार किये डलहौजी ने राज्य को अपहृत घोषित कर दिया। उसने तक दिया कि 'ज्ञासी राज्य की परतंत्रता के कारण इसमें कोई झगडा नहीं है।' स्पष्टतया उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि डलहौजी ने इस कारवाई में तो 1817 के संधि की दूसरी धारा पर ही विचार किया और न ही 1817 व 1853 के बीच आये उत्तराधिकार की घटनाओं को ही मद्देनजर रखा। पोलिटिकल एजेंट मैलकाम के अनुसार 'लक्ष्मीबाई का चरित्र श्रेष्ठ है और ज्ञासी में प्रत्येक व्यक्ति उसका आदर करता है।' 1 ज्ञासी 1857 के विद्रोह के अवसर पर तूफानी के द्र रहा।

नागपुर—नागपुर भी सतारा की तरह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के आवागमन-मार्ग में पड़ता था। कपास उत्पन्न करनेवाले उबरा क्षेत्र बरार पर ब्रिटिशों ने पहले ही अधिकार कर लिया था। पर यह एक ऐसा राज्य था जिसके लिये जाने के लिए कोई माग नहीं था। नागपुर से हाकर ही माग हो सकता था इसलिए इस क्षेत्र में रुचि का जागरण हुआ।

नागपुर का शासक रघुजी 1853 में नि सतान मर गया। उसने उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी का गोद भी नहीं लिया। पर अपनी मृत्यु से पूर्व उसने ब्रिटिशों से इसलिए आना प्राप्त करने का लिए प्रार्थना की थी जिससे कि उसे ब्रिटिशों के अस्वीकार न कर सकें। अनुमति की तो बात ही नहीं इस विषय पर विचार करने में तबतक की देर कर दी गई जबतक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके

राज्य का भविष्य क्या होगा यह जाने बिना ही वह चल बसा। पर मृत्यु शय्या पर जब वह था तभी उसने रानी को एक लडका गोद लेने के लिए कहा। उसने इस स्थान के लिए अपने सगौत्री यशवन्तराव को चुना। इसने उसके चिता की अग्नि भी प्रज्वलित की।

अब विधवाओं द्वारा पुत्र गोद लेने के प्रथा की भी कमी नहीं थी। हिन्दू विधि में एक विधवा को ऐसा करने की आज्ञा थी। ब्रिटिशों ने भी ऐसा कई अवसर पर अनुमति प्रदान की थी। जनकजी सिधिया की विधवा ने 1836 में एक पुत्र को गोद लिया। उसी तरह 1841 में किशनगढ़ की विधवा ने भी गोद लिया था और ब्रिटिशों ने इस स्वीकृति प्रदान की थी।

पर हमारे समझ में नहीं आता कि नागपुर के सबंध में किस कारण डलहौजी ने इसे स्वीकृति नहीं प्रदान की। रघुजी की विधवा ने यशवन्तराव को नियमत गोद लिया। वैसे दरबार में शाक के कारण आवश्यक समारोह कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दिये गए। इसके अतिरिक्त यह भी आशा थी कि इस बीच ब्रिटिशों से अनुमति भी प्राप्त हो जायगी।

शोक सतप्तता समाप्त होने पर रानी ने रेजीडेंट से आवश्यक समारोह करने की अनुमति मांगी। पर चूकि डलहौजी इसे स्वीकार की मन स्थिति में नहीं था इसलिए उसने धोपणा की, "राजा की मृत्यु हो गई और उसने जानबूझकर किसी को गोद नहीं लिया। उसकी विधवा ने उत्तराधिकारी के लिए किसी को गोद नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार ने जिस राज्य को 1818 में राजा और उसके उत्तराधिकारियों का प्रदान किया था। राजा के नि सतान मरने पर ब्रिटिशों के हाथ में वापस आ गया है। याय परपरा और पूव उदाहरण सरकार को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह जा उचित समझे करे।" राजा के बार बार निवेदन और विधवा की प्रार्थना को गुप्त रखा गया। बल्कि इसके स्थान पर दोनों को राज्य बेहतर शासन के लिए ब्रिटिशों को सौंपने के लिए बुद्धिमान कहा गया। रेजीडेंट दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारियों के विरुद्ध पिल पडा, राज्य के खजाने को सील कर दिया। यहां तक कि राज्य के भण्डार तक पर नियंत्रण कर लिया गया। राज्य को अपहृत घोषित कर दिया गया।<sup>1</sup>

डलहौजी का तब इस तरह नतिकता और सोच विचार पर आधारित नहीं था। प्रथम तो गोद लेने के लिए बार बार प्रार्थना की गई थी और दूसरे, गोद लिये बिना भी पूव और पश्चिम के नियमा के आधार पर यशवन्तराव वैधानिक उत्तरा-

1 और विस्तार के लिए देख, ली वानर द लाइफ आफ माक्सवस आफ डलहौजी (दो भागों में) प्रसाद एस० एम० परामाउट्टसी अंडर एलपीडी रहमि एम ए० साह डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन आफ द कान्ड एण्ड अनेक्सड स्टेट्स प० 223-24।

धिकारी था। यहाँ तक कि ली वानर जो लाइ डलहौजी का पक्षधर था डलहौजी की आलाचना किये बिना नहीं रह सका।<sup>1</sup>

आग्न-अवध सबध—जति साधन सम्पन्न और उवरा क्षीत्र अवध, कम्पनी के शासन स्थापना के बाद युद्ध की दृष्टि सती महत्त्वपूर्ण नहीं था, पर ब्रिटिशों की गिद्ध दृष्टि इस ओर थी। इस राज्य में मम्बद्य स्थापित होने के प्रारम्भ से ही ब्रिटिश अपनी पकड़ धीरे धीरे निश्चित रूप से यहाँ मजबूत करने के चक्कर में थे। प्रत्येक नवाब की मृत्यु का लाभ प्राप्त कर अपने खास व्यक्तियों को गद्दी दिला कर और उनसे पर्याप्त इनाम प्राप्त कर अतन् डलहौजी के काल में 1856 में इसे डहने हडपु लिया। राज्य हडपने के काल तक का अवध का पूव इतिहास ब्रिटिश धृतता की रुचिकर गाथा है जिससे पता चलता है कि कमजोर और सीधे को आक्रामक ढंग से कैसे तग किया जा सकता है।

1773 में प्रथम बार नवाब अवध ने रोहिलखण्ड पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता मागी। इसके लिए युद्ध-मय का वहन करने को वह तैयार हुआ और 50 लाख रुपये अलग से देने को। अनियमित ढंग से दी गई यह आर्थिक सहायता थोड़े ही काल में ब्रिटिशों की एक नियमित नीति बन गई। संधियों पर हस्ताक्षर हुए और अवध की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन के बदले एक नियमित सेना नियुक्त कर दी गई। इस तरह आंतरिक कठिनाइयों और बाह्य आक्रमणों की समस्या से मुक्त हो नवाब अपनी जनता के प्रति कर्तव्यों के प्रति उत्साहवान और अनुत्तरदायी हो गये। उसकी फिजूलखर्ची बढ़ गई और उसकी आर्थिक सहायता की नीति न ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कम्पनी को दिया जाने वाला धन बकाया रहने लगा। वारेन हेस्टिंग्स ने रूपया के लिए नवाब पर दबाव डाला और उसे बाध्य किया कि वह ब्रिटिशों की सहायता से फैजाबाद में रहे वाली अपनी माँ और आजी के धन की बसूली करे। ब्रिटिश सेना इन महिलाओं के निवास पर भेजी गई और 'उनकी सेना में हिजडा को कैद कर, भूखो मारकर या चेतावनी देकर दिसम्बर 1782 में खजाना का धन ली लिया गया।'

अवध की जनता की दशा इतनी योग्य नहीं थी। वे वैर्दमान राजस्व अधिका-रियों से त्रस्त थे जो हर बहाने पैसा लेने की चेष्टा करते थे। यदि वे विद्रोह करत तो उन्हें नवाने के लिए ब्रिटिश सहायक सेना मौजूद थी। कभी-कभी पूरे जिले का राजस्व एक अंग्रेज को बसूलने का उत्तरदायित्व दे दिया जाता। ऐसे में ऐसा लगता कि मासल ला लागू कर दिया गया है। 'ऐसा कहा जाता है कि राजस्व

1 और विस्तार हेतु दखें सी वानर २ लाइफ आफ द मार्क्विस डलहौजी, और ली वानर द प्रोव्क्ड प्रिन्स आफ इण्डिया।

2 मनुमन्तर एण्ड अन्स एडवार्ड्स हिस्ट्री आफ इण्डिया प० 696।

माग की पूर्ति के लिए पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। घन न दे पाने वाले खुले पिंजड़ों में रखा दिया जाते थे और लोग दौड़ती पीछा करती हुई सेना से बचने के लिए घेत बारी तक छोड़ देते थे।<sup>1</sup>

जैसा पहले बताया आये है, ब्रिटिशों ने प्रत्येक गयाय के मरने का ताग उठाया था और उसके उत्तराधिकारी से अधिक उत्तम शर्तें प्राप्त कीं। उदाहरणार्थ 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई। ब्रिटिशों ने पहले बजीर अली को गयाधी दितार्थ और फिर हटा दिया और उसके स्थान पर सादत अली को गयाय बना दिया। गग नवाब के साथ नयी संधि की गई जिसके अंतर्गत वह और अधिक आर्थिक महामरता देने को तैयार हो गया, इलाहाबाद का किला उन्हें दिया और बिगो विन्धा राज्य से संपत्ति न करने का आश्वासन दिया और साथ ही ब्रिटिशों का आर विन्धी जय यूरोपीय को अपने राज्य में धरने न दे के लिए आश्वासन दिया। धनजयी ग अवध में महायव सेना में वृद्धि कर दी जिसमें नवाब के पक्ष में 50 लाख रुपय की वृद्धि हो गई। नवाब चूक अतिरिक्त आर्थिक व स महन करण की स्थिति में गया था इसके लिए हमें एवज में उमन रोहिलगढ़ और ताजपुर दावान ब्रिटिशों का दे दिया। यह ब्रिटिश रजिस्ट्रार की इच्छानुसार काय करण का भी तैयार हुआ।

उन परिस्थितियों में देश का प्रशासन ढीला और भ्रष्टाचारपूर्ण जाता ही था। अत्यधिक भ्रमानक तरह की हत्यायें जाती थीं और उनका कारण के लिए उचित 'साय' न था। बिस् ना की खुन धर्मन की कमाई सरकार निचाए ली थी। नवाब विद्रोह की चिंता न होने दिना उनानखान में आनंद न था। नयी निष्ठा है, 'अवध के शासन चाह के उनी' हा का राजा निर्गुण होने की चिंता नहीं रखते थे। वे यथास्थिति में विनास करने थे। विनाशिता आर प्रवृत्ति में धम, रिश्वत विषय भी श्री को सिना देने वाला था वे नवाब का राजा और परिश्रमी लोग के द्वारा पर नाचने थे और वे एक एक दिने की दरमन में करन थे जब तक ये नव दरकी ही इन मुख की चोरे मुंदा कट रहन थे।' अवध का राजा के पास मरवा था रिश्वत नवाब को कमाई देना था। केने के उद्योग पर हम आ म दर ग। अद्यतक नवा है कि ए... द में है नह की उद्योगों का व्यापक है।<sup>2</sup>

ब्रिटिशों ने 1797 में अवध के राजा को हटा दिया और उसके स्थान पर सादत अली को गयाधी दितार्थ और फिर हटा दिया और उसके स्थान पर सादत अली को गयाय बना दिया। गग नवाब के साथ नयी संधि की गई जिसके अंतर्गत वह और अधिक आर्थिक महामरता देने को तैयार हो गया, इलाहाबाद का किला उन्हें दिया और बिगो विन्धा राज्य से संपत्ति न करने का आश्वासन दिया और साथ ही ब्रिटिशों का आर विन्धी जय यूरोपीय को अपने राज्य में धरने न दे के लिए आश्वासन दिया। धनजयी ग अवध में महायव सेना में वृद्धि कर दी जिसमें नवाब के पक्ष में 50 लाख रुपय की वृद्धि हो गई। नवाब चूक अतिरिक्त आर्थिक व स महन करण की स्थिति में गया था इसके लिए हमें एवज में उमन रोहिलगढ़ और ताजपुर दावान ब्रिटिशों का दे दिया। यह ब्रिटिश रजिस्ट्रार की इच्छानुसार काय करण का भी तैयार हुआ।

1 ... 9-10 ... 2-21

धिकारी था। यहाँ तक कि ली वानर जा लाइ डलहौजी का पत्त घर था डलहौजी की आलोचना किये बिना नहीं रह सका।<sup>1</sup>

आग्न-ज्वध सबध—अति साधन-मम्पन और उवरा क्षेत्र अवध, कम्पनी के शासन स्थापना के बाद युद्ध की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण नहीं था, पर ब्रिटिशों की मिद्ध दृष्टि इस ओर थी। इस राज्य से सम्बन्ध स्थापित होने के प्रारम्भ से ही ब्रिटिश अपनी पकड़ धीरे धीरे निश्चित रूप से यहाँ मजबूत करने के चक्कर मये। प्रत्येक नवाब की मृत्यु का लाभ प्राप्त कर, जपन पास व्यवस्था का गद्दी दिलाकर और उनसे पर्याप्त इनाम प्राप्त कर अतन् डलहौजी के बाल म 1856 म इस इन्होंने हड़प लिया। राज्य हड़पने के बान तक का अवध का पूव इतिहास ब्रिटिश घृतता की रुचिकर गाथा है जिससे पता चलता है कि कमजोर और सीधे को आत्रामक ढग से कैसे तग किया जा सकता है।

1773 म प्रथम बार नवाब जवध न रोहिलखण्ड पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता मागी। इसके लिए मुद्ध व्यय का वहन करने को वह तैयार हुआ और 50 लाख रुपय जलग से दन को। अनियमित ढग से दी गई यह आर्थिक सहायता थोडे ही बाल म ब्रिटिशों की एक नियमित नीति बन गई। सधिया पर हस्ताक्षर हुए ओर अवध की आतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन के बदले एक नियमित सेना नियुक्त कर दी गई। इस तरह आतरिक कठिनाइयों और बाह्य आक्रमणों की समस्या से मुक्त हा नवाब अपनी जनता के प्रति कृतव्या के प्रति असावधान और अनुत्तरदायी हो गये। उसकी फिजूलखर्ची बढ गई और उसकी आर्थिक सहायता की नीति न ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कम्पनी को दिया जाने वाला धन बकाया रहन लगा। बारेन हेस्टिंग्स ने रुपया के लिए नवाब पर दबाव डाला और उसे बाध्य किया कि वह ब्रिटिशों की सहायता से फौजाबाद म मे रहने वाली अपनी मा और आजी से धन की वसूली करे। ब्रिटिश सेना इन महिलाओं के निवास पर भेजी गई और उनकी सेना मे हिजडा को कैद कर, भूखा मारकर या चेतावनी देकर दिसम्बर 1782 म खजाने का धन ले लिया गया।<sup>2</sup>

अवध की जनता की दशा ईर्ष्या योग्य नहीं थी। वे बेईमान राजस्व अधिका-रियों से त्रस्त थे जो हर बहाने पसा लेने की चेष्टा करते थे। यदि वे विद्रोह करते तो उन्हें दवाने के लिए ब्रिटिश सहायक सेना मौजूद थी। कभी-कभी पूरे जिले का राजस्व एक अंग्रेज को वसूलने का उत्तरादायित्व दे दिया जाता। ऐसे मे ऐसा लगता कि मासल ला लागू कर दिया गया है। 'ऐसा कहा जाता है कि राजस्व

1 और विस्तार हेतु दखें सा वानर व लाइफ आफ द मार्विस डलहौजी, और ली वानर द प्रोटक्ल प्रिन्स आफ इण्डिया।

2 मजूमदार एण्ड अदस एडवान्ट हिस्ट्री आफ इण्डिया प० 696।

माग की पूर्ति के लिए पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। धन न दे पाने वाले खुले पिंजड़े में रख दिये जाते थे और लोग दौड़ती पीछा करती हुई सेना से बचने के लिए खेत बारी तक छोड़ देते थे।<sup>1</sup>

जैसा पहले बता आये है, ब्रिटिशों ने प्रत्येक नवाब के मरने का लाभ उठाया था और उसके उत्तराधिकारी से अधिक उत्तम शर्तें प्राप्त कीं। उदाहरणार्थ 1797 में आसपुद्दोला की मृत्यु हो गई। ब्रिटिशों ने पहले बजीर अली को नवाबी दिलाई और फिर हटा दिया और उसके स्थान पर सादत अली को नवाब बना दिया। नय नवाब के साथ नयी संधि की गई जिसके अंतगत वह और अधिक आर्थिक सहायता देने को तैयार हो गया, इलाहाबाद का किला उन्हें दे दिया और किसी विदेशी राज्य से संपत्ति न करने का आवासन दिया और साथ ही ब्रिटिशों को छोड़ किसी अन्य यूरोपीय को अपने राज्य में बसने न देने के लिए आश्वस्त किया। बलजली ने अवध में सहायक सेना में वृद्धि कर दी जिससे नवाब के खर्च में 50 लाख रुपये की वृद्धि हो गई। नवाब की अतिरिक्त आर्थिक बंधन सहन करने की स्थिति में नहीं था इसके लिए इसके एवज में उसने रोहिलखंड और लोअर दोआब ब्रिटिशों को दे दिया। वह ब्रिटिश रेजीडेन्ट की इच्छानुसार कार्य करने को भी तैयार हुआ।

इन परिस्थितियों में देश का प्रशासन ढीला और भ्रष्टाचारपूर्ण होना ही था। अत्यधिक भयानक तरह की दृष्टियाँ होती थीं और उनको रोकने के लिए उचित यायाव्य न थे। विस नो की खून पसीने की कमाई सरकार निचोड़ लेती थी। नवाब विद्रोह की चिंता किए बिना जनानखाने में आनंद लेते थे। केयी लिखता है, “अवध के शासक चाहे वे बजीर हो या राजा निरकुश होने की शक्ति नहीं रखते थे। वे यथार्थता में विश्वास करते थे। विलासिता और प्रदूषण में फसे, जिसका विवेक भी जी को फिना देने वाला था, वे नवाब दलालों और परिश्रमी लोगों के दृश्यों पर नाचते थे और वे तब तक किसी चीज की परवाह नहीं करते जब तक ये तत्त्व उनकी इन्द्रिय सुख की चीजें मुहैया करते रहते थे।” अवध दोहरे शासन के पाप से दबा था जिसमें नवाब और कम्पनी दोनों थे। केयी के अनुसार इन प्रभावों में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पूरे राज्य में हर तरह की अव्यवस्था व्याप्त थी।<sup>2</sup>

ब्रिटिशों ने यह समझ दिखाने की जगह पर कि उन्होंने ही अवध में अव्यवस्था उत्पन्न की है नवाब पर ही मारा दोषारोपण किया। बलजली ने पूरे देश की जनता का शुभचिंतक अपने को बताते हुए यह घोषणा की कि “अवध प्रांत को विनाश से बचाने के लिए कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती।” हा, ब्रिटिश महा

1 मजूमदार द सीपाय म्यूटिना प० 9 10 अहमद सफ़ी ब्रिटिश अग्रसन इन अवध।

2 केयी सरजान ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इण्डिया कम्पनी प० 242।



पर स्वयं अपना नागरिक और सैनिक प्रशासन स्थापित कर सकते हैं।

नवाब की ब्रिटिश रेजीडेण्ट के मतानुसार काय करना था और उसने यह काय विश्वस्तता के साथ किया। इन परिस्थितियों में यह समझ में नहीं आता कि नवाब को ही अवध के मामले में दोषी कैसे ठहराया जाय। पर इसी आरोप की तलवार गले के ऊपर लटकाई गई।

बेलजली के बाद, लाड हेस्टिंग्स एव एमहस्ट की नवाब की ब्रिटिशों के प्रति विश्वस्तता में कोई शक नहीं था। लाड हेस्टिंग्स तो नवाब के द्वारा नेपाली और बर्मी युद्धों के अवसर पर कम्पनी के पास अग्रिम धन भेजने से इतना प्रसन्न था कि उसने उसे राजा की उपाधि प्रदान कर दी। पर जब इन युद्धों ने नवाब की आर्थिक सहायता के बावजूद ब्रिटिशों का खजाना खाली कर दिया और चूकि अवध स खजाने में धन आने की संभावना थी इसलिए ब्रिटिशों ने पुनः महा पर कुशासन की छाया देख ली। उसने घोषणा की कि यदि वह अपना काय ठीक से नहीं करता 'जिससे कि जनता समृद्धि की ओर जा सके तो पूरे क्षेत्र का प्रबंध कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जायगा और राजा को बंदी बना दिया जायगा।'

पर राज्य का अपहरण जनता को समृद्ध करने के लिए प्रस्तावित करना वैधानिक रूप से उचित नहीं था। लाड आक्लैंड ने 1837 में परिस्थिति को ठीक करने की चेष्टा की। इस वर्ष अवध के नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। विधवा रानी ने एक पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। पर आक्लैंड ने उस स्वीकार न कर मुहम्मद अली साहब को इस पद पर स्वीकार कर लिया। इसके साथ सितम्बर में एक नयी संधि की गई।

नयी संधि की शर्तों के अन्तर्गत अवध में एक नयी सहायक सेना रख दी गई जिस पर 16 लाख रुपये व्यय होने थे। कुशासन की स्थिति में राज्य प्रबंध पर अधिकार पाने की धारा भी संधि में जोड़ी गई। यह एक आश्चर्यजनक संधि थी जिसे 'सर्वशक्तिशाली की शक्ति प्राप्त है' के नियम के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जा सकता था। पर ईश्वर की ही कृपा थी कि कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया और लाड आक्लैंड ने यह भी कहा गया कि वह इसकी सूचना नवाब को तुरंत दे दे। पर आक्लैंड ने अपने मालिकों को भी धोखा दिया क्योंकि उसने नवाब को इसकी सूचना भी न दी और उन्हें यह कहला दिया कि सूचना दे दी गई है। सच तो यह था कि इसे गुप्त रखा गया और नवाब को केवल सूचना दी गई कि उस सहायक सेना के लिए व्यय से मुक्त कर दिया गया है जिससे उसको लगा कि संधि की शेष शर्तें यथावत् लागू हैं।

स्थिति ऐसी ही तब तक चलती रही जब तक कि कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को इसकी जानकारी नहीं हो गई। संधि की शर्तें सरकारी रिकार्डों में मिलीं। हम यह सूचना प्राप्त होती है कि सर हेनरी लार्सेन ने यस्म बात अवध' में 1844 में

इसको सर्दभित किया। 1847 में लाड हार्डिंज ने अवध में कुशासन की चेतावनी को दुहराया और सधि को सर्दभित किया जो महत्त्वपूर्ण है।

हमें पता है कि डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल होकर 1848 में आया। 1849 में प्रसिद्ध साम्राज्यवादी स्लीमैन को अवध का रेजीडेंट बनाया गया। डलहौजी ने उसे अवध पर एक रिपोर्ट तैयार का आदेश दिया जिसमें उसने इसका बाला चित्र खींचा। रिपोर्ट में अवध के कुछ अनुत्तरदायी गद्दारा का नाम भी जोड़ा गया जो यह चाहते थे कि ब्रिटिश इस क्षेत्र का शासन सभाल लें। 1851 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 1854 में कनल आउट्रम अवध के रेजीडेंट पद पर स्लीमैन का उत्तराधिकारी हुआ और उसने एक नयी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दी। पर उसने कोई बेहतर प्रयास नहीं किया।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर एक मिनिट तैयार किया जिसमें उसने राय दी कि अवध में कुशासन के कारण इसका शासन कम्पनी के हाथ में कर दिया जाना चाहिए। पर साथ ही अपनी विश्वस्तता के लिए नवाब को अपनी उपाधि बनाये रखने की अनुमति दी गई। उसने और आगे परामर्श दिया कि यदि वह इस राय को न माने तो 1801 की सधि को समाप्त कर दिया जाय और उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाय। पर डलहौजी के कौंसिल का मत इस पर विभाजित था। बहुमत 1801 की सधि समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। यह स्थिति कुछ समय तक चलती रही। इसके बाद गृह अधिकारियों ने डलहौजी के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और इसके स्थान पर राज्य को अपहूण कर लेना कहा। नवाब वाजिद अली शाह को पद छोड़ देने को कहा गया और उसने राज्य का अपहरण की घोषणा डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को कर दी। इस अवसर पर उसने कहा कि "ब्रिटिश सरकार ईश्वर और आदमी दोनों की दृष्टि में गुनहगार होगी यदि यह लाखों की हानि करने वाले प्रशासन को चलती रहने देगी।"<sup>1</sup> इस तरह स्वतंत्र या अर्द्ध स्वतंत्र अवध के राज्य की कहानी खत्म हो गई।

सच तो यह था कि डलहौजी अवध की ओर लालची दृष्टि से बहुत पहले से देख रहा था। 18 सितम्बर 1848 को उसने एक मित्र को लिखा "मेरे पास दो अर्थ राज्य अवध और हैदराबाद हैं। इन्हें हम शीघ्र ही अपने प्रबन्ध में लेना चाहते हैं।" किसी और स्थिति में उसने पुन लिखा, "अवध चेरी की भांति किसी भी दिन हमारे भूह में गिर सकता है।" पर वह इस बात के लिए आश्वस्त नहीं था कि "बोट आफ डाइरेक्टस उसे पेड हिलाकर उस फन को नीचे गिरने देगा।" पर आउट्रम के रिपोर्ट से वह अति प्रसन्न था क्योंकि वह अवध शासक के विरुद्ध इमम

बहुत कुछ लिखा गया था। स्लीमन और आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर जाल-साजी पूण रिपोर्ट व सस्तुति जम डनहोजी ने डाइरक्टरा को भेजी उसी समय 12 मई 1855 को अपने मित्र को उसने लिखा, “एसा मामला बनाकर उनके पास प्रेषित किया गया है कि वे अपने को रोक न पायेंगे।” 2 मई 1855 को उसने लिखा कि “नबाव न तो बुरा ही मानेगा और न लडेगा ही। बल्कि बिना विद्रोह भाव के वह हमारी हर चोट बरदाश्त करेगा।”<sup>1</sup>

पी० ई० रावटस ने लिखा है कि “यह राष्ट्र के प्रति एक घोर विश्वासघात था। पर इसके लिए गृह अधिकारी उत्तरदायी थे न कि लाड डनहोजी, इस क्षेत्र पर अधिकार किसी भी तक के आधार पर उचित नहीं है।” यह बताना कि यह कारवाई जनता के हित में नबाव के विरुद्ध की गई थी, उचित नहीं है क्योंकि फिर इसी जनता ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का विरोध किया था। और यदि यह सच भी हो कि जनता नबाव से असंतुष्ट थी और बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव से सतुष्ट थी तो भी। किसी भी नतिक स्तर के आधार पर एक विदेशी शक्ति द्वारा राज्य का अजहरण उचित नहीं माना जा सकता।

यह भी सच नहीं है कि अजहरण के उपरान्त अवध का प्रशासन ईप्पालु स्थिति तक उत्तम हो गया। जिस तरह से प्रशासन को हाथ में लिया गया वह अवाचार पूण था। बेयी ने लिखा है ‘हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि हमारे अधिकारियों ने लखनऊ के राजमहलों को डूबाना और कुत्ताघरा में बदल दिया, नबाव की कमसिन महिलाओं, पुत्रियों और सगिनियों को गृहविहीन असहाय इधर उधर भटकने को छोड़ दिया गया, खजाना रखने वाला स्थान हिसक डग से तोड़ा खोला और बर्बाद किया गया, राज परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त हेतु लोहारों का प्रयास किया गया और नबाव की जनता के साथ घृणित व अपमानजनक व्यवहार किया गया जो हमारे लिए एक कलक है।’<sup>2</sup>

अजहरण के परिणामस्वरूप दरबार पर आश्रित तमाम लोग इधर उधर भटकने लगे। वैसे ऐसे आपातकाल के लिए कुछ सहायता की व्यवस्था थी पर उससे कहा पूरा पडता था। अवध के साठ हजार सैनिकों में से मात्र 1/4 को ही फिर नौकरी मिल सकी। शेष गलियों कूचा में टहलने के लिए छोड़ दिए गये। अजहरण के बाद राजस्व की दर में बुद्धि ने किसानों को शासन से दूर कर दिया। दूमरी आगाव के जंगलों के माध्यम से गांव से सीधे कर वसूली ने तालुकदारों

1 बेयड, जे० जी० ए० पाइपेट लेग्स आफ द माकिंग ऑफ डनहोजी लदन 1911  
रहीम एम० ए० पूर्वोद्धत प० 315 17 से लिया गया।

2 रावटस, पी० ई० हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया पृ० 362।

3 बेयी ऐण्ड मैलीसन हिस्ट्री आफ इंडियन म्यूटिनी, (6 भाग में) भाग 1 पृ० 232।

को पुरानी प्रथा वापसी के लिए चिल्लाने को बाध्य कर दिया। अफीम पर कर काफी बढ़ा दिया गया "अथ आवश्यक वस्तुओं पर भी कर बढ़ा दिया गया।" बेयी आग लिखता है कि "यह कर ठकेदारी प्रथा द्वारा या मीधे कर जागेपण द्वारा बढ़ाये गये। बढ़े हुए औपचारिकताओं सहित नवीन 'यायालयीय प्रणाली, इसमें हाने वाली देर और व्यय के कारण कठिनाइयाँ बढ़ रही थी और लोक-प्रियता में भी कमी आ रही थी।"<sup>1</sup>

सक्षेप में अपहरण का मूल परिणाम यह हुआ कि सभी वर्गों के लोग ब्रिटिशा से दूर हो गये और उन्होंने 1857 के विद्रोहिया के लिए उत्तम पृष्ठ भूमि की रचना कर दी।

**वृत्तियों और उपाधियों की समाप्ति**—डलहौजी ने क्षेत्रों और राज्या के अपहरण के अतिरिक्त अनेकानेक उपाधियाँ और वृत्तियाँ का भी अपहरण किया। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि ये व्यक्तिगत थीं इस कारण इसे प्राप्त करने वाले वाय की मृत्यु के बाद हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत यह भी समाप्त हो जाती है।

**घोड़ पत नाना साहब**—वृत्तियों के क्षेत्र में समाप्ति का एक ऐसा ही सबसे महत्वपूर्ण मामला पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिये गये पुत्र घोड़ पत नाना साहब का था। बाजीराव द्वितीय को 1819 में तृतीय मराठा युद्ध में समर्पण के उपरांत कानपुर के निकट बिठूर का नगर और 8 लाख रुपये वार्षिक की वृत्ति प्रदान की गई थी और उसका पेशवा का पद समाप्त कर लिया गया था। 1852 में पेशवा निःसन्तान मर गया। पर वह अपने पीछे अपने अधिकार का उपभोग करने हेतु अपना गोद लिया गया पुत्र घोड़ पत नाना साहब को छोड़ गया। पर डलहौजी ने उसे वृत्ति न देने की घोषणा की। नाना साहब ने ब्रिटिशा के पास कई ध्यय अपीलें की पर बेयी के शब्दों में उसे "कठोर" व अपमानपूर्ण व्यवहार ही उत्तर में प्राप्त हुआ। अपमानित और क्रुद्ध नाना को ब्रिटिशा के विरुद्ध विद्रोह के लिए बाध्य होना पड़ा।

**कर्नाटक का नवाब**—हड़प के सिद्धांत का दूसरा शिवार कर्नाटक के नवाब मुहम्मद गौस का उत्तराधिकारी अजीम जाहू हुआ। नवाब को 1855 में निःसन्तान मृत्यु हो गई। किसी भी ढंग से सोचने पर अजीमजाहू नवाब के अधिकारों का उत्तराधिकारी था। उसने इसके लिए मद्रास के गवर्नर लार्ड हैरिस के पास प्रार्थना भेजी। पर हैरिस ने लार्ड डलहौजी को लिखा कि उपाधि और वृत्तिपूर्ण व्यक्तिगत चीज है और "राजत्व का चिह्न शक्ति के अभाव में एक मजाब ही है और हानिप्रद भी। यह अराजनीतिक और बेवकूफी है कि लोग का देय दिया



व्यथा उतनी ही हृदयद्रावक थी जितनी कि अय। तजीर परिवार मे स्त्रियो को अधिकार से कभी वचित नही किया गया था। उदाहरणाय सूजनवाई को पाचवें महाराजा की मृत्यु पर उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था और इस पर कोई आपत्ति नही की गई थी। वतमान मसले मे विधवा ने मद्रास के सुप्रीमकोर्ट मे मुकदमा दायर कर अपने पक्ष मे एक स्थगनादेश प्राप्त किया। पर कपनी ने प्रीवी कौंसिल मे अपील दायर की जिसमे गुण दोष को ध्यान मे न रखकर इस आधार पर विपरीत निणय दे दिया कि "यह एक राजा का निणय था और नगरपालिका का न्यायालय इस सबध मे निणय नही कर सकता था।" पर फिर भी लाड किंगसटन जिसने निणय दिया था यह कहे बिना नही रह सका कि, "ईस्ट इडिया कपनी को प्राप्त वे वैधानिक अधिकार जिसके आधार पर उसने यह निणय किया, इन कागजो मे दूढ पाना अति कठिन है। इस राज्य या राजा के मृत्यु के बाद उसकी सपत्ति पर उसने अधिकार कैसे प्राप्त किया?" इस सबध मे जो तक आगे बढ़ाये गये वे थे "निस्सदेह राजा स्वतन्त्र शासक था और अपने पडोसी से शक्ति व सधि द्वारा आवद्ध था जिसके कारण उसकी स्वतन्त्रता उतनी न रहती थी और वह अपने क्षेत्र पर इस तरह अधिकार भी नही रख पाता था। पर फिर भी वह ब्रिटिश या ईस्ट इडिया कम्पनी का सहायक नही लगता।" और दूसरे कपनी के पास इन राज्यों को हडपने का कोई बहाना भी नही था।" किसी राजा के नि सतान करने पर कानूनी तरीके से वह वहा अधिकार नही कर सकती थी।' इस तरह इस सबध मे डलहौजी की कारवाई तर्कों पर आधारित नही थी।

### सवैधानिक परिवर्तन

डलहौजी के काल मे जो सवैधानिक कदम उठाया गया वह सबसे महत्वपूर्ण था। उसके काल मे 1853 का जो चाटर ऐक्ट पारित किया गया उसने भारत मे ससदीय शासन के पद्धति का श्रीगणेश किया। चाटर ऐक्ट की अलग से व्याख्या आवश्यक है

#### 1853 का चाटर ऐक्ट

1833 के चाटर ऐक्ट के उपरांत और 20 वर्ष व्यतीत हो गये और अब ईस्ट इडिया कपनी के चाटर का नवीनीकरण आवश्यक हो गया था यदि इसको अपना अस्तित्व बनाये रखना था। 1853 के चाटर ऐक्ट की परिस्थितिया जो इस तरह का अतिम वैधानिक प्रयास था, का विवेचन इसे समझने के लिए आवश्यक है।

ब्रिटिश ससद की भारतीय मामला मे बढ़ती रुचि ने उनमे भारत पर अपने पकड को अधिक मजबूत बनाने की भी प्रेरणा दी जिससे डाइरेक्टरो की शक्ति में

और कटौती की आवश्यकता पड़ी। 1833 के चाटर की एक धारा के अनुसार उनकी सुरक्षण शक्ति में कटौती कर दी गई थी। पर इस धारा को कुछ ही समय बाद 1834 में परिवर्तित कर डाइरेक्टरो को सुरक्षण शक्ति पुन प्रदान कर दी गई थी। 1833 के ऐक्ट की 87वीं धारा का उचित रूप से प्रभावी नहीं बनाया गया। इस धारा में कंपनी की सेवा में भेदभाव न अपनाने के लिए आश्वस्त किया गया था। पर भारतीय छात्रों को अत्यधिक व्यय कर इंग्लैण्ड जाकर सेना के लिए योग्य होना पर भी निराश होना पड़ता था। 1833 के ऐक्ट के पुन परिवर्तन में डाइरेक्टरो को सेवा संबंधी पुरानी प्रथा को चलते रहने देने में सहायता की थी और इस तरह उपरोक्त धारा बेकार हो गई थी। 'इंडियन ला कमीशन' के चेयरमैन कॅमरो ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि "पिछले 20 वर्षों में एक व्यक्ति को भी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया गया है जो स्टैच्यूट के अनुसार योग्यता नहीं रखते।" धारा 87 के अंतर्गत कुछ किया जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत से भारतीय पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और सरकारी सेवाओं के प्रति उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ही जानी थी यदि उन्हें असतोष की छाया से बचाया जाना था।

यह मांग भी तज होती जा रही थी कि यहां पर दूसरी सरकार समाप्त की जाय। चूंकि काट आफ डाइरेक्टस से उद्देश्य पूरा हो जाता था और इस सस्था के अतिरिक्त बोर्ड आफ कंट्रोल को प्राप्त अधिकार से भारतीय समस्याओं के समाधान की कठिनाइयां बढ़ ही जाती थी क्योंकि इसमें समय और धन दोनों अधिक लगता था। भारतीय प्रेसीडेंसियों द्वारा यह मांग की गई कि एक भारतीय कौन्सिल बनाई जाय जिसका एक राज्य सचिव हो और कारवाई करें।

भारत के लिए विधायिका भी उचित और समय नहीं थी। प्रेसीडेंसियों की विधायिका शक्ति छीनकर 1833 के ऐक्ट के अधीन केंद्र को दे दी गई थी। गवर्नर जनरल की कौन्सिल में एक कानून ज्ञाता सदस्य ही समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त समझा गया। इस मामले में केंद्र को अपनी आवश्यकता बताने के लिए प्रेसीडेंसियों को अबसर भी प्रदान नहीं किया गया। इस स्थिति से बचने के लिए कुछ कदम उठाय जान आवश्यक थे। बंगाल में गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बन रहने पर भी आपत्ति उठाई गई। जब तक यह स्थिति रहती यह आशा नहीं थी कि गवर्नर जनरल बंगाल का पक्ष लेकर काम नहीं करेगा।

1833 के बाद कई क्षेत्रीय और राजनतिक परिवर्तन भी हो चुके थे। प्रथम अफगान युद्ध हो चुका था, सिंध आर पंजाब पर अधिकार किया जा चुका था, बर्मा में पैगू राज्य सहित कई भारतीय राज्य डलहौजी की अपहरण नीति का निवारण हो चुके थे। नव अपहृत राज्यों को सवधानिक क्षत्र के नीचे लाया जाना था। इन अतिरिक्त शक्ति विवेकीकरण की भी मांग थी और भारतीयों को

अपन क्षेत्र पर शक्ति अधिक प्रदान की जाय इसकी भी। इंग्लैंड में भी इसे कुछ समयन प्राप्त था। उदाहरणार्थ 2 अप्रैल 1852 को लाड डर्वी ने हाउस आफ कामंस में घोषणा की कि, "मानव हित, उदारता, नैतिकता और धर्म का यह तकाजा है कि जितनी जल्दी सम्भव हो आप, सुरक्षा, चालाकी और बुद्धिमत्तापूर्वक भारतीया को अपने आंतरिक मामला में काय करने और उसे दख भाल का अवसर प्रदान करें। यह आपका, पवित्र दायित्व है।"

घारार्यो—इस तरह ये परिस्थितिया थी जिन्हाने चाटर के नवीनीकरण का अवसर प्रदान किया। 1852 में ससद ने दो समितिया नियुक्त की जिहे इस सबध में छान बीन करनी थी और इन्ही रिपोर्टों के आधार पर 1853 का आक्ट ऐक्ट बनाया गया। कंपनी को भारत के राजस्व और क्षेत्र पर इंग्लैंड के शासक तथा उत्तराधिकारियों की ओर से 20 वर्ष के ही लिए नहीं "बल्कि ससद के इच्छा काल तक" अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ कि बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्या, सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन इंग्लैंड के शासक की ओर से तय होगा और उम्का देनदार कंपनी होगी। यह भी निणय हुआ कि बोर्ड के प्रेसीडेण्ट का वेतन किसी भी राज्य के सचिव से कम नहीं होगा। बोर्ड आफ डाइरेक्टस की सदस्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई जिसमें से 6 राज्य की ओर से नामित होन थे। गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य आवश्यक बताये गये जिसके कारण सदस्यों के कम होने पर राज्य के नामित सदस्य बहुल सदस्या में हो जाते थे। कोट आफ डाइरेक्टस से सरधान का अधिकार छीन लिया गया। सेवाओं में प्रतिभागिता का आधार बनाया गया जिसमें धर्म, जाति या बिरादरी का कोई स्थान न रहा। 1854 में इस योजना के सपादन हेतु एक समिति गठित की गई और मँवाते इसका सभापति बनाया गया। भारत में नव प्रान्त राज्यों की व्यवस्था क लिए कोट आफ डाइरेक्टस को एक नयी प्रेसीडेसी बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। उह इसके लिए भी अधिकारित किया गया कि वे चाह तो वतमान प्रेसीडेसियों की सीमा में ही फेर बदल कर दें। इसके कारण पंजाब एक लेफ्टीनेट गवर्नर के अधीन हो गया। इस एक्ट ने इंग्लैंड के राजा को इंग्लैंड में एक लॉ कमीशन बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जिसे भारतीय लॉ कमीशन के रिपोर्ट और आलोखी पर विचार करना था। अब इसका अस्तित्व ही नहीं था इस कारण इसे इस आधार पर वधानिक मुधार की व्याख्या देनी थी।

भारत में इस एक्ट ने विधायिका को कायपालिका से अलग करने के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़कर काय किया। गवर्नर जनरल की कायपालिका कौंसिल में 'लॉ मेम्बर' का पूण सदस्य का दर्जा दिया गया। यह कौंसिल जब विधायिका के रूप में बैठती थी तो इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त सेनापति, चार कायपालिका सदस्य और छ लेजिस्लेटिव कौंसिलस होते थे। ये अनिरिक्त सदस्य थे—एक मुख्य



यायाधीश, एक अवर यायाधीश और 4 प्रांतो वगाल, मद्रास, बम्बई, और उत्तर पश्चिम के एक एक सदस्य। प्रांतीय प्रतिनिधि कंपनी की सवा म कम स-कम 10 वष सेवारत रह चुकने वाले ही हो सकते थे। गवर्नर जनरल नागरिक सेवामा वाले लोगो मे से दो और लोगो को नियुक्त कर सकता था। पर उसने इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया। लेजिस्लेटिव कौंसिल की गणपूर्ति सात सदस्यो से होती थी। प्रत्येक विधायिका प्रस्ताव पर गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को इस कौंसिल के उपराष्ट्रपति को नामित करने का अधिकार था और इसकी वारदाई ससद की भांति होनी थी। प्रश्न पूछे जा सकते थे और सरकार की नीति पर विचार-विमर्श हो सकता था। वैसे कायपालिका कौंसिल को विधायिका कौंसिल के बिलपर नकारात्मक मत प्रयोग करने का अधिकार था। भिन्न भिन्न विधायिका कारवाइया 'सेलेक्ट कमिटी' के पास परीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती थी और इस सबध मे हुए विचार विमर्श जनता के समक्ष भी लाय जाते थे। इस ऐक्ट के अतगत प्रांतीय प्रतिनिधिया का प्रतिवष का वेतन 5,000 पीण्ड रखा गया।

उपरोक्त सर्दाभित इस ऐक्ट की धारा के अतगत एक महत्त्वपूर्ण बात यह की गई कि प्रतिनाबद्ध नागरिक सेवाओ को प्रतियोगिता के आधार पर इंग्लैण्ड के शासक के क्षेत्र मे पैदा हुए सभी नागरिको के लिए खोल दिया गया। "इस तरह भारतीय क्षेत्रो को इंग्लैण्ड सम्राट के अधीन से जाने मे तब कोई कठिनाई नहीं हुई जब ससद ने स्वाभाविक रूप से 1873 मे इस मसले पर विचार किया। विद्रोह ने इस मसले का धाडा और आगे ही बढ़ाया।"<sup>1</sup>

वगाल के लिए एक अलग से गवर्नर नियुक्त किये जाने का प्रावधान हुआ। प्रांतो को केन्द्रीय कायपालिका कौंसिला ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया और यह स्पष्ट रूप स बता दिया गया कि किसी भी प्रान्त के विषय मे कोई विचार-विमर्श तभी होगा जब उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

महत्त्व—इस तरह 1853 के चाटर ऐक्ट ने वर्तमान सविधान मे एक महत्त्वपूर्ण विकास की स्थिति ला दी। भारत मे कंपनी के शासन के लिए अब कोई समय निश्चित नहीं रहा और इस तरह ब्रिटिश सम्राट कभी भी इस पर अधिकार कर सकता था। बोर्ड आफ कंट्रोल के प्रेसीडेण्ट की स्थिति और प्रतिष्ठा म वृद्धि कर दी गई। जहा तक वेतन का सबध है उसे किसी भी राज्य के मुख्य सचिव के बराबर का पद प्रदान किया गया। इस तरह यह कार्यालय भारतीय शासन मे महत्त्वपूर्ण आकषण का केन्द्र बन गया। कौट आफ डाइरेक्टस की अवसानवत स्थिति को और धक्का लगा। उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई

जिनम स छ सम्राट द्वारा मनोनीत होने थे। इ छ स्थानो पर सम्राट कंपनी के सेवा मुक्त और अनुभवो नागरिक अधिकारियो को मनोनीत करता था जो वहा अपने अनुभव का लाभ प्रदान करत थे। पर इसमे भी महत्वपूर्ण कदम डाइरेक्टरा व सरक्षणवाद को समाप्त करना था और साथ ही नागरिक सेवाओ को प्रति-योगिता के आधार पर प्रारंभ करना। इसके कारण जहा एक ओर शिक्षित भारतीयो की महत्वाकांक्षा को सतोष मिला वही दूसरी ओर देश के प्रशासन के कायम होन की गभावनायें बढी क्यकि प्रतियोगिता द्वारा योग्य लोगो के आगे बढ़ने की वारी आ गई।

विधायिका म कायपालिका के सिद्धान्त का अलग किया जाना भी कम महत्व पूर्ण नहीं था। माटफोर्ड रिपोर्ट मे बताया गया कि इस ऐक्ट के अंतगत विधान "पहली बार सरकार का एक विशेष काय माना गया जिसमे विशेष मशीनरी और काय शैली की आवश्यकता थी।" कोवेल ने बताया कि इस ऐक्ट के अंतगत "बिचार विमर्श लिखित होन के स्थान पर मौखिक हो गये, बिलो को एक व्यक्ति को सौंपने के स्थान पर 'सलेक्ट कमिटी' को सौंपा जाने लगा और विधायिका की कारवाई गुप्त न हाकर खुलेआम होती थी।" सक्षेप म ससदीय प्रया का प्रारंभ कर दिया गया।

बंगाल के लिए अला स गवर्नर की नियुक्ति ने जहा एक ओर गवर्नर जनरल का उसके काय भार के आधिक्य से मुक्त कर दिया वहा साथ ही प्रेसीडेन्सिया की वह शिकायत दूर हो गई कि गवर्नर जनरल बंगाल की ओर अधिक ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विधायिका कौंसिल म प्रांता के सदस्या के रहने के कारण प्रांतो का हित सुरक्षित हो गया। बाह्य सदस्या को भी रखने का प्रस्ताव आया। वसे यह प्रस्ताव सरचाल्स वुड के विरोध के कारण रोक दिया गया पर भविष्य के लिए यह प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी लॉ कमिशन की भारतीय लॉ कमिशन के रिपोर्ट को एक स्वरूप प्रदान करने हेतु नियुक्ति भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। 'इण्डियन पेनल कोड' और 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' इस तरह सामने आय जिसके कारण भारतीयो का बडा हित हुआ।

पर वर्तमान काय प्रणाली म अब भी कुछ दोष रहे। देश मे दुहरी सरकार अब भी समाप्त नहीं हुई और डाइरेक्टरा का भारत से किसी को भी वापस बुलाने का अधिकार बचावत बना रहा। लेजिस्लेटिव कौंसिल भी आशा के अनुरूप नहीं बन सकी। यह सस्था आकार म छाटी थी। विधायिका से कायपालिका का अलग-गाव भी पूर्ण नहीं था। जनमत को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ। सर बार्टिन

1 कोवेल, एक्ट हिन्दू आफ द कास्टीयूशन आफ द कोटस एण्ड लेजिस्लेटिव अपार-टीज इन इंडिया 1936।

फ्रियर के शब्दों में इसकी भत्सना के लिए कहा जा सकता है कि "करोड़ों लोगों के लिए विनष्टकारी विधान बनाने का प्रयत्न चलता रहा। यह जानने की कोई चेष्टा नहीं हुई कि उनका किसमें हित है या अहित। उनके विद्रोह से ही उनकी आवश्यकता आती जाती थी।" सर सम्यद अहमद ने भी इसकी भत्सना की और इस तथ्य संबंधित सभी बातें 1857 के विद्रोह में सामन आ गईं।<sup>1</sup> अंग्रेजी लॉ कमिशन की नियुक्ति की जनता और भारत सरकार दोनों ने उचित नहीं माना। गृह सरकार को भारतीय विधायिका में हस्तक्षेप का इस कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ जिम्मे भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल को मात्र एक रजिस्टर में दर्ज करने वाली एक संस्था बना दिया।

विकेंद्रीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। घन वसूली पर केंद्र का ही नियंत्रण बना रहा। यही बात विधान और अर्थ समस्याओं के संबंध में भी कही जा सकती है। भारतीय नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ होना भी पूर्ण रूप के रूप में सामने नहीं आ पाया। परीक्षाएँ इंग्लैण्ड में होती थी जहाँ स्पष्टतया केवल सपन परिवार के भारतीय ही जा पाते थे। लंबी यात्रा की कठिनाइयाँ, पर्याप्त व्यय और एक नये माहौल में प्रतियोगिता भारतीयों के लिए अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित करते थे। भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ परीक्षाएँ हो यह आवाज अभी अति धीमी थी। समानता के अवसर की बात इस तरह एक ढकोसला ही थी।

फिर भी, भारत में ससदीय पद्धति वाले शासन की दिशा में एक कदम बढ़ गया था। जैसे यह बात ऐक्ट निर्माताओं की भी इच्छा के विपरीत थी। बोर्ड आफ कंट्रोल के प्रेसीडेंट सर चार्ल्स वुड ने कहा, "मैं इसकी ओर (भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल) कुछ भारतीय नवजवानों की तरह नहीं देखता जो इसे भारत में सर्वैधानिक ससदीय पद्धति का केंद्र मानते हैं।" पर यह सच ही कहा गया है कि वुड 'न तो पहला और न अंतिम विधायक था जो इस विल के परिणाम को रोक सका।' आशा के विपरीत कांसिल जल्दी ही आगल भारतीय सदन में परिवर्तित हो गया। इसने कार्यपालिका के कार्यों पर प्रश्न किये और मुफ्त कागजात अपने समक्ष रखवाये। विधान बनाने की योजना गृह अधिकारियों के समक्ष रखने की अनुमति पर रोक लगा दी गई और इसे विचाराय कांसिल के सामने रखकर ही बहा भेजा जा सकता था। गृह अधिकारियों की इच्छा के अनुकूल ही सदा कानून पारित नहीं होते थे और कांसिल विधान बनाने के अधिकार की स्वतंत्रता पर जोर देती थी। यदि अर्थ धाराओं को छोड़ भी दिया जाय तो केवल लेजिस्लेटिव कौंसिल संबंधी प्राविधान ही इस ऐक्ट को 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण सर्वैधानिक कदम सिद्ध कर देत है।

1 अहमद सर सम्यद यत्सेज मान कात्रज आफ इंडियन रिबोल्ट (एम एन० सीस द्वारा अनुबा०)

### प्रशासकीय सुधार

नान रेग्युलेशन प्रथा—लाड डलहोजी के काल का एक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि तत्कालीन विधियों और नियमों को नव प्राप्त क्षेत्रों पर लागू करने के स्थान पर उसने चाहे वे उसे लाभपूर्ण हों या हानिपूर्ण, इन क्षेत्रों को 'नान रेग्युलेशन प्रथा' के अंतर्गत रख दिया। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र के स्थानीय परम्पराओं और कानूनों का तबतक ध्यान रखा जाता था जबतक कि वे ब्रिटिशों के 'याय भावना पर प्रहार न करें। स्थानीय प्रशासन एक कमिश्नर के अधीन रखा गया जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि राजस्व एकत्रित किया जाय और शांति व व्यवस्था स्थापित की जाय।

इस विधि के अंतर्गत फौजदारी 'याय का प्रशासन अच्छा था। दीवानी मुकदमों में निश्चित कानून नहीं थे और ब्रिटिशों के समक्ष उनके 'याय भावना को उभारने के लिए स्थानीय परंपराएँ प्रस्तुत की जाती थीं। पर यहाँ पर 'यायाधीश की इच्छा ही प्रधान होती थी। जिले के अधिकारी के हाथ में कायपालिका, पुलिस और 'यायपालिका तीनों की शक्ति थी। जनसाधारण की कठिनाइयाँ दूर करने की महत्वाकांक्षा कहीं नहीं थी। वैसे तो पंजाब में इसका काय प्रशासनीय था पर अन्य स्थानों पर इसमें एक ही विशेषता आ पायी कि कम लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी।<sup>1</sup>

सैनिक और सामरिक परिवर्तन—डलहोजी के काल में नय क्षेत्रों के अपहरण में प्रशासन के केंद्र और सैनिक महत्ता का स्थान बंगाल से उत्तर पश्चिम की ओर पहुँचा दिया। पंजाब पर अधिकार के कारण ब्रिटिश सोमाएँ अफगानिस्तान से मिल गई और इस तरह वह मध्य एशिया में रूसी आपदा के निकट आ गया। इसके कारण कुछ सैनिक और सामरिक परिवर्तन आवश्यक हो गये। इसे डलहोजी ने प्रारंभ किया।

बंगाल तोपखाना का मुख्य केंद्र बलकत्ता से हटाकर मेरठ ले आया गया। सच्चाई तो यह थी कि सना उत्तर की ओर जाग बढा दी गई और स्थल सेना का मुख्य केंद्र शिमला में स्थापित किया गया। डलहोजी में एक राजनयन की दूरदर्शिता थी। वह यह जानता था कि उपाधियाँ और बत्तों का छीना जाना और वह भी विशेषकर अवध में भारतीय सिपाहियों में विराध की स्थिति पैदा करेगा। इसीलिए उसने सैनिकों का घटाने, कमजोर करने और घाटन की तिहरी नीति अपनायी। साथ ही पंजाब में एक अनिश्चित सेना का गठन किया गया और गोरखा रजिमेंट बनाने का प्रोत्साहन दिया गया। लाड डलहोजी ने यह अधिकारियाँ के पास यह

1 हट्टर मानविस आक डलहोजी (इंडियन रीविजिट 1962), प० 128 131।

फ्रियर के शब्दा में इसकी भत्सना के लिए कहा जा सकता है कि "बराबो लोगो के लिए विनष्टकारी विधान बनाने का प्रयास चलता रहा। यह जानने की कोई चेष्टा नहीं हुई कि उनका किसमें हित है या अहित। उनसे विद्रोह से ही उनकी आवश्यकता आती जाती थी।" सर सैय्यद अहमद ने भी इसकी भत्सना की और इस तथ्य सबधित सभी बातें 1857 के विद्रोह में सामने आ गईं।<sup>1</sup> अंग्रेजी लॉ कमीशन की नियुक्ति को जनता और भारत सरकार दोनों न उचित नहीं माना। गृह सरकार को भारतीय विधायिका में हस्तक्षेप का इस कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ जिसने भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल को मात्र एन रजिस्टर में दर्ज करने वाली एक सस्था बना दिया।

विकेंद्रीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। धन वसूली पर केंद्र का ही नियंत्रण बना रहा। यही बात विधान और अन्य समस्याओं के सबध में भी कही जा सकती है। भारतीय नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ होना भी पूर्ण काय के रूप में सामन नहीं आ पाया। परीक्षाओं इंग्लैण्ड में होती थी जहाँ स्पष्टतया केवल सपन्न परिवार के भारतीय ही जा पाते थे। लंबी यात्रा की कठिनाइयाँ पर्याप्त व्यय और एक नये माहौल में प्रतियोगिता भारतीयों के लिए अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित करते थे। भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ परीक्षाओं का यह आवाज अभी अति धीमी थी। समानता के अवसर की बात इस तरह एक ढकोसला ही थी।

फिर भी भारत में ससदीय पद्धति वाले शासन की दिशा में एक कदम बढ़ गया था। वैसे यह बात ऐक्ट निर्माताओं की भी इच्छा के विपरीत थी। बोड आफ कंट्रोल के प्रेसीडेण्ट सरचाल्ल वुड ने कहा, "मैं इसकी ओर (भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल) कुछ भारतीय नवजवानों की तरह नहीं देखता जो इसे भारत में सबधानिक ससदीय पद्धति का केंद्र मानते हैं।" पर यह सच ही कहा गया है कि वुड "न तो पहला और न अंतिम विधायक था जो इस बिल के परिणाम को रोक सका। आशा के विपरीत कौंसिल जल्दी ही आग्ल भारतीय सदन में परिवर्तित हो गया। इसने कायपालिका के कार्यों पर प्रश्न किये और गुप्त कामजात अपन समक्ष रखवाये। विधान बनाने की योजना गृह अधिकारियों के समक्ष रखने की अनुमति पर रोक लगा दी गई और इसे विचाराय कौंसिल के सामने रखकर ही कहा भेजा जा सकता था। गृह अधिकारियों की इच्छा के अनुकूल ही सदा कानून पारित नहीं होने थे और कौंसिल विधान बनाने के अधिकार की स्वतंत्रता पर जोर देती थी। यदि अन्य धाराओं का छाड़ भी दिया जाय तो केवल लेजिस्लेटिव कौंसिल सबधी प्राविधान ही इस ऐक्ट को 19वीं सदी का एक महत्त्वपूर्ण सबधानिक कदम सिद्ध कर देत हैं।

1 अहमद सर सैय्यद यसेज आन काजज आफ इडिशन रिवाल्ड (एम० एन० तीस द्वारा अनुवा०)

## प्रशासकीय सुधार

नान रेग्युलेशन प्रथा—लाड डलहोजी के काल का एक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि तत्कालीन विधियो और नियमों को नव प्राप्त क्षेत्रों पर लागू करने के स्थान पर उसने चाहे वे उसे लाभपूर्ण हो या हानिपूर्ण, इन क्षेत्रों को 'नान रेग्युलेशन प्रथा' के अतगत रख दिया। इसके अतगत उस क्षेत्र के स्थानीय परम्पराओं और कानूनों का तबतक ध्यान रखा जाता था जबतक कि वे ब्रिटिशों के 'याय भावना पर प्रहार न करें। स्थानीय प्रशासन एक कमिश्नर के अधीन रखा गया जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि राजस्व एकत्रित किया जाय और शांति व व्यवस्था स्थापित की जाय।

इस विधि के अतगत फौजदारी 'याय का प्रशासन अच्छा था। दीवानी मुकदमा में निश्चित कानून नहीं थे और ब्रिटिशों के समक्ष उनके 'याय भावना को उभारने के लिए स्थानीय परंपराएँ प्रस्तुत की जाती थीं। पर यहाँ पर 'यायाधीश की इच्छा ही प्रधान होती थी। जिले के अधिकारी के हाथ में कायपालिका, पुलिस और 'यायपालिका तीनों की शक्ति थी। जनसाधारण की कठिनाइयाँ दूर करने की महत्वाकांक्षा कहीं नहीं थी। वैसे तो पंजाब में इसका काय प्रशासनीय था पर अन्य स्थानों पर इसमें एक ही विशेषता आ पायी कि कम लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी।<sup>1</sup>

सैनिक और सामरिक परिवर्तन—डलहोजी के काल में नये क्षेत्रों के अपहरण ने प्रशासन के केंद्र और सैनिक महत्ता का स्थान बंगाल में उत्तर पश्चिम की ओर पहुँचा दिया। पंजाब पर अधिकार के कारण ब्रिटिश सीमाएँ अफगानिस्तान से मिल गईं और इस तरह वह मध्य एशिया में रूसी आपदा के निकट आ गया। इसके कारण कुछ सैनिक और सामरिक परिवर्तन आवश्यक हो गए। इसे डलहोजी ने प्रारंभ किया।

बंगाल तोपखाना का मुख्य केंद्र बलवत्ता से हटाकर मेरठ ले आया गया। सच्चाई तो यह थी कि सेना उत्तर की ओर आगे बढ़ा दी गई और स्थल सेना का मुख्य केंद्र शिमला में स्थापित किया गया। डलहोजी में एक राजनयन की दूरदर्शिता थी। वह यह जानता था कि उपाधियों और वृत्तों का छीना जाना और वह भी विशेषकर अवध में भारतीय तिपाहियों में विराध की स्थिति पैदा करेगा। इसीलिए उसने सैनिकों का घटाना, कमजोर करने और वाटन की निहरी नीति अपनायी। साथ ही पंजाब में एक अनियमित सेना का गठन किया गया और शारदा रजौमण्ट यूनान को प्रोत्साहन दिया गया। लाड डलहोजी ने यह अधिकारियाँ के पाम यह

1 हटर मार्क्सम भाव डलहोजी (इंडियन रीविजेंट 1962) पृ० 128-131।

प्रस्ताव भी भेजा कि भारत में और अग्रज सना भेजी जाय। पर ऐसा इसलिए नहीं  
 की जा सका कि इन्वण्ड उस समय यूरॉप में हम व साथ समा हुआ था। इन्होंने  
 स्वयं कोमिन सहित निमता चना गया जहां से वह अधिक सुविधा में गारे पाय कर  
 सक्ता था।

ब्रिटिश मेना में वृद्धि के अतिरिक्त, इन्होंने न इस क्षेत्र में कई अन्य प्रस्ताव  
 भी किए जिन्हें यदि स्वीकार कर लिया जाता तो इन्होंने के समझना के अनुसार  
 1857 का विद्रोह भी न होता। पर यह बात पूर्णतया सच नहीं मालूम पड़ती।  
 विद्रोह के बीज पहले ही पड़ चुके थे। यह बात इन्होंने के आगमन के पूर्व ही  
 प्रामाण्य था। इन्होंने न इस बीज के अतुरण और प्रसन्न को भाग  
 दाना। इन तरह यह स्पष्ट है कि विद्रोह तो होता ही था। पर हम यह स्वीकार  
 कर सकते हैं कि यदि इन्होंने के प्रस्ताव मान लिए जाते तो इन कुछ बातों के लिए  
 गंभीरता जा सकता था।

रेल और तार—इन्होंने जो एक महान प्रयास था, को ही रेलवे लाइनों  
 के निर्माण और तार की लाइनों विद्यान का श्रेय जाता है। इस उद्देश्य के लिए उन  
 अंग्रेजी कार्पोरेशन का ठेके लिए, उन्हें सारी सुविधा प्रदान की। इसके अतिरिक्त  
 उन्हें द्वारा उपाय गवर्नर पर ब्याज देने के लिए भी बाध्य किया गया। भारत  
 सरकार न इसका उत्तरदायित्व लिया। वैसे इन कार्पोरेशन न स्वयं भी पर्याप्त  
 लाभ उभाया।

इसलिए इन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अस्त्र ही माना जाना चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश शासन को शक्ति प्रदान की।

पर इन पर लगे धन पर ब्याज अदायगी की गारंटी व्यापारिक दृष्टि से एक अनुचित प्रस्ताव था क्योंकि यह भारतीय करदाता की कीमत पर लगाया गया था। इस तरह यह रचना काय सैनिक साम्राज्यवाद का वह विकास था जो आर्थिक दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था।

इसमें सदेह नहीं है कि इन कार्यों के कारण भारत समाज में एकरूपता आई। जब लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा सकने लगे, जब सभी ऊच-नीच एक ही डिब्बे में यात्रा के लिए बैठने लग तो उनमें निकटता आई और उनकी जाति भावना घूमिल पड़ने लगी। इन कार्यों में हमारी राजनीतिक जागरूकता को जो बड़ावा मिला उसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। पर ये सभी परिणाम डलहौजी की चाह के अनुसार नहीं थे और डलहौजी को उनकी कल्पना भी न थी। यदि उसने इस सभावना की कल्पना की होती तो वह अपनी शक्ति किसी और दिशा में लगा देता।

**डाक-व्यवस्था**—देश की डाक व्यवस्था में डलहौजी ने कुछ प्रशंसनीय सुधार किये। तत्कालीन प्रथा में भ्रष्टता थी जिसमें देर भी होती थी और कठिनाई भी आती थी। डाकदरों में एकरूपता नहीं थी और पत्रों पर प्राप्तक का धन सीधे देना पड़ता था इस कारण सदा आवश्यकता से अधिक देना पड़ता था।

डलहौजी ने इस क्षेत्र में सुधार हेतु एक कमीशन नियुक्त किया। इसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 1/2 तोना वजन के पत्रों पर 1/2 आना लेना प्रारंभ किया गया। यह धन पत्र प्रेषक से लिया जाता था जिसे वह धन के रूप में न देकर टिकटों के रूप में प्रदान करता था। डाकघरों में इस तरह आय के अच्छे स्रोत बन गए।<sup>1</sup>

**व्यापारिक सुधार**—इसके अतिरिक्त डलहौजी स्वतंत्र व्यापार की नीति में विश्वास करता था। उसने भारत के सभी बंदरगाहों का स्वतंत्र घोषित किया। लाइट हाउसज और बंदरगाहों पर उठरने की व्यवस्था और ठीक की गई। स्वतंत्र व्यापार और पूँजी के रास्ते में जाने वाली बाधाओं को दूर किया गया।

डलहौजी की इस नीति के परिणाम इस कारण दूरगामी हुए क्योंकि उन्होंने देश के आर्थिक शोषण के प्रभावी हथियार के रूप में काय किया। भारतीय बाजार ब्रिटिश औद्योगिक माल के लिए खोल दिये गये जिससे उनके सस्ते होने के कारण भारतीय उद्योग रसातल में जाने लगे। भारत पुनः कृषि की ओर लौट पड़ा जिसपर दबाव बढ़ गया। कृषि की आय कई मंदों में विभाजित हो गई जिससे गरीबी

<sup>1</sup> देखें, दास एम० एन० इकोनामिक ऐण्ड सोशल डेवलपमेंट आफ माडर्न इंडिया, (1848-1856) प० 161-199।



प्रस्ताव भी भेजा कि भारत में और अंग्रेज सेना भेजी जाय। पर ऐसा इसलिए सम्भव नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैण्ड उस समय यूरोप में रूस के साथ फसा हुआ था। डलहौजी स्वयं कौंसिल सहित शिमला चला गया जहाँ से वह अधिक सुविधा से सारे काय कर सकता था।

ब्रिटिश सेना में बढ़ि के अतिरिक्त, डलहौजी ने इस क्षेत्र में कई अन्य प्रस्ताव भी किये जिन्हें यदि स्वीकार कर लिया जाता तो डलहौजी के समयका क अनुसार 1857 का विद्रोह भी न होता। पर यह बात पूर्णतया सच नहीं मालूम पड़ती। विद्रोह के बीज पहले ही पड़ चुके थे। यह काम डलहौजी के आगमन के पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। डलहौजी ने इस बीज के अकुरण और प्रस्फुटन को आगे बढ़ाया। इस तरह यह स्पष्ट है कि विद्रोह तो होना ही था। पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि यदि डलहौजी के प्रस्ताव मान लिये जाते तो हमें कुछ काल के लिए रोका जा सकता था।

रेल और तार—डलहौजी, जो एक महान प्रशासक था, को ही रेलवे लाइना के निर्माण और तार की लाइनें बिछाने का श्रेय जाता है। इस उद्देश्य के लिए अपने अंग्रेजी कांफेरिशन को ठेके दिये, उन्हें सारी सुविधा प्रदान की। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लगाय गये धन पर व्याज देने के लिए भी आवश्यक किया गया। भारत सरकार ने इसका उत्तरदायित्व लिया। वैसे इन कांफेरिशनों में स्वयं भी पर्याप्त लाभ कमाया।

पर डलहौजी के आलोचक उनकी इस प्रशासकीय सफलता में भी उसकी साम्राज्यवादी शोषण की प्रवृत्ति का दशन करते हैं। उनका विचार है कि उसके काल में जो थोड़ी बहुत रेलवे लाइनें बनीं उनका निर्माण सैनिकों को लाने व जानने के लिए सामरिज दृष्टि में किया गया। भारतीय करदानाओं के ऊपर बोझ डालकर इनका निर्माण हुआ जिससे ब्रिटिश पूँजीपतियों को अत्यधिक लाभ हुआ। इससे ब्रिटिश पूँजी भी विकसित हुई। 1879 तक भारत में रेलवे लाइना के निर्माण पर 9 करोड़ 80 लाख पौण्ड व्यय हो चुके थे। भारतीयों में असंतोष की आग सुलग रहा था जोर किमी भी दिन विद्रोह की आशा थी। डलहौजी ने निश्चिन्त ही सोचा होगा कि तार की लाइन प्रशासकों को एक दूसरे में संपर्क बनाय रखने में सहायता करेंगी और इनमें जनमत पर निगाह रखने में सहायता मिलेगी। रेलवे लाइनें भी इन परिस्थितियों को पार पान में सहायता करेंगी। डलहौजी ने स्वयं दूसरे अंग्रेजों के लिए बाजारों का निर्माण की जार इंगित करते हुए कहा, 'दुनिया के इस और नये बाजारों का अभ्युदय हो रहा है जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनका मूल्य नहीं आक मचना और न उनकी भविष्य सीमा ही।'।

इसलिए इन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अस्त ही माना जाना चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश शासन को शक्ति प्रदान की।

पर इन पर लगे धन पर ब्याज अदायगी की गारंटी व्यापारिक दृष्टि से एक अनुचित प्रस्ताव था क्योंकि यह भारतीय करदाता की कीमत पर लगाया गया था। इस तरह यह रचना काय सैनिक साम्राज्यवाद का वह विकास था जो आर्थिक दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था।

इसमें सन्देह नहीं है कि इन कार्यों के कारण भारत समाज में एकलपता आई। जब लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा सकने लगे, जब सभी ऊच-नीच एक ही डिब्बे में यात्रा के लिए बैठने लगे तो उनमें निकटता आई और उनकी जाति भावना धूमिल पटने लगी। इन कार्यों में हमारी राजनीतिक जागरूकता को जो बढ़ावा मिला उसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। पर ये सभी परिणाम डलहौजी की चाह के अनुसार नहीं थे और डलहौजी को उसकी कल्पना भी न थी। यदि उसने इस सभावना की कल्पना की होती तो वह अपनी शक्ति किसी और दिशा में लगा देता।

**डाक-व्यवस्था**—देश की डाक व्यवस्था में डलहौजी ने कुछ प्रशसनीय सुधार किये। तत्कालीन प्रथा में भ्रष्टता थी जिसमें देर भी हाती थी और कठिनाई भी आती थी। डाकदरों में एकरूपता नहीं थी और पत्रा पर प्रापक को धन सीधे देना पड़ता था इस कारण सदा आवश्यकता से अधिक देना पड़ता था।

डलहौजी ने इस क्षेत्र में सुधार हेतु एक कमीशन नियुक्त किया। इसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 1/2 तोला वजन के पत्रा पर 1/2 आना लेना प्रारंभ किया गया। यह धन पत्र प्रेषक से लिया जाता था जिसे वह धन के रूप में न देकर टिकटों के रूप में प्रदान करता था। डाकघरों में दस तरह आय के अच्छे स्रोत बन गये।<sup>1</sup>

**व्यापारिक सुधार**—इसके अतिरिक्त डलहौजी स्वतंत्र व्यापार की नीति में विषयवाम करता था। उसने भारत के सभी बंदरगाहों का स्वतंत्र घोषित किया। लाइट हाउसज और बंदरगाहों पर ठहरने की व्यवस्था और ठीक की गई। स्वतंत्र व्यापार और पूंजी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया।

डलहौजी की इस नीति के परिणाम इस कारण दूरगामी हुए क्योंकि दूहोने देश के आर्थिक शोषण के प्रभावी हथियार के रूप में काय किया। भारतीय बाजार ब्रिटिश औद्योगिक माल के लिए खोल लिये गये जिससे उनके सस्ते होने के कारण भारतीय उद्योग रसातल को जाने लगे। भारत पुनः कृषि की ओर लौट पड़ा जिसपर दबाव बढ़ गया। कृषि की आय कई मंदा में विभाजित हो गई जिससे गरीबी

1] दस एम० एन० इकोनामिक ऐण्ड सोशल डेवलपमेण्ट आफ माहन इंडिया, (1848 1556) प० 161 199।

का बोलबाला हो गया ।

भारत में कच्चे माल का प्रेषण बढ़ गया । 1848 से 1856 के बीच जो कपास बाहर भेजी गई उसकी कीमत 15 लाख पौंड से बढ़कर 35 लाख हो गई । और अनाज का मूल्य 89 हजार पौंड से बढ़कर 2 लाख 90 हजार पौंड हो गया । इसके साथ ही ब्रिटिश उत्पादित माल का आवागमन बढ़कर 15 लाख पौंड से 30 लाख पौंड हो गया । यही कच्चा माल जब बाहर भेजा जाता तो इससे अत्यधिक कम धन प्राप्त होता और जब इसमें पक्का माल बनकर भारत के बाजारों में आता तो इसके लिए बहुत धन देना पड़ता । इस तरह व्यापार का सतुलन बिगड़ गया और भारत की आर्थिक स्थिति की पर्याप्त हानि हुई । पूरा तटीय उद्योग ब्रिटिशों के हाथ में चला गया । भारतीय पूँजी का, ब्रिटिशों की भेदभावपूर्ण नीति तथा युद्ध के कारण, विनाश हो गया । डलहौजी के सदेच्छायुक्त व्यापारिक सुधारों का यह परिणाम था ।

सावजनिक निर्माण विभाग—सावजनिक निर्माण विभाग को भी डलहौजी ने नये आधारों पर संगठित किया । पहले यह सैनिक बौद्धिक विभाग के हाथों में था जिसका नंतर एक मुख्य अभियंता करता था और जिसके कई कायपालिका अधिकारी सहायतायुक्त होते थे । ये सभी अधिकारी अंग्रेज होते थे । भारतीयों के इस सेवा में प्रशिक्षण हेतु लड़कियों और अय स्थानों पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये । इस तरह स्थापित सावजनिक निर्माण विभाग ने तुरंत सड़कों, नहरों, पुलों और अय जनहितकारी कार्यों का निर्माण व भरण-रक्षण का कार्य अपने हाथों में लिया । अल्पकाल ही में विभाग के तात्पर्यपूर्ण कार्य सामने आने लगे ।

शिक्षा नीति — मोरलैण्ड और चटर्जी ने लिखा है कि “डलहौजी का कार्यकाल विस्तृत जन-सूचनाय नीति अपनाने के लिए याद किया जाना चाहिए । डलहौजी के काल के पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में की गयी प्रगति बहुत बड़ी नहीं थी । वैसे लाड विलियम बर्टिक द्वारा शिक्षा के लिए कुछ कार्य किया गया । उसने सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अपनायी जानेवाली नीति का निर्धारण किया । इस नीति के अपनाये जाने के बाद नये विद्यालय और कॉलेज खोले गये । बर्टिक न कलकत्ता में, पश्चिमी औपधि विज्ञान की भारतीयों की शिक्षा हेतु एक मेडिकल कॉलेज खोला । ब्रह्म समाज ने कई सस्थाएँ खाली । वर्नाक्युलर शिक्षा वैसे तो पिछड़ गयी पर लाड आकलैण्ड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 500 रु० मासिक की सहायता प्रदान की । स्थानीय क्षेत्र में एलफिंस्टन ने बम्बई क्षेत्र में कार्य किया । आगरा में इसी तरह का कार्य टाम्सन ने और मद्रास में मुनरो ने किया । टाम्सन ने तो एक रुचिकर प्रयोग प्रारंभ किया जिसे हल्कावदी कहते थे । इसके अंतर्गत राजस्व पर

1% अधिभार से प्रत्येक गाव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। इसी तरह प्रत्येक तहसील में एक मिडिल स्कूल और प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल स्थापित किया गया।

1854 से पूर्व अंग्रेजी शिक्षा के विकास एवं ईसाई धर्म के प्रचारार्थ कदम ईसाई मिशनरियों द्वारा उठाये गए। उनकी कक्षाओं में बाइबिल का पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि उनका घोषित उद्देश्य ही यह था कि "उपयुक्त धर्म निरपेक्षीय शिक्षा जो निश्चित रूप से धार्मिक शिक्षा की ओर ले जाती थी, दोनों के समागम से ही संभव थी।" 1716 में डेनमाक की मिशनरियां ने मद्रास में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम महत्त्वपूर्ण शिक्षा संस्था खोली। 1717 में इसी तरह के दो विद्यालय और खोले गए। अंग्रेजी विद्यालय भी खोले गये। डेविड हेयर, टामस, कैरी, माशमैन और वाड ने 1793 में सेरामपुर में अपनी तीव्र कारवाइयां प्रारंभ की। बम्बई में विल्सन कॉलेज और मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज मिशनरियों की महान सफलता के प्रतीक थे। आगरा का सेण्ट जॉस कॉलेज 1853 में प्रारंभ किया गया। नागपुर, मछलीपट्टन और अन्य स्थानों पर भी संस्थाएं प्रारंभ की गयीं जो तेजी से आगे बढ़ीं और जिसके कारण बहुत से भारतीय ईसाई धर्म के बंधन में जकड़ गये।

1854 का बूढ़ा का डिस्पैच—पूर्व भारतीय शिक्षा के इतिहास में परिवर्तन-बिंदु का शीर्षक 1854 में डलहोजी के काल में ही हुआ। इस वर्ष के पूर्व अंग्रेजी प्रथा और भाषा दोनों को, जिसे राजवाज की भाषा स्वीकार किया गया था, पूर्व के लोगों ने मानने से इनकार किया था। आर्कलैंड ने उसके लिए पहले ही घोंघी-सी छूट दे रखी थी। जिसका विवरण ऊपर आ चुका है। पर वह पर्याप्त नहीं था। इसके लिए नियुक्त एक ससदीय समिति ने इस सबंध में अपनी सस्तुतियां दीं जिसके आधार पर बोर्ड आफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स बूड ने 1854 में एक डिस्पैच तैयार किया जो इस क्षेत्र में कई वर्षों तक दिशा निर्देश करता रहा। सर बूड ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिशों को 'ऐसी जाति के लोगों से निबटना पड़ता है जो धर्म में आबद्ध हैं और परंपराओं से घिरे। हमारा तो कहना है कि तीव्र उत्थान में इनसे बाधा ही पड़ती है।" इस कारण ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन की अपेक्षा है जिसके लिए उसने अपने डिस्पैच में निम्न सस्तुतियां की। इसी को "1854 का बूढ़ा डिस्पैच" कहा जाता है।

डिस्पैच जो कई धाराओं में बटा था, ने निम्न सिद्धांतों पर जोर दिया। प्रथम, भारतीयों के शैक्षिक हित की रक्षा का भार सरकार को अपने कंधों पर लेना चाहिए। दूसरे, शिक्षा की व्यवस्था और नीति यह होनी चाहिए कि यूरोप की कला, विज्ञान और दर्शन की शिक्षा यहां के लोगों को भी प्राप्त हो जिससे कि कर्मी के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य ऐसे शिक्षाप्राप्त भारतीयों अपने कंधों पर ल

सके। तीसरे, शिक्षा के माध्यम के रूप में सभी स्तरों पर अंग्रेजी पर जोर न दिया जाय। इसका प्रयोग अभी किया जाना चाहिए जब इसकी जानकारी पर्याप्त रूप में हो जाय। चाहे, भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि जनता और सरकारी कर्मचारियों में आदान प्रदान सरल हो सके। पाचवें, शिक्षा के निश्चित स्तर तक यूरोपीय पान की शिक्षा वर्नाक्युलर भाषा में भी की जानी चाहिए। छठे, मकाले के फिल्डेशन सिद्धान्त को, जिसके अंतर्गत केवल उच्च श्रेणी का शिक्षा देने को कहा गया था और जिसका आधार यह विश्वास था कि ऐसा करने पर यह छन छनकर जनता तक पहुंच जायगा त्याग देने को कहा गया। इसके स्थान पर विद्यार्थी विद्यालय चालन की मस्तुति की गयी। सातवें, शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने की प्रथा निश्चित नियम बनाकर प्रारंभ की जानी चाहिए जिससे प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं प्रोत्साहित हों। आठवें, अधिक ध्यान प्रारंभिक विद्यालयों की ओर दिया जाना चाहिए। नव, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक विस्तृत प्रथा का प्रारंभ किया जाना चाहिए। दसवें कानून, डाक्टरों, कृषि, विद्यालयों में प्रशिक्षण विधि के लिए व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। ग्यारहवें, नारी शिक्षा के लिए विशेष सुविधा और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। और बारहवें, पहले से चली आ रही सरकारी संस्थाओं को चलत रहना चाहिए और उसमें नयी संस्थाएं जोड़ी भी जानी चाहिए। मिडिल स्कूला की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

जहां तक शिक्षा की मशीनरी का प्रश्न था यह सस्तुत किया गया कि प्रत्येक प्रान्त में सामान्य शिक्षा का डाइरेक्टर के अधीन एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाय। डाइरेक्टर की सहायता के लिए निरीक्षणार्थ अधिकारी नियुक्त किये जाए जो अलग-अलग प्रांतों के शिक्षक काय की रिपोर्टें समय समय पर प्रस्तुत करें। उदार शिक्षा के प्राप्ताहन हेतु तथा डिग्री प्रदान करने हेतु सरकार सबद्धता वाले विश्वविद्यालय या परीक्षा वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सकती थी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक चांसलर और एक वाइसचांसलर होता चाहिए जो लदन विश्वविद्यालय की पद्धति पर बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में एक सीनेट होनी चाहिए जो परीक्षा के लिए नियम बनाय और व्यय पर नियंत्रण रखे। इसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भाषा विधि और इंजीनियरिंग विभागों में प्राफेसर पद पर भी नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। बम्बई कलकत्ता, और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कर एक अच्छे काय का श्री गणेश किया जा सकता है क्योंकि यहां पर इतनी संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी जहां से विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए योग्य अभ्यर्थी प्राप्त हो सकते थे। इस विश्वविद्यालय के अधीन कालेज आ सकते थे जो इंटरमीडिएट और

दिल्ली स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर सकते थे। कॉलेजों के अधीन प्राइमरी, मिडिल, हाई और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल का जाल होगा जहाँ भारतीय वर्नाकुलर भाषा में निम्न कक्षाओं में शिक्षा दी जा सकती थी।

बुद्ध का टिप्पण भारत की शिक्षा का 'मंगना काय' कहलाता है। इसने निश्चित ढंग से उस शिक्षा मशीनरी की व्याख्या की जो भारत में भविष्य में प्रयोग में आने जा रही थी। प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं की सहायता प्रथा प्रारंभ करना एक महत्त्वपूर्ण कदम था जिससे व्यक्तिगत स्तर पर इस क्षेत्र में काय करने वाली समाजसेवी संस्थाओं को बल मिला। बहुधर्मी विद्यालयों की स्थापना का कदम भी सराहनीय था। नारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी इसमें पर्याप्त स्थान मिला। पर इसमें कुछ दोष भी थे जिसके कारण सरकार इसकी धाराओं में निहित उद्देश्यों से हटने में सफल हो गयी।

बहुधर्मी विद्यालयों को उदाहरणार्थ उचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ। धार्मिक और शारीरिक शिक्षा पर भी बल नहीं दिया गया। जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए उन्होंने किसी उच्च सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की बल्कि वे परीक्षण मय्याण ही बनकर रह गयी। पर यह सोचते हुए कि यह पहला कदम था, यह उचित था। आश्चर्य तो यह है कि इसका लेखक शिक्षापद्धति के इतनी तह में बस पहुँच सका।

1853 में डलहौजी की पत्नि का देहांत हो गया और उसके बाद के वर्ष डलहौजी ने त्रिए गुजारना कठिन हो गया। वह 1856 में भारत में अपने पद से कायमुक्त हुआ। कलकत्ता में अपने विदाई समारोह के अवसर पर उसने कहा, "मैं थक गया हूँ और परेशान हूँ। मेरी पदमुक्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा विचार और आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अब इसी के योग्य हूँ।" 1857 में उसने लिखा, "मैं कमजोर हो गया हूँ, दुःख के शक्ति के अयोग्य हो गया हूँ, मेरी जड़वत नाक और गला मुझे कष्ट देते रहते हैं, भूख नहीं लगती—बस यह समाप्ति है।"<sup>1</sup> जब भारत में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो वह इतना कमजोर था कि वह सदन में बोलने तक की स्थिति में नहीं था। पर चूँकि वह स्वयं अभियोग में पसा था और अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था इस कारण उसके अस्तित्व की रही-सही शांति भी समाप्त हो गयी थी, उसने 1857-58 का जाड़ा माल्टा में बिताया पर फिर भी उसे कोई आराम नहीं हुआ। अपने मृत्यु से दो वर्ष पूर्व उससे अपने एक भारतीय मित्र को लिखा, 'मेरे मित्र, सावधान रहना। तुम मेरा वेवकूफीभरा उदाहरण सामने क्यों रखते हो? यदि तुम्हारे स्वास्थ्य का तकाजा हो तो तुम्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। लगता

1 हटर डब्ल्यू० डब्ल्यू० पूर्वोद्धत (भारतीय रीप्रिंट), पृ० 32-33।

पहले की ही तरह इस बीस वष के लिए नहीं बढ़ाया गया था वल्लि इग्लैंड के ताज की इच्छा के आधार पर किसी भी समय तक के लिए बढ़ाया गया था। इससे ताज द्वारा भारत में अपनी इच्छानुसार शक्ति अधिग्रहण की भूमिका तैयार हो गई। कैनिंग के आये अभी ठठिनाई से दो वष पूरे हुए थे कि ऐसा ही घटित भी हुआ। पर ताज द्वारा शक्ति अधिग्रहण के पूर्व 1857 का विद्रोह हो चुका था। इस बीच पीटर ग्रान्ट, ब्रास पीकाक, सरजान लो, जे ए डोरिन और जनरल ऐसन जस कौंसिल के प्रतिष्ठित सदस्यों की सहायता से कैनिंग ने अपना काय प्रारंभ कर दिया।

**फारस से युद्ध**—भारत में सबसे प्रथम महत्वपूर्ण समस्या, जिसका कैनिंग को सामना करना पड़ा, वह था रूस के पक्षधर फारसी सैनिका का हरात में प्रवेश। हरात अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में पड़ता था और इसे कुछ अंग्रेज 'भारत की कुजी' कहते थे। कैनिंग को डर था कि कहीं रूस के प्रभाव से "फारस प्रभावित न हो जाए। ऐसी स्थिति में उसके पड़ोसी हमारे लिए सदा कष्ट का सबब बन जायेंगे।"<sup>1</sup> इस समय ब्रिटिशों का संबंध फारस से अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ के दरबार में ब्रिटिश राजदूत को अपमान झेलने के कारण विरोध में दश छोड़ देने का निणय लेना पड़ा था। ब्रिटिश मन्त्रिमंडल भारत पर रूसी खतरे के मामले को लेकर बड़ा हुआ था। यदि यह डर होता भी तो 'ड्युक आफ अरगिल' के अनुसार "इसके विरुद्ध यूरोप में अधिक प्रभावी ढंग से" कदम उठाया जा सकता था।

पर कैनिंग ने रूस के खतरे का सच मानकर तथा यह सोचकर कि फारस को उसके उद्देश्या से युद्ध द्वारा ही विरत किया जा सकता है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ओर से 1 नवम्बर 1856 को युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सेना आगे बढ़ी। फारस की खाड़ी में खरक पर 4 दिसंबर को और बुशायर पर 10 दिसंबर को अधिकार कर लिया गया। अधिक युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और 4 मार्च 1857 को एक संधि हो गयी जिसके द्वारा फारस के शाह ने हरात खाली करना स्वीकार किया अपन दरबार में मरे का स्वागत करना मान लिया और अफगानिस्तान से हान वाले जगड़े में भारत सरकार को मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। कुछ लागा का कहना है कि संधि की शर्तें जति उदार थी क्योकि जीत हुए एरक और बुशायर को बिना क्षतिपूर्ति के वापस कर दिया गया। पर फारस से संधि बिल्कुल सही समय पर हुई थी क्योकि इसी समय मेरठ में विद्रोह हो गया और अब बाह्य आश्रमणार्थ सैनिका को भेजने की स्थिति नहीं थी।

**अफगानिस्तान**—इसी बीच 6 जनवरी को हवट एडवर्ड्स द्वारा अफगानिस्तान

1 मन्नापन माइकेल क्नीमसी कैनिंग, प 52।

2 वही प० 51।

के दोस्त मोहम्मद के साथ एक मंत्री सधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके परिणामस्वरूप ही दास्त मुहम्मद न घापणा की कि, 'मैंने ब्रिटिश सरकार से सधि की है और चाह जा हो, मैं मृत्युवा न तक इससे बधा रहूंगा।' दोस्त न अपना वादा पूरा किया और ब्रिटिश के प्रति भारतीय विद्रोह काल म भी विश्वस्त बना रहा। यदि वह चाहता तो इस समय वह लालच में पडकर सधि तोड सकता था।

अवध—विद्रोह के पूव की घटनाओं में अवध अपहरण के बाद कॅनिंग न एक क्रोधी व्यक्ति कावर्ली जक्सन को यहा का चीफ कमिश्नर बना दिया। पर बाद में 1 जनवरी 1857 को जॅक्सन का उत्तराधिकारी हेनरी लारे स को बनाया गया। इसी क काल म तालुकदारों की बदखली व गावों म जमींदारों के शोषण की काय वाटिया चलती रही। वसे तो यह सब किसानों के हित म था पर किसानों के मन में अपने पुरान मालिका के प्रति जा आदर था उमके कारण व उसकी प्रशंसा न कर पाय। इसी कारण दोनों वर्गों में अमत्तोप की अग्नि प्रज्वलित हुई और अवध ब्रिटिश के विरुद्ध पड्यत्र और विद्रोह का एक केन्द्र बन गया।

अथ परिवर्तन—कुछ सैनिक सुधार करने के प्रयत्न भी किये गये। एक आदेश निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि भर्ती होने वाले सैनिक का भारत के बाहर वहाँ भी सेवा करनी पड सकती है। जहा तक सामाजिक सुधारों का प्रश्न है विधवा विवाह के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। एक दूसरे दिन क द्वारा कुलीन ब्राह्मणों में बहुविवाह की प्रथा के विरुद्ध त्रिन प्रस्तुत किया गया। इस प्रथा के जनगत एक व्यक्ति कई पतिया रखता था। इनमें से कुछ तो पति द्वारा दखी भी नहीं गयी होती थी और कुछ के साथ पत्नीवत् उसके सबध नहीं होत थे।" 1856 म शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुरशाह के उत्तराधिकारी का देहात हो गया। कॅनिंग ने प्रस्ताव किया की मुगल शासक के नवीन उत्तराधिकारी की मायता तभी प्रदान की जायेगी जब वह बादशाह की अपनी उपाधि त्याग देगा और दिल्ली से बाहर रहना स्वीकार करेगा। इसने लोगों में तहलका मच गया। कॅनिंग ने असंगठित अथ व्यवस्था, घाटे के बजट और ऋण की ओर भी ध्यान दिया जो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के परिणामस्वरूप एक गभीर समस्या बन गया। पर वह कुछ अधिक कर सकता कि फारस का युद्ध और 1857 का विद्रोह सामने आ गया जिसमें सभी चीजों को अव्यवस्थित कर दिया। इन समस्याओं को उसने उम समय टालकर ब्रिटिश के ऊपर जायी आफत का मुकाबला करने का निश्चय किया।

1 मन्दागन माइकेल बलोमे-सी कॅनिंग पृ० 54।

2 वही पृ० 66।



## 1857 का विद्रोह

भारत में लार्ड कैनिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। यह देश को झुंझकोर दिया और एक बार तो शक्तिशाली ब्रिटिश को भी झुंझकोर दिना दिया। इस विद्रोह की प्रकृति के विषय में अलग-अलग विचार व्यक्त किए गये हैं। वी० डी० सावरकर जस व्यक्ति का विचार है कि यह राष्ट्रीय राष्ट्रिय आंदोलन था। सावरकर के अनुसार, इसका महान् अर्थ न स्वयं के स्वराज्य था (और) इन दो मही प्रातिकारी युद्ध के रूप में निरूपित हैं। श्री चणोक मेहता ने भी इस मत का समर्थन किया है और इस मत में तदनुगत तर्कों को प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि वैसे तो विद्रोह के प्रकृति में सैनिक ही थे, पर इसे एक सैनिक विद्रोह मानना उचित नहीं है। इस विद्रोह में नागरिक भी सैनिकों से कम नहीं मारे गये। कुछ स्थानों पर सैनिकों ने ही सिपाहियों को विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया। जब सैनिकों ने स्वयं अपने सैनिकों को नदी के उस पार ले जाना चाहता था। सैनिकों द्वारा नाव देना से इनकार करना और स्वयं भी सहायता न देना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, जिस तेजी से यह विद्रोह फैला उसे स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों के जन जन में इसका कितना प्रभाव था। विद्रोह के अन्त में गौजद हिन्दू मुस्लिम एकता भी उसी दिशा की ओर इंगित करती है। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने पूरे देश में गोहत्या बंद करने की घोषणा की और राजधानी के शासकों को स्पष्ट रूप से लिखा जिसे अशोक मेहता ने इस तरह सारभूत किया है। "भारत पर शासन करने की अब मेरी इच्छा नहीं है मैं देश के लिए चुने हुए राजाओं के संगठित समूह को अपनी सारी शासकीय शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार हूँ।" और यह सब स्पष्ट करता है कि विद्रोह की प्रकृति राष्ट्रीय थी।

य आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर की ताक मे थे । रालिंसन भी लिखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति नही थी, "यह सच नही होगा यदि इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा जाय, क्याकि भारतीय राजनीति मे राष्ट्रवाद को कोई स्थान प्राप्त नही था ।<sup>1</sup> सर जान सीले के अनुसार भी यह एक 'पूणतया देश-भक्तिहीन और स्वाधसिद्ध सिपाही विद्रोह था जिसे न तो स्थानीय नतत्व ही प्राप्त था और न लोकप्रिय समयन ही" पी० ई० रावटस भी इसी विचार का समर्थन करता है और डॉ० आर० सी० मजुमदार न भी अपनी पुस्तक दसिप्वाय म्युटिनी एण्ड रिवोल्ट आफ 1857' मे इसी मत को स्वीकार किया है । मौलाना आजाद क विचारा को भी इस सदर्भ मे प्रस्तुत किया जा सकता है । उन्होंने लिखा है, 'प्राप्त साभ्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य हैं कि 1857 का विद्रोह ध्यानपूर्वक बनायी गयी, याजना का परिणाम नही था और न ही इसके पीछे तीव्र बुद्धिचाला तत्व ही था । यह कुछ व्यक्तियों के या व्यक्तिगता के समूह का पडयत्र का परिणाम भी नही था । बल्कि जनता के बढ़ते हुए अस्ततोप का परिणाम था । देशभक्ति की भावना लोमा मे धम की भावना के आधार पर प्रविष्ट करायी गयी और तत्र लोग विद्रोह के लिये उठ खडे हुए ।"

सच तो यह है कि यह सगठित राष्ट्रीय आंदोलन नही था इस तक के पक्ष म तमाम मत दिया जा सकता है । ऐसे मे यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक सीधा सा सिपाही विद्रोह था जिसका लाभ तमाम स्वार्थी तत्वाने उठाया । दूर दूर तक विद्रोह वही फला जहा इसका नेतृत्व सिपाहियों ने किया । उदाहरणाय राज स्थान म बहुत अधिक विद्रोह नही हुआ क्योंकि यहा पर सिपाहिया के सफल विद्रोह द्वारा कोई पच्छमूमि नही तैयार की गयी । ऐसा ही मराठी म भी हुआ । वैसे तो बमी कुछ ही पूव मराठे ब्रिटिशो के हाथो अपमानित हुए थे, पर उनके बीच भी काइ विद्रोह इसीलिए नही हुआ क्याकि सिपाहियों ने इसे नेतृत्व नही प्रदान किया । इसके अतिरिक्त हमे ऐसे लोमा के विषय मे भी अधिक सूचना नही मिलती जा विद्रोह मे देशप्रेम के कारण सम्मिलित हुए हो । इस कारवाई के बीच ही लगता है किसी न इस धारणा को सुझा दिया । पर इसके प्रमाण नही प्राप्त होते कि इस दिशा मे इस उद्देश्य हेतु कोई सगठित प्रयास किया गया हो । सामान्य तया स्थानीय कारणो के ही, जैसे लूट के माल की लालच, दुस्माहस या अध-

1 रालिंसन द ब्रिटिश अचीवमेण्ट इन इंडिया (1948) प० 103 ।

2 एस० एन० मन क एट्रीन विफटी सेवन की मूमिका म १० XIII XV मजुमदार आर० सी० हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया (1963) तीन भागा म भी देखें, मजुमदार आर० सी० सीप्वाय म्युटिनी (1963) मजुमदार आर० सी० द्या फजब आफ इंडियाज स्ट्रगिल फार फ्रीडम ।



य आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर की ताक में थे। रालिंसन भी लिखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, "यह सच नहीं होगा यदि इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा जाय, क्योंकि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं था।"<sup>1</sup> सर जान सीले के अनुसार भी यह एक 'पूणतया देश-भक्तिहीन और स्वाथसिद्ध सिपाही विद्रोह था जिसे न तो स्थानीय नेतृत्व ही प्राप्त था और न लोकप्रिय समर्थन ही' पी० ई० राबट्स भी इसी विचार का समर्थन करता है और डा० आर० सी० मजुमदार ने भी अपनी पुस्तक 'द मिप्वाय म्युटिनी एण्ड रिवोल्ट आफ 1857' में इसी मत को स्वीकार किया है। मौलाना आजाद के विचारों को भी इस सदम में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है, 'प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य हैं कि 1857 का विद्रोह ध्यानपूर्वक बनायी गयी, योजना का परिणाम नहीं था और न ही इसके पीछे तीव्र बुद्धिवाला नेतृत्व ही था यह कुछ व्यक्तियों के या व्यक्तियों के समूह का पडयंत्र का परिणाम भी नहीं था। बल्कि जनता के बढ़ते हुए अमर्तोप का परिणाम था देशभक्ति की भावना लोगों में धम की भावना के आधार पर प्रविष्ट करायी गयी और तब लोग विद्रोह के लिये उठ खड़े हुए।'

सच तो यह है कि यह सगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था इस तर्क के पक्ष में तमाम मत दिया जा सकता है। ऐसे में यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक सीधा-सा सिपाही विद्रोह था जिसका लाभ तमाम स्वार्थी तत्त्वा ने उठाया। दूर-दूर तक विद्रोह वही फैला जहाँ इसका नेतृत्व सिपाहियों ने किया। उदाहरणार्थ राजस्थान में बहुत अधिक विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सिपाहियों के सफल विद्रोह द्वारा कोई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की गयी। ऐसा ही मराठा में भी हुआ। वैसे तो अभी कुछ ही पूरव मराठे ब्रिटिशों के हाथों अपमानित हुए थे, पर उनके बीच भी कोई विद्रोह इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सिपाहियों ने इसे तत्त्व नहीं प्रदान किया। इसके अतिरिक्त हमें ऐसे लोगों के विषय में भी अधिक सूचना नहीं मिलती जो विद्रोह में देशभक्त के कारण सम्मिलित हुए हैं। इस कारवाई के बीच ही लगता है किसी ने इस धारणा को मुझा दिया। पर इसके प्रमाण नहीं प्राप्त होते कि इस दिशा में इस उद्देश्य हेतु कोई सगठित प्रयास किया गया हो। सामान्य-तया स्थानीय कारणों के ही, जैसे लूट के माल की लालच, दुस्साहस या अध-

1 रालिंसन 'द ब्रिटिश अचीवमेंट इन इंडिया (1948) प० 103।

2 एच० एन० रॉन के एंटीन फिफटी सेवन' की भूमिका में पृ० XIII & V मद्रास आर० सी० हिस्ट्री आफ फ्रीडम भूवमेंट इन इंडिया (1963) तीन भागों में भाग दूरे मद्रास आर० सी० सीप्वाय म्युटिनी (1963), मद्रास आर० सी० आर० सी० आर० सी० इंडिया अ स्ट्रिगल फॉर फ्रीडम।







य आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर की ताक में थे। रॉलिसन भी लेखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, “यह सच नहीं होगा यदि इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा जाय, क्योंकि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं था।”<sup>1</sup> सर जान सीले के अनुसार भी यह एक ‘पूणतया देश-भक्तिहीन और स्वाथसिद्ध सिपाही विद्रोह था जिसे न तो स्थानीय नेतृत्व ही प्राप्त था और न लोकप्रिय समर्थन ही” पी० ई० राबट्स भी इसी विचार का समर्थन करता है और डा० आर० सी० मजूमदार ने भी अपनी पुस्तक ‘द सिप्वाय म्युटिनी एण्ड रिबोल्ट आफ 1857’ में इसी मत का स्वीकार किया है। मौलाना आजाद के विचारों को भी इस सदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है, “प्राप्त साम्राज्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य हैं कि 1857 का विद्रोह व्यापक बनाना ही नहीं था और न ही इसने पीछे तीव्र बुद्धिवाला नेतृत्व ही था यह कुछ व्यक्तियों के या व्यक्तियों के समूह का पड़्यत्त का परिणाम भी नहीं था। बल्कि जनता के बढ़ते हुए असंतोष का परिणाम था। देशभक्ति की भावना लोगों में धर्म की भावना के आधार पर प्रविष्ट करायी गयी और तब लोग विद्रोह के लिये उठ खड़े हुए।”-

सच तो यह है कि यह संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था इस तक के पक्ष में प्रामाण्य मत दिया जा सकता है। ऐसे में यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक सीधा-सा सिपाही विद्रोह था जिसका लाभ तमाम स्वार्थी तत्त्वों ने उठाया। दूर दूर तक विद्रोह वही फैला जहाँ इसका नेतृत्व सिपाहियों ने किया। उदाहरणार्थ राजस्थान में बहुत अधिक विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सिपाहियों के सफल विद्रोह द्वारा कोई पठभूमि नहीं तैयार की गयी। ऐसा ही मराठों में भी हुआ। वैसे तो हमें कुछ ही पूव मराठे ब्रिटिशों के हाथों अपमानित हुए थे, पर उनके बीच भी कोई विद्रोह इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सिपाहियों ने इसे नेतृत्व नहीं प्रदान किया। इसके अतिरिक्त हमें ऐसे लोगों के विषय में भी अधिक सूचना नहीं मिलती जो विद्रोह में देशप्रेम के कारण सम्मिलित हुए हैं। इस कारवाही के बीच ही लगता है किसी ने इस धारणा को सुझा दिया। पर इसके प्रमाण नहीं प्राप्त होते कि इस दिशा में इस उद्देश्य हेतु कोई संगठित प्रयास किया गया हो। सामाजिक-स्थानीय कारणों के ही, जैसे लूट के माल की लालच, दुस्साहम या अध-

1 रॉलिसन द ब्रिटिश अचीवमेंट इन इंडिया (1948) पृ० 103।

2 ए० ए० सन के एंट्रीन फिफ्टी सेवन की भूमिका में पृ० XIII XV मजूमदार, आर० सी० हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (1963) तीन भागों में भी दूरे मजूमदार आर० सी० सिप्वाय म्युटिनी (1963) मजूमदार आर० सी० ची पत्रेज आफ इंडियाज स्ट्रुगिल फार फ्रीडम।



विश्वास उदाहरणार्थ 1757 के प्लासी के युद्ध को हुए 100 वर्ष हो गये हैं अब ब्रिटिशों के जाने का समय आ गया है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न व उदाहरणार्थ गया जिले में स्थानीय जमींदारों ने यह सोचकर कि ब्रिटिश बर्बाद चुके हैं, तमाम लोगों की हत्या करके उनकी संपत्ति लूट ली।

तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं के पास युद्ध की समीचीन योजना भी नहीं और न ही वे आपस में नियमित रूप से संपर्क ही रखते थे। उनके समक्ष स्पष्ट विम्व नहीं था जिसके आधार पर राष्ट्र में भविष्य की उनकी कल्पना सम्मिलित होती। वे अपने स्थायी ही या स्थानीय हित से ही प्रोत्साहित थे। दिल्ली ही विद्रोह करने वाला की रीढ़ थी। पर जब इस ब्रिटिशों ने लिया तो नाना साहब ने कानपुर की सेना का दिल्ली विद्रोहियों की सहायता लिए जान वाली सेना को रोक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे बहादुरशाह की छवि राष्ट्रीय शासक की हो जायगी जिसे पुनः खेलने को वह तैयार नहीं थे।

इसके अतिरिक्त तीन प्रांतीय सेनाओं में से केवल एक ने ही विद्रोह किया बहुत से राजा और हजारों जमींदार विश्वस्त बन रहे। प्रत्येक प्रांत में भी विद्रोह नहीं हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रांत पंजाब ने ब्रिटिशों का विद्रोह दवान में सहायता की। इस तरह स्पष्ट रूप से किसी संगठन के आधार पर वह यह काई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था और न ही यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना ही आधारित था।

यह कहना भी सच नहीं है कि हिंदू कठिनाइयाँ का लाभ उठाकर मुसलमान एक पड़यत्न किया था। वैसे तो बहादुरशाह ने इसका प्रयोग अवश्य किया। इसके प्रमाण हैं कि उम्र ऐसा करने का बाध्य होना पड़ा। मौलाना आजाद लिखते हैं कि 'मुकदम के चलन के समय यह पता चला कि विद्रोह बहादुरशाह के लिए उतना ही आवश्यक नहीं था जितना ब्रिटिशों के लिए।'<sup>1</sup>

इस तरह तथ्य स्पष्ट हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ काल से ही वे के सिपाहियों, जनता और राजाओं में उनके शासन के विरुद्ध अविश्वास एकत्रित होता जा रहा था। अवध अपहरण ने हजारों सिपाहियों और उन अश्विनिक कचारियों को उधर उधर भटकने को मजबूर कर दिया। राज्य के तालुकदारों में नयी भू-नीति के कारण हानि हुई। और फिर जिस तरह प्लासी और सतारा राज्यों को समाप्त किया गया, वह और अन्य राजनैतिक कारण बन गये। भारतीय उद्योग और व्यापार का विनाश तथा गाँवों के प्रति तानाशाही नीति और एसी-बहुत-सी बातें न आर्थिक कारण उपस्थित कर दिया। ईसाई मिशनरियों का

1 1955 में इण्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू में जमींदारों के 31वें सम्मेलन में दिया गया मौलाना आजाद का भाषण।

कारवाई और कुछ धार्मिक कारवाइया जैसे '1856 का रिंलीजस डिसएबीलिटीज़ ऐक्ट आदि ने धार्मिक और सामाजिक कारण प्रस्तुत कर दिये। इसके अतिरिक्त पूणतया प्रशासनीय कारण भी थे। और इस सभी ने मिलकर आग लगाने के लिए पूरे देशमें सामग्री एकत्रित कर दी।

इसलिए सच ही यहा यह दुहराया जा सकता है कि यो तो पूर देश में जर्नता असतुष्ट थी, पर जो कुछ हुआ वह किमी राष्ट्रीय कारणको लेकर नहीं हुआ बल्कि इसके छोट और स्थानीय कारण थे। और इसके अतिरिक्त देश में असतुष्ट प्रजा के होते हुए भी यह विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था जिसमें परिस्थितिजय स्वार्थी भी बाद में इसमें सम्मिलित हो गये। देश में राष्ट्रीय आंदोलन नाम की काइ चीज नहीं थी। यह तथ्य निम्न विवरण से और स्पष्ट हो जायेगा।

### कारण

वे कारण जिन्हान देश की जनता में, राजाओं में तथा जमींदारों में असंतोष की भावना पैदा की और जिसने विद्रोह के लिए ज्वलनशील सामग्री एकत्रित की, उनका विवरण निम्नवत् है।

**राजनतिक कारण—**विद्रोह के राजनतिक कारण भारत में ब्रिटिश शक्ति के विकास में निहित थे। 1857 में ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने का प्रयास पहला नहीं था। इस तरह के प्रयास पहले भी किये गये थे पर वे सफल नहीं रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उपस्थित हो गये पतनवत स्थिति से अंग्रेजों को त्रास उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। मराठों ने महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और बंगाल, अवध और दक्षिण के गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह पतन नादिरशाह के आक्रमण ने पूरा कर दिया। जब भारत कमजोर और विभाजित था तो अंग्रेजों के लिए उत्तम अवसर था। उनकी सफलता तीन कारणों से सरल हो गयी। प्रथम तो भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम अनुशासित और कम योग्य थे। दूसरे, बड़ी आसानी से उन्हें अपने देशवासियों के विरुद्ध ही लड़ाया जा सकता था और तीसरे, ब्रिटिशों के लिए स्थानीय झगड़ों में किसी का पक्ष लेकर लाभ प्राप्त करने का भी अवसर था।

ब्रिटिशों को बंगाल में तब बड़ा लाभ प्राप्त हुआ जब उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीरजाफर से मिलकर पड़ोस रचा। 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब के सेनापतियों के अलग खड़े रहने से नवाब को ब्रिटिशों ने सरलता से पराजित कर दिया। नवाब का सर काट लिया गया और मीरजाफर इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। स्पष्ट था वह अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली हो गया। बंगाल की जनता ने यह शासन स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने इसके परिणाम



कारवाई और कुछ धार्मिक कारवाइयाँ जैसे '1856 का रिलीजस डिसेम्ब्रीलिटोज ऐक्ट' आदि ने धार्मिक और सामाजिक कारण प्रस्तुत कर दिये। इसके अतिरिक्त पूणतया प्रशासनीय कारण भी थे। और इस सभी ने मिलकर आग लगाने के लिए पूरे देशमें सामग्री एकत्रित कर दी।

इसलिए सच ही यहाँ यह दुहराया जा सकता है कि यो तो पूरे देश में जनता असंतुष्ट थी, पर जो कुछ हुआ वह किसी राष्ट्रीय कारण को लेकर नहीं हुआ, बल्कि इसके अतिरिक्त देश में असंतुष्ट प्रजा के हाते हुए भी यह विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था जिसमें परिस्थितिजय स्वार्थी भी बाद में इसमें सम्मिलित हो गये। देश में राष्ट्रीय आंदोलन नाम की कोई चीज नहीं थी। यह तथ्य निम्न विवरण से और स्पष्ट हो जायगा।

### कारण

य कारण जिन्होंने देश की जनता में, राजाओं में तथा जमींदारों में असंतोष की भावना पैदा की और जिसने विद्रोह के लिए ज्वलनशील सामग्री एकत्रित की, उनका विवरण निम्नवत् है।

**राजनैतिक कारण**—विद्रोह के राजनैतिक कारण भारत में ब्रिटिश शक्ति का विकास में निहित थे। 1857 में ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने का प्रयास पहला नया था। इस तरह के प्रयास पहले भी किये गए थे पर वे सफल नहीं रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त उपस्थित हो गए पतनवत् स्थिति से अंग्रेजों का नाम उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। मराठा न महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और बंगाल, अवध और दक्षिण के गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह पतन नादिरशाह के आक्रमण ने पूरा कर दिया। जब भारत कमजोर और विभाजित था तो अंग्रेजों के लिए उत्तम अवसर था। उनकी सफलता तीन कारणों में सरल हो गयी। प्रथम तो भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम अनुशासित और कम योग्य थे। दूसरे, वही आसानी से उन्हें अपने देशवासियों के विरुद्ध ही लड़ाया जा सकता था और तीसरे, ब्रिटिशों के लिए स्थानीय शत्रुता में किसी का पक्ष लेकर लाभ प्राप्त करने का भी अवसर था।

ब्रिटिशों का बंगाल में तब बड़ा लाभ प्राप्त हुआ जब उन्होंने नवाब मिराजुद्दौला के एक मनापति मीर जाफर में मिलकर पड़ोस रचा। 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब के सेनापतियों के अलग खड़े रहने से नवाब का ब्रिटिशों ने मग्नता से पराजित कर दिया। नवाब का मर काट लिया गया और मीर जाफर इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। स्पष्ट था वह अंग्रेजों के हाथ का बंधुत्व ही था। बाप की जनता ने यह शासन स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने इन परिणाम

की कल्पना नहीं थी। और इसके अतिरिक्त वे इस तरह के परिवर्तन के आदी भी थे।

पर जैसे जैसे ब्रिटिशों ने अपना नियंत्रण यहाँ विकसित किया, उनका राज-नैतिक विरोध बढ़ने लगा। मार्च 1759 और, जनवरी 1761 के बीच मुगल सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिशों पर तीन आक्रमण किया, पर व सभी असफल सिद्ध हुए।

मीरजाफर का भी अपनी मूर्खता का शीघ्र ही अहसास हुआ। वह और उसने उत्तराधिकारी मीर कासिम दोनों ब्रिटिश जुए व नीचे दब गये। मीरकासिम के ही काल में ब्रिटिश शासन समाप्त करण का प्रथम सही व गंभीर प्रयास किया गया जब उसने शाह आलम और नवाब अवध शुजाउद्दौला से मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध एक संध तैयार किया। पर यह संध 1764 में बक्सर में पराजित हो गया। मीरकासिम भाग खाड़ा हुआ और शाह आलम व शुजाउद्दौला को ब्रिटिश से अपना मानजनक संधिया करनी पड़ी। शाह आलम को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वधानिक दीवानी का अधिकार ब्रिटिशों का देना पड़ा। इससे भारत में अंग्रेजों की ब्रिटिश शक्ति को और मजबूती प्रदान की।

धीरे धीरे निश्चित रूप से ब्रिटिश अपनी शक्ति विकसित करते गये और अपनी छत्र छाया में एक के बाद एक राज्य लाते गये। चारन हेस्टिंग्स के काल में एक बार पुनः उस समय ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध समन्वित प्रयास किया गया जब मैसूर के हैदराअली ने मराठों आर निजाम हैदराबाद से मिलकर एक संध बनाने का प्रयास किया। पर हेस्टिंग्स की कूटनीति सफल हुई और हैदराअली का मतव्य पूरा नहीं हुआ। 18वीं सदी के अंत तक नवाब अवध, सिंधिया, टीपू सुल्तान और काबुल के जमान शाह ने मिलकर एक संध ब्रिटिशों के विरुद्ध बनाने की चेष्टा की जिसकी विस्तार से सूचना नहीं प्राप्त होती।

ब्रिटिश अपनी शक्ति विकसित ही करते गये। मैसूर पर 1799 में अधिकार कर लिया गया। गोरखे 1814-15 में नामित कर दिये गये और मराठों 1817-19 में अंततः पूर्णतया दबा दिये गये। आलोचना और सदह से बचने के लिए वेलजली ने राज्यों को जीतने और छीनने के स्थान पर 'सहायक संधि' की नीति का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत भारतीय शासक अपने व्यय पर ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखते। ब्रिटिश उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक व बाह्य खतरे में सहायता के लिए आश्वस्त करते थे। भारत के ब्रिटिश राजनीति में यह अत्यधिक चतुराईपूर्ण नीति थी। सहायक संधि के अंतर्गत राजा को बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से डरने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रिटिशों की यह नीति भी नहीं थी कि वे स्वतंत्रता और नये गुण प्राप्त की ओर आकृष्ट हो। भारत के लिए टोरी सहायक सचिव द्वारा संसद में दिया गया यह विचार उचित

ही था कि ब्रिटिश भारत में आज्ञापरायण और विनीत साम्राज्यता का ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि य राजा प्रशासकीय कार्यों में अनुत्तरदायी हो गये।

जब इन राज्यों का प्रशासन इस प्रथा के अंतर्गत भ्रष्ट और निरकुश हो गया तो लोगों की नैतिक व भौतिक स्थिति का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिशों ने अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के स्थान पर इस सबका पूरा श्रेय राजाओं पर रखना प्रारंभ कर दिया और उन्हें प्रशासन के अयोग्य करार दे दिया और यह कहना प्रारंभ किया कि उनका शासन समाप्त कर राज्य ब्रिटिश सत्ता का जग बना लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ही जनता का हित है।

इसलिए डलहौजी के भारत आगमन पर राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति का एक नयी दिशा दी गयी। 'राज्य हड़प का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। जमाकि हमने पहले से देखा है एक राज्य के बाद दूसरा राज्य एक उपाधि और वक्ति के बाद दूसरी अपहरित की जाने लगी और छीनी जान लगी। नागपुर का विस्तृत राज्य हड़प लिया गया। पंजाब छीन लिया गया। चार यही सतारा, झासी, सभलपुर और अन्य राज्यों के साथ घटित हुआ। पेशवा वाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब तथा कर्नाटक व तमिल के नवाब की उपाधि व पेशन जब्त कर ली गयी और यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्र की दिल्ली के सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाय। पर यह काय कोट आफ डाइरेक्टस के कहने से उस समय तक बं लिए रोक दिया गया जबतक कि सम्राट की मृत्यु न हो जाय। अमृतोप की इस ज्वाला में घी का काम दिया उन बातों ने जो अनुत्तरदायी अधिकारिया के मुह से कभी कभी निकल पडती थी। जैसे चार्ल्स नपियर ने घोषणा की कि "यदि मैं भारत का सम्राट 12 वर्षों के लिए हो पाता तो कोई भी राजा शप न रहता। निजाम का नाम न मुनायी पडता। नेपाल हमारा हो जाता।'

डलहौजी की क्रूर अपहरण और राज्य समाप्ति की नीति न पूरे देश में तहलका मचा दिया। भारत का प्रत्येक राजा और जमींदार असुरक्षित अनुभव करने लगा। नाना साहब के वक्ति की समाप्ति और नागपुर का सतारा व अपहरण न तीन ऐतिहासिक राजपरिवारों को समाप्त कर दिया जिनकी आर मराठों घमंड से देखा करते थे। सतारा तो महान शिवाजी के उत्तराधिकारिया का क्षेत्र था और नागपुर पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले का अधिकार था। इनकी समाप्ति का तरीका भी अपमान-जनक था। उदाहरणार्थ नागपुर के मवघ में बेयी ने लिखा है कि, "भामला का वतमान व पुराना धन-संप्रदाय तिजोरी को लुहार के पास तोड़ने को भेज दिया गया दरवार के हाथी, घोड़े और बैल सड़े गले माम के भाव बेच दिए गए, फर्नीचर हटा दिया गया, कुछ अपवादों को छोड़कर भामला परिवार के जवाहरात बलकत्ता के बाजार में विक्रम को भेज दिये गये। और मैं यह गुना कि कहा



ही था कि ब्रिटिश भारत में आज्ञापरायण और विनीत साम्राज्यता को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि ये राजा प्रशासकीय कार्यों में अनुत्तरदायी हो गये।

जब इन राज्यों का प्रशासन इस प्रथा के अंतर्गत भ्रष्ट और निरकुश हो गया तो लोगों की नैतिक व भौतिक स्थिति का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिशों ने अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के स्थान पर इस सबका पूरा श्रेय राजाओं पर रखना प्रारंभ कर दिया और उन्हें प्रशासन के अयोग्य करार दे दिया और यह कहना प्रारंभ किया कि उनका शासन समाप्त कर राज्य ब्रिटिश सत्ता का अंग बना लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ही जनता का हित है।

इसलिए डलहौजी के भारत आगमन पर राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को एक नयी दिशा दी गयी। 'राज्य हड़प का सिद्धांत' प्रारंभ किया गया। जैसा कि हमने पहले से देखा है एक राज्य के बाद दूसरा राज्य एक उपाधि और वक्ति के बाद दूसरी अपहरित की जान लगी और छीनी जाने लगी। नागपुर का विस्तृत राज्य हड़प लिया गया। पंजाब छीन लिया गया और यही सतारा, शासी, सभलपुर और अन्य राज्यों के साथ घटित हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब तथा कर्नाटक व तमिल के नवाब की उपाधि व पेंशन जब्त कर ली गयी और यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्र की दिल्ली के सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाय। पर यह काय काट आफ डाइरक्टस के कहने से उस समय तक के लिए रोक दिया गया जबतक कि सम्राट की मृत्यु न हो जाय। असतोष की इस उत्राला म घी का काम दिया उन बातों ने जो अनुत्तरदायी अधिकारियों के मुह से कभी कभी निकल पड़ती थी। जैसे चार्ल्स नैपियर ने घोषणा की कि "यदि मैं भारत का सम्राट 12 वर्षों के लिए हो पाता तो कोई भी राजा शेष न रहता। निजाम का नाम न सुनायी पड़ता। नेपाल हमारा हो जाता।"

डलहौजी की क्रूर अपहरण और राज्य समाप्ति की नीति न पूरे देश में तहलका मचा दिया। भारत का प्रत्येक राजा और जमींदार असुरक्षित अनुभव करने लगा। नाना साहब के वक्ति की समाप्ति और नागपुर का सतारा के अपहरण न तीन ऐतिहासिक राजपरिवारों को समाप्त कर दिया जिनकी आर मराठे घमड़ से देखा करते थे। सतारा तो महान् शिवाजी के उत्तराधिकारियों का क्षेत्र था और नागपुर पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले का अधिकार था। इनकी समाप्ति का तरीका भी अपमानजनक था। उदाहरणार्थ नागपुर के सबंध में केशी ने लिखा है कि, "भोसला का वर्तमान व पुराना धन-संग्रह तिजोरी को लुटार के पास तोड़ने को भेज दिया गया दरवार के हाथों, घोड़े और बैल सड़े गले माम के भाव बेच दिए गये, फर्नीचर हटा दिया गया, कुछ अपवादों को छोड़कर भासला परिवार के जवाहिरात बलकत्ता के बाजार में बिकने को भेज दिये गये। और मैं यह सुना कि कहा



की कल्पना नहीं की। और इसके अतिरिक्त वे इस तरह के परिवर्तन के आदी भी थे।

पर जैसे जैसे ब्रिटिशों ने अपना नियंत्रण यहाँ विकसित किया, उनका राज-नैतिक विराध बढ़ने लगा। मार्च 1759 और, जनवरी 1761 के बीच मुगल सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिशों पर तीन आक्रमण किया, पर वे सभी असफल सिद्ध हुए।

मीर जाफर को भी अपनी मूर्खता का शीघ्र ही अहसास हुआ। वह और उसके उत्तराधिकारी मीर कासिम दोनों ब्रिटिश जुए के नीचे दब गये। मीर कासिम के ही काल में ब्रिटिश शासन समाप्त करने का प्रयत्न सही व गंभीर प्रयास किया गया जब उसने शाह आलम और नवाब अवध शुजाउद्दौला से मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध एक संधि तैयार किया। पर यह संधि 1764 में बक्सर में पराजित हो गया। मीर कासिम भाग खड़ा हुआ और शाह आलम व शुजाउद्दौला को ब्रिटिशों से अपमानजनक संधियाँ करनी पड़ी। शाह आलम का बंगाल, विहार और उड़ीसा की वैधानिक दीवानी का अधिकार ब्रिटिशों को देना पड़ा। इससे भारत में अंग्रेजों की ब्रिटिश शक्ति को और मजबूती प्रदान की।

धीरे धीरे निश्चित रूप से ब्रिटिश अपनी शक्ति विकसित करते गये और अपनी छल छायों में एक के बाद एक राज्य लाते गये। वारन हेस्टिंग्स के काल में एक बार पुनः उस समय ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध समन्वित प्रयास किया गया जब मैसूर के हैदरअली ने मराठों और निजाम हैदराबाद से मिलकर एक संधि बनाने का प्रयास किया। पर हेस्टिंग्स की कूटनीति सफल हुई और हैदरअली का महत्त्वपूर्ण पूरा नहीं हुआ। 18वीं सदी के अंत तक नवाब अवध, संधियाँ टीपू सुल्तान और बाबुल के जमान शाह ने मिलकर एक संधि ब्रिटिशों के विरुद्ध बनाने की चेष्टा की जिसकी विस्तार से सूचना नहीं प्राप्त होती।

ब्रिटिश अपनी शक्ति विकसित ही करते गये। मैसूर पर 1799 में अधिकार कर लिया गया। गोरखों 1814-15 में नामित कर दिये गये और मराठों 1817-19 में अंततः पूर्णतया दबा दिये गये। आलोचना और सदेह से बचने के लिए वेलजली ने राज्या को जीतने और छीनने के स्थान पर 'सहायक संधि' की नीति का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत भारतीय शासक अपने व्यय पर ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखते। ब्रिटिश उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक व बाह्य घटने में सहायता के लिए आश्वस्त करते थे। भारत के ब्रिटिश राजनीति में यह अत्यधिक चतुराईपूर्ण नीति थी। सहायक संधि के अंतर्गत राजा को बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से डरने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रिटिशों की यह नीति भी नहीं थी कि वे स्वतंत्रता और नये गुण प्राप्त की ओर आकृष्ट हों। भारत के लिए टोर्गे सहायक सचिव द्वारा संसद में दिया गया यह विचार उचित

ही था कि ब्रिटिश भारत में आपापरायण और विनीत साम्राज्यता को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि य राजा प्रशासकीय कार्यों में अनुत्तरदायी हो गये।

जब इन राज्या का प्रशासन इस प्रथा के अतगत भ्रष्ट और निरकुश हो गया तो लागू की नैतिक व भौतिक स्थिति का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिशान अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के स्थान पर इस सबका पूरा श्रेय राजाओं पर रचना प्रारंभ कर दिया और उन्हें प्रशासन के अयोग्य करार दे दिया और यह कहना प्रारंभ किया कि उनका शासन समाप्त कर राज्य ब्रिटिश सत्ता का अंग बना लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ही जनता का हित है।

इसलिए डलहौजी के भारत आगमन पर राज्या के प्रति ब्रिटिश नीति का एक नयी दिशा दी गयी। राज्य हड़प का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। जैसा कि हमने पहले म देखा है एक राज्य के बाद दूसरा राज्य एक उपाधि और वक्ति के बाद दूसरी अपहरित की जान लगी और छीनी जान लगी। नागपुर का विस्तृत राज्य हड़प लिया गया। पंजाब छीन लिया गया और यही सतारा, नासी, सभलपुर और अन्य राज्या के साथ घाटित हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब तथा कर्नाटक व तमिल व नयाव की उपाधि व पेशन ज्वल कर ली गयी और यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्र की दिल्ली के सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाय। पर यह बात काट आफ डाइरेक्टस व कहने से उस समय तक के लिए रोक दिया गया जबतक कि सम्राट की मृत्यु न हो जाय। अमृतोप की इस ज्वाला में घी का काम दिया उन बातों ने जो अनुत्तरदायी अधिकारियों के मुह से कभी कभी निकल पड़ती थी। जैसे चार्ल्स नपियर ने घोषणा की कि "यदि मैं भारत का सम्राट 12 वर्षों के लिए हो पाता तो वाई भी राजा शेष न रहता। निजाम का नाम न सुनायी पड़ता। नेपाल हमारा हो जाता।"

डलहौजी की शूर जपहरण और राज्य समाप्ति की नीति ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। भारत का प्रत्येक राजा और जमींदार असुरक्षित अनुभव करने लगा। नाना साहब व वक्ति की समाप्ति आर नागपुर का सतारा के अपहरण ने तीन ऐतिहासिक राजपरिवारों को समाप्त कर दिया जिनकी ओर मराठे घमड़ से दखा करते थे। सतारा तो महान् शिवाजी के उत्तराधिकारियों का क्षेत्र था और नागपुर पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले का अधिकार था। इनकी समाप्ति का तरीका भी अपमानजनक था। उदाहरणार्थ नागपुर के मन्वध म केयी ने लिखा है कि "भोसला का वर्तमान व पुराना धन-सम्पत्ति तिमोरी को लुहार के पास तोड़ने को भेज दिया गया दरवार के हाथी, घोड़े और बैल सड़े गले मांस के भाव बेच दिये गये, फर्नीचर हटा दिया गया, कुछ अपवादों को छोड़कर भासला परिवार के जवाहिरात कलकत्ता के बाजार में विक्रय को भेज दिये गये। और मैंने यह सुना कि कहा

गया कि इस छोटी झपटी और बिक्री ने बराबर और जास पास के प्रांतों में बड़ा बुरा प्रभाव डाला। इसे राज्य के छीनने से भी अधिक बुरा माना गया।<sup>1</sup>

इन राज्यों के अपहरण के उपरांत यहाँ के किसानों पर पर्याप्त भू-कर लगाया गया। नया वदोबस्त में बिचौलियों को हटा दिया गया जिससे कि वे बेकार हो गए। लगान रहित काश्तकारी की प्रथा जा पहले से ही चली आ रही थी निरक्षरतापूर्वक डलहौजी द्वारा भी चलती रहने दी गयी। 1852 के ऐक्ट के अंतगत इनाम कमीशन स्थापित किया गया। इसके अंतगत विद्रोह के 5 वर्ष पूर्व तक भूस्वामियों के जमीन के कागजात की जाच पड़ताल की गयी जिसके परिणाम-स्वरूप 20 हजार परिवार अधिकार-विहीन हो गए। इससे निःसंदेह जनता के हर वर्ग का ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रोध बढ़ा। राजा अपने क्षेत्र के चले जाने और जमींदार अपनी भूमि के चले जाने का भय देखने लगे। उपाधि प्राप्तकर्ता और वस्तिधारक भी इसी तरह के भय से जानकियन रहने लगे। किसान अधिक कर सहन करने लगे। प्रत्येक क्षेत्र के अपहरण में तमाम लोग, जैसे दरवारी लड़कियाँ, संगीतज्ञा और कलाकार तथा तमाम और लोग का बेसहारा कर दिया।

मद्रास कौंसिल के एक सदस्य जान सलीवान ने यह कहा, "एक स्थानीय राज्य को समाप्त पर एक जंगल राजा का स्थान कमिश्नर की ओर से ग्रहण करता है उसके तीन या चार साथी दजना स्थानीय यज्ञितया का उनके पद से उन्हें मुक्त कर देते हैं जबकि हमारे कुछ सौ सैनिक स्थानीय शासक के हजारों सैनिकों का स्थान लेते हैं। छोटा दरबार समाप्त हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, राजधानी पतन की ओर चल देती है, जनता गरीब होने लगती है, अयोज सम्पन्न होने लगता है। वह हमारा चेक से धन बटोरता है और टेम्स के बैंक में चूसकर डाल देता है।"

आर्थिक कारण—ब्रिटिशों के पूर्व बहुत से जाक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया पर धीरे धीरे वे यही समाहित हो गये और उनका भारतीयकरण हो गया। पर ब्रिटिशों के साथ बात कुछ और ही थी। बसे ता वे 250 वर्षों तक यहाँ रहे पर उन्होंने अपना अस्तित्व अलग ही बनाये रखा अपनी मातृभूमि से उनका संपर्क बना रहा और भारत से वे तमाम धन इकट्ठा ले जाते रहे।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों की राजनैतिक सहायता करके उनसे भी पर्याप्त धन बमूल करके थे। मीर जाफर और मीर कासिम से उन्होंने ऐसा ही किया। कंपनी के कमिश्नरों ने जातिविक व्यापार पर निबन्धा जमा लिया और व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने एकाधिकार की स्थापना कर ली। जब भी संभव होता वे

1 केपी पूर्वोक्त भाग ] पृ० 327-29।

2 रिटन, मजर एनरल रिचर्ड द इंडियन म्युटिनी, पृ० 17।

वेशर्मी से भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव करते आर उनके व्यापार पर तमाम कर आरोपित करते। स्क्रेपटन ने ब सीटाट पर गर कानूनी धन एकत्रित करने का आरोप लगाया। रिचर्ड वारवेल के पत्रा से सूचना मिलती है कि उसने प्रत्येक वस्तु का व्यापार कर बहुत सा धन अर्जित किया।

जब ब्रिटिशा का शक्ति प्राप्त हुई तो उहान भारतीय-अथ व्यवस्था को इग्लंड की औद्योगिक मागा के अनुसार ढाला। भारत का कच्चा माल जति कम मूल्य पर इग्लैंड भेजा जान तागा, जीर जब वही कच्चा माल पकने माल म बदल जाता तो उसे ही भारत म महग दामा पर लाकर बेचा जाता। चूकि इग्लैंड मे 19वी मदी मे, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इस कारण भारतीय बाजारा मे इग्लैंड का आद्योगिक माल पट गया। य सामान चूकि कुछ जच्छा जीर सस्ता होता था इमके कारण भारत का वुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा। भारत की जनता का वृषि की जोर उमुख होना पटा जिस पर दबाव बढ जान से वृषि आय का इ मागा म विभाजन होन लगा जिसम किसानो की गरीबी बढ गयी। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, "भारत इग्लंड के लिए दुधार गाय हो गया जब कि उसी के पुत्र भूखो मर रह थे।"<sup>1</sup>

वृषि सपथी नीति, जो ब्रिटिश शेत्रा म अपनायी गयी, उसके कारण वृषन और जमीदार वर्बाद हो गय। वगाल म प्रारभ किया गया कानवालिस का स्थायी व-दोबस्त प्रारभ म कठिनाइया लेकर आया। पर जतत इससे लाभ हुआ। 'गलती करने वाले जमीदारा के विरुद्ध कठोर विनय कानूनी न बहुत से पैतक जमी दारा का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र मे कही का नही रया। वटे बडे भूपति आर अदशशास्क परिवार पूणतया ववाद हो गय आर वह भी अस्यायी कठिनाई के कारण।" मद्रास और उत्तरी सरकारो मे जहा अल्पकालिक प्रदोबस्त होते थे, राजस्व प्र यक वार बढा दिया जाता था। कभी कभी तो इसे 50 प्रतिशत तक वडा दिया जाता जिससे कि जमीदार किसान की स्थिति म आ जाता और उसे राजस्व वसूलने के लिए भमि से वेदखल तक कर दिया जाता। वाद मे प्रसारित स्थायी व-दोबस्त ने विनय कानूना तथा अधिक कर वढान के कारण जमीदारा को वर्बाद कर दिया। मद्रास के कुछ क्षेत्रो म ग्राम प्रथा की आजमाइश की गयी जिसम पूरे गाव पर कर लगान के लिए ठेके दिये गये। पर कर आरोपण सामायतया अधिक थे, इसकी वचत ठेकेदारो के भाग मे चली जाती थी जो और भी कर प्राप्त करते थ। किसानो की दुदशा थी जिसके कारण वे भाग जात थे और गाव के गाव वर्बाद हो जात थे।

1 प्रसाद भाइ० एण्ड सूबदार, एम० व० ए हिस्ट्री आफ माडन इडिया प० 238।

2 मजूमगर डॉ० आर० सी० सिक्वाय भ्युटिनी एण्ड रिपोस्ट आफ 1857 प० 18।

गया कि दस छोटी गपटो और बिनी ने घग्घर और आत-आत क प्राप्ता म बदा बुरा प्रभाव डाला । इस समय क छोटे स भी अधिक घुरा माता गया ।”<sup>1</sup>

दस राज्या क अपहरण क उपरान्त यहाँ के विभागा पर पर्याप्त भू-भर समाया गया । तब क दोस्त म बिनीलिया का हटा लिया गया जिनम कि ब बवार हो गय । तगा रहिा काशनारी की प्रया जा पहन म ही घनी आ रहीं थी निरकृतापूवक इतलीयो द्वारा भी चर्चा रह । दो मर्दा । 1852 के एक क अतगत इनाम कमीशन म्यापित किया गया । मर अभाव विना के 5 यय पूव तन भूम्यामिया त जमीन के कागजात की जात नमान की मर्मा जिनके परिणाम म्बन्ध 20 हजार परिवार अधिभार विहीन म मर । इनम निमत्त जाना के हर बग का विनिधा क विरुद्ध कर दिया । मगा अत धा के गे जा ओ जमीनर अपनी भूमि क चन जा पा मय म्भन तन । उगाधि प्राप्तागा और युतिधारक भी मी नान के भय म आनक्ति रान तन । विगात अधिन कर म दय गय । प्रान्त मेत्र क अपहरण त तमाम तगा जम दरवारी कानिया सगीनगा और कनाधारा गया तमाम और तगा का कान्तरा कर लिया ।

मद्रास पौमिता क एक मन्म्य जात सलीघात न यत कता, ‘एक स्थानीय राज्य की समाप्ति पर एक अग्रज राजा का स्यात कमिन्तर की आर मे ग्रहण करता है उनम तीन या चार सार्थी राजा स्थानीय व्यक्तिया का उनक पद म उत मुक्त कर दत हैं, जबकि हमार कुछ मी सति स्थानीय शासन क हजारा मिनरी का स्थान तत <sup>2</sup> । छाटा दरवार समाप्त हो जाता है व्यापार नष्ट हा जाना है, राज-धानी पतन की जाय चल दयो है जनता गरीब हान लगनी है अग्रज सम्पन होन लगता है । वह मगा के एक स धन बटारना है जाय टेम्प के तन म चूसकर हात देना है ।’

आर्थिक कारण—ब्रिटिशा के पूव बहुत न आक्रमणकारिया न भारत पर आक्रमण किया पर धीरे धीरे के यही समाहित हो गय और उनका भारतीयकरण हो गया । पर ब्रिटिशा के माय वात कुछ और ही थी । बस तो व 250 वर्षों तक यहा र् पर उहान अपना अस्तित्व अलग ही बनाम रया अपनी मातभमि स उनका सपर बना रहा और भारत स ब तमाम धन इग्लैंड ल जात रह ।

इनके अतिरिक्त ब्रिटिश जिसकी राजनिति सहायता करते उनसे भी पयाप्त धन वसूल करत थ । मीर जाकर और मीर कासिम से उहाने एसा ही किया । कपनी के कमचारिया ने आतिरिक्त व्यापार पर निक्का जमा लिया और व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र म उहान एकाधिकार की स्थापना कर ली । जब भी सभव होता के

1 बेथी पब्लिशत भाग ] प 327-29 ।

2 हि-टन मजर तनरल रिविड इ इडियन म्युटिनी पृ० 17 ।

वर्षा में से भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव करते आर उनके व्यापार पर तमाम कर वारंशित करते। स्क्रैपटन ने व सीटाट पर गैर कानूनी धन एकत्रित करने का आरोप लगाया। रिचर्ड वारवेल के पत्रा से सूचना मिलती है कि उसने प्रत्येक वस्तु का व्यापार कर बहुत सा धन अर्जित किया।

जब ब्रिटिशों को शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने भारतीय-अर्थ व्यवस्था को इंग्लैंड की औद्योगिक मांगा के अनुसार टाटा। भारत का कच्चा माल जति कम मूल्य पर इंग्लैंड भेजा जाने लगा, और जब वही कच्चा माल पक्के माल में बदल जाता तो उसे ही भारत में महंगे दामों पर लाकर बेचा जाता। चूंकि इंग्लैंड में 19वीं सदी में, औद्योगिक क्रान्ति हा चुकी थी इस कारण भारतीय बाजारों में इंग्लैंड का औद्योगिक माल पट गया। ये सामान चूक कुछ अच्छा और सस्ता होता था इसके कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा। भारत की जनता का धृषि की ओर उन्मुख होना पड़ा जिस पर दबाव बढ़ जान से धृषि आय का कई भाग में विभाजन होने लगा जिसमें किसानों की गरीबी बढ़ गयी। डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, "भारत इंग्लैंड के लिए दुधारू गाय हो गया जब कि उसी के पुत्र भूखों मर रहे थे।"<sup>1</sup>

धृषि संपत्ती नीति, जो ब्रिटिश क्षेत्रों में अपनायी गयी, उसके कारण धृषिक और जमींदार बर्बाद हो गये। बंगाल में प्रारंभ किया गया कानूनवालिंस का स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ में कठिनाइयाँ लेकर आया। पर जतन इससे लाभ हुआ। 'गलती करन वाले जमींदारों के विरुद्ध कठोर विनय कानूनो न बहुत से पैतक जमा दारा की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कड़ी का नहीं रखा। बड़े बड़े भूपति और अर्थशास्त्र परिवार पूणतया बर्बाद हो गये और वह भी अस्थायी कठिनाई के कारण।" मद्रास और उत्तरी सरकारों में जहाँ अल्पकालिक बंदोबस्त हात में, राजस्व प्रत्येक बार बढ़ा दिया जाता था। कभी कभी तो इस 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता जिससे कि जमींदार किसानों की स्थिति में आ जाता और उसे राजस्व वसूलने के लिए भूमि से बेदखल तक कर दिया जाता। बाद में प्रसारित स्थायी बंदोबस्त ने विनय कानूनो तथा अधिक् कर बढ़ाने के कारण जमींदारों को बर्बाद कर दिया। मद्रास के कुछ क्षेत्रों में ग्राम प्रथा की आजमाइश की गयी जिसमें पूरे गाव पर कर लगाने के लिए ठेके दिये गये। पर कर आरोपण सामान्यतया अधिक् थे, इसकी वजह ठेकेदारों के भाग में चली जाती थी जो और भी कर प्राप्त करते थे। किसानों की दुर्दशा थी जिसके कारण वे भाग जाते थे और गाव के गाव बर्बाद हो जाते थे।

1 प्रसाद भाई० एण्ड सूबेगार, एस० के० ए हिस्ट्री आफ माडर्न इंडिया, प० 238।

2 मन्मथगार डॉ० आर० गी० सिन्घाय भूटिनी एण्ड रिचोस्ट आफ 1857 प० 18।

गया कि इस छोटी ज़पटी और बिक्री ने बराबर और आस पास के प्रान्ता म बड़ा बुरा प्रभाव डाला । इस राज्य के छोड़ने स भी अधिक बुरा माना गया ।<sup>1</sup>

इन राज्या के अपहरण के उपरान्त यहा के किसानो पर पर्याप्त भू कर लगाया गया । नय उदोवस्त म त्रिचोतिया को हटा दिया गया जिसस कि व बेकार हो गये । लगान रहित काश्तकारी की प्रथा जा पहल स ही चली आ रही थी निरकुशतापूर्वक डलहीजी द्वारा भी चलती रहन दी गयी । 1852 के ऐक्ट के अंतगत इताम कमीशन म्थापित किया गया । इसके अंतगत विद्रोह के 5 वष पूव तक भूस्वामियो के जमीन के कागजात की जाच पडताल की गयी जिमके परिणाम-स्वरूप 20 हजार परिवार अधिकार-विहीन हो गये । इमने नि सदेह जनता के हर बग का त्रिटिशा के विरुद्ध कर दिया । राजा अपन क्षेत्र के चने जाने और जमीदार अपनी भूमि के चल जान का भय देखन लग । उपाधि प्राप्तकर्ता और वृत्तिधारक भी इमी तरह के भय स जानकिन रहन लग । किसान अधिक कर से दब गये । प्रत्येक क्षेत्र के अपहरण न तमाम लाग, जैम दरवारी लडकियो संगीतना और कलाकारा तथा तमाम और लोगा का बेसहारा कर दिया ।

मद्रास कौंसिल के एक सदस्य जान सलीवान न यह क्हा, "एक स्थानीय राज्य की समाप्ति पर एक अग्रे राजा का स्थान कमिश्नर की ओर से ग्रहण करता है, उसके तीन या चार साथी दजना स्थानीय व्यक्तितया को उनके पद से उह मुक्त कर दत हैं, जबकि हमारे कुछ सौ सनिक स्थानीय ग्रामिक के हजारो सनिका का स्थान लेत ह । छोटा दरवार समाप्त हो जाता है व्यापार नष्ट हो जाता है, राज धानी पतन की ओर चल दती है जनता गरीब हाने लागती है अग्रेज सम्पन होने लगता है । वह गंगा के बैक से धन बटोरता है जार टेम्स के बैक मे चूमकर डाल देता है ।'

आर्थिक कारण—त्रिटिशा के पूव बहुत से आक्रमणकारिया न भारत पर आक्रमण क्रिया पर धीरे धीरे के मही समाहित हो गये और उनका भारतीयकरण हा गया । पर त्रिटिशा के साथ बात कुछ जोर ही थी । बैस तो के 250 वर्षों तक यहा रहे पर उहोने अपना अस्तित्व जलग ही बनाये रखा, अपनी मातृभूमि से उनका सपक बना रहा और भारत से के तमाम धन डगलैड ले जाते रहे ।

इमके अतिरिक्त त्रिटिशा जिसकी राजनैतिक सहायता करत उनसे भी पर्याप्त धन वसूल करत थे । मीर जाफर और मीर कासिम से उहाने ऐसा ही किया । कपनी के कमचारियो ने आतंरिक व्यापार पर सिकका जमा लिया और व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र म उहनि एकाधिकार की स्थापना कर ली । जब भी सभव होता के

1 केपी पूर्वोद्धत, भाग 1 प० 327-29 ।

2 त्रिग्न, मजर नररल रिचर्ड द इडिपन म्पटिनो, प० 17 ।

वेशर्मी से भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव करते और उनके व्यापार पर तमाम कर आरोपित करते। स्ट्रैपटन ने व सीटाट पर गर कानूनी धन एकत्रित करने का आरोप लगाया। रिचर्ड वारवेल के पत्रों से सूचना मिलती है कि उसने प्रत्येक वस्तु का व्यापार कर बहुत सा धन अर्जित किया।

जब ब्रिटिशों को शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने भारतीय-अथ व्यवस्था को इंग्लैंड की औद्योगिक भागा के अनुसार ढाला। भारत का कच्चा माल जति कम मूल्य पर इंग्लैंड भेजा जान लगा, और जब वही कच्चा माल पक्के माल में बदल जाता तो उसे ही भारत में गहने दामा पर लाकर बचा जाता। चूकि इंग्लैंड में 19वीं मदी में, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इस कारण भारतीय बाजारों में इंग्लैंड का आद्योगिक माल पट गया। ये सामान चूकि कुछ अच्छा वार सस्ता होता था इसके कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा। भारत की जनता का वृषि की आर उ मुख हाना पडा जिस पर दबाव बढ जाने से कृषि आय का कई भागा में विभाजन हान लगा जिसमें किसानों की गरीबी बढ गयी। डा० ईश्वरी प्रसाद न लिखा है कि, “भारत इंग्लैंड के लिए दुधारा गाय हो गया जब कि उसी के पुत्र भूखा मर रहे थे।”<sup>1</sup>

वृषि सज्जो नीति, जा ब्रिटिश क्षेत्रों में अपनायी गयी, उसके कारण कृषक और जमींदार बर्बाद हो गये। बगाल में प्रारंभ किया गया कानवालिंस का स्थायी वदोबस्त प्रारंभ में कठिनाइया लेकर आया। पर जतत इससे लाभ हुआ। “गलती करने वाले जमींदारों के विरुद्ध कठोर विनय कानूनों में बहुत स पैतक जमींदारों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वही का नहीं रखा। बडे बडे भूपति और अद्वशासक परिवार पूणतया बबाद हा गये और वह भी अस्थायी कठिनाई के कारण।” मद्रास और उत्तरी सरकारों में जहा अल्पकालिक वदोबस्त होत थे, राजस्व प्रत्येक वार बढा दिया जाता था। कभी कभी तो इसे 50 प्रतिशत तक बढा दिया जाता जिससे कि जमींदार किसानों की स्थिति में आ जाता और उसे राजस्व वसूलने के लिए भूमि में वेदखल तक कर लिया जाता। वाद में प्रसारित स्थायी वदोबस्त ने विनय जानूना तथा अधिक कर बढान के कारण जमींदारों को बर्बाद कर दिया। मद्रास के कुछ क्षेत्रों में ग्राम प्रथा की आजमाइश की गयी जिसमें पूर गाव पर कर लगाने के लिए ठेके दिये गये। पर कर आरोपण सामान्यतया अधिक ये इसकी वचत ठेकेदारों के भाग में चली जाती थी जो और भी कर प्राप्त करते थे। किसानों की दुदशा थी जिसके कारण वे भाग जाते थे और गाव के गाव बर्बाद हो जाते थे।

1 प्रसाद भाई० एण्ड सूबेदार एस० के० ए हिस्ट्री आफ माडन इंडिया, प० 238।

2 मजूमदार डा० आर० सी० सिन्ध्याय भूटिनी एण्ड रिचोस्ट आफ 1857 प० 18।



राजस्व वदाबस्त का परिणाम बढ़ई और अय स्थानों पर भी बेहतर नहीं था। सब जगह से अयाय और शूर करारोपण की शिकायत आ रही थी। ए० ए० सेन ने लिखा है कि किसान “ऋण से ग्रस्त थे और वनिया से लोग धन प्राप्त करते थे।”<sup>1</sup>

फिर किसान के सिर पर लगानरहित भूमि की तलवार लटक रही थी जिसके कारण उनकी नींद हराम थी। इस सबंध में कानून 1783 में पारित किया गया जिसमें क्लक्टर का आदेश दिया गया कि जिसके पास जमीन का अधिकार-पत्र नहीं है उस उससे ‘कानूनन’ वापस ले लिया जाय। 1811 का कानून और बे कानून जो बाद में बने उसने इसे कठोर और आक्रामक बना दिया। 1845 में इस व्यवस्था को भूपति के जीवन तक ही सीमित कर दिया गया। गदर के पांच वर्ष के पूर्व 20 हजार परिवारों को इसी कारण इधर उधर भटकने की नीबत आ गयी जिससे अमनोप का विष फैला और विद्रोह की आग भड़की। य आर्थिक कारण थे जिन्होंने विद्रोह के बादल एकत्रित कराने में सहायता प्रदान की।

सामाजिक और धार्मिक कारण—सामाजिक और धार्मिक कारणों की भी कमी नहीं थी। 1780 में गुलाम हुसैन ने लिखा ‘अंग्रेज कम ही हमारे पास आते और भेंट करते हैं।’<sup>2</sup> 1784 में वारन हॉस्टिंग्स ने स्वीकार किया कि कुछ वर्षों पूर्व बहुत से अंग्रेज भारतीयों का बर मानते थे। वैसे तो अब यह भावना घट गयी है, पर पूणतया अभी इसका लोप नहीं हुआ है। यदि इस तरह अंग्रेजों का भारतीयों पर बेहूदा विश्वास था तो भारतीयों का स्वाभिमान इस अधिक दिना तब बढ़ाकर बनाने की तैयार नहीं था और न ही ब्रिटिशों की अच्छी शासन प्रणाली भारतीय जनता की प्रशंसा प्राप्त कर सकती थी। एक उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी चांसर ग्राण्ट ने 1792 में प्रकाशित एक पुस्तक में लिखा कि सभी भारतीय वर्तमान हैं जिनकी तुलना यूरोप के पिछड़े इलाकों के पिछड़ी जाति के व्यक्ति से भी नहीं की जा सकती। विद्रोह के पूर्व बंगालियों के लिए ‘कलकत्ता रिविज’ में जिस गद्दी भाषा का प्रयोग किया गया उसमें इसकी घनघोर प्रतिश्रिया निश्चित ही सम्भावित थी।

1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में असीमित प्रवेश के कारण इसाई मिशनरियों की संख्या में भी वृद्धि हो गयी। इसके बढते हुए विद्यालयों में भारतीय धर्मों की अवहलना की जाती और तथाकथित काला कानून जो भारतीयों के लिए कुछ लाभ प्रदान करता, उसकी जातोचना की गयी। य कारण थे जिन्होंने धीरे-

1 सेन ए० ए० एडिन किप्टी सदन प० 34।

2 वारन ग्लाम हुसैन सियादत मृतखरान कानपुर 1897।

धीरे पर निश्चित रूप से विद्रोह की भूमि तैयार कर दी। भारतीयों को ईसाई बनाया जाने लगा जिसमें शक्ति और धोखाधड़ी दोनों का प्रयोग किया गया। उदाहरणार्थ 1837 में जब दुर्मिक्ष पड़ा तो मिशनरियों ने इसका पूरा लाभ उठाया और 'तमाम घतीमो को ईसाई बना लिया गया।' ऐसा सर सैय्यद अहमद ने कहा।<sup>1</sup> रिलीजस डिस्पेन्सीलिटीज ऐक्ट (1856) के अंतर्गत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को सुविधा प्रदान की गयी। इस्ट इंडिया कंपनी के चैयरमैन मैजिस्ट्रेट ने खुलेआम घोषणा की कि 'ऊपर वाले ने भारत का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है क्योंकि ईसाई धर्म का झंडा परे भारत में पहराना है। सभी को अपनी शक्ति के अनुसार यह चेष्टा करनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय ईसाई हो जाय।'

इन परिस्थितियों में ब्रिटिशों का उच्चा उद्देश्य भी सही ढंग से नहीं लिया जाता था। सतीप्रथा की समाप्ति और विधवा विवाह का वैधानिकीकरण जनता के धार्मिक विश्वास में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप माना गया। अंग्रेजों ने जब रेलवे का निर्माण प्रारंभ किया और तार से कलकत्ता को पेशावर से बम्बई को मद्रास से जोड़ दिया तथा गंगा से एक नहर निकाली तो ब्राह्मणों ने यह कामना प्रस्तुत की कि जादू से यह सारा काय हो रहा है।'

इसका विश्वास जोर पकड़ रहा था कि भारतीय धर्म का विनाश हो जाने वाला है और उसका स्थान ईसाई धर्म को लेना है। लोगों का विश्वास था कि सरकार नमक व अन्न खाद्यान्न में गाय के हड्डी का चूरा मिलाती है। वे घी में मिलावट करते हैं और कुओं में मुअर और गाय का मल फेंकते हैं जिससे पानी प्रदूषित हो जाये। उदाहरणार्थ जब कानपुर में आटे का भाव बढ़ा तेज हो गया तो मेरठ के एक व्यापारी ने तमाम आटा मेरठ से कानपुर स्टीमर से भेजा। पर लोगों का यह विश्वास था कि गाय के हड्डी का चूरा सरकार द्वारा इन वस्तुओं में मिला दिया गया है। वैसे तो "आटा काफी कम कीमत में बाजार में बेचवाने की व्यवस्था की गयी।" सर होपक्रॉफ्ट ने अपने व्यक्तिगत पत्रिका में लिखा कि "कोई भी भारतीय नागरिक भूख के दर्द के बदले में यह काय नहीं करेगा।"<sup>2</sup> इसी कारण इन्हीं परिस्थितियों में वह समय आ रहा था जब लोगों की सहिष्णुता की प्रशंसा हो रही थी।

पूणतया प्रशासकीय कारण—प्रशासकीय कारणों से भी कठिनाइयाँ थीं। 1780 में सियार मुतफरीन में लिखा गया कि बिस तरह बगाल में ब्रिटिशों के

1 अहमद सर सैय्यद काजेज आफ इंडियन रिपोर्ट (१८५० एन० लीस), प० 10।

2 होम्स टी राइस कम्प्लेज हिस्ट्री आफ इंडिया भाग 4 प० 168 मजूमदार आर० सी०—सी०वाय ग्युटिनी भी देखें।

3 क्रॉफ्ट सर होम इनक्विरीज इन द सी०वाय ग्युटिनी (1857 58), प० 12।

भिक आधिपत्य काल में लोग ब्रिटिशों के अनुशासित शासन को डीले-डाले लम शासन की तुलना में बेहतर समझते थे। पर ब्रिटिशों का सही चरित्र खुल सामने आ गया और उनके विरुद्ध घणा जोर पकड़ने लगी। दीवानी प्राप्ति के रात यह विशेष रूप से घटित हुआ। गुलाम हुसैन की उपरोक्त पुस्तक में शो के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उसमें उनके प्रशासन के कई कमियाँ सूचना प्राप्त होनी हैं। (1) अंग्रेज अधिकारी जिन पर शासन करते थे उनसे की निष्कटता नहीं थी। (2) दोनों के बीच भापा और परपरा से भेदभाव होने कारण जो प्रशासन ब्रिटिश उन पर करते थे वह उहकम से कम उपयुक्त लगता। (3) अंग्रेजों के भारतीयों से अपरिचितता के कारण उनका प्रशासन पक्कि था जिससे यह धीमा भी था और प्रायः इसमें नीति में परिवर्तन भी होता था। (4) ब्रिटिशों की भेदभावपूर्ण व्यापारनीति के कारण भारतीयों को से कोई खास लाभ न प्राप्त होता था और चूकि सेना में पहले की तरह उनकी न हो पाती इस कारण उनके लिए नौकरी के साधन नहीं थे। विद्वान लेखक न कठिनाइयों का और विस्तृत विवेचन किया है जिसकी यहा आवश्यकता है।<sup>1</sup>

1860 में सर सैय्यद अहमद ने इन कठिनाइयों की और विस्तार से व्याख्या त्तु हुए घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीयों को विधान और सरकार के प्रशासकीय तंत्र में प्रविष्ट न होने देना है जिसके कारण उसे य से भारतीय समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती। मुसलमान सभ्यत मामले में सबसे अधिक असंतुष्ट थे। अभी कुछ ही दिन पूर्व उहोंने सरकार के े सैनिक व असैनिक पदा पर अधिकार कर रखा था और देश की सबसे अधिक रकारसंपन जाति थी। अपनी पुरानी स्थिति गवाकर वे अथ लोका से अब ङ गये हैं।

सरकारी अधिकारी भूमि के तबादले के मामले में हस्तक्षेप करते और नटर उन विजित मुकदमा की ओर ध्यान नहीं देता था और न कारवाई ही ता था जो ब्रिटिश हित में नहीं होते थे। एक राजा के ताल्लुके के 216 गावा में 138 गाव इसीलिए जप्त कर लिये गये। अपराधा के लिए कोड़े की सजा प्त कर दी गयी और उसके स्थान पर कैद की सजा प्रारंभ की गयी। इसे ण ने पसंद नहीं किया।

सैनिक असंतोष—परन्तु उपरोक्त कारणा के बावजूद सभ्यत देश की जनता समग्र विद्रोह न करती यदि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह न किया होता। मरठ

यान गुलाम हुसैन सिवार उल मुतपरीन देवें ।  
अहमद सर सय्यद काजेज बाक इण्डियन रिवाल्ट ।

मे सिपाहियों ने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों को मारकर वे दिल्ली पहुँचे और बहादुरशाह को भारत का सम्राट घोषित किया पर फिर भी कुछ समय बीत जाने पर ही जनता विद्रोह से प्रभावित हुई।

जहाँ तक सिपाहियों के विद्रोह की भावना का प्रश्न है इसका भी कारण था। बंगाल की सेना ने विद्रोह में प्रमुख भूमिका अदा की। बंगाल की सेना ने पहली बार विद्रोह नहीं किया। बंगाल की सेना में ब्राह्मण, राजपूत और जाट जैसी हिन्दू जाति के लोग थे जो केवल बंगाल के ही नहीं थे बल्कि पूरे भारत के थे। वैसे तो इसमें शक्तिशाली पठान भी थे, पर वे उत्तर प्रदेश और अवध के रहनेवाले थे।

इस सेना ने ब्रिटिशों के लिए शानदार सेवाएँ अर्पित की थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके प्रगति के द्वार बंद होते गये। इस सेना के एक सैनिक के विषय में होल्म्स ने लिखा, "यदि वह हैदर के गुणों का भी अपन बचपन में प्रदर्शन करता, तो भी उसे मालूम था कि वह एक ब्रिटिश सहायक के बराबर भी वेतन नहीं पा सकता था। और जिस पद पर वह 3 साल की विश्वस्त सेवा के बाद पहुँचता, वह स्थिति भी उसे इंग्लैंड के एक नये रजिस्ट्रार का अनुगामी बनाने से न रोक सकती।"<sup>1</sup>

सरकार भी भारतीय अधिकारियों में विश्वास नहीं करती थी, प्रत्येक कंपनी में दो या तीन ऐसे भारतीय अधिकारी थे जिन्हें पूरे वेतन पर सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इसके लिए यह बहाना बनाया गया था कि उन्हें इनाम दिया जा रहा है। और यह तब किया जाता जब उन्हें आदरपूर्ण स्थान की प्राप्ति होती जाती।" जैसे ही सिपाही उनके निकट जाते, वैसे ही वे बहादुर प्राप्त कर लेते जो यूरोपीय अधिकारी अपना ही अधिकार मानते थे।"<sup>2</sup>

मद्रास की सेना ने 1806 में ही विद्रोह कर दिया क्योंकि नये नियमों के अनुसार सिपाहियों को अपने माथे पर जाति चिह्न अंकित कर देने की मनाही कर दी गयी, उन्हें अपने मिर के बाल छिनवाने का आदेश दिया गया जिससे वे चमड़ेदार कलगी सहित अपने माथे पर पगड़ी लगा सकें जो पुरानी पगड़ी के स्थान पर थी।

1824 में बैरकपुर में विद्रोह हुआ और आसाम में 1825 में। एमहट्ट के समय मयमा के युद्ध के समय बंगाल की सेना न इसलिए विद्रोह किया क्योंकि उन्हें उनकी परंपरा के विपरीत समुद्र पार जाना पडा, अपना सामान डोन की स्वयं व्यवस्था करनी पडी और एक परेशानी वाले स्थान अराकान जाना पडा। य सैनिक बाद में अफगानिस्तान जाने में भी हिचकिचाये। पर जब उन्हें बहादुरी का ध्य

1 होल्म्स इंडियन म्यूटिना, पृ० 49।

2 वही।



एक तरह की रलव-अवस्था हा गयी है, एक ...  
 त्राण एक वानून इसलिए इसके पास एक ही धर्म ...  
 मे बेहतर क्या हो सकता है। सर सैय्यद न ...  
 आतकिन किया कि व अघे जमे हो गय या या ...  
 खिसा गयी।"<sup>11</sup>

मेजर मेके जाँ और बनल ह्वीलर जस कुछ टुकड़ों ...  
 आम सेना मे ईसाइयत का प्रचार किया जिसकी ...  
 दिया। ईसाई धर्म का जागरूक प्रचार और ...  
 टोज ऐक्ट' ने सिपाहिया के मन में धर्म में और ...

इसके अतिरिक्त सेना में साधारण सैनिकों की ...  
 भट्टी भाषा और खुनी गाली से उनपर प्रहार किया जाता ...  
 अपने सहायकों में निकटना का व्यवहार करने का ...  
 और ऊंचे समाज के ब्राह्मणत्व में फसा रहता था।"<sup>12</sup> ...  
 बीच मवध मूल केवल उसका वतन और वृत्ति ...  
 भविष्य अत्यधिक अनाकंपन थे।<sup>13</sup>



एक तरह की रेलवे-व्यवस्था हो गयी है, एक तरह की तार व्यवस्था एव पूरे देश के लिए एक कानून इसलिए इसके पास एक ही धम होना चाहिए और वह ईसाई धम से बेहतर क्या हो सकता है। सर सैम्युअल ने कहा, "लागा को इन पत्रों ने इतना आतंकित किया कि वे अंधे जैसे हो गये या यो कह कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गयी।"<sup>1</sup>

मेजर मेकेंजी और वनल ह्वीलर जैसे कुछ उत्तरदायी अधिकारियों ने खुले-आम सेना में ईसाइयत का प्रचार किया जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ईसाई धम का जागरूक प्रचार और ऊपर से 'रिलीजस डिसएबिलिटीज ऐक्ट' ने सिपाहियों के मन में भ्रम में और वृद्धि कर दी।

इसके अतिरिक्त सेना में साधारण सैनिकों की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। अति भद्दी भाषा और खुली गाली से उनपर प्रहार किया जाता और "अंग्रेज अधिकारी अपने सहायकों से निकटता का व्यवहार करने के स्थान पर अपने लाभ, विलासिता और ऊँचे समाज के कायकलाप में फसा रहता था।" सिपाही और "सरकार के बीच मवघ सूत्र केवल उसका वेतन और वृत्ति थे और उसका वेतन व उसका भविष्य अत्यधिक अनाकपक थे।"<sup>2</sup>

मद्रास और बम्बई की सेना क नियमों के विपरीत बंगाल की सेना में पदोन्नति केवल सेवाकाल के आधार पर होती थी। पदमुक्ति की कोई आयु नहीं थी। रालिन्सन के अनुसार "परिणाम यह था कि 50 वर्ष की सेवा वाले सूबेदार (पैदल सेना में भारतीयों का मिलने वाला उच्चतम अधिकारी का पद) भी दिख जाते थे और इनमें से बहुत से इतनी अधिक आयु के थे कि वे सेना के माच के समय अर्ध सैनिकों का साथ नहीं दे पाते थे।"<sup>3</sup> यही बात ब्रिटिश अधिकारियों के संबंध में भी सच थी। डलहौजी ने स्वयं कहा, "नेतृत्व करनेवाले अधिकारी अवायक्षम हैं, ब्रिगेडियर भी बेहतर नहीं हैं, विभागीय अधिकारी तो दोनों से गये-गुजरे हैं क्योंकि वे अधिक आयु के व अकेले हैं और इन सबके ऊपर वे 70 वर्ष के एक सेनापति को रख देते हैं।" कानपुर की दुघटना के समय जनरल ह्वीलर की आयु 75 वर्ष की थी।

बंगाल के सैनिकों में यह भय भी व्याप्त था कि एक नया युद्धप्रिय सिख

- 1 अहमद सर सैम्युअल वस्से आन काजज आफ इंडियन रिवोल्ट इन्फ्यू० एन० सीज का अनुवाद प० 20 पृ. आनंद स्वरूप नाना साहब पेशवा भी देखें।
- 2 द सिन्धवाय स्पूटिनी क्रिसे हेनरी नालिस ने लिखा और जो जनरल सर होम घाण्ट के व्यक्तिगत जनरल में एकत्रित किया गया है।
- 3 सेन एस० एन० पूर्वोद्धत पृ० 21।
- 4 रालिन्सन पूर्वोद्धत पृ० 96।





एक तरह की रेलवे-व्यवस्था हो गयी है, एक तरह की तार व्यवस्था एव पूरे देश के लिए एक कानून इसलिए इसके पास एक ही धम होना चाहिए और वह ईसाई धम से बेहतर क्या हो सकता है। सर सैम्युअल ने कहा, "लागो को इन पत्रों ने इतना आतंकित किया कि व अंधे जैसे हो गये या या कहे कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गयी।"<sup>1</sup>

मेजर मेके जी और कनल ह्वीलर जैसे कुछ उत्तरदायी अधिकारियों ने खुले-आम सेना में ईसाइयत का प्रचार किया जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ईसाई धम का जागरूक प्रचार और ऊपर से 'रिलीजस डिसेम्बलिटीज ऐक्ट' ने सिपाहियों के मन में भ्रम म और बढ़ि कर दी।

इसके अतिरिक्त सेना में साधारण सैनिका की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। अति भद्दी भाषा और खुली गाली से उनपर प्रहार किया जाता और "अप्रेज अधिकारी अपने सहायका से निकटता का व्यवहार करने के स्थान पर अपने लाभ, विलासिता और ऊँचे समाज के कायकलाप में फसा रहता था।"<sup>2</sup> सिपाही और "सरकार के बीच मध्यम सूत्र केवल उसका वेतन और वृत्ति थे और उसका वेतन व उसका भविष्य अत्यधिक अनाकपक थे।"<sup>3</sup>

मद्रास और बम्बई की सेना के नियमों के विपरीत बंगाल की सेना में पदोन्नति केवल सेवाकाल के आधार पर होती थी। पदमुक्ति की कोई आयु नहीं थी। रालिंसन के अनुसार "परिणाम यह था कि 50 वर्ष की सेवा वाले सूबेदार (पदल सेना में भारतीयों को मिलने वाला उच्चतम अधिकारी का पद) भी दिख जाते थे और इनमें से बहुत से इतनी अधिक आयु के थे कि वे सेना के माच के समय अय सैनिकों का साथ नहीं दे पाते थे।"<sup>4</sup> यही बात ब्रिटिश अधिकारियों के सबंध में भी सच थी। डलहौजी ने स्वयं कहा, "नेतृत्व करनेवाले अधिकारी अवायकम हैं ब्रिगेडियर भी बेहतर नहीं हैं, विभागीय अधिकारी तो दोनों से गये-गुजरे हैं क्याकि वे अधिक आयु के व अकेले हैं और इन सबके ऊपर वे 70 वर्ष के एक सेनापति को रख देते हैं।" कानपुर की दुषटना के समय जनरल ह्वीलर की आयु 75 वर्ष की थी।

बंगाल के सैनिकों में यह भय भी व्याप्त था कि एक नया युद्धप्रिय सिख

1 अहमद सर सैम्युअल वल्ले आन कात्रज आफ इंडियन रिबेल्स डब्ल्यू० एन० सीज का अनुवाद पृ० 20 मिथा आनद स्वरूप नाना साहब पेशवा भी देखें।

2 द मिन्डाय स्पूटिनी ब्रिगे हेनरी नालिम ने लिखा और जो जनरल सर होम घाष्ट के अखिगत जनरल में एकत्रिण किया गया है।

3 मेन एम० एन० एबोडत पृ० 21।

4 रालिंसन एबोडत पृ० 96।

रेजिमेंट अधिक आदर प्राप्त करेगा। भारतीय और अंग्रेज सैनिका की सख्या म काफी अंतर था जो उह प्रोत्साहित करता था। विद्रोह प्रारंभ होने के समय पूरे दश में अंग्रेजी सैनिकों की सख्या 36 हजार थी, जबकि भारतीय सैनिकों की सख्या 2 लाख 57 हजार थी। इनमें तोपखाने से सबद्ध हथियारबंद पुलिस और लश्कर की गिनती सम्मिलित नहीं है जिनकी सख्या काफी थी।<sup>1</sup> सेन ने लिखा है कि, 'लाड विलियम बेंटिक की आर्थिक नीति न यूरोपीय अधिकारियों में पर्याप्त असंतोष की भावना भर दी थी और वे खुलेआम विद्रोह की बात करते थे। यह बात भारतीय और यूरोपीय सैनिकों से छिपी नहीं थी।'

देश में सैनिकों का विभाजन भी दोषपूर्ण था। बंगाल और बिहार में यूरोपीय सैनिक नहीं के बराबर थे। कलकत्ता व पटना के निकट दानापुर में कुछ यूरोपीय सैनिक थे। अधिकतर यूरोपीय सेना दूर पंजाब और अन्य स्थानों पर पड़ी थी। केवल बंगाल की सेना 1,51,361 सैनिकों की थी जिससे वे अपन भविष्य के प्रति विश्वस्त थे।

भारतीय सेना में कुछ ऐसे भी थे जो दिल्ली के राजपरिवार के लिए अपन मन में अब भी आदर रखते थे और उनका यह भाव भी उहे काय करन की प्रेरणा देता था। व्यक्तिगत यूरोपीय धन के लूट में मिलने की संभावना भी थी। जून 1857 को प्लासी के युद्ध का शताब्दी दिवस पड़न वाला था और लोग का अधविश्वास था कि इस दिन ब्रिटिशों का पतन अवश्यभावी है। और अंतिम घटना गुप्त रूप से सत्ताियों के बदन की थी। इसीलिए साधारण जन और सैनिकों के बीच कमल के फूल का बटना भी प्रारंभ था। इन घटनाओं की उत्पत्ति के कारण का पता तो नहीं चलता, पर चूँकि एक सही अवसर पर ऐसा कुछ हो गया था इस कारण जन असंतोष को और भड़कने में सहायता ही मिली थी।

और एक बार जब विद्रोह भड़क उठा तो इसे बनाये रखने और बढ़ाने के और कारण भी एकत्रित हो गये। यह अफवाह फैली कि श्रीमिया के युद्ध में रूस ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया है। अंग्रेजों के साधन और शक्ति का भी गलत आ-दाज लगाया गया। अवध के भूतपूर्व नवाब के दरबारियों ने भी असंतोष का सूत्र हवा दी। दिल्ली सम्राट ने भी बेतन और भूमि देने का वादा किया। सेना से मुक्त किये गये सैनिक, जो इधर-उधर भटक रहे थे, उहाँन विद्रोह की आग में घी का काम किया।

सांस्कृतिक कारण—विद्रोह का कारण चर्चों का लेकर वारतूसा स जुड़ा था। सत्ताियों के लिए नयी इन्फैंट्री बंदूक लायी गयी थी जिसमें गोली भरने

1 राबर्ट्स पृ० ६०। मार्शल इंडिया पृ० 434।

2 सेन एम० एन पूर्वोक्त पृ० 24-25।

के लिए कारतूस को सिपाही को दात से एक ओर काटना पड़ता था। यह अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का धम नष्ट होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस आरोप का खंडन किया और सिपाहियों को इन कारतूसों को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया। ये सिपाही बरकपुर में इसी स्थिति में क्रुद्ध हो गये और विद्रोह कर दिया। बरहामपुर में भी ऐसा ही हुआ। पर सिपाहियों का निर्णायक विद्रोह मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इन कारतूसों का प्रयोग न करने के आरोप में 85 सैनिकों को कैद कर लिया। बाद में यह सच सिद्ध हुआ कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था जिसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं थी।

इस तरह विद्रोह की आग लग चुकी थी और स्थिति पर फिर काबू नहीं पाया जा सका। मेरठ में जिम रेजिमेण्ट ने विद्रोह किया उसने तमाम यूरोपीयों को मार डाला और दिल्ली की ओर बढ़ चला। दिल्ली के रेजिमेण्टों ने भी विद्रोह किया। राजधानी में विद्रोहियों ने तमाम यूरोपीयों को मारकर नगर पर अधिकार कर लिया और पुराने मुगल सम्राट को गद्दी पर बैठाया। जल्दी ही विद्रोह लखनऊ, बरेली कानपुर, आगरा, झांसी, मध्य भारत, बुंदेलखंड और अन्य स्थानों पर फैल गया। इन विद्रोहियों ने यूरोपीयों को मारा और जेलों को तोड़कर कैदियों को स्वतंत्र किया।

कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब के हाथ में था। ब्रिटिश सना ने यहाँ हथियार डाल दिये और चार को छोड़कर सभी अंग्रेज सैनिक मार डाले गये। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और यहाँ पर भी बहुत से यूरोपीय मार डाले गये। अन्य भारतीय नेताओं में तातिया टोपे, कुंवर सिंह, अजी मुल्लाह खा, अहमदशाह और फ़ैजाबाद के मौलवी अहमदशाह का नाम आता है।

ब्रिटिशों के पक्ष में इन दिनों सबसे अधिक सेवा पंजाब न की जो पूरा-का-पूरा विश्वस्त बना रहा। इसके कुछ ही अपवाद थे। इसके लिए श्रेय कमिश्नर सर जान लारेन्स को दिया जाना चाहिए जिसने असंतुष्ट सैनिकों के अस्त्र रखवा लिये। नयी सिख सेना की एक रेजीमेण्ट बनायी और दिल्ली वापस छीनने के लिए उसे भेज दिया। दिल्ली भारत का केंद्र स्थल होने के कारण, इसकी वापसी महत्वपूर्ण थी और तभी विद्रोहियों की रीढ़ तोड़ी जा सकती थी। बहादुर शाह को कैद कर लिया गया, उसके दो पुत्रों को गोली मार दी गयी और उसे रगून भेज दिया गया।

कानपुर में नाना साहब को जनरल हैबलाक ने पराजित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह लखनऊ की ओर आगे बढ़ा। पर उसके कानपुर छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया।



चापसी की चेष्टा, या फिर किसानों का युद्ध। हर दृष्टि से यह स्थानीय, सीमित और असंगठित था।<sup>1</sup>

### असफलता

विद्रोह की प्रकृति चाहे जो रही हो, इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। राष्ट्र का एक अच्छा-खासा भाग हथियार लेकर खड़ा हो गया। ब्रिटिशों के अल्प साधन और आवागमन की कठिनाइयाँ न इस विद्रोह का सामना करने में उन्हें दिक्कतें ही पेश कीं। जनता के लिए स्थिति बहुत पक्ष में थी और ब्रिटिश आश्चर्यचकित रह गये थे। पर यह आश्चर्य ही था कि विद्रोह असफल हो गया। यहाँ पर विद्रोह की असफलता के कारण का अध्ययन शिक्षाप्रद होगा।

यह कहा जा सकता है कि विद्रोह की असफलता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि पूरे देश के लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया और जिहान भाग भी लिया उनमें संगठन नहीं था। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, केवल पंजाब के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, जवध, नवदा व चबल नदी के बीच के क्षेत्र बिहार व बंगाल का पश्चिमी भाग थे। राजपूताना, मध्य और पूर्वी बंगाल, नवदा के दक्षिण के भाग इम, विद्रोह से अप्रभावित रहे। सिंध विप्लवस्त रहा, अफगानिस्तान के दोस्त मुहम्मद ने विश्वस्त ढंग से सहायता की और नेपाल भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा, एक भी महत्वपूर्ण राजा इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुआ। जनता और उसके बुद्धिजीवी वर्ग शांत रहे। प्रथम तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी और दूसरे उन्हें शासन करनेवाले राजाओं से सहायता की कोई आशा नहीं थी। कूटनीति, पारितोषिक और चंदावनी के अस्त्र के सहारे सिखों को विद्रोहियों से दूर ही नहीं रखा गया बल्कि उनसे विद्रोहियों के विरुद्ध सहायता भी ली गयी।

सर डब्ल्यू० रसेल ने स्थिति का सही आकलन ही किया, जब उसने लिखा, 'हमारा दिल्ली का घेरा सभ्य ही नहीं होता यदि पटियाला और जीन्द के राजा हमारे मित्र न हों और यदि सिख हमारे बटालियन में न हों और पंजाब में शांत पड़े रहते। सिखों ने लखनऊ में उत्तम सेवाएँ कीं। हर मामले में जनता ने हमारे सैनिकों की सहायता की, भोजन की व्यवस्था की और युद्ध के मैदान में उन्होंने उपस्थित रहकर उन्हें शक्ति प्रदान की।'<sup>2</sup>

1 टॉमसन एण्ड गेरे राइज ऐण्ड फुनक्लिमेंट आफ ब्रिटिश इल इन इंडिया, पृ० 436।

2 रसेल सर डब्ल्यू० माई डायरी इन इंडिया।



रोक दिया। साबरकर ने नाना साहब के इस काय का समयन करते हुए लिखा है कि "दिल्ली में ही सभी सैनिकों को पहुंचा देना से ही कोई लाभ नहीं होने वाला था।" 1 पर डॉ० मजूमदार का कहना है कि, "वह यह भूल जाते हैं कि आवश्यकता इस बात की थी कि पंजाब से आनेवाली सहायता रोक दी जाय। और विद्रोहियों की सख्या इतनी अधिक थी कि सही नेतृत्व में दिल्ली पहुंचने वाली पंजाब और कलकत्ता दोनों की सहायता को वे रोक सकते थे।" 2 नाना का स्वाथ कानपुर तक ही सीमित था। वे अपने लिए पशुवापद प्राप्त करने के इच्छुन थे। उनकी इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली में कोई रुचि नहीं थी। दिल्ली यदि ब्रिटिशों के हाथ से निकलकर बहादुर शाह के हाथ में पहुंच जाय तो वे उससे भी सन्तुष्ट नहीं थे।

सच में विद्रोह करनेवाला म कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर मोचता। विद्रोह के तथाकथित नेता और नायक, जैसे नाना साहब राष्ट्रहित के विरोधी थे। विशेष रूप से नाना साहब के विषय में जितना ही कम कहा जाय, वही बेहतर है। स्वार्थी और अयोग्य नाना साहब में याचना बनाने की न तो बुद्धि ही थी और न बड़े स्तर पर युद्ध करने की क्षमता। कानपुर के निकट वह हैवलाक से हार गया और इस युद्ध में विजय प्राप्त के लिए उसने बुद्धि और शीघ्र किसी चीज का प्रयोग नहीं किया। दिल्ली जाने से अपने सैनिकों को रोककर उसने बुद्धिहीनता का ही काय नहीं किया बल्कि गद्दारी भी की। उसने कानपुर में यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को कत्ल कराकर अनयकारी अपराध किया। सबसे घिनौना काम तो उसने यह किया कि इस सबके साथ बीच-बीच में ब्रिटिशों के पास पत्र के माध्यम से अपीलें कीं कि उसे क्षमा कर दिया जाय तथा उसे उसकी उपाधि व वनि वापस की जाय। उसने एक पत्र में एक ऊंचे ब्रिटिश अधिकारी को लिखा, 'यह आश्चर्यजनक है कि मैंने असहायता में विद्रोहियों का साथ दिया पर फिर भी मुझे क्षमा नहीं किया गया। स्त्रियों और बच्चों को आपके सिपाहियों और बदमाशों ने उस समय मारा जब हमारे सैनिक कानपुर में भाग चुके थे।' 3

तातिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बुवरसिंह एक बार विद्रोहियों के साथ आ गये तो वे उनके प्रति ईमानदार बने रहे। पर इनमें से किसी के पास राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। बहादुरशाह तो केवल नामधारी शासक था।

पर इनके विपरीत लारेंस, आउट्राम, हैवलाक, एडवर्ड्स एवं निकल्सन महान् सैनिक ही सही थे बल्कि महान् योजना बनानेवाले और सगठक थे। लारेंस को

1 साबरकर वी० डी द इंडियन वार आफ इण्डिया प० 220।

2 मजूमदार सीप्वाय म्यूटिना प० 271।

3 मजूमदार आर० सा० सीप्वाय म्यूटिनी ऐंड रिवाल्ट आफ 1857।





दीवार स घिरी दिल्ली को, जिसके पास बढिया सेना थी जो बाहर के क्षेत्रों में भी जा सकती थी और जिसके अंदर अच्छी किलेबंदी थी, ब्रिटिशों ने केवल 4 महीने में हथिया लिया। य भारतीय कमजोरियों के कुछ ज्वलत उदाहरण है।

और फिर एक जोर के ब्रिटिश थे जिन्हें अपनी महिलाओं और बच्चा की हत्या का बदला लेना था। उनके सीने में एक साम्राज्य को बनाय रखन का उत्साह था, अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बचाने का निश्चय था। इस सबके अतिरिक्त उनमें थी आपस में एक बने रहने की इच्छा लड़ने और जीतने का उत्साह। उनके सामने जीतने के अतिरिक्त और विकल्प नहीं था, तभी उन्हें जीवित रहने का अवसर था। यदि वे भागते तो भारत में सिर छिपाने और प्राण बचाने के लिए स्थान कहा था ?

जबकि दूसरी ओर भारतीय लड़ने में बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं कर रहे थे जितना अद्यता का। अपने धर्म को बचाने की भावना के पदों के पीछे चले जान से अब उन्हें लड़ाई भौतिक लाभ के लिए या ब्रिटिशों से घृणा की भावना के वशीभूत होकर करना था। उन्हें उत्साहित करने के लिए कोई राष्ट्रीय आदेश नहीं था जो उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। युद्ध के मदान में इनके लिए लड़ना सामयिक आवश्यकता थी और वहां से भागकर गांव पहुंच जाना जीवन के लिए शांति व सुरक्षापूर्ण आवश्यकता।

बगान के सैनिकों के चरित्र में भी ऐसा कुछ नहीं था जो ईर्ष्या की वस्तु हो। प्रेम और बंधुत्व के स्थान पर घमंड और जात्रामकता उनकी विशेषता थी जिसके कारण अब कोई उनसे किस आशा से जाकर मिलता।

1857 के विद्रोह में इस स्थिति के कारण किसानों, खेतिहरों और जनसाधारण से इसमें सहयोग की अपील नहीं की गयी। इसमें सबसे अधिक सहयोग बंबाई राजाओं व उपाधि तथा वस्ति गवा देनेवाले यंत्रियों ने दिया।

देश के कुछ भागों में, उदाहरणार्थ पंजाब और राजपूताना में कुछ लोगों ने ब्रिटिशों का अनुशासित शासन पसंद किया। भले ही यह राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति तथा अनुशासनहीन राजाओं के प्रशासन के लिए अपमानजनक रहा। सर जॉन स्ट्रैची ने लिखा है कि, "एक बार मुझे यह कृतव्य सोपा गया कि मैं लम्बे अर्से से चले आ रहे ब्रिटिश क्षेत्र के कुछ गांव एक अच्छे स्थानीय शासक के क्षेत्र में मिलवा दू। मुझे जनता की ऊंची और तीव्र आवाजें नहीं भूलेगी जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है।"

"ब्रिटिशों द्वारा उत्पन्न नया मध्य वर्ग 1857 के विद्रोह से कोई आशा नहीं करता था। उन्हें इस मध्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश शासकों में ही प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने हित में ब्रिटिशों का समर्थन करना ही उचित समझा। व 'सामंतशाही

घोड़े' का समयन करने का तैयार नहीं हुए।<sup>1</sup>

समय भी भारतीया के विरुद्ध था। ब्रिटिशा के भाग्य से श्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था। रूस इसमें हार गया और भारतीय विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय जगत से अलग-थलग पड़ गये। भारतीया द्वारा शीघ्र विजय से ही समस्या सुलझ सकती थी अथवा इंग्लैंड से सहायता पहुँच सकती थी। पर जो विवरण ऊपर दिया गया है उससे स्पष्ट है कि विद्रोहियों ने ऐसी कमजोरी का प्रदर्शन किया कि बाहर से सहायता मगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

पर अन्त यह भी बता दिया जाना चाहिए कि अनेक बार ब्रिटिशों का भाग्य ने साथ दिया। इनमें स सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यदि विद्रोह का दमन होना में अधिक समय लगता तो भारतीय राजा इसमें सम्मिलित हो सकते थे। विद्रोह के नेताओं और बहादुर शाह द्वारा उनको आकषक उपहार देना की घोषणा हो रही थी। पंजाब में भी स्थिति बहुत सुरक्षित नहीं थी। खूखार कबीले ब्रिटिशों पर आक्रमणाघ घात लगाय तैयार थे। 13 हजार बर्खास्त सैनिक ऊधम मचाते घूम रहे थे। वैसे तो अधिकतर जनता विश्वासपात्र थी पर उनमें यह भावना व्याप्त थी कि देख ब्रिटिश रहत हैं या चल जाते ह।<sup>2</sup> 'यदि सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार न किया जाता और वह भी जल्दी से, तो पंजाब में ही यूरोपीय लोगों के लिए कठिनाई पैदा हो जाती।'<sup>3</sup>

19 अप्रैल 1858 को लारेंस ने एक मिनिट में लिखा "भारत में गभीर और अनुभवों लोग यह विश्वास करते हैं कि किसी आश्चर्यजनक शक्ति ने ही हम बर्बादी में बचाया है।"<sup>3</sup>

जैसा भी हो, विद्रोह को कठोरता से दबा दिया गया। पर एक बार ऐसा हो गया तो कैनिंग ने जनता के साथ बदले की भावना के साथ काम नहीं किया। उसने घोषणा की कि वह क्रोध में शासन नहीं करना चाहता। साथ ही चतुराई भी इसी में थी कि उगार रखा जाये। क्योंकि इतने अल्प अप्रेक्षा के साथ भारत पर शासन करना जनता और भारतीय सैनिकों के स्वेच्छा के बिना सम्भव नहीं था। बहुत से राजा जमींदार और साधारण जन ब्रिटिशा के प्रति मैत्री का प्रदर्शन करत थे। यह कोई अच्छाई नहीं थी कि चमडी के आधार पर घणा की भावना पनपायी जाय। इमीलियन कैनिंग ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रसारित किया कि उसके अधिकारों अनावश्यक मूल गरावा न करें व गाव न जलायें क्योंकि इससे दुर्भिक्ष तो फैलगा ही साथ ही यह राजस्व-स्रोतों का नष्ट करेगा। कैनिंग को जातीय शत्रुता के मंतर का

1 ग्विनियन 1857, ए सिम्पोजियम पृ० 117।

2 छाबड़ा हिस्ट्री ऑफ पंजाब भाग 2 पृ० 353।

3 पंजाब एंड मिनिश्ट्रियन लिगट 1856-58।

मान था। इसीलिए वह शीघ्रता से स्थिति में सुधार करना चाहता था।

जो प्रस्ताव प्रसारित किया गया था उसमें उन लोगों के विरुद्ध कारवाई के नियमों का उल्लेख भी किया गया था जो हिंसा और हत्या में लगे थे। पर सभी कुछ कानून के अंतर्गत किया जाना था और कोई ज्यादती नहीं की जानी थी। इसमें पूरा सोच विचारकर कारवाई की गई जिससे अत्याय भी न हो और भारत में ब्रिटिश हितों को हानि भी न पहुंचे। पर उसे गलतफहमी थी क्योंकि प्रेस में और अन्यत्र कनिंग की उदारता की भत्सना करते हुए तूफान खड़ा कर दिया गया। एक भारतीय अखबार ने इसे 'नीति विरोधी और अत्याचारपूर्ण' इससे अंग्रेजों और ईसाइयों का खून बहता है उनकी औरतें, बहनें और लड़कियां इससे अपमानित भी होती हैं और उसके बदले में कुछ नहीं होता है" लिखा, लंदन के 'टाइम्स' ने एक लंबे लेख में इसे 'कनिंग की दया' की सजा दी और घृणात्मक दृष्टि में मांग की कि क्या "मानवता और उदारता केवल विद्रोही लोगों के लाभ ही के लिए हैं।" एक दूसरे लेख में 'टाइम्स' ने इस एक 'मूखतापूर्ण घोषणा' की सजा दी। 'पंच और डेली यूज' जैसे अखबारों ने भी उसपर तीखे प्रहार किए, पर कनिंग अपनी नीति पर अटल रहा और ग्रैनविल का लिखा कि, "जबतक मेरे शरीर में सास है मैं उसी नीति पर चलूंगा जिसे मैंने अभी तक अपनाया है।" ग्रैनविल ने उसका समर्थन किया और रानी ने भी हृदय से उसकी नीति को स्वीकार किया।

कनिंग नए काल में शान्तचित्तता का प्रदर्शन किया जब पूरा वातावरण में घणा, अवैचारिक बदले की भावना और क्रोध का भाव व्याप्त था। उसने अपने लिए भारतीय गाड़ों को बदलकर अंग्रेज गाड़ रखना अस्वीकार कर दिया। कलकत्ता के अंग्रेजों की यह मांग भी उसने नहीं मानी कि पूरे बंगाल में माशुल लॉ लगा दिया जाये और बड़े विरोध के बावजूद उसने मुशी अमीर अली को जो एक मुस्लिम वकील थे, पटना डिवीजन में डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। खुली गालियां, हिंसात्मक विरोध और उसे वापस बुलाने के रानी के पास भेजे गए पेटिशन भी उसको उस रास्ते से विरत न कर पाय जिसे वह ठीक समझता था। उसकी सवाआ की इंग्लैंड में प्रशंसा की गयी। उसे जी० सी० बी० बना दिया गया और 1859 में उसे अल का पद प्रदान किया गया।

जब तूफान शांत हो गया तो यह आकलन करने का समय भी आया कि उन लोगों को क्या नाम दिया जाय जिन्होंने ब्रिटिशों की विश्वस्तता से सेवा की। पंजाब के चीफ कमिश्नर जान लारेंस की पदोन्नति लेफ्टीनंट गवर्नर के पद पर कर दी

1 इसी तरह कनिंग का नाम क्लीमेंसी कनिंग पड़ गया।

2 मकनागन माइकेल क्लीमेंसी कनिंग प० 132-41।

गयी। पटियाला, नाभा, जीन्द, कपूरथला आदि के शासक को, जिन्होंने ब्रिटिशों की उनके कष्ट के समय सहायता की थी, उचित ढंग से इनाम प्रदान किया गया। नेपाल का वह क्षेत्र जो ब्रिटिशों ने ले लिया था और अवध को 1815 में दे दिया था उसे नेपाल के शासक जगबहादुर को वापस कर दिया गया। उस सन्ना का जी० सी० बी० पद भी दिया गया। इस स्वतंत्र देश के सैनिक विद्रोह के समय लखनऊ तक आ गए थे। कनिंग भी अपनी आनवान से अपर इंडिया हाकर गुजरा और दरबार किये। उसने अम्बाला, लाहौर, पेशावर, स्यालकोट और शिमला में वहाँ के राजाओं से भेंट की।

### विद्रोह के उपरान्त परिवर्तन

टामसन और ग्रेट ने लिखा है कि, "विद्रोह को केवल एक खिन करनेवाली ऐसी घटना कहकर नहीं टाला जा सकता जिसका जत अग्रजों ने देवाकर किया।" 1 इसके बाद पूणतया आन्तरिक प्रशासन को पुनर्गठित किया गया और भारतीय राज्यों से सबध भी स्थापित किये गये। पावेल प्राइस ने लिखा है कि, "विद्रोह के बाद पुनर्गठन ने यह अवसर प्रदान किया कि कंपनी से शासन शक्ति फ्रांस के हाथों में दे दी जाये जो मृत्यु भी हो और बैम ही दिखे भी।" 2

### भारत में बेहतर सरकार के लिए ऐक्ट

विद्रोह का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम भारत में बेहतर सरकार हेतु 1858 का ऐक्ट था। यह ऐक्ट सच में 1784 में पिट के इंडिया ऐक्ट द्वारा प्रारंभ की गयी परंपरा के अंत का सूचक था। 1784 से आगे धीरे धीरे भारतीय मसला पर इंग्लैंड के ताज की पकड़ मजबूत होती गयी और कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की शक्ति धीरे धीरे घटती गयी। अंततः 1853 का ऐक्ट पारित हुआ। इस ऐक्ट में स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारत के सारे क्षेत्र और राजस्व को रानी की ओर से ग्रहण करेगी, जबतक कि कोई और व्यवस्था न हो। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार पहले से ही समाप्त किया जा चुका था और भारत में किसी भी अंग्रेज का आचरण की छूट प्राप्त हो गयी। इन परिस्थितियों में कंपनी से ताज के हाथ में शक्ति का परिवर्तन अधिक दिना तक इतजार का विषय नहीं हो सकता था।

भारतीय सरकार की कार्यक्षमता के लिए गृह-क्षेत्र में तत्कालीन दुहरी शासन प्रणाली भी लाभकर नहीं थी। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स और बोर्ड आफ कंट्रोल के बीच लगातार झगड़े और बिगाड़ के कारण कार्य में अनावश्यक देरी हो जाया करती

1 टामसन ऐंड ग्रेट पूर्वोक्त पृ० 390।

2 पावेल प्राइस, ज० सी० ए इस्टीमेट ऑफ इंडिया पृ० 559।

थी। भारत और इंग्लैंड के बुद्धिजीवी लोगों ने इसकी बार-बार आलोचना की। इस तरह इस कमी को भी दूर किया जाना था।

यह विश्वास भी जार पकड़ता जा रहा था कि कंपनी जसी व्यापारिक मस्या बिना स्वाय के शासन ही नहीं कर सकती। करोड़ों लोगों की भूमि की नरवार व्यापारियों के संगठन से काय-शमता के साथ नहीं चल सकती क्योंकि उनकी निगाह लाभ पर अधिक रही है। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति और इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में हो रहे उदारवाद के विचारों का प्रभाव भी भारतीय पद्धति व जीवन पर पड़े बिना नहीं रहे सक्ता था। उस देश में उदार लोगों की एक पीढ़ी ही जन्म ने रही थी जिसका विश्वास था कि सरकार की मतिमंडल के प्रति उत्तरदायी पद्धति ही सर्वोत्तम है। और उह तब तक सतोप नहीं हो सकता था जब तक कि वह पद्धति इंग्लैंड की ही भांति भारत में स्थापित न हो जाय।

परिवर्तन का यह अवसर भारत में तब आया जब 1857 में महा विद्रोह हुआ। इंग्लैंड में कंपनी के शासन-पद्धति की आलोचना हुई जिसके कारण यह विद्रोह हुआ और जिमम सँकड़ा अंग्रेजों की बलि हुई और बहुत से भारतीयों का जीवन व धन तहम-नहन हुआ गया। जो ताज के सीधे नियंत्रण के पक्षधर थे उन्होंने अपनी आवाज तेज कर दी और जब विद्रोह के बाद पुनर्गठन प्रारंभ हुआ तो "कंपनी से ताज को गिराने का परिवर्तन देखने में और सच्चाई में कर दिया गया।"

1857 के आम चुनाव में पार्लियामेंट सफल हुआ और प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी वर्ष जुलाई में उसने संसद के समक्ष दुहरे शासन की बुराईया बतानी और भारतीय शासन के अधिग्रहण की इच्छा व्यक्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी चौक पड़ी और उसने इस कदम के विरुद्ध एक 'ग्रैंड पेटिशन तयार किया। कंपनी की सेवा में नियुक्त उस काल के प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल ने बड़ी चतुराई से पेटिशन तयार किया जिसमें कंपनी की ओर से कहा गया कि दुहरे शासन में कोई दोष है तो इसकी रचना 1784 में पिट्स इंडिया ऐक्ट के अंतर्गत की गयी थी, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ही इसके लिए दोषभागी है। कंपनी ने उन महान सेवाओं की गिनती करानी जो उसने भारत और ताज दोनों की की थी। उसमें यह भी बताया गया कि किस तरह एक विस्तृत साम्राज्य की रचना बिना व्यय के कर दी गयी है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत सरकार का सीधे अधिग्रहण खतरनाक भी है। और यह "विश्वास करना कि भारत का प्रशासन तब सही होता यदि यह ताज के एक मंत्री द्वारा किया गया होता जिसमें कोर्ट आफ डायरेक्टर्स सहयोगी न होते, इस बात के सोचने के बराबर है कि मंत्री भारत पर शासन करने की संपूर्ण शक्ति के साथ यदि अपनी इच्छा से शासन करता है तो वह अच्छा शासन नहीं है क्योंकि उसने अनुभवी और उत्तरदायी परामशदाताओं की सहायता से शासन किया है।" कंपनी के चेयरमैन रास मजिस्ट्रल ने इसपर आश्चर्य व्यक्त किया कि

कंपनी का अस्तित्व बिना ससदीय छानबीन के खतरे में डाल दिया गया है। उसन जोर दिया कि, “कंपनी जैसी एक माध्यमिक, अराजनैतिक और पूणतया स्वतंत्र सस्था भारतीय सरकार के उत्तम शासन के लिए आवश्यक है।’

पर इस सबका पामस्टन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडा और उसन फरवरी 1858 में भारत में बेहतर सरकार के लिए एक बिल प्रस्तुत करत हुए कहा, “हमारी राजनैतिक परंपरा का यह मिद्धात है कि सभी प्रकार के प्रशासकीय कार्यों के साथ ससद के प्रति मन्त्रिमंडलीय उत्तरदायित्व जुडा होना चाहिए। पर इस मामले में भारत सरकार के कार्य एक ऐसे संगठन के प्रति हैं जो ससद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और न ही ताज द्वारा नियुक्त है। इसके सदस्यों का चुनाव व करत हैं जिनका भारत से कोई बास्ता नहीं है। “पर लाड पामस्टन के तक हमदर्दीपूर्ण भाषा में थे और उसन कहा भी कि बिल का उद्देश्य कंपनी की भत्सना करना या उसे नीचा दिखाना नहीं है बल्कि वतमान प्रणाली में कुछ स्पष्ट दोषों का दूर करना है। पामस्टन इसमें भी महमत नहीं था कि शक्ति का सीधे अधिग्रहण से भारत या वही और से खतरा है। उसके अनुसार भारत के लोग इस परिवर्तन का स्वागत ही करेंगे। कुछ सदस्यों ने तो कंपनी के प्रशासन की क्रूरता से आलाचना की और उनमें सबसे अधिक मुद्दफ्त संभवतः सर जाज वानवेल लेविल था।

यह बिल दूसरे वाचन में सामन जाया। पर दुभाग्य से कानून बनने के पूर्व पामस्टन का ‘सपिरसी टु मडर बिल के ऊपर पराजित हो गया और पद से अलग कर दिया गया। लाड बर्वी उत्तराधिकारी हुआ और डिजरेली चांसलर आफ एक्सचेकर बनाया गया। डिजरेली ने एक नया इंडिया बिल ससद में रखा। पर इसकी लाड पामस्टन और उसके साथियों ने भत्सना की। यह मामला चलता ही रहा जब स्टेनले ने एक दूसरा बिल प्रस्तुत किया जो भारत में बेहतर सरकार के लिए ऐक्ट के रूप में पारित हो गया।

धारायें—इस ऐक्ट में 75 खंड थे जिसमें यह घोषित हुआ कि आगे से भारत में “रानी के नाम पर रानी द्वारा” शासन किया जायेगा। गृह सरकार के सम्बन्ध में ऐक्ट में अधोलिखित परिवर्तन किए (1) बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट आफ डायरेक्टर्स का स्थान भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट ने ले लिया। (2) सेक्रेटरी आफ स्टेट के सहायताय 15 सदस्यों की एक कौंसिल आफ इंडिया का निर्माण किया गया। इनमें से 8 ताज द्वारा नियुक्त किये जाने थे और 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भूतपूर्व सदस्यों द्वारा। (3) कम से कम इसके आधे सदस्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक की सेवा कर चुके हों और अपनी नियुक्ति के समय वे भारत से 10 वर्ष के पहले से दूर न रहे हों। (4) ताज द्वारा नियुक्त लोगों में कोई जगह रिक्त होने पर ताज ही पुनः उस पद पर नियुक्ति करेगा और डायरेक्टर्स द्वारा चुने गए लोगों के स्थान के रिक्त हान

वर कौंसिल द्वारा कोआप्टेड सदस्य से जगह भरी जायेगी। (5) जबतक इन सदस्यों का व्यवहार अच्छा रहेगा वे अपने पद पर काय करते रहेंगे और उन्हें सदस्य के दोनों सदनों के पेट्रीशन पर ही हटाया जा सकेगा। (6) उनका वार्षिक वेतन 1,200 पाउंड होगा। (7) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मन्त्रिमंडल का सदस्य होगा, वह सदस्य बैठेगा और उसकी सहायता ससदीय अडर सेक्रेटरी करेगा। (8) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौंसिल की बैठकों का प्रतिनिधित्व करेगा। रुपये की सेक्युरिटी चालू करना, धन को गिरवी रखने या बेचन तथा धन और राजस्व के सदुपयोग के मामलों में वह बहुमत के नियम से बंधा रहेगा। पर अर्थ मामलों में यह कौंसिल के नियमों की भी अवहेलना कर सकेगा। पर ऐसी स्थिति में वह स्वयं या कोई अर्थ सदस्य इसकी मांग कर सकेगा कि वह अपना मत और तर्क कारवाई में लिख दे। कौंसिल को स्वयं इस तरह का कोई अधिकार नहीं था। इसे केवल सेक्रेटरी द्वारा प्रस्तुत मसला पर अपना मत देना था। (10) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्यापार के सही कामकाज के लिए नियम बना सकता था। उसे विभिन्न समितियाँ बनाने और उनके मध्य विभिन्न विभागों के बाँटने का अधिकार प्राप्त था। (11) कौंसिल की बैठक कम से कम सप्ताह में एक बार होती थी। इसकी गणपूर्ति के लिए 5 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अनुपस्थिति में जो नियम होते थे उसपर उसके लिखित अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। (12) भारत का राजस्व केवल भारत के लिए ही प्रयोग करने का निश्चय हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कौंसिलरों का वेतन, इंडिया आफिस का व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऋण और डिवाइडेण्ड ऑफ स्टॉक सभी भारत द्वारा देय घोषित हुए। पर सेक्रेटरी के व्यय और ऋण सबधी आदेशों पर कौंसिल के बहुमत के सदस्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती थी। (13) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गवर्नर जनरल को प्रेषित किये जानेवाले सभी पत्र कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे या बैठक कक्ष में सात दिन तक रखे रहते थे। यदि कौंसिलरों का बहुमत इससे असहमत होता और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसे अब भी माय करता तो उसे इसके लिए कारण देने होते। युद्ध की घोषणा, समझौता करने, राजाओं से बातचीत करने के कुछ मामले ऐसे थे जो गुप्त रहते थे और इस कारण उन्हें कौंसिल के सामने नहीं लाया जाता था। इस सबंध में गवर्नर जनरल से प्राप्त पत्र भी गुप्त श्रेणी में आते थे। (14) ऐक्ट के अंतर्गत संरक्षण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत सरकार में विभाजित था। सभी नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ जो नियमानुसार या परंपरानुसार भारत में किसी अधिकारी द्वारा की जाती थी वे उसी तरहके अधिकारी द्वारा आगे भी भारत में की जाती रहेगी" यह स्वीकार किया गया। सिविल सर्विस कमिश्नरों की सहायता से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा बनाय गये नियमों के अनुसार सिविल सेवाओं में प्रतिनाबद्ध पदा पर नियुक्ति हेतु छुट्टी



प्रतियोगिता होने लगी। (15) भारत के सबध में प्रतिवष एक बार ससद के समक्ष सेक्रेट्री आफ स्टेट को वहा के नैतिक और भौतिक विकास के सबध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पडती थी। (16) और अतत सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को एक सामूहिक सस्था माना गया जो भारत और इंग्लैंड में काय के लिए उत्तरदायी था।

भारत सरकार के सबध में इस ऐक्ट में घोषणा की कि (1) भारत सरकार का उत्तरदायित्व सीधे ताज द्वारा ग्रहण किया गया और उसकी यह पद प्राप्ति रानी द्वारा भारतीय राजाओं के समक्ष घोषित की जानी थी। (2) सभी सधिया ठेके और उत्तरदायित्व जो कपनी न किय थे उसे ताज द्वारा मयावत स्वीकार करने को कहा गया। (3) ताज को भारत के गवर्नर जनरल के नियुक्ति का अधिकार मिला। इसे प्रेसीडेसिया के गवर्नर को नियुक्त करने का भी अधिकार मिला। पर यह भी माना गया कि गवर्नर जनरल गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार रखेगा जिस ताज स्वीकार करेगा। जबकि अय कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ति सेक्रेट्री आफ स्टेट के हाथ होनी थी। (4) भारतीय जल और सैनिक नियंत्रण ताज के पास भेज दिया गया। (5) यह भी तय हुआ कि भारतीय धन भारत की ससद की अनुमति के बिना बाहर के सैनिक क्षेत्र में व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यह धन, सेना को पीछे हटाने या एकाएक आवश्यक आवश्यकता आने पर व्यय किया जा सकता था।

एक समीक्षा—भारत के इतिहास में इस ऐक्ट की विशेष महत्ता है। कपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज का शासन एक तरह से सीधे प्रारंभ हुआ। माशमैन ने लिखा है कि "कपनी ने अपनी शक्ति गवाकर सारी शक्ति ताज को सौंप दी जो रोम के साम्राज्य से भी शानदार था।" <sup>1</sup> कौट आफ डायरेक्टस और बोर्ड आफ कंट्रोल में होनेवाली अनबन ने आग बढना ही कठिन बना दिया था। अब इन दोनों सस्थाओं को समाप्त कर उनके सारे काय सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को सौंप दिया गया जिसे भारत के उत्तरदायित्ववहन के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई। इस ऐक्ट ने व्यापारियों के एक समूह की शक्ति को बदलकर पूरा शक्ति राजनीतिज्ञा और प्रशासकों के हाथ में सौंप दी। उपनिवेश, कार्यालय और विदेश कार्यालय की स्थापना हो गई। दुहरे शासन समाप्त हो जाने और सारा नियंत्रण ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हाथ में आ जाने के बाद इस पद्धति के द्वारा भारत में इंग्लैंड की उस उच्च पद्धति के आने की सभावनाएं बढ गई जो वहा जन्म ले रही थी। कौट आफ डायरेक्टस के सदस्य वे लोग ही नहीं थे जिन्होंने भारत देखा हो, या जिनका भारत के विषय में पर्याप्त अनुभव हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य भी इस मामले में बहुत आगे नहीं थे। यह सगठन साधारण बुद्धि वाला का एक

1 माशमैन जे० सी० द हिस्ट्री आफ इंडिया, द भागा में।

समूह ही माना जाता था। अब इस सबमे परिवर्तन हो गया। सेन्ट्री ऑफ स्टेट की महायता के लिए एक ऐसी कासिल थी जिसके सदस्यों को भारत के मसले पर पर्याप्त अनुभव था। इस सीधे अधिग्रहण की सूचना भारतीय राजाओं को एक घोषणा द्वारा किया जाना था जो भारत सरकार और राज्यों के लिए भारतीय इतिहास में एक प्रमुख घटना थी। इस अधिग्रहण ने ताज को यह अवसर प्रदान किया कि वह भारतीय राजाओं और जनता को ऊंचे आश्वासन दे। वैसे तो राजाओं के राज्य न छीनने के वादों का बनाव रखा गया, पर जनता के हित व सुविधा के बाद पूरे नहीं किये गए जिससे जनता के विद्रोह को मुखर होने का अवसर प्राप्त हुआ। संक्षेप में इस एकट न भारतीय इतिहास में एक अध्याय को बदल दिया और दूसरे को प्रारंभ किया। नयी आशाएँ जगी और नयी उमंग का विकास हुआ। सदियों से भारतीय एक जीवित व्यक्ति को ही सावभौम शक्ति का प्रतीक मानते आ रहे थे। इसलिए ताज द्वारा शक्ति अपने हाथ में लेना स्वागत-योग्य था।

पर एकट द्वारा लाय गए परिवर्तन परीक्षण से दिखावटी अधिक और तथ्य-परक कम थे। रमजे म्योर ने लिखा है कि "ताज को भारतीय साम्राज्य का प्रदान किया जाना दिखने में चाह जितना अधिक रहा हो पर था बहुत कम, क्योंकि ताज न धीरे धीरे कपनी के कार्यों पर अपना अकुश उसी समय से ही कड़ा करना प्रारंभ कर दिया था जबसे उसकी निगाह क्षेत्राधिकार की ओर गई थी।" 1858 में जिन नियमों के सहार भारत पर शासन किया गया वे सब ब्रिटिश संसद के ही थे। गवर्नर जनरल सहित ब्रिटिश प्रशासक या तो नाममात्र को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन थे पर उन्हें मालूम था कि वे अपने भारतीय भन्नों के माध्यम से ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी थे और उसी माध्यम से ब्रिटिश संसद को भी 1773 में रेगुलेंटिंग ऐक्ट बनने के बाद 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853 में धीरे धीरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति घटती ही गई और अंत में यह नाममात्र को ही रह गई। प्रारंभ में कपनी ने अपना व्यापारिक एकाधिकार खो दिया और फिर उसकी व्यापार की कारवाही एकदम समाप्त कर दी गयी। भारत के मुख्य अधिकारी पहले ही सरकारी नामित व्यक्ति हो चुके थे। दूसरी ओर सरकार द्वारा निर्मित प्रवेश वाले हेलीवरी कॉलेज से निकलने वाले लोग अन्य क्षेत्रों में जाय करने लगे।

सच तो यह था कि यह एक सर्वैधानिक बालदोष ही था कि एक प्राइवट कॉर्पोरेशन भारत में विस्तृत राज्य का अधिकारी हो गया था। रानी ने पहले ही कपनी द्वारा सैनिक सेवा के लिए पद प्रदान करने की शक्ति छीन ली थी। कपनी की व्यवस्था मन्त्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से मेल नहीं खाती थी। इसी कारण ताज की सावभौमिक शक्ति पर एक बड़े बाद दूसरे बनने वाले चाटरो

मे जोर दिया जाता था और अतत 1853 के ऐक्ट में तो स्पष्ट ही कर दिया गया कि कंपनी ताज की ओर से भारतीय क्षेत्रों और राजस्व पर तब तक अधिकार बनाये रखेगी जब तक कि अथवा कोई घोषणा नहीं कर दी जाती। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गयी जिनमें से 6 ताज द्वारा नियमित हान थे। डायरेक्टरों को अपने संरक्षण शक्ति से महारूम कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि कंपनी अब सरकार की मशीनरी कोई विशेष भूमिका अदा न कर पाती थी। अब वह 'बनावटी पाचवा पहिया ही रह गई थी, और जत्र ब्रिटिश सरकार ने पूणतया भारत के हित का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया। यह ऐसे ही था जैसे कि किसी पेटबोले ने अपनी वेतुकी गुटिया फेंक दी हो और अपने म्वाभाविक स्वर में बोल पडा हो।'<sup>1</sup>

कुछ लोग ने ऐक्ट में दोषों की ओर भी इंगित किया है। यह कहा गया कि इंग्लैंड की नवनिर्मित कौंसिल सेक्रेट्री आफ स्टेट के अधिकार पर कोई प्रतिबध लगान में समथ नहीं थी। वसे तो जो बातें इसमें पूछी जाती उस पर यह अच्छी राय देती। पर यह "ताज के भारत से वापस आने वाले कमचारियों के लिए एक आराम करने की जगह बन गयी।" इसमें सदेह नहीं कि कौंसिल का भारतीय राजस्व और व्यय के सबध में कुछ शक्ति प्रदान की गई। पर इसे युद्ध रार शांति के मवध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही इस सबध में हाने वाले अत्यधिक व्यय के सबध में। कुछ बातें इससे गुप्त भी रखी जाती थी और कौंसिल को स्वयं कुछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। इसे केवल राय देन का ही अधिकार प्राप्त था। इंडिया आफिस पर होने वाला व्यय, कंपनी के ऋण व स्टॉक पर डिवाइडेण्ड, सेक्रेट्री आफ स्टेट तथा कौंसिल को देय वेतन आदि भारत के सर मडा गया जबकि बहुत अरसे तक कौंसिल में किसी भारतीय को नहीं लिया गया। सच में यह एक बदले की भावना से प्रेरित एक व्यापारिक लेखा जाखा था। सेक्रेट्री आफ स्टेट को पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई। जकारिया ने लिखा है कि पुन "पुरानी परम्पराओं को एक तरफ हटान और शक्ति के दुरुपयोग को एक तरफ छोड देने के स्थान पर, और इस तरह इंग्लैंड द्वारा जाग्रत भारत की शक्ति को अपनी ओर साकर, लाड डर्बों की सरकार ने पुरान शक्तिशाली लागों में मुलह करना अधिक उचित समझा और भारत के युवा राजनीतियों की उत्तनी परवाह न की।"<sup>2</sup> देश के राजाओं की स्थिति स्वीकार की गई और वे चलत रहे। विद्रोह के बाद "यह विचार अधिक जोर पकडता जा रहा था कि अधिकतर शासन

1 ग्यार ईस्ट इंडिया आफ ब्रिटिश इंडिया पृ० 380।

2 प्रसाद मुखर्जी ए हिस्ट्री आफ माडर्न इंडिया पृ० 279।

3 जकारिया एच सी० ई० रिजनेट इंडिया, पृ० 92।

नलदन से किया जाय"। लदन के इंडिया आफिस ने भारत के स्थायी कमचारिया की सीधे नियंत्रित किया और इस तरह उनकी आलोचना करने की जगह पर उनकी रक्षा की। ये कमचारी इस तरह भारत के असली मालिक हो गये जिहे हटाया नहीं जा सकता था और अनुत्तरदायी और किसी अधिकार की सीमा में नहीं आए। पहले चाटर के नवीनीकरण के भय से कंपनी को ससद में अपने ऊपर धालो को प्रसन्न करने की लालच थी। ससद ने भी भारतीय समस्याओं में अधिक रुचि ली। पर अब जज कंपनी की सारी शक्ति देखने में और सत्यता में ससद में समाहित हो गयी तो इसकी रुचि ढीली पड़ गयी और जैसाकि रैम्जे मैकडानल्ड लिखता है कि आयरिश और अन्य समस्याओं में फसे रहने के कारण "भारत के सज्ज में उतने उच्च वाद विवाद अब नहीं होते थे।" इंडियन सिविल सर्विस दुनिया में सबसे महंगा था जबकि दूसरी ओर भारत गरीब था। नये अधिकारी क्रोधी और दभी थे तथा अंग्रेजों व भारतीयों के बीच खासी चौड़ी होती गई। भारतीय राजस्व के प्रयोग का प्रावधान भी बहुत लाभदायक नहीं था। यह राजस्व ससद के अभिमत के बिना भारत के बाहर के सैनिक कारवाई पर व्यय नहीं हो सकता था। पर अपवाद यह था कि देश पर होनेवाले आक्रमण को पीछे ढकेलने या 'तात्कालिक एव अति आवश्यकता हेतु' इसका प्रयोग हो सकता था। अंतिम दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं था।

पर यह ऐक्ट हमारे इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने एक नये युग का सूत्रपात किया जिसकी महत्ता आने वाले वर्षों में ही अनुभव की गयी। सेक्रेट्री आफ स्टेट की तुलना में कौंसिल की शक्ति की कमजोरियों की आलोचना या योचित नहीं है। कौंसिल सेक्रेट्री आफ स्टेट पर हावी नहीं हो सकती थी क्योंकि सेक्रेट्री आफ स्टेट मन्त्रिमंडल के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। यदि इसका उल्टा होता तो इंग्लैंड का सारा संवैधानिक सिद्धान्त ही खतरे में पड़ जाता। आलोचना की अन्य बातें महत्त्व की हो सकती हैं पर उन परिस्थिति में ऐक्ट के गुण उसके दोषों से अधिक मात्रा में थे।

### महारानी की घोषणा

विद्रोह के बाद दूसरी महत्त्व की घटना रानी का घोषणा-पत्र था। इसे लाड कैनिंग ने 1 नवम्बर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार में पढ़ा। रानी द्वारा इस घोषणा-पत्र को प्रसारित करने में उसकी सदिच्छा का परिचय मिलता है क्योंकि उसने लाड डर्बी के पहले तैयार किये गये घोषणा-पत्र की आलोचना की थी।

1 डाइवेल कैनिंग ज हिस्ट्री आफ इंडिया भाग 6 पृ० 213।

2 मैकडानल्ड ज० आर० गवर्नमेण्ट आफ इंडिया पृ० 263।

उनसे इसके पुनर्लेखन की बात कहते हुए उसने यह आदेश दिया कि इसकी रचना ऐस ढंग से की जानी चाहिए कि यह लगे की "महिला शासिका एक रुधिर-मय युद्ध के बाद सीधे सरकार अपने हाथों में लेकर, उनसे भविष्य के वाद करत हुए और अपनी सरकार के सिद्धांतों को बताते हुए पूव के करोड़ों लोगों के समक्ष कुछ कह रही है। इस तरह के घोषणा पत्र में उदारता, दया और धार्मिक सहिष्णुता की महक आनी चाहिए और भारतीयों को यह पता लगना चाहिए कि ब्रिटिश ताज की प्रजा के समक्ष आकर एक विशेषाधिकार प्राप्त करने में सफल हो गये हैं तथा इस सभ्यता के सफर में उनकी सम्पन्नता निहित है।"

रानी की यह घोषणा कि भारत सरकार के अधिकार ताज के अधीन आ गये हैं भारत के इतिहास में एक नये युग के सूत्रपात होने की सूचना प्रदान करत थे। भारतीयों के लिए यह एक अधिकार का चाटर था जिसमें यह बताया गया कि बिन सिद्धांतों पर देश का शासन होगा।

भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद रानी ने लाड कैनिंग का "प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया जिसे रानी के नाम पर उस क्षेत्र में प्रशासन करना था। एच० वी० लोवेट ने लिखा है कि इस तरह "भारत में सरकार का प्रधान, जो वहाँ पर उपस्थित था, 1858 की घोषणा के अंतगत प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल बनाया गया।" "जब गवर्नर जनरल ताज का प्रतिनिधित्व करता तो वह वाइसराय कहलाता और जब भारत सरकार के वैधानिक नेता का तो उस पुराने नाम से पुकारा जाता।"

लाड कैनिंग की पुनर्नियुक्ति के साथ ही इस घोषणा पत्र में यह भी घोषित किया गया कि 'हम सैनिक व असैनिक क्षेत्र में रखे गये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को स्वीकार करते हैं।' इसमें सरकार के सिद्धांत व नीति की भी घोषणा की जिसे दो भागों में बाटा जा सकता है—भारत के राजाओं पर प्रभाव डालने वाली और जनता पर प्रभाव डालने वाली।

भारत के राजा—भारत के राजाओं के सबंध में घोषणा पत्र में कहा गया, 'हम भारत के राजाओं को यह बताना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या उसके काल में जा भी सधिष्ण या सबंध उनसे किये गये थे व यथावत चलत रहेंगे। हम चाहत है कि अपनी ओर से वे भी वैसा ही करें। इसके अतिरिक्त, "हमारी इच्छा अपने क्षेत्र को और विस्तृत करने की नहीं है। हम अपने राज्य पर या अधिकांश पर कोई आक्रमण वर्दाशन नहीं करेंगे और न ही हम दूसरे के राज्य या सीमा के मामले में आक्रामक रुख ही अपनायेंगे।'

1 लोवेट एच० वी० कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 6 प० 226 वजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाग 2 प० 49।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया कि, "हम अपने राजाआ के अधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे हम अपनी करते हैं। हमारी यह इच्छा है कि वे और जनता दोनों वह समृद्धि और सामाजिक प्रगति का गन्तव्य प्राप्त करें जो शांतिकाल और अच्छी सरकार से उपलब्ध होती है।"

भारत की जनता—भारत की जनता के लिए इसमें घोषणा की गयी कि "हम भारतीय क्षेत्र की जनता से अपने को हर भाति उसी तरह आबद्ध पाते हैं जैसे अपनी और प्रजा से" घोषणा-पत्र में जनता के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए आश्वस्त किया गया। भेद-भाव न करने की चर्चा करते हुए कहा गया है कि "धर्म के आधार पर कितना भी बुद्धिमान कोई क्या न हो, उसका पालन किया जाय, और किसी का अपमानित न किया जाय"

कानून की दृष्टि में युवा, बूढ़े, धनी व गरीब सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गयी। सेवाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर प्रारंभ हुई। घोषणा पत्र में बताया गया कि 'शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर बिना जाति या वंश का ध्यान रखे ठीक से सेवा-कार्यालय में हमारी जनता को भर्ती की जाय।'

विधि निर्माण के समय प्राचीन परंपराओं एवं व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाय। उसी तरह उत्तराधिकार एवं भ-संपत्ति के मामले में भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाय।

सीधे ब्रिटिश प्रजा की हत्या में भाग लेने वाले लोगों को छोड़ विद्रोह के अपराध में भाग लेने वालों को बिना शर्त क्षमा प्रदान की गयी।

रानी ने घोषणा की, "हमारी यह दिली इच्छा है कि उद्योगों का शांति-पूर्ण विकास हो, जनहितकारी कार्य आगे बढ़ें और उनका उत्थान हो और जन-हिताय सरकार का प्रशासन कार्य करे। उनकी समृद्धि ही हमारी शक्ति है, उनका सतोष हमारी सुरक्षा और उनकी वृत्तता हमारा पारितोषिक।"

इस घोषणा की व्याख्या करते हुए रैम्जे म्योर ने लिखा है, 'ये कोई सिद्धांत नहीं थे। ये तो पिछली पीढ़ी से चली आ रही कंपनी की नीति को ही दुहराया गया था।' पर यह ठीक नहीं मालूम पड़ता। भारतीय राजाआ को दिये गये आश्वासना के सबंध में तो और। पिछली एक पीढ़ी के काल से उनके सबंध में अपनायी गयी नीति लगातार आक्रामक, हिंसा प्रधान, व सधि विमुख हो जाने की रही थी। प्रथम बार राजाआ को पूर्ण क्षेत्र सुरक्षा हेतु आश्वस्त किया गया। राज्य हड़प का सिद्धांत, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनके विश्वास को हिला डाला था, समाप्त कर दिया गया। गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसीलिए रॉलिंसन ने लिखा है कि 'ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाआ के बीच चले

आ रहे बिगड़े सबधो म इस घोषणा ने मूल रूप से परिवर्तन किया इसीलिए राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गये कि उनके अधिकार व उनकी प्रतिष्ठा को इसके अंतगत बनाये ही नहीं रखा जायेगा बल्कि कंपनी के काल में उनसे की गयी सधियों को मायता प्रदान की जायेगी।<sup>1</sup>

जनता के लिए उनके धर्म में निहस्तक्षेप, सेवाओं में भर्तों के लिए समान अवसर और कानून के सामने सभी की समानता की स्वीकृति महत्त्वपूर्ण बातें थीं। जैसा कहा जाता है, वैसे ही सच में भारतीय स्वतंत्रता का यह 'मग्नाकार्टा' थी। पर विल्फ्रेड सोवान ब्लण्ट के अनुसार 'इसका एक ही दोष था कि इसके सिद्धांतों पर कभी अमल नहीं किया गया।'

### अय विवरण

**गोरों का विद्रोह**—भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों के कुछ लोगों ने जो विद्रोह किया उसी को गोरों का विद्रोह कहा जाता है। उनकी कठिनाई यह थी कि उनकी सेवाएँ बिना उनकी राय के ताज के पास परिवर्तित नहीं की जा सकती थीं। इसलिए उनकी मांग थी कि उन्हें या तो इनाम का धन मिलना चाहिए या नौकरी से मुक्ति। यह अशांति तब उठी जब कैनिंग ने भारत की यात्रा कर विद्रोही भारत को शांत करने का प्रयास किया था। मेरठ और इलाहाबाद के कण्ठ क्षेत्र में इन गोरों के सैनिकों के जुलूस ने खतरनाक मोड़ ले लिया। लार्ड कैनिंग ने ऐसी स्थिति में उन सभी गोरों के सैनिकों को पदमुक्त कर दिया जिन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। इसके परिणामस्वरूप भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में 10 हजार सैनिकों की कमी हो गयी।

**सेना की पुनरचना**—गोरों के विद्रोह ने अधिकारियों को सेना मगठन में ध्याप्त दोषों की ओर गभीरता से ध्यान देने को बाध्य किया। ये दोष शीघ्र ही दूर भी कर दिये गए। यह तय किया गया कि अब आगे भारतीय सैनिकों व यूरोपीय सैनिकों का औसत दो और एक से अधिक नहीं होगा। एक पैदल सेना के ब्रिगेड में एक ब्रिटिश और दो भारतीय बटालियन रखे गए। फील्ड और अय तोपखानों की व्यवस्था पूर्णतया यूरोपीयों के जिम्मे रखी गयी। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय मना में यूरोपीय सैनिकों की पूरी संख्या 72 हजार हो गयी और भारतीयों की 1 लाख 35 हजार।

एक दूसरा दोष जा दूर किया गया वह यह था कि गृह सरकार की अनुमति के बिना भारत में भर्तों को नियुक्त कर स्थानीय यूरोपीय मजदूरों की संख्या बढ़ती

1 रॉबिन्सन द ब्रिटिश अधीनस्थता इन इण्डिया पृ० 115।

2 ब्लण्ट इन्ट्रू० एन० इण्डिया अंडर रिपन पृ० 312।

जा रही थी। पिट इस आस न खनरे के प्रति जागरूक था पर उसे इस दोष को दूर करने में सफलता नहीं मिली जिसके फलस्वरूप 1857 तक स्थानीय यूरोपीय सैनिकों की संख्या पूरे यूरोपीय सैनिकों की एक तिहाई हो गयी। मई 1860 में पर्याप्त विवादग्रस्तता के बाद मद्रिडमंडल में दोनों तरह के सैनिकों को एक में मिलाने का निर्णय किया और उसी वर्ष अगस्त के महीने में संसद से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की गयी जिसमें यह बताया गया कि भविष्य में स्थानीय उद्देश्य के लिए किसी भी यूरोपीय की भर्ती न की जाय।

कुछ विश्वस्त रेजीमेन्टों को छोड़कर बंगाल की सेना लगभग समाप्त हो गयी। एक लाख अट्ठाईस हजार सैनिकों में से एक लाख बीस हजार सिपाही युद्ध के मैदान में मार डाले गए, या कत्ल कर दिए गए या अदृश्य हो गए। इनके स्थान पर विद्रोह काल में साथ देने वाले सिखों, जाटों, पंजाबी मुसलमानों, गोरखों बलुचियों और अन्य लडाकू लोगों की एक सेना तैयार की गयी।

विद्रोह के पूर्व भारतीय रेजीमेन्ट नियमित और अनियमित दो भागों में बंटे होते थे। नियमित इकाइयों में 25 ब्रिटिश अधिकारियों का समूह होता था जिनमें से केवल 12 समय पर उपस्थित होते थे और शेष असैनिक और अन्य विभागों में फंसे होते थे। इन्हें वापस तभी बुलाया जाता था जब लडाई के आदेश रेजीमेन्ट को दे दिये जाते थे। इस तरह सैनिक अधिकारी असैनिक क्षेत्र में व्यस्त रहकर सैनिक कमप्यता और अनुशासन से विरत हो जाते थे। एक वर्ष के घमने-घामने के बाद वे फिर सेना में ले आये जाते थे। उस समय वे वैस ही हो चुके होते थे जैसे कोई रंगरूट। परिणाम भयंकर होता था।

1861 में भारतीय सेना को 'अनियमित प्रथा' के आधार पर पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत 3 विनिश्चित चुने गये ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गयी। उसी वर्ष यह भी निश्चित किया गया कि ब्रिटिश अधिकारी नियमित रूप से चुना जायगा और अच्छा वेतन पायेगा। उसकी इच्छा के विपरीत उसे भारतीय सेना में नहीं भेजा जाता था। उसे भारतीय सेनाओं में भर्ती होने से पूर्व हिन्दुस्तानी भाषा की एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। पर 1861 के पुनर्गठित 'अनियमित प्रथा' की एक विशेषता यह थी कि युरोपिया की जगह पर भारतीयों को सेना और कंपनी का कर्पेन बनाया जायगा।

पहले की ही भांति, तीन प्रेसीडेंसिया की सेना बनायी गयी जिनमें से प्रत्येक के पास स्टाफ कार होना था जो भारतीय रेजीमेन्टों और अधिकारियों की कम चारिया सबधों, राजनतिक एवं 'यायिक' कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति करता था। पर अमैरिक सेवाओं के पुनर्गठन के बाद इस क्षेत्र में उत्तम व्यक्तियों के



ममयन की आवश्यकता ही न रही। मनिन पुतिस का ममाप्त कर नि्या गया और उसके स्थान पर एक नागरिक धल की म्पापना की गयी।

आर्थिक सुधार—सर एच० एम० कनिधम न लिखा है कि, 'विद्राह न भारत के आर्थिक क्षेत्र में एक नय युग का सूत्रपात किया।' 3 विद्राह के परिणामा म भारतीय क्षेत्र म पडे भयानक आर्थिक आधान भी थ। नील और हैबलाव की मनाये जिन जिन गावा स हावर गयी उन्हें जता डाला। वृषक अपनी जान लेकर भागन लगे। 1861 म आगरा क्षेत्र म इसके कारण एमा भयानक दुर्भिक्ष पडा कि इनम तमाम लोग बर्बाद हा गय, लाघो लोग शरीर स कमजोर हो गय उनका काम करन की क्षमता घट गयी और राजस्व अदायगी पर भी इसका प्रभाव पडा। वानपुर आर लखनऊ जला दिय गय थे और दिल्ली मरा का शहर हो गया था। राजस्व इस तरह बहुत घट गया था और जब विद्राह का मारा व्यय भी भारत पर थोप दिया गया तो उसकी आर्थिक स्थिति जजर हा गयी। ऋण बढ़कर 40 कराड स्टर्लिंग हा गया। पर जब यह प्रस्ताव किया गया कि व्यापार व पश पर लाइसेंस लगा दिया जाय तो इसका तीव्र विरोध किया गया।

इन परिस्थितिया म लाड कैनिंग ने गृह अधिकारियों में डम पर उनकी राय मागी। जेम्स विल्सन जो ट्रेजरी का अय सचिव और बोड आफ ट्रेड का वाइस प्रेसीडेण्ट रह चुका था, को नवम्बर 1859 म भारत म गवर्नर जनरल क कौंसिल का अय सदस्य बनाकर भेजा गया।

यहा पहुंचने के बाद विल्सन ने देश म दूर-दराज तक डम उद्देश्य से यात्रा की जिमने कि आर्थिक समस्याया की जानकारी प्राप्त हा सके। 1860 के अपने बजट भाषण म उसने तात्कालिक आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि यह निराशाजनक है। उसने बताया कि 30 करोड पौण्ड से अधिक का घाटा तीन वर्षीय विद्रोह काल में जुड गया है और उस वय डमक 65 लाख और बड जान की आशा है। राष्ट्रीय ऋण 5 करोड 95 लाख स बढ़कर 9 करोड 80 लाख हा गया है जिसका वार्षिक ब्याज ही 20 लाख है।

विल्सन ने 1860 61 म राजस्व की आशा 33 लाख पौंड की थी। उसने बताया कि आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व है जो आय का लगभग 40 प्रतिशत है। इसके बाद अफीम, चुगी, टिक्ट और नमक की आय आती है और फिर अय।

1859 म चुगी में वृद्धि कर दी गयी। जिसस राजस्व म वृद्धि तो हुई पर बाहर से आने वाले सामान म कमी हा गयी। इसके अतिरिक्त भारत म ब्रिटिश

1 और विस्तार क लिए लाड नारेम का अध्याय देखिए।

2 रालि सन पूर्वोक्त, प० 116।

3 कनिधम सर एच० एम० अल आफ कनिग (हटर मीरोज), प 198।

व्यापारी इससे घृणा करते थे और विल्सन को गृह अधिकारियों ने यह बता रखा था कि इनके मनोप के लिए जितना, मभव हो, किया जाय ।

विल्सन यहा पहुंचने के एक वष के अदर ही मर गया । पर इसके पूव ही वह अपनी सस्तुतिया प्रस्तुत कर चुका था जिसमे उसने नये कर लगाने और कुछ पुराने व्ययो म कटौती का सुझाव देकर दोहरी नीति अपनायी थी । जो नय कर उसने प्रस्तावित किये, वे तीन थे । प्रथम आय कर था जिसे 500 रुपये वार्षिक की या इससे अधिक जाय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से लगना था । दूसरा लाइसेन्स का था जो विभिन्न व्यापारो और पेशो पर लगता था । इसकी धनराशि एक रुपया, चार रुपय या दस रुपये वार्षिक थी । और तीसरा कर भारत म उत्पादित तम्बाकू पर था जो लगभग भारत मे आयातित उसी तरह की सामग्री पर लगाय गय चुगी के बराबर था । एक ही तरह का 10 प्रतिशत जायात शुल्क लगान का प्रस्ताव भी किया गया ।

जहा तक कटौतिया का प्रश्न था असैनिक और सैनिक व्ययो म कटौती के प्रस्ताव किये गय जो कठोर रूप से प्रस्तावित किये गय । इस कटौती की दखमाल और नियंत्रण हतु एक कायक्षम समठन भी प्रस्तावित किया गया ।

भारत मे ब्रिटिश व्यापारियों को सतुष्ट करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया । मन, जूट और चाय जैसे कच्चे माल पर जो भारत मे पैदा किय जाते थे, निर्यात कर समाप्त कर दिया गया । दूसरी ओर आयातित पक्के माल पर आयात कर घटा दिया गया जिससे भारतीय उद्योगो को हानि हुई । और यह सब स्वतंत्र व्यापार के बहाने किया गया ।

इस तरह की आर्थिक योजना थी विल्सन की जिसे संपूर्ण रूप म प्रभावी नहीं बनाया गया । पर उसके प्रस्ताव उचित बताये गय और उसे भविष्य की आर्थिक नीति का आधार बनाया गया ।

विल्सन का उत्तराधिकारी लग हुआ जिसने पहली बार यह खोज की कि "भारत राजस्व मे असाधारण रूप स तरणशील और लचीला" है । उसके बाल म सैनिक और असैनिक व्ययो मे कटौती का कायक्रम चलता रहा । इस तरह अर्सेनिक व्यय मे कटौती से 5 लाख की और सैनिक व्यय मे कटौती से साढ़े बत्तीस लाख की बचत हुई । कागज के सिक्के का प्रचलन प्रारम्भ हुआ आर नमक पर कर बढा दिया गया ।

पर उसकी आर्थिक नीति की मुख्य बात थी आर्थिक विवेकीकरण के विधि की शुरुआत जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने अधिक कठोरता म लागू किया । नग ने सबसे पहल यह प्रस्ताव किया कि स्थानीय सरकारा का कुछ कर वमूलन का अधिकार दिया जाय जिसम से कुछ के स्थानीय बायों के लिए व्यय कर सकें और उसके स्थान पर केन्द्र से प्रेषित किया जाने वाला धन रोक दिया जाय । तम्बाकू

पर कर लगाने से यह काय प्रारंभ किया गया। इस प्रथा का सबसे बड़ा तथ्य यह था कि इससे फिज़ूलखर्ची नहीं होती थी। इससे केन्द्र की भी 5 लाख की बचत हो जाती थी।

इन महत्वपूर्ण कारवाइयो का परिणाम यह हुआ कि श्री लग के काल में मुनाफ़ा हुआ।<sup>1</sup> इस मुनाफ़े को उसने पहले साबजनिक निर्माण पर व शिक्षा पर तथा दूसरे मैनचेस्टर के मालो पर चुगी को कम करने पर व्यय किया। और तीसरे आय कर से निम्न आय वर्ग को मुक्त करने की चेष्टा करत हुए उसने इस 50 पीण्ड वार्षिक तय कर दिया।

कवि सबंधी सुधार—लाड कौनिग न कुछ कृपि सबंधी सुधार भी किये। इसका उद्देश्य यह था कि किसानो को बन्दोबस्त की कठिनाइयो और अत्यधिक राज्य की माग स बचाया जाय। यह भी उद्देश्य रखा गया कि उह उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो। इस क्षेत्र म अति महत्वपूर्ण कदम 1859 का 'बगाल रेट ऐक्ट' था जिसने किसानो को राजस्व में स्थिरता और काश्तकारी में सुरक्षा प्रदान की। इसके अतिरिक्त इसने स्थायी बन्दोबस्त के कुछ दोषो को भी दूर किया। इस ऐक्ट के अंतगत एक रैय्यत यदि अपनी जमीन 20 वर्ष से उसे लगान पर प्राप्त किय हुए है तो यह मान लिया जाता था कि भूमि पर उसका अधिकार 1793 से है और इस तरह उसे उसी तरह की सुविधायें और अधिकार भी प्राप्त हो जाते। भूमि पर अधिकार उसे ही प्रदान किया गया जो उस पर 12 वर्ष स खेती करता चला आ रहा हो। इस पर कर तभी बढ सकता था जब किसी न्यायालय से इस सबंध में छानबीन हो चुकी हो। इसके बाद अय प्रा ता ने भी 'रेट ऐक्ट पारित किये। उनका आदेश बगाल 'रेट ऐक्ट' ही था।

1859 और 1860 के बीच यूरोपीय नील पैदा करने वालो और बगाल के किसानो के भी कुछ झगडे हुए। चूकि मामला तूल पकड गया, इस कारण इस मामले की छानबीन के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट दी। सेक्रेट्री आफ स्टेट न हस्तक्षेप किया जिसमें अंतत यह तय हुआ कि नील पैदा करने के एक असैनिक ठेके की शर्तों को पूरा न करने के लिए किसानो पर फौजदारी मुकदम नही चलाय जायेंगे।

शिक्षा—1854 क बुड डिस्पच म भारत में शिक्षा के विकास के लिए सिद्धांत रखे गय थे। पर इस रास्ते पर चाल धीमी रही। पर 1859 में परिस्थिति का आकलन किया गया और कुछ कालोपरांत एक योजना प्रसारित की गयी। इस योजना के अंतगत प्रत्येक प्रा न न शिक्षा विभाग खोलने को प्रोत्साहन दिया गया जिसमें एक डाइरेक्टर कुछ अध्यापक और निरीक्षणार्थ अधिकारी होने थे।

1 कनिषम पूर्वोद्धत प० 206।

प्राइमरी और उच्च शिक्षा के विकास की बात भी कही गयी। पर आर्थिक कठिनाई चलती रही जिसके कारण इस क्षेत्र में उत्थान की गति धीमी बनी रही।

**मावजनिक निर्माण विभाग**—इस विभाग को लाड डलहौजी ने सगठित किया था। जब देश में शांति स्थापित हो गयी तो उसके बाद रानी की घोषणा के मिद्दातो के ऊपर ध्यान दिया गया। इसी के अतगत यह विभाग सरकार के विशेष ध्यान में आया। जनहित के कई काय हाथ में लिये गये। तमाम बैरक, कचहरिया और पुल निर्मित किये गये तथा लंबे चौड़े बाघ बनने लगे। प्रत्येक डिवीजन में इण्डियन फारेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गयी जिसमें कंजरवेटर और अन्य प्रशिक्षित सहायक कर्मचारी नियुक्त किये गये।

**शांति एवं व्यवस्था**—देश में शांति और व्यवस्था की समस्या गंभीर थी। तत्कालीन स्थिति में 'यायाधीशों' में 'यायप्रियता' ही इस प्रशासन में सबसे महत्त्वपूर्ण था। कैनिंग ने इस व्यवस्था को नियमित करने को सोचा जो कानून को महत्ताबद्ध करने से ही संभव था। 1860 में इसीलिए मकाले द्वारा तैयार किया हुआ इण्डियन पेनल कोड और 1837 में स्थापित इण्डियन लॉ कमीशन के काय को ही कानून का रूप दे दिया गया। मुस्लिम फौजदारी कानून को रद्द कर दिया गया। नया असेनिक और क्रिमिनल कोड पारित किया गया।

1861 के इण्डियन हाई कोर्ट ऐक्ट के अतगत 'यायपालिका' पुनर्गठित की गयी। इस ऐक्ट के अतगत अग्रेजी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के स्थान पर बम्बई और मद्रास में चाटड हाई कोर्ट की स्थापना हुई। सरकार को इसके लिए अधिकारित किया गया कि वह 1866 में इलाहाबाद में स्थापित कोर्ट की तरह उत्तर पश्चिम प्रांतों में 'याय' करने हेतु एक और 'यायालय' की स्थापना करे। 1861 में कंपनी के सत्र 'यायालय' और प्रेसीडेन्सिया के सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर दिये गये। क्रिमिनल प्रोसीडर काड में युरोपियन जनता के लिए पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट के ही अतगत उनके मुकदमें चले, यह पाबंदी समाप्त कर दी गयी।

हाई कोर्ट के 'यायाधीशों' की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी और उसकी इच्छा तक वह बनी रहनी थी। 'यायाधीशों' की योग्यता और शक्ति निर्धारित कर दी गयी जो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है।

'नाड' कैनिंग की अन्य सफलता पुलिस विभाग का पुनर्गठन था। 1861 में एक ऐक्ट पारित किया गया जिसके अतगत इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन प्रत्येक सरकार में एक पुलिस विभाग खोला गया। उसकी सहायता के लिए डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त किये गये। प्रत्येक जिले में एक सुपरिटेण्डेंट आफ पुलिस की नियुक्ति की गयी जिसे जिला मजिस्ट्रेट के अधीन और साथ काय करना पड़ता था। इसका उत्तरदायित्व अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित

करना था तथा साथ ही-साथ अपन नीचे पुलिस व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करना था। जिल के प्रत्येक भाग में एक डिप्टी इस्पेक्टर की नियुक्ति की गयी जिसकी सहायता के लिए कास्टेबुला का एक समूह होता था। सुपरिन्टेण्डेंट आफ पुलिस और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी युरोपीय हान थे और उनकी भर्ती इंग्लैंड में होती थी।

अप्य परिवर्तन—उपरोक्त के अतिरिक्त भी प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सुधारों की गयी। 1861 में चीफ कमिश्नर के अधीन सेंट्रल प्राविसेज की रचना की गयी। 1862 में ब्रिटिश बर्मा का निर्माण किया गया जिसमें एम्हस्ट के पास में प्रथम बर्मा युद्ध के अतगत विजित क्षेत्र तथा डलहौजी के काल में हुए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के क्षेत्र सम्मिलित किए गए। चीन के साथ कंपनी के व्यापार के कारण सिंगापुर तथा जलडमरूमध्य का उदात्त व दख्खाल भारतीय सरकार के अधीन था। चूंकि चीन का एकाधिकार बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और इस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो चुकी थी, इस कारण कनिंग ने ऐसे सामरिक बदर-गाहो और क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में बनाये रखना आवश्यक नहीं समझा। उसने इस उत्तरदायित्व से मुक्त होने की कारवाई प्रारंभ कर दी पर यह कार्य 1866 में ही पूरा हो पाया।

दुर्भिक्ष से सहायता—कनिंग ने दुर्भिक्ष सहायता नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस अवधि में पहले हुए कार्यों का संक्षिप्त विवरण और वह कार्य जो उसके काल में हुआ, उसका वर्णन यहाँ समीचीन होगा।

कंपनी के संपूर्ण शासन काल में भारत में दुर्भिक्ष आतंक का कारण रहा था। इसका कारण था देश का मानसून पर निर्भर करना। देश की सीमा में जनता जा गरीब थी और जिसे दोना वस्त्र भोजन नहीं नसीब होता था, वह ऐसे अवसरों पर भूख के मुह का घास बनन लगती थी। पर यह कठिनाई यही नहीं समाप्त हो जाती थी। जब मानसून समय से न आता तो उसका दुष्प्रभाव केवल फसल पर ही नहीं होता। घास सूख की धूप में तप कर जलती और माच-अप्रैल और मई की तपन परेशानी पैदा कर देती। दुष्घान्नाय भूख से तडपने लगती। हल बल तथा किसान की पूजा बंकार हो जाती। पानी का स्तर घट जाता। कम पानी में कीड़े पड जाते हैं। हैजा और अन्य बीमारियाँ असहाय और कमजोर लोगों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते। और इस तरह दुख की कहानी पूरी होती। लाखों मर जाते और जो बचते उन्हें उनकी पुरानी शक्ति पुनः न प्राप्त हो पाती।

इस दशा में लाखों लोगों के जीवन की मृत्यु से रक्षा के लिए देश में सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता तो थी ही, पर साथ ही दुर्भिक्ष सहायता नीति की महती आवश्यकता थी।

18वीं सदी में दुर्भिक्ष निवारण के क्षेत्र में ब्रिटिश बहुत कुछ नहीं कर सके

क्योंकि वह ऐसा काल था जब वे अपनी विजय और अपहरण के खेल में लगे हुए थे। उनका अधिक समय राजनतिक कूटनीति में खप जाता था। आवागमन के साधन भी इतने विकसित नहीं हो पाये थे कि दूर-दराज तक अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। कृषि सबंधी आकडे भी एकत्रित नहीं किये जा रहे थे और न ही मौसम की खराबी की अग्रिम सूचनाएं प्रसारित हो पाती थी। और इस सबके अतिरिक्त 1880 के फेमिन कमीशन ने लिखा, 'भारत में ब्रिटिशों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे सामान्य सहायता हेतु लोगों में भाव उत्पन्न कर सकें या इसके लिए पर्याप्त साधन एकत्रित कर सकें।'

इस तरह दुर्भिक्ष का प्रकोप होता और देश तबाह होता था। करोड़ों भूखी मरते और मर जाते। पर सरकार कुछ खोदने के लिए अग्रिम धन-राशि देने, आपात काल हेतु अनाज एकत्रित करने, अधिक अनाज एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अधिक कुछ न कर पाती। इस सब में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी।

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संभवतः पहली बार 1837 में गंगा और जमुना क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ने पर स्थानीय सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य को स्वस्थ लोगों को काम देना चाहिए तथा असहाय व कमजोर लोगों की देखभाल समाज को करनी चाहिए। पर जहां उत्तरदायित्व को स्वीकार भी किया गया, अधिक कुछ नहीं किया गया। पुरुष, स्त्रियों, बच्चों और जानवरों की मौतों ने पूरे वातावरण में रोने व कष्ट की स्थिति पैदा कर दी। इसका कारण विद्रोह भी हुए जिसे दबा दिया गया।

विद्रोह के आगमन पर भी स्थिति नहीं बदली फिर कंपनी की जगह ताज न ले ली। इसके बाद इस समस्या की ओर औचित्यतापूर्वक ध्यान दिया गया। प्रारंभ में अयोग्यता रहकर ताज की सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। और जब दुर्भिक्ष पड़ा तो 'फेमिन कमीशन' की नियुक्ति की गयी जिसे यह बताना था कि आगे इस दुर्भिक्ष राक्षस का मुकाबला कैसे किया जाये। और धीरे धीरे दुर्भिक्ष सहिता में परिपक्वता आ गयी जिससे सहायता प्राप्त होने लगी और जीवन बचाने में सफलता मिलने लगी।

ताज के अंतर्गत सिंचाई के साधन में बढोत्तरी हुई। रेलवे लाइनें और अन्य आवागमन के साधन धीरे धीरे देश में प्रत्येक क्षेत्र को छूने लगे। व्यापार और व्यवसाय आगे बढ़ा और ऐसे ही कृषि सबंध में कानून निर्माण हुआ जिससे किसानों का हित साधन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन ने दुर्भिक्ष की प्रकृति को भी बदल दिया। और यह भी एक समस्या थी जिसे प्रत्येक 'फेमिन कमीशन' को घेरेना पड़ा। इसे परिस्थिति के अनुकूल ही सस्तुतियां भी करनी पड़ती।

कॉनिंग इसके लिए प्रशंसा का पात्र है कि प्रथम दुर्भिक्ष आयोग उम्मीद के काल में 1860 में बना जब उस वर्ष मानसून असफल रहा और 48,000 बग मील का क्षेत्र जिसमें अत्तवर, आगरा के आस पास उत्तर पश्चिम प्रांत और अर्ध बहुत स क्षेत्र में भयानक दुर्भिक्ष पड़ गया। लगभग 5 लाख लोगों ने अपना घर बार छाड़ दिया। भाग्य से उत्तर पश्चिम प्रांत के दक्षिणी पूर्वी जिला में पर्याप्त वर्षा हुई गयी, ईस्ट इंडिया रेलवे से पर्याप्त सहायता मिल गयी और अकालप्रस्त क्षेत्र के 9 लाख एकड़ क्षेत्र में 1837 में रक्षा के उपाय कर दिए गए। 1837 की पुरानी नीति दुहरायी गयी और सरकार ने स्वस्थ लोगों का काम दिया, कमजोर लोगों को समाज ने सभाला। वैसे समाज की असहायता की स्थिति में यह काम भी सरकार का ही करना पड़ा। 80 हजार लोगों का 26 केन्द्रीय और 75 जिले स्तर के सहायता केन्द्रों से सहायता प्रदान की गयी।

सरकार ने पहली बार इस संघर्ष में एक जांच समिति की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए बनल वेयड स्मिथ के नेतृत्व में की। बनल स्मिथ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पर दुर्भाग्य से अवकी बार भविष्य में पथ प्रदर्शन के लिए कोई सिद्धांत नहीं बनाया गया। पर इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया। 1866-67 में दूसरा जांच आयोग बैठाया गया जिसने दुर्भिक्ष सहिता बनाने की दिशा में कुछ काम किया जा अतएव इस तरह के कई कमीशन के परिश्रम के फलस्वरूप सामन आया। इसी बीच अगले तीन वर्षों में 1861 तक कॉनिंग ने 8316 मील रेलवे लाइनें बिछवायी जिससे दुर्भिक्ष में सहायताय बड़ी मदद मिलती।

### 1861 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट

भारत में कॉनिंग के काल की यह भी एक महत्त्वपूर्ण सफलता थी। जॉन कोटमैन ने लिखा है कि 1833 और 1861 के बीच इंग्लैंड में "चाटिस्ट आंदोलन ने महाद्वीप की क्रांतिकारी भावना को हमारी राजनीति में ला उपस्थित किया और इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनतिक शक्ति का प्रसार ऊंचे व मध्य वर्ग के अतिरिक्त मजदूरों के बीच से जाना पड़ेगा। और इस आंदोलन ने ब्रिटिश की स्वाभाविक शक्ति में तीव्रता और शक्ति ला दी जिससे स्वतंत्र और प्रजा तांत्रिक शासन को बल मिले। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश उपनिवेशों में स्वशासन की मांग उठी।" भारत में इस बात की जोरदार मांग थी कि जब 1858 के गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट के द्वारा बहुत-से विशेष परिवर्तन किये जा चुके थे तो भारत सरकार में परिवर्तन आवश्यक था। यह भाग्य की ही बात थी कि ग्लेडस्टन जैसे इंग्लैंड के सुधारवादी जहां इंग्लैंड में प्रजातांत्रिक भाव को आगे बढ़ाने में रुचि लेते थे वहां के एक सीमा तक भारत की इच्छा का आदर करने को भी तैयार थे। 1860 में सर वाटिल फियर ने अपने एक मिनट में

लिखा, "यह विनाशकारी प्रयोग कि उन बरोडो लोगो के लिए विधान बनाया जाये जिनके विषय मे हमारी जानकारी का स्रोत केवल उनके द्वारा किय गये विद्रोह है, भला क्या पता उनके मन के है या नहीं।" 1857 के विद्रोह स स्पष्ट था कि यदि भारत मे जनमत का ठीक तरह से पता लगाया गया होता और यदि वहा के लोगो से परामश की व्यवस्था की गई होती तो 1857 में ब्रिटिश को जो कष्ट भेलना पडा, वह न झेलना पडता। भारतीयो का लेजिस्लेटिव कौंसिल मे प्रतिनिधित्व नहीं था जहा वे अपनी मांगो को प्रस्तुत कर सकते। 6 जून 1861 को ससद मे सर चार्ल्स वुड ने अपने भाषण मे सच ही कहा, "यह मूखता ही हागी कि भारत मे हम अपनी कठिन होती स्थिति से मुख मोड लें। यह एक अय कारण है जिसके कारण हम शीघ्र-से शीघ्र सभी मस्याओ को शक्तिशाली नीव पर खडा कर देना चाहिए।"

नुधार किय जाने का एक कारण और था। हमने देखा है कि 1833 के चाटर ऐक्ट न कानून का केन्द्रीयकरण कर दिया था जिसके कारण चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती थी। भारत एक बडा देश था जिनकी कानूनी समस्या केन्द्र सरकार के कुछ सदस्यो द्वारा नहीं समझी जा सकती थी क्योंकि वे यहा की जनता से बहुत दूर रहते थे। इन सदस्यो के पास समय और इच्छा टोनो नहीं थी जिसस कि वे पूरे देश के लिए एक स्तर का कानून बनवा सकें।

1853 के ऐक्ट के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल की काय शैली भी सतोपजनक नहीं थी। सर एच० वी० लोवेट के अनुसार, "कौंसिल बोड की तरह काय कर रही थी और सभी मसाले बहुमत से निश्चित होते थे। गवर्नर जनरल को अति महत्वपूर्ण मसलो पर बहुमत को भी ठुकराने का अधिकार था।"<sup>1</sup> लाड कनिंग इस सामूहिक व्यवस्था से असंतुष्ट था। इसके अतिरिक्त इस कौंसिल ने कभी आंग्ल-भारतीय सस्या होने की चेष्टा भी नहीं की। पर विधायिका शक्ति की स्थिति मे वह इसी तरह की हो गयी। इसने ससदीय औपचारिकताए भी अपनायी जैसे तीन बार बिला का वाचन और उन्हें समितिओ को सौंपना आदि। पर इससे देर होती थी। एक दजन कौंसिल के सदस्यो की कारवाई को नियमित करने के लिए 136 आदेश पहले से ही बने थे। स्वतंत्र विधायिका की तरह काय करने का नाटक करते हुए यह कभी-कभी पूतियो को रोक देती थी और अपनी गृह सरकार की इच्छा के अनुसार पूणतया काय भी नहीं करती थी। कभी कभी कौंसिल सदस्य गुप्त मौमलो पर सूचनाए प्राप्त करने की जिद करते थे और ऐसे प्रश्न करते थे जिनका उत्तर देना सभव नहीं था। इन सभी को अधिकारी ठीक करना चाहते थे। इन परिस्थितियो मे 1861 का कौंसिल ऐक्ट पारित किया गया।

1 लोवेट, सर, एच० बर्ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग 6 प० 226।



कैनिंग इसके लिए प्रशंसा का पात्र है कि प्रथम दुर्भिक्ष आयोग उम्मीद के काल में 1860 में बना जब उस वर्ष मानसून असफल रहा और 48 000 वर्ग मील का क्षेत्र जिसमें अलवर, आगरा के आस पास उत्तर पश्चिम प्रांत आर आर बहुत में क्षेत्र में भयानक दुर्भिक्ष पड़ गया। लगभग 5 लाख लोगों ने अपना घर बार छाड़ दिया। भाग्य से उत्तर-पश्चिम प्रांत के दक्षिणी-पूर्वी जिला में पर्याप्त वर्षा हा गयी, ईस्ट इंडिया रेलवे से पर्याप्त सहायता मिल गयी और अकालप्रस्त क्षेत्र के 9 लाख एकड़ क्षेत्र में 1837 में रक्षा के उपाय कर दिए गए। 1837 की पुरानी नीति बहाली गयी और सरकार ने स्वस्थ लोगों को काम दिया, कमजोर लोगों का समाज ने सभाला। वैसे समाज की असहायता की स्थिति में यह काम भी सरकार को ही करना पड़ा। 80 हजार लोगों को 26 केन्द्रों और 75 जिले स्तर के सहायता केन्द्रों से सहायता प्रदान की गयी।

सरकार ने पहली बार इस सत्र में एक जांच मिति की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए कनल वेयड स्मिथ के मत में की। कनल स्मिथ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पर दुर्भाग्य से अगली बार भविष्य में पंच प्रदर्शन के लिए कोई सिद्धांत नहीं बनाये गए। पर इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ गया। 1866-67 में दूसरा जांच आयोग बैठाया गया जिसने दुर्भिक्ष संहिता बनाने की दिशा में कुछ कार्य किया जो अतंत इस तरह के नई कमीशन के परिश्रम के फलस्वरूप सामने आया। इसी बीच अगले तीन वर्षों में 1861 तक कैनिंग ने 8316 मील रनव लाइनें बिछवायी जिन्में दुर्भिक्ष में सहायताथ बड़ी मदद मिलती।

### 1861 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट

भारत में कैनिंग के काल की यह भी एक महत्त्वपूर्ण सफलता थी। जान कोटमैन ने लिखा है कि 1833 और 1861 के बीच इंग्लैंड में "चार्टिस्ट आंदोलन" में महाद्वीप की क्रांतिकारी भावना को हमारी राजनीति में ला उपस्थित किया और इसमें यह स्पष्ट हो गया कि राजनतिक शक्ति का प्रसार ऊंचे व मध्य वर्ग के अतिरिक्त मजदूरों के बीच से जाना पड़ेगा। और इस आंदोलन ने ब्रिटिश की स्वाभाविक शक्ति में तीव्रता और शक्ति ला दी जिससे स्वतंत्र और प्रजा तान्त्रिक शासन की बल मिले। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश उपनिवेशों में स्वशासन की मांग उठी।" भारत में इस बात की जोरदार मांग थी कि जब 1858 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के द्वारा बहुत-से विशेष परिवर्तन किये जा चुके थे तो भारत सरकार में परिवर्तन आवश्यक था। यह भाग्य की ही बात थी कि ग्लेडस्टन जैसे इंग्लैंड के सुधारवादी जहां इंग्लैंड में प्रजातान्त्रिक भाव को आगे बढ़ाने में रुचि लेते थे वहां थे एक सीमा तक भारत की इच्छा का आदर करने को भी तैयार थे। 1860 में सर बाटिल फ्रियर ने अपने एक मिनिट में

लिखा, "यह विनाशकारी प्रयोग कि उन करोड़ो लोगों के लिए विधान बनाया जाये जिनके विषय में हमारी जानकारी का स्रोत केवल उनके द्वारा किय गये विद्रोह हैं, भला क्या पता उनके मन के है या नहीं।" 1857 के विद्रोह स स्पष्ट था कि यदि भारत में जनमत का ठीक तरह से पता लगाया गया होता और यदि वहाँ के लोगों से परामर्श की व्यवस्था की गई होती तो 1857 में ब्रिटिशों को जो कष्ट झेलना पड़ा, वह न झेलना पड़ता। भारतीयों का लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रतिनिधित्व नहीं था जहाँ वे अपनी मांगों को प्रस्तुत कर सकते। 6 जून 1861 को सदन में सर चार्ल्स वुड ने अपने भाषण में सच ही कहा, "यह मूखता ही होगी कि भारत में हम अपनी कठिन होती स्थिति से मुक्त हो लें। यह एक अत्यंत कारण है जिसके कारण हमें शीघ्र से शीघ्र सभी समस्याओं को शक्तिशाली नींव पर खड़ा कर देना चाहिए।"

सुधार किये जाने का एक कारण और था। हमने देखा है कि 1833 के चार्टर ऐक्ट न कानून का वे द्रीयकरण कर लिया था जिसके कारण चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती थीं। भारत एक बड़ा देश था जिनकी कानूनी समस्या केन्द्र सरकार के कुछ सल्लस्या द्वारा नहीं समझी जा सकती थी क्योंकि वे यहाँ की जनता से बहुत दूर रहते थे। इन सदस्यों के पास समय और इच्छा दोनों नहीं थी जिससे कि वे पूरे देश के लिए एक स्तर का कानून बनवा सकें।

1853 के ऐक्ट के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल की कार्य शैली भी सतोपजनक नहीं थी। सर एच० वी० लोवेट के अनुसार, "कौंसिल बौद्ध की तरह कार्य कर रही थी और सभी मतों से बहुमत से निश्चित होते थे। गवर्नर जनरल को अति महत्त्वपूर्ण मामलों पर बहुमत को भी ठुकराने का अधिकार था।"<sup>1</sup> लाड कैनिंग इस सामूहिक व्यवस्था से असंतुष्ट था। इसके अतिरिक्त इस कौंसिल ने कभी आंग्ल-भारतीय सस्या होने की चेष्टा भी नहीं की। पर विधायिका शक्ति की स्थिति में वह इसी तरह की हो गयी। इसने ससदीय औपचारिकताएँ भी अपनायी जैसे तीन बार बिल का वाचन और उन्हें समितियों को सौंपना आदि। पर इससे देर होती थी। एक दजन कौंसिल के सदस्यों की कारवाई की नियमित करने के लिए 136 आदेश पहले से ही बन थे। स्वतंत्र विधायिका की तरह कार्य करने का नाटक करते हुए यह कभी-कभी पूर्तियाँ को रोक देती थी और अपनी गह सरकार की इच्छा के अनुसार पूर्णतया कार्य भी नहीं करती थी। कभी-कभी कौंसिल सदस्य गुप्त मौमलों पर सूचनाएँ प्राप्त करने की जिद करते थे और ऐसे प्रश्न करते थे जिनका उत्तर देना संभव नहीं था। इन सभी को अधिकारी ठीक करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में 1861 का कौंसिल ऐक्ट पारित किया गया।

1 लोवेट सर, एच० वी० कैनिंग हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग 6 प० 226।

कायपालिका की धाराएँ—इस ऐक्ट की धाराओं में वाइसरॉय व इक्जीक्यूटिव कांसिल में कुछ परिवर्तन किये गये। 1853 में कौंसिल में एक विधि सचिवी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में जोड़ दिया जाता था। विद्रोह के बाद आर्थिक व्यवस्था के असंगठन ने परिवर्तन आवश्यक कर दिया और विधि सदस्य का स्थान एक प्रशिक्षित अर्थविज्ञ को दे दिया गया। पर एक कानूनविद की कम आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विधि का सहिताकरण प्रारंभ हो गया था। यहाँ तक कि मैकाल द्वारा तैयार किया गया पैनेल कोड भी अभी अधूरा था।<sup>1</sup> इस तरह 1861 के ऐक्ट ने कौंसिल में एक पाचवाँ सदस्य जोड़ दिया। इस ऐक्ट ने सेक्रेटरी आफ स्टेट का सेनापति को कौंसिल का विशेष सदस्य बनाने का अधिकार प्रदान किया। जबकि उपरोक्त पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य ऐसे हात थे जो भारत में कम्पनी या ताज की सेवा में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों। पाँच में से एक को सैनिक सदस्य होता था जो स्थान किसी प्रतिष्ठित सैनिक का ही प्राप्त होता था। दो अन्य सदस्य असैनिक कर्मचारी हात थे, चौथा आर्थिक मामला में जानकार होता था चाहे वह ताज या कम्पनी की सेवा में रहा हो या न रहा हो। पाँचवें सदस्य का विधि सदस्य होना था। यह पद इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी बैरिस्टर को या स्काटलैंड के एडवोकेट्स की फीकटरी के किसी सदस्य को जो पाँच वर्ष से अपने देश में ही मिल सकता था। सेनापति को एक विशिष्ट सदस्य होना भी था और व्यवहार में था भी जो सैनिक सदस्य के साथ देश के सैनिक प्रशासन का उत्तर दायित्व अपने कंधे पर लेता था।<sup>1</sup>

प्रत्येक साधारण सदस्य एक सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेट्रियो द्वारा सहायता प्राप्त करता था। वह अपने पास पूरा कार्यालयीय उत्तरदायित्व रखता था।

गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि कर दी गयी और अब उसे विधि रचना को छोड़कर हर क्षेत्र में अकेले कार्य करने के लिए अधिकारित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह एक प्रेसीडेंट की नियुक्ति कर ले जो उसकी अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व करे। वह कौंसिल की कार्य पद्धति को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता था और इस नियम के अंतर्गत की गयी कारवाइया या पारित आदेश कौंसिल में गवर्नर जनरल की कारवाइया या आदेश कहलाते थे। लाड कनिंग ने इस अधिकार के अंतर्गत जो पहला कार्य किया, वह यह था कि उसने सदस्यों के बीच कागज से भरे सडूका को अस्वाभाविकी को रोकना। उसने नये नियम बनाकर सदस्यों के बीच पाटफोलियो या विभागों का बंटवारा किया और छोटे मोटे कामों को उन्हें स्वयं करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। और महत्वपूर्ण कामों पर अपने मत सहित उन्हें

1 लोवेट सर, एच० बर्ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग 6 पृ० 226-240।

वाइसराय के सामने प्रस्तुत करने को कहा। यदि वाइसराय का मत उससे मेल न खाता तो यह मसला कौंसिल में ले जाया जाता जहाँ प्रेसीडेंट को एक निर्णायक मत प्राप्त होता। लोवेट लिखता है कि, "इस तरह भारत सरकार गवर्नर जनरल के नेतृत्व में एक मल्टिमंडलीय सरकार बन गयी जिसमें विभागीय स्तर पर कार्य होने लगा तथा गवर्नर जनरल इसमें अधिक जागरूक और विशेष भाग देना लगा जो किसी भी पश्चिमी दश के प्रधान मंत्री से अधिक था। इसके पूर्वाधिकारियों ने इतनी रुचि नहीं ली थी।"<sup>1</sup>

**केन्द्रीय विधायिका**—विधान बनाने की बात दृष्टि में रखकर वाइसराय ने इन्फ्रीम्युटिव कौंसिल में विस्तार किया जिसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कम-से-कम 6 और अधिक से-अधिक 12 सदस्यों को नामित कर दे जो दो वर्ष के लिए अपने पद पर रहेंगे। आधे से कम सदस्यों को कार्यालय के बाहर का होना था। 1853 के चाटर ऐक्ट के अंतर्गत प्रांतीय प्रतिनिधियों की प्रथा समाप्त कर दी गयी। सर० ए० एच० लायड ने ससद में यह इच्छा व्यक्त की कि यह निर्दिष्ट कर दिया जाय कि ये सभी अतिरिक्त सदस्य भारतीय होंगे। पर सेक्रेट्री आफ स्टेट ने उत्तर दिया कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें ब्रिटिश लोगों की विभिन्न क्षेत्रों की जनता के बीच वैधानिक भेदभाव की बात उठ खड़ी होगी। वैसे इन सदस्यों में कुछ भारतीय तो होंगे ही। इस तरह यह प्रावधान किया गया कि ये अतिरिक्त सदस्य भारतीय या यूरोपीय होंगे। इन अतिरिक्त सदस्यों सहित वाइसराय की कौंसिल ने भारतीय विधायिका का स्वरूप ग्रहण कर लिया।

इस तरह से बनी लेजिस्लेटिव कौंसिल सभी विषयों पर ब्रिटिश व ब्रिटिश भारतीयों तथा भारत के अन्दर व बाहर के कमचारियों के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी। अपवाद केवल यह था कि निम्न विषयों में से यदि किसी पर इससे प्रभाव पड़ता था तो इसपर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होती थी। ये विषय थे—भारतीय राज्या या विदेशी शक्तियों से संबंध, एक वग का धर्म या धार्मिक परंपरा, जनता का ऋण और भारतीय राजस्व, जल सेना और थल सेना में अनुशासन। केन्द्रीय विधायिका भारत के किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी। पर विधि को संपूर्णता तभी प्राप्त होती थी जब इस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी। इसके बाद इसे सेक्रेट्री आफ स्टेट के पास स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता था जो चाहे तो इसे अस्वीकार भी कर सकता था। गवर्नर जनरल को विधायिका के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। भारत में शांति और ब्रिटिश हिता को ठेस पहुंचने वाले मसलों

मे उसे पूर्ण निपेधाधिकार प्राप्त था। वह प्रांतीय सरकार के किसी विधि का परिवर्तित या समाप्त कर सकता था। उस प्रांता और प्रेसीडेन्सिया की सीमा परिवर्तन का भी अधिकार था। उस आपातकाल में आर्डिनस लागू करने का अधिकार भी था जो 6 माह तक लागू रह सकता था पर इसकी मूचना उचित समय पर सफ्रेट्री आफ स्टेट को भी प्रेषित की जाती थी और वह चाह तो इससे पूर्व ही इस वापस ले सकता था। गवर्नर जनरल के विधायिका अधिकार का और विधियों का ब्रिटिश मसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक अनिश्चित धारा के आधार पर इधर अपहृत प्रांता पर गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत कायकारिणी आदेश स्वीकार किये गये।

इस तरह यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय विधायिका की शक्ति में काफी कटाती कर दी गयी। स्पष्टतः अब यह हो गया कि कायकारिणी द्वारा प्रस्तावित विधियाँ का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तमाम मामला में विधि को प्रारंभ करने के लिए गवर्नर जनरल के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। कोई भी ऐसी विधि पारित नहीं हो सकती थी जो गृह सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करती हो या किसी ससदीय एक्ट के विपरीत जाती हो। उस एक्ट को ताज अस्वीकार कर देता था। गवर्नर जनरल को भी आर्डिनस लागू करने का अधिकार था या निपेधाधिकार का भी वह प्रयोग कर सकता था। इस तरह 'इस कायकारिणी पर नियंत्रण या रोक का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि विधायिका काय भी प्रति बंधों की सीमा में थी'।

पर फिर भी इन प्रावधानों में कुछ गुण थे। भारतीयों को सरकार की ऊँची कौंसिला में लिया जाना लगा और भारत सरकार को वह स्वरूप प्रदान किया गया जो आज तक चलता आ रहा है।

प्रांतीय विधायिकाएँ—प्रांतीय विधायिकाओं सबधी प्रावधान ने मद्रास और बम्बई प्रान्त के प्रान्तों को विधायिका शक्ति प्रदान की। विधायिका के उद्देश्य से गवर्नर की इक्जीक्यूटिव कौंसिल में कम-से-कम 4 और अधिक-से-अधिक 8 सदस्यों को जोड़ने का आदेश दिया गया। इन सदस्यों को नामित किया जाना था जिनमें से कम-से-कम आठे सदस्यों को गैर सरकारी होना था। प्रेसीडेन्सी के एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर नामित कर सकता था। इन सदस्यों का नायकाल दो वर्ष था और इन्हें विधान बनाने की हर बैठक में बुलाया जाना था। गवर्नर जनरल का यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो इसी तरह की लेजिस्लेटिव कौंसिलें अन्य प्रान्तों में बनाये। इन्हीं के आधार पर 1862 में बंगाल में, 1886 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त में तथा 1898 में पंजाब व बंसा में इसका प्रावधान किया गया। पर

इन लेजिस्लेटिव कौंसिलों की शक्ति कम कर दी गयी थी। कुछ विषयों में विधि बनाने के समय गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त कोई भी बिल बिना उसके हस्ताक्षर के विधि का रूप ग्रहण नहीं कर सकता था। प्रान्तीय कौंसिल प्रान्त के अच्छे प्रशासन के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी। पर पोस्ट एव तार, सिक्के ढालने, विदेश संबंध, सेना आदि जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर उसे विधि बनाने का अधिकार नहीं था।

इस तरह की धाराएं इस ऐक्ट की थीं। सर वाटसन फ्रेजर और सर सैयद अहमद खा की इच्छा की पूर्ति हो गयी। और कमचारियों को भी सरकार की सहायता करने और भारतीय समस्याओं को समझने का अवसर प्रदान किया गया जिससे भारतीय अपनी कठिनाइयों को इनके माध्यम से पहुंचा सकते थे। इस ऐक्ट ने बम्बई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों को विधायिका शक्ति पुनः प्रदान कर दी और अन्य प्रान्तों में भी इसी काय को करने के दरवाजे खोल दिये। इससे विधायिका के विकेंद्रीकरण की जो क्रिया प्रारंभ हुई वह अच्छे प्रान्तों की पूर्ण स्वायत्तता तक पहुंच कर ही रुकी। पोटफोलियो प्रथा ने गवर्नर जनरल को अनावश्यक काय करने से उबारा जिससे वह महत्त्वपूर्ण कार्यों में अपने को लगा सका। 1853 के चार्टर ऐक्ट ने गवर्नर जनरल को विधायिका शक्ति के अतिरिक्त सब कुछ प्रदान किया था। आर्डीनेंस, पोटफोलियो आदि ने आधुनिक प्रथा की नींव डाली और जैसा कि कोटमन ने लिखा है, "कौंसिल ऐक्ट का पूर्ण प्रभाव यह रहा कि भारत में प्रजातंत्रीय सरकार की दिशा में विधायिका में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनतिक क्षेत्र में कदम आगे बढ़े।"<sup>1</sup>

इसमें सदेह नहीं कि इस ऐक्ट में कुछ दोष भी थे। पहले से चले आ रहे और सरकारी सदस्य चूकि शक्तिशाली और बहुमत में थे, इस कारण गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण नहीं थी। न ही राजाबा और जमींदारों के रूप में गैर सरकारी सदस्य जनता की समस्याओं को समझ सकें या प्रतिनिधित्व कर सकें। वे कौंसिल की सदस्यता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखते थे और इसीलिए वे<sup>०</sup> वी० पुनिया ने लिखा है, "कि कौंसिल की सहायता लेने से प्रायः लोग इनकार कर देते थे। और ये नामित सदस्य आने में बहुत ही लापरवाही करते और जाने के लिए बड़ी जल्दी मचाते।"<sup>2</sup> कौंसिल अपने में रचना या काय के आधार पर विधायिकाओं नहीं कही जा सकती थी। वे द्वीय और प्रान्तीय कौंसिलें तात्कालिक मसलों पर विचार कर सकती थीं। उन्हें सूचनाओं प्राप्त करने तथा प्रशासकीय कार्यों को रोकने का अधिकार नहीं था। उनकी विधि मात्र सरकार की इच्छा का

1 कोटमन पूर्वोक्त पृ० 22।

2 पुनिया के० वी० वास्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० 104।

प्रतिनिधित्व करती थी। वे स्वयं "भारतीय शासकों का परंपरागत दरबार जैसा दिखत था जिसमें जनता के मत जानने की चेष्टा की जाती थी।"<sup>1</sup>

पर फिर इन कौंसिलों के बचाने का उद्देश्य भी तो यही था अर्थात् जनमत का पता लगाना तथा सरकारी विधान की रक्षा करना और उसे 'यायसगत बनाना। प्रचार, सूचना और वाद-विवाद ही इसका उद्देश्य था। एक सीमा में ये उद्देश्य पूरे भी हो गये और उस परम्परा की नींव भी इसी समय पड़ गयी जिसे भारत की भविष्य की पीढ़ी को प्राप्त करना था।

सिक्किम—विद्रोह के बाद कैनिंग की सफलताओं के आकलन के समाप्ति के पूर्व दा शब्द उस चढ़ाई के सबंध में जो छोटे स हिमालय के साम्राज्य सिक्किम पर किया गया। ब्रिटिशों के इस छोटे राज्य से सबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि यहाँ का शासक उत्तेजक प्रकृति का था। नवम्बर 1860 में डॉ० ए० कैम्पबेल को अपन 160 व्यक्तिगण सहित आगे बढ़ने पर बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। इसके बाद 2,600 सैनिकों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया जो पूर्ण सफल रहा। कोई क्षेत्र अपहृत नहीं किया गया पर शांति संधि के अगत 7,000 रु० क्षतिपूर्ति के रूप में लिये गये। इस राज्य में एक जाने वाली एक सड़क बनाने का निर्णय हुआ। ब्रिटिशों को राज्य में कुछ व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुई।

इस तरह स्पष्ट है कि विद्रोह का प्रभाव अत्यधिक और दूरगामी हुआ। ताज ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया पर यह मात्र औपचारिक था। भारतीय सेना पूर्णतया पुनर्गठित की गयी। भारतीय राज्यों के प्रति नीति में भी काफी परिवर्तन किया गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रशासन, कृषि, शिक्षा, सावजनिक निर्माण विभाग व शांति तथा व्यवस्था से संबंधित मशीनरी के सबंध में भी परिवर्तन किये गये। 1858 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट तथा 1861 के इंडियन कौंसिल ऐक्ट के कारण महत्वपूर्ण सर्वधानिक परिवर्तन हुए।

"विद्रोह का एक सीधा प्रभाव स्पष्टतया यह भी था कि भारतीय राजनीति में अतिवाद का जन्म और उत्थान हुआ।"<sup>2</sup> भारत में 'टाइम्स' के सनाददाता रसल ने अपनी डायरी में लिखा, 'दा जातियों के बीच इस विद्रोह ने घृणा और दुर्भावना की अति को जन्म दे दिया है जिसमें मात्र शासकों का परिवर्तन ही इसकी दवा नहीं दिखाई पड़ता। इनमें से क्रुद्ध तत्त्व हमारी सबसे बड़ी समस्या हैं।' टाइम्स एडिटर गैरेट ने लिखा है कि, "ब्रिटिश पुराने आक्रमणकारियों के विपरीत जैसे-जैसे अधिक समय बीतता गया वे अलग-थलग पड़ते गये। वे विदेशी होत

1 कूपलण्ड आर० इण्डियन प्रान्सेम पृ० 56।

2 1858 के ऐक्ट के बाद विवाद के लिए ऊपर देखें।

3 मजूमदार एण्ड अदस ऐडवोकेट्स हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० 782।

गये और अधिक कायक्षमता का प्रदर्शन किया ॥”

पदमुक्ति—18 मार्च 1862 को दुखीमन हो लाड कॅनिंग पदमुक्त हो गया क्योंकि कुछ ही मास पूर्व उसकी पत्नी का क्लबत्ता में देहात हो गया था। इंग्लैण्ड पहुँचते-पहुँचते उसकी भी 17 जून को मृत्यु हो गयी। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रॉलिंसन ने लिखा है, “भारतीय साम्राज्य के इतिहास में शायद ही किसी को इससे अधिक बोज़ अपने कंधे पर ढोना पड़ा हो। उसका जीवनी लेखक लिखता है कि वह कभी-कभी आधी रात से बिना आराम किये दोपहर तक तब तक काय करता रहता था जब तक कि सचमुच उसकी क्लम उसके हाथ से छूट नहीं जाती थी।”<sup>2</sup> कॅनिंग ने लिखा है कि, “वह काय-क्षेत्र में कूद पड़ा और प्रारंभ से काम के आगे उसने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जिसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा।” और सचमुच “गंभीर व स्थिर चित्तवाले, अटूट शक्ति वाले, यायशील व उच्च आत्मा वाले कॅनिंग के प्रति प्रशंसा हमारे सर झुक जाते हैं। एक घटनाप्रधान काल में ईमानदारी से उसने अपन क्तव्य का वहन किया और उस अधकारपूण तूफानी काल में अपने देश के जहाज का बेड़ा पार लगाया।”<sup>3</sup>

लाड कॅनिंग ने शांति और युद्ध दोनों क्षेत्रों में जय पताका फहराई। जिस दंड निश्चय के साथ उसने विद्रोह को दबाया, वह निश्चित ही ईर्ष्यापूर्ण था। पर अधिक प्रशंसा का पात्र वह इसलिए है कि एक बार संधि के उपरांत शांति स्थापित हो जाने के बाद वह देश के नवनिर्माण में शांतचित्त हो लग गया। इस तरह का काय मत्तुलित उच्चभात्माओं वाले लोग ही कर सकते हैं। जब उसकी राजनीति की आलोचना हुई तो लाड ग्रेनविल को उसने लिखा “मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रक्षा अनुचित और गलतफहमी वाले कार्यों के अतिरिक्त भी करें। पर आप पूरे सामर्थ्य से मेरी ओर से यह कह कि जहाँ हम प्रथम कस्य के रूप में बिना दया के विद्रोह को दबाने को तैयार हैं, वही साथ ही साथ हम इसे भी स्वीकार करते हैं कि विद्रोह समाप्त के बाद याय और शांति को अपनी यात्रा पर चलने का अवसर मिलना चाहिए। हम क्रोध में सभी को फासी पर लटवाकर या जिंदा जलाकर दंडित करने या उससे कम हिंसात्मक दंड वग, जाति या चमडों को आधार बनाकर देने के पक्ष में नहीं हैं।”

विद्रोह के उपरांत यह माग बार बार उठी कि उसे वापस बुला लिया जाय। उसने दढतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह अधकारिया को लिखा,

1 टी० एण्ड जी० पूर्वोद्धत प० 412।

2 रॉलिंसन पूर्वोद्धत पृ० 123।

3 कॅनिंग पूर्वोद्धत प० 39।



“मेरा विश्वास है कि भारत सरकार में इस क्षण परिवर्तन से देश में शांति स्थापना में बाधा पड़ेगी।” जहाँ तक उसकी नीति में परिवर्तन का प्रश्न था उसने कहा, “किसी तरफ़ में प्रसारित होने वाला उपहास सा कटाक्ष मुझे अपने पक्ष से विरत नहीं कर पायेगा क्योंकि इस में अपना कर्तव्य समझकर करता हूँ।”<sup>1</sup>

इस तरह कैनिंग साम्राज्य सुरक्षा के मसल पर दयालु होत हुए भी कठोर था तथा उदार होते हुए भी निष्ठुर था। रालिंसन ने लिखा है कि, “इंग्लैण्ड ने सदा मुफ्त ही अपना सर्वोत्तम भारत को प्रदान किया है, और उसमें जाज कैनिंग का एक आदरणीय स्थान है।”

1 रालिंसन पूर्वोक्त प० 123।

2 वही।

## सर जॉन लारेन्स (1864-1869)

लेफ्टीनंट कनल अलकजा डर लारेन्स की आठवीं सन्तान जान लेयड मेयर-लारेन्स 4 मार्च 1811 को पैदा हुआ। उसकी माँ कैथरीन लेटीशिया रेवरेड जाज नाक्स की पुत्री थी। उसने कई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की पर कहीं भी अच्छा छात्र सिद्ध नहीं हुआ। उसने लंदन डेरी के फायला कालेज में भी अध्ययन किया। 1827 में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिपिक का स्थान प्रदान किया। हैलीवरी में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर 1829 में वह कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। कंपनी की सेवा में कायूरत अपन बड़े भाई हेनरी के साथ वह यहाँ आया।

भारत में उसने कई पदों पर कार्य किया। पहले वह दिल्ली में रेजीडेंट का सहायक रहा। बाद में वह पानीपत व गुडगाव में कलेक्टर व मजिस्ट्रेट बना, फिर इटावा में बन्नेबस्त अधिकारी। इस तरह उसने प्रशासन, न्यायाधीश और राजस्व अधिकारी के तरह के अनुभव प्राप्त किये। 1840 में उसने छुट्टी ली और इंग्लैंड चला गया। "एक असैनिक युवा कर्मचारी के हर पद पर उसने कार्य किया। और जन्म या भाग्य से सहयोग पाये बिना वह इन 10 वर्षों में आगे बढ़ता गया और नाम कमाया।"<sup>1</sup>

अगस्त 1842 में उसने, जब वह आयरलैंड में था, हैरियट कैथरीन हेमिस्टन से विवाह कर लिया। तीस वर्ष बाद भी उसने लिखा कि धार्मिक व्यक्ति की इस पुत्री में वह सब गुण थे जो एक व्यक्ति आशा कर सकता था। इसके बाद वह भारत वापस लौट आया और उसे यहाँ दिल्ली में पहले असैनिक न्यायाधीश, फिर मजिस्ट्रेट और उसके बाद कलेक्टर बनाया गया। गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिज उसकी योग्यता में प्रभावित हुआ और 1846 में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति के बाद उसे जालंधर दोआब क्षेत्र का, जिसे पंजाब से अलग किया गया था, कमिश्नर बना दिया गया। 'यहाँ पर उसने अपन तीन आदेश प्रसारित किये अर्थात् 'आप अपनी विधवाओं को नहीं जलायेंगे, 'आप अपनी कन्याओं को मार नहीं डालेंगे', 'आप अपन यहाँ के कोठियाँ का जीवित नहीं गाड़ेंगे'<sup>2</sup> जून 1849 में

1 मिलिटेड एडवर्ड पुब्लिश १० 240।

2 वही, १० 243।

द्वितीय सिक्ख युद्ध के बाद पंजाब के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया गया तो जान को इसी प्रात में बौड आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का सदस्य बना दिया गया। उसका बड़ा भाई इस बौड का सेयरमैन था। पर हेनरी स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि जान उन सभी बातों को समझन देता जिसे लाड हलहीजी उचित मानता। इसीलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि 1853 में जब वाड समाप्त कर दिया गया तो जान को पंजाब का चीफ कमिश्नर बना दिया गया। 1856 में उसे नाइट बना दिया गया और के० सी० बी० की उपाधि प्रदान की गयी। पंजाब के चीफ कमिश्नर की हैसियत से उसने सर्वोत्तम सेवाएँ अर्पित की और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसने पंजाब को अंग्रेजों के पक्ष में ही नहीं बनाये रखा बल्कि "हाथिया, ऊट, बैल, गाड़िया, सनिको को देने के लिए धन रेत भरे बोरे, जौन, तम्बू"<sup>1</sup> सनिक सक्षेप में ऐसा सब कुछ जिसकी आवश्यकता दिल्ली पर अधिकार करने के लिए थी, वहाँ भेजा और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बचाया। 1859 में जब वह इंग्लैंड वापस गया तो उसे बड़ा आदर प्रदान किया गया। उसे नवीन भारतीय कौंसिल का सदस्य भी बनाया गया। डाइरेक्टरान उसकी सेवाओं को ध्यान में रखकर उसे सेवा मुक्ति के काल के बाद 2000 पाँड वार्षिक की वृत्ति देने का निणय किया।

इसी बीच भारत में लाड कैनिंग का उत्तराधिकारी लाड एलिंगन हुआ। कजन न उसे "चालाक, परिश्रमी तथा प्रफुल्लित" व्यक्ति का विशेषण प्रदान किया। कनाडा में उसने पर्याप्त प्रशासकीय अनुभव प्राप्त कर लिया था और उसके बाद भारत में उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत में उसने कैनिंग के रचनात्मक कार्यों को जारी रखा। ब्रिटिश साम्राज्य की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उसने अम्बाला, आगरा, कानपुर और बनारस में दरवार किये। सैनिक व्यय में कटौती की और जनता के ऊपर नये कर नहीं लगाये गये। उसके काल में एक कट्टर मुसलमानों के समूह बहाबिया न उत्तर पश्चिम सीमा पर कठिनाइयाँ पैदा की पर उसे दबा दिया गया। दुर्भाग्य से भारत में लाड एलिंगन का जीवन अति संक्षिप्त सिद्ध हुआ। वह 18 माह के शासन के बाद धमशाला में मर गया। लारेस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके पूर्व उसने बम्बई की गवर्नरी करने से इनकार कर दिया था। सर जान लारेस भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण करने कलकत्ता में जनवरी 1864 में पहुँचा।

### आ तरिक सुधार

आतरिक और बाह्य सभी मामलों में लारेस के वाइसरायल्टी का काल

सफलता का काल था। उसके आन्तरिक प्रशासन का पहले परीक्षण किया जाय।

**सैनिक सुधार**—हम यह पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह विद्रोह के उपरान्त सेना का इस तरह से पुनर्गठन किया गया जिससे यदि पुनः विद्रोह हो तो ठीक से उससे निबटा जा सके। तोपखाना युरोपियो मात्र के ही अधिकार में कर दिया गया। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2 व 1 का हो गया। 1858 के कमीशन ने एक अन्य सतर्कता की बात जो बताई, और जिसमें लारेन्स स्वयं भी सदस्य रह चुका था, वह यह थी कि "चूँकि हम भारत में बड़ी स्थानीय सेना के बिना कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा उद्देश्य इस सेना को सुरक्षित बनाने का है। हमें यूरोपीय सैनिकों को शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ देशी सैनिकों में भी सतुलन की नीति अपनानी होगी।" पर यह प्रस्ताव लारेन्स पर स्वयं के लिए छोड़ दिया गया कि गवर्नर जनरल होकर वह इस पर कारवाई करे।

"देशी सैनिकों का एक दूसरे के विरुद्ध सतुलन' की नीति का श्री गणेश लारेन्स के काल ही में किया गया। सेक्रेट्री आफ स्टेट चार्ल्स वुड ने लारेन्स द्वारा प्रेषित भारतीय सैनिकों के विभाजन को स्वीकार कर लिया जो इस तरह था (1) एक राष्ट्रीय या बग के आधार पर, उदाहरणार्थ गोरखा रेजीमेन्ट, सेना का बनाया जाना जिसमें सभी सैनिक एक प्रांत जाति या बग के हों। यह विभाज्य नियम न होकर अपवाद होना था। (2) प्रांतीय प्रथा जिसके अंतर्गत एक ही प्रांत के भिन्न-भिन्न जातियों के सैनिकों को रखा जाना था। (3) मिली-जुली सेना प्रथा जिसमें विभिन्न प्रांतों जातियों बर्गों के सैनिकों का एक साथ रखा जाना था।

यह भी तय हुआ कि भारतीय सैनिक वही भर्ती किये जायेंगे जहाँ यह अति आवश्यक होगा। किसी भी बग या जाति पर जान बूझकर निर्भर नहीं किया जायगा और उन्हें एक अनुपात में भर्ती किया जायगा। इन सैनिकों का अफसर उन्हें ही बनाया जायगा जिन्हें वे पसंद करते हैं। लगातार सेना का दश के एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाना हतोत्साहित किया जायगा क्योंकि इससे आपस में उनमें परिचय बढ़ता है 'जो धीरे धीरे एक भाईचारे में परिवर्तित हो जाता है।"

एक विवाद उठा कि क्या भारतीय सेना को उत्तम इथियार से लैस किया जाय। वैसे तो अधिकतर यूरोपीय अधिकारियों ने इसका पक्ष लिया कि भारतीयों को बेहतर अस्त्र प्रदान किये जाएँ और इस मामले में कोई भेद भाव न बरता जाय पर जान ने स्वयं राजनतिक कारणों से दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।<sup>1</sup> उनमें अपना मत अंग लोको सहित सेक्रेट्री आफ स्टेट को भेज दिया जिसमें उमन प्रस्तावित

1 दखें निम्न प्राणस अथल 1868 सङ्घा 418 लारेन्सेत्र निमित 18 अग्रत।

किया कि देशी सना को धीरे धीरे इनफील्ड राइफन प्रदान की जाय। नाल की ओर स गोली भरने वाले और उत्तम राइफन उसने उन्हें न दिम जान सिफारिश की। पर सेप्टेन्ट्री आफ स्टेट न अधिकारियों का मत मानत हुए यह धार्किया किया कि युद्ध लडने वाले सैनिकों में “अपने कामरडा, अफसरों में और स्वयं में भी विश्वास होना चाहिए।” “युद्ध में भेजे गये सैनिक यदि यह जान जाए कि उनके पास घराब अस्त्र है तो उनका विश्वास डिग जायगा।” और इंग्लिश देशी सेना को हथियार प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें उत्तम अस्त्र भी प्राप्त होना चाहिए।”<sup>1</sup>

जसा पहले ही बताया जा चुका है, 1861 में तीनों प्रेसीडेन्सियों में उनकी सेना के साथ स्टाफ कार भी लगा दिया गया जो भारतीय सना और असैनिक नौकरी वालों की राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों में छान-बीन करता रहा था। यही काम यह अनियमित और सीमा प्रांतों में भी करता था। ब्रिटिश रजिमेंटों से अधिकारियों का भेजा जाना बंद कर दिया गया तथा कोर में पदोन्नति स्थान रिक्ति के स्थान पर न होकर सेवा काल के आधार पर किया जान लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि इन अनावश्यक अधिकारियों का वेतन बढ़ गया और राजस्व पर बोझ भी बढ़ गया।

जान लारेंस ने स्थिति को ठीक करने के लिए अधिकारियों को अधिक वक्ति पर समय से पूर्व पद मुक्ति की लालच दी। पर सेप्टेन्ट्री आफ स्टेट ने उसकी इस योजना को अस्वीकार करते हुए लिखा, “ऐसा ठीक नहीं मालूम पडता है कि एक अफसरों का समूह पैदा किया जाय जिन्हें अफसर बनने का अवसर प्राप्त हो जाने पर एक नया सहायक नियम बनाकर उन्हें लालच देकर पदमुक्ति की चेष्टा इस समय की जाय जब उनकी सेवाओं की सबसे अधिक उपयोगिता है।”<sup>2</sup>

पुलिस सुधार—कुछ पुलिस सुधार भी किये गये। विद्रोह के पूर्व बहुत काल तक मजिस्ट्रेट जिले के काम के अतिरिक्त पुलिस विभाग का काम भी देखते थे जिसमें उनका काम भी बढ़ जाता था और उन्हें यायिक-अधिकारी का काय भी करना पडता था। विद्रोह के पूर्व इस दिशा में सुधार की कारवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी थी जो 6 सितंबर 1859 के एक्ट के द्वारा और 1861 के पुलिस ऐक्ट के द्वारा पूरी हुई। इस तरह कायपालिका से यायपालिका के काम अलग हो गये। पर लारेंस चूँकि शक्ति को केन्द्रीकृत करने का प्रेमी भी था इसलिए वह इसे उतटना चाहता था। 1863 के उत्तर पश्चिम प्रांत (यू० पी०) के पुलिस कमिश्नर न इसके पक्ष में नियुक्त किया और जबसे को पाकर लारेंस न विभिन्न

1 निती डिस्पच आफ अरगिन 25 फरवरी 1869 सन्पा 51।

2 वही 11 मार्च 1869 सन्पा 131।

गवर्नरो का मत इस सबध मे आमत्रित किया। पर गवर्नर इस मामले मे लारेस से भिन्न मत रखते थे जिसके कारण लारेस को अपनी योजना रोकनी पडी।

पर लारेस के अनुसार पुलिस सगठन मे एक अय दोष और था जिसे दूर किया गया। पुलिस अधिकारी जो मूल रूप से सेना मे नौकरी करते थे, वे सेना का भाव पुलिस मे ले आते थे जो कायक्षमता की दृष्टि से सदा लाभकर न होता था। लारेस इसे रोकना चाहता था और ऐसे अधिकारियों की सट्या घटाना चाहता था। विरोध के बावजूद 3 अगस्त 1867 को उसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतगत यह तय था कि आगे पुलिस अधिकारी भारतीय और यूरोपीय दोनों से भर्ती किये जायेंगे। इनमे भारतीय तत्त्वा को बढ़ाया जायगा और यह घोषित किया गया कि पुलिस अधिकारियों के लिए दशी राज्य कम-चारियों के विषय मे ज्ञान आवश्यक है और भर्ती के समय इस बात पर भी ध्यान दिया जायगा।

अय व्यवस्था—जॉन लारेस ने जमींदारों की तुलना में किसानों के हित की ओर ध्यान दिया और उनके विकास में रुचि दिखायी। 1868 में पंजाब टेन सी ऐक्ट पारित किया गया जो “किसानों की सतुष्टि का प्रतीक स्वीकार किया जाता है।” कुछ मामला में इससे अंतगत किसानों को जमीन पर काबिज भी बनाया गया। इसी वर्ष अवध टेन सी ऐक्ट भी पारित किया गया जिसके अंतगत 1/5 किसानों को जमीन पर साधारण कर के आधार पर अधिकार दिलाया गया।

नमक सबधी कर में जो दाप थे उस भी दूर किया जाना था। 15 जुलाई 1867 को अपनी रिपोर्ट में ब्रैंडल ने इंगित किया कि अवध में नमक बनाना रोकने के उपरांत राज्य में इसके उपभोग में कमी आ गई है। लगभग इसकी जनसंख्या के आधे लोग नमक इतनी मात्रा में प्रयोग करते थे कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता था। पशुओं को आवश्यकता से कम इसे प्रयोग करने का अवसर मिलता था।

इसके अतिरिक्त भी एक दोष था। बंगाल, बिहार और मद्रास में नमक पर लगान घटाने का इस सीमा तक असमान था कि नमक का मूल्य बंगाल में कभी-कभी दो गुना में चार गुना तक अय प्रेसीडेंसियों में अधिक रहता था। उत्पादन मूल्य से तो इसका मूल्य बहुत ही अधिक रहता था। कौंसिल के बहुमत में मदरसा के विरोध के बावजूद लारेस ने सेन्ट्रली आफ स्टेट का जपन प्रेषण में बंगाल के नमक पर कर का प्रस्ताव किया और बम्बई व मद्रास में इसे बढ़ाने का। उसने कुछ और सुधार भी प्रस्थापित किये। पर उसके काल में कोई भी मुधारात्मक बंदन नहीं उठाया जा सका। वैसे उसके तुरंत बाद दोषों का दूर किया जाना लगा और यह 1879 आत-आत पूर्णतया समाप्त हो गया।

चुगी—विद्रोह का कारण आर्थिक कठिनाइयां ने अंग्रेजी कंपनी की चुगी बंद

करने की नीति, जो आयात और निर्यात माल पर लगता था, को पलटन को बाध्य कर दिया। पर अधिक चुगी लेने की नीति अधिक दिना तक नहीं चलायी जा सकी। कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे इसे कम करने की नीति अपनायी गयी। लारेन्स के काल में भी यह नीति चलती रही। इस तरह 1864 में 10 प्रतिशत आयात चुगी घटाकर 7½ प्रतिशत कर दी गयी और 20 प्रतिशत विशेष चुगी, जो तम्बाकू पर लगाई गई थी, उसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

1867 में मस्से के प्रयास से एक अर्थ सुधार किया गया। उन वस्तुओं की सूची बनाने के म्यान पर, जिन पर चुगी नहीं लगती थी और शेष जिन पर चुगी लगनी थी उसे छोड़ देने की परम्परा पलट दी गई और अब उन वस्तुओं की सूची बनने लगी जिन पर चुगी लगनी थी और शेष को वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप चुगी प्रथा सीधी सादी हो गई।

स्टैम्प कर—स्टैम्प कर में परिवर्तन के लिए एक कमीशन बनाया गया। इसने 1866 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सस्तुति के अनुसार निम्न परिवर्तन किये गये। यह तय किया गया कि स्टैम्प कर उस मुकदमे पर जो न्यायालय में आ जायेगा, कम से कम एक रुपया लगेगा। यह कर 1000 के मुकदमे पर 10 प्रतिशत होना था और यह मुकदमे की कीमत के बढ़ने के साथ घटता जाता था। और अतः ये शिकायतें आयीं कि फौजदारी मुकदमे में कर 1861 से हटा दिया गया है। अब इस पर भी कर लगने लगा।

अफीम राजस्व—1860 में भारतीय बचत प्रणाली के प्रारंभ के साथ ही अफीम राजस्व के सम्बन्ध में ऊँचाई और नीचाई ने सही बजट के अनुमान में गभीर कठिनाई पैदा कर रखी थी। यह आवश्यक था कि बंगाल एक निश्चित मात्रा में अफीम की पूर्ति करे जिससे कि एक ओर चीन में अनावश्यक स्पर्धा न हो जाय जहाँ इसका प्रयोग होता था और दूसरे इससे मालवा अफीम पर बुरा प्रभाव न पड़े। साथ ही जिससे बजट का अनुमान भी ठीक से लगाया जा सके।

लारेन्स ने इस सम्बन्ध में कदम उठाये। बंगाल अफीम की कीमत ठीक रखने के लिए और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने बंगाल के लिए 45 हजार सड़कें अफीम बेचने का लक्ष्य रखा। दूसरे उसने टम्बुल के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि एक 'ओपियम रिजर्व फंड' की स्थापना की जाय जिससे कि बजट अनुमान में कोई कठिनाई न हो। पर वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने द्वितीय प्रस्ताव का विरोध किया। इसे सेक्रेट्री आफ स्टेट ने स्वीकार भी नहीं किया। सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए वाइसराय को लिखा कि अफीम के राजस्व पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह चीन से प्राप्त होता है जहाँ से यह कभी भी सामाजिक विद्रोह के कारण किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अर्थ देशों की अफीम पहुँचन पर प्रतियोगिता के कारण

भी इसमें कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त उसने लिखा 'ओपियम रिजर्व फंड' एक डूबता हुआ फंड होगा जिसके दोष सर्वविदित हैं। इक्जीक्यूटिव कौंसिल का यह कहना था कि रिजर्व फंड की रचना से अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ेगा और वह भी ऐसे समय जब किसी चीज की कमी नहीं है। इसके साथ इसने यह भी कहा कि अफीम का राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में है इसलिए घबड़ाहट में कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन कारणों से द्वितीय प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

लाइसेन्स कर—जॉन लारेन्स को कुछ गभीर आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। भारत में युरोपीय सेना के रहने के लिए भवन निर्माण हेतु उसे 10 करोड़ स्टर्लिंग की आवश्यकता थी। और इसके लिए उसने आयकर फिर से प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया। यह कर उस वग पर लगाना था जिसे 1860 में विल्सन ने प्रस्तावित किया था पर जिस वापस ले लिया गया था। पर उसकी कौंसिल ने उसके द्वारा आयकर प्रारंभ किये जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उसका यह प्रस्ताव कि निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर कुछ कर लगा दिये जाने पर भी उही के विरोध का शिकार हो गया।

अपने बायों में टाग अडाये जाने पर दूसरे वष उसने एक दूसरा प्रस्ताव कर उस कौंसिल से पारित कराया। नया प्रस्ताव में आयकर को परिवर्तित रूप देकर लाइसेन्स कर का नाम दिया गया। सपन युरोपीयों और भारतीयों के गभीर विरोध के बावजूद जिसे भारत और भारत के बाहर भी प्रदर्शित किया गया कलकत्ता की लेजिस्लेटिव कौंसिल ने 1867 में इसे कानून बना ही दिया। 1868 में सर्टीफिकेट टैक्स सबधी कानून भी पारित किया गया और इस तरह जॉन लारेन्स का आर्थिक उद्देश्य पूरा हो गया।

ये नवीन कर लगभग सभी आय पर आने लगे। केवल सावजनिक संपत्तियां और भूमि पर यह नहीं लगाया गया। इसके अन्तर्गत पेशेवर तथा व्यापारी वर्ग पर साधारण कर लागू किये गये। 200 रुपये वार्षिक आय से यह कर लगना प्रारंभ होता था और 10,000 तक लगता था। इस बीच की आय के वग पांच भागों में विभाजित किये गये थे। प्रत्येक समूह पर 2 प्रतिशत कर लगता था और प्रत्येक समूह के सबसे कम आय वाली घनराशि पर यह देय था। स्पष्ट था कि नाम से न सही पर यह आयकर ही था।

टेम्पुल लिखता है कि लाइसेन्स टैक्स "उसकी जानकारी में वैज्ञानिक आयकर से निम्न कौटि का है क्योंकि इसका प्रभाव सभी सपन वग पर नहीं है। पर इसने मध्य वग के लोगों को अवश्य प्रभावित किया जिन पर अभी तक कोई कर नहा



लगा था, यह कुछ था।”<sup>1</sup>

**द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग**—1866 67 का उड़ीसा का दुर्भिक्ष अपनी गभीरता के कारण भारत में दुर्भिक्ष सहिष्णुकरण में एक प्रमुख घटना सिद्ध हुआ। इस वर्ष उड़ीसा में जितनी मुसीबत आई इसके लिए बहा की सरकार उत्तरदायी थी। वर्षा कम होने के कारण 1865 में धान की फसल 1/3 रह गयी। कैम्पबेल ने लिखा है कि “1866 के अप्रैल में कटक के मजिस्ट्रेट ने फिर भी यह सूचना भेजी कि गमौर खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद मई में वह और इसके साथी भूखी रहने लगे।” चारों ओर आतंक छा गया। अनाज के व्यापारियों ने पूर्ति रोक दी और इसके पूव के अनुत्तरदायी और लापरवाह सरकारी कर्मचारी बाहर से कुछ मगाने का प्रयास करें कि मानसून ने तमाम क्षेत्रों में पानी ही पानी भर दिया। सामान लाने के सभी रास्ते बंद हो गये और अक्टूबर से पहले सरकारी तौर पर कोई सहायता नहीं पहुँच सकी। लगभग 15 लाख पीड़ित व्यय किया गया। पर जा अनुमान उस समय लगाया गया उसके अनुसार लगभग 1/4 जनता का देहान्त हो गया।

लारेस ने कैम्पबेल कमीशन की नियुक्ति की जिसने बंगाल सरकार को इस बात का दोषी ठहराया कि उसने समय से पूव कठिनाई की चेतावनी नहीं दी, और अधो की तरह माग और पूर्ति के सिद्धांत पर विश्वास कर लिया और यह भी नहीं समझा कि उड़ीसा में किस तरह दुर्भिक्ष के बाद मानसून ने उड़ीसा को सारे देश से काटकर रख दिया और समानपूर्ति के लिए कोई रास्ता ही नहीं रखा। कमीशन ने सस्तुत किया कि (1) कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे भविष्य में उपयुक्त बिन्दुओं पर अधिक सतक रहे। कमीशन ने लिखा कि “यह धारणा बन गयी कि उड़ीसा दुर्भिक्ष व्यक्तिगत असफलता का प्रतीक है जो फिर नहीं दुहराया जाना चाहिए।” साथ ही कमीशन ने सस्तुत किया कि (2) प्रान्तों में कृषि के जाकडे और भूमि के रिवाज तैयार किये जाए। (3) आवागमन के साधन तथा समाचार प्रेषण को ठीक किया जाय।

इस तरह पहली बार सरकार के लिए उत्तरदायित्व की स्वीकृति की बात की गई। इन सस्तुतियों ने 1880 के रॉयल कमीशन का पूर्वानुमान कर लिया जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि जब 1868 में दूसरा दुर्भिक्ष पड़ा तो गवर्नर जनरल लॉड लारेस ने घोषणा की कि सरकार का यह उद्देश्य है कि “प्रत्येक जीवन बचाया जाय” जिसके लिए प्रत्येक जिले के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। पर फिर भी एक निश्चित और विस्तृत दुर्भिक्ष नीति अभी दूर की बात थी।

1 टंगुल पूर्वोद्धत पृ० 163 टा० घनपाल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सर जॉन लारेस भी देखें।

1868 69 में जब उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में सूखा और दुर्भिक्ष पड़ा तो सरकार ने समथ लोगो को नौकरी देने की चेष्टा की। पर राजपूताना पर हमका और गभीर प्रभाव पड़ा जिससे कि वहाँ के लोग तमाम पास पड़ोस के क्षेत्रों में चले गये जिससे सरकार के साधन और पूर्ति पर प्रभाव पड़ा। पर सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद दुर्भिक्ष, हैजा, चेचक और बुखार का प्राकृतिक प्रकोप हो गया जिसमें 12 लाख लोग मर गये।

**अय सुधार**—सर जान का काल जंगल संरक्षण के प्रशासन के लिए सदा याद किया जायगा। इसके लिए जंगल के इसपक्टर जनरल ब्रेडिस तथा जंगल प्रशासन के संस्थापक क्लेथान उत्तरदायी थे।

1865 में ऐक्ट सात में जंगल के संरक्षण के ही नियम थे। इसमें यह बताया गया कि जंगल प्रशासन के लिए मात्र प्रशिक्षित अधिकारी ही नियुक्त किये जाएं। सरकार द्वारा सुरक्षित क्षेत्र पर निशान लगाये जायें। जंगल में आग लगने से रक्षा के उपाय किये जायें। इमारती लकड़ी विधि से काटी जाए।

इस ऐक्ट के पारित होने के बाद चुने गये अभ्यर्थी फ्रांस और जर्मनी प्रशिक्षण हेतु भेजे गये। जंगल विभाग को पुनर्गठित किया गया जिसका आधार यह था कि जो कर्मचारी इसके काम कर रहे हैं उन्हें समुचित अवसर प्राप्त हो जाय।

नहरों के निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया गया। गृह अधिकारियों की स्वीकृति से यह निश्चित किया गया कि नहरों में निर्माण का कार्य सरकारी एजेंसीज को सीधे अपने हाथ में लेना चाहिए। इसे प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इसकी भी अनुमति प्रदान की कि नहरों के निर्माण के लिए ऋण के माध्यम से धन एकत्रित किया जाय। यह भी कहा गया कि ये ऋण सरकार द्वारा एकत्रित किये जाएं पर तभी जब योजना 1 लाख रुपये से ऊपर की हो। छोटी योजनाओं के लिए नियमित राजस्व का प्रयोग किया जाय।

नहरों की आवश्यकता दुर्भिक्ष रोकने से है इसे लारेस ने मम्पा और अपनी चाइसरॉयल्टी में अत म बड़ी दोआब नहर के पुनर्निर्माण की योजना तैयार की गई। सिंधु नदी के पानी के प्रयोग के लिए भी योजना तैयार हुई। ऐसा ही कायक्रम चेनाब और ब्यास नदियों के लिए भी तैयार हुआ। आगरा और दिल्ली के बीच तिचाई हेतु नहर खोदने का कार्य प्रारंभ हुआ। पश्चिमी जमुना नहर में सुधार और मरम्मत का कार्य किया गया। रोहिल खड की नाप की गई और पूर्वी रोहिल खड व उत्तर-पश्चिम प्रांत में आवागमन हेतु अवध से इस नहर से जोड़ने की योजना बनी।

प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण के पक्ष में भी जान लारेस नहीं था क्योंकि इसके कारण सरकार को धन लगाने वाली कंपनी के धन पर कुछ ब्याज

देना पड़ता था। भारतीय करदाता के हित में वह इस काम को सरकारी एजेन्सी को देने के पक्ष में था। वैसे तो सेक्रेट्री आफ स्टेट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस कारण वह इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सका। पर इस मसले पर एक शानदार मिनिट अपने पीछे छोड़ा जिससे प्रभावित होकर लाड मेयो ने प्राइवेट कंपनी के हाथ से यह काय लेकर सरकारी एजेन्सी के हाथ में सौंप दिया जिससे एक नये युग का सूत्रपात हुआ।

जान लारेन्स ने कैण्टो में ददनाक सफाई की दशा में सुधार के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाये। उसने एक अति महत्वाकांक्षी सैनिकों के क्वार्टर बनाने की योजना को कायरूप प्रदान किया जिस पर 1 करोड़ रुपये व्यय हुआ। उसने सैनिकों में रतिज बीमारियों को रोकने के लिए भी कदम उठाये। युरोपीय सैनिक जिन सावजनिक महिलाओं के यहाँ जाते उनका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता। डॉक्टर 13 दिन पर इनका मेडिकल परीक्षण करते और उनकी बीमारी के निदान के लिए लाक अस्पताल खोले गये। इन सावजनिक महिलाओं की ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए क्रिकेट टनिस तराबी और जिम्नैजियम जैसे मनोरंजन की व्यवस्था की गयी।

हैजा जैसी बीमारियाँ की रोकथाम की काशिश की गयी। 1864 में स्ट्रेची ने जिले और कस्बा में सफाई निरीक्षण की एक अति उत्तम योजना प्रस्तुत की जिस पर सरकार ने उत्साहपूर्वक काय किया। नाली, जलपूर्ति, खुले स्थान आदि को ठीक करने के लिए विशेष व्यय की व्यवस्था राज्य की ओर से की गयी। नगरपालिका सस्थाओं के अंतर्गत स्थानीय कार्पोरेशनों को प्रोत्साहित किया गया। कैण्टो में सफाई की देखभाल के लिए सैनिकी कमिशन की स्थापना की गयी। सिविल सज्जन ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर के रूप में काय करते थे और इनके ऊपर जॉन ने अलग से सैनिकी इन्स्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की।

इस तरह वैसे तो जनसाधारण के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया पर युरोपियों तथा प्रभावी भारतीयों में बसे नगरों में बहुत कुछ किया गया। टेम्पुल ने सर जान के काय पर टिप्पणी की है, "वैसे तो उसे भारतीय सफाई प्रथा का उत्पत्तिकर्ता नहीं माना जा सकता, पर उसे इसे एक विधि से प्रारंभ करने वाले सस्थापक व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। उसने इसे राज्य के एक विभाग के रूप में स्थापित किया।"<sup>1</sup>

जेलों के सुधार की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। यह दिखा कि जेल में मर जाने वाले कैदियों की संख्या अधिक है जो मौत की सजा के बराबर थी। सर जॉन लारेन्स ने 1864 में ए० ए० राबट्स के नेतृत्व में एक समिति स्थापित की

1 टेम्पुल पूर्वोद्धृत, पृ० 165।

जिसे इस मसले पर छानबीन करने और सुधार सस्तुत करने को कहा गया। समिति ने अपने प्रतिवदन में कहा कि पिछले दशक में घराब रोशनी, खराब पानी की व्यवस्था और आवश्यकता से अधिक कैदियों को रखने के कारण 46 हजार कैदी जान गवा चुके हैं। समिति ने सस्तुति की कि जेलों में भीड़ को घटाने के लिए केंद्रीय और जिला जेल बनाये जाए। यह भी बनाया गया कि महिला कैदियां व युवा अपराधियों के लिए बेहतर व्यवहार, उचित कार्यानुशासन की आवश्यकता जेला में है। इन सभी सस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया और जेल सुधार काय आगे बढ़ा।

प्रेस—लाड हेस्टिंग्स के काल तक प्रेस के इतिहास का विवरण हम उमी गवनर जनरल के अध्याय में आये हैं। हम यह भी बता आये हैं कि किस तरह उसके उत्तराधिकारी ने प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाया। इस सब में बाद में और लाड लारेस के काल में जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण यहां आवश्यक है।

1835 में सर चार्ल्स मेटकाफ स्थानापन्न गवनर जनरल हुआ। एमहस्ट का उत्तराधिकारी लाड वैटिक उदार था। पर मेटकाफ ने प्रेस की ओर उदारता का परिचय दिया। टामसन के मतानुसार उसका विचार था कि "वह प्रेस को गुप्त-चर विभाग का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाग समझता था जो किसी अर्थ से अधिक सूचना प्रदान करता था।"<sup>1</sup> वह केवल 12 महीने के लिए गवनर जनरल रहा और इस काल में अपने विधि सदस्य लाड मैकाले की सहायता से उसने 1823 के रेगुलेशन को समाप्त करके 1835 की ऐक्ट संख्या 15 पारित करा दी।

अब भारतीय प्रेस इंग्लैंड के प्रेस की भांति ही स्वतंत्र हो गया। पर इस उदारता ने उसके पदोन्नति में बाधा पहुंचाई। टामसन ने उसके विषय में लिखा, "गवनर जनरल के रूप में उसने दो सुधार किये जिसमें से एक ने आज तक के लिए उसका नाम जीवित छोड़ दिया है पर जिसने बठोर रूप से उसे पक्का गवनर जनरल नहीं बनने दिया। यह काम उसका प्रेम को स्वतंत्र करना था। उसने डाइरेक्टरो को नाराज कर दिया। शक्तिशाली न हिलने-डुलने वाले पदमुक्त कमचारी भी इससे असंतुष्ट हो गये।"<sup>2</sup> पर भारतीयों ने इसके प्रति उपकृत अनुभव किया और इसीलिए उसकी याद में कलकत्ता में एक हाल बनवाया।

1835 से 1857 के मध्य भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता का आनंद उठाया। पर 1857 में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो भारतीय सरकार ने प्रेस को सीमाओं में लाने के लिए नियम बनाया। 1857 में लाइसेंसिंग ऐक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत समाचारपत्रों को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया।

1 टामसन लाड मेटकाफ पृ० 319।

2 वही पृ० 317।

गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया कि परिस्थिति के अनुसार इस तरह के लाइसेंस बहू प्रदान करे। यह ऐक्ट एक बप के लिए ही पारित किया गया, पर यह 1865 तक चलता रहा। हर बप इसका नवीनीकरण हाता रहा।

इसी बीच भारतीय प्रेस में नये समाचार पत्रों का भी प्रवेश हुआ। डम्बई समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर और अण्बारे आम का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जिसमें पत्रकारिता के पेशे में प्रगति ला दी।

1835 का मेटनाफ का ऐक्ट 1867 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट 1867 में ही लार्ड्स द्वारा लाया गया जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों, पुस्तकों और छापाखानों को नियमित करना था। मुद्रकों और प्रकाशकों के पहचान के लिए उन्हें अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक बना दिया गया। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित सामग्री की प्रतियां सरकार के पास रिकार्ड और परीक्षण हेतु भेजी जानी आवश्यक कर दी गयीं। प्रकाशकों और मुद्रकों को अपना घोषणा पत्र मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश करना पड़ता था जिसमें 'उमके ठीक' से काय करने का आश्वासन होता था। कुछ सीमा तक 1890 और 1940 में इस ऐक्ट में फेर बदल किये गये जो लगभग उसी रूप में आज तक चलते आ रहे हैं।

प्रेस की तेजी से प्रगति हुई। बहुत से नवीन समाचारपत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 1870 तक इनकी संख्या बढ़कर 644 हो गयीं जिनमें से 400 ता वर्नाक्युलर भाषा में थे। पत्रकारिता में विकास हुआ समाचार पत्रों में भिन्न भिन्न तरह की सामग्रियां छपने लगीं और एक-एक दिन बीतने के साथ समाचारपत्रों के प्रति चेतनता में वृद्धि हुई। चूंकि समाचार पत्रों की पकड़ जनता पर बढ़ गई इसलिए सरकार ने यह आवश्यक समझा कि पड़यत्त जो समाचार पत्रों के लिए एक गंभीर अपराध है उसे परिभाषित कर दिया जाय। इसीलिए 1870 में रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में सेक्शन 174 ए की एक उपधारा जोड़ दी गयी। पर इसके कारण प्रेस की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

शिक्षा—बुद्ध के डिस्पेंच की प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा की ओर अधिक सही तरीके से ध्यान दिया गया। पर सरकार को इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक 1857 का विद्रोह था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वहीं का न रखा। उत्तरी भारत का काफी भाग इससे अस्त-व्यस्त हो गया था। इस कारण शिक्षा की प्रगति में कमी आ गयी। इसके अतिरिक्त बार-बार दुर्भिक्ष पड़े, साथ ही सड़का, नहरों और रेलवे लाइनों के निर्माण ने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। सरकार का पर्याप्त धन इसमें लग गया जिसमें तुरन्त

मे लाभ की पर्याप्त वापसी भी नहीं थी। और जैसाकि मर एच० वर्नी ने लिखा है कि भारत में शिक्षा का "काय अत्यधिक कठिन था क्योंकि लाभदायक ज्ञान की धारा को इतनी बड़ी जनसङ्ख्या में, जो पुरातन से चली आ रही सस्थाओं से सबद्ध थी और जिसका स्वभाव भी जाणचयजनक रीति से भिन्न था, पहुँचाना था।"

फिर भी शिक्षा का काय आगे बढ़ा। विद्रोह के पूर्व भी प्रगति हुई थी। 7 अप्रैल 1859 के अपने डिस्पच में, विद्रोह के बाद भारत के प्रथम सेक्रेट्री आफ स्टेट लाड स्टैनले ने नयी मूचनाएँ प्रेषित की। पर डिस्पच भारत पहुँचने के पूर्व उसके स्थान पर सर चार्ल्स वुड उम स्थान पर आ गया जो 1866 तक इस पद पर रहा। उसने ही 1854 का प्रसिद्ध डिस्पच तैयार किया था जिसके अतगत काय चलता रहा। 1854 और 1866 के बीच प्रत्येक प्रांत में पब्लिक इन्स्ट्रक्शन विभाग स्थापित किये गये जिसमें 1854 के डिस्पच के अनुसार एक डाइरेक्टर, कुछ इन्स्पेक्टर तथा शिक्षक जिसमें प्राइमरी स्कूल अध्यापक से लेकर कॉलेज प्रिंसिपल तक आते थे, नियुक्त किये गये। 1865 में लारेस के समय में बंगाल के अधिकारियों को चार भागों में बाटा गया जबकि अन्य प्रांतों में यह बाद में किया गया। इन अधिकारियों की नियुक्ति सेक्रेट्री आफ स्टेट करता था जबकि अध्यापक और इन्स्पेक्टर गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। प्रत्येक प्रान्त की सरकार ने शिक्षा का उत्तरदायित्व किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने ऊपर लिया।

1857 में कलकत्ता, मद्रास, और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। कलकत्ता का क्षेत्र उत्तरी भारत, मध्य प्रांत और ब्रिटिश बंगाल रखा गया, मद्रास का उस प्रेसीडेन्सी तक तथा उसके दक्षिणी भारत क्षेत्र पर रखा गया तथा बम्बई का अपनी प्रेसीडेन्सी के अतिरिक्त पश्चिमी भारत पर रखा गया। 1854 के डिस्पच की यह सस्तुति कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ विभाग खोले जायें, स्वीकार नहीं किया गया। और इस तरह शिक्षा सरकार, व्यक्तिगत सस्थाओं और मिशनरी कॉलेजों द्वारा पूरे देश में अपने हाथ में ली गयी। 1847 में रुहकी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1854 में कलकत्ता के निकट शिवपुर में दूसरा कॉलेज स्थापित हुआ। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज चलत रहें।

जॉन लारेस ने ए० एम० मोनटीथ को भारत सरकार का सेक्रेट्री नियुक्त किया जिसे 1865-66 में देश में उस समय की शिक्षा पर रिपोर्ट देने का काय सौंपा गया। उसके अनुसार तीन विश्वविद्यालय आवश्यक परीक्षा लेकर, अपने काम सुचारु रूप से कर रहे थे। बम्बई विश्वविद्यालय के विषय में इसने बताया कि इसके अतगत चार कॉलेज हैं जिनमें में तीन बम्बई में ही स्थित हैं। इन विश्व विद्यालय में उच्च शिक्षा की गति धीमी थी जो 1866 में 109 इंस्ट्रुस की परीक्षा देने वाले और 12 बी० ए० की परीक्षा देने वाले छात्रों से स्पष्ट है। मद्रास में दूसरी बार 19 स्कूल और कॉलेज ही उनके अधीन थे जबकि 1865-66 में इन्ट्रेंस

परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 555 थी जिसमें से 229 मात्र ही उत्तीर्ण हुए।

सबसे अधिक प्रगति कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किया जिसके अधीन बंगाल के 18 कॉलेज, उत्तर पश्चिम प्रान्तों के कॉलेज, मध्य प्रान्त का एक कॉलेज, पंजाब का एक कॉलेज और लका के दो कॉलेज थे। 1865-66 में 1,350 छात्र इट्रेस परीक्षा में बैठे जिसमें से 638 को कॉलेजों में प्रवेश दिया गया।

शिक्षा में बंगाल प्रान्त सबसे आगे था। लोवेट लिखता है कि, "भारत के किसी और प्रान्त में पढ़े लिखे और पेशेवर तबके के लोग जमींदार वर्ग से इतना कहीं मिले जुले नहीं थे। और किसी प्रांत में विश्वविद्यालयीय शिक्षा दूल्हे को इतना प्रिय नहीं थी।"<sup>1</sup> पर यहाँ कृषक और मजदूर पहले जैसा ही पिछड़ा रहा। वसंतों अथर्व विद्यालय भी कार्य करते रहे पर सरकार इनका स्तर ऊँचा करने में पूर्णतया असफल रही।

उत्तर-पश्चिम प्रांतों में ग्रामीण स्कूलों ने बड़ी प्रगति की जिसका कारण टामसन की वह महत्वपूर्ण योजना थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक गाँव के भूकर पर 1% का कर इस उद्देश्य से लगाया गया था। पर इन क्षेत्रों में अथर्व विद्यालय लुप्त होन लगे। उच्च और मिडिल की शिक्षा को, बंगाल की तरह यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिल पाया।

रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया कि देश में नारी शिक्षा बहुत पीछे है। ऐसी ही स्थिति मुस्लिम शिक्षा की विशेषकर बंगाल में थी। नीची जाति के बच्चों में भी कोई प्रगति नहीं की, इसके बावजूद कि उनके लिए अलग से विद्यालय खोले गये। इसका प्रमुख कारण जाति प्रथा थी।

1865-66 में शिक्षा पर 82,17,669 रुपये खर्च किये गये जिसमें से 45,29,580 रुपये राजा की ओर से प्राप्त हुए और शेष के लिए स्थानीय साधन से पैसे आये जैसे शिक्षा कर।

1867 के अगस्त में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने उत्तर पश्चिम प्रान्तों में अंग्रेजी भाषा के साथ ही शिक्षा के माध्यम के रूप में वर्नाक्युलर का प्रयोग करने के लिए गवर्नर जनरल को एक पेटिशन भेजा। एक सामान्य आंदोलन भी पूरे देश में इस उद्देश्य के लिए चलाया गया। लारेंस न इसके पक्ष में अपना मतव्य दिखाते हुए पंजाब में इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया और वहाँ पर एक ओरियंटल कॉलेज खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।

असैनिक सेवाएँ—1867 में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि इन सेवाओं में भारतीयों को अधिक भाग प्रदान किया जाना चाहिए। इस

1 लोवेट बर्नी (सर) ए इस्ट्री आफ द इण्डियन नेशनल मूवमेंट (1600-1910), पृ० 211।

प्रस्ताव में यह बताया गया कि रेग्युलेशन प्रांतों में भारतीयों की सफलता की संभावनाएँ न देखकर, उन्हें नान रेग्युलेशन प्रांतों में ही प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ पर इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर तब का पद प्रदान किया जाना चाहिए। यह मान लिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारतीयों की सफलता हर मान में उनकी क्षमता का सूचक नहीं है। पर यदि यह बात अंग्रेजों के बारे में है तो उनके जन्म से शासन होने के कारण बौद्धिक क्षेत्र में सफलता के बाद उनसे अच्छे प्रशासन की आशा की जा सकती थी। इसीलिए भारतीयों को स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने के स्थान पर भारतीय सरकार ने भारतीयों को प्रशासकीय और 'यामिक' सेवाओं के लिए चुनना जारी रखा। यह सरकार ने भारत सरकार को परामर्श दिया कि ये चुनाव केवल—नान रेग्युलेशन प्रांतों के लिए न करके रेग्युलेशन प्रांतों के लिए भी किये जाएँ।

**एक प्रतिक्रियावादी—**1862 में स्थापित बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल को, जिसे 1861 में इंडियन कौंसिल के तहत बनाया गया था, समाप्त करने की चपटा करके लाड लारेस और प्रतिक्रियावादी माना जाने लगा। जैसे अपने ही कौंसिल के तथा बाहरी विरोध के कारण उसने इस प्रस्ताव को रोक दिया पर उसने 1861 के ऐक्ट के सिद्धांतानुसार और अधिक कौंसिल बनाना रोक दिया। जॉन लारेस शक्ति के केंद्रीकरण में रुचि रखता था। इसने खुलेआम यह जोर देकर कहा कि केवल व्यक्तिगत शासन में ही जिसमें कौंसिलें नहीं होती "सबसे अधिक मात्रा में आगे बढ़ने की संभावनाएँ, उत्तरदायित्वपूर्णता व सावधानी पूर्णता संभव होती है। पर दूसरी ओर उसने कहा कि "एक स्थानीय विधायक के बनने पर विस्तृत प्रांतीय प्रश्नों के निम्न स्तर पर चर्चित होने की संभावना रहती है जहाँ दल को विशेष गुह्यता प्राप्त हो सकती है।"

लाड कजन ने उसके सबंध में यह लिखा, "सच तो यह है कि लारेस स्वभाव और प्रशिक्षण से इस निम्न स्थिति में वाइसरॉय के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं था। बोलने में पीछे काम में आगे वह बातचीत और विवाद के प्रति असहिष्णु था।"<sup>1</sup>

### भारतीय राज्यों के साथ सबंध

विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों के सबंध में जॉन लारेस ने "निहस्तक्षेप" की नीति जारी रखी। अति कुशासन या गंभीर आपात स्थिति में ही राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता था। उदाहरणार्थ मार्च 1866 में जब भावलपुर के शासक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी एक 4 वर्षीय लड़का हुआ, ता



राज्य की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लारेस को हिचकिचाहट के साथ वहाँ शांति बनाय रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसने टाक के मामले में हस्तक्षेप किया और वहाँ के नवाब को पद से हटाया जिसने अपने मंत्री हाकिम सरवरशाह के मकान में किसी की हत्या करवा दी थी।

पर अल्पवयस्क के शासकों के सबंध में प्रशासन के देखभाल के अधिकार का अधिकतर प्रयोग किया गया। उदाहरणार्थ 1863 में जब कूच बिहार के उस राजा का देहात हो गया तो उसका एक अल्पवयस्क पुत्र उत्तराधिकारी हुआ। लारेस ने इसपर लेफ्टीनेंट कनल हटन को सुचारु रूप से शासन करने के लिए नियुक्त किया। उससे कह दिया गया कि वह कोई मूलभूत परिवर्तन का प्रयास वहाँ न करे।

लारेस को कश्मीर और हैदराबाद में उत्तराधिकार के मामलों को भी बेलना पड़ा। डम मामले पर यह कनिंग के रास्ते पर चला। इसमें हिंदू शासक को गोद लेने तथा मुसलमान शासक को अपने निवृत्तवर्ती को उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति प्रदान की गयी।

मंत्रियों और उनकी नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इस सबंध में शक्तिशाली राज्या पर जोर दबाव डालने की नीति तो नहीं अपनाई गई पर जहाँ आवश्यकता पड़ती, यह भी किया जाता। विशेषकर कमजोर राज्या में तो ऐसा किया ही जाता। हैदराबाद के मामले में निजाम के एक मंत्री को बखास्त करने को बाध्य किया गया क्योंकि ब्रिटिशों के अनुसार उसके हटने से राज्य में कुशासन प्रारंभ हो जायेगा। पर बड़ोदा के गायकवाड के सम्बन्ध में जो एक मंत्री को हटाकर किसी अन्य अपने प्रिय को नियुक्त करना चाहता था सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया।

जान लारेस के समय में रेजिडेंटों की प्रतिष्ठा और अधिकार में वृद्धि की गई। उदाहरणार्थ काठियावाड के 379 जमींदारों के क्षेत्र को अच्छे 'याधिक प्रशासन' में लाने के लिए इसे चार सखिला में बांट दिया गया। प्रत्येक सखिला को एक पोलिटिकल असिस्टेंट के अधीन कर दिया गया जो अपन क्षेत्र में मजिस्ट्रेट का कार्य करता था। काठियावाड के जमींदारों के सबंध में लारेस ने सीधे घोषित किया कि 'जमींदारों को अपनी जमींदारी के प्रबंध का अधिकार है। पर उन्हें सामान्य लागा की इच्छा तथा ब्रिटिश सरकारों की नीति का ख्याल रखना चाहिए।'

राज्या की सैनिक शक्तियों की आर बड़ी निगाह रखी गई। उदाहरणार्थ बड़ोदा का गायकवाड सीधे इंग्लैंड से कुछ अस्त्र मगाना चाहता था। राज्य का रेजिडेंट भी सहमत था। पर जब केन्द्र को इसकी सूचना मिली तो गुरन्त इस सम्बन्ध में नीति घोषित की गई कि राज्य सीधे विदेश से अस्त्र मगाने के अधिकारी नहीं है। राजनैतिक अधिकारियों को इसी के बाद आदेश भेजे गये कि वे 'राज्य

के सैनिक संगठन पर दृष्टि रखें।' और तुरन्त केंद्र को सूचित करें यदि उन्हें लगे कि अधिक अस्त्र एकत्रित किये जा रहे हैं।

महाराजा सिंधिया ने अपने राज्य में ब्रिटिश सरकार की अनुमति से कुछ पुलिस बटालियन बना रखा था। पर जब गवर्नर जनरल का यह पता चला कि उन्हें सैनिक ढंग की शिक्षा दी जा रही है तो उसने तुरंत यह आदेश भेजे कि इन पुलिस बटालियनों को तुरन्त तोड़ दिया जाय तथा राज्य की सेना विभाजित कर राज्य के भागों में अलग अलग स्थानों पर रख दिया जाय। उसे राजधानी में केंद्रित न किया जाय।

भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का परिचय उस समय और मिला जब राजाओं के विरोध तथा अपने अधिकारियों के अथवा मत के बाद भी लारेस ने यह नियम बनाया कि यदि किसी राज्य क्षेत्र में डाक गायब होगी तो इसके लिए वहां के राजा को उत्तरदायी माना जायेगा। यह तय किया गया कि लूटी गई डाक सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त वहां के राजा को दण्ड अलग से देना होगा।<sup>1</sup>

### उत्तर-पश्चिम सीमा

1843 में सिंध के और 1849 में पंजाब के अपहरण ने ब्रिटिश उत्तर पश्चिम सीमा को अफगान पास तक पहुंचा दिया था। प्रश्न उठा कि इसकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय क्या है? 'सिंध स्कूल' ने अफगान नीति का पक्ष लेते हुए कहा कि क्वेटा को कंधार, काबुल और हैरात पर ब्रिटिशों को सीधे अधिकार कर लेना चाहिए। पर दूसरी ओर पंजाब स्कूल की नीति सीमावाद नीति थी। इसके अन्तर्गत लारेस ने दूमरी नीति स्वीकार की और इसी के अंतर्गत यह प्रस्ताव हुआ कि सीमा और इधर सिंध तक वापस ले आयी जाय।

लारेन्स के अनुसार विदेशी आक्रमण के विरुद्ध नदी एक प्राकृतिक और शक्तिशाली रोक का काम करती है और इसके आस पास ब्रिटिश सैनिकों के लिए कई स्वास्थ्य कर स्थल हैं। जबकि यहां से दूर कुछ चीजें भिन्न ही हैं। यहां तक कि जब विद्रोह काल में लारेस पंजाब का चीफ कमिश्नर था तो उसने प्रस्तावित किया था, "हम आमानी से प्रातः पेशावर में हट सकते हैं। पर एकाएक यह कठिन ही नहीं होगा अमभव भी।" उसने प्रस्ताव किया कि कौहाट और पेशावर दो जिले दास्त मोहम्मद को दे दिये जायें। 'पेशावर पान से उसकी (दोस्त) दिल्ली इच्छा पूरी

1 दूरें, पानिक्स्टर, प० एम० द नॉर्थ स्टेट्स आफ इंडिया और उनकी रिसर्शन आफ इंडियन स्टेट्स, बटन सर इंग्ल० द प्रिंसिपल आफ इंडिया मिह जा० एन० इंडिया स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश इंडिया।

होगी और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि अफगान हमारे मित्र हो जायेंगे।”<sup>1</sup>

लाड कनिंग न लारस के विचारा का अस्वीकार कर दिया। जिहाने लारस के मन का विरोध किया उहने बताया कि सम्पूर्ण इतिहास में साहसी मनापति क रास्त में नदी में कभी प्रभावी बाधा नहीं पैदा की। इससे अतिरिक्त ब्रिटिशों का यह पता होना चाहिए कि पहाड़ों के उस पार और सिंध नदी के उस पार क्या घटित हो रहा है जिससे कि एकाएक होने वाले आक्रमण से बचा जा सके। और यह नदी के इस पार पीछे रहने से संभव नहीं होगा।

पर लारस इससे सतुष्ट नहीं था। उसने 1859 में इंग्लैण्ड में पामस्टन के पास प्रेषण में लिखा, “वर्तमान स्थिति में हम अफगानों के अग्र जातियों के निकट पहुंच गये हैं जो अत्यधिक विलक्षण और अघोर स्वभाव की हैं।” यदि ब्रिटिश मनायें सिंध के बायें तक प्रसक्त आयें तो इस कबोले से संभव हो जायेगा और इस तरह प्रज्ञान का 5 लाख पौण्ड जो सीमा पर व्यय होता था बच जायेगा। दास्त मुहम्मद प्रसन्न हो जायेगा और इस तरह सीमा सुरक्षित हो जायेगी। उन लोगों के तर्कों का उत्तर देते हुए जिहाने इस एक कमजोरी बताया था उसने कहा, “भारत में हमारी स्थिति कमजोर है और हमारे सही नीति यह होगी कि हम उस कमजोरी को स्वीकार करें और उसे दूर करने की चेष्टा करें। पामस्टन ने विचार कर यह कहा ‘बुद्धि’ माना द्वारा बकफूकी का उदाहरण”। आयरलैंड के अनुसार उमन तीव्रता में एक शब्द कहा जो लगा था कि “मूर्खता” था।

उत्तर पश्चिम सीमा के सम्बन्ध में लारस के विचार अफगानिस्तान में उसकी प्रभुत्वपूर्ण निष्प्रयता की नीति के विपरीत, समकालीन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। पर उत्तर पश्चिम सीमा के कबीलों के प्रति उसकी नीति उदारता की रही। गलती करने वाले कबीलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण कम ही किए जाते थे। विस 1868 में विजोतियों के विरुद्ध यह आक्रमण किया गया। अग्र विधिया जो लाभकर सिद्ध हुई के ब्रिटिश व्यापार पर निर्भर रहने वालों पर ‘ब्लैकड’ और ‘मुआवजा’ प्राप्त करने की नीति थी। इस तरह का दण्ड 1866 में सुलेमान खेल गिल्जाई के ऊपर लगाया गया। उन्हें नियंत्रित करने का दूसरा तरीका सीमा सरदारों के नातेदारों और रिश्तेदारों का सीमा सना में भर्ती कराने का था। साथ ही उनमें से कुछ को ब्रिटिश क्षेत्र में कबीलों के लिए उपनिवेश बनाने की अनुमति भी प्राप्त होती थी। विद्रोह करने वालों पर बदला लेने की चेतावनी बहुत काम करती थी।

सिंध सीमा के कबीले थोड़े से कुछ दूसरी प्रकृति के थे। पजाबी सीमा के

1 स्विसन आयरलैंड नाथ वेस्ट कालिबर पृ० 122।

2 वही पृ० 125।

कबीलो से इन पर उनके नेताओ का अधिक नियंत्रण था। इसीलिए कलात के खान जैसे नेताओ को मित्र बनाकर उमे शांति और व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता कर शक्तिशाली बनाया गया। 1866 में जब बुगती और मारी कबीला ने उसे परेशान किया तो हेनरी ग्रीन से उस विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया, बटेरा पर अधिकार करने का कहा और ब्रिटिश सेना में 200 भारी घोड़ सवार भर्ती किये। पर लारेस ने इन प्रस्तावों से अपनी जानी मानी अफगानी नीति के विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मारी और बुगती लोगों ने मिलकर हमले किये पर सिंध और पंजाब की सरकारों का दृष्टिकोण बुग्तियों के प्रति अलग अलग था इसी कारण इनकी लूट पाट की कारवाई नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। डेरा इस्माइल खा के डिप्टी कमिश्नर कप्टन सडेमन के प्रयास से 1867 में दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया जिसके आधार पर बुगती नेता गुलाम हुसेन का पीछा करके मार डाला गया और मारिस लोगों को सेना में कुछ स्थान दकर तथा और कुछ लाभ प्रदान कर प्रसन्न किया गया। "यह कबीले के लोगों को सेवा में लाने का प्रारम्भिक प्रयास था जो बलूचिस्तान को सभ्य बनाने में सर राबट सडेमन के लिए अतिलाभकारी हुआ।"<sup>1</sup>

### अरब कबीले

लारेस की उदारवादी आर प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति का भारत के बाहर अरब कबीला से ब्रिटिश सवधों पर प्रभाव पड़ा। अदन एक अच्छा गोदाम था जहां युद्ध के जहाज, पानी के जहाज सनिक उद्देश्यों पर निकलते और वहां से कोयला पानी लेते। इसके निकट ही युद्ध प्रिय अब्दाली और फजली जैसे अरब कबीले रहते थे जो आपस में तो लड़ते ही थे साथ ही कभी-कभी अदन जाने वाली सड़क को रोक देते थे जिसमें पूर्ति में बाधा पड़ने लगती। अदन का ब्रिटिश रजिस्ट्रार कनल डब्लू० एल० मेरेवेदर प्रायः बीच बचाव करता था। उसने अब्दाली मरदार फजल बिन मोहसिन को अपना मित्र बना लिया। पर वह फजली कबीले के सरदार अहमद बिन अब्दुल्नाह को प्रभावित नहीं कर पाया। यह कबीला अधिक परशानी पैदा करने वाला और तेज था। मेरेवेदर आश्रामक नीति का पक्षधर था और 1864 में जब फजली पर्याप्त कठिनाइयाँ पैदा करने लगे तो उसने अफगानी मरदार के समक्ष मिले-जुले प्रयास के द्वारा फजलियों को दण्डित करने की योजना रखी। इसके लिए उसने पर्याप्त धन राशि भी निर्धारित की। पर बम्बई का

1 छमपान ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सर जोन लारेस इन इण्डिया (1864-69) प० 188।

गवर्नर सर वाटल फ्रेयर जा इसी मत का था, का विचार था कि एक कबील का दूसरे कबील के विरुद्ध प्रयोग अति आश्रमक नीति है।

पर जल्दी ही स्थिति ने तब गम्भीर रूप धारण कर लिया जब फज्ली कबील ने आश्रमक नीति जारी कर दी। रजिस्ट्रार ने यह सूचना भेजी कि फज्ली कबील पर आश्रमण में ही समस्या मुलदत सकती है। उमने पुलिस काय के लिए घुडमवारा का प्रस्ताव भेजा। सर वाटल फ्रेयर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पर जॉन लारेस ने आश्रमण के प्रस्ताव को स्वीकार करत हुए रजिस्ट्रार को एक पानीय नीति अपनाने का दोषी बताया जिमके कारण फज्ली सरदार ब्रिटिशों से दूर हो गया। उमने बम्बई सरकार से तथ्या की जानकारी करने का कहा और यह कहा कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस काय के लिए घुडमवारा की जगह ऊठा का एक बाफिला क्या न तैयार किया जाय। उसने जोर दिया कि सामान्यतया ब्रिटिशों को कबीला के आन्तरिक मध्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारी रचि केवल अदन तक सुरक्षित पहुँचने में होनी चाहिए। उसने जोर देत हुए कहा कि अरब कबीला की भी रचि अदन की बाजारों का घुला रखने में है और इसे चालाकी और सपूणता से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। 1867 में फज्ली नेता को नतमस्तक किया गया और अब्दानी सरदार को इसमें सहायताय उचित पारितोषिक दिया गया। इसके बाद सेन्ट्रली आफ स्टेट के परामश पर लारेस नीति की और प्रभावी बनाया गया। अन्त में पुलिस कायों के लिए ऊठा के बाफिले की जगह पर स्थानीय अनियमित घुडमवार तैयार किये गये।

ब्रिटिशों की व्यापार रचि फारस की खाड़ी में भी थी और इस कारण वे इस क्षेत्र में अरब कबीलों के बीच शांति चाहते थे जिससे लट-पाट न हो। 1862 में खाड़ी क्षेत्र में लेफ्टीनंट कनल लेक्सपेली को पोलिटिकल रेजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। वह भी फाबड स्कूल की नीति का पक्षधर था और इसलिए वह इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाकर ब्रिटिश व्यापार में अभिवृद्धि करना चाहता था। सर वाटल फ्रेयर ने भी उसका समर्थन किया पर लारेस इस नीति के विरुद्ध था। यहाँ ब्रिटिश नीति का मूल कमजोर पर भित्तराज्य मस्काट की रक्षा मालूम पड़ता था जिस शक्तिशाली वहाबी वर्गों को दबाने के लिए आमादा दिखायी पड़ता था। उन्हां मस्काट पर चार चार आश्रमण किया जोर बढ़े हुए दर पर कर एकत्र किया। 1834 के वहाबी हमला में भारत सरकार की जो तटस्थतापूर्ण नीति थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और बाद के आक्रमणों में तो उसने मस्काट को ममाप्ति से बचाने की ही नीति अपना ली। 1864 में वहाबियों द्वारा मस्काट पर आश्रमण की एक भयानक योजना का आभास मिला। पेली ने मस्काट की सहायता का प्रस्ताव किया जिससे कि कमजोर देश की पूव स्थिति बनी रहे और ब्रिटिशों का शक्तिहीन राष्ट्र की सहायता का आदेश तो पूरा ही हो साथ ही वहा-

वियों की शक्ति बढ़ाकर स्वतंत्र व्यापार के लिए समस्या न बन जाय। लारेस ने सावधान रहने की राय दी। पर पेली के पास यह सूचनायें पहुँचे, उसके पहले ही वहाबिया ने सूर बदरगाह पर कुछ भारतीय व्यापारियों को लूट लिया। इस पर पेली ने एक चेतावनी भेजकर वहाबी अमीर से मात दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति और क्षमा-याचना करने की माग की। पर निर्धारित समय तक कोई उत्तर न मिलने पर आक्रमण के आदेश हो गये। तमाम वहाबी बदरगाहा को शिकार बनाया गया, जहाजा आदि को गभीर हानि पहुँचायी गयी। इसके परिणामस्वरूप मस्काट से वहाबी सेनाएँ वापस बुला ली गईं और मस्काट पर आक्रमण न करने का लिखित आश्वासन वहाबिया ने दिया। वहाबी राजदूत ने भारतीय व्यापारियों की कठिनाई के लिए क्षमा याचना की।

पर इस अवसर पर सर जॉन लारेस और सर बाटल फ्रेयर के बीच गभीर मन मुटाव हो गया। लारेस ने पेली पर आरोप लगाया कि अति कठोर मार्ग वहाबियों के समक्ष प्रस्तुत कर और उन मागों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय न देकर उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बम्बई सरकार ने रेजीडेंट के काय-वाही का समर्थन किया।

पर शीघ्र ही मस्काट में आन्तरिक सघष प्रारंभ हो गया। लारेस ने यहाँ पर पुन अफगानिस्तान की तरह 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता' की नीति यहाँ भी अपनाने की सलाह दी। 1866 में मस्काट के शासक सैय्यद सलीम के ऊपर उसके भाई सैय्यद तुर्की द्वारा आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। पर ब्रिटिश ने अपने हस्तक्षेप से शासक को बचा लिया और तुर्की ब्रिटिश क्षेत्र में सलीम से वृत्ति लेकर बस गया। 1867 में आजम खिन गयास ने, जो रोस्तक का मरदार था, एक भयानक विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सफल रहा और जक्तूबर 1868 में सलीम मस्काट से हटा दिया गया और आजम ने वहाँ की गद्दी प्राप्त कर ली। पर सलीम न हार नहीं मानी और जल सेना से आक्रमण की तयारी प्रारंभ की। पेली ने उसे सहायता का प्रस्ताव दिया और इस सबध में परामर्श मांगा। पर लारेस ने इसका विरोध किया और पेली को यह निर्देश दिया कि वह सलीम या तुर्की किसी को भी जल से आक्रमण की अनुमति न दे। शांति की स्थापना की जानी थी। जहाँ तक सलीम का प्रश्न था वह जब राज्य रहने पर अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सका तो अब गृहविहीन होकर कुछ कर सकेगा इसकी सम्भावना नहीं थी। इस तरह उसकी सहायता नहीं की जानी थी जब तक मस्काट के लोग ही उसे वापस बुलाने के लिए कुछ न करें।

### पूर्वी तुर्किस्तान

यूरोप और एशिया के प्राचीन काल के रेशम पथ पर आर पार खडा तथा

भारत, तिब्बत, चीन, कोन्द और रूस के बाकिना के मिन्नन्मथल पूर्वी तुर्किस्तान को उच्च कोटि के व्यापारिक बन्द्रे होन की प्रतिष्ठा 'टोलमी के दिना स ही' प्राप्त थी।<sup>1</sup> ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगरिस्ट-डे-ट विलियम मूरक्राफ्ट ने अनौपचारिक रूप से 1812 में पश्चिमी तिब्बत में गगटोक की यात्रा की। 1819 और 1821 में उसने 'हिमालय के व्यापारिक बन्द्रे लेह' की पुनः यात्रा की। पास-पड़ोस के क्षेत्रों में भी वह गया। लद्दाख सरकार से उसने व्यापारिक समझौता करने में भी सफलता प्राप्त की। पर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब मूरक्राफ्ट लेह में था तब उस रूसी एजेंट आगा महदी के विषय में जानकारी मिली जो रूस की ओर से लद्दाख की अपनी दूसरी शुभकामना यात्रा पर था और जिनने रणजीत सिंह के दरबार में रूसी अधिकारियों को एक पत्र और कुछ भेंटें भी प्रस्तुत की थी। मूरक्राफ्ट का ऐसा लगा कि करावारम के उस पार बसगड से होकर कश्मीर के रास्ते रणजीत सिंह की सहायता प्राप्त कर रूसी ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण कर सकने हैं।<sup>2</sup> तब ही मूरक्राफ्ट ने देखा कि रणजीत सिंह लद्दाख से बच चुकता है। उसने लद्दाख सरकार को अपने द्वारा ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने को कहा पर कलकत्ता के अधिकारी इस तरह की किसी धारणा के विरुद्ध थे। और बाद में जब उन्हें यह पता चला कि उन्होंने रणजीत सिंह को अपना भार एक पत्र लिखा है जिसमें 'संभावित ब्रिटिश हस्तक्षेप' की अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गयी है तो उस कंपनी की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और वह अफगानिस्तान ही में 27 अगस्त 1825 को मर गया। पर अपनी मृत्यु से पूर्व मूरक्राफ्ट ने लद्दाख और पूर्वी तुर्किस्तान को ब्रिटिश कूटनीति के दायरे में उपस्थित किया था। इस अवधि में और शेष बातों का होना थोड़े ही काल की बात थी।

1834 में लाहौर के एक सहायक ने लद्दाख पर अधिकार कर लिया। पर 1841 में जब वह उससे और आगे बढ़ना चाहता था तो ब्रिटिशों ने इसपर खेद व्यक्त किया। प्रथम सिख युद्ध के बाद मार्च 1846 में अमृतसर की संधि हुई जिसके अंतर्गत कश्मीर राज्य गुलाब सिंह को सौंप दिया गया। इस संधि के अंतर्गत लद्दाख और पूर्वी तुर्किस्तान के बीच सीमा रेखा खींचना ब्रिटिशों का उत्तरदायित्व हो गया। 1846 और 1847 के सीमा आयोगों का गुलाब सिंह और चीनियों में समझौता कराने में सफलता नहीं प्राप्त हुई 'और कोई औपचारिक सीमा समझौता कभी नहीं हो सका और आज का चीन-भारत सीमा संधि भी इसका ही परिणाम है।'<sup>3</sup> पर इन आयोगों के द्वारा पर्याप्त राजनैतिक और व्यापारिक सूचनाएँ एकत्रित की

1 अल्डर जी० ज० ब्रिटिश इंडियाजनादन फ्रियर प० 15 में जे० ऐ० डार० मानकत (संस्करण) पर इससे इन सेट्टल एशिया प 51-52 को उद्धृत किया। -

2 वही प० 16।

3 वही प० 21।

गयी। 1861 में आर० एच० डेवीज ने जो पंजाब सरकार का सेक्रेटरी था, लड़ाख होकर पूर्वी तुर्किस्तान से व्यापार की संभावनाओं के विषय में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इससे रूस द्वारा उस ओर से आक्रमण के खतरे की संभावना भी समाप्त हो जायेगी। पर इसमें लम्बी दूरी, ऊँचे पर्वत पथों, कबोला के आक्रमण तथा सबसे अधिक कश्मीर सरकार द्वारा आरोपित कठोर कर और लेह में व्यापारियों के विरुद्ध अपनाया जान वाली अत्याचार की कठिनाइयाँ थीं। डेवीज की रिपोर्ट ने सर जॉन लारेन्स और पंजाब के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर राबर्ट मांटगोमरी के लिए इस संबंध में और रूचि लेने का अवसर प्रदान किया। इसी बीच चीनियों को पीछे हटाकर एक भगोड़े याकूब बेग ने पूर्वी तुर्किस्तान में अपनी शक्ति संगठित कर ली जिसके बाद ब्रिटेन के कई गुना राज्य से व्यापार करने की महत्ता की ओर अंग्रेजों का ध्यान गया। क्षेत्र वैसे तो उपजाऊँ और घनी वस्ती वाले थे पर उत्पादित माल के लिए विदेशों पर निर्भर करते थे। इस तरह यह समझा गया कि “इन सभी देशों में भारतीय माल और अंग्रेजी वस्तु के लिए माँग एक ही तरह की है।”<sup>1</sup> यह तब तो और हुआ जब याकूब बेग ने ब्रिटिश उत्साह का प्रत्युत्तर उसी तरह से दिया और उनका हर तरह से सहयोग किया।

पर इस व्यापार के विकास में एक आवश्यक पग लेह में एक ब्रिटिश व्यापारिक एजेंट की नियुक्ति थी जो सूट-खसोट पर दृष्टि रखने के लिए था। यह आरोप भी लगाया जाने लगा कि कश्मीर की सरकार लाहौल में ब्रिटिशों के ऊपर कर लगा रही है। सर जॉन लारेन्स ऐसे किसी एजेंट की नियुक्ति के विरुद्ध था क्योंकि उसके अनुसार इससे कश्मीर का शासन असंतुष्ट हो जायगा जो सदा ब्रिटिशों के प्रति भक्त और भला रहा है। पर जब सहायक कमचारी यही करने के लिए दबाव डालत रहे तो उसने एक अस्थायी व्यवस्था करना स्वीकार किया और इसके अनुसार लेह में उसने एक डाक्टर भेजा जो उसके अनुसार कश्मीर के राजा के लिए बर्दाश्त करना सरल रहेगा। इस तरह लेह में डॉ० हेनरी केले को नियुक्ति किया गया। पर जैसे ही केले लेह पहुँचा उसने, लालची अधिकारियों को पद से हटाना प्रारंभ किया और साथ ही अपने ऊपर से व्यापार कर कम करना प्रारंभ किया। सर डोनाल्ड मैकलीड जो पंजाब का तत्कालीन गवर्नर था, ने केले की कारवाई का समर्थन किया। पर सर लारेन्स ने इसे अत्यधिक आक्रामक माना। उसने कहा, “मुझे स्वयं समझ में नहीं आता कि हमें कर्तव्य के तराजू पर एक स्वतंत्र शासक के तौलने का क्या अधिकार है?”<sup>2</sup> जिस कश्मीर के महाराज ने ऐसे एजेंट की

1

1 आफीसियल डोक्यूमेंट्स को उद्धृत करते हुए वही, प० 25-26।

2 उद्धृत वही पृ० 29।



नियुक्ति का बड़ा विरोध किया था वह उसकी वापसी के लिए बड़ी कीमत देने को तैयार था। सर जॉन लारेस ने महाराजा की इच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा। पर पजाब का कमचारिया, व्यापारियों और इंग्लैंड में भारतीय कौंसिल के कुछ सदस्यों ने ऐसे किसी बंदम का विरोध किया और लड़ाख का एजेण्ट जिसे एक मौसम के लिए नियुक्त किया गया था, वह स्थायी पदाधिकारी हो गया।<sup>1</sup>

'1863 से इसी बीच, विशेष तरह के व्यक्तियों की एक पक्ति झूठे और सक्षिप्त नाम से, बेश बदलकर, और खूब उत्तम उपायों का प्रयोग कर जैस घाली प्राथना के चक्र लिये, और सुमिरिनी बंदमों की चाल स जुड़ती दिखती आदि, उत्तरी सीमा में फैल गई। तमाम सूचनायें जो य लेकर लौटे उसे संपादित कर तब सरकार के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया।'<sup>2</sup> सर जॉन लारेस ने ऐसे खतरनाक क्षेत्र में इस तरह की घोजबीन की मनाही कर दी। यहाँ तक कि जब एक ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया। पर वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा काय करने वाला को नहीं रोक सका। एक चाय पैदा करने वाला राबर्ट शॉ और एक सहायक विलियम हेवड व्यक्तिगत रूप से 1868 में कश्मीर में प्रविष्ट हुए और उनके द्वारा एकत्रित समाचारों के आधार पर पजाब सरकार ने 1868 में इस बात पर जोर दिया कि एक देशी अधिकारी को, उपयुक्त सूचना के आधार पर भारतीय व्यापारियों के हित के लिए कश्मीर में नियुक्त किया जाना चाहिए। सर जॉन लारेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके लिए यह तक दिया कि याकूब बेग से इस तरह के सबंध से उसे हसी आक्रमण से बचने के लिए ब्रिटिश सहायता लेने को प्रोत्साहन मिलेगा। बाद में इस भाग को स्वीकार कर लिया गया जिसके फलस्वरूप 1870 में लाड मेमो के लिए पूर्वी तुर्किस्तान से कूटनीतिक संपर्क का पथ प्रशस्त हो गया।

### भूटान का युद्ध

1864-65 में होने वाला भूटान का युद्ध ही एक ऐसी घटना थी जिसने सर जॉन लारेस की सरकार के शांति काल में कुछ व्यवधान डाला। यह छोटा-सा हिमालय पर्वत क्षेत्र का राज्य दो अधिकारियों द्वारा शासित था। पहला घमराज जो आध्यात्मिक नेता था और जिसका कायकाल अबतार से जुड़ा था। दूसरा देवराज जो मंत्रिमंडल द्वारा चुना जाता था। 15 मील चौड़ी एक लम्बी भूमि की पट्टी थी जो पश्चिम में तीस्ता नदी से प्रारंभ होती और पूरव में घानसिरी नदी तक

1. डेवें कपूर एम० एल० कश्मीर सोल्ड ऐण्ड स्लव्ड, पृ० 27-30।

2. ऐल्डर जी० जे०, पूर्वोक्त पृ० 31।

जाती। इसकी उपजाऊ भूमि में जहाँ सपन बपास के खेत हो सकते थे और जो युरोपियों के बसने के लिए भी एक उत्तर हो सकते थे, इन पर ब्रिटिशों की लालची निगाहें बहुत पहले से थीं। यह 18 भागों में बटा था जिसे दुआर कहते थे। इनमें से 7 आसाम की सीमा की ओर थे और 11 बंगाल की सीमा की ओर। इसके पहले ब्रिटिशों और भूटान अधिकारियों के बीच सीमा विवाद भी हुए थे। पर लाड एम-हस्ट के काल में, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा को आसाम से निकाल दिया गया तो ब्रिटिश पहली बार आसाम के 7 द्वार सीमा के संपर्क में आये और जिस पर किया गया अधिकार आसाम और भूटान के लिए संधि का विषय बन गया। भूटान आसाम को जो वर देता था वह भी मनमुटाव का कारण बन गया।

जैसे ही ब्रिटिश 7 पूर्वी द्वारों के सम्पर्क में आये उनको चिन्ता यह हुई कि किसी तरह यहाँ पर अधिकार स्थापित किया जाय। भूटान वालों पर ब्रिटिशों के विरुद्ध आक्रामकता का आरोप लगा। 1841 में लाड आक्लैण्ड ने शांति के नाम पर इन द्वारों पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशों ने 10 हजार रुपये वार्षिक भूटान को मुआवजा दिलाने का निश्चय किया। बंगाल सीमा वाले 11 द्वार अब भी वैसे ही पड़े रहे और जंगल अधिकारी जो इस भूमि की कीमत समझते थे इसे निगलने का बहाना ढूँढने लगे। 1855 में भूटानिया ने तुष्टीकरण और क्षमा याचना द्वारा उन्हें बचाया जबकि उनके ऊपर आरोपित आक्रामक नीति के कारण उत्तरी-पूर्वी सीमा के गवनर जनरल के एजेंट जेम्स ने इस पर अधिकार कर लेने की राय दी। भूटानी आतंकित हो गये और उन्होंने स्वयं ब्रिटिशों के पास अपना प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव किया। पर यह करने के पूर्व ही भूटान में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसी बीच एक ब्रिटिश मिशन भेज दिया गया जो रास्ते में कठिनाइयों के बावजूद भूटानी-दरबार में पहुँच गया और एक संधि का मसविदा हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया। पर इस संधि की शर्तें इतनी आक्रामक थीं कि अति प्रभावी भूटानी नेता टोगसा पेनलोप ने संधि करने से बेहतर युद्ध करना ही समझा। कहा जाता है कि उसने मिशन के नेता ऐश्ले ईडेन के सामने प्रस्तावित संधि पत्र के कागज के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे एक ऐसे कागज पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया जिसमें सात द्वारों पर ब्रिटिशों को अधिकार त्यागने की स्वीकृति के लिए कहा गया था। बड़ी कठिनाई से मिशन पकड़े जाने से बचकर भागा।

गम और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश अधिकारियों के लिए इतना पचा पाना कठिन था। इन परिस्थितियों में सर लारेस ने बाध्य होकर पूर्वी द्वारों पर दिये जाने वाले कर को रोक दिया, भूटान के फालाकाटा जिले पर अधिकार कर लिया और 9 जून 1864 को देवराज के पास एक चेतावनी भेजी गई कि 1 सितम्बर तक वह कुछ ब्रिटिश मागा को मान ले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। इस बीच तैयारियाँ

होती रही और चूंकि कोई सतोपजनक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण ब्रिटिश सेनाओं को आगे बढ़ने को कहा गया। भूटानियों ने बहादुरी से लड़ाई की, पर उनका साधन सपन आर अनुभवी ब्रिटिशों से क्या मुकाबला था।

11 नवम्बर 1865 की शांति संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इसके परिणाम-स्वरूप शेष 11 द्वार भी ब्रिटिशों ने जीत लिये जिसके बदले में भूटानियों को उन्होंने पहले वर्ष 25 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 35 हजार रुपये, तीसरे वर्ष 45 हजार रुपये, और इसके बाद प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये के हिसाब से प्रदान किया। इतना भूटानियों के भविष्य के किसी बदमाशी पर नियंत्रण के लिए काफी समझा गया क्योंकि इस धन को न देने की चेतावनी से ही उनके व्यवहार पर नियंत्रण होने की संभावना थी। इस युद्ध के औचित्य पर वादविवाद यहां आवश्यक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन भी क्षेत्रों पर अधिकार की इच्छा ब्रिटिशों में जाग्रत हो गई उसके लिए तब और कारणों का वे खोज लेने में पीछे न रहें। द्वार इस नियम का अपवाद कैसे हो सकते थे? भूटानियों का अपराध यही था कि उनके पास अच्छी लकड़ी और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र थे। स्वयं ऐंग्लो ईंडेन के अनुसार ही “भारत में एक सर्वोत्तम और हमारे सरकार के अधीन शीघ्र ही यह सबसे संपन्न हो जायगा।”<sup>1</sup> दुख की बात यह थी कि लारेस भी इस मामले में सहयोगी हो गया।

### उत्तर पूर्वी सीमा

भारत के उत्तरी-पूर्वी सीमा के कबीलों के प्रति भी सर जान लारेस की नीति साहस और शक्ति से जुड़ी उदारता की थी। उसकी नीति और उनके ऊपर प्रशासकीय या क्षेत्रीय नियंत्रण की नहीं थी बल्कि ब्रिटिश क्षेत्रों को उनके असभ्य और शूर आक्रमणों से अपने को बचाने की थी। लारेस का कहना था कि जगली हिंसात्मक प्रवृत्ति का मुकाबला केवल हिंसा से नहीं हो सकता। शक्ति के प्रदर्शन सहित सहनशीलता भरी टालमटोल की नीति तथा उन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति जिसके साथ उनके दुर्व्यवहार करने पर इस वापस ले लेने की चेतावनी जुड़ी रहती, ही लारेस की नीति थी। उसका यह विश्वास नहीं था कि उन्हें डराने के लिए आश्रमण किये जाय, उनके ग्रामों का जलाया जाय तथा उनका सामूहिक बर्तल किया जाय।

‘फावड स्कूल वाले आर्थिक सहायता की नीति को भयादोहन की नीति मानते थे। वनल ह्यापकिंसन ने लिखा है कि “मैं तो हर तरह से यह मानता हू कि भयादोहन की नीति तब तक चलती रहे जब तक सीमा पर इससे शांति स्थापित रहे।”

1 धर्मपाल पूर्वोद्धृत पृ० 235 दाया उद्धृत।

भयादोहन पर होने वाला अधिक से अधिक व्यय भी सैनिक आक्रमण के व्यय की तुलना में कम ही रहेगा। पर सोना तब तक अधिक दिनों तक नहीं चल सकता जब तक लोहा इसकी रक्षा के लिए तैयार न हो। इस सीमा पर तलवार सहित तैयार रहना एक आवश्यकता है।” पर बंगाल सरकार ने ‘फावड स्कूल’ के लोगो की उदारता की नीति को भयादाहन की नीति मानने के लिए भत्सना की। बंगाल सरकार ने जिसकी नीति से सर जान ने ही सहमति व्यक्त की, कहा, “अभोर (आसाम का एक शक्तिशाली कबीला) को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि और भयादोहन में एक अंतर यह था कि एक मामले में जंगली कबीले की सहनशीलता को हम अपने धन के सहारे अपना अनुगामी बना लेते हैं और दूसरी स्थिति में घन सहायता देकर हम उन्हें अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देते हैं। एक आक्रामक भाव से आगे बढ़ता है और दूसरा उदारता से।” इसमें लारेस ने यह भी जोड़ दिया कि असभ्य कबीलो से निबटने के लिए सतोप की आवश्यकता है। पर उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि वे जितनी ही अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे उनकी सहायता राशि उतनी ही बढ़ा दी जायेगी। भारत के सेक्रेट्री आफ स्टेट ने लारेस की उत्तर पूर्वी सीमा को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक पत्र में लिखा, “अनुभव यह बनाता है कि प्रतिशोध चाहे अकेले लिया जाय या आर्थिक सहायता के साथ जोड़कर, मैदानी लोगो की रक्षा के लिए वह निभरता योग्य नहीं है। इससे जंगली कबीलो में कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता। रानी की सरकार इस बात से प्रसन्न है कि जंगली हिंसक कबीलो के साथ उदारता की नीति अपनाय का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि वह नीति जो भारत के अय क्षेत्रों में सफल रही है वह आसाम और अराकान में उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगी।”<sup>1</sup>

सर जान सचमुच इस नीति में सीमा पर और अय स्थानों पर सफल रहा। आसाम की ब्रिटिशों की सीमा पर इसी तरह जागा, अमोर और घोर कबीले थे। इनमें से अगामी नागा अधिक समस्या प्रधान थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1832 में ब्रिटिशों ने आसाम और मणिपुर के बीच नागा क्षेत्र से होकर सपक स्थापित करने की चेष्टा की। नागाओं ने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप उन्हें दण्डित करने के लिए दो आक्रमण किये गये। 1838 और 1840 में दो आक्रमण और किये गये जिसमें दोनों पक्षा का बहुत नुकसान हुआ जिसके फलस्वरूप 1841 में नागाओं के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार किया गया और इसी के कारण सीमा की सुरक्षा की गारंटी का समझौता हुआ। पर ब्रिटिश अधिकारियों में कुछ हठी लोगो ने 1843 से अगामी नागाओं के कर की मांग करके उन्हें क्रुद्ध ही नहीं

1 वर्षगात पृष्ठ 231, 232, 234 द्वारा आर्चीबिशप डाकूमन्ट से उद्धृत।

कर दिया बल्कि समझौते को बर्बाद कर दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गयी जिसके कारण नागा क्षेत्र में एक और आक्रमण किया गया। इसमें दोना पलावा पहले की ही भांति विनाश हुआ। इन सारी स्थितियों में लारेन्स सामने आया। मसले पर विस्तार से बातचीत हुई और कई प्रस्ताव सामने आए जैसे नागा क्षेत्र पर अधिकार कर ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया जाय, सीमा पर कई सैनिक चौकियां उठें आतंकित करने हेतु स्थापित की जाय, पूरे नागा क्षेत्र का घेर लिया जाय और उठें ब्रिटिश गांवों से व्यापार न करने दिया जाय, नागाओं को आर्थिक सहायता देकर प्रसन्न किया जाय और एक ब्रिटिश अधिकारी नागा-हिल क्षेत्र में नियुक्त किया जाय जो उन्हें मित्र बनाने की चेष्टा करे। लारेन्स ने अंतिम प्रस्ताव का समर्थन किया पर साथ ही यह भी कहा कि आर्थिक सहायता के काल का प्रयोग कम से कम किया जाये। लेफ्टीनेंट प्रोगरी को समगटिंग में ब्रिटिश क्षेत्र की नागा आक्रमणों से रक्षा हेतु नियुक्त किया गया जिसे बूटनीति भत्ते और थोड़ी-सी सेना का ही प्रयोग करने को कहा गया।

लारेन्स ने अपने सहायकों को सदा इस बात के लिए आगाह किया कि वह क्षेत्र, जहां य कबीले रहते हैं, पक्कीय हैं और यात्रा के लिए बठिन ही नहीं होता है जहां इमें जिद्दी और हिंसक कबीलों के निवास के कारण और परेशानी पूरा बना देते हैं बल्कि यह एक ऐसा अस्वस्थ क्षेत्र है जहां उनके अतिरिक्त और कोई रह ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि में कुछ लोगों के अपराध के लिए इस क्षेत्र को घेरकर सभी के लिए बठिनाई पैदा करना उचित नहीं था।

लारेन्स ने अमोरो के विरुद्ध भी इसी तरह की नीति अपनायी। इनके विरुद्ध 1848, 1858 और 1859 में दंडात्मक आक्रमण किए गये थे। इन युद्धों में तमाम धन और सैनिकों के जीवन की बर्बादी हुई थी, पर इस पर भी अमोर सीमा पर शांति स्थापित नहीं हो पायी थी। क्रूर प्रतिशोध की नीति सचमुच पूर्णतया असफल हो चुकी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि लारेन्स के पहुंचने के पूर्व ही 1862-63 में अमोर लोगों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लेना उचित समझा गया जिससे अंततः उन्हें वार्षिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया और उसके बदले में सीमा पर शांति की मांग की गयी। 1865 में जब अमोरा में आपस में सघष हुआ तो उन लोगों को अवसर मिला जो उदार नीति के विरोधी थे। पर लारेन्स अपनी शांति की नीति पर अडिग बना रहा। कूंगी, खेंग, शेन्दू और अन्य अराकान और चटगाव के कबीलों के साथ भी लारेन्स ने वही नीति अपनायी जिससे सेक्रेट्री आफ स्टेट भी प्रसन्न हुआ।

हम समाप्त करें, इससे पूर्व एक शब्द उसके व्यक्तित्व और सफलताओं के बारे में यथा आवश्यक है। शक्ति के द्रीयकरण का प्रेमी और अंग्रेजी जाति की उच्चता में विश्वास करने वाला ज्ञान लारेन्स एक अति परिश्रमी और अत्यधिक आत्म

विश्वासी था। कुछ लेखकों ने लारेस की तीखी आलोचना की है। उदाहरणार्थ वास वय स्मिथ लिखता है कि "वह बोलने में सीधा और मुहफट था, वह अयोग्य लोगों की नियुक्ति की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता था तथा वह दबाव में कोई काम नहीं करता था जो उसकी विचारधारा के विपरीत हो।"<sup>1</sup>

टेम्पुल ने लिखा है, "मानव होने के कारण उसमें दोष होने ही थे, पर गुणों के अनुपात में ये कम ही थे। उसमें झुझलाहट का दुर्गुण था। पर इसके कारण, उसके अपने आराम नियंत्रण की शक्ति के कारण, केवल उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ता था, दूसरों पर नहीं। पर वह शक्ति का प्रेमी था जिसे वह आदतन फारसी में खुदरफ्तारी कहता था जिसका अर्थ था अपने ही मतानुसार रास्ते पर आगे बढ़ना।"<sup>2</sup>

लारेस की भारतीय सैनिकों को शस्त्र से सुसज्जित करने की भेदभावपूर्ण नीति सचमुच मूर्खतापूर्ण थी। इसके अतिरिक्त उसने सेना का जो पुनर्संगठन किया था जो सुविधाएँ सैनिकों को प्रदान की वे सब यूरोपीयों के लिए थीं। यह भारतीयों के लिए नहीं किया गया क्योंकि उन्हें ऊँचे सैनिक या असैनिक पदों के लिए अच्छा नहीं समझा गया। उड़ीसा के दुर्भिक्ष में जो जीवन विनाश हुआ उससे कार्यक्षमता और दया के भाव के कमों का स्पष्ट आभास होता है। जो और बुरा था वह प्रशासकीय मशीनरी में इन दोनों तत्त्वों का अभाव था।

पुनः कुछ ऐसे काय भी सामने नहीं आते जिन्हें आधार पर जॉन लारेस के शासन की प्रशंसा की जा सके। जंगल विभाग के सरक्षण से संबंधित उसके काय, एवं तरीके से भारतीय सफाई-व्यवस्था के लिए संगठन काय और उसके कुछ आर्थिक सुधारों की निश्चित ही प्रशंसा करनी होगी। पर उसके संपूर्ण कार्यों में सबसे प्रशंसनीय काय उसकी अफगानिस्तान के प्रति नीति थी। जो 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता' की नीति कहलाती है। सीमा के कच्चीला के प्रति उसकी नीति उदारता और सदभाव की थी।

जनवरी 1869 में लारेस भारत से पदमुक्त होकर वापस गया। वह जैसे ही इंग्लैंड पहुँचा उसे 'पंजाब और ग्रेटले का लाड लारेस' की उपाधि सहित पियरेज प्रदान किया गया। ग्रेटले सैलिसबरी क्षेत्र में उसकी बहन द्वारा छोड़ा गया छोटा-सा तालुका था।<sup>3</sup> पर ससद में उसने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी। इसके स्थान पर वह "लदन स्कूल बोर्ड के' परोपकारी काय में लग गया और इसका चेयरमैन हो गया। इसके अतिरिक्त वह चर्च मिशनरी सासाइटी और अस्पताल के प्रबंध में लग

1 स्मिथ आर वासवर्थ साइफ आर साइ लारेस, भाग 2 (1885), पृ० 349।

2 टेम्पुल सर आर० इटिया एन 1880 पृ० 160।

3 गितियट, एडवर्ड होरोर आर माइन इटिया, पृ० 255।

गया।<sup>1</sup> 1878 में जब लिटन ने भारत में द्वितीय अफगान युद्ध की घोषणा की तो उसने 'फावड स्कूल' के उस नीति की भत्सना की जो भारत में अब हावी हो गयी थी और अफगानिस्तान के विरुद्ध सना भेजन के सबध में कहा, "वे एक के बाद एक सब कत्ल कर दिय जायेंगे।" उसकी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया गया पर वे सच साबित हुईं। "उसकी आर्म्स और स्वास्थ्य धीरे धीरे घराब होने लगे और जुलाई 1878 में 68 वर्ष की आयु में लंदन में उसका देहांत हो गया। वेंस्ट मिनिस्टर अबे में उसे दफनाया गया और वाटर लू प्लेस पर उसकी मूर्ति स्थापित की गयी।"<sup>2</sup>

### अफगानिस्तान की ओर 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता'

भारत के इतिहास में सर जॉन लारेन्स की गवर्नरी उसके आन्तरिक प्रशासन या भारतीय राज्यों से उसके संबंधों के लिए उनी नहीं जानी जाती जितनी अफगानिस्तान के प्रति 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता' की नीति के लिए। इस नीति के विकास और प्रयोग का जानने के लिए थोड़ा विस्तार में जाना होगा।

समय बीतने के साथ प्रथम अफगान युद्ध के बाद आग्ल अफगान सबघा की महत्ता बढ़ गयी। जैसा सर चार्ल्स ऐटकिंसन<sup>3</sup> ने बताया है, इसके कारण से। इन्हीं सबघों के कारण ही भारतीय मामले यूरोपीय कूटनीति के दायरे में आ गये। इन्होंने सच में भारतीय साम्राज्य के आधार को ही छू लिया। इसमें एक जाति के चरित्र के अध्ययन का मामला सामने आ गया जो अपने दृष्टिकोण में ही विचित्र नहीं था बल्कि मनोवृत्ति व शरीर में भी दूसरे तरह का था। इसके अतिरिक्त उनके साथ एक ऐसा विषय जुड़ा था जो ब्रिटिश वैदेशिक नीति में किसी और विषय से अधिक महत्वपूर्ण था। इसकी महत्ता तब और बढ़ गयी जब यह बाघ लाड लारेन्स के उत्कृष्ट हाथों में आ गया जो आर० बोसवथ स्मिथ के अनुसार, "अपनी अफगान नीति में वह न तो 'उदार' था और न 'अनुदार' था बल्कि एक ईमानदार राज नीतिन था।"<sup>4</sup> लाड लारेन्स ने अफगानों के सबध में एक नयी नीति की नींव डाली जिसे सही रूप में न तो समझा ही गया और न बताया ही गया। पर हमारी दृष्टि से यह एक अति दुर्लभ और सन्तुलित विचारधारा का परिणाम था।

1842 में जब प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ और 1864 में जब लाड लारेन्स

1 मेरले विस्काउण्ट व वाइसराय एण्ड गवर्नर जनरल आफ इंडिया पृ० 84।

2 मिलियट एडवर्ड पूर्वोद्धत प० 256।

3 मेरले विस्काउण्ट पूर्वोद्धत प० 84।

4. ऐटकिंसन सर चार्ल्स लाड लारेन्स (म्लत आफ इंडिया सीरीज)।

5. स्मिथ, बार बोसवथ साइक आफ लाड लारेन्स, (1885), भाग 2, पृ० 484।

भारत का वाइसराय होकर आया, इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में बहुत सा परिवर्तन हो चुका था। सिंध पर विजय प्राप्त कर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। दो आंग्ल सिख युद्ध लड़े जा चुके थे और 1849 से ही पंजाब पर ब्रिटिशों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इस सबने ब्रिटिशों को अफगानिस्तान की सीधी संपर्क में ला दिया। अफगानिस्तान तक ब्रिटिश सीमाओं पर आवागमन के साधन का विकास हो चुका था और यूरोपीय आवश्यकताओं ने भारतीय नीति को इस देश के प्रति कोई नीति अपनाने के लिए बाध्य करना प्रारंभ कर दिया था।

अफगान गद्दी पर दोस्त मुहम्मद के पुनर्स्थापित होने के बाद दस वर्षों तक उसके प्रति ब्रिटिश नीति अनिश्चित रही। इसके बाद धीरे धीरे यह शाकाय ग्रहण करने लगी। 1855 और 1857 में मंत्री संधिया की गयी। 1855 की संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को उसके आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप न करने के लिए आश्वस्त किया जबकि दोस्त मुहम्मद ने इसके बदले में यह स्वीकार किया कि वह ब्रिटिशों के मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु मानेगा। 1856 में जब फारस ने पुनः हेरात पर घेरा डाला तो ब्रिटिशों ने दोस्त मुहम्मद की सहायता की और फारस वालों को 1857 में समझौते के लिए बाध्य किया। इससे दोस्त मुहम्मद से ब्रिटिश मंत्री और गाढ़ी हो गयी और इसीलिए 1857 में एक नयी संधि की गयी। यह संधि 1862 तक अविकल रूप से चलती रही। 1857 के विद्रोह के समय दोस्त मुहम्मद ने ब्रिटिशों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए तमाम चिट्ठियां लिखीं। पर 1862 में दोनों के बीच मनमुटाव प्रारंभ हुआ। यह तब प्रारंभ हुआ जब दोस्त मुहम्मद ने ब्रिटिश इच्छा के विपरीत हेरात पर आक्रमण कर दिया और 1863 में इस पर अधिकार कर लिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

पर जब तक अफगानिस्तान के उत्तर के राज्यों पर रूस की छाया नहीं पड़ी तब तक काबुल के मामले में स्थायी महत्ता नहीं ग्रहण की। 1844 में जब रूस के शासक सम्राट निकोलस प्रथम ने रानी विक्टोरिया से इंग्लैंड में भेंट की तो उसने इस पर सहमति व्यक्त की और उसे आश्वस्त किया कि बुखारा के खानातों, खिवा का क्षेत्र तथा समरकंद को तटस्थ क्षेत्र माना जायेगा। पर रूस आ इंग्लैंड के संबंध श्रीमिया के युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही लड़खड़ा कर। इनके बाद रूस ने इन खानातों में विस्तारवादी नीति अपनाने की प्रारंभ की जिसे ब्रिटिश संदेह बहुत बढ़ गया और वे अफगानिस्तान से संबंध के मामले पर रूढ़ हो गये।

जैसा कि हम जानते हैं, उस समय दो राष्ट्रों के द्वन्द्व के दिनों के विचारों के अफगानिस्तान में रूसी घटने से नियंत्रण के लिए ब्रिटिशों के लिए बड़ा संकट था।



जैकब द्वारा स्थापित 'सिंध स्कूल', जिसके विचारों का प्रचार ग्रीन और हेनरी रॉलिंग्सन ने लारेस के समय में किया, 'फाबड' नीति में विश्वास करता था। ग्रीन के अनुसार क्वेटा, "जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है जहां पश्चिम से पूब आने वाले हर मित्र और शत्रु को स्थान मिल जाता है," पर अधिकार कर लिया जाना चाहिए। इन विचारकों के अनुसार भारत में ब्रिटिशों के लिए रूस से सच्चा खतरा था और यदि रूस इस देश पर आक्रमण करेगा तो उनके अनुसार मध्य एशिया के हजारों लोग इसका समर्थन करेंगे और भारत में हजारों लोग इसका स्वागत करेंगे।

इसके विपरीत विद्रोह के पूर्व लारेस द्वारा स्थापित 'पजाब स्कूल' की एक विचारधारा थी जिसका समर्थन ह्यूट एडवर्ड्स और हैरी लम्सडेन करते थे। एडवर्ड्स का कथन था कि यदि ब्रिटिश अफगानिस्तान को रूसी हाथ में जाने देने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी नीति यह है कि "उह यह लगे कि हम स्वयं अफगानिस्तान में कुछ नहीं चाहते।" और लाड लारेस का क्वेटा को प्राप्त करने के विरुद्ध यह तर्क था कि सक्कर और क्वेटा के बीच की दूरी 257 मील थी। रास्ते में पड़ने वाले रेगिस्तान की कठिनाइयां थीं और दोनों के रास्ते में एक दर्रा भी पड़ता था। इसके अतिरिक्त जकोबाबाद, जहां हमारा नेट्र है, वहां से एक रेगिस्तान तथा पर्वतमाला द्वारा यह अलग थलग दूर पड़ता था। यदि क्वेटा पर सामने से आक्रमण हो जाता तो लुटेरे पर्वतों के दर्रा का मुह निश्चित रूप से बंद कर देते। इसके अतिरिक्त क्वेटा पर अधिकार अफगानों के उस सदेह की पुष्टि करता कि हम उनके क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते हैं। इसपर अत्यधिक धन व्यय होता और चूंकि अफगानिस्तान एक गरीब देश है "इसलिए विदेशियों की एक बड़ी सेना यहां नहीं रह सकती और एक छोटी सेना अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकती थी।" लारेस के अनुसार काबुल, बोखारा, यारकंद आदि स्थानों पर राजनैतिक और व्यापारिक मिशन रखना ही लाभकर होगा। उनकी हत्या हो सकती है, उनका अपमान हो सकता है और इस कारण उन स्थानों पर इनकी उपस्थिति ब्रिटिशों के लिए सुरक्षा की समस्या पैदा करेगी।

इस तरह लाड लारेस के भारत में बाइसराय रहने के काल में जिस आधारभूत नीति को अपनाने की उसने इच्छा व्यक्त की वह थी कि अफगानिस्तान के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप किये बिना उसके शासक को शक्तिशाली बनाया जाय, भारत और रूस के बीच अफगानिस्तान को एक मित्र देश माना जाय और भारत तथा रूस के प्रभाव की मध्य एशिया में स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी जाय। रूस को यह बता दिया जाय कि अपने प्रभाव क्षेत्र में उसे जहां कुछ भी करने का अधिकार है वहां उसे अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह ब्रिटिशों के प्रभाव क्षेत्र में है। उसने यह भी बताया कि वह अफगानिस्तान के साथ आक्रामक अथवा सुरक्षात्मक मित्रता के पक्ष में नहीं है पर

इसका अर्थ यह नहीं कि वह 'उसके' राज्य की सुरक्षा<sup>1</sup> में रुचि नहीं रखता।

नीति का कार्यान्वयन—लाड लारेन्स की बहुचर्चित 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता' की अफगान नीति की परीक्षा 1863 से उस समय से प्रारंभ हो गयी जब दोस्त मुहम्मद की मृत्यु हो गयी और बहा वठिनाइया प्रारंभ हो गयी। उसके 16 लड़के थे जिनमें शक्ति के लिए आपस में संघर्ष होना अनिवार्य था। उसके पुत्रों और पौत्रों में इस प्रश्न से जुड़े निम्न लोग थे। पहला तो शेर अली था जो दोस्त अली का तीसरा लड़का था और जिसे उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना था और जिसकी सहायता हेतु उसने ब्रिटिशों से निवेदन भी कर रखा था। इसके अतिरिक्त शेर अली के दो बड़े सौतेले भाई थे, एक अफजल जो तुर्किस्तान का गवर्नर था और दूसरा अजीम जो कोरम का गवर्नर था। इनसे उसके उत्तराधिकार को चुनौती मिलन की आशा थी। शेर अली का छोटा विपितृज भाई अमीन जा काधार का गवर्नर था, कम रहस्यपूर्ण न था। अफजल के पुत्र अब्दुर रहमान की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी।

दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के बाद शेर अली गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ जिसे ब्रिटिशों ने भी स्वीकृति प्रदान की। जब लार्ड लारेन्स को गवर्नर जनरल बनाया गया तो शेर अली ने प्रसन्नता व्यक्त की और मार्च 1864 में एक दूत का अपन एक मैत्रीपूर्ण पत्र सहित भेजा। इसने साथ 6,000 मस्केट बॉट के रूप में भी उसने भेजे। अपने पत्र में शेर अली ने लार्ड लारेन्स से उस मैत्री-संधि को फिर से बनाने का निवेदन किया जिसे उसके पिता के काल में ब्रिटिशों से किया गया था। उसने यह भी निवेदन किया कि उसके पुत्र मुहम्मद अली को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाय। पर शेर अली द्वारा प्रेषित बॉट वापस कर दी गयी।

अभी अफगान दूत वापस भी नहीं लौट पाया था कि इसी बीच अप्रैल महीने में अनहोनी घटित हो गयी। अफजल और अजीम दोनों ने अपन को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शेर अली ने आगामी में अजीम को पराजित करने और ब्रिटिशों से उसे शरण लेने को बाध्य करने में सफलता प्राप्त की। पर उत्तर में अफजल अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। अपने को अमीर घोषित करत हुए उसने बोगारा के राजा से संधि की और शेर अली के लिए गभीर वठिनाइया पैदा कर दी। दाना के बीच युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। पर शीघ्र ही शेर अली ने कुरान की शपथ लेकर अफजल से संधि कर ली। पर यह मुलह घोषली सिद्ध हुई क्योंकि शेर अली ने अफजल को एकाएक बंदी बना लिया और उसे बानुल से आया। अफजल का लड़का अब्दुर-रहमान बुधारा भाग गया। इस पक्ष ने अफजल और उसने

1 और बिनार के लिए देखें ऐटबिगन साई लारेन्स, रिमफ, आर० बा० लार्ड लारेन्स भाग 2।

पुत्र के समयको मे एक तहलका मचा दिया। इसके कारण शेर अली की शक्ति भी गभीरता से हिल गयी।

1865 के प्रारम्भ मे अजीम ने ब्रिटिश क्षेत्र का परित्याग कर दिया और वजीरी पहाडिया म धूमने लगा और शेर अली के लिए कठिनाई पैदा करने के अवसर की तलाश मे लग गया। ब्रिटिशो ने इसकी सूचना तुरन्त अमीर को भेजी जिसने इसके लिए एहसास जताया। इसी बीच अमीन ने काधार मे स्वतन्त्र होने की चेष्टा की और ब्रिटिशो से अपने को स्वीकृत करने के लिए कहा। लाड लारेस ने यह कहकर इसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया कि ब्रिटिश अफगानिस्तान मे एक ही शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं और वह शेर अली ही है। इस प्रेषण की सूचना शेर अली को भी दे दी गयी।

मई 1865 में शेर अली अमीन को पराजित करने के लिए आगे बढ़ा। दोना सेनाओ के बीच एक रूधिर युद्ध कुजवाज मे हुआ। पर युद्ध समाप्त होने के पहले अमीन और मुहम्मद अली ने आपस मे अकेले ही लडाईं की जिसमे चाचा और भतीजे दोनो मर गये। अतत 6 जून को इस युद्ध मे शेर अली को विजय मिली और वह विजेता के रूप मे काधार मे प्रविष्ट हुआ। पर वह यह नहीं भूल सका कि यह विजय बड़ी कीमत देकर प्राप्त की गई है। उसका उत्तराधिकारी पुत्र ही इसमे मार डाला गया था। जिसके कारण अशक्त हो वह पागल हो गया। वह इसी दशा म महीना पडा रहा और इसी बीच उत्तर मे स्थिति गभीर होती गयी जिसके फलस्वरूप उसकी गद्दी भी उसके हाथ से निकल गयी।

अब्दुल रहमान जो बुखारा भाग गया था वहा से शासक की सहायता लेकर आक्सस पार करते हुए अपने पिता को मुक्त कराने के लिए काबुल की ओर रवाना हुआ। रास्ते मे अजीम उससे मिल गया और इस तरह उसकी सेना शक्तिशाली हो गयी। सघ वाली की सेना की प्रतीक्षा विजय कर रही थी और 1866 के वसंत तक उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी पर अधिकार कर लिया। पूरे अफगानिस्तान मे बुखारा के शासक के नाम खुत्बा पढा गया और काबुल मे इस सघीय सेना वाली को नागरिका से उचित अभिनदन प्राप्त हुआ। उनकी सफलता इतनी प्रभाव की थी कि काबुल ने ब्रिटिश एजेण्ट तक ने अजीम को बघाई दी। फिर इसके लिए भारत सरकार न उसे फटकारा।

अजीम ने अब अपनी सफलता की सूचना ब्रिटिशो को दी जिसके लिए उसे लाड लारेस से एक शिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ। पर अपने पत्र मे उसने अफगान राजनीति के सबध म जो अपनी नीति प्रस्तुत की उसे अजीम ने ठीक नहीं समझा। अजीम की स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ब्रिटिश य नही समझते कि शेरअली अंतिम रूप से परास्त हो गया है। वे उसे अब भी अफगान शासक मानत हैं पर यदि अतत शेरअली असफल हो जाता है और अजीम उन स्थानो का अधिकारी

हो जाता है तो उसे उन स्थानों का शासक स्वीकार कर लिया जायेगा जहाँ पर उसका अधिकार है। यह एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया गया की ब्रिटिश उनसे बीच होनेवाले आपसी द्वन्द्व में किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे और न ही किसी पक्ष की सहायता करेंगे। वे अफगानों को अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने के लिए छोड़ देंगे। पर वे उस राष्ट्र के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध के सदा इच्छुक रहेंगे। वैसे ही वहाँ के असली शासक के साथ भी।

इसी बीच शेरअली को उसकी निद्रा और पागलपन से जगाया गया जिसने पुनः अपनी सेना एकत्रित की। इस बीच सघ्न वाला में भेदभाव पैदा हो गया जिससे उसकी स्थिति और ठीक हो गयी। शेरअली जैसे-जैसे आगे बढ़ता काबुल की सेनाएं पीछे हटने लगीं। 10 मई 1866 को शेखाबाद में एक लड़ाई हुई जहाँ शेरअली विजय प्राप्त ही वाला था कि उसका कंधार रेजीमेंट शत्रुओं से मिल गया। शेरअली पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। वह गजनवी की ओर गया जहाँ के लोगो ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिये। इसके बाद वह कांधार की ओर रवाना हुआ।

वदी अफजल को मुक्त करके अमीर घोषित किया गया। काबुल में उसके स्वागत में रोशनी की गयी और उसके नाम से सिक्के ढाले गये। अब कांधार और हेरात ही शेरअली के अधिकार में रहे जिससे उसकी भविष्य की आशाएं घूमिल हो गयीं। लाड लारेस ने अब ब्रिटिश एजेंट को अफजल के मामले में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि उसे स्पष्ट हो गया कि अब वही काबुल का असली शासक है। 30 मई को अफजल ने लाड लारेस को पत्र लिखा कि उसे अफगानिस्तान के शासक के रूप में स्वीकार किया जाय और दोस्त मुहम्मद से होने वाली मैत्री सघ्न को पुनः दुहराया जाय। पर लारेस ने अपने उत्तर में कहा कि उसकी इच्छा है कि अफजल की इच्छा पूरी करे पर शेरअली से संबंध समाप्त करना ब्रिटिश नीति के विपरीत होगा जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध कुछ नहीं किया है और जिसके अधिकार में अब भी कांधार और हेरात है। इसलिए इन परिस्थितियों में यदि अफजल ने अपनी स्थिति काबुल में ठीक कर ली है तो उसे उसी स्थिति में स्वीकार किया जायेगा। लारेस ने लिखा, "सच्चाई और औचित्य का तबाजा है कि स्पष्ट रूप से और खुले तौर पर मैं आपको यह लिखूँ।"

शेरअली ने अपनी राजधानी जीतने के लिए एक बार और चेष्टा की। पर 17 जुलाई 1867 को अजीम और अब्दुर रहमान द्वारा वह पराजित कर दिया गया जिसके बाद वह कांधार भाग गया। पर अबकी बार उसने विरुद्ध यहाँ के लोगो की अपना दरवाजा बंद करने की बारी थी जिसने कारण उसे हेरात की ओर मुड़ना पड़ा। अफजल ने कांधार पर अधिकार करने की सूचना ब्रिटिशों को दी और अब वह काबुल में कांधार का शासक मान लिया गया। पर लाड लारेस

ने अब भी शेरअली के प्रति दया के भाव का प्रदर्शन किया और आशा की कि देश में शीघ्र ही दास्त मुहम्मद के किसी पुत्र द्वारा वहा शाति स्थापित हो जायेगी। उसने शेरअली को हेरात का शासक स्वीकार किया।

अफगानिस्तान से ब्रिटिश सभ्यो को लेकर इसी बीच एक नयी बात सामने आयी। लाड लारेन्स के पास शेरअली ने अपने भाइयों के विरुद्ध सहायताय निवेदन किया। जब शेरअली को ब्रिटिशा के अक़्जल से पत्र व्यवहार की सूचना दी गयी और उनके अफगान राजनीति के सबध में नीति की तो उसने ब्रिटिशो को इंगित किया कि यदि ब्रिटिश उसकी सहायता नहीं करते तो वह फारस और रूस से सहायता के लिए निवेदन करेगा। यह ब्रिटिश नीति का कौमलतम भाग था जिसे शेरअली ने स्पष्ट किया। लाड लारेन्स ने उस इसका तुरन्त उत्तर दिया। उमे बनाया गया कि यदि वह अपने इच्छित बदम की ओर बढ़ता है तो ब्रिटिश तुरन्त काबुल के शासक का पक्ष लेंगे और उसे आवश्यक हथियार भी प्रदान करेंगे। लारेन्स ने बताया, “हमारा सबध बतमान असली शासक के साथ ही रहना चाहिए और जबतक यह शासक हमारा विरोधी न हो जाय हम सदा उसके साथ वही सबध बनाये रखना चाहिए जो उसके पू्व के शासक से हमारा रहा था।”

इसी समय गृह अधिकारियों को उसने परामश दिया कि वे रूस के जार से किसी-न किसी तरह का समझौता करने का प्रयास करें। उसने यह सस्तुत किया कि मध्य एशिया में रूस और इंग्लैण्ड की प्रभाव-सीमा निश्चित कर ली जाय और दानों के अपनी अपनी ओर के वकीलों से सबध स्थापित करने और सधि करने के अधिकार का भी निश्चय हो जाय। रूस को इस तरह बोखारा और छोखद में स्वतंत्रतापूर्वक काय करने की अनुमति दिलानी चाहिए और उसी तरह ब्रिटिशा के अफगानिस्तान तथा उसके पास-पड़ोस वालो से सबध को लेकर रूस का ईप्पा नहीं होनी चाहिए।

जिस समय गृह अधिकारियों को ये सस्तुतिया भेजी गयी वह समय भी महत्व का था। रूस क्रीमिया के युद्ध के भयानक प्रभाव से धीरे धीरे उबरकर ऊपर आ रहा था। उसने आधे छोखद को छीन लिया था और शेष आधे को नमित कर अफगानिस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच गया था। ऐसा लगता था कि वह मध्य एशिया में अपनी शक्ति मजबूत करने के इरादे में था। इसके लिए उसने अपने आगे के केंद्र पेरों स्क्व जो आरें बेरी लाइन पर था और वनों जो साइबेरिया की ओर था, के बीच की खुली सीमा को बंद करना चाहता था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर क्षेत्र में उसका उद्देश्य कन्सोबोडस्क पर अधिकार करना और अट्रेव तक आगे बढ़ना था। उपरोक्त विवरणित खुली सीमा बंद करने में उसे 1864 में सफलता मिल गयी, जबकि कैस्पियन सागर में उसका उद्देश्य

1869 में पूरा हो गया। इस समय भारत में लाड लारेस का शासन समाप्त होने का था। रूस अब खोखद, बोखारा और खीव के उजबेग खानातो के सामने आ खड़ा हुआ। खोखद और बुखारा ने ब्रिटिशों से सहायता की अपील की पर यह व्यर्थ गयी, और उनकी स्वतंत्रता बर्बाद कर दी गयी। जब समरकंद पर भी रूसियों ने अधिकार कर लिया तो लाड लारेस ने पुनः गृह सरकार पर दबाव डाला कि रूस से कोई समझौता करने का प्रयास किया जाय। उसने निवेदन किया कि उस देश "को स्पष्ट पर शिष्ट भाषा में बता दिया जाय, कि उसे आफगानिस्तान के मामले में या उनके मामले में जिनका क्षेत्र हमसे सटा हुआ है, हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी।" गृह अधिकारियों को प्रेरित इन प्रस्तावों की रोशनी में यह स्पष्ट है कि उसे मध्य एशिया में रूसी महत्वाकांक्षा के बढ़ने और उसके प्रति अजागरूक रहने के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

लाड लारेस की स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति उसके ही शब्दों में इस तरह थी, "यदि रूस जैसी विदेशी शक्ति कभी गभीरता से बाहर से भारत पर आक्रमण करने को सोचे या जिसकी अधिकार सभावना है, यदि वह यहाँ पर विरोधी तत्त्वों से आंदोलन कराना चाहे तो हमारी सही नीति यह होगी कि हम काबुल, कांधार या इसी तरह के किसी अन्य स्थान पर अपने को न फसाए, इसके अतिरिक्त हम सगठित, पूणतया सज्जित एवं पूणतया अनुशासित सेना भारत की सीमा में रखें, भारतीय प्रजा सतुष्ट रहे, भारतीय राजाओं आदि की उपाधि व वृत्ति सुरक्षित रहे, जनहित में भारत में भौतिक निर्माण हो जो ब्रिटिशों की राजनैतिक और सैनिक शक्ति में वृद्धि करे, प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रखा जाय, ब्रिटिशों को अपनी ईमानदारी और विचारों पर भरोसा हो, और अंतिम रूप से ऐसी सारी शिकायतों से बचने की चेष्टा जिससे विदेशी आक्रमण की सभावना बढ़े या गृह-क्षेत्र में विद्रोह हो।"<sup>1</sup>

लाड लारेस के इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर इस विषय में बाद में भारत सरकार की नीति का विकास हुआ। जब काबुल की गद्दी शेरअली ने पुनः प्राप्त कर ली तो ब्रिटिश सहायता उसे उपलब्ध कर दी गयी। मध्य एशिया में ब्रिटिशों और रूसियों के प्रभाव क्षेत्र के मध्य एक तटस्थ क्षेत्र बनाया गया। रूस के साथ अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी सीमा को विस्तृत करने के लिए बातचीत की गयी। और अफगान सरकार को शक्तिशाली बनाये रखने की नीति आगे लंदन के काल तक चलती रही।<sup>2</sup>

पुनः मुख्य कहानी को ओर लौटा जाय। शेरअली ने वैसे तो फारस और रूस

1 और विस्तार के लिए देखें ऐटबिसन लाड लारेंस।

2 आगे मेयो, नायडूक और लिटन पर लिखे गये अध्याय देखें।

से सहायता लेने की ओर इंगित किया था, पर वह इस प्रस्ताव के प्रति गंभीर नहीं था क्योंकि उसे पूणतया मालूम था कि इससे बहुत सी पेचीदगिया पैदा होंगी। इसलिए उसने अपने साधना पर अपने को निभर किया और शक्ति अर्जित करनी शुरू की। भाग्य ने भी उसका साथ दिया क्योंकि इसी बीच 7 अक्टूबर 1867 को अफजल की मृत्यु हो गयी। उसका उत्तराधिकारी अजीम हुआ। पर न तो अफजल और न ही अजीम जनता को अपने पद में बनाए रखने में समर्थ थे। अजीम को अफजल से भी अधिक घृणा का सामना करना पड़ा। और देश में आतंक का राज्य स्थापित हो गया। इस बीच शेरअली अपने तुर्किस्तान के मित्रों की सहायता से पुर शक्ति प्राप्त करके वाघार की ओर बढ़ा, वाबुल की सेना को पराजित किया और राजधानी पर पुन अधिकार कर लिया। अजीम तुर्किस्तान भाग गया और जनवरी 1869 तक अब किसी और तरह की कठिनाई उत्पन्न करने की उसकी शक्ति जाती रही।

शेरअली ने गद्दी पर पुन अविवादित और पूण रूप से जब अधिकार प्राप्त कर लिया तो उसने गवर्नर जनरल को इस सबंध में लिखा जिसने इसके बदले में उसे बढ़ाई दी। समय आ चुका था जब लाड लारेन्स की अफगानिस्तान के प्रति नीति के दूसरे भाग पर काय किया जाय। इसके अंतगत अमीर की सदेच्छा प्राप्त करने हेतु उसे शक्तिशाली बनाया जाना था, उसके नष्टप्राय देश में शांति स्थापित की जानी थी, उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना था और न ही उससे आक्रमक या रक्षात्मक समझौता किया जाना था। पर फिर भी 'उसके राज्य की सुरक्षा हित चिन्तन' के प्रति जागरूक रहा जाना था जिससे कि भारत और रूस के बीच एक मैत्रीपूर्ण शक्ति बनी रहे। इस नीति पर अमल करते हुए लाड लारेन्स ने अमीर को 60 हजार पौण्ड की भेंट भेजी और पर्याप्त हथियार भेजे। शेरअली ने इसके लिए गवर्नर जनरल का शुक्रिया अदा किया। वह तो उसके पास मिलने के लिए भारत ही आ रहा था पर तुर्किस्तान में कुछ कठिनाई पैदा हो गयी जिसके कारण उसे अपनी यात्रा स्थगित करनी पडी।

इसी बीच लाड लारेन्स भारत से पद मुक्त हो गया। पर पद छोड़ने के पूर्व उसने अमीर को एक पत्र लिखा जिसमें ६० हजार पौण्ड की भेंट और देने को कहा गया। लाड लारेन्स ने पुन इस बात के लिए उसे आश्वस्त किया कि ब्रिटिश उसके देश के प्रति कोई आक्रामक उद्देश्य नहीं रखते। लाड लारेन्स के इंग्लैण्ड वापसी के बाद रानी विक्टोरिया ने भी अमीर को पत्र लिखकर आश्वस्त किया कि अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

लाड लारेन्स के जाने के कुछ ही दिनों के बाद शेरअली ने भारत की यात्रा की और 27 मार्च 1869 को अम्बाला में उसके उत्तराधिकारी लाडभेयो से मिला। इस भेंट के सबंध में एक रूसी समाचार पत्र ने कहा, "दीवार का पहला पत्थर

रख दिया गया था जिस आंग्लभारतीय सरकार शीघ्र ही रूसियों के रास्ते में मध्य एशिया में मकान के रूप में निर्मित करना चाहती है।”

लाड लारेस की अफगान नीति के विरुद्ध बहुत सी बातें कही गयी हैं। एच० एच० डाडवेल ने लिखा है कि तथाकथित ‘प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता’ की लाड लारेस की नीति सच में घटनाओं की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। डाडवेल के अनुसार लारेस का मत, “इस गलतफहमी पर आधारित था कि अफगान अपने हित को पहचानने में मूढ़ थे।” डाडवेल और आगे लिखता है कि उसकी नीति उस पुराने सिद्धान्त पर आधारित थी जो राज्यों के साथ निहस्तक्षेप की अपनाई गयी थी। पर लाड लारेस को यह कम ही पता लग पाया कि इन राज्यों के पास सहायता की पुकार सुनने वाला था ही कौन जबकि अफगानिस्तान के मामले में रूस और फारस थे जो अफगान के किसी शासक की सहायता की अपील का स्वागत करते और परिस्थिति का लाभ उठाते। डाडवेल के अनुसार लाड लारेस ने अपनी नीति की भ्रामकता को उस समय समझ लिया जब उसने अपनी नीति में अंत में परिवर्तन कर अमीर शेरअली को आर्थिक और अस्त्रों की सहायता दी। इससे पहले भी उसने एक अफगान शासक को सहायता देने की चेतावनी दी थी जो रूस के पक्ष में नहीं गया था।

पर डाडवेल के अनुसार जब तक लाड लारेस ने अपनी नीति में परिवर्तन किया तब तक काफी हानि हो चुकी थी। अब्दुर रहमान अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया और ब्रिटिशों में अविश्वास कर रूस में शरण ले ली थी। शेरअली भी सन्तुष्ट नहीं था बल्कि उसने खुलेआम धोपणा की कि, “अंग्रेजों ने अपने लाभ के अतिरिक्त कुछ नहीं किया और समय काटते रहे।” इसके अतिरिक्त यह सभी को ज्ञात था कि रूस के लिए खोखद, बुखारा, खीव और समरकंद पर अधिकार करना कठिन नहीं था। रूसी सामाजिक और धार्मिक संगठन प्राच्य कोटि के थे और इस कारण इन स्थानों पर रूस के अधिकार से कोई हिंसा भी न पनपती। ये छोटे राज्य रूस में मिला भी लिये और तब लाड लारेस ने एशिया में और आगे बढ़कर रूसी महत्वाकांक्षा में बाधा देने की जगह पर यह प्रयास करता रहा कि रूसी समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन रूस से कोई समझौता यूरोप में करे। डाडवेल कहता है कि उसने यह नहीं सोचा कि, “यूरोप में होने वाले समझौते में उस महाद्वीप में अंग्रेजों का हित रूसियों से गौड़ हो जाता।”

डाडवेल आगे कहता है कि रूस सचमुच मध्य एशिया सबंधी अपनी महत्वाकांक्षा में अत्यधिक उत्साहित हो गया और बाद में जब दोनों देशों के बीच आक्सस को विभाजन रेखा बनाने के लिए कहा गया तो रूस ने कहा कि अफगानिस्तान सबसे उपयुक्त तटस्थ क्षेत्र है। और यह सब इस देश के प्रति लार्ड लारेस की कम-



जोर नीति के कारण ही घटित हुआ ।<sup>1</sup>

डॉ० मजूमदार और अन्य भी ये कहते हैं कि लाड लारेस की नीति ब्रिटिशों के लिए अलाभकर थी। शेरअली अपने मित्रों से अपनी कठिनाई के काल में सहायता की आशा करता था पर ब्रिटिशों ने उसके साथ ऐसा किया नहीं। इन लेखकों का कहना है कि इस काल में फावड नीति अपनाकर ब्रिटिश "अफगानिस्तान में अपने को शक्तिशाली कर लेते और सदा के लिए उस क्षेत्र में बढ़ने वाले रूसी प्रभाव पर रोक लगा देते।" इस तरह ये लेखक लारेस के पक्ष में इतना ही कहते हैं कि, "वह अफगान आंतरिक सघष से अपने को अलग रखने में और कोई अंतर्राष्ट्रीय पेचीदगी न पैदा होने देने में सफल रहा।"<sup>2</sup>

पर यदि निवट से परीक्षण किया जाय तो न तो डाडवेल का और न ही मजूमदार का अर्थ वास्तविकता तक खरा उतारता है। यदि हम डाडवेल के एक के बाद एक तर्कों की चर्चा करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा। लारेस की घटनाओं की प्रतीक्षा करने की नीति निश्चित ही उसमें कूद पड़ने से अच्छी थी क्योंकि इससे सर भी फूट सकता था और पछतावा भी हो सकता था, जैसा कि वानवालिंस और लिटन ने किया। इसके अतिरिक्त अरुगान निश्चित रूप से यह मानते थे कि जब तक ब्रिटिश भारत में हैं तब तक फारस और रूस की ओर देखना सुरक्षित भी नहीं है और लाभपूर्ण भी नहीं। और जब तक अफगान यह मानें कि एक सतुलित ब्रिटिशों के लिए चिन्ता की कोई बात नहीं थी। जहाँ तक फारस और रूस की ओर अफगानिस्तान के झुकने का प्रश्न था उसके लिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की लारेस नीति से बेहतर दवा भी क्या हो सकती थी। लाड लारेस की सचमुच नीति यह थी कि अफगानिस्तान में सबसे समय व्यक्ति की सहायता की जाय। वह लाड आकलैंड के शाहशुजा जैसे कमजोर व्यक्ति का समयन कर वहाँ पर कठिन परिस्थिति पैदा कर फारस और रूस को हस्तक्षेप का अवसर नहीं प्रदान करना चाहता था और जब तक अफगानिस्तान का सबसे योग्य व्यक्ति अपनी स्थिति नहीं ठीक कर पाए और ब्रिटिश उसकी तलाश न कर पाए, उस स्थिति में यहाँ के प्रत्येक शासक को स्वीकृति प्रदान करने में कोई हज़ नही था, क्योंकि ऐसा करने से हर एक सतुल्य रहेगा और कोई भी फारस और रूस की ओर सहायताय नहीं देखेगा। चाहे जितनी भी तीव्र इच्छा से ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को शांत, शक्तिशाली और सगठित राज्य के रूप में देखना चाहा हो और वह इनमें से किसी भी बोटिंग में न आ पाया हो, उस समय ब्रिटिशों को उसे वैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए

1 डाडवेल एच० एच० कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग 6 पृ० 412।

2. मजूमदार ऐण्ड अर्थ्स द ऐडवांस्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 571।

था। उह तब निश्चित रूप से अपने ऊपर खतरनाक और कठिन कतव्य-बोझ रखना चाहिए था, क्योंकि मात्र सावधानी से उधर दृष्टि रखना और तभी हस्तक्षेप करने को सोचना जब स्थिति अपने विरुद्ध जाने को हो, ठीक नहीं था। इतिहास इसका साक्षी था कि अफगानिस्तान में प्रवेश तो सरल था। पर वहाँ रकना, जो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता, जैसी डाडवेल ने कल्पना की है, आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से उचित प्रस्ताव नहीं था।

पुन डाडवेल का इस बात पर जोर देना कि लारेन्स अपनी नीति शीघ्रता में अंत में या इसके पूर्व बदल दी, स्पष्ट करता है कि लेखक ने लारेन्स की नीति को सही तरह से समझने की चेष्टा नहीं की है और न उसकी सच्ची महत्ता की ओर ध्यान दिया है। लाड लारेन्स की प्रारम्भ से यह नीति नहीं थी कि अफगानिस्तान के शासक को कोई सहायता न दी जाय, बल्कि यह थी कि वहाँ के असली शासक को सहायता प्रदान की जाय जिससे कि इस तरह जो धन और शक्ति लगाई जाय वह बेकार न जाय। यह भी नीति नहीं थी कि स्थिति इतनी खराब हो जाने दी जाय कि फारस या रूस को हस्तक्षेप ही करना पड़े।

यदि अब्दुल रहमान रूस चला गया तो वह इसलिए कि वह खेल में हार चुका था और बेकार का आदमी था। इससे ब्रिटिशों का कोई अहित भी नहीं हुआ। यदि रूस ने घानात पर अधिकार कर लिया तो उस देश से यूरोप में समझौता ही ब्रिटिशों की सहायता करता यदि ब्रिटिश मध्य एशिया में आगे बढ़ने के लिए अफगानिस्तान पर अधिकार कर लेते तो यह आत्महत्या के बराबर होता। इस सबध में प्रस्तुत तर्क सबविदित है। और पुन यदि रूस ने अफगानिस्तान की ओर तटस्थ क्षेत्र कहकर इंगित किया तो वह लाड लारेन्स की कमजोर नीति के कारण नहीं था बल्कि गृह सरकार के कारण था जिसने उसके प्रस्ताव पर विचार करना अस्वीकार कर दिया था।

डॉ० मजूमदार और उसके सहलेखकों का मत भी समीचीन नहीं है। यदि शेरअली ने लाड लारेन्स को ठीक से नहीं समझा तो भी उसे यह ज्ञात था कि वह केवल योग्य व्यक्ति की ही सहायता करता है और साथ ही वह व्यक्ति जो रूस या फारस की ओर मुह कर ले, वह उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति नहीं है। इन लेखकों ने, लगता है, यह भी नहीं समझा है कि अफगानिस्तान में मजबूती से कदम रखना संभव है। पर वह कदम वहाँ पर उतान ही मजबूत होंगे जितने कि शाहशुजा के काल में थे और इस तरह यह उससे अधिक काल तक स्थायी नहीं हो सकता था।

पुन कुछ लेखकों का विचार है कि लाड लारेन्स की यह नीति कि दो दल आपस में सघष करें और असली शासक की सहायता की जाय, इससे स्पर्धा को आमंत्रण मिलता था। पर यह नहीं समझा जाता कि स्पर्धा तब प्रारम्भ हुई जब शेरअली को

अमीर स्वीकार कर लिया गया और उसका लक्ष्य उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया। अमीर की महत्वाकांक्षा को नकारा गया, अजीम के कारवाई की सूचना दी गयी और उस ब्रिटिश एजेन्ट का जिसने अजीम की सफलता पर बधा दिया, डाटा गया। अफजल को स्वीकृति भी प्रदान की गयी जब यह लगा कि वह स्थापित हो चुका है। यदि इस प्रकार अवसर पाएगा न किया गया होता तो इसे अध्यापन ही माना जाता और इससे अफगानिस्तान में ब्रिटिशहिता की हानि भी होती।

मात्र नैतिक समर्थन मौलिक सहायता के अभाव में बेमानी था। इस तरह का समर्थन शेरअली को पराजय से विरत न कर सका और न ही इससे अजीम या अफजल को अंतिम विजय ही प्राप्त हो सकी। और यह सिद्ध करना कि नैतिक समर्थन खतरनाक था, एक बेकार की बात थी।

सर चार्ल्स ऐटकिंसन ने ठीक ही लिखा है, "किसी भी कीमत पर इतना तो निश्चित ही है कि वह नीति जो लारेन्स ने अपनाई उसकी उस समय सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। लाड मेयो की नीति भी उसी तरह से चलती ही नहीं रही बल्कि विकसित भी हुई।"<sup>1</sup> लाड मेयो ने भारतीय विद्रोह के नायक के नीति के गुणों को स्वीकार किया और उसी आधार पर अफगान नगरों में किसी भी यूरोपीय अधिकारी को रेजीडेन्ट नहीं बनाया और न ही उसने अफगान अमीर के साथ आक्रामक या सुरक्षात्मक संधि की। किसी ब्रिटिश सैनिक का अमीर के विद्रोही जनता को दवाने के लिए नहीं भेजा गया और न ही उसने अफगान राजनीति में किसी भी व्यक्ति की सहायता की और न हस्तक्षेप किया। आर्थिक दृष्टि से भी आश्वासन के अनुसार 60 हजार पौण्ड दे दिए जाने के बाद और अधिक या वार्षिक रूप से धन अमीर को देने की चेष्टा नहीं की गयी। मेयो ने भी अमीर को आश्वस्त किया कि उसके पूर्वाधिकारी की नीति को बदला नहीं जायगा।

अफगानिस्तान की अपनी नीति को यथसंगत बताते हुए, लारेन्स ने भारत से पदमुक्ति के बाद 'द टाइम्स' को एक पत्र में इस तरह लिखा, 'इधर हम ऐसा सोचने लगे हैं कि अफगानों का हित हम उनसे अधिक समझते हैं।' और उसी बताया कि यह गलत है। उसने दुहराया कि अफगानिस्तान पर अधिकार करना सरल है। पर इस पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके को जिसके निवासी हमेशा लाभप्रण स्थिति में रहते हैं, पर अधिकार बनाये रखना कठिन है इसलिए ऐसी स्थिति में यह बेहतर है कि ब्रिटिश हितों की देख रेख बाहर से ही की जाय और अफगान हित के मामले को लेकर आग में न कूद पड़ा जाय जिससे कठिनाईयाँ सामने आ जाय। लारेन्स ने कही अयत्न कहा, "अफगान साहसी, शक्तिशाली और स्वतंत्र

हैं, जहा वे रहते हैं वह आश्चर्यजनक रीति से गुरिल्ला युद्ध करने योग्य स्थिति है, ये लोग विरोध करना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि उनकी सफलता की आशा धुंधली न पड़ गई हो, और जब वे पराजित कर दिये जायेंगे तब उनमें वह लचीलापन दिखाई पड़ेगा जो उन्हें सदा इस युद्ध को जारी करने का उत्साह प्रदान करेगा जब कभी उसके लिए उपयुक्त अवसर आये।”

अफगान सीमा के लिए किलेबंदी की भी आवश्यकता न थी। प्रकृति ने इन्हें पहले से ही बड़ी-बड़ी चट्टानों, जलविहीन रेगिस्तानों और विद्रोही कबीलों में यह सब कुछ देखा था। एटचिशन ठीक ही लिखता है कि, “मैं यह निश्चित रूप से कहता हूँ कि भारत में अपने शासन-काल को देखकर ‘फाबड नीति’ के द्वारा सफलता की कोई आशा नहीं की जा सकती।”<sup>1</sup>

भारत में इस समस्या से जुड़ा सतुलित और दूर दृष्टि वाला व्यक्ति इस समस्या से लगी कुछ सामाजिक और नतिक तत्त्व की बातों से नहीं बच सकता। भारत में ब्रिटिश थोड़े ही थे और ब्रिटिश सैनिक तो और थोड़े थे। और यदि सीमा पर अनथ होता तो इससे भारत में स्थापित उनके साम्राज्य की नींव तक पर इसका प्रभाव पड़ता।

अफगानिस्तान के प्रति लारेस की नीति ही सचमुच ऐसी थी जिसके अनुसार काय किया जाना चाहिए था। इसने उस देश में ब्रिटिश हितों की रक्षा की और साथ ही साथ उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों से बचाया। लारेस के जाने के बाद एक दशक तक यह नीति उसी तरह से ठीक से चलती रही। पर जब इस नीति का परि-त्याग कर ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया तो उन्होंने अमीर के सर पर अपना रेजीडेन्ट मठने का प्रयास किया। जब उन्होंने देश से काधार को अलग कर वहां अलग से शासन नियुक्त करने की चेष्टा की तो इसका अंत अनथवारी हुआ। 1881 के बाद व्यवहार में ब्रिटिशों की लारेस की ही नीति पर आना पड़ा जो 1919 तक चलती रही। राबट्स ने लिखा है कि ब्रिटिशों ने “आफगानिस्तान को मध्यवर्ती राज्य मानकर उसकी अलघनीयता को गारंटी दी और साथी अफगानों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया।”

राबट्स आगे कहता है, कि “इसमें सदेह नहीं की सपूर्णता में लाड लारेस की नीति बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण थी।” उसकी ‘निष्क्रियता’ चाहे वह ‘प्रभुत्वपूर्ण’ रही हो या न रही हो वैसे परिपक्व और समझ बूझ वाली थी। कम लोगों को ही सदेह होगा कि वह सही नहीं था।”-

1 एटचिशन साइ लारेस, पृ० 232।

2 राबट्स पूर्वोद्धृत, पृ० 406-11, स्पिन, आर० बोलबय पूर्वोद्धृत भाग 2, पृ० 484-89।

## लाडं मेयो (1869-1872)

मेयो का छठा अल रिचर्ड साउथवेल बोक 21 फरवरी 1822 में पैदा हुआ। भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किये जाने के पूर्व वह अनुदार मंत्रिमंडल की ओर से तीन बार आयरलैण्ड का चीफ सेक्रेटरी रह चुका था। वह इस स्थान को बहुत पसंद करता था। जब डिजरेली ने भारत में उसे साठ लारेस का उत्तराधिकारी बनाया तो अंग्रेजी समाचारपत्रों में उसकी योग्यता की जानकारी के अभाव में इस घोषणा का विरोध किया गया। और इसके शीघ्र बाद जब कि गवर्नर जनरल का पद सचमुच रिक्त हुआ, डिजरेली के अनुदारवादी मंत्रिमंडल का पतन हो गया और उसके स्थान पर ग्लेडस्टन की उदारवादी सरकार आ गई। इस अवसर पर समाचारपत्रों ने नये प्रधानमंत्री से अवसर का लाभ उठाते हुए मेयो की नियुक्ति रद्द करने को कहा। पर ग्लेडस्टन ने अपने पूर्वाधिकारी की भावना और नियम का महानता से बनाये रखा और मेयो भारत की ओर रवाना हुआ। पर ऐसा करने से पूर्व उसने सर स्टैफर्ड नाथकोट को लिखा, "मुझे इसका बड़ा कष्ट है कि समाचारपत्र मेरी नियुक्ति का इतना विरोध कर रहे हैं। मैं इस बड़े पद को बिना सोच विचार के स्वीकार नहीं किया है मैं अति आलोचना झेलने के लिए उद्यत था। पर मैं सोचता था कि मेरी लम्बी जासेवा मेरे ऊपर बरसने वाले गालियों से मेरी रक्षा करेगी। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है और मेरी प्रायना है कि मैं शीघ्र ही अपने गाली देनेवालों के समक्ष यह सिद्ध कर सकूँ कि वे गलती पर थे।" और इसमें सदेह नहीं कि अपने अल्पकालिक तीन वर्ष के शासनकाल में मेयो ने यह सिद्ध कर दिया कि उसके आलोचक सही नहीं थे।

### आन्तरिक सुधार

#### आर्थिक सुधार

दाइसराय के उच्च पद की शपथ लाड मेयो ने 12 जनवरी 1869 ई० को ली। और आन्तरिक प्रशासन के मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या जिसका मुकाबला उसे करना पड़ा, वह आर्थिक था। उसके भारत आगमन के समय परिस्थिति बयानक थी। 1857 से पूर्व एक शताब्दी की विजयों और छीना-झपटी ने भारत में ब्रिटिशों के साम्राज्य को इतना बड़ा कर दिया था जितना बड़ा रूस को छोड़कर यूरोप का क्षेत्र था। ब्रिटिश प्रांता में 20 करोड़ और सहायक राज्यों में 5

करोड़ लोग निवास करते थे जिनके भाग्यविधाता ब्रिटिश बन गये। पर यह महान सफलता बिना मूल्य के प्राप्त नहीं हुई। 1869-70 में जनता का ऋण 10 करोड़ 2 लाख स्टर्लिंग था, इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 1 लाख स्टर्लिंग का ऋण सरकार ने रेलवे की गारंटी के धन के रूप में तथा कुछ अन्य जनहितकारी कार्यों के लिए लिया। 1868-69 के पूर्व के 50 वर्षों में से 39 वर्षों में घाटा हुआ था। इनमें से मेयो के पद ग्रहण करने का वर्ष तो आर्थिक घाटे की दृष्टि से सबसे भयानक था क्योंकि इस वर्ष में 1 करोड़ एक लाख का घाटा हुआ था। यह घाटा 'साधारण' और 'असाधारण' मामलों पर व्यय के कारण आया था। बजट के आकलन की समस्या भी कम गंभीर नहीं थी क्योंकि इसकी रचना में वैसे तो हर एहतियात बरती जाती थी पर परिणाम इसके सदा आशा के विपरीत आते थे। इस तरह 1867 से 1869 के दो वर्षों के बजट ने 35 लाख के बचत का आकलन किया था जबकि अतत घाटा लगभग उतनी ही धनराशि का रहा। निश्चित रूप से आर्थिक मशीनरी में कोई खामी थी जिसके कारण 70 लाख स्टर्लिंग के बजट आकलन के हिसाब से गलती आ जाती थी। इस कमी को ठीक किया जाना था।

इस तरह लाड मेयो के समक्ष तीन तरह के कार्य थे। प्रथम तो उसे अपने शासन भार ग्रहण करने के वर्ष की घाटे की समस्या से निबटना था। दूसरे, उसे आर्थिक मशीनरी को ठीक करना था जिससे बचत आकलन के परिणाम गलत न हों। और तीसरे उसे कुछ ऐसे आर्थिक सुधार करने थे जिससे कि देश के भविष्य की आर्थिक स्थिति शक्तिशाली आधार पर आ जाय। उसके प्रारम्भिक प्रयासों को सफलता मिल गई यह इससे सिद्ध है कि आर्थिक क्षेत्र में पहले ही वर्ष आय और व्यय बराबरी पर आ गये बल्कि थोड़ा सा लाभ ही रहा। अगले तीन वर्षों में औसत बचत की दर लगभग 57 लाख का रहा। लाड डलहौजी के जानेके बाद पहली बार लगातार 4 वर्षों तक लाभ का बजट सामने आया।

आर्थिक सदस्य सर रिचर्ड टेम्पुल ने प्रथम बजट बड़ी सावधानी से 1869-70 में मेयो के नेतृत्व में तैयार किया जिसमें 48,263 पौण्ड के लाभ का आकलन किया गया। पर हर सावधानी के बावजूद यह देखने में आया कि तत्कालीन मशीनरी इच्छित परिणाम प्राप्त करने में पूर्णतया असमर्थ है। बजट प्रस्तुत करने में शीघ्र बाद ही टेम्पुल इंग्लैंड चला गया और इससे जल्दी ही मेयो का सदेह यह हो गया कि बजट का आकलन एक बार पुनः गलत होने जा रहा है। उसने इसके पुनः परीक्षण हेतु आदेश दिया जिससे यह पता चला कि उक्त बचत की जगह पर उसे 16 लाख, 50 हजार पौण्ड का घाटा होने जा रहा है। पर संपूर्ण इच्छा-शक्ति के साथ उसने घोषणा की कि, "मैं इसके लिए सक्लपबद्ध हूँ कि पुनः घाटा न हो चाहे इसके लिए हमें सेना में ही कटौती क्यों न करनी पड़े या अर्सेनिक प्रतिष्ठानों अथवा सावजनिक निर्माणों को ही क्यों न रोकना पड़े।" और रिचर्ड

टेम्पुल की ही भांति योग्य जान स्ट्रैची की सहायता से उसने इस समस्या पर दा ओर से आक्रमण करने का निश्चय किया। प्रथम तो पूरे वर्ष प्रतीक्षा करने के स्थान पर घाटे को तुरंत पूरा किया जाय और द्वितीय इस बार होने वाली इस स्थायी कठिनाई को ही क्या न समाप्त कर दिया जाय।

प्रथम दिशा में काय करने हेतु लाड मेयो ने सावजनिक हिता में भी कटौती की और उन विभागों के अनुदान में कमी कर दी जिनमें पिछले दशक में काफी काम हुआ था और कुछ समय के लिए रुक सकते थे। इससे उसकी लगभग 11,50,000 पौण्ड की बचत हो गई। और शेष घाटे के लिए “उसने वर्ष के मध्य ही पहले से अधिक कर लगा दिये।” आयकर की दर बढ़ा दी गई तथा बम्बई और मद्रास में वर्ष के उत्तरार्द्ध में नमक पर कर बढ़ा दिया गया। इससे उसे 5,00,000 पौण्ड की औसत आय और प्राप्त हो गई। इस तरह 1869-70 का घाटा पूरा हुआ।

पर ये कदम असाधारण थे, दोनों सावजनिक निमाण के क्षेत्र में कटौती तथा वर्ष के मध्य में और कर का आरोपण। समस्या का स्थायी समाधान ढूढना था। और मेयो ने इसके लिए सुधार किये जिन्हें तीन भागों में बाटा जा सकता है। प्रथम, जो उसने वेदों की आर्थिक मशीनरी को ठीक करने के लिए ही किया। द्वितीय, वे कदम जिनसे प्रांतीय सरकारें अपने बजट प्रस्तावों को इस तरह से बनाये जिससे कि घाटा न हो। आर्थिक उत्तरदायित्वों के बढ़ने के साथ उन्हें और आर्थिक शक्ति भी प्राप्त होती थी जो उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं थी। और तीसरे, जिसका उद्देश्य यह था कि एक स्थायी और विधिविहित ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाय कि राजस्व और व्यय में एकरूपता आ जाय।

केन्द्रीय मशीनरी का सबसे गभीर दोष यह था कि आंकिक विवरण रोजाना प्राप्त होता था, उसे बुद्धिमत्ता से प्रयुक्त नहीं किया जाता था तथा इसकी कोई उचित व्यवस्था भी नहीं थी कि इनका सतत परीक्षण अथवा आकड़ों की तुलना हो सके। इसमें स्थानीय सरकारों से समय आकलित बजटों के न प्राप्त होने से समस्या और बढ़ जाती थी। मेयो ने कुछ ऐसी व्यवस्था की जिससे कि निश्चित और व्यवस्थित आधार पर आकड़ा का वर्गीकरण हो गया और अपने विभाग में इसकी व्यवस्था के उपरान्त उसने इसके बड़े निर्देश भेजे कि स्थानीय सरकारें अपना बजट आकलन समय पर भेजें।

आर्थिक हस्तांतरण—इस सुधार का दूसरा भाग अधिक महत्त्व का था क्योंकि इसने एक ऐसी परिस्थिति का प्रारम्भ किया जिसने अतन्त देश में पूण आर्थिक हस्तांतरण ला उपस्थित किया।

आर्थिक विवेकीकरण का प्रश्न जो सरकार के संवैधानिक स्तर के विवास से अति निकट से संबंधित है, मंचमुच आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन का बहुत

रखिबर विषय है। ईस्ट इंडिया कम्पनी चूकि एग व्यापारिक सस्था थी इमलिए यह ईर्ष्यालु स्तर पर सारी शक्ति बेदर के हाथ म ही रचना चाहती थी। इस क्षेत्र म सामान्य अवधारणा ही बेद्रीयकरण की थी जो 1833 के चाटर ऐक्ट म पर्याप्त ऊर्ध्वाधर छू गई। पर परावाष्ठा तो विद्रोह के बाद ताज के शासन हाथ मे लेने पर दृष्टिगाचर हुई जब आर्थिक विपमता की स्थिति से निबटने के लिए, जो युद्ध और अय क्षेत्रा म व्यय के कारण सामने आ गय थे, प्राता पर अपनी पकड मजबूत कर ली। यह स्थिति तबतक चलती रही जब तक कि साठ मेयो ने इस कम-जोरी की पहचान नहीं कर ली और इस क्षेत्र में उल्टी गाड़ी चनानी प्रारम्भ नहीं कर दी गई। इसने सम्बन्ध म इसके पूव जो कुछ हुआ, उसका विवरण यहा वाछनीय है।

हम अपनी बातचीत 1833 के चाटर ऐक्ट से प्रारम्भ कर सकते हैं जिसने प्राता को बेदर की पूव अनुमति गिना कर लगाने व व्यय करन पर रोक लगा दी। स्थानीय सरकारा को कोई शक्ति नहीं प्रदान की गई। स्ट्रैची ने स्थिति का विवरण निम्न शब्दा म दिया है, "ब्रिटिश भारत क हर प्रातो का राजस्व एक घात का घन माना जाने लगा जिसम से व्यय कौंसिल म गवर्नर जनरल द्वारा ही अधि वृत किया जा सकता था यदि यह आवश्यक हो कि दो स्थाना के बीच की सड़क के मरम्मत के लिए 20 पौण्ड व्यय करना हो, या 10 शिलिंग प्रतिमास पर नौकर रखना हो ना आदेश हेतु औपचारिक रूप स भारत सरकार के पास इसकी सूचना भेजनी पडती थी।" नया कार्यालय खोलने, वेतन देन हेतु, गच्युटी या भत्ता देने हेतु प्रेसीडेंसी सरकार को कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। इस सबध म गवर्नर जनरल को ही अन्तिम अधिकार प्राप्त था जिसके अनुमति से ही ये काय हो सकते थे।

डॉ० विशेश्वर प्रसाद न लिखा है कि 1857 के महान विद्रोह तक तो केद्रीय नियंत्रण पयाप्त था पर "व्यवहार म इसम संपूणता नहीं थी। व्यय पर पकड मजबूत करन हेतु और इस तरह शासन के प्रत्येक विभाग का प्रभावी निरीक्षण विद्रोहोपरांत की आर्थिक दुःख-यवस्था के कारण आवश्यक हो गया।" और यह स्थिति तबतक चलती रही जबतक बेदर के पास शक्ति बनी रही और "स्थानीय सरकारा को एक-एक पाई के अपने काम के लिए इस पर निर्भर करना पडा।"<sup>1</sup> इसके तमाम कारण थे।

साम्राज्य की आर्थिक दुदशा के ब्रिए बेदर ही उत्तरदायी था। लगातार होन वाले युद्धो ने बजट को इतना प्रभावित किया था कि पिछले 25 वर्षों म से 18 वष घाट के रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रशासन की आवश्यकताए भी प्रतिदिन बढ़ती गइ। ' ब्रिटिश सप्रभुता के घेरे मे या विदेशी क्षेत्रा के साथ राज्या से राज-

1 विशेश्वर प्रसाद द आरिजिन आफ प्राविंसियल आठोनामी (1941), पृ० 30।



नैतिक सन्ध के लिए एक उच्च नियंत्रण की आवश्यकता थी।<sup>1</sup> पूरे देश में प्रशासकीय एकरूपता की आवश्यकता थी। आर्थिक क्षेत्र का उत्तरायित्व केन्द्र का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति था जिसका भारतीय मामलों में नियंत्रण आवागमन के साधन के वृद्धि के साथ बढ़ता ही गया। केन्द्र ब्रिटिश पूंजीपतियों की साथ और विश्वास गवाना भी नहीं चाहता था जिनका भारत के सावजनिक निर्माण में धन और लगाते रहना आवश्यक था। यह भी आवश्यक था कि उचित व्यवस्था की जाय और उचित सावधानी बरती जाय जिससे कि भारत में विद्रोह जैसी स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाय। और फिर जैसा कि सर एच० एन० डूरण्ड ने लिखा कि जब “जनता का नियंत्रण पूर्णतया भुला दिया जाता है तो जो नियंत्रण शेष रह जाता है वह केवल केन्द्रीय सरकार का रह जाता है।”<sup>2</sup> यदि जनता के पास शक्ति नहीं थी तो प्रान्ता को भी यह नहीं प्राप्त हो सकता था। ये कारण थे जिन्होंने आर्थिक केन्द्रीयकरण की आवश्यकता का अनुभव कराया।

पर इस व्यवस्था में दोष भी थे जिन्हें अधिक दिना तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। चूंकि प्रान्ता को निश्चित उद्देश्या के लिए निश्चित अनुदान प्राप्त होते थे इसलिए वे प्रयास करते थे कि अनुदान जो प्राप्त हो वे आवश्यकता से अधिक हो। और एक बार अनुदान प्राप्त हो जाते तो उनका व्यय प्रारंभ हो जाता जिससे कि मितव्ययता न हो और पूरा धन व्यय हो जाय। केन्द्र के लिए यह भी सभव नहीं था कि वह प्रान्ता के लम्बे चौड़े व्यय की छान-बीन करें। छानबीन का बोझ अत्यधिक बढ़ता जा रहा था और वह केन्द्र के नियंत्रण के बाहर हो रहा था। बहुत सी समस्याओं से पूर्ण विस्तृत देश था और इसके अतिरिक्त भी बहुभाषी जनता और उसके अलग-अलग तरह के सामाजिक व आर्थिक ढांचे। केन्द्र के लिए प्रांतीय आवश्यकताओं, विशेषकर जो मुख्यतया अर्थ से संबंधित थी, को विस्तार से समझाना अत्यधिक कठिन था। ऐसी व्यवस्था में आवश्यक रूप से देरी होती थी तथा केन्द्र और प्रान्ता में अनबन भी हो जाती थी क्योंकि केन्द्र कम देना चाहता था और प्रान्त अधिक प्राप्त करना चाहता था। हर प्रांतों के साथ गुण के आधार पर विचार भी नहीं होता था। सबसे अधिक कठोर गवर्नर सबसे आराम से रहता था जबकि सतोपी और अच्छे लोग परेशान होते थे। यह सामान्य शिकायत थी कि केन्द्र स्थानीय विद्वेष से ग्रस्त रहता था क्योंकि बंगाल में इसकी विशेष रुचि होती थी। यह गलत भी नहीं था। 1853 तक सुप्रीम कौंसिल में मद्रास से एक ही सदस्य रहा गया था जबकि बम्बई से वह भी नहीं। इतना ही नहीं, प्रायः स्थानीय

1 विमलेश्वर प्रसाद, द आरिजिन ऑफ प्रांतीय स्वयंशासन आंदोलनों पृ० 18।

2 7 अप्रैल 1867 का मिनिट, पारा नं० एच० एम० डूरण्ड, ईश्वरी प्रसाद पृ० 96 हाथ उद्धृत।

सरकार से यह कहा जाता कि वे अपनी व्यवस्था बंगाल की तरह कर लें जिसका विरोध किया जाता था। इसके अतिरिक्त मद्रास का आरोप था कि उत्तरी प्रान्तों के प्रति केन्द्र अधिक लगाव रखता है। और प्रांतों का यह कहना था कि जबतक व्यय पर से केन्द्र का नियंत्रण हटेगा नहीं, कोई भी स्थानीय उत्थान संभव नहीं होगा।

1852-53 में जब एक संसदीय जांच पड़ताल इस संबंध में की गयी तो प्रत्येक गवाह ने यह तक दिया कि आर्थिक केन्द्रीकरण उचित नहीं है और उसने इस पर जोर दिया कि स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और 1858 के भारत सरकार ऐक्ट ने यह घोषित किया कि, 'भारत के राजस्व का व्यय कौंसिल में सेक्रेट्री आफ स्टेट के नियंत्रण में ही होगा और इस तरह के राजस्व का किसी तरह का प्रयोग कौंसिल में बहुमत के मत के बिना नहीं हो सकेगा।' यदि भारत सरकार की शक्ति इस तरह सीमित कर दी गयी तो प्रान्तीय सरकारों की शक्ति तो ही नहीं सकती थी।

पर विकेंद्रीकरण की ओर प्रयास जारी रहा और विल्सन, लैंग और सर जान स्ट्रैची ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतः भारत सरकार पर भी कुछ प्रभाव पड़ा और 1870 में लाई मेयो ने इस दिशा में कुछ कारवाइया की। 14 दिसम्बर 1870 के गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के प्रस्ताव में घोषित किया गया कि, "यह उचित ही है कि जहां तक संभव हो प्रशासकीय विकास के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, यह उसी अधिकारी के हाथ में होना चाहिए जिनका तात्कालिक कार्य उसे पूरा करने का हो।" और इसीलिए प्रांतों को कुछ अधिकार हस्तांतरित कर दिये गये।

प्रान्तों को कुछ क्षेत्रों में व्यय का अधिकार प्रदान किया गया। उदाहरणार्थ पुलिस, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, जेल, मेडिकल सेवाएँ, छापाई, सड़कें, असैनिक भवन एवं सावजनिक उत्थान के कार्य। इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व के अतिरिक्त इन्हें अपने प्रशासन के लिए कुछ और धन प्राप्त होता था जिसे प्रांत स्वयं स्थानीय कर लगाकर उस स्थिति में बढ़ा सकता था, यदि उनके यहां घाटा हो और यदि वे अपने व्यय में कटौती नहीं करना चाहते थे। पर जो धन व्यय न हो पाता वह केन्द्र का हो जाता। वैसे यह तब भी प्रान्त के अधिकार में पड़ा रहता। स्थानीय सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह 250 रुपये महीने तक के मासिक व्यय पर नियुक्तियां कर सकता है।

इन बदलावों को उठाकर गवर्नर जनरल ने यह आशा की कि "इससे सावधानी में वृद्धि होगी और व्यय में कमी भी, इससे आर्थिक व्यवस्था में निश्चितता के तत्त्व का आगमन होगा जिसकी अभी तक कमी रही होगी। और इससे केन्द्र और

प्रान्तीय सरकार के बीच काय और भाव में एकरूपता उत्पन्न होगी जिसकी कि अभी तक कमी थी।" इससे आशा थी कि स्थानीय सरकारें अपने सुधार कार्यों में गभीर हो जायेंगी, म्युनिसिपल सस्थाओं को जन इच्छा के अनुरूप शक्तिशाली बनायेंगी तथा यूरोपीयों व भारतीयों के बीच संपर्क में वृद्धि करेंगी।

इसमें सदेह नहीं कि उपरोक्त आशाएँ कुछ सीमा तक पूरी हो गईं। स्थानीय सरकारों ने अपना उत्तरदायित्व ध्यान से अनुभव करना प्रारंभ कर दिया। इससे व्यय में भी बचत हुई और केन्द्र की कठोर बजटिनल छानबीन की आवश्यकता भी कम हो गई। सेक्रेट्री आफ स्टेट ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। पर उसने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि यह व्यवस्था केवल प्रायोगिक है जिसको "सिद्धांत रूप में या विस्तार में परिवर्तित किया जा सकता है।"

पर यह प्रथा अपनी उन बुराइयों सहित जिन्हें हटाया नहीं गया था, अब भी चलती रही। स्थानीय सरकारों को अब भी अपना लेखा जोखा और व्यय अनुमान मांडर और जांच के लिए रखना पड़ता था। और अब केन्द्रीय सरकार को अपनी आवश्यकता बताने में और उसे सन्तुष्ट करने में अधिक कठिनाई नहीं होती थी। यह प्रविधान कि अतिरिक्त धन केन्द्र का हो जायगा, स्थानीय सरकार को धन की बचत में कोई सहायता नहीं करता था। ये प्रस्ताव कि वे 250 रुपये महीने के वेतन तक की नियुक्तियाँ कर सकते थे, कोई घमड़ करने की चीज नहीं थी। प्रान्तों को व्यय के मद ही प्रदान किये गये, उन्हें आय के स्वतंत्र स्रोत नहीं प्रदान किये गये। इससे शक्तिशाली और अधिक विकसित प्रांतों को तो लाभ हुआ पर कमजोर प्रांत "अपनी कमखर्ची दबाव डालने की नीति के कारण और पिछड़े पर जो लेकर" दंडित हुए। 1870-71 के वर्ष के आधार पर ही अनुदान प्रदान किये गए जो एक आर्थिक कठिनाई का वर्ष था। आवश्यकता के अनुसार कोई अंतर पड़ना नहीं था। इस व्यवस्था में प्रत्येक प्रान्त को अपनी आय बढ़ाने के लिए नये कर लगाने पड़ते थे जिसका प्रभाव भूमि पर पड़ता था। पुनः सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने लिखा कि, "स्थानीय सरकार को सीपी जानेवाली सेवाओं और केन्द्र द्वारा अपने पास रख ली जानेवाली सेवाओं में कोई आत्म-समर्पित मिद्धांत का प्राविधान नहीं किया गया है या दोनों के धन के बीच ही।" जबकि एक के पास लाभ की स्थिति थी व दूसरे के पास घाट के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था और वह भी समजन संभव नहीं था।

फिर भी नयी योजना जो चालू की गयी उसके अलग-अलग लाभ थे। इसे हम ऊपर देख आये हैं। इस योजना की महत्ता यह नहीं थी कि आर्थिक विवेकीय कारण को इसने आसमान तक पहुँचा दिया। महत्ता यह थी कि इस दिशा में कदम बढ़ चुके थे। मेयो ने काय चलते रहने देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी जो अंत तक अपने गन्तव्य पर निश्चित रूप से पहुँचता।

मेयो के सुधार का तीसरा पक्ष व्यय और राजस्व के समजन से संबंधित था। पहले तो इसे फिजूलखर्ची रोक्कर और अनावश्यक लोगों को सेवामुक्त करके किया गया तथा दूसरे कुछ नये कर लगाकर। व्यय के "प्रत्येक मद की ठीक से जाच-पड़ताल की गयी तथा इसे निम्नतम सीमा तक ले जाया गया। पर इतना नहीं कि काय-क्षमता इससे प्रभावित हो। इस कम व्यय की पूर्ति आयकर के अतिरिक्त राजस्व से की गयी जिसे लाइ सारे स पहले ही प्रस्तावित कर चुका था। मेयो ने ही इसे लागू किया। कुछ प्रान्तों में नमक कर समान कर दिया गया। नमक-पूर्ति के नये साधन भी विकसित किये गये और इसके माल भाड़े में कमी की गयी। इसका मूल परिणाम यह हुआ कि "आमकर के बावजूद, अपने तीन वष के शासन काल में जो राजस्व आरोपण उसने किया, उसका औसत उसके वाइसरायकाल से और 1868-69 से 10 लाख से कम था। दूसरी ओर व्यय का औसत उसके अपने वाइसराय के काल से एक वष पूर्व से 50 लाख कम था।"<sup>1</sup>

भारत सरकार के अथ सचिव ने मेयो के आर्थिक सुधारों के सामान्य परिणामों की चर्चा इस तरह से की है, "उसने गभीर घाटा उत्तराधिकार में पाया और पर्याप्त मुनाफे में इसे बदला। उसे व्यय अनुमान आदतन अविश्वसनीय ही मिले और उसने इन्हें खूब विश्वस्त बनाकर छोड़ा। उसे लेखा-जोखा बकाये के रूप में मिला और आकड़े अघूरे पर उसने उस सही और पूरा किया। उसे केन्द्र और स्थानीय सरकार के संबंध असतोपजनक मिले। पर उसने स्थानीय सरकार को सौहाद्र से काम करने की स्थिति में किया। उसे अथ विभाग सामान्यतया ढीले-ढाल स्थिति में मिला था जिसे उसने सपूर्ण रूप से कायक्षम बनाया।"

### अथ सुधार

उसके अथ सुधारों में जिनमें से अधिकतर अधिक से अधिक धन बचाने के लिए किये गये थे, कुछ का संबंध सेना से था। मेयो की नीति का मूल मंत्र यह था कि लोगों को कम से कम नौकरी से हटाकर व्यय में कमी की जाय और आर्थिक क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव भी न हो। उसका विचार था कि ऐसा अलग-अलग रेजीमेण्टों को एक में मिलाने से संभव है क्योंकि इससे अलग-अलग केन्द्रों में कटीती हो जायेगी और लोगों को नौकरी से हटना भी नहीं पड़ेगा। इस मद में उसका उद्देश्य 9,48,253 पौण्ड प्रति वष बचाने का था। पर गृह सरकार ने इस सुधार को करके 5,91,440 पौण्ड की बचत कर ली। पर इस व्यय में कमी के बावजूद काय-क्षमता में बढ़ोतरी की गई क्योंकि उसके काम में सेना को बेहतर अस्त्र प्रदान

किये गये। भारत के ब्रिटिश सैनिकों के बर्खा और अनाया के लिए भी प्रावधान किया गया।

भारतीय समस्याओं की सही सूचना के लिए मेयो ने पूरे देश की 21,763 मील की यात्रा की। उसने पता लगाया कि सावजनिक निर्माण में फिजूलखर्चों का एक कारण ऋण के धन से निर्माण काय करना है। उचित देखभाल की कमी इसका दूसरा कारण है। इसके सुधार के लिए उसने सिद्धांत लागू किया कि निर्माण के लिए पहले धन की व्यवस्था की जाय और देखभाल में भी सुधार किया जाय।

रेलवे के काय को पूरा करके और सिंचाई व्यवस्था को ठीक करके दुर्भिक्ष के अवसर पर जनता की रक्षा की चेष्टा भी की गई। पुरानी प्रथा के अनुसार रेलवे का निर्माण प्राइवेट कम्पनियां भारत सरकार के गारंटी पर करती थीं। जैसा कि आंग्ल के ड्यूक ने लिखा, "धन राज्य के साध और अधिकार पर एकत्रित होता जिनमें 5 प्रतिशत की गारंटी दी जाती। शेयर होल्डरों का कोई जाखिम नहीं उठाना पड़ता था, सरकार के लाभ की हर आशा धूमिल ही रहती थी और हानि के लिए अधिक अवसर रहता था।"<sup>1</sup> व्यय अधिक होता था। एक मील के रेलवे लाइन के निर्माण पर 17,000 पौण्ड व्यय होता था। लाड मेयो ने राज्य रेलवे की प्रथा प्रारंभ की जिसके अंतर्गत 5 प्रतिशत के स्थान पर सरकार ने 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत व्याज पर धन एकत्रित किया और प्रति मील रेलवे निर्माण में भी भारी कटौती की गई।

गंगा नहर बढ़ाई गई और 17 वर्ष के बाद पहली बार इसे बोखिल कामा की श्रेणी से अलग किया गया। मेयो ने सिंचाई की एक नयी पद्धति प्रारंभ की जो अलीगढ़ के पास गंगा से प्रारंभ हुई। इसके द्वारा इलाहाबाद से फतेहगढ़ के बीच दोआब क्षेत्र की सिंचाई होनी थी। यह चेष्टा भी की गई कि शारदा नहर के निर्माण द्वारा अवध के पश्चिमी जिला और रोहिलखण्ड के अर्द्ध-पूव क्षेत्र को दुर्भिक्ष और सूखे से मुक्त कराया जाय। इसी उद्देश्य से पश्चिमी रोहिलखण्ड के लिए गंगा से नहरों निकालने की योजना बनायी गई। लोअर जमुना नहर का काय तज किया गया, पश्चिमी जमुना नहर को पर्याप्त विस्तार देने के लिए योजना बनी और यह योजना बनी कि जमुना का पानी दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई के लिए ही लाया जाय। ये सभी योजनाएँ सत्रेद्वारी आफ स्टेट ने स्वीकार कर ली। साथ ही इसी तरह की योजनाएँ गोदावरी और सोन में भी प्रारंभ की गई। और बहुत सारे सावजनिक उपयोगिता के काम विभिन्न प्रांतों में आगे बढ़ाये गये।

1 देखें हटर पूर्वोक्त मलेट वर्गों टामस जाय अल आफ नायक्क पृ० 19  
अन्वदकर, वा० भार० इन्वोल्युशन आफ प्राचिन्सियल फाइनन्स इन ब्रिटिश इण्डिया।

शिक्षा के क्षेत्र में लार्ड मेयो ने 'निस्पदन सिद्धान्त' को पसंद नहीं किया जिसके अंतर्गत यह सोचा गया कि उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि वे जो थोड़े लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे उनसे होकर यह शिक्षा छन छनकर जनता तक पहुंच जायेगी। मेयो ने स्वयं अपने एक मित्र को लिखा, "बरोडा लोगो तक ज्ञान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बाबू इसे कभी नहीं करेंगे। आप उन्हें जितनी ही शिक्षा प्रदान करेंगे वे उतना ही आत्मवेद्रित हो जायेंगे और अपने बड़े हुए ज्ञान को धातक का साधन बना लेंगे।" मेयो ने जोर दिया कि इस देश में प्रान्तीय शिक्षा देशी और ग्रामीण स्कूलों से जुड़ी होनी चाहिए और कुछ वर्गों जैसे मुसलमानों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यह प्रयास भी किया गया कि भारत में यूरोपीयों में गरीबी की शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाय। भारतीय राजाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई जिससे कि वे अपनी प्रजा के भाग्य विधाता के रूप में अधिक अच्छा काम कर सकें।

लार्ड मेयो के काल ही में उसके आदेश से भारत में प्रथम जनगणना की गई। 'स्टैटिस्टिकल सर्वे आफ इंडिया' का संगठन किया गया जिसे जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में पता लगाना था। कृषि और व्यापार विभाग की स्थापना की गई जिसे व्यापार और कृषि की देखभाल करनी थी। इसके कतव्या में यह भी था कि वे कृषकों की भूमि के साधन की वृद्धि के लिए उन्हें धन सुलभ करायें और सिंचाई की व्यवस्था करायें। इस विभाग को प्रांतीय जगल की भी देखभाल करना था।

### स्थानीय स्व शासन

लार्ड मेयो को स्थानीय स्व शासन के विकास में रुचि थी। 1870 में उसके प्रस्ताव का, जो प्रांतीय अर्थ से संबन्ध रखता था, उसके ही शब्दों में, एक उद्देश्य यह था कि यह "पूणतया और ईमानदारी से स्व शासन के अवसर का विकास करेगा, नगरपालिका सस्थाओं को पुष्ट करेगा, देशी और यूरोपीय लोगों को एक दूसरे के निकट लायेगा और पहले से अधिक प्रशासकीय मामला में भी परिवर्तन करेगा।" इसके मूल उद्देश्य में संक्षेप में इस तरह स्पष्ट किया गया, "इसका उद्देश्य अनेक लोगों और जातियों में अच्छे प्रशासन की व्यवस्था है।" संक्षेप में पहले की दशा और मेयो द्वारा किये गये परिवर्तन का संक्षिप्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है।

"वैसे तो काम-क्षमता के हित में स्थानीय सस्थाओं पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ सकता है, पर प्रजातंत्र के हित के लिए एक शक्तिशाली स्थानीय स्व शासन

व्यवस्था अति आवश्यक है।<sup>1</sup> और यह बात वहीं पर इतने उचित ढंग से नहीं समझी गई जितना कि भारत के हिन्दू युग में। लिंडस ने लिखा है कि "ब्रिटिश भारत में म्यांतीय स्व शासन की कहानी हमारे समक्ष उस प्रयास को प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत समस्याओं की हर अच्छाई को ले लिया गया और आवश्यकता अनुसार यदि इंग्लैण्ड में वह लाभदायक रहा तो यहाँ पर उस पुनः आरोपित कर दिया गया।"<sup>2</sup> इस प्रयास में ब्रिटिश प्रायः आधे मन में काय करते जिससे स्थिति सुधारने की जगह पर बिगड़ जाती।

प्राचीन भारत के गाँवों में आत्मनिर्भरता और भाई-चारा की भावना व्याप्त थी। गाँव के ही लोग छोटे से बड़ा सभी काम मिल-जुलकर करते थे। प्रत्येक गाँव की अपनी अपनी पंचायत सरकार होती थी जो कायपालिका और यायपालिका दोनों के अधिकारों को अपने पास रखती थी। इसका प्रधान मुखिया होता था। इसके अतिरिक्त लेखा-जाखा देखने वाला, एक चौकीदार तथा एक शिक्षक होता था। गाँव के अधिकारी और कलाकार गाँव की उपज का कुछ भाग प्राप्त करते थे या उन्हें कुछ भूमि मिली जाती थी। मुगल काल में तो इन्हें वेतन भी दिया गया। प्रत्येक काय में पंचायत का निष्पक्ष प्रधान होता। इनकी विशेष बात यह थी कि वे कोई बात बहुमत से नहीं तय करते थे बल्कि बातचीत से तय करते थे। पंच परमेश्वर में विश्वास ही नहीं किया जाता था बल्कि इस पर चला भी जाता था।

पर जब ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ उस समय तक शासक और ग्रामीणों का सब कुछ पूरा तथा आर्थिक ही गया था। मोरलैण्ड<sup>3</sup> ने लिखा है कि ग्रामीणों पर अवैधानिक बसूली से बड़ा दबाव डाला जाता और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता जिसके कारण धीरे-धीरे गाँव ही बर्बाद हो जाता। इस तरह ब्रिटिशों की तो इसके अवशेष ही मिले। इसे ही उन्हें जितना संभव हो बेहतर बनाना था।

जहाँ तक 'सरल बोर्ड' व्यवस्था का प्रश्न था गाँव के ऊपर सभी चीजें इंग्लैण्ड से आयात करनी थीं। पुरानी व्यवस्था में गाँवों और ऊँचे अधिकारियों के बीच सबंध सूत्र का आधार राजस्व के जलावा कुछ था ही नहीं। पर अब इस सबंध को अपर्याप्त मानकर नये सबंध को तलाश करनी थी। इसके मुख्य सिद्धांत जो बाहर से आयातित थे उनकी आशा थी कि यदि वे इंग्लैण्ड में सफल हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते। वैसे आधे तौर तरीकों से इसे अपनाया गया पर आशातीत सफलता नहीं मिली। तरीका वह अपनाया गया जो यूरोप महाद्वीप में अपनाया गया

1 शर्मा एम० पी० लाबल सरकारी गवर्नमेंट इन इंडिया पृ० 8।

2 लिंडसे ज० एच० कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 6, पृ० 511।

3 मोरलैण्ड द अग्रिकल्चरलिस्टिक ऑफ माइनें इंडिया अध्याय 8।

जिसके अतगत स्थानीय सस्थाए कठोरता से कमचारियो द्वारा नियन्त्रित होती थी।

1870 से पूर्व विकसित यह व्यवस्था सभी जगह समान नहीं थी। जिस तरह से विभिन्न स्थानीय सरकारों के काय का स्वभाव था, वैसे ही स्थानीय लोगों का जीवन और उनकी दशा भी थी। इस तरह प्रत्येक प्रांत में अपने अपने ढंग की ग्रामीण सस्थाए विकसित हो गईं। उदाहरणार्थ बम्बई में बम्बई कौंसिल द्वारा पारित 1869 के एक्ट 3 के अनुसार बम्बई सरकार को इसके लिए अधिकृत किया गया कि वह स्थानीय सावजनिक उपयोगिता के लिए धन की व्यवस्था करे तथा इस धन के उचित व्यय के लिए स्थानीय समितिया बनाये। इस तरह की समितिया शीघ्र ही प्रत्येक जिले में एक एक बनाई गईं जिसके नीचे तालुको और जिला सब डिवीजनो में इनका निर्माण हुआ। इनमें से प्रत्येक में नामित सदस्य भी रहते थे जिसका नेतृत्व स्थानीय अधिकारी करता था। इनके अधिकार में काफी धन राशि व्यय हेतु रखी जाती थी।

बंगाल में दूसरी ओर सरकार ने 1816 के रेग्यूलेशन 19 के तथा 1816 की धारा 6 के अधीन फेरी की व्यवस्था सभाली। इसमें होने वाली बचत से स्थानीय जनहितकारी व उपयोगी काय जैसे सड़क और पुलों के निर्माण पर व्यय किया जाता था। प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुमान के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में स्थानीय समितिया बनाई गईं जिससे कि अनुदानित धन का सही प्रयोग हो। पर इन समितियों को स्वयं धन व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।

देश के कई भागों में जनहित के कार्यों के लिए भूराजस्व व्यवस्था होते समय ही एक निश्चित कर लगाकर धन एकत्रित किया गया। इस तरह से एकत्रित धन-राशि जिलाधिकारियों द्वारा व्यय की जाती थी जिनकी सहायता के लिए भारतीय और अंग्रेजों की मिली जुली समितिया होती थी। इनके प्रस्ताव पर काय किये जाते थे।

इस तरह 1870 से पूर्व वैसे तो ग्रामीण समितिया स्थापित करने की चेष्टा की गई जिसका उद्देश्य सावजनिक उपयोगिता के काय करना था, पर ये समितिया न तो शक्तिशाली थी और न प्रतिनिधित्व वाली। न ही पूरे देश में उनकी रचना एक तरह की होती थी और न उनके पास धन ही पर्याप्त था। इस दिशा में कुछ काय मेयो के काल में किये गये जिसका आधार था उसका 1870 का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूस ने सफाई, मेडिकल सुविधा और शिक्षा जैसे स्थानीय विषयों पर जोर दिया था जिसका विकास स्थानीय सरकारों, स्थानीय सस्थाओं और स्थानीय करो द्वारा किया जाना चाहिए। प्रांतीय



सरकारो ने शीघ्र ही पहल की और जल्दी ही ये स्थानीय कर व चुगिया वैधानिक हो गये। इन्हें वहाँ भी जोड़ दिया गया जहाँ ये थे भी नहीं। पूर देश में जिला समितिया बनाई गईं, ठीक उसी तरह जैसे बम्बई प्रसीडेन्सी में थी, जो इन धन का प्रयोग करती थीं। वैसे तो बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल में भारतीय सदस्यों ने इन स्थानीय करों का विरोध किया था। यहाँ पर इसे केवल सड़क निर्माण के लिए, जो दुर्भिक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक था, व्यय किया गया। शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए यहाँ इससे धन नहीं कम किया गया।

इस तरह पहली बार 'रूरल बोर्ड' की रचना की ओर निश्चित वैधानिक कदम उठाये गये। वैसे जो इस तरह से समितिया बनी थी वे अभी भी लोकतांत्रिक और प्रभावी नहीं थी। सरकारों कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित और संचालित ये समस्याएँ उच्च सरकारी अफसरों की ओर प्रेरणा के लिए देखती थीं न कि जनता की ओर। सदस्य भी इन कारवाइयों में अधिक रुचि न लेते क्योंकि वे जन प्रतिनिधि तो थे नहीं और न उनको सेवा करने की उनकी मनोभावना ही थी। उनकी बैठकों में उपस्थिति कम होती और इसीलिए जिलाधिकारियों के कार्य को हल्का करने के स्थान पर इसके बोझ को ये बढ़ा ही देते। मेयो प्रशासन-काल में स्थानीय स्व शासन की संस्थाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।

मेयो के कार्यकाल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना 1872 का बम्बई म्युनिसिपल ऐक्ट था जिसने नगरीय प्रशासन के मामले में बहुत दिना तक दूसरों के लिए प्रेरणा का काम किया। 1856 तक बम्बई का विकास अन्य प्रेसीडेन्सी नगरों की भाँति हुआ। अंतर केवल इतना था कि जहाँ कलकत्ता के लिए 1840 का ऐक्ट बना, मद्रास के लिए 1841 का ऐक्ट बना वहाँ बम्बई के लिए 1845 का ऐक्ट बना जिसने 'कन्जवैसी' बोर्ड के हाथ में सारी शक्ति सौंप दी। इस बोर्ड में 2 यूरोपीय, 3 भारतीय और पुलिस का मजिस्ट्रेट चेयरमैन बनाये गये। 1858 के बम्बई ऐक्ट 26 ने बम्बई को नगरीय कर लेने के लिए अधिकृत किया जिसने बदले में उसे पुलिस को उसके कार्य के लिए धन देना पड़ा। इस एक निश्चित धनराशि 'वेहार वाटर वर्क्स' के लिए अलग से रखनी पड़ती थी।

पर 1865 के बम्बई म्युनिसिपल ऐक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन किम गये। 500 लोगों की 'शांति के समिति' की एक सभा बनायी गई जिसका कार्य बजट पर नियंत्रण रखना था। पर सभी कार्यपालिका की शक्ति एक अत्यधिक बतनभोगी सरकारी अधिकारी के हाथ में रखी गयी। पुरानी प्रथा में आर्थिक क्षेत्र में कमियों के कारण एक विशेष 'कंट्रोलर आफ एकाउंट्स' की नियुक्ति की गई जिसे चेयरमैन से स्वतंत्र होना था पर जिसका हस्ताक्षर हर व्यय पर आवश्यक था।

पर यह व्यवस्था भी उचित रीति से नहीं चल सकी। 'यायिका की सख्या इतनी अधिक थी कि वे ठीक से काय ही नहीं कर पाते थे। चेयरमैन इसलिए अलोकप्रिय हो गया क्योंकि वह कार्पोरेशन की सहायता के बिना काय करता था और कंट्रोलर ने अपने को चेयरमैन के अधीन बनाकर प्रभावहीन कर लिया था। फिरोजशाह मेहता के नेतृत्व में उदारवादिया ने परिवर्तन की एक तगड़ी भाग ली।<sup>1</sup>

इसी कारण 1872 में बम्बई में म्युनिसिपल ऐक्ट को पारित किया गया जिसने कार्पोरेशन के सदस्यों की सख्या घटाकर 64 कर दी जिनमें से 16 रेजीडेन्ट 'यायाधीशों द्वारा चुने जाने थे और 16 सरकार द्वारा नामित होने थे और शेष 32 करदाताओं द्वारा चुने जाने थे। कायपालिका की शक्ति कमिश्नर के हाथ में निहित थी। पर यह प्रावधान बिया गया कि कार्पोरेशन के 'स्टैंडिंग कमिटी' द्वारा लेखे जोखे का साप्ताहिक आडिट किया जायेगा। इसको टाउन काउंसिल भी कहते थे। मासिक आडिट के लिए वेतनभोगी ऑडिटर नियुक्त किये गये।

यह व्यवस्था इतनी उचित रीति से काय कर रही थी कि अब इसमें अधिक परिवर्तन नहीं किये गये। इस तरह बम्बई "ने पहली बार ही सतोपजनक रीति से स्थानीय स्व शासन की समस्या को सफलतापूर्वक ही हल कर लिया था। यह अंग्रेजी आदर्शों पर न होकर स्वयं विकसित किया गया था।"<sup>2</sup>

शाही यात्रा—लाड मेयो को ही भाग्य से यह सौभाग्य मिला कि वह भारत के राजाओं और जनता के समक्ष प्रथम बार अंग्रेजी शासक के पुत्र को प्रस्तुत करे। हिज रायल हाईनेस यडिनबरा के ड्युक ने इस देश की यात्रा की। डब्लू० डब्लू० हटर लिखता है कि 'जनता ने 'जिस स्वामिभक्ति से उसका स्वागत किया वैसा भारत के इतिहास में पहले देखने में नहीं आया था।'<sup>3</sup>

### भारतीय राज्यों के साथ संबंध

भारतीय राजाओं के साथ लाड मेयो के संबंध मधुर थे। विद्रोह के उपरान्त यह सिद्धान्त स्थापित हो चुका था कि देश की करोड़ों जनता, जो राजाओं के अधीन थी, वह अब ब्रिटिश भारत का भाग है और उनकी उचित देखभाल का उत्तरदायित्व रानी ने स्वयं ग्रहण किया है। इस तरह अब सीधे उनके राज्य के

1 दूरें टिकर ह्यू फाउंडमन आफ लोकन सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया पाकिस्तान एण्ड बर्मा प० 37-41।

2 लिट्ले पूर्वोद्धृत प० 527 आनन् सो० एल० पूर्वोद्धृत प० 146-86।

3 हटर डब्लू० डब्लू० पूर्वोद्धृत, प० 185।

समाना स घन चमूला करता था। इस अरसर पर उस क्षेत्र की यात्रा कर उमने रा के विरुद्ध बनीला की मनोभावता या उमारा। जब तक सैय्यद अहमद रणजीत की सीमा पर दूर यह कारवाई करता रहा, अंग्रेजान काई एतराज नहीं किया। ब्याह तो यह तब की कि सैय्यद अहमद ब्रिटिश के हाथ या बटपुतली या जो या के विरुद्ध कारवाई कराने के लिए उत्साहित किया जाता था। जो भी हा, 127 तब सैय्यद अहमद सिंगा के विरुद्ध एा स्वस्थ विरोध उत्पन्न करने की प्रति म हा गया। उसन जेहाद की घोषणा की, सीमा के बहुत से मुसलमाना का यन जुटाया पेशावर पर अधिकार किया और यार मुहम्मद खान की सिध नरी के पद से हटा दिया। प्रसिद्ध सिध सनापति हरिसिंह नलवा न सेनाए आगे ाकर सैय्यद अहमद को मद्रूम पराजित किया और पशावर पर पुन अधिकार र लिया। जब ऐसा लगा कि शांति स्थापित हो चुकी है उसी समय सैय्यद अहमद कारवाई और तेज हा उठी। यार मुहम्मद खा को मार डाला गया और पेशावर र सिधा के हाथ से निबल गया। एसा लगा कि नगर सदा के लिए हाथ स निबल रा और सैय्यद के समझना म धूब प्रसन्नता व्याप्त हा गयी। पर उनकी सफलता शकालिक सिद्ध हो गयी। रणजीतसिंह के सनापति बतुरा ने आग बढकर सैय्यद म मार डाला और अफगान नगर पर अधिकार कर लिया जो पुन पजाब के हाथा कभी नहीं निबला।

वहा की पेशावर मे पराजित कर दिये गय, पर आदोलन समाप्त हाने की जगह र इसके बाद दूसरी ही शकल अस्तित्वार कर गया। बहाबिया का विरवास या कि य्यद पुन जन्म लेगा। इस तरह पटना को केन्द्र बनाकर इन्हाने अपने को फिर से गठित करता प्रारंभ कर दिया। 1849 म ब्रिटिश द्वारा पजाब पर विजय के द यह आदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया। पर चूकि उनके मोलवियो और कुरान म यह आदेश था कि जेहाद एा क्षेत्र की जनता अपनी ही सरकार के विरुद्ध नहीं र सकती है इसलिए बंगाल और बिहार के अधिकतर व मुसलमान, जो इस आदोलन के प्रभाव म थे, वहा से आदमिया व घन की सहायता आती रही। यह सब रोमा पर मुल्ता सित्ताना म पहुंचाया जा रहा था जहा लडाई की तयारिया तेजी र थी। 1857 मे बहाबियो न अवसर का लाभ उठाकर कुछ इसलिए नहीं किया याकि वे डरते थे कि उनके परिवार से बदला लिया जायगा। पर यह आदोलन ज होता और जोर पकडता गया, इस बात से प्रमाणित है कि इनके विरुद्ध 1862 तैर 1868 मे आक्रमण किये गये। पजाब सरकार स भी पता लगाने के लिए कहा या कि आखिर सीमा पार भारतीय घन कैसे जा रहा है। अम्बाला जसी जगहो र बहाबियो की शक्तिशाली बस्तिया थी जिसे समाप्त करने को कहा गया। तमाम हाबियो का बंदी बनाया गया और उनके नेताओ को लंबे अवधि तक की कैद की रजा दी गई।

इन्ही परिस्थितियों में मेयो भारत आया। उसकी पर-आरोपण और सामान्य प्रशासन नीति ने परंपरागत भारतीय आदतों और व्यवहारों को समाप्त करने की चेष्टा की जिससे कि असतोष उत्पन्न हुआ और उससे वहाबियों ने भी लाभ उठाया। वहाबियों और उनके तरह के लोगों को अधिक सख्तता में उस समय बंद किया जाने लगा और बड़ी सजाएँ दी जाने लगीं जब पुलिस की यह रिपोर्ट आई कि वे ब्रिटिशों के विरुद्ध जिहाद की शिक्षा दे रहे हैं। 1869 और 1871 के बीच तमाम औपचारिक दंड की कारवाइयाँ प्रारंभ हुईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका धीश नामन ने 'बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक प्रायः अस्वीकार कर दी थी जो एक बंदी नेता अमीर खा की ओर से प्रस्तुत की गई थी। वह उसके तथा चार अन्य के विरुद्ध दंड देने हेतु अपीलें ही सुनने वाला था कि उसकी हत्या कर दी गई।<sup>1</sup> बताया गया कि हत्यारा निश्चित रूप से वहाबियों से सम्बद्ध था।"

पर लाड मेयो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वहाबियों के विरुद्ध केवल प्रतिरोधात्मक कारवाइयाँ से काम नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष पर-आरोपण से पर्याप्त असतोष उत्पन्न हुआ जिसपर वहाबियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने आयकर को दो बार घटाया और उसने प्रांतों को भी स्थानीय करों के मामले में उसी तरह की नीति अपनाएँ को कहा होता, पर उससे पहले ही वह एक मुसलमान हत्यारे के हाथ का निशाना हो गया जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। पर उसके द्वारा प्रारंभ की गई इस नीति से सकेन चिह्न प्राप्त कर उसके उत्तराधिकारी लाड नाथ ब्रूक ने आयकर को एकदम समाप्त कर दिया और स्थानीय करों में भी फेरबदल की। इसके साथ ही इस मामले को लेकर लोकप्रियता प्राप्त कर रहा असतोष दूर हो गया और वहाबी आंदोलन भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया।

### बूबा आंदोलन

मेरठ में विद्रोह के एक माह पूर्व 12 अप्रैल 1857 को पंजाब में नामधारी नामक एक सामाजिक व राजनैतिक संस्था की स्थापना गुरु रामसिंह ने की। ये नामधारी सिख मतों का उच्चारण करते हुए या उसका नाम दुहराते हुए प्रायः भाव विभोर हो जाते और चीखने चिल्लाने लगते। ये अपने हाथ में पगडियाँ ले लेते और हवा में अपने बाल फहराते हुए बूबा या चिल्लाने वाले कहलाने लगे।

रामसिंह 1815 में लुधियाना जिले के एक गाँव भेनी अरायियाँ में पैदा हुए। वह एक गरीब बड़ई जुस्ता सिंह के सहचरे थे। उन्होंने गुरुमुखी भाषा में पढ़ना और

1 मोल्हन लाल लाड नाथ ब्रूक इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन 1872-76 पृ० 5।

2 देखें मस्फेजर हिस्ट्री ऑफ द सिख स भाग 1, पृ० 196 पेशावर, पृ० इतिहास पानिपी इन इण्डिया, 1858-1905, पृ० 96-99।

लियना सीखा, 1822 में विवाह किया और 22 वर्ष की आयु में राजा नौनिहाल सिंह की सेना में भर्ती हो गया। 1838 में 'बालक' सिंह नामक एक सामाजिक सुधारक के प्रभाव में आ गया। 1847 में उन्होंने सिंधिया में फैली कुछ बुराईयाँ के विरुद्ध शिक्षा देना प्रारंभ किया। वे सिख गुन्धों से संबंधित सौधिया और बड़िया की भत्सना करने लगे जिन्हें पूजा जाता था। उन्होंने सिंधिया पर हिन्दू ब्राह्मणों और मुस्लिम पीरा के प्रभाव की भत्सना की। उन्होंने सिंधिया को 10वें गुरु गाविन्सिंह के सिद्धांतों के अनुसार काय करने की सलाह दी।

1857 में वंशाधीन के दिन रामसिंह ने अपने ही भाय भैनी में नामधारी आंदोलन का सूत्रपात किया जिसमें 4 सिंधिया को इसका प्रथम मदस्य बनाया गया। उन्होंने अपने प्रांत में इसकी शिक्षा के 22 केन्द्र स्थापित किये। प्रत्येक केन्द्र पर उन्होंने सूबा नामक अपना एक सहायक शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, दक्षिण में हैदराबाद, बनारस, लखनऊ, नेपाल और काबुल में भी उन्होंने सूबा नियुक्त किए। 1864 तक सूबा को नियुक्त करने का काम पूरा हो गया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रामसिंह की शिक्षा का प्रचार किया करते थे।

प्रारंभ में स्यालकोट, अमृतसर, हाशियारपुर और नुघियाना जिला में नामधारी कारवाइयाँ का गड़ बसा। पर बाद में इनका प्रभाव फीरोज़पुर, लाहौर और गुजराणवाला में भी बढ़ गया। केवल सिंधिया ने ही इस आंदोलन को अधिक सख्या में नहीं अपनाया बल्कि हिंदू भी इससे आकर्षित हुए। 1871 तक आते-आते ज्ञानी रतनसिंह ने मि० कोया की अदालत में स्पष्ट किया कि कूबा लोग की सख्या 10 लाख है जिनमें से एक तिहाई केशधारी<sup>1</sup> और शेष सहजधारी<sup>2</sup> हैं।

रामसिंह ने अपने समर्थकों से यह कभी नहीं कहा कि वे भीख मागे या इधर उधर नौकरी न प्राप्त कर भिखारियों की तरह घूमे। कूबा हर पेशों में पाए जाते थे। वे व्यापारी व सौदागर भी थे तथा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने वाले भी। वे पुलिस और सेना में भी थे जहाँ इनकी सख्या का पता लगाना कठिन था क्योंकि वे इस सेवा में विशेष उद्देश्य के लिए भर्ती होते थे और कूबाओं से अपने संबंध के विषय में कभी किसी से नहीं बताते थे।

जैसे जैसे समय बीतता गया, रामसिंह की शान शोकत में वृद्धि होती गयी। जब वह बीरे पर निकलते तो उनके काफिले में कई सूबा और शानदार घुड़सवार होते थे। वे सभी सुंदर सफेद वस्त्र से सजे होते थे। उनके समर्थकों ने उन्हें गुरु की सजा दी और गुरु नानक की परंपरा में उन्हें एक उत्तराधिकारी माना। वैसे उन्होंने

1 वे जिनके लम्बे लम्बे बेश थे।

2 वे जिनके बेश लम्बे नहीं थे।

रगून मे अपने निर्वासन स्थान से जो चिट्ठिया भेजी उसमे उन्होने इन कार्यों की भत्सना की। पर ऐसा लगता है कि यह काय उहनि कठोरता से नहीं किया। इसी कारण कूका लोगो मे 10 गुरुओ की तुलना मे उनका महत्त्व बिकसित हुआ। रामसिंह 1885 मे निवासन की अवस्था मे बर्मा मे मर गये।

उनके सिद्धांतो की प्रमुख विशेषताए ये थी—“उहाने सिखो मे जाति के भेदभाव को समाप्त किया, सभी वर्गों मे बिना भेदभाव के विवाह की वकालत की, विधवा विवाह के आदेश दिय, शराब और मादक चीजें प्रयोग करने से रोका, स्त्री-पुरुषो को स्वतंत्र रूप से मिलने जुलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, पुरुष और स्त्री एक साथ उनकी सभाओ म प्रलाप करते देखे जाते थे और हजारो स्त्रियो व युवा कयाओ ने उनका पथ अपनाया, उन्होने अपने शिष्यो को स्वच्छ और सत्यवादी रहने को कहा। उनकी एक शिक्षा मे कहा गया, 'यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समथक के साथ चलता है। 'ग्रथ' ही उनका स्वीकृत ग्रथ है। उनके भ्रातृत्व की जानकारी उनके पगडी, सिद्ध पग से हो सकती है तथा सफेद ऊनी रस्सी की माला से, जिसमे गाँठें दे देकर मनका का रूप प्रदान किया गया है और जिसे सभी पहनते हैं।' वे मकबरा और मदिरो मे विश्वास नहीं करते और मूर्ति भजक ह ॥

धार्मिक दृष्टि से कूका हिंदुओ और सिखो के बीच मे पडत थे। वे मध्य-यागी थे, सादा जीवन बिताते थे और हाथ का बुान शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। वैसे तो रामसिंह ने इससे इनकार किया, पर सिखा के विपरीत वे यह मानते थे कि दसवें गुरु की देवी आत्मा ने गुरु बालक सिंह मे प्रवेश किया और फिर वह एक के बाद एक रामसिंह, हरिसिंह और प्रताप सिंह म भी आती गयी। कूका लोग सिखो के पांच चिह्न धारण करने के सिद्धांत का सख्ती से पालन करत थे और अय सिखो की परम्पराओ को भी मानते थे। अपने सामाजिक विश्वासा म वे बाल विवाह के पक्ष मे नहीं थे। वे बाल-हत्या और दहेज प्रथा का विरोध करते थे। नामधारी लोग सच मे धार्मिक दृष्टि से विवाह मे 13 रु० से अधिक व्यय न करने के लिए वचनबद्ध थे। उनमे यह चीज जाज भी चली आती है।

स्त्रियो के लिए समान स्थिति प्रदान करने के पक्ष मे भी कूका थे और साथ ही सवण हिन्दुओ तथा जछूतो के बीच विवाह सबध स्थापित करने मे विश्वास करते थे।

1935 मे प्रकाशित एक लेख मे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने

1 छाबडा, जी० ए० सोमन ए० इरोनामिष हिस्ट्री ऑफ द पंजाब आराजिनल होम, 1872 जुडीसियल अपेक्ट, 273 274 पृ० 2444-49।

2 इपाण, बच्छा, बेरा, बड़ा और कज (कथा)।

लिया, "गुरु रामसिंह १ राजनैतिक स्वातंत्रता का धर्म का ही एक भाग माना। नामधारियों का मगठन बहुत शक्तिशाली हो गया। बहिष्कार और असहयोग का मिश्रण जिसे महात्मा गांधी १ पूरी शक्ति से स्वतंत्रता आन्दोलन में बनाया, उसे गुरु रामसिंह ने नामधारियों के लिए चलाया था।"

गुरु का असहयोग आन्दोलन निम्नलिखित पांच मिश्रणों पर आधारित था—

- 1 सरकारी सेवाओं का बहिष्कार।
- 2 ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार।
- 3 उनके द्वारा स्थापित कानून का बहिष्कार।
- 4 विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार।
- 5 सरकार के उन आदेशों का पालन न करना जो उचित न हों।

और नामधारी अपना सिद्धान्त पर इतना दृढ़ थे कि स्वतंत्रता के बाद भी उनके गुरु महाराज प्रताप सिंह और उनके पुत्र ने ब्रिटिशों द्वारा प्रदान की गई जीवन का आधुनिकतम आवश्यकताओं का परित्याग कर दिया।

नामधारियों की पंजाब प्रांत के हर क्षेत्र में अपनी अलग से डाक-व्यवस्था थी जो काय समयपूर्वक चलती थी और जिसका परित्याग स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ही किया गया।

अपने शिष्यों पर सीधे नियंत्रण हेतु भाई रामसिंह ने पंजाब के सभी भागों में सूबों और नायब सूबों की नियुक्तियों की जिनमें से अधिकतर अमृतसर, स्यालकोट, जालंधर, फीरोजपुर, लुधियाना, अम्बाला और कर्नाल जिलों में थी। इसके अतिरिक्त मालेर कोटला, नाभा, पटियाला और सगूर में नियुक्तियों की गईं।

कूबाजा ने अपने काका की सहायता में राज्य पुलिस और सना में भी भर्ती कराया और इस तरह सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग करने का निश्चय किया। इन सेवाओं में कूबा अपना परिचय गुप्त रखते थे। कश्मीर के महाराजा ने ऐसी एक कूबा रेजीमेंट गठित की थी जिसे ब्रिटिशों के कहने पर उन्होंने समाप्त कर दिया।

अपनी राजनैतिक योजना को सफल बनाने के लिए भाई रामसिंह ने अपने काम क्षेत्र का दायरा नेपाल, भूटान, कश्मीर और अन्य राज्यों तक फैला दिया। यहां के शासकों से नामधारियों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया। कहा जाता है कि भाई रामसिंह का झाली की रानी से सम्पर्क था तथा 1856 के अंग्रेज क्रांतिकारी नेताओं से भी। उन्होंने रूसी तुर्किस्तान के गवर्नर के माध्यम से रूस से भी पत्र व्यवहार किया। भाई को यह विश्वास था कि रूस वाले भारत पर आक्रमण अवश्य करेंगे और उनकी सहायता से ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ा जा सकेगा।

रूसी तुर्किस्तान में एक ब्रिटिश जासूस कुतुब खा ने पंजाब प्रशासकों के पास यह सूचना प्रेषित की कि एक गुरु चरण सिंह नामक व्यक्ति जो स्यालकोट जिले के चाक रामदास नामक स्थान का निवासी है रूसी तुर्किस्तान में एक स्थान पर 1 मई 1879 को हिंदी (गुरुमुखी) में लिखा एक पत्र लेकर पहुंचा है जो संभवतः कूबा नेता का लिखा बताया जाता है और जिस पर और लोगों के भी हस्ताक्षर हैं। सूचना प्रदान करने वाले के अनुसार इसका प्रारंभ इस तरह से हुआ था, "रूसी सम्राट, गवर्नर जनरल और अन्य रूसी अधिकारियों को सलाम। और इसमें आगे कहा गया था कि रामसिंह 3 15,000 कूबाओं का आध्यात्मिक नेता है। वे सब बहुत वीर हैं और यह कि निरंकुश ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रगून में कैद कर रखा है। पर लुधियाना के निवासी उन्हें हर चीज की सूचना भेजा करते हैं और बाद ब्रिटिशों को भय है कि पंजाब कूबाओं के हाथ में चला जाएगा" जो निश्चित रूप से घटित होने वाला था।<sup>1</sup>

1881 के अप्रैल माह में पंजाब का लेफ्टीनेंट गवर्नर जनरल सर राबर्ट इगटन भारत सरकार पर यह दबाव डाल रहा था कि 1818 के रेगुलेशन 3 के तहत "गुरु चरणसिंह को बंदी बनाने के लिए कौंसिल में गवर्नर जनरल से आदेश प्राप्त किया जाय।"

गुरु चरणसिंह पहले से ही बंदी था और लाहौर में रखा गया था। पर पंजाब सरकार को यह नहीं ज्ञात था कि उसे बिना मुद्दमा चलाय कैसे अपने प्रभावी नियंत्रण में रखा जाय। इसलिए 1818 के रेगुलेशन 3 का सहारा लिया जा रहा था। उनकी दृष्टि में गुरु चरण सिंह को मुक्त करना खतरा से खाली नहीं था क्योंकि वह मध्य एशिया के रूसी प्रशासकों और असतुष्ट कूबाओं के बीच संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। धूमन की स्वतंत्रता प्राप्त कर वह रूसियों से प्राप्त प्रतिष्ठा का बदला चुकाने में नहीं चूकेगा और रूसियों द्वारा पंजाब पर अधिनार की योजना से लाभ उठाने का भरसक प्रयास करेगा। भारत सरकार ने अंततः उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

1863 में कूको का व्यवहार मूल रूप से शांत दिया। 1867 में पंजाब के पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल ने यह बताया कि उनकी संख्या बढ़त पर है पर इस समुदाय की कारवाही बढ़ने से कोई खतरा नहीं है।<sup>2</sup> 1868 में यह रिपोर्ट आई कि

1 देखें फारेन (सीक्रेट) जनवरी, 1882 का स, 558 99 चाबका पूर्वोक्त पृ० 129 31।

2 ओरीजिनल होम 1872 जूराशियन अग्ल, 273 274 पृ० 244-49, चाबका पूर्वोक्त, पृ० 129 32।

3 सेक्टर की सोशल एण्ड इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ पंजाब, (1849 1901), पृ० 129 31।



कूकावाद पतनवत है और रामसिंह के ईश्वरीय शक्तियों पर से अनुभवी घम परिवर्तन वाला का विश्वास हिल उठा है।<sup>1</sup>

बहुत दिनों तक कूकाओं ने मदिरो या मूतिया को अपमानित करने या तोड़न तथा बूचड़ों व अर्थों को मारने के अलावा अधिक कुछ नहीं किया क्योंकि इनका सदेह था कि ये ही पशुओं की हत्या करते हैं। पर फरवरी 1869 में मुक्तसर के निकट तेरा में कूका विद्रोह ने तथा कुछ अन्य विवरणों ने, जिसे अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर ने भी स्वीकार किया, नि सदेह सिद्ध किया कि कूकाओं का उद्देश्य सिख शासन की वापसी है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे ब्रिटिशों के विरोधी हैं।<sup>2</sup>

1871 में फीरोजपुर के छोटे नामक गांव में कूकाओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें रामसिंह भी उपस्थित थे। पर दुर्भाग्य से वे यहाँ दो दलों में विभाजित हो गये और रामसिंह के समझान पर भी वे आपस में लड़ने लगे। कुछ कूका रामसिंह के नियंत्रण के भी बाहर हो गये और उन्होंने बहुत से बूचड़ों को मार डाला जिन पर उन्हें सदेह था कि वे पशुओं को मारते थे। 4 जून 1871 को अमृतसर में बूचड़ मारे गये और 16 जुलाई 1871 को राजकोट में। कुछ कूकाओं को पकड़ा गया और फासी दे दी गई और बहुतों को जेल जाना पड़ा या अथ दंड दिया गया।

पर 1872 में और गभीर विद्रोह भड़का। 11 और 12 जनवरी को कूका भेती गांव में मिले जहाँ रामसिंह भी मौजूद थे। सम्मेलन के बाद कूका तितर-बितर हो गये। इनमें से कुछ ने मालेर-कोटला पर आक्रमण करके जीतने का निश्चय किया। वस तो रामसिंह ने इसकी सूचना ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही दे दी पर कूकाओं को कठिनाई उत्पन्न करने में सफलता मिल गई। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर एल० कोवा और अम्बाला क्षेत्र के कमिश्नर फोरसीथ ने इस पर गभीर रुख लिया और उनके आदेशों के अंतर्गत 49 कूका नेताओं को मौत की सजा दी गई।

फोरसीथ ने पंजाब के कृते सचिव को यह परामर्श भेजा कि रामसिंह को बर्मा में देश निकाला दे दिया जाय। पटियाला के महाराजा ने भी ऐसा ही एक पत्र लिखा। इसमें फलस्वरूप लाड नाथ ब्रुक ने इस तरह का आदेश भेज दिया। रामसिंह की बर्मा में ही 1885 में मृत्यु हो गई।

यह कहा जाता है कि कूका लोगों का धार्मिक स्थान पर आक्रमण, क्योंकि

1 ओरीजिनल होम, 1872, जूडीसियल, अग्रत 273 274 प० 2464 96 छावना पूर्वोक्त।

2 वही प० 2419 छावना पूर्वोक्त।

वै मूर्ति भजक थे, पड़ोसियों के लिए बप्टिस्ट का कारण बन गया। सच्ची नैतिकता, जो उन्होंने प्रारंभ में चलाई थी, उसका स्थान बेलगाम चीजाँ ने ले लिया जो धार्मिक उत्साह के नाम पर प्रचार में आ गई थी। स्त्रियों और पुरुषों का एक साथ नये नाचना और चरित्रहीनता में लिप्त हो जाना, समाज के अच्छे लोगों से दूर हो जाने का कारण बन गया था।<sup>1</sup>

जैसा कि ज्ञानी रतनसिंह ने रहस्योद्घाटन किया कूका लोगों की संख्या 1871 में 10 लाख थी। पर 1881 के पञ्जाब जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 10,541 थी। पूरे प्रांत में ब्रिटिश क्षेत्र काल में ही 1901 में इनकी संख्या बढ़कर 13,788 हो गई।<sup>1</sup>

रामसिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी गुरु हरिसिंह हुए जिन्हें अपने गांव भेनी के घर से निकलने की आज्ञा 21 वर्ष तक प्रदान नहीं की गई। उनका 1906 में देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी प्रतापसिंह हुए। 1914 के विश्व युद्ध काल में ब्रिटिशों को कूकाओं की भूमि देकर और अन्य साधना से प्रसन्न करने की नीति अपनाई पर सफलता नहीं मिली इसलिए निरक्षुभ नीति अपनाई गई। 1920 में कूकाओं ने अपने समाचार पत्र 'सतयुग' का प्रारंभ किया और 1922 में दैनिक कूका निकालना प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो कूका लोगों ने इसमें प्रसन्नता से भाग लिया। गांधीजी ने स्वयं बहुत-सी बातें कूका लोगों से सीखी और भारत में सामाजिक और राजनैतिक क्रांति लाने के लिए अपने कदमों में कई परिवर्तन किए।

## अफगानिस्तान, कलात, उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बंध

### अफगानिस्तान

1869 में लार्ड मेयो ने डिजरेंली को लिखा, "मेरा विश्वास है कि यदि मुझे अपनी नीति अपनाने का अवसर प्राप्त हो तो मैं अपने सीमाक्षेत्र मकरान के बिनारे से लेकर उत्तरी तुर्किस्तान व चीन तक मिलते और स्वतंत्र राज्यों की एक पट्टी बना सकता हूँ जिनका कार्य यह होगा कि वे ब्रिटिश हिता के प्रति शुभेच्छु हों।"<sup>2</sup>

अफगानिस्तान पट्टी के इस ओर था और हम यह देख चुके हैं कि किस तरह सरजॉन लारेस के समय में अफगानिस्तान के प्रति प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई गई। लारेस ने, दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के बाद उससे उत्तराधिकारियाँ के काल में जो आन्तरिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था। शक्ति

1 पञ्जाब से सत रिपोर्ट 1901 पृ० 136-37।

2 गोपाल, एस० ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया (1858-1905) पृ० 68-69।



इनकार करने के बाद मेयो ने अमीर को तोपखाने की दो वैटरिया और कुछ छोटे हथियार प्रदान किये। इमने अमीर को इतना प्रभावित किया कि उमन वा इसराय को लिखा "यदि खुदा ने चाहा तो जब तक मैं जिंदा हू या जयतक मेरी सरकार है, हमारे और शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के बीच मैत्री और सद्बिच्छा की जो आधारशिला है वह कभी भी कमजोर न होने पायेगी।"<sup>1</sup> जो औपचारिक आदर शेर अली ने ब्रिटिशों से प्राप्त किया उसने उसे लाहौर में यह कहने को बाध्य किया, "मैं अब यह महसूस करता हू कि मैं एक राजा हू।"

दूसरी ओर वाइसराय भी इस परिणाम से पूणतया सतुष्ट था। "उसका विश्वास था यदि नैतिक समथन और अस्थायी सहायता की नीति का, जैसे स्पष्ट रूप से अमीर को बता दिया गया है, बडाई से अनुपालन हो तो ब्रिटिश 1841 से पहली बार एक विश्वस्त मित्र पाने की आशा कर सकते है और अफगानिस्तान को एक सभ्यतापूण प्रभाव प्रेषित कर सकते हैं, और इस तरह शक्तिशाली और अच्छी सरकार की सभावनाएं बढ सकती है।"<sup>2</sup>

थोड़े ही दिनों बाद मेयो के अफगानिस्तान नीति की परीक्षा की घडी आ पहुची जब शेरअली के लडके याकूब खा ने बिद्रोह करके हेरात पर अधिकार कर लिया। कुछ अधिकारियो ने वाइसराय को यह राय दी कि शेर अली की सहायताय सेना भेजी जाय। पर गृह अधिकारियो के समथन से उसने ऐसा नही किया। इस सबध मे उनका तर्क था कि इससे याकूब से ब्रिटिशों की दूरी बढ जायेगी जिसकी कि आनेवाले दिना म अफगानिस्तान मे महत्ता बढने वाली है। पुन यदि भेजे गय सैनिकों को किसी पराजय का सामना करना पडा तो उससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा प्रभावित हो जायेगी और प्रथम अफगान युद्ध की स्थिति पैदा हो जायगी। भाग्य से याकूब ने अपने पिता के पास क्षमा देन के लिए लिखा। मेयो ने इस अवसर का लाभ उठाया और शेर अली जो बदले की भावना से योजना बना रहा था, को अपने लडके से समझौता कर लेने का बहा। अमीर ने उसरी राय मान ली जिससे वाइसराय को इस बात की प्रसन्नता हुई कि ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान क्षेत्र मे अपनी नेतत्व शक्ति बनाय रची है। पर अफगान शासक कूटनीतिन वाइसराय से की गयी मैत्री सधि के प्रति सावधान था। उस लारेन्स का वह समय याद था जब उसने अनुभव किया था कि ब्रिटिश अपन लाभ के अतिरिक्न किसी आर नही देवते। उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि आन्तरिक सघप म उसे स्वय ही अकेले सबकुछ करना होगा।

लारेन्स की तरह मेयो से भी यह कहा गया कि इसी आश्रमण की स्थिति मे

1 स्विन्सन आथर नाथ वेस्ट स्टियर प० 141 42।

2 घोषाल एम० ब्रिटिश पालिसी इन इण्डिया (1858 1905) पृ० 68।

अपने को बेहतर स्थिति में करने के लिए वह क्वेटा पर अधिकार कर ले। पर वह इस मूखतापूर्ण कारवाई का अर्थ समझता था और इसी कारण उसने कहा कि वह रूस के सम्बन्ध में जो ऊलजलूल बातें की जाती हैं, उससे आजिज आ गया है।" यारकन्द के याकूब बेग के एक दूत ने उससे कहा था कि एक इशारे पर चीन से लेकर कस्गियन सागर तक के मुसलमान जेहाद के लिए उत्तेजित किये जा सकते हैं। मेयो यह जानता था कि कुछ ब्रिटिश एजेन्ट और कुछ हजार लाख पाउंड यदि ठीक से व्यय किये जाय तो उससे भी वही परिणाम सामने आयेगा। उसने कहा भी, "मैं मध्य एशिया को ऐसा बना सकता हूँ जो हमारे मित्र (रूस) का पेट फाड़ डाले।"<sup>1</sup>

मेयो की अफगानिस्तान में दूसरे तरह से भी स्थिति अच्छी नहीं थी। लारेस के अधीन मध्य एशिया में ब्रिटिश कूटनीति यह थी कि रूस को अपने से दूर रखा जाय। पर मेयो ने इस तरह के देशों में तुर्की और फारस को भी जोड़ लिया। 1869 में एक प्रेषण में भारत सरकार ने कहा, 'हमारा विश्वास है कि फारस द्वारा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य से सटे सीमा का निर्माण एक ऐसी घटना होगी जो अत्यधिक आलोचना योग्य होगी। हमारे पश्चिमी सीमा की जो स्थिति है उसके कारण तुलनात्मक रूप से हम फारस, तुर्की, रूस या किसी बड़े एशियायी देश से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।' इसके साथ ही प्रेषण में यह भी बताया गया कि "एशिया में ब्रिटिश लाभ प्रभाव और शक्ति पूणतया इसलिए सुरक्षित है क्योंकि विदेशों के साथ हम लगातार निहस्तक्षेप की नीति अपना रहे हैं।"<sup>2</sup>

सीस्तान के सम्बन्ध में झगडा—अफगानिस्तान के पश्चिम फारस की सीमा पर स्थित सीस्तान में भी झगडे की स्थिति पैदा हो गयी। फारस इस क्षेत्र पर कुछ असत्य अधिकार जताता था जबकि यहाँ की जनता अधिकतर अफगानिस्तान के पक्ष में थी। जबतक दोस्त मुहम्मद जीवित था सीस्तान उसके साथ जुड़ा रहा और फारस को उसपर अधिकार जताने का साहस ही नहीं हुआ, पर जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और उसके उत्तराधिकारियों में सघष प्रारम्भ हुआ, फारस ने स्थिति का लाभ उठाया और ब्रिटिश को इस सम्बन्ध में मध्यस्थता के लिए लिखा। फारस ने यह अपील 1857 में हस्ताक्षरित पेरिसकी संधि के अन्तर्गत की जिसकी धारा 6 में कहा गया था कि 'फारस सरकार, हेरात और अफगानिस्तान में कोई मत वैधिम नय होना पर ब्रिटिश सरकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का लाभ उठाते हुए

1 गोपाल, एन० ब्रिटिश पालिसी इन इंडिया (1858-1905), प० 70।

2 प्रसाद विश्वेश्वर द फाउंडेशन ऑफ इण्डियाज फोरन पालिसी, (1860-82)

समस्या के समाधान के लिए उससे कहना चाहिए न कि अक्ल का प्रयोग करना चाहिए। पर यदि वह मित्र देश कुछ न कर सके तो उसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता होगी।<sup>1</sup> पर ब्रिटिशों ने जब यह अपील प्राप्त की तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि इस स्थान की आखिर सामरिक महत्ता क्या है। और सभवतः अफगान युद्ध की यादें उनके मस्तिष्क में अब भी ताजी थीं। इसलिए उन्होंने फारस को लिखा कि वे इस मामले में नहीं पड़ना चाहते और यदि वे चाहें तो उस स्थान को प्राप्त करने के लिए अस्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। पत्र का यह उत्तर प्राप्त कर फारस ने अपनी सेना आगे बढ़ा दी और अफगानिस्तान की आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर पश्चिमी सीमांत का अधिकतर भाग अपने अधिकार में कर लिया। इस बीच सर जान लारेस ने प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपना ली जिससे यह समस्या यथावत बनी रही जब तक कि शेर अली ने अपन विरोधियों को परास्त कर अफगानिस्तान पर फिर से अधिकार नहीं कर लिया।

जैसे ही शेर अली ने अफगानिस्तान में अपनी शक्ति सगठित कर ली, उसने अपना ध्यान सीमांत की समस्या की ओर मोड़ा जहाँ पर वह क्षेत्र के पतन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। पर कोई कदम उठाने से पूर्व, 1869 में अम्बाला में स्थापित मेयो से अपनी मैत्री को ध्यान में रखकर उसने ब्रिटिशों से परामर्श और इस कार्य की स्वीकृति मांगने का निश्चय किया। दूसरी ओर फारस शेर अली की सभ्य लड़ाई की योजना को ध्यान में रखकर पुनः पेरिस की संधि के अंतर्गत ब्रिटिशों से बीच बचाव की अपील की।


1863 में जब फारस ने पहली बार अरील की थी तो ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था। पर जब शेर अली ने पुनः शक्ति प्राप्त कर ली तो स्थिति में परिवर्तन आ गया और मेयो के काल में सीमांत की सामरिक महत्ता तब समझ में आई। हेल्मड घाटी बहुत उपजाऊ थी और फारस का इसके ही किनारे किनारे आगे बढ़ना और पूरे सीमांत पर अधिकार केवल हेरात के अस्तित्व के लिए ही खतरा नहीं पैदा कर रहा था बल्कि इससे काधारतक का रास्ता साफ हो जाने की संभावना थी और वहाँ से आगे बोलन दरें तक पहुँचकर ब्रिटिश भारत के लिए भी खतरा सभावित था। 1870 में भारत सरकार ने कहा कि फारस का हेल्मड की घाटी "स आगे बढ़ना अफगानिस्तान के लिए अधिक भयानक है बनिस्वत हेरात पर आग बढने के। इस स्थिति को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तमाम धन और सेना बर्बाद की है और जो अन्ततः मार्च 1857 की पेरिस की संधि से ही समाप्त हुआ है।"

1 प्रसाद विश्वेश्वर द फाउंडेशन आफ इण्डियाज फारेन पॉलिसी (1860-83)

पृ० 591।

2 वही, पूर्वोक्त, पृ० 57।

# मध्य एशिया



इन परिस्थितियों में जब फारस ने दूसरी बार पेरिस की संधि के अंतर्गत हस्तक्षेप की अपील की तो ब्रिटिशों ने कुछ करने को सोचा। पर जहाँ तक फारस यह चाहता था कि ब्रिटिश पश्चिमी सीमा पर फारस के अधिकार को स्वीकार करें, जिसमें उन्होंने 1863 में एतराज नहीं किया था और साथ ही बीच-बचाव करें, वहाँ ब्रिटिशों ने अनुभव किया कि 1863 में अफगानिस्तान के पक्ष में निष्पक्ष की नीति उतरी भूल थी और इस कारण से किसी सीमा में बढ़ने को तैयार नहीं थे। फारस को अतः मौन स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। दूसरी ओर अफगानिस्तान जिस पेरिस की संधि की कोई सूचना नहीं थी और जो ब्रिटिशों के बीच बचाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था, वह भी अम्बाला की भेंट के कारण ब्रिटिशों को मध्यस्थ बनाने को तैयार हो गया।

मेनापति गोल्डस्मिथ को मध्यस्थ बनाया गया। उसे यह बताया गया कि वह पहले फारस के द्वारा 1863 के वाद के हथियारे गये क्षेत्रों का पता लगाये और वहाँ से प्रारम्भ करके अत्यधिक निष्पक्ष भाव से निणय दे। उसका निणय ब्रिटिश सरकार का निणय माना जायगा। स्पष्ट तथा उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर और मेयो के काल में अग्रायी गयी नीति के आधार पर यह जाशा थी कि निणय का झुकाव अफगानिस्तान की ओर होगा। पर ब्रिटिश मध्यस्थ ने बीच के रास्ते को अस्वीकार किया। न तो फारस को पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने दिया गया और न सीमा पर अफगान अधिकार का विरोध किया गया। इस तरह दोनों अप्रसन्न हो गये। पर जहाँ फारस पेरिस की संधि के अंतर्गत ब्रिटिश निणय मानने को बाध्य था वहाँ अफगानों के ऊपर या तो ब्रिटिश मंत्री प्रभाव डाल सकती थी या उनकी यह अयोग्यता कि वे ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। पर इसके कारण अम्बाला में हुई मंत्री ठण्डी नहीं पड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि शेर अली का भ्रम दूर हो गया जिससे द्वितीय अफगान युद्ध के बीज पड़ गये। क्या यह मत उचित है, इसकी परीक्षा करने का अवसर हमें लाड लिटन के वाइसरायल्ट्व में देखने को मिलेगा।

### कलात

ब्रिटिश भारतीय सीमा पर जिन राज्यों की पेट्री लाड मेयो बनाना चाहता था, वे कलात और पूर्वी तुर्किस्तान थे जो मेयो के अनुसार ब्रिटिशों के मधुर सबंध से जुड़े होने चाहिए और विदेशी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।

1842 में कलात के साथ ब्रिटिशों ने एक संधि की थी जिसके अंतर्गत यह निश्चय हुआ कि "किसी शत्रु द्वारा घुले आम मीर नजीर खा पर आक्रमण करने पर या उसके तथा किसी विदेशी शक्ति में मतभेद होने पर उसे सहायता करने या सद्भावना का प्रयोग करने जैसा भी उचित होगा, का प्रयास उसके अधिकारों की



रक्षा के लिए किया जायेगा।<sup>1</sup> 1854 की एक दूसरी संधि के अंतगत कलात के खान न यह आश्वासन दिया कि वह ब्रिटिश से राय लिये बिना किसी विदेशी शक्ति से वार्ता नहीं करेगा। उसने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में नहीं भी रखना स्वीकार किया। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिशों को उसके राज्य क्षेत्र पर अधिकार का भी अवसर दिये जान का निश्चय किया गया।

इन समझौतों तथा मेयो की घोषित नीति की परीक्षा 1869 में तब हुई जब फारस के शाह के निर्देश पर बामपुर के स्थानीय गवर्नर ने मकरान में प्रवेश किया और वेदजी चर्चर और ग्वादुर के विरुद्ध युद्ध जैसी कारवाइया प्रारम्भ कर दी। ये सभी क्षेत्र कलात के सहायक थे। मेयो को शीघ्र ही कोई निणम करना था क्योंकि यदि स्थिति बिगड़ती तो उसे या तो फारस के विरुद्ध कलात की सहायता करनी पड़ती या अपने एक मित्र को गवा देना पड़ता जो वाइसराय के राज्य के घेरे का एक प्रमुख सदस्य था। पर फारस के साथ युद्ध उचित नहीं था क्योंकि उसे रूसी प्रभाव से मुक्त करके अपने पक्ष में लाया जाना था क्योंकि इस राज्य से ब्रिटिशों के सबंध इस समय खराब नहीं थे। इसलिए मेयो ने तुरंत यह अधिका-रियों को लिखा कि वे समय से कारवाई करके फारस से पेरिस की संधि के अंत-गत ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार करने को कहें। इंग्लैंड के विदेश विभाग ने इस सबंध में शाह को तुरंत लिखा पर शाह ने इस तरह के हस्तक्षेप को बुरा माना जिसे फलस्वरूप और कठोर कदम उठाना पड़ा। फारस के शाह को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ब्रिटिश इस सम्बन्ध में चुपनी साधे नहीं बैठे रह सकते। और इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों का समस्या के समाधान में मैत्रीपूर्ण सह-योग देना चाहिए। शाह अंततः झुका और यह राय दी कि उसके द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा तथा कलात द्वारा एक-एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाय जो आपस में मिलकर कलात और फारसी बिलोचिस्तान का सीमांकन करें।

यहां पर भी ब्रिटिशों ने गोल्डस्मिड को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। गोल्डस्मिड ने ब्रगडे वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और फारस के कमिश्नर के द्वारा कठिनाइयाँ पैदा करने के बावजूद ग्वात्तर से कुबक तक के क्षेत्र में 1871 तक सीमांकन करने में सफल हुआ जिसे शाह ने स्वीकार किया। ग्वात्तर से सीस्तान के बीच की सीमा का अंकन 1896 में होल्डिच कमिश्नर ने किया।

### पूर्वी तुर्किस्तान

जी० के० एल्डर ने लिखा कि "मेयो रूसी और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच अपने से प्रभावित पर स्वतंत्र राज्यों की एक दुहरी पट्टी पैदा करना चाहता था जा

कुशन की तरह दोना साम्राज्यो के बीच सीधे सम्बन्ध की परेशानी को कम करे।" उसने आगे लिखा कि "लारेन्स की सचमुच ऐसी कोई नीति ही नहीं थी जिसे मध्य एशियायी कहा जाय।" आगे उसने लिखा कि, "लारेन्स चुपचाप बैठा देखता रहा और रूस, मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा। मेयो ने स्वतंत्र राज्या का एक घेरा अफगानिस्तान से उत्तर में बनाने का प्रयास किया।"<sup>1</sup>

जी० जे० ऐल्डर ने दो नीतियाँ के बीच जो विरोधाभास देखा उसमें इतनी सत्यता तो है ही कि जहाँ लारेन्स प्रभावपूर्ण राज्या के एक पत के कुशन से ही सतुष्ट था वहाँ मेयो कुशन की दो रतों को बनाना चाहता था अर्थात् वह अफगानिस्तान के उत्तर तक जाना चाहता था और पूर्वी व पश्चिमी तुर्किस्तान को भी इस कुशन में दबाना चाहता था जिस लारेन्स ने अनावश्यक माना था। पर यह निष्पत्ति निकालना कि लारेन्स ने भारत की सुरक्षा का मोटा किया था जबकि मेयो ने इसे और मजबूत आधार प्रदान किया सही नहीं है। पर दोनों भारत के चारा आर कुशन बनाना चाहते थे। जहाँ मेयो इसे काफी मोटा बनाना चाहता था चाहे इसमें भारतीय राजाआ और जनता की हानि ही क्या न हो, वहाँ लारेन्स का कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा केवल इसके चारा ओर कुशन की रचना से ही नहीं होगी बल्कि इसके लिए आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होगी जिसका आधार होगा वहाँ की सतुष्ट जनता तथा सही शासन जो ब्रिटिशों के प्रभाव में हो और व अच्छे शासन के लिए बहुत कुछ उनसे सीखें। वे विदेश की ओर न देखें जो उनके शासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मेयो ने भारतीय सीमा से बहुत दूर अपनी कल्पना को उड़ाया। यह इससे सिद्ध है कि वह पूर्वी तथा पश्चिमी तुर्किस्तान में कोई लाभ नहीं उठा सका बल्कि अपने अति उत्साह के कारण उस क्षेत्र के देशों में रूसी प्रभाव को निहित करने और सगठित करने में सहयोगी हुआ, जब आंतरिक क्षेत्र में हर सावधानी को ताक पर रखकर उसने कश्मीर के शासन को अपने से दूर कर दिया और उस क्षेत्र में कुछ प्राप्त भी नहीं किया। पश्चिमी तुर्किस्तान में मेयो ब्रिटिश राजनतिक प्रभाव व्यापार के द्वारा बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसने ब्रिटिश विदेश सचिव और अपने मित्र लाड क्लेरेन्डन को डगलस फोरसीथ के नतत्व में इसी उद्देश्य के लिए रूसी राजधानी में एक शिष्ट-मंडल भेजने के लिए कहा। पर यह शिष्टमंडल असफल हो गया क्योंकि इसने रूसिया को चौंका दिया तथा वह पश्चिमी तुर्किस्तान पर रूस का रक्षात्मक कर जिसे समाप्त करने के लिए फोरसीथ गया था, अब "रूसी के द्वीय एशियन साम्राज्य का एक स्थायी तत्व" बन गया। इसे ऐल्डर ने स्वयं स्वीकार किया।<sup>2</sup> इसी

1 ऐल्डर, जी० जे० पूर्वोद्धत प० 38।

2 वही पृष्ठ 41।

तरह की अफलता लाड मयो की पूर्वी तुर्किस्तान और कश्मीर में भी प्रतीक्षा कर रही थी जिसका विवरण हम अगले पृष्ठा में पायेंगे।

जी० जे० एल्डर का कहना है कि "मेयो की पूर्वी तुर्किस्तान की नीति का साधन और साध्य दोनों नया था। एसा इसलिए कि जहाँ नारेस ने राजनयिक दावपेंच के कारण व्यापारिक कामों पर गोमा लगा दी, मेयो ने उन्हीं कारणों के लिए इस प्रोत्साहन किया।" जहाँ नारेस ने पूर्वी तुर्किस्तान में ब्रिटिश कम चारिया द्वारा छाननी पर रोक लगा दी और राबट शॉ तथा विलियम हनड के व्यक्तिगत रिपोर्टों की अनदेखी की, मेयो ने इनके कथनों को ईमानदारी से लिया और कबल पजाब के कमचारिया की पूर्वी तुर्किस्तान में व्यापार विकास की नीति के साथ सहानुभूति ही व्यक्त नहीं की जिसका उद्देश्य सभाविन रुसी खतरा को रोकना था, बल्कि उसने स्वयं इस नीति और काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हुए यह बताया कि यह नीति दो पत वाली युशान की नीति का ही एक भाग है जिसका विवरण ऊपर आ चुका है।

मेयो ने कश्मीर के प्रति नीति में सावधानों नहीं बरती और इस बात में पूर्णरूप से आश्वस्त था कि पूर्वी तुर्किस्तान से लड़ होकर व्यापार की संभावना और आवश्यकता है उसने यह घोषणा की कि ब्रिटिशों की ओर से यह गलत कदम था कि उन्होंने महाराज के रास्ते में रोड़ा पैदा करने का अवसर प्रदान किया। उसने अपने विशेष दूत कप्टेन ग्रे को इस संधि की वार्ता के लिए भेजा कि वह कश्मीर से होकर व्यापार विकास की बात तय करे, महाराजा के इस सम्बन्ध में विरोध का एक तरफ कर दिया गया और संधि को अंतिम रूप देकर मेयो ने 1870 में उसे स्वीकार कर लिया। इस संधि के अन्तर्गत कश्मीर से होकर जाने वाले रास्ते का सर्वे किया जाना था जिनमें से एक को चुनकर "उसे सदाके लिए तथा सभी यात्रियों और व्यापारियों के लिए खोल दिया जायगा। आरामगही, पूर्ति डियो और आवागमन के साधन की सही व्यवस्था की जानी थी। रास्ते का निरीक्षण बराबर कश्मीर के दो संयुक्त कमिश्नरों तथा ब्रिटिशों द्वारा किया जाना था। यह नीति भी तय हुई कि रास्ते में क्या कर लेंगे तथा रास्ते में धन के लिए व्यवस्था की गयी।

डॉ० हेनरी काले जो पहले से ही लेह में था, ने रास्ते की खोज और सन्तुष्टि की थी जिसके अनुसार चांग चेनमू घाटी का रास्ता सबसे सुरक्षित था। विलियम हेवड, राबट शाह तथा डगलस फोरसीथ सभी ने इसे यही स्वीकार किया। वसे फोरसीथ को 1870 में कश्मीर के रास्ते से यात्रा करते समय इतनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा कि रास्ते में उसके 300 घोड़े और याक मर गये।

इस रास्ते को कश्मीर की सधि के अनुसार चुना गया जिसके रास्ते में आराम गृह तथा डाक लाभ ले जानेवाले नियुक्त किये गये। पर सारे प्रयासों के बावजूद किसी भी व्यापारी को इसे प्रयोग करने के लिए नहीं समझाया जा सका। इस रास्ते कोई व्यापार विकसित नहीं हुआ तथा चांग चैनमू रास्ते की सारी कारवाही ही बेकार गई जिसने 1870 के कश्मीर सधि को जिसमें दो संयुक्त कमिश्नर, एजेंट आदि नियुक्त किये गये थे, बेकार सिद्ध हुआ। नया रास्ते की खोज का भी वही भाग्य हुआ और इस योजना का छाड़ ही दिया गया जिस रूस के प्रति अति सावधानी को ध्यान में रखकर अमल में लाने की चेष्टा हुई थी। इस तरह कश्मीर में बाईं लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका और महाराजा की नाराजगी और बढ़ गई। पर संभवतः यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। कश्मीर से सीधे कूटनीतिक संपर्क कायम करने के परिणाम, लारेस की सावधानी-पूर्ण नीति से भिन्न थे।

पूर्वी तुर्किस्तान के शासक याकूब बेग का एक दूत मिर्जा मादी मेयो के दरबार में 1870 में इस निवेदन के साथ पहुंचा कि उसकी वापसी यात्रा में उसके साथ एक ब्रिटिश प्रतिनिधि कर दिया जाय। मेयो को ऐसे अवसर की तलाश थी ही। उसने इस उद्देश्य के लिए फोरसीथ को चुना जिसे लारेस की सावधानी बताई गई कि वह मध्य एशिया की राजनीति में अधिक न उलझे और पूर्वी तुर्किस्तान के शासक को इस बात के लिए उत्साहित किया जाय कि आवश्यकतानुसार रूसी आक्रामकता के अवसर पर विरोध किया जाय। फोरसीथ के विषय में बताया गया कि पदों के पीछे से उसके विरोध कश्मीर में किया गया और नहीं मिर्जा शादी से ही वह सहयोग कर सका। चूंकि मेयो ने शिष्टमंडलों के साथ सैनिक नहीं रखे, इसके बावजूद कि कश्मीर से इसी तरह का निवेदन किया गया था। पर लगता है कि याकूब बेग भी इसके प्रति उत्साहित नहीं था। जब फोरसीथ कश्मीर पहुंचा, याकूब अपने राज्य में शांति स्थापित करने में जुटा हुआ था। वह तुरंत वापस नहीं लौट सका, नहीं उसने ऐसा करना ही चाहा जबकि फोरसीथ का यह आदेश था कि वे वहां अधिक दिना तक न रहें। इसीलिए वह खाली हाथ वापस लौट आया। शिष्टमंडल की सारी योजना बेकार सिद्ध हुई। इसके बुरे परिणाम भी हुए।

फोरसीथ के शिष्टमंडल ने रूस को भी चिंतय कर दिया और उसके बद्ध मरकारी 'तुर्किस्तान में सेजर' ने कहा, "चूंकि याकूब बेग हमारा निरन्तरतम पड़ोसी है \* ऐसा लगता है कि यह रूस के लिए या इंग्लैंड के लिए नहीं कि वह अट्टी शर में एकाधिकार बनायें और बाजार तैयार करें।", रूसी लोग ने अपनी इच्छानुसार

काय किया। खुले विरोध की चेतावनी में 1872 में याकूब को व्यापार-संधि करती पड़ी जिसके अंतर्गत उसके राज्य में रूसी व्यापारियों और एजेन्टा को स्वतन्त्रता-पूर्वक आने जाने की सुविधा प्राप्त हो गई। दूर दराज बलकत्ता में चिन्नी क्रुद्ध बैठी भारत सरकार मेयो के दुहरी पट्टी की कुशन नीति की असफलता पर आसू बहा रही थी तथा लारेंस के उदार नीति के नियम में इसी तरह के भाव व्यक्त कर रही थी। बाह्य कूटनीति और आन्तरिक समयन दोनों का जनाजा निकल चुका था।

### उत्तर और उत्तरपूरव

उत्तर पश्चिम और उत्तर की ही भांति, उत्तर और उत्तरपूरव में भी मेयो की नीति का मुख्य सिद्धान्त भिन्न तथा अच्छे राज्यों के एक पट्टी बनाने की थी। नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अपने लुशाई आक्रमण द्वारा उसने बंगाल के उत्तर पूव में एक क्षाति पूर्ण सीमा की स्थापना कर दी थी। वमा पर नेतृत्व शक्ति बनाये रखी गई।

### प्रभाव क्षेत्र में सीमांकन की आवश्यकता

मैत्रीपूर्ण और स्वतन्त्र राज्यों को दुहरी पट्टी बनाने की नीति के साथ ही जो रूस की और अन्य शक्तिशाली आक्रामकता को झेल सकें, यह भी आवश्यक हो गया कि इन शक्तिशाली राष्ट्रों से संपर्क किया जाय और उनसे यह कहा जाय कि पट्टी के इस ओर के राज्य ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र हैं और यहाँ पर बाह्य हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायगा। सर जॉन लारेंस ने इस प्रस्ताव का प्रारम्भ किया था और गृह अधिकारियों से तत्संबंध में रूस से संपर्क करने के लिए कहा था। पर उसके मत की महत्ता तुरंत नहीं समझी गई क्योंकि उसके आलोचना का कहना था कि यदि रूस से इसके लिए संपर्क किया ही जाना है तो यह संपर्क भारत से किया जाना चाहिए न कि यूरोप से, यहाँ पर ब्रिटिश इस निहंस्तक्षेप के बदले में उसे कुछ प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। पर लार्ड मेयो लारेंस के तर्क से सहमत था और उसने ब्रिटिश विदेश सचिव ताड क्लेरेडन से इस संबंध में सफलता-पूर्वक मैत्री स्थापित की। रूस द्वारा ताशकंद और समरकंद पर अधिकार ने स्थिति को आपातपूर्ण बना दिया, ब्रिटिश समाचार पत्रों ने चिल्ल पो मचाई और प्रस्तावित किया कि पहले से अधिकार कर लिये गये क्षेत्र को तो छोड़ने के लिए रूस से न कहा जाय, पर बहुत देर हो जाने से पूव कदम उठाये जाय जिससे रूस का भारत की ओर बढ़ना रुक सके और यह सबसे अच्छी तरह से रूस से अफगानिस्तान और कश्गढ़ के अस्तित्व को स्वीकार कराके तथा उसे तटस्थ क्षेत्र घोषित कराके ही हो सकता है। लार्ड क्लेरेडन ने रूस के विदेश मंत्रालय से इस

सबध मे पत्र व्यवहार प्रारभ किया ।

पर तटस्थ क्षेत्र को बनाने का प्रस्ताव सबधित क्षेत्र मे प्रभाव स्थापना से अलग था । 13 जून 1869 के अपने एक प्रेषण मे लाड मेयो ने स्पष्ट किया जिसमे लाड क्लेरेडन से उसने कहा, "हमारी दृष्टि से जो नीति सरकार को सीमा के मामले मे अपनानी चाहिए वह यह है कि हम क्षेत्र के राज्यों को यह बताने का प्रयास करें और दुनिया को भी कि उनके मामले मे हमारे अपहरण की नीति का समय बीत चुका है, और यह कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा है कि वह उह शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाने मे सहायता करे, और यह कि विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए उनके ग्रेट ब्रिटेन से मिलना बहुत आवश्यक है, तथा यायपूण जीर अच्छे प्रशासन द्वारा वे अपने अधिकार की सीमा मे जनता की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही पड़ोसी राज्या का आदर भी ।"<sup>1</sup>

मेयो ने लिखा कि तटस्थ क्षेत्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र की । क्योंकि पहले मामले मे तो उह उन राज्या को समाप्त करना होगा पर दूसरी स्थिति मे तो ब्रिटिश भय बना रहगा और उनके रास्ते मे अनिच्छुक और कठोर कब्रिले के रूप मे सर झुकाने के लिए कुछ भी नहीं रहगा । पहली स्थिति मे ये राज्य ब्रिटिशो के विरुद्ध किसी विदेशी राज्य से सपक कर सकती हैं पर दूसरी स्थिति मे तो उह पता रहेगा कि ब्रिटिशो की यायप्रियता मात्र ही उनके जीवन का आधार है । कभी कभी ब्रिटिशो का दड देने के लिए या विजय के लिए ही सीमाओ को पार करना पडता था । सक्षेप मे प्रभाव क्षेत्र के द्वारा ब्रिटिश सीधे किसी क्षेत्र पर अधिकार करने की स्थिति मे बने रहगे, वसे ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी । पर तटस्थ राज्य स्थापन से उह इन राज्यों पर कोई शक्ति नहीं प्रदान करेगा । और रूस को इससे समानता की स्थिति मिलेगी जिससे उसके पड्यत्न करने तथा अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा को बल मिलेगा । लाड मेयो की योजना मे रूस को खीव और पडोस के राज्यों मे स्वतंत्रतापूर्वक काय करने का अवसर प्राप्त होना था और ब्रिटिशो को कलात, अफगानिस्तान और पूर्वी तुर्किस्तान मे ।

इस तक के दिये जाने के कारण लाड क्लेरेडन ने इस विषय मे अपना मत बदला और डगलस फोरसीथ को 1869 के उत्तरार्द्ध मे सेप्ट पीटसबग मे बात चीत के लिए भेजा । इस बातचीत से जो समझौता हुआ उसके अतगत बाखारा और खोखद रूस के प्रभाव क्षेत्र मे माने गय तथा अफगानिस्तान ब्रिटिशो के । दोनों पक्षो का अपनी सीमाओ के बाहर आक्रामक रूख अपनाने से विरत हाने को कहा गया, आवसस का उत्तरी भाग दोनों के प्रभाव क्षेत्र की सीमा रेखा स्वीकार की

गर्ट, रूस को इसके लिए आश्वस्त किया गया कि ब्रिटेन का पूर्वी तुर्किस्तान में कोई विरोधी रुढ़ अपनापन का इरादा नहीं है, जहाँ ६ म पहले ही देय आये हैं कि लाड मेयो के अति शीघ्रता में किये गये काम ने इस वादे को तोड़ दिया जिसके फल स्वरूप वहाँ रूसी व्यापारिक काय प्रारम्भ हुआ गया। वैसे अफगानिस्तान तो ब्रिटिशों के लिए बचा रहा। यह भी तय किया गया कि उसकी उत्तरी सीमा इतनी बड़ा दी जाय कि किसी अव्यवस्था से बचा जा सके। ब्रिटिशों का प्रस्ताव यह था कि अफगान क्षेत्रों में वह सब स्थान होने चाहिए जहाँ पर दोस्त मुहम्मद का अधिकार था। रूस ने इसे स्वीकार किया और रूसी तुर्किस्तान के गवर्नर जनरल कौफमान से इस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। ब्रिटिशों ने इस रिपोर्ट की बहुत दिना तक प्रतीक्षा की, पर जब यह 1872 के अंत तक नहीं आई तो उन्होंने अपनी ओर से अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा के लिए एक घोषणा कर दी। इस तरह रूस के समक्ष एक तथ्य आ पेश हुआ। कुछ समय बल्ल, बददशा आर बाखा को अफगान राज्य में जोड़ने का विरोध किया, पर अंततः इसे स्वीकार कर लिया।

यह कहा जा सकता है कि अफगान सीमा के सबंध में यह एकतरफा घोषणा ब्रिटिशों की विजय थी जिससे डॉ० विशेष्वर प्रसाद के मतानुसार<sup>1</sup> सीमा के इस क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ गया। शेरअली भी अब निर्भोक्तापूर्वक आंतरिक विकास के कार्यों में लग सकता था। पर ब्रिटिश यह नहीं समझते थे कि इसका कुछ बुरा अमर भी पड़ेगा। रूस यह मानता था कि साधारण प्रभाव क्षेत्र में और किसी राज्य पर सीधे अधिकार में कोई विशेष अंतर नहीं था। इसीलिए जल्दी ही उसने विजय नीति प्रारम्भ कर दी। इस तरह जिसे ब्रिटिश रूसी प्रभाव क्षेत्र मानने को तैयार थे वह सब रूसी साम्राज्य क्षेत्र का भाग बन गया। ब्रिटिश इस बारवाई को नहीं रोक पाय जबकि अफगानिस्तान में बातें दूसरे ढंग से होती रही। ब्रिटिशों ने इस पर अधिकार नहीं किया इसलिए नहीं कि वे ऐसा करने की इच्छा नहीं रखते थे बल्कि वे ऐसा करने में अपन को समर्थ नहीं पाते थे। लाड आक्लण्ड का काल का उदाहरण उनके सामने था। अम्बाला में ब्रिटिशों से भेंट कर शेरअली उनका मित्र हो गया था। पर जल्दी ही उसे कुछ कटु अनुभव हुए। जहाँ एक ओर रूस ने ब्रिटिशों की एकतरफा घोषणा के बाद अपन प्रभाव क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया वहाँ ब्रिटिशों के लिए उनके कदम को रोकना भी संभव नहीं रहा। रूस अफगानिस्तान में ब्रिटिश असफलता की बात बताकर एक स्थिति पैदा कर सकता था जिसके कारण आगे चलकर तृतीय अफगान युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि ब्रिटिशों की एकतरफा घोषणा उनकी स्पष्ट कूटनीतिक विजय ही थी। क्योंकि उतना ही जोर देकर यह भी कहा जा सकता है कि इस

1 प्रसाद बी० पूर्वोद्धृत पृ० 48-49।

घोषणा को करके वे रूस के हाथ की बँठपुतली हो गयी और अतः विजय रूसिया को ही प्राप्त हुई, ब्रिटिशों को नहीं।

### अरब राज्यों के प्रति नीति

अरब राज्यों के सम्बन्ध में लार्ड मेयो ने एक ही तरह की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ था, उन राज्यों के आन्तरिक मामलों में निहस्तक्षेप, असली शासक या पासको को स्वीकृति, और विदेशी शासन के दखल देने पर उसकी सप्रभु शक्ति को स्वीकार करना। अफगानिस्तान और अरब राज्यों में यह अर्थ था कि जहाँ अफगानिस्तान को रूसी महत्वाकांक्षा से बचाया जाना था वहाँ अरब राज्यों को फारस और तुर्की के प्रभुत्व से बचाया जाना था। इन्हें फ्रांसीसी बँडूच लोगों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता से भी बचाना था। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभाव स्थापना का उद्देश्य, जिसने फारस की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्रों से समुद्रवर्ती समन्वयता किया था अपनी मातृभूमि और अपने पूर्वी साम्राज्य के बीच आवागमन की शक्ति का प्रभावी बनाना था।

लार्ड मेयो वाले अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस तरह मस्काट की गद्दी से सैय्यद सलीम को अजान द्वारा हटा दिया गया था। एक बार अजान मस्काट का शक्तिशाली शासक हो गया तो ब्रिटिशों को उसे असली शासक मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई। इस सम्बन्ध में ब्रिटिशों ने अति शीघ्र निणय लिया जिससे कि अजान डचा से क्वॉट के लिए या फ्रांसीसियों से गोला बारूद युक्त नावों के लिए, जो मस्काट में उपस्थित थी, बातचीत न प्रारम्भ कर दे। पर अजान की स्वीकृति दी जाय इसके पूर्व एक और विद्रोह हो गया जिसमें 1871 के वसंत में अजान को मार डाला गया और सलीम के भाई तुर्की ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। भारतीय सरकार को तुर्की को असली शासक मानने में कोई आपत्ति नहीं थी यदि वह अपनी गद्दी पर सुरक्षित हो जाय। पर कठिनाई तब आयी जब तुर्की के सुल्तान ने मस्काट के नये शासक की आर्थिक सहायता रोक दी। भारत सरकार इस धन को दिलाने के लिए बाध्य थी क्योंकि मस्काट के शासक को स्वीकृति प्रदान करने का अर्थ ही यह था। साथ ही इस स्वीकृति में लाभ ही क्या था यदि उसकी आर्थिक सहायता ही रुक जाय। पर वह सरकार ने फारस की खाड़ी की राजनीति को एक ओर रखकर यह निणय किया कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा करने में रोकने के लिए लार्ड मेयो के सार प्रयास बेकार गये। 'प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता' की नीति से यह नीति हट कर थी, पर इसके लिए लार्ड मेयो की सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

इस क्षेत्र में लार्ड मेयो की सरकार का उद्देश्य समुद्र क्षेत्र में शांति बनाय रखना था जिससे कि आवागमन के साधन सुरक्षित रहे। और जब इस सुरक्षा पर आघात



हुआ और वह भी एक ऐसे शासक द्वारा जो ब्रिटिश मैत्री और सुरक्षा की मौमा बधा था, तब ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप करने में मनाच नहीं किया। वैसे तो ब्रिटिशों की गलत धार करने वाले राजा के राज्य को छीनना या इरादा नहीं था, पर राजा का स्वयं हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता था जो ब्रिटिशों के पक्ष का हो। ऐसे बहरीन द्वीप के राजा के साथ हुआ। यहाँ का राजा ब्रिटिशों का मित्र था जिसने लिखित रूप से बाह्य क्षमता में ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार करने का वचन दिया था। उसका ऊपर भी समुद्र क्षेत्रीय मधि लागू हानी थी। पर इसका उसने उस समय उल्लंघन किया था जब आबू धाबी के शासक की महायत्ना लेकर उसने ग्वादुर पर आक्रमण कर दिया। लाड मयो उत्तेजित हुआ गया और उसने बहरीन के शासक मुहम्मद बिन खलीफा को हटा दिया और उसके स्थान पर उसके भाई अली को वहाँ का शासक बना लिया। पर पदमुक्त शासक न नामिर बिन मुबारक की सहायता ली और शासन को पुन प्राप्त करने के लिए अली का मार डाला। पर नामिर ने उसे भी मार डाला और सन्धि की शर्तों का उल्लंघन किया। मेयो की सरकार ने दूसरी बार हस्तक्षेप किया और अली के लडके को उहाँ शर्तों पर गद्दी दिला दी जिन शर्तों पर मुहम्मद बिन खलीफा के साथ मधि की गयी थी।

कुछ ही दिनों बाद तुर्कों और फारस दोनों ने बहरीन पर अपना अधिकार जताया। गृह सरकार ने फारस को रूस के प्रभाव से मुक्त करने के लिए उसके प्रति कुछ उदारता दिखायी। पर लाड मयो ने [दम नीति में विमूष होने की अनुमति नहीं दी और दो संधि करने वाला के अधिकार अस्वीकृत कर दिये गये। उसी तरह से यमन तथा लहज पर तुर्कों के अधिकार को नहीं स्वीकार किया गया। वैसे ब्रिटिशों की इस क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा नहीं थी पर इन राज्यों का स्वतंत्र रहना आवश्यक था अथवा यहाँ पर किसी बड़ी शक्ति के आ जान से पूर्व से ब्रिटिशों के व्यापार व आवागमन पर आघात हो सकता था।

इस तरह के काय भारत में लाड मयो के थे। कहा जाता है कि उसने काय-क्षमता और सेवा हेतु जीवन समर्पित कर दिया और उसी के लिए जान भी द दी। जनवरी 1872 में वाइसराय ने अडमान द्वीप समूह में बसे अपराधियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए यात्रा की। फरवरी में जब वह पोर्ट ब्लेयर की ओर आग बढ रहा था जहाँ उसकी भाप की नौका उपस्थित थी, उसी समय एक घमावा हुआ जिससे आतंकित वाइसराय ने अग्रक्षक जबतक पहुँचे, उसे भयावह रूप से चाकू मार दिया गया। यह काम एक कट्टर पठान का था जो गुप्त रूप से वाइसराय का पीछा कर रहा था। यह पठान पजाब की घुडसवार सेना में भर्ती था। उसे पेशावर में अपने शत्रु की हत्या के अपराध में सजा देकर यहाँ भेजा गया था जिसे वह अपराध नहीं मानता था। अपराधी घोषित किये जाने के बाद से ही, जैसा उसने

वाद में बताया, उसने यह तय किया था कि वह "किसी उच्च पदाधिकारी अग्रेज" को मारकर बदला लेगा। और यही उसने किया।

इस तरह एक अनुकरणनीय और दयालु व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसने दिया गया वादो को निभाया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी नियुक्ति के समय उसके आलोचका का मत कितना गलत था। वह भारत के लोगों का एक महान शुभ-चिन्तक था जो राजाआ और जनता दोनों से प्रेमादर प्राप्त किये हुए था।

उसका भौतिक मृत्यु प्राप्त शरीर पानी की जहाज से इंग्लैण्ड भेजा गया। उसके नियुक्ति के एक प्रमुख आलोचक ने भी अपनी गलती अत में महसूस की। इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय जनल ने इस अवसर पर निम्न कविता का प्रकाशन किया—

सतही आख्याआ पर आश्रित—

अमित बुद्धि से हमन मूल्य तुम्हारा आका।

आयर सचिव निम्न पद से ऊपर उठते देखा है तुमको

भारत के महान सिंहासन पर आरोहित।

वस्तु मत्य तेरे जीवन का उदघाटित करने में सक्षम—

वे सम्पर्की, जिंहे प्राप्त सौभाग्य तुम्हारे साहचय का।

(दख तुम्हारा निस्पदित शव)

उह ध्यान आती है तेरी बहिरतर भव्यता—

सकुलित हृपपूण छवि।

अविस्माय है—

कुशल प्रशासक की वह व्यापक दूर दृष्टि—

निर्भीक और सबके स्वागत को तत्पर वह उमुक्त वक्ष।

प्रायश्चित्त सम्मान समवित व्यथित हृदय जन

मुकुट सजाने को आतुर है—

शा त और उद्वेग शूय अदभुत विजयी सिर।

जो हरीतिमा लहराई तेरे सत्कर्मों की विलम्ब से,

वह सहसा मुरझाई, उसके चलदल मूर्च्छित,

बहन कर रहा पोत मद मथर, उदास सा

आज तुम्हारे कीर्ति भार पार्थिव शरीर को,

बाधु बाधवों के हाथों के पहचाने के हित।

## नार्थब्रुक (1872-1876)

वह 22 जनवरी 1826 को पैदा हुआ। इसी वर्ष उसका पिता सर फ्रांसिस बेरिंग समद में प्रविष्ट हुआ। मैलट ने लिखा है कि "टामस जाज बेरिंग जिस बाद में अल आफ नार्थब्रुक कहा गया ऊँचे पद और ह्विग राजनीति के माहौल में पाला पोसा गया।"<sup>1</sup> बाल्यकाल से ही टामस जाज बेरिंग बौद्धिक दृष्टि से तीव्र था, उसकी "सामान्य बुद्धि और ज्ञान" उसके ट्यूटर बड के अनुसार उसकी बुद्धि से ऊपर की थी। वह 22 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि अपनी शिक्षा पूरी करके वह अपने चाचा का प्राइवेट सचिव हो गया। उसके चाचा हेनरी लाबूरर आयरलैंड के मामलों के मुख्य सचिव थे। 1852 के चुनावों में वह पनरीन और फालमाउथ में ससद सदस्य के पद के लिए खड़ा हो गया। पर उसे सफलता नहीं मिली। 1857 के सामान्य चुनाव में जमाने फिर तबदीर आजमाई और इस बार 'हाउस आफ कॉमन्स' के लिए चुन लिया गया। इसी के शीघ्र बाद ही लाड पामसटन की सरकार में उस सिविल लाड आफ ऐडमिरेल्टी नियुक्त किया। इसके बाद उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आये जब 1872 में उसे भारत का वाइसराय और गवर्नल जनरल नियुक्त किया गया।

### आन्तरिक नीति

भारत में नार्थब्रुक के आगमन के पहले, लाड मेयो के कमठ काल में देश के कई कमजोर क्षेत्रों में सुधार प्रारम्भ हो गये थे। आर्थिक विवेकीयकरण या ऐसे ही अन्य सुधार जो सिद्धान्त अच्छे थे "निस्संदेह रूप से स्थानीय करो के आरोपण और दसों में उत्साह प्रदान किया था। पर आवश्यकता इसकी थी कि देश में नहरों और सावजनिक निर्माण के क्षेत्र में जो व्ययशील कार्य हुए थे उसके कारण बजट और आर्थिक क्षेत्र का सतुलन बनाय रचना था और इसीलिए अन्य साधना व अतिरिक्त आयकर के दर में वृद्धि कर दी गयी थी।"<sup>2</sup> विधान बनाने के क्षेत्र में भी गति धीमी नहीं रही थी।

लाड नार्थब्रुक को एक सवोधन में पीपुल्स एसोसिएशन आफ डाना' न यह

1 बर्नाई मैलट टामस जाज, अर्थ आफ नार्थब्रुक (1908) पृ० 16।

2 वही, पृ० 65।

घोषित किया कि, "तमाम करो के अनुपयुक्त आरोपण ने जनता की स्थिति देश की नागरिक, सामाजिक और धार्मिक प्रथा और परंपरा के ऊपर हस्तक्षेप करने वाले तमाम अनुचित कानूनों ने लोगों के मस्तिष्क में घबड़ाहट, परेशानी और अविश्वास को जन्म दे दिया था।"<sup>1</sup> कलकत्ता उच्च न्यायालय के यायाधीश जे० पी० नामन की न्यायालय की सीढ़ी पर ही हत्या एक मुसलमान कट्टर पंथी द्वारा की जा चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद अडमान द्वीप समूह में लाड मेयो की भी इसी तरह हत्या कर दी गयी। ये दोनों हत्याएँ वहावियों से संबंधित थीं पर ये सिद्ध नहीं हो सकी। पर वहाबी आंदोलन सीमा पर सिक्किम राज्य तक ही सीमित था और पंजाब के कूका आंदोलन ने माहौल को गम कर दिया था जिससे बहुत से अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। अपने आगमन के प्रथम सप्ताह में, नाथब्रुक ने इस संबंध में एक जांच करायी और कहा कि दश में असतोप और परेशानी है और "संभवन इसका जन्म करारोपण और कानूनों में सुधार आदि के कारण है जिसे आवश्यकता से कुछ अधिक तेजी से लागू किया गया है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयकर 1870 में बढ़ाया गया और स्थानीय कर 1871 में। जबकि सच यह है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी।"<sup>2</sup>

कलकत्ता के इंचार्ज कमिश्नर सैम्युअल वाचोप ने जैसा लिखा कि इस तरह की भावना व्याप्त थी कि 'प्रत्येक गवर्नर का उद्देश्य उसे उलट देना है जो उसके पहले के गवर्नर ने किया था, और कुछ नया प्रारंभ करना है देशी लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है और पुरानी सभ्यता की स्थिति में ढकेल दिया गया है कि उसी में रहा जाय।'

'देशी लोग परिवर्तन से घृणा करते हैं और उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों में नये कानूनों के द्वारा देश में बहुत उल्टा सीधा किया गया है। नये कर भी लगाये गये हैं और नयी समस्याएँ भी स्थापित की गयी हैं।' नाथब्रुक ने एक मिस्र को लिखा, 'जितना ही मैं इस देश को देखता हूँ मुझे उतना ही असंतोष होता है कि हमने इसे तेजी से आगे बढ़ाया है और अब इस पर रोक लगनी चाहिए।'<sup>3</sup> इस लिए उसने यह अनुभव किया कि अब देश को कुछ विश्राम की आवश्यकता है।

भारत में पहुँचने के तुरंत बाद उसने छान-बीन की और उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचा नया भारत के लोगों के समक्ष घोषणा की कि, "अंग्रेज क्षेत्रीय अधिनार

1 एड्स टू नाथब्रुक, 15 मई 1872 मलिक जो० बी० लाड नाथब्रुक एण्ड हिज मिशन इन इंडिया द्वारा उद्धृत।

2 मनेट पूर्वोद्धृत प० 23।

3 मोस्टन एशवट सी० लाड नाथब्रुक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन (1872-76) प० 13-14।



के करो मे भी वृद्धि की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी ओर असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी। बहुत से मामलो मे इन करो का उद्देश्य विकास कार्यों को हाथ मे लेना था जिससे जनता को लाभ हो। पर जनता चूकि शिक्षित थी इस कारण वह इसे स्वीकार नहीं करती थी जिसका परिणाम यह था कि सरकार का मन्तव्य लोग नहीं समझते थे और उसकी आलोचना समाचार पत्र आदि तक करते थे।

नाथब्रुक ने सर्वोत्तम स्थानीय अधिकारियो, भारतीय और अंग्रेजी ईसाई मिशनरियो और कुछ अच्छे जानेमाने नेताओ से इस सम्बन्ध मे उनके विचार तथा रिपोर्टें मागी। सभी की ओर से यह मत आया कि करो मे कमी किये जाने की आवश्यकता है। नाथ ब्रुक न पहले तो यह प्रस्ताव किया कि प्रातीय करो को या तो समाप्त कर दिया जाय या उनमे कटौती कर दी जाय पर उनके स्थान पर आयकर को कुछ दिन तक चलता रहने दिया जाय। पर इस प्रस्ताव मे दो दोष थे। पहला तो यह था कि आत्म निभग्ता तथा प्रातीय उत्तरदायित्व को जो भावना प्रारम्भ हुई है उसको ठेस लगेगी और दूसरे केन्द्रीय आय साधन के भविष्य के स्रोतो से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए कौंसिल के गवर्नर जनरल द्वारा 3 की तुलना मे 4 वोट के बहुमत से आयकर वापस ले लिया गया और भविष्य के लिए एक प्रस्ताव मे सरकार ने यह घोषणा की कि "सरकार का यह विचार है कि भारत की आर्थिक स्थिति को मुम्बई और सन्तोपजनक बनाये रखने के लिए अतिरिक्त कर की कोई आवश्यकता नहीं है।"<sup>1</sup> आयकर की वापसी से 6,00,000 पौण्ड की हानि हुई।

आयकर समाप्त करने के बाद नाथ ब्रुक ने स्थानीय करो के क्षेत्र मे सुविधायें देने को सोचा। उसने सोचा कि भूमि पर चुगी की स्वीकृति चूकि सेन्ट्रली ऑफ स्टेट न प्रदान की है इस कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इसकी समाप्ति केन्द्रीय सरकार को अपने साधन से प्रातीय सरकार को सहायता करने को बाध्य करेगी जो वैसे भी कम है। इसलिए उसने एक ओर स्थानीय सरकार से स्थानीय क्षेत्रा मे उत्थान हेतु जन सहयोग मागने को कहा जिसके लिए उन्हें कर प्राप्त होता है और उह यह परामश भी दिया कि वे स्थानीय करो मे वृद्धि न करें। प्रातीय सरकारो ने इस निर्देश के अनुसार नाथ भी किया। मैलेट ने लिखा है कि, "आयकर की वापसी, कृषको के अतिरिक्त लोगो पर बम्बई मे कर न लगाना, मद्रास मे गह कर का न लगाया जाना, बंगाल नगरपालिका बिल पर रोक तथा मध्य प्रात मे पढारी कर (एक तरह का स्थानीय आयकर) मे सशोधन आदि का एक अति विकसित स्थानीय पत्रिका के विचार से "लोकप्रिय मस्तिष्क पर इसका बड़ा शामक प्रभाव पडा।"<sup>2</sup>

1 मोल्हन पूर्वोद्धत पृ० 35-36।

2 मैलेट पूर्वोद्धत पृ० 23 52।

नहीं चाहते, सभी को उचित न्याय प्राप्त होगा, धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखा जायेगी, सभी जानि और त्रिपदरी की भावनाओं का उचित आदर किया जायेगा, इन सिद्धांतों के पालन की मेरी इच्छा भी है और अनन्य भी।”<sup>1</sup>

### आर्थिक नीति

एक उदार व्यक्ति की तरह जो वह था भी, लाड नाथ ब्रुक न अहस्तक्षेप के आर्थिक सिद्धांत में विश्वास किया। उमन प्रत्यक्ष कर का पक्ष नहीं लिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति को पसंद किया। उसने लाड कौनिंग से उसकी नीति पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “खतरे के लिए खतरा, मैं भारत पर 40 हजार युरोपीय लोगों के द्वारा शासन करने का खतरा ठठाऊंगा, पर अलोकप्रिय कर लगाने का खतरा नहीं।” उसे यह पक्का पता चल गया था कि भारत में असंतोष का एक मुख्य कारण उन पर आरोपित प्रत्यक्षकर है और वह इस कम करने को आमादा था। 1872-73 के बजट आकलन में 2,37,000 पौण्ड का लाभ दिखाया गया था। पर जैसे जैसे वष बीतता गया, पता चला कि इससे भी अधिक का लाभ होगा। नाथब्रुक ने यह निष्कर्ष किया कि यही वह समय है जब कुछ एतराज वाले करों को कम कर दिया जाय या समाप्त कर दिया जाय।

ऐसा ही एक कर आयकर था जिसे मेयो ने 500 रुपये से ऊपर की आय पर 1% के हिसाब से 1869 में लगाया था और 1870 में इसे बढ़ाकर 3% कर दिया था। इसका बड़ा विरोध था जिसके कारण मेयो ने 750 रु० की आय के ऊपर घटाकर 1% कर दिया। लाड मेयो की मृत्यु के बाद स्थानापन्न वाइसराय लार्ड नेपियर ने इस प्रश्न की पूरी छानबीन की और वैसे तो 1872-73 में इसे समाप्त नहीं किया गया पर छूट की सीमा 750 रु० से बढ़ाकर 1,000 रु० कर दी गयी। जनता और अखबारों ने इसकी आलोचना की कि इसे समाप्त क्यों नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त 1870 में मेयो द्वारा विकेन्द्रीयकरण ऐक्ट के पारित होने के बाद स स्थानीय करों में अति वृद्धि हो गयी थी। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट न प्रांतीय सरकारों को भूमि पर कर लगाने की अनुमति इसलिए दी थी कि सड़का, शिक्षा और अन्य सावजनिक कार्यों पर खर्च किया जा सके, पर इसका उपयोग प्रांत के रिक्वायरांतों को भरने के लिए भी किया गया। बम्बई ने देहातो में कृषक के अतिरिक्त लोगों पर एक कर लगाया, मध्य प्रांत न सड़कों पर चुगी लगायी तथा बंगाल व मद्रास ने भी तेजी से साधन बढ़ाने के लिए कर लगाय। नगर पालिका

1 मनेट पूर्वोद्धृत प० 23।

2 मोस्टन पूर्वोद्धृत प० 33 द्वारा उद्धृत।

के करो मे भी वृद्धि को गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी ओर असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी। बहुत से मामलो मे इन करो का उद्देश्य विकास कार्यों को हाथ मे लेना था जिससे जनता को लाभ हा। पर जनता चूकि शिक्षित थी इस कारण वह इसे स्वीकार नहीं करती थी जिसका परिणाम यह था कि सरकार का मन्तव्य लोग नहीं समझते थे और उसकी आलोचना ममाचार पत्र आदि तक करते थे।

नायब्रुक ने सर्वोत्तम स्थानीय अधिकारियो, भारतीय और अंग्रेजी ईसाई मिशनरियो और कुछ अच्छे जानेमाने नेताओ से इस सम्बन्ध मे उनके विचार तथा रिपोर्टें मागी। सभी की ओर से यह मत आया कि करा म कमी किये जाने की आवश्यकता है। नाय ब्रुक ने पहले तो यह प्रस्ताव किया कि प्रातीय करो को या तो समाप्त कर दिया जाय या उनमे कटौती कर दी जाय पर उनके स्थान पर आयकर को कुछ दिन तक चलता रहने दिया जाय। पर इस प्रस्ताव मे दो दोष थे। पहला तो यह था कि आत्म निर्भरता तथा प्रातीय उत्तरदायित्व की जो भावना प्रारम्भ हुई है उसको ठेस लगेगी और दूसरे केन्द्रीय आय साधन के भविष्य के स्रोता से हाथ धोना पडेगा। इसीलिए कौंसिल के गवर्नर जनरल द्वारा 3 की तुलना मे 4 वोट के बहुमत से आयकर वापस ले लिया गया और भविष्य के लिए एक प्रस्ताव मे सरकार ने यह घोषणा की कि "सरकार का यह विचार है कि भारत की आर्थिक स्थिति को मुदढ और सन्तोषजनक बनाये रखने के लिए अतिरिक्त कर की कोई आवश्यकता नहीं है।"<sup>1</sup> आयकर की वापसी स 6,00 000 पौण्ड की हानि हुई।

आयकर समाप्त करन के बाद नाय ब्रुक ने स्थानीय करा के क्षेत्र मे सुविधायें देने को सोचा। उसने सोचा कि भूमि पर चुगी की स्वीकृति चूकि सेन्ट्री ऑफ स्टेट ने प्रदान की है इस कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इसकी समाप्ति केन्द्रीय सरकार को अपने साधन से प्रातीय सरकार को सहायता करन को बाध्य करेगी जो वसे भी कम है। इसलिए उसने एव ओर स्थानीय सरकार से स्थानीय क्षेत्रों मे उत्थान हेतु जन सहयोग मागने की कहा जिसके लिए उन्हें कर प्राप्त होता है और उह यह परामश भी दिया कि वे स्थानीय करों मे वृद्धि न करें। प्रातीय सरकार ने इस निर्देश के अनुसार काम भी किया। मैलेट ने लिखा है कि, "आयकर की वापसी, कृषको के अतिरिक्त लोगों पर बम्बई मे कर न लगाना, मद्रास मे गृह कर का न लगाना जाना, बंगाल नगरपालिका बिल पर राक तथा मध्य प्रात मे पडारी कर (एव तरह का स्थानीय आयकर) मे सशोधन आदि का एव अति विकसित स्थानीय पत्रिका के दिचार से "लोकप्रिय मस्तिष्क पर हमका बडा शामक प्रभाव पडा।"<sup>2</sup>

1 मोस्तन पूर्वोक्त पृ० 35-36।

2 मैनेट पूर्वोक्त पृ० 23 52।



इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल करों की बढ़ोतरी रोडों के लिए केन्द्र न एक वानून पारित किया, और नाथब्रुक न इन परिवर्तना तथा कर म वमिया का स्वागत किया और कहा कि 'स्थानीय क्षेत्रों व विकास की गति का घीमा हा जाना वह हल्की कीमत है जो हम प्रातीत करों की जनमत से जोडन के लिए दनी पडेगी।'<sup>1</sup>

पर भारत के सेक्रेट्री आफ स्टेट अगिल न नाथ ब्रुक की नीति स पूण सहमति व्यक्त नहीं की और लिखा "कि मेरा तो मत है कर की वापसी (आयकर) तब बेहतर रही हाती यदि नमक पर कर घटा दिया गया हाता क्याकि आमकर व हटाव जान मे तुलनात्मक दृष्टि मे थोडे और वह भी धनी लागू का छाड विसका लाभ पहुंचा है?"

आयकर समाप्त करन के अतिरिक्त नाथब्रुक न तमाम अय आर्थिक सुधार करन का प्रयास किया। पर इसमे उस पूरी सफलता इसलिए नहीं मिली क्याकि गह अधिवासिया न उसे स्वीकृति नहीं प्रदान की या कुछ और कारण उरस्थिति हो गय। इसी तरह का एक सुधार जो उसने करन का प्रयास किया वह नमक पर कर था जो दक्षिणी भारत म बहुत कम था और राजतूताना म था ही नहीं और इस तरह अलग प्राता मे इसकी दर अलग अलग थी। इसके कारण जहा पर नमक पर कर नहीं था या कम था वहा से उन क्षत्रा म जहा नमक का दाम अधिक था इसकी हेराफेरी शुरू हो गयी। इस तरह की वेईमानी पर रोक के लिए 2500 मील लम्बे कस्टम शक्ति को सुरक्षित रखन के लिए 13,000 आदमी नियुक्त किय गये थे जिन पर अत्यधिक चर्चा आता था। नाथब्रुक न करों म समानता लाकर और कुछ तरीके अपनाकर 1,000 मील तक पर से कस्टम की व्यवस्था का वेकार कर दिया और इस तरह व्यय मे कटौती की।

नाथब्रुक के काल मे एक महत्वपूर्ण घटना वह विवाद था जो उसके बीच तथा सेक्रेट्री आफ स्टेट सलिसबरी के बीच भारतीय सीमा शुल्क को लेकर उत्पन्न हुआ। 1871 के ऐक्ट के अनुसार 54 बाहर से भगाई जाने वाली वस्तुओं पर साडे सान प्रतिशत चुगी की सामान्य दर तय थी जिसमे थोडी बहुत घटी-बडी भी हा सकती थी। बाहर भेजी जान वाली हर महत्वपूर्ण वस्तुओं पर 3% चुगी लगनी थी। ब्रम्बई के चैम्बर आफ कामस के एक निवेदन म बाहर भेजी जानेवाली वस्तुओं पर नगाये जानेवाले कर को समाप्त करन को कहा गया जिससे कि विदेशी बाजारों में भारतीय माल प्रतिযোগिता मे खडा हो सके। दूसरी ओर मैनचेस्टर के चैम्बर आफ कामस ने लकाशायर के तैयार माल पर 5% और घाये पर साडे तीन प्रतिशत के आयात चुगी का विरोध किया। विद्रोह के बाद आर्थिक कठिनाइयों

1. माल्टन प्रवोदित प० 39।

2. वही प० 41 म उद्धृत।

से निबटन के लिए कपडे और धागे पर लगाया गया 10 प्रतिशत का आयात कर लकाशायर के उद्योगपतिया के विरोध पर 1862 में घटाकर उपरोक्त कर दिया गया था। पर अब व इन कम दरा पर भी एतराज कर रहे थे और स्वतंत्र व्यापार नीति के नाम पर इसकी आलोचना कर रहे थे और चाह रहे थे कि भारत सरकार की नीति कपडे के उद्योग की इग तरह से सुरक्षा प्रदान करने की होनी चाहिए।

लकाशायर इंग्लण्ड में अनुदार दल वाला का गठ था। जब वे शासन में आये तो उन्होंने सैलिसबरी को हटाकर मैनचेस्टर चैंम्बर ऑफ कामस के डाइरेक्टर को उसके स्थान पर भारतीय कौंसिल में रख दिया। अब उन्होंने इन आयात-करों के विरुद्ध बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जिस सलिसबरी ने भारत भेज दिया। नायब्रुक ने एक सीमा शुल्क समिति की रचना इसलिए कर दी कि वह इस प्रश्न के तह में जाकर खाजबोन करे और उसके आधार पर ही उसने कुछ परिवर्तन किये।

जो परिवर्तन किये गये उनके अनुसार सभी निर्यात करों को समाप्त कर दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि 1874-75 के आकडा के हिसाब से 17,30,000 रुपय की हानि हुई। आयात कर की मामा'य दर भी घटाकर साठे सात से 5 प्रतिशत कर दी गई जिससे 17,20,000 रुपय वार्षिक की हानि हुई। काफी पर आयात-कर जा भारत के काफी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता था, पूणतया समाप्त कर दिया गया। इसी तरह तम्बाकू जो कई उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करता था उसपर से भी आयात कर 10 से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया। राजस्व में उपरोक्त क्षति की पूर्ति के लिए शराब, अस्त्र, गोला-बारूद आदि पर या तो कर बढ़ा दिये गये या नये सिरे से उनपर कर लगाया गया। पर धागे और कपडे पर क्रमश साठे तीन व 5 प्रतिशत का आयात कर बना रहने दिया गया। इस सबध में 1875 में नायब्रुक ने सैलिसबरी का लिखा कि यह आयात-कर "रक्षात्मक रूप से इसके आकस्मिक प्रभाव के अतिरिक्त, जोकि एक दोष ही है, मेरी दृष्टि से भारत में आरोपित करो में सबसे कम एतराज के लायक है।"<sup>1</sup>

यह तक दिया गया कि साठे तीन से 5 प्रतिशत का नीचा आयात-कर भारत के कपडा उद्योग की अधिक रक्षा नहीं कर सकता था। यदि इसकी प्रगति हो रही थी तो लकाशायर की तुलना में इसे कुछ स्वाभाविक लाभ थे। इसका मुख्य काम था इससे प्राप्त राजस्व जो सरकार उस समय खोने की स्थिति में नहीं थी। इसके अतिरिक्त बढ़िया कपडा पर अलग से कर लगाया गया और इसलिए धनी वर्ग के लोगों को यह बीमत चुकानी पडी। पहले ही इसपर लगे कम कर पर जनमत विरोध में था। यदि इन परिस्थितियों में इस समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष कर लगाने की चेष्टा की गई तो इसपर पडे लिखे लोग तथा समाचारपत्र विरोध



प्रमुख थे। भारत को उन युद्धों का व्यय भी देना पड़ता था जो मात्र ब्रिटिशों के साम्राज्यवादी हित के लिए लड़े जाते थे और जिनका दूर से भी इस देश से संबंध नहीं था। इस तरह भारत ने 1867 में लड़े गये अबीसीनिया के युद्ध का व्यय दिया और मर जॉन लारेस का वह सारा विरोध कि विद्रोह के कारण भारत का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, काम नहीं आया। 1875 में भारत से पेरक पर किये गये आक्रमण के लिए व्यय वसूल किया और नाथब्रुक के सारे विरोध को अस्वीकार कर दिया गया। नाथब्रुक के विरोध के बावजूद गृह क्षेत्र में व्यय और बढ़ा और वह असहाय बना रहा।

नाथब्रुक ने प्रांतों से कहा कि वे असैनिक प्रशासन में व्यय में कमी करें। उसने कहा कि शिक्षा व आवागमन के विकास में रोक से कम हानि है पर वर बढ़ाने से अधिक। वैसे तो प्रांतों ने वाइसराय के इस मांग के विषय में कुछ बताने में सफलता नहीं प्राप्त की जिसमें कहा गया था कि वे ये बताएं कि कहा-कहा लोगों को जगहों से हटाकर धन में वचत की जा सकती है। पर नाथब्रुक को इसमें सफलता मिली कि वह प्रांतों को देय धन में बढ़ोतरी न करे।

मेयो की तरह नाथब्रुक ने सेना में पुनसंरचना की योजना बनाकर सैनिक व्यय में कटौती की चेष्टा की। वैसे तो इस क्षेत्र में भी वह बहुत कुछ नहीं कर सका, पर उसने सेनापति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति में असमर्थता व्यक्त कर 4,00,000 पाउंड प्रतिवर्ष के हिसाब से अपने पूर्व अधिकारी से अधिक की वचत की। इसके अतिरिक्त बम्बई, पंजाब, सिंध और अवध के क्षेत्र द्वारा 1872 में प्रस्तावित कुछ सिंचाई योजनाओं को उसने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह 8 अक्टूबर 1874 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा बंगाल के अति व्ययसाध्य सिंचाई योजना को अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर स्थानीय जानकारी और आवश्यकता पर आधारित एक सस्ती योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

नाथब्रुक की दृष्टि में भारत की समस्याओं का समाधान बड़े हुए वर से नहीं होना था बल्कि स्वतंत्र व्यापार से होना था जिसमें आयात कम किया जाना था और निर्यात अधिक। और इसलिए जैसा कि लाड फ्रीमर ने लिखा है "लाड नाथब्रुक ने बम्बई पहुंचकर जो पहला वाय किया वह गेहूँ पर निर्यात वर को समाप्त करना था। उसने तेजी से सिंध घाटी रेलवे का पूरा करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक अग्रील के ड्यूक और इडिया आफिस द्वारा दबाव हालकर मुल्तान और हैदराबाद (सिंध) के बीच छोटी लाइन की रेलवे लाइन बनाने की मांग के दबाव के सामने नहीं झुका। इन दोनों सम्मिलित प्रयासों में भारतीय गेहूँ का व्यापार बढ़ा और ऊंचे अनुपात में पहुंच गया। रेलवे जो सामाजिक महत्व की ध्यान में रखकर बनाई गई थी, व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक मूल्यवान

व्यक्त करेंगे। पर नायब्रुक ऐसे कदम उठाने को तैयार था जिससे भारत में बढ़िया कपड़े के उद्योग का विकास रुके क्योंकि इससे लकाशायर के भविष्य के उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता था। वैसे ब्रिटिशों के लिए परीशानी पैदा करने वाला ऐसा कोई उद्योग था भी नहीं।

पर नायब्रुक के इस कदम से लकाशायर के उद्योगपति सतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सैलिसबरी के विरोध भाव को उभारा जिसने इस सब में भारत सरकार अधिनियम को कायाय अनुमति न देने की चेतावनी दी और एक अपूर्व कदम यह उठाया कि अपने अवर सचिव सरलुई मैलेट को व्यक्तिगत रूप से भारत वाइसराय को यह समझाने के लिए भेजा कि वह इतराज वाले क़री को समाप्त कर दे। काफी कड़वापन पैदा हो गया। नायब्रुक पूरे मामले पर फिर स विचार करने को उद्यत नहीं था। पर वह कुछ भागो की पूर्ति के लिए कुछ परिवर्तन के लिए तैयार था। पर सैलिसबरी ने कठोर रुख अपनाया जिसके लिए उसकी आलोचना ससद और समाचार-पत्रों में की गई। 'टाइम्स' ने सैलिसबरी के इस कारवाई की निंदा की जिसके द्वारा उसने वाइसराय और उसकी कौंसिल को अपना कठपुतली बनाने की चेष्टा की और 'डाइनिंग स्ट्रीट से उसपर प्रभाव डाला'। इससे स्वाभिमानी व्यक्तियों को इस पद पर काय करने में कठिनाई ही होगी "जब हम को यह न पता चल जाय कि किसी दुर्घटना के कारण स्थिति बंद से बदतर होने वाली है।" पर सैलिसबरी ने अपने में अधिक परिवर्तन नहीं किया जिसके फलस्वरूप नायब्रुक के उत्तराधिकारी लाड लिटन को उसकी इच्छानुसार परिवर्तन करना पड़ा।

बदोबस्त अधिकारियों का यह दृष्टिकोण था कि प्रत्येक राजस्व बदोबस्त के साथ वे कर की दर में वृद्धि करते थे। यह उन क्षेत्रों में वे करते थे जहाँ स्थायी बदोबस्त नहीं हो पाया था। नायब्रुक ने यह सूचना दी कि यदि ऊँचे कृषि लाभ के साथ कृषकों के ऊपर साधारण कर लगाया जाय तो चुगी वाली वस्तुओं का प्रयोग कृषकों अधिक करेंगे जिससे दूसरी तरह से सरकार को लाभ होगा। इसके स्थान पर ऊँचे कर उह गरीब, आलसी और असतुष्ट बना देंगे, परिणामस्वरूप प्रांतीय सरकारों ने अपनी आदतें बदल दी। इसीलिए अवध सरकार ने 12 लाख रुपये घसूले गए कर को वापस कर दिया। बम्बई में 96 प्रतिशत कर में वृद्धि के स्थान पर केवल 33 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई। पर इस ढील के बावजूद यू-राजस्व पर 1872 में जहाँ 21 करोड़ 35 लाख पौंड कर लगा था, वहाँ अब इसे बढ़ाकर 1875 में 21 करोड़ 50 लाख कर दिया गया।

भारत के संपूर्ण व्यय में से 25 प्रतिशत से ऊपर गृह क्षेत्र में व्यय हो जाता था जिसमें सैनिक क्षेत्र, पेंशन तथा सदन में इटिया आफिस पर हान वाले व्यय

प्रमुख थे। भारत को उन युद्धों का व्यय भी देना पड़ता था जो मात्र ब्रिटिशों के साम्राज्यवादी हित के लिए लड़े जाते थे और जिनका दूर से भी इस देश से सबंध नहीं था। इस तरह भारत ने 1867 में लड़े गये अबीसीनिया के युद्ध का व्यय दिया और सर जॉन लारेस का वह सारा विरोध कि विद्रोह के कारण भारत का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, काम नहीं आया। 1875 में भारत से पैरक पर किये गये आक्रमण के लिए व्यय वसूल किया और नाथब्रुक के सारे विरोध को अस्वीकार कर दिया गया। नाथब्रुक के विरोध के बावजूद गृह क्षेत्र में व्यय और बढ़ा और वह असहाय बना रहा।

नाथब्रुक ने प्रान्तों से कहा कि वे अर्सेनिक प्रशसन में व्यय में कमी करें। उसने कहा कि शिक्षा व आवागमन के विकास में रोक से कम हानि है पर कर बढ़ाने से अधिक। वैसे तो प्रान्तों ने वाइसराय के इस मांग के विषय में कुछ बताने में सफलता नहीं प्राप्त की जिसमें कहा गया था कि वे ये बताए कि कहा कहा लोगों को जगहों से हटाकर धन में बचत की जा सकती है। पर नाथब्रुक को इसमें सफलता मिली कि वह प्रान्तों को देय धन में बढ़ोतरी न करें।

मेयो की तरह नाथब्रुक ने सेना में पुनर्संगठन की योजना बनाकर सैनिक व्यय में कटौती की चेष्टा की। वैसे तो इस क्षेत्र में भी वह बहुत कुछ नहीं कर सका, पर उसने सेनापति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति में असमर्थता व्यक्त कर 4,00,000 पौण्ड प्रतिवर्ष के हिसाब से अपने पूर्व अधिकारी से अधिक की बचत की। इसके अतिरिक्त बम्बई, पंजाब, सिंध और अवध के क्षेत्र द्वारा 1872 में प्रस्तावित कुछ सिंचाई योजनाओं को उसने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह 8 अक्टूबर 1874 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा बंगाल के अति व्ययसाध्य सिंचाई योजना को अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर स्थानीय जानकारी और आवश्यकता पर आधारित एक सस्ती योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

नाथब्रुक की दृष्टि में भारत की समस्याओं का समाधान बढ़े हुए करो से नहीं होना था बल्कि स्वतंत्र व्यापार से होना था जिसमें आयात कम किया जाना था और निर्यात अधिक। और इसीलिए जैसा कि लाड क्रोमर ने लिखा है "लाड नाथब्रुक ने बम्बई पहुंचकर जो पहला काय किया वह गेहूँ पर निर्यात कर को समाप्त करना था। उसने तेजी से सिंध घाटी रेलवे को पूरा करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक अग्रील के ड्युक और इंडिया आफिस द्वारा दबाव डालकर मुल्तान और हैदराबाद (सिंध) के बीच छोटी लाइन की रेलवे लाइन बनाने की मांग के दबाव के सामने नहीं झुका। इन दोनों सम्मिलित प्रयासों से भारतीय गेहूँ का व्यापार बढ़ा और ऊँचे अनुपात में पहुंच गया। रेलवे जो सामाजिक महत्त्व को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक मूल्यवान

सिद्ध हुई।<sup>1</sup>

1875 के अंत में नाथयुक् को जिस एक कठिनाई का सामना करना पड़ा वह थी विश्वजनीन चांदी के दाम में भारी कमी। चकि भारत में सिक्के का आजार चांदी था और इंग्लैंड के सिक्के का आधार सोना, इसलिए भारत को गृहक्षेत्र में होने वाले व्यय पर अधिक व्यय करना पड़ा। 1875 में ही केवल विनिमय के कारण उसे 14 लाख पौण्ड की हानि उठानी पड़ी। वाइसराय को 1873-74 में दुर्भिक्ष की कठिनाई का भी सामना करना पड़ा जिस पर 63,06,673 पौण्ड का व्यय आया जिसे राजस्व के स्थान पर बसूला गया। पर इस सबके बावजूद नाथयुक् के वाइसरायत्व काल में 20 लाख पौण्ड की शुद्ध वृद्धि रही जो एक महत्त्वपूर्ण बात थी।

'हिंदू पैट्रियाट' ने स्थिति का आकलन इस तरह से किया, "आर्थिक क्षेत्र में किये गये के महत्त्व की अनुभूति हम पूरी तरह से नहीं कर सकते जबतक कि हम नाथयुक् के मेयो की सरकार के आर्थिक फिजूलखर्ची तथा अत्यधिक कर आरोपण काल के विषय में न जानें जिसके कारण पूरे देश में एक चीन में दूसरे चीन तक असंतोष व्याप्त था। भूतपूर्व वाइसराय ने 50 वर्ष का काम 5 वर्ष में करने की चेष्टा की जिसका परिणाम था लोगो पर लगने वाला अतिरिक्त कर नाथयुक् के आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य जनता के ऊपर से कर के बोझ को कम करना है जहां लाड नाथयुक् ने जनता को कर के मामले में तमाम हिदायतें दी, उसने प्रगति की गति को तनिक भी धीमा नहीं पड़न दिया जो इसने पूर्व के प्रशासन में प्रारंभ हो चुका था।"<sup>2</sup>

नाथयुक् ने सफलतापूर्वक जित की पर यह आवश्यक नहीं है कि हम उसकी तुलना मेयो से करें और न ही 'हिंदू पैट्रियाट' का मत मजबूत छानबीन पर आधारित है। मंच तो यह है कि मेयो ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को स्वस्थ आधार प्रदान किया जो प्रतिवर्ष घाटे में चला करती थी इसमें विश्वसनीय व अनुशासित आंकड़ों का भी अभाव था तथा नियमित आदता का भी जिससे प्रत्येक कोटि की विकास याजना अत्यधिक कठिन हो जाती थी। अत्यधिक परिश्रम करके उसने भूमि पर बीज बोया और लाड नाथयुक् ने उसका फल प्राप्त किया।

### शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में लाड नाथयुक् ने 1854 में बने बुड के डिस्पैच के सिद्धांत को स्वीकार किया। सर चार्ल्स बुड के व्यक्तिगत सचिव की हैसियत से इस डिस्पैच

1 छाबड़ा जी० एस० सीशल ऐण्ड इकोनामिक हिस्ट्री आफ पंजाब, प० 271-75।

2 मोल्हन पूर्वोद्धत प० 59-60 द्वारा उद्धृत।

को तैयार करान में उसकी अहम भूमिका थी। पर उसे श्रेय था कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्नीसवीं सदी के छठें दशक में उच्च शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था जो इस बात से स्पष्ट है कि जहाँ बंगाल सरकार ने १५ पर प्रतिवर्ष 1,50,000 पौण्ड व्यय किया, प्रारम्भिक शिक्षा को भूखो मरना पड़ा और उसे केवल 50,000 पौण्ड वार्षिक ही प्रदान किया गया। लाड मेयो इस नीति को बदलना चाहता था। इसीलिए उसके काल में डिप्टी कनिंजा की सख्ता घटा दी गई। इससे उच्च धन प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय करने का निश्चय किया गया तथा शेष बचे उच्च शिक्षा पर उस धन को व्यय करने का निश्चय किया गया। उसने अपनी नीति में यह घोषित किया कि 'उसकी सरकार अंग्रेजी शिक्षा पर होनवाले व्यय को घटायेगी और उसके स्थान पर वर्नाकुलर शिक्षा पर जोर देगी। नीति की यह कुल्हाड़ी बंगाल के बरहामपुर, कृष्णानगर और पटना कालेजों के गल पर पड़ी जिसके फलस्वरूप रामनाथ टैंगोर जैसे शिक्षित व्यक्ति चिरला पड़े कि मेयो की सरकार का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को नीचा दिखाना है। विरोध-सभाओं की गड़, सेन्ट्री आफ स्टूट को प्रायना-पत्र भेजे गये जिसमें यह कहा गया कि यह प्रशसनीय है कि सरकार वर्नाकुलर शिक्षा बढ़ाना चाहती है, पर इसे ऊँची शिक्षा की कीमत पर क्यों किया जा रहा है ?

जब नाथमुक्त भारत पहुँचा, भारत में शिक्षिता का यह विरोध जारी था और उन्हे यह डर था कि सरकार अब 1854 के डिस्पेंच के सिद्धांतों को नहीं अपनाना चाहती। नय गवर्नर जनरल ने जनवरी 1873 में एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि सरकार का कोई एमा मन्तव्य नहीं है कि वह बूढ़ के डिस्पेंच को अस्वीकार करती तथा प्रारम्भिक शिक्षा को ऊँची शिक्षा की कीमत पर आगे नहीं बढ़ायेगी। उपरोक्त तीनों कालेज धीरे धीरे अपने पूर्व स्थिति में ले आये गये। और नाथमुक्त ने घोषणा की कि वह भारत के भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति आदर रखता है विशेषकर कला और निर्माण के क्षेत्र में। देश के विभिन्न भागों में उदाहरणार्थ उड़ीसा आदि में निर्मित वास्तुकला भारतीय उदार कल्पना और उच्च बौद्धिक सफलता का स्मरण दिनाती है। इसीलिए वह चाहता है कि भारत पश्चिम का अनुकरण न करे। उसने कहा 'कि मैं इंग्लैण्ड और भारत में साम्यपूर्ण मध्य दर्पना चाहता हूँ मैं भारत में अंग्रेजी या फ्रांसीसी कला की नकल देखना पसन्द नहीं करता।' उसने प्रान्तीय सरकारों को सूचना भेजी कि वे वर्नाकुलर स्कूलों की पुस्तकों में सशोधन की व्यवस्था करें जिसमें कि उनमें भारतीय विवरण व कथाएँ आ सकें। पश्चिम की बातें उसमें न हो क्योंकि उन समझना उनका लिए बहिष्कृत है।



मेयो की तरह नायबुक् ने भी प्रान्ता मे मुसलमाना की पिछड़ी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उसने सर मैम्बद अहमद की मुस्लिम ऐंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज अलीगढ़ को हर तरह की सरकारी सहायता की ओर अपना पास से सदा के लिए 10 हजार रुपये वजीफे के लिए प्रदान किया। यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम साहित्य को इसका उचित स्थान प्रदान किया जाय। इस सबका सभावित परिणाम यह हुआ कि पढ़े लिखे लोगों का विश्वास वापस आ गया और उनका विद्रोह धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

### असैनिक सेवायें

1833 के चाटर ऐक्ट की धारा 87 में घोषित किया गया था कि जति, रंग, या राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीयों की असैनिक सेवा में भर्तों के समय कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। 1853 के ऐक्ट ने इंग्लैण्ड में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जिसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे। पर भारतीयों के लिए इंग्लैण्ड जाकर परीक्षा देना बड़ा महंगा था और वह भी एक विदेशी माहौल में परीक्षा देनी पड़ती थी। 1833 और 1853 के ऐक्ट की घोषणा के बावजूद अंग्रेजों का यह उद्देश्य मालूम होता था कि जैसे भी हो भारतीयों को असैनिक सेवाओं में कम से कम प्रवेश करने दिया जाय। ऐसा इसलिए कि भारतीयों की विश्वस्तता सदेहपूर्ण थी। 1868 में भारत सरकार ने 200 पौण्ड की 9 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जो तीन वर्ष के लिए होती थी जिसकी सहायता से मेधावी भारतीय छात्र इंग्लैण्ड जाकर पढ़ सकते थे और प्रतियोगिता में बैठ सकते थे। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट अग्राल ने इन छात्रवृत्तियों को रोक दिया और घोषणा की कि केवल परीक्षा में सफलता ही किसी की प्रशासकीय योग्यता का स्पष्ट परिणाम नहीं है। उसने कहा कि भारतीयों का चरित्र अंग्रेजों से भिन्न है।

एक पठान और सिख से प्रतियोगिता में एक बंगाली बाजी मार सकता है पर उसे 'उत्तर भारत के किसी लडाकू कबीले का नेतृत्व सौंपना' खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि भारतीयों को असैनिक सेवाओं में नामित करके नियुक्ति देनी चाहिए और उसने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में नियम बनाने को कहा। पर यह उन भारतीयों के अतिरिक्त होना था जो सभी कठिनाइयों के बावजूद इंग्लैण्ड जाकर प्रतियोगिता में चुने जाते थे। नामित करने की परम्परा का उद्देश्य ऐसे भारतीयों को चुनना था जो विश्वस्त हों। और फिर महत्वपूर्ण स्थान अब भी भारतीयों के पहुँच के बाहर थे।

लाड नायबुक् की सरकार ने 1874 में नामित करने के नियम बनाए पर वह सरकार ने उसमें काट छाट कर दी और इस तरह से कड़ा कर दिया जिससे कि नामित भारतीयों की संख्या कम से कम रहे। और जब उन्हें प्राप्ति में प्रेषित

किया जाता तो वे सभी इन प्रस्तावों को भेजने में टालमटोल करते जिसका परिणाम यह था कि जबतक लाड नाथब्रुक भारत से पदमुक्त हुआ तब तक एक भी भारतीय इसके लिए नामित नहीं किया जा सका।

इंग्लैण्ड में प्रशासनीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कम से कम और अधिकतम आयु क्रमशः 17 और 21 की रखी गई थी। अधिकतम आयु एक भारतीय के लिए इतनी नहीं थी कि वह विश्वविद्यालयीय परीक्षा पूरी करके प्रतियोगिता में भी भाग ले सके। नाथब्रुक ने प्रस्ताव किया कि यह आयु बढ़ाकर 19 और 23 कर दी जाय। पर वासिल और गृह अधिकारियों ने उसके प्रस्ताव का विरोध किया जिसके फलस्वरूप अधिकतम आयु घटाकर 19 कर दी गई। इससे भारत में पड़े लिखे लोगों को एक घबका लगा। एस० एन० बैनर्जी ने चुनौती शेली, भारत का तुफानी दौरा किया और इसे राष्ट्रीय प्रश्न बनाया। एक आन्दोलन इंग्लैण्ड की अनुदारवादी सरकार के इस पीछे हटाने वाले कदम के लिए तुरन्त प्रारंभ किया गया।

### बंगाल का दुर्भिक्ष

1874 में बंगाल में एक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। सर जाज कैम्पबेल ने लिखा है कि, "भारत के इतिहास में पहली बार फसलों की इतनी बर्बादी ने दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा की जिसके कठिनाइयों से जनजीवन बचाने का पूरा प्रयास किया गया।" लाड नाथब्रुक ने, जब दुर्भिक्ष पड़ा, तो यह कहा, "जनता को बचाने के लिए जो भी किया जाना संभव है किया जाएगा। यह तो युद्ध की तरह ऐसा मामला है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है।"

जिस तरह से भारत सरकार ने इस स्थिति से निबटने की चेष्टा की उसकी आलोचना इंग्लैण्ड और भारत दोनों स्थानों पर हुई। यह परामर्श दिया गया कि मूल्य निर्धारित कर दिए जाय, व्यक्तिगत व्यापार को रोक दिया जाय और भारतीय जब स्वयं चावल के लिए तरस रहा है तो उस बाहर न भेजा जाय। पर नाथब्रुक ने यह सोचा कि जनता को अधिक आवश्यकता नौकरी प्राप्ति और धन अजन की है जिससे उसकी शक्ति बढ़ सके। घाघान का उतना अभाव नहीं है जितना उभे खरीदने के लिए धन का। इसलिए सभी आलाचनाओं के बावजूद लाड नाथब्रुक अपनी नीति पर अटल रहा और अपने वादे के अनुसार बाहर चावल भेजा। नाथब्रुक का कहना था कि यदि चावल को बाहर भेजना बंद कर दिया जाता तो इससे यह भारत में अधिक रहता जिससे इसकी कीमत कम हो जाती और उपभोग बढ़ जाता, जबकि इसने जोर दिया कि 'और देश की भाँति भारत में भी दुर्भिक्ष के विरुद्ध सुरक्षा हेतु उपभोग में कमी लाना आवश्यक है जो वस्तुओं की कीमत बढ़ने से घट जाती है।' दूसरे उसका तर्क था कि यदि एक बार

किए गए वादे को पूरा न किया जाय तो इससे भारत की साथ पर धनका आएगा। उसके समयको ने यह भी तक दिया कि अभाव भोजन का नहीं है क्योंकि यह हमेशा उपलब्ध है। अभाव धन का है। इसलिए इन परिस्थितियों में मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि बढो को काम दिलाया जाय जिससे वे भोजन की व्यवस्था के लिए रुपया कमा सकें। और यही किया गया।

स्वस्थ लोगो को काम दिलाने के लिए विस्तृत ढंग से इतजाम किया गया और जो काम करने में समय नहीं थे उन्हें दान देने की व्यवस्था की गई। कृषकों को ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई और भू राजस्व रोक दिया गया। दबावपूर्ण आलोचना के बावजूद नाथब्रुक अपनी नीति पर आगे बढ़ता रहा जबतक कि आलोचक उसके ही पक्ष में नहीं हो गए और अब यह कर्तुने लगे कि अत्यधिक सावधानी बरती गई है।

श्रोमर न लिखा है कि, “नाथब्रुक के द्वारा उठाये गए कदम पूणतया सफल रहे। भूख में बहुत कम मौतें हुई। परम्परा के विपरीत जन विरोध का एक ही परिणाम हुआ कि सम्भवतः भिन्न भिन्न रूपा म अत्यधिक मात्रा में सुविधाएँ प्रदान की गईं जिससे कि इसपर व्यय अधिक आ गया।”

### नाथब्रुक और बडोदा का गायकवाड

विद्रोह के अपने पूर्वतियों के काल की तरह नाथब्रुक के काल में भी शासन में अव्यवस्था की स्थिति में राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वैसे अपहरण की नीति समाप्त कर दी गई थी। बडोदा के गायकवाड के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने ब्रिटिश रेजीडेंट कनल फायरे को विप दिलाने का प्रयास किया। इस आधार पर उसके राज्य को अव्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। इस मामले को और उचित सिद्ध करने के लिए नाथब्रुक ने बंगाल के एक यायाधीश की अध्यक्षता में एक जाच आयोग बठा दिया जिसमें 6 अन्य सदस्य रखे गए। इनमें से तीन अंग्रेज और तीन भारतीय थे। पर वाइसराय की कठिनाइयाँ उस समय बढ़ गई जब अंग्रेज सदस्यों ने मल्हार राव गायकवाड के विरुद्ध मत दिया और भारतीयों ने उसमें दोष नहीं पाया। पर वाइसराय गायकवाड के अपराधों से आश्वस्त था और उसने भारतीय विरोध के बावजूद उसके विरुद्ध मजबूत कदम उठाया होता पर गृह मन्त्रिमंडल ने गायकवाड को पद से हटाने का निणय लेकर स्थिति बचा ली। उसने न तो जाच आयोग की खोजबीन के आधार पर उसे पद से हटाया और न उसके अपराधों को सही मानकर, बल्कि उसका यह कहना था कि गायकवाड का चाल चलन खराब है शासन कुशासित है और उसमें सुधार करने की क्षमता नहीं है।” गायकवाड परिवार के एक युवा बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया गया और चूँकि बच्चा अल्पवयस्क था इसलिए

शासन का काय ब्रिटिशों ने अपने हाथ में लिया जिससे इहे अपनी इच्छानुसार काय करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

मैलेट ने इस सबध में लिखा है, "सही काय किया गया, पर इसे करने का तरीका उचित नहीं था । इससे एक अशुविधाजनक उदाहरण की सृष्टि हुई जिसने जन-आक्रोश को उभारकर बठिनाइया पदा की, जिसे दूर करने के ही लिए यह किया गया था ।"<sup>1</sup>

### आय समाज

लाड नाथब्रुक के काल का वाई विवरण पूरा नहीं होगा यदि हम उसी के काल में स्थापित आय-समाज आंदोलन के विषय में न बनायें । चूकि इस आंदोलन ने हिन्दुषा के सामाजिक जीवन के विकास में नाथब्रुक के उत्तराधिकारियों के काल में एक अहम भूमिका अदा की थी और इसका प्रभाव करोडा लोगो के मस्तिष्क पर अब भी पड रहा है, इसलिए पाठक हमें यहा इसका कुछ विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करने के लिए क्षमा करेंगे जो मात्र इसी वाइसराय के काल से जुडा नहीं है ।

#### स्वामी दयानन्द

इस आंदोलन के संस्थापक दयानन्द काठियावाड के सपन नगर मारवी में 1824 में पैदा हुए । यह स्थान भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम किनारे के निकट ही है । उनके पिता एक उच्च कुलीन ब्राह्मण थे जोर राज्य सरकार में एक आदरणीय स्थान पर नियुक्त थे । वे 'बडे, सयमी ब्राह्मण थे, उनमें धर्म के विश्वासा के प्रति कट्टरता और दृढता कट कूटकर भरी थी जबकि दूसरी ओर उनकी मा मधुरता, सज्जनता और अच्छाइयो की देवी थी ।"

दयानन्द, जिनका बचपन का नाम मूलशकर था, की शिक्षा 5 वष की आयु में प्रारम्भ हुई और 8 वष की आयु में उनका यज्ञोपवीत हो गया । उनके पिता ने स्वयं उनके लिए अध्यापक की भूमिका अदा की पर मूलशकर पिता के अधिकार के विरुद्ध लडनेवाले पैदाइशी क्रांतिकारी निकले । चौदह वष की आयु में जब पिता ने पवित्र भाव से शिवरात्रि का व्रत करने का कहा ता लडका 'अपन कात का मूर्ति पूजा का सबसे विरोधी और सफल व्यक्ति निकल जाया ।' उसकी प्रिय बहन की मृत्यु ने उसका ध्यान जन्म और मृत्यु के रहस्य में लगा दिया । उनके प्रिय चाचा की मृत्यु जो उन्हें गोद में उछाला करते थे 19 वष की आयु

1 मैलेट पूर्वोक्त प० 60 66 ।

2 लाजपतराय आय समाज, पृ० 4 ।

मे उह परेशान करने लगी। पूछने पर उहे बताया गया कि इसकी जानकारी केवल योगाभ्यास से ही हो सकती है। पर उह यह पता था कि योग बिना गह त्याग किये संभव नहीं है।

अपने पुत्र के मस्तिष्क में इस तरह के विचारों का अवलोकन कर उन्होंने उसके चारों ओर प्रेम का जाल डालना प्रारंभ कर दिया। पर दयानंद ने अपने पिता की योजना का विरोध किया और दृढ़ निश्चय के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। मित्रों के कहने पर विवाह एक वष के लिए टाल दिया गया। लड़के का यह प्रस्ताव था कि उसे आगे की शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया जाय, अस्वीकार कर दिया गया। इसकी जगह पर उसे इस उद्देश्य के लिए पड़ोस के एक गांव में एक धार्मिक व्यक्ति के पास भेज दिया गया। पर लड़का इससे सतुष्ट नहीं हुआ जिससे उसे वापस बुला लिया गया और उसके विवाह की तिथि तय कर दी गयी। पर इस तय की गई तिथि के लगभग एक सप्ताह पूर्व लड़का घर छोड़कर भाग गया और साधु हो गया। फिर उसे खोजकर एक रक्षक के नेतृत्व में बंद कर दिया गया पर उसी रात लड़का भाग खड़े होने में सफल हो गया और फिर अपने पिता से कभी नहीं मिला।

दूसरी बार घर छाड़ने के बाद अपना नाम बदल गेरा वस्त्र धारण कर पूरे 15 वष '1845 से 1860 तक दयानंद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ज्ञान और सत्य की तलाश में घूमते रहे प्रसिद्धि प्राप्त गुरु और योगियों की तलाश में वे हिमालय के अंदर के क्षेत्रों तक गये उहोंने भारत की पवित्र नदियों गंगा, जमुना और नवदा का बार बार पार किया और इन नदियों के निकट की ऊंची पहाड़ियों पर व चढ़े।<sup>1</sup> यही पर व प्रकृति के रहस्यमयी महिमा में रम गये। तीस वष तक इस तरह शिक्षा प्राप्त करने के बाद ढाई वष तक इस शिक्षा की अंतिम सीढ़ी उहोंने गुरु विरजानंद के पास रहकर पार की।

इसके बाद वे सामाजिक जीवन में आ गये। उहोंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों की यात्रा करके अपने दर्शन व शिक्षा का प्रसार किया। 10 अप्रैल 1875 का उहोंने बम्बई में आय समाज आंदोलन का प्रारंभ किया। लाहौर में आय समाज की स्थापना 1877 में की गई और वह यही स्थान था जो इसका प्रमुख केन्द्र बना और जहाँ इसके सिद्धांतों की अंतिम रूप प्रदान किया गया। 1877 से 1883 के बीच स्वामी दयानंद ने "शिक्षा देने व पुस्तकें लिखने में बिताया तथा पूरे देश में आय समाज संगठित करने में लगाया।" उह उत्तर प्रदेश आगरा व अवध, पंजाब तथा राजपूताना में शानदार सफलता प्राप्त हुई। ब्रह्म समाज की

तरह दयानंद के भी भाषण हिंदी में होते थे। स्वामी जी ने 1874 में 'सत्याय प्रकाश' का काम समाप्त किया। कुछ समय के लिए उनकी और थियोमोन्सिकल सोसाइटी की सस्थापिका मडम ब्लावटस्की की बातचीत दोनों सगठना को एक साथ सगठित करने को लेकर हुई। पर यह सफल नहीं हो पायी। जोधपुर के महाराजा सज्जन सिंह की एक मुस्लिम रखल द्वारा भोजन में हल्के विष द दिये जाने के प्रभाव से स्वामी जी की अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई। स्वामी जी महाराज के आमंत्रण पर वहां गये थे और नियमों का उल्लंघन कर उस रखल के साथ रहने को तैयार हुए थे।

**उनका विश्वास**—स्वामी के कुछ विश्वासों की यहाँ चर्चा आवश्यक है जिसके आधार पर बाद में समाज के सिद्धान्त बनाये गये। स्वामी का यह विश्वास था कि कुछ लोगों में देवी शक्ति अथवा लोगों से कुछ अधिक हो सकती है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ईश्वर की तरह एक ही तरह के हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, वह अक्षर्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार स्वीकृति उपासना की पद्धति है—स्तुति, प्रार्थना, और उपासना। प्रायश्चित्त का माग्य यह है कि पुनः पाप र करने का मकर लिया जाय। स्वामी कम में विश्वास करते थे और इसीलिए आवागमन में भी उनका विश्वास था। वे भाग्य में उतना ही विश्वास करते थे जितना वह कम में सहयोग देता था, इमक आगे नहीं।

व्यक्ति में यदि दृढ़ इच्छा हो तो उसके पास भाग्य को बनाने या विगाड़ने की शक्ति है। जीवित मातापिता को जादर दान के व पश्य मथ पर पितृपूजा में उनका विश्वास नहीं था। वेद अक्षर्य है और ज्ञान का अजन्म स्रोत। स्वामी का न ता बहुदेववाद ही में विश्वास था और न सर्वेश्वरवाद ही में। फिर भी वे यह मानते थे कि या तो ईश्वर विष्णु से अलग है पर वह जीवन के सिद्धांतों के आधार पर अतर्क्य है। ईश्वर का कभी अवतार नहीं हाता जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि जा केवल देवता हैं, उनका अवतार होता है। पुराणों की धार्मिकता में विश्वास नहीं करते थे और जाति प्रथा उनकी दृष्टि में हिंदू समाज में बुराई की जड़ थी। कोई भी ब्राह्मण या शूद्र पदा नहीं होता। शूद्र यह है जिसे का कम बुरा है और ब्राह्मण वह है जिसका कम अच्छा है।

ईश्वर और आत्मा दो जलज इकाइयाँ हैं जिन्हें जनन-अपन गुण हैं। पर वे दोनों अभिन्न हैं एक व्यापक है और दूसरा व्याप्य। तीन चीजें अविनाशनी अथवा निर्य है—ईश्वर आत्मा और प्रकृति। प्रकृति का उद्देश्य देवता की उत्पादन शक्ति की आवश्यक और स्वाभाविक क्षमता का विकास है। एक व्यक्ति ने किसी से एक बार पूछा, "जायो का उद्देश्य क्या है?" उत्तर मिला 'क्या, देवता और प्रमाण रूप में स्वीकार करना।' यहाँ भी यही बात है। ईश्वर की उत्पादन

क्षमता को अवसर मिलना चाहिए और आत्मा को अपने काम का फल चखना चाहिए।”

आत्मा के भौतिक बंधन का भी एक कारण है। कारण अज्ञान है जो सभी पापों का आधार है। आत्मा का अज्ञान से छुटकारा ही इस तरह मुक्ति है। पर मुक्ति का कुछ निश्चित समय होता है जिसके बाद आत्मा शरीर रूप धारण कर लेती है।

बुद्धिमान ही देवता है। पवित्र काय अकमण्यता से उत्तम है। सभी जीवों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरह वे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करें। स्वर्ग प्रसन्न मनादशा के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसमें अच्छे कर्मों के आधार पर आत्मा रहती है। नरक कष्ट की ही स्थिति का दूसरा नाम है।

“जो सत्य है उसके परीक्षण के पांच आधार हैं—(1) इसे प्रकृति और ईश्वर प्रदत्त चीजों का विरोधी नहीं होना चाहिए, (2) यह वेद विमुख नहीं होना चाहिए, (3) इसे आठ तरह के प्रमाणों के आधार पर सत्य और स्वाभाविक नियमों पर आधारित होना चाहिए, (4) इसे आप्त पुरुषों (विद्वान, सच्चे और पवित्र लोगों) की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तथा (5) यह हमारे बुद्धि के तक पर उचित होना चाहिए। प्रत्येक मिद्वान इन पांच परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए और ऐसा होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।”

सच्चा अध्यापक वह है जो वेद ज्ञान की शिक्षा दे सके। और सच्चा शिष्य वह है जो अपने गुरु को अपित हो और कुछ मीठान को डूँडुक् हो, जिसका चरित विश्वस्त हो और जिसमें ज्ञान प्राप्ति की पर्याप्त क्षमता हो। वे सभी गुरु हैं जो हमें असफलता से दूर ले जाते हैं और इनमें पिता, माता और शिक्षक सभी आते हैं।<sup>1</sup>

आय समाज वाला का नारा था कि ‘वेदों का अध्ययन करो जो पूरा है और सभी ज्ञान व विज्ञान के स्रोत हैं।’ इनके लिए कोई ऐतिहासिक या लौकिक सदर्भ उपलब्ध नहीं है।

सदस्या की योग्यता—स्वामी जी ने बताया कि एक व्यक्ति जो निम्न नियमों का परिपालन करे वही आय समाज का सदस्य हो सकता है—

- 1 ईश्वर सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण है।
- 2 ईश्वर सत्य है, ज्ञान है अनुत्पन्न है अतहीन है और ब्रह्माण्ड का कारण है। केवल उसी की पूजा की जानी चाहिए।
- 3 वेद सत्य ज्ञान की पुस्तक है। सभी जायों को उस पढ़ना चाहिए।

1 स्वामी जी का यह सभी विश्वाम उनकी पुस्तक सत्याय प्रकाश के अंत में लिया गया है जिसमें लाजपतराय ने उद्धरण किया है पूर्वोद्धृत पृ० 88 89।

- 4 आय को सत्य स्वीकार करने और असत्य को अस्वीकार करने को स्वतंत्र तैयार रहना चाहिए।
- 5 सभी काय अच्छाई के आधार पर किये जाने चाहिए और सही व गलत के महान अन्वयन के आधार पर किया जाना चाहिए।
- 6 समाज का प्रारम्भिक काय पूरे विश्व की शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दशा में सुधार करना है।
- 7 सभी के साथ प्रेम किया जाना चाहिए और उनके गुणों को आदर प्रदान किया जाना चाहिए।
- 8 अज्ञान को हटाना चाहिए और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए।
- 9 सभी को अपने गुणों को ही दूसरे में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
- 10 व्यक्तिगत क्षेत्र में सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए पर किसी भी व्यक्ति को सामान्य हित की जञ्जाइयों के पक्ष में नहीं आना चाहिए।

प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित पांच महायज्ञ करने चाहिए—

1 ब्राह्म यज्ञ जो दो तरह का है

(अ) सध्या अर्थात् ईश्वर की प्रतिदिन, प्रात एव साय पूजा।

(ब) स्याध्याय अर्थात् धार्मिक ग्रंथों से कुछ न कुछ प्रतिदिन पढ़ना।

2 दिवस का प्रारम्भ देव यज्ञ में होना चाहिए इसमें होम या घी को जलाया जाता है।

3 पित यज्ञ अर्थात् इसमें माता पिता की प्रतिदिन कुछ सेवा की जाय।

4 अतिथि यज्ञ अर्थात् किसी साधु सत अथवा विद्वान को भोजन कराया जाय।

5 बलि वैश्व देव यज्ञ अर्थात् गरीबों, असहायों तथा पालतू जानवरों के प्रति कर्तव्य पालन किया जाय।

मुख्य कार्यक्रम और त्रियाकलाप—मुख्य सिद्धांत<sup>1</sup> जिसपर आय समाज के विचार आधारित थे, (1) ईश्वर का पिता तुल्य मानना और व्यक्तियों में भाई-चारा, (2) लैंगिक भेद भाव नहीं, (3) आदमी और आदमी के बीच राष्ट्रों और राष्ट्रों के बीच पूर्ण समानता और सही काम। सभी व प्रकृति, कम और गुण के आधार पर समान अवसर की सुलभता, और (4) सभी के साथ प्रेम और दान की प्रवृत्ति का प्रयोग।

1910 में वाले-टाइन चिरोल के मतानुसार हिंदुओं में आय समाज का काय प्रशंसा योग्य था, "इसका संपूर्ण प्रयास किया गया कि छोटे लड़के और लड़कियों के बीच विवाह न हो। क्योंकि इससे हिंदू समाज का शारीरिक और नैतिक



दोनों पतन हुआ है, इसके अतिरिक्त हिन्दू विधवाओं की गिरी दशा सुधारन के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। इसके लिए आर्यों ने नारी शिक्षा को उत्साहित करने में भी कदम पीछे नहीं रखा है। उहनि इसके लिए एक लड़कियों का अनाथालय जालघर में खाना है तथा यहाँ पर विधवाओं के रहने की व्यवस्था की है जिसे देखकर लगता है कि इस दिशा में कितनी अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। और पुन अछूतों के मामले में आय समाज वह पहली देशी संस्था मानी जानी चाहिए जिसने नये काम किये और अपने समकालीन ईसाई मिशनरियाँ या कुछ कम इस्लाम के सामने सीना तान के खड़ा हो गया जहाँ पर अभी तक इन्हीं का एकाधिकार था। विद्यालय और विशेषकर औद्योगिक कक्षाओं की उहनि हर जगह में स्थापना की जिसने युवा पीढ़ी का स्तर ऊँचा किया और धीरे-धीरे छोटी जाति के लोगों को दासता के बंधन से मुक्त किया जिसमें वे अभी तक बंधे रहें थे।”<sup>1</sup>

आय समाज द्वारा पहला हिन्दू अनाथालय पंजाब में फीरोजपुर में स्थापित किया गया। यह काय स्वामी जी के ही जीवन काल में एक शानदार और बड़े भवन में प्रारम्भ किया गया। बाद में इसी तरह के अनाथालय उत्तरी भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित किये गए।

1897-98 में देश में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। आय समाज द्वारा इससे तस्त लोगों की सेवा के लिए मृत्यु सेवा की व्यवस्था की गई। हजारों बच्चों को बचाया गया और तमाम नये अनाथालय पंजाब में खोले गए। 1908 में यू० पी० में दुर्भिक्ष काल में सेवा-काय का आयोजन किया गया। इस दुर्भिक्ष सेवा में अथ बहुत सी समाज सेवाएँ भी जुड़ी थी जिनमें इस कठिनाई के काल में औषधि प्रदान करना, बीमारों की सहायता करना तथा मृत्यु प्राप्त लोगों के संस्कार की व्यवस्था करना। स्वामी जी ने 1904 में कागडा घाटी में भूकम्प आने पर उच्च स्तर पर दुःखग्रस्त लोगों के सहायताथ चेष्टा थी।

इसके अतिरिक्त आय समाज की एक रुचिकर योजना पढ़े और गैर पढ़े लोगों के बीच राष्ट्रीय भाषा के लिए आध्ययन की संगठित व्यवस्था करना था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक सत्य पर जोर, मन्कृत भाषा का अध्ययन पर जोर तथा देश में अंग्रेजी साहित्य व भौतिक प्रगति के ज्ञान का उत्साहवर्द्धन सम्मिलित था। और इस क्षेत्र में भी आय समाज को सफलता प्राप्त हुई।

1889 में नून में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कालेज खोला गया। 1901-02 के पंजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में इसके विषय में कहा गया कि यह “उत्तरी

1 किरोल इन्डियन अनरेस्ट (1910) प० 100-111।

2 डॉ० ए० बी० कानज साहौर में जन विचारण 1885 में प्रसारित ड्राफ्ट योजना की प्रतिका से।

भारत के रूचिकर शिक्षा प्रयासों में से एक है।" इसके विषय में स्वामी जी को विचार स्वयं आया था। 9 नवम्बर 1883 को, स्वामी जी के मृत्यु के बाद, लाहौर में एक बठक में जो विचार हुआ उस सबध में 20 जून 1885 के आय पत्रिका में लिखा गया, "हमारा एक मूल उद्देश्य है कि मृत्यु प्राप्त स्वामी का शानदार जीवन अमरत्व प्राप्त कर जाय और इसके लिए एक एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव सब-सम्मति से पारित कर दिया गया। जो दृश्य सामने आया वह देखने योग्य था। वैसे बैठक में मध्य श्रेणी के लोग अधिक थे पर इसमें तुरन्त 7000 से 8000 रु० तक एकत्रित हो गए। स्त्रियां, बच्चे यहां तक कि गरीब नौकर चाकर तक अपने सामर्थ्य सहित सहायताय सामने आये। कॉलेज का घोषित उद्देश्य था— (1) हिन्दी साहित्य के अध्ययन का प्रोत्साहन व विकास। (2) संस्कृत साहित्य और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन। (3) अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन।"

संस्था का स्कूल विभाग जून 1886 में और कॉलेज विभाग जून 1889 में खोला गया। संस्था का विकास इतना तीव्र हुआ कि 31 दिसम्बर 1913 को इसके स्कूल विभाग में 1737 छात्र और कालेज विभाग में 903 थे। शीघ्र ही एक-एक जालधर, हाशियारपुर और यू० पी० में कानपुर में डी० ए० वी० कॉलेज खोले गये। और अब डी० ए० वी० कॉलेज आदोलन के पास 31 मार्च 1929 तक—26,51,206 रु० थे।

शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था—1892 में आय समाज में दो मत हो गये जिसका कारण था कि लाहौर में स्थापित डी० ए० वी० कॉलेज किस सद्भावितक आधार पर चलाया जाय। मतभेद का आधार था कि अंग्रेजी विज्ञान और वेदों में संस्था में किसे प्रथम स्थान प्रदान किया जाय। जिन्होंने वेदों को आधार मानकर शिक्षा देने को कहा उन्हें धार्मिक कट्टरपथी कहकर कॉलेज की समिति से हटा दिया गया। पर उन्होंने अपने आदर्श को यथाथ में बदलने के लिए हरिद्वार से 3 मील दूर एक नयी संस्था स्थापित की जिसका नाम गुरुकुल रखा गया। गुरुकुल की स्थापना 1902 में मुशीराम के प्रयासों से हुई जो जालधर के एक सफल वकील थे।

गुरुकुल के सबध में भी वी० चिरोल का मत था कि द्रष्टव्य है, "इस प्रथा के अंतगत बच्चों को अल्पायु में ही गुरु के पास छोड़ दिया जाता है जो उससे उसके पिता समान या उससे भी अभिन व्यवहार करता है। आय समाज के गुरुकुल में 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों का प्रवेश किया जाता है। इस समय से वे बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं और अपने अध्ययनकाल तक वैसे ही अध्ययनरत रहते हैं जिसमें 16 वर्ष लगते हैं अर्थात् 10 वर्ष छोटी कक्षा में और 6 वर्ष उंची कक्षाओं में। इस पूरे काल में उन्हें ब्रह्मचारी ही रहना पड़ता है। इस पूरे

काल में कोई भी छात्र अपने घर नहीं जाने पाता। अपवाद केवल आपत्ति काल में होता है। उसके मा-बाप बच्चे से गुरुकुल के प्राचाय की अनुमति से ही भेंट कर सकते हैं और वह भी 1 महीने में एक बार से अधिक नहीं। इस समय (1910) पंजाब में 3 गुरुकुल हैं जिनमें से कागड़ी का सबसे महत्त्वपूर्ण है जिसमें 250 छात्र अध्ययन करते हैं।<sup>1</sup>

गुरुकुल को 16 मार्च 1913 में देखने पर यू० पी० के लेफ्टीनंट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने कहा, 'गुरुकुल अति नवीन और रुचिकर प्रयोग है जो इस प्रान्त में क्या, भारत में किया जा रहा है।'

आयसमाज का संविधान—आय समाज का नियमित संविधान है जिसमें बंद को ही सचशक्तिमान माना गया है। प्रत्येक प्रान्त में एक मुख्य आयसमाज होना चाहिए और शेष उस क्षेत्र में उसकी शाखाएँ। प्रत्येक मुख्य आयसमाज का संसूत में बंद सदस्य और आय भाषा में एक पुस्तकालय होना चाहिए। आय प्रकाश इसका साप्ताहिक मुखपत्र था। इसके सदस्यों को सत्यवादी और शुद्ध चरित्र होना चाहिए। सदस्यों को विशेषकर अविवाहितों को समाज के कार्य के लिए समय देना चाहिए। आय समाज के अध्यक्ष सचिव और अन्य सदस्यों को हर 8वें दिन एक स्थान पर मिलना चाहिए। इन बैठकों में सभी को वेद के सामवेद का गान करना चाहिए और बिना भेदभाव के विचार-विमर्श करना चाहिए। सदस्यों को अपने आय का 1% समाज को देना चाहिए। उन्हें वैदिक पद्धति में पूजा करनी चाहिए। आय समाज को वैदिक संस्कार करना चाहिए और आय विद्यालयों में वेद की शिक्षा देनी चाहिए। आय समाज को देश की प्रगति को ओर ध्यान देना चाहिए और विद्वानों को जनता के बीच शिक्षा देने के लिए भेजना चाहिए। आय समाज के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को धमक नहीं करना चाहिए। सिद्धांत पर चलने वालों और शुद्ध जीवन बिताने वालों को ही साधारण सदस्यों के ऊपर चले बग में लाना चाहिए। विवाह आदि अवसरों पर सदस्यों को आय समाज का चंदा देना चाहिए। इनमें कमी, बढोतरी या संशोधन काफ़ी विचार के बाद ही होना चाहिए।

प्रभावी सदस्यों को 10 नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी आय का 1% आयसमाज को देना चाहिए और नियमित रूप से बैठकों में भाग लेना चाहिए। आय समाज के 10 कमठ सदस्य अपना एक प्रतिनिधि प्रांतीय सभा को भेज सकता है।

प्रत्येक आयसमाज में एक कार्यकारिणी होनी चाहिए जिसमें 5 पदाधिकारी होने चाहिए। इनका चुनाव कमठ सदस्य करेंगे। ये पांच पदाधिकारी हैं—

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, लेखाकार और पुस्तकालयाध्यक्ष। इसके बैठक के लिए अपनी जगह होनी चाहिए और सुन्दर भवन होना चाहिए।

प्रत्येक प्रातः में एक प्रातीय सभा होगी जिसमें अपने सदस्यों के अनुपात में निचली इकाइयों से प्रतिनिधि आएंगे। प्रातीय सभा प्रवचन के नियमों में परिचय कर सकती है, धन एकत्रित कर सकती है, प्रचार व्यवस्था कर सकती है, एक या एक से अधिक अखबार निकाल सकती है और प्रातीय शिक्षा सभाओं का प्रवचन कर सकती है आदि। प्रातीय सभा के सदस्यों का चुनाव प्रति तीन वर्ष में होगा और अधिकारियों का प्रतिवर्ष।

प्रातीय सभाओं के प्रतिनिधियों से बनाई गई एक अखिल भारतीय आयसमाज भी बनाया गया।

आयसमाज का विकास—1928 में आयसमाज के दो अखिल भारतीय संगठन थे—1 सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा और 2 परोपकारिणी सभा जिसकी स्थापना स्वामी जी ने स्वयं की। इसकी 9 प्रातीय सभाएँ थीं। आयसमाजियों की प्रातः के हिसाब से निम्न संख्या थी—

पंजाब—500

यू० पी०—413

दिल्ली—200

सी० पी० और वरार—52

अजमेर—100

दम्बई—30

बंगाल और बिहार—20

वर्मा—10

इसके अतिरिक्त भारत के बाहर भी आय समाज था।

स्वामी दयानन्द का आय समाज देश की अपार सेवा कर रहा था, जैसा कि 1901 में पंजाब के सेसन रिपोर्ट से पता चला, दुर्भाग्य से इससे सदस्य अपने सुधार को हिंदू समाज तक सीमित किये हुए थे। ईश्वर को पिता तुल्य मानना आदमी व आदमी के बीच सौहार्द व व्यक्ति व राष्ट्र के बीच मधुर सम्बन्ध केवल हिंदू समाज के दायरे में ही घुमा फिराकर रह जाता था। बाहर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

लाहौर के इम्पीरियल पपर ने 3 अक्टूबर 1888 को अपने अंक में लिखा कि आयसमाजी अपने सदस्यों को मुसलमानों के विरुद्ध भड़का रहे हैं और उन्हें उनसे बदला लेने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि बाल विवाह

और पर्दा प्रथा की बुराईया भारत में मुस्लिम शासन की देन है।

अखबरे आम ने 23 फरवरी 1889 के अपने अंक में लिखा कि कुछ आर्यों ने सिख गुराओं के विरुद्ध कुछ कहा है। यह भी बताया गया कि किसी ने तमाम गलतियों वाले ग्रंथ साहब का प्रकाशन कराया है। रावी ने अपने 7 अगस्त 1889 के अंक में लिखा कि किसी न ग्रंथ फोविया नामक पुस्तक लिखी है जिससे सिखा की भावनाएँ आहत होती हैं।<sup>1</sup>

वालेटाइन चिरोल ने लिखा है कि, “स्वामी दयानंद का नैतिक नियम अस्पष्ट था और आश्चर्यजनक रूप से मानव स्वभाव की कमजोरी में सहायक हो गया था और साथ ही लोकप्रिय भेदभाव को भी उभाड़ता था। उदाहरणार्थ वेदा में जानवरों को मारने और गोजातीय मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पर विश्वजनीन हिंदू अधविश्वास को आदर देते हुए उन्होंने गोहत्या की घोर पाप बता दिया। यहाँ हमारे पास उनके सिद्धांतों का सार है। गाय की पवित्रता ही हिंदू संप्रदाय की ईसाइयों और मुसलमानों से विरोध का प्रमुख कारण है और दयानंद का सम्पूर्ण प्रयास व शिक्षा हिंदू धर्म को सुधारने की कम और विदेशी प्रभाव का विरोध करने की अधिक है जिसने उनके अनुसार उन्हें अराष्ट्रीय बना डालने का खतरा पैदा कर दिया था। इसी कारण जहाँ भी वह ईसाई या मुसलमान का नाम लेते हैं उनकी लेखनी आक्रामक हो जाती है। मासाहारी और शराबखोर, गोमासभक्षी विदेशियों के कारण ही, उनके अनुसार आर्यों पर विपदा आ गयी है। उन्होंने आर्यों के स्थान पर हिंदू शब्द का इसीलिए प्रयोग नहीं किया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति फारसी से है जिसके अनुसार इस देश में इनके आगमन से पूर्व भारत में ‘स्वर्ण भारत’ था और यहाँ की जनता ‘रोगमुक्त’ धनी मानी और सतुष्ट थी।” सच यह है कि उनका नारा था ‘आर्य आर्यों के लिए।’

पर समय बीतने के साथ हिंदुआ में यह आंदोलन लोकप्रिय होता जा रहा था। इसी कारण 1911 में पंजाब में इसकी सदस्य संख्या 2,43,000 हो गयी जो 1901 की ढाई गुना थी और 1991 की छ गुना।<sup>2</sup>

### नायब्रुक की विदेश नीति

मयो की तरह नायब्रुक ने भी सीमा क्षेत्र के प्रति सर जान लारेस की नीति अपनायी। ‘फायड नीति अपनाकर ब्रिटिश क्षेत्रों में इन स्थानों को मिलाने के

1 छाबड़ा जी० ए० सोशल ऐण्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पंजाब (1849-1901) प० 125-26।

2 चिरोल प० 109-10।

3 छाबड़ा जी० ए० हिस्ट्री ऑफ पंजाब भाग 2 प० 349-61।

स्थान पर वह मितलतापूर्ण शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्यों की एक ऐसी पट्टी चाहता था जो मध्यवर्ती राज्य का काम करे और ब्रिटिशों के विरुद्ध यदि उस ओर से कोई दबाव पड़े तो उसको सफलतापूर्वक झेल सकें।

### बर्मा

ऐसा ही सीमा क्षेत्र एक राज्य बर्मा का था जिसे नाथब्रुक उपरोक्त स्थिति में रखना चाहता था। उसका मत था कि, 'जब तक संभव हो हमारे क्षेत्र और चीन की सीमा के बीच यह मध्यस्थ राज्य रहे।' उसने आगे कहा, "जबकि हमें बर्मा के राजा के उस उत्तर का इंतजार करना चाहिए जिसमें हमारी प्रतिष्ठा और लाभ से जुड़े मांगों सबधी उत्तर होगा। पर मेरे विचार से इतने कमजोर और दयाश्रित राज्य के लिए मांगों में आवश्यकता से अधिक वृद्धि उचित नहीं है।"<sup>1</sup>

एमहस्ट के समय प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के कारण और डलहौजी के समय दूसरे युद्ध के कारण निचला बर्मा ब्रिटिशों के अधिकार में आ चुका था। राजा मिडन, जो शेष क्षेत्रों पर शासन कर रहा था, डलहौजी के बार बार के प्रयास के बावजूद ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था जिसमें उपरोक्त राज्यों को गवाने का विवरण हो। तभी से आंग्ल बर्मों सबंध मधुर नहीं रहे थे। 1862 और 1867 की संधि के आधार पर नियमित राजनैतिक और व्यापारिक सबंध स्थापित हो चुके थे और राजा ने माडले में एक रेजीडेंट रहनेकी स्वीकृति भी प्रदान की थी। पर राजा की इटली से 1871 में होने वाली मैत्री संधि ने और फ्रांस से 1873 में होने वाली संधि ने ब्रिटिशों को उत्तेजित कर दिया। इंग्लैंड में सेलिसबरी किसी कारण पश्चिमी चीन से व्यापार करने में अधिक रुचि लेने लगा और नाथब्रुक को लिखा कि वह इसके लिए अपना शिष्टमंडल भेजे। कर्नल ए० ब्राउन एक स्थलाकृति विशेषज्ञ अथ लीगा सहित और 15 सिख सैनिकों के रक्षा घेरे में इसलिए भेजा गया क्योंकि राजा अपने क्षेत्र से होकर ब्रिटिश सेना का नहीं जाने देना चाहता था। बर्मा की सना ने शिष्टमंडल को चीन की सीमा तक पहुंचा दिया जहाँ एकाएक सीमा पर चीनी सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया जिसमें कुछ अंग्रेज मारे गये जबकि बर्मा के सैनिकों की सहायता से शिष्टमंडल सकुशल वापस लौट आया। बर्मा के लोगों पर सदह किया गया पर यह सिद्ध नहीं किया जा सका। पर बाद में जब मोमी के चीनी गवर्नर लिसिताई को बर्मा के राजा को अतिआदर से सम्मानित कर भेंट की जिसके विषय में सदह था कि उसने ही आक्रमण को उत्साहित किया था, तो सेलिसबरी ने राजा के विरुद्ध तुरत

1 मोह्टन ई० सी० साइ नाथब्रुक इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, प० 221।

बड़ी कारवाई का आदेश दिया यदि वह उचित स्पष्टीकरण न दे। राजा ने स्पष्टीकरण देते हुए इस तरह के सबंध पुनः न करने का आश्वासन दिया। पर सैलिसबरी ने ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा में एक दूसरा शिष्टमंडल भेजने पर जोर दिया। इस सबंध में दीर्घकाल तक संधि वार्ता चलती रही और राजा के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ने के लिए कहा गया जिसके बाद उसने ब्रिटिश मांग तुरंत स्वीकार कर ली।

दूसरे मसले पर भी बर्मा से सबंध खराब हो गये। बर्मा के दक्षिण पूर्व में पश्चिमी बर्मेनी नामक एक कबीले का एक छोटा म्यान था जिस पर राजा ने अपना अधिकार बताया। यह क्षेत्र सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से होकर ही उत्तरी बर्मा, चीन व शान राज्य में जान का रास्ता था। ब्रिटिशों ने इसी कारण बर्मा के अधिकारों को चुनौती दी राजा नतमस्तक हुआ और 1878 में संधि की जिसके अंतर्गत दोनों ने पश्चिमी बर्मेनी की स्वतंत्रता स्वीकार की।

भारत के आगल भारतीय समाज में नाथब्रुक की कमजोर नीति को आलोचना हुई और शोर मचा। यह कहा गया कि उत्तरी बर्मा पर भी विजय प्राप्त की जानी चाहिए। सैलिसबरी ने भी वाइसरॉय को यह चेतावनी भेजी कि ऐसी नीति न अपनाई जाय कि जिससे यह लगे कि 'ब्रिटिशों ने युद्ध करने की परंपरा का परित्याग' कर दिया है। पर नाथब्रुक अपनी शांतिवादी नीति पर स्थिर रहा और उसने शिक्षित भारतीयों की प्रशंसा अर्जित की। नाथब्रुक ने लिखा, "भारत में पहले जैसा ही, स्थानीय रूप से उत्साहपूर्वक हो-हल्ला हुआ है जिसका अर्थ है कि हम बर्मा के राजा को जो हमारा सामना नहीं कर सकता, परीक्षण करें। पर मैं उसके साथ उचित व्यवहार करता रहूँगा।"<sup>1</sup>

### बलूचिस्तान

कलात या बलूचिस्तान में भी नाथब्रुक ने उदारता की नीति अपनाई और सैलिसबरी ममथित सिंध के कमिश्नर सर विलियम मेरीवेदर के फावड नीति को अस्वीकार कर दिया। कलात कुछ कबीलों के सरदारों का एक ढीला-ढाला संध था जिसपर खुदाबाद खा का शासन था। खा के ब्रिटिशों के सबंध 1854 की संधि पर आधारित थे जिसके अंतर्गत उसे ब्रिटिश क्षेत्र पर हुए आक्रमण को रोकना था, अपने देश से होकर गुजरने वाले कारवा की रक्षा करना, ब्रिटिशों से अपने विदेश नीति के सबंध में परामश लेना था और ब्रिटिशों को वही भी उसके क्षेत्र में सेना रखने का अधिकार देना था। इस सबके लिए खा को 50 हजार रुपये वार्षिक की वार्षिक सहायता मिलती थी।

भारत में नाथब्रुक को पहचाने के समय यहाँ आंतरिक द्वन्द्व मचा हुआ था।

1 मैलेट, बी, साइफ आक लाई टामस जार्ज, अलं आफ नाथब्रुक पृ 90-96।

खा को कबीले के सरदारों का विश्वास नहीं प्राप्त रह गया था, कारवाँ प्रायः लूट लिये जाते थे और ब्रिटिश क्षेत्र तक पर आक्रमण होने लगे थे। मेरीवेदर न प्रस्ताव किया कि खा को पद से हटा दिया जाय और कबीले के सरदारों का विश्वास प्राप्त करने वाले किसी और व्यक्ति को गद्दी प्रदान की जाय। उसने यह भी राय दी कि भारी कबीला जिसने ब्रिटिशों पर आक्रमण किया उसे घेर लिया जाय। पर नाथब्रुक ने ऐसे बड़े प्रस्तावों से असहमति व्यक्त की। उसने डेराइस्माइल खा के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन राबर्ट सा डेमन का शांतिपूर्ण दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जिसके अंतर्गत उसे ही भिन्न भिन्न कबीलों के सरदारों से मिलने तथा ब्रिटिश सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भेजा गया। उससे यह भी कहा गया कि उस क्षेत्र से होकर जाने वाले कारवाँ की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाय। सा डेमन का उद्देश्य सफल रहा। इससे उत्साहित होकर सा डेमन को दूसरा शिष्ट मंडल लेकर इसलिए भेजा गया कि वह खा और अन्य कबीलों के सरदारों के बीच सुलह कराये। वह अपने इस कार्य में भी सफल ही होने वाला था कि मेरीवेदर ने हस्तक्षेप किया और उससे यह पूछा कि वह किस अधिकार से सरदारों से संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस तरह का उसका शिष्टमंडल बिना अपना उद्देश्य पूरा किये वापस लौट आया। नाथब्रुक ने मेरीवेदर की बातें पसंद नहीं की और कलात के नियंत्रण का कार्यभार पंजाब के अधिकारियों को सौंप दिया और तीसरी बार अप्रैल 1876 में उसने सा डेमन को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा। सा डेमन का तीसरा प्रयास पूणतया सफल रहा, पर इसी बीच नाथब्रुक ने भारत के अपने पद से स्तीफा दे दिया।

## कश्मीर

मेयो की भांति नाथब्रुक भी यह सोचता था कि कश्मीर पर और कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। पहले तो इसलिए कि मध्य एशिया में रूसी लोगों को आगे बढ़ने से रोकना था जो पूर्वी तुर्किस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता था और जिसका रास्ता कश्मीर से होकर था, दूसरे कश्मीर सीमा पर हुजा, नगर डोर, स्वात आदि जैसे कबीले कश्मीर से होकर गिलगिट से ही नियंत्रित किये जा सकते थे जिन्हें अफगानिस्तान वाले भडका सकते थे, तीसरे, चूंकि कश्मीर के महाराजा भी विश्वस्त नहीं थे। उसके लिए पर्याप्त प्रमाण थे कि रूस के सम्पर्क में वह थे। 1868 में महाराजा ने सर जान लारेस की स्वीकृति तथा पंजाब सरकार के सचिव टी० एच० थानटन की सस्तुति पर ताशकंद एक गुप्त एजेंट भेजा। पर यह सब कुछ विस्मृति के अंधेरे में गायब हो गया और लारेस के उत्तराधिकारी के काल में महाराजा के ऊपर यह आरोप लगाया जाने



लगा कि "उसने रूस के साथ सबंध स्थापित करने का प्रयास किया है।" 1873 में महाराजा ने एक कश्मीरी खालिफदार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कश्मीर में रूसी शिष्टमंडल के एक सदस्य से प्राप्त किया था। उसमें यह इच्छा व्यक्त की गयी थी कि वह महाराजा से संपर्क करना चाहता है। महाराजा ने यह सूचना नार्थब्रुक को प्रेषित कर दी। पर इससे प्रसन्न होने की जगह वह रूस-कश्मीर के सबंध की सभावना से घबड़ा उठा। और अतत महाराज ने यारकंद से अपने आप व्यापारिक सबंधों के लिए वार्ता की जो अमृतसर की संधि के विरोध में नहीं थी। 1867 में जब यारकंद से एक दूत कश्मीर पहुंचा और व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर हो गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचना भारत सरकार को दे दी। सारे सतत शक्ति में था पर उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। पर उसके अधिकारी ने इसमें भी रूसी खतरे की सभावना देखी। इसका मूल परिणाम हुआ कि नाथब्रुक इससे कश्मीर में रेजीडेंट नियुक्त करने की अति आवश्यकता समझ बठा जो दिन प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा करे। उसकी उतावली इसी से सिद्ध है और उसने ह्वाइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नहीं ली।

रेजीडेंट की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव कश्मीर के महाराजा के पास यह बताते हुए भेज दिया गया कि मध्य एशिया की घटनाओं को देखरेख के लिए यह आवश्यक है और साथ ही इसमें उसके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोई इच्छा नहीं है।

पर महाराजा चौक पड़ा। उसके सामने पंजाब का उदाहरण था जहां रेजीडेंट की नियुक्ति के बाद पंजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के वायदा को भी वह सही नहीं मानता था क्योंकि ऐसे में विशिष्ट अधिकारी पर भी नियंत्रण संभव नहीं था। उसने 1866 में घाटी में कुछ आर्थिक परिवर्तन किये जिससे राजा को 3 लाख रुपये की हानि हुई पर इस सबंध में कोई भी विरोध किसी काम का नहीं रहा। एक कारण से लेह में नियुक्त एजेन्ट अब स्थायी बन गया था। विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति भी कष्टदायी हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन किया कि वह सदा ब्रिटिशों का विश्वस्त बना रहा है, उसने विद्रोह के काल में की अपनी सेवाओं को याद दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जागीर देना चाहते थे और जिसे उसने यह कहकर नहीं लिया था कि वह उनकी कृपादृष्टिमात्र ही चाहता है। जहां इस तरह की सेवाओं के लिए पटियाला जैसे राज्य को यह सुविधा मिली है कि वहां से सभी एजेन्तिया हटा ली गयी हैं, जबकि उसके ऊपर एक एजेन्सी आरोपित की जा रही है जो 1846 की संधि के अंतर्गत उचित नहीं है। महाराजा ने वाइसरॉय से

कहा कि उनका आन्तरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोषिक के स्थान पर दंड न दिया जाय ।

पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजीडेंट को रखने के प्रस्ताव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता और अतत "उसने स्वयं एक मध्यमाग प्रस्तुत किया। विशिष्ट अधिकारी की यात्रा 6 माह से बढ़ाकर 8 माह कर दी जाय और लेह के कमिश्नर की एक साल ।"<sup>1</sup> चूंकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपक 3-4 माह के लिए टूट जाता था इसलिए अधिकारी का कायकाल लगभग पूरे वर्ष ही हो जाता ।

नाथब्रुक का उद्देश्य पूरा हो गया । सभवतः उसने यह सोचा कि आखिर नाम में क्या रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजीडेंट का काय कर सकता है । इसलिए उसने पंजाब सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपक किया जाता था, कि इस अधिकारी के भविष्य में सब सूचनाएं दी जाए जो उनके और कश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर में कश्मीर के एजेट के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करें । यह चेष्टा की गयी कि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपकों की प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय । इस अधिकारी को स्वयं सूचना भेजी गयी कि किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओं पर निगाह रखे और बाद में जब पंजाब-कश्मीर पर नियंत्रण की समाप्ति हो गयी और सरकार ने सीधा उसका शासन अपने हाथ में ले लिया तो महाराजा को कहा गया कि वह उस अधिकारी के माध्यम से ही सपक करे, सीधे नहीं जैसा कि वह पहले पंजाब से किया करता था । नाथब्रुक नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया । कश्मीर पर पकड़ तगड़ी हो गयी ।

### अफगानिस्तान

लाड मेयो का उत्तराधिकारी 1872 में नाथब्रुक हुआ । मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद की नीति के थोड़े ही दिनों बाद खीब के खानाते पर उसने अधिकार कर लिया । इसके कारण शेर अली को विश्वास हो गया कि अफगानिस्तान में उसकी शक्ति को ही खतरा उत्पन्न हो गया है । इसीलिए 1873 में उसने एक बार पुनः ब्रिटिशों से अच्छे संबंध स्थापित करने की चेष्टा की जिससे कि वह अपने को गद्दी पर सुरक्षित पा सके । शिमला में अफगान राजदूत और लाड नाथब्रुक के बीच बातचीत हुई जिसमें राजदूत ने लिखित आश्वासन मांगा कि रूस के द्वारा या किसी और देश द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश अमीर की सहायता के लिए एक सेना उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर

1 ऐल्डर जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नादन मण्डियस पृ० 110 रिवाइ को कोट करते हुए ।

लगा कि "उसने रूस के साथ सबंध स्थापित करने का प्रयास किया है।" 1873 में महाराजा ने एक कश्मीरी खालिफदार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कश्मीर में रूसी शिष्टमंडल के एक सदस्य से प्राप्त किया था। उसमें यह इच्छा व्यक्त की गयी थी कि वह महाराजा से संपर्क करना चाहता है। महाराजा ने यह सूचना नाथब्रुक को प्रेषित कर दी। पर इससे प्रसन्न होने की जगह वह रूस-कश्मीर के सबंध की सभावना से घबड़ा उठा। और अतत महाराज ने यारकंद से अपने आप व्यापारिक सबंधों के लिए वार्ता की जो अमृतसर की संधि के विरोध में नहीं थी। 1867 में जब यारकंद से एक दूत कश्मीर पहुंचा और व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर हो गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचना भारत सरकार को दे दी। लारेस तब शक्ति में था पर उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। पर उसके अधिकारी ने इसमें भी रूसी खतरे की सभावना देखी। इसका मूल परिणाम हुआ कि नाथब्रुक इससे कश्मीर में रेजीडेंट नियुक्त करने की अति आवश्यकता समझ बैठा जो दिन प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा कर। उसकी उतावली इसी से सिद्ध है और उसने ह्वाइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नहीं ली।

रेजीडेंट की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव कश्मीर के महाराजा के पास यह बताते हुए भेज दिया गया कि मध्य एशिया की घटनाओं को देखरेख के लिए यह आवश्यक है और साथ ही इसमें उसके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोई इच्छा नहीं है।

पर महाराजा चौंक पड़ा। उसके सामने पंजाब का उदाहरण था जहां रेजीडेंट की नियुक्ति के बाद पंजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के वायदों को भी वह सही नहीं मानता था क्योंकि ऐसे में विशिष्ट अधिकारी पर भी नियंत्रण संभव नहीं था। उसने 1866 में घाटी में कुछ आर्थिक परिवर्तन किये जिससे राजा को 3 लाख रुपये की हानि हुई पर इस सबंध में कोई भी विरोध किसी काम का नहीं रहा। एक कारण से लेह में नियुक्त एजेन्ट अब स्थायी बन गया था। विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति भी कष्टदायी हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन किया कि वह सदा ब्रिटिशों का विश्वस्त बना रहा है, उसने विद्रोह के काल में की अपनी सेवाओं की याद दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जागीर देना चाहते थे और जिसे उसने यह कहकर नहीं लिया था कि वह उनकी कृपादृष्टिमात्र ही चाहता है। जहां इस तरह की सेवाओं के लिए पटियाला जैसे राज्य को यह सुविधा मिली है कि वहां से सभी एजेन्सिया हटा ली गयी हैं, जबकि उसके ऊपर एक एजेन्सी आरोपित की जा रही है जो 1846 की संधि के अंतर्गत उचित नहीं है। महाराजा ने वाइसरॉय से

कहा कि उनका आंतरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोषिक के स्थान पर दंड न दिया जाय।

पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजीडेंट को रखने के प्रस्ताव से पूणतया मुक्त नहीं हो सकता और अतः "उसने स्वयं एक मध्यमाग प्रस्तुत किया। विशिष्ट अधिकारी की यात्रा 6 माह से बढ़ाकर 8 माह कर दी जाय और लेह के कमिश्नर की एक साल।"<sup>2</sup> चूँकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपर्क 3-4 माह के लिए टूट जाता था इसलिए अधिकारी का कायकाल लगभग पूरे वर्ष ही हो जाता।

नाथब्रुक का उद्देश्य पूरा हो गया। संभवतः उसने यह सोचा कि आखिर नाम में क्या रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजीडेंट का काय कर सकता है। इसलिए उसने पंजाब सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपर्क किया जाता था, कि इस अधिकारी के भविष्य में सब सूचनाएँ दी जाएँ जो उनके और कश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर में कश्मीर के एजेंट के माध्यम से सूचनाएँ प्रेषित करें। यह चेष्टा की गयी कि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपर्कों की प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय। इस अधिकारी को स्वयं सूचना भेजी गयी कि किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओं पर निगाह रखे और बाद में जब पंजाब-कश्मीर पर नियंत्रण की समाप्ति हो गयी और सरकार न सीधा उसका शासन अपने हाथ में ले लिया तो महाराजा को कहा गया कि वह उस अधिकारी के माध्यम से ही सपर्क करे, सीधे नहीं जैसा कि वह पहले पंजाब से किया करता था। नाथब्रुक नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया। कश्मीर पर पकड़ तगड़ी हो गयी।

### अफगानिस्तान

साइमोन्स का उत्तराधिकारी 1872 में नाथब्रुक हुआ। मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद की नीति के छोड़े ही दिना बाद खीव के घानाते पर उसने अधिकार कर लिया। इसके कारण शेर अली को विश्वास हो गया कि अफगानिस्तान में उसकी शक्ति को ही छतरा उत्पन्न हो गया है। इसीलिए 1873 में उसने एक बार पुनः ब्रिटिशों से अच्छे संबंध स्थापित करने की चेष्टा की जिससे कि वह अपने को गद्दी पर सुरक्षित पा सके। शिमला में अफगान राजदूत और साइमोन्स के बीच बातचीत हुई जिसमें राजदूत ने लिखित आश्वासन मांगा कि रूस के द्वारा या किसी और देश द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश अमीर की सहायता के लिए एक सेना उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर

1 ए.ए.सी. जी० जे० ब्रिटिश इन्डियाज नादन प्रिन्सिपल पृ० 110 रिवाइड का काय करते हुए।

“उसने रूस के साथ सबंध स्थापित करने का प्रयास किया है।”<sup>1</sup> 1873 राजा ने एक कश्मीरी खालिफदार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कश्मीर शिष्टमंडल के एक सदस्य से प्राप्त किया था। उसमें यह इच्छा व्यक्त की कि वह महाराजा से संपर्क करना चाहता है। महाराजा ने यह सूचना को प्रेषित कर दी। पर इससे प्रसन्न होने की जगह वह रूस-कश्मीर के संबंधों से घबड़ा उठा। और अतत महाराज ने यारकंद से अपने आप एक सबंधों के लिए वार्ता की जो अमृतसर की संधि के विरोध में नहीं थी। मे जब यारकंद से एक दूत कश्मीर पहुंचा और व्यापारिक संधि पर हस्ता-गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचना भारत सरकार को दे दी। लारेस त्त में था पर उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। पर उसके अधि इसमें भी रूसी खतरे की संभावना देखी। इसका मूल परिणाम हुआ कि इससे कश्मीर में रेजीडेंट नियुक्त करने की अति आवश्यकता समझ बैठे प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा करे। उसकी उतावली इसी से और उसने ह्याइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नहीं ली। तीडेंट की निमुक्ति हेतु प्रस्ताव कश्मीर के महाराजा के पास यह बताते हुए ग गया कि मध्य एशिया की घटनाओं की देखरेख के लिए यह आवश्यक साप ही इसमें उसके राज्य के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप की कोई इच्छा ।

महाराजा चौंक पड़ा। उसके सामने पंजाब का उदाहरण था जहां रेजी नियुक्ति के बाद पंजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के वायदों को भी वह सही नहीं था क्योंकि ऐसे में विशिष्ट अधिकारी पर भी नियंत्रण संभव नहीं था। 866 में घाटी में कुछ आर्थिक परिवर्तन किये जिससे राजा को 3 लाख ।हानि हुई पर इस सबंध में कोई भी विरोध किसी काम का नहीं रहा। ण से लेह में नियुक्त एजेन्ट अब स्थायी बन गया था। विशिष्ट अधिकारी वित्त भी कष्टदायी हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन किया कि वह सदा का विश्वस्त बना रहा है उसने विद्रोह के काल में की गयी अपनी सेवाओं : दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जागीर देना चाहते थे और जिसे उसने कर नहीं लिया था कि वह उनकी कृपादृष्टिमात्र ही चाहता है। जहां इस सेवाओं के लिए पटियाला जैसे राज्य को यह सुविधा मिली है कि वहां से तेन्सिया हटा ली गयी हैं, जबकि उसके ऊपर एक एजेन्सी आरोपित की जा तो 1846 की संधि के अंतर्गत उचित नहीं है। महाराजा ने वाइसरॉय से

कहा कि उनका आंतरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोषिक के स्थान पर दंड न दिया जाय।

पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजिडेंट को रखने के प्रस्ताव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता और अतः "उसने स्वयं एक मध्यमाग प्रस्तुत किया। विशिष्ट अधिकारी की यात्रा 6 माह से बढ़ाकर 8 माह कर दी जाय और लेह के कमिश्नर को एक साल।"<sup>1</sup> चूँकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपक 3-4 माह के लिए टूट जाता था इसलिए अधिकारी का कार्यकाल लगभग पूरे वर्ष ही हो जाता।

नायब्रुक का उद्देश्य पूरा हो गया। संभवतः उसने यह सोचा कि आखिर नाम में क्या रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजिडेंट का कार्य कर सकता है। इसलिए उसने पंजाब सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपक किया जाता था, कि इस अधिकारी के भविष्य में सब सूचनाएँ दी जाएँ जो उनके और कश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर में कश्मीर के एजेंट के माध्यम से सूचनाएँ प्रेषित करें। यह चेष्टा की गयी कि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपकों की प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय। इस अधिकारी को स्वयं सूचना भेजी गयी कि किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओं पर निगाह रखे और बाद में जब पंजाब-कश्मीर पर नियंत्रण की समाप्ति हो गयी और सरकार ने सीधा उसका शासन अपने हाथ में ले लिया तो महाराजा को कहा गया कि वह उस अधिकारी के माध्यम से ही सपक करे, सीधे नहीं जैसा कि वह पहले पंजाब से किया करता था। नायब्रुक नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया। कश्मीर पर पकड़ तगड़ी हो गयी।

### अफगानिस्तान

लाड मेयो का उत्तराधिकारी 1872 में नायब्रुक हुआ। मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद की नीति के छोड़े ही दिनों बाद खीव के खानाते पर उसने अधिकार कर लिया। इसके कारण शेर अली को विश्वास हो गया कि अफगानिस्तान में उसकी शक्ति को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। इसीलिए 1873 में उसने एक बार पुनः ब्रिटिशों से अच्छे संबंध स्थापित करने की चेष्टा की जिससे कि वह अपने को गद्दी पर सुरक्षित पा सके। शिमला में अफगान राजदूत और लाड नायब्रुक के बीच बातचीत हुई जिसमें राजदूत ने लिखित आश्वासन माया कि रूस के द्वारा या किसी और देश द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश अमीर की सहायता के लिए एक सेना उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर

1 ऐन्डर जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नादन मण्डियस, पृ० 110 रिवाइ की फोट करते हुए।

चाहेगा। वाइसराय को प्रस्ताव ठीक लगा और उसने सेक्रेट्री आफ स्टेट के पाम यह लिखा कि "यदि वह पूणतया ब्रिटिश सबध के मामले मे हमारी बात स्वीकार करता और उसके अनुसार काय करता है तो हम उसे धन, अस्त्र और सेना से सहायता करेंगे जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को ढकेला जा सके। आवश्यकता का निणय हमारी ओर मे होगा।" पर सेक्रेट्री आफ स्टेट ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इच्छा व्यक्त की कि "अमीर को भीतिव सहायता देने के आश्वासन के समय अति सावधान रहने की आवश्यकता है जिससे कि उसमे अनावश्यक आशा का जागरण न हो" <sup>1</sup> इससे अमीर क्रुद्ध हो गया और 5000 राइफलो की भेंट तो उसने स्वीकार कर ली, पर वाइसराय के 10 लाख रुपये उसने लेने से इनकार कर दिया।

शेर अली पर यह बुरा प्रभाव दो घटनाओ के कारण और घनीभूत हो गया। भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान और फारस के बीच मेयो के काल मे मीस्तान मे सीमा सबधी झगडे मे मध्यस्थता का काम अपन जिम्मेदारी पर बिना मतलब ही ले लिया। यह उसे मालूम था कि जिसके भी विपक्ष मे मामला तय होगा वह तुरत उससे रुष्ट हो जायेगा। निणय अफगानिस्तान के विरुद्ध गया। और दूसरे पर शेरअली ने इच्छा व्यक्त की कि उसका लडका अब्दुल्ला जान उसका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाय और बडे लडके को उत्तराधिकारी न बनाया जाय। ब्रिटिशो ने सम्भवत किसी के पक्ष मे स्वीकृति न प्रदान कर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया क्योंकि उहे अब्दुल्ला जान की योग्यता का निश्चित रूप मे पता नही था। पर उन्होंने यह बताकर भूल ही की कि अमीर के उत्तराधिकारी को उससे बेहतर व्यवहार की आशा नही रहेगी।

अमीर अब यह समझ गया कि इस समस्या का सही हल अब यही है कि रूस से मंत्रीपूर्ण सबध स्थापित किये जाय। रूस पहले से ही अफगानिस्तान को मिलाने के लिए चेष्टाशील था। रूसी तुकिस्तान के गवर्नर जनरल कौफमान ने 1870 मे अमीर को मंत्रीपूर्ण तरीके से सूचना भेजी थी कि अमीर का भतीजा अब्दुल रहमान जिसने ताशकंद मे शरण ली है उससे कोई सहायता नही प्राप्त करेगा। अमीर, जिस पर लाड मेयो का जादू अब भी सवार था, ने इस पत्र को उसके पास प्रेषित कर दिया। पर अमीर को अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा के उत्तर मे जो रूसी उत्तर मिला था वह चालाकी से भरा हुआ था। इस सबने शेर अली के समक्ष स्पष्ट किया कि रूस उसमे आधे रास्ते को तय करने के बाद मिताने को तैयार है। इसके बाद रूस और अफगानिस्तान के

1 प्रसाद भी० द फाउण्डेशन आफ इण्डियान फारेन पालिसी (1860-1882) दिल्ली (1967) प० 139।

बीच पत्रों का आदान प्रदान और जल्दी जल्दी होने लगा ।

अफगानिस्तान से सबधों के मामला में लाड नायबुक् लाड लारेस से भी अधिक प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति का समर्थक लगता था । उसने इस नीति को बटटरता के स्तर तक अपनाया । यदि 1869 में नहीं तो कम-से-कम 1873 तक अमीर न अपने को योग्य सिद्ध कर दिया था तथा अफगान स्तर पर उसे उदबुद्ध शासक भी कहा जा सकता था । उसने निश्चित रूप से अनुभव कर लिया कि उसके लिए यह आवश्यक है कि वह रूस या ब्रिटिशों से सबध निकट बना ले और उसने स्वाभाविक रूप से जानबूझकर अपने को ब्रिटिशों की ओर कर लिया था । पर ब्रिटिशों ने एक निश्चित अवसर अफगानिस्तान में लाभ प्राप्ति का गवा दिया और लाड नायबुक् ने अमीर को अपने बड़े लडके याकूब खा को पडयत्त के सहारे कैद करने के प्रयास के लिए डाटकर गंभीर रूप से असंतुष्ट कर दिया ।

1874 में माच में इगलैंड में मन्त्रिमंडल बदल गया । डिज़रली ने ग्लैडस्टन का स्थान प्रधानमन्त्री के रूप में ले लिया, जबकि सैलिमबरी अप्रील के स्थान पर भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट था गये । नये प्रधान मन्त्री यह समझत थे कि उनके पूवाधिकारी ने मध्य एशिया में ब्रिटिश प्रतिष्ठा को घटाया है । 1873 में रूस ने इगलैंड को आश्चर्यस्त किया कि वह खींच लेने में रुचि नहीं रखता पर थोड़े काल बाद उसने इसका उल्टा किया । 10 मई 1874 को सेनापति लो माकिन को इस नये उत्तरी प्रांत का मैजिक गवर्नर बनाया गया और उसने शीघ्र ही सभी तुर्किस्तानी कबीलों को एक पत्र लिखा जिन पर अपना प्रभुत्वपूर्ण अधिकार जनाया । इसी बीच कौफमान का पत्र-व्यवहार शेर अली से बड़ गया और जब ब्रिटिशों ने विरोध किया तो यह बताया गया कि यह बघाई से सबधित पत्र-व्यवहार है । जब सैलिमबरी ने इसे भी बद करने को कहा तो उसे डाट पड़ी ।

दुभाग्य से नवीन मन्त्रिमंडल ने इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से लिया । रूस से कठोर नीति अपनाने के स्थान पर, जिसका कि सम्भवत कुछ उत्तर भी मिलता, मन्त्रिमंडल ने यह सोचा कि यदि रूसी सम्राट और मन्त्री जान बूझकर ब्रिटिशों से अपना सबध नहीं बिगाड़ते हैं तो उनका दूर के एजेण्टों पर तथा सैनिक नेताओं पर अधिकार कम होने के कारण, रूसी नीति अस्थायी ही होगी । आक्रामकता को बढ़ाने वाली शक्तियां लगातार उपस्थित थीं और रूसी अधिकारियों के मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । इन परिस्थितियों में समस्या का समाधान लाड लारेस की पुरानी नीति को बदलना था तथा दो दिशाओं में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना था । पहली तो यह कि इगलण्ड अफगानिस्तान में नैनत्वपूर्ण स्थिति अर्जित करे और दूसरे यह कि अमीर अपने देश में एक ब्रिटिश एजेण्ट स्वीकार करें । प्रथम दिशा में कलातखा के साथ बातचीत प्रारंभ हुई जिसका दो उद्देश्य था । पहला तो यह कि क्वेटा पर अधिकार कर लिया जाय और दूसरा



कलात में ब्रिटिश एजेण्ट नियुक्त किया जाय जो सम्भवत मध्य एशिया में ब्रिटिश एजेण्टों की अगुआई करता और शेष स्थानों पर इनकी नियुक्तिया इसके बाद होती। पर अफगानिस्तान के अमीर ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतत 1876 में खा के साथ एक संधि की गई जिसके अंतगत ब्रिटिशों को क्वेटा प्राप्त हो गया।

दूसरी बात के संवधमें सेक्रेट्री आफ स्टेट सैलिसबरी ने नाथब्रुक को यह समझाया कि एक ब्रिटिश एजेण्ट हेरात में नियुक्त किया जाय और सम्भवत कांधार में भी जिसका उद्देश्य था, “सही और लगातार सूचना की प्राप्ति।” “यह वर्तमान समय में सावधान नीति अपनाये जाने के लिए आवश्यक है।” लार्ड नाथब्रुक ने योग्य लोगों के बीच इसकी शुद्ध छानबीन कराई और फिर सैलिसबरी को लिखा, अम्बाला में 1869 में जो कुछ हुआ उसकी जाच के बाद हम यह नहीं सोचते कि यह कहना उचित है कि अमीर ने हेरात में कभी ब्रिटिश अधिकारी का प्रस्ताव स्वीकार किया वे योग्य लोग जिनके मत की महत्ता है उनका कहना है कि अमीर अफगानिस्तान में ब्रिटिश अधिकारियों के रखने पर इतराज करेगा जब तक कि सरकार के गृह क्षेत्र में नीति परिवर्तित करने की इच्छा नहीं है और अभी तक जिस तरह के संवध रहे हैं उससे बेहतर संवध की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसी स्थिति में अमीर के पास एक औपचारिक घोषणा की सस्तुति नहीं कर सकते जिसमें हेरात में ब्रिटिश अधिकारी के नियुक्ति की बात हो।”<sup>1</sup>

एक ब्रिटिश एजेण्ट का ऐसा प्रस्ताव सचमुच आश्चर्यजनक था। 1869 और 1873 में जब अमीर ने ब्रिटिशों से सुरक्षात्मक संधि के लिए पहुंच की थी तो उससे कहा गया था रूस का खतरा है ही नहीं पर अब एकाएक उसे यह समझाने का प्रयास किया गया कि रूसी खतरा तो है ही और यह कि उसे अपनी इच्छा के विपरीत भी अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश एजेण्ट रखना चाहिए। नाथब्रुक को इस तक में कोई जान नहीं दिखाई दी और उसने सेक्रेट्री आफ स्टेट को लिखा, “मैं अमीर के प्रति आपके सदेहों पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वे किसी अधिकारी द्वारा सही नहीं बताये गये हैं।” पर सेक्रेट्री आफ स्टेट वाइसराय की बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने यह कहत हुए एक शिष्टमंडल भेजने की बात दुहराई, “स्पष्टतया किसी छोटे राजनैतिक लाभ की ओर उसे ले जाने से कई लाभ हानि जो कठिन नहीं होगा चाहे उसे खोजना ही हो या आवश्यकता हो तो चाहे पैदा ही क्यों न करना हो।”<sup>2</sup>

इस कारण इन परिस्थितियों में लार्ड नाथब्रुक के समझ पद-त्याग करने के अनिश्चितताई रास्ता नहीं था। पर ऐसा करने से पूर्व उसने सेक्रेट्री ऑफ स्टेट

1 मलेट प० 108 प्रमाण की० पृष्ठोत्तर प० 144 63 भा २६।

2 देखें बर्नार्ड मलेट टामस जॉन अर्ल ऑफ नाथब्रुक (1908) प० 91।

को एक चेतावनी भेज दी कि अमीर की इच्छा के विरुद्ध उसपर शिष्टमंडल का आरोप ब्रिटिशों के लिए अफगानिस्तान में एक अनावश्यक और महंगे युद्ध को ला देगा जो कई वर्षों तक चलता रहेगा।<sup>1</sup>

क्रोमर ने लिखा है कि, "भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में लाड नाथब्रुक लार्ड सारेस की परंपरा से जुड़ा था। वह देशी गजाओ के हितों का सबल समर्थक था और दृढ़ता से यह स्वीकार करता था कि लाड डलहौजी ने उनके अधिकारों की अवहेलना कर बड़ी भूल की थी। वह सभी प्रकार के बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध था। वह उस राजनीतिक और कूटनीतिक पक्ष से घृणा करता था जो यह कहते थे कि पुरातनवादी लोगों का विरोध किया जाना चाहिए। उसका सीधा अस्त्र सत्यता का था।"

वाद में लार्ड लिटन के काल में जब अफगानिस्तान के प्रति उसकी नीति बदल दी गई तो उसके परिणाम भयानक हुए पर फावड़ नीति वालों ने इसके लिए लाड नाथब्रुक को दोषी ठहराया। आरोप यह लगाया गया कि उसने शेर अली के कहने पर उसे रक्षा की गारंटी नहीं दी। पर नाथब्रुक ने लाड्स को याद दिलाया कि उस समय सदन में पूरे मसले पर विचार किया गया था और "वर्तमान अनुदारवादी सरकार की नीति जो उस समय के अभिभाषणों में व्यक्त की गई थी वह यह थी कि शेरअली की इच्छानुसार उसकी मांग की पूर्ति नितांत असंभव है जिसमें वह बिना शत सुरक्षा की गारंटी चाहता है।"

लाड नाथब्रुक ने ऐसे प्रश्न पर स्तीफा दिया जिसने मैलेट की दृष्टि में उसे भारतीय हित का ब्रिटिशपूर्वाधिकारों व हितों की तुलना में, मसीहा बना दिया। "लार्ड क्रोमर ने इसकी विवेचना की है, "इस मामले में लार्ड बैंकसफोल्ड (फरवरी 1874 में) की सरकार ने कड़े दबाव डालकर 5 प्रतिशत आयात कर को वापस कराना चाहा जो मैनचेस्टर के सामान पर लगाया गया था। लाड नाथब्रुक ने मजबूती से इस दबाव को अस्वीकार कर दिया। वैसे तो वह स्वयं स्वतंत्र व्यापारी रहा था, पर उसने पूरा शक्ति के साथ उत्तर दिया कि यह कर रक्षण के कारण नहीं बल्कि राजस्व के लिए लगाया गया है और इसकी समाप्ति और अय्य करों को लगाने की बाध्यता प्रस्तुत करेगा जो भारतीयों को बुरे लगने वाले होंगे और यह कि 'राजनैतिक' दृष्टि से यह अत्यधिक बुद्धिहीनता की बात होगी कि हम स्पष्ट रूप से भारत के हित का मैनचेस्टर के लिए बलिदान कर दें।" सैलिसवरी बहुत परेशान था। वह नाथब्रुक से पूणतया अफगानिस्तान में एजेण्ट नियुक्त किये जाने के मामले पर भिन्न मत रखता था। स्थिति और गंभीर न हो जाये इसलिए

1 देखें, बर्नार्ड मैलेट टॉमस जॉन अल आफ नाथब्रुक (1908), पृ० 105।

2 वही।



जुड़े हो सकते हैं जिसने उसके चरित्र को उत्साहित किया है।" पर यह उत्तर यह सिद्ध करता है कि वाइसराय इन मामलों पर दूरदृष्टि नहीं रखता था।

पर ऐसे विषय वस्तु की कमी नहीं है जिसके आधार पर नाथयुक्त की प्रशंसा न की जा सके। 1874 के बंगाल दुर्भिक्ष के अवसर पर किस तरह पहली बार प्रत्येक जीवन बचाने का प्रयास किया गया, इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उसने जब यह देखा कि लाड सैलिसबरी भारतीय आर्थिक हितों को ब्रिटिश आर्थिक हितों के नीचे दबा देना चाहता है तो उसने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। और इसके लिए भी वह एक सिद्धान्तप्रिय व्यक्ति के रूप में वाय न हो जान तक हमारी प्रशंसा का पात्र है। पर प्रत्येक आक्रामकता के बावजूद उसने अपना सतुलन बनाय रखा।

अपनी जाति के प्रति घमंड की भावना से अत्रस्त, नाथयुक्त की भारतीयों के प्रति नीति रिपन से मिलती-जुलती थी जिमके इन्वेंट बिल के सम्बंध में उसने कहा था, 'यह देशी लोगो की महत्तम आवश्यकता है कि वे लगभग हमारी तरह ही शिक्षा प्राप्त करें, इन मामलों में रिपन की नीति का मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ।'

एक बार समझौता हो जाने पर नाथयुक्त कभी भी उससे पीछे नहीं हटता था चाहे जो कुछ हो जाय। भारत में दुर्भिक्षकाल में भी चावल का निर्यात, उसका अफगानिस्तान के अमीर के साथ समझौते के विरुद्ध कुछ न करने से इनकार, तथा भारतीय राजाओं से हुए संधियाँ व समझौता पर उसका डटा रहना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो उसके पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

लाड कजन ने उसके विषय में लिखा, "लाड नाथयुक्त बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे इंग्लैंड की परिभाषा में द्विग मस्तिष्क वाला पुकारा जाता है। वह प्रशासन और अन्य कार्यों के मामले में 'यायप्रिय और उदार था उसने भारत के प्रति कभी अपना आदर नहीं छोया। सभी पुराने वाइसरायों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय मामलों में लगातार रूचि बनाये रखी। उसने मेरे कार्यकाल में लगातार मुझसे पत्रव्यवहार बनाये रखा जैसा कि उसने इसके पहले के लोगो के साथ भी किया था जबकि उसे भारत छोड़े 30 वर्ष हो चुके थे।"<sup>1</sup>

भारत से अपने पद से त्याग-पत्र देने के बाद नाथयुक्त को अल का पद प्रदान किया गया। 1880 में जब ग्लैडस्टन ने शक्ति प्राप्त की तो उसे फस्ट लाड आफ ऐडमिरैल्टी नियुक्त किया और मंत्रिमंडल में उसे पूर्वी मामलों का मुख्य परामशदाता नियुक्त किया गया। वह 1819 में हैम्पशायर का लाड लेफ्टीनेंट नियुक्त किया गया और इसके 15 वर्ष बाद स्ट्रेट्टन में 15 नवम्बर 1904 को उसका देहान्त हो गया। माइकेलडेनर में उसे दफनाया गया।

1 कजन पूर्वोक्त, प० 253।



## लाडं लिटन (1876-1880)

### आन्तरिक नीति

एडवड राबट बुलवेर लिटन का जन्म 8 नवम्बर 1831 को हुआ । डिजरेली ने उससे विषय में कहा था, "एक महत्वाकांक्षी, कल्पनाशील, दप और शक्ति वाला व्यक्ति ।" उसका पिता प्रथम लाड लिटन एडवड बुलवेर एक महान उपयासकार था । उसकी मा रोसिना भी एक सपन्न परिवार से जुडी थी । उसने अपनी शिक्षा हैरो तथा जमनी में बान में प्राप्त की । अपने पिता से उसने साहित्यिक दृष्टि सस्कार में प्राप्त की और उसने 30 वर्ष की आयु के पूर्व ही दो भागों में अपनी अच्छी कविताओं का सकलन प्रकाशित कराया । विदेश सेवा के सदस्य होने के कारण उसने कई योरोपीय पदों पर काय किया । 1869 में उसने एडवड विलियस की पुत्री से विवाह किया । विलियस ब्रिटिश विदेश मंत्री लाड क्लेरेडन का भाई था । 1872 में उसे लिस्बन में मंत्री नियुक्त किया गया । दूसरे वर्ष अपने पिता की मृत्यु पर वह पियर बन गया । 1875 में उसने मद्रास की गवर्नरी लेने से इनकार कर दिया था और कवि का शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता था । पर जब दूसरे वर्ष उसे भारत के गवर्नर जनरल का पद प्रदान किया गया तो उसकी पत्नी ने उसे वह पद स्वीकार कर लेने के लिए दबाव डाला ।

### दुर्भिक्ष

भारत में पहुँचते ही लिटन का स्वागत भयंकर दुर्भिक्ष ने किया । 1876-78 के वर्ष इस देश के लिए विपदा और भय लेकर आ पहुँचे जिसमें सामर्थ्य और जीवन का विनाश हो गया । लगातार दो मानसून असफल हो गये जिससे दुर्भिक्ष का काल भी बढ़ गया । मैसूर और हैदराबाद, बम्बई के तमाम जिलों और मद्रास के तमाम क्षेत्र इससे बहुत प्रभावित हुए । उत्तर पश्चिम प्रान्त और अवध भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सके । पूरे तौर पर 3 करोड़ 90 लाख लोगों पर इसका



घाटने के लिए भारतीय भद्रजनो की समिति बनायी जानी चाहिए, (11) कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर व्यक्तिगत व्यापारिया को भोजन सबधी सामग्री का पूर्ति का अवसर खुले बाजार म देना चाहिए बस उसके काय पर तीव्र दृष्टि रखी जानी चाहिए, (12) दुर्भिक्ष क्षेत्र मे भ राजस्व वसूली या तो रोक् देनी चाहिए या वापस ले लेनी चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अनाज और बैलो की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, (13) स्थानीय जमीदारो को ऋण आदि के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, (14) जहा भी आवश्यक हो जानवरो को घास घाले क्षेत्रा म ले जाने की सुविधा दी जानी चाहिए, (15) जनता और स्थानीय सरकारो म उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए व्यय का बोझ स्थानीय करो पर डाला जाना चाहिए और केन्द्र को सावधानीपूर्वक छानबीन के बाद अवश्य सहायता भी करनी चाहिए, (16) इस धन के व्यय के लिए, करदाताओ मे से कुछ प्रतिनिधियों को लेकर सहायता काय मे उत्तरदायी बनाना चाहिए, (17) कि उपरोक्त सस्तुतियों के प्रकाश मे एक सहायता योजना पहले से ही तैयार रखी जानी चाहिए जिसे आपातकाल मे तुरत लागू किया जा सके और (18) कि एक अस्थायी दुर्भिक्ष नियम बना डालना चाहिए जो स्थानीय सरकारें आवश्यकतानुसार अपना सके, पर इन्ह के द्वीय नियन्त्रण मे रहना चाहिए।

इस तरह से सहायता सबधी य सस्तुतिया थी जो भारतीय दुर्भिक्ष इतिहास मे स्वर्णिम पृष्ठ के रूप मे हैं। नि स्सदेह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये और अतत यह निर्णय किया गया कि वजट मे 1 करोड 15 लाख रुपये का प्रावधान भविष्य के दुर्भिक्ष के लिए हर वष रखा जाय। यह धन फेमीन रिलीफ एण्ड इश्योरेस शीर्षक मे रखा जाना चाहिए जिसका कुछ भाग रेलवे और नहरो जैसे रक्षात्मक काय के लिए व्यय किया जाना चाहिए।

इही सस्तुतियों के आधार पर 1883 का 'दुर्भिक्ष कोड' बनाया गया जिसके आधार पर 'प्रान्तीय दुर्भिक्ष कोड' बनाये गये। इस कोड के कई भाग थे। प्रथम भाग मे यह था कि अच्छे काल मे क्या सावधानिया बरती जाय, दूसरे मे आपदा काल मे क्या सहायता काय आयोजित किया जाय, तीसरे मे भिन्न भिन्न लोगो के कत्तव्य जब सहायता काय प्रारभ कर दिया जाय, चौथे म वे आकार जिस पर प्रभावित क्षेत्रो को 'अभाव और 'दुर्भिक्ष' वाले जिलो मे बाटा जाय तथा उनका सहायता सर्किलो मे विभाजन और शेष अय मामला के सम्बन्ध म।

1878 का घर्नाबयुलर प्रेस ऐक्ट

पर एक क्षेत्र मे प्राप्त प्रतिष्ठा दूसरे क्षेत्र मे गवा दी गयी। सीमा पर 'फावड नीति' को अपनाते का निश्चय करके आने वाले, "भारत मे इस उतावले गवर्नर





ऐक्ट तुरन्त वापस न लिया गया तो यह आगे बढ़ रहे तकपूर्ण और उदार लेखका को उनके गन्तव्य पर पहुँचने से पूर्व ही तबाह कर देगा, यह सरकार के लिए प्रदत्त एक निश्चित सूचना साधन को बर्बाद कर देगा जिससे जनमत की जानकारी मिलती है। यह स्वस्थ राजनीतिक विकास को दबा देगा, उपयोगी आलोचना को समाप्त कर देगा और खुराफाती प्रवृत्ति को तीव्रतर कर देगा। सर असकिन ने इस कुविचारित काय्य बताया जबकि मोदी ने कहा, "सम्भवतः इस ऐक्ट का सबसे बुरा काय्य यह था कि इसे अंग्रेजी समाचार पत्रों पर नहीं लागू किया गया, जो कि बहुत-से मामलों में पत्र शिखर पर पहुँच चुके थे।"<sup>1</sup> पर लाड लिटन वह व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर इन आलोचनाओं का प्रभाव पड़े। यह ऐक्ट चलता रहा और रुचिकर बात तो यह थी कि 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने को बर्नाक्विलर से अंग्रेजी भाषा में ढाल लिया।

### अन्य परिवर्तन

लाड लिटन के काल के कुछ प्रमुख घटनाओं में से एक था सरजान स्ट्रैची द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सुधार। वह वाइसराम के कौंसिल में अथ सदस्य था। उसके सुधारों में एक महत्वपूर्ण सुधार नमक कर संबंधी था जिसपर अभी तक अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दर पर कर लगता रहा था। इन परिस्थितियों में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नमक का अवैध व्यापार, एवं उन भारतीय राज्यों से जहाँ इस पर कर नहीं लगता था कि उन ब्रिटिश क्षेत्रों में जहाँ कर लगता था इसकी हेराफेरी चलती थी इसपर रोकथाम के लिए एक अभेदनीय चुगी की पक्की सिध्द म अटक से लेकर मद्रास में महानदी तक के बीच 2500 मील की लम्बाई में बनायी गयी थी। कहीं-कहीं पर इसके लिए दीवारें कहीं पर कैन्टस की झाड़ियाँ और गड़दों से सुरक्षा की व्यवस्था की गयी थी। इतनी लम्बी पक्की के लिए केवल पेट्रोल हेतु ही 13,000 आदमियों की आवश्यकता थी जिसका विवरण नाथब्रुक के काल में हम कर आये हैं। इसकी दवा केवल दो ही थी। प्रथम, भिन्न भिन्न प्रांतों में नमक कर एक दर पर कर दिया जाय और दूसरे, कि भारतीय राज्यों में नमक उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाय। दूसरी दिशा में लाड मेयो और नाथब्रुक के काल में कुछ कदम उठाये जा चुके थे जिसके परिणामस्वरूप चुगी की पक्की को 1000 मील लाड नाथब्रुक के काल में कम कर दिया गया। शेष 1500 मील को स्ट्रैची ने साफ कर दिया जिसके प्रयास के फलस्वरूप नमक कर में उपस्थित भेदभाव में काफी कमी आ गयी।

स्ट्रैची ने देश में स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र में भी कदम उठाये। 1878 में चीनी

पर स 29 अय वस्तुओं सहित चुगी हटा ली गयी। स्ट्रैची का एक और महत्वपूर्ण कदम मोटे सूती वस्त्रों पर से 5% के आयात कर से हटाना था, जिसके लिए देश में अच्छी बाजार थी। वाइसराय के दृष्ट से सदस्यों ने यह कटकर इस कदम की आलोचना की कि यह कदम भारत के अहित में है और इसके द्वारा इंग्लैंड की सरकार का प्रसन्न करने की चेष्टा की गयी है जिसने ब्रिटिश उत्पादकों का समर्थन जुटाने के लिए 1877 में एक प्रस्ताव रखकर भारतीय सरकार से यह कदम उठाने को कहा। पर यह सरकार को कृतज्ञ बनाने के लिए लिटन ने विरोध की चिन्ता किन्तु बिना उसने बहुमत को अस्वीकार करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे पारित कर दिया। क्लक्त्ता के चेंबर आफ कामर्स ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा, 'इंग्लैंड के लोग भारत के आर्थिक त्रियाकलापों पर निगम और प्रभाव अधिक डालने की क्षमता रखते हैं जिनको भारत के हितों और जनता की इच्छा की चिन्ता नहीं है।'

लाड लिटन के सुधारों में एक उसके द्वारा 1879 में स्थापित स्टेच्युटरी सिविल सर्विस की स्थापना थी। 1833 के चार्टर ऐक्ट और 1858 की घोषणा में यह आश्वस्त किया गया था कि भारत का कोई नागरिक किसी भी पद को भारत सरकार के अधीन प्राप्त करने में राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या रंग के आधार पर रोक नहीं जायगा। इन परिस्थितियों में लाड लिटन की जो नीति थी उसके सबध में उसने स्वयं कहा, "अस्पष्ट और शीघ्रता में रचित आश्वासनों को पहले परिभाषित किया जाय। सावधानीपूर्वक उसपर विचार किया जाय और फिर उनकी आवश्यक सीमाओं में उन्हें कायरूप प्रदान किया जाय।" इस नीति पर चलते हुए उपरोक्त सुधार किया गया जिसके अंतर्गत प्रतिज्ञाबद्ध कमचारियों का छठवा भाग अब उन भारतीयों में से होने थे जो प्रांतीय सरकारों द्वारा नामित और वाइसराय तथा सेक्रेट्री आफ स्टेट से स्वीकृत हों। स्टेच्युटरी सिविल सर्विस प्रतिज्ञाबद्ध और अप्रतिज्ञाबद्ध कमचारियों के बीच की स्थिति में थे और इन अभ्यर्थियों को दो वर्ष के परीक्षण काल पर कार्य करना होता था। और कुछ विशेष परीक्षाओं भी उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। पर इस नवीन संवा में उच्च श्रेणी के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया और जो आये भी वे आर्डिनरी साबाईनेट सर्विस के माध्यम से भी नियुक्त हो सकते थे। लिटन का उद्देश्य यह था कि 'पढ़े लिखे भारतीयों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त धनी युवकों से अलग कर

1 हमने इस विषय की विस्तृत चर्चा लाड नायडू के अध्याय में की है और हमने यह देखा है कि किस तरह इसका कारण सलिसबरी से उसके सम्बंध विगड गये जो भारत का सेक्रेट्री आफ स्टेट था।

दिया जाय।"¹ पर वह सफल नहीं हो सका। इस नवीन प्रथा को 8 वर्ष के प्रयोग के बाद समाप्त कर दिया गया।

### आर्थिक विकेंद्रीकरण

लाड लिटन ने मेमो की आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया। 1877 के अपने प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय सरकार को भू राजस्व, सामान्य प्रशासन, आवकारी लेखन सामग्री, विधि, याय, टिकट आदि के अधिकार दे दिये। राज्यों को दिया गया राजस्व व व्यय 1877-78 के आकड़े पर आधारित किया गया। पर चूँकि अनुमानित आय व्यय से कम आयी, इसलिए केन्द्र ने प्रत्येक प्रांत के लिए सीमिन काल के लिए 'ऐडजस्टिंग असाइनमेंट' का प्रावधान किया और यह तय किया गया कि यदि किसी प्रांत ने असाइनमेंट से कम खर्च किया तो वह शेष प्रांत के खाते में जोड़ दिया जायेगा जबकि अधिक व्यय करने पर यह धनराशि काट ली जायेगी।

इस प्रस्ताव ने स्थानीय सरकारों पर कुछ अतिरिक्त बंधन भी डाल दिये। उह सभी आदेशों के नियमों का पालन करना होता था जो केन्द्र के आर्थिक नियम के अंतर्गत बनने थे। उहे अब भी वार्षिक बजट का अनुमान और लेखाजोखा केन्द्र को प्रस्तुत करना पड़ता था। उहे अपने बजट अनुमानों से अधिक अपनी आय से व्यय करने की छूट नहीं थी। केन्द्र से अनुमति पर इसे किया जा सकता था। अपन आय से अधिक का ये बजट भी नहीं बना सकते थे और न अपने धन को इहे पूर्णरूप से व्यय करने की अनुमति ही थी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्थानीय सरकारें यह न समझें कि केन्द्र सरकार ने "खजाने के धन पर नियंत्रण से पूर्णतया और बिना शर्त" अपने को दूर हटा लिया है। केन्द्र ने स्थानीय कार्यों हेतु प्रांतों में वार्षिक अनुदान देने का अधिकार अब भी अपने हाथ में ही बनाय रखा जिसके लिए प्रत्येक प्रांत को स्पष्ट रूप से "योजना की रूपरेखा यदि उसकी कीमत 10 लाख से कम न हो, और विस्तृत योजना और व्यय अनुमान यदि वह इससे अधिक हो", रिपोर्ट मांगती थी। केन्द्रीय अधिकारी कभी भी इन योजनाओं के कायका निरीक्षण किसी समय कर सकते थे। प्रांतों को ऋण लेने का अधिकार नहीं दिया गया। वैसे वे केन्द्र के नियमों के अंतर्गत स्थानीय कार्यों के लिए ऋणपत्र प्रसारित कर सकते थे।

चूँकि प्रत्येक प्रांतों से अलग-अलग समझौते इस सुधार के लिए किये गये। इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी थी। पर प्रत्येक प्रांत इसे स्वीकार करे यह

आवश्यक नहीं था जैसा कि मद्रास ने किया। उसने मैयो के बाल की ही व्यवस्था अपने यहां चलते रहने दी।

इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय सरकारों को अब भी अपने प्रशासकीय गिपोटों और कारवाई को केन्द्र के पास बराबर भेजना पड़ता था और केन्द्रीय नियंत्रण और देखभाल में कोई कमी नहीं आयी। कभी-कभी केंद्र ने नीति सवधी सामान्य बातें भेजनी जारी रखी जिनपर स्थानीय सरकारों को काय करना पड़ता था। पर नयी व्यवस्था के अपने लाभ थे। प्रान्तों ने राजस्व प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि विकसित की और 1,60,00,000 पौण्ड का मुफ्त बजट प्राप्त किया।

### 1877 का लिटन का प्रस्ताव

अब के क्षेत्र में विनेद्रीकरण के सबध में और तत्कालीन व्यवस्था में सुधार हेतु और कदम लाड लिटन ने उठाये। 1877 के लाड लिटन के प्रस्ताव ने स्थानीय सरकारों को कुछ और अधिकार प्रदान किये।

### सामान्य

लाड लिटन ने भारतीय न्यायालयों के उस रुख का विरोध किया जिसने अतगत अपने भारतीय कमचारियों का हताहत करने वाले यूरोपीय लोगों को कम कठोर दंड देने की परंपरा थी। उसका यह भी मत था कि कुछ भारतीय राजाओं की एक इण्डियन प्रीवी काउंसिल होनी चाहिए जो गवर्नर जनरल को परामश दे। वैसे तो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। पर इस तरह का ही एक सगठन 1919 के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के अतगत बनाया गया जिसका नाम था चैम्बर आफ प्रिसेज। मोहमडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, लिटन ने ही स्थापित किया। उसी के काल में ब्रिटिश ससद ने 'रायल टाइटल्स ऐक्ट' पारित कर दिया जिसके अतगत अंग्रेज सम्राट को कैसर हिंद की उपाधि दी गयी। औपचारिक रूप से इस ऐक्ट ने भारतीय राजाओं का स्थान कुछ नीचा कर दिया। लाड लिटन ने 1977 में दिल्ली में एक शानदार दरबार किया जिसमें रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। इस आयोजन पर अपार धनराशि व्यय की गयी जो भयंकर दुर्भिक्ष और बर्बादीपूर्ण युद्ध की पण्डभूमि में उचित नहीं लगा। राबर्ट्स ने इस काय को उचित बताने का प्रयास करते हुए लिखा है कि, "इस तरह के कार्यक्रम कठिनाई से हटाये जा सकते हैं, और सिविल सेवाओं के सदस्य जब वे प्रसिद्ध रिज पर उस बड़ी सभा में खड़े हुए तो उन्हें यह लगा होगा कि इस कारवाई के पीछे राजनतिक बुद्धिमत्ता है जिससे साम्राज्य की शक्ति व गौरव के प्रतीक

साज के ब्रिटिश सेवक, भारतीय राजा व शासक पहले से निर्धारित स्थान पर बैठे हुए थे।<sup>1</sup> हो सकता है इस तक में कुछ दम हो कि इस तरह के आयोजन टाले नहीं जा सकते, पर हमारे कल्पना में नहीं आता कि 'दरबार बसीमित शान्, शौकत, का होना चाहिए जिससे भारतीयों को साम्राज्य की शक्ति का आभास हो। वाश इस शक्ति का प्रदर्शन अफगानिस्तान में किया गया होता।

## द्वितीय अफगान युद्ध

### परिस्थितियाँ

1876 में लाड लिटन लाड नार्यंब्रुक का उत्तराधिकारी होकर आया। वह लारेस की नीति में परिवर्तन करने का निश्चय कर चुका था जिसके कारण प्रथम अफगान युद्ध की ही भाँति आपदा आ गयी और जिसने एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की कब्र खोद दी। वह भारत में इस सूचना सहित भेजा गया था कि शेरअली को वह सब प्रदान कर दिया जाय जो उसने 1873 में मागा था। या दूसरे शब्दों में यह कि उसके छोटे लड़के अब्दुल्ला जान का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाय, कि अमीर अली को विदेशी आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश सहायता प्रदान की जाय तथा उसे एक निश्चित पद और बड़ी हुई वार्षिक सहायता प्रदान की जाय। और इसके बदले में अमीर हैरात में ब्रिटिश रेजीडेंट रखना स्वीकार कर ले। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लिटन को उपयुक्त तरीका और समय ढूँढने के लिए अवसर दिया जिससे कि ब्रिटिश इच्छा की पूर्ति हो। इस कारण जो भूलें की गयी उस सबका मुख्य उत्तरदायित्व लाड लिटन पर ही आता है।

लिटन ने जो पहला काम किया वह था शेरअली से यह पूछना कि एक ब्रिटिश शिष्टमंडल भेजा जाय जिसे शेरअली ने नम्रता से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी बीच काबुल के एक स्थानीय एजेंट के द्वारा अमीर ने ब्रिटिशों से यह कहला दिया कि इस शिष्टमंडल को न स्वीकार करने के कारण हैं—प्रथम, कि यदि वह ब्रिटिश शिष्टमंडल को आने की स्वीकृति दे दे तो वह रूसी शिष्टमंडल को आने से कैसे रोकेगा और दूसरे कि उसकी जनता का स्वभाव ऐसा है कि वह शिष्टमंडल को उनसे बचा नहीं पायेगा। पर लिटन इस उत्तर से सतुष्ट नहीं हुआ और उसने इसे "मध्य एशिया में ब्रिटिश हिना के प्रति घणात्मक रूब" की सजा दी। अक्टूबर में शिमिला में लाड लिटन और काबुल की ब्रिटिश मुस्लिम एजेंट से जो साक्षात्कार आयोजित किया गया

उसमे एजेन्ट से उसने कहा कि अफगानिस्तान "दो लोहे के बतनों के बीच मिट्टी की मटकी के समान है", अर्थात् रूस और ब्रिटिशों के बीच उसकी यह स्थिति है, और यदि अमीर ब्रिटिशों से अच्छे संबंध रखता है तो हमारी सैन्य शक्ति "उसके चारों ओर रक्षाय लोहे की जंजीर की तरह फल जायेगी और यदि शत्रु हो जाता है तो वह उसे सरकड़े की तरह तोड़ डालेगी।"

इसी बीच ब्रिटिशों ने कलात के खा के साथ वार्ता की जिसके फलस्वरूप 1876 में दोनों के बीच एक संधि हो गयी। इसके अंतर्गत ब्रिटिशों को क्वेटा प्राप्त हो गया जिससे होकर बोलन दर्रे पर अधिकार रखा जा सकता था और जो उनकी सेना द्वारा प्रथम अफगान युद्ध में सेना का केन्द्र था। शेरअली ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि क्वेटा पर ब्रिटिशों का अधिकार उनके कांधार पर अधिकार की प्रथम सीढ़ी है। पर वह अब भी ब्रिटिश शिष्टमंडल को स्वीकृति देने को तैयार नहीं था। शेरअली के मंत्री सैय्यद नूर मुहम्मद के पेशावर में सर लेविस पेल्सी के साथ बातचीत के लिए जनवरी 1877 में भेजा गया जहाँ मंत्री ने नम्रता से कहा कि, "ब्रिटिश राष्ट्र महान एवं शक्तिशाली है और अफगान लोग इसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। पर उनकी जनता अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानती और स्वतंत्रताप्रिय है और जीवन से भी अधिक इज्जत को ऊंचा स्थान देती है।" और यदि अमीर अफगानिस्तान में शासन करना चाहता है तो वह जनता से यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह एक विदेशी की सहायता से शासन कर रहा है। पर दुभाग्य से माच में जब वार्ता चल रही थी सैय्यद नूर मुहम्मद की मृत्यु हो गयी। लिटन को अवसर मिला गया और इसके बावजूद कि नूर मुहम्मद के स्थान पर वार्ता करने के लिए दूसरा व्यक्ति रास्ते में ही था, उसने सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। अमीर से भी सभी संपर्क तोड़ दिये गये। वैसे लिटन अफगानों के लिए यह घोषणा की कि जबतक वे अपने शासक या अथ किसी के द्वारा उत्तेजित किये जाने पर ब्रिटिशों के मित्रों के विरुद्ध आक्रामक रूख नहीं अपनाते कोई भी ब्रिटिश सैनिक अनाहूत अफगानिस्तान में प्रवेश नहीं करेगा।

पर लिटन की यह घोषणा सच्ची नहीं थी और न इसका पालन ही किया जाता था क्योंकि उसी समय से उसने "अफगान शक्ति को असंगठित और कमजोर करने की नीति" प्रारंभ की। यही उसने कहा भी। उसने उत्तर पश्चिम के कबाइलियों से संपर्क बढ़ाकर किया और उनके माध्यम से उसने अपनी चौकियाँ अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँचा दीं। महाराजा कश्मीर से गुप्त व्यवस्था के अंतर्गत गिलगिट में लिटन ने एक ब्रिटिश ऐजेन्सी स्थापित की। और इस तरह से उसने अफगानिस्तान को अनुभव कराया कि हम अत्यधिक शक्तिशाली और सम्य हैं और वे तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर और अर्द्ध बबर हैं। और इसीलिए वैसे तो अफगानिस्तान और ऐसे अथ राज्य स्वतंत्र थे, पर उन्हें 'ऐसा लगना चाहिए

कि वे निश्चित रूप से नीची स्थिति में हैं कि उन्हें ऐसी नीति नहीं अपनाने दी जायेगी जो हमें खतरे के सामने प्रस्तुत कर दे।”

इसी बीच यूरोप में भी कुछ घटनाएँ घटीं। 1875 में बोजनिया और हर्जिगो-विना में विपदा आयी और 1876 में सर्बिया और माटेनग्रिन वाले हथियार लेकर लडखडाते तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो गये। विद्रोहियों की सहानुभूति में रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मार्च 1878 की सेन स्टीफेनो की संधि द्वारा काले सागर में कुछ लाभ प्रस्तुत किया। जैसा कि सबविदित है ग्रेटब्रिटेन अपने पूर्वी साम्राज्य के पथ में रूस के प्रभाव वृद्धि का विरोधी था। उसने इस संधि को माय नहीं किया और तुर्की अनुमति से साइप्रस पर अधिकार करके रूस के विरुद्ध युद्ध की तयारी प्रारंभ कर दी। पर युद्ध की विपत्ति को जमनी की मध्यस्थता से टाल दिया गया और जून-जुलाई 1878 में बर्लिन के कांग्रेस ने रूस से उसकी सुविधाएँ वापस ले लीं। इसी बीच रूस को, ब्रिटिश अधिकारियों के अनुत्तरदायी बातों से और स्वेज नहर से होकर माल्टा की ओर कुछ भारतीय सैनिकों को भेजे जाने से, उत्तेजना की स्थिति में आने का अवसर आया। यूरोप में ब्रिटिश शक्ति को कम करने के इरादे से रूस ने अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति पैदा कर उनकी शक्ति उधर मोड़ने की चेष्टा की। रूस इसके लिए प्रयासशील था कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से युद्ध में फस जाय। वैसे तो वह इससे कोई लाभ नहीं उठा सका पर वह अपने आंग्ल-अफगान युद्ध कराने की योजना में सफल हो गया।

जून 1878 में रूस के कोफमान ने अफगानिस्तान के अमीर को लिटन की ही तरह की शर्तों पर संधि करने का प्रस्ताव किया। पर अमीर ने इनकार कर दिया। पर चूंकि वह अपनी नीति को आगे बढ़ाने पर आमादा था इसलिए उसने 13 जून को जिस दिन बर्लिन की कांग्रेस प्रारंभ हुई थी, उसी दिन से सेनापति स्टोलेटाफ ताश्कंद छोड़कर काबुल की ओर तीन तरफ से सेनाओं से सुरक्षित घिरा आगे बढ़ा। शेरअली के विरोध और अपील, किसी ओर ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उल्टे उससे जार द्वार यह कहा गया कि यदि स्टोलेटाफ को कोई हानि हुई तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके भतीजे तथा विरोधी अब्दुरहमान का अफगान गद्दी के लिए ममथन किया जायेगा। शेरअली को हिचकिचाहट के साथ झुकना पड़ा। उसने रूस के माथ निश्चित और स्थायी मैत्री की संधि की।

अफगानिस्तान में रूस शिष्टमंडल का प्रवेश लिटन के लिए एक खतर की घटी थी जिसके विरुद्ध गृह अधिकारियों की स्वीकृति से उसे कठोर कदम उठाना था जिससे कि अफगानिस्तान पर संधि और शिष्टमंडल दोनों आरोपित हो जाय। लिटन का पत्र अमीर के पास 7 अगस्त को इस प्रस्ताव सहित पहुँचा कि



एक दूत भेजा जायेगा और यह कि अफगानिस्तान को बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी और देश से संधि करने की अनुमति नहीं होगी और यह कि उसे हेरात में स्थायी रूप से निवास करने के लिए एक ब्रिटिश रेजीडेन्ट रहने की अनुमति देनी होगी और यह कि वह यह माने की ब्रिटिश को एक अधिकारी भेजने का अधिकार होगा जो अमीर से उसकी सुविधा से बातचीत करेगा। उसी दिन अमीर के उत्तराधिकारी अब्दुल्लाजान की मृत्यु हो गई जिससे वह अत्यधिक निराश हो गया। रूसी एजेन्ट ने उससे यह कहा कि वह अपना उत्तर तब तक न दे जब तक कि रूस के सम्राट से उत्तर न प्राप्त हो जाय और इंग्लैण्ड को उसकी कारवाई से रोकना न जा सके। पर लिटन को उत्तर करना सरल न था। 30 अगस्त को उसने एक मुस्लिम दूत काबुल में यह सूचना देने के लिए भेजा। एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आने वाला है। सर नैविल चैम्बरलेन जो इस शिष्टमंडल का नेता था पेशावर के लिए रवाना हुआ। पर अग्रिम दल से अलीमस्जिद में एक अफगान अधिकारी मिला और उसने नम्रता से कहा कि बिना अमीर के आज्ञा के वे आगे नहीं जा सकते। इस कारण ब्रिटिश दूत को पेशावर वापस लौटना पड़ा।

क्रुद्ध लाड लिटन ने यह घोषित किया कि "अमीर की नीति मध्य एशिया और पूणभारत में हम मूख बनाने की है" उसने गृह सरकार को झूठे ही यह सूचना दी कि ब्रिटिश शिष्टमंडल को 'शक्तिपूर्वक डबल' दिया गया है और उसने उसने निवेदन किया कि युद्ध घोषणा की अनुमति दी जाय।

लाड लिटन के समयको का कहना है कि इस समय उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना था। इस समय भारत पर आक्रमण की तनिक भी संभावना नहीं थी, हा अफवाह भले ही रही हो। और इसके अतिरिक्त यह भी एक कठिनाई थी कि उसके पास गृह विभाग की अनिश्चित सूचनायें थी जिसमें कोई भी उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं था। इन परिस्थितियों में उसके सामने कोई चारा नहीं था। 2 नवम्बर को उसने अमीर के पास एक चेतावनी भेजी कि वह 20 नवम्बर तक अपने देश में स्थायी शिष्टमंडल भेजने की अनुमति प्रदान करने का पत्रोत्तर भेज दे और इसके अतिरिक्त 'एक पूण और उचित क्षमायाचना' जिसके अभाव में उसे आक्रमण की विपत्ति झेलनी पड़ेगी।

किसी भी दृष्टि से देखने पर लाड लिटन की कारवाई क्रोधपूर्ण और राजनीतिज्ञतापूर्ण नहीं थी। शेरअली के रूस से गभीर विरोधों और अपीलों से स्पष्ट था कि उसने रूसी शिष्टमंडल का पूण सकोचपूर्वक स्वागत किया। इस सबध में सर्वोत्तम यह रहा होता कि ब्रिटिश रूस से सीधा संपर्क करते। फिर भी जो भी स्थिति लिटन के कारवाई का बहाना बनी थी, वह भी अब तिरोहित हो गयी थी क्योंकि काबुल की ओर ब्रिटिश शिष्टमंडल के आगमन की सूचना सुनकर रूसी शिष्टमंडल ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। यह वापसी का उत्तम अवसर

था और इसके बाद उत्तम नीति यह थी कि इसपर ब्रिटिश सतोप जाहिर किया जाता और अमरोकी मंत्री जीतने की फिर से कोशिश की जाती।

### युद्ध

पर लिटन इस बात के लिए आमादा था कि वह यह सिद्ध करे कि "हम अत्यधिक शक्तिशाली और अति सभ्य हैं और वे तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर और अद्ध बबर हैं।" उसने किसी प्रतिष्ठापूर्ण समझौते से आख मूद ली और युद्ध प्रयास प्रारंभ कर दिये। अमीर का उत्तर जिसपर 19 नवम्बर की तिथि पड़ी थी, लाड लिटन के पास देर से 30 नवम्बर को पहुँचा जिसमें उसने ब्रिटिश शिष्टमंडल को स्वीकार करने की घोषणा की थी। पर उत्तर को अपर्याप्त माना गया क्योंकि इसके साथ "पूण और उपयुक्त क्षमायाचना" नहीं जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त लाड लिटन ने यह आदेश दे दिया कि उसका सेना उसी दिन आगे बढ़ जाए, जिस दिन चेतावनी की तिथि समाप्त हो।

युद्ध घोषणा के तुरन्त बाद ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान में तीन दरों से प्रविष्ट हुई। मेजर जनरल राबर्ट्स खुरमघाटी की ओर बढ़ा जनरल स्टीवट बोलन दर्रा होकर काघार की ओर चला और सर सैमुअल ग्राउन खँबर दर्रा होकर जलालाबाद की ओर। अमीर ने बेकार ही कौफमान से सहायता की अपील की क्योंकि उसने उससे ब्रिटिशों से संधि कर लेने की सलाह दी। उसने बताया कि रूस के द्वारा अमीर अली को दी जाने वाली सहायता से उस संधि की शर्तों को आघात पहुँचेगा जो बर्लिन में हुई है। रूस उसकी अवहेलना नहीं कर सकता क्योंकि कुछ दिन पूर्व हुए युद्ध में वह बहुत कुछ गवा चुका है। रूस ने बताया कि वह अमीर के लिए अधिक से अधिक यह कह सकता है कि वह लंदन के अपने दूत के माध्यम से अफगानिस्तान के अस्तित्व को खतरा न पहुँचा देने का आश्वासन प्राप्त कर ले। पर ऐसा आश्वासन भी क्या अथ रखता था।

अमीर सच में रूस द्वारा पूणतया धोखे में रखा गया जिसके कारण उसे अत्यधिक आशयें हो गयीं। पर जब समय आया कि कुछ किया जाय तो वह चुपके से शेरअली को उसकी ही दशा पर छोड़कर खिसक गया जिससे कि वह अपनी सहायता स्वयं करे। शेरअली ब्रिटिश शक्ति का भुकाबला अकेले करने में अक्षम था। ब्रिटिशों की आगे बढ़ती सेना को लगभग कोई विरोध नहीं झेलना पडा और शेरअली चुपके से रूस चला गया जहा मसरेशरीफ म 21 फरवरी 1879 को एक बीमारी के कारण इस निराश व्यक्ति की मृत्यु हो गयी।

अब शेरअली के पुत्र याकूब खा से वार्तायें प्रारंभ की गयीं और उसके साथ 26 मई 1879 को गडमक की संधि की गयी जिसके अंतगत नये अमीर ने ब्रिटिशों को खुरम, पोशी और सीवी जिलों के अतिरिक्त खुरम दर्रा भी प्रदान

किया, उसने काबुल में एक ब्रिटिश रेजीडेन्ट तथा हेरात में कुछ अन्य स्थानों पर एजेन्ट रखना स्वीकार किया, अपने विदेश संबंधों को ब्रिटिशों की सहायता से चलाने का वादा किया। अमीर को 6 लाख रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दी गयी तथा विदेशी आक्रमण की स्थिति में आवश्यकतानुसार धन, जन और आय की सहायता के लिए भी आश्वस्त किया गया। ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान से सेना वापस लेने का निणय किया। पर कांधार से शरतश्रुतु में सेना हटाने को कहा गया।

लाड लिटन की अफगानिस्तान पर विजय इस तरह पूर्ण हो गयी। वह अपने मन में इस तरह के शानदार सफलता के कारण अति सतुष्ट और प्रसन्न हुआ होगा क्योंकि यह विजय बहुत सस्ते में उसने प्राप्त कर ली थी। पर उसे क्या पता था कि उसके नक्षत्र अफगानिस्तान में उसकी महत्त्वाकांक्षा की वर्षादी का सामान जुटा रहे हैं और उसके राजनीतिक के रूप में प्रतिष्ठा की राजनीतिक रूप से अतिम सस्कार की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसी भारत के वाइसरायों में कम ही को नसीब हुई। यह अति सदेहपूर्ण था कि नये अमीर की नियुक्ति जो ब्रिटिशों ने की, वह एक क्षण के विश्वास योग्य भी थी क्योंकि राबर्ट्स ने उसमें पहले ही फिरती आँखों पीछे हटते माथे और शक्ति की कमी के दर्शन किये थे। सच यह था कि लिटन की इच्छा केवल हेरात में ही मिशन खोलने की थी और उसने नये अमीर के परामर्श पर एक काबुल में भी स्थापित कर दिया। यही इस बात का प्रमाण था कि अमीर की जनता का विश्वास नहीं मिलने जा रहा था क्योंकि लोग मरना अधिक पसंद करते थे और ऐसे शासक के अदर रहना कम जो किसी से सहायता प्राप्त करके शासन करे।

यह कहा जाता है कि इतिहास अपने को दुहराता है, पर यह कदाचित ही विश्वास किया जायगा कि यह द्वितीय अफगान युद्ध के मामले में इतनी विश्वस्तता से ऐसा करेगा। सर लुई कैवेनरी 24 जुलाई को काबुल ब्रिटिश रेजीडेन्ट की हैसियत से पहुँचा। एच० एच० डाडवेल ने लिखा है कि वह कठिनाई के काल में एक बढ़िया व्यक्ति था, पर नाजुक काम के लिए उतना उपयुक्त नहीं था। 2 सितंबर को उसने लिटन के पास शुभ समाचार का एक तार भेजा और 3 सितम्बर को एक विद्रोही अफगान सेना ने उसके निवास पर आक्रमण कर दिया और उसे तथा उसके महायका को मार डाला। याकूब खा ब्रिटिशों की रक्षा करने में पूर्णतया असफल रहा या यों कह कि उसमें उनकी रक्षा की कोई इच्छा ही नहीं थी। जनरल राबर्ट्स को एक तार में जो शिमला वापस आ गया था, उसने सूचित किया, 'अध्यवस्था आबाध छू रही है और नियंत्रण के बाहर है, लोग नगर और आसपास के क्षेत्र से बालाहिपार में एकत्रित हो गये हैं, उन्होंने तोपखाने के मैदान

व मंगजीन को बर्बाद कर दिया है। सभी सैनिकों और लोगों ने रेजीडेन्सी पर आक्रमण किया। मैंने डडशाह को दूत के सहायताथ भेजा। पर उसे पत्थर और भाले से मार मारकर घोड़े से उतार दिया गया, वह मृत्यु के निकट है। तब मैंने अपने लडके को कुरान, मुल्ला सहित सैनिकों के पास भेजा पर कोई लाभ नहीं हुआ, होहल्ला अब भी जारी है, अभी शाम तक, अव्यवस्था नियंत्रण के बाहर है।<sup>1</sup> यह लाड लिटन के लिए अति कष्टदायी और व्यक्तिगत आघात था जिसने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया और कहा कि, "इस नीति का ताना बाना जो इतनी सावधानी और सतोप से बुना, कठोरता से तितर बितर हो गया वह सब जिससे मैं इस युद्ध में बचना चाहता था भाग्य ने उसे हमारे सामने लाकर रख दिया।"

खेल को फिर से प्रारंभ करने की आवश्यकता आ गयी। जनरल राबट्स पुनः खुरमघाटी होते हुए काबुल की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में विद्रोहियों को दंडित भी करता गया। सर डोनल्ड स्टीवर्ट ने कांधार पर अधिकार कर लिया और अपने को विश्वस्त सिद्ध करने के लिए याकूब ने आक्रामक सेना का काबुल पर अधिकार के पूर्व ही साथ दिया। उसने अपना शासक का पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि वह ब्रिटिशों में घास काटने वाला नौकर रहना अधिक पसंद करेगा अफगानिस्तान का अमीर रहना कम। उसके चाल चलन के विषय में छानबीन से यह सिद्ध हो गया कि रेजीडेन्ट के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसमें वह सहाय-राधी नहीं था। पर यह निष्कर्ष तो स्पष्ट ही था कि वह "निःदनीय तौर पर तटस्थ" था। उसे राज्य का कैदी बनाकर भारत भेज दिया गया।

अब अफगानिस्तान में कोई नहीं था जिससे संधि की वार्ता किया जाय। छूछार अफगान चारों ओर हथियार लेकर उठ खड़े हुए। राबट्स को काबुल और बालाहिसार खाली करना पड़ा और शेरपुर में शरण लेनी पड़ी जहाँ 10 हजार क्वाइलियो ने इन्हें घेर लिया और ये लोग 1880 में वसत में कांधार से स्टीवर्ट के जाने पर मुक्त कराये जा सके। अब यहाँ से पूरे देश पर विजय प्राप्त करना काफी सैनिकों और धनी की सहायता से ही संभव था। और अब यह समझ लिया गया कि यह खेल अनुपयोगी सिद्ध हुआ। काबुल के गद्दी के लिए नये शासक की तलाश प्रारंभ हुई। एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कठोर और कट्टर अफगानों पर शासन कर सके और फिर भी ब्रिटिशों के हाथ की कठपुतली बना रहे। किसी में ये दोनों गुण नहीं पाये गये, इस कारण लिटन ने देश को विभाजित करने का निश्चय किया। फारस से उसके द्वारा हेरात पर अधिकार करने की वार्ता प्रारंभ हुई और सादोजाई घराने के प्रतिनिधि वलीशेर अलीखा को कांधार का शासक

बना दिया गया।

पर समस्या का समाधान अब भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो काबुल और उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान पर शासन कर सके। इसकी आवश्यकता नहीं थी कि वह शक्तिशाली ही हो। भाग्य से इसी समय अफजल खाँ का पुत्र और शेरअली का भतीजा अब्दुरेहमान जिसने अफगानिस्तान पर 1866-67 के बीच 17 माह तक शासन किया था और जो अब रूस की रक्षा में था, रूसियों के कुछ सैनिकों के साथ अफगानिस्तान में अपना भाग्य आजमाने पहुँचा। अब्दुरेहमान अपने बाबा दोस्त मुहम्मद की तरह ही शक्तिशाली व्यक्ति था। लिटन को जब उसके आगमन की सूचना मिली तो उसने अनुभव किया कि सही व्यक्ति आ गया है। लिटन ने लिखा है कि "अब्दुरेहमान वैसे ही मिल गया जैसे 'झाड़ी में भेडा मिल गया हो।' रूसी सहायता के सहारे पहुँचने वाले व्यक्ति के हाथ में यह शक्ति सौंपना एक साहसपूर्ण कार्य था और था 'अधेरे में कूटना' पर लिटन को कुछ ऐसा विश्वास ही हाँ गया जो भविष्य ने सही ही सिद्ध किया।

अब्दुरेहमान ने ब्रिटिश सहायता स्वीकार की। पर चूँकि वह कुशल राजनेता था इसलिए उसे उन अमीरों के इतिहास की जानकारी थी जिन्होंने विदेशी सहायता से शासन किया था। इसलिए उसने चाताकी से कदम बढ़ाया। वह अपनी आत्मकथा में लिखता है मैं खुलेआम अपने में भी जाहिर करने में असमर्थ था क्योंकि मेरे देशवासी अपठ और कट्टर थे। यदि मैं ब्रिटिशों के पक्ष में कोई रुचि दिखाता तो वे मुझे भूतिपूजक कहते।" इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि वह पूण रूप से सफल हुआ। पर यह सब कुछ हुआ। उसी समय लिटन ने पद त्याग दिया और इंग्लैंड वापस चला गया। "वैसे तो उसने चीजों के प्रति शक्तिपूर्ण रुख अपनाया, पर उसकी 'फायड नीति' और अफगानिस्तान की स्थिति ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। उसका स्वप्न धूल धूसरित हो गया। अफगानिस्तान पर अस्थायी कब्जे का प्रयास भी कितना महंगा पड़ा था। और 36 वर्ष पहले जैसे लाड आकलेंड अफगानिस्तान से निकलने का वहाना ढूँढ रहा था वैसे ही लिटन भी।" 3

लिटन की नीति के आलोचक और तीव्रभाषणकर्ता गहक्षेत्र में सफल हो गये। अप्रैल 1880 के चुनाव में अनुदारवादी सरकार चुनाव में हार गयी और लाड

1 देखें, लेडी बट्टी बालफोर परसनन ऐण्ड लिटररी लेटर्स आफ अर्ल आफ लिटन भाग 2 पृ० 202।

2 मीर मुशी सुल्तान मुहम्मद खा (संस्करण) द लाइफ आफ अब्दुरेहमान अमीर आफ अफगानिस्तान (दो भाग) भाग 2 पृ० 117।

3 स्विनन आधार पूर्वोद्धृत पृ० 181।

वैक्सफोल्ड के स्थान पर पुनः र्लैंडस्टन प्रधान मंत्री बना दिया गया, सैलिसबरी का उत्तराधिकारी लाइ फ्रेनबुक के स्थान पर हार्टिग्टन को भारत का सेक्रेट्री आफ स्टेट बनाया गया। लाइ हार्टिग्टन के आलोचनात्मक लिटन के विरुद्ध विचार सबविदित थे और इसी कारण उसने उसके पद सभालते ही तुरन्त स्तीफा दे दिया। वैसे उससे ऐसा करने को कहा नहीं गया। उदार सरकार अफगानिस्तान के मामले पर पुरानी सीमा पर आने को तैयार हो गयी और सीबी व पीशी जिले जो अफगानिस्तान के थे, उस छोड़ने का आश्वासन रानी के भाषण में रखा गया। लाइ रिपन को भारत का नया वाइसराय बनाया गया जो इस नीति को कायरूप प्रदान कर सके।

नये मन्त्रिमंडल की अफगान नीति लाइ हार्टिग्टन के मई और नवम्बर 1880 के प्रेषणों से स्पष्ट होती है जिसमें उसने कहा, 'ऐसा लगता है कि दो सफल अभियानों के फलस्वरूप, अत्यधिक सेना लगाने तथा धन बर्बाद करने के बाद जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह उस राज्य का पतन और असंगठन है जिसे शक्तिशाली बनाया जाना था, मित्रतापूर्ण और स्वतंत्र रखा जाना था। पर इसके स्थान पर एक प्रांत को हाथ में लेकर नयी और अनादरणीय उत्तरदायित्व का वहन कर लिया गया है जिससे पूरे देश में अशांति व्याप्त है।' इसलिए नयी ब्रिटिश नीति अफगानिस्तान को युद्ध के पहले की स्थिति में ले जाना है।

इस तरह भारत में रिपन की नीति लिटन की प्रतिष्ठा को पर्दे के बाहर लाने की थी। पर अब्दुरहमान के साथ संधि वार्ता में उसने वह दूरी देखी जहां तक चीजें पहुंच गयी थी। और इसीलिए सभी नवीन घोषित नीति के साथ जिसमें वह और गृह सरकार दोनों मम्मिलित थे, वह वहीं पहुंच सका जहां लिटन पहुंचना चाहता था। अब्दुरहमान के साथ नवीन संधि में पीशी और सीबी जिले ब्रिटिशों के पास बने रहे, नये अमीर ने ब्रिटिशों के अतिरिक्त किसी और से सबध न करने को आश्चस्त किया और इसके बदले ब्रिटिशों ने उसे वार्षिक आर्थिक सहायता दी और विदेशी आक्रमण की स्थिति में जन, धन और अस्त्र की सहायता। इस समझौता की सबसे प्रमुख बात यह थी कि अफगानिस्तान में कहीं भी ब्रिटिश रेजीडेंट नहीं रहेगा।

रिपन यह चाहता था कि कांधार और पश्चिमी अफगानिस्तान में लिटन की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय, पर वह उसे तुरन्त नहीं कर सका क्योंकि यह करना तभी संभव था जब कांधार के साथ लिटन द्वारा की गयी संधि को तोड़ दिया जाय। पर अफगानिस्तान में शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन हुआ। शेरअली का एक अग्र पुत्र अयूब खा जो हेरात का अधिकारी था, कांधार की ओर अपने पिता के अपमान और मृत्यु का बदला लेने के लिए बढ़ा। वह वहां अधिकार भी करना चाहता था। जनरल बरोज ने उसका आगे बढ़ना रोकना चाहना

पर वह अयूब खासे इतनी बुरी तरह स हारा कि पूर्वो मेना से इतनी बुरी तरह अभी तक अग्रेजा ने कभी हार नहीं खायी थी। अयूब की विजयी सेना काघार की ओर आगे बढ़ी जहा स्टीवट द्वारा राबट्स को 10 हजार सैनिका सहित भेजा गया। राबट्स ने 313 मील की यात्रा आश्चयजनक रूप स 20 दिन मे पूरी कर ली और काघार के युद्ध मे अयूब को पूरी तरह पराजित किया जिसके बाद वह काघार म 1881 तक रहा जब तक उसे वह स्थान खाली करन को नहीं कह दिया गया। इसी बीच स्टीवट भी समीझते के अनुसार निश्चित तिथि के पूव काबुल स वापस हो गया। काघार के शासक शेरअली खा को पद से हटन को कहा गया। वस ब्रिटिशो द्वारा की गयी उससे पूव सधि का यह उल्लघन था। इस तरह अब्दुरहमान के नेतृत्व म काबुल और काघार एक हो गय और ब्रिटिशो को उसकी पूण विश्वस्तता प्राप्त हो गयी।

पर अभी ब्रिटिश सनाए अफगानिस्तान छोडकर आयी ही थी कि अयूब खा एक बार फिर हेरात से भाग बढा और काघार पर अधिकार कर लिया। कई महीने तक स्थिति ऐसी ही बनी रही और ब्रिटिशो को काबुल म अब्दुरहमान के विषय मे चिन्ता हुई। पर शीघ्र ही 1881 मे अक्टूबर मे अब्दुरहमान काघार के विरुद्ध आगे बढा और ब्रिटिशो को आनन्द ही हुआ जब उन्होंने मुना कि उसी नगर के निकट अयूब पराजित हो गया है। अयूब फारस भाग गया और हेरात पर भी अब्दुरहमान का नियंत्रण हो गया। इस तरह अब मध्य एशिया के एक खतरनाक प्रश्न का हल निकल आया।

### लिटन की अफगान नीति का सिंहावलोकन

एच० एच० डाडवेल ने लिटन की अफगान नीति का समयन करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार, "उसे अति कठिनाई उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई।" 1873 का अप्रैल का निणय ऐसा था जिससे शेरअली समझ गया कि ब्रिटिशो से किसी सहायता की आशा नहीं है और न उनसे डरने की ही आवश्यकता है। लिटन को अमीर की इस गलतफहमी को दूर करना था और डाडवेल लिखता है कि, "संभवत लिटन का यह सोचना सही ही था कि युद्ध के अतिरिक्त कोई पथ नहीं है। स्टोनेटाफ के साथियो ने उससे अनुगामिता या शेरअली के विनाश की मार्ग की थी और इस कारण "यह युद्ध 1878 मे रूसी कारवाई के कारण संभव हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध की प्रथम से कोई समानता भी नहीं है सिवा बनावटी बातों के।" वैसे दोनो ने ऐसा मामला तैयार किया जिससे देश पर अधिकार किया जा सके और वह कठिनाई जिसे झेलकर अपने पास इसे बनाय रखा जा सके, इन दो युद्धो मे मुख्य अंतर यह था कि प्रथम युद्ध के अंत मे वह व्यक्ति शासक हुआ जिसे ब्रिटिशो ने पद से हटा दिया था, जब कि दूसरे युद्ध के बाद एक मित्र

शासक के स्थान पर एक विद्रोही शासक को गद्दी दिलाई गयी, दूसरे युद्ध ने लाइ लारेन्स और अप्रील के विनाशकारी नीति की समाप्ति की, इस युद्ध ने मुगल शासक के पतन के उपरान्त पहली बार एक ऐसी स्थिति प्रदान की जिससे कि वे आसानी से उत्तर-पश्चिम सीमा की रक्षा कर सकें।<sup>1</sup>

डॉ० मजूमदार ने सिद्धान्त प्रस्तुत किया है कि द्वितीय अफगान युद्ध अफगानिस्तान होकर रूसी आक्रमण के भय के परिणामस्वरूप हुआ। क्या रूसी भय सचमुच था, यह एक सदेह का विषय है। "पर इसमें सदेह नहीं कि रूसी एक मित्र अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिशों पर पर्याप्त दबाव डाल सकते थे और यूरोपीय युद्ध के चिन्तनीय अवसर पर उन्हें फसाये रख सकते थे और उनकी परिस्थिति का लाभ उठाकर यूरोप में ब्रिटिशों से कुछ लाभ भी पा सकते थे।"<sup>2</sup>

पर तटस्थ भाव से देखने पर उपरोक्त बातें तक पर खरी नहीं उतरती। दोनों विद्वान यह मानते हैं कि कठिनाई तब प्रारंभ हुई जब रूस के शिष्टमंडल ने अफगानिस्तान में जाकर संधि की। पर दोनों ने यह अनदेखी करने की चेष्टा की है कि शेरअली ने इस शिष्टमंडल को रोकने का हर संभव प्रयास किया और रूस की संधि उसके ऊपर आरोपित की गयी थी। शेरअली रूसी चरित्र को समझता था कि ब्रिटिशों से संधि की स्थिति में वह देश उनकी सहायता नहीं करेगा जैसा कि हुआ भी। शेरअली ने यह सब दबाव में ही स्वीकार किया था। इन परिस्थितियों में सबसे उचित यह हुआ होता कि पीटसवग में ब्रिटिश राजदूत अफगानिस्तान से उसी शिष्टमंडल की वापसी की मांग उठाता। यदि ऐसा किया गया होता तो रूस ने निश्चित रूप से यह बात मान ली होती जो इसी से सिद्ध है कि जैसे ही ब्रिटिश शिष्टमंडल अफगानिस्तान में प्रविष्ट होने लगा, रूसी अपने-आप वापस हो गया।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों को अफगानिस्तान में इतना कुछ नहीं हुआ जितना वे युद्ध के बिना नहीं प्राप्त कर सकते थे। सच तो यह था कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही शेरअली न लिटन के पास पत्र भेजकर ब्रिटिशों की बहुत सी मांगें स्वीकार कर ली थी। युद्ध ने ब्रिटिशों को कुछ लाभ प्रदान करने के स्थान पर उन्हें नीचा ही दिखाया और अब बड़े महंगे अनुभव के बाद जो उन्होंने द्वितीय अफगान युद्ध में प्राप्त किया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेजीडेन्ट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त दोनों युद्धों के बीच अंतर करने की बात भी उतने महत्व की नहीं है। यदि रूसी शिष्टमंडल की वापसी के बाद ब्रिटिश युद्ध में न कूद पड़े होते तो शेरअली से भी उनकी वैसी ही मित्रता बनी रहती जैसी अब्दुरहमान से उनकी हो गयी थी। यदि अफगानिस्तान में लारेन्स की नीति में परिवर्तन किया गया तो

1 कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग, 6, पृ० 419-31।

2 मजूमदार आदि पूर्वोक्त, पृ० 584।



यह भयानक परिणामों के बाद ही ऐसा किया गया। उत्तर पश्चिम सीमा पर जो लाभ प्राप्त हुए वे एक युद्ध के योग्य नहीं थे और इनमें से बहुत से तो बिना युद्ध के ही प्राप्त किये जा सकते थे क्योंकि शेरअली ने अतन्त ब्रिटिश मार्गें मान ली थी।

सम्भवत बैंकसफील्ड ने सलिसबरी को सच ही लिखा था कि लिटन की नीति "ऐसी स्थिति में उचित रहती जब रूस आक्रमणकारी होता, पर रूस आक्रमणकारी नहीं है।" सच तो यह था कि सर स्टेफड नाथकाट, लाड कॅनस, फ्रास और लाड सैलिसबरी सभी लाड लिटन की नीति के विरोधी थे। बैंकसफील्ड ने कहा था कि "बाइसराय" सरकार को कुछ करने को बाध्य कर रहा था, और ऐसा उसने कहा पहुँचते ही करना प्रारंभ कर दिया था। वह केवल भारत के विषय में सोच रहा था और अपनी शर्तें लाद रहा था जिसके आधार थे उसके साधन, और युरोप व टर्की में सरकार की विदेश नीति। उसने दो बार आज्ञा का उल्लंघन किया था और यदि उस पर रोक न लगती तो वह कोई भयानक आपदा आमंत्रित कर लेता।"

ग्लैडस्टन सच ही बोला था जब उसने सदन में कहा था, "1838 में अफगाणिस्तान में हमने भूल से युद्ध उड़ दिया। भूल होती ही है और क्षम्य भी है। पर हमने तो उसी मसले पर दूसरी बार भूल की है और वह भी बिना औचित्य के। यह उचित ही कहा गया कि इतिहास अपने को दुहराता है और शायद ही इसके पूर्व ऐसा क्षण आया हो जब वर्तमान युद्ध और पिछले युद्ध में इतनी एकरूपता देखी गयी हो।"

### दरिदस्तान में उसकी सीमा-नीति

इंग्लण्ड में अपने अनुदारवादी मालिकों से 'फावड नीति' की छाया में उत्साह प्राप्त करके जब लिटन भारत पहुँचा तो उसने घुणापूर्वक घोषणा की, 'हम उत्तराधिकार में गलतियों का अम्बार मिला है जो चक्रवृद्धि दर पर बढ़ता जा रहा है।' और विश्वस्तता के साथ उसने कहा, 'मुझे आशा है कि वय के अन्त तक निश्चित सीमा नीति के रूप में हमें कुछ दिखाना पड़ेगा।'"<sup>1</sup>

लिटन की सीमानिती, अफगाणिस्तान के प्रति आक्रामक रूप के अतिरिक्त, दरिदस्तान में शक्तिशाली स्थिति प्राप्त करने की थी जो उसकी दृष्टि में गिलगिट में ब्रिटिश ऐजेण्ट नियुक्त करने से सम्भव थी। रूस, चीन और ब्रिटिश के केन्द्रस्थल होने के कारण कश्मीर की अपनी सामरिक महत्ता थी। इस घाटी के उत्तर-पश्चिम

1 देखें मैनेट बर्नार्ड टामस जार्ज अल आफ नार्थवुड मोरमुशी मुल्तान मुहम्मद खा द साइफ आफ अब्दुल रहमान मन्नी-बेटी पूर्वोक्त और विस्तार के लिए।

2 नाथान एम० ब्रिटिश पोलिसी इन इंडिया, (1858-1905) पृ० 78।

मे ददिस्तान है जिसमे हुआ, नागर, चितराल, दीर, स्वात, वाजीर, डारेल, तानगिर और चिलास के छोटे छोटे राज्य आते थे। इन पर प्रभाव की स्थापना इस क्षेत्र के एक के द स्थल गिलगिट से हा सकती थी जिसपर 1846 मे महाराजा गुलाब सिंह ने अधिकार किया था।

मध्य एशिया म रूस के आगे बढ़ने से तथा लाड मेयो द्वारा अपने आप अफगानिस्तान की सीमाओं के निर्धारण से ददिस्तान की महत्ता और बढ़ गयी। इस घोषणा के अतगत अनिश्चित रूप से 1873 मे आग्ल रूसी समझौते से आक्सम नदी तक अफगान सीमाए मान ली गयी। आक्सस के उस पार तक रूसी प्रभाव मान लिया गया पर रूस ने प्रभाव क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र<sup>1</sup> मे विशेष अंतर नहीं किया, और 1873 के समझौते के बाद इसी के सहारे उसने एक के बाद दूसरे स्थान पर अधिकार किया जब तक कि इसने एक साम्राज्य का रूप धारण नहीं कर लिया। जैसे-जैसे रूसी आगे बढ़ रहे थे, ब्रिटिशो ने डगलस फोरसीथ के नेतृत्व मे यात्रावद म एक व्यापारिक शिष्टमंडल भेजा जिसका उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्र के चारो ओर एक दुहरी कुशन वाली पट्टी स्थापित करना था। फोरसीथ ने 1873 74 के दूसरे शिष्टमंडल के अधीन एकाएक यह देखा कि पहाडियो मे दो दरें है जो चितराल और यासीन बबीले क्षेत्रा को आक्सस घाटी से अलग करते हैं। ये दरें ये इतकोमान जिससे होकर रूस अपनी सेनाए यासीन भेज सकता था और फिर गिलगिट, चिलास और तोरखेना होते हुए पजाब। दूसरा दर्रा बडोफिल का था जो चितराल के पास था और जिमसे पशावर और जलालाबाद को खतरा था।

इन खोजो ने सरकारी क्षेत्र मे तहलका मचा दिया। लिटन ने उनके दष्टिकोण की भत्सना की जिहोने रूस के प्रति तटस्थ भाव दिखाया। इसके सबध मे उसने कहा कि, "यह मुर्गी के हृदय द्वारा तिनके के सिर पर आरोपित किया गया है" और यह निश्चित था कि "यदि कश्मीर की उत्तरी सीमा पर रूसी सेनाए पहाडियो मे फैल जाय तो ऐसी स्थिति का भी नैतिक प्रभाव हमारी शक्ति की शांति व्यवस्था के लिए उतना ही हानिकर होगा जितना रूस के मेरु पहुचने का।"<sup>2</sup> ऐसी खतरनाक सभावनाओ के लिए भारतीय लिटन की दृष्टि मे ददिस्तान पर नियंत्रण से ही सभव थी।

कुछ समय तक तो यह प्रस्ताव सामने आया कि एक त्रिगुटीय समझौते द्वारा ब्रिटिश अफगान और कश्मीर ददिस्तान पर मिल-जुलकर अधिकार कर लें।

1 लाड मेयो का अध्याय देखिए।

2 गोपाल, एस० प० 80।

3 ऐल्टर जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नाम्न फ्रटियर प० 114।

यदि अफगानिस्तान सहायता का दृष्टिकोण अपनाये तो उसे चितराल तक दिया जा सकता है। पर लिटन को यह लगा कि अफगानिस्तान ब्रिटिश विचारा के अनुसार वाय करने को तैयार नहीं है और इसीलिए स्थिति पर नियंत्रण हेतु कोई और रास्ता अपनाना होगा।

यदि ब्रिटिश के कहने में अफगानिस्तान नहीं था तो कश्मीर तो ब्रिटिश प्रभाव में था ही। इसलिए यह तय किया गया कि चूँकि दक्षिण पर सीधे अधिकार करना कठिन और महंगा दोनों हैं, इसलिए महाराजा को इन क्षेत्रों पर अपना राजनतिक प्रभाव स्थापित करने की छूट प्राप्त होनी चाहिए। यह काम शांतिपूर्ण ढंग से हो तो अधिक ठीक है, पर आवश्यक होने पर इसके लिए ब्रिटिश सेना की सहायता भी ली जा सकती है। इसके बदले में ब्रिटिशों को कश्मीर में रेजीडेन्ट रखने की सुविधा मिल सकती थी और गिलगिट में एक एजेन्ट जो स्थिति पर आख रख सके।

इसलिए 17 और 18 नवम्बर 1876 को लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह से माधोपुर में मिला और अपने प्रस्ताव रखे। महाराजा ब्रिटिश सहायता से दक्षिण में अपना प्रभाव प्रसन्नतापूर्वक बढ़ाने को उद्यत था पर गिलगिट में एजेन्ट की नियुक्ति की बात उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। पर लिटन अपनी मांग पर दृढ़ था जिससे महाराजा को झुकना ही पड़ा। पर इसके लिए कुछ शर्तें तय हो गयीं जैसे कि एजेन्ट व्यापार और प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह कबीलों को राज्या के सबंध में रिपाट ही भेजेगा आदि। 1877 में बिडुर्फ को एजेन्ट नियुक्त किया गया जो गिलगिट की ओर रवाना हुआ। उसे काय यह सौंपा गया कि "वह कश्मीर सीमा के आगे की घटनाओं की विश्वस्त सूचनाएं भेजेगा जो कश्मीर अधिकारियों के परामर्श से तैयार की जाएगी वह सीमा पार के कबीला में मैत्री भाव स्थापित करेगा जिससे धीरे धीरे कश्मीर का उनपर नियंत्रण और प्रभाव बढ़ता जाय।"<sup>1</sup>

दक्षिण में कबीला के राज्य अफगानिस्तान के आक्रामक रख से डरते थे और प्रायः ब्रिटिशों से सहायता मांगते थे। ब्रिटिशों और महाराजा ने इस स्थिति का लाभ उठाया। जहाँ लार्ड लिटन ने एक जोर अफगानिस्तान के अमीर को एक वार से अधिक इसके कबीला के विरुद्ध नीति के लिए चेतावनी दी, वहीं दूसरी ओर उसने चितराल जैम राज्या को कश्मीर से मिलने के लिए समझाया। इस तरह चितराल के अमनुलमुल्क ने कश्मीर से समझौता करके महाराजा की सत्ता स्वीकार कर ली और प्रतिनिधियों का आदान प्रदान करना स्वीकार कर लिया जिसके बदले उसे आधिक सहायता प्रदान की गयी। पर इस तरह के समझौते

1 एल्डर, जी० जे० ब्रिटिश इंडिया का नापन फिट्टर पृ० 119 में उद्धृत।

की अफगानिस्तान तथा इन राज्यों के बीच धार्मिक सबंधों के आगे कोई महत्ता नहीं थी। कबाइली नेता खुलेआम ब्रिटिशों व महाराजा के विरुद्ध घृणा की बातें करते थे और अमानुलमुल्क इस समझौते और आर्थिक सहायता प्राप्ति के बाद यह कहते सुना गया कि, "मैं कुछ काफिर औरतों को लाकर उही दामो में महा वैच दूंगा।" ये सरदार ब्रिटिशों के विरुद्ध अफगान या रूसी आक्रमण के अवसर पर भी विश्वस्त नहीं हो सकते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि इन राज्यों पर कश्मीर के प्रभाव स्थापित करने की चेष्टा ही क्यों की गयी जब पहले से ही सदेह के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे।

पर लिटन इस बात पर आमादा था कि दार्दिस्तान को स्वतंत्र नहीं रहने देगा। बाद के निरीक्षण से यह पता चला कि यहाँ के दर्रे किसी विदेशी के लिए अपने अधिकार में रखने का अवसर बड़ी सुविधा से नहीं प्रदान करते। पर इसी बीच लिटन महाराजा से भी बिचक गया और उसने अब किसी और रास्ते की तलाश प्रारम्भ की जिसके द्वारा इन दर्रे पर नियंत्रण सम्भव हो। ऐसा एक रास्ता, जो भारत से इन दर्रे के निकट पड़ता था, खोज भी लिया गया। यह रास्ता पेशावर से स्वात, दीर, चित्ताराल होकर आक्सस के उत्तर की ओर घाटी तक जाता था और लद्दाख के रास्ते से निकट पड़ता था। एक दूसरा रास्ता पश्चिम में जलालाबाद और कुन्डूज होकर था।<sup>1</sup> दीर का रहमतुल्ला खा पड़ोसी राज्यों से मतभेद रखता था और काबुल के आक्रामक रूस के प्रति भी भयातुर था। उसने ब्रिटिशों से सहायता की अपील की। लाड लिटन को यह समझ में आया कि दीर को ब्रिटिश प्रभाव का केंद्र बिन्दु बनाया जा सकता है और उसके द्वारा अथ कबोलो के राज्यों पर ब्रिटिश राजनीति में प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। रहमतुल्ला खा के साथ तुरन्त वार्ता प्रारम्भ की गयी। पर जल्दी ही पता चल गया कि इस सरदार पर भी कश्मीर के महाराजा की तरह ब्रिटिश हितों के लिए बहुत अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता। लिटन ने परीक्षण होकर कहा, "यहाँ के सरदार, हम जब भी चाहेंगे, हमारे पास आएंगे। हमें उन्हें केवल कोचवान की तरह इशारा करना पड़ेगा। और यह उचित नहीं है कि हम तुरन्त ही नयी लालची बदमाशों को अपने हाथ में रखें।"<sup>2</sup>

पर अनुदारवादी वाइसराय जब भी दर्रे की रक्षा की नीति पर दृढ़ था। जब उसकी एक संगठित अफगानिस्तान रखने की नीति, जो ब्रिटिश प्रभाव में हो, पूरी नहीं हुई तो उसने उसे कई टुकड़ा में बाटने का निश्चय किया। कवि वाइसराय को एक शानदार बात सूझी कि दार्दिस्तान में गिलगिट में ब्रिटिश एजेन्सी स्थापित

1 एन्डर जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नादन फ्रॉन्टियर, प० 184।

2 वही, प० 126 में उद्धृत।

करने के स्थान पर इसे जला-नावाद में क्या न रख दिया जाय। पर जल्दी ही 'भाड़ी का भेडा' अब्दुरहमान प्रकट भी हुआ और उमन सारी योजना पर पानी भी फेर दिया।

इस तरह दो वैश्लेषिक योजनाएँ साथ साथ नहीं चल सकती थीं। पर माधोपुर की याजना में जो धरधराहट और दरार नजर आयी थी वह भी इसी समय तीव्र हो गयी। कश्मीर के रुस सपक के प्रमाण सामने आने लगे। 'वहूँ मित्त जिमका प्रभाव गिलगिट में ब्रिटिश एजेंट स्मथ अप्गानिस्तान के विरुद्ध प्रयोग में लाता था, पता चला कि दोनों से गुप्त सपक में है।'<sup>1</sup> महाराजा पहले से ही गिलगिट में एजेंट रखने के विरोध में रहे थे। इसीलिए एजेंट के वायभार ग्रहण के समय सही सहयोग न करना और अच्छे सन्ध में बनाय रखना स्वाभाविक ही था। गिलगिट में विन्डुल्फ की एजेंट के रूप में और हे-वे की कश्मीर में 'आफीसर आन ड्यूटी' के रूप में नियुक्ति भी उचित नहीं मानी गयी। दोनों में निष्पत्ती की परिपक्वता की कमी थी, वे प्रायः अब्यावहारिक व छतरनाक योजनाओं में लग रहे थे और आपस में उनके सन्ध भी मधुर नहीं थे। इससे अतिरिक्त थ्रीनगर से गिलगिट तक का 230 मील लम्बा कठिन रास्ता था जो सात में 6 महीने तक से ढका रहता था और रास्त में दर्रे और नाले पड़ते थे जिन्हें खोलना सरल नहीं था।

एक कठिनाई के बाद दूसरी सामने आती रही जब तब कि महाविपत्ति ने उसका स्थान नहीं ले लिया। इसके फलस्वरूप इंग्लण्ड से लायी गयी लिटन की वैज्ञानिक सीमा के सिद्धांतों से भरी टोपरी का सामान अब्यावहारिकता की आघो में तितर बितर हो गया। चपरोत नामा एफ सामरिक किले को नामर ने हुजा से जीत लिया पर इसपर अधिकार बनाये न रख सकने के कारण इस अपने अधिकार में बनाये रखने के लिए महाराजा को आमंत्रित किया। कश्मीर की सेनाओं ने तुरन्त किले पर अधिकार कर लिया और इस पर दप का प्रदर्शन किया कि उन्होंने उस क्षेत्र में अपन को मजबूत कर लिया है अहा पर वे पहले से ही नियंत्रण रखना चाहते थे। पर इसकी कीमत काफी महंगी चुकानी पडी। शीघ्र ही हुजा ने कमीले के लोगों की धार्मिक भावना का भ्रूनिपूजका के विरुद्ध उभारा और यासीन जस राज्यों की सहायता लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिशों की सहायता से कश्मीर की सेनाएँ किले की रक्षा कर रही थी और अतत सफनता महाराजा के ही हाथ रही।<sup>2</sup> पर शांति स्थापना के पूर्व लिटन को अपने जीवन में एक और नयी शिन्धा मिली। अप्गानिस्तान की ही भांति ददिम्तान के राज्यों को भी जीतना सरल तो था या उनके बीच सामरिक महत्त्व के स्थानों पर अधिकार किया जा सकता था पर कठिनाई यह थी कि उन पर अधिकार बना कैसे रहे।

1 ऐल्डर प० 130।

2 देखें कपूर एम० एन कश्मीर सोल्ड एण्ड स्नब्ड, प० 88-95।

“माउण्ट ब्लाक’ से ऊँचे पवतो’ के होडम और ब्रिटिश नैनिक सगठन से अति दूर गिलगिट में स्थापित ब्रिटिश प्रभाव पर्याप्त नहीं था। इसका असर न तो अमानुलमुल्क पर ही पड़ रहा था और न दुहरे व्यक्तित्व वाले कश्मीर के कमचारी ही इससे नियंत्रित हो पा रहे थे।”<sup>1</sup> जून 1880 में भारतीय विदेश सचिव ने स्वीकार किया, “कठिनायी उत्पन्न होने पर यदि असंभव नहीं, तो भारत सरकार के लिए महाराजा को या मेजर विदुल्फ को रक्षाय या शांति स्थापनाथ दूर सीमा पर सहायता पहुंचाने में कठिनाई ही हागी।”<sup>2</sup>

इस तरह गिलगिट एंजेसी का सारा खेल बेकार सिद्ध हुआ। लिटन की दक्षिण-पश्चिम की नीति अफगानिस्तान की तरह पुनः एक अनुदारवादी साहसिक कदम सिद्ध हुआ क्योंकि इससे शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य की जगह ब्रिटिश प्रतिष्ठा को आंच ही पहुंची। गिलगिट एंजेसी की पूरी निरर्थकता तो स्पष्ट हो गयी और इसकी समाप्ति तो लगभग तय मान ली गयी। रिपन ने एंजेट को वापस बुलाया। पर कश्मीर के महाराजा से कहा गया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि ब्रिटिश उस अधिकार का परित्याग नहीं करना चाहते थे जो इतनी कटुता के बाद उहने प्राप्त किया था।

लिटन के चरित्र का मूल्यांकन बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में उसकी आंतरिक नीति उसके बाह्य संबंधों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण थी। लाड कजन ने उसके विषय में लिखा, “पर उस काल के प्रकाशित वागजों तथा भारत के सरकारी रिकार्ड के अध्ययन से मेरे मन में लिटन की अत्यधिक योग्यता और सामर्थ्य के विषय में, जो उसने कामगज पर दिखाया, एक आदर पैदा हुआ। अंग्रेजी गद्य की सपूर्णता और मिनिट और डिस्पेंचेज जो उसने भेजे वे सराहनीय थे।”<sup>3</sup> जहाँ एक ओर उसकी आर्थिक विवेकीकरण नमक कर का समायोजन और यूरोपीयों को हल्की सजा देने का विरोध करने की नीति उस भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रशंसा प्रदान करती है, वहीं उसके द्वारा मोटे कपड़े पर 5 प्रतिशत जायात कर की समाप्ति निश्चित रूप से लकाशायर के उद्योगपतियों के प्रति मोह को दर्शाती है। पर उसकी अफगानिस्तान नीति और सीमा नीति ने उसकी छिछली राजनीतिगता को सामने लाकर रख दिया तथा बर्नाक्युलर ऐक्ट एक प्रशासक की भेद भावपूर्ण नीति लेकर लोगों के सामने उपस्थित हो गया। कुछ मामलों में जैसे भारत के लिए उसकी सोना को सिक्के का आधार बनाने की योजना, वेद सरकार के अधीन अलग से उत्तर

1 ऐल्डर पूर्वोक्त, पृ० 133।

2 वही उद्धृत।

3 कजन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इण्डिया भाग 2 पृ० 265।

पश्चिम सीमा प्रांत स्थापित करने की योजना तथा भारतीय राजाओं की एक प्रीवी कांसिल बनाने की योजना में निश्चित रूप से वह अपने समय से आगे था जिससे यह सिद्ध होता है कि लिटन युद्ध में अघिक शांति काल के योग्य एक व्यक्ति था। सामरिक युद्ध और बाह्य दूतनीति में वह साधारण ही था और उसमें लारेंस की दूरदर्शिता नहीं थी।

लिटन ने 1880 में भारत छोड़ दिया और इंग्लैंड के जनजीवन में ब्रवी बायों में तब तक कोई रुचि नहीं लिया जब तक 1887 में फ्रांस में उसे राजदूत नहीं बना दिया गया। वह फ्रांसीसी का अच्छा ज्ञान रखता था तथा फ्रांसीसी कविता से उसकी रुचि होने के कारण बड़ा प्रेम था। उसकी साहित्यिक रुचि और कलाप्रेम ने शीघ्र ही उसके दूतावस का कविया और कलाकारों का अड्डा बना दिया जिससे वह फ्रांसीसी लोगों में बड़ा लोकप्रिय हो गया। यही पर 24 नवम्बर 1891 में उसकी मृत्यु हो गयी।

## लाड रिपन (1880-84)

रिपन 24 अक्टूबर, 1827 को पैदा हुआ। उसके पिता का नाम फ्रेडरिक राबिंसन (जो बाद में रिपन का अल हो गया) था। उसकी मां लेडी सारा होवट बर्किंगहम-शायर के चौथे अल की पुत्री थी। उसके बचपन का नाम जाज फ्रेडरिक सैमुअल राबिंसन था। वह अपने पिता का दूसरा जीवित पुत्र था। चूंकि व्यक्तिगत रूप से इस सपन परिवार ने जाज के लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी इस कारण उसे किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना पड़ा। उसने 1849 में हनारिटा एने थिबडोसिया से विवाह किया, 1852 में सदन सदस्य चुना गया और 1859 में अपने पिता के अल रिपन के रूप में उत्तराधिकारी हुआ। इसके अतिरिक्त युद्ध का अवर सचिव और भारत का सेक्रेट्री आफ स्टेट का पद भी उसने प्राप्त किया और अंततः 1880 में ग्लैंडस्टन ने उसे भारत का वाइसराय बना दिया। लाड कर्जन ने लिखा है कि "लाड रिपन का वाइसरायत्व का काल मात्र 4 वर्ष रहा और यदि इसका अंत ब्रिटिश लोगों के पठनावे का कारण नहीं बना तो निश्चित ही भारत के सभी वर्गों ने इसके विरुद्ध उत्तेजनापूर्ण और बड़े-बड़े जुलूस निकाले क्योंकि उसे वे लोग राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भर सरकार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला मसीहा मानते थे जो पिछले बहुत समय से चकरा देनेवाली गति से धीरे-धीरे आगे बढ़ी थी।"<sup>1</sup> लाड रिपन मनुष्य एक उदार सुधारक था और अपने दृष्टिकोण व विश्वास में वह लाड वैटिक से मिलता जुलता था। उसका स्थानीय स्वशासन स्थापना का प्रयास, उसका विवेकीकरण, उसकी शिक्षा नीति और उसके प्रशासकीय सुधार आदि के क्षेत्रों में आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर मान जायेंगे। हम उसकी कारवाइयों के सभी विभागों का संक्षिप्त विवेचन यहां करेंगे।

### स्थानीय स्वशासन

लाड रिपन ने लिखा, 'मेरी इच्छा है कि धीरे-धीरे स्थानीय कार्यों के प्रबंध में रुचि और सहयोग के लिए सर्वोत्तम सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कदम उठाये।

<sup>1</sup> कर्जन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, भाग 2 पृ० 258।



## 1881 का प्रस्ताव

इस मस्युदा में लाड रिपन की सरकार १ पहला प्रस्ताव 1881 में पारित किया जिसमें यह घोषणा की गई कि अब समय आ गया है कि जय लाड मेंवी के स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी कदम और आगे बढ़ाये जाय। इस प्रस्ताव ने केन्द्र से कहा कि वह प्रांतीय सहायता में इस मसल पर आवश्यक विचार करे। प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे प्रांतीय और स्थानीय म्युनिसिपल कानून का ध्यान से अध्ययन करें जिससे कि यह निश्चित हो सके कि कौन-कौन से आयस्रोत प्रांतीय से स्थानीय म्युनिसिपल प्रबंध का सौंप जा सकते हैं। इस अध्ययन में यह भी देखा जाना था कि स्थानीय लोगों की महत्वाकांक्षाओं का ध्यान में रखकर कौन-कौन प्रशासकीय अधिकार उन्हें प्रदान किये जा सकते हैं।

इस कारण केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर अमल करते हुए प्रांतीय सरकारों को पत्र भेजे जिसमें उपरोक्त निर्देश सम्मिलित किये गये। इसमें यह भी इंगित किया गया कि कौन-कौन से व्ययमद नीचे की जोर भेजे जा सकते हैं। प्रांतीय सरकारों से कहा गया कि स्थानीय स्वशासन की प्रगति उस स्थिति में सम्भव नहीं है यदि स्थानीय बोर्डों पर कोई रोक लगाई जाएगी या हस्तक्षेप किया जायगा। गवर्नर जनरल की इस इच्छा की भी चर्चा की गई कि वह स्थानीय लोगों का कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाने की उत्सुक हैं।

## 1882 का प्रस्ताव

दूसरा प्रस्ताव जो स्थानीय स्वशासन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है वह 1882 में पारित किया गया। गांव के बाडों की जो परंपरा आजादी प्राप्ति तक चलती रही यह इसी प्रस्ताव का परिणाम थी जो "भारत के विभिन्न प्रान्तों में तरह-तरह से प्रयोग में लाई जाती थी।"<sup>1</sup>

प्रस्ताव पारित करते हुए रिपन ने घोषणा की कि, 'उसका उद्देश्य मात्र प्रशासन में सुधार नहीं है यह इसलिए अति आवश्यक है जिससे यह राजनतिक और लोकप्रिय शिक्षा का साधन बन सके।' और इसी कारण प्रशासन के क्षेत्र में इसके कारण पतन भी हो तो भी इस बर्दाश्त किया जाना था। उसने और आगे कहा कि यह कहा भी जाना ठीक नहीं है कि लोग स्थानीय बोर्डों के प्रति अन्ध-भक्त हैं। अभी तक सरकार के कार्यों में जनता को जोड़ने का प्रभावपूर्ण प्रयास नहीं किया गया था।

इस प्रस्ताव के द्वारा जो सुधार प्रारंभ किये गये उनमें यह था। जिला अधिकारियों को मात्र परामर्श देनेवाली समितियां भेज कर दी गयीं। यह निर्देश दिये गये

कि ग्राम बोर्ड स्थापित किये जाय जो छोटी छोटी इकाइया पर शासन का काय देखें, पर शन यह भी है कि सबसे सघनत मसले जिले कांसिलो मे तय होने थे जिसमे ग्राम कांसिलो के प्रतिनिधि भी हाते थे। धीरे धीरे यह राय दी गई कि स्थानीय बोर्डों पर नियंत्रण हतु जिला बोर्ड स्थापित किये जाय। इसी वाद वाले प्रस्ताव को अधिकतर लोगो ने माना।

प्रथम बोर्ड का क्षेत्र इतना छोटा हाना था कि इमे स्थानीय हित और जानकारी दोनो रहती थी। इन बोर्डों मे गर सरकारी तत्व बहुमत मे होत थे। कमचारी 1/3 से अधिक नही होने थे। जहा भी सम्भव हो चुनाव पद्धति लागू करने को कहा गया जोर गर सरकारी सदस्य केवल दो बष के लिए ह्ये थे। सरकार का इन बोर्डों पर नियन्त्रण आन्तरिक न होकर बाहर से होना था अथवा दूसरे शब्दो मे सरकार इन स्थानीय बोर्डों की कारवाइया को देखती और उसमे परिवर्तन सुझाती थी, उनपर अपना मत आरोपित नही करती थी। कुछ ऐकटो के वैधानिकीकरण के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी। प्रारम्भ मे ऐसे मामलो की सख्या तो अधिक थी पर धीरे धीरे यह कम होनी गई। कठिनाई की स्थिति मे या लगातार कत्तव्याभाव म स्थानीय सरकार बोर्डों के काय को पूरी तरह से रोक सकती थी या अस्थायी तौर पर उसपर रोक लगा सकती थी। पर इमे पूणतया समाप्त करने के लिए भारत सरकार के अभिमत की आवश्यकता पडती थी।

“सरकार के कायान्तिका अधिकारियो का यह सामान्य कतव्य है कि वे प्रारम्भ म ही स्थानीय बोर्डों के कारवाहियो पर दृष्टि रखें जोर उहे यह बतायें कि कहा लापरवाही हा रही है और उहे कहा रोक भी दें जहा वे अपने कत्तव्य से आने जाने वा प्रयास करें या अवैधानिक काय करें या अतकपूण तरीके से मन मानी करे।”

इन स्थानीय बोर्डों म भारतीयो को सदस्य होने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सरकार उनके कत्तव्य पालन मे सहायता करगी, यह भी निश्चित दृष्ट्या। उत्तरदायी लोगो को इन कामो की ओर आवृष्ट करने के लिए लोगों का गाय अथवा रायवहादुर की उपाधिया भी प्रदान की गयी। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जहा भी सम्भव हो अधिकतर सरकारी के स्थान पर सरकारी लोगो को चेयरमैन बनाया जाय।

स्थानीय स्वशासन के इतिहास मे 1882 का प्रस्ताव एक नया धरण थी और लाड रिपन को सत्य ही भारत मे स्थानीय स्व शासन का निदा कर्ता है। इस प्रस्ताव ने निश्चित रूप स इन सस्थाओ के लिए लोगों का निर्माण के भारतीयो को राजनतिक ज्ञान और प्रजातत्वीय पद्धति के प्रसारण के लिए स्थानीय उपयोगितावादी कार्यों के लिए सुविधा प्रदान की।

पर जसा कि लिडसे ने लिखा है कि “इस प्रस्ताव को अंग्रेजो ने अंग्रेजो के हितो के लिए प्रस्तावित किया था।”

आशाओं को जागृत किया था उस पूरा नहीं किया।<sup>1</sup> एमी मम्पात्रा के लिए अभी भारतीय तैयार भी नहीं थे और सम्भवतया उन्हीं इस तरह से काय किया कि चुनाव के लिए उनमें कोई उत्साह नहीं था। स्थानीय बाढ़ स्थानीय लोगों में लोकप्रिय भी नहीं हुए जिसका परिणाम यह हुआ कि इसका काम उनसे न निकल कर सरकारी शक्ति और उत्साह द्वारा किया गया और फिर चूकि इसके अधिकतर सदस्य निरक्षर होते थे और वे अपनी इवाइं के बाहर के लोगों की आकांक्षा का पान नहीं रखते थे और इमीलिए जिले में अथवा इलाक़ा से एकरूपता स्थापित करने का प्रयास भी नहीं करते थे। इस कारण अधिकतर शक्ति अब भी अधिकारियों के ही हाथ में रह जाती थी। इन सगटना के पास पर्याप्त धन भी नहीं होता था। और न वे इसके लिए प्रयास ही करते थे। इनकी एक चौपाई आय सरकार स्थानीय चुंगिया से वसूल कर देती थी और इसके अतिरिक्त इन्हें दूकाना, स्थानीय चुंगिया और पशुओं के बाजार से कुछ आय होती थी। बाढ़ के क्षेत्रों में आय अपने प्रयासों से ही बट सबती थी पर इस क्षेत्र में कोई प्रयास ही नहीं किये गये। न ही इन समस्याओं का चेयरमैन भारतीयों को ही बनाया गया। इस कारण स्वाभाविक रूप से थोड़े ही दिनों में ये समस्याएँ एकदम बकार हो गयीं और ऐसा लगा कि लाड रिपन का पूरा उद्देश्य ही असफल हो गया है।

फिर भी इस समस्या की आधारशिला ही रखा जाना महत्वपूर्ण था। इस समस्या का मूल्य प्रशासकीय चाहे कम ही रहा हो पर शक्ति अधिक था। चूकि इसमें कमचारियों के अनवरत और इमानदार प्रयास की आवश्यकता थी और इस क्षेत्र में जितना ही कुछ किया गया उत्थान उनना ही हुआ और उनके एक आकषक भविष्य की कल्पना भी उसी पर आधारित हुई।

### जनपदीय कस्बे

जनपदीय कस्बों में स्थानीय स्वशासन के भाव का विकास भी रिपन के इस प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो विल्कुल स्थानीय बोर्डों के कार्य प्रणाली से मिलती जुलती थी। 1882 तक का इसका संक्षिप्त इतिहास यहाँ उपादेय ही होगा। मुगल काल में जहाँ भी कस्बे का प्रशासन रहा वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियाँ कोतवाल के नियंत्रण में रची गईं। पर ब्रिटिश काल में चूकि स्थानीय समितियाँ मजिस्ट्रेटों के सहायताय बनाई गयीं, इसलिए स्थानीय जमींदार, व्यापारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके माध्यम से स्थानीय प्रशासकों के सहायताय आ गये। इस तरह पुराने व्यापारिक के द्र और बड़े बड़े गाँव जो जिला

1

1 किन्से जे० एच० कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग 6 प० 521।

मे थे नगर पालिका समितियों के स्थापित होने से जनपदीय कस्बों के रूप में सामने आ गये इसके पूर्व इनकी कोई वैधानिक मायता नहीं थी।

लार्ड रिपन के काल से पूर्व अलग-अलग प्रांता में नगरपालिका समितियों के विकास के मामले में हम सबसे पूर्व पंजाब का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 1849 में इसके अपहरण के बाद यहाँ पर सरकार प्रत्येक कस्बे में पहुँचने वाले सामान पर पुराने कर ही लेती थी जिससे कस्बे का विकास किया जाता था और पुलिस की व्यवस्था की जाती थी। कस्बों के विकास के लिए विभिन्न समुदायों से निर्मित एक नगरपालिका समिति से सहायता ली जाती थी। कस्बों के छोटे और बड़े होने के साथ-साथ अपनी आवश्यकतानुसार वे अलग-अलग तरह से कार्य करती थीं। इस कार्य के पीछे भाव सराहनीय था। नाली व्यवस्था के लिए विस्तृत योजना विशेषकर अमृतसर, लाहौर और अम्बाला में बनाई गयी जिसकी लागत 1855-56 के पंजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 'नागरिकों ने स्वेच्छा सहित सहित किया।' 1850 में इन समितियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए जनरल म्युनिसिपल ऐक्ट 26 पारित किया गया। इससे यही समितियाँ भी स्थापित करने में सहायता मिली। पर इससे तबतक कोई विशेष लाभ नहीं हुआ जबतक कि 1867 का ऐक्ट 15 नहीं पारित कर दिया गया जिनके अंतर्गत पंजाब में लेफ्टीनेंट गवर्नर के हाथ में विस्तृत अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्थानीय समितियों को वैधानिक बनाया गया और उन्हें अपने ढंग से कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया जिसके धन का प्रयोग प्रथम कस्बों की पुलिस व्यवस्था पर और दूसरे उसके विकास कार्यों पर किया जाना था। उत्तर पश्चिम प्रांतों (यू०पी०) में भी पंजाब की तरह ही कानून बनाये गये।

1850 के 26वें ऐक्ट में कस्बों में कर तथा विकास कार्य हेतु एक स्थानीय समिति बनाई गई थी जिसके अंतर्गत कम से कम यदि कस्बों के 6 सदस्य प्रायना पत्र दे दें तो उसपर विचार किया जाता था। बम्बई में इस प्रावधान का पूर्व प्रयोग किया गया जहाँ पर जनपद के अधिकारियों ने 6 लोगों से प्रायना-पत्र दिला कर समितियाँ बनवा दीं। 1873 के अपने ऐक्ट 6 के अंतर्गत बम्बई में अपने को आय प्रांतों की बराबरी पर लगा दिया। इसने 10 हजार से अधिक निवासियों के स्थान को नगर और 2 हजार से कम के निवासियों के स्थान को कस्बा का नाम दिया। नगरीय बोर्डों में गर सरकारी तत्त्व लाय गये। पर चुनाव नहीं हुए। कस्बा में नगरपालिकायें जिला अधिकारियों के हाथ में चलती रहीं।

मद्रास के लोगों ने 1850 के ऐक्ट 26 का विरोध किया और कुछ लोगों ने समितियों की स्थापना पर जोर दिया। इस तरह से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैकल्पिक परिपदों का ही सहारा लिया गया जो कहीं कहीं ही स्थापित हो पाये। मद्रास सरकार ने असंतुष्ट होकर 1865 का ऐक्ट 10 पारित किया जिसके द्वारा

कस्वो से पुलिस प्रशासन के लिए धन की वसूली की गई थी। जहा आवश्यकता हुई उसके विकास के लिए सरकार ही धन वसूलने व इसके निर्धारण की नियता थी। 1869 के एक दूसरे ऐक्ट के अनुसार 42 कस्वो में नगरपालिका समितिया बनाई गई। वैसे अधिकतर मामलो में इसका विरोध किया गया या तटस्थ भाव दिखाया गया क्यकि लोग ब्रिटिशो के उद्देश्यो पर मदेह करते थे।

बंगाल में 1864 में ऐक्ट 3 पारित किया गया जो बडे कस्वो से ही सबधित था जबकि 1868 का ऐक्ट 6 छोटे स्थानो से सबधित था। पुलिस व रक्षा के लिए कर बढ़ाये गये। पर दोनो स्वितियो में नियंत्रण मजिस्ट्रेटो के हाथ में रहा। जिन समितियो में गैर सरकारी लोग नामित किये गये वे परामश मात्र ही देती थी।

### 1885<sup>1</sup> में म्यूनिसिपल बोर्डों की रचना

	पूण म्यूनिसिपल- टिया की सख्या	चुने गये सदस्यो का प्रतिशत	पूणतया अशत चुने गये बोर्ड	पूणतया नामित बोर्ड		चयरमैन सरकार गैर सरकारी
बंगाल	147	50.4%	118	29	130 (?)	17 (?)
बम्बई	162	10.8%	40	122	152	10
मद्रास	54	24.6%	33	11	26	21
एन०डब्लू०पी०	109	79.8%	101	8	103	6
पंजाब	197	42.6%	122	75*	120 (?)	77 (?)
सी०पी०	58	60.2%	58	—	18 (?)	40 (?)
बर्मा	13	45.8%	8	5	13	—

\* इनमें सीमा की म्यूनिसिपलिटिज भी सम्मिलित है।

सी० पी० और अवध में 1867 के पंजाब ऐक्ट 15 को आधार बनाकर कई कस्वो में काय किया गया। नागपुर में बिना कानून के ही काय किया गया जबकि 1857 के बाद लखनऊ में 1850 के ऐक्ट 26 का सहारा लिया गया जिसे 1864 के ऐक्ट 18 के अधीन वैधानिक बनाया गया।

इस तरह हम यह सक्ते हैं कि सीमा और सरकार दोना का म्यूनिसिपल शासन का विचार दश में अलग अलग तरह का था। पर देश में कहीं भी चुनाव को हमने माय नहीं जाटा गया था और न ही स्थानीय उत्तरदायित्व को इसना

1 टिकर का 'जाउडहन आफ मोडल सेल्फ गवर्नमेण्ट इन इंडिया पाकिस्तान ऐंड बर्मा' (बम्बई, 1967) पृ० 48।

भाग बनाया गया था। 1874 में मद्रास के गवर्नर लाड होबट ने कहा था कि सभी स्थानों पर "उच्च शक्ति पर एक अल्पतम का शासन था जो किसी सीमा तक अपनी शक्ति को बढ़ा सकते थे।"

लाड रिपन का 1882 का प्रस्ताव इस सदभ म नगरपालिका समितियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रस्ताव में सरकार से स्थानीय सगठनों को बाहर से नियंत्रित करने को कहा गया, आंतरिक रूप से नहीं। इसने चुनाव प्रथा के विस्तार का प्रारंभ किया और जुने गये चेयरमैन की पद्धति की नींव डाली। इसने इन सगठनों को पुलिस व्यय से भी मुक्त किया और अब इनका उत्तरदायित्व स्थानीय जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य ही बना दिया गया। अब सभी प्रांतों ने ऐक्ट पारित कर दिये कि म्युनिसिपल समितियों के 1/2 से 2/3 सदस्यों का चुनाव होगा और चेयरमैन का भी चुनाव होगा।

पर गांव बोंडों की ही भांति चुनाव में भी स्थानीय जनता न बहुत उत्साह नहीं दिखाया। म्युनिसिपल समितियों ने अधिकतर चेयरमैन का चुनाव किया। पर इनमें से अधिकतर चेयरमैन सदस्यों द्वारा जिला अधिकारियों को ही चुन लिया जाता था जिससे स्पष्ट था कि समितियाँ इस मामले में शक्त थीं। यदि कोई गैर-सम्बन्धी व्यक्ति चेयरमैन चुन लिया जाता तो भी उसे सरकारी सहायता और प्रोत्साहन पर ही निर्भर रहना पड़ता।

रिपन के स्थानीय स्वशासन काय को इंग्लैण्ड की अनुदारवादी सरकार न ठीक नहीं माना क्योंकि इसमें उसे ब्रिटिश राज्य का उत्तरा नजर आया। रिपन स्वयं सावधान था और इस क्षेत्र में बहुत आगे नहीं जाना चाहता था जैसा कि उसने स्वयं घोषित किया, "बंगाली बाबू को अपने स्कूलों और सफाई के विषय में विचार करने का अवसर देकर मैं ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा नहीं पैदा कर रहा हूँ बल्कि इससे मैं उनका ध्यान अहानिकार विषयों की ओर ले जाकर उसको सुरक्षित रहने का अवसर प्रदान कर रहा हूँ।" उसने भारतीय कौंसिल के इसके विरोध को अच्छा नहीं माना और कहा, "जहां तक भारत का संबंध है ऐसी उदार सरकार से लाभ ही क्या है यदि यह पुराने लोगों के परामर्श पर हाथ पैर बांधे खड़ी रहे। ऐसे पुराने लोग अधिक आयु के कारण अपनी शक्ति खो चुके हैं और अधिक वेतन में उन्हें अनुत्तरदायी बना दिया है और वे नए भारत के प्रस्तावों की, जिन्हें तत्संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं आलोचना करते हैं और उसकी योजना पर रोक लगाते हैं। और इन्हीं ही देश के अच्छे प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।"<sup>2</sup>

1 गोपाल, एस० वाइसरायल्टी आफ लाड रिपन पृ० 95 द्वारा उद्धृत।

2 ब्लूफ, लूसियन लाइफ आफ फेडरल मॉडर्निज्म आफ रिपन, भाग 2, पृ० 53 कुलकर्णी वी० वी० पूर्वोद्धृत पृ० 207।

### आर्थिक विकेन्द्रीकरण

रिपन का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भी 1882 के प्रस्ताव के माध्यम से आया जा आर्थिक विकेन्द्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपन अथ सदस्य मेजर वेपरिंग की सहायता से उसने इस प्रस्ताव को पारित किया जिसने राजस्व स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया (1) इम्पीरियल जैसे नमक चुगी, अफीम जिन्हे केन्द्र के हाथों में रहना था, (2) प्रांतीय जैसे नागरिक विभाग, सावजनिक निर्माण आदि का काम स्थानीय विभागों को सौंपा गया, और (3) सम्मिलित अधिकार में टिकट, जंगल, रजिस्ट्रेशन आदि रखे गये जिन पर साथ साथ गैनेरो का अधिकार रखा गया। भूराजस्व सम्मिलित अधिकार क्षेत्र में रखा गया जिसका कुछ भाग प्रांतों के लिए निश्चित कर दिया गया जिसमें वे अपने कमी की पूर्ति कर सकते थे। इसी कारण निश्चित अनुदान देने की परंपरा समाप्त कर दी गई। युद्ध जैसे आपात्काल में प्रांतों को केन्द्र के सहायतायें तैयार रहने को कहा गया। केन्द्र ने अपनी ओर से आश्वस्त किया कि ऐसी मामों “अत्यधिक विनाशावस्था में पश की जायेगी जब सरकारी सत्ता व समाप्ति की स्थिति आ जायेगी।”<sup>1</sup> दूसरी ओर केन्द्र ने अपूर्व दुर्भिक्ष आदि की स्थिति में प्रांतों को सहायता के लिए आश्वस्त किया। अब प्रांतों के लिए दुर्भिक्ष जादि के लिय निश्चित धन रखने की आवश्यकता न रही क्योंकि केन्द्र स्वयं प्रतिवर्ष इसके लिए 1,50,00,000 पीड वार्षिक का अनुदान इस मद में देता रहा। यह बंदोबस्त पंचवर्षीय था जिसके बाद अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता था।

यह प्रस्ताव आर्थिक हस्तांतरण के श्रेष्ठ में एक महत्वपूर्ण कदम था। सी०एल० आनन्द ने लिखा है कि इसका लाभ यह था कि इसने प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय कृत करों में ही केवल रुचि नहीं रही बल्कि केन्द्र के लिए एकत्रित किये जाने वाले प्रांतीय करों में भी हो गई।<sup>2</sup> अनुदान प्रथा रोक दी गई और अब प्रांतों को केन्द्र के खर्चात पर रहने की आवश्यकता न रही। इस व्यवस्था का दूसरा लाभ यह था कि जिस आर्थिक क्षेत्र में कठिनाई की संभावना थी वह सभी केन्द्र ने सभाल ली। लार्ड क्रोमर ने इस अवधि में कहा है कि “चार विभिन्न तरह के जिन खतरों से भारतीय अर्थ व्यवस्था को कठिनाई पैदा हो सकती थी, व थी, युद्ध, अफीम के राजस्व में कमी, वित्तमय दर में कमी और दुर्भिक्ष। इनमें से प्रथम तीन भारत सरकार के अधीन थे और चौथा स्थानीय सरकार के अधीन।” पर चौथे मामले में भी केन्द्रीय सहायता प्रदान करने में सकोच नहीं किया गया। नयी व्यवस्था के

1 रिजोल्यूशन (पाइनास) न० 3353 30 सितम्बर 1881 पृष्ठ 6-8।

2 आनन्द, सी० एन० हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया पृ० 211।

द्वारा वेद और प्रांतीय दोनों का आर्थिक प्रशामन स्वस्थ मिद्धान्तो पर आधारित हो गया जिनमें से कुछ तो आज भी हमारी आर्थिक व्यवस्था के आधार है। प्रान्तो का अधिकतर आर्थिक बोझ घट गया और वे अब भविष्य में अधिक स्वतन्त्रता और विश्वास का भाव पैदा कर सके। इस नवीन व्यवस्था ने देश के आर्थिक प्रशासन को स्थायित्व प्रदान किया।

पर इस प्रयास में कुछ दोष भी थे। वेद के सामान्य नियंत्रण और निरीक्षण शक्ति कम नहीं आई और न वेद ने कभी कभी प्रस्ताव भेजने ही बंद किये। केन्द्र को नियमित रूप से रिपोर्ट अब भी भेजी जाती थी और केन्द्र को अपने और प्रांतो के हित में प्रशामकीय विस्तार में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय सशोधना से कटुता और निराशा उत्पन्न होती थी। वे प्रांत जो धन को समय से व्यय करते और इसमें बचत करते थे उनका धन ले लिया जाता था और जो इतमीनान से अधिक खर्च करते उनको और अधिक प्राप्त हो जाता था। स्वाभाविक रूप से इसके कारण अनुत्तरदायित्व की भावना पनपी और वेवार की योजनाओं पर व्यय में वृद्धि हुई। प्रत्येक सशोधन के समय सघप हुए प्रांतो न अधिक की मांग की और केन्द्र ने इस पर सीमा लगानी चाहिए। 1867 में वगाल के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने लिखा कि प्रत्येक सशोधन के समय, प्रांतीय बैंड का ऊनी प्रांत काटकर इसे कातने के लिए तब तक फेंक दिया जाता जब तक कि उसके बाल फिर न उग आयें।" वी०के० ठाकोर ने भी लिखा है कि, 'पंचवर्षीय ठीको के समय तीन अवसरों पर वेद सरकार न अपने प्रयोगाथ प्रांतो द्वारा सावधानी सहित एकत्र की गई आय को तीन बार लगातार छीन लिया। इस काल में कई बार विशेष धन संग्रह भी किया गया। जिसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि प्रशामन कमजोर हो गया और प्रांतीय अधिकारियों की आर्थिक भावना को ठेस पहुंची।" विभिन्न प्रांतो को किया गया राजस्व सविभाजन भी तब पूरा और निश्चित सिद्धांत पर आधारित नहीं था।

यह पंचवर्षीय व्यवस्था 1904 तक चलती और जीवित रही। वैसे बीच बीच में कुछ परिवर्तन भी किये गये। उदाहरणार्थ 1884 में प्रांतों के धन रखे जान की सीमा निर्धारित कर दी गई जिससे इस व्यवस्था को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गई।

पर 1888 के दो वर्षों के बाद इस व्यवस्था का गंभीर आघात पहुंचा। देश में दुर्भिक्ष पड़ गया जिसके कारण आर्थिक कठिनाइयां हो गयीं और अब आवश्यक यह हो गया कि कम व्यय किया जाय और नये मद पर तो बिल्कुल ही व्यय न किया जाय। साथ ही विनिमय दर पर भी इसका दुष्प्रभाव हुआ। केन्द्र

1 ठाकोर वी०के० इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन टु द डान आफ रिस्पॉसिबल गवर्नमेंट, पृ० 310।



ने कुछ शर्तों पर 1877 में प्रांती को कुछ अधिकार सौंप दिये थे। 1892 और 1897<sup>1</sup> में इसे और व्यवस्थित और शक्तिशाली बना दिया गया। 17 मार्च 1892 के एक प्रस्ताव के द्वारा के. डी. के. इस 'अधिकार पर, कि वह "स्पानीय सरकारों को सामान्य और विशेष मसला पर जो राजस्व व सेवाओं के क्षेत्र में उसे प्रदान किये गए हैं, और बल दिया। सच तो यह था कि स्पानीय शक्ति को सीमित करने का ही यह प्रयास था।

पर ये विचार आकस्मिक और अस्थायी थे। स्पानीय सरकारों की असली शक्तियों पर आघात नहीं किया गया। विशेष बात यह थी कि किस तरह से भारत सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती और अथ लगती थी। प्रांतीय सरकारों को उनकी स्थिति का सदा ध्यान दिलाया जाता था। उनकी वैधानिक अधीनता पर जोर डाला जाता था।"

### शिक्षा

लाड रिपन की एक अन्य देन शिक्षा के क्षेत्र में थी। 1866 में ब्रुड के पद मुक्ति के बाद भी शिक्षा में प्रगति होती रही, पर इसकी गति बहुत धीमी रही। नारी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाये गये। बम्बई में इस दिशा में मिशनरियों ने कुछ कार्य किया और 1823 से 1851 के बीच इस कार्य में जुटी रही जबतक कि हिंदू व्यापारी तथा मराठा नृत्ता भी इस कार्य में नहीं लग गये। बम्बई सरकार ने भी 1871 में अच्छे अध्यापकों को एकत्रित करने की योजना प्रारंभ की। इसी तरह मद्रास में भी मिशनरियों ने ही कार्य प्रारंभ किया और अन्य ने उसी पथ का अवलंबन किया। ऐसा ही दक्षिणी और उत्तरी भारत में भी हुआ। 1866 और 1882 के बीच इस तरह इस विषय को अधिक गंभीरता से लिया गया। पर प्रगति बहुत धीमी रही। 1882 में पूरे भारत में स्कूल जाने वाली छात्रायें 0.85% थीं। इनमें से बम्बई में 1.59 प्रतिशत, मद्रास में 1.50 प्रतिशत, बंगाल में 9.0 प्रतिशत और पंजाब में सबसे कम अर्थात् 7.2 प्रतिशत इनकी शिक्षा थी। उत्तर पश्चिम प्रांतों में यह संख्या 2.8 प्रतिशत ही थी।

जैसा हम बता आये हैं<sup>2</sup> 1871 में लाड मेयो के शासन काल में मुस्लिम शिक्षा ने भी कुछ प्रगति की। शीघ्र ही मौलवी (बाद में सर) सैय्यद अहमद खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम दानियों ने इस क्षेत्र में कार्य। हिंदू आगे और मुस्लिम

1 रिजोर्म्शंस आफ मार्च 27 1877 नं० 1148 आफ मार्च 17, 1892 एड नं० 353 अ आफ अगस्त 11 1897।

2 देखें विश्वर प्रमाण आरिजिन आफ प्राविंसियल आटोनामी, प० 195।

3 मेयो वाला अध्याय देखें।

सरदारो ने इस क्षेत्र में सहायता काय किया और एक के बाद दूसरे वाइसराय न भी चूँकि इसमें सहायता की जिसके फलस्वरूप 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिमों के लिए एक हाई स्कूल खोला गया जो 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध द्वितीय श्रेणी का एक कॉलेज हो गया। पर मुसलमानों में अनुदारों ने इसका विरोध किया। मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियंटल कालज भी इसी काल में खोला गया। वैसे हममें बाद में गैर मुसलमान भी प्रवेश पा सके, पर मुस्लिम शिक्षा में इसने बड़ी सहायता की। ये दोनों संस्थायें युरोपीय लागा की व्यवस्था के अधीन थी जिन्होंने आने वाले दिनों में सरकार की ओर से मुसलमानों को भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय विचारों के विरुद्ध फुसलाया।<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त इस काल की एक प्रमुख घटना इस बात के लिए आंदोलन की भी थी कि पंजाब विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। एक ऐंग्लो ओरियंटल कालेज खोला गया जो 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1871 में लाड मेयो ने प्रांतों से संबंधित शिक्षा की बातें प्रान्तों के ही अधीन कर दी जा इसके लिए केन्द्र से राजस्व सहायता भी पाती थी। वह अब भी जागृतक था और आवश्यकतानुसार अब भी अनुदान प्रदान करता था। सैन्डेरी स्कूल और कालेज बढ़ते गए और 1882 में यह बताया गया कि इन संस्थाओं में अब तक साठे बार्सेस लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान की है।

1882 का हटर शिक्षा आयोग—भारत के शिक्षा के इतिहास में हटर शिक्षा आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह शिक्षायुक्त जानी प्रारंभ हो गई थी कि 1854 के डिस्पैच के अनुसार काय नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सर विलियम हटर के नेतृत्व में 22 सदस्यीय एक आयोग नियुक्त किया गया जिन्हें यह बताना था कि “1854 के डिस्पैच के आधार पर किस तरह अब तक काय हुआ है और उससे यह भी बताना को कहा गया कि उपरोक्त डिस्पैच के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनायी जा सकती है।” इसे यह भी बताना था कि “किस तरह प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा में सुधार हो सकता है और किन साधनों के आधार पर इसका विकास किया जा सकता है।” विद्यालय के प्रगति का काय और शिक्षा के अर्थ मसलों पर भी रिपोर्ट दी जानी थी। वैसे विश्वविद्यालयों के कायप्रणाली को आयोग के दायरे में नहीं रखा गया।

आयोग ने पर्याप्त छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें प्रमुख ये बातें थी (1) प्राइमरी शिक्षा गंभीर रूप से पिछड़ी हुई है और यह कि इसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसने लिए प्रांतीय राजस्व का कुछ भाग

1 देख, लाबेट बर्नी (सर) ए हिन्दी आफ इंडियन नेशनल मूवमेंट।

यह बताकर आरक्षित हो जाना चाहिए कि "यह जन सूचना की काय प्रणाली का एक भाग है जिसका प्रांतीय राजस्व पर पूरा अधिकार है।" आयोग ने यह भी सस्तुति की कि प्राथमिकविद्यालय म्युनिसिपल समितियाँ और बोर्डों के प्रबंध को सौंप दिये जाय जिसके निरीक्षण व देख रख का अधिकार सरकार का हो। यह भी बताया गया कि स्थानीय सगठना के शिक्षा के अधिकार को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया जाय। (2) सेकेण्ड्री शिक्षा के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि हमने अच्छी प्रगति की है, बंगाल में तो विशेषकर जहाँ सहायता अनुदान की प्रथा लागू कर दी गई है और जहाँ सरकार एक संस्था की व्यवस्था करती है, व्यक्तिगत स्तर पर दो विद्यालय चलाये जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत कम अंग्रेजी मिडिल स्कूल हैं जिनकी व्यवस्था राज्य कर रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि सेकेण्ड्री स्कूल धीरे धीरे व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप दिया जाय जिसे सहायता अनुदान प्रदान किया जाय। भविष्य में सेकेण्ड्री शिक्षा की व्यवस्था सरकार को तब करने को कहा गया जब व्यक्तिगत संस्थाएँ इसके लिए सामने न आये। इसके साथ ही शिक्षा का स्तर न गिरे इसके लिए पूरी चेष्टा की जाय और इसके लिए कहा गया कि संस्था की स्वतंत्रता तो बनाये रखी जाय पर इसपर सीधे और सही नियंत्रण में दिलाई न करती जाय। (3) इससे यह भी सस्तुति किया कि घटतमान इन्टेम कोम की जगह पर कुछ ऐसे स्कूल पाठ्यक्रम लागू किये जाय जिनसे छात्रों को व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। (4) एक सस्तुति यह भी की गई ऐसे बहुधर्मी स्कूल भी चले जाय जिन्हें परिणाम के आधार पर अनुदान देने को कहा गया। (5) सहायताप्राप्त स्कूलों और कॉलेजों को कम शुल्क पर शिक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए और इनके पास तरह तरह के पाठ्यक्रम होने चाहिए और इन्हें अधिक से अधिक यूरोपीय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातकों को अपनी शिक्षा संस्थाओं में रखना चाहिए। (6) मुसलमानों में शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। (7) शारीरिक शिक्षा पर भी जोर देने की पहली बार सस्तुति की गई। इस संबंध में तमाम तरीके सुझाये गये। (8) छात्रवृत्तियों के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण सस्तुतियाँ की गयीं। अनुदान सहायता और व्यवसाय पर शिक्षा के विकास के लिए भी सस्तुतियाँ की गयीं। (9) आयोग ने यह भी बताया कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में देना से बचाया जाय। पर यह चेष्टा की जाय कि छात्रों को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वे सही और गलत के भेद को पहचान सकें। इसके लिए नतिक पाठ्य पुस्तकों तयार की जानी चाहिए जिसका आधार "स्वाभाविक धर्म के आधारभूत सिद्धान्त हों" और दूसरे, यह कि सरकारी या गैर सरकारी सहायताप्राप्त कॉलेजों के प्राचार्य या प्रवक्ता प्रत्येक वर्ष में "व्यक्ति और नागरिकों के उत्तम-य" विषय पर भाषण माला आयोजित कर सकत हैं। इस अंतर्वाली सस्तुति ने अधिक विवाद उत्पन्न कर दिया। उत्तर-पश्चिम

प्रांतों के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लायल ने इसे अनुपयोगी बताते हुए कहा कि नागरिका के कर्तव्य को लेकर कोई दा व्यक्ति आपस में एकमत नहीं हो सकते। चूँकि स्थानीय सरकारों ने भी इस सन्तुति की आलोचना की इस कारण भारत सरकार और सेक्रेट्री आफ स्टेट लाड किम्बले ने इसे स्वीकार नहीं किया।

भारतीय शिक्षा के इतिहास में हटर आयोग एक प्रमुख चरण था। इसकी अधिकतर सन्तुतियाँ स्वीकार कर ली गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि इसपर स्थानीय सगठनों का नियंत्रण बढ़ गया, अध्यापन और निरीक्षण के क्षेत्र में भारतीय तत्त्व बढ़ गया। मद्रास में इसका प्रभाव बहुत अधिक हुआ पर अन्य स्थानों पर इसका मिश्रित प्रभाव हुआ। 1882 के बाद एक महत्त्वपूर्ण बात पंजाब विश्व-विद्यालय की उमीद स्यापना थी। इससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोध भी कम हो गया। कलकत्ता से इस विश्वविद्यालय में अंतर यह था कि इसने ओरियंटल लर्निंग का एक विभाग खोला जो वर्नाक्युलर भाषा के लिए योग्यता परीक्षाएँ लेता था। उत्तर पश्चिम प्रांतों में इसी उद्देश्य के लिए बनारस में एक क्वींस कालेज खोला गया जिसमें सस्कृत इत्यादि की शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1886 में लोकसेवा आयोग ने शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया— केन्द्रीय, प्रान्तीय और सहायक। प्रथम कोटि के लिए जिसे इण्डियन एजुकेशनल सर्विस का नाम दिया गया, इसकी परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की गयी, जबकि शेष दो कोटि के लिए भारत में ही परीक्षा होती थी जिससे स्थानीय सरकार और सगठनों की शक्ति का विकास हुआ।

प्राइमरी शिक्षा में छात्रों की संख्या जहाँ 22 लाख थी वह बढ़कर 1901 में 32 लाख हो गई। सेकेंडरी स्कूलों में यह संख्या 1886 में जहाँ 4,29,093 थी वहाँ 1901 में यह बढ़कर 6,33,728 हो गई। कॉलेजों में यह संख्या 1886 में 11,501 थी जो 1901 में बढ़कर 23,009 हो गयी। स्थानीय बोर्डों और सरकार द्वारा इस पद पर किया जाने वाला व्यय 1885 में जहाँ 132 82 लाख रुपया था वहाँ यह 1901 में बढ़कर 177 04 लाख रुपया हो गया।

पर इसमें कुछ दाप थे जो समय के साथ बढ़त ही गये। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह पूर्णतया साहित्यिक शिक्षा के क्षेत्र में ही हुआ। तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं के बराबर हुआ। यह शिक्षा छात्रों को अपने पैतृक पेशे जैसे कृषि के लिए अयोग्य बना देती थी। इस शिक्षा का यही लाभ था कि इससे लिपिक वगैरे के लिए लोग मिल जाते थे जिनमें से बहुत से लोग नौकरी भी नहीं पाते थे। साहित्यिक शिक्षा भी उनके उत्तम रुचि का विकास करने के स्थान पर पाठ्य पुस्तकें रटने की ओर ले जाती थी। नैतिक शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। व्यक्तिगत सहायता में स्तर भी उँचा नहीं रखा जा सका और इसमें

काम करा जाने अर्थात् को माता के और बना गया हो ही है।

एक अन्य दोष इसमें यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में कोई एक स्तर नहीं थी, न तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच कोई अंतर ही था। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने का काम करता था जबकि कॉलेज कॉलेज के कामों का काम। शिक्षा की व्यवस्था में छात्र शिक्षा पर शिक्षा भी प्राप्त नहीं दिया जाता था। अर्थात् विधि की शिक्षा को उच्च की प्रवृत्ति थी। गण्डाए अंग्रेजों ने प्रसार पर ही अधिकांश बातें थी, इनके पीछे शिक्षा काय को आरक्षण नहीं देती थी। कॉलेजों के काम करने के लिए नगर और छात्रावास भी नहीं था। प्राइमरी शिक्षा में भी कुछ आशा की प्रवृत्ति नहीं थी और ही विश्वविद्यालय का प्रशासन ही इच्छानुसृत था। सोल्ट में पूर्ण कोर्से विद्यार्थी जान रखा जान नहीं थे इसलिए इनमें कार्यक्षमता का अभाव था। शिक्षा को गृह विभाग का एक अनावश्यक काय माना जाता था जिसके कारण "शिक्षणपूर्ण समुदाय में यह जीव शीघ्र बहाय की तरह शिक्षा था।"

### इन्वेंट प्रिन्स

लाइ रिपन ने देश के "याविक संघटन के क्षेत्र में एक बहु-प्रतीकित और उच्च गुणवत्ता लाने का प्रयास किया। तत्कालीन निम्नलिखित प्रोसीडर काउंसिल के अंतर्गत को भी भारतीय सशस्त्र-वायुधोष प्रमोडिनी नगर को छात्रक बना भी जन्म स युरोपीय के मुक्त का नहीं द्य सकता था। युरोपीय का प्रथा यह विशेषाधिकार एक पुरावकाय था जो "वायुधोष और तज प्रशासन पर आधारित पहचान था। इस समय तक तमाम भारतीय प्रतिभावंत सिविल सेवाओं में आ चुके थे और प्रतिष्ठा के उत्तरदायित्व के स्थानों पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया था। वे भी इस भेदभाव से दुःखी थे जिससे ब्रिटिशों की उच्चता का मान होता था और वे भी इसे समाप्त होता दृष्टि चाहते थे।

इस भेदभाव का दूर करने के लिए लाइ रिपन के निर्देश पर भारत सरकार ने विधि सदस्य इन्वेंट का नियुक्त किया गया। उसी विलेंतियर किया जिते गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी न स्वीकार किया और तत्काल सभी प्रांतीय सरकारों ने भी फरवरी 1882 में इस इन्वेंटिबल लेजिस्लटिव कौंसिल के समर्थन रखा। ए०के० राटक्लिफ ने लिखा है कि "यह एक छोटा काम था जिसका उद्देश्य 'याविक क्षेत्र में हल्का-सा परिवर्तन करना था।" पर भारत में युरोपीय लोग ने इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जो दूरदर्शिता, प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्वपूर्णता

1 दर्वे रले लाइ रिपन इन इन्विया पृ० 322-339।

2 राटक्लिफ ए०के० सर विलियम वेटरबन पृ० 55।

के विरुद्ध थी। कलकत्ता टाउन हाल विरोध सभाओं और गंदे भाषणों से गुजने लगा। बंगाल प्रेसीडेन्सी और अन्य स्थानों पर शार शाराबा हुआ जिसमें यूरोपीय चाय और नील पैदा करने वालों ने अधिक भाग लिया 'यूरोपीय महिलाएँ खतरे में' का नारा बुन्द किया गया। मेरीडिय टाउन शेड न स्पेक्टेटर में लिखा, "क्या आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जहाँ किसी भी क्षण आपकी पत्नी अपनी आया को ज़ापट मारने के झूठे आरोप में 3 दिन कारावास की सजा पा जाय, जहाँ मजिस्ट्रेट ताबे के रंगवाला बाफिर हो और सम्भवतः लिंग की पूजा करता हो और जो इस तरह के अन्तर की तलाश ही मरता है कि कब अबसर मिले और कब किसी गार को दंडित किया जाय ?" भारतीयों के प्रति अनादर दिखाने के लिए 29 मार्च 1883 के 'द ग्लोबल' में एक बूठा विज्ञापन छपा गया जो इस तरह से था, "भगिया, पद्या कुलिया और भिक्षित्या की सैद्धपुर निवास पर आवश्यकता है। इट्टे सपरीक्षा उत्तीर्ण बंगाली बाबू ही आवेदन करें। भूतपूर्व मजिस्ट्रेटों (बंगाली) को बरीयता दी जायेगी।" 1

भारतीय 'मायाधीशों' को 'जावनूसी रंग के बाबू' कहा जाता था। महिला समितियाँ तथा ऐंग्लो इंडियन ऐण्ड यूरोपियन डिफेंस एसोसियेशन की म्यापना की गईं। सरकारी ऋणों को छोड़ने के प्रस्ताव किये गये और कलकत्ता की गलियों में, जब रिपन शिमला से वापस लौटा तो चाय व नील बागान वालों ने उस अपमानित किया। यहाँ तक कि जब वह गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके अपहरण का भी प्रयास किया गया पर वह बच गया और उसके स्थान पर उसका लडका पकड़ लिया गया।

भारत के जन प्रतिनिधियों जैसे लाल मोहन घोष ने इस उदार मुद्धार का गोरों द्वारा विरोध करने की भत्सना की। और कलकत्ता टाउन हाल की भरी सभा में घोष ने उनके विषय में कहा कि 'एक नी, अधिनी के यूरोपीय न तो मछली ही है और न गोश्त ही कि उट्ट पचा लिया जायेगा।' यह अधिकारी और लाड रिपन दोनों अपने विचारा पर कुछ समय तक दृढ़ बने रहे। पर जब विरोध बढ़ता गया तो रिपन को लगा कि कलकत्ता में यूरोपीय विद्रोह की स्थिति गभीर हो सकती है। उसने लिखा कि "अगात सरकार के हाथ में यूरोपीय पुलिस फोर्स बहुत कम (सभी मिलाकर यही कीर् 60 स 70 तक) है। किसी झगड़े फमाद में हम सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने यह अनुभव किया और अब भी ऐसा ही अनुभव करता हूँ कि इस दश में यूरोपीय सैनिकों का यूरोपीयों के ही विरुद्ध प्रयोग एक अनि गभीर वदम होगा।"

इसलिए बिल में कुछ संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत यूरोपीय अपराधियों

पर मुकदमा चलाने का अधिकार केवल भारतीय सेशन यायाधीशा या जिला अधिकारियों को ही सौंपा गया। युरोपीया को यह भी छूट दी गई कि वे चाह तो जूरी की सहायता से अपना मुकदमा दिखवायें। यदि इनके विरुद्ध दंड कठोर हो तो हाईकोर्ट में इस तरह के मामलों को भेजना आवश्यक कर दिया गया।

इलवट बिल संबंधी वाद विवाद ने भारतीय मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव डाला। राटक्लीफ ने लिखा है कि, "समकालीन भारत पर कई अधिकारियों ने यह कहा है कि इलवट बिल के झगड़े ने पड़े लिये भारतीयों को सभावित राजनीतिक विरोध का तरीका सिखाया।"<sup>1</sup> वे अभी तक ऐसे शासकों के अदर रहने के अभ्यस्त थे जिन्हें फुसलाकर, अनुनय विनय कर, घूस देकर या विद्रोह करके प्रभावित किया जा सकता था। पर यह एक बिल्कुल नया अनुभव था कि सरकार समाचारपत्रों की गालियाँ और बुरे व्यवहार के नीचे दब गई। बाद के दिनों के भारतीय राष्ट्रवाद ने इंग्लैंड के मताधिकार आंदोलन से कुछ बातें सीखी। कुछ उ होने आयरिश गृह शासकों से सीखी। पर इलवट बिल के विरोध ने उनके कार्य पद्धति के लिए एक आधार तैयार कर दिया जिसके आधार पर भारतीय राजनीतिज्ञों ने अपनी कारवाइ तेज की। यह महत्वपूर्ण है कि इस आंदोलन के दो वर्षों के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युरोपियन एशियाटिक सोसायटी की स्थापना हुई।<sup>2</sup>

इस विवाद ने सचमुच ही इस देश में शक्तिशाली राष्ट्रीयता के सिद्धांत की भावना का विकास किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूत बनाया। भारतीयों में योग्यता थी, पर उनके पास शक्ति नहीं थी। यह आंदोलन जो प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान पर एक धक्का था, भारतीयों को संगठित किया और वह रास्ता दिखाया जिससे कि शक्ति प्राप्त हो सकती थी। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था कि भारतीयों में इसने कारण जातीय विद्वेष की भावना का जन्म हुआ। रॉलिंग्सन लिखता है कि सचमुच "लाड रिपन के वाइसरायत्व काल के अंत में भारत में जातीय भेदभाव से उठे झगड़ों के कारण पर्याप्त दिक्कतें आ गयीं।"<sup>3</sup>

पर लाड रिपन ने भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त की, भले ही उसने इसे अपने देशवासियों में गवा दिया। उसने "इस उद्देश्य के लिए महारथ हासिल की जिसके लिए भारत के लोगों ने उसके प्रति उत्साहपूर्ण आदर, भक्ति और समर्थन दिया

1 राटक्लीफ पूर्वोक्त पृ० 57।

2 टॉमसन एण्ड गारट राइज एण्ड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश एजेंट्स इन इंडिया पृ० 498।

3 रॉलिंग्सन, एच०बी० द ब्रिटिश अचीवमेंट इन इंडिया पृ० 152।

किया।<sup>1</sup> और उसके "पद त्याग के समय 1884 में उसका गमन-पथ स्वागताथ भीड़ से पटा पड़ा था और तब से उसका नाम भारत के राष्ट्रवादी लोग के हृदय में लिखा दिया गया है कि वह उनके पक्ष का समर्थक मसीहा था।"

### अन्य आन्तरिक सुधार

लार्ड रिपन के अर्थ कार्यों में चुगी और राजस्व संबंधी कुछ मामले थे। सर जान स्ट्रैची के आर्थिक सुधारों के कारण अब तक आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। भारतीय वजट घाटे के स्थान पर लाभ होने लगे थे और ये परिस्थितियाँ ऐसा जबरन प्रदान कर रही थी कि आंतरिक सुधारों के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किये जाय। इस अवसर का लाभ उठाकर लार्ड रिपन ने लार्ड नाथ ब्रुक द्वारा प्रारम्भ की गई स्वतंत्र व्यापार नीति को पूर्णता प्रदान की और 1882 में उसने 5% का आयात कर समाप्त कर दिया। बंगल नमक, स्पिट और शराब पर ही यह कर लागू रहा जिसपर आंतरिक आयकारी क्षेत्र का नियंत्रण था। राजनतिक उद्देश्यों के लिए अस्त्र शस्त्र और गोलियों को भी इसी श्रेणी में रखा गया। 1882 में पूर्ण भारत में नमक कर में कमी की गयी।

रिपन ने कृषकों की दशा में बड़ी रुचि ली और बंगाल टेनेसी बिल तैयार करवाया जो उसके उत्तराधिकारी के काल में पारित किया गया। उसने लार्ड मेयो द्वारा स्थापित राजस्व तथा कृषि विभाग को पुनर्गठित किया। दुर्भिक्ष आयोग की छानबीन के अंतगत इस विभाग ने दुर्भिक्ष सहायता तथा राजस्व सुधारों का कार्य भी अपने हाथ में लिया। यह विभाग दुर्भिक्ष आयोग की सस्तुतियों के अंतगत स्वयं पुनर्गठित किया गया। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि जिन जिलों में भूमि निरीक्षण और कर निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है वहाँ पर राजस्व में वृद्धि न की जाय। राजस्व में वृद्धि केवल वहाँ हुई कीमतों के आधार पर ही संभव थी। यह मत अति उत्तम था और इसने भू-राजस्व बन्दोबस्त को स्थिरता प्रदान की होगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि सेक्टरी आफ स्टेट ने इसे मायता नहीं प्रदान की।

लार्ड रिपन ने द्वितीय अफगान युद्ध की अंतिम त्रिया की और लार्ड लिटन के घृणायोग्य बार्निंगुलर प्रेस ऐक्ट को वापस लिया। उसने लार्ड हार्टिगटन को लिखा 'तथ्य यह है कि भारत में वक्ता संचारपत्र को एक बुराई मानते हैं, जो आवश्यक भी है, पर इन्हे जहाँ तक संभव हो एक दायरे में रखने की आवश्यकता है। स्वतंत्र विचार विमर्श के लाभ जानने की उसमें प्रवृत्ति ही नहीं थी।'

जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर रिचर्ड ग्राथ अवकाश पर गये तो लार्ड रिपन ने सर रोमेशचंद्र को स्थापान मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया



रिपन के इस काय की भी युरोपीयों व कटु आलोचना की पर रिपन अपने कृत्य पर अटल रहा। उसने इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की आयु बढ़वाकर 21 वर्ष करवाई, पर उसे भारत में इंग्लैंड के साथ ही परीक्षा कराने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। दसवर्षीय जनगणना की प्रथा का प्रारंभ करने का काय भी लाउ रिपन ने ही किया।<sup>1</sup>

1881 में लाउ रिपन ने प्रथम फँक्ट्री एक्ट पारित कराया जिसके अंतर्गत फँक्ट्रियाँ में मजदूरों की काय-दशा सुधारने व नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गये। यह तय किया गया कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों की आयु व बच्चे 1 दिन में 9 घंटे से अधिक काय नहीं करेंगे। खतरनाक मशीनें सुरक्षा हेतु ठीक से किसी चीज से घेर दी जायगी और निरीक्षण हेतु इंसपेक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।

भारतीय राजाओं के प्रति भी उसकी नीति उदार थी जो इसमें सिद्ध है कि उसने 1881 में मैसूर के राजा को कुछ प्रतिबंधों सहित उसका राज्य वापस कर दिया। 1882 में कोल्हापुर का राजा पागल हो गया पर रिपन ने उसके राज्य में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया। और जब पागल राजा की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकार को बिना किसी कठिनाई के शासन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया।

### रूस से संधि

जैसा हमने देखा है कि ब्रिटिशों और अफगानों के बीच रिपन ने शांति की स्थापना कर दी पर ब्रिटिशों से रूस का संधि जारी रहा। रूस ने 1876 में खोखद के खानात पर अधिकार कर लिया। और 1881 में टेक्के तुर्कमान क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इमने बाद ब्रिटिशों को पता चला कि रूस अल के मरदारा का समर्थन करने में जुटा है। यह स्थान अफगानिस्तान की सीमा से 130 मील पड़ता था। जब ग्लैंडस्टन को सूझान का मेहदी परेशान कर रहा था उसी समय रूस ने उपरोक्त क्षेत्र के सरदारा को अनुगामी बना लिया जिसके कारण इंग्लैंड में तहलका मच गया और ऐसा लगने लगा कि रूस के साथ इस मामले पर कोई गंभीर संधि नहीं जाय। पर यह परिस्थिति किसी तरह बच गयी।

रूस ने उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान से अपनी सीमाएं रेखांकित करने हेतु एक सयुक्त आयोग का प्रस्ताव किया पर रिपन ने जब इस काय के लिए एक भारतीय अधिकारी सर पीटर लम्सडेन का ब्रिटिश शिफ्टमंडल का नेतृत्व करने के

1 देखें स्मिथ, डब्ल्यू० आर० स्थापित आप मासिक आप रिपन

2 लाउ रिपन का काय-अध्ययन देखें।

लिए घोषणा की और अमीर से भी अपना एक अधिकारी भेजने का आमंत्रण भेजा। यह सब रिपन ने इस आशा से किया कि रूस सचमुच सहयोग करने का इच्छुक है। पर रूस का प्रत्युत्तर निराशाजनक था। वे सचमुच इस मसले पर देर लगाना चाहते थे और इसी बीच उस क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते थे। उनकी इच्छा पूरा तुर्कमान कबीलो पर नियंत्रण की थी और इसीलिए इसी सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल जेलेवाय के हाथ में सौंपा। पर चूंकि वह बीमार था इसलिए उसे ठीक होने में कुछ समय लगा। फिर उसे इस काम में जाने में भी कुछ समय लगा। इन कमिश्नरों की पहली बैठक इसी कारण बहुत देर में अक्टूबर 1884 में हुई। इसके एक ही माह बाद लार्ड डफरिन भारत में गवर्नर जनरल होकर आ गया। पर इस मामले पर गंभीरतापूर्वक फरवरी 1885 से पूर्व विचार नहीं हो सका।

1884 में रिपन भारत से वापस गया। उसकी वापसी इस देश से एक और उदार गवर्नर जनरल की वापसी थी जिसने ऐसे सुधार प्रस्तावित किये थे जो सीमा और महत्त्व दोनों दृष्टिकोण से बहुत आगे थे। इस देश में लार्ड रिपन सदा एक प्रिय, उदार और विस्तृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जायेगा।

इस देश की उत्तम भेदाओं में जो उसने की उनमें स्थानीय स्वशासन को एक निश्चित आधार प्रदान करना माना जा सकता है। इसके पूर्व भारतीयों के जो स्वशासन के योग्य नहीं माना गया था और न ही उनकी आकांक्षा की ओर ध्यान देने का प्रयास ही किया गया था, उन्हें अपने प्रशासन में इससे पूर्व न तो प्रतिनिधित्व ही प्रदान किया गया था और न आवाज उठाने का अवसर। ऐसा विश्वास किया जाता था कि भारत भूमि प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के विकास के योग्य नहीं है। लार्ड रिपन ने इस तरह के विश्वास को आघात पहुंचाया और प्रतिनिधि संस्थाओं का सचमुच ही बीज बोया जो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसको उन सूचनाओं में भी उदारता का पुट है जिसमें उसने बताया कि यह प्रयोग स्थानीय प्रशासन में सुधार को ही ध्यान में आवश्यक रूप से रखकर नहीं किया जा रहा है और न ही यह आवश्यक है कि लोग इसके गुणों को समझें। बल्कि यह उनके लिए अच्छा है क्योंकि इसका उद्देश्य आत्म प्रशासन में उन्हें प्रशिक्षित करना है और इसी कारण जातों को इसके साथ जोड़कर इसे सफल बनाया जाय।

आर्थिक क्षेत्र में भी जो कुछ उसने किया उसका उद्देश्य तरह-तरह के लोगों में इनका अपने लाभ के विषय में रुचि पैदा करना था। आर्थिक क्षेत्रों का उसके द्वारा तीन भागों में विभाजन तात्कालिक परिणामों की दृष्टि से उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था जितना अपने अंतिम प्रभावों के कारण। समय यह था कि यहीं से प्रांतीय स्वायत्तता की आधारशिला रखी गयी जो धीरे धीरे बनते-बनते आगे चलकर 1919 और 1935 में एक भवन के रूप में सामने आयी।

शिक्षा के क्षेत्र में उसके द्वारा नियुक्त टूट्टर आयोग की भी काम महत्ता नहीं थी। 1854 का बूड का डिस्पैच अच्छा था, पर तभी जब कि इस धाराभा पर कार-बाई हो और लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो। लाड रिपन ने इस डिस्पैच के भाव को वाय रूप में बदलने की चेष्टा ही नहीं की बल्कि इसमें कुछ लाभपूर्ण बातें जोड़ी थीं। उसका उद्देश्य यह था कि भारतीय हिता की रक्षा होनी चाहिए।

सच तो यह था कि लाड रिपन ब्रिटिश गवर्नर जनरल की भीड़ में एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व था जिसने भारत पर यह सोचकर कभी शासन नहीं किया कि इस देश पर ब्रिटिशों का नियंत्रण सत्ता बना रहेगा। बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को इस सबमें प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए जिससे कि अतत व अपना उत्तरदायित्व स्वयं सभाल सकें। उसका इन्वेंट बिल और क्लबला हाइ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर एक भारतीय की नियुक्ति इससे विश्रस्त प्रमाण हैं। उसने अप्रत्यक्ष रूप से, इन्वेंट बिल में सशोधन के विरुद्ध हुई भारतीय प्रतिनिधियों के माध्यम से देश में राजनतिक और राष्ट्रीय भावना को जगाया। सच तो यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय राष्ट्रवाद की नींव लाड रिपन के भारत के प्रति कारवाइयों के द्वारा रखी नहीं गई तो शक्तिशाली अवश्य हुई। बर्नार्कमुलर प्रेस को दी गयी उसके द्वारा स्वतंत्रता उसका फेब्रुअरी ऐक्ट और ऐसे ही अन्य काम उसे आधुनिक भारतीय इतिहास का चमकता हुआ तारा सिद्ध कर देते हैं।

जब लाड रिपन भारत से पदमुक्त हुआ तो उसे एक नायको जैसी विदाई प्राप्त हुई। इंग्लैंड वापस जाते समय लाड रिपन ने बम्बई में बिकटोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन के सामने नगरपालिका भवन की नींव रखी थी। नगरपालिका कार्पोरेशन के प्रेसिडेंट फीरोज शाह मेहता ने एक स्वागत भाषण इस अवसर पर पढ़ा था और बम्बई के अलग अलग कस्बा में टाउन हाल में अपने अपने स्वागत भाषण अलग से पढ़े थे। अपने वापसी के समय जब उसकी गाड़ी गलियों से होकर गुजरी तो इसे भुलेश्वर और मुंबादेवी मंदिर के सामने रोका गया जहाँ के पुजारियों ने उसके भाँधे पर बुमबुम और चावत्ता लगाकर पद मुक्त नायक को आशीर्वाद दिया। चांदी की तशतरिया में गरी के गोले उसे भेंट किये गये और व्यापारियों ने उसके गले में हीरों और जवाहरात की माताये पहनाईं। प्रत्येक भारतीय का हृदय चौत्तार कर उठा, भारतीय स्वतंत्रता के नायक रिपन दीघायु हो।

1884 में जब वह इंग्लैंड पहुँचा तो ग्लैडस्टन ने उसे ऐडमिरैल्टी का प्रथम लॉट नियुक्त कर दिया। बाद में उसे उपनिवेशों का मन्त्री आफ स्टेट बना दिया गया। आयरलैंड के लिए गृह शासन के समर्थन में उसने डब्लिन नगर की स्वतंत्रता की उपाधि दीवाई। 1905 में वह हाउस आफ लॉर्ड्स का प्रतिनिधि हो गया पर उसने एशकनीष के प्रधानमंत्री होने पर इस पद से स्तीफा दे दिया। उसका 9 जुलाई 1909 को देहान्त हो गया।

## लार्ड डफरिन (1884-1888)

डफरिन के मार्क्विस् का जन्म 21 जून 1826 को हुआ था। उसका पिता चौथा लाड डफरिन प्राइस ब्लैक बुड था और उसकी मा टामस शेरिडान की पुत्री हूलेन सेलिना थी। फ्रेडरिक टेम्पुल ब्लैकबुड के नाम से जन्म से जाने वाले डफरिन के मार्क्विस् को 1884 में जब रिपन का उत्तराधिकारी बनाया गया तो वे काफी उम्र के ही चुके थे। इस नियुक्ति के 20 वर्ष पूर्व डफरिन ने भारत के लिए अडर सेक्रेटरी के पद पर वाय किया था। 1872-78 के बीच वह ब्रिटेन का गवर्नर जनरल रहा था और इसके बाद उसे सेण्ट पीटर्सबर्ग में और फिर कुस्तुन-तुनिया में राजदूत का पद प्रदान किया गया था। उस मिस्र का विशेष कमिश्नर भी बनाया गया था। इस तरह भारत आने से पूर्व उसे प्रशासन और कूटनीति के क्षेत्र में तरह-तरह के अनुभव प्राप्त थे। पर अधिक आयु होने के कारण उसमें नयी योजनाओं को प्रस्तावित करने और सुधार योजनाएँ प्रस्तुत करने की शक्ति का अभाव था। जो भी समस्याएँ उसके सामने आयी उसने उन्हें अनुत्साही ढंग से हल करने में ही सतोप व्यक्त किया।

### आन्तरिक सुधार

उसके आन्तरिक सुधारों के मामले में थोड़ा ही बताना पर्याप्त होगा। इस काल के प्रशासनिक क्षेत्र में टेनेसी ऐक्ट का पारित किया जाना एक महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण किसानों की अधिक सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हुए। 1885 के बंगाल टेनेसी ऐक्ट में अनावश्यक कर बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1886 के अवध टेनेसी ऐक्ट के अंतर्गत सात वर्षों के लिए वहाँ के किसानों की इच्छानुसार भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया और उन्हें पिछले 30 वर्षों के अंदर कृषि में सुधार के लिए हरजाना प्रदान किया गया। 1887 के पंजाब टेनेसी ऐक्ट ने एक सीमा के भीतर किसानों को कर वृद्धि में भी बचाया और उनके भूमि अपट्रण पर भी प्रतिबंध लगाया।

उसने 'द गज ऑफ़ टम्बेट पेक्ट' के द्वारा भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी सुधारायी चाही। उपरि उक्त पेक्ट के अंतर्गत 8 म 12 वर्ष तक की लड़कियों को राजकीय मुरागा प्रणाली बिना जाया या प्रावधान किया।

डफरिन के शासन में रानी के मूल्य के घटना और गति ध्येय बढ़ाया व कारण सरकार को अतिरिक्त आय के साधन की तलाश करनी पड़ी। डफरिन भारतीयों में रिपब की लोकप्रियता में रूढ़िवा करता था जोर अपने विषय भी ऐसी लोकप्रियता का इच्छुर था। पर यह नाम रिपबिशा का अग्रगण्य कारण था नहीं चाहता था। लॉड नाथनरुक् का उक्त प्रगमन किया, "जो आपका बला करना पड़ेगा वह कोई अर्थवत् बहतर तरीके में नहीं कर सकता। हमारा राज्य का भारतीयों में लोकप्रिय बनाइये। मरा रिपबिशास है कि यह राज्य कम भेजम परिवर्तन करके आप करिये। विशेषकर नये कर आगोपण का बतिय और उनमें भी प्रत्यक्ष कर का और प्रत्यक्ष कर का से भी आय कर से।"<sup>1</sup>

रम मत को ही ध्यान में रखकर डफरिन न आयकर को हटाया नहीं लगाया। इससे स्थान पर उसने भन्कर का छाडकर सभी आय पर चाइसेस कर को कुछ काल के लिए और बढ़ा दिया, जो भारतीयों और युरोपीयों पर बिना भेद भाव के लागू किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह प्रेस और जनमत का शासन रख सका और फिर भी अपनी आय बढ़ा ली। पर तब बमा के मुद्दा, सीमा सुरक्षा, नयी रेलों और चादों के मूल्य में और बमी ने अतिरिक्त आय को भी अपर्याप्त कर दिया। इसीलिए उसने पट्टोलियम पर भी चाडी सी गुणो लगायीं। नमक पर भी थोडा सा कर बढ़ा दिया गया और इस तरह बिना कुछ अधिक विवाद खडा किया उनमें कठिनाइयां पर विजय पा ली।

डफरिन ने मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उह हज की सुविधाएं और बढ़ायी। उनकी शिक्षा की जोर अधिक ध्यान दिया और राज्य सेवाओं में उह अधिक स्थान प्रदान किया। उसके काल ही में रानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबिली मनायी गयी जो एक महत्त्व की घटना थी।

एक आयोग की नियुक्ति भी इस काल में की गयी जिसे भारतीयों के सिविल सेवाओं में भर्ती की समस्या पर रिपोर्ट देना था। इस आयोग ने जनवरी 1888 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया कि कुछ अधिक संख्या में उत्तर दायी पद भारतीयों को सौंपे जाय। इसमें भारतीयों की आयु सीमा में वृद्धि हेतु कोई सन्तुति नहीं की गयी। पर इसमें यह इंगित किया गया कि यदि सभी की आयु बढ़ा दी जाय तो यह लाभपूर्ण होगा क्योकि इससे भारत में सिविल सेवा हेतु अग्रज अधिक परिपक्व हो जाएंगे। डफरिन ने स्पेकुलरी सेवाओं को समाप्त करने

<sup>1</sup> गोपबल, एस० ब्रिटिश पात्रिसो इन इंडिया (1858-1905) प० 156-57।

का निश्चय किया और यह भी तय किया कि कुछ केन्द्रीय सेवा के पदों पर काम करने वाले नमचारी प्रा ता म भेज दिये जाय । पर वह इस क्षेत्र में कुछ कर सकता उसके पहले ही वह पद मुक्त हा गया ।

### कश्मीर पर ब्रिटिश नियंत्रण शक्तिशाली बनाया जाना

लाड टफरिन के काल में एक प्रमुख घटना यह थी कि उसके काल ही में कश्मीर में रेजीडेण्ट की नियुक्ति की गयी । कश्मीर में गर्भों में जानेवाले युरोपीयों के कारण समस्या पैदा हो गयी । वे प्रायः वहाँ दुर्व्यवहार करते जिसके कारण महाराजा गुलाब सिंह को 1882 में एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृत नहीं पडा; जिससे कि वह उनपर नियंत्रण रख सके । पर बाद की मध्य एशिया की घटनाओं ने कश्मीर में ब्रिटिश पालिटिकल एजेंट की नियुक्ति आवश्यक बना दी और नाथनूक ने एक रेजीडेण्ट की नियुक्ति का प्रस्ताव कर दिया । महाराजा राजवीर सिंह ने इसका विरोध किया और यह कहा कि अमृतसर की 1846 की संधि इसके लिए आज्ञा नहीं प्रदान करती । पर उसने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि विशिष्ट अधिकारी कश्मीर में 6 माह रहने के स्थान पर मध्य एशिया की स्थिति का जायजा लेने के लिए 8 महीने रहें क्योंकि शेष 3 4 महीने ऐसे देखभाल की वार्ड आवश्यकता नहीं है क्योंकि जलवायु के कारण आवागमन के साधन वैसे ही अवरूढ़ रहते हैं । विशिष्टाधिकारी इस तरह राजनैतिक अधिकारी हा गया और उस सीमा तक यहाँ पर ब्रिटिश अधिकार संपन्न हो गया । हमें यह देखा है कि किस तरह इस काल में गिलगिट में भी एक एजेंट की नियुक्ति की गयी, पर बाद में इसे वापस बुला लिया गया । इसी तरह लाड मेयो के विरुद्ध दुहरे कुशनकी पट्टी बनाने की व्यवस्था के जतगत नद्दाख से होकर पूर्वोत्किस्तान से व्यापार संबंध आवश्यक कर दिये गए और जबकि 1867 में लेह में केवल 6 महीने के लिए एजेंट नियुक्त कर दिया गया । यह नियुक्ति बाद में स्थायी कर दी गयी ।

पर ब्रिटिश अब भी सतुष्ट नहीं थे । महाराजा ने लगातार रेजीडेण्ट रखना अस्वीकार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश उसके मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे । उनका यह मत था कि उसके उत्तराधिकारी को तभी वैधानिक माना जायगा जब वह रेजीडेण्ट रखना स्वीकार कर लेगा । 1884 में जब रणवीर सिंह बीमार पडा तो उसने अपने सबसे बड़े लडके प्रताप सिंह के स्थान पर अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहा । लाड डफरिन ने गृह अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और उनकी स्वीकृति से प्रताप सिंह के पक्ष में निर्णय किया । पर प्रताप सिंह उत्तराधिकारी हो, उसके पूर्व उसमें कहा गया कि तुरन्त उसके राज्य में सुधारों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसके पिता व बीमारी की अवधि में

राज्य प्रशासन को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। चूँकि एन सुधार उत्तम ब्रिटिश मत से ही राबन है, इस कारण विशिष्ट अधिकारी सर आलीवर सेण्ट जॉन के माध्यम से उसे सूचित किया गया कि जिस दिन वह उत्तराधिकारी होगा उसी दिन रेजीडेण्ट की नियुक्ति आवश्यक होगी। पर प्रताप सिंह ने अमफन विरोध किया। उसने कहा कि वह स्वयं प्रशासकीय पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव करता है, उसके पास बड़े सुधार योजनाएँ हैं और वह कुछ काल अपनी योग्यता प्रदर्शन हेतु चाहता है। पर उस स्पष्ट बत दिया गया कि एन रेजीडेण्ट ही उसकी प्रशासकीय योजनाओं में सहायता करेगा। उस पर भी सूचित किया गया कि अन्वय प्रताप रेजीडेण्टों ने कितनी उत्तम मेज़ान अर्पित की है।

रणवीर सिंह की 12 सितंबर 1885 का मृत्यु हो गयी। सेण्ट जॉन रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया और उसने प्रताप सिंह के राजा होते ही अपना नया कायभार ग्रहण कर लिया। नव शासक को एन निश्चित अवधि में कुछ निश्चित सुधार करने को कहा गया। इन सुधारों में सीमा तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी हिता हेतु सड़क का निर्माण सम्मिलित था जिसे 1885 में इंडियन स्ट्रेटजिक ममिति न सस्तुन किया था। स्पष्ट रूप से इनके लिए साधना और अच्छे अधिकारियों की आवश्यकता थी। पर ब्रिटिशों द्वारा हर तरह का हस्तक्षेप किया गया। महाराजा के अविश्वस्त दीवान लक्ष्मणदास को उनके ऊपर थाप दिया गया। स्वतंत्रता के अभाव में एक निश्चित अवधि में महाराजा के लिए सुधार करना मभव नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उम पर अनायक्षमता का आरोप लग गया और परिवर्तन के लिए उसमें चाताकी और प्रशासकीय योग्यता का भी अभाव बताया गया। यह प्रस्ताव भी किये गये कि कुछ काल के लिए वह गद्दी का परित्याग कर दे जिससे कि अति आवश्यक सुधार उनके द्वारा कर दिया जाय जो उस मामले में योग्य है। प्रस्तावों को लाड डफरिन के उत्तराधिकारी लाड लै सडाउन ने आग चलकर काय रूप में परिणत किया।

### दक्षिण

इस काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला जो सामने आया वह दक्षिण और मिलाजिट से जुड़ा था जहाँ पर ब्रिटिशों ने पुनः एजेण्ट नियुक्त करने की चेष्टा की। हम पिछले अध्यायों में देख आये हैं कि किस तरह ब्रिटिश इस कबिले क्षेत्र को काबुल के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे और साथ ही रूसी आक्रमण के सभावित खतरे से दूर। उन्होंने कश्मीर को दक्षिण पर प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा में सहायता की थी और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुरहमान से बार बार अपनी लालची आँखें इधर न करने को कहा था। इस तरह 1882 में जब अब्दुरहमान ने एक बार पुनः अफगानिस्तान का चित्तल पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा तो रिपन ने

उसे स्पष्ट शङ्का म यह चेतावनी द दी कि भारत वहा पर कश्मीर की प्रभुसत्ता स्वीकार करता है और आवश्यकता पडने पर इसकी रक्षा करेगा । पर अब्दुरहमान ने इसका उत्तर कूटनीतिज्ञता से दिया । उमने बनाया कि वह अब चिनराल मे हस्तभेज नही करेगा चाहू उस राज्य को ब्रिटिश अफगानिस्तान से अलग ही क्या न कर दें । स्पष्टनया अमीर ने अपना अधिकार नही त्यागा । जीर 1883 मे इस क्षेत्र पर अफगाना द्वारा आक्रमण की सम्भावना हुई । इससे चिनराल का शासक अमानुलमुल्क कश्मीर के गिरफ्त आ गया और ब्रिटिश प्रसन्न हो गय ।

पर अफगानिस्तान के अमीर न केवल चितराल को ही अपन म मिलाने का यत्न ही नही पैदा किया बल्कि बाजौर, स्वात और ददिस्तान के अ व क्षेत्रो पर अपनी दृष्टि गडाय रखी । 1885 म जब वह भारत आया और रावलपिंडी मे डफरिन क साथ बातचीत की, उस समय ब्रिटिशो ने एक व्यक्तिगत प्रस्ताव पर विचार किया कि यदि अमीर अपनी रूस से लगने वाली उत्तरी सीमा के कुछ क्षेत्रा की हानि बदास्त करे तो उस आने दक्षिण पूव सीमा के कुछ क्षेत्रो को लेने की छूट दी जा सकती है । पर यह मसला अमीर के साथ बातचीत म नही आया, क्योंकि वह स्वय रूसी लाभा के पक्ष म आश्चयजनक रूप से पाया गया था । इसी कारण पूर ददिस्तान को कश्मीर के नियंत्रण म रखना लगातार जारी रखा गया ।

ब्रिटिशा मे इस भय की सम्भावना बनी रही कि ददिस्तान से हाकर रूसी आक्रमण सम्भव है । इसवे अतिरिक्त पूर्वी तुर्किस्तान की ओर बढना चीनी प्रभाव भी एक समस्या बा गया । 1885 म इमीलिए डफरिन ने यह निश्चित किया कि भारत की उत्तरी सीमा की पूणतया योज्र बीन की जाय जिससे यह पता चले कि आखिर एक आक्रामक सेना किन रास्तो को प्रयोग मे ला सकती है और ददिस्तान के उत्तर पश्चिम म किन दरों की रक्षा की आवश्यकता पडेगी । इस काय के लिए दा ब्रिटिश दल तैयार किये गये । एक दल कशगर की ओर से और दूसरा अफगानिस्तान की ओर से रवाना हुआ । इनका उद्देश्य आक्सस नदी के उत्तर के क्षेत्रा का निरीक्षण करना था । कनल लोकहाट के नतत्व मे एक तीसरा दल ददिस्तान के क्षेत्र के परीक्षण के लिए रवाना हुआ ।

लोकहाट ने इस कबीले के 12 हजार वग मील के क्षेत्र का गहन परीक्षण किया और इम निष्कप पर पहुंचा कि बरोधिल दरा जा पहले एक समस्या बना हुआ था, उससे हाकर बडी विदेशी सेना के आने की सम्भावना कम ही है । इसलिए रक्षाथ जो उपाय किये जाय वे छोटे और हल्के हथियार वाली सेना के विरुद्ध ही होने चाहिए जो बसत या शरद काल मे आ सकती है ।

इन निरीक्षणो के फलस्वरूप ददिस्तान क्षेत्र मे कुछ और समस्यायें भी सामने आ गयी । हुजा मरदार गजन खा चपरोत किले की हानि अभी नही भूल पाया था । 1886 मे जय लोकहाट इम कबीले के क्षेत्र मे प्रविष्ट हुआ तो उसे काफी देरी



के बाद ही आगे बढन दिया गया । पर जल्दी ही गजन खा का उसके लडके सफदर अली ने मार डाला और नागर व अपनी सेना की सम्मिलित शक्ति से 1888 म किले पर आक्रमण कर दिया । कश्मीर की सेना खत्म दी गयी और एक क्षण तो ऐसा लगा कि दार्दिस्तान पर स कश्मीर की पकड ढोली पड रही है । पर कश्मीर की सेनाओ ने यहा पर अधिकार कर लिया और यहा पर शांति की स्थापना की । पर अब इस प्रश्न पर विचार प्रारभ हो गया कि क्या कश्मीर इस कश्मीले क क्षेत्र पर प्रभाव बनाय रखने मे समर्थ है । इसके अतिरिक्त सफदर अली कश्मीर के प्रति शत्रु ही नहीं बना रहा बल्कि 1888 के अत तक उसन एक रूसी अधिकारी प्रोमचे स्की का स्वागत किया और यह अफवाह फैली कि एक समझौते के अतगत हुजा लोगो को रूस मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे वे ब्रिटिश मत्तव्यो को ध्वस्त कर सकें । इसके अतिरिक्त कश्मीर क्षेत्र से होकर जानेवाले नता इलिप्रस ने यह रिपोर्ट दी कि यारकंद म चीनी हुजा को अपने सिक्कियाग प्रा त के सीमा पर स्थित एक जिला मानते हैं जिसे व अतत उसम मिलाने के इच्छुक हैं । लोकहाट ने भी यह रिपोर्ट दी कि हुजा सरदार गजन खा अपने को केवल चीनी राजा का ही अनुगामी बताता है । "फिर भी यदि गजन खा और उसके बाद सफदर अली ने वक्कूफी से भरी पराकाष्ठा का दृष्टिकोण न अपनाया होता तो वे चीन और कश्मीर दोनों को कर न देते और आर्थिक सहायता प्राप्त करते जिनकी ब्रिटिश अधिकारी अनदेखी कर देत थे ।"<sup>1</sup>

पर 1888 मे चपरात की समस्या ने स्थिति म परिवर्तन ला दिया और डफरिन ने जोर देकर कहा कि चूकि हुजा गिलगिट स केवल 50 मील ही दूर है इसलिए यह कश्मीर का 'स्वाभाविक एव आवश्यक' सहायक राज्य है । इसी बीच डफरिन के विदेश सचिव के छाट भाई कैप्टेन अल्गरनान डूरण्ड और विदेश सचिव के मित्र मार्टिमेर डूरण्ड को इस प्रश्न का पुनपरीक्षण करने के लिए भेजा गया और उनस यह सस्तुत करन को कहा गया कि वे दार्दिस्तान म ब्रिटिश हितो की रक्षा के उपाय सुझायें । डूरण्ड न यह सतुस्ति दी कि गिलगिट मे पुन एजेसी की स्थापना की जाय, उस क्षेत्र मे सडकें और तार लाइन तयार की जाय, सरदारा को आर्थिक सहायता प्रदान कि जाय गिलगिट मे 2 हजार सैनिक रखे जाय चित्ताराल पर 5 हजार का स्थानीय कर लगाया जाय और दीर चित्ताराल सडक खाली जाय।

1889 मे ये सस्तुतिया प्राप्त हुई जिस समय कि डफरिन इंग्लैण्ड वापस जान वाला था । पर इन सस्तुतिया को उसके उत्तराधिकारी लाड लसडाउन और

1 एह्लर जी० ने ब्रिटिश इन्डियाज नादन मटियर (1865-93) प० 161।

2 वही, प० 163।

कैप्टेन अलगरनान ने स्वीकार कर लिया। 1889 में डूगण्ड को स्वयं गितागिट में ब्रिटिश एजेन्ट नियुक्त किया गया।

### पजदेह का सकट

लाड रिपन के काल में हमने यह देखा है कि किस तरह रूसियों ने अफगानिस्तान से मात्र 130 मील दूर मव पर अधिकार करके ब्रिटिशों के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर दी थी। तुर्किस्तान में रूसी सेनापति थे जो क्षेत्रीय विजय की कामना से अभिभूत थे। उनमें से एक स्कोबेलेव ने घोषणा की कि, "तुर्किस्तान में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और ब्रिटिशों का सदेह निराधार नहीं है। रूस यदि 15 हजार की एक सेना हिंदूकुश के पास भेज दे तो भारत विद्रोह के लिए उठ खड़ा होगा। भारतीय सेना व्यवस्था स्थापित करने में इतनी व्यस्त हो जायेगी कि उत्तर-पश्चिम सीमा के दरवाजे तुरंत खुल जायेंगे। यदि हम अपने इस साहसपूर्ण कदम में सफल हो गये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगा और इंग्लण्ड पर इसका कितना दुष्प्रभाव होगा उसकी कल्पना भी सरल नहीं है। चतुर अंग्रेजों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत की सीमा पर यह हथकड़ी इंग्लण्ड में सामाजिक क्रांति ला देगी एक शब्द में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्वशक्ति का पतन इंग्लण्ड के पतन को ही प्रारंभ कर देगा।" पुनः यदि "मध्य एशिया में शक्तिशाली रूस हो, भारत में कमजोर इंग्लण्ड हो, तो यह यूरोप में जीर नरम पड़ जायेगा।"<sup>1</sup> रूसी सभाचार-पत्र, दूसरी ओर, मात्र मव पर अधिकार करने से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि बीच में पड़ने वाले पजदेह पर भी अधिकार किया जाय और आगे बढ़कर हेरात पर अधिकार करके दक्षिणपूर्व में एक खिड़की खोल दी जाय। वहाँ से वे भारतीय सागर तक जा सकते थे और ऐतिहासिक ढंग से भाग्य पर अधिकार कर सकते थे।<sup>2</sup>

हमने रिपन के काल में देखा है कि किस तरह उसने संयुक्त आयोग का निर्माण कर अफगानिस्तान से अपनी सीमा निर्धारण का प्रयास किया था।

पर लाड डफरिन के भारत में पहुँचने के बाद इसी बीच रूस ने यह अधिकार जताया कि पजदेह को अफगानिस्तान के अमीर से स्वतंत्र किया जाना चाहिए। ब्रिटिशों ने ये व्यर्थ ही चेष्टा की कि अफगान सीमा का मामला आयोग के जिम्मे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अप्रैल 1885 तक कमिश्नरों के बीच की बातचीत टूटने की स्थिति में पहुँच गयी। आयोग के ब्रिटिश सदस्य लक्सडेन ने रूसी सैनिकों के बार-बार आक्रामक कारवायों की सूचना दी। 9 अप्रैल को एक दैर की सूचना के

1 स्विनसन आथर नाथ वेस्ट फ्रिडर, पृ० 198 99।

2 वही पृ० 201।

प्रेषण में बताया गया कि रूसी सैनिका 730 माच को पजदेह पर आक्रमण करने गहा में अफगान गनिना को निजालकर बाहर कर दिया है। यह खिन्ड के लिए एक चुनौती थी। इंग्लैण्ड में भी यातायागण गरम हा गया और अनुयादिया 7 र्नेटस्टन पर रूस के प्रति नरमी धरतन की नीति का आरोप लगा। ग्लडस्टन ने इस गमीर स्थिति करार दिया और बड़ी आसानी से मैत्रिक तैयारी के लिए 1 करोड 10 लाख पौण्ड व्यय की अनुमति प्राप्त कर ली। सुरक्षित मैत्रिक वापस बुलाये गये। परन्तु रूसी और नही ब्रिटिश युद्ध के पक्ष में थे। इफारिन न स्थिति का मुताबला चतुराई में किया। चुपचाप एक समझौता गया और अमीर से यह कहला दिया गया कि पजदेह अफगानिस्तान का भाग है। उसने यह भी कहा कि वह गहा पर अपना अधिकार छोडन के लिए तैयार यदि 85 मील पश्चिम जुलफिकार पर उसका अधिकार स्वीकार कर दिया जाय। चूँकि रूसी पजदेह चाहते थे जुलफिकार नहीं, और चूँकि मध्य एशिया के भूगोल की जानकारी इंग्लैण्ड में जनमानस को नहीं थी, इस कारण ग्लडस्टन ने मन्त्रिमंडल ने इस रूसी गियायत की सीमाओं को जो ब्रिटिशों की इच्छा के लिए उसने किया था, प्रस्तुत किया। एक तरफ पजदेह से रूसी आक्रमण जिस ग्लैडस्टन न स्वयं अनुत्तेजित आक्रमण की गज्ञा ली थी, ब्रिटिशों ने उसे बचने के लिए टाल दिया। ग्लडस्टन के पतन के बाद सलिसबरी ने समझौता किया उसमें केवल जुलफिकार ही सम्मिलित किया गया था।

अबदुरहमान का इस बात के लिए आश्चर्य व्यक्त किया गया कि किसी भी भीम पजदेह पर उसके अधिकार का समर्थन किया जायेगा। पर उपरोक्त वर्णित घटना से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान के लिए रूस या इंग्लैण्ड में से कोई भी युद्ध करके तैयार नहीं था। अमीर ने अपनी आत्मकथा में इस सदन में लिखा, 'हमारा बेचारी बकरी की तरह है जिस पर शेर और रोछ दोनों ने अपनी निगाह गडा है और बिना खुदा की मदद के यह लड़े अरस तक नहीं बच सकती।' और अख्य म्यान पर उमन और लिखा "अफगानिस्तान दो मिलो के बीच में पिरो राख हो गया।'

रुमिशनरो के बीच अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा के निर्धारण हेतु चलती रही। कुछ समय के बाद लम्सडेन का वापस बुलाने उमक स्यान सर वेस्ट रिजवे को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी। अतः इस आयोग ने पश्चिम के पर्वत के श्रद्धा के उत्तर बसे हरी रुड और आक्सस घाटी के दक्षिण बीच सीमा रखा खीच दी। रूस, फारस और ब्रिटिशों के बीच बातचीत जारी और 17 जुलाई 1887 को सण्ट पीटर्सबर्ग में एक संधि पर हस्ताक्षर गये। आक्सस के किनारे किनारे सीमा का निर्धारण हो जाने से ब्रिटिशों की दक्षिण रूसिया की हेरात की ओर प्रगति रुक गयी। इसके बाद 6 वय तक शांति

जा पामीर सबंधी झगड़े को लेकर अतत टूटी। इसके लिए 1895 में एक दूसरा समझौता किया गया। अफगानिस्तान ने पजदेह के उत्तर के क्षेत्र दे दिया और बुखारा ने आक्सस के दक्षिण में स्थिति दरवाज पर अपना अधिकार त्याग दिया। इसके बाद इस मसले पर रूस और ब्रिटेन के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर आपस में विरोध भाव जारी रहा जो बाद में कश्मीर और तिब्बत के मसलों को लेकर दोनों अपना अपना अधिकार बताने लगे। पर अफगानिस्तान सबंधी झगड़ा तय हो गया। इस सबंध में एल्फ्रेड लायल ने लिखा है कि "हिंदूकुश और आक्सस के किनारे किनारे ब्रिटिश और रूसी अधिकारियों द्वारा गाड़े गये सीमा के खम्भों ने पहली बार दो एशियाई देशों की लगातार बढ़ती साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पर अकुश नगाया।"<sup>1</sup>

1885 में अब्दुरहमान ने भारत की यात्रा की और लाड डफरिन से रावल पिंडी में भेंट की। वाइसराय ने हेरात की कमजोर किलेबंदी की ओर गभीरता दिखाई और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए इंग्लिश रायल इजीनियर्स को भेजने का प्रस्ताव किया। पर अमीर ने यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि इसे उसकी देश की जनता स्वतंत्रता से समझौता मानेगी। डफरिन ने चतुराई ही की जो इसपर जोर नहीं दिया। मंत्री और दृढ़ हाँ गयी और अमीर भारत से प्रेम न हो वापस लौट गया।

### बर्मा का तृतीय युद्ध

वैदेशिक मामले में एक महत्वपूर्ण घटना तृतीय बर्मा का युद्ध (1885) था जिसके फलस्वरूप बर्मा पर विजय पूरी हो गयी। इस देश का अधिकतर भाग 1826 के प्रथम बर्मा युद्ध द्वारा और 1852 के द्वितीय बर्मा युद्ध द्वारा जीता जा चुका था। अब केवल उत्तरी बर्मा के क्षेत्र थे जहाँ ब्रिटिश व्यापारियों को कठिनाइयाँ हो रही थी। 1878 में थोबा गढ़ी पर बैठे और उसके काल में समस्या ने गभीर रूप धारण किया। नये शासक ने अपने दश में ब्रिटिश आक्रामक व्यापारिक हितों के प्रति अच्छा अनुभव नहीं किया और उसने इसमें बुद्धिहीन तरीके से बटौती करनी प्रारंभ कर दी जिसके कारण उसका पतन प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश राजदूत के साथ इसके घराब व्यवहार ने और इसे ठीक करने से इनकार करने की प्रवृत्ति ने आपसी सबंधों को बटुता को और बढ़ा दिया जिसने फलस्वरूप अतत 1879 में ब्रिटिश राजदूत को वापस बुला लिया गया। नये संधि के प्रस्तावों के असफल बना दिए जाने पर यह प्रस्ताव किया जाना लगा कि उत्तरी बर्मा पर अधिकार ही क्या न कर लिया जाय। पर अब भी पगाकृष्ण नहीं आयी जब तक

<sup>1</sup> लायल, सर एल्फ्रेड ६ ब्रिटिश इजीनियर्स इन इण्डिया पृ० 356।

कि राजा ने एमा कदम नहीं उठा लिया जिससे कि उम दण म ब्रिटिश सामरिक नौति को एक उठा धक्का नहीं लग गया। उमा जमनी और इटली स व्यापारिक सधि करने लिए प्रयास किया। इसम भी घतरनाक तरीके स उसन फास स वातचीत की जिसके उपनिवेश बमा के पूर्वी सीमा पर इ-डोचाइना म थ।

लाड डफरिन क लिए अब यह इतना गभीर मसला हा गया कि वह इस पचा नहीं सकता था। 1883 म एन बर्मी शिष्टमडल पेरिस गया और 1885 म एक फासीसी राजदूत माडने पहुँचा। वैसे तो फासीसी सरकार ने इससे इनकार किया पर पता चला कि माडले म एक फासीसी बैंक स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। बर्मी सरकार ने इसी समय एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी पर ऊँचा अथ-दंड कर दिया। डफरिन न इस अवसर का लाभ उठाया और इस मसले की फिर से छानबीन करने को कहा। चूँकि इससे उसन इनकार कर दिया, इसलिए उसके पास एर चेतावनी भेजी गयी कि वह माडले मे एक ब्रिटिश राजदूत रचना स्वीकार करे और जब तक राजदूत न पहुँच जाय कंपनी के विरुद्ध कारवाई रोक दी जाय। इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों को बर्मा से होकर चीन से व्यापार करने की अनुमति दी जाय। और यह कि ब्रिटिश विदेशी मसला को ब्रिटिश भारतीय सरकार की राय से ही निबटाया जाय। राजा न इन शर्तों मे कुछ सशोधन की माग की पर तबतक उसन आश्चर्यचकित यह दया कि ब्रिटिश गना उसके देश में प्रवेश कर गयी है। इसका कोई विराध नहीं किया जा सका और राजा को बिना शत आत्मसमपण करना पडा। इस तरह उत्तरी बमा का संपूर्ण क्षेत्र जिसम 40 लाख निवासी थे और जिसका क्षेत्र फ्रास से भी बडा था, शांति स जनवरी 1886 म ब्रिटिशों के हाथ मे चला गया। कुछ घाडे स सैनिक जो बमा के जगता मे इधर उधर भाग गये थे उहाने 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध नौति के सहारे ब्रिटिश अधिकारियों को परीक्षण किया। पर पर्याप्त जन और धन की हानि के बाद अतत शांति स्थापित हो गयी। समस्या प्रधान जगहो पर छोटे छोटे किलो का निमाण किया गया और चलते फिरते ब्रिटिश सैनिका ने विद्रोहिया का शात किया। विजित क्षेत्रो मे सर चार्ल्स बर्नाड को चीफ कमिश्नर बनाया गया जिसने अपनी शक्ति और उत्साह स देश का आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर ला दिया।

नैतिकता के आधार पर ब्रिटिश कारवाई का औचित्य सिद्ध करना सरल नहीं है। कुछ ब्रिटिश लेखका ने राजा के निरबुझ और कठोर चरित्र की जालोचना की है जो यदि सच भी हो तो भी उससे ब्रिटिश कारवाई का औचित्य सिद्ध नहीं होता। इसमे सदेह नहीं कि ब्रिटिशों की इस कारवाई न निबल पर शक्तिशाली के अधिकार की कहानी दुहरा दी थी। फिर भी, राजा को फ्रास से मैत्री करने का जा भी अधिकार रहा हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पृष्ठभूमि मे और फ्रासीसियों के चरित्र व पडोस मे इ-डो-



मे अपनी अक्षमता का अनुभव कर उसने 1888 में स्वयं पद त्याग दिया। उसका कायकाल तो अभी और आगे तक चलना था।

### राष्ट्रवादी आंदोलन

लाड डफरिन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय राष्ट्रवाद समर्थित शक्ति के रूप में नहीं था। पर 1857 का वष उस जल विभाजक के समान था जिनसे नयी-नयी शक्तियाँ प्रवाहित हुई और 1885 तक इन्होंने महाराजा का रूप ग्रहण कर देश की प्राचीन भूमि को विकसित कर दिया और उबरा बना दिया। इस राष्ट्रवाद के विभिन्न शक्तिशाली धाराओं ने साधारण हस्ताक्षर अभियान से लेकर स्थानीय राजनैतिक संगठनों के माध्यम तक से जो कुछ किया उससे एक सचिवर अध्ययन हम लोग के समक्ष उपस्थित होना है।

#### राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले तत्त्व

पुराने काल से भारत पर अनेकानेक आक्रमण हुए थे जिनमें से वेदिकयुग, हूण, अरब, तुर्कों और मुगलों के प्रमुख थे। वे सब एक के बाद दूसरे आयें। पर वे 'इतिहास के अमर नियमों के द्वारा अपनी प्रजा के उत्तम सभ्यता द्वारा स्वयं जीत लिये गए।'<sup>1</sup> पर 18वीं सदी में भारत में एक दूसरे तरह का अनुभव प्राप्त किया जिसके अंतर्गत डचा, पुतगालिया फ्रांसिसियों और अंग्रेजों ने व्यापारी के देश में समुद्र पार से आकर प्रवेश किया, पर जल्दी ही अपना चरित्र बदलकर व साम्राज्य निर्माता हो गए। इनमें से ब्रिटिशों ने और मभी को क्षासा दे दिया और अपने साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो गये। नये विजेता पुराने विजेताओं से भिन्न थे। वे यहाँ पर लोगों में मिल जाने के लिए नहीं आये बल्कि उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखा और इस देश पर शासन करते रहे इसका शोषण करते रहे और इस देश का धन लूट खसोटकर इंग्लैंड भेजते रहे। उन्होंने 'हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाटों को राजपूतों से, राजपूतों को जाटों से, मराठों का दाना से, रहेलों को बुदेलों से, और बुदेलों को पठानों से और इसी तरह वे आपस में इहे लडाते रहे।' मैकाले ने बताया भी कि इस देश की ब्रिटिश सरकार एक ऐसा राज्य है, 'जो इतिहास में किसी और राज्य से नहीं मिलती जुलती और अपने-आप में यह जलज ही एक राजनैतिक चमत्कार है।'<sup>2</sup>

1 भावस धान इंडिया पृ० 59।

2 लार्ड क्लाइव का यात्रा-वर्णन, पृ० 103।

3 कूपर का इतिहास प्राक्लेम भाग 1, पृ० 19।

सकारात्मक ब्रिटिश देन—ब्रिटिशों ने अपनी शक्ति स्थापित की और बने रहे। पर राष्ट्रवादी आंदोलन को जागे बढ़ाने वाले कुछ तत्त्व सामने आये। उधर ब्रिटिश विदेशी ही बने रहे। भारत में ब्रिटिश शासन की देन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक देन के क्षेत्र में ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्यवाद और अंग्रेजी भाषा के सहारे देश को राजनैतिक एकता प्रदान की। जब ब्रिटिश भारत में आये तो भारत में भिन्न भिन्न लोगों का शासन था। मराठे, जाट, सिख और मुसलमानों की अपनी-अपनी शक्ति न देश को भिन्न भिन्न छोट-छोट राज्यों में विभाजित करा दिया था जिनकी अपनी राजनैतिक और क्षेत्रीय सीमाएँ थीं। ब्रिटिशों ने इन सभी को अपने सैनिकों की शक्ति के रोलर के नीचे रौंदा जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त लाड हेस्टिंग्स का सबसे अधिक योगदान था जिसके कारण राष्ट्रवादी आंदोलन को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ।

ब्रिटिशों के अधीन शासन में एकरूपता स्थापित हुई। स्थानीय विचित्रताएँ और जातीय भेदभाव समाप्त होने लगे। शासन का आचरण "कानून पर आधारित सिद्धांत पर चलना" प्रारंभ हो गया। यह ब्राह्मणों और शूद्रों, मुसलमानों और हिंदुओं और बंगालियों तथा मद्रासियों पर समान रूप से लागू होने लगा। नियमित न्यायालयों की पंक्ति स्थापित हो गयी जो राजा और रज के समानता के आधार पर न्याय देन लगी। इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से "देश की मौलिक एकता पर प्रभाव डालने वाली थी। भौगोलिक अलगाव या राजनैतिक प्रभुता से इसके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ना था" क्योंकि देश के कोने-कोने में यह प्रसारित हो गयी थी।

तीव्रता से हुई आवागमन के साधन में प्रगति भी कम महत्व की बात नहीं थी। आर्थिक शोषण और सामरिक उद्देश्य से बनायी गयी सड़कें और विछाई गयी रेल लाइनें निश्चित ही उस क्षेत्र में भी प्रभाव स्थापित करनेवाली थीं जिस ओर लोगों की दृष्टि भी नहीं गयी थी। मार्क्स ने कहा था कि "रलवे व्यवस्था भारत में आधुनिक उद्योग के विवास में सहायता करेगी।" और यह सच सिद्ध हुआ। इन आवागमन के साधनों ने देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन में भ्रान्ति मचा दी। भारतीय लोग नीचरी के लिए देश के एक कोने में दूसरे कोने में जाने लगे। जनसंख्या में मूल जोड़ प्रारंभ हुआ। रेल के डिब्बों में ऊँची धार नीची जाति के लोग साथ-साथ बठने लगे। लोग चलने लग, स्थानों की दूरों घट गयीं। इसके कारण राष्ट्र-नताशा के उभरकर सामने आने का अवसर आया जिसने

1 देखें स्ट्रॉटर एंड विस्ट इंडिया ऐंड इमोकरनी प० 69।

2 स्मिथ द आररुपंड हिस्ट्री आफ इण्डिया प० IX।

3 मार्क्स आन इण्डिया प० 63।



अलगवाववादी प्रवृत्ति के स्थान पर राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया और इस तरह राष्ट्रवादी आन्दोलन का पथ प्रशस्त हो गया ।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा ने भारत का कट्टरता के गद पानी से बाहर निकाला और श्रष्ट आध्यात्मिक दशन की कल्पना से विरत कराया । एक बाल था जब भारत विश्व की प्रतिष्ठा था, जब आम नेता वेद गीत गाते थे, और उपनिषद् व पुराण, रामायण व महाभारत, प्रतिष्ठा प्राप्त गीता का अध्ययन ही नहीं हाता था, इसे समझा भी जाता था । राजनीति दशन बत्ता कौटिल्य, भारतीय वयाकरण पातञ्जलि, महान बौद्धधम ज्ञानी भस्वपोप “वे काम जो सम्पूणता और विभिन्नता म मिल्टन, गटे, वा ट और वाल्टेयर की याद तिलात है”, एक औपधि ग्रथ गुथृत के लेखक चरक, ‘भारत के शैक्सपियर’ कालिदास और अय महान ज्ञानो यही तो पैदा हुए । विज्ञान, कला और धम का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जा अपनी महनता और ऊचाइयो के शिखर पर नहीं पहुच गया । पर कष्ट तो इस बात का है कि विचारो मे गहनता प्राप्ति के साथ समय बीतत जाने पर भारत अपनी क्या ‘कैसे और ‘कहा से’ की तर्कबुद्ध छो बैठा । समझदारी का स्थान कट्टर बौद्धिक अभ्यासा न ले लिया । और अब भारत आध्यात्मिक आधारहीन कल्पनाओ का दश हो गया और यह देश हो गया विलक्षणतापूण और चचल धार्मिक भावनाआ का । भूतकाल से नाता तोड लिया गया और प्राचीन देश पर अधेरा छा गया ।

दूसरी ओर युरोप म इसका उल्टा हुआ । वहा लोग धीरे धीरे अधेरे से निकलकर बौद्धिक प्रकाश की परावृष्ठा पर पहुच गये । पुनर्जागरण ने युरोपीय विचारा मे क्रांति ला दी । ब्रिटिश भारत आये और वे अपने साथ इस देश म अपना ज्ञान भी लाये । अंग्रेजी साहित्य की विचारधारा—बाइरन की स्वतंत्रता की प्रशसा बडसवथ की मानव प्रतिष्ठा की स्वीकृति, शेले की धमत्तत्र के विरुद्ध जिहाद का उदबोधन, लाक स्पेसर, मिल मैकाले और बक जैसे इंग्लैण्ड के राजनतिक दाशतिका के राष्ट्रीय और प्रजातत्र प्रेम के तथा आत्म प्रशासन के विचार, अमेरिका स्वतंत्रता के युद्ध का ‘कर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं’ का नारा, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का फ्रांस की क्रांति का उदबोधन, इटली के स्वतंत्रता सघप की गाथाए तथा माजिनी जैसे नेताओ की बलिदानपूण काथ प्रणाली यात्रा करके इस देश मे भी पहुच गयी ।

पश्चिमी शिक्षा का भूत भारतीय मस्तिष्क पर सवार हो गया । परंपरावाद का सबध तथ्यवाद स हो गया श्रष्ट कल्पनाए लडखडाकर गिग्ने और मरने लगी । नयी राजनी आयी और भारत अपने वैचारिक और कम के आलस्य से ऊपर उठा । सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र की पश्चिमी मायता भारत ने ग्रहण करनी प्रारभ कर दी । भारत पुन सोचने और योजनाए बनाने लगा और

एक नय युग का प्रारंभ हुआ । महान आशाएँ और आकांक्षाएँ अवतरित हुई । रैम्जे मैन्डानलड न लिखा है "हर्ट स्पेसर का व्यक्तिवाद और लाड मैकाले का उदारवाद ही ऐसे अस्त हैं जिस भारतीयाने हमसे छीना है और नीचतापूर्वक उसका प्रयोग हमारा ही विरुद्ध कर रहे हैं।"<sup>1</sup>

पर इसना अधकारपूण पक्ष भी था । जति अधेरा ! नयी विचारधारा और नयी आकांक्षाएँ भारतीय नहीं विदशी थी जिसमे छोकर भारत ने अपनी अस्मिता खोनी प्रारंभ कर दी और उसकी सांस्कृतिक मृत्यु के बाले वादल मडरान लग । भारत जा अपना भूनाल भूल चुका था, उस अपने पर घमड नहीं रहे गया था । उनका अपना कोई विचार और उपलब्धि भी नहीं थी जिसपर वे घमड करत ।

पर इसी समय भारत को मानसिक और नैतिक मृत्यु से उवारन के लिए एक नया आदोलन उठ खडा हुआ । भारतीय और युरोपीय विद्वान भारत के भूत कालीन रहस्या की खोज मे जुट गये । रानाडे हरप्रसाद शास्त्री, पी० जी० भडारकर और राजे द्रलाल मिश्र, मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, सर विलियम जोस, जैकोबी, कोलब्रुक एव रोय, एशियाटिक सोसाइटी और ऐसी ही अन्य सस्थाओ ने धीरे धीरे पर परिश्रम मे सदियो के उस कूडे को साफ कर भूतकालीन हीरा की तलाश करन मे सफलता प्राप्त की । धीरे धीरे सभी कुछ सामने ले आया गया । भारत ने अपनी पुन खोज कर ली "और पुन प्रतिष्ठापूण आध्यात्मिक क्षेत्र मे विश्व की प्रशसा प्राप्त करने मे सफल हो गया । इसने अपनी भक्ति और वद्विक प्रतिभा की गहराई मे पैठ भी बना ली एक ऐसी सस्कृति जिसन कराडो लोगो को बेला था, एक ऐसी सभ्यता जिसकी बराबरी की सभ्यता दुनिया न देखी नही थी ।' ये बाते थी जिपर गव किया जा सकता था और पश्चिमी सस्कृति के आरुमण स अपने को वचा भी सकती थी ।

इस पूरी स्थिति का पुनपरीक्षण प्रारंभ हुआ जिसने भारतीय बुद्धिजीवियों को दो मता मे विभाजित कर दिया—अनुदारवादी और उदारवादी । राधाकांत देव जैसे लोगो का विश्वास था कि भारत की प्राचीन परंपराएँ इतनी ऊँची रही जहा तक पहुंचना सरल नहीं है और इसीलिए उनकी महत्वाकांक्षा भूतकाल मे वापसी की थी । पर उदारवादियों की दृष्टि मे भारत की मुक्ति पुरानी विचारधारा और पश्चिम से प्राप्त आधुनिक विचारधारा के सामंजस्य मे निहित थी । रोमा रोला के मतानुसार श्रीअरविंदो ' पूव और पश्चिम के बौद्धिक सामंजस्य के ' एक उत्तम और पूण उदाहरण थे और वे इसी धारा के व्यक्ति थे । पर ये दानो मतावलंबी अपन मत को अति दृढता से मानने के लिए जातुर नहीं थे । इसीलिए यदि एक ने

1 मैन्डानलड, रैम्जे अवेकनिंग आफ इंडिया पृ० 124 25।

2 बस ट, एनी इंडिया ए नेशन, पृ० 71 ।

पश्चिम से खुलेआम कुछ प्राप्त करने की चेष्टा की तो दूसरे न अनजान में बैसा ही स्वयं कर दिया। प्रभाव दाना स्थितियां म एव ही होता था—यानी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास।

चार महत्त्वपूर्ण सुधार आंदोलन उस समय सामन आय जिन्होंने पुरातन और नवीन से अलग-अलग सीमा में चीजें ग्रहण कर भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास किया। 'यूरोप में सुधार आन्दोलन ने ही प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया था। भारत में भी सुधार आंदोलनो ने ही राष्ट्रीय एकता की स्थापना की।' ये आंदोलन थे ब्रह्मसमाज, जायसमाज, धियोसांस्कृत मोसाइटी और रामकृष्ण मिशन।

ब्रह्मसमाज के ० टी० पाल ने लिखा है कि भारत भारत नहीं रहता यदि उसका राष्ट्रीय आंदोलन धर्म के स्थान पर प्रारंभ नहीं होता। और पुन राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज "आर्थिक जीवन व दशन को मुखरित करने का एक प्रयास था जिसमें पश्चिमी विचारों और प्रयोगों को भी सम्मिलित किया गया था।' यह "पश्चिम की भावना का प्रथम उत्तर था।" पिछले पृष्ठों में हम इस आंदोलन के विषय में बतला आये हैं।

जायसमाज आधुनिक आधुनिक "पश्चिमी अधानुकरण से जान बूझकर अलग चलने का प्रयास था जिससे हिंदू जीवन और धर्म का पश्चिमी प्रभाव का शिकार होने से बचाया जा सके।' इसकी स्थापना बम्बई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-83) ने की जिन्हें रोमा रोला ने 'रिलिजियस गीता का ऐसा नायक बताया है जिसके पास हरक्युलिस की शक्ति थी।' इसकी लाहौर शाखा 1877 में प्रारंभ की गयी जहाँ पर इसे बहुत सफलता प्राप्त हुई। 1892 में समाज का भाग में विभाजित हो गया, 'व जो ब्रह्म आदेश ब्रह्मचर्य और धार्मिक सेवा में विश्वास करते थे और वे जो समाज को आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की सहायता से शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से समाज में जीवन फूँकना चाहते थे।' श्रीमती वसेंट ने लिखा है कि ये "दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए सिद्धांत की घोषणा की।' उनका दशन यह था कि लोगों को वेदों की ओर वापस ल जाया जाय और उनमें भूत जे प्रति गव की भावना भरी जाय। समाज ने हिंदू अनाथालयों को प्रारंभ किया, विधवा विवाह प्रारंभ कराये और हिंदुओं में बुराईयों को दूर करने के लिए सभ्य किया। दुर्भिक्ष राहत कार्य और शिक्षा क्षेत्र में इसकी सेवाएँ सराहनीय रही।<sup>1</sup>

1 पाल क० टी० २ ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया (1927), पृ० 39।

2 मोतारमय्या, पी० २ हिस्ट्री ऑफ नाप्रेस भाग 1 पृ० 11।

3 नायडूक बाता अध्याय देखें।

थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला हेलाणा पट्रोना ब्लावटस्की तथा एक अमेरिकी सज्जन कनल हनरी स्टील ओल्काट द्वारा नवम्बर 1875 में युयाक में की गयी। इस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांत थे, (1) वर्ग, धर्म, लिंग, जाति और रंगभेद पर अनाधारित मानव में विश्व-बंधुत्व की स्थापना। (2) धर्म, दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन और (3) अनजान प्रकृति नियमों की खोज और मानव में छिपी शक्ति का पता लगाना। एच० पी० ब्लावटस्की ने घोषणा की, "थियोसोफियों का काय मनुष्य के हृदय और समझ को दान, 'याय और उदारता के समक्ष खोलना है।'"<sup>1</sup>

इस सोसाइटी के संस्थापकों को स्वामी दयानंद ने भारत में आने और बस जाने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 1882 में उन्होंने मद्रास के निकट अदयार में इसका केंद्र स्थापित किया। एक समय ता आर्य समाज और सोसाइटी को आपस में मिलाने का भी प्रयास चला पर सोसाइटी समाज के जातीय भाव को नहीं पचा सकी और वह अलग ही बनी रही। 1893 में एक अंग्रेज महिला एनी बेसेंट भारत आयी और उन्होंने सोसाइटी का सदस्यत्व स्वीकार कर लिया। एनी बेसेंट ने भारत के भूत में विश्वास को जगाया और यह घोषणा की कि हिंदू विचारधारा विश्व दर्शन की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। वे अति उत्तम भाषण देती थीं और अच्छी लेखिका भी थीं। अपने भाषणों और लेखनों के माध्यम से उन्होंने भारतीय उदासीनता को समाप्त किया और भारतीयों को और बड़े काम के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

**रामकृष्ण मिशन** रामकृष्ण मिशन ने अपनी प्रेरणा रामकृष्ण (1836-86) से ग्रहण की जिनके समर्थक और शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का विश्व संदेश दूर-दूर तक फैलाया जिसे 'प्रबुद्ध भारत का संदेश' कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद "19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों के शक्तिशाली पुनरुत्थानवादी शक्ति थे। पर आधुनिक वेदा तत्वाद के अप्रदूत थे जिन्होंने यह बताया, दुनिया माया नहीं है बल्कि मानव प्रगति की दिशा में एक चरण है। 1893 में शिकागो में विश्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने अति उत्तम भाषण से लोगों को चकाचौंध कर दिया।"

मिशन की स्थापना औपचारिक रीति से विवेकानंद ने किया। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे और थे अपने धनी मा बाप के बड़े बेटे। यही 1 मई 1897 में स्वामी हो गये।

1 थियोसोफिकल रिव्यू जनवरी 1970 पृ० 2 (वाराणसी)।

2 रघुवशी पूर्वोद्धृत, पृ० 29।

भारत में स्थापित धार्मिक आन्दोलन इस तरह सामने आये। इनमें से सभी ने भारत के भूतकाल में प्रेरणा ग्रहण की और भारत को जगान का प्रथम किया तथा भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। आय समाज को छोड़कर जो अनुत्तरवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था अथवा सभी पथ पुनर्जागरण पश्चिमी गम्यता की अच्छाईया को स्वीकार करते थे और पूर्व पश्चिम में सामंजस्य का प्रयास करते थे।

इन सगठनों के अतिरिक्त कुछ लोग भी ऐसे थे जिन्होंने इसी दिशा में कार्य किया। सच तो यह था कि प्रारंभ में समाज गुधार आंदोलन व्यक्ति प्रघात ही रहा। इसका नतृत्व बंगाल ने किया। महात्मा शशिपद वैजो और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कुछ सामाजिक बुराईया के विरुद्ध आवाज उठायी। महाराष्ट्र में यही काम रानाडे, मालाबारी और नारायण चंदावर ने किया, जबकि दक्षिण में रघुनाथ राव, वीरमल्लिकम पत्तुनू और नटराजन सामने आये। “व्यक्तियुक्त धीरे धीरे अपने को हर प्रांत में समुद्र में परिवर्तित कर लिया और यदि समाज ने किसी बुराई को समाप्त करने में सहयोग नहीं किया तो वे उसमें जुट गए”<sup>1</sup>। इन सभी सुधारों का एक प्रिय विषय जाति प्रथा की बुराई करना था और साथ में भारतीयों में एकता स्थापित करने की चेष्टा। इससे राष्ट्रवाद के उत्थान का अवसर प्राप्त हुआ।

कला-क्षेत्र में पुनर्जागरण में देश पीछे नहीं रहा। “दूसरे क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी पश्चिमी तौर तरीकें से भारतीय विषयों पर कार्य करने की चेष्टा हुई। इसका नतृत्व द्वावनकार और पूना ने किया। इसका शीघ्र ही बंगाल ने विरोध किया जिसने बुद्ध काल की परंपरा पर चलने का आह्वान किया यह एक अति साहसपूर्ण कदम था जिसके फलस्वरूप विभिन्न कालों के विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में अध्ययन प्रारंभ हुआ।” इस तरह इस क्षेत्र में भारत का शानदार भूतकाल सामने आ गया जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की।<sup>2</sup>

भारतीय प्रेस ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की। इस क्षेत्र में नेतृत्व किया हिकी ने जिसने भारत में 1780 में बंगाल गजट नामक प्रथम सप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। उसका अनुकरण और लोगो ने किया और कलकत्ता गजट, इण्डियन वल्ड अखबारों का जन्म हुआ। ये अखबार जैसे अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में छापे जाते थे पर अपने उदारवादी विचारों से ये भारतीयों को प्रभावित करते थे। शीघ्र ही वे भी मैदान में आ गये और अमृत बाजार पत्रिका, इण्डियन मिरर, केशरी,

1 पान पूर्वोद्धृत पृ० 54।

2 मजूमदार सीषाच म्पुटिनी एंड रिपोर्टर आफ 1857।

हिंदू और बंगाली का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रेस ने बहुत सी कठिनाइयाँ झेलीं, सरकार की दबावपूर्ण नीति के बावजूद आगे बढ़ा और "दजनों इच्छुक पर अपद लोगो की भीड़ स्टेशनरी की दुकान पर एक अखबार पढ़ने वाले से समाचार सुना करती। यह दृश्य आम हो गया था।"<sup>1</sup>

इस नये युग की देन के रूप में जो प्रमुख लेखक सामने आये और जिन्होंने विचार को प्रभावित किया वे थे, बंकिमचंद्र चटर्जी, केशवचंद्र सेन, हमचंद्र और रवींद्रनाथ टगोर। बंकिम के वन्दे मातरम् के गीत ने जिसकी जनता ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया और जिसके कारण उनपर मार पड़ी और उन्हें कैद किया गया, भी ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीयों को संगठित करने में भूमिका अदा की।

नकारात्मक ब्रिटिश वेन—पर इसने साथ ही ब्रिटिशों की कुछ नकारात्मक देने भी थी जिन्होंने भारतीयों को उनके विरुद्ध कर दिया। पर इसने भी भारतीयों में एकता पैदा करने में कम सहायता नहीं की।

कुछ भारतीय गवर्नर जनरलों की निरनुशा और साम्राज्यवादी नीतियों ने देश में जागरूकता को जन्म दिया। बैनर्जी ने लिखा है कि, "राजनैतिक प्रगति के विकास में खुर्राव शासक प्रायः मददगार होते हैं।" लाड लिटन एक ऐसा शासक था जिसकी कुछ नीतियाँ ने भारतीय बुद्धिजीवियों में जो तहलका मचाया वह "वर्षों का विरोध भी शायद ही उतना फलीभूत होता।"<sup>2</sup> दक्षिण भारत के अति निन्द्य दुर्मित्र की पृष्ठभूमि में उसका अति महंगा दिल्ली दरबार, उसका महंगा और आत्रामक प्रथम अफगान युद्ध, लकाशायर के उद्योगपतियों को प्रसन्न करने हेतु उसका कपास पर से जायात कर का हटाना, उसका बनावयुलर प्रेस ऐक्ट जिसने वर्नाक्युलर समाचार-पत्रों पर कई प्रतिबंध लगा दिये एवं उसका आम्स ऐक्ट जिसके अंतर्गत बवल भारतीयों का बिना लाइसेंस के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इन सभी ने जनमत को बिगाड़ दिया। केवल लाड लिटन के आम्स ऐक्ट ने, "अविश्वसनीयता और सदेह की नीति का प्रारंभ किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी और जिसका हमारी जनता ने विरोध भी किया। इसने हम पर एक जातीय हीन भाव लाद दिया।"

रिपन एक उदार शासक था जिसके भारतीयों के प्रति उदार विचारों ने भारत में युरोपीय समुदाय का उसे कोप भाजन बना दिया। उसके इल्बट बिल ने जिसके अंतर्गत भारतीय व्यापारियों को युरोपीयों का भी मुकदमा देखने का अधिकार प्रदान कर दिया था, युरोपीय वकीला, व्यापारियों, बागान मालिकानों और सपादकों का विरोध प्रारंभ करा दिया। इन लोगों ने सदाचरण और उदारता

1 मजूमदार सीप्पाय म्युटिनी एण्ड रिबोल्ट आफ 1857।

2 बैनर्जी ए नेशन इन मेकिंग पृ० 63।

का ताक पर रखकर उम पर गालियो का बौछार तक की। एस० एन० वैनर्जी ने लिखा है कि ऐसा माहौल था कि, “कोई भी आत्मसम्मान वाला भारतीय इस भीषण आदोलन में सुस्त नहीं बैठ सकता था। यह देशभक्ति के वक्तव्य निर्वाह करने वालों के लिए एक पुकार थी जो इसकी महत्ता समझते थे।”<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह के उपरान्त जातीय मर्घर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया। युरोपीय भारतीयों को “आधा गुरिल्ला और आधा नीग्रो” पुकारते और उन्हें “पत्थर-पूजक और बास पर झूलती हुई मधुमक्खी कहकर” उनकी अवहेलना करते। जी० टी० गैरेट ने लिखा है कि, ‘ब्रिटिश एक्ट के बाद एक अनेक भारतीयों की हत्या करत जाते और उनके विरुद्ध अत्याचार करते जाते थे। इसके लिए या तो उन्हें दंडित नहीं किया जाता या या पूरे युरोपीय समुदाय की मांग पर उनके ऊपर हल्का जय दंड आदि कर दिया जाता।’<sup>2</sup> एक युरोपीय का जीवन कई भारतीयों के बराबर माना जाता। वे कहते कि भारतीय केवल भय की भाषा जानते हैं। जकारिया ने लिखा है कि, “द्वगलण्ड के भारत से सबधों पर अविश्वास का पदा पडना प्रारंभ हो गया है। इन लोगों ने एक बार विद्रोह किया था और आतंकपूर्ण अत्याचार किया था। कोई कैसे सोच सकता था कि वे पुनः पड्यथ नहीं करेंगे।”<sup>3</sup>

फिर भारतीय पडे लिखा में नौकरी की समस्या थी। सभी प्रमुख स्थान युरोपीय हथिया लेते थे और भारतीय “भू दासों, लकड़ी काटने वालों और पानी भरने वालों” बहतर हालत में नहीं थे। केवल नव स्थापित मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी लोग ही विश्वस्त बने रहे और शेष “ने नेताओं के नेतृत्व में अपने को मगधित कर लिया जिह बाद के इतिहास को देखकर उदार और पराकाष्ठावादी कहा जा सकता है।”<sup>4</sup>

पर ब्रिटिश शासन की सबसे अनादरणीय बात उसके द्वारा इस देश का आर्थिक शापण था। ब्रिटिशों के यहाँ आगमन से पूर्ण गांव सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से एक पूर्ण इकाई था। गांव की मिट्टी सेतिहर की समझी जाती थी और वहाँ पर इसके अतिरिक्त “कोई अवधारणा ही नहीं थी कि भूमि का मालिक किसान के अतिरिक्त भी कोई हो सकता है।”<sup>5</sup> पर शीघ्र ही यह

1 वैनर्जी ए नेशन इन मेकिंग पृ० 65।

2 गैरेट, जी० टी० ऐन इंडियन फॉर डूरी, पृ० 116-17 यह डूरी० एस० इण्डिया अडर रिपन पृ० 46-74 को भी देखें।

3 जकारिया पूर्वोद्धत पृ० 158।

4 वैनर्जी पूर्वोद्धत, पृ० 66।

5 मूरजी, राधाकमल सेठ प्राबलम्स इन इण्डिया पृ० 30।

प्रथा तोड़ दी गयी और जमींदारों का एक नया ढंग तैयार कर लिया गया जिसने ब्रिटिशों के दुहरे उद्देश्य की पूर्ति की—प्रथम तो इन्होंने भू राजस्व एवम् वृद्धि करने के लिए एक सस्या का कार्य किया और दूसरे ये ब्रिटिशों के लिए एक अति विश्वस्त ढंग तैयार हो गया। जहाँ साधारण बात थी अत्र वहाँ जटिलता आ गयी। जमींदारों का अत्याचार और उनके विचित्र ढंग के शासन ने किसानों का जीवन पहले से अधिक महंगा बना दिया। इसके अतिरिक्त भू राजस्व में बढ़ोतरी एक आम बात हो गयी जो फसल तैयार होने के समय धन या अनाज के रूप में ही ली जाने लगी। इस सबने किसानों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला।

ब्रिटिश प्रशासन का भारतीय उद्योग पर भी प्रभाव बड़ा वायदे का नहीं रहा। भारत में ब्रिटिशों के आगमन से पहले जितनी ढग से खेती होती थी उतने ही ढग से 'औद्योगिक कार्य' भी होते थे। इसका प्रमाण 1840 में ससदीय छान बीन के समक्ष माट गोमरी मार्टिन का वह असरदार वक्तव्य है जिसमें उसने बताया कि "उसके यहाँ युगों से तरह तरह के वस्तु निर्माता चले आये हैं और जहाँ उह उचित अवसर मिला है कोई भी राष्ट्र उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया है।" यह सच था कि 'अंग्रेज उत्पादकों ने प्रारम्भिक 18वीं सदी में ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध बहुत कहा और किया क्योंकि उत्तम भारतीय वस्त्र उसके लिए खतरनाक स्पर्द्धा उत्पन्न किये हुए थे। "धीरे धीरे ईस्ट इण्डिया कंपनी को समझाया गया और 1720 में अंग्रेज व्यापारी "भारतीय व्यापारियों का सिल्क और छपे वस्त्र कोल्लिको को इंग्लैण्ड में पूणतया रोक्ने में मफल हुए और भारतीय वस्त्रों पर धीरे धीरे बाहर भेजने वाले वस्त्रों पर कर बढ़ाया जाता रहा।" अथ बहुत से कार्य ब्रिटिशों ने किये जिसने ब्रिटिश उद्योग को प्रभावित किया। और अतत प्रकट हुई 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति जिसने भारत के बाजारों में मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं का अम्बार लगा दिया और जो भी भारतीय उद्योग शेष रहे थे वे पूणतया स्वतंत्र व्यापार की नीति के नाम पर बर्बाद हो गये।

भारत में सरकारी प्रशासन मशीनरी पर भी पर्याप्त धन व्यय हुआ जाता था जो सबका सब इंग्लैण्ड भेज दिया जाता था। भारत में लगी अंग्रेजी पूंजी पर आने वाला कर, इण्डिया ऑफिस पर होने वाला व्यय, और अंग्रेजी अधिकारियों को दी जाने वाली वृत्तियाँ—सभी अति ऊँचे बोध थे। साथ ही जैसा नहरून कहा, "भारत को अपनी विजय पर स्वयं व्यय भार वहन करना पड़ता है। ईस्ट इण्डिया कंपनी से जो चीजें ताज को प्रदान की जाती हैं उसका खर्च बोझ भी उसे ही ढाना पड़ता है। यहाँ में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाना हो अथवा अफीका, फारस पर आक्रमण करना हो तो भारत का अपनी सुरक्षा भारतीयों से ही करने के लिए धन व्यय



करना पड़ता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अड्डा ही नहीं बताया गया है जिसके लिए इसे कुछ प्राप्त नहीं होता। बल्कि इससे अतिरिक्त इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सेना के प्राशिक्षण के लिए इसे 'कैम्पेडेशन' शुल्क देना पड़ता है। सच में भारत को ब्रिटेन के अथवा तरह के व्ययों को भी वर्दाशत करना पड़ता है जैसे चीन और फारम में कूटनीति और कामलर काय के लिए किया जाने वाला व्यय एवं इंग्लैण्ड से भारत तक खींची जाने वाली तार लाइन का व्यय, ब्रिटिश मेट्रोपरेनियन पलीट पर आनेवाले व्यय का कुछ भाग, और यहाँ तक कि लंदन में तुर्की के शासक के स्वागत में होने वाला व्यय।<sup>1</sup>

भारत से इंग्लैण्ड चले जाने वाले धन की ओर कल्पना 1773 के सप्तदीय रिपोर्ट से की जा सकती है जिसमें यह बताया गया कि उस समय प्रति वर्ष बंगाल के राजस्व का 1/3 भाग इंग्लैण्ड चला जाता था। यह धन उम 1,00,000 पौण्ड के अतिरिक्त था जो प्रतिवर्ष कंपनी के चीन में व्यापार की क्षतिपूर्ति के लिए भेजा जाता था। एक एक दिन बीतने के साथ यह आर्थिक बोझ बढ़ता ही गया। 1880 में सर विलियम हटर ने उचिन ही लिखा कि इससे "भारत के हृदय का खून ही निकल रहा था। हटर ने आगे लिखा कि इस वर्ष तक सचमुच "करोड़ों भारतीयों को ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था।"

राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ने में 1857 के विद्रोह ने भी सहयोग किया। यदि राष्ट्रवाद विद्रोह का कारण नहीं था तो भी यह इसका परिणाम अवश्य था। जब हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े और जब बहादुरशाह ने यह घोषणा की कि वह राजाओं के एक संगठन के पक्ष में अपना पद त्यागने को तैयार हैं तो उम समय यह निश्चित ही स्पष्ट हो गया कि भारत एक राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग चाहे जिस जाति या बिरादरी के हों वे सभी भारतीयों से ऊपर हैं और यह कि देश के हित में सभी हित ताक पर रख दिये जाते हैं। जब विद्रोह समाप्त हो गया तो 1861 का कॉंसिन ऐक्ट पारित किया गया और इसने एक ऐसी व्यवस्था का प्राग्भ कर दिया कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने को छोड़ कुछ भी प्राप्त करत उह सतोप न होता।

कुछ बड़े नेताओं की उपस्थिति और प्रेरणा ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में सहायता की। दादा भाई नौरोजी 'मानवता के सेवक एक सीधे-सादे पर बहादुर व्यक्ति चिन्तामणि' की भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले "एक सीधे अपनी बात को प्रस्तुत करने में माहिर व्यक्ति", तिलक "भारतीय असतोप के जनक",

1 नेहरू, जे० एन० द डिस्कवरी आफ इंडिया प० 252।

2 देखें फिशर एक० बी० इंडियाज साइनेट रिपोर्ट्स प० 37-38।

3 चिन्तामणि पूर्वोद्धत प० 356।

एनी बेसेंट "एक भारतीय डोल जिहने मोने भारत वासियो को जगा दिया और मातभूमि की सेवा के लिए उन्हें प्रेरणा दी", अपने विषय में उन्होंने स्वयं ऐसा ही लिखा। और साक्षात् राजपत राय जैसे उत्साही व साहसी नायक।

इन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने धीरे धीरे कार्यारम्भ किया, फिर इन्होंने प्रगति की और शक्तिशाली हो गया। सुधारका के जनक राजाराम माहन राय ने 1829 में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें ससद से पारित उस जूरी एक्ट का विरोध किया गया। जिसमें योरोपीय और भारत में धर्म परिवर्तित ईसाइयों के मुकदमों में देखने से हिंदू और मुसलमान यायाधीशों को रोका गया था। इन दो वर्गों के लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वे अपने धर्म के लोगों के मामले में ग्रैंड जूरी के सदस्य बनाये जा सकते हैं।

टैंगोर परिवार ने भी लागू की रचि अपने राजनैतिक समस्याओं की ओर ले जाने में सहायता की। दोनों—पिता द्वारका नाथ और पुत्र देवेन्द्रनाथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने में की। द्वारकानाथ के ही प्रयास से 1837 में जमींदार एगोसियेशन का संगठन हुआ जिसमें इंग्लिशमन के संपादक डब्ल्यू० सी० हरी को एक सचिव पद प्रदान किया गया। यह एगोसिएशन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों का था और इसका उद्देश्य सरकार की राजस्व नीति से आत्म रक्षा था और साथ ही यह भारतीयों के लिए कुछ राजनैतिक अधिकार भी चाहते थे। इतिहास के पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वह काल था जब भारतीय बुद्धिजीवियों का आधुनिक बग अभी पैदा भी नहीं हुआ था और इस कारण जो सबसे सही तत्त्व संगठित राजनैतिक आंदोलन के योग्य था वह जमींदारों का ही था। यह बग अपनी विचित्रताओं के कारण ब्रिटिश प्रशासकीय प्रथा द्वारा ही उत्पन्न किया गया था।

उस काल के इन एगोसियेशनों में, जिनमें राष्ट्रीय भाव था, ब्रिटिश इंडियन एगोसिएशन एक था। इस संगठन को बँधम के उस बिल के गिर जाने से शक्ति प्राप्त हुई थी जिसमें ब्रिटिश प्रथा के ऊपर मुकदमों में चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार स्थानीय यायालयों को सौंपे जाने की सस्तुति की गयी थी। इसकी स्थापना पहले 1839 में लंदन में हुई। इसकी स्थापना एक अच्छे उद्देश्य वाले अंग्रेज जाज टामसन ने की जो 1843 में द्वारकानाथ टैंगोर के और बंगाल इंडिया सोसाइटी के आमंत्रण पर भारत आया। इस समस्या को बाद में 1851 जमींदार एगोसिएशन के साथ मिला दिया गया और इसका नाम ब्रिटिश इंडियन एगोसिएशन रख दिया गया। इससे सबद्ध व्यक्ति थे—राय गोपाल घोष, हरीशचंद्र मुर्जी, राजे द्रलाल मित्र और पियरेचंद मिस्त्र। देवेन्द्रनाथ टैंगोर

के प्रयास से इसकी शाखायें शीघ्र ही मद्रास, बम्बई और अयध म स्थापित हो गयी। इसकी सदस्य सख्या भी बढ़ाई जाने लगी।

इस सस्या का उद्देश्य देश में सर्वैधानिक सुधारों का आग बढ़ाना था और भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकार प्राप्त करना था। इस सस्या ने ताज को प्रार्थना पत्र भेजे जिसमें भारत के लेजिस्लेटिव कांसिल की स्थापना की माग की गयी, शिक्षा का प्रो-साहित करने को कहा गया और भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ाने की माग की गयी। इस एशोसियेशन का 'हिंदू पैट्रियट' नामक अपना समाचार पत्र था जिसके संपादक अंग्रेजी भाषा के विद्वान हरीशचंद्र मुक्जी थे। उन्होंने लाड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति की कटु आलोचना की और 1857 के विद्रोह को कुछ भटके देश प्रेमियों का कार्य बताया। इस एशोसियेशन को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी और कहा जाता है कि 1853 के चाटर ऐक्ट में इनकी कुछ मागों को स्वीकार कर लेने की चेष्टा की गयी थी।

बंगाल के अतिरिक्त अय प्रान्त में भी ऐसे एशोसियेशन स्थापित किए गये। 1852 में गुजलु लक्ष्मी नवासु चेट्टी ने मद्रास में मद्रास नेटिव एशोसियेशन की स्थापना की जिसने ब्रिटिश संसद के पास भेजने के लिए एक लंबा प्रार्थना पत्र तैयार किया। इसमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई की व्यवस्था और सड़कों आदि के निर्माण की मागें की गयीं।

1852 में बम्बई में बाम्बे एशोसियेशन की स्थापना की गयी जिसे जगन्नाथ सवर सेंठ ने प्रारंभ किया। बाद में बम्बई लेजिस्लेटिव कांसिल के स्थापित होने पर वे इसके सरकारी सदस्य बनाये गये। इस सस्या ने भी जनता के राजनैतिक अधिकारों के लिए सघन किया और 1853 में चाटर ऐक्ट पास होने के समय प्रार्थना पत्र भिजवाये। बाद में यह एशोसियेशन बाम्बे प्रसीडेन्सी एशोसियेशन में मिला दिया गया जिसे सर दिन शां वाचा और सर फीरोजशाह मेहता के प्रबुद्ध नेतृत्व का लाभ प्राप्त हुआ।

1870 में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में सावजनिक सभा पूना में प्रकट हुई। सी० वार्ड० चिन्तामणि ने लिखा है कि, "रानाडे बुद्धि में प्रबल थे, अपूर्व क्षमता वाले थे और विस्तृत ज्ञान वाले थे और थे गहन विचारक व शुद्ध देशभक्त। संपूर्ण जीवन सरकारी सेवा में उनका बना रहना उनकी अमुक्तिघाती थी, पर फिर भी वे दृढ़ राजनैतिक कार्यकर्ता, एक धर्म सुधारक और एक समाज सेवक थे। वे भारतीय अर्थशास्त्र पर आधिकारिक विद्वान, एक महान शिक्षाविद, एक प्रेरक और युवा लोगों के पथ प्रदर्शक थे जो उनके पीछे पड़ा हुआ था।"<sup>1</sup> सी० जी० तिलक, जी० के० गोखले और जी० बी० जोशी सभी ने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण रानाडे के

नेतृत्व में ही प्राप्त किया और जिन्होंने देश को राजनीति के क्षेत्र में स्वयं प्रशिक्षण प्रदान किया। सावजनिक सभा के उद्देश्यों में सरकार के सर्वेधानिक सुधार भी आते थे।

इसके अतिरिक्त सावजनिक सभा की ही तरह की एक सस्या डेकेन सभा भी स्थापित की गयी जिसे मूल प्रेरणा रामाडे और गोखले से प्राप्त हुई थी। गोखले इस सभा के कई वर्षों तक सचिव रहे थे।

भारत के महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एशोसियेशन की स्थापना की जिम्मा उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति इंग्लैंड की जनता की सहानुभूति प्राप्त करना था। नौरोजी के विषय में सी० वॉर्ड चिन्तामणि ने लिखा है, "इंग्लैंड और भारत में पूरे 61 वर्ष की लंबी अवधि तक, दिन रात अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियाँ में, अनुत्साह की स्थिति में भी जिसमें साधारण आदमी का दिल ही बैठ जाता, दादा भाई नौरोजी ने बिना पथ बदले पूर्ण निस्वार्थ भाव से तथा पूर्ण शक्तिमय विश्वास से जो भारत के युवा लोगों के लिए भी चुनौती बन गया, मातृभूमि की सेवा की।"<sup>1</sup> इस एशोसियेशन ने, एस० एन० वैनर्जी जैसे युवा लोगों को जो इंग्लैंड में विधि के छात्र थे, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग रखने के लिए एक स्थान प्रदान किया।

पर ये सभी एशोसियेशन केवल स्थानीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय संगठन के लिये पथ प्रशस्त किया। इस मामले में बंगाल के प्रांत में नेतृत्व लिया। 1875 में एस० एन० वैनर्जी ने इंडिया एशोसियेशन की स्थापना की। वह शेर दिल व्यक्ति थे जिन्होंने जनता को राजनैतिक समस्याओं से परिचित कराने के लिए पूरे देश का एक कोने से दूसरे कोने तक दौरा किया। जब अपनी जमींदारी प्रवृत्ति और नेतृत्व के कारण ब्रिटिश इंडियन एशोसियेशन जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका और जब इसी उद्देश्य के लिए स्थापित बंगाल नेशनल लीग भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकी तो इस एशोसियेशन की स्थापना की गई। जल्दी ही इस सस्या से केशव चंद्र सन, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली जुड़ गये।

इस एशोसियेशन का उद्देश्य था (1) जनता में राजनैतिक जागरण पैदा करना और (2) भारत के विभिन्न जातियों विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों को एक निश्चित योजना और उद्देश्य के लिए तैयार करना। इस तरह यह वह पहला संगठित एशोसियेशन था जिसने संपूर्ण देश के एशोसियेशन होने की कल्पना की और इस कारण सत्यता में यह इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की एक प्रेरक सस्था थी।

लाड सैलिमबरी की वह कारवाई, जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज में बैठने

की भारतीया की आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी गयी, विरोध भाव पदा करने का एक अच्छा मसाला बन गई। इसी कारण 1877 में सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी ने बनारस से रावलपिंडी तक उत्तरी भारत का दौरा किया जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सर्विस में परीक्षा देने हेतु आयु का घटाना था और इस परीक्षा का इंग्लैंड और भारत में साथ साथ आयोजन था। बॅनर्जी की "विजयिनी प्रगति ने उन्हीं की भाषा में यह स्पष्ट किया कि एक तरह के प्रशासन और शिक्षा के फलस्वरूप हमारे आदर्श पूर्ति की घड़ी आ गई है अर्थात् विभिन्न भारतीय प्रांता द्वारा सामूहिक प्रयास द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्या और महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति।"<sup>1</sup> 1878 में एक ऐसी ही यात्रा उसने दक्षिण भारत की की। एक अखिल भारतीय स्मृतिपत्र तैयार किया गया जिस ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। एक तीक्ष्ण वक्ता लाल माहन घोष को इंग्लैंड, बह्म की जनता को तथा ब्रिटिश ससद को भारत की कठिनाइयाँ और समस्याओं की जानकारी करने के लिए भेजा गया।

"सच तो यह है कि लिटन और रिपन का काल राष्ट्रीय आंदोलन के बीज वृक्ष का काल था।"<sup>2</sup> लाड लिटन का अति व्ययशील अफगान युद्ध और दरबार जिस उचित ही "अति व्ययपूर्ण और ऊँचे ढांग" का विशेषण प्रदान किया गया, वी० लोवट की नजर में उसके वर्नाक्युलर ऐक्ट में "सरकार और यूरोपीय अधिकारियों के प्रति घणा की भावना का जागरण किया तथा शासन करने वाली जाति तथा शामिलों के बीच एक तीव्र विरोध भावना का जन्म द दिया।"<sup>3</sup> और उसके आम्स ऐक्ट में भारतीयाँ को बिना लाइसेंस हथियार रखना, धारण करना या उसके साथ यात्रा करना अपराध घोषित कर दिया जो सुरेन्द्रनाथ के विचार से उनमें अविश्वास और सदेह का प्रारंभ था।"<sup>4</sup> इस सभी ने इण्डियन एशोसियेशन की प्रगति में सहयोग ही प्रदान किया। और जाश्चय तो यह था कि लाड रिपन के इल्ल्ट बिल में यूरोपीय लोगों के संघर्ष में जो नियम बनाया उससे बहूँ उनका कोप भाजन हुआ। इस प्रवृत्ति ने भी इस दिशा में काय को आगे बढ़ाया।

1883 में इण्डियन एशोसियेशन ने कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसे देश के राष्ट्रायता के आंदोलन में एक दिशा बदलने वाली घटना बताया जाता है। इस सम्मेलन में पंजाब, यू० पी०, मद्रास और बम्बई से प्रतिनिधि आये। यह तीन दिनों तक चला और इसका सभापतित्व आनंद मोहन बोस ने किया और भारतीय राष्ट्रीय समस्याओं जैसे भारत की ससदीय सरकार एवं भारतीय

1 बॅनर्जी ए नेशन इन मैकिंग पृ० 46-51।

2 रघुवर्षी वी० पी० एस० द नेशनलिस्ट्स मवमेंट ऐण्ड घाट प० 43।

3 लोवट वी० रिस्ट्रा आक नेशनल मूवमण्ट प० 22।

4 बॅनर्जी ए नेशन इन मैकिंग पृ० 50।

छात्रों को विदेश औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजना आदि पर विचार किया। यह सम्मेलन सचमुच "ही एक विचित्र नजारा था जिसके अंत में वहां पर उपस्थित सभी ने नयी रोशनी प्राप्ति का ही अनुभव नहीं किया बल्कि नवीन प्रेरणा भी ग्रहण की।"<sup>1</sup>

इंडियन एशोसियेशन का सम्मेलन दिसम्बर 1885 में पुनः पूर्ण सफलता के साथ आयोजित किया गया। इसके अंतिम दिन शीघ्र ही बम्बई में प्रस्तावित इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक की घोषणा की गयी और प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। एशोसियेशन ने बाद में कांग्रेस का दिल से साथ दिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय कारवाई कांग्रेस के हाथ में चली गयी।

### भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

एक पद निवृत्त अमेज कमचारी एलेन आक्टोवियन ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस का जन्म लाड डफरिन के काल में दिसम्बर 1885 में हुआ। ह्यूम ने बंगाल पब्लिक सर्विस में 1849 में कार्य करना प्रारंभ किया और अपने उत्तम कार्य के कारण 1870 में उसे भारत सरकार का सचिव पद प्रदान किया गया। इस पद पर वह अपने पद-निवृत्ति के काल तक बना रहा। 1880 में उसे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी प्रदान किया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वह शिमला में बस गया जहाँ से उसने कांग्रेस स्थापना के प्रयास का कार्य प्रारंभ किया।

श्रीमती एनी बेसेन्ट<sup>2</sup> का कहना था कि कांग्रेस की स्थापना का कुछ श्रेय थियो सोफिकल सोसाइटी को जाता है। पर इसकी स्थापना का आधार 19वीं सदी से ही प्रारंभ होने वाले राजनैतिक आंदोलन थे जिन्होंने अब जड़ पकड़ ली थी। विलियम वेडरबर्न के अनुसार ह्यूम को यह आदारा था कि 'वर्तमान सरकार जो निरकुशता के आधार पर विदेशियों द्वारा चलायी जा रही है अब जनता से अलग अलग पड़ गयी है।' इसीलिए वह लाड डफरिन से मिला जो उसके इस बात से सहमत था कि भारत में एक राजनैतिक संगठन की आवश्यकता है जो "इंग्लैंड के सम्राट के विरोधियों की ही भांति" यहाँ भी विरोध की भूमिका अदा करे। वाइसरॉय ने ह्यूम से कहा कि यह आशा है कि भारतीय राजनीति 'प्रति वय एक साथ मिलेंगे और सरकार को यह बतायेंगे कि उसके दोष क्या हैं और इसमें

1: मजूमदार इंडियन नेशनल इन्स्टीट्यूशन पृ० 45।

2: देखें हाऊ इंडिया राट पार फाइम पृ० 12।

सुधार कैसे किया जाय।<sup>1</sup> या दूसरे शब्दों में 'उन्होंने एक ऐसी सस्था में सगठन का अनुभव किया कि जो भारतीय राजनीतिज्ञों की तीव्र महत्वाकांक्षा के लिए 'सुरक्षा कपाट' का कार्य कर सके। और यह उद्देश्य था जिम्मे लिये पात्रसंगठित की गयी।

पर ऐसे कुछ लेखकों के मत को स्वीकार करना कठिन होगा जसाकि डा० रघुवशी<sup>2</sup> ने भी लिखा है कि ह्यूम का इस सगठन को स्थापित करने का मूल उद्देश्य 'ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना' था। हाँ सक्ता है चाइसराय की यह धारणा ह्यूम से बातचीत के समय रही हो पर ह्यूम का अंतिम उद्देश्य इससे अलग था।

'एन ओल्ड मैन्स होय' नामक अपने पत्र में ह्यूम ने अंग्रेजों का संबोधित करते हुए कहा, "सभी लोग खूब प्यारें और प्रसन्न रह क्या आप लोग इन असह्य लोगों की अनगिनत कष्ट गाथाओं को जानते हैं? काम, काम, काम, भूख, भूख, भूख, बीमारी कष्ट, कठिनाइयाँ, हाय, यही, यही, यही उनके सक्षिप्त और कष्टमय जीवन की कुजी है।" पुनः 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को संबोधित एक पत्र में उसने कहा, "क्योंकि आज उच्च शिक्षित भारतीय समूह में से एक है, आप भारत के लिए स्वाभाविक रूप से बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्थान में सहयोग दे सकते हैं हमारे जैसे बहुत से विदेशी बेकार ही अपने बच्चा से प्यार करते हैं क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता का नितांत अभाव है और सही काम तो देश के लिए स्वयं ही अपा लिए कर सकते हैं।" और फिर अप्रैल 1888 में इलाहाबाद में दिया गया उत्तेजक भाषण जिसमें जनता के बीच यह जानकारी बसे ही फैलाने को कहा गया जैसे इंग्लैंड में ऐंटी कान लीग ने की थी। ये सभी बातें और काय ब्रिटिश साम्राज्य बचाने के लिए कांग्रेस स्थापना के सिद्धांत मानने वालों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। इसी के फलस्वरूप भारत के ब्रिटिश अधिकारियों ने ह्यूम को देश से वापस भेज देने की चेतावनी भी दी। अक्टूबर 1888 में उत्तर पश्चिम प्रांतों के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर ए० कार्टविनन उसे चेतावनी से भरा 20 पष्ठों का एक पत्र लिखा जिसमें उत्तर ह्यूम में 60 पष्ठों में दिया।

पर फिर भी यह कहना अधिक होगा कि उस प्रारंभिक काल में ह्यूम या किसी भी उसके साथी ने ब्रिटिश शासन को पूर्णतया समाप्त कर देने की कल्पना की होगी। उनका तात्कालिक उद्देश्य एक ऐसे सरकार की चाह थी जो भारत के लिए कुछ करे, इंग्लैंड के लिए नहीं। उनका अंतिम उद्देश्य भारतीयों को एस डग

1 बडरवन विलियम ए बी ह्यूम, पृ० 122-31।

2 रघुवशी पूर्वोक्त पृ० 44-47।

से प्रशिक्षित करना था कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं को स्वयं हल करें ।<sup>1</sup> और यदि यह सच था तो ब्रिटिश सरकार का अतः पूर्व निश्चित था ।

जो भी हो, ह्युम की पुवार का भारतीयों ने अच्छा स्वागत किया । 1885 में इसकी पहली बैठक बम्बई में बलकत्ता के नामी बैरिस्टर डब्लू० सी० बैनर्जी की अध्यक्षता में बुलाई गई और इसका नाम 'इण्डियन नेशनल युनियन' रखा गया । पर दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर इसका नाम बदलाकर 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रख दिया गया ।

कांग्रेस के प्रथम प्रेसीडेण्ट ने अपने भाषण में इसके जो उद्देश्य बताये, वे थे—

(1) व्यक्तिगत मैत्री और निकटता का, देश के लोगों के लिए काय करनेवालों के बीच, विकास जो पूरा साम्राज्य में हो । (2) राष्ट्रीय भावनाओं को संगठित करना और जाति, विरादरी और प्रांतों के भेदभाव को दूर करना, (3) परिपक्व भारतीय विचारों को आधिकारिक रूप से एकत्रित करना जो देश के महत्वपूर्ण मसलों से संबंधित हों और (4) अगले 12 महीनों में देश के राजनीति और जनहित में क्या किया जाय उसके विषय में कायपद्धति को निश्चित करना ।<sup>2</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योजनाओं और प्रगति का 1885 से 1905 के बीच का इतिहास निश्चित चरणों पर आधारित होकर चलता रहा ।

इस काल में कांग्रेस ने पश्चिमी विचारों से प्रेरणा प्राप्त की और भारतीय समस्याओं के संबंध में प्रश्नात्मक छानबीन की, धीरे धीरे सुधार के सिद्धांतों को पूरा किया और अपने उन उद्देश्यों को परिपक्वता प्रदान की ।

इस काल में कांग्रेस ने जिन उद्देश्यों के लिए काय किया वे प्रमुख रूप से ये थे—(1) सिंघाई का विस्तार, (2) राजस्व में उदारता, (3) भारत से बाहर अनाज न भेजा जाय, (4) बृषकों को सूदखोर व्यापारियों से बचाना, (5) भारत में उद्योग का विकास, (6) गरीबों पर प्रत्यक्ष कर में कमी, (7) सरकार में विदेशी तत्वों को घटाना जिससे व्यय में कमी आये, (8) शिक्षा का विकास, (9) कायपालिका को यायपालिका से अलग करना, (10) पुलिस सुधार, (11) विदेशों में भारतीयों के हिता की रक्षा, (12) जनता के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा, (13) तीसरे कांग्रेस में सुरेंद्र नाथ ने घोषित किया, "हम कांग्रेस के झंडे को फहरा रहे हैं, इनपर स्वर्णाक्षरों में वह लिखा है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, प्रस्ताव का सारांश है—भारत के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाएँ ।"<sup>3</sup>

कांग्रेस की कायविधि प्रस्ताव पारित करना, प्रतिनिधि मंडल भेजना और प्रायः

1 वेडरवर्न, इन्डियन बायोग्राफिकल स्केच आफ ए० ओ० ह्युम प० 20-21 ।

2 ऐन्ड्रूज सी० एफ० द राइज एण्ड प्रोग्रेस आफ कांग्रेस इन इंडिया प० 3 27

बैनर्जी ए० सी० इण्डियन नाटिव्युशुअल इन्स्टीट्यूट, भाग 2, प० 83, 84 ।



पत्र भेजना था। कांग्रेस की नियमित बैठकें होती थीं और यह चेष्टा इसकी ओर से की जाती थी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं की ओर लागू का ध्यान आकृष्ट किया जाय। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इससे अपना वायक्षेत्र केवल भारत को ही न बनाकर यह भी चेष्टा की कि इंग्लैंड के लागू की विचारधारा उनके मत से प्रभावित हो। 1887 में इसी तरह इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी के प्रयास से 'इण्डियन रिफॉर्म एशोसियेशन' की स्थापना हुई जिन्होंने इसी काम के लिए बहरी रहना प्रारंभ कर दिया। लेबर नेता चार्ल्स ब्रैडला ने इस एशोसियेशन का खुला समयन किया जिसके कारण संसद में उम लोग "भारतीय सदस्य" पुकारने लगे। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की 'ब्रिटिश कमिटी' इंग्लैंड में 1889 में स्थापित हुई जिसमें बहुत से अच्छे मतव्या वाले अंग्रेज सम्मिलित हुए जैसे वाटर एस० बी० मक्लारेन, डब्लू० एम० केन और जाज मुल। इस कमिटी ने 1890 में अपनी पत्रिका 'इण्डिया नाम से निकाली जिसमें एक के बाद एक विलियम डिग्बी, गाडन हेवड और हेनरी काटन ने सपादक के रूप में कार्य किया। दादा भाई 1892 में ब्रिटेन के संसद सदस्य चुने गए। 1893 में भारतीय संसदीय समिति बनाई गयी जिसने सर विलियम बडरबन, डब्लू० सी० केन और लाड वनावड ने कार्य किया। कुछ स्वतंत्र और लेबर सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर इन्होंने संसद के समक्ष भारतीय समस्या का सही पक्ष प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की।

कांग्रेस के प्रति प्रारंभ में भारत सरकार का रुख मित्रतापूर्ण था जो धीरे धीरे विरोधी होता गया। इसके पहले सम्मेलन में कुछ प्रमुख अधिकारी जैसे भारत सरकार के मुख्य मन्त्रि सर हेनरी काटन और सिविल सेवाओं के सर विलियम वेडरबन सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधि आये थे। दूसरे सम्मेलन में जो 1886 में कलकत्ता में हुआ, 404 सदस्य आये थे। यहाँ पर कुछ का तो लाड डफरिन ने ही स्वागत किया था। इसके तीसरे सत्र में जो 1887 में मद्रास में हुआ 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनका स्वागत मद्रास के गवर्नर ने गवर्नमेण्ट हाउस में बड़ी शान से किया।

### सरकार की प्रतिकूल दृष्टि

पर अब तक जब कांग्रेस की स्थापना करनेवालों ने अपने उद्देश्य की सामने लाने में अपने पक्षों और ह्यूम की बहिता के माध्यम से सफलता अर्जित कर ली तो इसी समय से सरकार ने कांग्रेस के प्रतिकूल दृष्टि अपनायी प्रारंभ कर दी। सरकार ने इलाहाबाद के सत्र में बाधा डालने में, जो 1888 में हुआ था, कोई कोर कसर न रखी। साथ ही डफरिन ने मुसलमानों को यह कहकर फुसलाया कि वही उसका रक्षक है। मुसलमानों को एक कर कांग्रेस से अलग करने का प्रयास

किया जाने लगा। कहा गया कांग्रेस हिन्दुओं का संगठन है। डफरिन को प्रसन्नता ही हुई कि उसकी नीति के कारण साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं का प्रकोप हुआ। शिक्षित मुसलमानों के नेता सर सैय्यद अहमद ने इन परिस्थितियों में अवसर पाकर कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैय्यबजी को 1888 में एक पत्र लिखा, "मेरी यह समझ में नहीं आता कि 'नेशनल कांग्रेस' का अर्थ क्या है। क्या यह मान लिया गया है कि भारत में अलग-अलग जाति बिरादरी के लोग एक राष्ट्र के हैं, या (एक) राष्ट्र हो सकते हैं और उनका उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएँ एक ही होंगी? मैं सोचता हूँ यह असंभव है। आप गलत नामधारी कांग्रेस के कार्य को लाभकारी समझते हैं, पर मुझे यह कहते हुए दुःख है कि मैं उसे अपने सम्प्रदाय के ही लिए हानिकारक नहीं मानता बल्कि पूरे देश के लिए ऐसा ही मानता हूँ।" तैय्यबजी ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि कांग्रेस "एक ऐसी पट्टे लिखी की संस्था है जहाँ भारत से सभी एकत्रित होकर जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोग सम्मिलित होते हैं और भारत के हित से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं।"<sup>1</sup>

1885 में कांग्रेस की स्थापना पर आशीर्वाद देते हुए डफरिन लगता है ह्यूम के तर्कों और गुह्य अनुभवों से बहुत प्रभावित हो गया था। पर वाद में जब उसने देखा कि यह संस्था प्रशासकीय प्रकोप का संगठित विरोध करने लगी है और अपने देश के सरकार में देशवासियों का भाग मागने लगी है तो डफरिन तीव्र रूप से इसका आलोचक हो गया। उसने घोषणा की कि 20 करोड़ भारतीयों में से आठ हजार से अधिक लोगों को विश्वविद्यालयीय शिक्षा नहीं प्राप्त है। उसने कहा, 'फिर मेरा प्रश्न है, कैसे कोई भला आदमी यह कामना करता है कि ब्रिटिश सरकार इस अल्पमतीय वर्ग के हाथ में ऐसे बड़े और विविध साम्राज्य का कार्य-भार सौंप देगी जिनकी सुरक्षा और हित के लिए वह ईश्वर के सामने ही नहीं सभ्यता के सामने भी उत्तरदायी है?'

सरकार का यह विरोध इस तरह 1888 के बाद बढ़ता ही गया जबतक कि 1906 का वह काल नहीं आ गया जब कांग्रेस के कुछ घबे हारे कांग्रेसियों ने दल से नाता तोड़कर सरकार के प्रति विरोध की पराकाष्ठा की नीति अपना ली।

पर सरकार के विरोध के बावजूद कांग्रेस भारतीयों में लोकप्रिय होती गयी। इसके इलाहाबाद के सत्र में 1248 लोगों ने भाग लिया और यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही गयी। 1889 में कांग्रेस की जो सभा हुई, वह और आकर्षक इसलिए थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश ससद सदस्य मि० ब्रडला सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रतिनिधियों के समक्ष यह घोषणा की कि, "हम किसके लिए कार्य करें, यदि जनता क

1 गोपाल, एस० ब्रिटिश पॉलिसी इन इण्डिया (1858-1905), प० 159।

2 वही 175।

लिए न करें? जनता ने ही हम जन्म दिया, इसन ही हमें विश्वास दिया, हम तो उमके लिए मर मिटेंगे। और मैं तो काई भौगोलिक या जातीय सीमा मानता ही नहीं हूँ।”<sup>1</sup>

जहां तक इसकी सफलता का प्रश्न है हम जी० एन० सिंह के मतानुसार यह कह सकते हैं कि, “अपने प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस ने राष्ट्रीय जागरण, राजनैतिक शिक्षा और भारतीयों को एक करने में तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया।” इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने एक खाई पाटने में भी सफलता प्राप्त की “जा उदबुद्ध निरकुशता के बाह्य दीवार में दिखी थी।” प्रशासकीय मन्त्रालयों के लिए नियुक्त मसदीय छानवीन और 1892 के इंडियन कांसिल ऐक्ट में भारतीयों को दिये गये राजनैतिक अधिकार कांग्रेस के ही लाभ मान जाते हैं। 1890 की सरकार की वह अधिसूचना कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस की सभा विजिटर की हैसियत से भी न देख सकें और 1894 का सरकार का प्रस्तावित निष्पत्ति, जिसके अंतर्गत बकीला की राजनैतिक स्वतंत्रता पर आघात किया गया था, कांग्रेस के जोर डालने पर समाप्त कर दिया गया।

पर कांग्रेस भारतीयों में प्रगतिवादियों का सतुष्ट करने में सफल नहीं हुई जो 1892 के कांसिल ऐक्ट द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर हसत थे जो सच में एक पाखंड थे, सत्य नहीं। यह कहा जाता है कि उन दिनों की कांग्रेस समाज के उच्च वर्गों से ही जुड़ी थी और उसका भारतीय जाति की समस्याओं से कोई नाता नहीं था जो अपठ और गरीब थी। इसने रियायतें ही मागी अधिकार नहीं और इसका उदय जनता के भीतर से न होकर बाहर से हुआ। इसी कारण इसमें से युवा और उत्साही तत्व, कांग्रेस के बाध में नहीं रह सका और अंततः यह तत्व, जिसे उग्रवादी नाम दिया गया, इससे अलग हो गया जिससे अपन अनुसार अपना काम कर सके।

डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या का कहना है कि फिर भी जब संपूर्णता से विचार किये जाने पर, “हम उन्हें उस दृष्टिकोण के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उन्होंने भारतीय राजनीति में सुधार के लिए नेतृत्व करके किया। जो ईटा और गारा आधुनिक भवन के बनाने में इसकी नींव में प्रयोग में लाया गया उमकी आलोचना तो सभी करेंगे।”<sup>2</sup>

1888 में भारत से डिफरिन्स पद मुक्त हुआ और उसे लाड डिफरिन्स का आवा बन्ना दिया गया। उसे सिक् पोर्ट का लाड थार्डेन भी नियुक्त किया गया। उसे

1 देखें बसेण्ट एनी हाऊ इण्डिया राट फार फ्रीडम प० 99।

2 सिंह, जी० एन० सङ्ग्रहण इन द इण्डियन वा स्टीच्युशना एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट।

3 सातारामय्या पट्टाभि पूर्वोक्त भाग 1 प० 79।



## लार्ड लैन्सडाउन (1888-1893)

लै सडाउन का माविकस चौध माविकस हनरी का उत्तराधिकारी और सबसे बड़ा पुत्र था। वह 14 जनवरी 1845 को पैदा हुआ। उसने ईटन और बलियाल में शिक्षा प्राप्त की और वह 24 वर्ष का ही था जब उसके पिता की मृत्यु हो गयी और वह हाउस आफ लाडस का सदस्य हो गया। लगभग उसी समय वह अवर ह्विप बना दिया गया। उसने 1869 में अवरवान के प्रथम डप्युक की पुत्री मौद हैमिल्टन से विवाह किया। वह 1872 से 1874 के बीच युद्ध का अडर सेक्रेटरी रहा और 1883 में कनाडा का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1888 में इस स्थान से पद मुक्ति के बाद उसे भारत का वाइसराय बनाया गया।

### आन्तरिक स्थिति

वाइसराय की जगह पर लै सडाउन डफरिन के बाद आया। आते ही उसे आन्तरिक क्षेत्र में सबसे पहली समस्या भारतीय रुपय की अवमूल्यन की झेलनी पड़ी जिसने दश की आर्थिक स्थिति पर जाघात प्रारम्भ कर दिया था। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में कई नयी चांदी की खानें खुदनी प्रारम्भ हो गयी थीं जिसने विश्व के बाजार में इनकी बाढ़ ला दी। लैटिन युनियन राज्या ने द्विधातुवाद का परित्याग कर दिया जबकि जर्मनी में चांदी का विमुद्रीकरण कर दिया गया। सोने को सिक्के का आधार मानने वाले देशों पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पडा, पर चांदी को आधार बनाने वाले देश, विशेषकर भारत जैसे देश जो सोने को आधार मानने वाले देशों के तमाम कर्जदार थे बहुत कठिनाई में थे। भारत जिसे इंग्लैंड को तमाम धन देना था—और जिसका आधार भी सोना ही था वृत्ति के रूप में, इण्डिया आफिस पर होने वाले व्यय के रूप में, भारत में लगे ब्रिटिश पूजी पर व्याज के रूप में उसे धन प्राप्त होना था। उसने चांदी का दाम गिर जाने में कठिनाई अनुभव की। 1873 से रुपये की कीमत बराबर गिर रही थी। 1873 में इंग्लैंड में एक रुपये

का मूल्य 1 शिलिंग 3 पेस या 1892 आते आते यह मूल्य और घटकर 1 शिलिंग 1 पनी रह गया। बर्मा के युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति की पहली ही अच्छी खबर ली थी। पर रुपये के घटते मूल्य ने स्थिति को और कठिन बना दिया। आशा के प्रतिकूल घाटा होने लगा और भारतीय अर्थ व्यवस्था सबधी सभी भविष्यवाणिया झूठी सिद्ध होने लगी। उदाहरणार्थ 1892 में भारत सरकार को पता लगा कि इसे कर लगाकर साठ लाख स्टर्लिंग का अतिरिक्त धन जुटाना पड़ेगा जो मात्र व्यय के लिए पर्याप्त होगा। आयकर फिर से लगा दिया गया और पहले से ही अलोकप्रिय नमक कर और बढ़ा दिया गया। पर समस्या अब भी हल नहीं हुई। अतत गृह सरकार की सस्तुति से लाड लै सडाउन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। बजट अनुमान से पता चला कि यदि भारत इंग्लैण्ड को 1892-93 में 1873 74 के औसत के आधार पर भुगतान करे तो इसे देय धनराशि से 12,21,27,160 रुपये कम देना पड़ेगा। स्थिति की गभीरता की कल्पना इससे की जा सकती है कि 1892-93 में बजट में व्यय के लिए केवल 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय मानेदारी सम्मेलन ने जो 1892 में ब्रुसेल्स में इस समस्या के समाधान के लिए बुलायी गयी, किसी निष्पक्ष पर नहीं पहुच पायी। चांसलर काफ एक्सचेकर लाड हसचेल् के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गयी जिसने कुछ सस्तुतिया की और कुछ इससे बचने हेतु भी कदम उठाये गये।

पर समस्या अब भी काबू में नहीं आ रही थी। अतत गृह सरकार की स्वोक्ति से लाड लै सडाउन ने एक दूसरी विधि अपनायी जिसके अधीन भारतीय टकसालों में असीमित सिक्के ढालने पर पाबंदी लगा दी गयी और सत्राट के सिक्के व रुपये में 1 और 15 का अनुपात घोषित कर दिया गया। पर रुपये के मूल्य में गिरावट के लक्षण में अब भी कमी नहीं आयी। भारतीय अधिकारियों के लिए यह समस्या 1895 तक सर का दद बनी रही।

लै सडाउन के काल में नवीन फैंट्री अधिनियम पारित किया गया जिसने 1881 के फैंट्री ऐक्ट में कुछ परिवर्तन किये। इसके द्वारा स्त्रिया के काम व घंटे 11 निश्चित कर दिये गये। फकिट्रियों में काम करने वाले बच्चा की आयु बढ़ाकर 7 से 9 कर दी गयी और उनके काय का काल 7 घंटे कर दिया गया। अब बच्चों को रात में काम करने पर पाबंदी लगा दी गयी। प्रत्येक मजदूर के लिए साप्ताहिक छुट्टी आवश्यक कर दी गयी।

उसके काल में 1889 का आफिसियल सीन्ट ऐक्ट पारित किया गया जिसने

1 देखें, मिश्रा जे० पी० व ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इंडिया अंडर लाड लै सडाउन (1888 94), नयी दिल्ली, 1975, प० 136-137।

अधीन वे अखबार जो सरकार की अनुमति के बिना सरकारी विवरण छापते थे, मा किसी कर्मचारी के गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते थे उन्हें दंडित करने की व्यवस्था की गयी। इस कानून की समाचार-पत्रों ने एक स्वर से भत्सना की और अमत बाजार पत्रिका ने तो इसे "गला दबाने वाला ऐक्ट" का नाम ही दे दिया।

1890 में इण्डियन सेसस ऐक्ट, पारित किया गया जिसके द्वारा सेसस अधिकारियों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये गये जिससे उनके काम होने में सहायता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो लोग इस काय में बाधा डालें, उदाहरणार्थ घर की सफाया आदि भिड़ाना, उन्हें दंडित किया जाय।

तत्कालीन नियमों के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ काम-क्रिया चूक बलात्कार नहीं था इसीलिए उस दंडित नहीं किया जा सकता था। पर 10 वर्ष की आयु की सीमा बहुत कम थी जिसके कारण असह्य पूर्वकालिक कामक्रिया की सूचनाएं आती थी जिसमें अपरिपक्व लड़किया की शारीरिक क्षति पहुंचती थी। 1890 में बंगाल में एक घटना के अंतर्गत अपरिपक्वावस्था में दुल्हन के साथ कामक्रिया के कारण उसकी मृत्यु हो गयी और कानून उसके पति को एक वर्ष से अधिक की फँद की सजा नहीं दे सका। इसके कारण जनता में असंतोष फैला। समकालीन समाचार-पत्रों में भी इस मामले को उठाया। मिशनरी सम्मेलनों और 'यायाधीश वे० टी० तिलग की अध्यक्षता में हुई, 'इण्डियन नेशनल सोशल कांफरेंस' में इसके विरुद्ध उपचार काय की मांग की गयी। इस सबके दबाव के कारण सरकार ने 1891 में 'एज आफ कंसेट ऐक्ट' पारित किया जिसके अंतर्गत लड़किया की विवाह की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गयी। नयी आयु सीमा अधिक तो नहीं थी पर इससे तमाम लड़किया को काम श्रैद्धा की कठिनाइया से बचाया जा सका।

### 1892 का इण्डियन कांसिल ऐक्ट

1892 के कांसिल ऐक्ट को पारित कराने वाली कौन सी परिस्थितिया थी, पहले उसके विषय में जानकारी आवश्यक है। 1861 के कांसिल ऐक्ट ने लेजिस्लेटिव कांसिल की रचना की थी पर इनमें भारतीयों की इच्छा पूरी नहीं हुई। गैर सरकारी तत्वों ने जनता का प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसमें या तो बड़े-बड़े जमींदार आते थे या पदमुक्त अधिकारी, या भारतीय राजा। इनमें से कोई जनता की समस्याएं नहीं समझता था। य प्रतिनिधि न तो कांसिल में रुचि रखते

1 देखें मिथा जे० पी० ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बरर बाइ नसराजन (1888-94) नई दिल्ली, 1975 पृ० 163।

ये और न कानून बनाने में। इन कौंसिलों की शक्ति इतनी कम थी कि इनके कानून सरकारी आदेश जैसे प्रतीत होते थे। इनमें चुने हुए तत्व थे ही नहीं और वे रजिस्ट्रिंग बाड़ी के रूप में ही काम करते थे।

जबकि दूसरी ओर एक नये भाति का बुद्धिजीवी बग, पश्चिम की विचार-धारा से प्रेरणा ग्रहण किये हुए, तेजी से देश में बढ़ रहा था जिसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को निश्चित ही तत्कालीन प्रथा पूरी नहीं कर सकती थी। "सचमुच, 1870 के अंत तक जब द्वितीय अफगान युद्ध छिड़ा, एक शक्तिशाली आलोचना पूर्ण प्रेम भारत में कायम रह चुका था, विशेषकर बंगाल में। प्रेस सरकारी आलोचना में इतना मुखर था कि इससे निबटने के लिए उसे विशेष अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। पर यह तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के आदोलन का प्रारंभ सिद्ध हो गया।"

नवीन विश्वविद्यालयों ने अपनी भूमिका अदा की और उसने भारतीयों को पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के निकट ले जाकर खड़ा कर दिया, दूसरी ओर निरंकुश सरकारी नीति ने अपनी कारवाही जारी रखी। विशेषकर विद्रोह के बाद इसने उभरती हुई भावना को दबाने की चेष्टा की जो उल्टे ही और अधिक शक्तिशाली हो गयी। लार्ड लिटन के काल ने चीजों को टूटने की स्थिति तक पहुंचा दिया पर वह लोगों की विचार स्वतंत्रता की प्राप्ति के आकांक्षा को नहीं दबा सका।

फिर इसी समय इंग्लैंड में भारतीय मामलों में विशेष रुचि रखने वाले ब्लैडस्टन को पुनः शक्ति प्राप्त हो गयी और उसने यह निश्चय किया कि भारतीय सरकार के प्रति अधिक उदारता की नीति अपनायी जायेगी। 1881 में एक उदारवादी व्यक्ति लार्ड रिपन की वाइसरय के पद पर नियुक्ति ही इस बात का प्रतीक थी। और रिपन के उस सुधार ने जिसमें यूरोपीयों को भारतीय न्यायाधीशों के न्यायालय में खड़ा करने का प्रावधान किया एक ऐसी घटना थी "जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया।"<sup>1</sup>

1885 में ए० वी० ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बँनर्जी के प्रयास से स्थापित इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त की। 1885 के प्रथम सम्मेलन ही में इसने यह प्रस्ताव पारित किया कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल में चुने सदस्यों को लेकर इसे और विस्तृत किया जाय। उसने यह भी माग की कि प्रति वर्ष का बजट इसके सामने विवादायक रखा जाय और कौंसिल के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया जाय।<sup>2</sup> ऐसी मांगें हर वर्ष दुहरायी गयीं

1 कौटमैन पूर्वोद्धत पृ० 22।

2 देखें, बँनर्जी ए० सी० इण्डियन नॉन्स्टोन्वुशुनल टांकूमे टस भाग 2, पृ० 85 89।



और जैसे जैसे कांग्रेस की सदस्यता बढ़ी और इसे लोकप्रियता प्राप्त हो गयी अर्थात् प्रथम सम्मेलन में 72, दूसरे में 450, तीसरे में 600 और चौथे में 1250, वैसे वैसे इसकी मांग को आसानी से टालना सरल न रहा। वैसे तो कांग्रेस के प्रति सरकार का प्रारम्भ में सब्र मित्रतापूर्ण रहा, पर बाद में इसमें गड़बड़ी पैदा हो गयी। पर फिर भी जी० एन० सिंह ने लिखा है कि 1892 का कॉमिल ऐक्ट 'मुद्दयतया कांग्रेस के प्रयासों का परिणाम था।'<sup>1</sup>

1892 के कॉमिल ऐक्ट को सुविधा से इसलिए भी प्रस्तुत किया जा सका क्योंकि युरोपीय व्यापारी कॉमिल में व्यग्रता से अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते थे जिससे लंदन नगर के व्यापारियों के कारण व्यापारिक हिता की बलि न चढ़ जाय। और सरकार ने इसे मानकर सुधार की तैयारी प्रारम्भ की। पर इसमें लाड डफरिन का अपना स्वाय भी था उसकी धारणा थी कि भारत में एक शक्तिशाली कॉमिल भारतीय सरकार को इडिया ऑफिस से स्वतंत्रता प्रदान करे। और कॉमिल की बढ़ी हुई सदस्यता से सरकार के सामने अधिक प्रभावी ढंग से जनमत आ सकेगा।

1888 में लाड डफरिन ने इन्हीं परिस्थितियों में अपनी कॉमिल की एक समिति बनाई जिसका नेतृत्व जाज चेम्ने को सौंपा गया। इस समिति से कहा गया कि वह "प्रांतीय कॉमिल को विस्तृत करने की योजना तैयार करे, इसकी स्थिति ऊंची करने का यह प्रयास करे, इसके काय में भी वृद्धि करे, कुछ चुनाव संवर्धित सिद्धांत भी लागू किये जाय और राजनीतिक सस्या के रूप में इसे कुछ और उदार बनाया जाय।" पर साथ ही उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि "भारत का भाग्य एक विदेशी जाति के हाथ में सीमित कर दी गयी है। सरकार जो करने की आशा करती है वह है कि वह भारतीय मत के और निकट आने के लिए चेष्टा करेगी।" उसने कहा कि यह सोचना एक भूल होगी कि सरकार का उद्देश्य ब्रिटिश आदर्शों पर ससदीय प्रणाली प्रारम्भ करना है। भारतीय कायपालिका किसी भी भारतीय अधिकार के अधीन नहीं रहेगी बल्कि ब्रिटिश शासक और ससद का अनुगमन करती रहेगी। ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था जिस माहौल में समिति का अपना काय करना था। इस समिति की रिपोर्ट और लाड डफरिन के विचार दोनों साथ ही गृह विभाग का प्रेषित किये गये जिसमें कॉमिल में सुधार हेतु निवेदन किया गया। इसका उद्देश्य यह बताया गया गया कि "जनता के काय के प्रशासन में ऐसे भारतीय सज्जनों को और सहभागी बनाना जिन्होंने अपने प्रभाव, आवश्यकता और विश्वास को अपने देशवासियों में प्रेरित कर अपने मत से उत्तर

1 उनकी पुस्तक स डमाक्स इन इडियन कान्टिब्यूशनल ऐण्ड नेशनल डेवलपमेंट, पृ० 216 देखें।

दायित्वपूर्ण भारतीय शासन को सहायता देने में समर्थ हैं।" बाद में जब डफरिन का उत्तराधिकारी होकर लाड लैसडाउन आया तो इस सबंध में उसका भी मत मांगा गया। इन्हीं आधारों पर बहा पर अनुदारवादी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ी। 1890 में हाउस आफ लाडस में एन बिल रखा गया जो धीरे-धीरे बिसवा और जाकर कही 1892 में इंडियन कौंसिल ऐक्ट के रूप में पारित हो पाया।

### ऐक्ट की धाराएँ

इस ऐक्ट में पूणतया भारत की नेजिसपेटिव कौंसिलों की शक्ति, काय और रचना पर ही विचार किया गया। जहाँ तक मुख्य विधायिका का सबंध था इस ऐक्ट में प्रावधान किया गया कि 'अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से-कम 10 और अधिक से-अधिक 16 कर दी जाय। कौंसिल में सेक्रेटरी आफ स्टेट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल को वे नियम बनाने थे जिसके आधार पर 'अतिरिक्त सदस्यों' को नामित किया जाना था। 'अतिरिक्त सदस्यों' में से से 2/3 गैर सरकारी लोग होने थे जिनमें से 1/2 के लिए एक सीमा के भीतर चुनाव पद्धति स्वीकार कर ली गयी। पर चुने जाने के बाद ऐसे सदस्य को कौंसिलों में बैठने से पूर्व अपन को सरकार से नामित कराना आवश्यक था। कौंसिल के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी। वार्षिक 'आर्थिक' विवरण पर एक सीमा में विचार करना अब समभव कर दिया गया। लाड कजन ने इस सबंध में कहा कि, "यह कोई सोच भी नहीं पाता कि भारत में बजट पर विचार होते समय एक-एक मद पर मत डाले जाय जैसा कि हम ससद में करते हैं। पर यह प्रस्तावित किया गया कि कौंसिल सदस्य भारत की आर्थिक नीति के सबंध में पूण, स्वतंत्र और शुद्ध आलोचना में भाग लें।" सदस्य जनता के हित सबंधी सरकार से प्रश्न कर सकते थे "पर उसमें शन और प्रतिबंध यह था कि वह देश के गवर्नर जनरल या प्रांत के गवर्नर के द्वारा बनाये गये नियमों के विपरीत न पडता हो।" पर ऐसे सभी प्रश्न करने के लिए 6 दिन की नोटिस देनी पडती थी तब उनका उत्तर प्राप्त होता था। प्रेसिडेंट को किसी प्रश्न को उठान से रोकने का भी अधिकार था।


प्रांतीय कौंसिलों में भी 'अतिरिक्त सदस्यों' की संख्या बढ़ा दी गयी। उदाहरणाय बम्बई और मद्रास की कौंसिलों में उनकी कम से-कम संख्या 8 और अधिक से अधिक 20 रखी गयी। बंगाल में भी अधिकतम संख्या उतनी ही रखी गयी जबकि उत्तर पश्चिम प्रांतों में अधिकतम संख्या 15 रखी गयी। अपने कार्यों में सदस्यों को जनहित में प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वे सरकार की

नीति पर विचार विमल कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। पर केंद्र की भांति यहाँ भी 6 दिन की सूचना पर ही यह समझ था और इनके प्रश्न भी बिना कारण दिए पूछने में रोके जा सकते थे।

किम्बरले धारा—अधिक महत्वपूर्ण बात चुनाव के सिद्धांत की थी जो इस एक्ट न प्रस्तावित किया। जैसे बड़ी चतुराई से 'चुनाव' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह सिद्धांत प्रारंभिक पत्रावलि या म नहीं था। बिल के द्वितीय वाचन में एक सशोधन जय लाड नाथ श्रुक् ने रखा और उसका समर्थन लाड रिपन और किम्बरले ने किया तो यह उसम जुड़ गया। पर्याप्त कठिनाइयों के बाद सशोधन स्वीकार किया गया। सरकारी लागा और गैर सरकारी नामित लोगों सहित 'इम्पीरियल लेजिस्लेचर' में चुने हुए गैर सरकारी लोग आने थे जिनकी संख्या 5 थी और उन्हें एक कर चार प्रांतीय कौंसिलों के गैर सरकारी सदस्यों से चुनकर आना था और शेष एक को कलकत्ता चैम्बर आफ कामर्स द्वारा चुनकर आना था। प्रांतीय कौंसिलों के लिए जो सदस्य चुने जाते थे उनका चुनाव नगरपालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस, विश्वविद्यालय सीनेट, जमींदार और चैम्बर आफ कामर्स करते थे। चुनाव की पद्धति भी भिन्न थी। केन्द्र और प्रांत के लिए एक एक सदस्य चुनने के स्थान पर य सगठन नामों के पनल का चुनाव करती थी जिसमें से कोई नाम सर्वोच्च विभाग का अधिकारी चुन लेता था। इस संबंध वाली धारा में कहा गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी व्यवस्था कर सके जिसके लिए उसने सामने कुछ लोग प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो चुने हुए होंगे। गवर्नर जनरल चाहते पर उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकेगा। इसी कारण इसके विस्तृत नियम लाड लै सट्टाउन ने स्वयं ही बनाए जो सचमुच प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में था पर उसका प्रस्ताव गृह सचिव ने अस्वीकार कर दिया था।<sup>1</sup> चुने हुए सदस्यों का विभाजन इम्पीरियल और बम्बई के विधायिका के निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा—

1892 के कौंसिल ऐक्ट न इस तरह पुरानी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस एक्ट की सर्वोत्तम विशेषता चुनाव के सिद्धांत का प्रारंभ था, भल ही यह अप्रत्यक्ष रहा हो। प्रारंभ हो चुका था, जैसे तो प्रतिनिधि सरकार का गन्तव्य अतिदूर था, पर प्रगति, धीमी ही सही सही दिशा में थी। यह पहली बार था कि भारतीय उच्चतम संस्था से सही तरीके से सम्बद्ध किये गये। जैसे तो इनकी संख्या 1/3 ही थी और सरकारी बहुमत उनपर हावी हो सकता और उनके मत को दबा सकता था पर उनके विचारों को आवश्यक ध्यान और आदर प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से यदि पूरा नहीं तो कुछ सीमा तक भारतीय जनता की कठिनाइयाँ सामने

1 विस्तार के लिए देखें, मिथा जे० पी० पूर्वोद्धृत प० 185-198।



लायी जा सकी। 1892 का कौंसिल ऐक्ट निश्चित रूप से 1861 से बेहतर की ओर था। सरकार की आर्थिक नीति पर अभी तक कर आरोपण काल के अतिरिक्त विचार करने का कभी अवसर ही नहीं प्रदान किया गया था। पर अब नियमित रूप से आर्थिक विवरण सदस्यों के समक्ष रखे जाने थे और उन्हें इसकी आलोचना करने और करदाता के पक्ष में सरकार को परामर्श देने का अधिकार था। अधिकारियों ने यह सब ही सोचा था कि इस प्रावधान के द्वारा "सरकार को अपनी आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा, वह गलतफहमिया दूर कर सकेगी, आक्रमणों और आलोचनाओं का मुकाबला कर सकेगी, और वे इस आलोचना से लाभ भी उठा सकेंगे। गैर सरकारी सदस्य अपने उत्तम प्रतिनिधित्व से उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह करेंगे।" कायपालिका से प्रश्न करने की अनुमति भी कम महत्व की बात नहीं थी। वैसे इस पर कुछ प्रतिबंध भी थे, पर ये प्रतिबंध ब्रिटिश ससद से बड़े नहीं थे। कौंसिल की शक्ति और काय में बढ़ोतरी कर दी गयी और वैसे ही उनका आकार भी बढ़ा दिया गया।

इसमें सदेह नहीं कि इसके प्रावधानों में कुछ दोष भी थे जिससे पूणतया न तो जनता सतुष्ट हो सकती थी और न ही सरकार। जनता के असंतोष का कारण था। सर वी० चिरोल ने लिखा है कि, "1892 का भारतीय कौंसिल ऐक्ट ऐसा पहला प्रयास था जिममें चुनाव सिद्धांत की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसमें भारतीय गैर

सरकारी मत का प्रतिनिधित्व होता था। पर इसका पमाना अति सूक्ष्म था और यह अप्रत्यक्ष था।<sup>1</sup> चुनाव का सिद्धांत या प्रतिनिधित्व के द्वारा सरकार “लाड सैलिसबरी ने बनाया, “कोई पूर्वी विचारधारा नहीं थी और यह परंपरा या पूर्वी मस्तिष्क के साथ ठीक भी नहीं बैठती थी।” पर इस तरह का तब बुद्धिजीवियों के उभरते वग को सतुष्ट नहीं कर सकती थी जो पश्चिम के उदार विचारों का अपने देश में आयात करना चाहते थे। जबकि दूसरी ओर, 1907 के सरकारी सक्पुलर में जैसा जोर देकर कहा गया, भारत सरकार इन प्रस्तावों के प्रभाव का अपनी आशा से दूर समझती थी और भारतीयों को दी जानेवाली छूट का उन्हें अधिकारी नहीं मानती थी।

न ही कीमिल में प्रविष्ट कराय गया और सरकारी सदस्यों की संख्या लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती थी। उदाहरणार्थ ‘इम्पीरियल लेजिस्लेचर’ में 25 सदस्यों में से नामित और चुन गये सदस्यों की संख्या 10 थी और वह भी यह संख्या अप्रभावी थी क्योंकि नामित सदस्य सदा सरकार का साथ देते थे। इस तरह 5 सदस्य शेष बचते थे जो लाड कजन के मतानुसार “एक सामूहिक वाद विवाद वाली संस्था में कार्यक्षमता केवल संख्या से संबद्ध नहीं रहती” किसी भी जनवग को सतुष्ट नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि कुछ युरोपीय जैसे स्वभाव ने स्वीकार किया कि और सरकारी सदस्यों में बढ़ोतरी “अति सूक्ष्म और दयनीय” थी। आर० सी० दत्त ने ठीक ही लिखा है कि “आधे दर्जन सदस्य विभिन्न नियमों के आधार पर चुन गये जो 30-40 करोड़ जनता की ओर से शायद ही उनकी भावना को प्रस्तुत कर सकते थे।”<sup>2</sup>

इस ऐक्ट में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व संबंधी सतुलन बनाये रखने की चेष्टा नहीं की। सामान्य जनता को दिया गया प्रतिनिधित्व निरर्थक था। किसी का आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि किसी का कुछ भी नहीं। उदाहरणार्थ 1907 में युरोपीय व्यापारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, पर भारतीयों को नहीं। क्षेत्रीय मामलों में भी कोई सिद्धांत नहीं स्वीकार किया गया। प० भदन मोहन मालवीय ने कहा कि, ऐक्ट ने भारतीयों को अब भी देश के प्रशासन में सही आवाज बुलंद कराने का अवसर नहीं दिया।

कौंसिल को जो अधिकार प्रदान किये गये उनमें भी अब बहुत कुछ होना शेष था। डब्लू० सी० बनर्जी ने ठीक ही कहा कि “ऐक्ट हमें कुछ अधिक देने के लिए आश्वस्त नहीं करता। हमें अपने विरोध भाव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और तबतक नहीं रुकना चाहिए जबतक हम सबकी इच्छा की चीज हमें मिल

1 विरोल वी० इंडियन जनरेट प० 269 ।।

2 दत्त आर० सी० इंडिया इन द क्विंटेनियन एज प० 386 ।

जाय जिसने हम सभी अधिकारी है।" ऐक्ट के अंतगत "बजट पर बहस तो हो सकती थी पर तब जम कायपालिका इसको पूणतया तैयार कर लेती थी।" कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और वाई पूरक प्रश्न विचाराय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। प्रेसीडेन्ट चाहे तो प्रश्न रखने की अनुमति दे या न दे जिसके लिए उसे कारण बताना आवश्यक नहीं था। कौंसिल के अधिकार भी नहीं के बराबर हो बड़े और फीरोज शाह मेहता ने ठीक ही कहा कि ऐक्ट को "तथ्य मे एक अति उत्तम भाप के इजा की उपमा से विभूषित किया जा सकता था जिसमे चतुराई से भाप पना करने वाले आवश्यक चीजों को उसमे से हटा दिया गया था और उसरी जगह पर नकली भाप जैसी दिखने वाली रगीन चीजें लगा दी गयी थी।"

ऐक्ट ने गवर्नर जनरल को अधिकार प्रदान किया था कि वह सेक्रेट्री आफ स्टेट की स्वीकृति से नियम बना सकता था कि अतिरिक्त मदस्यो का नामित करने के लिए क्या शर्तें हो। इसके आधार पर बनाये गये नियमों के विषय में गोखले ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि, "मैं यह नहीं कहूंगा कि इहे जानूश्कर इस तरह से बनाया गया है कि इसमे 1892 के ऐक्ट का उद्देश्य न पूरा हो, पर मैं यह कहूंगा कि यदि वह अधिकारी जिसने इस नियम को तैयार किया उससे कहा जाता कि वह बैठकर ऐमा नियम तैयार कर जिससे 1892 के ऐक्ट का उद्देश्य विफल हो जाय तो वह इससे अच्छा तैयार नहीं कर पाता।"<sup>1</sup>

बनाये गये प्रावधानों के अंतगत कौंसिल के सदस्यों की शक्ति ईध्या की वस्तु नहीं थी। सर बास पीकाक ने कहा, "उसने सदा यह समझा और वह आज भी यह जानता है कि सदस्य की शक्ति ऊंची और आदरणीय है, पर यदि उमने यह विश्वास किया कि कौंसिल का मविधान ऐमा है कि इसके सदस्य जैसे भी हा वे विधान बनाने के लिए बाध्य होंगे चाहे उन्हें बोर्ड आफ कंट्रोल से या कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स मे आदेश मिले तब वह यह कहेगा कि ऊंचे और प्रतिष्ठा पूण शक्ति के स्थान पर एन एमी चीज थी कि जो भी व्यक्ति प्रतिष्ठाप्रिय और स्वतंत्र होगा वह उसे तुरन्त छोड़ देगा "

फिर भी, प्रजातंत्र की ओर कदम उठ चुका था, अभी बहा तब पहुच नहीं हुई थी। पर एन सीमा तब इसके द्वारा भारतीयों की गयी और सुनतात्मक रूप से एन कमजोर मांग' मात ली गयी। इसने अतिरिक्त राजाशा और जमींदारों के स्थान पर चुनाव निदान से इतना अंतर तो आ ही गया कि कौंसिल मे उमक आन की संभावना बढ गयी जिसमे गुण था और जा लोगो मे आदर का पात्र था। ये चुन हुए लोग वैस तो तमचारियों द्वारा छाटे समये जाते थे पर उन्हें अब

अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके कारण उन पर विश्वास करने के दिन निकट आय। गोपाल कृष्ण गोखले और फीरोजशाह महता जैसे लोगों को जब यह अवसर मिला तो उन्होंने भी अपने लिए स्थान बनाया और देश को राष्ट्रवादी आन्दोलन के लिए तैयार किया।

हम कोर्टमैन के मत से निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि इस ऐक्ट में, "भारत में प्रतिनिधियों के चुने जाने की प्रणाली का प्रारम्भ किया प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी मजबूत हुआ और फिर उत्तरदायी संसदीय स्वशासन की दिशा में गाड़ी आगे बढ़ चली।"<sup>1</sup>

### भारतीय राज्यों से संबंध

#### मणिपुर

भारतीय राज्यों से संबंध के मामले में लसडाउन को मणिपुर में समस्या का सामना करना पड़ा जहाँ का राजा सूरचंद्र 1880 में अपने भाई और राज्य के सेनापति के विद्रोह के कारण राज्य से खदेड़ दिया गया। युवराज इस समय अनुपस्थित था। पर उसपर विद्रोह में सहयोग का संदेह किया गया क्योंकि जैसे ही राजा अपने क्षेत्र से बाहर गया उसने आकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। सूरचंद्र ने गवर्नर जनरल से सहायता की अपील की जिसे उमकी अकम्प्यता के कारण सहायता देने से इनकार कर दिया गया। नये शासक की स्वीकार करने को तो कहा गया पर उसके साथ यह शर्त लगायी गयी कि सेनापति को पद से हटा दिया जाय। पर यह मामला शांतिपूर्वक न हल हो सका। आसाम के कमिश्नर विक्टन को स्थिति का आँखन करने के लिए भेजा गया। पर सेनापति ने उसका विरोध किया। इसके फलस्वरूप एक छोटी सी लड़ाई दोनों के बीच हो गयी जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी मारे गये। लार्ड लसडाउन ने तुरंत वहाँ पर आक्रमण का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप सेनापति और नये शासक दोनों का पकड़ लिया गया। कानून के अनुसार दोनों पर मुकदमा चलाकर मौत की सजाएँ दी गयीं। कुछ अन्य लोग जो इस मामले से संबंध थे उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। इसी परिवार के एक लड़के को गद्दी दिलायी गयी। बच्चे के बालिग होने तक एक जेजे एजेट के हाथ में वहाँ का शासन सौंप दिया गया। लार्ड लसडाउन ने घोषणा की कि 'यह सरकार का अधिकार और कर्तव्य है कि वह अपने देश के संरक्षित राज्यों के उत्तराधिकार का निणय करे।' पर साथ ही इसमें यह भी

1 कोर्टमैन पूर्वोक्त पृ० 24-25 कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग 6 अध्याय 12 चित्तामणि, सी० वाई० पूर्वोक्त पृ० 47-48।

स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश किसी राज्य पर अधिकार रखने में कोई रुचि नहीं रखते थे चाहे वहाँ कुछ उत्तेजक कारवाइया ही क्यों न हो रही हो। पर ब्रिटिश अफसरो के मारे जाने पर इससे कम किया ही क्या जा सकता था।

### सिक्किम

सिक्किम ने 1861 में ब्रिटिशों के साथ एक समझौता किया था और उसके अंतर्गत उनका नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया था। यहाँ का राजा इस समझौते के अंतर्गत सीधे किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं स्थापित कर सकता था पर इधर सिक्किम का राजा तिब्बत के प्रभाव में आ गया था। उसकी तिब्बती पत्नी राज्य के मामले में बड़ा प्रभाव रखती थी। राजा साल में तीन महीने स्वास्थ्य के नाम पर तिब्बत ही में रहने लगा। 1886 में तिब्बत की सेना ने कुछ सिक्किम क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और निग्तू के किले को घेर लिया। महाराजा ने इस सब पर कोई चिंता नहीं व्यक्त की। इसपर ब्रिटिशों को अपने आप 1888 में सना भेजनी पड़ी जिससे विदेशियों को खदेड़ा जा सके।

चीन तिब्बत की अपना सहायक राज्य मानता था और 1888 के अंत तक चीनी रेजीडेण्ट गंगटोक समझौते के लिए आया। भारत सरकार ने उस समय उससे समझौता करने में कोई आपत्ति नहीं की। रेजीडेण्ट ने कहा सिक्किम तिब्बत का सहायक राज्य है जो इससे सिद्ध है कि सिक्किम का राजा चीन को और लासा को भेंटें और प्राथना-मंत्र भेजता है। इसी बीच गृह अधिकारियों ने भारत सरकार से बातचीत की और यह तय पाया कि चीन से अच्छे संबंध की आवश्यकता है इसलिए उनकी कुछ बातें मान लेनी चाहिए। पर लैसडाउन ने एक बड़ा हथ अखिबार किया और बताया कि ऐसे मामला हम हिमालय पर्वत के उस पार के किसी विदेशी देश का अधिकार नहीं स्वीकार किया जायगा। विदेश सचिव एच० एम० ड्रण्ड जो चीनी रेजीडेण्ट से बातचीत के लिए भेजे गए थे उन्होंने कहा, "यदि हम सिक्किम के मामले में चीनियों की बात मान लें तो हम भविष्य में किसी भी समय इस बात के लिए तैयार बठा रहना होगा कि केवल भूटान और नेपाल ही नहीं, बल्कि कश्मीर और उसके सहायक राज्यों जैसे तृजा और नागर तथा हिमालय के किसी छोटे से छोटे राज्य के लिए हम यही करन को तैयार रहें।" इतने अतिरिक्त ब्रिटिशों ने तिब्बत की सेना को सिक्किम से खदेड़ भी दिया था और वहाँ पर उनका अधिकार भी हो गया था इसलिए विवेचना की भाँति वे अपनी स्थिति को जता भी सकते थे।

1 देखें मिथा जे० ११० द ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया अंडर लार्ड लैसडाउन (1888 1894), नई दिल्ली, 1975 पृ० 71।



इन परिस्थितियों में 21 दिसम्बर 1888 को प्रारम्भ हुआ समझौता 18 जनवरी 1889 को टूट गया। त्रिनिश इस बीच राज्य का प्रशासनीय पुनर्गठन करने लगे। अप्रैल 1889 में चीनिया ने पुनः इस मामले को प्रारम्भ करने के लिए कहा। एक एक कर बातचीत होनी रही, जाकर वही 17 मार्च 1890 को लैस डाउन ब्रिटिशों की ओर से एक संधि पर हस्ताक्षर कर सका। चीन के रेजीडेण्ट न तिव्वत और चीन की ओर से इसपर हस्ताक्षर किया।

कलकत्ता की संधि के नाम से विख्यात इस संधि (1890) में दो प्रमुख धाराएँ थीं। पहली धारा में तिव्वत और सिक्किम के बीच सीमा रेखा को चीनियों ने स्वीकार किया, जबकि दूसरी धारा के अन्तर्गत चीन ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार इस राज्य के आन्तरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंध के मामले में उनके सीधे तथा पूर्ण नियंत्रण को स्वीकार करती है।<sup>1</sup>

इस संधि के बाद गगटोक मण्डल अंग्रेजी अधिकारी रख दिया गया जो सिक्किम का राजनैतिक निरीक्षण करता था और महाराजा के अधीन 5 प्रमुख भिक्षुओं व प्रमुख लोगों की एक सभा प्रशासन का काम देयती थी। पर महाराजा न कांसिल की सहायता से शासन करना कभी स्वीकार नहीं किया। वह रोबदेची में पड़ा रहा और इस कांसिल का महापतित्व करने गगटोक कभी नहीं आया। 16 मार्च 1892 का नपाल होकर उसी तिव्वत भागने की चेष्टा की, पर नेपाली अधिकारियों ने उसे रोक लिया और उसे दार्जिलिंग ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद उसके विरुद्ध और कोई कार्रवाई नहीं की गयी और इस संबंध में समाचार प्रसार से बचा गया।

### कश्मीर

हम यह देख आते हैं कि किस तरह 1846 की संधि के बाद ब्रिटिशों ने तेजी से वहाँ एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने तथा लेह और गिलगिट में एजेण्ट नियुक्त करके अपनी स्थिति मजबूत बना ली। 1885 में इन्होंने महाराजा रणवीर सिंह के मरते ही कश्मीर पर एक रेजीडेण्ट ठाक दिया और नया उत्तराधिकारी महाराजा प्रताप सिंह इसका विरोध नहीं कर पाया। रेजीडेण्ट को जान बूझकर यह कहकर नियुक्त किया गया कि रणवीर सिंह की बीमारी की अवधि में कश्मीर का शासन तेजी से बिगड़ गया था और यदि प्रताप सिंह का ब्रिटिशों का जागरूक सहयोग नहीं मिलेगा तो वहाँ सुधार नहीं हो पायेगा। इस तरह रेजीडेण्ट की नियुक्ति के साथ ही वहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया। उनके मन के

1 देखिए सिंग पृ० ५०० द पब्लिसिस्ट्रेशन आफ द इंडिया अफर लाइ लामडाउन (1888-1894) नई दिल्ली 1975 पृ० 73।

आदमी नये राजा पर थोप दिये गये जिससे प्रशासन के मामले में वह अपनी बुद्धि में कुछ अधिक नहीं कर सका। कुछ देर होने लगी तो ब्रिटिश क्रुद्ध होन लगे क्योंकि वे तो कश्मीर प्रशासन को ऐसा मोड़ देना चाहते थे जिससे कि उनकी मध्य एशिया से संबंधित आवश्यकताएँ पूरी हो जाय। वे सुधार के बड़े इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अब यह सोचा कि घाटी में स्वतंत्रतापूर्वक काय तभी संभव है यदि महाराजा को दृश्य स्थल से हटा ही दिया जाय।

भाग्य से फरवरी 1889 में ब्रिटिश रेजीडेंट कनल निस्वेट को डोगरी भाषा में लिखे 34 पत्रों का एक पुलिदा प्राप्त हुआ जो बताया गया कि उह प्रताप सिंह ने अपने प्रियजनो को लिखा था जिसमें महाराजा ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह अपने भाइया राम सिंह और अमर सिंह को मरवाना चाहता है, इसके अतिरिक्त वह अपनी एक रानी तथा रेजीडेंट से भी सदा के लिए छुट्टी पाना चाहता है। इन पत्रों में गुप्त रूप से रूस में एक दूत भेजने का प्रस्ताव था तथा दूसरा पत्रों के राजा दलीप सिंह के पास जो पत्रानुसार सहायताय आकर ब्रिटिशों को वहाँ से खदेड़ देंगे। महाराजा ने यह समझाने की व्यथ चेष्टा की कि यदि वह ब्रिटिशों के विरुद्ध पड्यत्र नहीं करता तो खुलेआम पत्र क्या लिखता तथा उसके अनुसार यदि दलीप सिंह वहाँ आ जाता तो यह उसके अस्तित्व के लिए ही एक खतरा था। उसने यह भी समझाया कि इसके पहले भी जाली पत्रों द्वारा कश्मीर के राजाओं को फसाने की चेष्टा हुई है। पर इस अवसर का ब्रिटिश त्याग करने को तैयार नहीं था। महाराजा को हर तरह की चेतावनियाँ दी गयीं। उससे कहलाया गया कि पत्र विश्वस्त है और इसकी एक ही सजा उसका पद से हटाया जाना है। लैन्सडाउन पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेने पर आमादा था जिससे इसे ब्रिटिश हाथों में सौंपा जा सके। पर वह भारत तथा इंग्लैंड के जनता से भय खाता था इसलिए सावधानीपूर्वक फूँक फूँककर बंदम आगे बढ़ा रहा था।

8 अगस्त 1889 को महाराजा प्रताप सिंह ने एक 'इरशद' प्रसारित किया जो फारसी में था और उसके भाई राजा अमर सिंह को संबोधित किया गया था। इस 'इरशद' के माध्यम से उसने अपना पूरा शासन एक कौंसिल के हाथ में सौंपा जिममें राजा अमर सिंह और राम सिंह तथा भारत सरकार के परामर्श से नियुक्त एक यूरोपीय अधिकारी को यह काय सौंपा गया। यह कौंसिल 5 वर्ष के लिए प्रशासन का काय करेगी जिस बीच वह अपने अधिकार से पूणतया मुक्त रहेगा। पर उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और उसे अपने व्यय तथा महल के व्यय के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता रहेगा। बतलाया गया कि महाराजा ने अपनी इच्छा से 'इरशद' तैयार किया, पर प्रताप सिंह ने इससे इनकार किया और कहा कि इसपर उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया। इसी तरह की परिस्थिति में ब्रिटिशों ने पंजाब के ऊपर प्रथम सिख युद्ध के बाद भरोवाल

की जो सधि आरोपित की थी उसे भी तही भुलाया जा सकता। अनिच्छित सरदारों से इसे कैसे निकाला गया, फिर भी उनसे इच्छापूवक हस्ताक्षर कराया गया, ठीक 'इरशद की ही भांति यह भी गाथा थी।

जैसा भी हो महाराजा ने 5 वर्ष के लिए प्रशासनिक अधिकार का त्याग कर दिया। सरकार इन पद्धतनकारी पत्रों की विषयस्तता सिद्ध नहीं कर सकी, फिर भी इन पत्रों पर अपने निणय को आधारित करते हुए 'इरशद' पर आधारित करते हुए, और प्रशासकीय क्षमता पर इस आधारित करते हुए उन्होंने यह तय कर लिया कि महाराजा को उसी की शर्तों पर पांच वर्ष के लिए शक्तिविहीन कर दिया जाय। लाडलै मंडाउन ने महाराजा को अगले आदेशों तक हटा दिया। उस सूचना भेज दी गयी। "कम से कम कुछ काल के लिए प्रशासन में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके पास राज्य का पद और प्रतिष्ठा बनी रहेंगी, पर सरकार की पूर्ण शक्ति उस कौंसिल में निहित रहेगी जिसमें महाराजा के भाइयों के अतिरिक्त तीन या चार भारत सरकार द्वारा चुने गये अधिकारी होंगे। यह सोचा गया कि इन अधिकारियों में से एक अंग्रेज होगा।"<sup>1</sup> पर कौंसिल 'रेजीडेन्ट' के पूर्ण देखभाल में चलेगी। कौंसिल नियमानुकूल स्थापित कर दी गयी और महाराजा को स्पष्टतया पद से हटा दिया गया। 18 अप्रैल 1889 को अपनी पहली बैठक में ही कौंसिल ने घोषणा की "सभी मामलों में 'रेजीडेन्ट' का निणय अंतिम होगा। उसे किसी भी कौंसिल के प्रस्ताव पर नकारात्मक मत प्रयोग करने का अधिकार हीगा। वह उसकी कारवाई को और विवरण प्राप्त करने तक रोक भी सकेगा।"<sup>2</sup> कौंसिल में कोई अंग्रेजी अफसर नहीं रखा गया, पर फिर भी पूर्ण शासन अंग्रेज द्वारा चलाया जाने लगा।

महाराजा का पद से हटाया जाना जनता के अत्यधिक आलोचना का विषय था। तत्कालीन समाचारपत्रों का मत रुचिकर है। 'हिंदू पेट्रियट' ने सच ही कहा, "यदि सच कहा जाय तो यह है कि इसकी (कश्मीर की) सामरिक स्थिति इतनी भयानक है कि इसे स्वतंत्र या सहायक राज्य के रूप में रखा जाने लायक नहीं है।" जमुत बाजार पत्रिका और तमाम अन्य अखबारों ने भी इसी तरह का मत दिया। विलियम डिग्बी ने टाइम्स में एक लम्बे लेख में सरकार के कारवाई की आलोचना की। ब्रडलॉ ट्रिनिटीस ससद के एक प्रभावशाली सदस्य ने कहा कि कश्मीर लगभग अरहृत कर लिया गया है और उसके शासक को अपमानित किया गया है। यहाँ तक कि लै सडाउन ने सेक्रेटरी आफ स्टेट का एक पत्र मस्वीकार किया कि महाराजा से संबंधित पत्र जाली हो सकते हैं विशेषकर तब, जब

1 कपूर एम० एल० कश्मीर सोल्ड एण्ड स्नॉ ५० 166 से उद्धृत।

2 वही प० 168।

प्रताप सिंह के दोनो छोटे भाइया राम सिंह और अमर सिंह से उसका अच्छा सपन नहीं था और वे "समय समय पर रेजीडेन्ट को गुप्त सूचनाएँ प्रेषित करने की आदत से ग्रस्त थे।" महाराजा को इस छान बिन के बिना ही दंडित किया गया कि क्या उसके भाई उसके विरुद्ध पंडित में सम्मिलित थे या नहीं। उसके भाइयों को दंडित करने के स्थान पर राम सिंह को सेनापति बना दिया गया और अमर सिंह को कांसिल का अध्यक्ष। भारत के विदेश सचिव ने इसे बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना था जो रेजीडेन्ट 'पत्रों को लेकर एक बवाल मचा दिया था।" यहाँ तक कि ल-सडाउन भी जब बाद में महाराजा से मिला तो उसने कहा, "मैंने उसको अधिक अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति पाया जैसा कि मैं सोचता भी नहीं था।" 1890 में वाइसराय ने रेजीडेन्ट निस्बेट को उसके पद से हटा दिया और सेनेट्री आफ स्टेट को उसने लिख भेजा कि उसने (निस्बेट ने) "कई बेवकूफी भरे कार्य किये हैं।"

पर मा मला जैसा भी रहा हो, लै सडाउन इस अवसर को खोने को तैयार नहीं था। उसने कहा, "हम ने निश्चित ही तेजी से उसका गला पकड़ लिया और राज्य की स्थिति को ठीक करने का इससे अच्छा अवसर अब हाथ में नहीं आ सकता था।"<sup>1</sup>

पर महाराजा अब भी जनप्रिय बना रहा। नयी कांसिल भी बहुत कुछ नहीं कर पायी और 1891 में महाराजा को पुनः पद पर वापस आने की दिशा में कार्य किये गये और उसे राज्य की कांसिल का प्रेसीडेन्ट बनाया गया। पर रेजीडेन्ट अब भी महत्वपूर्ण बना रहा और महाराजा को पुनः शक्ति अजन में अभी बहुत समय लगता था।

## विदेशों से सम्बन्ध

### अफगानिस्तान

लाड डफरिन से अब्दुरहमान के चले आ रहे मधुर संबंध लाड लै सडाउन के काल में नहीं चल सके। ऐसा ब्रिटिश विदेश नीति में 'फावड' दिशा की ओर परिवर्तन के कारण सम्भव हुआ। इसके कई कारण थे। अफगान और ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों के बीच 25 हजार घन मील की पट्टी का एक क्षेत्र था जिसकी चर्चा एक बार पुनः अगले पृष्ठों में आयेगी। इस क्षेत्र में विश्व की अत्यधिक धूपार जाति निवास करती थी जिसपर अमीर का नियंत्रण नहीं के बराबर था। पर वह उन्हें अब भी ब्रिटिशों के विरुद्ध भड़का सकता था और स्वयं पदों के पीछे रहकर उनके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकता था। इस कबोले के लोग प्रायः ब्रिटिश सीमा का

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

230

231

232

233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

263

264

अफगानिस्तान एक शिष्टमडल भेजने का प्रस्ताव किया जिसमे भेदभाव दूर किया जा सके। पर राइटस चूकि 'फावड नीनि' का अनुमोदन था, अमीर ने उमका स्वागत न करने के लिए क्षमा मागी और बाद मे सर मोर्टीमेर डूरण्ड के स्वागत के लिए तैयार हो गया। डूरण्ड को भेजा गया जिसका अन्डा स्वागत हुआ और उसे अमीर से एक महत्वपूर्ण समझौता करने मे सफलता भी प्राप्त हुई। इस समझौते को डूरण्ड समझौते का नाम दिया गया जिस पर 1893 मे हस्ताक्षर किये गये। इसमे यह तय हुआ कि अमीर अब वजीरियो, अफरीदियो और अय सीमा के बशीलो के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहा भी संभव होगा ब्रिटिश और अफगान कमिश्नर मिनकर सीमा रेखा स्पष्ट कर लेंगे। अमीर न बिनराल, दीर, स्वात और बाजौर मे हस्तक्षेप न करने का निगम किया और ब्रिटिशो ने उमे कुछ जिले प्रदान कर दिये। अमीर ने चमन रेलवे स्टेशन से अधिकार त्याग दिया और ब्रिटिशो ने उसे भारत से होकर युद्ध सामग्री खरीदने व आयात करने की छूट दी। उसकी आर्थिक सहायता 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख वार्षिक कर दी गयी। और इस तरह लैसडाउन अमीर से पुन मधुर संधि स्थापित करने मे सफल हुआ और 1893 मे पदमुक्त हुआ।

अमीर ने स्वयं कहा, "सर मोर्टीमेर डूरण्ड के शिष्टमडल ने कुछ लाभ प्रदान कर सहयोग की वृत्ति का परिचय दिया और मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हू कि हमने ब्रिटिश मंत्री से पाया अधिक है और छोपा कम।" ये मंत्रीपूर्ण संधि तब तक चलते रह जब तक 1895 मे अमीर उस समय निराश नहीं हो गया जब उसका सेण्ट जेम्स के सामने सीधे उास्थित होन का निवदन ठुकरा नहीं दिया गया।

### पामीर का झगडा

1887 मे सेण्ट पीट्सवग मे जिस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर हुए थे उमके अतगत राजा सालेह तब रूस और अफगान सीमा निर्धारित कर दी गयी थी। यहा सेलेर बिकटोरिया तक सीमा रेखा 1873 के एक अलिखित समझौते के द्वारा तय कर दी गयी थी। पर दोना पक्षो मे सीमा रेखा के आसपास के क्षेत्रो पर परस्पर अधिकार को लेकर तनातनी अब भी थी। लेक बिकटोरिया के पूव और पामीर के उस पार पूर्ण अव्यवस्था थी। यहा पर अफगान और चीनी क्षेत्र के बीच बटुन बडा क्षेत्र था जो खाली पडा हुआ था। यह एक एमा क्षेत्र था जहा घूमने घामन वाली जाति निवास करती थी। ब्रिटिशो की सबसे बडी चिन्ता यह थी कि ब रूसिया को इस खाली जगह को भूचना नहीं हान देना चाहने व कयांचि एस मे ब महा अधिकार कर सकते थे और भारत की सीमा के निकट पहुचकर बघोला वो उनके विस्तार भडवा सकते थे।

ऐसे भी क्षेत्र थे जहा अनाज का एक दाना भी नहीं होना था और जहा पानी

की पूर्ति अत्यधिक कठिन थी। यहा तक की गिलगिट जैसी जगह में सारे वस्तुआ की पूर्ति कश्मीर से होती थी। इस तरह इस ओर से रूसी आक्रमण सरल नहीं था। पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूसियों की इस क्षेत्र में चहुल-पहुल ब्रिटिशों को यहा ब्यस्त बना सकती थी जब उनको पूरा ध्यान युरोप की ओर लगाना था। स्पष्टतया इसीलिए ब्रिटिश यह नहीं चाहते थे कि रूसी इस क्षेत्र में आ जाय। पर ब्रिटिशों की ही भांति रूसी खोजबीन करने वाले भी इस क्षेत्र में बहुत समय से व्यस्त थे और 1880 में ही एक सरकारी प्रकाशन में सेण्ट पीटर्स बर्ग में घोषणा की गयी थी कि, “फरगाना प्रांत के सुदूर दक्षिण में और (दारकाट) दर्रे के बीच जो क्षेत्र है वह पामीर का भाग है और उसपर किसी का अधिकार नहीं है यह गैर बसे भूमि के क्षेत्र की पट्टी सम्भवतः देर सबेर रूसी क्षेत्र में मिला ली जाएगी और इस तरह सिंध नदी के पानी के क्षेत्र को छू लेगी।”<sup>1</sup> गोमचेवस्की ने जो एक मानचित्र तैयार किया उसमें इन्ने लालरेखा से चिह्नित कर दिया। इसके विषय में 1889 में ब्रिटिशों को पता चला। अब उनकी चिंता बढ़ गयी और वे इस आधार पर भी सोचने लगे। यह खाली क्षेत्र या तो अफगानिस्तान के हाथ में चला जाय या चीन के जिससे इस यहा पर अधिकार न जमा पाये। 1891 में कसगर में उपस्थित चीनी अधिकारियों को इस सबध में समझाया गया कि वे अपनी सेना लाकर पामीर पर अधिकार कर लें। पर उस समय ब्रिटिशों के आश्चय का ठिकाना न रहा जब उन्हें यह पता चला कि चीनी लोगो ने उस सबकी पूरी जानकारी रूसियों को प्रेषित कर दी है। इस तरह चीनी आधा रास्ता भी उस दिशा में तय करे उसके पूर्व ही रूसियों को वहा अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो गया।

एक ब्रिटिश अधिकारी यगहस्वैड, जो पामीर में खोज बीन के लिए गया हुआ था, 13 अगस्त 1881 को बोजाई गुम्बज में रूसी दल से मिला। रूसी दल के नेता कनल लानोव ने आश्चयचकित रह जानेवाले ब्रिटिश अधिकारी को सूचित किया कि रूसिया ने छोटे और बड़े पामीर पर ही अधिकार नहीं कर लिया है बल्कि तगदुम्बज, रगडुल और अक्यू वाटी पर भी अधिकार कर लिया है। लेफ्टीनेंट डेविडसन सोमताश गया हुआ था। यह वह स्थान था जहा पर कुछ समय पूर्व ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान के अधिकार के विरुद्ध चीनी अधिकार का समयन किया था। रूसियों ने उसपर अपने क्षेत्र में आने का आरोप लगाकर उस बंदी बना लिया। रूसी लोगो ने अपनी कारवाई यही तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने दारकोट दर्रे तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश में बडोगिल होकर अफगान कारवा पहुंचते हुए बोजाई तक का रास्ता खोज लिया। रूसिया का यह काम था

1 एहडर जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नादन क्रदियर, 1865 1895 पृ० 220

पर नमक छिड़कने के समान हो गया। अफगान कारवा मे उनका हस्तक्षेप सचमुच गभीर था। उनका हिं हुकुम पार करना जिसे ब्रिटिश सीमा मानते थे कम गभीर बात नहीं थी। रूसियों ने अपने को इस क्षेत्र में खोजीन तक सीमित नहीं रखा था। ऐसा करते समय उन्होंने चितराल व पास-पड़ोस के क्षेत्र के कजीला मे कठिनाई पैदा करने की चेष्टा की थी जिसे अपने प्रभाव से ब्रिटिशों ने दवा दिया। बोजाई से हुआ कुछ ही घंटों की यात्रा थी। और छोटे पामीर पर रूसी नियंत्रण कशगर कारवा व्यापार मार्ग पर भी भुसीयत ला सकता था।

पामीर मे रूसियों की उपस्थिति ब्रिटिशों के लिए पचा पाना सरल नहीं था। पर साथ ही वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि जहां से ब्रिटिश अफसर को घुंटा गया था वहां पर किसी का भी अधिकार नहीं था। उन्होंने बेकार ही रूसी अधिकारियों को सूचित किया कि बोजाई जहां ब्रिटिश अधिकारी अपमानित किया गया था वह अफगान वाया का था। पर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने यह छोड़कर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि यदि यह स्थान अफगानों का नहीं है तो रूसी चीनी क्षेत्र मान लिया जाना चाहिए। पर चीन ने इसे अपना क्षेत्र कभी माना ही नहीं था और न वह सौंप जाने पर लेने को तयार था।

पामीर मे स्थिति सचमुच कठिन थी। ब्रिटिश स्वयं भी इतनी दूर जाकर पामीर पर अधिकार करने के पक्ष मे नहीं थे, पर साथ ही वे इसे रूसी हाथों मे पड़ने नहीं देना चाहते थे। प्रश्न यह था कि यह भूमि किसनी थी? अगर इन्हें तटस्थ भी बना दिया जाय तो इस तटस्थता की गारंटी कौन लेगा? रूसी पामीर को अपना मानत थे क्योंकि उनके अनुसार खोखद का इन क्षेत्रों पर पहले अधिकार रह चुका था। ब्रिटिशों ने बेकार बागजाता को विस्तार से देखकर माया-पच्चों की। उन्हें अपने समयन में जुटाने के लिए कोई तन नहीं मिला। तभी एकाएक उन्हें पता चला कि 22 मई 1884 को रूस ने चीन के साथ एक प्रांटाकाल पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसकी तीसरी धारा में कहा गया था, "यह घाटी (उजबेल) दोनों देशों के सीमा रेखा का बिंदु है। रूसी सीमा दक्षिण, पश्चिम और चीन की दक्षिण में।" इससे स्पष्ट हो गया कि कम-कम 1884 में रूसी इन क्षेत्रों का विवादग्रस्त नहीं मानते थे।

इस प्रोटोकाल के अवतरित होने की ब्रिटिशों को जानकारी रूसियों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ। इसका प्रयोग कर ब्रिटिशों ने रूसी लोगों के पामीर पर अधिकार को चुनौती दी और अपने अधिकारों को अपमानित किये जान पर विरोध व्यक्त किया। रूसी अब अपनी कमजोरी समझने लगे। इसमें ब्रिटिश और उत्साहित हो गये और दिसंबर 1891 में उन्होंने घोषणा की "उस (हिन्दूकुश)



पहाड़ी का उत्तरी सिरा पहले की ही भांति किले के बाल के रू में है और यह समझ बैठना कि वहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्र का हम रहने देंगे और वह भी बनल लानोव की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्र और आसानी से, कोई उचित बात नहीं होगी। इससे काफी कठिनाइयाँ सामने आएंगी।<sup>1</sup> दोनों सरकारों के बीच इस सत्र में लंबी लिखा पढ़ी हुई और अतंत रूसिया को स्वीकार करना पड़ा कि उनके अधिकारी न अवैधानिक काम किया था और इस कारण वह प्रायश्चित्त योग्य था। रूस से क्षमा निवेदन के साथ पूरी बात समाप्त कर दी गयी। यह भी तय हुआ कि सामूहिक रूप से स्थल विनान्वीय छानबीन करके सीमा का पुनर्निर्धारण आगे कर लिया जायगा।

पर रूसिया की यह घोषणा अतिम नहीं थी। रूसी युद्ध विभाग और विदेश विभाग में मतभेद हो गये। युद्ध विभाग पामीर के पर्वतीय क्षेत्र के मामले में अधिक आक्रामक था। रूसी क्षमापत्र की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि रूसियों ने पामीर पर अधिकार का निणय लिया। वे हिन्दूकुश पर्वत के अधिक मे-अधिक निकट आना चाहते थे जिससे कि जब सयुक्त सीमा विवाद हेतु आयोग बैठे तो वे अधिक माग करने की स्थिति में रहें। लानोव की पुरानी मागें दुहराई जान लगी और रूसी सैलिसबरी की इंगलैंड में राजनतिक कठिनाइयाँ का लाभ उठाने लग। अफगानिस्तान और चीन के बीच यह विस्तृत क्षेत्र ब्रिटिशों की आखा के सामने नाचने लगा। उनका यह प्रयास कि अफगानिस्तान या चीन में से कोई अपना अधिकार जताये, सफल नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं भी इन पर्वतों के लिए लड़ाई करना उचित नहीं समझा। पर फिर भी वे यह चाहते थे कि रूसी मागें न मानी जाय और दक्षिण की विदेशी हस्तक्षेप से एकदम दूर रखा जाय। अफवाह तेज हो गयी कि पामीर क्षेत्र में रूसी छा गये हैं, पर ब्रिटिश शांत बैठ रहे और सयुक्त सीमा निर्धारण की डोल पीटते रहे।

आगे और पत्र व्यवहार हुआ और 1893 में ब्रिटिशों को सूचित किया गया कि रूसी सीमा लेक विक्टोरिया न हाकर उसका दक्षिण में स्थित बाखा शु है। भारत में ल सडाउन की सरकार और दूसरी ओर यह विभाग के अधिकारी ने 1773 की सीमा रेखा को स्वीकार करने पर जोर डाला जिसमें लेक विक्टोरिया तक आवश्यकतानुसार कुछ फेर-बदल किया जा सकता था। इसमें लेक विक्टोरिया से पूर्व होकर चीन की सीमा तक सीमा रेखा खींची जानी थी। गर्मा गर्मा प्रारंभ हो गयी। ब्रिटिश अब लेक विक्टोरिया के पूर्व के भागा पर अधिकार को लेकर युद्ध तक की तैयारी करने लगे, पर साथ ही साथ वे रूस को ट्रांस आक्सस, शिमान व रोशन में रियायत देने को तैयार थे जिसपर अफगानिस्तान अपना अधिकार

1 एड्डर जी० ज० ब्रिटिश इंडियाज नादन फटियर, 1865-95, प० 244 पर उद्धृत।

बताता था। यदि रूस इस पर तैयार हो जाय तो अफगानिस्तान अकेला पड़ जायगा। लार्ड लै सडाउन ने अपने विदेश सचिव सर मोर्टीमेर डूरण्ड को कानुल मे अमीर का मन्तव्य पता लगाने के लिए भेजा। लबी बातचीत हुई। अतत भारत अफगान सीमा पर कुछ छूट प्रदान कर डूरण्ड ने अमीर को ट्रासआक्सस पर अधिकार त्यागने के लिए मना लिया और 1873 के सीमा समझौते को भी स्वीकार कर लिया जो इंग्लड और रूस के बीच हुई थी। प्रतिष्ठा बचान के लिए इतना पर्याप्त था। 7 दिसबर 1893 को रूस से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उन्होंने लेक विक्टोरिया को चीन की सीमा मानना स्वीकार किया।

यह ब्रिटिशों की एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। रूसियों का इस विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार की बात समाप्त हो गयी। पर एक प्रश्न अब भी था, स्वीकृति रेखा और हिन्दूकुश का भाग किसका है? यह तय हो जाने पर ही रूस के अधिकार की पूर्ण समाप्ति संभव होती। यह समस्या भी शीघ्र ही हल कर ली गयी जब अतत लाड एलिंगन के समय मे माच 1895 मे रूस के साथ एक औपचारिक समझौता कर लिया गया। इस समझौते के अतगत यह तय किया गया कि रूस की सीमा लेक विक्टोरिया से पूर्व चीन की सीमा तक है और इसके तथा हिन्दूकुश के बीच का क्षेत्र (जो पहले किसी के अधिकार मे नहीं था) अफगानिस्तान का है।

इस तरह प्रश्न हल कर लिया गया। अब केवल चीन और लहाख व अफगानिस्तान के बीच खाली जगह को ही भरा जाना था। कश्मीर के मानचित्र मे सीमा यारकंद नदी से लगती हुई दिखाई गयी थी जबकि 1878 मे सिकियाग पर अधिकार के बाद अपना क्षेत्र केवल किलिया, कोग्यार और साजू दरें तक ही मानते थे। बीच के क्षेत्र कुएन लुन पर किसी ने अधिकार नहीं जताया। ब्रिटिश तो उत्सुक थे कि चीन अपनी सीमा कश्मीर तक ले आये जिससे रूस को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रा मे प्रवेश का अवसर न मिले। 1889 मे यगहस्वैड ने इन अनधिकृत क्षेत्रा का दौरा किया। उसकी कारवाई ने कश्मीर मे उपस्थित चीनियों को आतंकित कर दिया। ब्रिटिशों को तब बड़ा सुखद आश्चय हुआ जब चीनियों ने यगहस्वैड के उन लोगों के बीच उपस्थिति का विरोध किया जो चीन की सत्ता स्वीकार करते थे। चीन के अधिकार को उत्साहित भी किया गया और स्वीकार भी और 1890 मे लै सडाउन की सरकार न कश्मीर मे अपने कमचारियों को सूचना भेजी कि कराकोरम का पानी का क्षेत्र कश्मीर की उत्तरी सीमा और चीन की दक्षिणी सीमा मान ली जाय। 1892 मे चीन को इम रेखा पर खभे लगाते देखा गया और ब्रिटिश प्रसन्न थे कि एक समस्या समाप्त हुई।

चीन और अफगानिस्तान के बीच खाली पामीर का भाग एक दूसरी समस्या थी। पर यह भी 1895 के आग्ल-रूसी समझौते द्वारा हल की गयी जिसके द्वारा रूस ने इस रेखा को लेक विक्टोरिया के पूर्व मे असली चीनी सीमा तक बढ़ाने

का निणय किया। वैसे तो स्थलीय छानबीन न इन पागजी समझौता को संपादित करने में कठिनाइयाँ पैदा कीं और ब्रिटिशों के लिए इस स्वीकार करने में घाटी कठिनाई भी हुई, पर पागजी निणयो को ही स्वीकार किया गया और 1895 में जो समझौता हुआ उसने उस समय की एक अति महत्वपूर्ण समस्या को समाप्त कर दिया। 'तमाम कठिनाइयाँ के बावजूद 1873 की सीमा रेखा जो आरम्भ के दिनारे दिनारे को बचा जवशन से लेकर विस्टोरिया तक जाती थी और जिसे 1895 में स्वीकार कर लिया गया और जो और आगे बढ़ती गमीर पार करती चीन की सीमा तक चली जाती थी, आज तक बस ही शायम है। आज यह साविमत केंद्रीय एशिया के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा है और भारतीय महाद्वीप से इसकी राजनैतिक सीमा अति निबट है।'<sup>1</sup>

### दक्षिण

लाडल सडाउन फावड स्कूल विचार से जुड़े थे। लाडलिटन द्वारा प्रारम्भ की गयी यह नीति डफरिन के काल से होकर गुजरी। लाडल सडाउन इस नीति का समापन चाहता था जो उसकी इस घोषणा से स्पष्ट है "मैं जल्दी से जल्दी सीमा के बचीलो का मिलाने की भावना की आवश्यकता से अति आवृष्ट हूँ।" पुनः "इधर की घटनाओं ने यह आवश्यक कर दिया है कि सीमा के बचीलो के मामले में निहस्तभेप की नीति का परित्याग कर दिया जाय।"<sup>2</sup> ह्याइटहाल ने उसकी इस नीति का समर्थन किया। गोमाल को इसी कारण खोल दिया गया, क्वेटा की किलेबंदी कर दी गयी और 1892 तक बोलन दर्रे में रेलवे लाइन खोदनी लगी। गिलगिट एजेंसी की पहले ही स्थापना हो चुकी थी। इन तीनों कारवाइयाँ ने स्वाभाविक रूप से काबुल के सदेह को बढ़ा दिया। पर दक्षिण के लोग इससे अधिक परीशान हुए। नवीनतम घोषित अपहरण नीति भी गुप्त नहीं रह सकी और बचीलो के लोगों ने आपस में समझौता करना और योजना बनाने प्रारम्भ कर दी जिसे ब्रिटिश आक्रमण का मुकाबला किया जाय।

1889 में डूरण्ड की हुजा और नागर की यात्रा और इन राज्यों से प्राप्त सूचनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर विद्रोह और विराघ भावना सरदारों में व्याप्त है जो उन्हें दंडित किए बिना काबू में नहीं आ सकती। हुजा के सरदार अली न विशेषकर कठिनाई पैदा की। रूसी अधिकारी ग्रामचेवस्की ने दो बार इस राज्य का दौरा किया। एक फ्रांसीसी छानबीन करने वाला दावज भी इसमें

1 विस्तार के लिए देखें ऐंडर जी० ज० पूर्वोक्त पृ० 206-287 स्थि सन, आधर नाथ वेस्ट फ्रिटियर प० 140-206।

2 वही, प० 208-209 के उद्धृत।

बड़ी रुचि दिखा रहा था। एक हुआकुट शिष्टमंडल ने कश्मीर की यात्रा की और अफवाह थी कि सफदर अली का ओश के रूसियों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। रूसियों की पामीर में उपस्थिति से ब्रिटिश पहले से ही चिंतित थे और यह खतरा था कि हुआ में रूसी सेना न ला दी जाय जो गिलगिट से बहुत दूर नहीं था। 1890 के प्रारंभ से चीन ने हुआ में जो विशेष रुचि लेनी प्रारंभ कर दी उसे भी एक तरफ नहीं रखा जा सकता था। कुछ समय से हुआ और कश्मीर के बीच भेंटे का आदान-प्रदान हो रहा था। अब एकाएक चीन ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि ये भेंटे भेंटे न होकर कर थी और ब्रिटिशों को उसके सहायक राज्य में राजदूत या सेना भेजने का कोई अधिकार नहीं है। 1890 में हुआ और नागर के राज्यों ने एक समझौता किया कि चाल्ट और चबरोत किलो के बीच जाने वाली सड़क को और ठीक ठाक करने का वे विरोध करेंगे। यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में था। सफदर अली ने कहा भी, "ये दो किले हमें अपनी पत्निया के पाजामे की डोरिया से भी अधिक पसंद हैं।"

1891 में यह अफवाह फैली कि इस कबीले के लोग इन किलों पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। मई में डूरण्ड एकाएक गिलगिट से आगे बढ़ा और नागर नेता उज्जखा को चाल्ट का मालिक बना दिया। पर वह यह जानता था कि ब्रिटिशों की इस सफलता ने उहे थोड़ा सा आराम दिया है। दिसंबर 1891 में दोनों सरदारों को दंडित करने के लिए एक नियमित आक्रमण की व्यवस्था करनी पड़ी। सफदर अली और उज्जखा दोनों ब्रिटिशों के सामने भाग खड़े हुए और वहाँ पुनः शांति हो गयी। ब्रिटिशों की यह सफलता आश्चर्यजनक थी क्योंकि यहाँ पर 1895 के चितराल कठिनाई और 1897 के ददिलस्तान के ऊधम के समय भी शांति बनी रही।

पर हुआ पर आक्रमण ने चीनियों को खिन्न कर दिया और उन्होंने ब्रिटिशों से अपने सहायक राज्य में उपस्थिति के कारणों की मांग की। पामीर के रूसी उपस्थिति के कारण ब्रिटिश चीनिया से अनबन नहीं करना चाहते थे और लैस-डाउन के कहने पर अतएव एक समझौता किया गया जिसमें हुआ पर कश्मीर की सत्ता को स्वीकार करते हुए वहाँ पर चीन के हितों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

ऐसी ही कठिनाई चिलास में भी व्याप्त हो गयी जो गिलगिट को घेरे हुए था और जिसकी भैत्री गिलगिट की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। चिलास ने अपने क्षेत्र में कश्मीर के प्रतिनिधि की हत्या कर देने की चेष्टा की। सिंध के निकट थोड़े से गोरालों ने 1891 में ब्रिटिशों से चिलास बचाने का विवेक किया। यह अत्यन्त उत्तम अवसर था। एक छोटी-सी सेना गोर भेज दी गयी और चिलास के किले पर अधिकार कर लिया गया जबकि कश्मीर की सरकारी सेना को रक्षाथ छाड़ दिया गया। मार्च 1893 में 1000 कबीलों का चिलास पर आक्रमण

आसानी से पराजित कर वापस कर दिया गया और कश्मीर के सैनिक किले पर अधिकार किये रहे।

पर चितराल के अमानुलमुल्क और जादुल के उमरा खाने एक अधिक गभीर समस्या उत्पन्न कर दी। जादुल की मित्रता इसलिए आवश्यक थी क्योंकि चितराल के लिए यही से होकर एक छोटा रास्ता जाता था। चितराल से उत्तरी दरों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कहा गया। अमीर अब्दुल रहमान जादुल क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर कुदृष्टि रखता था जिसे ब्रिटिशों को रोकना था। पर साथ ही अमीर से सन्ध भी बुरे नहीं बनाये जाने थे क्योंकि उस पर उत्तरी दरों की सुरक्षा तो निर्भर ही करती थी साथ ही उत्तर-पश्चिम सीमा की भी। सरदारा की इस आपसी द्वन्द्वता ने लैसडाउन सरकार को काफी परीक्षण कर रखा था।

1892 में सोमा पर स्थिति तनावपूर्ण थी। पर अगस्त 1892 में चितराल के अमीर अमानुलमुल्क के मरने के काल तक यहाँ शांति बनाये रखी गयी। अमान ने अपने पुत्र निजामुलमुल्क को अपना उत्तराधिकारी बनाया था पर उसके दूसरे भाई अफजलुलमुल्क ने गद्दी छीन ली और निजाम को भागकर गिलगिट में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटिश इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे इसीलिए अफजल को उहोने स्वीकृति प्रदान कर दी। पर अफजल अधिक दिना तक शासन नहीं कर सका। वह एकाएक अपने चाचा शेर अफजल द्वारा आक्रमण कर मार डाला गया। चितराल में प्रस्तुत अनवरत अव्यवस्था को ब्रिटिश अपने लिए खतरनाक मानते थे क्योंकि वे यह सोचते थे कि कहीं रूसी पामीर में हस्तक्षेप न करें। इन परिस्थितियों ने गिलगिट के ब्रिटिश एजेंट डूरण्ड ने सोचा कि तुरन्त कारवाई आवश्यक है। इसलिए वाइसराय से स्वीकृति में समय न बबाद कर वह सेना लेकर चितराल पहुंच गया। अफजल अफगानिस्तान भाग गया और निजाम को पुन गद्दी प्राप्त हो गयी। नये शासको को अपने पड़ोस में रूसी कारवाइ की आशंका ध्यान दान और तत्सन्ध में ब्रिटिशों को सूचना देते रहने को कहा गया और इसके बदले में ब्रिटिशों का आर्थिक सहायता के लिए आश्वस्त किया गया। उसने आवश्यकता पडने पर ब्रिटिश अधिकारियों का स्वागत करने को भी कहा। पर वह स्वयं जनता में अलोकप्रिय था जिसके कारण पूरे राज्य में राजनैतिक स्थिति पहले की ही भांति असतोपजनक बनी रही। अफगानिस्तान में अफजल खा की कारवाइयों पर भी दृष्टि रखनी थी और उम्र खा की विश्व स्तता भी भरोसे की नहीं थी। पर फिर भी शांति कुछ काल तक चलती रही और 1894 में लैसडाउन के भारत छोडने के पहले यह सूचना भेजी गयी थी कि चितराल और चितराल दोनों स्थानों से जल्दी ही ब्रिटिश सेना वापस बुला ली जाय। लैसडाउन के उत्तराधिकारी लार्ड एल्गिन न भी इस नीति को स्वीकार किया और गिलगिट में भी सेना घटाने की घोषणा की गयी।

पर ब्रिटिशों ने दक्षिण में अग्रिम धोरों से वापसी से पूर्व यह चाहा कि पामीर पर हमी घतरे का कोई-न-कोई समाधान हो जाय। 1895 में इस समस्या के समाधान हो जाने के बाद, चित्तूराल से सेना वापसी की तैयारियां हो गयीं। पर ब्रिटिश सेना यहां से हट कि पटाओ 1 तबो से मोड़ लिया। 14 मार्च को यानी रूस से पामीर समझौते के ठीक तीन दिन बाद 15 हजार ब्रिटिश सैन्यो को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया क्योंकि एक छोटी-सी ब्रिटिश सेना चित्तूराल में घेर ली गयी थी। यह पटाओतब हूई जब त्रिजाभुलमुल्क की हयात के भाई अमीरनुमुल्क न कर दी। शेर अरान का सोवप्रिय या अफगानिस्तान में चित्तूराल की ओर रवाना हुआ। उग्र या एराएक चित्तूराल के दक्षिण की ओर प्रवृत्त हुआ और चित्तूराल का किला घेर लिया गया।

चित्तूराल के पास के आकार की एक छोटी जगह, पेगायर से लगभग 200 मील दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जिनमें से सबसे ऊंचा 20 हजार फीट का था, घिरा हुआ, भिन्न भिन्न अस्सों हजार लोगों की बस्ती वाला जिसमें मुसलमान भी थे, एक समस्या हो गया। इसकी सामरिल महत्ता यह थी कि यह हिन्दूकुश पर्वतमाला के जल-धोरों से 47 मील ही दूर था जहां से एक आबसत की ओर पानी बहता था और दूररी ओर भारत की ओर। इस रूसी महत्वाकांक्षा से भी बचाया जाना था जिसके कारण ब्रिटिश पहले भी बेचैन रह चुके थे।

400 ब्रिटिश सैनिक जिनका नतत्व राबटसन कर रहा था, शेर अफजल और उग्र यां के नेतृत्व में कबोली की सेना द्वारा किले में घेर लिये गए थे। राबटसन को आगाह कर दिया गया कि वह किला छोड़ कर दे या परिणाम भुगतने को तैयार रहें। किले पर बार-बार आक्रमण किये गये पर कठिनाइयों के बावजूद राबटसन वहां जमा रहा। सहायता के लिए सूचनाएं भिजायी दी गई। नोबेरा से सर राबट सो के नतृत्व में और गिलगिट से कनल जी०जे० वेली के नतृत्व में सेना रवाना हुई। लो मोरा, शाहकोट और मालकद दरों को पार करता हुआ मालकद से स्वात घाटी की ओर जाने वाली सड़क को सुरक्षित करता हुआ आगे बढ़ा। मालकद में 2000 कबोली के लोग मार डाले गये और 90 हजार तिसर वितर कर दिये गये। लो ने स्वात और पजकोरा नदियां पार कीं। दीर के घान ने हर तरह की सहायता की। मुडा में उग्र या के किले पर अधिकार कर लिया गया और सरदार स्वयं अफगानिस्तान भाग गया। वेली भी 220 मील की यात्रा करता पहाड़ों, दरों और नदियों से जूझता आगे बढ़ा। राबटसन के पास सहायताथये लोग तब पहुंचे जब वह और उसके साथी भूख की पराकाष्ठा पर थे। चित्तूराल में शांति पुन स्थापित हो गई और एक छोटे बच्चे शुजाउलमुल्क को यहां का शासक बना दिया गया।

अब पुन यह प्रश्न उभर कर सामने आया कि इतने बलिदानों के बाद क्यों चित्तूराल से सेना वापस बुला ली जाय या उसे वहां रहने दिया जाय। लाइ एलिंग

ने सेना बहा बने रहने देना ही उचित माना क्योंकि चित्तराल की रक्षा गिलगिट की ओर से सुविधाजनक न थी। यह प्रस्तावित किया गया कि दीर सड़क को स्थायी रूप से खोल दिया जाय और पूण लम्बाई में इमकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। यदि ब्रिटिश चित्तराल छोड़ देते तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी आच आती और उस क्षेत्र में अफगानों का पडयत्न भी बढ जाता। पूरी समस्या का पुनःपरीक्षण किया गया और एल्गिन ने अपने विचार इंग्लैंड की उदार सरकार के पास भेजे। पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पामीर समझौते के बाद चित्तराल में ब्रिटिश सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह एक बार पुनः सेना की वापसी के आदेश दिये गये।

पर सैनिकों की वापसी के पूर्व ही स्थिति ने एक और नया मोड़ लिया। जून 1895 में ही उदार सरकार ने एल्गिन के प्रस्ताव को नकार दिया था और अगस्त में उह स्वयं ही सरकार से हाथ धोना पडा जिससे 'फावड नीति' को पुनः प्रोत्साहन मिला। लाड कजन, जो इसी विचारधारा का था, ने यह घोषणा की कि "यदि आप एक बड़ी शक्ति से सीमा के मामले में समझौता कर चुके हैं, तो एक पक्ष ही अपनी ओर से भाग खडा नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में अधिकार और प्रभाव बनाये रखना चाहिए।" इसका अर्थ है कि रूस से पामीर समझौते के बाद चित्तराल से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी उचित नहीं है। इस तरह 1895 का चित्तराल समझौता अपरिवर्तित बना रहा।

लैसडाउन अतत 1894 में इंग्लैंड वापस लौट गया। 1895 में उसे लाड सैलिसबरी ने युद्ध का सेक्रेटरी आफ स्टेट बनाया और 1900 में विदेश सचिव। विदेश कायालय में लैसडाउन का प्रमुख कार्य 1902 में जापान से स्थापित मैत्री तथा 1904 की आंग्ल फ्रेंच मैत्री थी। 1903 में वह हाउस आफ लाडस में अनुदारवादी दल का नेता बना। उसे प्रथम विश्व युद्ध में बिना पोटफोलियो के मंत्री का पद प्रदान किया गया। 1927 में 82 वर्ष की आयु में वह एकाएक मर गया।

1 हेल्डर जी० जे० पूर्वोद्धत प० 297, स्विसन आथर नाथवस्ट फटियर-  
प० 207 231 ।

## लार्ड एलिंग (1894-1899)

एलिंग के बाटवें अर्न जेम्स वून के नववने बड़े पुत्र निकर अनेइवे डर वून का जन्म 16 नवें 1849 को हुआ। उनकी मा नेरी लुइसा लम्बेजेन डर वून के प्रथम अर्न की पुत्री थीं। उनको शिक्षा नेनालनाड और ईटन में हुई। अनेने निहा की लड़किले 1863 में प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्ति के बाद उनने उदार राजनीति में प्रारम्भ का दिशा और वह स्कॉटिश लिबरल एग्रीकल्चर का प्रेसिडेंट हो रना। 1876 में उनने साठवेंक के 9वें अर्न की पुत्री कार्लिन्ने नेरी ने दिवंगत किया। 1886 के अन्त मणिपल काल में लंडन में उनने हाउस होल्ड का कौन्सिलर नियुक्त किया और जब 1892 में उदारवादीको को सरकार देने में एलिंग को भारत के वाइसराय का पद प्रदान किया गया।

### आन्तरिक स्थिति

लार्ड एलिंग भारत 1894 में पहुँचा। उसका प्रारम्भ का काल भारतीय इतिहास का अत्यधिक विपत्तिपूर्ण काल बनाया जाता है। उसके काल में अत्यधिक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, दल दहला देने वाले प्लेग ने अन्त कृषि और पैदाशी की सीमा घुट्ट हुए और भारतीय रुपये की क्रय शक्ति घट गयी। लोगों ने अह भरते और कष्ट सह्य सरकार न अनेने बश भर सहायता की पर लते अन्त समाप्त रना। इस सबका मक्षेप यहा पर दिया जा रहा है।

एलिंग के देश में प्रवेश करते ही गभीर घाटे ने उसकी धोर धरना प्रारम्भ कर दिया। कपास की छोडकर पुरानी 5% वाली चुगी प्रदेशक भागातिन वस्तु पर फिर न लगा दी गयी। पर ममत्स्या का पत्र भी समाधान नही हुआ जिसके कारण कपास की भी चुगी के दायरे में लाना पडा। पर यह सब भारतीय वस्तुओं के सुरक्षाय या मैनचेस्टर के विरोध में नही किया गया था। इसी तरह का कर भारतीय मिलो की वस्तुओं पर भी लगाया गया जिसके कारण भारतीय उत्पादको को और सबसे अधिक हानि हुई। 1895 तक रुपये की कीमत गिरती ही गयी जिमके बाद इसमें कुछ स्थिरता के लक्षण दिखे। पर भी 1 सितम्बर 4 1895



इसका दाम बनाये रखा गया। दूसरे वष आयात और आरक्षारी पर कर 3½% घटा दिया गया और इस तरह कुछ कान के लिए आर्थिक समस्या का समाधान कर दिया गया।

1896-97 में वर्षा न होने से ब्रिटिश भारत में ही केवल 2,25,000 बग मील के क्षेत्र में सूखा पड़ गया। 16 करोड़ 20 लाख लोग भूख और मृत्यु के शिकार हो गए। इसमें से 1,25,000 बग मील में और 3 करोड़ 20 लाख लोगो पर सूखे का अति गभीर प्रभाव पड़ा। सरकार ने राजस्व कर माफ कर दिया और उच्च सहायता पहुंचाई जिसमें सरकार का 55 लाख स्टैलिंग व्यय हुआ। पर फिर भी मानव-जीवन की हानि सबसे अधिक हुई। इस सम्बन्ध में जांच के लिए पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टीनेंट गवर्नर सर जेम्स लायल को नियुक्त किया गया।

इसी समय, जब देश दुर्भाग्य से परोक्षान था, मभवत हागकाग की जहाज पर अनाज के साथ आय चूहा के साथ देश में प्लेग ने प्रवेश कर लिया और बम्बई में यह भीषण रूप से प्रकट हो गया। 1896 के शरद में प्रकट होकर फरवरी 1897 तक इसने ढाई लाख लोगो को शहर छोड़ देने के लिए बाध्य कर दिया। सरकार ने इस बीमारी के नियंत्रण और रोक के बड़े उपाय किये। सूई, गह निरीक्षण, रोगानुनाशन और पथक्करण आदि तुरन्त आयोजित किया गया और उसे कायरूप में परिणत किया गया। इतने कड़े उपायों का जो सरकार ने किया, जनता ने विरोध भी किया। उनका यह सोचना था कि यह बीमारी विदेशी सरकार ने जान बूझकर थोपी है और वे अपने एजेण्टों से उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। 1897 में पूना में दो ब्रिटिश अधिकारियों को प्लेग से बचाव काल में ही मार डाला गया। मार्च 1898 में बम्बई में जनता ने दगा कर दिया। भापाई समाचार पत्रों ने सरकार के कारवाइयों के विरुद्ध आवाज उठाई जबकि सरकार जनता की भावना को न समझने का प्रयास करत हुए और कड़ी हो गयी और उसने पढ्यतकारी प्रकाशन के लिए नियम और कड़े कर दिए। बाद में आगे चलकर 1898 में सरकार को अपनी बेवकूफी समय में जाई और यह समझते हुए कि जनता की कठिनाया उचित है और उनसे अज्ञानता का कोई सबध नहीं है। सरकार ने कारवाई में कुछ उदारता को स्थान दिया जिसके मचमुच अच्छे परिणाम हुए।

एलिंगन के शेष काम के विषय में साधारण सदन ही आवश्यक है। 1895 में सेना में एक सुधार किया गया। तीनों प्रेसीडेंसियों के लिए अलग-अलग सेना पतियों के स्थान पर अब एक सेनापति बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 लेफ्टीनेंट जनरल नियुक्त किये गये। इनमें से एक एक बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा पंजाब व उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए हुए। एक प्रशासकीय सुधार के

अतिरिक्त इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने भारत की एकता को स्वीकृति प्रदान की।

लाड एलिंगन का एक अय बाय राज्य के बाय क्षेत्र में देश में अफीम के तैयार करने का था। इसके लिए देश में बड़ा विरोध हुआ और यह कहा गया कि इससे प्राप्त आय अनैतिक है। कहा गया कि अफीम की विक्री केवल औपधि क्षेत्र तक ही सीमित रहनी चाहिए। संसद के एक ऐक्ट के अनुसार 1893 में एक जायोग नियुक्त किया गया जिसने 1895 में इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दी। इसमें विरोध करने वाला की बात को अस्वीकार कर दिया गया। तब में यह बताया गया कि यह चीन का काम है कि वह देखे कि उसे भारत से अफीम मगानी चाहिए या नहीं। यह भी कहा गया कि इस घड़ी इस आयस्रोत का त्याग अत्यधिक कठिन काम है। अफीम के विरुद्ध कारवाई करने और आंदोलन करने वाले इससे सतुष्ट नहीं हुए और उहाने अपना विरोध जारी रखा जिसका सुफल उह मिला, पर एलिंगन के वापसी के काफी बाद।

### पठान विद्रोह

लिटन द्वारा दक्षिण में अपनाई गयी 'फावड़ नीति' लाड लैं सडाउन और एलिंगन के काल में समापनावस्था को पहुंचा दी गयी। सीमा बंदीलो के विषय में निहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया और उनको मिलाने का काम तेजी से चलता रहा। पर इस नीति का जो परिणाम हुआ, जो बाद में सामने आया, वह कड़वा था। यूनान और तुर्की के युद्ध में ब्रिटिशों के तथाकथित धोखा देने से तुर्की का शासक सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय आग-बबूला हो गया। काबुल का अमीर भी डूरण्ड पत्रिक से सतुष्ट नहीं था। अफगान सीमा पर ब्रिटिशों की युद्ध जैसी कारवाई ने अमीर के सदेह को और बढ़ा दिया और वह अफगानिस्तान ही में ब्रिटिश आक्रामकता का सदेह करने लगा।

इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं हुआ जब दक्षिण में अमीर और सुल्तान दोनों प्रकट हुए और कट्टर मुल्लाओं के कानों में उत्तेजक अफवाह फैलाई जाने लगी। उनमें से एक "पागल मुल्ला या 'स्वात का मुल्ला'" एकाएक जुलाई 1897 में प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। पागलपन की सीमा को छूने वाली अफवाहें फल गयीं कि मुल्ला के पास अपार शक्ति है। वह गांव गांव 13 वर्ष के एक बच्चे को लेकर घूमने लगा जिसे वह बताता कि, "यही एक दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी बचा है।" यह मुल्ला कुछ और कट्टर तत्वों के सपक में था। विशेषकर वजीरिस्तान के मुल्ला पोविदा और हद्दा के मुल्ला से उसके संबंध थे। अनजान जनता में खूब प्रचार था और यह कहा जाने लगा था कि स्वात का मुल्ला ब्रिटिशों को चकदारा और मालकद से थोड़े ही समय में खदेड़ देगा। हजारों उसके साथ हो

गये। उनके पास तलवारें और राइफले थी जिसका अर्थ था शीघ्र ही आगे बढ़ा जायगा। 1895 में जो शांति दस्तावेज़ में स्थापित की गयी थी वह एकाएक 1897 में टूट गयी। 'फावड नीति' सचमुच अपना प्रभाव दिखा रही थी। 'फावड स्कूल' के लोगो को सीमा पर उदार नीति त्यागने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। एल्गिन की चितराल में बने रहने की नीति, दीर होकर सड़क से जाने का प्रयास, कबीले के सरदारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता आदि केवल दो वर्ष तक आगे चल सकी।

अफ़रीदियो, स्वातिया, उत्तम खेला मोहमदा और सालारजाइया में शांति स्थापना के लिए नयी सत्ता द्वारा आक्रमण करना पड़ा। ब्रिटिशों को लड़ी कोटल और दरगाई की ऊचाइया पर बड़ी हानि उठानी पड़ी। हजारों कबीलों के लोगो को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 50 हजार सेना पूरे अशांत क्षेत्र में फैला दी गयी जिनमें एक के बाद दूसरे गांव को जना डाला, घर बर्बाद कर दिए, खड़ी फसलें तहस-नहस कर दी। शांति फिर स्थापित हो गयी।

1897 के झगड़े फसाद ने पुनः विवचनाथ एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या 'फावड नीति' अच्छी है या नहीं। 'लाग पूछने लगे कि क्या इसमें कोई बुद्धिमानों है कि मैदानों के पठानों पर वैसे ही शासन करने की चेष्टा की जाय जैसे कि वे यूरोपीय हैं। जबकि पहाड़ों के पठान अब भी पुराने जमाने के कबीलों की दशा में थे? क्या यह किसी उपयोग का था कि एक से हथियार रखा लिय जाय जिससे दूसरा पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटे? क्या ब्रिटिश 'याम प्रणाली' सर ओलाफ कैरो के अनुसार थी जिसमें कहा गया कि, "इसके वकील और इसकी अपीलें और इसके यूरोपीय अपराध मूल्यों को पार कर जाते हैं।" और प्रशासन क्षेत्र में कोई भी उनका काय कर सकते हैं? "इसका मुख्य उद्देश्य पर्वतों के स्वतंत्र और सुंदर जीवन पर जोर देना था।" 1 आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने और भत्ता प्रदान करने की नीति, जिसे मुवाजिव भी कहा जाता था, पर जिसे इसके आलोचक 'अप्रत्यक्ष भयादोहन' की नीति कहते थे भी विरोध का शिकार हुई। पिछले सघष में ब्रिटिशों को 70 लाख पौण्ड व्यय करना पड़ा था और कम से कम 800 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा था। क्या ऐसी सीमा का ब्रिटिश प्रशासन में बनाये रखना आवश्यक था? राबट्स जो जबतक इंग्लंड वापस आ गया था, उसने 1898 में हाउस आफ लार्ड्स में 'फावड नीति' पर विवाद का प्रारम्भ किया। उसने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि, "यह इस अपरिवर्तनीय तथ्य के कारण आवश्यक है कि बड़ी सैनिक शक्ति हमारे भारतीय अधिकार क्षेत्र के माथे पर निकट ही खड़ी है और यह किसी भी समय उसके लिए समस्या बन सकती है

जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है।”<sup>1</sup> पर अपने वहद अनुभव के बावजूद यह बड़ा बुजुग सेनापति सत्य से थोड़ा हटा हुआ लगता था। लम्बे अर्से से (1849) कबाइलियों से सपक के बावजूद ब्रिटिश अब भी इनका चरित्र नहीं समझ पाये थे।

“उत्तर पश्चिम सीमा का नाम आने पर ससद में इतने भावपूर्ण, गदे और आलोचनापूर्ण भाषण प्रारम्भ हो जाते कि तक और तथ्य तक पर रख दिए जाते। ‘फावड नीति’ पूरा दिन ले लेती।” और एक ही वष में यह घोषित कर दिया गया कि सबसे अधिक ‘रूस फोबिया’ से ग्रस्त सर हेनरी रॉलिंसन के शिष्य भारत वाइसराय बनाकर भेजे जा रहे हैं। 39 वर्षीय इस व्यक्ति का नाम था जाज नथानियल वजन। इस उच्च पद को प्राप्त करने वाला वह सबसे असाधारण व्यक्ति था।

1899 में एल्गिन अपने पद से मुक्त हो गये। इसके बाद उन्हें गार्टर का नाइट बना दिया गया। शीघ्र ही उन्हें एक के बाद एक दो रायल कमीशना का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 1905 में उन्हें उदार मंत्रिमंडल में उपनिवेश सेनेट्री बनाया गया। इसी समय बिटसन चर्चिल ने उसके नेतृत्व में अडर सेनेट्री के रूप में कार्य किया। 1910 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गयी। 1913 में उन्होंने जरटुड लिलियन से दूसरा विवाह किया जो एक सैनिक अधिकारी की विधवा थी। उन्होंने और कई उत्तरदायी पद प्राप्त किए। 1917 ई० में 68 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गयी।

1 स्विटसन आयर पूर्वोद्धृत पृ० 253 से उद्धृत।

2 वही पृ० 254।

## लार्ड कर्जन (1899-1905)

अपनी वाक्पटुता और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध, केड नेम्टन के वॉरन कजन का जन्म 1859 म हुआ। ऊंचे कुल म जन्म होने के कारण, बताया जाता है, वह वचन से ही श्रेष्ठता भाव से ग्रस्त था। आक्सफर्ड जहा उसने शिक्षा पायी, उसके साथी उसके विषय म निम्न पकितया कहा करते थे—

"जाज नथानियल कजन मेरा अभिधान,  
 मैं समाज का सर्वाधिक उत्कृष्ट प्राप्त हू व्यक्त महान,  
 केश प्रसाधित रक्तम पाटल से हैं मेरे लोल-कपोल,  
 सप्त दिना म एक बार ब्लेनहम होटल म अशन मडोल।"

1886 म 27 वष की आयु म वह ससद सदस्य चुन लिया गया। यहा उसने एशिया और भारत के संबध म पर्याप्त अनुभव और जानकारी प्राप्त की। उसने काफी समय तक भारत के अडर सेक्रेट्री आफ स्टेट के पद पर काय किया। वह भारत चार बार आया और इसकी खूब यात्रा की। उसने एशिया की समस्याआ को लेकर तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। वह एशिया के शासकी से मिला और उनके देश व समस्याआ के विषय म जानकारी प्राप्त की। भारत मे गवर्नर जनरल बनकर आने से पूर्व उसने भारत की उत्तर-पश्चिम समस्या को बृहद जानकारी प्राप्त की। 1898 मे उसके नियुक्ति की घोषणा की गयी। वह कलकत्ता जनवरी 1899 म पहुचा। फेजर ने लिखा है कि, "जिस अवसर को छिप छिपकर वह कामना करता था वह अतत आ ही गया।"<sup>1</sup>

उसकी नयी नियुक्ति को लेकर भारत मे तरह तरह की बातें कही गयी, कुछ तो पक्ष मे और कुछ विपक्ष मे। उदाहरणार्थ डेसी ग्रैफिक ने लिखा कि सरकार और भारत के लोग "इससे बहुत लाभित हागे।" पर लिवरपूल मकरी के अनुसार उसमे "युवाआ के स्वभाव के बहुत से दोष थे।" सैंटडॉ रियु ने लिखा कि "उसकी विद्यामहीनता और दप 'हमारेलिए' "भारत मे कष्ट लावेंगे।"

1 फेजर लोवट इंडिया अडर साइड कजन ऐंड बायटर 1911।

2 रोनाल्डशे अर्ल आफ द लाइफ आफ साइड कजन भाग 2 प० 295।

### आन्तरिक प्रशासन

उत्तर-पश्चिम सीमा समस्या एव कृषि, सिंचाई, रेलवे, पुलिस, शिक्षा, लोक-प्रिय राजनैतिक विद्रोह आदि से सबधित समस्याओं के अतिरिक्त कजन की भारत में सबसे प्रमुख दोन प्नेग और दुभि न क्षेत्र में ये जिसके कारण पुरानी अनुपयुक्त नौकरशाही ने "प्रशासन के सामने एक नयी और परीक्षा करनेवाली समस्या रखी जिसके लिए आवश्यक और कठोर औपधि की आवश्यकता थी।"<sup>1</sup>

अगस्त 1896 में यह सही पता चला कि बम्बई नगर में गिल्टी वाला प्लेग फैल गया है। यह वह काल था जब इस बीमारी के विषय में न तो सरकार को ही जानकारी थी और न ही जनता को। यह 1905 के प्लेग आयोग से ही पता लगा कि यह बीमारी 1896 में हागकाग से अनाज के साथ चूहों के साथ आ गयी। बीमारी चूकि अधिकतर भारतीयों में फली, जनता ने यह समझा कि इसे यूरोपीय ले आये हैं। उनका यह विश्वास इसलिए और जोर पकड़ गया क्योंकि बीमारी के विषय में न जानने के कारण, इसे रोकने के लिए बम्बई की साड सडहस्ट की सरकार ने कठोर कदम उठाने प्रारम्भ किये। बीमारी के क्षेत्र से लोगों को निवातना, मुई लगाना, व्यक्तिगत निवासों की जाच जिसे तीव्रता और कठोरता से किया गया आदि—इस सबसे जनरोप में बढ़ि हुई और लोग य कहने लगे कि उनके व्यक्तिगत जीवन में हम्नशेष किया जा रहा है और उनकी महिलाओं की इज्जत खतर में है। प्लेग के विरुद्ध किये गये और प्रयास न जन अमतोप का और बढ़ाया। हिंदू और मुसलमान सभी असतुष्ट हो गये। माच 1898 में मुस्लिम जुलाहा ने विद्रोह कर दिया जिसमें कई को गोली मार दी गयी। दो ब्रिटिश अफसरों सेपटीनट आयस्ट और रैंड जो विशेष प्लेग इयुटी पर थे, मार डाल गये। फिर भी यह बीमारी बम्बई से देश के और भागों में फैलती गयी और 1911 की जनगणना से पता चला कि लगभग 80 लाख लोग देश में प्लेग की बीमारी से मर गये।

पर देश में मुसीबत साने के लिए केवल प्लेग ही नहीं था। प्लेग के बाद दुभिप पड़ गया और कही-कही पर दुभिप के बाद प्लेग। इसने बाद इन्प्लूम का और मलेरिया की बारी आयी। सच पूछा जाय तो 1896 से 1900 के बीच का भारत कष्ट का भारत था जिसमें करोड़ों न कष्ट सहा और लोगों ने जान गवाई। पूरे भारत में 1896-97 के बीच पानी नहीं बरसा। केवल बंगाल इसका अरवाद रहा। सर जेम्स लायल के नेतृत्व में एक आयोग बंटाया गया। पर सरकार इन सस्तुतियों पर विचार करती कि इसी समय पूरे देश में गूठ का आगमन हा गया 'जो सीमा और गहनता दोनों में पिछन 200 वर्षों में नहीं देखा गया था।' 1899-1900 का दुभिप 1896-97 के बाद जल्द ही आ गया जिसमें 4 लाख बग मौत

1 पोनासको अर्न आर द साइक ऑफ साड कजन धाप 2 पृ० 291।

का ब्रिटिश भारतीय तथा भारतीय राजाओं का क्षेत्र प्रभावित हुआ। गुजरात और बड़ौदा की दुर्गति हाँ गयी। तथ्य में भोजनाभाव तथा साथ ही काय की भी कमी ने कठिनाइयाँ बढ़ा दी। जो रेलवे लाइनें बनी थी उनका उद्देश्य सामरिक था आर्थिक और सामाजिक नहीं था इस कारण उनसे भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। पानी की भी कमी थी, और लोगों के पास भोजन, जानवरा के चार तथा वह सब सामग्री जिससे खादमी औरत और पशुओं का पट भर सकता, उपलब्ध नहीं था। लग सैकड़ों-हजारों में मरने लगे। सरकार असहाय, चिड़चिड़ेपन, बेवकूफी और लापरवाही से इसे देखती रही। दुर्भिक्ष प्रशासन प्रांत का मामला होने के कारण कुछ प्रांत न तो फजूलखर्ची का प्रदर्शन किया तो कुछ ने हाथ बँधीकर दाय किया। कुछ तज में तो कुछ घीमें। 1883 के दुर्भिक्ष के नियमों में मिट्टा-ता का अनुपालन परिश्रम और ईमानदारी से नहीं किया जा रहा था। लाड कजन के प्रभावित क्षेत्र में दौरा ने दुनिया में इन स्थानों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और भारतीय सरकार इन मुसीबतों के उत्तरदायित्व के लिए आलोचना का पात्र बनी। बहुत से आलोचकों का तो यह कहना था कि सरकार की राजस्व कर नीति ने जनता के पास अपनी सहायता के लिए कुछ शेष रखा ही नहीं जिससे दुर्भिक्ष की स्थिति देश में और तीव्रतर हो गयी। दुर्भिक्ष सहायता की कारवाई रुक रुककर चलायी गयी।

इस दुर्भिक्ष के कारण देश की बड़ी हानि हुई। गुजरात में तो पूरा गोवश ही समाप्त हो गया। केवल ब्रिटिश भारत में ही व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या 15 से 20 लाख के बीच बतायी गयी। तथ्यगत हानि तो और रही होगी। यदि इसमें भारतीय राजाओं के राज्य को जोड़ दिया जाय तो यह हानि और बढ़ जायेगी।

### दुर्भिक्ष से बचने के उपाय

स्पष्ट था कि कजन कौन सा प्रशासकीय पथ अपनायेगा। मार्च 1905 के अपने बजट भाषण में उसने कहा “हम पूरे क्षेत्र में सावधानीपूर्वक ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि हम पुनः इस तरह की कठिनाई” से निपट सकें।

लाड कजन ने एंयनी (बाद में लाड) मैकडानेल के नेतृत्व में दुर्भिक्ष पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। 1901 में उसे रिपोर्ट मिली जिसमें सहायता काय प्रणाली में कुछ दोष बताकर सुधार के लिए कुछ तरीकें सुझाए गए थे। यह बनाया गया कि ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जनता में नैतिक बल पैदा किया जाय जो नैतिक सामरिकता की नीति द्वारा तीन तरह से किया जा सकता है जैसे पहले तो इस अवस्था के आते ही राजस्व कर की बसुली को स्थगित कर दिया जाय, दूसरे दुर्भिक्ष के विरुद्ध सहायता काय शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया

जाना चाहिए और शीघ्र बीज और पशु खरीदने के लिए रुपये बाटा जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस आयाग ने यह भी सस्तुत किया कि सरकार को गैर सरकारी सहायता को उत्साहित भी करना चाहिए और आमंत्रित भी करना चाहिए, गावों में निर्माण काय प्रारभ कर देना चाहिए, रेलवे लाइना को और बढ़ाना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि करनी चाहिए और वृषको के लाभ के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए । यह पहली बार सस्तुत किया गया कि सरकार को पशुओं के चारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रभावित क्षेत्र से इन्हें निकलवाना भी चाहिए । इस तरह की सस्तुतिया थी जिनके आधार पर दुर्भिक्ष कोडों में परिवर्तन किया गया ।

### कृषि सुधार

कृषि की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था । सरकार चूँकि मात्र भू राजस्व में रुचि रखती थी इसलिए इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोगों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया था । लार्ड कजन ने पहली बार इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया और इस सबध में कुछ सुधार भी किये । वैसे य सब उसके काल में ही प्रारभ नहीं हो गये, पर भविष्य के लिए इससे दिशा निर्देश तो प्राप्त हुआ ही ।

इस क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण सुधार भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में था । इसके सबध में एल० फ्रेडर ने लिखा है "लाड कजन ने भारत के राजस्व प्रशासक में अपने काय द्वारा एक प्रतिष्ठापूर्ण जगह अर्जित की ।"<sup>1</sup> इस प्रथा में कई गंभीर दोष थे । इनमें सबसे प्रमुख तो था अत्यधिक औपचारिकता और भीस्तापूर्ण काम । बंदोबस्त अधिकारियों में यह अवधारणा ही पायी जाती थी कि कर की दरें बढ़ा दी जाय । कुछ प्रांतों में कर बसूली में बड़ी बढाई की जाती थी और वृषक बुरी तरह परीक्षण किये जाते थे । लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि दुर्भिक्ष पानी के अभाव में उतना नहीं पडता जितना कि सरकार के जनता से बठोर भाग्य के कारण । यह मत हो सकता है बढा-चढाकर बहा गया हा पर कजन का इनस सबधित उत्तर सतोपजनक नहीं था ।

दिसम्बर 1900 में 11 पद निवृत्त भारतीय सिविल सेवाओं के अच्छे अधिकारियों ने, जिनमें से 10 अंग्रेज और एक भारतीय था, सप्रेट्री आफ स्टेट के पास एक स्मरण-पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने तत्कालीन राजस्व प्रशासन में दोष गिनाये । उन्होंने सस्तुत किया कि (1) भू राजस्व की भाग जहाँ पर किसान को सीधे लगान देना हा लाभ के 1/2 से अधिन नहीं हाना चाहिए । पर इसमें स



किसान के कृषि व्यय निकला होना चाहिए, (2) जब जमींदार के माध्यम से कर लिया जा रहा हो तो यह 1/2 होना चाहिए। (3) जमीन का बन्दोबस्त 30 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए (4) किसान के लगान में तभी वृद्धि होनी चाहिए जब कीमतें बढ़ जाने के कारण या सरकार द्वारा दी गयी सिचाई सुविधाओं के कारण भूमि की कीमत बढ़ गयी हो, और (5) भूमि पर स्थानीय कर 10% से अधिक कतई नहीं बढ़ना चाहिए।

लाड कजन की सरकार ने उपरोक्त स्मृति पत्र का उत्तर अपने 16 जनवरी 1902 के भूमि प्रस्ताव में दिया। उन्होंने प्रथम दो बातों पर कोई नियम बनाने से इनकार कर दिया। तीसरी बात के लिए एक सतकतापूर्ण उत्तर दत्त हुए कहा गया कि यह कोशिश की जायेगी कि 30 वर्षों से कम के बन्दोबस्त को समाप्त कर दिया जाय। चौथे प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया गया जबकि पाचवें के विषय में कहा गया कि इसपर पहले से ही कार्य हो रहा है। राजस्व वसूली में और अधिक ढिलाई बरतने को कहा गया और जहाँ पर स्थानीय क्षत्रों में पतन हुआ हो वहाँ कर में कमी करने पर भी विचार करने को कहा गया। भारतीय प्रतिनिधि आर० सी० दत्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 'लाड कजन ने इस विषय पर एक राजनीतिज्ञ की दृढ़ता का महत्वपूर्ण परिचय दिया।' पर बाद में उसने लिखा, यदि इस सबमें ब्रिटिश ताज ने कुछ स्पष्ट और काम-काजी सीमाएं रियतवादी भू-क्षेत्रों में सरकार के ऊपर लगायी जाती और इस तरह के क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि हेतु बुद्धिमत्तापूर्ण और समान सिद्धान्तों का परिभाषित किया होता तो सरकार का यह प्रस्ताव लाखों कृषकों का आश्वासन और रक्षा दोनों प्रदान करता जिसकी उन्हें इतनी आवश्यकता थी।'

संक्षेप में लाड कजन ने संपूर्णता में कृषकों की दशा ठीक करने के लिए निम्न कदम उठाये। 1849 में पंजाब अपहरण का एक भयानक परिणाम किसानों के ऊपर श्रृंखला वृद्धि में सामने आया था जो लाड कजन के काल तक और बढ़ाकर हो गया था। रेलवे लाइनों और संचार के अर्थ साधनों ने पंजाब के कृषि उत्पादनों का सरलता से बाजार में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। इस कारण इन वस्तुओं का दाम बढ़ गया जिससे भूमि के दाम में भी वृद्धि हो गयी। अब किसान यह समझने लगा कि जो जमीन पहले कठिनाई से बेची जा सकती थी अब अच्छे दामों में बिक सकती थी। इस जानकारी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से ही वह विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में फजूलखर्च हो गया। भूमि गिरवी रखी जाने लगी और अतंत मूदखोर और कृषिकर्मों के हाथ में पहुंचने लगी जिसे इसमें अनाज पैदा करने की न तो जानकारी ही थी और न इच्छा ही। इस तरह जहाँ एक ओर किसान बर्बाद हो गये दूसरी ओर कृषि उत्पादन में भी कमी आयी। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी।

लाड कजन ने बुद्धिमत्ता से कारवाई करते हुए पंजाब लैंड एलियेशन ऐक्ट (1901) पारित किया जिसमें यह शर्तें रखी गईं कि किसान की पैतृक भूमि अब किसी मुकदमे में विजय के कारण बेची नहीं जा सकती और न बिना सरकार की पूर्व अनुमति के इसे कोई खरीद ही सकता है। 1901 के इस सुधार के सम्बन्ध में पायनियर ने लिखा कि 'यह जिसकी लाठी उसकी भैंस' सिद्धांत वाला के लिए एक बहादुरीपूर्ण विरोध था।' पंजाब कृषक सचमुच ही बच गए और लाड कजन ने जनता से एक अपील में कहा, 'सरकार ने अपनी भूमिका अदा की है, मैं उन्हें उनकी अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।'

लाड कजन के काल में एक दूसरा महत्वपूर्ण सुधार कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट था जिन्होंने देहात के सूदखोरो का स्थान लिया। मद्रास सरकार के फ्रेडरिक निकलसन और एम० डूपरनेक्स आई० सी० एस०, जिन्हें इटली और फ्रांस में ऐसी सोसाइटीयों की कायशैली का विस्तृत ज्ञान था, कजन की इसमें सहायता की। कृषि बैंक और कोआपरेटिव सोसाइटीयों को देहात और शहरों में पूरे देश में स्थापित किया गया। कोआपरेटिव्स ने लोगों को आपसी सहायता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया पर प्रगति धीमी रही जिसके अनेक कारण थे। कोआपरेटिव का प्रयोग देश में अभी प्राग्भिक अवस्था में था। लोग इसके लिए अभी पूर्णतया शिक्षित नहीं थे और अभी उनका धनिये से अधिक लगाव था जिसे उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं देना पड़ता था और न रुपया प्राप्त करने के लिए औपचारिकतायें निभानी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त इन सोसाइटीयों की स्थापना ही एक बड़ी समस्या थी जो इतनी सुविधा से और इतनी जल्दी नहीं निभाई जा सकती थी। पर इसके लिए कजन की प्रशंसा करनी ही होगी कि उसने इस देश में पहली बार इस प्रथा की शुरुआत की।

एक अन्य कृषि से संबंधित काय 1905 का सस्पेंस एण्ड रेमिशन का प्रस्ताव था जिसमें यह बताया गया कि अब कृषक के 50% फसल बर्बाद हो जाने पर राजस्व वमूली तुरत रोक दी जाएगी, तथा फसल की बर्बादी का अनुमान जिला अधिकारी ही करेगा। इसके लिए और कहीं से आदेश नहीं लेने हगें। कजन के भारत पहुंचने के समय भारत में केवल 4 कृषि संस्थाएँ थीं। ये पूना, नागपुर, सईदपुर और कानपुर में थीं—पर सतोपजनक ढंग से काम नहीं कर रही थीं। प्रांतीय सरकारों के कृषि फार्म भी नई जानकारी और जनता की शिक्षा के स्रोत नहीं रह गए थे। गंभीर धनाभाव भी कृषि की वैज्ञानिक प्रगति में बाधा डालता था। लाड कजन के नीति की कल्पना उसकी घाण्टा से की जा सकती है जिसमें उसने कहा कि, 'पहली बार भारतीय कृषि के सबंध में विस्तार में वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन व व्यवहार के द्वारा सुधार की चेष्टा की गई। 1901 में नई नीति के नियंत्रण और निर्देश के लिए कृषि विभाग में एक

इम्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। एक अमेरिकी दानी द्वारा 20 हजार पौड दान प्राप्त कर बंगाल में पूसा में एक कृषि शोध संस्थान खोला गया जिसका उद्देश्य 'इस उष्णकटिबंधीय कृषि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की जानकारी और निदान था।' वजन न प्राता के लिए कृषि अनुसंधान और अध्ययन पर काम हेतु प्रतिवर्ष 1 30 000 पौड देने का भी नियम लिया।

सिंचाई के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया गया। जनरल सर आथर काटन जैसे भारत में आधुनिक सिंचाई के दूत द्वारा, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तथा दुर्भिक्ष पुनर्न फँसे उसके हेतु अधिकारियों के समक्ष विस्तृत सिंचाई योजना प्रस्तुत की गई। वजन न सर काल्विन स्वाटमानसरीफ की अध्यक्षता में एक आयोग इसकी जानकारी के लिए नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1903 में प्रस्तुत की और सन्तुत किया कि सरकार को इस कार्य पर अगले 20 वर्षों में देश की 65 लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था हेतु 44 करोड़ रुपया व्यय करना चाहिए। पर वजन न उनकी सभी सस्तुतियाँ नहीं मानी। सिंचाई के लिए एक इम्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। पहले से बनी पंजाब की नहर व्यवस्था में विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा लोअर बड़ी दाआब अपर चेनाब और अपर झेलम के नहर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। लाड वजन की सरकार ने इस सम्बन्ध में जाने वाले वर्षों में काम आने वाले कुछ निर्देशक सिद्धांत भी बनाए।

दुर्भाग्यवश दोपपूर्ण रेलवे व्यवस्था को भी सामने ला उपस्थित किया। वजन के पूर्व रेलवे का प्रबन्ध दो तरह से होता था, एक तो कम्पनी के प्रबन्ध के अन्तर्गत और दूसरा राज्य प्रबन्ध के अन्तर्गत जो सांख्यिक निर्माण विभाग के हाथ में होता था। इस सम्बन्ध में विशेष चान रखने वाले सर टामस राबटसन को रिपोर्ट देने को कहा गया जिसने 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सस्तुत किया कि रेलवे के कार्यकलाप में पूर्णतया परिवर्तन की आवश्यकता है और इसे 'भूतकाल की लीकस हटाकर व्यापारिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए।' इन सस्तुतियों पर ध्यान देते हुए वजन ने तीन लोगों का एक रेलवे बोर्ड बनाया जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य रहे गए। इन्हें भारत सरकार के व्यापार विभाग के अधीन रेलवे में प्रशासन और कार्य करना था। नई रेल लाइनों का कार्य भी प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रशासनात्मक प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप जब वजन ने भारत छोड़ा, उस समय तक 6 000 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी जिसके फलस्वरूप अब रेलवे लाइनों का सम्पूर्ण जाल सब मिलाकर 28,150 मील हो गया था। जबकि 3,167 मील रेलवे लाइनें अभी निर्माण की स्थिति में ही थीं।

## प्रशासकीय सुधार

सितम्बर 1905 में शिमला के एक विदाई समारोह में कजन ने कहा "यदि मुझसे अपने काम को एक शब्द में परिभाषित करने को कहा जाए, तो मेरा उत्तर होगा—कायक्षमता। यही मेरा सिद्धांत था और यही हमारे प्रशासन की कुंजी।" इस देश में पहुंचने के बाद पहली चीज जो उसने देखी वह प्रशासकीय संगठन में गम्भीर दोष की थी जिसे लेकर उसे देश का शासन चलाना था। इसमें धीमापन और औपचारिकताओं का बोझ था। कजन ने केन्द्रीय सचिवालय के विषय में कहा था कि यह "एक बड़ा दलदल या गड्ढा है जिसमें सभी प्रश्न डूब जाते हैं। जब तक आप काम रूकने वाले स्थान पर कागज को चिह्नित न कर दें और समय समय पर जाकर उसे उखाटकर ऊपर न ले आये, आपको इसमें कुछ होता नजर नहीं आएगा।" एक मामला जिस पर विशेष निणय लेना था कजन को पता लगा कि वह 61 वर्ष से निणय की प्रतीक्षा में पड़ा है और ऐसे ही अन्य मामले थे जिससे यह निष्कर्ष निकलता था कि सम्पूर्ण संगठन को ही झकझोरने की आवश्यकता है। केवल "स्कू को बसाने या पहिया में तेल डालने से ही" काम नहीं चलना था।

उसके सुधारों के अतगत अधिकारियों को यह बड़ी सूचना प्रसारित की गई कि वे विभाग के नोटिंग्स को अनुपात में कम करें। विभागों को जहां तक सम्भव हो, अपना काय निबटाने में आपसी बातचीत से निबटाने को कहा गया। सचिवालय की काय पद्धति के लिए एक तरह के नियम बनाए गए। ऊपर से नीचे तक सभी कर्मचारियों के लाभाथ वेतनमानों में सशोधन किया गया। सरकारी रिपोर्टों और आकड़ों को कम करने के लिए प्रयास किए गए। प्रान्तीय सरकारों से भी अपनी प्रशासकीय मशीनरी में सुधार के लिए कहा गया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि "पूरी शासन व्यवस्था तेजी से काय करने का प्रभाव से जागरूक हुई और शासन में एक शक्ति आ गई।"

बम्बई और मद्रास की सरकारों की स्वतंत्रता को उमन पसन्द नहीं किया और उसने मई 1899 में सेक्रेट्री आफ स्टेट को लिखा, "विकेन्द्रीकरण तो ठीक है, पर बम्बई और मद्रास के मामले में तो यह इस सीमा तक पहुंच गया है कि केन्द्र सरकार का वही अस्तित्व ही नहीं मालूम पड़ता। वहां पर छोटे छोटे राजाओं का भी यह नहीं जानकारी है और वे अपने ही हाथ में सार अधिकार रखे हुए हैं।" उसने समुति भेजी कि प्रेसीडेन्सी गवर्नरों की स्थिति घटाकर यू०पी० के लेफ्टीनेंट गवर्नर के बराबर कर दिया जाय। इससे आई० मा० एम० के प्रति आकर्षण में वृद्धि हो जायेगी। कम तो उसके प्रशासकीय केन्द्रीकरण की बात अस्वीकार कर दी गई पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसका अस्तित्व किस दिशा में काय कर रहा था।

कजन के सुधारों के फलस्वरूप स्पष्टतया कायक्षम प्रशासकीय मशीनरी का प्रारम्भ हुआ। पर इसमें बुराई यह थी कि इसमें आकषक व्यापारिक खर्च का अभाव हो गया। फेजर सरकारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में लिखता है कि यह एक 'कल्पनापूर्ण सूखी हड्डियों का घणित समूह था।' कायक्षमता के छोटे छोटे विकेन्द्रीकरण का ले आया गया, और नई व्यवस्था में भारतीयों पर अविश्वास प्रधान रूप से दिखाया गया और साथ ही उनमें अयोग्य एवं बेईमानी के भी दर्शन किए गए। यह सोचा गया कि अंग्रेज अपनी उच्च शिक्षा के कारण उच्च स्थानों के योग्य हैं। भारतीयों के विचार और इच्छा का जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की कुजी थी कि "नौकरशाही को यह पता है कि जनहित क्या है।" इस तरह कजन का इस क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त का अधिकार हुआ, वह उसके सकुचित दृष्टिकोण और क्रुद्ध स्वभाव के बादला के नीचे ढक गया।<sup>1</sup>

### आर्थिक सुधार

19वीं सदी के अंत में देश की आर्थिक दशा में निश्चित आर्थिक उत्थान देखा। 1899 के आगे के बजटों में अच्छे लाभ दिखाने प्रारम्भ किए और इस कारण कजन के लिए कुछ कर हटाना सरल हो गया। इंडिया आफिस में 1898 में नियुक्त एक आयोग ने यह सन्तुष्टि की थी, ब्रिटिश सिक्का भारत में 15 रुपए की कीमत पर वधानिक सिक्का बना दिया जाय और कजन ने इसके लिए सितंबर 1899 में एक एक्ट पारित कर दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इस देश में सोना आना प्रारम्भ हो गया। लाड कजन ने चांदी के सिक्के से लाभ प्राप्ति के लिए सोने का एक अलग से रिजर्व फंड बनाया जा कजन के भारत छोड़ने के समय तक बढ़कर 90 00,000 पौंड हो गया।

दश में आर्थिक स्थिति में इस सुधार से जनता के कुछ कष्टों को दूर करने का प्रयास किया गया। कुछ कर समाप्त कर दिए गए और वे प्रांत जिन्होंने दुर्भिक्ष का कुफल सबसे अधिक भोगा था, उन्हें 1902 में 12½ लाख रुपया उनके राजस्व में वापस दे दिया गया। नमक कर घटा दिया गया। 1904 आने-आते यह दर 1856 के बाद सबसे कम हो गई।

उसकी विकेन्द्रीकरण की नीति में एक ही अपवाद था—आर्थिक सुधार के रूप में चलती रहने वाली उसकी आर्थिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा। 1882 से चल

1 विस्तार के लिए देखें फेजर इंडिया अदर कजन एण्ड आफ्टर 1911 दुगादास इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एण्ड आफ्टर भी देखें एडवर्ड माइकेल हार्ड नून आफ एम्पायर।

था रहे पचवर्षीय प्रथा के दोष को समाप्त करने के लिए साड कजन ने 1904 में 'अर्द्ध स्थायी व्यवस्था' का प्रारम्भ किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत के लिए उसके राजस्व का भाग स्थायी तौर पर निश्चित कर दिया गया जिसे विशेष आपात काल ही में बदला जा सकता था या स्पष्ट अनुभव से इसके कम होने पर भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। नई व्यवस्था में वार्षिक अनुदान विशेष उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाते थे और प्रांतीय लाभ प्रान्तों में ही रह जाते थे। अलग-अलग मदों की प्रथा पहले जैसी ही चलती रही और ऐसे ही प्रांतीय बजटों पर केंद्रीय नियंत्रण जारी रहा। प्रांतीय नियुक्तियां भी पहले जैसे ही होती रही।

नई आर्थिक व्यवस्था का गुण यह था कि प्रांतों ने आर्थिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता अर्जित की और आर्थिक जाशाओं के मामले में अधिक निश्चितता आ गई। चूंकि लाभ अब उन्हीं के पास बना रहता था, नई व्यवस्था में व्यय के मामलों में कम खर्चों का प्रोत्साहित किया और आर्थिक मामलों में अस्पष्टता की बात समाप्त हो गई।

### पुलिस

देश की पुलिस व्यवस्था में भी कुछ दोष थे। पुलिस की सेवा में अधिकतर लोग अशिक्षित थे और अकार्यक्षम भी। लोग उन पर अपराधियों से मिले रहने का सदेह भी करते थे। 1902 में कजन ने इस मामले पर रिपोर्ट देने हेतु सर ऐंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "पुलिस शक्ति नितांत अयोग्य है, यह सामान्य तथा भ्रष्ट और निरकुश मानी जाती है और यह पूणतया जनता का विश्वास और मित्रतापूण सहयोग पाने में असफल रही है।" दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने सन्तुष्टि दी कि पुलिस विभाग में प्रोन्नति के स्थान पर सीधे भर्तियों की जाय। पुलिस शक्ति में केवल "इंग्लण्ड से युरोपीय सेवा के व भारत में प्रान्तीय सेवा के लिए भर्तियों की जाय। इसके अतिरिक्त अपर सर्विजिनेट सर्विस में इस्पेक्टरों और सब इस्पेक्टरों की भर्तियां तथा लोअर सर्विजिनेट सर्विस में हेड कास्टेबुल और कान्टेबुला की भर्तियां की जाय।" वेतन-भ्रम बढ़ाए जाए और कास्टेबुल का वेतन कम से कम 8 रुपये रखा जाय। प्रान्तों में पुलिस की संख्या बढ़ाई जाय और इसके लिए ग्राम इकाइयों में सहायता प्राप्त की जाय। अधिकारियों और कास्टेबुलों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोला जाय। प्रत्येक प्रान्त में एक 'क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन विभाग' खोला जाय। केंद्र में भी ऐसा ही एक विभाग हाजिमबा नेनूत्व 'डाइरेक्टर आफ क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन' को सौंपा जाय। अपराधों को छान-बीन उसी स्थान पर की जाय और सदेह पर लोगों को जेल न ले जाया जाय। ये

सस्तुतिया थी जिसके आधार पर कजन ने 1905 में पूरी पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित किया।

पर इन सुधारों के बावजूद पुलिस अब भी जनता का सुखद सहयोग नहीं प्राप्त कर सकी। यह अब भी भ्रष्ट, अवायधम और दुखद बनी रही। और लोगों का यह विश्वास, कि वे अपराधियों से मिले रहते हैं, अब भी जारी रहा।

### शिक्षा

फेजर ने लिखा है कि लाड कजन की महान सफलताओं में एक शिक्षा का क्षेत्र भी था। पर इस पर मतभेद हो सकता है कि यह सफलता कितनी सकारात्मक थी और कितनी नकारात्मक। तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था का आधार 1833 का मैकाले का मिनिट और 1854 का बूड का डिस्पच था। इसकी बुराईया में एक प्रमुख यह थी कि भारत की जनता इसमें नहीं जुड़ पायी थी। इसके अतिरिक्त यह "अत्यधिक दास भाव वाली अंग्रेजी के आदर्शों की नकल थी और इससे लिपिका की सेना ही तैयार हो सकती थी जनमत तथा दर्शन वाले नेता नहीं।" केंद्र के नियंत्रण का भी अभाव था। व्यवस्था सामान्य सिद्धांत से प्रेरित नहीं थी और न ही इसका कोई जनहितकारी सामान्य गंतव्य था। इस सबने कजन को क्रुद्ध कर दिया। उसने कहा कि इस व्यवस्था को उत्तम होने के लिए 'एक निश्चित और वैज्ञानिक आधार ग्रहण करना होगा जिसके लिए अतंत केंद्र सरकार को उत्तरदायी होना होगा, चाहे इसकी प्रशंसा की बात हो या बुराई की।'

अपने विचारों को काय रूप प्रदान करने के लिए लाड कजन ने सितम्बर 1901 में उच्च सरकारी अधिकारियों और प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। कोई भारतीय नहीं बुलाया गया। गैर सरकारी लोगों में मद्रास क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डॉ० मिलर का ही आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में पूर्ण गुप्तता बनाये रखी गई जिसके बादविवाद कभी नहीं छपे। विस्तार से सम्मेलन में बातचीत के बाद 1902 में सर टामस रले के नेतृत्व में जो लॉ मेम्बर थे एक युनिवर्सिटी कमीशन बनाया। इस कमीशन में भारतीय सदस्य केवल सैयद हुसैन विलग्रामी भी थे जा निजाम के राज्य में "पब्लिक इन्स्ट्रक्शन के डायरेक्टर" थे। जब हिंदुओं ने इसमें भी अपने प्रतिनिधित्व के अभाव के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया तो बालू में कलकत्ता उच्च न्यायालय के यायाधीश गुरुदास बैनर्जी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। पांच महीने के सलाह मशविरों के बाद कमीशन ने जून 1902 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें गुरुदास ने अपना विरोध मत नोट किया था। रिपोर्ट 1902 में अक्टूबर में प्रकाशित की गई

और इसके ही आधार पर युनिवर्सिटी बिल माच 1904 म कानून बनाया गया ।

इस कमीशन को समुत्तिया ये थी कि (1) अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने हेतु विश्वविद्यालयो म सीनेटो, सिडीकेटा और फैक्टोरिया को पुनर्गठित की जानी चाहिए । (2) पुरान विश्वविद्यालयो की वैधानिक शक्ति विस्तृत की जानी चाहिए तथा पुरान व नय सभी विश्वविद्यालयो को अध्यापन मगठन के रूप मे भी स्वीकृत किया जाना चाहिए । (3) प्रत्येक विश्वविद्यालय का क्षेत्र निर्धारित हो जाना चाहिए और सी० पी० और यु० पी० के सम्बद्ध कॉलेजो को कलकत्ता विश्वविद्यालय से हटा लेना चाहिए । (4) विश्वविद्यालय के सम्बद्धीकरण नियमों को और बडा व कायम बननाया जाना चाहिए और किमी भी मस्था की शर्तें पूरी किए बिना सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए और इसी स्तर पर उसे सदा बनाए रखना चाहिए जिसके लिए विश्वविद्यालयो के सीनेटो को इस मामले म अपन को मतुष्ट कर लेना चाहिए । (5) प्रत्येक कालेज की उचित रीति से गठित प्रबन्धकारिणी समिति होनी चाहिए । (6) पाठ्यक्रमो और परीक्षा प्रणाली म सुधार किया जाना चाहिए । इसके लिए कई परामश प्रदान किए गए । (7) और अतत छात्रो को आवासीय सुविधा दी जानी चाहिए और उनमे अनुशासन कायम करने की सही चेष्टा की जानी चाहिए ।

इन समुत्तिया को स्वीकार करते हुए लाड कर्जन ने 1904 मे युनिवर्सिटी एक्ट पारित किया जिसमे निम्न धारायें रखी गई ।

(1) विश्वविद्यालया की प्रबन्धकारिणी मगठन को पुनर्गठित किया जाना था और सीनेटा मे कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 की सख्या निर्धारित हो गई । चुने हुए मदस्था की सख्या बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के लिए 20 तथा शेष के लिए 15 रखी गई । सीनेटा मे 'पब्लिक इ स्ट्रक्शन वे डाइरेक्टरो' को भी रखा जाना था । कलकत्ता के डाइरेक्टर को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया ।

(2) विश्वविद्यालया की शक्ति बडा दी गई । उह स्नातकोत्तर कक्षाओ के शिक्षण का काय प्रारम्भ करने, प्राफेसरो एव प्रवक्ताओ की इस हेतु नियुक्ति करने तथा अभ्ययन व शोध को आग बढ़ाने का काय सौपा गया ।

(3) विश्वविद्यालया के मिडिकेटो वा स्टेच्युटरी स्वीकृति प्राप्त हुई और विश्वविद्यालय के अध्यापका को उसम पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया ।

(4) सीनेटा को परीक्षा पाठ्यक्रमा, पाठ्य पुस्तका व छात्रा की सुविधा प्रदान करने का स्तर बनाए रखन का उत्तरदायित्व सौपा गया । उहे सरकार को हार्ड स्कूट की स्वीकृति हेतु नियम बनाकर भी भेजना था ।



(5) स्नातक कक्षाओं का अध्ययन विद्यालयों के लिए छोड़ दिया गया और नए कालेजों के खोलने हेतु कठोर नियम पालन करने का कहा गया जिसके निरीक्षण के लिए सिंडिकेट के द्वारा समय समय पर व्यवस्था करने को कहा गया ।

(6) विश्वविद्यालयीय नौति विद्यालयों की सम्बद्धता व असम्बद्धता की शर्तें आदि विषय सरकार की स्वीकृति से ही तय हान थे ।

(7) सरकार द्वारा वाइस चांसलरों की नियुक्ति होनी थी ।

(8) कौंसिल में गवर्नर जनरल विश्वविद्यालयों के क्षेत्र निर्धारण पर नियंत्रण रखने का अधिकारी था ।

इस एक्ट पर विचार करते हुए वी० विरोल ने लिखा है 'एक अत्यधिक निरकुश वाइसराय के कात्त से जो सरकारी मशीनरी की योग्यता में अत्यधिक विश्वास करता था, जैसी आशा थी, 1904 के इस एक्ट में वैसा ही विश्व विद्यालयों पर सरकार की पकड़ को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया गया अब आने व्यवहार में सरकार की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होना था ।'<sup>1</sup>

कमीशन की सस्तुतियाँ की भारतीयों ने पसन्द नहीं किया । सर पी० महता सर एस० एन० बैनर्जी और जी० के० गोखले ने इसकी आलाचना की और इस बिल का जमकर विरोध किया । आलोचकों का कहना था कि प्रस्तावित सुधार विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर कम जोर देते हैं और उसके प्रशासकीय मशीनरी पर अधिक । सम्बद्धीकरण और असम्बद्धीकरण उनके अनुसार शिक्षा विकास रोकने का एक अवैधानिक काम है । द्वितीय श्रेणी के कालेजों की समाप्ति जो कि अधिकतर बहुधर्मी थे अल्पधर्मी थे और इस बात के समर्थक थे "कि ऊँचाई कम करने के लिए आधार को ही काटा जा रहा था ।" कालेज शुल्क बढ़ाया जाना बुरा था और यह उच्च शिक्षा में बाधा डालने के बराबर था । सीनेट के जाकार में कमी और सरकारी तत्त्व का उसमें बाहुल्य मात्र इसका प्रयास था कि विश्वविद्यालय को एक सरकारी विभाग में बदल दिया जाय । लाड कजने पर शिक्षा का दृष्टिकोण न अपनाकर राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाकर आरोप लगाया गया क्योंकि जार इस पर दिया गया कि विश्वविद्यालयों को वह राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि का केन्द्र नहीं होने देना चाहता और यह कि वह चाहता है कि भारत की जनता अपना बनी रहे जिससे इंग्लैण्ड को अपना साम्राज्यवादी शासन चलाने की छूट मिली रहे ।

एस० एन० वनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हाल में विरोध मभाये आयोजित की । और गोखले ने भी वाइसराय के दृष्टिकोण की हिसात्मक अवहलना की ।

लोवट फ्रेजर के अनुसार इस नीति ने वास्तव में 'भारतीय विचारको म अत्यधिक उग्रता ला दी।' बाद में 1917 में सेडलर आयोग ने भी यह स्वीकार किया कि जिन सुधारों की वास्तव में आवश्यकता थी वे नहीं किए गए। हाई स्कूल प्रशिक्षण और सगठन का मतला हल नहीं किया गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया गया। और नहीं स्वस्थ विश्वविद्यालयों की शिक्षा की आधारशिला ही रखी गई।

अतः हम साइ कजन की जीवनी लेखक लाइ रोनाल्डशे के विचारों के आधार पर निष्कर्ष में कह सकते हैं कि 'यह सोचा जा सकता है कि वाइसराय जैसी हस्ती का परिश्रम उचित रूप से फलीभूत नहीं हुआ। सत्य यह स्वीकार करने को बाध्य करता है कि जो परिवर्तन न लाय गए थे वे वाइसराय द्वारा दिए गए समय और विचार किसी के भी अनुपात में निश्चित रूप से कुछ नहीं थे। विरोधियों की आलोचना उसे अलग से झेलनी पड़ी थी। विस्तार का ध्यान में रखकर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निश्चित रूप से किए गए थे पर जपन बाह्य आकार में उच्च शिक्षा की परम्परा लगभग यथावत बनी रही।'<sup>1</sup>

पर फिर भी कजन द्वारा किए गए परिवर्तनों में गुण भी थे। लोवट फ्रेजर का कहना है कि अखिल भारतीय स्तर पर उसके शिक्षा सुधार के विरुद्ध किया गया आंदोलन मुठठी भर राजनीतिज्ञों का काम था। "जिनका विचार था कि राष्ट्रीय शिक्षा पर नियंत्रण करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।" यह विचार अधिक सामान्य है, पर इसमें दो राय नहीं कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिला भले ही साइ कजन के काल में इसे कुछ कम मिला हो। प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया जिसे 1902 के विशेष अनुदान के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2 30 000 पौंड स्थायी अनुदान मिला। अध्यापकों के वेतन में वृद्धि भी हुई। कृषि शिक्षा और शोध की आवश्यकता अनुभव की गई और नारी व तकनीकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। साइ कजन के ही प्रयास में जमशेदजी टाटा न बंगलौर में इंस्टीच्युट आफ साइंस की स्थापना की।

### स्थानीय स्वशासन

अप्रैल 1900 में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल, जिसमें अलेक्जेंडर मक्वेजी के प्रयास से लाया गया था, वह राजन के भारत जान पर लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सामने था। उसका आते-आते यह कानून बन गया। इसके अंतर्गत एक स्थानीय यूरोपीय बहुमत की स्वतंत्र वायपालिका सहित कलकत्ता कॉर्पोरेशन की व्यवस्था

1 रोनाल्डशे द न इक आफ साइ कजन भाग 2 पृ 253।

2 फ्रेजर पूर्वोक्त पृ 191-200।

की गई। कार्पोरेशन का आकार छोटा कर दिया गया। कार्पोरेशन व 25 चुन गए सदस्य हटा दिए गए और जो बच उह अल्प सख्या म कर दिया गया जिसके फास्वरूप अब व कार्पोरेशन के किसी निणय को प्रभावित नही कर पात थ। इसका प्रेसीडेन्ट पद भी बमचारिया म मे किसी व्यक्ति को सौंपा गया।

प्रारम्भिक अवस्था मे बजन ने स्वय इस बिल की भरसना की जा "कुछ आनक और कुछ श्रोघाशम' लिखा बताया गया था। चुन गए सदस्या को न रखा जाना और साथ ही असली शक्ति को कायपालिका के सीमित हाय म सौंपा जाना जिसम अधिकतर अग्रेज ही थ, बजन न पसन्द नही किया और इसे उसन 'गद और शरारतपूण द्वैतवाद' की सजा दी। पर अतत उसने इसे स्वय स्वीकार कर लिया और इस बिल व साथ हो गया।

जसा इसकी धाराआ स स्पष्ट है यह एकट राष्ट्र के भारतीय बुद्धिजीवियो द्वारा आलोचना किण जान योग्य था ही जिहाने बजन पर सारा आराप लगाते हुए घोषित किया कि उसकी जनता को शिक्षित करने म कोई रुचि नही है। कांग्रेस न एक प्रस्ताव पारित कर यह कहा कि बजन की नीति स्थानीय स्वशासन की नीचा दिखाने की है। विरोध सभायें आयोजित की गई और कलकत्ता तो आदोलना के एमे भवर मे फस गया कि इससे आगे ता केवल विभाजन विरोध की सभायें ही की जा सकी। 28 कमिश्नरो ने विरोध मे स्तोफा दिया। एस० एन० बैनर्जी जो इस विरोध के नेता थे, 1923 तक कार्पोरेशन मे गए ही नही। और प्रवेश तब किया जब बिल म सशोधन किया गया चुन गए सदस्या की सख्या 4/5 कर दी गई और मेयर व चीफ 'इक्जीक्युटिव' आफिसर का पद कार्पोरेशन के चुने हुए सस्यो को सौंपा गया जिस पर सरकार की स्वीकृति ली जाती थी। यह सशोधन एस० एन० बैनर्जी द्वारा स्वय पेश किया गया और इसे उहाने अपने लिए एक महान दिन कहा जिससे 'उहे ब्यक्तिगत सान्त्वना और सोहाद्र मिला।'

### बंगाल का विभाजन

बंगाल का विभाजन कई कारणों से आवश्यक बताया गया। यह बहुत बडा था जिससे इसके प्रबन्ध म बाधा पडती थी। इसकी जनसख्या 6 करोड 80 लाख थी जो इंग्लैण्ड की लगभग दो गनी थी, और इस तरह बजन के ही शब्दो मे यहा 'प्राचीनता थी, तक का विरोध था और कायक्षमता की कमी थी। इसके कारण गंगा के पूव म पडन वाले जिला की आर ध्यान ही नही जाता था। पुलिस यबन्ध्या यहा पर सबसे खराब थी। आंतरिक आवागमन का साधन असतापजनक था। एक जाच मे एक आयाग ने लिखा था कि 'नदिया के किनारे जीवन और धन इतना असुरक्षित था कि किसी भी समय देश की सरकार इसे

वर्दाश्त नहीं कर सकती थी।" किसान अनुपस्थित जमींदारों के अनियमित कर आरोपण से दुःखी थे। और लेफ्टीनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रशासन के भार से ऐसा दबा रहता था कि वह स्थिति के सुधार के लिए कुछ अधिक नहीं कर सकता था।

इस प्रांत के विभाजन की योजना 1896 में उस समय से प्रारम्भ हुई जब आसाम के चीफ कमिश्नर सर विलियम वाड ने यह परामर्श दिया कि चटगाव, ढाका और मैमनसिंह डिवीजन आसाम में मिला दिए जाय। 1901 में इस प्रश्न में बजन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। पर राबट्स ने लिखा है कि "शीघ्रता नहीं थी जैसा कि आरोप लगाया जाता है, और न कोई जोर-जबरन-मती वाली कारवाई ही। नीति पर पूर्ण रूप से विचार हुआ, अथ योजनाओं पर भी विचार किया गया और समय-समय पर बाह्य आलोचना के मदद में योजनाओं में संशोधन भी किया गया।" जनता की आलाचना सचमुच बढाव थी। लाड बजन के शैक्षिक सुधारों प्रांतीय मन्त्रालयों में प्रतियोगिता की समाप्ति और ऐसे ही अन्य कार्यों ने लोगों के मस्तिष्क में उसके राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों के प्रति सदेह पैदा कर दिया था। और अब बंगाल के बटवारे का प्रस्ताव वम की तरह जनता के बीच गिरा। पर लाड बजन ने सेक्रेटरी आफ स्टेट को लिख भेजा कि इस विषय पर 'अपूर्व एकमतता' है। हमारे यह समझ में नहीं आता कि यह 'अपूर्व एकमतता' कमचारिया के बीच थी या यह जान-बूझकर गद्द अधिकारियों को भेजी जाने वाली एक गलत सूचना थी। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को सामने आया और 19 जुलाई 1905 को बटवारे का विस्तार में प्रकाशन हुआ। ईस्टर्न बंगाल ऐण्ड आसाम" नामक एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें आसाम, चटगाव, ढाका और बंगाल के राजशाही डिवीजन सम्मिलित किए गए। इसका पूरा क्षेत्र 1,06,540 वर्ग मील का था और इसकी जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे।

सरकार ने इसे केवल प्रशासकीय सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन" नाम बताया। पर उत्तेजित जनता के लिए यह एक प्रांत के राजनैतिक एकता को तोड़ने का प्रश्न था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की चेष्टा की गई थी और "नई उभरने वाली राष्ट्रीयता" की भावना को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था। उपरोक्त बातें वाइसरॉय के कुछ अनुत्तरदायी कार्यों से अपन आप सिद्ध हो गईं। लोवट फ्रेजर ने इस सम्बन्ध में लिखा है, पूर्वी बंगाल की उसकी यात्रा मुस्लिम मन्त्रालयों में उसके उग्र भाषण जिसमें उसने साम्प्रदायिक आधार लाभ

वताकर उनका समर्थन जुटान की चेष्टा की, ऐसी विधियाँ थी जो राजनैतिक विरोध स्वभाव की थी और भारत के वाइसराय के पद और प्रतिष्ठा के प्रति भूल थी।" फ्रेजर आगे लिखता है कि फिर यह आग सिद्ध हो गया कि "नवनिमित्त प्रांत के गवर्नर सर वैम्बफील्ड फुनर के मृत्युतापूण इस उचित की घोषणा से, कि उसकी दो पत्नियाँ थी एक हिन्दू आर दूसरी मुसलमान पर मुसलमान पत्नी के वह अधिक पक्ष में था स्थिति और बिगड़ गई।"<sup>1</sup>

एम० एन० बैनर्जी ने लिखा 'यह घोषणा बम की तरह गिरी। हमन अर मानित और घोषे का अनुभव किया यह हमारे राजनैतिक प्रगति के लिए मौत सिद्ध हाता और उस हिन्दू और मुस्लिम एकता के लिए ता यह आघात ही होता जिसके आधार पर भारत का उत्थान निभर करता था।" विरोध समारोह आयोजित की गई आर पूर न्श म इसने विराध भ भाषण आयोजित किए गए जिसमें बटवारे के सम्प्र ध ग घोषणा की गई कि यह मिले-जुले लोगो को बाटन का प्रयत्न है। यह बंगालिया ही परम्परा इतिहास और भाषा तक पर जान बूझकर किया गया पापपूर्ण आक्रमण है।" 17 अगस्त 1905 को बलरूता टाउन हॉल की एक सभा में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया। अंग्रेजी माल का परित्याग भी प्रारम्भ हुआ। और यह नौना भविष्य के कांग्रेस के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध प्रमुख अस्त्र बने।

बटवारे का पहला दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत किया और गंगा में स्नान किया। उन्होंने एक-दूसरे के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज जो एकता का प्रतीक थी और बटवारे का गणनभेदी नारा लगाया। लोगों ने अंग्रेजी माल के न प्रयोग करने का संकल्प लिया।

पर बी० सी० चटर्जी ने लिखा है कि 'पूरे राष्ट्र का संगठित स्वर उठा और तिरोहित हो गया जैसे कि कोई जंगल में चिल्ला रहा हो। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वाइसराय ने प्रशासकीय विभाजन की योजना द्वारा उन्हें समझाने की चेष्टा की, और ब्रिटिश संसद ने इस अपनी मंगल कामना भेजी। कांग्रेस का राजनैतिक तरीका (संवैधानिक विरोध) धाजमाया गया और असफल हो गया—और जनता का आपस में सम्प्र ध बिगड़ गया।"<sup>2</sup> फ्रेजर लिखता है कि आन्दोलन ने वाइसराय को 'क्रुद्ध कर दिया, उसकी घणात्मक तटस्थता ने जन आन्दोलन को तीव्र कर दिया तमाम सभायें हुई और तमाम प्राथनापत्र उसके पाम भेजे गए पर सब बेकार गए।' बंगाल में बटवारे के नारे पर प्रतिबन्ध

1 फ्रेजर पूर्वोक्त प० 380-96।

2 बैनर्जी एम० एन० ए नेशन इन द मेकिंग, राबर्टस, प० 550।

3 चटर्जी बी० सी० द हाट आफ आर्यावत, प० 88।

लगा दिया गया और इसे अवैधानिक करार दिया गया। स्कूल और कालेजों को यह चेतावनी दी गई कि यदि छात्र आन्दोलन करना बंद नहीं करते तो उनका अनुदान रोक दिया जायेगा। बंगाल के वकीलों ने इस आन्दोलन की भत्सना की। एक ब्रिटिश पक्षीय समाचार पत्र स्टेट्समन ने लिखा, 'ब्रिटिश भारत में ऐसा समय कभी नहीं देखा गया जब जन विचारों की ओर केन्द्र सरकार ने इतना कम ध्यान दिया हो जितना वर्तमान प्रशासन दे रहा है।' और पुनः स्पष्ट रूप से सरकार ने महान बचपने की भूल की है और ऐसी नीति अपनाई है जो प्रभाव में केवल हमारे समक्ष शहीदों की सेना ही तैयार कर सकती है।"

विधायिका में गोखले ने तक पेश किया महोदय बंगाल को शांत कीजिए।" लदन के डेली निउज न मि० ब्रोड्रिक से अपील की कि बटवारे के मामले को रोकिए।" लाइ मैकडानेल ने घोषित किया कि "यह प्लासी के युद्ध के बाद सबसे बड़ी भूल है।" कांग्रेस ने इस अखिल भारतीय प्रश्न बनाया। और उदारवादियों ने "इंग्लैण्ड के उदारवादियों के एक समूह के समर्थन और सिविल सेवाओं के कुछ लोगों की सहायता से तब दिया कि इस योजना के चाहे जितने भी गुण क्या न हों जब यह पता चल गया कि यह राष्ट्रीय विचारधारा के साथ मेल नहीं खाता तो इस तुरंत त्याग दिया जाना चाहिए।"<sup>1</sup>

यह एक उत्तम हल होता यदि संयुक्त बंगाल गवर्नर के शासन के अधीन कर दिया जाता और उसके सहायताय एक 'इक्विक्वुटिव कौंसिल' बना दी जाती। पी० ई० राबर्ट्स का मत है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसके पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता था जैसे, "1833 के और 1853 के चार्टर ऐक्टों ने सचमुच ऐसे गवर्नर की रचना की थी, और 1853 के ऐक्ट ने बवल लेफ्टीनन्ट गवर्नर की नियुक्ति को केवल कानूनी बनाया था जब तक कि यह परिवर्तन सुविधा संभव कर दिया जाय।"

यह महान आन्दोलन जो बंगाल के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था दिसम्बर 1911 तक चलता रहा। इसके बाद ऐतिहासिक राज्याभिषेक दरबार में विभाजन का समाप्त घोषित कर दिया गया और सरकार की राजधानी बलरघाट से कलकत्ता की ओर दी गई। इस विभाजन के समाप्ति के निणय के सम्बन्ध में पार्लियामेंट के लाइ हार्डिज ने लिखा, "द्वारा बंगाल के बंगाली अपने प्रान्त की पुनर्गठना के लिए अति उत्सुक थे, क्योंकि लाइ कजन ने बटवारा उनके ऊपर घोषित किया था और

1 देखें फ्रेजर पूर्वोक्त प० 380-96।

2 राबर्ट्स पूर्वोक्त प० 551।

उन्होंने इस परिवर्तन को सम्राट की राजनीति विज्ञान और मुलह का प्रतीक बताया।<sup>1</sup>

### अय परिवर्तन

लाड कजन के काल के अय सुधारों में एक सर्वैधानिक कदम था 1904 का ऐक्ट जिसने वाडमराय को अपनी कौंसिल में झूठा सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस सदस्य को व्यापार और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया जिसके लिए 1905 में एक नया विभाग स्थापित किया गया।

लाड कजन ने देश के प्राचीन स्मारकों की रक्षा में बड़ी रुचि ली और उसने 'प्रारम्भ में ही अपना पद ग्रहण करत समय ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह भारत के स्मारकों की खोज, रक्षा और जहाँ आवश्यक हो उसे ठीक कराने को वह बिना हिचक देश की सरकार का कर्तव्य मानता है।' मुगल वास्तु कला के प्रति उसकी स्वागत योग्य उदारता इसी से स्पष्ट है कि उसने ताजमहल के लिए मुगल शैली का एक लैंप खुजवान में 6 माह का समय दिया और इस काय के लिए वह कैंरा तक स्वयं गया। लाड कजन ने विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की जिससे देश में कला के क्षेत्र में विचार, परम्परा और विश्वास का प्रनिनिधित्व करने वाली पुरातन सामग्रियों को एकत्रित किया जा सके। दरबार के समय ऐसी वस्तुओं को दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। उसकी उन कारवाइयों के कारण रोनाल्डशे लिखता है कि, 'वह निश्चित रूप से भारतीय कला की सामर्थ्य में स्वस्थ रुचि उत्पन्न करने में सफल रहा।'<sup>2</sup> पर इस सम्प्रदाय में उसका मन्ने बड़ा योगदान 1904 में उसके द्वारा पारित ऐम्पियट मानुमेन्ट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट था जिसके अन्तर्गत देश के ऐतिहासिक भवनों की रक्षा में से लिया गया।

खदाना में मजदूरों की कायदशा देखने के लिए— चीफ इंस्पेक्टर आफ माइंस की नियुक्ति की गई। स्वच्छता में भी उसका ध्यान आकृष्ट किया और इसके लिए एक चीफ सनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। समुद्र में मछली का व्यापार का बढ़ाने की चेष्टा की गई। 1903 में एक ऐक्ट पारित किया गया जिसके कारण बिजली जलाने वाले अय कार्यों में प्रयोग के लिए नियम बनाए गए।

1 हादिगज माई इण्डियन इयस प० 52।

2 रोनाल्डशे द लाइफ आफ लाड कजन भाग 2 प० 332।

3 वही, भाग 1, प० 333।

### महारानी की मृत्यु एवं दरबार

23 जनवरी 1909 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड की एक महान शासिका का नाम भारत के इतिहास में आदर के साथ सदा लिया जायेगा जिसने 1858 की ऐतिहासिक घोषणा भारत के लिए की जिसे आधार पर यदि ईमानदारी से काय किया गया होता तो इस देश की उत्तम सेवा भी हुई होती और उत्थान भी। भारत में इस अवसर पर जलूस निकालकर और अत्यंत तरीका से अपने कष्ट का इजहार किया। रानी की ही याद में लाड वजन ने विक्टोरिया मेमोरियल हाउस का निमाण किया।

भारत में खेद व्यक्त करने के लिए आयोजित जुलूसों से उत्साहित हो लाड वजन ने महारानी के उत्तराधिकारी सम्राट को एक पत्र में लिखा 'मुझे नहीं मालूम कि आपके मन में कभी भारत की सखिप्त यात्रा पर आन का विचार भी आया होगा और यहाँ आकर भारत के सम्राट के रूप में ताज ग्रहण करने का। ऐसी स्थिति में भारत में ऐसी स्वामिभक्ति का व्यक्तीकरण हो गया जैसे भारत ने इसके पहले कभी न देखा होगा। और इस बारवाईस अथाह राजनैतिक लाभ भी होगा।' पर राजा इस देश में नहीं आ सका आ लाड वजन ने इस अवसर का दिल्ली में एक दरबार करने के लिए मनान का निश्चय किया जहाँ पर राजा के पद ग्रहण की सूचना प्रसारित की गई। 1903 में लाड वजन ने एक सजे हुए हाथी पर सवार हो दिल्ली में विजेता की तरह प्रवेश किया। वह दिल्ली जो मुगल की ऐतिहासिक राजधानी थी और वहाँ नगर में एक शानदार दरबार किया गया जिसमें 4,000 पौंड का व्यय आया। प्रांतीय सरकारों ने भी इस अवसर को शानदार तरीके से मनाया और उनके द्वारा एक परम मिलकर 1,00,000 पौंड खर्च किया गया।

इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर वाइसराय के इस बारवाईस की बड़ी आलाचना की गई। कहा गया कि दरबार 'उसके दम और घनावटीपन के प्रति प्रेम का नतीजा था।' लाड वजन ने दरबार की उचित बताने के लिए कहा 'मुझे आशा है कि मुझे चारण या द्रष्टा नहीं समझा जाता। पर मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि हममें से बहुतों को दरबार एक दृष्टावली या जलूस नहीं था। यह जनता के इतिहास में एक प्रमुख दिवस था और राज्य के परम्परा में एक अध्याय।' उसी पत्र में कहा 'भारत में सबसे अधिक आवश्यकता यहाँ के राजनैतिक व्यवस्था में सामूहिक रूप से सम्मिलित होने की है जो ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिकों में समभाव का प्रतीक है।' पर यदि वाइसराय का यह उद्देश्य था तो वह पूरा कहा हुआ? सच तो यह था कि देश की आर्थिक दुष्स्थिति की पृष्ठ-



भूमि में यह अनाजशुष्क था क्योंकि इस समय देश प्लेग और दुर्भिक्ष से ग्रस्त था। दरबार का सही मूल्य सचमुच यह नहीं था कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य में 'विनम्रतापूर्ण नागरिकता' के लिए प्रदर्शन किया बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्ति का खुला प्रदर्शन था। भारत का तो अब तक यह पता ही हो गया था कि गले पर लदा हुआ जुआ कितना बोझपूर्ण है। सच तो यह था कि कजन जो वह रहा था उसका एकदम उल्टा दिख रहा था। भयाक्रान्त भारतीय सरदारों को दरबार में लाड लिटन के काल का भी सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। उनके लिए दरबार अपमान स्थल था और उनके द्वारा प्रकट की गई विश्वस्तता असत्य और जोर-जबरदस्ती की थी। इसके अतिरिक्त उस प्रान्तीय जमाने में यह घटना एक तमाशा ही थी और विशेष कर उस इंग्लण्ड के लिए जो प्रजातंत्र का अत्यधिक हामी था।

### कजन किचनर विवाद

एक बड़ी समस्या जिसे कजन को झेलना पड़ा, और अतत जिसके कारण उसे पदमुक्त होना पड़ा, वह लाड किचनर से सैनिक प्रशासन के सम्बन्ध में मत विभय था। भारत के तत्कालीन व्यवस्था में सेना का प्रधान 'कमांडर इन चीफ' कहलाता था जो आमतौर पर वाइसराय के कौंसिल का असाधारण सदस्य भी नियुक्त कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सेना का प्रशासनिक विभाग कौंसिल के एक साधारण सदस्य के अधीन रहता था जिसे मिलिटरी मेम्बर का नाम दिया जाता था पर अपन अधिकार काल में उसे सेना पर कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। यह सदस्य सदा वाइसराय के निकट होता था क्योंकि वह उसका सैनिक परामशदाता भी होता था जिसे वह कमांडर इन चीफ के पास से आने वाले प्रस्तावों पर अपने विचार व आलोचना प्रस्तुत करता था जो सैनिक प्रशासन के सम्बन्ध में होती थी। लाड किचनर 1902 में भारत का 'कमांडर इन चीफ' होकर आया। वह एक दृढ़ इच्छा और महत्वाकांक्षा का व्यक्ति था और उसने इसे पसन्द नहीं किया। इस का खतरा सर पर था इसलिए उसने लिखा, 'इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम सोमा पर बड़ी लड़ाई लड़नी हों तो बड़ा भयानक संघर्ष होगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परिवहन, आपूर्ति, रीमाउंट आउटफिटिंग, पूणतया सेना के नेतृत्व में अलग है और एक स्वतंत्र अधिकारी के पास है इसमें तुरंत युद्ध घोषित होने के पूर्व पुनर्गठन की आवश्यकता है इसमें देर नहीं हानी चाहिए।' वर्तमान व्यवस्था के कारण 'पर्याप्त देर भी होती है और अतर्हीन विवाद भी।' उसने प्रस्तावित किया कि वर्तमान ऊल-जुलूल संगठन के स्थान पर एक सैनिक विभाग होना चाहिए जिस पूणतया कमांडर इन चीफ व अन्दर हाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में मिलिटरी मेम्बर बसे तो नीचे पद पर है, पर उसके

पास 'कमांडर इन चीफ' से भी अधिक अधिकार है और किचनर ने वाइसराय को लिखा कि "उसने सम्भवतः कमांडर इन चीफ का पद स्वीकार करके भूल की और उसे तो इसके स्थान पर मिलिटरी मेम्बर होना चाहिए था।"

1905 में सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इस प्रश्न पर वाइसराय से उसका मत मांगा। इस सम्बन्ध में वाइसराय की कौंसिल में विचार हुआ। लाड राबर्ट्स ने किचनर के मत का समर्थन किया और कहा कि वर्तमान प्रणाली परेशानीपूर्ण और पेचीदी है और इस कारण इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किचनर का कहना था कि जो परिवर्तन उसने सुझाया है उससे वाइसराय की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अब भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। सेना के प्रधान का सरकार के प्रधान से अच्छा सम्बन्ध होना चाहिए। उसने आगे कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि कमांडर इन चीफ "की आलोचना कौंसिल के मिलिटरी मेम्बर के विचारा के आधार पर की जाय जो पद और अनुभव दोनों में कमांडर इन चीफ से नीचा हो।"

पर लाड कजन का अलग ही मत था। उसकी दृष्टि में एक ही व्यक्ति द्वारा कमांडर इन चीफ और मिलिटरी मेम्बर का कार्य करना असम्भव था। चूंकि इस तरह के मयुक्तीकरण से भारत सरकार के सैनिक अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जायेंगे इसलिए 'इसमें कमांडर इन चीफ में तानाशाही प्रवृत्ति पैदा हो जायेगी।' इसके अतिरिक्त एक अननिक वाइसराय को किसी योग्य सैनिक अधिकारी का परामर्श प्राप्त ही होना चाहिए जिसके बिना वह किसी दृढ़ इच्छा वाले 'कमांडर इन चीफ' को कैसे रोक सकेगा और इस तरह असैनिक अधिकारी सैनिक अधिकारी का अनुगामी हो जायगा। उसने आगे कहा कि यह प्रश्न पिछले 40 वर्षों से विवादित है पर किसी वाइसराय के अधीन यह बात नहीं आई कि इस व्यवस्था में दोष है। मिलिटरी मेम्बर सर यडमंड यलेसन अपने तक अलग से दिए जो वाइसराय के मत के समर्थन में थे।

इस तरह कौंसिल का मत जिसे वाइसराय ने सेक्रेट्री आफ स्टेट का भेजा उस पर किचनर ने अपना विरोध मत का नोट लगाया। पर शेष सदस्य कजन के पक्ष में थे। सेक्रेट्री आफ स्टेट मि० ब्रोड्रिग ने समझौता की सलाह दी जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत पूर्ण सैनिक मामला का नियंत्रण कमांडर इन चीफ को सौंप देने का निश्चय किया गया। उसे ही कौंसिल में सैनिक मतले पर बोलने का अधिकार प्रदान किया गया। जबकि कौंसिल के अन्य सदस्य को सहायक विभाग की देखभाल का अधिकार सौंपा गया जो पूर्णतया

1 और विस्तार के लिए देखिए सर जॉज आर्चर लाडफ आफ किचनर भाग 2 पृ० 200 02।

सैनिक न हो। उसे मिलिटरी सप्लाइ मेम्बर का नाम दिया गया। यह परामश दिया गया कि सर यडमड एलेस जो पुरानी परम्परा के अधीन काय करते रह है अब पदमुक्त हो जाय और उनके स्थान पर नया अधिकारी नियुक्त किया जाय जो कटौतीपूण अधिकारों के आधार पर काय करे।

चूँकि लाड कजन को ये प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं थे इस कारण उसने स्वयं स्तीफा देने का प्रस्ताव किया पर परिस्थितियाँ को किसी तरह सर डेन्जिल इवेटसन ने बचाया—जिसने समझौते की शर्तों में कुछ परिवर्तन किया। इसके अंतर्गत एक सप्लाइ मेम्बर 'वाइसराय के लिए सरकारी सैनिक परामश हेतु नियुक्त किया गया।' लाड किचनर न इसे स्वीकार कर लिया और मन्त्रिमंडल न भी। पर यह व्यवस्था अब ठीक सं नहीं चली क्योंकि बाद में पता यह लगा कि दोनों पक्षों ने प्रस्तावित परिवर्तन भिन्न भिन्न मनोभावों के लिए किए। कठिनाई उस समय सामने आई जब कजन ने जनरल बेंरो को मिलिटरी सप्लाइ का नया सदस्य चुनना चाहा। सेक्रेटरी आफ स्टेट ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह इच्छा व्यक्त की कि कोई तकनीकी क्षेत्र का व्यक्ति इस काय हेतु नियुक्त किया जाय। प्रश्न था कि कजन का बलिदान हो या किचनर का। सेक्रेटरी आफ स्टेट न कजन पर उगली रखी। इस तरह लाड कजन न 1905 में स्तीफा दे दिया।

पर बाद में मेसापोटामिया में महान युद्ध के अवसर पर ब्रिटिश अनुभव से पता चला कि निस्संदेह रूप से कजन का मत सही था और किचनर का गलत। मेसापोटामिया के आयोग न अपनी रिपोर्ट में कहा "यह स्पष्ट है कि भारत न कमांडर इन चीफ और कौंसिल के मिलिटरी मेम्बर का काय उचित रीति से युद्धकाल में एक ही व्यक्ति नहीं सम्भाल सकता और साथ वतमान सगठन ऊपर तो अत्यधिक केन्द्रित है और नीचे गुणात्मक रूप से बेकार है।

### सैनिक सुधार

पर इन कठिनाइयों के बावजूद लाड कजन के काल में सेना में कई सुधार किये गये। 1902 और 1904 के बीच मापला गुरखा और पजाबिया न पैदल और घुड़सवार सैनिकों के स्थानीय तत्वा का स्थान ले लिया। 1900 में भारतीय पैदल सेना 4 दुहरे कम्पनी बटालियनों में पुनर्गठित की गई। भारतीय अधिकारियों प्रत्येक कम्पनी के आंतरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी बनाये गये। पर परब और युद्ध मैदान में नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहता था। भारतीय रेजीमेण्टों को फिर से हथियार दिये गये और तोपखानों को बेहतर बंदूकें प्रदान की गईं। भारवहन सेना पूण रूप से पुनर्गठित की गई। 1901 में राजपरिवारिय और सामंतपरिवारिय युवक लोगों की एक इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई। 1871 का नेवल डिफेंस स्क्वाड्रन 1901 में समाप्त कर दिया गया

और इसके स्थान पर रायल नवी ने देश की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। भारतीय सेना का प्रयोग बाहर चीन में वायसर विद्रोह को दबाने में किया गया और सोमालीलैंड में मुल्लाभा के विरुद्ध। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय सैनिकों ने नेटाल को बचाया और लेडीस्मिथ पर बन्जा बनाये रखने में सहायता की।

### उत्तर पश्चिम सीमा नीति

“उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या भारत की सरकार की एक गुह्यतर कठिन समस्या थी।”<sup>1</sup> भारत सरकार की उत्तर पश्चिम में दो सीमायें थी—एक तो ‘थी प्रशासकीय सीमा और दूसरी थी राजनीतिक’ सीमा। प्रशासकीय सीमा के क्षेत्र में साधारण तरह की सरकार थी। पर प्रशासकीय सीमा के आगे उदाहरणार्थ प्रशासकीय और राजनीतिक सीमा के बीच, एक भूरे पर्वतों का ऊँच खण्ड चत्र था जिसमें दुनिया की सबसे घुंघार और मुदप्रिय जाति निवास करती थी। इस सीमा क्षेत्र का दायरा लगभग 25,000 वर्ग मील था और इसकी जनसंख्या 15 लाख जिनमें लगभग सभी लडाकू थे और उनमें लगभग 3,00,000 सैनिकों की सेना एकत्रित करने की क्षमता थी। सीमा का यह भाग पामीर में अफगानों के बाघा जिले से प्रारम्भ होकर थलूचिस्तान की सीमा तक चला जाता था। दक्षिण का आधा भाग कुरम घाटी से बटा हुआ था। जबकि कुरम घाटी से आगे काबुल नदी से घाटा उत्तर अफगान क्षेत्र की निश्चित सीमायें कभी निश्चित नहीं हो पाईं।

इस क्षेत्र के लोग असह्य वर्गों और उपवर्गों में बटे थे। उत्तर में ये स्थानीय सरदारों का हुक्म नतुत्व स्वीकार करते थे जबकि दक्षिण में ये लगभग प्रजा-तांत्रिक थे। पर ये हर जगह कट्टर मुल्लाभा द्वारा उत्तेजित किए जा सकते थे क्योंकि उनका उन पर बड़ा प्रभाव था। पुरातन काल से विश्व का यह भाग कभी भी स्थायी रूप से किसी के द्वारा नहीं जीता जा सकता था। जब कभी मध्य एशिया से कोई विजेता आया, ये कबीले या तो घूस पा गए, या आक्रमण के साथ उसे लूटने या भागने के लिए लगा लिए या वे अपने पर्वतीय सुरक्षा स्थानों में तब तक के लिए चले गए जब तक कि शांति नहीं स्थापित हो गई। कभी कभी अफगान शासक छाय की तरह अपने को उनका शासक बता देते, पर उन्हें इन लोगों को दरों का मुह खुला रखने के लिए घूस देना पड़ता था। इस क्षेत्र के लोग समूहों में भारत में भी दूर दूर तक घूमते थे चोरी करते थे और कभी कभी मद्रास व बंगाल के सुदूर गावा में भयादोहन करते थे। अफगान क्षेत्र में ये खीला से

1 फीजर इण्डिया एण्ड वजन एण्ड आफ्टर प० 39। इस पुरतक के स्थान वजन मौजूद है।

लडते थे और धनी भारतीय गावों को लूटते थे। उनका आपस में भी झगडा था, उनके झगडे अधिकतर औरता से सम्बन्धित होते थे और प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में उनकी परिभाषायें विचित्र थीं। उनमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बहावत चरिताथ होती थी।

ब्रिटिश इनके सम्पर्क में 1849 में पंजाब पर अधिकार करने के बाद आए। इसके थोड़े ही बाद उन्हें सवाती कबीले के विरुद्ध आक्रमण करना पडा जो भारत पर चार बार आक्रमण करते रहते थे। पर यह आक्रमण उन 53 आक्रमणों का अप्रगामी सिद्ध हुआ जिसमें 280 सैनिकों से लेकर 40 हजार सैनिकों तक अलग-अलग समय पर प्रयोग में लाये गए। करांडा रण्य का व्यय हुआ और हजारों जीवन की बलि चढानी पडी जिससे देश में शांति स्थापित रह सके। कभी कभी ब्रिटिश निरकुश कबीलों को बडा दड देन में भी सफल हुए, पर अधिकतर इन्हें उनसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडा। ये कबीले चट्टानों के पीछे से लडते थे, ब्रिटिश कैम्पा पर रात को गोलाबारी करते थे इसलिए ब्रिटिशों के पास 'मारो-काटो' की नीति अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं था।

पर सीमा के सम्बन्ध में नीति अब भी अनिश्चित थी। दो ही तरीके थे जिससे समस्या का समाधान हो सकता था। पहली तो यह कि भारत सरकार वैसे ही आक्रमण करती रहे जसी अभी तक करती रही थी और दूसरा यह कि वह अपने प्रशासकीय नियंत्रण को राजनैतिक सीमा तक बढा ले। बाद वाला तरीका बडा कठिन था। इसके अनुसार कार्य करने के लिए सरकार को तीन रेलवे लाइनों बनवानी जरूरी थी और एक बडे सैनिक मडको का जाल बिछाना था। तिराह के क्षेत्र के क्षेत्र में मैदान नामक स्थान पर एक छावनी बनानी थी। इसके अतिरिक्त इसमें अथाह धन का व्यय होता। इस कार्य में होने वाला व्यय पूरे देश का विकास कार्य रोक देता जिसके फलस्वरूप भारत के प्रत्येक नगर में असतोष व्याप्त हो जाता। सेना के सम्पूर्ण साधनों को 3,00,000 लडने वाले सैनिकों को तैयार करने में व्यय करना पडता। इसके अतिरिक्त अभी कुछ पहले यह समस्या और कठिन इसलिए हो गई थी क्योंकि इस क्षेत्र में तमाम हथियार और गोलाबारूद—यहां बाहर से आ गया था। इसके अतिरिक्त जैसे ही ब्रिटिशों को इस महत्वपूर्ण का उन्हें पता चलेगा कि वे वहां अधिकार करना चाहते हैं तो पूरा सीमा क्षेत्र एक कोने से दूसरे कोने तक जल उठेगा। अफगानिस्तान का शासक अपने ही क्षेत्र पर उनके अधिकार का इसे बहाना समझेगा और ब्रिटिश उस देश से एक अनिवाय युद्ध में फस जायेगा। इस तरह स्पष्ट है कि दूसरा तरीका अपनाना कठिन था। पर प्रति वर्ष आक्रमण करते रहना और उस पर अपार धन और जन की हानि करना भी उचित तरीका नहीं था। इसलिये समस्या के समाधान के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाला जाना था।

इसके लिए लाड वजन की प्रशंसा करनी होगी कि उसने इस समस्या का समाधान निकालने में सफलता प्राप्त की। लोवट फ्रेजर लिखता है, "उसने सीमा की समस्या का समाधान सदा के लिए नहीं किया क्योंकि ऐसी समस्या के निदान में अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता। पर उसने ऐसी नीति अपनाई जिसे समय ने उचित मिट्टी दिया। उसने अनावश्यक युद्ध भी टाले और उसने भारत को 11 वर्ष तक तुलनात्मक रूप से सीमा पर शांति प्रदान की।"

### चितराल

पर सीमा प्रश्न पर संपूर्ण रूप से विचार करने से पहले और इसके लिए सामान्य नीति तय करने से पूर्व, लाड वजन को चितराल में कुछ कठिनाइयों से निबटना पड़ा जहाँ पर उस सामान्य नीति से उसे हटना पड़ा जो उसने बाद में सीमा के लिए अपनाई। चितराल का राज्य हिंदूकुश पर्वत माला के नीचे था जो प्राकृतिक दीवार की तरह मालूम पड़ता था और भारत को रूस प्रभाव से पामीर में अलग करता था। यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिशों को चितराल में कुछ स्पष्ट प्रभाव चिह्न स्थापित करना चाहिए अथवा यह आशंका थी कि रूसी अपने दूत भेजकर ब्रिटिशों के विरुद्ध यहाँ पड़्यत्र प्रारंभ कर देंगे। चितराल ही ऐसी जगह थी जहाँ रूसी सीमाएँ भारत से मिलती थीं। चितराल के लोग बसे तो ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध की बात नहीं सोचते थे, पर उच्च मतों के अनुसार उन पर उस क्षेत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व डालना विश्वासजनक नहीं था जब तक कि ब्रिटिशों की उन्हें प्रभावपूर्ण सहायता प्राप्त हो।

कजन के पूर्व इस क्षेत्र में जो नीति अपनाई जाती रही थी वह निश्चित ही नहीं थी पर थी 'फावड पालिसी'। 1895 में, जैसा हमने देखा है, पिताराग में गद्दी को लेकर उत्तराधिकार की एक लड़ाई हुई थी। ब्रिटिशों ने इसमें हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप एक छोटी ब्रिटिश सेना जो सर जाज रायदास के नेतृत्व में थी एक स्थानीय किले में घेर ली गयी। इस कारण सर रामर्ट राम की सहायता सेना भेजकर चढ़ाई करनी पड़ी जिससे फंसी हुई सेना को बचाया जा सका। रास्ते में उरा राह भीग्या की जगह से ही चितराल में उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा कि ब्रिटिशों की सहायता मिलेगी।

स्वात और दीर के लोगों ने इस आश्वासन को नहीं माना कि उनके कारण सर लो को उनसे लड़ना पड़ा। उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद भी 1895 में यह इच्छा व्यक्त की कि चितराल में भी शांति मिले। रोजवरी के मन्निमडल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परन्तु रोजवरी सदन में मत के मसले पर हार गयी जिसके कारण भीग्या की प्रस्ताव

हुए। इन्होंने भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चितराल में स्थायी रूप से एक सेना रख दी गयी।

आवागमन सुधार हेतु उपरोक्त बंदम उठाये जाने के बाद चितराल में एक सड़क बनाई गयी जिसका स्वात और दीर के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। पर जुलाई 1897 में पूरे सीमा क्षेत्र में एक विद्रोह फैल गया। स्वात बंबीले के लोगों ने, जिनमें मुस्लिम बट्टरपथिया ने मुख्य भूमिका अदा की, स्वात नदी के किनारे चकदारा की एक छोटी ब्रिटिश पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त मालकद में एक बड़ी ब्रिटिश सेना पर भी आक्रमण कर दिया। फरवरी 1898 के एक वादाविवाद के बीच ससद में लाड कजन ने इस विषय पर एक अति सुंदर भाषण दिया। इसमें उसने चितराल में भारतीय सरकार की नीति की आलोचना की और कहा कि बलूचिस्तान में जैसी सर राबर्ट साडेमन ने नीति अपनाई वैसी ही अपनाई जाय जिसका उद्देश्य "साहस और उदारता का मिला-जुला रूप हो और घूम घूमकर विश्वास पैदा कर बंबीले से मैत्री भी स्थापित की जाय।" उसने नीति के कुछ आधार भी बताये जिसे आधार बनाकर आगे उसने काय भी किया।

इस तरह कजन जब इस देश में आया तो उसके मन में यह स्पष्ट विचार थे कि किस तरह चितराल की समस्या को हल किया जाय। इसके अंतर्गत "चितराल में ब्रिटिश सर्वेक्षण चौकी हलकी पर पर्याप्त रखने की योजना बनी।" यहाँ पर एक कैंप बनाने के स्थान पर जिससे कि यहाँ के शासन को इसकी अनुभूति हो, यह तय किया गया कि यहाँ से कुछ दक्षिण द्रोश में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी रखी जाय। इस तरह द्रोश में एक छोटा किला बनाया गया। चितराल के किले को अंदर से मजबूत बनाया गया और बाहर से रक्षा योग्य बनाया गया। साथ ही-साथ सड़क भी ठीक की गयी और एक या दो साल बाद एक तार लाइन भी बहा बनाई गयी। सड़को पर बनी चौकियाँ के लिए चितराल में एक अनिवाय छोटी सेना तैयार की गयी। और इस नीति की एक मुख्य बात यह थी कि चितराल स्काउटों की संख्या बढ़ा दी गयी जिन्हें थोड़े थोड़े काल पर टुकड़ियों में प्रशिक्षण दिया जाता था।

चितराल स्काउटों की संख्या 1910 तक 1200 हो गयी। फजर लिखता है कि इस सेना की कायक्षमता "सदेहास्पद है क्योंकि चितराली लोग अनुशासन अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और वे अच्छे लड़ने वाले भी नहीं हैं। पर यह आशा की जाती है कि ये स्काउट सीमित दायरे में उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए इनकी नियुक्ति की गयी है।" भारत में आने से पूर्व ही कजन ने अपनी नीति घोषित करते हुए कहा था, "रूस ने आक्सस नदी तक अपने सैनिक स्थापित

कर दिये हैं और हम भी उतना ही करने को बाध्य हैं।<sup>1</sup> सीमा के स्थानीय लोगो व सभेह को दूर करने हेतु यह सबसे उत्तम उपाय था कि उनकी ही सेना तैयार करके ब्रिटिश हिन्दो की रक्षा की जाय ।

कुछ उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियो ने चितराल म एक ही रेजीमेण्ट सेना रखन की आलोचना की बयोकि यह जगह अत्यधिक दूर होने के कारण खतरे की थी । पर उच्च अधिकारियो ने इस आलोचना को गलत बताया बयोकि वे दृढता से यह आशा करते थे कि चितराल की सेना आपातकाल मे तब तक अपने को सुरक्षित रख सकेगी जबतक कि कोई सहायता वहा नही पहुच जाती । इसके अतिरिक्त वह कारण, जिसके नाते सेना भेजने की आवश्यकता पडी, काफी आगे के काल तक बना रहा और यह नीति 1911 तक खरी उतरी जब फ्रेजर ने अपनी पुस्तक लिखी ।

पर चितराल उसकी सीमा नीति का एक भाग ही था, किसी भी स्थिति मे बहुत महत्वपूर्ण भाग नही था जो उसके वाइमरायत्व काल मे सामने आये ।<sup>2</sup> सच म, चितराल की समस्या का हल उस नीति के प्रारंभ का इशारा था जिसके आधार पर पूरे पठान सीमा की परीक्षा होनी थी जहा की दशा विचित्र रूप से मिश्रित और खतरनाक थी । इसका कोई भी भाग अभी युद्ध के प्रभावा से मुक्त नहा हो सका था । जगह जगह कबीलो के क्षेत्र मे वापस लौटती ब्रिटिश आक्रमणकारी सेना न सैनिक टुकडिया छोड रखी थी । इतनी बेशर्मा स छोडी गयी खँबर देते क निबट लडी कोटल म एक नियमित सैनिक टुकडी थी । समाना रँज क्षेत्र मे सामरिक दृष्टि से बेकार क्षत्र म नियमित सेनाए थी । कुरम घाटी की दूसरी ओर एक मेना थी, स्वात मे चलने फिरने वाली एक टुकडी थी, कुछ सेना टोचीघाटी मे थी और कुछ अय निजन स्थानो पर ।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि सीमा समस्या पर दो तरह के विचार थे । एक 'फावड पालिसी' का पक्ष लेता था और दूसरा 'सिंध वापसी की नीति' की इच्छा रखता था । पर कजन इनमे से किसी का भी पक्ष नही लेता था । वह चितराल मे बन रहने के अतिरिक्त 'फावड नीति' म अविश्वास करता था । वह निश्चित वापसी के भी पक्ष मे नही था । सच तो यह था कि कजन ने इस मामले मे एक नयी विचारधारा को ही जन्म दिया जा उसकी इस घोषणा से ही स्पष्ट है, "अगले क्षेत्रो से ब्रिटिश सेना की वापसी, कबीलो की सेना से ही कबीलो के देश की रक्षा के लिए उह नौकरी, ब्रिटिश क्षेत्र म उनके पीछे ही सैनिको का अपनी सुरक्षा के लिए जमाव और इधर उधर आवागमन की व्यवस्था मे विकास" आवश्यक है । इस नीति मे नियमित ब्रिटिश सेनाओं को अपने क्षेत्र से बहुत दूर

1 फ्रेजर पूर्वोक्त प० 44 46 ।



किला में नहीं रखा जाना था, पर साथ ही जिन क्षेत्रों से उन्हें वापस बुलाया जाना था उन पर नियंत्रण भी बनाय रखा जाना था। नीति का संक्षेप यह था कि, "बलूचिस्तान से यह नीति उधार ली गयी थी जिसके अंतर्गत शांति व्यवस्था के लिए कबीला को स्वयं उत्तरदायी बनाया गया था।" कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को सैनिक पुलिस में भी भर्ती का प्रस्ताव किया गया, जब कि उन अल्पस्थानों पर जहाँ के लोग अधिक सैनिक गुणों वाले थे या जो क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण थे वहाँ के कबीले के लोगों को अनियमित सैनिक के रूप में निश्चित सैनिक सेवा में भर्ती किया जाना था। और लगभग इन सभी मामलों में जो सेना बननी थी उनका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहना था। इसके अतिरिक्त चूँकि यह अनियमित और पुलिस सेनाएँ विद्रोह की स्थिति में इन्हें अपने मन से कुछ न करने दिया जाता और चूँकि उनसे स्वयं के विद्रोह करने की आशा रहती, इसलिए लाडकजन न "मैदान और पर्वत की सीमाओं पर जगह जगह चलने फिरने वाली नियमित सेनाओं की व्यवस्था की जो सूचना पाने पर क्षणों में कबीला की सेना से मुक्त कराने के लिए पहुँच जाते।"

यदि उपरोक्त नीति काय रूप में लायी जानी थी तो यह आवश्यक था कि सीमा की ओर जानेवाली सड़कों का आवश्यक विकास हो, रेलवे का विस्तार हो जिसमें हल्की टाइनें लगाई जाय और प्रशासकीय सीमा क्षेत्रों में आधारों को और विस्तृत किया जाय। आरंभ के सभी काम तुरन्त प्रारंभ किये गए।

यह नीति काय रूप में बदली गयी। दोर और स्वात में और अधिक लोग अनिवाय रूप से भर्ती किये गये। चिनराल में एक रेजीमेण्ट रखा गया। उत्तर में सबसे दूर जो सैनिक टुकड़ी रखी गयी वह स्वात नदी के किनारे चकदार पुल पर थी जिसके समर्थन के लिए एक छोटी टुकड़ी मालकद के ऊँचे पहाड़ों पर स्थित थी। खैबर दर्रे में नियुक्त 4000 की नियमित सेना सबकी सब वापस कर ली गयी और उसके स्थान पर अफरोदिया की एक चौंवर राइफल और कुछ अन्य कबीलों की सेना तैयार करके उस दर्रे के रक्षण नियुक्त कर दी गयी। एक हल्की रेलवे लाइन मुख्य रेलवे लाइन नीटोरा से मालकद के निकट डरगाय तक जोड़ी गयी। दूसरी रेलवे लाइन जमरूद तक ले जाई गयी और एक दूसरे रास्ते के रूप में खैबर के उत्तर में पर्वतों के पीछे पीछे लड़ी कोटाल तक एक गाड़ी का भार महन करने वाली सड़क ले जाई गयी। इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से कबीला के मजदूरों ने किया।

अल्प बल से काय और किये गये जिसका विस्तार में विवरण देना कठिन है। फ्रेजर ने जिस तरह से 1911 में इसे संक्षेप में बताया, हम भी उस यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं 'भिन्न भिन्न रूपों में भर्ती होकर कबीले के लोग संक्षेप में उत्तर पश्चिम के हर दरवाजे के मुख्य दरवाजों की रक्षा कर रहे हैं। वे सीमा सैनिक पुलिस द्वारा समर्थित हैं जिनका काम यह है कि वे हजारों, पेशावर, काहाट, बन्नु

और डेरा इन्माइल का जिलो, जो ब्रिटिश प्रशासकीय क्षेत्र में है, में लूटमार करने से उस क्षेत्र को बचाए।<sup>1</sup>

जब कजन इस देश से वापस लौटा उस समय तक नियमित सनाआ की सत्या प्रशासकीय सीमा की ओर 15 हजार से घटकर 4 हजार रह गयी थी। उसके अंदर भर्ती की गयी सेना बढ़ाकर 10 हजार कर दी गयी। इसके अतिरिक्त समय समय पर कुछ कबीले वालों को धूस के रूप में कुछ धन दे दिया जाता था। यह धन बहुत अधिक तो नहीं था और कभी कभी कबीले वाला स वसूला गया अथ दंड इस व्यय को अधिक सीमा तक पूरा कर देता था। इन धनों का देन का सबसे अधिक लाभ यह था कि उनके वहाँ से वापस होने की चेतावनी से उनकी उग्रता समाप्त हो जाती थी।

लाड कजन द्वारा स्थापित सीमा नीति की अच्छाईया प्रशंसा योग्य थी। गवर्नर जनरल के रूप में इस देश के उसके पूण शासन काल में शांति केवल एक बार भंग हुई। यह काम महसूद वजीरिया ने किया जिनके विरुद्ध कोई आक्रमण नहीं किया गया। उह घेर लिया गया और उनके गावों पर तेजी से प्रहार किया गया। उसके द्वारा स्थापित शांति लाड मिण्टो के काल में भी चलती रही जिसे एक ही बार कबीले वाला ने तोड़ा।

इस नयी नीति के कारण रुपये में भी बहुत बचत हुई। अपने पूण शासन काल (1899 1905) में लाड कजन ने उत्तर पश्चिम सीमा सत्रधी सेना पर 2,48,000 पौण्ड व्यय किया जबकि 1894 98 के बीच ही इस मामले पर 45,84,000 पौण्ड व्यय किया गया था। 1908 में लाड कजन ने स्वयं कहा कि, "यदि किसी को सीमा नीति की सफलता में सदेह रहा हो तो अब 10 वर्षों के बाद उसका सदेह समाप्त हो गया होगा।"

### उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त

उपरोक्त विवेचित नवीन नीति की स्थापना में सीमाओं पर नया प्रांत की स्थापना में सहयोग दिया। 184७ में पंजाब पर अधिकार काल से उत्तर-पश्चिम सीमा पर पंजाब सरकार का नियंत्रण रहा था। पर इस नियंत्रण व्यवस्था में बहुत से दोष थे। तथ्य रूप में भारतीय सरकार ही उत्तर पश्चिम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। वे ही युद्ध की घोषणा और शांति की स्थापना करते थे। कोई गड़बड़ सीमा पर हो जाने पर इंग्लैण्ड में जनता और मताचार पर पंजाब सरकार की ओर ध्यान दिये बिना ही भारत सरकार की खबर लेते थे। पर वाइसराय के जो उत्तरदायित्व थे उनके अंतगत उसका सीमा पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं था

1 फेजर पूर्वोक्त प० 46-47।

किलो में नहीं रखा जाना था, पर साथ ही जिन क्षेत्रों से उन्हें वापस बुलाया जाना था उन पर नियंत्रण भी बनाये रखा जाना था। नीति का संक्षेप यह था कि, "बलूचिस्तान से यह नीति उधार ली गयी थी जिसके अंतर्गत शांति व्यवस्था के लिए कबीलो को स्वयं उत्तरदायी बनाया गया था।" कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को सैनिक पुलिस में भी भर्तियों का प्रस्ताव किया गया, जब कि उन अग्रस्थानों पर जहाँ के लोग अधिक सैनिक गुणा वाले थे या जो क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण थे वहाँ के कबीले के लोगों को अनियमित सैनिक के रूप में निश्चित सैनिक सेवा में भर्तियों किया जाना था। और लगभग इन सभी मामलों में जो सेना बननी थी उनका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहना था। इसके अतिरिक्त चूँकि यह अनियमित और पुलिस सेनाएँ विद्रोह की स्थिति में इन्हें अपने मन से कुछ न करने दिया जाता और चूँकि उनसे स्वयं के विद्रोह करने की आशा रहती, इसलिए लाड कर्जन ने "मैदान और पर्वत की सीमाओं पर जगह जगह चलन फिरने वाली नियमित सेनाओं की व्यवस्था की जो सूचना पान पर क्षणों में कबीलों की सेना से मुक्त कराने के लिए पहुँच जाते।"

यदि उपरोक्त नीति काय रूप में लायी जानी थी तो यह आवश्यक था कि सीमा की ओर जानेवाली सड़क का आवश्यक विकास हो, रेलवे का विस्तार हो जिसमें हटकी लाइनें लगाई जाय और प्रशासकीय सीमा क्षेत्र में आधारों की ओर विस्तृत किया जाय। आरंभ में सभी काम तुरंत प्रारंभ किये गए।

यह नीति काय रूप में बदली गयी। दीर और स्वात में और अधिक लोग अनिवाय रूप से भर्तियों किये गये। चित्तूराल में एक रेजीमेण्ट रखा गया। उत्तर में सबसे दूर जो सैनिक टुकड़ी रयी गयी वह स्वात नदी के किनारे चक्दार पुल पर थी जिसके समर्थन के लिए एक छोटी टुकड़ी मालकंद के ऊँच पहाड़ों पर स्थित थी। खैबर दर्रे में नियुक्त 4000 की नियमित सेना सबकी सब वापस कर ली गयी और उसके स्थान पर अफरोदियों की एक खबर राइफल और कुछ अग्र कबीलों की सेना तैयार करके उस दर्रे के रक्षण नियुक्त कर दी गयी। एक हल्की रेलवे लाइन मुख्य रेलवे लाइन नोटोरा से मालकंद के निकट डरगाव तक जोड़ी गयी। दूसरी रेलवे लाइन जमरूद तक ले जाई गयी और एक दूसरा रास्त के रूप में खैबर के उत्तर में पर्वतों के पीछे पीछे लड़ी कोटाल तक एक गाड़ी का भार सहन करने वाली सड़क ले जाई गयी। इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से कबीलों ने मजदूरी में किया।

अग्र बढ़न में काय और किये गये जिसका विस्तार में विवरण देना कठिन है। फ्रेजर ने जिस तरह से 1911 में इसे संक्षेप में बताया, हम भी उसे यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, "भिन्न भिन्न रूपों में भर्तियों होकर कबीलों के लोग संक्षेप में, उत्तर पश्चिम के हर दरवाजे के मुख्य दरवाजों की रक्षा कर रहे हैं। वे सीमा सैनिक पुलिस द्वारा समर्थित हैं जिनका काय यह है कि वे हजारों, पेशावर कोहाट, बन्नु

और डेरा इस्माइल खा जिलो, जो ब्रिटिश प्रशासकीय क्षेत्र में हैं, में लूटमार करने से उस क्षेत्र को बचाए ।<sup>1</sup>

जब कर्जन इस देश से वापस लौटा उस समय तक नियमित सेनाओं की सट्टा प्रशासकीय सीमा की ओर 15 हजार से घटकर 4 हजार रह गयी थी। उसके अंदर भर्ती की गयी सेना बढ़ाकर 10 हजार कर दी गयी। इसके अतिरिक्त समय समय पर कुछ कबीले वालों को घूस के रूप में कुछ धन दे दिया जाता था। यह धन बहुत अधिक तो नहीं था और कभी कभी कबीले वाला स बसूला गया अथ दंड इस व्यय को अधिक सीमा तक पूरा कर देता था। इन धनो को देने का सबसे अधिक लाभ यह था कि उनके वहां से वापस होने की चेतावनी से उनकी उग्रता समाप्त हो जाती थी।

लाड कजन द्वारा स्थापित सीमा नीति की अच्छाईया प्रशंसा योग्य थी। गवर्नर जनरल के रूप में इस देश के उसके पूर्ण शासन काल में शांति केवल एक बार भंग हुई। यह काम महसूद बजीरिया ने किया जिनके विरुद्ध कोई आप्रमण नहीं किया गया। उन्हें घेर लिया गया और उनके गांवों पर तजी में प्रहार किया गया। उसके द्वारा स्थापित शांति लाड मिंटो के काल में भी चलती रही जिसे एक ही बार कबीले वाला ने तोड़ा।

इस नयी नीति के कारण रुपये में भी बहुत बचत हुई। अपने पूर्ण शासन काल (1899-1905) में लाड कजन ने उत्तर पश्चिम सीमा सरधी सना पर 2,48,000 पौण्ड व्यय किया, जबकि 1894-98 के बीच ही इस मामले पर 45,84,000 पौण्ड व्यय किया गया था। 1908 में लाड कजन ने स्वयं कहा कि, "यदि किसी को सीमा नीति की सफलता में सदेह रहा हो तो अब 10 वर्षों के बाद उसका सदेह समाप्त हो गया होगा।"

### उत्तर पश्चिम सीमा प्रा 7

उपरोक्त विवक्षित नवीन नीति की स्थापना न सीमाओं पर नये प्रांतों की स्थापना में सहयोग दिया। 1847 में पंजाब पर अधिपत्य काल में उत्तर-पश्चिम सीमा पर पंजाब सरकार का नियंत्रण रहा था। पर इस नियंत्रण स्वरूपा में बहुत से दोष थे। तथ्य रूप में भारतीय सरकार ही उत्तर-पश्चिम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। वे ही मुद्दों को घोषणा और शांति की स्थापना करने थे। कई गड़बड़ सीमा पर हा ज्ञान पर इंग्लैंड में जनता और समाचार पत्र पंजाब सरकार की ओर ध्यान दिये बिना ही भारत सरकार को उपर लत थे। पर बादतराज में जो उत्तरदायित्व थे उनके अंतर्गत उनका सीमा पर सोधा कई नियंत्रण नहीं था

क्याकि उस पंजाब के लेफ्टीनेंट गवर्नर के माध्यम से ही सारे आदेश देने होते थे । सीमा पर जो कुछ अधिकारियां परनिभर करता था व उसके द्वारा नियुक्त न होकर लाहौर सरकार द्वारा नियुक्त होते थे और जब कभी नयी नीति अपनाई जाती तो भी यह उनके ऊपर था कि वे उसे कैसे कार्यान्वित करें। इसके अतिरिक्त यह मामला जिन अधिकारियों के हाथ में था वे इससे बसे भी बहुत परीशान थे । जो चीज प्रारंभ में साधारण लगती थी अब बड़ी पेचीदा हो गयी थी और इस सबध में सभी पंजाब सचिवालय में निर्देश प्राप्त करते थे जहां के कर्मचारियों को इस सबध में और इससे संबंधित गहन नीति में छिपे सिद्धांत की कोई जानकारी नहीं थी । जैसाकि एक बार लाड कजन ने स्वयं कहा कि पंजाब के प्रथम पांच लेफ्टीनेंट गवर्नरों और मुख्य सचिवों को सीमा के सबध में कोई राजनैतिक अनुभव नहीं प्राप्त था । सब तो यह था कि पंजाब सरकार उत्तरदायित्व से बचने के प्रवृत्ति को थी और यही था सचिवालय पोस्ट ऑफिस से बेहतर और कुछ नहीं था जो सूचना प्राप्त होते ही हर कठिन समस्या की जानकारी केन्द्र को तुरंत करा देता था । 1897 के सीमा युद्ध के काल में स्थिति विषमता की पराकाष्ठा को पहुंच गयी जब विनाशकारी स्थिति उस क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी, पर अपनी अज्ञानता के कारण पंजाब सरकार ने मामले की जो रिपोर्ट भेजी उसके अनुसार स्थिति ठीक बताई गयी ।

पर इसके लिए केवल पंजाब के अधिकारी ही दोषी नहीं थे । वे जो भी कदम उठाते उसके लिए केन्द्र से ही अंतिम स्वीकृति प्राप्त होती थी और उनके लिए यह मामला दिन प्रतिदिन पेचीदा ही होता गया क्योंकि एक के बाद एक सभी चाइसरमैन सीमा के सबध में अपनी पकड़ कड़ी कर दी । यदि पंजाब सरकार की अपनी कोई सीमा नीति नहीं थी तो हम इसके लिए पंजाब को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वे ऐसा करने की स्थिति में ही कहा थे । अभी कुछ दिन पहले तक सीमा पर उन्होंने प्रशासकीय कारवायों की थी और यदि अब वे असफल हो गये तो इसका कारण साम्राज्यवाद था । इतना ही नहीं पंजाब की आंतरिक स्थिति भी पेचीदा हो गयी थी । अब पंजाब सरकार के लिए काय क्षमता-पूर्वक इस बोझ को भालने में कठिनाई ही थी ।

इस समस्या का बेहतर हल यह था कि सीमा पर एक नया प्रांत स्थापित कर दिया जाय जो अपनी समस्या का समाधान सीधे केन्द्र से निर्देश प्राप्त करके कर । इस तरह का प्रस्ताव बहुत पहले आ चुका था । लाड डलहौजी इस प्रांत की रचना करना चाहता था पर उसे इस विचार का इसलिए परित्याग कर देना पड़ा क्योंकि कनल मकैसन जिसे वह यह काय सीपना चाहता था उसकी पेशावर में हत्या कर दी गयी । लाड लिटन ने 1877 में इस प्रस्ताव को दुहराया और उसकी योजना यह थी कि इसे लंबा चौड़ा क्षेत्र वाला प्रांत बनाया जाय जो समुद्र तक पहुंच जाय

और जिसमें बलूचिस्तान भी सम्मिलित हो। पर इसी समय द्वितीय अफगान युद्ध ने मामला खटाई में डाल दिया। इस प्रस्ताव को 1893 में पुनः सर मार्टिनेर डूरण्ड द्वारा लाया गया जब उसने अब्दुरहमान से समझौते में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा के विषय में बातचीत की। लाड लै सडाउन इस प्रस्ताव के पक्ष में था पर वह इस मामले के विषय में कुछ करता उसके पहले ही उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। लाड एलिंगन न 1898 में पुनः इस प्रस्ताव को दुहराया। उसने पंजाब सरकार से इस सबंध में पत्र मांगा जिसने इसके विरुद्ध अपना मत दिया। लाड एलिंगन ने पंजाब सरकार के मत सहित अपने विचार भी सेक्रेट्री आफ स्टेट को भेजे। पर सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इस तरह के क्षेत्रीय परिवर्तन इस समय न करने की सलाह दी जिससे यह प्रस्ताव फिर टल गया।

पंजाब सरकार इस प्रस्ताव का मुख्यतया इसलिए विरोध करती थी क्योंकि एक नये प्रान्त के निर्माण से उनकी राजस्व व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इससे पंजाब अधिकारियों को सीमा समस्या के विषय में प्रशिक्षण भी नहीं मिल पायेगा और साथ ही कुछ क्षेत्रीय आदान प्रदान भी इसके साथ जुड़ेगा जिसके लिए पंजाब सरकार तैयार नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस कार्य से फावड नीति को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणाम अभी तक ठीक नहीं आ पाये हैं।

लाड कजन ने इस प्रश्न को दृढ़ता से लिया। उसने पंजाब सरकार के सभी विरोधों को नामजूर कर दिया और उसे बेकार बताया, उसने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया कि बम्बई प्रेसीडेन्सी से सिंध लेकर पंजाब को सीमा प्राप्ति की क्षतिपूर्ति के रूप में सौंप दिया जाय। कुछ पंजाब के अधिकारियों ने कडाई से कजन के प्रस्ताव का विरोध किया, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठाप्राप्त धार्मिक अधिकारी ने स्तीफा तक दे दिया, पर कजन हिला डुला तब नहीं।

अपनी कांसिल और सेक्रेट्री आफ स्टेट से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लाड कजन न नवीन प्रांत की रचना कर दी। नये प्रान्त में सिंध पार के जिले पेशावर, कोहाट, बनू और डेरा इस्माइल खा सम्मिलित किये गये। दीर, स्वात और चित्तवाल में राजनैतिक एजेंसिया स्थापित की गयीं। इसमें खैबर, कुरम, तोची और वाना दर्रे भी सम्मिलित थे। बाद में इसमें सिंध के इस पार के क्षेत्र हजारों की कबीला की सख्या के आधार पर सम्मिलित किया गया। इस तरह पंजाब के हाथ में सिंध के पश्चिम क्षेत्र निकल गये और अब उसका उस क्षेत्र के डेरा गाजी खा पर ही अधिकार रहा।

जो नया प्रान्त बनाया गया इसमें सिंध के पार बराबर भूमि वाली एक लंबी सवरी पट्टी जुड़ी थी तथा इसमें अफगानिस्तान तक का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित था। इसका क्षेत्रफल 38665 वर्गमील था जिसमें से 13,193 वर्ग मील प्रशासकीय

सीमा के अंतगत थे। प्रान्त की जनसंख्या 40 लाख थी जिसमें से अधिकतर पठान और मुसलमान थे। इस प्रांत की स्थापना राजा एडवर्ड के जन्म दिन पर 1901 में की गयी और इसका नाम रखा गया नाथ वेस्ट फ्रिंजियर प्राविंस। नाथ वेस्ट प्राविंस का नाम बदलकर युनाइटेड प्राविंजेज आफ आगरा व अदध रख दिया गया। रोनाल्डो के अनुसार इस तरह “अत्यधिक देर तक जन्म के पूर्व के कष्ट के बाद नाथ वेस्ट फ्रिंजियर प्रांत का जन्म हुआ।”<sup>1</sup> इन प्रान्त का प्रथम कमिश्नर लेफ्टिनेंट कनल डीन को बनाया गया जो बाद में सर हैरल्ड डीन कहलाय। 1908 में उनकी मृत्यु हो गयी और वे सर जाज रूस वेपेल उनके उत्तराधिकारी हुए।

इस प्रांत के जन्म के औचित्य का सिद्ध करते हुए फ्रेजर ने 1911 में कहा, “जिस तीव्रता से सीमा के मामले अब निपटाय गये हैं, अपराधा को दवाने में जा सतकता बरती गयी है, तथा अधिकारियों व सीमा के नेताओं में जिस तरह का अच्छा और निकट का संबंध स्थापित हुआ है, वह पहले की स्थिति का एकदम विलाम है।” सी० सी० डेवीज ने लिखा है कि लाड कजन के काम की महत्ता “इसमें है कि उसने ऐसे सुधार को मूल रूप प्रदान किया जिसपर लगभग पिछले 25 वर्षों से विचार हो रहा था।”<sup>2</sup>

सबसे अधिक लाड कजन की पूरी उत्तर पश्चिम सीमा नीति हमारी प्रशंसा का अधिकार रखती है। इस संबंध में बहुत से जानकारान धोषणा कर रखी थी कि साडेमन की बलूचिस्तान संबंधी पठाना के विरुद्ध नीति सफल नहीं हो पायेगी। पर लाड कजन अपनी नीति पर जडा रहा और जो प्रयाग बलूचिस्तान में सफल रहे थे वे उत्तर पश्चिम सीमा पर भी सफल हुए। लाड कजन तय कर चुका था कि वह नियमित ब्रिटिश सैनिका को असुरक्षित स्थानों पर नियुक्त नहीं करेगा और उसका विचार था कि स्थानीय अनियमित सेनाएं जो इस उद्देश्य के लिए संगठित की गयी हैं उनसे उद्देश्य पूरा हो जायगा। और यह सब सिद्ध भी हुआ। अपनी नीति के द्वारा उन्होंने अपने नियमित सैनिका को अनियमित और खतरनाक कार्यों से बचाया ही नहीं बल्कि इससे सीमा में होने वाले व्यय में भी बहुत बचत हो गयी। जबकि अन्य लोग सुधारों की बात करते रहे कजन ने उसे करके दिखा दिया। उन्हें “भारत को उत्तर पश्चिम सीमा पर सबसे लंबे काल तक की शांति प्रदान की जो अभी तक जानी नहीं गयी थी” और जो तरीका उसने प्रारंभ किया वह अनवरत काल तक के लिए चलता रहा। कजन ने स्वयं धोषणा की, “मैं इस बात से ही सतुष्ट

1 रोनाल्डो के द लाइफ आफ लाड कजन II प० 263।

2 फ्रेजर पूर्वोक्त प० 39-77।

3 वही

हू कि सात वर्षों तक हमे सीमा पर एक भी आक्रमण नहीं करना पडा, और यही सात वर्ष हुए थे जबसे सीमा ब्रिटिशों के हाथ में आयी थी "1

### अफगानिस्तान से सबध

उत्तर पश्चिम सीमा के पार ताड कजन के अफगानिस्तान से सबध उतने सफल नहीं थे जितनी कि उसकी इच्छा थी। अफगानिस्तान का शासक अब्दुरहमान लाड कजन से पहले से ही परिचित था। उसे ब्रिटिश सहायता से ही 1880 में अफगान युद्ध के बाद अफगान गद्दी प्राप्त हुई थी। अमीर को यह ब्रिटिशों की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वे उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि कोई विदेशी आक्रमण उन पर होगा तो ब्रिटिश अमीर की सहायता करेंगे और यह कि उसे ब्रिटिशों से 80,000 पौण्ड की वार्षिक आर्थिक सहायता तब तक प्राप्त होती रहेगी जब तक उसके उनसे अच्छे सबध बने रहेंगे। 1893 में यह आश्वासन पुन दुहराये गये जब डूरण्ड समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और अमीर की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1,20,000 पौण्ड कर दी गयी। वैसे इस सबध में कभी औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए, पर अमीर की वैदेशिक नीति का संचालन ग्रेट ब्रिटेन के माध्यम से होता रहा और रूस को बार बार सूचना भेजी गयी कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर है।

अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति का मुख्य सिद्धांत यह था कि वे उनके राज्य को एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में अपने प्रभाव में बनाये रखना चाहते थे और वे प्रमाण पत्र चाहते थे कि अफगानिस्तान इतना शक्तिशाली हो कि वह विदेशी आक्रमण का मुकाबला कर सके।

पर इस सबके लिए अमीर ने ब्रिटिशों के लिए कोई वृत्तज्ञता नहीं दिखाई। उसने ब्रिटिश धन तो लिया पर उनसे दूर बना रहा। उसने भारत सरकार से पत्र व्यवहार तक करना पसंद नहीं किया और इस बात पर जोर डाला कि उसकी प्रतिष्ठा का तकाजा है कि उसका एक प्रतिनिधि सेट जेम्स के दरबार में भेजा जाय। इस उद्देश्य के लिए उसके लडके नसरुल्लाह खा को 1895 में भेजा भी गया पर उसे वहाँ निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त हुआ। भारत सरकार को प्रेषित उसके पत्र सदा अपने को महत्त्वपूर्ण ही जताते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने सोचा कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि रूसियों के आक्रमण को विछाड सके इसलिए उसकी इच्छा है कि अब ब्रिटिश उसकी केवल धन और हथियार से सहायता करें। उसने अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार ठप कर दिया और आमतौर पर ब्रिटिश क्षेत्र के कबीलों से पड़्यन्न म तल्लीन रहा।

1 डबीज, सी० सी० द प्रॉब्लेम आफ द नाथ वेस्ट फ्रंटियर (1932), प० 258।



उसने तीरा के विद्रोह में भी अप्रत्यक्ष पर महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

पर इस सबके बावजूद उसने वह किया जो ब्रिटिशों से कहा। इस तरह ब्रिटिशोंसे उसके सबध न तो बहुत अच्छे और न बहुत खराब रहे। डूरण्ड समझौते के अन्तगत अमीर को ब्रिटिश भारत से होकर हथियार आयात करने का अधिकार दिया गया, और उसने इस सुविधा का इतना अधिक प्रयोग किया कि उसकी कुछ सामग्री भारत रोक ली गयी जिसे कजन ने भारत पहुँचने पर अफगानिस्तान चले जाने की आज्ञा दे दी। अब्दुरहमान की अवतुबर 1901 में मृत्यु हो गयी।

उसके मरने के बाद उसका लडका हबीबुल्लाह गद्दी पर बैठा जिसने कुछ पेचीदे और महत्त्वपूर्ण तरीके के प्रश्न उठाये। फ़ेजर के मतानुसार अब्दुरहमान और ब्रिटिशों के बीच जो सुरक्षा-समझौता हुआ था वह परम व्यक्तिगत था और किसी अर्थ में यह पैतृक नहीं था, एक अर्द्ध-स्वर देश म तो और नहीं जहाँ शासक की मृत्यु उत्तराधिकार के प्रतियोगिता में घून-घरावा मचा देती थी।" यही बात आर्थिक सहायता पर भी लागू होती थी। यह प्रश्न तो इस तरह हल हो गया कि हबीबुल्लाह ने आर्थिक सहायता लेने से ही इनकार कर दिया। पर ब्रिटिश तब परीक्षण हो गये जब हबीबुल्लाह ने कई निमतर्णों को अस्वीकार कर दिया जिसमें उससे भारत आने और पुराने समझौते को फिर से करने को कहा गया था। उसने जोर दिया कि समझौता वशगत था और इस कारण उसके पिता को मर जाने से यह टूटा नहीं है।

मामला तब और गंभीर हो गया जब अमीर ने अपने बहुत से अधिकार अपने भाई को सौंपना प्रारंभ कर दिया। कभी-कभी तो वह राज्य के काम में बिल्कुल ही भाग न लेता। उसकी सेना का अनुशासन भी ढीला पड़ने लगा और इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि उसकी रक्षा रूस की ओर हो रही है। वैसे इस सबध में कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं मिले। इस सबके बावजूद उसने जोर देकर भारत के माध्यम से युद्ध सामग्री आयात करने पर जोर दिया और उसने यह भी कहा कि वह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि जापान का सम्राट। 1904 आते-आते अमीर और ब्रिटिशों में सबध ब्रिगाड की सीमा पर पहुँच गये जब लड कजन लदन अवकाश पर चला गया और लड ऐम्पयिलको स्थानापन्न वाइसराय बनाया गया।

जब बार बार भारत-यात्रा का ब्रिटिश आमंत्रण अमीर ने नहीं माना तो कजन और गह सरकार की स्वीकृति से लड ऐम्पयिल ने डेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक शिष्टमंडल भेजा। अमीर ने शिष्टमंडल का स्वागत करना स्वीकार किया और उसने अपने 16 वर्षीय पुत्र इनायतुल्ला को भारत की यात्रा पर भेजने के लिए आश्वस्त किया। अमीर को भारत यात्रा करने से इनकार करना उमके द्वारा दरबार में उस भाषण से स्पष्ट होता है जो उसने 21 अगस्त 1906 में लड मिण्टो के निमतर्ण प्राप्ति के बाद आयोजित किया। उसने कहा, इसके

पहले लाड कजन ने भी मुझे भारत से निमंत्रित किया। पर उसके पत्र में यह चेतावनी थी कि यदि मैं नहीं आता तो आर्थिक सहायता बंद कर दी जायेगी। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है मैंने निश्चित कर लिया कि मैं कभी नहीं जाऊंगा लाड मिण्टो का व्यवहार इतना मित्रतापूर्ण है कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने में मैं नहीं हिचक सकता।”

1904 के अंत में अमीर के लडके ने भारत की यात्रा की, पर इसकी कोई राजनैतिक महत्ता नहीं थी। अफगानिस्तान जो शिष्टमंडल भेजा गया उसके भी कोई अच्छे परिणाम नहीं हुए। डेन के नेतृत्व में शिष्टमंडल काबुल 12 दिसंबर 1904 को पहुंचा। यह अफगानिस्तान में दो सप्ताह से अधिक रुकने की आशा नहीं करता था पर अफगान सरकार को उनके प्रति कारवाई इतनी अनुत्साहपूर्ण थी कि इसे वहां दूसरे वष 29 मार्च तक रुकना पड़ा। अमीर ने कूटनीतिज्ञता ज्ञापन करते हुए शिष्टमंडल के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार में बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पर समझौते के मामले में पत्रों द्वारा बातचीत की गयी और उसके सरकारी पत्र व्यवहार गुस्ताखी से भरे हुए थे। शिष्टमंडल लगभग अलग-अलग पड़ गया था जिनसे कभी-कभी कोई महत्वपूर्ण अफगान मिलन चला आता था। शिष्टमंडल के साथ ऐसे व्यवहार किया गया जैसे कि वह दरवाजे का पहरेदार हो। इस तरह के व्यवहार करने का उद्देश्य संभवतः अफगान अमीर द्वारा अपनी जनता को अपनी महत्ता और वडपन दिखाना था क्योंकि पूरा नगर यह जानता था कि अमीर ने कई ब्रिटिशों के भारत जाने के निमंत्रणों को ठुकरा दिया है और अब ब्रिटिशों ने अंततः अपना ही शिष्टमंडल अमीर के पास भेजा है।

शिष्टमंडल का उद्देश्य दुहरा था पहला यह कि अमीर और ब्रिटिशों में जो भेदभाव हो गया है वह समाप्त हो जाय, और दूसरा यह की उससे वह संधि पुनः कर ली जाय जो उसके पिता के काल से चली आ रही थी। उनके पास जेब में ही संधि की शर्तें तैयार रखी थी जिसे अमीर ने देखा पर यह प्रस्ताव रखा कि वह स्वयं शर्तें तैयार करेगा। जिसे उसने शुद्ध फारसी में लिखा। दोनों संधि-पत्रों में अंतर था। जहां डेन के संधि-पत्र में पुराने आधार पर कई वादे करने को कहा गया था, वहां अमीर के संधि-पत्र में केवल यह लिखा गया था कि अमीर अपने पिता के समय से चले आ रहे समझौते का पालन करेगा। अपने संधि पत्र में पहली बार अमीर ने ‘हिज मैजैस्टी’ शब्द के समानांतर शब्द का प्रयोग किया। तीन सप्ताह इसी तरह के पत्रों के आदान प्रदान में लग गय पर कोई निष्पत्ति नहीं निकल पाया।

इस कठोर दृष्टि के लिए केवल अमीर दोषी भी नहीं था। इस तरह का उदाहरण था जिसमें दोस्त मुहम्मद से हुई ब्रिटिशों से संधि को उसके उत्तराधिकारी शेरअली के शासन काल में बिना नवीनीकरण के चलता रहन दिया गया। पर

भारत सरकार के विचार भी पूणनया तक से परे नहीं थे। इसमें सदेह नहीं कि एक देश में जहाँ गृह युद्ध सामान्य है और एक देश के घात दूमरे का आगमन होता है, वडकजाई वश से ब्रिटिश सधि तमाम अज्ञात सम्भावनाओं से उह वाघ देती। और फिर हवीबुल्लाह का शासन भी बहुत सुरमित नहीं था। उसका भाई जिसके पास तमाम शक्ति थी वह स्वयं शासक बनने का महत्वाकांशी था। पर पुरान उदाहरणों से अमोरा न उनना लिया जा उसके लिए हितकर था और उस मानने से इनकार कर दिया जो उसके हितों के प्रतिफल था 40,00,000 पीण्ड, जा आर्थिक सहायता का अब तक एकत्रित हो गया था उसे उसने अपना जर्मसिद्ध अधिकार बताया और ऐमे ही भारत से होकर हवियार आयात करने के अधिकार के विषय में भी उसकी धारणा थी। उसने इन प्रश्नों के विवाद को झगडा नहीं माना। जबकि दूसरी ओर उसने कहा कि वह अपनी वदेशिक नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण नहीं बर्दाश्त करेगा।

वार्ता लम्बी अवधि तक चली और इसका अंत नजर नहीं आया क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मत पर अटल बने रहे। पर एकाएक माच की समाप्ति आते आते स्थिति बदल गयी और शिष्टमंडल ने अमीर की सभी शर्तें मान लीं। अमीर को अपनी इच्छानुसार सब प्राप्त हा गया और उसने शिष्टमंडल को भद्र विदाई दी।

डेन ने कहा कि उसका शिष्टमंडल सफल होकर लौटा है। पर सत्य भी क्या छिप सकता था? सच तो यह था कि शिष्टमंडल ने जो कुछ पाया वह तो पत्र व्यवहार से ही प्राप्त हा जाता। इस शिष्टमंडल के कारण अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रतिष्ठा अत्यधिक नीचे आ गई। और यह बहुत देर में समथ में आया कि शिष्टमंडल 'भेजे जान की आवश्यकता' ही नहीं थी।'

1907 में लाड मिण्टो के नियंत्रण पर अमीर भारत आया। उसका गवर्नर जनरल द्वारा पहले आगरा में और फिर बलकत्ता में स्वागत किया गया। यह समस्या थी कि अमीर को कहा 'हिज मजेस्टी' की उपाधि प्रदान की जाय जिसे उसने अपनी सधि में एक शत बनाया था। पर समस्या तब हल हो गयी जब सम्राट एडवर्ड ने एक तार में अमीर को 'योर मैजेस्टी' कहकर संबोधित किया। अमीर की इस यात्रा में दोना सरकारों में सबध सुबध किये और इससे अमीर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।

### फारस की खाड़ी

फारस की खाड़ी में ब्रिटिश अत्यधिक विशिष्ट स्थिति में थे। इस सबध में 5 मई 1903 को विदेश सचिव लाड लैसडाउन ने हाउस आफ लाड्स में कहा 'मैं यह बिना हिवक के कहना हू कि हम फारस की खाड़ी में किसी और शक्ति के द्वारा नव सेना का अड्डा या बदरगाह की किलेबंदी के प्रयास को ब्रिटिश हितों के

प्रतिकूल मानकर इसे प्राणपण से अपने साधनों से विरोध करना चाहिए।" और इस बात को सेण्ट पीटर्सबर्ग में ब्रिटिश राजदूत सर एडवर्ड ग्रैने ने 29 अगस्त 1907 को अपने एक प्रेषण में दुहराया भी।

लाड वजन जब भारत का गवर्नर जनरल हुआ उस समय उसे भी इस स्थिति का भान था क्योंकि उसने अपनी फारस संबंधी पुस्तक में लिखा था, "फारस की खाड़ी में किसी भी शक्ति द्वारा रूस को बंदरगाह बनाना की सुविधा को हमें ब्रिटेन का अपमान मानना चाहिए, यथास्थिति का अनुशासनहीन तरीके से अवमानना माननी चाहिए और इस मानना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का आक्रमण। और ऐसी स्थिति में इस अपराध की मौन स्वीकृति के लिए तो हमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गद्दार मानकर उसके विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा चलाना चाहिए।" और जब वह भारत में वाइसराय होकर आया तब भी उसके इस सम्बन्ध में विचार वैसे ही थे।

सच तो यह था कि फारस की खाड़ी की सुरक्षा से ब्रिटिशों के भारत की भी सुरक्षा थी। खाड़ी पर ब्रिटिश नियंत्रण आवश्यक था, जैसा कि पिछले अध्यायों में हम देख आये हैं, क्योंकि यह इंग्लैण्ड और भारत के व्यापार पथ में पड़ता था, और इसके अतिरिक्त अब ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि फारस की खाड़ी में विदेशों की रुचि निश्चित ही ब्रिटिशों की एक कमजोरी मानी जाती। इसके अतिरिक्त यह भी भय था कि यदि खाड़ी पर से ब्रिटेन का नियंत्रण ढीला हुआ तो दास व्यापार और आक्रमण प्रतिआक्रमण पुनः प्रारंभ हो जायेंगे।

वजन के यहाँ पहुँचाने पर फारस के खाड़ी की स्थिति पेचीदी थी, यह लगभग वही काल था जब मध्य पूर्व, और विशेषकर फारस और फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यधिक क्रियाशीलता के दर्शन कर रही थी। रूस इस समय उत्तरी फारस में धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था और खुलेआम दक्षिणी फारस तक रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रहा था। सच तो यह था कि रूस फारस की खाड़ी में आवश्यकता से अधिक रुचि ले रहा था। खाड़ी में प्लेग के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बहाने रूसी डाक्टर व्यापारिक रास्तों की खोज में जुटे हुए थे और रूसी अधिकारी बंदरगाहों व सड़कों के परीक्षण में लगे थे। ब्रिटिश इस स्थिति से परीक्षित हो गये।

फारस और अन्य यूरोपीय देश भी इस मामले में ढीले नहीं थे। मस्काट में चल रहा फ्रांसीसी पड़वत उसे उस क्षेत्र में एक वायता स्टेशन दिलाने की स्थिति में पहुँच गया था। दूसरी ओर जर्मनी भी अपनी बगदाद रेलवे की योजना को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगा था और फारस की खाड़ी में एक रास्ता चाहता था। कुवैत के शेख मुबारक की स्वतंत्रता टर्की के इस प्रयास के कारण खतरे में थी क्योंकि वह उसे अपने अधिकार में लाना चाहता था। फ्रेजर लिखता है कि सच तो यह था कि, "यूरोप की आधी शक्तियाँ लगती थी कि भारत के एक किनारे शक्ति

स्थापित करने में लगे हैं। उनका उद्देश्य खाड़ी के क्षेत्र में ब्रिटिश महत्ता को कम करना है।”

और विस्तार में खाड़ी क्षेत्र में इन देशों की कारवाही को देखने के लिए और लाइ कज्जल की प्रतिक्रिया के अध्ययन के लिए पहले रूस से प्रारम्भ किया जाय। हम ऊपर देख चुके हैं कि रूस किस तरह से खाड़ी में अत्यधिक रुचि ले रहा था। 1899 में जिस वर्ष 'वज्जल भारत आया उसी वर्ष सेण्ट पीटर्सबर्ग बीदोमोस्टी ने एक लेख छपा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार को बदर अब्बास पर अधिकार कर लेना चाहिए और इसे रेलवे का अंतिम स्टेशन बनाना चाहिए जिसे रूस फारस में बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसे हमुज क्षेत्र में द्वीपों पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। इंग्लैण्ड इसी समय दक्षिणी अफ्रीका के गभीर कठिनाइयों में फसा हुआ था और रूस ने इससे अत्यधिक लाभ उठाना चाहा। इसी समय एक छोटी-सी बंदूकयुक्त एक छोटी जहाज जिसका नाम गिल्जक था बदर अब्बास पहुंच गयी। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस ओर गभीरता से ध्यान नहीं दिया जो वे निश्चित रूप से करते यदि कोई बड़ा लडाकू पानी का जहाज आया होता। गिल्जक के नेता न कोयले की आवश्यकता बताई। रूसी अधिकारियों ने वम्बई के एक फर्म से बातचीत की जिसने 300 टन कोयला अपने ही स्टीमर से भेजा। कोयले का जो आदेश दिया गया था वह नाव के आकार के हिसाब से अधिक था। रूसी अधिकारियों ने स्थानीय गवर्नर से निवेदन किया कि कुछ कोयला उसे बहा गिराने की आज्ञा दी जाय, पर चूंकि वह जानते थे कि यदि रूसी एक बार घुसे तो जल्दी वापस नहीं जाएंगे और इसके अतिरिक्त उनके उद्देश्यों पर संदेह हो जाने के कारण, उन्होंने इसकी आज्ञा नहीं दी। इसी बीच एच० एम० एस० पोमोन भी एकाएक बहा पहुंचा और इस मामले में रुचि लेनी प्रारम्भ कर दी। गिल्जक के नेता की स्थिति समझ में आ गयी और उसने अपने जहाज पर जितना कोयला आया उसे लादकर शेष वहीं के स्थानीय नाविका का बाटकर वह वापस लौट गया। इसमें संदेह नहीं कि रूस ने एक मूल्यवान विधि से बहा पर एक कोयला स्टेशन खोलने की कामना की थी। पर भारत सरकार के ध्यान देने से उसकी महत्त्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई।

इसी बीच रूसी 1900 में और क्षेत्रों में भी अपनी कारवाही में जुटे थे। एक रूसी शिफ्टमडल दक्षिणी फारस में रेलवे लाइन बनाने के लिए नाप जोख कर रहा था। इसका एक दल एकाएक बदर अब्बास में प्रकट हुआ जबकि दूसरा एक दल एक अन्य भाग पर चहूँबार की ओर नाप जोख के लिए पहुंच गया जो बलूचिस्तान से केवल 100 मील दूर था। बसौरा और बदर अब्बास में रूसी कांसला की स्थापना कम गभीर घटना नहीं थी। लाइ कज्जल इस सब पर तीव्र रूप से निगाह गड़ाये हुए था जिससे कि खाड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश हितों को हानि न पहुंचे।

इस समय फ्रांस भी अपनी कारवाइयो मे व्यस्त था। जैसे ही कजन भारत पहुंचा मस्काट मे फ्रांस के पडयत्त के कारण कठिनाइया बढ गयी। 1862 मे जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संधि हुई तो दोनो ने मिलकर ओमान के सुल्तान की स्वतंत्रता की रक्षा का वचन दिया। और मस्काट सबंधी वैदेशिक, राजनैतिक और व्यापारिक हित की रक्षा ब्रिटेन के नियंत्रण मे आ गयी। उसी समय से भारत सरकार अपनी शक्ति वहा बढाने के लिए सुल्तान के लिए बहुत सी रियायतें करती रही। ब्रिटिश ने उसे आर्थिक सहायता प्रदान की, विरोधियो से उसकी गद्दी को बचाया, आंतरिक विद्रोहो को दबाने मे उसकी सहायता की और इस सबके अभाव मे वह राज्य पर अपनी पकड बनाये नही रह सकता था। वतमान सुल्तान सैय्यद फौजल भी ब्रिटिशो के पक्ष मे था। पर 1894 मे जब मस्काट मे फ्रांसीसियो ने अपने कासल की वहा स्थापना कर ली और ब्रिटिशो के विरुद्ध पड्यत्त करने लगे तो स्थिति बदल गयी। फ्रांसीसी कासल एम० ओत्ताबी एक कूटनीति बुद्धि का व्यक्ति था और अपन पीछे प्रचार द्वारा सुल्तान को ब्रिटिशो के विरुद्ध करने मे सफल हो गया। नवम्बर 1898 मे 'जनल देस देवात' मे यह घोषणा की गयी कि सुल्तान न फ्रांसीसियो को बदर जिस्सेह मे एक कोयला स्टेशन बनाने की अनुमति प्रदान की है। यह स्थान मस्काट से 5 मील दक्षिण पूव मे बदरगाह की ही तरह का था। इस बदरगाह के निकास पर एक द्वीप था जिसकी विलेप्टी की जा सकती थी। ब्रिटिशो ने इस सूचना को गभीरता से नती लिया, पर बाद मे उहे पता चला कि यह बदरगाह फ्रांसीसियो को पिछले माच मे ही दिया जा चुका है। जब इस सबध मे ब्रिटिश राजदूत द्वारा फ्रांसीसी विदेश मंत्री एम० देलकास से इस सबध मे पूछा गया तो उन्हाने इस सबध मे अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की और वह माना जाने का कारण था कि फ्रांसीसी सरकार को इसकी सूचना नही रही होगी। मस्काट के ब्रिटिश एजेण्ट को भी इसके विषय मे लबे अरसे तक जानकारी नही हो पाई। वहा पर कुछ ऐसे और मामले थे जिनको लेकर ब्रिटिशो और सुल्तान मे मतभेद हो गया था और वह अब पराकाष्ठा को पहुंच गया था। सुल्तान ने मस्काट मे ब्रिटिश प्रजा पर कुछ अवैधानिक कर आरापित कर रखे थे और उसने उनको तीन वष पूव हुए विद्रोह के अवसर पर ब्रिटिश हानि की क्षति-पूर्ति से इनकार कर दिया।

फरवरी 1899 मे फारस की खाडी का ब्रिटिश एजेण्ट कनल मीड मस्काट पहुंचा और सुल्तान से मतभेद समाप्त करन का निवेदन किया। इसी बीच जब कजन को यह पता चला कि सुल्तान ने बदर जिस्सेह फ्रांसीसियो को दे दिया है तो उसने कनल मीड को यह लिखा कि वह सुल्तान से यह भी जार देकर बहे कि वह फ्रांसीसियो को दिये गय क्षेत्र को वापस ले ले। कनल मीड की सहायता करने के लिए कजन ने एडमिरल डगलस को एच० एम० एस० एक्लिप्स मे भेजा जो ईस्ट

इंडोज स्वराष्ट्रन की परीक्षण थी। और जब वनल अपने मतव्य में सफल नहीं हुआ, तो डगलस ने बातचीत अपने हाथ में ली और गुल्तान को चेतावनी दी कि यदि निश्चित कालाविधि में उसके परीक्षण पर आभार प्रिटिशों की सारी बात नहीं मानता तो वह उसके महल पर बमबारी प्रारंभ कर देगा। गुल्तान साहस धो बठा और उसने वही किया जो उसमें कहा गया था। बदर जिस्सेह को वापस ले लिया गया और ब्रिटिश पूरी तरह सतुष्ट हो गये।

हम ब्रिटिशों के इस बड़ी कारवाही की, जो उन्होंने गुल्तान के विरुद्ध की, अलोचना भी नहीं कर सकते। गुल्तान ने सन् 1891 के गुप्त संधि के अंतगत यह वादा किया था कि वह अपने क्षेत्र का कोई भाग किसी को प्रदान नहीं करेगा। फिर भी इसमें सदेह नहीं कि गृह सरकार को गुल्तान के विरुद्ध इतना कड़ा नहीं पडना चाहिए था। टाइम्स ने लाड कजन के शीघ्रता और निणय की चर्चा की। सब यह था कि कजन के जोर देने पर ही बदर जिस्सेह के वापसी की बात ब्रिटिश भागों में जोड़ दी गयी। और वा" में गृह सरकार ने लाड कजन के इस कारवाही की प्रशंसा की।

पर फ्रांसीसी मनोभावों को सहलाने के लिए ब्रिटिशों ने फ्रांसोसियों को मस्काट बदरगाह के प्रवेश द्वार पर अपन ही क्षेत्र में से बोयला स्टोर बनाने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दिया। लाड कजन ने वनल काक्स को नमस्कार भेजा जिसने अपनी चतुराई और कूटनीति से शीघ्र ही ब्रिटिशों के गुल्तान से सबंध को मधुर बना दिया। ब्रिटिशों को मस्काट में फ्रांसीसियों से कुछ कठिनाइयां थी, पर वे सब 1905 के हेग ट्रिब्यूनल द्वारा तय हो गयी।

अब जमनी की ओर आया जाय। यह पता चलता है कि उसने 1897 में बुशायर में वाइस कासलेट की स्थापना की जिसकी देखभाल के लिए केवल 6 जमन थे। 1899 में उसने खाड़ी बदरगाह में फ्रेजर आरकोना को भेजा और यह स्पष्ट रूप से पता था कि इस तरह की यात्रा के पीछे जमनों के मन में कुछ प्राप्ति की भावना थी। 1900 में जमनी के अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हर स्टर्मूच के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कुवैत पहुंचा और गुल्तान शेख मुबारक से आवश्यक सुविधा प्राप्ति के लिए निवेदन किया। शिष्टमंडल ने कुवैत बदरगाह पर बगदाद रेलवे के अंतिम रेलवे स्टेशन बनाने की भी मांग की पर गुल्तान ने मांग मानने से इनकार कर दिया। फ्रेजर लिखता है कि, "जनवरी 1899 में जो पहला प्रशासकीय कार्य लाड कजन ने किया वह था कर्नल मीड को यह सूचना भेजना कि वह मुबारक से एक समझौता कर ले जिसे यह शत अवश्य जुड़ी हो कि वह अपने राज्य का कोई क्षेत्र किसी वैदेशिक शक्ति को नहीं प्रदान करेगा।"<sup>1</sup>





19वीं सदी के छोटे दशक में फारस और अफगानिस्तान के बीच कट्टी सीमा संधि सामने आया। ग्रेट ब्रिटेन से झगड़ा निबटाने को कहा गया। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने मेजर जनरल सर फ्रेडरिक गोल्डस्मिड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा जिसने 1872 में मामला तय कर दिया। पर निणय के अनुसार न तो फारस सतुष्ट हुआ और न अफगानिस्तान। पर अंततः दोनों ने निणय को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के अनुसार हेलमंड नदी को दोनों देशों के बीच सीमा बनाया गया। पर बाघ के ऊपर पूरी नदी जहाँ कोबाक बसा हुआ था, अफगानिस्तान को दिया गया।

पर भाग्य का विधान ही था कि नदी ने 8 मील पर पश्चिम की ओर अपना रास्ता ही बदल दिया जिसके फलस्वरूप बीच में एक लम्बा चौड़ा ताल बन गया। पुराने निणय को ध्यान में रखे बिना अफगानिस्तान नदी के दक्षिण तट पर अपना अधिकार मानता रहा और यह जताता रहा कि बाघ के नीचे नदी के दोनों किनारों पर उसका अधिकार है। उसने बाघ के ऊपर नदी के पानी की दिशा बदलनी प्रारंभ कर दी जिससे फारस को आवश्यकता भर को पानी न प्राप्त हो। पहले तो यह झगड़ा स्थानीय रहा पर फिर महत्वपूर्ण हो गया। तब तो यह बहुत गंभीर हो गया जब एक मिलर नामक चतुर रूसी का माल 1900 में सीस्तान पहुँचा और फारस के मामले का पूरा समर्थन करने लगा।

1902 में फारस की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से 1857 की पेरिस की संधि के अधीन हस्तक्षेप करने का निवेदन किया। गृह सरकार के निर्देश पर लाड वजन ने सर हेनरी मेकमोहन को, जो एक अनुभवप्राप्त सीमा अधिकारी रहा था, दक्षिण स्थल पर भेजा। रूसी सरकार ने अपने अधिकारियों को शिष्टमंडल पर आरोपित करने का बड़ा प्रयास किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। पर इस पर भी रूसी वापस नहीं हुए। मिलर और उसका एक डॉक्टर भाई अंततः फारस को इतना समझाने में सफल हो गये कि मेकमोहन के रास्ते में हर तरह में रोड़ा अटकाया जाय। इस तरह मेकमोहन को सामग्री तक नहीं दी गई और एक बार तो उसे वापस जाने तक को बह दिया गया। पर मेकमोहन दब बना रहा और प्रयास किये जाने के बावजूद उत्तेजित नहीं हुआ।

इस सब में काय करने में देरी हुई और शिष्टमंडल अपना काय जनवरी 1903 में ही प्रारंभ कर सका। यह काम मई 1905 तक किया जाता रहा जिसके बाद शिष्टमंडल भारत वापस लौट आया। वैसे तो दोनों ने अधिक क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया और फारस न तो बाघ के ऊपर के क्षेत्रों को भी अपना बताया। पर मेकमोहन ने गोल्डस्मिड एवाड को आधार बनाकर काय किया। और अपना निणय दिया जिस वजन के प्रयास से दोनों दलों ने स्वीकार किया, पर पूरा रूप से नहीं।

मैकमोहन के निगम व अगुगार यत्न हुआ कि अफगानिस्तान के अधिकार में नदी के बाध के ऊपर का जिनना भाग है उसका पानी मात्र से उसका काम उसकी इच्छनुसार नहीं चल सकता। 40 मील बाध न ऊपर व \*कमाल था जो एक केन्द्र बिन्दु मानकर आर यह विचार कर कि सीस्तान प्रांत में हेलमन्द नदी प्रविष्ट होती है, यह घोषित किया गया कि फारस का इस क्षेत्र तक गुजरने वाला पानी में से 1/3 पर फारस का अधिकार है, पर वह इस पानी को बाध से नीचे फारसी सीस्तान में ही अपनी ओर ले जा सकता है। फारस पर यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया कि वह अपने पानी के अधिकार का प्रयोग अफगानिस्तान की मर्जी के बिना नहीं करेगा। यह भी निगम किया गया कि एक ब्रिटिश सिचाई विशेषज्ञ सीस्तान में यह देखने के लिए नियुक्त किया जायगा जो यह देखेगा कि दोनों को अपना हिस्सा पानी मिलता है।

मैकमोहन निगम लाड कर्जन के व्यक्तिगत प्रभाव से यह भी देर में, स्वीकार कराया जा सका। पर एक ब्रिटिश सिचाई विशेषज्ञ की नियुक्ति की बात अब भी काय रूप में नहीं बदल पायी। पर लाड कर्जन ने नसरताबाद में एक बाध के निकट एक ब्रिटिश का सलेट रोल दिया और व्यापार वृद्धि के लिए उसने अफगानिस्तान होकर एक व्यापार मार्ग का विकास किया जो उसने जान के समय तक काफी लाभपूर्ण हो गया।

इस तरह लाड कर्जन ने सीस्तान समस्या का समाधान किया और रूसी प्रभाव वहां स्थापित होने की संभावनाएं समाप्त कर दी। यह अधिकारियां न सीस्तान की महत्ता नहीं समझी थीं पर लाड कर्जन ने उ हे इस समझाया क्योंकि वहां फजर के मतानुसार "इसमें दब विश्वास करता था कि भू क्षेत्र से भी सीस्तान होकर व्यापार किया जा सकता है और उसकी दृष्टि में इस प्रांत पर मे रूसी प्रभाव समाप्त करने की भी बात थी।"<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त लाड कर्जन के समय में ब्रिटिशों ने दक्षिणी फारस के क्षेत्रों की चुगी में विशेष रुचि दिखाई और इस दश से बार बार आश्वासन प्राप्त किये कि वह इसे किसी और देश को नहीं सौंपगी। 1898 में फारस सरकार ने बुगायर और कमनशाह को अपनी चुगी का अधिकार एक ऋण के एवज में सौंप दिया जिसे उन्होंने एक ब्रिटिश संस्था इंपीरियल बज्र बैंक प्रणियमा से प्राप्त किया था। ब्रिटिशों ने फारस वालों को 1903 में उगी बैंक से 20,00,000 पौंड का ऋण दिलवाया और 1904 में एक और ऋण 1,00,000 पौंड का दिलवाया। और इन दो ऋणों के बदले फार्गम ने ब्रिटिशों को डाक और तार के राजस्व, कस्पियन सागर के मछली उद्योग से प्राप्त धन तथा पास व फारस की खाड़ी की चुगी की राशि

सीन्धुरिट्टी के रूप में प्रदान किया। इससे ब्रिटेन की दक्षिणी फारस में शक्ति बढ़ गयी।

### तिब्बत से सबंध

रोनाल्डशे ने लिखा है कि, "लाड कजन यह जानता था कि यह केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के हित में है कि हमारा अधिकार एक स्वर से और आडंबरपूर्ण तरीके से हमारी सीमाओं तक ही नहीं बल्कि उम डाल तक जहाँ तक हमारी सीमा की परिधि है, स्वीकार किया जाय, अथवा विरोधी प्रभाव वहाँ पर अपना निवास न बना ले।"<sup>1</sup> और मन्त्रिमंडल और लाड कजन के बीच तिब्बत के सबंध में मतभेद सामने आ गये।

लाड कजन का तिब्बत पर आक्रमण जनता में आलोचना का प्रमुख विषय था। कजन के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने आक्रमण मात्र भौगोलिक हवि को संतुष्ट करने के लिए किया। आक्रमण के द्वारा उसने सीधे सादे अनाक्रमक लोगों के लिए मुसीबत और मौत ला दी। और यह कि यह सीमा बढ़ाने के उद्देश्य का एक निराशाजनक कदम था। आलोचना के माध्यम से बना दृष्टिकोण उस समय और शक्ति प्राप्त कर गया जब लासा की संधि को लेकर गृह सरकार और भारत सरकार में मतभेद हुआ गये।

तिब्बत के सबंध में लाड कजन की नीति को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि उस देश से ब्रिटिश सबंधों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाय। वैसे दार्जीलिंग के उस पार शक्तिशाली हिमालय की पहाड़ियाँ थीं, पर उन्होंने मानव काय में कोई बाधा नहीं डाली थी। कजन से लगभग 100 वर्ष पूर्व एक चीनी सेना इस क्षेत्र का भी लाभ आई और नेपाल की राजधानी के निकट तक आ गई। तिब्बत गरीब देश नहीं था जैसा देखने में लगता है। इसका व्यापार पर्याप्त था और यह अधिक हो सकता था। पर साधुता की कट्टर प्रवृत्ति इसमें बाधक थी। संभवतः इस दश में विश्व का सबसे अधिक प्लेसर सोना मौजूद था। इस कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का यदि यहाँ अधिकार न हो सके तो यहाँ से व्यापार करने की स्वाभाविक इच्छा तो थी ही। पर चीन की व्याप्त यहाँ पर संप्रभुता एक बाधा थी।

1774-75 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक दूत इन सभावनाओं का पता लगाने के लिए यहाँ भेजा था कि वहाँ से व्यापार किया जाय। पर यह काम पूरा नहीं हो पाया। और जब काफी काल तक के लिए तिब्बत अकेला पड़ गया। वैसे 1783

1 रीनाल्डशे पूर्वोक्त भाग 2 पृ० 276 विस्तार के लिए दक्षिण मेहरा पुरुषोत्तम द मगस्ट्रैट वक्सपेरीसन (1968)

मे सेमुअल टनर ने इस देश की यात्रा की और 1811-12 में मैनिंग दलाई लामा से मिलने गया। 1886 में एक शिष्टमंडल का लासा जान का प्रस्ताव मिला, पर इस ऐसी असफलता मिली कि तिब्बती ब्रिटिशों के विरुद्ध हो गये और चीनियों के उत्तेजित बिय जाने पर उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। शानदार दीवार निर्माता तिब्बतियों ने एक रात में भारत की सीमा के 3 मील भीतर एक दीवार खड़ी कर दी और ब्रिटिशों को उन्हें पीछे हटाने के लिए गभीर सैनिक कदम उठाने पड़े। इसके 10 वर्ष बाद तिब्बतियों ने 'हमारी सीमा क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। पर हमने अपनी सेना को उनकी सीमा में एक दिन भी नहीं रुकने दिया। सतोप की सीमा इससे अधिक और क्या हो सकती थी। पर फिर भी सवध सुघरने की जगह बिगड़त ही रहें।' यह व्याख्या यमहस्वर्ण्ड की है जिसे लाड कजन ने ब्रिटिश आक्रमण का नेतृत्व सीमा था और जिसने उपरोक्त बातें बताकर अपने कार्य को 'यायसगत सिद्ध किया।

1890 में ब्रिटिशों ने चीन से वातचीत प्रारंभ की जिसमें फलस्वरूप एक कन्वेंशन में सिक्किम और तिब्बत के बीच की सीमा तय की। यह भी तय हुआ कि सयुक्त आयोग एक स्थान पर मिलकर दोनों देशों के बीच व्यापार आदि का मामला तय करे। पर चूंकि चीनी अपनी पकड़ तिब्बत पर कमजोर हो जाने के कारण उससे उपरोक्त बात मनवा नहीं सके इसलिए कन्वेंशन नहीं हो सका। पर सयुक्त आयोग मिला और उसने एक और समझौता किया। पर यह एकदम बेकार था। यालुंग में व्यापार का जो केंद्र खोला गया वह अनुपयुक्त और बेकार था क्योंकि तिब्बतियों ने अपने व्यापारियों को वहां जाने से रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर रखी थी और समझौते के विपरीत वे भारतीय माल पर चुगी अलग से लगाते थे। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा स्वीकृत सीमा की वे अवहेलना करते थे जिससे पैचीदगी और बढ़ गयी। इस तरह लाड कजन के भारत पहुंचने पर इस मसले पर एकदम मामला रका पड़ा था। दलाई लामा को उससे द्वारा भेजे गये सीमा पत्र बिना खुले ही वापस कर दिये गये। एक अनुभवी राजनैतिक अधिकारी क्लाड को कजन ने सीमा-यात्रा पर यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या यह बठिनाई हल करने का कोई तरीका है। पर क्लाड की यात्रा भी निष्फल रही। और न ही चीनियों का यह प्रस्ताव कि ह्याइट चीनी और तिब्बती प्रति निधि एकत्रित हो बात करें, सफल हो पाया।

ह्याइट के अतिरिक्त लाड कजन ने कनल फ्रांसिस यमहस्वर्ण्ड को तिब्बत की सीमा खम्बाजोग भेजा। 1903 में यह आयोग महीनो यहा पड़ा रहा। जो तिब्बती अधिकारी इनसे मिले वे पद में छोटे थे। इसी बीच समय का उपयोग कर तिब्बतियों ने सैनिक तैयारी की। चीन ने इस मसले पर विचार कुछ समय के लिए टालन को कहा और यह वादा किया कि वह इस बीच तिब्बतियों पर प्रभाव

हालेगा । पर चीनी इस मामले में निहायत अयोग्य सिद्ध हुए ।

तिब्बत पर चीनी प्रभाव और प्रभुत्व घटने के कई कारण थे जिसके फल स्वरूप लासा के चीनी रेजीडेन्ट ने तिब्बत के मामलों पर अपना नियंत्रण खो दिया था । कई दशकों के बाद पहली बार दलाई लामा वयस्क हो पाया था और अपने पूर्वजों की भाँति मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था और अपनी शक्ति अपने हाथ में लेने की स्थिति में था । इसके अतिरिक्त उसकी पीठ पर कोई हाथ था जो उसकी महत्वाकांक्षा को उभार रहा था । अल्पवयस्क काल में दलाई लामा का एक शिक्षक दोरजीफ था जो साइबेरिया का रहने वाला था पर अपने को बुद्ध धर्म से सबद्ध बताता था । पर वह रूसी प्रजा था । लासा में अपने निवास काल के 20 वर्षों में इस व्यक्ति ने बड़ा प्रभाव जमा लिया था । उसे 1900 1901 में जाकर दलाई लामा के राजदूत के रूप में रूस में स्वागत किया था । यह वही समय था जब रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मतभेद गभीर रूप ग्रहण करते जा रहे थे । दोरजीफ रूस से दलाई लामा के लिए कुछ भेंट भी लाया था । इस भेंट के विषय में एक जापानी भक्त वावागुची ने जो उस समय लासा में था बताया कि यह 500 ऊँटा पर लदा था जिनमें से आधे पर तो अस्त्र और शस्त्र थे ।

दोरजीफ सचमुच दुहरी भूमिका अदा कर रहा था । लासा में वह बताता कि जाकर बुद्ध धर्म के उत्थान के लिए उत्सुक था और बौद्ध साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जबकि पीटसबग में वह कहता था कि दलाई लामा रूस के रक्षा के हाथ चाहता है । रूस इस आशा में सहायता करना चाहता था । इसी कारण रूसी सेना तिब्बत वालों के लिए उपलब्ध करायी गयी ।

ब्रिटिश अधिकारियों के पूछ ताछ पर रूस ने ऐसी रिपोर्टों की सत्यता से इनकार किया कि उसके और चीन के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है जिसके द्वारा तिब्बत उसका प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा । पर जब ब्रिटिशों ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो लंदन में रूस के राजदूत ने विरोध किया और इससे ब्रिटिश मस्तिष्क में खलबली मच गयी । बाद में लार्ड लैंसडाउन और काउण्ट बेन्केन्डाफ में जब साक्षात्कार हुआ तब ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन आया पर रूसी एजेण्टों का तिब्बत में लगातार पड़पत्र ब्रिटिश में सदेह का कारण बन चुका था । दोरजीफ ने भी लासा में अपनी कारवाही नहीं बदली । 1903 तक वह लामा को यही समझाता रहा कि रूस उसके साथ है । वैसे इस बात के प्रमाण थे कि वह अनाधिकारिक रूप से यह काय करता रहा है । पर उसने ब्रिटिशों के विरुद्ध यह पड़पत्र किया ।

इस तरह यदि तिब्बत पर आक्रमण से पूर्व की स्थिति का आकलन किया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि तिब्बत पर चीन की प्रभुत्व शक्ति समाप्त हो चुकी थी । चीन और ब्रिटिशों के बीच हुई संधि को तिब्बत वालों ने स्वीकार नहीं

किया। तिब्बती प्राय ब्रिटिश क्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहते थे और ब्रिटिशों का तिब्बत से व्यापार करने का प्रयास बेकार किया जा चुका था। इतना ही नहीं, दलाई लामा रूस के सपक में था और रूस जापान से अभी तक पराजित न हो जाने के कारण अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति एशिया में विस्तृत करने में तगा हुआ था।

इन परिस्थितियों में लाड कर्जन ने गृह मंत्रालय में तिब्बत के विग्रह कारवाई करने की अनुमति मागी। पर गृह अधिकारी इस मामले में हिचकिचा रहे थे। उनके लिए उस समय जर्मन घतरा अधिक बढ़ा था। रूस के रूस का मित्र बनाना चाहते थे। पर लाड कर्जन के बगल पर गृह अधिकारियों ने अतन्त एक हल्के दण्ड देने की अनुमति प्रदान कर दी।

आक्रमण—6 नवम्बर 1903 को आदेश दिया गया कि आक्रमणकारी लासा की आधी रात तक जातस तक आगे बढ़ जाय। सेक्रेट्री आफ स्टेट ने यह जोर दिया कि तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप स्थायी नहीं होना चाहिए। आक्रमण का उद्देश्य क्षतिपूर्ति है और जैसे ही यह प्राप्त हो जाए आक्रमण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए एक सना यगहस्वर्ड के नेतृत्व में आगे बढ़ी। आक्रमण-कारियों को काफी ऊंचाई पर चढ़ना था। इस चढ़ाई की अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुरु नामग स्याम पर 31 मार्च 1904 को एक लड़ाई हुई जिसमें तिब्बतियों ने धके हार ब्रिटिश सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उन्हें उनके शक्ति और उत्साह का अंदाज नहीं था। इस लड़ाई में 600 तिब्बती मारे गये और घायल हो गये और उन्हें अपमानजनक ढंग से वापस लौटना पड़ा। और “यह सब 10 मिनट में ही हो गया।” ज्ञान्तसे में सेना 11 अप्रैल को पहुंच गयी पर अब भी कोई बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया जिससे ये पता चले कि तिब्बती संधि वाता करना चाहते थे। इसी बीच 30 अप्रैल को लाड कर्जन इंग्लैंड रवाना हो गया और अब यह मसला स्थानांतरण वाइसराय ऐम्पिल के हाथों में आया। उसी के काल में संधि हुई।

5 मई को तिब्बतियों का आक्स्मिन आक्रमण ब्रिटिशों और उनके सैनिकों के लिए कठिनाई का कारण बन गया। नयी सैनिक सहायता मैकडाल्ड के नेतृत्व में 26 जून को आ पायी जिसने स्थिति में अंतर किया। जोग पर 6 जुलाई को अधिकार कर लिया गया और दो दिन बाद सेना लासा की ओर रवाना हुई। रास्ते में कुछ देर हो जाने के कारण लासा में सेना 3 अगस्त को पहुंची।

लासा पहुंचने पर यगहस्वर्ड का पता चला कि दलाई लामा राजधानी छोड़ कर भाग गया है। इस कारण बातचीत तिब्बत के प्रमुख पर छोटे पद वाले कमचारियों से करनी पड़ी। यगहस्वर्ड ने सचमुच अपने का कठिन परिस्थिति में पाया। यहां से शिमला सूचना भेजने में पूरे 12 घंटे का समय लगा जहां से सरकार

के सही दृष्टिकोण की सूचना नहीं आ पायी। और फिर उससे यह भी कहा गया था कि यह जल्दी-से जल्दी लासा को छोड़ दे। उसके पास भारत सरकार द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट कवेंशन था। जबकि दूसरी ओर सेक्रेट्री आफ स्टेट मि० ब्रोड्रिक से एक तार मिला जिसके विचार लाड कर्जन और उसके सहायकों से अलग थे। उसकी कठिनाइया उस समय और बढ़ गयी जब तार में सेक्रेट्री आफ स्टेट के मत का पता नहीं चला। उसे विस्तार में चीजें तब प्राप्त हुईं जब वह सधि पर हस्ताक्षर कर चुका था।

भारत सरकार सगोपजनक समझौता चाहती थी जबकि सेक्रेट्री आफ स्टेट यह चाहता था कि जल्दी से मामला निबटा के सेना तिव्रत छोड़कर वापस चली आये। तार ने यगहस्वैड से आशा की कि तिब्बत पर क्षतिपूर्ति का भार इतना न लादा जाय कि वह उसे देने में समय न हो और यदि आवश्यक हो तो यह धन उससे 3 वर्षों में लिया जाय। इसके अतिरिक्त चुम्बी घाटी पर अधिकार तभी तब रखा जाय जब तक कि क्षतिपूर्ति का धन प्राप्त न हो जाय या व्यापार के बाजार 3 वर्ष के लिए खोल न दिये जाय। यगहस्वैड ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की गयी कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वह उचित कारवाई करे। इसका अर्थ उसने अपने पक्ष ही में लगाया। सेक्रेट्री आफ स्टेट की सावधानी समझ में इसलिए आती है कि उसने रूस को यह आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश सेना अपने उद्देश्य प्राप्त के बाद तिब्बत छोड़कर वापस लौट आयेगी। यह ऐसा आश्वासन था जिसे भारतीय अधिकारी बेकार मानते थे।

सधि—सधि में, जिसपर हस्ताक्षर किये गये, यगहस्वैड ने क्षतिपूर्ति की राशि 5,00,000 स्टर्लिंग तय की जो उसके अनुसार तिब्बत देने की स्थिति में था और जिसे भारत सरकार के परामर्श के अनुसार जोड़ा गया था। तिव्रनियाने क्षति-पूर्ति की राशि 1 लाख रुपये (6,666 पौंड) प्रति वर्ष के हिसाब में देने का आग्रह किया। यगहस्वैड ने यह साबित किया कि यदि वह इस बात को स्वीकार न करें तो हो सकता है कि उसे सधि पत्र पर हस्ताक्षर कराय बिनावापस लौटना पड़े, इसलिए उसने अन्त में स्वीकार कर लिया। इसमें इस धन के अन्त होने तक के काल तक के लिए चुम्बी घाटी पर ब्रिटिशों का 75 वर्ष तक के लिए अधिकार हुआ गया जबकि सेक्रेट्री आफ स्टेट ने यह कालावधि 3 वर्ष की ही रखी थी। जब इस सबध में बाद में यगहस्वैड से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि घाटी का अधिकार दिनों तक अपने अधिकार में रखना आवश्यक है क्योंकि यही तिब्बत के रास्ते की कुंजी है और इसी रास्ते से उधर के लिए भारत में प्रवेश भी कर सकते हैं। बर्मा और कश्मीर के बीच उसका अनुसार यही एक सामरिक महत्त्व का स्थल है और इस पर अधिकार बनाय रखने से किसी घाटे के खिलाफ कोई बात नहीं जायेगी। इस तरह उसके ही शब्दों में उसने "स्वयं अवसर अपने हाथ से नहीं जाने

दिया" और उपरोक्त शर्तों के आधार पर सधि कर ली।

सधि की अथ शर्तें यह थी कि यातुग, ज्ञातसे और गडतोक मे व्यापारिक बाजारें स्थापित की जाय। ब्रिटेन का व्यापारिक एजेण्ट ज्ञातसे मे रहेगा, पर उसे आवश्यकतानुसार लासा जाने का भी अधिकार होगा। तिब्बत की विदेश नीति पूणतया ब्रिटिशो के हाथ मे होगी और तिब्बत किसी विदेशी एजेण्ट को यहां आने की छूट नहीं देगा। न तो किसी विदेशी शक्ति को तिब्बत मे कोई छूट दी जायेगी जैसे रेलवे का निर्माण, सड़को व तार लाइनो का निर्माण या किसी क्षेत्र की प्राप्ति।

7 सितंबर को दलाई लामा के धार्मिक महल पोटाला में सधि-यत्र पर हस्ताक्षर किये गये और 23 सितंबर को ब्रिटिश सैनिका के घर की ओर घापसी प्रारभ हुई।

आलोचना—सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ने यगहर्स्बैंड की कारवाई पर गभीर रुख अपनाया और उसके अनुसार यह, "उसकी आज्ञा का उल्लघन" था। कुछ लोगो ने सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के इस पर इतना गभीर रुख अपनाने पर भत्सना का रुख अपनाया और ब्रिटिशो को प्राप्त इतने लाभो की ओर आध्र मूदने पर चिंता प्रकट की। पर जो यह कहते हैं उहें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इस सबध मे स्पष्ट निर्देश दिये थे और परिस्थितियो के अनुसार काय करने का यह अध्र नहीं था कि पहले से स्पष्ट किये गये सिद्धांतो से इतना हटा जाय। यह कहना भी उचित नहीं था कि चुम्बी घाटी तिब्बतियो के हाथ मे ही सदा नहीं रही थी, यह उस देश का प्रवेश द्वार थी, भारत मे प्रविष्ट क्षेत्रीय जिह्वा थी और यह कि भारत के लिए इसकी सामरिक महत्ता थी। ब्रिटिशो के समक्ष इस समय जमनी की उभरती हुई महत्त्वाकांक्षा का खतरा था जिसके सद्भ मे गृह सरकार रूस से भती करना चाहती थी। इस कारण यगहर्स्बैंड की कारवाई ने निस्सदेह इस प्रस्तावित मैत्री को खतरे मे डाल दिया था। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियो ने आदेश भेज दिये थे, और छोटे लोगो द्वारा उसे न मानना उचित बात नहीं हो सकती थी, और फिर इसको इस आधार पर यायसगत कैसे माना जा सकता था कि यह उच्च अधिकारियो के हित मे ही किया गया है। भारत सरकार ने अपने अधिकारी के कारवाई को उचित बताया, पर उन्होने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है।

रूस ने गृह अधिकारियो से इस पर विरोध व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की घन राशि घटाकर 1,66,000 पौण्ड कर दी गयी। श्रीघ्र ही मन्त्रि मंडल मे परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप श्रीघ्रिक का उत्तराधिकारी मार्ले हा गया जिसने सधि की शर्तों मे और परिवर्तन किया। बतलाया गया कि क्षतिपूर्ति 3 साल मे दी जायेगी, इसके लिए चीन घन देने को तयार हो गया जिसकी तिब्बत



पर संप्रभुता को स्वीकार किया गया। चुम्बी घाटी को जनवरी 1908 में खाली कर दिया गया और नान्तसे म ब्रिटिश एजेण्ट को लासा जाने की छूट समाप्त कर दी गयी।

यगहस्वैड की सधि में कहा गया था कि तिब्बत अपने क्षेत्र का कोई भाग किसी विदेशी के हाथ नहीं सोंपेगा और न कोई विदेशी प्रतिनिधि रखेगा और न ब्रिटिश से पूछे बिना किसी को कोई छूट देगा। पर 1907 में रूस और इंगलैंड के बीच जो समझौता हुआ उसके अंतगत ब्रिटेन को तिब्बत से सपक चीन के ही माध्यम से ही करना था। इस तरह दोनों देशों की तिब्बत में स्थिति एक समान हो गयी।

इस तरह तिब्बत आक्रमण का फल केवल यह हुआ कि शांतिसे और गार्टोंक में ब्रिटिशों को बाजार प्राप्त हो गया और शांतिसे में उसे एक व्यापारिक एजेण्ट रखने की सुविधा मिल गयी। पर इन लाभों का भी ठीक से प्रयोग नहीं किया जा सका। अधिक लाभ तो चीन के हिस्से में आ गया जिसे तिब्बत पर थोड़ी सी धन राशि देने के बदले में संप्रभुता प्राप्त हो गयी। इस तरह "यगहस्वैड आक्रमण अनावश्यक और बेकार सिद्ध हुआ।"<sup>1</sup>

पर इसके लिए कजन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एल० फ्रेजर लिखता है कि उसने एक अवसर को हाथ में लिया और यदि उसे "उसके उत्तराधिकारियों ने गवा दिया तो दोष उसे नहीं दिया जा सकता।" पर फिर भी ब्रिटिश लाभों को कम बताना भी उचित नहीं होगा। यदि चीन की संप्रभुता तिब्बत पर स्वीकार कर ली गयी तो तिब्बत पर रूसी महत्वाकांक्षा से तो मुक्ति मिली। वैसे यह कल्पना तो मूखतापूर्ण होगी कि रूसी सैनिक भारत में लासा होकर प्रवेश कर सकते थे। पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थान पर एक स्थायी रूसी प्रतिनिधिमंडल को रखना, जो भारत की सीमा के इतना निकट था, निश्चित रूप से ब्रिटिशों के लिए कठिनाई पैदा करता। रूसी यहाँ से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करके अथ स्थानों पर इसका प्रयोग करते और तिब्बतों को वे ब्रिटिशों के विरुद्ध उत्तेजित करते। ऐसी सभी सभावनाएँ समाप्त हो गयी।

लाड कजन को ऐसे भारतीय गवर्नर जनरलों में माना जाता है जिसका आगमन और वापसी दोनों अवसरों पर स्वागत हुआ। उसके आगमन ने ऐसी आशाओं को जागरित किया कि उसका प्रशासनकाल अत्यधिक क्रियाकलाप और प्रगति के लिए देश में जाना जायेगा। पहली आशा तो पूर्णरूपेण पूरी हो गयी क्योंकि इसमें सदेह नहीं कि लाड कजन के काल में अत्यधिक कारवाई का कथ

पूछना । पर प्रगति मकारात्मक से अधिक नकारात्मक होने के कारण यह आशा पूरी नहीं हो पायी ।

लाड कजन के जीवनी लेखका में से एक रानाल्डशे ने अपने नायक के विषय में लिखा है कि उसमें 'आश्चर्यजनक विभिन्नताओं और दाया' का समावेश था । उसके चरित्र में जो विरोधाभास था वह उसके, 'आडम्बरपूणता और सादगी, एकाकीपन और सामाजिकता, विचार विशालता और असहिष्णुता, उदारता और नीचता' <sup>1</sup> में साफ झलकते हैं । एक अत्यधिक समझ और कभी न थकने वाला लाड कजन नैपोलियन की तरह ही एक दौघ अपने में पाले हुए था जिसके विषय में लाड रोसवरी ने लिखा है कि, "राज्य के कार्यालयों के सभी चीजों के विषय में उसे पूरी जानकारी थी, वह सभी का निर्देश देता था और प्रेरणा भी ।" और इसके कारण कभी-कभी काम अधूरा अधिक रह जाता है या पूरा कम ।

अपने काम और प्रशासन के प्रति वह इतना सतक था कि कौंसिल सदस्या की वेशभूषा तक पर उसकी दृष्टि रहती थी जिसके विषय में उसने लिखा कि यह लाड चैम्बरलेन द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार होना चाहिए । वह एक ऐसा तानाशाह था जो विरोधियों को नहीं बर्दाश्त कर सकता था । इसमें सन्देह नहीं कि उसने प्रशासकीय मशीनरी में कुछ सुधार प्रारंभ किये, पर प्रशासन को केन्द्रित करने का उसका प्रयास अंग्रेजों और भारतीयों—दोनों ने नापसंद किया ।

एक ओर तो उमने दुर्भाग्य और प्लेग के विरुद्ध संपूर्ण मन से लड़ाई छेड़ी, जिसने देश का चेहरा ही भद्दा कर दिया था, पर दूसरी ओर एक कठिन आर्थिक अवस्था के बीच उसने टिल्ली में एक शानदार दरबार किया जिस पर अनावश्यक ही अपार धनराशि का व्यय हुआ जिसे इस देश के हजारों गरीब नर-नारियों के आसू पोछने के प्रयोग में लाया जा सकता था ।

सफ़त के लागू माने जाते हैं जो अपने मस्तिष्क का दरवाजा खुला रखते हैं । पर कजन में हम एक विचित्र व्यक्तिवादी और क्रुद्ध स्वभाव का यूरोपीय प्रतिनिधित्व देखते हैं जो कभी-कभी जान-बूझकर चीजों को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता था । बंगाल का विभाजन ऐसा ही एक प्रश्न था जिसे उसने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और इस मामले में तो उसका खुराफाती स्वभाव भी सामने आया जब उसने सब रास्तों को बंद देखा हिंदू मुस्लिम भेदभाव की नीति अपनाती प्रारंभ कर दी ।

लाड कजन की कलकत्ता कार्पोरेशन के विरुद्ध अलोकतांत्रिक और प्रति क्रियावादी नीति, उसकी शिक्षा की राष्ट्र विरोधी नीति, तथा प्रांतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की उसके द्वारा समाप्ति की चर्चा पीछे की जा चुकी

1 रानाल्डशे पूर्वोक्त भाग 2, पृ० 384।

है। इस सबध मे हम हेनरी वाटन को उद्धरित कर सक्ते हैं जिसने लिखा है कि, "लाड कजन ने स्वशासन की योजना को कमजोर और हतोत्साहित किया। उसने विश्वविद्यालयों का कमचारीकरण कर दिया और ऐसा ही अथ लोकप्रिय शिक्षा के क्षेत्र मे भी उसने किया, उसने प्रतियोगिता के स्थान पर सेवाओं मे सरकारी नामांकन की प्रथा प्रारंभ की, और उसने इस बात की प्रत्यक्ष घोषणा की कि कुछ जाति के लोग ही ऊंचे पद प्राप्त कर सक्ते हैं।"<sup>1</sup>

लाड कजन का अपनी जाति की उच्चता मे अत्यधिक विश्वास था और वह कहा करता था कि ईश्वर ने भारतीय भाग्य को ब्रिटिशों के हाथ मे सौंप रखा था और इसलिए ब्रिटिशों को ही यह अधिकार है कि वह अपनी वायविधि तय करे और इसके लिए उन्हें जनमत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1903 में 'चैम्बर आफ कामर्स' के समक्ष बोलते हुए उसने घोषणा की कि, "यदि मुझे ये लगा कि हम उच्च कानून और उत्तम उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसे खोत की तलाश करूँ, जा भारत और इंग्लैंड के सबध को एक किये हुए है, उससे अपना सबध बिना आह भरे समाप्त कर दूंगा। पर यह इसलिए है क्योंकि मैं इस देश के भविष्य मे विश्वास करता हूँ और यह भी विश्वास करता हूँ कि हमारी जाति इन्हें उन ऊंचाइयों पर पहुँचा देगी जहाँ तक अभी वे नहीं पहुँचे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं साहस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।" लाड कजन के मतानुसार ब्रिटिशों मे अधिक भारतीय हितों का ज्ञान किसी को नहीं था।

पर डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, "उसका 'अहम' उसके भाये पर सवार था, जिसने उसे उदीयमान राष्ट्रवाद के चिह्न को भी नहीं देखने दिया, उसकी मिशन भावना को भी बलुपित कर दिया, उसे उद्धत बना दिया और कठोर, तथा उसे स्वभाव से लागी के भाग्य पर शासन करने के अयोग्य, जो नये जीवन व नयी आशा की ओर आँख उठाकर देख रहे थे।"

गोखले ने लिखा कि लाड कजन मे बुद्धि तो थी पर उदार कल्पना का अभाव था। गृह अधिकारियों से जो मन्त्र उनके प्रारंभ मे अच्छे से वाद में बँटिन और खराब हो गये। भारत में उनके साथी उनसे डरते अधिक और आदर कम देते थे। जब वह प्रमत्त हाता तो आकषक लगता था। पर जब वह अप्रमत्त हाता तो, सर वाल्टर लारेम के मतानुसार 'वह अपने विरोधी को मौत के शिक्के तन खींच के ले जा सकता था।' उसमें भक्ति और गहन साहस की भावना की पराकाष्ठा थी। कभी-कभी अपने मित्र के मृत्यु पर "वह नागैरिक तौर पर प्रतिश्रिया व्यक्त करता

1 वाटन सर हेनरी इडिया ओड गेन्ट निव, प० 423।

2 प्रसाद ईश्वरी साहन इडिया पृ० 339।

था।" जाज वराम और मन्फ्रेड लिट्टे ट्टन की मृत्यु पर टाइम्स में 10 जून और 7 जुलाई 1913 के उसवे पन्नों स यह स्पष्ट है। फिर भी यदि, "किसी बात के कहने या हो जाने स वह पराकष्टा व द्रुप की स्थिति में पहुँच जाता था, तो साथ ही किसी धान को न तो वह भूलता था और न शमा करता था। वह अपराधी को केवल पूणनया रास्ते से हटा देता था या फिर उसका जीवन ही सदा के लिए समाप्त करा देता था।" और इस विरोधभागी तत्त्वा के विषय में इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है कि, "अपने अतिशक्तिशाली म्नायुओं में वह उस घातावरण का विचित्र सस्कार रखता था जो कम ही देखन में आती है।"

पर इतनी निष्पूरता और अत्यन्त निश्चय व माय जो परिश्रम उसने किया उसके प्रति आदर व्यक्त किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। वैसे ऐसे भी तमाम लोग निस्सन्देह होंगे जो या तो उसकी मारवाइया पर ताली ही बजाएंगे या लम्बे असें तक बिना साम रहे चलनेवाले वाम की आलोचना ही करेंगे। उनके लिए जिनके प्रेम तथा वा आदर्श शांतिपूण दम से वाय करने में है जैसा कि पूण शिक्षा में देने को मिलता है, उसका जीवन एक अनत कष्ट का मायाजाल जसा लगेगा—नमाम जीवना में एक ऐसा जीवन जिनसे जान बूझकर बचन की चेष्टा की जायगी।"

अथ क्षेत्र की भानि उसके भाषण की प्रती और लखन विधि में भी गभीर विरोधाभास था जिसके अंतगत वह "कभी-कभी अपने उत्तेजक भाषण की पराकाष्ठा पर पहुँच सकता था, पर साथ ही वह व्याकरण की अशुद्धि भी कर सकता था और सीधे अत्यधिक ऊँचाई से गड्डे के गत में सीधे सर के बल अपने भाषण के माध्यम से गिर सकता था।"

सचमुच लाड वजन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्त में एक शब्द का वाहुल्य था और वह था—पराकष्टा। जब वह किसी से प्रेम करता पराकाष्ठा तक करता और जब घृणा करता तो उसमें भी पीछे न रहता। यही पराकाष्ठा उसके गृह अधिकारिया के सदम में भी दिखाई पड़ती है उसकी विदेश नीति में भी और देश के प्रशासनिक और आन्तरिक सुधारों में भी। इसी के कारण उसकी अच्छाई बुराई में परिणत हो गयी। रोनाल्डशे इस सबध में एक रुचिकर तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है 'जो प्रस्ताव बनाय गया उसमें यह भी सूचना थी कि जब वाइसराय कोई नोट प्रेषण के लिए लिखे तो बिल्कुल वही शब्द लिपिक द्वारा प्रयोग करना चाहिए जिसका काम ड्राफ्ट तैयार करना है।' वाद के एक वाइसराय न जो मजाकिया प्रवृत्ति का था, अपने सामने आनेवाले प्रस्तावों के सबध में जिसमें बर्मा के टट्टू के वशके विषय में लिखा हुआ था। उसने इसपर लिखा, "मैं

सहमत हूँ। वर्मा का टट्टू एक बेकार पर ठीक छोटी सी चीज है।” और नियमों के प्रति सावधान रहने वाले लिपिक ने जो पत्र लिखा वह इस तरह था, “महोदय, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि गवर्नर जनरल की दृष्टि में वर्मा का टट्टू एक बेकार पर ठीक छोटी-सी चीज है।”<sup>1</sup>

पर अपनी कमियों तथा अच्छे व बुरे के सम्मिलित विराधाभास के बावजूद लाड कर्जन अपने कुछ काय क्षेत्रों में हमारी प्रशंसा का तो अधिकारी है ही दुर्मिक्ष और प्लेग के विरुद्ध उसके काय, भारतीय कृषि में उसके सुधार, रेलवे लाइनों के उसके द्वारा निर्माण तथा ऐसे ही और सुधार, उसकी उत्तर-पश्चिम सीमा नीति तथा उसके कुछ विशेषी देशों से सश्रद्ध राबट्स की बात को सही सिद्ध करते हैं जिसमें वह लिखता है कि, “जो भी भूलें हो, जो भी असफलताएं हो लाड कर्जन का नाम उन भारतीय गवर्नर जनरलों में लिया जायगा जिन्होंने अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।” कर्जन धर्म का विश्वासी भी था जो उसके स्वभाव के अनुकूल तो नहीं था पर उसे उसमें सकलता मिली। उसका अपने में विश्वास था और एक ऐसे व्यक्ति में, जो उसे अच्छी तरह जानता था, उसके विषय में लिखा, “जाज कर्जन ही एक ऐसा आदमी है जिसे मैं जानता हूँ कि वह पायजामा पहनकर भाषण दे सकता है और वह बुरा भी नहीं दिख सकता था।”

कर्जन 1905 में इंग्लैंड वापस लौटा। छ माह बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वैसे तो उसे हाउस आफ लाड्स में आयरलैंड के पियर के रूप में एक जगह प्राप्त हो गयी, पर उसने काफी समय तक राजनीति में अधिक भाग नहीं लिया। 1911 में उसे अल का पद प्रदान किया गया और 1915 में उसे सयुक्त मंत्रिमंडल में लाड प्रीवीनील नियुक्त किया गया। 1916 में उसे अपने पिता के पदों का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। 1917 में उसने दूसरा विवाह किया। इसी समय वह कौंसिल का लाड प्रेसीडेण्ट हो गया और साथ ही हाउस आफ लाड्स का नेता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने पेरिस शांति सम्मेलन में विदेश मंत्री की हैसियत से भाग लिया। 1921 में उसे मार्किवस बनाया गया। वह एकाएक बीमार पड़ा और लंदन में 20 मार्च 1925 में उसकी मृत्यु हो गयी।

<sup>1</sup> रोनाल्डशे पूर्वोद्धत भाग 2 पृ० 385।

<sup>2</sup> राबट्स पूर्वोद्धत पृ० 340।

## लाड मिण्टो (1905-1910)

गिल्बर्ट जान इलियट मरे किनिन माउड, जो बाद में मिण्टो के चाचे अल हो गये, का जन्म 1 जुलाई 1845 को हुआ। वह तीसरे अलेक्सिस विलियम ह्यू का पुत्र था। उसकी माँ इम्मा थी जो दक्षिणी भारत में 1817-18 में तथा तृतीय मराठा युद्ध का नेतृत्व करने वाले सर टामस हिसलाप की पुत्री थी। मिण्टो का प्रथम अल 1807-1812 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रह चुका था। गिल्बर्ट जान के पास पर्याप्त और तरह-तरह के अनुभव जीवन से जुड़े थे। 1805 में उसे लाड कजन के उत्तराधिकारी के रूप में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसे इटन और ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त हुई। 19 वर्ष की आयु में वह स्वाट्स-गाइस में भर्ती हो गया, स्पेन में युद्ध सवाददाता की हैसियत से काय किया। वह लाड लिटन के अधीन द्वितीय अफगान युद्ध के अवसर पर सर फ्रेडरिक राबर्ट्स का ए० डी० सी० रहा था, 1882 में तिब्बत में एक रेजीमेण्ट का प्रधान था। उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लाड ग्रे की पत्नी मैरी से 1883 में विवाह किया और 1891 में अपने पिता के पदों का उत्तराधिकारी हुआ। 53 वर्ष की आयु में 1898 में वह कनाडा का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ वह 1904 तक रहा जहाँ उसे सफलता और प्रशासकीय लोकप्रियता प्राप्त हुई।

कनाडा से पद छोड़ने के थोड़े ही दिनों बाद लाड कजन के उत्तराधिकारी के रूप में उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। "1905 से 1910 के बीच भारतीय प्रशासन का दिशा निर्देश भारत के सेप्टेरी आफ स्टेट जान मॉर्ले और वाइसरॉय मिण्टो से प्राप्त हुआ। ये दोनों अत्यधिक योग्य और चतुर व्यक्ति थे जो एक टीम के रूप में अप्रैजी राजनीति दर्शन में सबसे शक्तिशाली तत्त्व थे। भारत में यह वही काल था जब पूव गांधी राष्ट्रीय नेतृत्व उच्चतर रचनाकाल से होकर गुजर रहा था राजनीति की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इससे निकल कर जो राजनतिक दिशा बन रही थी वह स्थायित्व ग्रहण कर रही थी। इस तरह 20 वर्ष जी लेने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय विकास की दिशा पा गई थी। उस समय की मुख्य बात सुधार प्रस्तावों ने भारतीय सरकार में विकास

और प्रगति पर ही विशेष बल दिया जिसमें प्रतिनिधित्वपूर्ण सिद्धान्त को आगे बढ़ाने को कहा गया। और अतः ब्रिटिशों द्वारा मुस्लिम भागों को स्वीकृति और प्रोत्साहन ने, जिसका आधार अलगाववादी विचारधारा थी, ऐसी राजनैतिक स्थिति को जन्म दे दिया जिसका अंत भारत के विभाजन में ही हुआ।<sup>1</sup>

## उग्रवाद का उत्थान और सरकार के उपाय

### उग्रवाद के प्रेरणादायक तत्त्व

1905-10 का काल भारतीय इतिहास का एक कठिन काल था। कर्जन का जो काल समाप्त हो चुका था वह अत्यधिक प्रतिक्रियावादी सिद्ध हुआ था। कर्जन का कलकत्ता काँग्रेसेशन ऐक्ट स्थानीय स्वशासन के गला घोटने का एक प्रयास माना जाता था। उसकी शिक्षा-नीति जन-जागरूकताओं को जपमानित करती थी और उसका वगभंग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर एक करारा वार था। उसका व्यवशील दरवार और प्रशासन को केन्द्रीकृत करने का प्रयास आदि ने जनमानस में विरोध की भावना उत्पन्न की। कर्जन के प्रशासन की चर्चा करते हुए गोखले ने लिखा, 'ऐसे प्रशासन का समाप्तान्तर तलाग करने के लिए हमें भारतीय इतिहास के औरगजेब के काल में वापस जाना पड़ेगा।' मिण्टो ने भी मालों को लिखा, "मुझे कर्जन का इतिहास काल देखकर शर्म आती है। एक तरफ तो ऐसी संपूर्ण योग्यता और परिश्रम है जो लोगों को चबाचोड़ कर देता है, और दूसरी ओर सभी चीजों पर निरकुश नियंत्रण तथा दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों में ओछे हस्तक्षेप जिसके कारण ही पतन की स्थिति आई होगी।" कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर 1905 में अपने बुद्ध्यात भाषण में कर्जन ने घोषणा की कि सत्य का विचार परिश्रम का ही है और "पूर्व में तो चालाकी और बूट नीतिक दोष को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही।" ऐसी बातों से जनता की सहानुभूति प्राप्त होने की जगह गवाही दी जाती थी। "संभवतः किसी प्रशासन ने अत्रेले राष्ट्रीय आंदोलन को उतना आगे नहीं बढ़ाया जितना लाड कर्जन ने।"

1896 से 1900 के बीच के काल में दुर्भिक्ष के बाद प्लेग और प्लेग के बाद दुर्भिक्ष का दुर्दिन देखा था। हजारों-हजार लोग मरने लगे, भूमि सूखकर बेकार हो गई और लोग गलियों में रेंग रेंगकर मर गये। औरतो ने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया और चारों ओर निराशा फैल गई। सब ओर लोग सरकार को अपने

1 दास, एम० एन० इंडिया जंडर मालें एण्ड मिण्टो लदन, 1964 पृ० 7।

2 लेडी मिण्टो (मेरी काउट टस आफ) मिण्टो ऐंड मालें, पृ० 232 कोटमन पूर्वोद्धृत, पृ० 35, ऐना बेंसेट हाऊ इंडिया राट फार पीडम, पृ० 383, 427 28।

दुःख के लिए द्रोप देते थे और विश्वमत इस सबध में उनकी ही तरफ्तारी करता था। प्लग के बचाव के लिए उठाया गया कठोर कदम, जिसने लोगों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, उनको अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य किया जाना तथा कठोरतापूर्वक उनका अपमान सब कुछ उनकी बर्तनाइया बढा ही रहा था। रामगोपाल ने लिखा है, "सारी कारबाई विजित कस्य पर शत्रु द्वारा लूट जैसी लगती थी।"<sup>1</sup>

1858 के रायल प्राक्लेमेशन में सरकार ने जनता से कुछ वादे किये थे और ऐसा ही 1833 के चाटर ऐक्ट में भी उहाने किया था। पर वादा को पूरा न किये जान पर लागा की निराशा बढ़ गई। 1861 और 1892 के ऐक्टों को अब अद्ध मन से बनाया गया सुधार माना जाता था जिससे लोगों की इच्छा नहीं पूरी हानी थी। 1882 के ऐक्ट के अंतगत कौंसिल में चुने गये तत्वा का प्रवेश हो गया था पर यह नहीं के बराबर था और एम ही था। कौंसिल सदस्य न तो प्रस्ताव ला सकते थे और न पूरक प्रश्न ही कर सकते थे। वजह में अलग-अलग मदा पर मन नहीं लिया जाता था। लाजपत राय ने कहा, "लगभग 20 वर्ष तक रियायत और कल्पहरण के लिए किये गये जन आंदोलन के बाद जनता को राटी की जगह पत्थर दिया गया है।" और पुन उहाने कहा, "ब्रिटिश प्रजातंत्र को अपने ही मामला में फूमत नहीं है ब्रिटिश समाचारपत्र जन-आकांक्षाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उहें अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं प्रहार करना होगा।"<sup>2</sup> "सरकार ने विधायिकाओं की रचना क्या की है एक राजनतिक थियटर खोल दिया है" जाज स्वस्टर और ग्वार्विड ने लिखा, "19वीं सदी ने भारत को जा शांति प्रदान की जा जातीय परिवर्तन उपस्थित किया, मध्यवर्ग की उत्पत्ति की शिक्षा को आग बढाया सबक साधन बढाये राजनतिक प्रेस को देश के जीवन के साथ जोडा— इन सबने मिलकर एक ऐसा वातावरण विकसित किया जिसके कारण भारत में अभूतपूर्व ढंग से राजनतिक जीवन के पुष्प को प्रस्फुटित कर दिया।"<sup>3</sup>

शिक्षा के विकास और औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के साथ नगरों और कस्बों की सख्या तथा शहरी जनसंख्या में वद्धि हो रही थी। यही स्थान राजनतिक जागरण के भी केन्द्र बन गये थे। औद्योगिक विकास का शिक्षा के विकास की तुलना में पिछड जाने के कारण शिक्षित लोगों की नौकरी मिलने में कठिनाई होने लगी जिसके कारण लम्बे चौड़े स्तर पर असतोप व्याप्त हो गया। वस्त्र और धातु जैसे नये उद्योगों के विकास ने, बैरों की स्थापना ने, व्यापार की प्रगति आदि ने

1 रामगोपाल लोकमाय तिलक प० 137।

2 लाजपतराय यगचडिया प० 158 169-70।

3 स्वस्टर जाज एंड विट जी० इंडियन डेमाकसी प० 90-92।



एक नवीन औद्योगिक वग का उदय किया। पर प्रारंभ से ही यह इस वग को ई० ई० कृष्णन के अनुसार, 'व्यापारिक भेदभाव के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा था। उन्हें विदेशी पूँजी से प्रतियोगिता के विरुद्ध लड़ना था। उन्हें स्वतंत्र व्यापार के विरुद्ध लड़ना था।'<sup>1</sup> इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने सचमुच भारत को आर्थिक स्थिरता से दूर किया, उसका कच्चा माल बाहर भेजा जाने लगा और उसके बाजारों को अंग्रेजी औद्योगिक माल से पाट दिया गया।

मजदूरी पर जीने वाला नया वग भी, जो फैक्ट्रियों, आवागमन के साधनों, चाय बागानों आदि में काम कर रहा था, साम्राज्यवादी सरकार के अत्याचार का मुकाबला करने में अक्षम था। 1908 में वस्त्र उद्योगों में काम करने वाले लोगों ने बी० जी० तिलक के कैंद किये जाने पर जन आम हड़ताल कर दी तो पता चला कि हवा का रुख किधर का है।

भारत में प्रेस भी तेजी से विकसित हो रहा था। 1882 में प्रेस के स्वतंत्रता की जो स्थापना हुई उसने भारत के राजनैतिक विचारों में महान परिवर्तन ला दिया। 1892 के अमतोपजनक ऐक्ट के बाद नवीन समाचार पत्रों ने ब्रिटिश प्रशासन की इतनी हिंसात्मक आलोचना की कि मिण्टो को मार्ले को इस तरह से लिखना पड़ा, "मुझे भय है कि हमें इसके लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि स्थानीय प्रेस के साथ कैसे निबटा जाय क्योंकि बहुत से मामलों में उनका विचार हिंसात्मक है।"

दूसरी बात, जिसने भारतीय वातावरण को प्रभावित किया, वह थी विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला अपमान। जसा कि डा० तारकनाथ दास ने लिखा है कि ब्रिटिशों द्वारा साम्राज्यवादी और आर्थिक तरीके के शोषण ने कुछ साहसी जातियों विशेषकर पंजाब के लोगों को देश से बाहर जाकर नौकरी करने को बाध्य कर दिया था। ऐसे लोग बर्मा, मलाया राज्य, हांगकांग, चीन आदि चले गये। कनाडा और अमेरिका में प्राप्त उच्च पारिश्रमिक और लाभ ने भारतीयों को वहाँ जाने को भी आकर्षित किया। बाहर जान वाले भारतीयों की संख्या हर जगह बढ़ने लगी और 1904 आते आते यह संख्या 20 लाख हो गई। सस्ते दर पर काम करने वाले भारतीय मजदूरों के अमेरिका में प्रवेश ने 1906 और 1907 में अमेरिकन मजदूरों को अधिक मजदूरी के लिए आंदोलन करने को बाध्य कर दिया जिससे फनस्वरूप अमेरिकन मजदूर भारतीय मजदूरों से घृणा करने लगे। 1906 में कनाडा विधायिका ने 'इमिग्रेशन ऐक्ट' पारित करके भारत में एशियाइयों के आने को नियंत्रित किया। 1907 में ब्रिटिश कोलंबिया की विधायिका ने

1 कृष्णन के० ई० द प्रालम आफ माइनारटीज, पृ० 146।

2 लेडी मिण्टो पूर्वोक्त पृ० 122।

भारतीयों को मत देने के अधिकार में वचन कर दिया और 1908 में उनका नगरपालिका अधिकार भी छीन लिया गया। दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने भारतीयों को अपने स्टेच्युट बुक्स में "अद्वय एशियाई या भारत की अग्रज जाति" कहकर सम्बोधित किया। ब्रिटिश सरकार का इस भारतीयों की स्थिति न करना और गांधी का दक्षिणी अफ्रीका में जाति भेद के विरुद्ध सघन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। इसी भारतीयों के आंदोलन के बाद में विदेशों में गंदर आंदोलन चलाया जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध एक वातावरण तैयार किया।

पश्चिम की सामंजस्य विचारधारा का भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, मिस्र, फारस और टर्की के हिंसात्मक स्वतंत्रता सघनों ने तथा गैरीबाल्डी और माजिनी के साहसपूर्ण बंदूकबाजी ने भारतीयों के मस्तिष्क पर जादू जैसा असर किया। लाजपत राय का विचार है कि, 'इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विश्व शक्तिवाद से भी जा भारत के बाहर कायरता है, तमाम सहायता प्राप्त हो रही है। राजनतिक क्षेत्र में इस यूरोपीय राष्ट्रवाद से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिली है—अंग्रेज थमजीविया का सघन और उनकी सफलता, फ्रांस की क्रांति का अपार कष्ट और अंततः उसकी सफलता, इटली, वासियों के प्रयास और उनकी विजय, तथा अनवरत चल रहा रूसिया, पोलो, फिनो और हंगरी के रहने वाली तथा अया का सघन।' सर हनरी काटन ने लिखा है कि, 'भारतीय लोगों ने अपने चारों ओर विश्व में फैली हुई शक्तिपूर्ण भावना को ली स आग प्राप्त कर ली है।' 2

अब्रिटीशिनिया की इटली पर तथा जापान की रूस पर प्राप्त बड़ी विजय के परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं हुए। पश्चिम के अपराजेयता पर से पदा उठ गया और एशिया का लोगो में विश्वास करवटें लेने लगा। लाड मिण्टो ने स्वयं कहा, 'पूरा एशिया जापान द्वारा एक यूरोपीय शक्ति के पराजय पर प्रसन्न है। इसके प्रभाव दूरगामी होंगे। नयी सभावनाओं के जन्म की आशाएं बढ़ गई हैं। चीन, फारस, मिस्र और तुर्की में लोकप्रिय भाग जोर पकड़ रही है। पूरा विश्व जाग रहा है और भारत इस बीमारी से मुक्त नहीं है।' 3

फिर 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत के इतिहास में एक नयी बात देखी।

1 लाजपतराय यंग इंडिया पृ० 232।

2 काटन सर हनरी निव इंडिया इंडिया इन ट्रांजिट पृ० 210।

3 देखें दुआ आर० पी० द इम्पैक्ट ऑफ रशो जापानाज (1905) वार जान इंडियन पार्लियामेंट नई दिल्ली, 1966।

4 मोदा होमा फीरोजशाह मेहता दिल्ली 1967 पृ० 177।

धार्मिक-गुणरूपानवाद के आदातन ने जमीन में गड़े भारत के भूतबाल को साहर गिनाला और भारत के गुणार्जगरित लागे के गामा लाकर उस पक्ष कर दिया। स्वामी दयानन्द और विवेकानन्द ने, कवितामयी भाषा की धनी श्रीमती एनी बेसेन्ट ने, भारतीयों की भाषाओं का पक्का कर दिया और उन्हें निराशा की निद्रा से जगा लिया। भारत की प्राचीन सभ्यता की महात्ता और उसके राजनतिक दगन का दूर भाषा में जिस जोरदार ढग से कहा गया उसका प्रभाव हुआ। वी० चिरास ने लिखा है कि एनी बेसेन्ट 'ने गुलाम हिन्दू व्यवस्था की पश्चिम के श्रेणीभर सम्म्यता में उच्च धापित किया।'<sup>1</sup>

गुण यूरोपीय अपनी जातिगत उच्चता को भारतीयों पर धोते थे जिससे लागे में विरोध भाव पनप रहा था और उससे ब्रिटिश शासन का आधार कमजोर हो रहा था। भारत में जाति के आधार पर सघप का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज सभी जनता के निकट सघप में आने की चष्टा नहीं करते थे। भारत में अंग्रेज जनसदस्य महमोह में पगी रहती थी और अतत इग्लड वापस चली जाती थी। आवागमन के साधन के उत्पान न उन्हें अपनी जमभूमि जान के लिए बाहर और प्रोत्साहित किया। इस तरह उनके प्रति शासिता की सहानुभूति नहीं जुट पायी। 'युरोपीयों के पूव में सत्ता प्राप्ति के समय से ही पश्चिम के जाति उच्चता के सिद्धांत न उनका मस्तिष्क पराव कर रग्या था। पर 20वीं सदी में, जबकि सामान्य जागरण पूर्ण लोगे में भी उत्पन हो गया था, इसका चल पाना बडा कठिन था।'<sup>2</sup> 1908 में मिण्टो ने स्वयं स्वीकार किया कि, 'प्रतिदिन के जीवन का वातावरण उत्तेजित है और जातिगत दुर्भावनाओं को खतरनाक ढग से प्रज्वलित कर दिया गया है।'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस वातावरण से प्रभावित हुई। 1905 के अपने बनारस सम्मेलन में इमने ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित होन योग्य स्वशासन पर विचार किया। इमने लेजिस्लेटिव कौंसिलों में सुरत सुधार की मांग की। पर, इमको विधिवा साधारण रही जिससे भारतीयों की नयी पीढी की आकांक्षाएँ सतुष्ट नहीं हो पायी क्यकि उसने अंग्रेजी साहित्य के स्वर्णिम खजाने से राजनतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पा लिया था। इही परिस्थितियों में इडियन नेशनल कांग्रेस में उग्रवादी तत्व शक्ति प्राप्त करने लगा। 1905 के सम्मेलन में यह खुलकर सामने आया और 1906 के सम्मेलन में इस तत्व और उदारवादियों के बीच का भेदभाव दादाभाई नौरोजी ने बडी चालाकी और सूझबूझ से रोका। पर अंतिम विचारक अधिक समय तक के लिए नहीं रोका जा सका। 1907 के सुरत सम्मेलन

1 चिरास वी० इडियन अनरेस्ट प० 369।

2 दास, एम० एन० इडिया अ डर मालें ऐण्ड मिण्टो, लदन, 1964, प० 213।



जितना भारतीय गावों में धूल और धूप में तूफानी गति से दौड़ने वाला बाल। उन्होंने लाड कजन के काल की कारवाइयों को प्रतिक्रियावादी बताने के लिए कजन की जिसने उनके अनुसार नवजन्म लेती भारतीय राष्ट्रीयता के पुष्प को मसल देने की चेष्टा की। कजन के विश्वविद्यालय ऐक्ट को उन्होंने उदार भारतीय विचारधारा पर सुनियोजित प्रहार बताया तथा बगभग को उन्होंने साम्राज्यवादी हिंसो-मत्त प्रयास बताया। उन्होंने विराध सभाएं आयोजित की और भारतीयों को कजन के बुरे उद्देश्य से प्रेरित सामाजिक नीति की शक्ति से मुकाबला करने की प्रेरणा दी। यूरोपीयों की क्रूर हत्याएं और उनकी संपत्ति का विनाश जो हुआ पात्र के प्रयासों से ही प्रभावित था।

पांच नदियों के क्षेत्र पंजाब ने अपने शेर लाला लाजपत राय को जन्म दिया जो तूफान की तरह दौड़े और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध शेर की तरह गरजे। जब वे भाषण देते तो उससे राजनैतिक विरोध की आग बरसती। उन्होंने लोगों को अपनी सहायता आप करने और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने की कला की शिक्षा दी। लाड मिण्टो ने मालों को लिखा, 'हमें लाजपतराय और अथ आन्दोलनकारियों की ओर से अरील के साथ कुछ रचिकर समाचारों के आदान प्रदान की सूचना मिली है यदि वह भारत में होनेवाले पड़्यत्न से जुग था जिसका समयन सीमा के कबीत कर रहे थे, तब तो हमारी परेशानी कल्पनातीत है।' सच तो यह था कि लाहौर में दंगे हुए और वहां का वातावरण राष्ट्र प्रेम से ऐसा उद्वेलित हुआ जमा पहले कभी नहीं हुआ था। मिण्टो ने लिखा, 'सब जगह उपचादी खुलेआम और लगातार विद्रोह की शिक्षा देते हैं। वे ऐसा अखबारों के माध्यम से और अपनी आयोजित सभाओं में भी करते हैं।' और ऐसी स्थिति में उसने मालों को लाजपत राय के बारे में पुनः लिखा, "इससे यह स्पष्ट है कि इसकी मित्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।"<sup>1</sup>

गोखले और तिलक में अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉ० पी० सीतारमैया ने लिखा है 'गोखले उदार थे और तिलक उपवादी। गोखले की योजना वर्तमान संविधान को सुधारने की थी, तिलक इसकी पुनरचना चाहते थे। गोखले नौकर-शाही के साथ काय करना आवश्यक मानते थे और तिलक उनसे लड़ना आवश्यक समझते थे। गोखले आवश्यकतानुसार जहां संभव हो सहयोग और जहां आवश्यक हो विरोध के पन्धर थे तिलक रोक-छेक की नीति में विश्वास करते थे। गोखले की विधि विदेशियों को जीतने की थी, तिलक उन्हें हटाना चाहते थे, गोखले दूसरों की सहायता पर निर्भर करते थे, तिलक अपने द्वारा सहायता में विश्वास करते थे। गोखले की वर्गों और बुद्धिजीवियों की ओर निगाह थी, तिलक की प्रजा



हैं और ऊंचे ऊंचे यूरोपीय व्यापार घराना ने या तो अपना काम बंद कर दिया है या छोटा मोटा व्यापार प्रारंभ कर दिया है।”<sup>1</sup>

भाग और हिंसा पूरे देश में फैल गयी और विद्रोह के भाव भारतीय सेना तक पहुंच गये। तमाम उदाहरण दिये जाते कि गोखल जैसे लोग सेना के लोगों से मुक्त संपर्क में हैं। आग प्रसारने वाले पत्र सैनिकों में बाँटे जाते और रूसी अधिकारियों से संपर्क के तत्पूण प्रमाण थे। सर माइकेल ओ’ डायर के अनुसार पंजाब में छानबीन से पता चला कि, “जो लोग इसमें पकड़ में आये हैं उनमें बहुत से आयसमाज के सदस्य हैं।” लाजपतराय के निर्वासन से घबड़ाकर, इसके एक प्रमुख सदस्य, समाज के सदस्या के एक प्रतिनिधि मंडल सहित सर डेजिल इवटसन गवर्नर स मई 1907 में मिला और उन्हें बताया कि समाज का संगठन सामाजिक व धार्मिक है और राजनीति से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आयसमाज ने इसी तरह का एक प्रस्ताव भी पारित किया। पर सरकार इतने से सन्तुष्ट नहीं हुई क्योंकि ओ’ डायर के मतानुसार समाज में पंजाब के हिंदुओं का 5% भी सम्मिलित नहीं था। पर हिंदुओं में जो लोग सजा के भागी हुए उनमें से अधिकतर आयसमाज के सदस्य थे। ‘ट्रिब्यून’ में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार, सर इवटसन ने कहा, कि जहाँ वह समाज से आश्वासन पाकर प्रसन्न हैं, वहाँ उसे प्रत्येक जिले के अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई है, कि जहाँ भी आयसमाज है, वहाँ विद्रोह के वातचीत का केन्द्र है। सच यह लगता है कि समाज संगठन के रूप में राजनीति की रूचि से परे रहा होगा। पर इसके केन्द्रों ने उस सुविधा जनक काय स्थल का काय किया होगा जहाँ लोग उनके संपर्क में आये होंगे जो व्यक्तिगत रूप में या किसी संगठन की ओर से राजनीति में रूचि रखते रहे होंगे और जिन्होंने विदशो गुलामी जुये का तोड़ फेंकने के लिए प्रेरणा दी होगी।

छूट-पुट हिंसात्मक प्रयास भी सामने आये। अप्रैल 1908 में एक यूरोपीय ऐडवोकेट मि० पिगल बेनेडी की पत्नी और लडकी के वाहन पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया। कु० बेनेडी मारी गयी और श्रीमती केनेडी बुरी तरह घायल हो गयी। दिसंबर 1907 में मुजफ्फरपुर में पुन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐड्रिव फ्रेजर को ले जानवाली गाडी को ही उठाने की चेष्टा की गयी। ढाका के जिला मजिस्ट्रेट बी० सी० आनंद को एक रिवाल्वर से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। नवम्बर 1908 में जीते द्रनाथ राय चौधरी नामक एक छात्र को सर ऐड्रिव फ्रेजर की हत्या के प्रयास में बंदी बना लिया गया। जुलाई 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर डब्लू० कजन—विली की लदन के इम्पीरियल इन्स्टीच्युट में

1 देखें देसाई, ए० आर० पी० पोसल बकप्राउड आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प० 307 44।

एक भारतीय मदन लाल धीगरा द्वारा मार डाला गया। नवम्बर 1909 में लाड और लेडी मिण्टो को अहमदाबाद में जान से मार डालने का प्रयास किया गया। उन्नीस वषरों में नासिक के कलेक्टर जैम्सन को एक ब्राह्मण युवा ने इससे बदला लेने के लिए मार डाला क्योंकि उनमें जी० डी० सावरकर को दंड दिलाने में भाग लिया। उसी महीने एक बम पासल से अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया। जनवरी 1910 में घान बहादुर शम्सुल आलम को जो बंगाल 'त्रिनिटल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेण्ट' में डिप्टी सुपरिन्टेण्डेंट आफ पुलिस थे, कलकत्ता हाई कोर्ट में मोती से मार डाला गया। भारत सरकार का विश्वास था कि उपद्रवादियों का देश के फ्रांसीसी क्षेत्रों में संगठन मौजूद है।<sup>1</sup> इसके पर्याप्त प्रमाण थे कि उन्हें अमेरिका और पश्चिम के कुछ देशों से, व्यक्तियों और संगठनों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी।

सरकार की प्रतिक्रिया—इन परिस्थितियों में क्या क्या जाय? कजन सत्य सेटूर था। और जब कांग्रेस भारतीय लोगों में लोकप्रिय होती जा रही थी और 1901 में ब्रिटेन में भी अपना संगठन इसने स्थापित किया तो कजन ने कहा, "जब कि मैं स्वयं भारत की जनता के मत जानने और उसे समझने-बुझने की इच्छा रखता था, कांग्रेस की रचना ने विगत वर्षों में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उनसे उनका वह अधिकार भी छिन गया है। वह अपने में मुट्ठी भर लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। मेरा विश्वास है, कांग्रेस में अच्छे लोग धीरे धीरे अपने कार्यों की सफलता के नशय से परिचित हो रहे हैं। और सच में उनके बहुत से समाचारपत्रों ने यह तक दना प्रारंभ कर दिया है कि बेहतर यह होता कि वे हमारे ऊपर विश्वास करते जिससे मैं उन्हें अधिक से अधिक दे सकता। पर इसकी जगह पर वे अपनी शक्ति शोर मचाने में बर्बाद कर रहे हैं जिससे बदले में कोई भी वाइसराय उन्हें कुछ नहीं देगा।" मिण्टो ने चीजों को ठीक से समझा जब उसने यह कहा 'मेरी समझ से कांग्रेस की स्थिति की कल्पना न करना भूल है। जिस जनमटपा की यह सस्या प्रतिनिधित्व करती है वह मेरे विचार से कभी ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त कर पायगी कि वह भारत सरकार में नतत्व की भूमिका अदा कर सके। पर यह बहुत स ऊंचे विभिन्न विषयों के भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिससे देश के भविष्य का प्रशासन प्रभावित होगा। इसलिए कांग्रेस को एक तरफ छोड़ देना भूल होगी और इसको बिना विश्वास में लिए कुछ करना भारतीय इतिहास के लिए उचित नहीं होगा।"<sup>2</sup> मिण्टो ने अनुभव किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का स्थायित्व "इस बात पर निर्भर करता है कि

1 देखें दास एम० एन० पूर्वोद्धृत, पृ० 104-120।

2 दास एम० एन० पूर्वोद्धृत पृ० 167-89।



हम अपने चारों ओर बदलती स्थिति से समझौता करें" और इसके लिए उसने कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया बल्कि इसके दो समूहों का भी—उग्रवादी जिन्होंने इसे छोड़ दिया था और उदारवादी जो सगठन को अब भी अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। उसने लाड मार्ले से इस विषय पर विस्तार से पत्र व्यवहार किया और एक राजनीति तैयार की।

नयी राजनीति जो लाड मिण्टो ने तर्जिन की उसने आधार पर तीन कारवाइयाँ की जानी थीं। पहली, कांग्रेस के अंदर और बाहर उग्रवादी तत्त्वा को बुरी तरह से दबा दिया जाना था। दूसरी, कांग्रेस के भीतर और बाहर जो उदारवादी तत्त्व था, जहाँ तक समभव हो उसे तुष्ट किया जाना था। स्पष्ट था कि इसे तभी किया जा सकता था जब कांग्रेस के द्वारा पारित प्रस्ताव में से कुछ मागें मानकर इस कदम की शुरुआत हो सकती थी। तीसरे, उदारमत वालों को तुष्ट करते समय यह ध्यान में रखना था कि वे इतने शक्तिशाली न हो जायें कि सरकार के लिए समस्या बन जायें। भारत के उन्गर सेक्रेट्री आफ स्टेट मार्ले ने मिण्टो की दूसरी बात स्वीकार कर ली, पर वह वाइसराय के साथ पहले या तीसरे प्रस्ताव पर बहुत जागे जान को तैयार नहीं था। पर मिण्टो अपनी योजना पर आबद्ध रहा और अपने प्रथम प्रस्ताव के आधार पर उसने श्रांतिकारी कारवाइयों को दबाने के लिए भारत में कई बठोर कदम उठाये। दूसरे प्रस्ताव के अंतगत कुछ और कदम स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए भी उठाये गये और 1909 का मिण्टो मार्ले ऐक्ट भारतीय विधायिका को विस्तृत करने के लिए उठाया गया। उसे शक्ति भी अधिक प्रदान की गयी। अपने तीसरे प्रस्ताव के अंतगत उसने मुस्लिम लीग के सगठन को प्रोत्साहित किया जो कांग्रेस सगठन के विरुद्ध खड़ी हो सके और इन समस्याओं के भी विरोध में उसने भारतीय राजाओं को भी खड़ा किया।

उग्रवादियों को दवाने के लिए सेक्शन 124ए और 153ए को इंडियन पेनल कोड में जोड़ा गया और 1907 में 'प्रीवेंशन आफ सेडीस एक्ट' पारित किया गया। 1908 में 'एक्सप्लोसिव सब्सटैंस ऐक्ट' की भी स्थापना हुई। इसी वर्ष आतंकवादियों पर विशेष मुकदमा चलाने के लिए 'त्रिनिटल ला अमे डमेन्ट ऐक्ट' पारित किया गया। बहुत से उग्रवादियों को कैद किया गया, मुकदमा चलाया गया और दंडित किया गया। तिलक, लाजपतराय और अजीत सिंह को निर्वासन दंड दिया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता अपहरण करने के लिए भी बठोर कदम उठाये गये। 1906 में लाहौर के पजाबी को सेक्शन इंडियन पेनल कोड के 153 के अधीन दंडित किया गया जिसके आधार पर इसके संपादक को कैद कर लिया गया और इससे अथ दंड भी लिया गया। इसी तरह की कारवाइ बम्बई के हिंदू स्वराज के साथ भी की

गयी। यह कारवाई भी 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' के सेक्शन 108 के अधीन की गयी। अय समाचार पत्र, जिन्होंने 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' और 'इंडियन पेनल कोड' झेने थे—बिहारी, इडिया, हिन्दुस्तान, व दे मातरम, सध्या, युगान्तर, केशरी आदि।

1908 म समाचार पत्रों को एकदम समाप्त करने के लिए 'इनसाइटमेण्ट टू आफे स ऐक्ट' पारित किया गया। इसके अनुसार उन समाचारपत्रों का प्रकाशन विधि सदस्य के ही अनुसार उस स्थिति में बदल कर दिया जाता था जब ये हत्या या हिंसा को प्रोत्साहित करता था। इस पर 'एक्सप्लोसिव सब्सटैंस ऐक्ट (1908)' के अधीन कारवाई की जाती थी।

इस ऐक्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रेस जब्त कर लेने का अधिकार था जो हिंसा के प्रोत्साहन के लिए कोई चीज छापता था। यदि मजिस्ट्रेट का सदह होता तो वह प्रेस वाले को बुलाकर उसे कारवाई करने हेतु कारण बतावा नोटिस देता था। यदि तत्सबधी उत्तर मतोपजनक नहीं होता और मजिस्ट्रेट उसके अपराधी होने के प्रति आश्वस्त हो जाता तो वह पुलिस को कारवाई का आदेश दे देता जो प्रेस और अय धन को ले लेता। आपातकाल में इसे जब्त करने का अधिकार बिना कारण बताये नोटिस के भी दिया जा सकता था। 15 दिनों के आदेश दिये जाने के भीतर हाई कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती थी। यह ऐक्ट स्थानीय सरकार को प्रकाशक और मुद्रक के काम को 1867 के ऐक्ट के अधीन प्रकार घोषित कर सकता था।

देखने से ही इसकी कारवाई की भयानकता का अंदाज होता है। इसका उद्देश्य राजनतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव को समाप्त करना था। सध्या और युगान्तर जैसे समाचार पत्र सबमुक्त समाप्त कर दिये गये और शेष ब्रिटिश निरंकुशता के दाब में छटपटाते रहे।

सरकार अब भी अपनी सज्जित शक्ति में मनुष्ट नहीं थी इसलिए 1910 का 'इण्डियन प्रेस ऐक्ट' पारित किया गया। इस ऐक्ट की धारा 4 म, उस बात को इतराजपूर्ण विषय वस्तु माना गया जो लोगो को परेशान करने कातिकारी कारवाइयों के लिए धन दिलावात थे, मेता के लोगो का लालच देते थे, क्रांति से संबंधित लोगो का विरोध में गवाही दान में रोकते थे तथा राजावा, कमचारिया, अधिकारियों व यायाधीशा की आलोचना करत थे। और यह नियम कि एक विशेष लेख में धारा 4 का उल्लंघन किया है या नहीं, इसका निर्णय यायालय नहीं, स्थानीय सरकार करती थी।

इस ऐक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रेस या समाचार पत्र से कम-से-कम 500 रु० और अधिक से अधिक 2,000 की सीक्योरिटी माग सकता था। और स्थानीय सरकार कम से कम 500 रु० और अधिक से अधिक 5,000 रु० इस उद्देश्य के

लिए पहले से स्थापित प्रेसों और समाचार पत्रों से सीक्योरिटी माग सकती थी। यह धन सरकार के आदेश पर जब्त किया जा सकता था। चुगी घरों और डाकखानों को ऐसे पैकेटों को रोकने का अधिकार था जिसके विषय में उनको सदेह हो कि इसमें इतराजपूण प्रकाशन सामग्री है। वे यह सामग्री प्रांतीय सरकार को प्रेषित कर देते थे। यदि कोई उपरोक्त वर्णित धारा 4 का उल्लंघन करता तो उसकी सीक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाती। और यदि नये तरीके से काय प्रारंभ करना चाहता तो उसे फिर वही उपरोक्त प्रक्रिया अपनानी पड़ती। कायपालिका के इन आदेशों के विरुद्ध केवल हाई कोर्ट में अपील हो सकती थी जिसे तीन 'यायाधीशों की एक बेंच सुनता था।

एक बार यह बिल पारित हो गया, सरकार ने इसका तगडे में प्रयोग किया। विशेषकर युद्ध काल में, और 1919 तक इसके अंतर्गत 300 समाचार पत्रों, 350 प्रेसों और 400 प्रकाशनों को दंडित किया गया। इन 300 समाचार पत्रों से 40 हजार रु० की सीक्योरिटी धन राशि मांगी गयी और यह कहा जाता है कि 200 प्रेसों और 130 समाचार पत्रों ने इसी कारण अपना काम नहीं प्रारंभ किया। इनमें से जिनका सबसे अधिक नुकसान हुआ वे थे, ट्रिब्यून, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द बाम्बे क्रानिकल, द हिंदवासी।

ऐक्ट की धाराएँ ऐसी थीं कि इसके विरुद्ध कितना भी कठोर शब्द प्रयोग किया जाय या आलोचना की जाय, वह कम थी। तमाम मुकदमों में जो 'यायाधीशों के सामने लाये गये उनमें से कुछ ऐक्ट के विरुद्ध कटु आलोचना की गयी। यह बुद्धिजीवियों के विरुद्ध एक अपमानजनक ऐक्ट था जो उनसे सुरक्षा धन राशि मांगता था, पर साथ ही हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अवसर भी दे देता था जिसे कायकारिणी के निणय पर उगली उठाने का अधिकार नहीं था। और इस ऐक्ट के अंतर्गत अपराधी को अपनी निरपराधिता सिद्ध करने का कहा जाता था और इस तरह यह ऐक्ट विधि शासन के प्रथम सिद्धांत का ही हनन करता था। एक मुकदमे में 'यायाधीश टी० बी० शेपरि अथर ने कहा भी, "संवत् 4 का काय क्षेत्र इतना अधिक है कि यदि प्रेस एक सुपरवाइजर भी नियुक्त कर ले तो यह सभावना थी कि थोड़ी-सी भी लापरवाही से यदि आख से कोई चीज ओझल हो गयी तो प्रेस और प्रेस में काय करने वाला का जीवन ही बर्बाद हो गया।" 'यायाधीश अब्दुल रहीम ने कहा फिर यायाधीशों को केवल अपील या सुरक्षा धन राशि के जब्त किये जाने के विरुद्ध या पक्ष में ही निणय लेना था। वह तनिक भी जर्नीकरण के आदेश में परिवर्तन नहीं कर सकता था।" 'पंजाब के मुख्य 'यायाधीश ने मुलाम कादिर खा वनाम ताज के मुकदमे में कहा "प्रेस कानून क्रिमिनल लॉ से भी आगे निकल गया जिसके फलस्वरूप जहाँ क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन नहीं होता था, पर प्रेस कानून का होता था।" मुहम्मद अली वनाम सम्राट के मुकदमे

म मुख्य 'यायाधीश जेनकि'स और 'यायाधीश स्टीफेन न भी इसी तरह मत व्यक्त किया।

इमे गला वाघने वाला दूसरा ऐक्ट कहा गया। जिसका उद्देश्य प्रेस को बर्बाद करना था और इसका विरोध स्वाभाविक था। पर 1922 में जाकर यह कानून तब वापस लिया जा सका जब सर तजबहादुर सप्रू समिति की सस्तुतिया के प्रकाशन के तत्संबंध में एक सशोधन लाया गया। नय निणय के अनुसार 1910 का ऐक्ट वापस ले लिया गया।<sup>1</sup>

### 1909 का मिण्टो-मार्ले सुधार

उग्रवादियों के विरुद्ध दबाव की नीति अपनाते हुए मिण्टो ने जा सामरिक नीति अपनाई थी, उसके अंतगत कांग्रेस के बाहर और भीतर उदारवादी तत्त्वों को तुष्ट किया जाना था। 1907 में लाड मार्ले ने सर चार्ल्स हावहाउस के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत में असंतोष का कारण क्या है और उससे यह भी कहा गया कि वह आर्थिक व्यवस्था में सुधार के कदम भी सुझाये। कमीशन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि एक बार प्रांत में जो कर निर्धारित कर दिये जाय उमम अनावश्यक रूप से केन्द्र द्वारा फिर हस्तक्षेप न किया जाय। राजस्व का वितरण अस्त व्यस्त तरीके से न करके प्रांतों की आवश्यकतानुसार किया जाय। कुछ और बड़े हुए मदों का प्रांतीयकरण कर दिया जाय तथा बड़े निश्चित मदों की जगह पर निश्चित राजस्व मदों को ल आया जाय। प्रांतों को प्रांतीय कर के द्वीय अनुमादन से ही लगाने का अधिकार दिया जाय। उन्हें भू राजस्व बंदोबस्त में अधिक अधिकार प्रदान किया जाय तथा सिविल एकाउंट्स को उदार बनाया जाय।

1909 के कमीशन ने सरल बोर्डों के संघ में भी कुछ सस्तुतिया की, लाड रिपन के प्रस्ताव से ही चुने गये सदस्यों को लेने का सुझाव दिया गया था जिन्हें जिला बोर्डों में प्रारंभ भी कर दिया गया था। पर ये चुने गये सदस्य कुछ प्रांतों में लोअर बोर्ड के सदस्यों में से ही चुने जाते थे जबकि व सभी सदस्य नामित होते थे। 'जिस तरह के निर्वाचक वे थे उसके अनुसार चुनाव कहा था, इसमें जनसंख्या के 6% लोग ही तो भाग लेते थे।' इस दोष को दूर करने के लिए विकेंद्रीकरण आयोग ने सस्तुति दी कि चुने हुए सदस्यों की संख्या हर स्थान पर बढ़ाई जाय। इस सस्तुति के ही आधार पर आसाम, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुने हुए

1 और विस्तार के लिए देखें नटराजन एस० ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेस इन इंडिया राव एम० चतुपति प्रेस इन इंडिया।

के बहुमत की प्रणाली लागू की, जबकि सी० पी० और मद्रास ने चुने जान वाले सत्त्वो की सख्या 2/3 और यू० पी० ने 3/4 बढ़ा दी। पर फिर भी बम्बई ने चुने गये लोगो की परपरा की शुरुआत ही नहीं की। आयोग की दूसरी सस्तुति यह थी कि जिला बोर्डों को एक रुपये पर एक पैसा अतिरिक्त चुगी लगाने का अधिकार दिया जाय जिस धन से वे हरकी रेलगाडिया और ट्रामे अपने क्षेत्र में चला सके। और इसे किया गया।

मिण्टो के काल का एक अय सुधार 1907 में उसके निणय के माध्यम से सामने आया जिसमें बताया गया कि चीन को भेजी जाने वाली अफीम को धीरे-धीरे कम करते करते समाप्त कर दिया जायगा। यह चीन सरकार के निवेदन पर मानवतावादी आधार पर किया गया जिसके लिए इंग्लैंड में भी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अतः इस व्यापार की समाप्ति के कारण 8 से 10 करोड़ वार्षिक का घाटा सरकार का हुआ। पर यह हानि बर्दाश्त करने योग्य थी क्योंकि इसके प्रयोग से जनता का नैतिक स्तर गिरता था।

पर मिण्टो के काल का अधिक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट 1909 का 'इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट' या मिण्टो मार्ले सुधार था।

सेक्रेट्री आफ स्टेट से लगे पत्र व्यवहार के बाद मिण्टो ने सर अरुंडाले के नेतृत्व में समिति नियुक्त की जिससे देश में सर्वैधानिक सुधार सस्तुत करने को कहा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1906 में प्रस्तुत की जिसपर चाइसराय के कौंसिल में विचार किया गया और फिर इसे सेक्रेट्री आफ स्टेट के पास भेजा गया। मिण्टो ने मार्ले को लिखा, "समय बीतता जा रहा है और हम अपने सुधारों को योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सुधार की प्रकृति ही न हो पर यह भी हो कि इसे कब और कैसे प्रारंभ किया जाय। मार्ले ने रिपोर्ट को इस आदेश के साथ वापस कर दिया कि इहे स्थानीय सरकारों के पास जनता की आलोचना के लिए प्रेरित कर दिया जाय। और उसी प्रकाश में बिल को पुन तैयार किया गया और मन्त्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान कर फरवरी 1909 में ससद से पारित कर दिया गया।

### ऐक्ट की धाराए

रालिन्सन ने लिखा है कि, "1909 के 'इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट' ने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन न करते हुए भी भारत को स्व शासन की सड़क के प्रथम चरण तक पहुंचा दिया।" केन्द्रीय विधायिका के सन्ध में इसने इसकी सदस्य सख्या बढ़ाकर 69 कर दी जिसमें से 37 सरकारी अधिकारी होने थे और 32 गैर-

सरकारी लोग । सरकारी अधिकारियों में से गवर्नर जनरल, उसकी कौंसिल के 6 सदस्य और दो असाधारण सदस्य, उदाहरणार्थ सेनापति और प्रात या शासक जहाँ कौंसिल की बैठक होती यानी सब मिलाकर य 9 होने थे । शेष 28 सदस्यों को गवर्नर जनरल नामित करता था । 32 गैरसरकारी लोगों में से 5 को गवर्नर नामित करता था और शेष 27 चुने जाते थे ।

चुने जानेवाले सदस्यों के विषय में बताया गया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारत के लिए उपयुक्त नहीं है और यह कि, "इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिलों की रचना में चुनाव का सिद्धांत वर्गों और हितों के ऊपर आधारित होना अधिक व्यावहारिक है ।" इस तरह 27 सदस्यों में से 13 को तो सामान्य मतदाताओं के माध्यम से आना था जिसमें बम्बई, मद्रास के विधायिका के गैर सरकारी सदस्य आते थे, बंगाल और यू०पी० को दो-दो सदस्य भेजना था (= 8), तथा मध्य प्रात, आसाम, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बर्मा इन विधायिकाओं को एक-एक सदस्य (= 5) भेजना था । शेष 14 सदस्यों में से 'क्लास मलेक्टोरेट' से आते थे, 6 सदस्य बम्बई मद्रास, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, यू० पी० तथा मध्य प्रात के जमींदारों के क्षेत्रों से आते थे, तथा 6 मुस्लिम क्षेत्रों से आने थे । इनमें से मद्रास, बम्बई, यू० पी० तथा बिहार व उड़ीसा से 1-1 (= 4) और बंगाल से दो । शेष दो 'स्पेशल मलेक्टोरेट' से आने थे—एक बंगाल तथा दूसरे बम्बई चैम्बर आफ कामर्स से । पृष्ठ 613 के रेखाचित्र से यह और स्पष्ट हो जायगा—

प्रातीय कौंसिलों की सदस्यता में भी वृद्धि कर दी गई । बंगाल, मद्रास और बम्बई के इक्जीक्यूटिव कौंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई और सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ कि वह चाहे तो लेफ्टीनेंट गवर्नर के लिए भी कौंसिलों की रचना कर दे । भिन्न भिन्न प्रातों की विधायिकाओं की सदस्यता बढ़ाकर अधोलिखित कर दी गई—

बर्मा	16
ईस्ट बंगाल और आसाम	41
बंगाल	52
मद्रास	47
बम्बई	47
यू०पी०	47
पंजाब	25

इस ऐक्ट में प्रातों में गैर सरकारी लोगों में बहुमत की व्यवस्था की गई । पर इसका अर्थ यह नहीं था कि चुने गये तत्त्व को बहुमत प्राप्त हुआ । चूँकि कुछ गैर-सरकारी सदस्य गवर्नर के द्वारा नामित होते थे इसलिए उसकी सहायता से कौंसिल

इम्पीरिल लेजिलेचर की पूरा सख्या

= 69

सरकारी अधिकारी

= 37

पदेन

= 9

नामित

= 28

गवर्नर जनरल

= 1

कोसिल के असाधारण  
साधारण सदस्य सदस्य

= 6

= 2

सेनापति

प्रात का गवर्नर

जहा बैठक होनी थी

गैर सरकारी लोग

= 32

नामित

= 5

निर्वाचित

= 27

स्पेशल

एलेक्टोरेट्स

= 2

जनरल

एलेक्टोरेट्स

= 13

क्लास

एलेक्टोरेट्स

= 12

जमीदारों के

क्षेत्र से

= 6

मुस्लिम क्षेत्र से

= 6

पर सरकारी नियंत्रण बना रहता था। उदाहरण के लिए गैर-सरकारी सदस्य की सख्या मद्रास में 26 थी और सरकारी सदस्य की केवल 21। पर गैर सरकारी सदस्य में से केवल 21 का चुनाव होता था जबकि 5 को गवर्नर नामजद करता था जो सरकारी सदस्यों की सहायता अनिवाय रूप से करता था और इस तरह उनकी शक्ति 26 सदस्यों की हो जाती थी। इसी तरह बम्बई में चुन गये सदस्य की सख्या 47 में 21 थी।

प्रातीय विधायिका में चुने गये सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों से चुनकर आते थे। उदाहरणार्थ बम्बई में 21 सदस्य में से 6 'स्पेशल एलेक्टोरेट्स' से चुनकर आते थे जिसमें बम्बई बापेरिशन और बम्बई विश्वविद्यालय भी सम्मिलित थे, 8 'जनरल एलेक्टोरेट्स' से आते थे जिनका चुनाव जिला बोर्डों, नगरपालिका आदि से होता था और शेष 7 'क्लास एलेक्टोरेट' से आते थे जिसमें 4 मुसलमान और 3 जमीदारों का प्रतिनिधित्व करते थे। उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त यह

भी प्रावधान किया गया कि आवश्यक होने पर प्रांत का गवर्नर सहायताय एक या दो विशेषज्ञ सदस्यों को भी नामित कर सकता है।

इम्पीरियल और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं के अधिकार भी पर्याप्त बड़ा दिये गये। अब सदस्यों को विचार विमर्श और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। पूरक प्रश्न से संबंधित सदस्य को यह अधिकार प्रदान किया गया कि तुरन्त सूचना न दे पान की स्थिति में हो तो और अधिक समय माग ले। 'इम्पीरियल लेजिस्लेचर' में बजट पर वादाविवाद के लिए निश्चित नियम बना दिये गये। सदस्य, मताधिकार के तो अधिकारी नहीं थे पर उन्हें यह अधिकार प्राप्त था कि वे स्थानीय सरकारों के लिए अतिरिक्त अनुदाना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। उन्हें कर प्रणाली में परिवर्तन आर्थिक विवरण में जोड़ा जान योग्य नयीन ऋण या विवरणात्मक स्मृति पत्र प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। आर्थिक विवरण कौंसिल में प्रस्तुत होने से पूर्व एक समिति को सौंपा जाता था जिसमें आर्थिक सदस्य सभापति के रूप में, आधे गैर सरकारी सदस्या और आधे सरकार द्वारा नामित सदस्यों द्वारा बनती थी।

सामान्य जनहित के मामला सबधी विवादा के लिए भी नियम बनाये गये। सदस्य इस सबध में प्रस्ताव पेश कर सकते थे, मत दे सकते थे और विचार कर सकते थे। पर प्रेसीडेंट को यह अधिकार पदान किया गया कि वह ऐसे प्रस्तावों का कुछ भाग या पूण प्रस्ताव ही बिना कोई कारण दिये अमाय कर दे। सरकार भी ऐसे प्रस्तावों के पारित हो जाने के बावजूद, चाहे वे जनहित सबधी हों या आर्थिक विवरण सबधी, इन्हें स्वीकार करने को बाध्य नहीं थी।

एक्ट ने सदस्यों के ऊपर कुछ प्रतिबध भी लगाया जिसके अंतगत उन्हें काम करना पड़ता था। उदाहरणार्थ वे भारत सरकार के वैदेशिक सबधों और राजाओं से सबध पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते थे। वे न्यायालय में चल रहे मामलों पर भी विचार नहीं कर सकते थे और न वे अनधिकार किसी बात पर बहस कर सकते थे। इसी तरह वे राज्य रेलवे के व्यय पर, व्याज व ऋण पर बहस नहीं कर सकते थे। राजस्व के कुछ मदों पर भी उन्हें बहस करने का अधिकार नहीं था।

### एक्ट का महत्त्व

1909 का कौंसिल एक्ट कुछ मामलों में 1892 के कौंसिल एक्ट की तुलना में सुधरा हुआ था। प्रांतों में गैर-सरकारी बहुमत का प्रारंभ हो गया। वैसे तो नामित गैर-सरकारी सदस्यों के कारण, जो सरकार का ही पक्ष लेते थे, बहुत लाभ पूण तो नहीं सिद्ध हुआ, पर इससे गैर सरकारी सिद्धान्त को बल मिला और अब समय बहुत दूर नहीं था जब इसे सचमुच प्राप्त किया जा सकता था। चुनाव का सिद्धान्त भी सतह पर आ गया। और वैसे तो तमाम प्रतिबध लगाये गये और



उपरोक्त परिस्थितियों में सदस्य अपनी स्थिति को महसूस तो नहीं करा सके, पर उन्होंने जनमत को सरकार के सामने रखने का अवसर पा लिया जबकि दूसरी ओर सरकार अपनी नीति इस भरोसे जोरदार ढंग से रखने लगी कि यह जनता के बीच पहुँच जायगी। इसके अतिरिक्त नवीन ऐक्ट ने नयी भावना का जागरण किया जिसने अतगत दो भारतीयों, एक हिन्दू के ०जी० गुप्ते तथा निजाम हैदराबाद के प्रमुख परामशदाता सय्यद हुसैन बिलग्रामी को सन्फ्रेड्री आफ स्टेट मालों के कौंसिल के लिए नियुक्त किया। वगाल के एडवोकेट जनरल एस०पी० मिह्रा को वाइसराय की वायकारिणी कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया, और इनके अधीन भारतीयों को अधिक अवसर प्राप्त होने की स्थिति पैदा हुई। वाद विवाद अब खुले रूप में होने लगे। पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार छोटी सफलता नहीं थी और न ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार कम महत्वपूर्ण था। सदस्यों पर प्रतिबंध भी लगाय गया, पर एस० आर० शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जो संवैधानिक निरकुशता स्थापित कर दी गई थी वह "संवैधानिक तरीके से विरोध भी झेलने को बाध्य थी और इस चुनौती का उत्तर ढूँढना आवश्यक था। निरकुशता को तो हटना ही था।"<sup>1</sup>

फिर भी ऐक्ट में कई स्पष्ट दोष थे। ऐक्ट का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधियाँ का चुनाव था जो जवाहरलाल के मतानुसार, "उनके चारा ओर भारत से बाहर एक अलग करने वाला घेरा बना दिया गया और शताब्दियों से चली आ रही एकता और सम्मिश्रण की धारा को उलट दिया गया।"<sup>2</sup> मुसलमानों की तथाकथित महत्ता को बढ़ाने के लिए उनके अलग मत-धिकार के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जबकि पूरे राष्ट्र में सामान्य मतदाताओं में से उन्हें चुनकर आने का अवसर प्रदान किया जा सकता था। इतना ही नहीं अपनी तथाकथित साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें अपनी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पर खैल वही समाप्त नहीं हुआ। मुसलमानों के प्रति विशेष व्यवहार ने उन जाति के लोगों को खिन्न कर दिया जिनका यह कहना था कि उन्होंने साम्राज्य की सेवा और अच्छे ढंग से की है पर उन्हें ऐसा विशेषाधिकार नहीं प्रदान किया गया। सिखा ने इस अधिकार के लिए लड़ाई की और 1919 में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया। सिखा के पक्ष में निणय ने और सम्प्रदाय वालों को अपना विरोध और दब करने का अवसर प्रदान किया। सभी यह महसूस करने लगे कि उनका हित दूसरे सम्प्रदाय के कारण मारा जा रहा है और इस कारण वह विशेष सुरक्षा की माँग करने लगा। ब्राह्मण मद्रास में चित्ला

1 शर्मा एस० आर० कास्टीच्युशनल हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 281।

2 नेहरू ज० द डिफ़रेंसरी आफ इंडिया प० 295-96।

उठे, हरिजन, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आगल भारतीय फिर पीछे क्यों रहते। सदियों से सहेजी गई राष्ट्रीय एकता एक ही प्रहार से चबनाचूर कर दी गई और सभी चीजें बिखरने लगी। महात्मा गांधी ने कहा भी कि, "मिण्टो-माले सुधारों ने हमें कहीं का नहीं रखा है।" इन सुधारों ने मुसलमानों के निम्न स्तर के जीवन से केन्द्रापसारी भावना को बाहर ना उपस्थित किया जिससे प्रगतिशील राष्ट्रवादी मुसलमान प्रतिनिधित्वहीन व्यक्तियों की खराब काटि म आ गयी। इसके कारण मुसलमानों की बौद्धिक और राजनैतिक प्रगति एक ओर अपने-आप रुक गई, जबकि दूसरी ओर झगडा के और साम्प्रदायिकता के बटु बीज बो दिए गए जो बढकर अतत 1947 में अलग से पाकिस्तान राज्य बनाने का एक कारण बन गये।<sup>1</sup>

इस ऐक्ट ने भारत में ससदीय सरकार की स्थापना के लिए भी कुछ नहीं किया। माले ने ससद में स्पष्ट घोषणा की थी कि, "यदि मैं भारत में ससदीय प्रणाली प्रारंभ करने का प्रयास करता, तो मुझे अकेले इसके विषय में करना ही क्या था यदि मेरा व्यक्तिगत या कार्यालयीय अस्तित्व 20 गुना भी बढ जाता तो भी ससदीय पद्धति मेरा गन्तव्य नहीं था जिसकी मैं आकांक्षा करता।"<sup>2</sup> यदि परिस्थितियों ने माले की दृढता को झूठा सिद्ध किया तो यह उसका दोष नहीं था। उसकी धारणा स्पष्ट थी। राष्ट्रीयतावादी शक्तियाँ जो जन्म ले रही थी उनके लिए यह सतुष्टि का साधन नहीं था। उनका असतोप बढता ही गया।

ऐक्ट में प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित योग्यता भी असतोपपूर्ण थी। यह तो समझ में आता था कि उह अभ्यर्थी बनने में राक दिया गया जो अधिकारी थे, जिनका अस्तित्व विकृत था, जो सरकारी नौकरी से हटा दिए गये थे और व जो ब्रिटिश प्रजा नहीं थे अथवा जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। पर यह समझ में नहीं आता था कि बम्बई, मद्रास और बंगाल में प्रान्तीय प्रतिनिधि हान के लिए वही खडे हो सकते थे जो नगरपालिका या जिला बोर्ड के सदस्य हो। युनाइटेड प्राविंसेज में कौंसिल का चुनाव लडने के लिए जो योग्यताएँ थी वह अथ प्रान्ता से भिन्न थी। संपत्ति का होना एक आवश्यक योग्यता थी जो किसी वग जैसे जमींदार संज्ञ से खडे होते थे उनकी योग्यताओं में कुछ और योग्यता जुडी हुई थी। और सबसे खराब बात यह थी कि सरकार किसी को भी चुनाव लडने से रोक सकती थी और इस तरह वह किसी को भी राजनैतिक जीवन जीने में बाधा पैदा कर सकती थी।

मताधिकार में एकरूपता और विस्तृत दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। एक मुसलमान स्नातक जो पांच वर्ष पहले डिग्री पा चुका हो, मत दे सकता था,

1 बनर्जी ए० सी० पूर्वोद्धृत, प० 269-70।

2 देखें, कूपल ड ए इंडियन कास्टीच्युशनल प्रॉब्लम, प० 34।

जबकि एक गैर मुसलमान 25 वष पहले भी यदि स्नातक हो चुका हो तो मत नहीं दे सकता था। पुन एक मुसलमान जो 3,000 रुपये का वार्षिक भू राजस्व या आयकर दे रहा हो, मत दे सकता था जबकि एक गैर मुसलमान चाहे एक लाख रुपये का भी वार्षिक कर दे रहा हो मत नहीं दे सकता था। मताधिकार केवल संप्रदायो में ही अलग अलग तरह का नहीं था बल्कि एक ही संप्रदाय में भी अलग-अलग तरह का था। उदाहरणार्थ मुस्लिम मतदाता की योग्यता प्रान्तो प्रान्तो में अलग-अलग थी। और जो प्रान्तीय कांसिल के लिए मत देने के सक्षम था कोई जरूरी नहीं था कि वह इम्पीरियल कांसिल के लिए मत देने की क्षमता रखता हो। इसी तरह मताधिकार भी वर्गो-वर्गो में और एक ही वर्ग में भी अलग-अलग तरह का था। एक जमींदार जो एक प्रांत में मत देने का अधिकार रखता था कोई आवश्यक नहीं कि उसे दूसरे प्रांत में मत देने का अधिकार हो ही।

और फिर विशेषाधिकार वाले और सपन्न वर्ग के लोग ही मत दे सकते थे जबकि पड़े लिखाको तो लगभग कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ। मताधिकार की संकुचितता तो इसमें स्पष्ट हो जाती है कि कभी-कभी एक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 10 तक भी नहीं पहुँच पाती थी। सब बड़े चुनाव के क्षेत्र में मतदाताओं की संपूर्ण संख्या 700 से अधिक की नहीं हो पाती थी। प्रांतीय कांसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों की पूर्ण संख्या जित्त केन्द्रीय लेजिस्लेचर के लिए 13 सदस्य चुनने थे, 200 से भी कम थी। मत कम होने के कारण प्रभावित किया जा सकते या खरीदे जा सकते थे जिन्होंने चुनाव की प्रणाली को झठा बना लिया था।

इस ऐक्ट ने तथाकथित प्रारंभिक मतदाता और उसके द्वारा चुन गये प्रतिनिधि में सबंध स्थापना के लिए कुछ नहीं किया। जबकि तत्संबंध में माटेर्यु चेम्सफोर्ड (1918) रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। एकाग्र व्यक्ति जो केन्द्रीय लेजिस्लेचर में आता वह कभी-कभी प्राथमिक मतदाता को बहुत पीछे छोड़ देता। उदाहरण के लिए बम्बई, मद्रास और प्रगाल मगाव और कस्बा के मतदाता जो प्रारंभिक मतदाता थे स्थानीय बोर्डों और नगरपालिकाओं के सदस्यों का चुनाव करते थे। इन बोर्डों और नगरपालिकाओं के सदस्य प्रांतीय कांसिलों का चुनाव करते थे। और प्रांतीय कांसिलों के गैर सरकारी सदस्य इम्पीरियल लेजिस्लेचर का चुनाव करते थे।

यदि 1909 के ऐक्ट में बहुत कुछ करना शेष रह गया था, तो इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों ने उसे भी छीन लिया था जो थोड़ा-बहुत ऐक्ट की कृपा से प्राप्त हुआ था। इन नियमों से सबंधित एक प्रस्ताव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किये कि पंजाब में कांसिल के सदस्यों की संख्या इतनी अपयाप्त है कि विभिन्न वर्गों का वह प्रतिनिधित्व नहीं करती, कि कांसिल में चुना गया तत्त्व कम है, कि और स्थानों पर मुसलमानों को प्रदान

विशेष अल्पसंख्यक सुरक्षा यहाँ पर गैर मुसलमानों को नहीं प्रदान की गयी है, और यह कि यहाँ नियम इस ढंग से बनाये गये हैं कि यहाँ के गैर मुसलमानों के लिए केन्द्रीय लेजिस्लेचर हेतु दरवाजा बंद हो गया है। गुरुद्वाराय बैनर्जी ने कष्ट-भाव से कहा भी था, कि इस तरह का नियम बनाकर “नौकरशाही हमसे इस बात का बदला ले रही है कि हमने छूट प्राप्त करने के लिए लड़ाई क्यों की ?”

कौंसिल के सदस्यों को जो काय और अधिकार सौंप गये वे भी सतोपजनक नहीं थे। वे राजस्व और व्यय के कुछ मन्त्र पर विचार नहीं कर सकते थे। उनके प्रस्ताव, चाहे वे जनहित ही मन्त्र न हों, अस्वीकार किये जा सकते थे और यदि वे पारित भी हो जाय तो भी सरकार उन्हें अस्वीकार कर सकती थी। इस तरह सदस्यों को केवल बात करने का ही अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संवैधानिक सुधार की रिपोर्ट में सच ही कहा गया, ‘संसदीय परंपरा का श्रोगणेश ही गया है और कौंसिल में उन्हें उस सीमा तक मायता दी जाती है जिस सीमा तक वे अत्यधिक अनवन पैदा करत हैं। पर इसे छोड़कर जिसपर उनकी इच्छा होती है वे अच्छा भी कर डालते हैं। इस समय भारत में हमारे पास न तो पुरानी पद्धति का उत्तम मौजूद है और न ही नये का। उत्तरदायित्व लोकप्रिय सरकार भी गद्य है, पर वह गद्य बतमान कौंसिल में बिल्कुल नहीं है।”

चुनाव और नामकरण को एक-दूसरे से ऐसे विभिन्न ढंग से मिला दिया गया था कि चुनाव से जो कुछ लाभ होने की संभावना रहती, नामकरण उसे अनुपयोगी बना देता। इम्पीरियल लेजिस्लेचर में गैर सरकारी सदस्य अल्पमत में थे, जबकि सरकारी बहुमत ऐसे दवाब में रहती थी कि सरकार को निरंकुश अधिकार प्राप्त हो जाते थे। ये सरकारी सदस्य न तो प्रश्न पूछ सकते थे और न सरकार के विरुद्ध मत दे सकते थे। वे अनुमति के बिना प्रस्ताव भी नहीं ला सकते थे और अनुमति के बिना भाषण भी नहीं दे सकते थे। वे गैर सरकारी सदस्यों के प्रत्येक प्रगतिशील कदम के विरुद्ध चट्टान की तरह अड जाते थे और उसे टुकड़े-टुकड़े हो जाने को बाध्य कर देते थे। इन परिस्थितियों में चुन गये सदस्य असहायबन्धु मन्त्र थे। इस तरह यदि गैर सरकारी सदस्य बढ भी जाते तो भी बेकार था।

प्रांतीय लेजिस्लेचरों में जहाँ गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे, वही अच्छी स्थिति में नहीं थे। एस० आर० शर्मा ने लिखा है कि, “यूरोपीय चुने गये सदस्य सरकारी सदस्य की ही तरह थे। जमींदार और मुसलमान साम्राज्य सेवा के लिए बुलाये ही जाते थे जो अपने ही वर्ग के हित के विकास की धुन में रहते थे और इसका लिए उन्हें सरकार के प्रति और विश्वस्त होता पड़ता था।” सभी गैर-

1 शर्मा, एस० आर० पूर्वोद्धृत पृ० 148 और आगे देखें क्रिय ए० बी० स्पीन्जेर एण्ड टाकमेण्टस आफ इण्डियन पार्लियामेंट भाग 1 एवं भाग 2।

सरकारी तदम्य चुन भी नहीं जाते थे। चाहे यूरोपीय हा या भारतीय इनमे से कुछ को नामिन भी किया जाता था जो अपने हिनपी सरकार का समर्थन करते थे। इस तरह प्रांता म गैर सरकारी बहुमन वस ही बेकार था जस केन्द्र म गैर सरकारी अल्पमन।

प्रान्तों पर केन्द्र की पार्ष पडने जसी ही बनी रही। प्रांतों के आधिक अधिपार अमहत्त्वपूर्ण थे और प्रांत किसी कायपालिका शक्ति से युक्त नहीं थे। मन्नातदान ने लिखा है कि "मन्नेप म केन्द्रीय सरकार प्रांतीय विधायिका को उनके स्थानीय विला पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के द्वारा और प्रांतीय प्रशासन को उनके प्रस्तावों मन्धी सूचना मागकर एव वहा के बमचारिया पर पूण नियंत्रण के द्वारा अपने हाथ म बाधे हुए थे। इस तरह केन्द्र के सरकार की महत्ता यथावत बनी हुई थी।" स्थानीय मगठना को सुधारन के लिए भी कुछ नहीं किया गया जो पूवर्तन सरकारीवृत्त बनी रहों। इवजीवयुटिव कासिलो मे भारतीयों की स्वतंत्र प्रवेश नहीं प्राप्त था और उनके प्रति यह भेदभाव यथावत चलता रहा।

पर जब यह सज कहा गया है तो अत मे यह कहे बिना भी नहीं रहा जा मचना कि कई अर्थों म यह एक्ट 1892 के ऐक्ट से सुधरा हुआ था। पर कुछ मामला म, उदाहरणाय साम्राज्यवादी चुनाव के मामले को प्रारम्भ करने म, यह अत्यधिक बुरा था। इसकी सबसे अच्छाई यह थी कि इसन भारतीयों मे असतोष और गिनता म वृद्धि की। और जसाकि डा० ए० बी० कीथ न लिखा है कि, "इसने म्यशासन के सबध मे शोर मचान म सफलता नहीं प्राप्त की।"<sup>2</sup>

### सम्प्रदायवाद एव मुस्लिम लीग

मुस्लिम सम्प्रदायवाद को प्रोत्साहन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग का मगठन मे सहायता, मिंटो के तीसरी सामरिक नीति थी। मुस्लिम सम्प्रदायवाद का प्रारम्भ इतिहास जिसने मिंटो के काल म मुस्लिम लीग की रचना मे सहायता की, विवेचन यहा समीचीन होगा।

"पूरी 19वीं सदी म मुसलमान हिन्दुओं से पिछडते गये थे। ये वे ही थे जिनके हाथ से भारत का राज्य छिनकर ब्रिटिशों के हाथ मे पहुच गया था। प्रशासन को विश्वास था कि बिद्रोह उहाने ही कराया। ऐसी परिस्थिति मे वे खीझ गये थे और पीछे हट गये थे। वे अपनी पारसी ससृति से लिपट गये जबकि हिन्दुओं न ब्रिटिश

1 मन्नातदान प।० एन० इवोल्यूशन आफ प्राक्सिसयल आन्तेनामी इन इडिया (1953), प० 13।

2 कीथ ए० बी० कास्टीन्वशनल हिस्ट्री आफ इडिया प० 232।

शिक्षा का लाभ उठाया इस तरह दो संप्रदायों की प्रतियोगिता में उन्हें सबसे कम प्राप्त हुआ।<sup>1</sup>

सर जार्ज स्कटर और ग्रे विट के उपरोक्त शब्द यदि मुसलमानों के लिए सदी के अंतिम 25 वर्षों के लिए सही न भी हों, तो भी 19वीं सदी में मुसलमानों की स्थिति का इससे कुछ अंदाज मिलता है। मुसलमानों के मनहूसियत का कारण और उनके प्रति ब्रिटिश भेदभाव स्पष्ट है। जब ब्रिटिशों ने मुसलमानों के शासन को अपने हाथ में लीया, तो हिन्दुओं के लिए इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा बल्कि इससे उन्हें लाभ ही हुआ क्योंकि ब्रिटिश शासन मुसलमानों से कम कट्टर और अधिक अनुशासनपूर्ण था। जबकि मुसलमानों के लिए दूसरी ओर यह उनके जीवन रुधिर की ही हानि थी। इसलिए उनमें कोई विश्वस्तता प्रप्ति की न तो आशा थी और न उनमें विश्वास ही किया जा सकता था। मोहम्मद नामन ने लिखा है कि ब्रिटिशों के लिए ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता था कि वे “मुसलमानों को दबा दें और इसीलिए उन्होंने जान बूझकर ऐसी नीति अपनायी जिससे मुसलमानों का आर्थिक विनाश हो तथा बौद्धिक दृष्टि से वे पिछड़ जाय और उनका साम्राज्य पतन हो।”

1793 में लार्ड कानवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने प्रथम महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत किया। पहले जो हिन्दू अमहत्वपूर्ण पद ही प्राप्त करते थे उन्हें जमींदार की स्थिति में पहुँचा दिया गया। वे इस तरह ब्रिटिशों की आर आकृष्ट विय गय और घन एकत्रित किया जो दूसरी स्थिति में मुसलमानों के पास ही चला जाता। इसके कारण वे ब्रिटिशों के प्रति यदि खुलेआम विरोधी नहीं तो रुष्ट हो गय और उनसे डरने भी लग।

ईस्ट इंडिया कम्पनी की सलाह में वे इसलिए पसंद नहीं विय जात थे क्योंकि उनके सम्प्रदाय का अविश्वास और सदह की दृष्टि से दया जाता था। सैनिक सेवा जिस पर मुसलमानों का ही अधिकार रहा करता था अब उसमें उनका बहुत सूक्ष्म हिस्सा था। साधारण पेशा में भी मुस्लिम स्थिति इधिया की बात नहीं थी। उदाहरण के लिए 1852 से 1862 के बीच हाई कोर्ट में 240 वकीलों में से मुसलमान एक ही था।<sup>2</sup>

अब भी भूतकालीन गौरव को बलना करते हुए जब वे शासक रह थे वे सबकी बराबरी में आना स्वीकार नहीं करते थे। अपनी संस्कृति और साहित्य के प्रति गौरव की भावना से प्रेरित वे ब्रिटिशों द्वारा प्रदत्त शिक्षा का लाभ उठाने को

1 स्कटर एंड विट इंडिया एंड इंडोनेशिया पृ० 101।

2 देखें मोहम्मद नामन द मुस्लिम इंडिया।

3 हटर इन्सू इन्सू द इंडियन मुसलमान्स पृ० 165-68।

तैयार नहीं थे। पर चूँकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे इस कारण उनकी पढ़ाई का विकास रुक गया। उनके मध्य कोई कला भी नहीं पनप पायी। इस तरह वे अज्ञानता और पिछड़ेपन की ओर खिसकत गये। शासन करने वाला के साथ इनका सम्बन्ध अविकसित ही रह गया जिससे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

धीरे धीरे मुसलमान नाराज और असंतुष्ट हो गये। उनके पतन के लिए ब्रिटिश ही उत्तरदायी थे जिसके कारण धीरे धीरे उनके शासन के विरुद्ध आवाज उठन लगी और कुछ दिना में खुलकर सामने आ गई। वह भी आन्दोलन आयोजित हुआ जा उद्देश्य में धार्मिक होने के बावजूद मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात करने लगा और ब्रिटिशों के भेदभाव की नीति की ओर भी इन्होंने इंगित किया। यह आन्दोलन अरब में 18वीं सदी में प्रारम्भ हुआ और भारत में इसे सैय्यद अहमद बरेलवी लाय। यह आन्दोलन विदेशी सत्ता के प्रति नफरत सिखाता था। और जैसा कि रामगोपाल ने लिखा है कि भारत में इसीलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जिले में एक संगठन तैयार हो गया जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की शिक्षा ही दिया करता था।<sup>1</sup> और इस कारवाही से ब्रिटिश भला कहा इस संप्रदाय के पक्ष में कोई कारवाही कर सकत थे।

मुस्लिम अमतोप बढ़ता गया और इसका प्रदर्शन इन्होंने अच्छे ढंग से 1857 में किया जिसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। इसी कारण जब विद्रोह दबा दिया गया तो ब्रिटिशों के बदले की भावना की मार इन्हीं पर सबसे अधिक पड़ी। इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें बर्ल बिया गया जिससे खार्ई और बढ़ती गई। 1864 से 1871 के बीच चार महत्त्वपूर्ण मुकदमों चलाय गये जिसमें दजनों मुसलमानों दंडित किये गये। 1871 के मुकदमे के समय मुसलमान इतने अधिक क्रुद्ध हो गये कि उनमें से एक ने बंगाल के मुख्य 'यायाधीश' जान-पैक्सटन नामन को चाकू के प्रहार से मार डाला क्योंकि वह बहाबिया को बठोर दंड सुना रहा था। और इसके थोड़े ही दिनों बाद शेरअली द्वारा अडमान द्वीप में लाड मेयो की हत्या कर दी गई। यह भी एक बहाबी मुसलमान बताया जाता था।

विश्वस्तता और सम्प्रदायवाद—पर जब मुसलमानों की कटुता ब्रिटिशों के विरुद्ध पराकाष्ठा को पहुँच गई तो एकाएक कुछ ऐसी शक्तियाँ सामने आ गईं जिन्होंने पूर्णतया पुरानी धारा और स्थिति में परिवर्तन ला दिया। अपनी पुस्तक 'द मुसलमान्स' में जो 1871 में प्रकाशित हुई सर विलियम हटर ने यह परामर्श दिया कि मुसलमान इतने कमजोर हो गये हैं कि वे विद्रोह ही नहीं कर

सकते और इसलिए उचित यह होगा कि "उनसे बराबर विरोध करने के स्थान पर अब उन्हें अपनी ओर मिलाया भी जाय।" लाड मेयो को भी स्थिति की जानकारी हा गई थी। वैसे तो उसकी हत्या एक मुसलमान ने की पर यह वही व्यक्ति था जिसने मुस्लिम विश्वस्तता की आधारशिला अपनी कूटनीति के माध्यम से रखी।

1863 में कलकत्ता में अब्दुल लतीफ ने मुहम्मदन लिटररी साताइटी' की स्थापना की और ब्रिटिशों के प्रति विश्वस्तता की शिक्षा दी। उन्होंने बहादुरियों का विरोध किया। ब्रिटिशों के प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को शक्ति उनके हिंदुओं से विराध के कारण भी मिल जाती थी। इसे ब्रिटिश उकसाते भी थे। "उत्तरी भारत में 19वीं सदी के सातवें दशक में यह विवाद उठा कि कच्छरी की भाषा उद्घूरी जाय या हिंदी। बंगाल में इस विवाद में दूसरा रूप ग्रहण कर लिया। मुस्लिम नेताओं ने यह माग की कि बंगाली भाषा को मुस्लिम छात्रों के लिए उचित बनाने के लिए इसमें संस्कृत के स्थान पर फारसी शब्दों को स्थान प्रदान किया जाय।"<sup>1</sup>

1871 में बंगाल सरकार की सलाह में 2,141 लोगों में से 711 हिंदू थे और 92 मुसलमान और शेष सब यूरोपीय। यहां पर मुसलमानों ने ब्रिटिशों से शत्रुता माल लेकर अपनी आर्थिक हानि ही की थी। समस्या का उत्तम हल यह था कि ब्रिटिशों से शांतिपूर्वक ढंग से अपने सम्बन्ध ठीक किए जाय। मुसलमान नेताओं ने इसकी अनुभूति की और 1883 में मोहम्मदन सिविल सर्विस एशोसियेशन इस उद्देश्य के लिए बनाया गया। ब्रिटिशों ने इस परिवर्तन का स्वागत किया और जुलाई 1885 में जब अमीर अली ने अधिकारियों को एक स्मृति पत्र भेद किया तो भारत सरकार ने उनके पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। इस समस्या का हल अब भी ठीक से नहीं हुआ।

नया नेताओं का आगमन हुआ जिन्होंने आगल मुस्लिम मधुर सम्बन्ध का पक्ष लिया और इनमें से सर सैयद अहमद खा हमारे लिए विशेष महत्त्व के हैं। प्रारम्भ में एक राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेमी जो दोनों सम्प्रदायों का 'सुन्दर भारतीय दुल्हन को दो आँखें' बताते थे अब ब्रिटिशों के विश्वासपात्र हो गए। बिद्रोह में उन्होंने ब्रिटिशों की सहायता की और इनाम में 200 रु० माह की वृत्ति प्राप्त की और अत्यंत आदर अलग से। उत्तर पश्चिम प्रान्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके बारे में कहा "1857 में किसी व्यक्ति ने इतने उत्तम व्यवहार, साहस और विश्वस्तता का प्रमाण नहीं दिया जितना इन्होंने। हमारा पास शक नहीं है कि मैं उनकी भक्ति भाव का विवरण भी दे सकूँ।"



ब्रिटिशों के प्रति सर सैयद के विश्वस्तता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि विद्रोह का कारण यह था कि सेना में हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग नहीं रहे गए थे। उन्होंने बताया कि यदि हिन्दुओं को रेजीमेन्ट अलग और मुसलमानों को अलग रखा गया होता तो यह भाई-भारत की भावना न पैदा होती।<sup>1</sup> उसके परामर्श को सचमुच सहायवाद प्राप्त किया गया।

1864 में सर सैयद ने एक 'ट्रांसलेशन सासाइटी' का संगठन बनाया जिसका नाम 'अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी' का नाम दे दिया गया। इसके माध्यम से धीरे-धीरे उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को दृढ़ बनाया। उन्होंने दिल्ली में एक मुस्लिम स्कूल खोला जो जल्दी ही एक कालेज हो गया जिसका घोषित उद्देश्य था "ब्रिटिश राज के योग्य मुस्लिम प्रजा को बनाना।"

इस बीच हिन्दुओं से भी उनका सम्बन्ध चलता रहा और अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना और विकास में हिन्दू राजाओं ने धन की उदार सहायता प्रदान की। उन्होंने अपने को सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के 'इण्डियन एसोसिएशन' से 1877 में जोड़ा जिसमें यह मांग उठाई गई थी कि भारतीयों को भी आई. सी. एस. में बैठने की अनुमति दी जाय। रामगोपाल ने लिखा है कि "जब अलीगढ़ मुस्लिम कालेज का जन्म हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रवाद धीरे-धीरे बंगाल और महाराष्ट्र में प्रसफुटित होना लगा था। सर सैयद की बातों से यह आशा बढती थी कि उनमें राष्ट्रवाद का एक अच्छा नतीजा प्राप्त हो सकता है।"<sup>2</sup>

पर बहुत दिनों नहीं बीते कि सारी जाशायें झूठी पड़ गईं और उनमें इतना गहन परिवर्तन आ गया कि जब अखिल भारतीय सम्मेलन संगठित किया गया तो उन्होंने इसके विषय में कहा, 'बिना अस्त्र के एक असैनिक युद्ध।' 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद से मिलकर उन्होंने एक 'पैट्रियार्क एशोसिएशन' बनाया जिसका उद्देश्य कांग्रेस का बिल्कुल विरोध था। उन्हें यह तीव्र भय हो गया कि वही हिन्दू मुसलमानों के आर्थिक और राजनैतिक रूप से उनके नेता न हो जाय। इस मामले में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो आरियन्टल कॉलेज के प्रिंसिपल बेकन भी उसके सदेह में बढि की। और इस तरह उसमें एक नया राष्ट्र विरोधी और हिन्दू विरोधी विचारधारा का काल सर सैयद ने प्रारम्भ किया जो 1898 में उनके मृत्यु काल तक चलता रहा। इसने मुस्लिम सहायवाद के विकास में बड़ी सहायता की।

यहाँ स्थान पर योग्य एक अन्य मुस्लिम नेता अमीर अली थे जिन्होंने भी

1 ग्रहम लाइफ ऐण्ड वक्स आफ सर सैयद अहमद पृ० 54 55।

2 रामगोपाल पर्वोद्धत पृ० 47 48।

प्रारम्भ में “राष्ट्रीयतावादी राजनीति की ओर झुकाव दिखाया, पर बाद में उन्होंने पूर्णतया मुस्लिम हिता के काय में ही जुट गये।”<sup>1</sup> इस मामले में अलीगढ़ के मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल बेक न भी कम महत्त्व की भूमिका नहीं अदा की। उसने मुसलमानों को ब्रिटिश पक्ष में लाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसने घोषणा की कि मुसलमानों का मोक्ष ब्रिटिशों के साथ मैत्री में ही निहित है। प्रारम्भ में मुसलमानों ने उस पर विश्वास न करके उसका विरोध किया। पर जल्दी ही वह उन्हें प्रभावित करने में सफल हो गया। 1899 में ब्रैडला ने जब संसद में भारत के लिए प्रतिनिधि मन्थ्याओं की रचना के विषय में एक बिल पेश किया तो बेक ने मुसलमानों को संगठित करके उनसे एक स्मृति पत्र भिजवाया कि चूंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है इसलिए प्रजातांत्रिक संस्थाएँ इसके लिए उपयोगी नहीं होंगी।

1893 में जब माहम्मदन डिफेंस एंशसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने की तो बेक को सचिवों में से एक सचिव का स्थान प्रदान किया गया। इसके उद्देश्यों में से एक यह था कि यह संस्थाएँ को समर्थन करेगा जो भारत में ब्रिटिश शासन को शक्तिशाली करेगा। राजनतिक आदालत से मुसलमानों का दूर रखना सरकार को शान्ति स्थापना में सहायता करेगा और मुसलमानों में एक विश्वस्तता का भाव पैदा करेगा।

सर सैयद और बेक एक-दूसरे के पूरक थे। सर सैयद की तरह बेक न भी खुलेआम कांग्रेस के विरुद्ध घोषणा की कि ‘मुसलमानों को उनकी मांगों से कोई सहानुभूति नहीं है। यह मुसलमानों और ब्रिटिशों के लिए आवश्यक है कि वे एक हो जाय जिससे वे इन आदालतकारियों से निवृत्त सकें और प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना के प्रयास को जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, रोक सकें। बेक भी मुसलमानों के पक्ष में साम्प्रदायिक कार्यों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान 1899 तक लगा रहा।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग—इन सभी बातों ने मुसलमानों को दो भागों में बांट दिया, एक वह जो कांग्रेस का विरोध करता था और दूसरा जो इसका समर्थन करता था। इसमें एक आर सर सैयद जैसे लोग थे जिन्होंने 1887 में अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस को जन्म दिया और कांग्रेस का जन्मकर विरोध किया। इसके विपरीत दूसरी ओर लखनऊ के नवाब अली रजा खा जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस सभा में 1886 में उसी वर्ष उद्घोषित हुए घोषणा की कि, “हिंदू या मुसलमान, पारसी या सिख, हम लोग सब अब एक हैं।”

1887 के कांग्रेस सम्मेलन के प्रेसीडेंट बदरुद्दीन तैय्यबजी न सर सैयद का

अपनी ओर मिन्नान की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए। 1888 में सर गम्यद न गुनाउटेड इंडियन पट्रियाटिक एसोसिएशन स्थापित करने की चेष्टा की जिसमें कांग्रेस विराधी सभी मस्य्या को प्रवेश निलाया जाता था। वेक को इसका आनररी सेक्रेटरी बनाया गया और इस एसोसिएशन में हिन्दू अभिजातवागियों और जमींदारों का एक बेटा हो गया।

पर इसके बावजूद कांग्रेस मुसलमानों में लोकप्रिय होनी गई। इसका तीसरा सम्मेलन बदरद्दीन तैय्यबजी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कम ही मुसलमानों का आगमन हुआ था। हमारे सम्मेलन में 131 सदस्यों में से 34 मुसलमान थे। 1889 में 1889 मस्य्या में से 258 मुसलमान थे। और लखनऊ में 1899 में सम्मेलन में कुप्रचार के बावजूद यह संख्या 789 में 370 थी। पर सरकार ने मुसलमानों के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।

मुसलमानों में साम्प्रदायिक तत्त्वा की कारवाँ सर गम्यद और वेक के बाद भी जारी रही। वेक के जगह पर थिबडोर मारिंसन आया जिसने वेक से कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की। सरकार ने भी हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव बढ़ाने में कोई कार-बसर बाकी नहीं रखी। बजन ने इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उदाहरण के लिए बंगाल का उमदा विभाजन, जो कहा गया प्रशासन की सुविधा के लिए किया जा रहा है पर इसके उद्देश्य मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना था और राष्ट्रवादी भावना के विनाश को अवरुद्ध करना था। राष्ट्रीयता आन्दोलन के विरोध में इस प्रांत की रचना के उपरांत उनके अनुत्तरदायी वक्तव्यों ने जिसमें मुसलमानों को राज्य द्वारा प्राप्त लिये जाने वाले बच्चों का नाम दिया गया, मुसलमानों में दुराग्रह को बढ़ा दिया। और जब हिन्दुओं और कांग्रेस ने इसके विरोध किया तो मुसलमानों को कष्ट का अनुभव हुआ और इससे मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिला।

इन्हीं परिस्थितियों में मिण्टो का आगमन हुआ और उसे यह देखने में कठिनाई नहीं हुई कि ब्रिटिश हित किसमें है। 1906 में जब और सर्वैधानिक छूटा की यात्रा चल रही थी, उसी समय अलीगढ़ कालेज के थिबडोर मारिंसन नामक ब्रिगिण्ट के उत्तगधिकारी प्रिंसिपल आर्गेनोड ने गुप्त रूप से मुसलमानों को गवर्नर जनरल का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर भारत और अलग से मुस्लिम एलेक्टोरेट की मांग करने को कहा। उसी पत्र में 'मोर्टसिगुलमुल्क' का लिखा, 'वाइसराय के व्यक्तिगत सचिव ने मांग सुनी लीया है कि वह मुस्लिम शिष्ट मंडल से भेंट करने का तयार है।' इससे मोर्टसिगुलमुल्क के पास एक लिखित मांग प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें यह दिया गया है कि यह परामर्श है कि हम अपनी विचारों के प्रति सबसे पहलू आश्वस्त

स्वशासन के क्षेत्र में सरकार के लिये गये निगम का स्वागत करना चाहिए। पर हमें अपन इस मत की जानकारी भी दे देनी चाहिए कि चुनाव का सिद्धांत यदि प्रारम्भ किया गया तो इससे अल्प सख्यक मुसलमानों का अहित होगा। यह सादर परामर्श दिया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम मत के लिए नाम करण या धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रारम्भ किया जाना चाहिए। हम यह भी कहना चाहिए कि जमींदारों के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पर इस सब विचारों में मुझे पछिछुमि में ही रख मैं आपके लिए विवरण तयार कर सकता हूँ या उसे परिवर्द्धित कर सकता हूँ।”

और इस सम्बन्ध में मौलाना आजाद ने लिखा है, “मैं उस तथ्य का जीता-जागता गवाह हूँ कि जन-आन्दोलन के फलस्वरूप जब 1906 में कुछ सुधार स्वीकृत होने वाले थे तो भूतपूर्व नवाब माहसिनूल मुल्क को तार से शिमला बुलाया गया साक्षात्कार के परिणाम यह हुआ कि आगाखा जो यूरोप जा रहे थे उन्हें अदन से ही वापस आना पड़ा। इसके बाद सय्यद विलग्रामी ने एक माग-पत्र तैयार किया।” इस तरह कहा तो यह जाता है कि ये मांगें मुसलमानों ने रखीं पर इस काय को हाथ में लिया था अंग्रेजों ने। मिण्टो ने इस केवल स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि अपनी आर से यह कहा कि सरकार तो ये मांगें स्वयं ही मानने वाली थी। वाइसरॉय की ओर से इस तरह की बात करना उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था।

इस तरह शेष काय तो औपचारिक था। आगाखा के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल वाइसरॉय से मिला। उसके समक्ष मांगें प्रस्तुत की गईं जिसके उत्तर में उसने कहा “मरी समझ से आपकी मांगों का सार कि किसी भी तरह की प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिसमें चुनाव-पद्धति को बढ़ाने या प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, उसमें मुस्लिम सम्प्रदाय को एक सम्प्रदाय माना जाये और आपकी यह माग उचित ही है कि आपके अधिकार को सख्यता शक्ति के आधार पर ही न आका जाए बल्कि आपके सम्प्रदाय के राजनैतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा को ध्यान में रखकर किया जाए। मैं पूर्णतया आपके पक्ष में हूँ।”

ब्रिटिश पंडित स्पष्ट है। मिण्टो ने उपरोक्त कारवाई के फलस्वरूप एक ब्रिटिश अधिकारी ने उसकी पत्नी लेडी मिण्टो को लिखा, आज एक बहुत बड़ी बात हो गई है यह 6 करोड़ 20 लाख लोगों के पंडितकारी विरोध में सम्मिलित होने से हाथ खींचने से कम नहीं है। लाड मिण्टो ने स्वयं अपनी पत्नी से बातचीत के दौरान कहा कि यह दिन ‘भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है।”

इसके बाद लाड मिण्टो ने उदार सफ़ेदी आफ स्टेट मॉर्ले पर उसके विरोधी दृष्टिकोण के बावजूद आने वाले सुधारों में साम्प्रदायिक एलेक्टोरेट की स्थापना

के लिए कहा। मालों को इसे स्वीकार करना पडा, वैसे वाद मे वह बहुत पछाया और इस सम्बन्ध मे उसने मिण्टो को दिसम्बर 1909 मे लिखा भी, "अब जिसे मुस्लिम विवाद मे मैं आपकी बात नही मांगता यह आपके मुसलमानों को अतिरिक्त लाभ दिये जाने के समथन मे भाषण देने के कारण सभव हुआ। मैं अब अनुभव करता हू कि मेरा ही निणय सबसे उत्तम था।"<sup>1</sup>

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग—जब मुस्लिम अभिजातवर्गिया का शिष्ट-मडल शिमला से वापस लौटा इसके सभी सदस्य एक-एक पूर्णतया राजनीतिज्ञ हो गये। ढाका के नवाब सलीमुल्ला खाने तुरत मुसलमानों के लिए एक सगठन का प्रस्ताव किया। और इस तरह 30 दिसम्बर 1906 को ये मुस्लिम नेता ढाका मे एकत्रित हुए और मुस्लिम लीग की स्थापना की।

इस दल के उद्देश्यों की तुरत घोषणा नही की गई जिससे यह स्पष्ट हाता है कि इसके निरवृत्त सस्थापक इस सम्बन्ध मे अभी कुछ समझ नही पा रहे थे। ये चीजे वाद मे ही सामने आइ और वह भी एक साथ नही। इस तरह से विवक्षित सिद्धांत सामने आये (1) जब भी सगव हा सरकार द्वारा बनाय गये नियमों को समथन दिया जाये, (2) "अपने सहधर्मियों के अखिल भारतीय" हितों की रक्षा की जाए और उसे आगे बढ़ाया जाय, (3) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को जिसका झुकाव भारत मे ब्रिटिश शासन को गलत अर्थ देना और समाप्त करना है' रोका जाय (4) शिक्षाक्षेत्र मे युवा मुसलमानों के लिए अच्छे जीवन का क्षेत्र तैयार किया जाए जा ऐसी एक सस्था के अभाव मे कांग्रेस मे जा मिला है।" (5) ब्रिटिशों के प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को और बढ़ाया जाय, (6) मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए तत्सम्बन्ध मे विचार मुलादम भाषा मे सरकार के सामने प्रस्तुत किये जाय, (7) कि उपरोक्त सिद्धांत का पालन करत हुए मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच दोस्ताना भाव पैदा किया जाए। स्पष्ट है कि भेद भाव का जो बीज पहले ही बोया जा चुका था इसकी इतनी गहनता से रक्षा की गई थी कि वह तो बढ़ना और पत्तीभूत होना ही था। मुस्लिम सम्प्रदायवाद को एक निश्चिन्त आकार प्राप्त हो गया और इसमे आगाखा ने बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

मुस्लिम लीग के सस्थापकों की सबसे पहली सफलता, जिसके लिए 1906 मे ही वादा कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1909 मे साम्प्रदायिक एलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। यह ऐक्ट वंस एक सर्वधार्मिक विभास

1 लार्ड मिण्टो सेरी (मेरी हाउस ऑफ) लिखा एण्ड माने, पृ० 47-48 123 दास एम० एन० पूर्वोक्त, पृ० 147-82 बर्रो एम० कार० पृ० 50-88 बाबाद मोलाना, ए० के० इंडिया बिजनेस प्रीस (कलकत्ता 1959)

का कदम था पर यह साथ ही राष्ट्रवादियों के लिए एक आघात भी था। इसने संप्रदायों को विभाजित किया इसने छोटे स्तर से मुसलमानों के द्रापसारी भाव का ऊपर ला दिया और प्रगतिशील राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक व्यक्ति के कंधों के दायरे में सीमित कर दिया। कै० एम० मुशी ने लिखा कि आगे बढ़ते प्रजातंत्र की पीठ में छुरा भाक दिया गया है और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, "मुसलमानों के चारा ओर एक दीवार खींच दी गई जिससे वे शेष भारत से बंट गये और इस तरह सदियों से चली आ रही एकता और मिली जुली शक्ति का काय उलट दिया गया। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि "मिटो-मालों सुधारों ने हमारा बड़ा अहित किया है।"

### भारतीय राज्यों में सम्बन्ध

अपनी समरनीति में लाड मिष्टान्त यह भी चाहा था कि भारतीय राज्यों की एक तीसरी शक्ति खड़ी की जाए जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के विरोध में खड़े हों। हम 1858 के बाद भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सम्बन्धों की परीक्षा करना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि मिष्टान्त ने यह काय कैसे किया।

एच० एच० डाडवेल ने लिखा है कि '1858 के प्रारम्भ होने पर स्थिति पूर्णतया स्पष्ट थी, प्राप्त सूचनाय अधूरी थी और तत्कालीन सधिया या तो सधि अधिकारों के आधार पर दिये गये तर्कों पर नतिक आधार पर खरी नहीं उतरती थी या यह बताया जाता था कि सम्बन्ध वैसे ही अंतरराष्ट्रीय होने चाहिए जैसे स्वतंत्र युरोपीय राज्यों में आपस में। लेखक आगे लिखता है कि 600 छोटे बड़े राज्यों में से जितने साथ सरकार का असली सम्बन्ध था इन्में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था।" पर 'शेष आठ के साथ कम्पनी के सम्बन्ध सधियों के आधार पर बताये गये थे। पर इन कागजातों के विषय वस्तु में एक-रूपता नहीं थी।'<sup>1</sup>

एक तरह की सधियाँ वे थीं जो बड़ीदा मैगूर और अवध से की गई थीं। इसमें कम्पनी को राज्य के बंदेशिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण मिला हुआ था और साथ ही राज्य के आंतरिक मामलों में विस्तृत हस्तक्षेप का अवसर भी था। दूसरे कोटि की सधियाँ राजपूत राज्यों से की गई थीं जहाँ कम्पनी को बंदेशिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था, यहाँ तक कि युद्धकाल में वहाँ की सारी आय को भी ले सकती थी, पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का उसे अधिकार नहीं था, और तीसरे तरह की सधि निजाम हैदराबाद से की गई थी जहाँ प्रारम्भ में सम्बन्ध

बराबरी से प्रारम्भ हुए थे, पर धीरे धीरे उसे छोटे स्तर पर ला दिया गया था। उसे वैदेशिक नीति के नियन्त्रण के बदले सैनिक रक्षा स्वीकार करनी पड़ी, और आवश्यकता पड़ पर अपनी की सेना सहायता का भी तयार होना पड़ा।

राज्या की इस तरह की अस्पष्ट स्थिति थी जब ब्रिटिश भारत का शासन ताज के हाथ में चला गया। पर अपने असताप के बावजूद राजाओं ने विद्रोह काल में ब्रिटिशों की बड़ी सहायता की थी और इनके विषय में कहा गया था कि इन्होंने 'तूफान में उफनते पानी की धारा माड़ दी थी अथवा ब्रिटिश उस धारा में बह गये होते।' इसी कारण ब्रिटिशों ने उनकी ओर विशेष ध्यान दिया। महारानी ने अपनी घोषणा में "मीलिये स्पष्ट किया 'हम अपने क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि नहीं चाहते। तत्कालीन समझौता हम हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया गया। पर "स्थिति की स्पष्टता" को ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया, और अधिक पचीदगियां से बचा गया सभी सधियां को पहले 1858 के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट में और फिर महारानी की घोषणा में स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी घोषणा की गई कि किसी भी राज्य के साथ राज्य हड़पने के सिद्धांत को लागू नहीं किया जायगा और न ही कोई राज्य किसी और तरह से ही छीना जायगा। महारानी की इच्छा पर राजाओं में और विश्वास पैदा करने के लिए कैनिंग ने 1860 में महत्वपूर्ण राजाओं को आम सन्देश दी जिसमें उन्हें आश्चस्त किया गया कि उनके गोद लेने के अधिकार को बहाल कर दिया गया है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक 'आपका परिवार ताज के प्रति विश्वस्त है और सधि की शर्तों और अनुदानों को माय किये हुए ब्रिटिशों की बात मान रहा है।' पर साथ ही राजाओं से स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि सन्देश "भारत सरकार को उस अधिकार से वंचित नहीं करेंगी जिसके अन्तर्गत, स्थानीय सरकारों में से ये गंभीर दोष जिससे देश के किसी भाग में निरकुशता और आदोलन प्रारम्भ हो जाय वह आगे बढ़कर उस राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करेगी।' इससे स्पष्ट है कि राज्य छीनने की बात को तो त्याज्य घोषित कर दिया गया कि सम्पूर्ण भारत में प्रजा के हित में शांति और व्यवस्था की स्थापना उन्हीं का अधिकार और दायित्व है। उन्होंने इस तरह अपने को एक प्रमुख शक्ति घोषित किया। वैसे तो ब्रिटिशों ने राजाओं से किसी भी शक्ति को वापस न लेने के लिए आश्चस्त किया पर वे यह निश्चित रूप से चाहते थे कि वे ठीक से शासन करें। इस तरह आश्चयजनक रूप से राजा ब्रिटिशों से निम्न स्तर पर रहते हुए भी साम्राज्य के एक उत्तरदायी सदस्य थे। ब्रिटिश सम्भवतः उस बड़े भाई की तरह थे जो अपने छोटे भाई को चलते बात पर डांट सकता था और यह जनता के हित के लिए कार्य करने हेतु ही रहे करना था।





की सभावनायें समाप्त हो गयी हैं ।

हम यहाँ एक दूसरा उदाहरण पेश कर सकते हैं । मणिपुर का राजा सूरचन्द्र अपने भाई के नतुत्व में एक विद्रोह के कारण राज्य से भगा दिया गया । उसका यह भाई 1890 में सेनापति था । युवराज उस समय राज्य में नहीं था । पर पता चला कि इस विद्रोह में उसका भी हाथ है । वह वापस आया और उसने गद्दी हाथिया ली । मूरचन्द्र ने ब्रिटिशों से सहायता की अपील की पर उन्होंने उसकी अयोग्यता के कारण उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया । इसके स्थान पर उन्होंने युवराज को राजा मानना स्वीकार करने का कड़ा पर शर्त यह थी कि वह सेनापति को हटा दे । आसाम के कमिश्नर विवण्टन स्थिति का अध्ययन करने के लिए गये पर सेनापति ने उसका विरोध किया और इसके कारण होने वाली लड़ाई में कुछ ब्रिटिश अधिकारी मार दाले गये तुरन्त इस राज्य पर आक्रमण किया गया तथा सेनापति व युवराज सेना को पकड़ लिया गया । उनके विरुद्ध मुकदमा चला और कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा दे दी गई । कुछ अंग्रेज लोगो का इसमें हाथ पाया गया तो उन्हें भी उसी तरह से नडित किया गया । पर ब्रिटिश अफसरों की मृत्यु के कारण इसे आधार बनाकर राज्य का अपहरण न करने का निश्चय किया गया । परिवार से एक दूसरे बच्चे को लेकर उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया ।

इससे भी पता चलता है कि ब्रिटिशों ने किस तरह विद्रोह पूव के आक्रामक नीति का परित्याग कर दिया था । इसी कारण ब्रिटिश अफसरों के मारे जाने, कुशासन तथा अंग्रेज गडबडिया के बावजूद वे ० वी० पुनिया के जनुमार, “अपने शासन के पापों के लिए राज्य को छतरे का सामना नहीं है । बल्कि अब उसे अपने इन पापों के लिए उत्तरदायी होने के कारण अपमान सहित पद हाथ से धोना पड रहा है ।”<sup>1</sup>

डाडवेल ने लिखा है कि, “अपहरण की नीति के परित्याग के साथ साथ, कैनिंग से लेकर बर्जन् के शासन के अंत तक, इन राज्यों पर नियंत्रण बढा कर दिया गया । रेलवे के विकास और अंग्रेज आवागमन के साधनों की प्रगति, तारों की लाइनें बनाने, प्रेस के विकास, एक तरह के सिक्के की आवश्यकता तथा चुगी व आवकारी की नीति की एकरूपता तथा दिन प्रतिदिन ब्रिटिश प्रशासन के उठते स्तर ने मिलकर हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढा दिया । इसके अतिरिक्त जो घटनायें कपनी के काल में जानकारी में नहीं आ पाती थी आवागमन के साधनों और प्रेस ने उन्हें सरकार की आखा के सामने तुरन्त ला दिया । इस कारण अब

1 पुनिया पृथोदित प० 256 ।

2 देखें, कमिन्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 6, प० 494 ।

चुपचाप पड़ा रहकर तमाशा देखना सरल नहीं रह गया था।

इसके अतिरिक्त निरपहरण की शर्तें थीं कि राजा पूणतया सधि की शर्तों के प्रति विश्वस्त बन रहेंगे और ताज के प्रति स्वामिभक्त। लाड कैनिंग न 1858 में ही घोषित किया, "इंग्लैंड का ताज भारत का निर्विवाद और प्रमुख शासक हो गया है।" और यह स्थिति बार-बार दुहराई जाती रहती थी। 1877 में एक सरकारी सूचना में कहा गया सप्रभुता धीरे धीरे विक्रम का तत्त्व है जिसका आकार कुछ तो विजय से बनता है कुछ मधि से और कुछ परंपराओं से।" 21 जगस्त, 1891 में गजेट सूचना संख्या 1700 में कहा गया 'अंतर्राष्ट्रीय कानून का भारत सरकार के तथा स्थानीय राजाओं के बीच कोई स्थान नहीं है।' लाड मिण्टो ने अपने पूर्व शासक के पद चिह्न पर चलते हुए जोर देकर कहा, "कि सरकार से राज्यों का संबंध सप्रभु कोटि का है।"

विद्रोह पूर्व जो हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में कम था, अब बढ़ गया। ब्रिटिशों का चौकस रहना पड़ता था कि राज्यों में शासन ठीक से चले जिसके अभाव में वे राजा को हटा देंगे, जैसे कि बड़ोदा में उद्घाटन किया अथवा अपहरण को छोड़ के कोई अन्य कदम भी उठा सकते थे। 1891 में पटियाला में राज्य में रेलवे लाइन के निर्माण को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं माना गया और शासक का अनिच्छा के बावजूद एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें उनमें अपने राज्य में रेल लाइन आगे तक लाने की अनुमति दी। सब तो यह था कि इस मामले में अधिक सीमा तक स्थिति में परिवर्तन हो गया था। पाणिक्कर ने ठीक ही कहा है कि 'सिक्क और रुपये के मामले में, परंपराओं और आर्थिक नीति के संबंध में भारतीय राज्यों को सीधे अनुगामी बनाने के मामले में, देश निकाता का नियंत्रण करने में उच्च शक्ति के वैधानिक व संवैधानिक दायरे में ले लाया गया था जिसमें भारतीय सप्रभु शक्तियों के विशेषाधिकार के क्षेत्र में गंभीर रूप से हस्तक्षेप अधिक प्राप्त कर ली थी।

आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति ने और उस क्षेत्र में छोटी-छोटी घटनाओं में रचिन, लाड कर्जन के काल में इसको एक घृणित रूप प्रदान कर दिया जिसने 1903 में निश्चित भाषा में यह घोषणा की कि 'ताज की सप्रभुता' वहीं भी चुनौती योग्य नहीं है क्योंकि इसने अपने विशेषाधिकार की सीमाओं स्वयं बना रखी है। कर्जन ने इन राजाओं को सरकारी नौकर की तरह स्वीकार किया और उनकी बार-बार दरबार में अनुपस्थिति का एक पाठ के माध्यम से उसने सूचित करते हुए कहा कि 'यह जनता के सेवा का काय नहीं है बल्कि कर्तव्य की अवहलना है। जिस राजाओं ने अच्छा नहीं माना। इस प्रश्न पर विस्तृत विचार के बाद पाणिक्कर ने निष्कर्ष में कहा है कि 'इसमें संदेह नहीं कि समझौते की सीमा में जिससे ब्रिटिश सरकार से उनके सम्बंध परिभाषित होते हैं भारतीय

‘राजा राजनीति शास्त्र के हर सिद्धांत के आधार पर सप्रभुशक्ति वाले हैं।’<sup>1</sup> पर लार्ड कजन ऐसे सभी सिद्धांतों की अवहेलना कर राजाओं को नौकरी की स्थिति में लाने के लिए प्रयत्नशील रहता था।

लार्ड वेल्जली और हेस्टिंग्स द्वारा हस्ताक्षरित संधियाँ, और बाद में उनकी ताज द्वारा म्बीवृत्ति ने सचमुच राज्या के वैदेशिक मामलों पर ही ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित किया था। पर ब्रिटिश अपने को अधिपत्य मानते हुए अपना यह ब्रिटिश स्तर से कर्तव्य मानते थे कि भारतीय जनता की मुक्ति के लिए उनका हित किया जाय। और इसीलिए राज्य काय में हस्तक्षेप को वे एक नतिक आधार प्रदान कर देते थे जो समय बीतने के साथ साथ वैधानिक कर्तव्य में बदल गया था जिसके विषय में आश्चर्यजनक समझते, व कहते थे कि यह शक्ति उद्दान मुगल से प्राप्त की है। 1876 में मुगल शासक बहादुरशाह की मृत्यु के बाद महारानी ने कंसरे हिंद का विरुद्ध धारण किया। लार्ड लिटन ने इसकी घोषणा के लिए एक शानदार दरवार किया और उसके भाषण के बाद प्रमुख मराठा राजाओं को रानी को नमस्कार करने के लिए पुरानी दिल्ली शैली में—शाहशाह बादशाह की आवाज के बीच खड़ा होना पड़ा।

राजाओं की स्थिति में परिवर्तन सचमुच नातिकारी था। समानता की स्थिति से वे सहायक की स्थिति में ला दिये गए थे और जा शक्ति उनके पास रही थी, उसके अंतगत व “सम्राज्ञी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कामों के लिए उसके प्रति व जो अनुग्रह प्रकट करते थे उसके सिवा उनके पास क्या था।”

अब राजा बड़े और छोटे भी नहीं माने जाते थे और न ही महत्त्वपूर्ण, शक्तिशाली या कम शक्तिशाली में ही उनकी गिनती होती थी। ब्रिटिश दृष्टि में अब सभी एक तरह के थे, जो पुनः क्रांति से कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं थी। जा दरवार अब किए जाते उनमें सिंधिया और निजाम तथा ऐसे ही राजाओं के प्रति कोई विशेष व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया जाता। वे छोटे छोटे सामंतों के पास बैठते और उनकी ही कोटि में उनकी गिनती होती।

सच तो यह था कि इस विनसित होने वाली व्यवस्था में जो विद्रोह के बाद सामने आई उसमें अपहरण का परित्याग तो कम कर दिया गया पर राजाओं पर ब्रिटिश नियंत्रण बहुत शक्तिशाली हो गया। मदनर जनरल, पार्लियामेंट डिपार्टमेण्ट और रेजीडेंट हर क्षण राजाओं पर दृष्टि रखते थे। वे तो रेजीडेंट राजा को मंत्रीपूण राम ही देता था, पर पाणिपतर के अनुसार ‘जिह भारतीय राज्या का प्रत्यक्ष अनुभव है व यह जानते हैं कि रेजीडेंट की फुलपुमाहट भी राज्य

1 पाणिपतर, के० एम० पूर्वोद्धत प० 88 101।

2 देखें, राबटस फाटी वन ह्यस इन इन्डिया भाग 2, प० 97।

के लिए गरजने के समान हैं और राज्य का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए वह अधिकारित नहीं है।<sup>1</sup>

सच यह था कि ब्रिटिश राजाओं के पदा, आदर व्याप्त करने के नियमों, तथा उत्तराधिकार में प्राप्त मामला आदि सभी में नियंत्रण का अधिकार रखते थे। उनकी राय के बिना कोई भी राज्य विदेशी पद प्राप्त नहीं कर सकता था। और न ही वह किसी को ऐसा पद दे सकता था। राजा को ब्रिटेन तोषा की सलाह मिलती है यह भी ब्रिटिश ही तय करते थे। सरकार उन्हें बड़ौदा और मणिपुर के शासन की भांति पद स हटा भी सकती थी, उनसे सिक्के ढालने का अधिकार छीन सकती थी, जमा कि उसने बड़ौदा, मैसूर, ट्रावणकोर, अलवर व जयपुर के मामले में किया। केन्द्रीय शासन की आज्ञा का उल्लंघन एक विद्रोह माना जाता था और उसके विरुद्ध उसी तरह की कार्रवाई की जाती थी।

उत्तराधिकार के मामले में भी राज के अधिकार कंपनी की ही तरह बने रहे। "प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने पद पर सरकार के एजेंट के द्वारा ही स्थापित किया जाता था। बिना इस तरह गद्दी प्राप्त किए कोई राजा नहीं माना जाता था।" 1881 के प्रेषण में स्पष्ट रूप से कहा गया "यह ब्रिटिश सरकार का अधिकार और वक्तव्य है कि वह सहायक राज्यों में उत्तराधिकार के मामले निपटाये। प्रत्येक उत्तराधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। कोई भी उत्तराधिकार स्वीकृति के बिना जायज नहीं है।"<sup>2</sup>

राजाओं के सैनिक शक्ति की पुरानी नीति को भी सदह से परे नहीं रखा गया। उदाहरणार्थ 1867 में जयाजी सिंधिया से "कहा गया कि वह सैनिक पुलिस को समाप्त कर दे क्योंकि उस जितनी सेना रखने का अधिकार है यह उससे अधिक है। उससे यह भी कहा गया कि वह अपनी राजधानी में लोगों की भीड़ न एकत्रित करे।"<sup>3</sup>

कश्मीर के गुलाब सिंह का मामला ही एक अपवाद था जहां मौखिक आश्वासन पर अंग्रेज रेजीडेंट की नियुक्ति नहीं की गई थी।<sup>4</sup> पर यह अपवाद भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। ब्रिटिश उत्तर-पश्चिम सीमा पर रूस की चहल पहल के बहाने नाथ ब्रुक ने 1873 में कश्मीर पर रेजीडेंट रखने के लिए जोर डाला। और 1885 में वहां सचमुच एक रेजीडेंट नियुक्त कर दिया गया।

1 पाणिस्कर पूर्वोक्त पृ० 111।

2 डार्लवेल कम्प्लेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 6, पृ० 496।

3 पाणिस्कर रेवेय, 1890-91 नं० 392 पृ० 13।

4 देखें, धानटन, सर रिचर्ड मोड पृ० 116।

5 पाणिस्कर, वं० एम० गुलाबसिंह, पृ० 132।

पाणिक्कर ने लिखा है कि, "सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ सरकार का राजनैतिक अधिकार बढ़ा है वह है भारतीय राज्यों में रहने वाली जनता को ब्रिटिश संप्रभु के अधीन बनाना।" इस अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश सीधे इन लोगों के हित के लिए उत्तरदायी हो गये और इसके लिए राजाओं को अपनी इच्छानुसार चाहे जिस दिशा में पुमा सकते थे। उदाहरणार्थ राजाओं को जीन और मरने का अधिकार भी नहीं था क्योंकि इस मामले में भी एजेन्ट जी कहता वही स्वीकार किया जाता था। 1865 में जबवा के शासक को एक चोर का अंग भंग करने के लिए, 10 हजार रुपये का अन्व-दण्ड भोगना पड़ा और 1892 में बरतात के खा को पद त्याग करने के लिए "सलिए कहा गया कि उसने कुछ लोगों को इसलिए कत्ल करवा दिया तथा उनका अंग भंग करवा दिया था क्योंकि उन्होंने उसके खजाने से चोरी की थी।

राज्य का विदेशी हित केन्द्र सरकार के हाथ में था। और यदि विदेशी मामला में कम परिवर्तन दियाई पड़ता है तो वह इसलिए था क्योंकि यह मामला पूर्णतया ब्रिटिश नियंत्रण में था ही।

मिण्टो के अधीन—पर मिण्टो के काल में नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। वाटन लिखता है कि 1906 में बठोर नियंत्रण की नीति में प्रथम बार भंग देखा गया, "जब लाड मिण्टो ने तत्काल राजाओं का भारत में पहलू बनाने वाला के मामले पर विचार विमर्श करा के लिए बुलाया।" और मिण्टो की यह मिश्रतापूर्ण सहयोग की नीति 1946 तक चलती रही। इस परिवर्तन के आनन्द बर्द्ध कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बाहर भारत में उग्रवादी तत्त्वों ने राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए शोर मचा रखा था और इस प्राप्त करने के लिए हिंसा या अहिंसा किसी भी रास्ते को अपना के लिए उताव था। और यह नीति जोर भी पकड़ रही थी। राष्ट्रवादी भाव जनता में भी फैल रहा था और प्रेस तत्कालीन बुराया की धमियाँ उठान में पीछे नहीं था। भारत के बाहर भी ब्रिटिश की स्थिति अच्छी नहीं थी। आधुनिक औद्योगिक युग और प्रजातंत्र का विचार भारत में प्रभाव डाल रहा था जिसके कारण सामन्तवाद और राजशाही के जीवन को घतरा पना हो गया था। इसलिए इन परिस्थितियों में ब्रिटिश और राजाओं के हित में यह था कि एक एकजुट हो जाय। और इसी दिशा में लाड मिण्टो ने प्रथम कदम उठाया।

1909 में उदयपुर में लाड मिण्टो ने प्रथम निश्चित आंग्ल सरकारी घोषणा इस सम्बन्ध में की। इसमें उक्त बताया कि, 'सभी भारतीय संधियों का एक साथ पढ़ने और सभी राज्यों को एक श्रेणी में रखने की नीति छानदी गई।'

लाड वजन की निरकुश घोषणाआ जिसमें सभी के प्रति एक तरह की नीति अपनाने की घोषणा हुई थी वह इस तरह समाप्त हो गई। और ' इस सब की स्थापना का आधार केन्द्रीय सरकार और दरबार के बीच हिता की समानता थी। इसके अंतर्गत दरबार के मामला म यम न यम हस्तक्षेप करने का कहा गया।''

ब्रिटिश विलाई इस सीमा तक पहुंच गई कि राजाआ को आपस में परामर्श की छूट तक दे दी गई जिससे अपनी कठिनाइया को सरकार तक ला सकें। इसलिए पहला ही काम इहान जो किया वह था पार्लियामेंट डिपार्टमेंट की बढ़ती शक्ति पर प्रहार। उनके कठिनाइया की प्रदर्शन शक्ति न ही 1921 म 'चेम्बर आफ प्रिंसज' की नींव डलवा दी जा सरकार के परामर्शदात्री समिति के रूप म काम करती थी। पाणिक्कर के मतानुसार इसकी स्थापना स ' उस ब्रिटिश नीति की शरणागत होना पडा जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजाआ को समझित कारवाई हेतु राय करने की आज्ञा नहीं प्रदान की थी और न ही उ ह आपसी हित भवाता का अवसर ही प्रदान किया था।''<sup>1</sup>

### आंग्ल-रूसी समझौता

लाड मिण्टो के काल म ब्रिटिशा के मध्य एशिया के सम्बन्ध म कुछ दूरगामी घटनार्ये घटी। 31 अगस्त 1907 को आंग्ल रूसी समझौता हुआ जिसके अंतर्गत तिब्बत अफगानिस्तान और फारस के मामला म दोना देशा के झगडे को निबटा लिया गया। उसी का विवरण सन्धेप म अधोलिखित है।

तिब्बत—यगहस्बड के आक्रमण के बाद लासा की सधि का परिचय ऊपर आ चुका है। इस पर 1904 म हस्ताक्षर हुआ, पर इस सधि पर तिब्बत पर सप्रभु शक्ति रखने वाले चीन का हस्ताक्षर होना शेष था। इसके लिए एक सभा पक्किंग मे की गई जो अप्रैल 1906 मे समाप्त हुई जिसने लासा के पूर्व हस्ताक्षरित सधि म दो शर्तें और जोड़ दी। एक के अंतर्गत तो यह तय किया गया कि ब्रिटिश न तो तिब्बत के किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे और न इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे और दूसरी शर्त म चीन ने आश्वस्त किया कि वह अन्य राज्यों से भी इसी तरह का आश्वासन प्राप्त करेगा। इन दो नयी शर्तों का सधि क नय रूप म जोड़ा जाना भारत सरकार की इच्छा के विपरीत सन्नेट्री आफ स्टेट मार्ले के कारण संभव हुआ जा शीघ्र म शीघ्र तिब्बत के पचडे से अपने सन्निवो को निकालना चाहता था। उसी के जोर देने पर ही भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि तिब्बत के स्थान पर चीन तीन वर्ष की अवधि मे दे दे। पुन 1908 म क्षतिपूर्ति की धनराशि मिल जान पर चीन न जब चुम्बी की घाटी

खाली करने को कहा तो भारत सरकार न इतराज करते हुए कहा कि तिब्बतियों न वादा की विश्वस्तता से पूरा नहीं किया है, पर इसी समय सेक्रेट्री आफ स्टेट स चुम्बी की घाटी तुरत खाली करन का आदेश मिला जिस उहोन खाली कर दिया। इस तरह ब्रिटिशो का तिब्बत मे आतरिक क्षेत्र मे कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया।

1907 के जगल रूसी समझौते न भी तिब्बत के मामले मे वही रास्ता अपनाया। समझौते के अतगत दाना न तिब्बत के मामले पर हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। व लासा अपने दूत भी नहीं भेजेंगे यह भी तय हो गया। दोनो न तिब्बत से सम्पर्क के लिए चीन को अपना माध्यम चुना।

इन घटनाओ के बाद चीन न तिब्बत में अपनी शक्ति स्थापित कर ली। दलाई लामा को लगभग पद से हटा ही दिया गया और वहा का शासन चीनी रेजीडेंट के हाथ मे सौंप दिया गया। पकिंग ने 1908 की जुलाई मे दलाई लामा को बुलाया और अपनी सम्पूर्ण प्रभुसत्ता का अनुभव उसे कराया। स्थिति यह हो गई कि तिब्बत लौटते लौटते दलाई लामा न ब्रिटिशो से सहायता की गुहार मचा दी, ताशी लामा ति बन छाडकर 1905 06 में भारत भाग आया और यही शरण ले ली और दलाई लामा न भी यही फरवरी 1910 मे किया। लाड मिण्टो ने उसे भेंट करने का अवसर दिया। दलाई न बकार सहायता की याचना की। पर ब्रिटिश चीन और रूस को किये गये वादे स मुकरना नहीं चाहत थे।

माले न घोषणा की कि तिब्बत पर यगहस्वैड के आक्रमण का उद्देश्य वहा से रूसी हित को अलग करना था और अब चूकि वह काय पूरा हो चुका है, उनका उस देश मे और कोई राजनतिक हित नहीं है।

अफगानिस्तान—आगल रूसी समझौते न अफगानिस्तान मे यथास्थिति को स्वीकार कर लिया। रूस न अफगानिस्तान स सारा सबध ब्रिटिशो के माध्यम स करना स्वीकार कर लिया। ब्रिटिशो न यह स्वीकार कर लिया कि वह अफगानिस्तान की राजनतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दाना देशो को अफगानिस्तान मे समान रूप से व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए। समझौते मे अफगानिस्तान से संबंधित शर्तें तभी प्रयोग मे आनी था जब उम पर अमीर की भी स्वीकृति मिल जाय। पर उमने इमे अस्वीकार कर दिया। अमीर हबीबुल्लाह अपन देश के पश्चिमोत्तर के चक्कर मे दश म बैसे ही अलोकप्रिय हो गया था। उसने सोचा कि यदि उन शर्तों को इस अवसर पर स्वीकार कर ले जिसक सबध में उससे राष्ट्र भी नहीं ली गई है तो इस लोकप्रिय राष्ट्रीय विचारा का आघात ही पहुंचेगा।

फारस—पर इस समझौते मे सबसे महत्वपूर्ण मसला फारस का ही था जहा 1805 से ही खराब स्थिति चल रही थी। यह इसलिए था कि वहा पर पश्चिम के

प्रजातन्त्र और सर्वैधानिक परम्पराओं का बीजदान प्रारम्भ हो गया था। इसके अतिरिक्त और भी कारण थे। इन दोनों देशों के बीच फारस के सवध में होने वाले समझौते ने दोनों को अनावश्यक कष्ट से बचा लिया जिनके फूट पड़ने की संभावना दोनों के वहाँ पर हितों के टकराने पर अनिवाय थी।

वैसे तो इस समझौते ने दोनों देशों को फारस की राजनैतिक स्वतन्त्रता और अभिन्नता के प्रति आदर करने को बाध्य किया पर इस राज्य के उत्तरी भाग पर रूसी प्रभाव और दक्षिणो-पूर्वी भाग पर ब्रिटिश प्रभाव को मायता गदान कर दी गई। रूसी प्रभाव क्षेत्र दक्षिण एक सीमा तक अर्थात् क्यूे सीरी इस्पाहान, यज्द कुल्क तक रखी गई और ब्रिटिशों का प्रभाव उत्तर में बन्दर अब्बास से बर्मान होते हुए विरजद तक रखी गई। दोनों दलों ने दूसरे के क्षेत्र में व्यापारिक या राजनैतिक लाभ प्राप्त करने से अपने को दूर रखा। मधि के समय रूस ने भारत की खाड़ी में ब्रिटिश हितों को मायता दी।

1907 का आग्ल ए गी समझौता एक महत्त्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसने दोनों देशों को सघष से विरत कर दिया। दोनों के बीच मन मुटाव का एक गभीर स्रोत समाप्त कर दिया गया और दोनों भिन्न भिन्न अपने हितों और अधिकारों की रक्षा और दूसरे को स्वैकृति प्रदान करते हुए शांतिपूर्ण विकास काय में लगे रहे।

मिण्टो 1910 में भारत से पदमुक्त हुआ और इंग्लैंड पहुचने के बाद उसने राजनैतिक जीवन में कोई भाग नहीं लिया। वह म्च 1914 में मर गया।



## लाड हार्डिन्ज (1910-1916)

1844 से 1848 के बीच भारत के गवर्नर जनरल प्रथम विस्काउण्ट हार्डिन्ज का पौत्र, चार्ल्स हार्डिन्ज, जो बाद में पेनशस्ट का लाड हार्डिन्ज कहलाया 20 जन 1858 में पैदा हुआ। उसका पिता द्वितीय विस्काउण्ट हार्डिन्ज था और उसकी मां लेडी लावीनिया विंघम लूकान के तीसरे अल की पुत्री थी। चार्ल्स जब 6 वर्ष का था तभी उसकी मृत्यु हो गई। हैरो और ट्रिनिटी कालेज कम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1880 में वह कूटनीतिक सेवा में प्रविष्ट हुआ। उसने आर्लिंगटन के प्रथम लाड हेनरी की पुत्री और भारत में 1872 में 1876 के बीच गवर्नर जनरल रहने वाले लाड नाथब्रुक की भतीजी विनी फ्रेड स्टुअर्ट से 1890 में विवाह किया।

कूटनीतिक सेवा में हार्डिन्ज का बड़ा सफल जीवन था और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता हुआ 1904 में प्रीवी कौंसिल का सदस्य चुन लिया गया और फिर पीटसबर्ग में ब्रिटिश राजदूत। 1906 में उसे विदेश मंत्रालय में स्थायी अण्डर सेक्रेटरी के आकषक पद पर नियुक्त किया गया। उसने सम्राट एडवर्ड सप्तम से घनिष्ठ मंत्री स्थापित की और 1910 में एस्विथ ने उसे भारत का वाइसराय नियुक्त किया।

### आन्तरिक स्थिति

शानदार दरबार— लाड हार्डिन्ज के काल की सबसे प्रथम महत्वपूर्ण घटना दिल्ली में आयोजित दरबार थी जिसमें सम्मिलित होने के लिए 1911 में सम्राट जाज पंचम पधारे। इस दरबार के अवसर पर, धन वाटने के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की गईं जो भारतीय लोगों के लिए विशेष महत्व की थी। यह घोषणा की गई कि राजधानी बदलकर कुल्लुत्ता से दिल्ली कर ली जायेगी, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जायेगा और आसाम के लिए एक अलग से कमिश्नर की नियुक्ति की जायेगी। इस बात की आलोचना की गई कि कुल्लुत्ता

से राजधानी हटाने से बहा की महत्ता तो घटेगी ही, इस पर व्यय भी बहुत आयेगा पर राजधानी परिवर्तन के गुण और लाभ, ऐम्बिवय की दृष्टि में हिंसात्मक तरीकों की तुलना में कहीं आगे था। आवागमन के साधनों की वृद्धि न सरकार की राजधानी समुद्र तट पर बनाय रखना आवश्यक न रहन दिया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली की ऐतिहासिक महत्ता थी और प्राचीन काल से यह स्थान राजधानी बने रहने से जुड़ा था। इसके अतिरिक्त दिल्ली बीच में पड़ता था और अर्द्ध-संघीय राज्य के प्रशासन के लिए यह एक उत्तम स्थान था। भारत सरकार के यह सदस्य सर जान जेनकिंस ने सब ही कहा था कि 'राजनीतिज्ञता का यह एक साहसी कदम होगा जिसमें तमाम लोगों को सतुष्टि प्राप्ति होगी और भारतीय इतिहास में इससे एक नये युग का मूलपात्र होगा।' बंगाल के विभाजन की वापसी भी कम महत्त्व की न थी। पूरे देश के लोग प्रारम्भ से ही इसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे और इस कदम ने राष्ट्रवादी तत्त्वों को विजय दिला दी थी। पर साथ ही इस कदम ने मुगलमानों की भावनाओं पर आघात किया था जिसके लिए अतन्त राष्ट्रीय भावना और एकता का बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1911 की घोषणाओं का ही परिणाम था जो 23 दिसम्बर 1912 को दिल्ली में प्रवृत्त करने के समय लाड हार्डिंज पर बम फेंका गया जिससे वाइसरॉय घायल हो गया।

लाड हार्डिंज न भारतीय लोगों की भावना के साथ अपने का जाटत हुए दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासियों के विरुद्ध पारित नियमों का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इन कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। जनता न भी इसका विरोध किया और गवर्नर जनरल भी चुप नहीं बठा। इसी के फलस्वरूप 1914 में दक्षिणी अफ्रीकी सरकार न इण्डियन रिलीफ ऐक्ट पारित किया जिसने भारतीयों को पूर्ण रूप से ता नहीं सतुष्ट किया पर उनकी कुछ कठिनाइयों को कम कर दिया। गांधी जो इससे बहुत प्रसन्न हुए और उसी कारण प्रथम विश्व युद्ध में उठने आर भारतीयों ने ब्रिटिशों की महान सहायता की।

शिक्षा—हार्डिंज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। लाड कर्जन क जाने के बाद लगातार भारत में आन्दोलन ही होत रहे। इस आर जापान व युद्ध न आत्म निर्भरता के भाव का जागरण किया कॉलेज शोर शराबे व कन्दन हो गये, बेहतर शिक्षा की मांग की गई और शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने को कहा गया। तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा पर जोर देने को कहा गया। इन्हीं परिस्थितियों में 1910 में शिक्षा को गृह विभाग से अलग कर एक शिक्षा विभाग ही बना दिया गया। लाड हार्डिंज के कांसिल के शिक्षा सदस्य सर हर्बोट बटलर ने 1913 में एक प्रस्ताव प्रसारित किया जिसमें भारत सरकार को उच्च शिक्षा नीति को पुनः परिभाषित किया गया।

प्रस्ताव में घोषणा की गई कि चूंकि भारत सम्भवतः सम्बन्धी अवधि तक

सबद्धता वाले विश्वविद्यालयों से अपने को मुक्त नहीं कर सकती, इसलिए विश्व विद्यालयों का क्षेत्र नियंत्रण प्राप्ति व आदर ही सीमित कर दिया जायेगा जिसका दूसरे शब्दों में अर्थ यह था कि प्रत्येक मुख्य प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायगा। पटना, नागपुर और रंगून के लिए सबद्धीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़, ढाका और बनारस के लिए आवासीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए आश्वासन दिया गया और बस तो तुरंत युद्ध न हस्तक्षेप कर दिया और इसकी प्रगति में बाधा पड़ गई। पर शिक्षा पर होने वाले बेदर, प्रात और अन्य लोगों से व्यय में वृद्धि हुई। इस तरह हम पर 1916-17 में 614 10 लाख रु० खर्च किया गया जो 1906-07 की धनराशि से दुगुने में भी अधिक था। प्रस्ताव के पांच वर्षों के भीतर बनारस में मसूर अलीगढ़ और पटना में विश्वविद्यालय खोल दिये गए। स्कूल और कॉलेजों पर व्यय निरन्तर और मिशनरियों द्वारा व्यय किया जाने वाला धन भी बढ़ गया। 1916-17 में यह राशि बढ़कर 1128 83 लाख रु० हो गई।

### मेसोपोटामिया सत्रधी गडबडी

1914 में जून प्रथम विश्व युद्ध फट पड़ा, उस समय मेसोपोटामिया का तुर्की के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस सत्रधी की वारंवाई भारत सरकार की आरंभ लाइ हार्डिज ने की। पर उद्देश्य अमफल हो गया। युद्ध की घटनायें बड़ी रुचिजनक थीं। इस संघर्ष में रिपाट दन के लिए एक संसदीय आयोग भी बनाया गया जिसने भारत में प्रशासकीय सुधार सत्रधी कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये। हम यहां पर इस युद्ध का सन्निहित परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

एक अरबी कहावत है कि 'अल्लाह ने नरक बनाया। पर उसे जब वहां नारकीय अंगुण नहीं दिने तो उसने मेसोपोटामिया, आधुनिक ईराक बना दिया और वहां मस्जिदें छाड़ दीं।' फारस का खाड़ी के अरब तटवर्ती क्षेत्रों में ब्रिटिश रुचि सत्रियों पुरानी थी। उन्होंने फारस से एक व्यापारिक संधि की और धीरे धीरे फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाते गये। हम देख आए हैं कि फारस की खाड़ी के क्षेत्र खूखार अरब कबीला की जानिया और उपजातिया द्वारा आच्छादित थे जिनके अपने अलग अलग नेता थे। वे तुर्की के अधीन थे और वहां फारस का हस्तक्षेप भी हो सकता था। उनकी आपसी द्वन्द्व और लूटमार की वारंवाई ब्रिटिश व्यापार हितों के प्रतिकूल पड़ती थी जिसके फलस्वरूप उन्हें उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था स्थायी करनी पड़नी थी। भारत के साम्राज्यवाद के हित में भी यहां शांति बनी रहनी आवश्यक थी। 1857 में एक ब्रिटिश कंपनी ने यह प्रस्ताव किया कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र

को फारस की खाड़ी के क्षेत्र में रेल से जोड़ दिया जाय। तुर्कों साम्राज्य में प्रस्ताव को स्वीकार ता कर लिया पर इस प्रभावी नहीं बनाया जिसका फलस्वरूप यह समाप्त हो गया। यदि यह वायव्य में पूरा हो जाता तो स्वेज नहर से भी निक्ट का रास्ता भारत का प्राप्त हो जाता। पर इस योजना के असफलता के बावजूद ब्रिटिश हित इस क्षेत्र में डीले नहीं किए गए। 1901 में एक अंग्रेज ने फारस के शाह से कुछ रियायतें प्राप्त कीं जिसमें अतगत कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद वह अरबिस्तान में कभी न समाप्त हान वाल तेल के प्दान की तलाश कर सका। यह स्थान एक ब्रिटिश मित्र मुहम्मोरा के क्षेत्र में पड़ता था। अरबिस्तान में तेल के क्षेत्र से पाइप द्वारा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ अवादान ले जाया जाता था जो फारस की खाड़ी के सिरे पर दाहिने घात अरब में पड़ता था। थोड़े ही समय में अवादान एक कस्बा हो गया। वहां तेलशोधक कारखाने लग गए और आगल फारसी कंपनी इसकी रक्षा करने लगी और इसकी महत्ता इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश एडमिरेल्टी ने भी इसमें रुचि लेनी प्रारंभ कर दी और उसने 1914 में तेल तलाश के नियंत्रण अधिकार का पुरोद लिया।

स्पष्ट रूप से इन सभी कारणों से इस क्षेत्र में ब्रिटिश रुचि बढ़ गई। पर इसी बीच एक अत्यंत युरोपीय शक्ति जर्मनी वहां प्रकट हुई और वहां व्यापार प्रारंभ करने के लिए और अपने औद्योगिक सामानों के बाजार के लिए इसने ब्रिटिशों की कीमत पर तुर्कों को मित्र बनाना प्रारंभ कर लिया। जर्मन कूटनीतिज्ञ कुन्तुनतुनिया में 1857 में प्रकट हुए। उन्होंने तुर्कों के मामले में रूस और ब्रिटेन में संबंध खराब करने की पूरी चेष्टा की। कुवत के क्षेत्र को भी ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने की चेष्टा हुई जिससे वह तुर्कों पर निर्भर हो जाय। बहरीन द्वीप के निक्ट कातार प्रायद्वीप पर तुर्कों अधिकार का हवा दी गई। बगदाद और टिगरिस नदी के तट पर ब्रिटिशों के व्यापार विशेषाधिकार का विरोध किया गया। इन सभी कूटनीतिक कारवाइया का उद्देश्य यह था कि जर्मनी तुर्कों के मसोपोटामिया प्रांत में ब्रिटेन के स्थान पर प्रभाव स्थापित कर ले।

जर्मनी की कारवाइया केवल कूटनीतिक चालों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने जनता की धार्मिक कट्टरता की भावना को भी उभारने का प्रयास किया। जिससे उनके राजनतिक और व्यापारिक हित का साधन हो सके। कैसर ने मक्का की यात्रा की और अपने को हाजी कहना प्रारंभ किया। तुर्कों का सुल्तान उसका भाई हो गया और यह घोषणा की गई कि कैसर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है। हाजी मुहम्मद गिलियानो उसने अपना नया नाम रखा और इसका रक्षक हो गया। यह कहा गया कि ब्रिटिश इस्लाम के शत्रु हैं और उनका उद्देश्य तुर्कों की जमीन खोदकर मुहम्मद साहब की हड्डियां निकालकर ब्रिटिश अजायब





का निरीक्षण किया जिसके कारण यह जफवाह फल गई कि ब्रिटिश बगदाद पर आक्रमण करना चाहते हैं। वैसे ब्रिटिशों ने अभी इस दिशा में सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर बसरा की हानि न तुर्कों के निश्चय को बमजोर करने के स्थान पर उनमें विरोधिया के विरुद्ध उत्साह का सजन किया और अब वे अपनी स्थिति सुधारने में लग गये। कुर्ना से ब्रिटिश सैनिक शैबा की ओर बढ़े जहाँ पर 1,200 सैनिकों के हानि के बाद अधिकार कर लिया गया। इसके बाद सर जान निक्सन को मेसोपोटामिया के विरुद्ध कारवाई का भार सौंपा गया। भारत से जोर सेनायें आइ पर वे अपने साथ खाद्य सामग्री नहीं लाईं। ओपधिया की कमी के कारण भी आने वाले दिनों में कठिनाइयाँ हुईं। भारतीय वाइसराय और ह्याइटहाल से अमोरा पर अधिकार की अनुमति के लिए सम्पक स्थापित किया गया। अनुमति प्राप्त हो जाने पर मेजर जनरल चार्ल्स वेव फेरस टाउनशेड को 6ठे डिवीजन का नेतृत्व सौंप दिया गया जोर मना आगे बढ़ चली। एक सफलता पूर्ण युद्ध के बाद अमोरा पर अधिकार कर लिया गया। निसिरिये के युद्ध में ब्रिटिशों ने पुन 500 सैनिकों की कीमत पर सफलता प्राप्त की और उस स्थान पर अधिकार कर लिया।

अमारा जोर निसिरिये पर अधिकार के बाद यही साचा गया कि ब्रिटिश उद्देश्य पूरा हो गया है। प्रमरा पर अधिकार हो गया तब शोश्र्व कारखाना अधिकार में लिया गया जोर ब्रिटिशों के लिए उचित यही था कि मेसोपोटामिया में सैनिक कारवाई पर रोक लगा दें। निसिरिये के युद्ध के बाद तुर्क 120 मील ऊपर की ओर चले गये थे और पुन म जुट रहे थे। इससे स्पष्ट था कि तुरन्त किसी प्रतिक्रिया की सम्भावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूर्ति का अभाव, ओपधि सुविधा में कमी तथा सैनिकों की कम संख्या से भी सावधान रहने की आवश्यकता थी। टाउनशेड ने स्थिति का जवाब लगाकर ही अपनी डायरी में लिखा होगा, सामरिक बढाव के लिए सभी वस्तुओं की कमी थी और तेजी से आगे बढ़ने का सिद्धांत आवागमन के साधन के अभाव में सम्भव ही नहीं था। उसने आगे लिखा, 'अमोरा और निसिरिये पर अधिकार करने के बाद हम बसरा में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए थी। फ्रांस और गैलीपाली में मित्र राष्ट्रों की सफलता के बाद ही मेसोपोटामिया पर सामरिक जाग्रमण किया जाना चाहिए था।' पर अंतिम निणय टाउनशेड के हाथ में नहीं था ऊपर वाला अधिकार निक्सन के हाथ में था जिसने यह घोषणा की कि कुतअल इमरा पर अधिकार आवश्यक है क्योंकि यह टिमरिस और सशत जलहई का केन्द्र है और इस तरह अमोरा से अधिक सामरिक महत्त्व का है। भारत सरकार ने मीन

1 बार्कर प० न० ६ नेगलेक्टड शार मेसोपोटामिया (1914-1918), प० 107 से उद्धृत।





पायेंगे या नहीं। परामर्श दिया गया कि यदि कुत से भी पीछे हटना आवश्यक हो तो कुर्ना में सुरक्षात्मक नीति अपनाई जाय जिसमें कि तेल के क्षेत्र और पाइप लाइनों तो कम से कम सुरक्षित रखी जा सकें। चित्ताराल के नायक ने घोषणा की कि वह कुत वापस आ गया है पर जब और पीछे नहीं हट सकेगा। उसने बताया, "मैं कुत की वैसे ही रक्षा करूँगा जैसे मैंने चित्ताराल की थी।"

पर टेमीफान से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी ने विनाश ला दिया। तुव अपने को संगठित करने लगे। बगदाद से लगातार सैनिक सहायता पहुँचने लगी और कुत में ब्रिटिशों का रकना समस्याप्रधान हो गया। यदि ब्रिटिशों को कुत में रकना था तो इसकी सुरक्षा और मजबूत की जानी थी। टाउनशेड के पास 12,000 सैनिक थे जिसमें से 2,000 बीमार और घायल थे। इनके अतिरिक्त 3,500 गैर लडाकू भारतीय थे जिनके भोजन व औपधि की उचित व्यवस्था आवश्यक थी। पर उसके पास वस्तुओं की पूर्ति का अभाव था। यदि जल्दी ही सहायता न पहुँचती तो टाउनशेड के आदमी यदि तुकों द्वारा मार नहीं डाले जाते तो भी पाने के अभाव में भूखों मर जाते। अति आवश्यक समाचार भेजे गये। बसरा में वस्तुओं की नयी पूर्ति प्रारम्भ हो गई। पर वहाँ में सीमा पर और उससे पीछे सामान पहुँचने में 20 दिन लगने थे। और इसके अतिरिक्त पूर्ति पक्की को बनाय रखने के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था भी नहीं थी। इसी बीच तुकों ने टाउनशेड को कुत में पुनः एक बार लडाई करके लेने के लिए बाध्य किया। इसमें 315 अंग्रेजों के सैनिक मार डाले गये। बसरा तुकों ने भी अपने 907 सैनिक छोड़े। यह युद्ध 1915 के बड़े दिन की पूर्व संध्या पर हुआ जिम्ने क्रिपमस दिन के उत्साह को फीका कर दिया। तुकों ने कुत से टाउनशेड को पीछे हटाने में असफलता के बाद इस स्थान को घेरने की व्यवस्था की और इसकी तैयारी प्रारम्भ की कि किसी भी तरह में यहाँ की सेना को वस्तुओं की पूर्ति न हो पाये।

स्थिति सचमुच नाजुक थी। जैसे ही बसरा में नयी पूर्ति और सेना की व्यवस्था हो गई लेफ्टिनेंट जनरल सर फेटल एटमर को इसका मेनापतित्व सौंप दिया गया और 3 जनवरी 1915 को कुत पहुँचने का अभियान प्रारम्भ कर दिया गया। पर वह सेना जो कुत जा रही थी उसे भयानक कठिनाइयाँ मिलनी पड़ी। इसे एन-एक इंच जमीन पाने के लिए लडाई करनी पड़ी। शेख साद, वादी, हना, दुर्जता और वत ऐसा म लडाइयाँ लूँ। एन के बाद दूसरा सेनापति असफल होता गया। निक्सन की जगह लेव को भेजा गया। ऐलमर का सफलता नहीं मिली तो उसे अपना काम मोरिज को सौंपना पड़ा। पर सभी पराजित हो गए। कुत में सैनिक सहायता पहुँचाने जाने वाले ब्रिटिश सैनिकों को अपार सैनिक हानि का सामना करना पड़ा। पर अब भी काम नहीं बन पाया और निराशा में इसे छोड़



कारण थे। ब्रिटिशों की असफलता के स्वाभाविक कारण थे—वदेशिक क्षेत्र, विषम जलवायु, नदियों से सटे हुए सिंचाई की नहरें जा सनिका ब आगे वउन म बाधा पहुँचाती थी, भूमि चिह्ना का अभाव छाया का अभाव, पीने के पानी की कमी और भौगोलिक अज्ञानता। इसके अतिरिक्त बहू लोगो द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइया थी। ये लोग अरब के निवासी थे जिनके लिए ब्रिटिश और अरबी दोनों विदेशी थे और जो अपने पेतों में खाइया खोद रहे थे क्योंकि उनकी सिंचाई नहरों में हस्तक्षेप हो रहा था। वे इ हे अपने देश में मदगी से अधिक कुछ नहीं मानते थे। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था कि वे इसका लाभ उठाकर लूट पाट कर लाभ उठाते। मरे हुए लागा के बूटा और कपडा का लन के लिए वे कब्रों तक खोदन का तैयार थे। इस तरह ब्रिटिशों को तुर्कों के आक्रमण से ही अपनी रक्षा नहीं करनी थी बल्कि उन अरबों से भी जा चोरी चमारी का बाइ अवसर खोने को तयार नहीं थे और ब्रिटिश कम्पान के पीछे हमशा लग रहत थे।

बनावटी कारणों में भारत तथा इंग्लैंड के सरकारी कर्मचारियों के दूर दृष्टि में कमी मानी जा सकती है। भारत का सेनापति बीचम्ब डफ समय से कम-सकम दो वष पीछे था। इस तरह जहा मसापोटामिया में तुर्क तार काटन वाले बीजारा तथा अय हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, उसे यही पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। भारत की सैनिक व्यवस्था केवल उत्तर पश्चिम मोर्चा की समस्या निबटान की क्षमता रखती थी। सैनिक एमा प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किये हुए थे कि वे जमकर युद्ध कर सकें और न ही उनमें जमनी जस आगे बढ़े युरोपीय देश जैसा युद्ध कला का आधुनिक अनुशासन था। भारतीय सैनिकों में बहूवा का प्रयोग कर रहे थे व भागत टूट करबीता के लिए ही उपयोगी हो सकती थी। वे आगे बढ़ती पन्ना सना के लिए सुरक्षात्मक स्थिति नहीं पदा कर सकते थे और न ही वे प्रति आक्रमण के योग्य थे जिस परिस्थिति के अनुसार टिगरिस में उपस्थित युद्ध पोता के लिए यह नाम छाड दिया गया था। वंस तो इंग्लैंड में सैनिकों को नवीन जालयुवन अम्न प्रदान किय गए थे जिसमें थली में राइफल की गालिया रखी जा सकती थी और एन कमीज, माजे आदि भी रख कर पीठपर बाधा जा सकता था। पर ऐसा कुछ भारतीय सेना तक अभी नहीं पहुँचा था। भारतीय सेना में मशीनी आवागमन का साधन की भी कमी थी। औपधिया अभी पुगा जमान के स्तर की ही थी। युद्ध सामग्रियों और अधिकारियों के लिए व ब्रिटेन पर निर्भर करत थे जा निश्चित ही प्रथम विश्व युद्ध की पुच्छभूमि में जय इंग्लैंड में स्वयं कठिनाइ का सन्न बन गया था ता यहा के लोगो की फिबर बंस हो पाती। एम ही और भी दाप थे। यह ता शक्तिशाली बिचनर न भारतीय सेना में तमाम परिवर्तन ला दिया था अथवा भारतीय सेना न जा कुछ इस क्षेत्र में किया था उससे भी बुरा परिणाम सामन आता।



कारण थे। ब्रिटिशों की असफलता के स्वाभाविक कारण थे—वदेशिक क्षेत्र, विषम जलवायु नदियों से सटे हुए सिंचाई की नहरें जा सैनिका के आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती थी, भूमि चिह्नों का अभाव छाया का अभाव पीने के पानी की कमी और भौगोलिक अज्ञानता। इसके अतिरिक्त बड़े लोगों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयां थी। ये लोग जब के निवासी थे जिनके लिए ब्रिटिश और अरबी दोनों विदेशी थे और जा अपना क्षेत्र में छाड़िया खोद रहे थे क्योंकि उनकी सिंचाई नहरों में हस्तक्षेप हो रहा था। वे इन्हें अपने देश में गन्गी से अधिक कुछ नहीं मानते थे। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था कि वे इसका लाभ उठाकर लूट पाट कर लाभ उठाते। मरे हुए लोगों के बूटा और कपड़ा का लाने के लिए वे कर्तव्य तक खोदने का तैयार थे। इस तरह ब्रिटिशों को तुर्कों के आक्रमण से ही अपनी रक्षा नहीं करनी थी बल्कि उन अरबों से भी जा चोरी चमारी का बाइ अवसर खाने को तैयार नहीं थे और ब्रिटिश कैम्पा के पीछे हमेशा लग रहते थे।

बनावटी कारणों में भारत तथा इंग्लैंड के सरकारी कर्मचारियों के दूर दृष्टि में कमी मानी जा सकती है। भारत का सेनापति चौधरी डफ समय से कम-सकम दो वर्ष पीछे था। इस तरह जहां मसोपोटामिया में तुर्क तार काटने वाले अजीबारी तथा अन्य हथियारों का प्रयोग कर रहे थे उस यही पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। भारत की सैनिक व्यवस्था बस उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या निबटाने की क्षमता रखती थी। सैनिक एका प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हुआ था कि वे जमकर युद्ध कर सकें और न ही उनमें जमनी जस आगे बढ़े यूरोपीय देश जसा युद्ध कला का आधुनिक अनुशासन था। भारतीय सैनिक जिन बंदूकों का प्रयोग कर रहे थे वे भागत हुए कबीलों के लिए ही उपयोगी हो सकती थी। वे आगे बढ़ती पत्त सना के लिए सुरक्षात्मक स्थिति नहीं पैदा कर सकते थे और न ही वे प्रति आक्रमण के साम्य थे जिस परिस्थिति के अनुसार टिगरिस में उपस्थित युद्ध पोता के लिए यह काम छोड़ दिया गया था। बस तो इंग्लैंड में सैनिकों को नवीन जलयुक्त अस्त्र प्रदान किया गया था जिसमें बंदूकी में राइफल की मालिया रखी जा सकती थी और एक कमीज, मांजे आदि भी रख कर पीठपर बांधा जा सकता था। पर ऐसा कुछ भारतीय सना तक अभी नहीं पहुंचा था। भारतीय सना में मशीनी आवागमन का साधन भी कमी थी। अधिकांश अभी पुराने जमाने के स्तर की ही थी। युद्ध सामग्रियों और अधिकारियों के लिए वे ब्रिटेन पर निर्भर करते थे जो निश्चित ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जब इंग्लैंड में स्वयं कठिनाई का सब बत गया था ता यहाँ के लोगों की फिर कस हो पाती। एम ही और भी दोष थे। यह ता शक्तिशाली बिचनर न भारतीय सेना में तमाम परिवर्तन ला दिया था अथवा भारतीय सेना ने जो कुछ इस क्षेत्र में किया था उससे भी बुरा परिणाम सामने आता।

पर भारतीय मेता का मुद्दा क्या था? या कि दमम प्रतापगरीय और मुद्दा सम्बन्धी प्रश्नों को ही आगे बढ़ाया गया था। यह राजा के राज स प्रारम्भ हुआ था। परन्तु प्रथम गतिशील और विभाजित ब्रिटिश मनिफेस्टो त अपन सद्बुद्धि के विरुद्ध भारत की स्तीपा दान की भावना के दुष्प्रभाव को भी जिसका फलस्वरूप भारत में आगिज मरता पीता। परन्तु दम। दम तबो व्यवस्था के फलस्वरूप गतापति द्वारा सतिता। के निरीक्षण की प्रथा जाती रही और मता आरवक महत्त्व धीरे धीरे घटता गया और गतापति दम में कम हुआ गया।" यह भावना कि गतापति और मिनीटरी मन्त्र का कृत्य एक धर्म के रूप में आ जात गतगतापति सिद्ध। उपाय है जायमी की आर ध्यात गी सिद्धा गया और जोत करत यात भावना त बापति कि मतापतिगमियाँ में अगपलात के कारणों में एक प्रमुद्य यह भी था। योत्सव दम त म्बद स्तीपार किया कि दुहरा उत्तरदायित्व उसने लिए सम्भावना स्वयं कतिन है गया। यह प्रशासकीय विवरणा में दृष्टा उत्पन्न गया कि उपाय सदाई में ध्यम्न लागत स सगभक्त सम्पत्त ही टूट गया। उपाय गतापति, म्बद में एक अजात आमी यह अधिक् जानता था कि मतापतिगमियाँ में क्या है रहा है और निम्नता का दम। इसकी जानकारी कम थी।"

मेतापतिगमियाँ का मुद्दा समाप्त हुआ। पुनः का पाता है गया। पर कही यही समाप्त नहीं हुई। दमो बाद हुम्ददतान। भारत में उत्तरदायित्व अपना हाथ में लिया। ब्रिटिश एम्पियर सपत्तापूर्वक म्बद म्बद पर उपाय पूव, भारत के गरीबी आफ ग्रेट आम्बे। म्बद का जिन्ने जगत टमीपात पर असफल आक्रमण का दोषी माना जाता था स्तीपा दान पटा। भारत के गवार जनरल लाई हार्डिज का इस मामल में म्बद स सधिता दापो पाया गया, और आयाग ने इनको आरपित भी किया। पर उपाय स्तीपा इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह गतिशील म्बद निम्न था। मतापतिगमियाँ की कपातो समाप्त हो गई पर यह प्रश्न पृष्ठा जाता रहा। आधिक् ब्रिटिश उस दश में ही क्या? क्या मुद्दा अभी आवश्यक था? इसमें सन्देह नहीं कि मतापतिगमियाँ की सारी योजना सुविभाजित नहीं थी, जल्दी में बारी गई थी, बिना आवश्यक तैयारी के बारवाई प्रारम्भ कर दी गई थी और दम सचका एन ही परिणाम था जिसे मतापतिगमियाँ की गडबड का नाम दिया जाता है। इसके बाद अतत मतापतिगमियाँ तुर्की से स्वतन्त्र हो गया। पर ईराक न यह सहारा भी ब्रिटिश को

1 मन्स रिविज क्विन्स, लन्दन 1964 पृ० 211-26।

2 बार्बर, ए० जे० प्रिंसिपल, पृ० 29।

नहीं बाधने दिया क्योंकि उसका विश्वास था कि तुर्की के साम्राज्य का पतन अरब विद्रोह के कारण ही हुआ।

### तिब्बत सम्य धी नीति में परिवर्तन

हम हार्डिज की तिब्बत नीति का सदभ दंत हुए समाप्त कर सकते हैं। उसके काल में तिब्बत में कुछ और परिवर्तन हुए।

हार्डिज के काल में चीन में विद्रोह हो गया। इधर से तिब्बत में रहने वाली चीनी सेना को जब नियमित रूप से वेतन और सामान नहीं मिला तो इमने विद्रोह कर दिया और लासा सरकार के खजाने को लूट लिया। इसके फलस्वरूप तिब्बत सरकार न उहे वहा से वापस कर दिया। यह अवसर था जब दलाईलामा दो वर्षों के बाद अपने देश में पुन पहुंचा और चीनी रेजिडेंट से प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और उसे पूरी सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया। चीन सरकार ने दलाई लामा के विरुद्ध कारवाही के स्थान पर उसे सारी शक्ति प्रदान करने का निणय दे दिया। 1912 में इन अफवाहा के बीच कि चीन तिब्बत पर आक्रमण करने वाला है भारत सरकार ने चीन से स्पष्ट शब्दों में वता दिया कि वैसे ही वह उस क्षेत्र में चीनी संप्रभुता को स्वीकार करता है पर तिब्बत को वह चीन का एक प्रांत बन जाने देना पसंद नहीं करेगा। एक सम्मिलित सम्मेलन में 1913-14 में शिमला और दिल्ली में, जिसमें भारत सरकार के विदेश सचिव को सभापति बनाया गया चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये गए। इस प्रश्न को हल कर लिया गया और तिब्बत में शांति स्थापित हो गई। दलाई लामा के हाथ में सारी शक्ति पुन आ गई और उसने प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश की सहायता की।

### होम रूल आंदोलन

लाड हार्डिज के काल में राष्ट्रीय आन्दोलन के नया रूप और विस्तार ग्रहण किया। हाम रूल आन्दोलन, पान इस्लाम आन्दोलन, गदर पार्टी तथा आधिक विद्रोह आदि जितने भी आन्दोलन हुए उसकी सब की अपनी विशेषता थी—और इन सब की पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव था।

1914 में प्रारम्भ होने वाले महायुद्ध ने भारतीय राजनीति का बुरी तरह में प्रभावित करना प्रारम्भ किया। 'इस युद्ध में भारत का सम्मिलित होना केवल न तो नाममात्र का वाय था और न ही एक मंत्रीभाव का प्रदर्शन।' भारत ने अपने हजारों नव-जवानों को लड़ने का भेजा और लड़ते हुए इन्होंने सहायता की

लिए करोडो रूपय भेजे। भारतीय राजनतिक दला ने अपना पूण समथन दिया। और यह सब बेवार नहीं किया जा रहा था। लार्ड हार्डिज न जा र दिया कि भारतीय सेना को 'सहायका की तरह नहीं और न ही कम महत्व क सामरिक स्थाना पर लडन को भेजा जाय वल्वि युरोपीय सैनिको के समान दर्जा प्रदान कर इन्हें पश्चिमी क्षेत्र म छाड्या मे लडने के लिए भेजा जाय जिस पर कब्जा किये रहने से युद्ध के परिणाम निवलन की सम्भावना थी।<sup>1</sup>

'फ्लैण्डस के पाले और बर्फील मदाना म भारतीय सनिका की बहादुरी तथा मेसोपोटामिया के रगिस्तान की तपती धूप म उनके शीय न त्रिश्चयापी प्रशसा अर्जित की और भारत का राज्य सहित शांति सम्मेलन का सदस्य बना का सीमाभ्य प्राप्त हुआ पश्चिम वाला स सम्पक और युद्ध कबट म साथ साथ कबट सहकर लडन की त्रिया न उनम समानता का भाव तो भरा ही, उनके दृष्टिकाण का विस्तृत भी किया। वितसन का आत्म निणय का सिद्धांत जो शांति समझौते का एक प्रमुख अंग बन गया और जिनके प्रभाव म युरोप म कई देशा का जन्म हुआ, उसका भारत के प्रत्येक व्यक्ति क हृदय म बड़ा प्रभाव हुआ और वह इसका प्रबल अनुयायी हो गया।"

एक तरह से हाम रूल आन्दोलन युद्ध का ही एक प्रतिफल था। युद्ध ने भारतीय बुद्धि को विशालता प्रदान की और उनम आशा महत्वाकांक्षा व उत्साह का जन्म देकर इस सगठन की स्थापना का संभव बना दिया। एनी बेसेंट ने घोषणा की कि भारत अपन पुत्रा के घन व साथ और अपने पुत्रिया के आमुखा के साथ सौदा नहीं करता कि इसके बदले उसे इतनी स्वतंत्रता और अधिकार दिये जाय। भारत एक राष्ट्र की हैसियत स अधिकार मागता है कि साम्राज्य के लोग के बीच उसके प्रति पाय किया जाय। भारत ने इसकी माग युद्ध से पहले की। भारत इसकी माग युद्धकाल म भी कर रहा है। भारत इसके विषय मे युद्ध के बाद भी माग जारी रखगा। पर यह माग इनाम के रूप म नहीं बल्कि अधिकार के रूप म होगी। इस सब ध म कोई गलत कहानी नहीं होनी चाहिए।'<sup>2</sup>

अप्रैल 1916 मे पूना मे तिलक न हाम रूल आन्दोलन प्रारम्भ किया और एनी बेसेंट ने अगले सितम्बर म मद्रास म इसकी स्थापना कर दी। दोनो नेताआ ने एक दूसरे से मिलकर काय किया और भारत म राजनैतिक जागरण लाने मे प्रमुख भूमिका निभाई। मद्रास म यह आन्दोलन बहुत लोकप्रिय हुआ। तमाम

1 जकारियास रिसेट इटिया प० 163।

2 बरतर्पा एस० सी० इंडियन नेशनल मूवमेंट 154-55।

3 हार्ड इटिया राट फार फ्रीडम प० 580।



छात्र इसमें सम्मिलित हो गये और थियोसोफिकल लाजा न जहा भी ये थे, इसकी शाखाये खोलनी प्रारम्भ कर दी। अल्पकाल ही में यह आन्दोलन इतना शक्तिशाली हो गया कि मद्रास सरकार को एनी बेसेट को उनके दो सहायको वादिया और अरुंडाले सहित जेल में डाल दिया गया। तिलक से दूसरी आर 10 हजार रुपये की दो जमानतें और 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत वा ड देने को कहा गया। पर यह आदेश बम्बई हाईकोर्ट में एक अपील के बाद रद्द हो गया और कुछ दिनों के बाद मद्रास सरकार न एनी बेसेट को भी मुक्त कर दिया।

जहां तक इस आन्दोलन के उद्देश्य का प्रश्न था हम एनी बेसेट के उम लेख का हवाला दे सकते हैं जिसको उ हान वामनवील के प्रथम अंक में इस तरह से प्रस्तुत किया राजनैतिक सुधार के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम कौंसिलो, जिला, म्युनिस्पल बोर्ड प्रांतीय एसेम्बली स होते हुए राष्ट्रीय ससद तक जिह आत्म प्रशामित उपनिवेशों के रोजिम्लेटिव बाडी के शक्ति के समाग ही अधिवार हो सगटन स्थापित करना है इसके अतिरिक्त साम्राज्य के आत्म प्रशासिन राज्यों के प्रतिनिधि भी उम्पोगियल ससद में भेजे जाय।" दूसरे शब्दों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल उनका उद्देश्य था जिसमें भारत को अन्य राष्ट्रों के समान का दर्जा प्रदान किया जायेगा।

पर होम रूल आंदोलन अंततः तक नहीं चल पाया। अगस्त 1917 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माटेग्नु ने घोषणा की कि स्वशासन की चरणों में रथापना की जायेगी। जल्दी ही माटेग्नु भारत आया जिससे इस सबंध में परामर्श प्राप्त कर सके और इस सबंध में शीघ्र कदम उठा सके। चूंकि इस आन्दोलन का अधिक्तर उद्देश्य पूरा हो गया था इसलिए तजी से इसका पतन प्रारम्भ हुआ गया। श्रीमती बेसेट को 1917 में कांग्रेस का प्रेसीडेंट चुना गया और इस तरह यह आंदोलन समाप्त हुआ गया।

### पान इस्लाम आंदोलन

पान इस्लाम आंदोलन 20वीं सदी के दूसरे दशक में उत्तरी भारत में सगठित किया गया। यह आंदोलन इस्लाम से जुड़ा था पर इसके प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति भी थी। आन्दोलन का आधार तो धर्म था पर प्रभाव में यह राजनैतिक और ब्रिटिश विरोधी भी था। इसकी प्रेरणा का स्रोत भारतीय मुसलमानों की तुर्की के प्रति सहानुभूति थी।

एक लंबे अरसे से तुर्की यूरोप का एक बीमार व्यक्ति बन चुका था। इसके निमंत्रण में भिन्न भिन्न यूरोपीय जातियां दवाव टालकर स्वतंत्र होने के प्रयास में जुटी थीं। यूरोप की बड़ी शक्तियां न इस स्थिति से लाभ उठाने की सदा चेष्टा कीं। इस सबका परिणाम हुआ कि एक जमाने में शक्तिशाली कह जान

वाले तुर्की साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। तुर्की चूकि एक मुस्लिम देश था इस कारण भारतीय मुसलमानों में इसके प्रति सहानुभूति स्वाभाविक थी।

1911-13 में तुर्की इटली के एव वात्सन युद्ध के काल में ब्रिटेन न पूर्ण सहमति की नीति का प्रदर्शन किया जसकि भारतीय मुसलमान आशा करते थे कि ब्रिटिश तुर्की के प्रति सहानुभूति का रथ अपनाये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एम्ब्ले के भाषण में तो यह लगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल तुर्की का ही विरोधी नहीं है बल्कि इस्लाम का भी है। उसने यह भाषण नवम्बर, 1912 में दिया।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने ब्रिटेन के शत्रुभा का साथ दिया। भारतीय मुसलमानों के पास इस्लाम वगैरे तुर्की, अरब, जर्मनी और अफगानिस्तान से अपना सपका स्थापित किया। पर केन्द्रीय शक्तियों की पराजय के बाद तुर्की के विरुद्ध कठोर व्यवहार का प्रदर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त इस अपवाह ने भी जोर पकड़ा कि मुल्तान अब्दुल हमीद ने और बाद में अनवर पाशा ने भारत के कुछ मुसलमानों को पास इस्लाम आंदोलन को तीव्र करने को कहा। एक समय तो उहाने हिन्दू आतिकारियों के साथ भी अपना नाता जाड़ लिया और ब्रिटिशों के विरुद्ध एकजुट हो गये। इसी के परिणामस्वरूप अप्रैल 1919 में पंजाब और बम्बई में विद्रोह हुए और 1921-22 में इससे भी गम्भीर रूप से मोपला विद्रोह सामने आया। पर यह सब जल्दी ही समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप पूरे देश में कुछ वर्षों के लिए अयवस्था और खून खराबी का दौर चालू हो गया।

भारत में देहाती मुसलमान चूकि मुख्य रूप से स्थानीय राजनीति में ही दिलचस्पी लेते थे और उनका ध्यान उच्च शरीर हिन्दुओं के अपने विरुद्ध शोषण में ही लगा रहता था। इस कारण यह आंदोलन अधिस्तरीय नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। इस जा दोष में प्रभावी मददगारों में से एक लाहौर से प्रवाहित जमीन्दार के सपादक जफर अली खां थे। 1912 में उहाने तुर्की अद्वैत के लिए चर्चा एकत्रित करना प्रारम्भ किया। प्राप्त धन एकत्रित कर के स्वयं कुस्तुनतुनिया इसे वजीर को देने के लिए गये। वापसी के बाद उनके समाचार पत्र का लहजा और ब्रिटिश विरोधी हो गया। इसके कारण 1913 में प्रेस एक्ट के अन्तर्गत उनकी जमानत जप्त हो गयी। कुछ ही दिनों के बाद फिर उनकी दुबारा जमानत ही जप्त नहीं हुई बल्कि उनका प्रेस जन्म कर लिया गया। मुहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली भी इस आंदोलन के बमठ नेता थे।

1914 के प्रारम्भ में तुर्की कासल जनरल लाहौर के बादशाही मस्जिद के लिए एक सुन्दर गलीचा तुर्की के सुल्तान की ओर सेंट करवाया। यह भेंट भारतीय मुसलमानों द्वारा प्रदत्त सहायता के सन्दर्भ में दी गई थी। और कुछ ही दिनों में दो तुर्की डॉक्टर भी आये।

तुर्की के 1914 म युद्ध मे प्रवेश के बाद क्रिसमस सप्ताह मे राउलपिंडी मे एक मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमे अबल कलाम आजाद और मुहम्मद अली सम्मिलित हुए। सम्मेलन के बाद इन लोगो न चाय पाटियो म लाहौर के कान्फेरेन्स तथा अय स्थाना पर युवा मुस्लिम छात्रा और नागरिका के समक्ष भाषण किये। फरवरी 1915 म 15 लाहौर के छात्र तथा कुछ पेशावर के छात्र इसके परिणामस्वरूप गायब हो गये और भारतीय क्रांति कागे नेताओ महम्मद प्रताप और परखनुल्ला के सम्पर्क मे आ गये। महम्मद प्रताप और परखनुल्ला दोनो जमने महायत्ता से स्थापित अस्थायी भारतीय सरकार के मयुक्त अध्यक्ष थे और इनका काबुल मे थडडा था।

इन छात्रा म से कुछ को फारस मध्य एशिया और जापान भी भेजा गया। इन छात्रा म तीन और एक प्रसिद्ध सिख मिशनरी डा० मथरा सिंह ब्रिटिश के मित्र रूस द्वारा फारस की सीमा पर पकड लिए गए। उह ब्रिटिश अधिकारियो को सोप दिया गया जिहान उह फासी पर चढका लिया। जिन दो छात्रा को फासी पर लटकाया गया उनके पास तुर्की के मुल्तान के निरए पत्र था तथा तीसरे छात्र मथरा सिंह को चीन और जापान की यात्रा पर जाना था। इही छात्रो मे से किसी स ब्रिटिश का अगस्त 1916 मे एक सूचना मिली जिसे "सिल्क लेटर" पड्यत्र का नाम दिया जाता है जो काबुल मे 1915 16 मे प्रारम्भ हुआ था।

तयारकित 'सिल्क लेटर' पड्यत्र सभी इस्लामिक शक्तियो—तुर्क अफगान, अरब, सीमा के क्रीला और भारत के मुसलमानो को ब्रिटिशों के विरुद्ध एक करना चाहता था। योजना यह थी कि सीमा के कबीले, क्रांतिकारी हिन्दू और अमेरिका मे वापस आये सिख भारत मे एक दूसरे से मिलकर एक पड्यत्र म भाग लेंगे जो चालाकी से मध्य एशिया, हेजाज, मेसोपोटामिया और भारत म एक साथ संगठित किया गया है और जब काय प्रारम्भ हो जायगा तो तयाम सहायता विभिन्न स्थानो से प्राप्त होगी।

इसी समय दो छात्रो ने जो पजाब के मुस्लिम सैनिक के लडके थे, काबुल स एक नौकर को एक सूचना के साथ अपना पिता के पास भेजा। जब पकडे जाने पर नौकर को बहुत पीटा गया तो उसने यह स्वीकार किया कि वह फारसी म लिखा एक पत्र अपने साथ लाया था। यह पत्र एक पीले सिल्क पर लिखा गया था और इस कपडे को उसके कोट के अंदर सिल दिया गया था। 19 जुलाई 1916 को इस पत्र मे, जो महम्मद हसन के पास भेजा गया था और जो सिध का एक धार्मिक नेता था, काबुल के आंदोलन की प्रगति का विवरण था। इसमे प्रान्तीय सरकार की रचना की चचा थी और ब्रिटिश के विरुद्ध 'खुदा की सेना' के संगठन की योजना।

1916 के प्रारम्भ में अस्थायी सरकार ने तुकिस्तान में रुमी गवर्नर जनरल के पास एक मिशन भेजा था और एक रज के जार के पास भी जिमम उससे इगनैड से नाता तोड़ने को कहा गया था। जार नयह मूचना ब्रिटिश अधिभारिया को प्रेषित कर दी। पर बाद में वोल्शेविका ने उस प्रस्ताव का लाभ उठाकर ब्रिटिशों के पीठ में छुरा मारने की चेष्टा की।

इसमें पता चलता है कि इस आन्दोलन की योजनाओं कितनी गम्भीर और कितनी विस्तृत थी। महमूद हमन जिगको सिक्क पत्र सम्बोधित किया गया था, हेजाज के तुर्की सेनापति गालिय पाशा के सम्पर्क में था जिगसे उसने ब्रिटिशों के विरुद्ध मेहाद छेड़ने की घोषणा प्राप्त कर ली थी जिमकी प्रतिया गालिय नामा के नाम से भारत में काफी सट्या में बाटी गई। खुदा की मना का केंद्र मदीना में स्थापित होने वाला था और महमूद हमन उमरा सेनापति होने वाला था।

पर पंजाब में इस सम्बन्ध में तब तक न तुर्कों पक्षीय लागू में से दजन भर लोगो को नजरबंद करने के अलावा विशेष कुछ नहीं किया। जफर अली खाँ को युद्ध काल तक अपनी गाँव की सीमा तक ही रहने का आदेश दे दिया गया। अली भाग्या का दिल्ली के पास के एक क्षेत्र में दायर में रोक दिया गया। अपनी मुक्ति के बाद जफर अली खाँ ने अपनी कारवाइया फिर प्रारम्भ कर दी और 1920 में वह 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। जली भाइया जीर श्री गांधी को भी इसी परिस्थिति में लम्बी कैद ही सजा दी गई। काबुल में मुस्लिम नेताओं ने बलिष्ठ प्रस्तावित हिंदू नेताओं से सम्पर्क कर आर भारत से सम्पर्क कर जमाना आदालत आग बढ़ाया पर पंजाब में सिखा जीर हिंदुओं का आन्दोलन दूसरे तरह का था। नेताओं के कैद होने के बाद हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव पुनः बढ़ने लगा।

इस आदालत को करारा आघात उस समय लगा जब तुर्की गणतंत्र ने सुल्तान का पद से हटा दिया। इसने खिलाफत का अन्त कर दिया और ओस्मान परिवार का कहीं का नहीं रखा।

### गदर पार्टी

अप्य आन्दोलन के विपरीत गदर पार्टी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा संगठित की गई जिसमें सिखों ने प्रभावपूर्ण व प्रमुख भूमिका अदा की। इसकी उत्पत्ति तथा पंजाब व अप्य स्थानों में जो इसकी भूमिका रही उसका सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

ब्रिटिशों द्वारा पंजाब के अपहरण के पूर्व, इस प्रांत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में वस्ती कम थी। पर शीघ्र ही नहरों और अप्य सिंचाई के साधनों के विकास तथा कृषि की प्रगति ने इस क्षेत्र की ओर पूर्व क्षेत्र के सिखों को आकर

बसन की प्रेरणा दी जो भारत के समझतम किसानों में गिन जान लगे। पर कुछ दिनों में परिवार में वृद्धि तथा कुछ अर्थ बाता के कारण जमीन कम होती गई। सूदखोरी के अभिशाप न उन्हें और गरीब बना दिया। 1905 से 1910 के बीच मानसून की असफलता न दुर्भिक्षता की स्थिति ला दी। डॉ० तारकनाथ दास ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया इन वर्ल्ड पालिटिक्स' में यह लिखा है कि ब्रिटिशों की साम्राज्यवादी और अधिक शापण की नीति ने उन्हें और गरीब बना दिया जिसके कारण वे जीविका का साधन ढूँढने के लिए विदेश जान का बाध्य हो गये।<sup>1</sup>

प्रारम्भ में वे बगाल गये। पर बाद में य बर्मा, मलाया राज्य, हांगकांग सिंगापुर, चीन और अर्थ स्थानों को भी गये जहाँ य चौकीदार, पुलिस इलेक्ट्रिशियन, टैक्सी ड्राइवर आदि के रूप में कार्य करते थे। 1888 में कुछ सिख सैनिकों ने लंदन में महारानी विक्टोरिया की जुबली दफो और सोट्ट हुए कनाडा को देखा। यहाँ की सम्पन्नता से वे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद स्टीमशिप कम्पनिया स्थापित हा गई जिहाने पजाबिया और उनमें भी सिखों का यात्रा के लिए आवृष्ट किया। 1904 में जब हांगकांग शघाइ आदि के सिखों को पता चला कि कनाडा व अमेरिका में पारिश्रमिक भी अधिक है और लाभ भी, तो उनमें से तमाम ने वहाँ जाने का निष्पत्त किया। 1914 तक 20 लाख भारतीय भारत के बाहर रह रहे और काम कर रहे थे। केवल अफ्रीका में ही 1,49,790 भारतीय थे। पूर अमेरिकन प्रायद्वीप में 1910 में भारतीय प्रवासियों की संख्या लाखों में थी।

1906-07 के बीच अमेरिका में अधिक मजदूरी के लिए जा श्रमिक आंदोलन हो रहा था, सस्ते भारतीय मजदूरों के पहुँचने से उनको बड़ा आघात पहुँचा जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकन मजदूर उनसे घणा करन लगे। 1906 में कनाडा विद्यापिका ने एशिया से जाने वाला पर नियंत्रण हेतु इमीग्रेशन ऐक्ट पारित किया। 1907 में ब्रिटिश कोलोनिया में एक नियम व अंतगत भारतीयों में मत-अधिकार छीन लिया गया। और 1908 में उनका नगरपालिका सम्बन्धी मत का अधिकार भी छीन लिया गया। बाद में बहुत अरम स वग भारतीयों में अधिकार वापस लेने के लिए नियम बनाय गये। 1906-07 में सिखों ने ब्रिटिश कालविया के बानवार नामक स्थान पर एक गुट्टारा 15,000 पौंड में बनवाया। बट्टा में सिखों ने अपनी फँडिया स्थापित की। सत तजामिह के प्रदास में गुरतानक माइनिंग कम्पनी की स्थापना 2½ लाख रुपय लगाकर की गई। ईगन हाबर में 25 हजार पौंड में 250 एकड़ भूमि गुरतानक कम्पनी बना कर लिए घरीदी

गइ। एक दूसरा गुरुद्वारा विक्टोरिया म स्थापित किया गया। इस सब के कारण यूरोपीय म इप्या की भावना पैदा हुई। अधिकारिया न इन भारतीयो पर यह प्रभाव डाला कि व ब्रिटिश हो दुरा चले जाय वयाकि उनके अनुमार उह वहा अधिक लाभ रहगा। पर सच बात यह थी कि यहा जगला म भरा एक क्षेत्र था और वहा पीन के पानी का अभाव था। भारतीय जाल म नहीं फस जिससे अधिकारी और असनुष्ट हो गये।

दक्षिणी अफ्रीका म जाति भेद के विषय म विशेष परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। यहा पर भारतीयो पर बडे प्रतिबंध थे और उन पर कई भेदभावपूर्ण कर भी आरोपित थे। 1893 म महात्मागांधी को इनके विरुद्ध एक आंदोलन प्रारम्भ करना पडा जो 21 वर्ष तक चला। 1912 म जी० के० गाखले भी भारतीयो का सघप दखने के लिए यहा गय।

फिजी म भी स्थिति बेदतर नहीं थी। यहा भारतीयो के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा था। चूकि व अपना परिवार नहीं ला पा रहे थे इस कारण उनका चरित्र भी गिरता जा रहा था। जी० डब्लू० बटन न अपनी पुस्तक फिजी टुडे म बडी हृदय विदारक वया प्रस्तुत की है "एक भारतीय महिला अपन बीमार बच्चे को कुली लाइन म छाडकर रात म काम करन गई। दापहर को अवकाश म जब वह अपने बीमार बच्चे को देखने आई तो उसके पीछे-पीछे जासूसी करता हुआ यूरोपीय सार्जेंट थाया और अधा की तरह उस बेत से पीटन लगा। भारतीय महिला अपने बच्चे सहित सार्जेंट के पैर पर गिरी हुई पड़ी थी और वह उम पर बेत स प्रहार करता ही जा रहा था।"<sup>1</sup>

आस्ट्रेलिया और युजीलण्ड म भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिणी भारतीयो स भी मनाया म घणा की जाती थी।

अमेरिका महाद्वीप मे भारतीयो के कष्टा का कम करन के लिए तमाम प्रयास किय गय। पर वे सब बकार गय। 14 मार्च 1913 का वानकार स भाइ बलबंतसिंह के नतत्व म और फिल्लौर स सरदार नरसिंह व सरदार नारायण सिंह के नतत्व म एक शिष्टमडल उगलैण्ड पहुंचा। पर वे वहा भी अधिकारियो का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके। इसके बाद यह शिष्टमडल भारत आया। कई स्थानो पर बठक आयोजित की गइ। अमतसर की एक बैठन म बलबंत सिंह न अपनी कठिनाइया का स्पष्ट ब्योरा दिया। शिष्टमडल वाइसराय और पजाब के गवर्नर से शिमला म मिला। पर इस सब का कोई परिणाम नहीं निबला और शिष्टमडल को निराश वापस जाना पडा।

पर शिष्टमडल के अमेरिका पहुंचन से एव ही मह अनुभव कर लिया गया

1 बटन जा० डब्लू० फिजी टुडे प० 189।

कि इस सब कष्ट का कारण मुख्य रूप से भारत की दासता है और जब तक इसे स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती तब तक कोई भी भारतीय विषय के देश में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। इसी कारण मार्च 1913 में बरतार सिंह सरावा, कम सिंह चौमा, लाला हरदयाल, ज्वालासिंह, सोहन सिंह भवना, बसाखा सिंह आदि न विदेशों में बसने वाले को वाशिंगटन में एक सम्मेलन में बुलाया। इसमें 200 लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने एक हिंदी 'एशोसिएशन' की स्थापना की जिस बाद में 'गदर पार्टी' का नाम दिया गया।

इसका मुख्य केन्द्र सनफ्रांसिस्को में रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया भारत को शक्ति के माध्यम से स्वतंत्र कराना। इसके पहले प्रेसिडेंट बाबा सोहन सिंह भवना थे और सेक्रेटरी लाला हरदयाल। इसके कायाध्यक्ष अम्बाला के पं. बाणीराम थे। सगठा सचिवा में लुधियाना के मुशी करीम बख्श और होशियारपुर जिले के मुशीराम थे। वायकारिणी के सदस्यों में थे—फीरोजपुर में चुहर चाक के बाबा अरण सिंह अमृतसर के बसाखा सिंह दादहर, जालंधर के भाई करम सिंह चौमा, लुधियाना के बतारसिंह सरावा, फीरोजपुर के निधान सिंह चुग, अमृतसर के ईशा सिंह मगना होशियारपुर जिले के पं. जगत राम हरियाना, बरखतुल्ला और मुशी करीम बख्श। अधिक प्रवासी मित्र थे इसलिए दल में उन्हीं का बहुमत था। इस दल के नेताओं और वायकारिणी के सदस्यों ने अपना सारा धन दल का समर्पित कर दिया।

अक्टूबर 1913 में हिंदी एशोसिएशन की दूसरी कक्षा में यह निश्चय किया गया कि इसका एक समाचार-पत्र निकाला जाय और उस तरह 1 नवम्बर, 1913 को 'गदर' प्रारंभ हुआ जो एक साथ सिन्धु, इन्द्र, गुरुमुखी और मराठी में प्रकाशित होता था। हरदयाल इसके संपादक थे जिन्होंने तदी ही कैद कर लिया गया पर उनके मित्रों ने उनकी जमानत दे दी। इस जमानत के आधार पर उनके मित्रों ने उन्हें गायब हो जाने का कथन और जमानत का पैसा देकर दिया। इस तरह अमरिका के दृश्य इन्हें अत्यंत आशंका हो गई।

हरदयाल के अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालयों में काम करते थे वे थे बतारसिंह सरावा, गुरुमुखी बख्श, गार्धसिंह और पथवीसिंह। प्रेस के प्रबंधन पहिले हरदयाल के हाथ में था। पार्टी के और वक्त का व्यय वहन परती थी और यह भी धन्य पारिश्रमिक होता था। यह समाचारपत्र अंग्रेजी, फिजी, भारत युजीलैंड जजीवार, ईस्ट इंडीज, म्यांमार, यमा, इत्यादि पत्रों में पहचान लगा। इसी तरह इस दल के अनेक विषय के हरदयाल गदर।





गदर की कारवाई में मम्मिलित हान के लिए फासी दे दी गई, 6 को काल पानी की तजा दी गई और 6 को पुन पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 2 पुलिस व दलाल ह्रा गय। स्पष्ट है कि यदि जल में रहने वाले भी बाहर होते तो कितनी हितात्मक स्थिति पदा कर देत।

इसी बीच अक्टूबर 1914 में विदशा में हजारों सिख और आपठुचे जिनका पूछ-ताछ के बाद तीन भागा में बाटा गया (1) व जो सत्रमुच खतरनाक समझे गय उह जेल में डाल दिया गया, (2) व जो कम खतरनाक थे उनकी कारवाई उनके गाय तक ही सीमित कर दी गई (3) वे जिहे चेतावनी देकर छोड दिया गया 8 000 लागी में से जा इन प्रान्त में युद्ध के प्रथम दा वर्षों में प्रविष्ट हुए लगभग 400 जेल में डाल दिय गये, 2 500 को उनके गावा से बाध दिया गया शेष को मुक्त कर दिया गया।

पर बहुत से गदर के सदस्य पूछ-ताछ के दौरान ही जो इंग्रेस जाडोंनेन्स के अतगत जारी की जा रही थी, घिसक लिय और स्थानीय क्रांतिकारी नेता जो स सपक म्यापित किया। कतारसिंह सराग एन० जी० पिंगले, पंडित जगत राम कामीराम पथ्वीमिह, जगतसिंह जार अय बहुत से लोग सनिक छावनिया में जाकर मेना का सम्मान ला कि व उचित समय पर विद्रोह करें। रावलपिंडी लाहार फीराजपुर, राखनऊ फैंजावाद कानपुर, इलाहाबाद, और जवलपुर में उनका यह प्रयास सफल हुआ। अक्टूबर 1914 से सितम्बर 1915 के बीच एक से एक धमाके मध्य पंजाब में हुए आर फीरोजपुर में हथियार गृह पर ही अधिकार करने का प्रयास किया गया। इसी समय रासबिहारी पंजाब जाय और उहोंने कारवाई का नतृत्व अपने हाथ में लिया। वह एन० जी० पिंगले के साथ आदोलन की बुद्धि के रूप में काय करने लगे और भाई परमानंद जो आय समाज कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वे असतुष्ट हिंदू बुद्धिजीवियों तथा गदर पार्टी के सिखा के बीच एक बडी बन गये।

सभी काय योजनानुसार हो रहे थे। रासबिहारी और पिंगले का काय-केन्द्र अमृतसर में था और वे भारतीय सैनिकों को उत्तेजित करने में लगे थे, विशेषकर उत्तरी भारत के सिखा आर राजपूता के बीच। उन्होंने 21 फरवरी, 1915 के लिए एक सामान्य विद्रोह की योजना बनाई। पर दुभाग्य से उनकी योजना गुप्त न रह सकी। उहोंने अपना केन्द्र बदलकर लाहार में कर दिया और विद्रोह की याजना की तिथि बदलकर 19 फरवरी कर दी। पर सरकार ने सही समय पर कारवाई की। लाहौर के 4 मकानों पर छापा डाला गया, 18 लोगों को उनके कागजात योजनाओं और वमों आदि सहित पकड लिया गया, पर रास बिहारी और पिंगले बच निकले। अय स्थानों और कैंटा पर सही समय पर कारवाई की गई। एनी लासन और हैवरिक इनसे सपक नहीं कर पाये और

पकड़ लिया गए। एक सप्ताह बाद पिगले को 12वीं कबलरी की लाइन में मेरठ में पकड़ लिया गया। उनके पास इतने बम थे कि एक रेजीमेन्ट उड़ाया जा सकता था।

क्रांतिकारियों के विरुद्ध बधानिक कारवाइया प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप निम्न प्रसिद्ध मुकदम प्रारम्भ हुए, ताहौर पडयन केस, शिमला पडयन केस, बनारस पडयन केस फैजाबाद में साजेंट हरनामसिंह पर मुकदमा दिल्ली पडयन केस बनबज में गिरफ्तार लोगा पर मुकदमा, फीरोजपुर पडयन केस, मेरठ, बरीसाल और बर्मा के मुकदमे एव शघाई तथा सिगापुर में चलने वाले मुकदमे।

पिगल और परमानन्द को फासी की सजा हुई। पिगले को फासी पर लटका दिया गया। परमानन्द की सजा वाइसराय ने आजीवन कारावास में बदल दी और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। संक्षेप में 175 गदर पार्टी के अपराधियों को विशेष टिब्युनल के समक्ष लाया गया। इनमें से 136 को मौत या मीन से कुछ कम की सजा दी गई 38 को मौत की सजा दी गई जिसमें से 18 को काले पानी की सजा में बदल दिया गया और 20 का फासी पर लटका दिया गया। 58 लोगों को काले पानी की सजा हुई और 58 को या तो काले पानी की या कुछ कम काल के लिए कद किया गया। 115 की जायदाद जब्त कर ली गई, पर अधिकतर मामला में इस स्थानीय सरकार ने वापस कर दिया जिन्हें नजरबंद किया गया था उन्हें सिन्धु रिटो पर छोड़ दिया गया। और युद्ध समाप्त होते होते आधे दर्जन लोग ही जल में थे।

सरकार ने इस आंदोलन का दबाने के लिए कई कदम उठाये। पुरानी 'वाटो और शासन करो' की नीति अपनाई गई। 'एक सिख' गदर सदस्य द्वारा पडयन और धन की हराकैरी के लिए रामचंद्र की जब्त हत्या कर दी गई ता हिन्दुओं को दल छोड़ने के लिए उत्साहित किया गया और फुसलाया गया। ठीक इसी तरह से डॉ० सैय्यद हुसैन और शोक्तअली ने प्रांत का दारा करना प्रारम्भ किया और मुस्लिम लोग स्थापित कर मुसलमानों को उसमें आने के लिए कहा। कुछ प्रमुख सिखाओं को भी एक अलग आंदोलन चलाने के लिए तैयार कर लिया गया।

'इन पर आरोप भी लगाए गये कि वे भविसरी से होकर तत्परी का घधा कर रहे हैं और प्रायः हीन वाली हिन्दुओं की हत्या में पीछे उही का हाथ है।' अमेरिका की इमीग्रेशन सर्विस और ब्रिटिश कांसलेट ने इस काय के लिए भारतीयों को सूचना देने के लिए चुना। पर इनमें से कई जस नगिनाराय सतराम, पांडे नानालाल, नाथूराम और शरूराम अमेरिका में तथा भारताय सी० थाइ०

डॉ० एक भूतपूर्व अधिकारी हॉपकिंसन को गदर पार्टी ने मार डाला ।<sup>1</sup>

बुरी तरह से प्रभावित पंजाब के जिला में प्रमुख सिपा लीगा की समितियाँ स्थापित कर दी गईं जा डिप्टी कमिश्नरों का प्रवासिया के सम्बन्ध में छानबीन में सहायता करते थे और उन्हें नियमित करन में भी। स्वाभाविक रूप से इसके कारण बहुत से प्रमुख सिपा की भी हत्याएँ हुईं। उदाहरणार्थ जून 1915 में अमृतसर के अचारसिंह को मार डाला गया। अगस्त में अमृतसर के कपूर सिंह के साथ भी यही व्यवहार किया गया। ऐसे अधिकतर मामला में हत्यारे पकड़े गए और उन्हें दंडित किया गया।

हाईज 1916 में भारत में पदमुक्त हुआ। अपनी यापसी के बाद उसे गाटर का नाइट बना दिया गया। घाड़े ही दिनों बाद उसे विदेश मंत्रालय में पुनः स्थायी अडर सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। 1920 में उसे पेरिस में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया। 1922 में उसकी डिप्लोमैटिक सर्विस का काल समाप्त हो गया। पर वह हाउस आफ लाइस की बँठवा में नियमित रूप से आता रहा। अगस्त 1944 में 86 वर्ष की परिपक्वास्था में उसकी मृत्यु हो गई।

“चरित्र, शक्ति और निश्चय से भरपूर, उसने अपने पीछे एक कमठ और बुद्धिमान व्यक्ति का लेखा जाखा छोड़ा जिसने अपने देश के हित में कर्तव्य-परायणता के प्रति अपने को समर्पित कर दिया।”<sup>2</sup>

1 स्पोक्समैन वाकजी आफ 9 फरवरी 1955 मुख्पणसिंह सहायार, गदर पार्टी का इतिहास (जालंधर 1961 पंजाबी)।

2 और विस्तार के लिए देखें दबन डा० मुख्पणसिंह द रोल आफ गदर पार्टी इन नेशनल मुवमेण्ट दिल्ली 1969।

3 मरसे विरवाउण्ट द वाइसरायज आफ इंडिया प० 126।

## विस्काउण्ट चेम्सफोर्ड (1916-1921)

क्रोमिया के युद्ध भारत में विद्रोह और दक्षिणी अफ्रीका में प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से काय करन वाले सैनिक के रूप में, सर जॉर्ज लॉड फ्रेडरिक आगस्टस के पुत्र फ्रेडरिक जान रिपियर थेसीजर का जन्म 12 अगस्त 1868 का हुआ। उसकी माँ फनी बम्बर्ड की सलाह में काम करन वाला मजदूर जनरल हीथ की पुत्री थी। उसकी शिक्षा विचेस्टर और मगडालेन कानन जॉक्सफोर्ड में हुई, जहाँ उसे अपना उत्तम पढाई के लिए फेरा आफ आल मालन बना दिया गया। 1894 में उसने वकालत प्रारम्भ की और उसने उसी वर्ष फ्रांसिस चारलाट्ट गस्टस से विवाह किया जो प्रथम लॉर्ड विमबोर्न की पुत्री थी। उनके दिनांक मृत्यु 1905 में हुआ और वह पियर हो गया। उसने क्वींसलैंड के गवर्नर की हैसियत से सेवा की फिर लिब साउथ वेल्स में भी इसी पद पर काय किया और 1913 में वह जी० सी० एम० जी० हो गया। वह 48 वर्ष का था जब 1916 में एस्किवथन उस भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया।

जब चेम्सफोर्ड भारत पहुँचा तो उसने देखा कि लोग और सबधानिक सुधार की मांग कर रहे हैं।

### आन्तरिक सुधार

मिण्टो मार्ले सुधारों ने भारतीयों की जनाकाया की पूर्ति नहीं की। उन पर के० एम० मुशी ने विचार व्यक्त करत हुए लिखा है 'मिण्टो मार्ले सुधार नामक राजनैतिक परिवर्तन के द्वारा उदारवादिया को घूस प्रदान किया गया।' इसके अधीन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थापित हुई मान परामर्श देती थी। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि "बग से बग को लड़ा गया, सम्प्रदाय का सम्प्रदाय से जिम्मे एव का प्रभाव दूसरा समाप्त कर दें।" जमींदारों और व्यापारियों को राजनैतिक बौद्धिक बग की कीमत पर अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आलोचना के स्थान पर चुप रहन वाला तथा विशेष बातों को ध्यान



सम्मिलित शिष्टमंडल ने काबुल का दौरा किया और भारतीय मुस्लिम नवाआ से बातचीत करके—मुहम्मद अली और उबैदुल्ला न मिलकर भारत के अस्थायी सरकार की योजना तैयार की।

मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने अवसर का लाभ उठा कर, हिंदू और मुसलमानों में मत्री स्थापना करके ब्रिटिशों के विरुद्ध उन दोनों को एक साथ लड़ाने के लिए तयार किया। 1914 में रावलपिंडी में एक मुस्लिम शिष्या सम्मेलन किया गया जिसमें मौलाना आजाद और मुहम्मद अली ने भाषण दिए। इसके बाद इन लोगों ने लाहौर के कॉलेजों में चाय पार्टियाँ तथा कुछ अन्य स्थानों पर युवा और होशियार मुस्लिम लड़कों के सामने भी भाषण दिए। इस सबके परिणामस्वरूप फरवरी 1915 में 15 छात्र लाहौर से और कुछ पेशावर में भारत से गायब हो गये और उहान महेन्द्र प्रताप और बरकतुल्ला से सम्बंध स्थापित किया जा अस्थायी भारतीय सरकार के समुक्त प्रेमीडे ट थे। इन छात्रों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और वे तुरंत चीन और अन्य स्थानों पर गये। अस्थायी सम्भव कर उन्हें ब्रिटिशों से अलग करने का प्रयास किया गया। यह भी योजना बनाई गई कि 'घुदा की एक सेना' बनाकर ब्रिटिशों को भारत से हटा दिया जाय।

1913 के अपने सम्मेलन में लखनऊ में मुस्लिम लीग ने अपने सचिवालय में परिवर्तन कर हिंदुओं और मुसलमानों को निकट संबंध स्थापित करने की अनुमति पत्रों की। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की तरह ब्रिटिश ताज के अधीन स्वशासन को अपना उद्देश्य बनाया और इसके लिए सवधानिक विधि अपनायन की बात कही। और लखनऊ में एक बहुत बड़ी मभा में मुस्लिम लीग के नेता मजहरल हक ने घोषणा की, कांग्रेस विरोधी मुसलमान अब भूतकाल की चीज होता जा रहा है और अब उसे नहीं उत्पन्न अजायबघर में ही तलाश करना पड़ेगा।'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी कारवायों तेज कर दी। 1913 के अपने कराची सम्मेलन में कांग्रेस ने सत्रेटी आफ स्टेट्स कांसिल में मुद्दारा की मांग की और यह कहा कि सत्रेटी आफ स्टेट्स का वतन ब्रिटिश राजस्व खात से प्रदान किया जाय। 1916 के सम्मेलन में कांग्रेस ने घोषणा की 'भारत को परतंत्रता से मुक्त किया जाय और उसे बराबरी के आधार पर स्वशासित राज्य का दर्जा प्रदान किया जाय।' एम साम्राज्य के अतंग स्वतंत्र रूप से समान उत्तरदायित्व और अधिकार सौंप जाय। और इसके जागे कहा गया "भारत पर शासन दिल्ली या शिमला में किया जाना चाहिए न कि ह्वाइटहाल या डार्जनिंग स्ट्रीट

से।<sup>1</sup> कांग्रेस न मुसलमानों को भी फुसलान की चेष्टा की।

इन सब घटनाओं और मौलाना आजाद, मोहम्मद अली शौकत अली और इसरत मोमनी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं की तुर्की के पक्ष में भाषण देन के कारण कैद किए जाने से एक रास्ता निकला जिसके फलस्वरूप दिसंबर 1915 में लीग और कांग्रेस दोनों न दम्बई में अपना वार्षिक सम्मेलन किया। एम० के० गांधी और सराजिनी गायडू जिन कांग्रेस के नेताओं ने लीग की कारवाही में भाग लिया। लीग और कांग्रेस द्वारा समितियाँ इस उद्देश्य से स्थापित की गईं कि सुधारों के लिए एक तरह की योजना हेतु प्रस्ताव तैयार किए जायें। योजना तैयार हुई और इस पर 1916 के कांग्रेस व लीग के संयुक्त सम्मेलन में विचार किया गया। इसके फलस्वरूप प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट की नींव पड़ी जिसने दोनों संगठनों के बीच निश्चित एकता के बाय का प्रारंभ किया।

लखनऊ पैक्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीभाव पैदा करने का प्रयास किया। लीग और कांग्रेस दोनों न अपने प्रारंभिक विचारों से हटकर एक-दूसरे के विचारों के निकट आने की चेष्टा की। इस पैक्ट में कांग्रेस न मुसलमानों के लिए अलग से एलेक्टोरेट के सिद्धांत को स्वीकार किया और अल्पसंख्यक प्रांतों में मुस्लिम लोगों के महत्त्व को स्वीकार किया। लीग को और कई छूटें दी गईं और उसने कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से बाय करने की योजना को स्वीकार किया। इस संबंध में कहा गया भारत का परतंत्रता से मुक्त कर साम्राज्य के अधीन समानता के आधार पर स्वशासित राज्य बनाया जाय।<sup>2</sup> पैक्ट में यह कहा गया कि आगे दोनों दलों में से कोई भी ऐसे किसी प्रस्ताव बिल या बिल की किसी धारा का समर्थन नहीं करेंगे यदि यह किसी सम्प्रदाय से संबंधित होगा और इसके विपक्ष में 3/4 सदस्य होंगे।

संयुक्त सुधारों की और महत्वपूर्ण बातें जिस पर समझौता हुआ वे ये थीं (1) कि केन्द्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिलों में सदस्यों की संख्या और बढ़ाई जायें जिनका नामल सदस्यों की तुलना में अनुपात 4 : 1 का होना चाहिए (2) कि केन्द्रीय और प्रांतीय कौंसिलों में भारतीय सदस्य भी हाने चाहिए जिनके कम से कम आधे केन्द्रीय या प्रांतीय कौंसिलों से ही चुने जाने चाहिए (3) कि लेजिस्लेटिव कौंसिलों द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार को मानने को बाध्य होना चाहिए। गवर्नर जनरल चाहे तो उस अस्वीकार कर सकता है और यदि इस तरह का बिल पुनः एक साल के बाद पारित हो जाय तो उस कानून बना दिया जाना चाहिए।

1 दख सीनारमय्या वी० ए० हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल काँग्रेस भाग 1  
प० 23 24।

इस तरह से दोना दला म एकता की स्थापना हुई और दोना सम्प्रदाया के बीच भी। माटेयु चेंसफोड की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ पत्र "अति नवीन, पूण और आधिकारिक प्रस्ताव था जिसा भारत के अग्रिम पक्ष के राजनैतिक दला न माग पश की।" 1 वे दिन सचमुच भारत के लिए महत्त्वपूर्ण दिन थे जब राष्ट्रवादिता का भाव पुन साम्प्रदायिकता क भाव पर हावी हो गया। ऐसा वातावरण भला ब्रिटिश का प्रभावित किए बिना कैसे रह सकता था ?

और फिर लीग और कांग्रेस ही केवत राजनैतिक मुधारा की भाग नही कर गहे थे। 1915 16 के बीच श्रीमती एनी बेसेण्ट और लाकमाय तिलक न होम रूल आदोलन की स्थापना की। सी० वाई० चिंतामणि ने लिखा है, "इस आदोलन के अंतगत एनी बेसेण्ट ने पूरे दश म सगठन की स्थापना कर दी, अथाह प्रचार पर्चे बटवाय तथा यहा वहा और हर जगह भाषण दिय जिसने आदोलन का तज ही प्रगन किया, प्रतिवदित नही किया।" जकारिया ने लिखा है कि उनकी याजना राष्ट्रवादी उपपथिया और प्रातिवारिया के बीच होने वाले समझौते से उनका ध्यान विरत करना था, उह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही किसी स्थिति के लिए सतोप करने की प्रेरणा देना था तथा उह कांग्रेस के उदारवादिया की पत्रि म एक कांग्रेस क झंडे क नीचे लाकर पडा करना था।" 3 श्रीमती ने स्वयं कहा 'मैं एक भारतीय ढोल हू जिमका उद्देश्य भारत के सोने वाला को जगाकर मातृभूमि की सेवा मे लगाना है।" बेसेण्ट के अनुसार होमरूल आदोलन का उद्देश्य यह था कि, "ग्राम कौस्तित्ता, जिलो, म्युनिस्पल बोर्डों और प्रांतीय अमम्यलिया से होते हुए राष्ट्रीय ससद तक पूणरूप से ऐस सरकार की स्थापना हा जो स्वशासित उपनिवेशा के लजिस्लेटिव सगठना की तरह ही शक्ति रखती हा, नाम इनका चाह जा हा, इसके अतिरिक्त इम्पीरियल ससद मे भारत का सीधा प्रतिनिधित्व जिसमे साम्राज्य के स्वशासित राज्या के अय प्रतिनिधि भी हो। 4 उपवादी तिलक ने उनका साथ दिया और इस आदोलन का परिणाम तो यह हुआ कि कांग्रेस म उपवादी और उदारवादी तत्र एक दूसर के निकट आय। भारतीया के लिए होम रूल के आदोलन ने भारतीय छाना मे बडी चोकप्रियता प्राप्त की जिनमे से तमाम ने इसमे भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और सरकार को इसे आगे बढन से रोकने के लिए कुछ प्रयास करन पडे। 1917 म एनी बेसेण्ट को नजरबन्द कर दिया गया

1 रिपोर्ट आन द इंडियन कांस्टीच्युशनल रिफार्म (9 8) प० 159।

2 चिंतामणि सी० वाई० इंडियन पालिटिकल सिचु म्युटिना प 225 226।

3 जकारिया पूर्वोक्त प० 218।

4 बेसेण्ट एना इंडिया बाइ आर मी ? प० 164।



जिससे उसके सनयक उत्तेजित हो गये। और तीन माह के बाद जब वह मुक्त की गई, भारतीयों ने उह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसीडेंट चुनकर अनुग्रहीत किया।

प्रारम्भ के चरणा में सरकार ने भारतीयों की महात्वाकांक्षा दबाने के लिए कुछ कठोर कानून बनाए। 1910 के 'प्रेस एक्ट' 1911 के 'सेडिशनस मीटिंग्स एक्ट' और 1913 के 'क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट एक्ट' का उद्देश्य इसी दिशा में कारवाई करना था। 1915 का डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट सचमुच ऐसा घनघोर कदम था जिसके अतगत क्रांतिकारी अपराधियों पर अति कठोर 'यायाधीणा' द्वारा मुकदमा चलाया जाने लगा। इन 'यायाधीणा' के निणय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। पर सरकार के भारत के स्वतन्त्रताप्रेमियों के विरुद्ध दुदमनीय व्यवहार ने उसकी शक्ति में बद्धि ही की। सरकार ने जितनी ही अधिक उह सजायें दी उनकी प्रतिष्ठा में उतनी ही बद्धि हुई और जनता में उतनी ही जागरूकता में बद्धि हुई।

विदेशों में भी भारतीयों की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। जिन देशों में वे रहते वे वहाँ की सरकारें इनके प्रति भेदभाव और अपमान की नीति अपना रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि उनके साथ इस व्यवहार का आधारभूत कारण भारत की दासता है और जब तक यह चलता रहेगा उह किसी भी देश की सरकार से प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी। मार्च 1913 में अमेरिका में वाशिंगटन नामक स्थान पर कुछ भारतीयों ने एक सम्मेलन किया और 'हिन्दी एशोसियेशन' की स्थापना की जिसे बाद में 'गदर पार्टी' के नाम से जाना गया। इसकी चर्चा हम पहले ही कर आये हैं।<sup>1</sup> बाबा सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, अम्बाला के पंडित कासीराम इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। नवम्बर 1913 में पार्टी ने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना प्रारम्भ किया जो हिन्दी गुरुमुखी, उर्दू और मराठी में छपता था। यह समाचार पत्र अर्जेंटाइना, फिजी आस्ट्रेलिया, यूजीलंड, जर्जीबार पूर्वी भारत, स्याम, मलाया, बर्मा, चीन और जापान जल्दी ही पहुँचाने लगा और इसी तरह इस दल की शाखायें भी इन देशों में खुल गईं।

भारत में गदर पार्टी के सदस्यों ने जो भूमिका अदा की वह यहाँ दुहराय जाने की आवश्यकता नहीं है। कोमागातामारुकी कहानी, रास बिहारी, एन० जी० पिंगले और भाई परमानन्द की क्रांतिकारी कारवाइयाँ और उनकी 21 फरवरी 1915 का सामान्य विद्रोह की योजना जो दुर्भाग्य से गुप्त नहीं रह सकी सरकार के द्वारा कठोर बदले की भावना व कारवाई का आधार बन गया। ये सब इस पार्टी की देन थी।

1 पन्नाट के साइड हाइडिज बाला अध्याय देखें।



हुए। इसके कारण उनमें जनहितकारी कार्यों में रुचि उत्पन्न हुई और इसमें राष्ट्रवादी आन्दोलन को उसाहित किया।

इसमें अतिरिक्त के० टी० पाल ने लिखा है कि, "युद्ध का एक प्रभाव यह भी हुआ कि भारत का दी गई शरणीय एकान्तिकता से काफी मात्रा में मुक्ति मिल गई जिसमें ब्रिटेन ने उसे 150 वर्षों से घेर रखा था।" जब भारतीयों ने ब्रिटिश सैनिकों से कंधा में कंधा मिलाकर लड़ाई की और फास में उह नायक जैसा सम्मान मिला तथा उह प्रजातंत्र का रक्षक कहा गया तो उन पर स ब्रिटिशों का जादू उतर गया और भारत वापसी पर वे कतई ब्रिटिशों की उच्चता बेलन के लिए तैयार नहीं थे। के० टी० पाल ने इस सदन में लिखा है, 'यदि निष्पक्ष निकालना हो तो यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में भारतीयों को पश्चिमी सस्कृति का इसकी दुखात सीमाओं तक समथन का अवसर प्रदान किया और इसकी साहसपूर्ण सभावनाओं में अतत भारत को आर राष्ट्रों की समता पर साकर खडा कर दिया एव उसके समक्ष चुनौतिया प्रस्तुत कर दी जिसमें वह विश्व की जाशाओं के अनुरूप अपन को योग्य सिद्ध कर सक।"<sup>1</sup>

पर कौटमैन ने लिखा है कि यदि युद्ध में भी छिडता तो भारत में जो कुछ 19वीं सदी के मध्य से हुआ उसने यह निश्चित कर दिया था कि दर-सवेर यह भी उसी राजनतिक रास्त पर चलेगा जिस पर ब्रिटिश डामिनियम चले ह। युद्ध ने चाल को तेज करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया।" पर यह भी युद्ध की दिशा में कम महत्त्वपूर्ण देन नहीं है।

लखन इस सबाध में एस० आर० शर्मा के मत का भी प्रस्तुत करने के लिए क्षमा चाहेगा 'युद्ध में नैतिक मूल्यों की स्वीकृति और आत्म निणय के सिद्धान्त में भारतीय जनमत का गहराई में प्रभावित किया। यदि लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही थी कि विश्व का प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित कर दिया जाय तो यह आशा की जाती थी कि भारत भी स्वशासन के पथ पर आ जायेगा। यदि आत्मनिणय का सिद्धान्त राजनतिक दृष्टि में स दवे तुर्कों साम्राज्य के अरवा पर लागू किया जाना था तो इस पर जार दिया गया कि इस भारत पर भी लागू किया जाय।"<sup>2</sup>

राजनतिक मुधारों की माग की गई पर उत्तर में यह कहा गया कि युद्ध की समाप्ति तब भारत प्रतीक्षा करे। पर यह कठिनाई में भारतीयों को सतुष्ट कर सबा। वी० चिरोल जैसे लोगो का अनुत्तरदायित्वपूर्ण भाषण भी भाग सगान वाला सिद्ध हुआ। उसमें कहा था "भारत में हमारी उपस्थिति का औचित्य यह

1 दवे पाल के० टी० द ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया, (1927) प० 140।

2 को मैन जान इंडिया द रोड टु सेल्फ गवर्नमेंट, प० 39-68।

3 शर्मा पूर्वोद्धृत, प० 354।

है कि उससे सारी दुनिया की 1/5 जनसंख्या को, जो विभिन्न जातियाँ और वर्गों में विभाजित है, शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत में स्वशासन की स्थापना का अर्थ इसे शक्तिशाली प्रभुसत्ता में परिवर्तन करना है।<sup>1</sup> इस भारतीय युद्ध तीव्र हो गया। युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के एक सघन बनाने का जो प्रस्ताव जाया उसमें भारतीयों का कठिनाई हुई क्योंकि उस स्थिति में तो भारत और ब्रिटिश उपनिवेशों का भी अनुगामी बन जायगा जहाँ के लोग भारतीयों से रंग के आधार पर घणा करत थे। इस कारण भारत सुधारों की माँगों को लेकर और गम्भीर हो गया। आइरिश समस्या का समाधान खोजा गया था और युद्ध काल ही में 1918 में वहाँ सुधार किया गया था। इस कारण भारत में सुधार राखने का कोई औचित्य नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में लार्ड चेम्सफोर्ड भारत आया।

### माटग्यु घोषणा

गृह अधिकारियों के साथ सर्वधानिक सुधारों के मसल पर चेम्सफोर्ड को तुरंत कारवाही करनी थी। और चूँकि इसकी सूचना हो गई इसलिए हर ओर से इस सुधार के सम्बन्ध में तमाम प्रस्ताव आने लगे। इन योजनाओं का विस्तृत अध्ययन जो तत्कालीन राजनैतिक जागरण का सबूत था, इस पुस्तक का सैंकड़ा पृष्ठ ले लेगा इसलिए उसका संक्षिप्त परिचय ही यहाँ दिया जा रहा है।

उन लोगों में जिन्होंने सुधारों की अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की उनमें इम्पीरियल लेजिस्लेचर के 19 सदस्य भी थे जिनमें मि० जिन्ना, श्री निवासचारी और सुरेन्द्रनाथ बेंनर्जी भी थे जिन्होंने 1916 के एक स्मृतिपत्र में घोषणा की 'हमारी आवश्यकता केवल अच्छे सरकार की और कार्यक्षम प्रशासन की नहीं है बल्कि ऐसी सरकार की है जिसे जनता स्वीकार करे क्योंकि वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी है।' स्मृतिपत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी माँग की गई कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाय। प्रांतीय कौंसिलों को भी बढ़ाने को कहा गया और यह कहा गया कि भारत को आर्थिक क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाय। उपरोक्त स्मृतिपत्र को अक्टूबर 1916 में प्रकाशित किया गया, जबकि उसी वर्ष दिसम्बर में कांग्रेस और लोग की एक संयुक्त योजना में सम्राट से तुरन्त एक घोषणा करने को कहा गया जिसमें यह कहा जाय कि "ब्रिटिश नीति का यह उद्देश्य और ध्येय है कि भारत में जल्दी ही स्वशासन की स्थापना की जाय।' इस योजना की कुछ विशेष बातें ऊपर बताई जा चुकी हैं। गाँधी का राजनैतिक विधान<sup>2</sup> 1915 में तैयार

किया गया जिसमें प्राप्ता में स्वायत्तता की मांग की गई थी और इम्पीरियल लेजिस्लेचर में "सरकार की नीति को विचार-विमर्श द्वारा प्रभावित करने व सेना तथा नवसेना सम्बन्धी प्रश्नों का और प्रश्नों के स्तर पर लाने की मांग की गई।" भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोड ने भी मई 1916 में यह योजना प्राप्त की जो राउण्ड टेबुल ग्रुप ने तैयार की थी। इसे 1906 में लाइनेल कर्टिस ने प्रारम्भ किया था और अब इसकी शाखाएँ 'यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैण्ड में स्थापित की गईं।

ऐसा वातावरण था जब भारत के सफ्रेट्री आफ स्टेट आस्टिन चैम्बरलेन ने भारत के लिए सुधार हेतु एक मसविदा तैयार किया। पर चैम्बरलेन प्रतिक्रियावादी था और सेण्ट वडरबन ने भूषेन्द्रनाथ बसु को लिखा, "मुझे तो डर लगता है, इस शासन से हमें अधिक आशा नहीं करनी चाहिए।"

इन कारवाइयों और घटनाओं के ही बीच भारत के भाग्य से, मेसोपोटामिया में होने वाली अनधिकारी घटनाओं ने पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को कण्ठ में सराबार कर दिया। भारत सरकार द्वारा तुर्की के विरुद्ध छेड़ा गया पूर्ण अभियान मेसोपोटामिया में धरा का धरा रह गया। पूरा ब्रिटिश ध्यान अब भारतीय सरकार की ओर आकर्षित हो गया और इसके कारण मि० चैम्बरलेन की सरकार का पतन हो गया। एक ससदीय आयोग की इसके लिए नियुक्ति की गई कि वह पतन के कारणों का पता लगाये। भारत में सरकारी ढाँचे की गहराई से परीक्षा की गई। इससे भी देश में जनमत की जानकारी का अवसर सामने आया। आयोग ने अति केन्द्रित और अनुत्तरदायी भारत सरकार की भत्सना की जो इसकी दृष्टि में पूर्णतया बदल देने के योग्य थी। इसके एक सदस्य जोसिया वेजवुड ने सन्तुति दी कि भारतीयों को अपने देश में प्रशासन का एक विशेष उत्तरदायी भाग सौंपा जाना चाहिए। माटेग्यु, जो बाद में भारत के सफ्रेट्री आफ स्टेट हो गये, ने घोषणा की कि, 'भारत सरकार हमारी दृष्टि में आधुनिक उद्देश्यों के विल्कुल योग्य नहीं है।'<sup>1</sup>

भारत में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। के० टी० पॉल ने लिखा है 'मा टेग्यु की बुद्धि में दर होने से पहले ही स्थिति को सम्भाल लिया।'<sup>2</sup> 12 जुलाई 1917 को माटेग्यु का भारत का सफ्रेट्री आफ स्टेट का पद प्रदान किया गया और एक द्वार उसके पूर्वाधिकारी द्वारा बनाई गई योजना पर विचार किया गया। मसविदा में 'स्वशासन' शब्द का प्रयोग किया गया था पर दुर्भाग्य

1 देखें स्मिथ, हब्बू० आर० स्पोजर आफ माटेग्यु वाले, एस० डी० मद्रविन माटेग्यु।

2 पान एडिशन प० 121-23।

से जब यह भूतपूर्व गवर्नर जनरल लाड कजन के हाथों से होकर गुजरा तो 'स्वशासन के स्थान पर 'उत्तरदायी सरकार' शब्द का प्रयोग कर दिया गया। लाड कजन ने अपनी बहूबल इसलिये दाग दी थी जिससे वह भारत की राजनैतिक जागरूकता के धन को लूट सके। पर उसकी अज्ञानता आश्चर्यजनक थी। उसने यह नहीं समझा कि उत्तरदायी सरकार का अर्थ ससदीय सरकार होता है और इस तरह वह भी स्वशासन ही है। कजन का जीवन गांधीनार रोनाल्डशे लिखता है, 'फिर लाड कजन का दृष्टिकोण क्या था? 'उत्तरदायी' शब्द का उसके द्वारा 'स्वशासन' के स्थान पर प्रयोग करने का अर्थ ही यह है कि दोना का अर्थ एक नहीं था। इसका एक ही अर्थ रहा होगा कि यह एक ससदीय प्रणाली थी जिस सरकार स्थापित करना चाहती थी। क्या उसने इसकी अनुभूति की? यह दुःख की बात है कि उसने ऐसा नहीं किया।'<sup>2</sup>

जो भी हा, जब मसविदा तयार हा गया ता 20 अगस्त 1917 को माटेग्यु ने हाउस आफ कामन्स में ऐतिहासिक घोषणा की—

'ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूणतया सहमत है, प्रणामन में भारतीया को अधिक से अधिक निकट लाने की है। स्वशासकीय सस्थाआ का विकास भी हमारा उद्देश्य है जिससे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार स्थापित हा सके। उन्होंने यह निणय किया है कि इस दिशा में शीघ्र ही अति आवश्यक कदम उठाये जाय हमारा मत है कि इस नीति में प्रगति चरणों में होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिनके कंधों पर भारतीय जनता का हित और विकास आधारित है उन्हें प्रत्येक प्रगति और काल की जानकारा होनी चाहिए और उन्हें उन लोगों से दिशा प्राप्त होनी चाहिए जिन्हें उत्तरदायित्व सौपा जाना है तथा उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि किस सीमा तक उनमें विश्वास व उत्तरदायित्व का कार्य सौपा जा सकता है।'

महत्त्व — इस घोषणा का मूल्यांकन बहुत अधिक नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित सीमा में ही इस घोषणा में वादे किये गये जो इस तरह से थे—(1) कि भारतीया का प्रशासन से और अधिक जोडा जायगा, (2) कि स्वशासन वाली सस्थाआ का धीरे धीरे विकसित किया जायेगा, (3) कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना उनका अन्तिम उद्देश्य है, (4) कि इस दिशा में आवश्यक कदम तुरत उठाये जायेग (5) कि अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति चरणों में की जायगी (6) कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार को ही यह निणय करने का अधिकार होगा कि वे इस विकास के समय और कारवाई का निणय करें और, (7) कि इस नीति में उत्तरदायी भारतीय

नेताआ से सहायता प्राप्त होगी और वे उत्तरदायित्व को वहन करने को भी तैयार हाने ।

एस० आर० शर्मा ने विचार व्यक्त किया है कि, 'इस घोषणा न भारत क सर्वैधानिक इतिहास के एक अध्याय को बन्द कर दिया और दूसरे का प्रारम्भ किया । उदबुद्ध निरकुशता मर चुकी थी भारत के स्वराज के अधिकार को मान लिया गया और निरकुशता को सर्वैधानिक सरकार को उत्तराधिकार सौंपना था इस तरह सभी क्या आर क्यों की बात भुला दी गई और इस घोषणा का सभी राजनैतिक दलों ने स्वागत किया ।'<sup>1</sup>

घोषणा ने बतल दिया कि दुनिया किस तरह अपनी कीली पर घूम रही थी और भारतीय राजनैतिक आ दोलना का इस पर कितना प्रभाव पडा । 1908 म ही सेक्रेट्री आफ स्टेट मोर्ले ने यह घोषणा कर दी थी, "एक ससदीय व्यवस्था हमारा गतव्य नहीं है जिसकी ओर एक क्षण भी हमारी दृष्टि हो । मोर्ले के उत्तरधिकारी लाड क्रिव ने निश्चित रूप से भारत म स्वशासन से मुह मोड लिया । पर माटेग्यु न भारत मे 'उत्तरदायी सरकार' का वादा करते हुए कहा यही ब्रिटिशो का भी अन्तिम उद्देश्य है ।"

देश मे हिन्दू मुस्लिम एकता ने भी इतना महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामन ला दिया था । इसी कारण इससे विभिन्न भारतीय सप्रदायो को एक दूसरे के निकट आने की प्रेरणा प्राप्त हुई । वे अब कधे से कधा मिलाकर अन्तिम स्वतन्त्रता के लिए समुक्त लडाई की बात सोचन लगे ।

उग्रवादी कम प्रोत्साहित नहीं हुए । उनके लिए यह उग्रवादिया की विजय थी । यह उनके लिए अपनी तलवारें तज करके तयारी करन, सडन और अन्तत उस उद्देश्य को प्राप्त करना था जिसे तिलक ने अपना 'जममिद्ध अधिकार' बताया था ।

इस घोषणा का सबसे अधिक महत्व यह था कि प्रत्येक भारतीय का यह स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भारत के लिए स्वशासन मिलना अब सम्भव हा गया है । बाद के भारतीय नेताओ न इसी घोषणा का उदाहरण दे-देकर यह कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है । इस घोषणा न उह नतिक उत्साह प्रदान किया और वे अपन राजनैतिक अधिकारा के लिए सडे ।

भारत के इतिहास म सचमुच यह घोषणा एक महत्वपूर्ण घटना थी । 20 अगस्त 1917 मे इसकी घोषणा से आधुनिक भारतीय इतिहास म एक नय युग का सूत्रपात हुआ । कुछ काल के लिए इसन भारत के गम्भीर वातावरण का हल्का कर दिया और आगे के लिए दश को गम्भीर और उद्देश्यपूर्ण राजनतिक

लड़ाई के लिए तैयार किया। हर व्यक्ति भारत में घारा ओर देखने लगा, लोगो के चेहरे पर प्रसन्नता और सतोष झलकन लगा, और लागान यह अनुभव किया कि अतत भारत सफलता की चोटी पर चढ गया है। वस अभी और ऊची पहाडियो पर चढकर विजय प्राप्त करनी थी जिसस भारत व स्वतंत्रता की सूर्य-किरणों का दशन किया जा सके।

कुछ कट्टर और प्रतिक्रियावादी लोग थे जिन्होंने भारत को इतना दिया जाना उचित नहीं समझा। ऐसे लोगो में सर रेजीनल्ड ब्रडव एक था। उसने कहा, "लाड बजन द्वारा आवश म जोडे गये शब्द उत्तरदायी सरकार' के अतिरिक्तन थी। इस घोषणा में दोष थे। उसने इच्छित दिशा की ओर आगे बढ़न हेतु महत्वपूर्ण वादे पहले ही कर दिये और माटेग्यु का लाड चेम्सफोर्ड की सहायता सहित जाच पडताल का काय धाद में सौंपा। उसने यह भी जानने की चपटा नहीं की कि क्या निकट भविष्य में इस तरह के कदम उठान की आवश्यकता भी है। इसने राजाओ और सरदारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यहा तक कि उनकी चचा भी नहीं की, कि क्या वे भी किसी योजना में सहयागी हो सकत हैं। इसने यह भी नहीं बताया बिना शिक्षा के पूण प्रसार के और जातीय व धार्मिक विरोध भावना की समाप्ति के कोई राजनतिक प्रगति का कदम उठाना उचित नहीं होगा। माटेग्यु ने निणय पहले घोषित कर दिया और उसके विषय में छानवीन धाद में प्रारम्भ की। उसने खभा बनाना पहले प्रारम्भ कर दिया और कीमत आकनी बाद में प्रारम्भ की।"

पर कुछ भारतीयों के हितेच्छु ऐसे भी थे जिनकी दृष्टि में घोषणा न सकारात्मक पक्ष को सतुष्ट नहीं किया। माटेग्यु ने अधिक किया था, पर यह पयाप्त नहीं था। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया कि कब तक भारत अपने गतव्य पर पहुच जायेगा। इसके लिए कोई परिभाषा नहीं बनाया गया जिससे कि यह पता चल सके कि आर सुधार के लिए स्थिति आ पहुची है। यह भारत के लिए सचमुच अपमानजनक ही था कि ब्रिटिश उस निणय को लेने के अधिकारी थे कि भारत एक निश्चित तरह की सरकार बनाने के योग्य है या नहीं। भारत की आवश्यकता तुरत स्वशासन की थी और इन परिस्थितियों में, जैसा एनी बेसेट ने लिखा है, जो कुछ प्रदान किया गया, वह "इंग्लड द्वारा न तो दिए जाने योग्य था और न भारत द्वारा स्वीकार करन योग्य।"<sup>1</sup>

पर फिर भी घोषणा महत्वपूर्ण थी, और इसमें भी माटेग्यु को देश में अधिक समर्थक नहीं मिले न तो इंग्लड में और न भारत में।

1 सीतलवाड रीकलेक्शंस एण्ड रिपलक्शंस प० 29 33।



## 1919 का गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट

10 नवम्बर 1917 को माटेग्यु भारत आया वाइसराय लाड चेम्सफोड से बातचीत की और कांग्रेस व लीग के उच्च नेताओं से बातचीत की तथा भारत सरकार के कुछ प्रमुख अधिकारियों से राय मशविरा किया। एक समिति बनाई गई जिसके सदस्य सर विलियम डयूक, अल आफ डानोफर्मन, भूपेन्द्र नाथ बसु और चार्ल्स राबर्ट थे। इस समिति ने वाइसराय सहित सेक्रेट्री आफ स्टेट को सहायता करके एक मसविदा तैयार कराया जिसे मोण्टफोर्ड योजना कहा जाता है। इसी योजना के आधार पर बाद में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का बिल तैयार किया गया जो 1919 में एक ऐक्ट के रूप में स्वीकार किया गया।

ऐक्ट की धाराओं के विवेचन से पूर्व यह जानना सूचना योग्य होगा कि माटेग्यु के भारत में छानबीन की प्रगति बहुत सुविधापूर्ण नहीं थी। माटेग्यु ने भारत के लिए कुछ कर गुजरने की भावना थी, जबकि जिनसे वह घिरा था, ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वाइसराय लाड चेम्सफोड भी अनिच्छुक लगते थे। प्रश्नों का उत्तर वे बड़े नैराश्यपूर्ण भाव से देते थे जैसे, 'मुझे डर है ऐसा नहीं है,' या, 'मेरी इच्छा है काश, ऐसा होता, पर मुझे डर है।' 17 दिनों तक उसके साथ काम करने के बाद 27 नवम्बर को माटेग्यु ने अपनी डायरी में लिखा, "चेम्सफोर्ड मेरी योजना के पक्ष में मजबूत हाता लगता है।"<sup>1</sup>

### आमुख

ऐक्ट ने अपने आमुख में वे सिद्धान्त प्रस्तुत किये जिसके आधार पर इस देश में धीरे-धीरे सुधार किये जाने थे। ये सिद्धान्त लगभग 20 अगस्त 1917 की घोषणा से लेकर दुहरा दिये गये थे। आमुख के विवेचन से निम्न बातें सामन आती हैं—(1) ब्रिटिश भारत "साम्राज्य का अभिन्न अंग" बना रहेगा। (2) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य इस देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। (3) "इस नीति को प्रभावी चरणों में ही बनाया जा सकता है।" (4) 'प्रत्येक प्रगति का समय और तरीका ससद' द्वारा ही निश्चित हो सकेगा जिसमें (5) ससद दो सभ्यों से निर्देश ग्रहण करेगी। (अ) सेवा का जो नया अवसर लोका को दिया जायेगा उनके सहयोग पर और (ब) "जिस सीमा तक उनमें विश्वास किये जाने योग्य हो या उत्तरदायित्व सौंपा जाने योग्य हो।" और (6) स्वशासन के विकास के लिए दो चीजें आवश्यक हैं (अ) "भारतीयों का भारतीय प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता सहयोग" और (ब) धीरे धीरे "स्वशासी सस्थाओं का विकास।'

आमुख की महत्ता यह थी कि माटेग्यु न जिसकी पहले ही घोषणा कर रखी थी उसे अब निश्चित वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। ब्रिटिश संसद की सप्रभुता भारत पर पुनः हावी मान ली गई और देश को स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया गया कि काय करने का रास्ता क्या होगा ?

आमुख में यह भी घोषित किया गया कि "यह उपयुक्त होगा कि इस दशक में महत्वपूर्ण कदम अब उठाये जाय।" इसका निम्नलिखित स्वरूप था।

### गृह सरकार

1916 के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 'भारत पर शासन दिल्ली और शिमला से किया जाना चाहिए, ह्वाइटहाल या डार्जनिंग स्ट्रीट से नहीं।' या दूसरे शब्दों में यह आवश्यक माना गया कि सेक्ट्री आफ स्टेट और उसकी कौंसिल के निरकुश मत को घणतया भारतीय मामलों में न माना जाय। इस तरह के सुधार की आवश्यकता और लोगों ने भी अनुभव की और इस एकट ने कुछ इस क्षेत्र में भी किया।

इस तरह भारत के सेक्ट्री आफ स्टेट की शक्ति कम कर दी गई और ऐसे तमाम मामलों जिसमें उसके सदस्यों की आवश्यकता पहले रहा करती था उस बाट दिया गया। जहाँ अभी तक प्रत्येक कानून, चाहे वह केन्द्रीय कौंसिल में साया गया हो या प्रांतीय कौंसिल में अब केवल केन्द्रीय कौंसिल के करेसी, सावजनिक श्रृण, चुगी, सनिक मामले और वैदेशिक मामले ही उसके पास प्रेषित किये जाते थे। प्रांतीय मामलों में उन मसलों पर उसका हस्तक्षेप समाप्त हो गया जो अधिकार के द्वाड़े प्रांतीय को सौंप दिये थे। प्रांतीय के आर्थिक मामलों में उसकी पकड़ कम कर दी गई और प्रांतीय में प्रस्तुत किये जाने वाले बिल फिर से ही उसके पास भेजे जाते थे। इस सबंध में अधिकतर अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिये गये। इसके अतिरिक्त उस पर संसद के प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए यह तय हुआ कि अब उसका वेतन भारतीय राजस्व से नहीं दिया जायगा बल्कि ब्रिटेन सरकार उसे देगी।

भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का नया पद सृजित किया गया और सेक्ट्री आफ स्टेट के कुछ काय उसे सौंप दिये गये। हाई कमिश्नर कौंसिल में गवर्नर जनरल का एजेंट माना गया जिससे भारत सरकार नियुक्त करती थी और अपने खाते पर वेतन प्रदान करती थी। हाई कमिश्नर को जो काय सौंप गये व अधिकतर औपचारिक थे। वैसे सेक्ट्री आफ स्टेट से व्यापारिक और कुछ कम अधिकार भी उसे प्राप्त हो गये। इस तरह वह भारत के लिए इंग्लैंड में मशीनरी और स्टोर के सामान की खरीद करता था। वह इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के हितों को भी देखता था। उसका कामकाल 6 वर्ष का होता था।

हाई कमिश्नर के पद की महत्ता यह थी कि इससे भारतीया की प्रतिष्ठा की भावना को मनुष्य होने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। पर यह ऐसा कर नहीं सका। इस तरह से नियुक्त होना वाला हाई कमिश्नर केवल भारतीय जनता का ही प्रतिनिधि तो था नहीं। यह गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल स्वयं ताज का प्रतिनिधि था। स्पष्ट है कि हाई कमिश्नर किमवा प्रतिनिधित्व और हित साधन करता रहा होगा। सेक्रेट्री आफ स्टेट के अधिकारों में भारतीयों की इच्छानुसार कटौती भी नहीं हुई थी।

एक्ट ने सेक्रेट्री आफ स्टेट की कौंसिल की रचना में भी कुछ परिवर्तन किया। इसकी सदस्यता कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। इसके आठे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों। सदस्यों का वेतन जो 1907 में घटा दिया गया था उसे 1,000 पौंड वार्षिक में बढ़ाकर 1200 पौंड कर दिया गया। उनके अधिकार भी बढ़ा दिये गये क्योंकि अब आवश्यक, गुप्त और अन्य विषयों में विभाजित मामलों का अंतर जा सेक्रेट्री आफ स्टेट व गवर्नर जनरल के बीच पत्र-व्यवहार में आता था, समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में अब सभी मामले कौंसिल के सामने रखे जायेंगे। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

कौंसिल में किया गया परिवर्तन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सेक्रेट्री आफ स्टेट के व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर अब समिति के सम्मिलित भाव को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया।

### केन्द्रीय कार्यालयों

केन्द्रीय कार्यालयों और लेजिस्लेटिव कौंसिलों की रचना और कार्य में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये। पहले कार्यालयों पर दृष्टिपात करें जिसकी संख्या 6 थी इसमें भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। ये सदस्य 5 वर्ष तक के लिए होते थे और उनके पास विधि, शिक्षा, श्रम स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विभाग होते थे।

एक्ट में दो विषय सूचीबद्ध थे एक केन्द्रीय, दूसरी प्रांतीय। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के थे या जो एक प्रांत से अधिक से अधिक प्रभावित होतें थे जसे विदेश, रक्षा राजनतिक संबंध, पास्ट व टेलीग्राफ, सावजनिक ऋण आवागमन नागरिक व अपराध कानून आदि केन्द्रीय सूची में आते थे। इसके अतिरिक्त जो केवल प्रांतीय महत्व के थे जैसे सावजनिक स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन, शिक्षा औषधि प्रशासन भूगर्भ प्रशासन, जल पूर्ति, दुर्भिक्ष निवारण, शान्ति व व्यवस्था, कृषि आदि प्रांतीय सूची में आते थे।

पर केंद्रीय कायकारिणी कौंसिल में परिवर्तन पूरे नहीं हुए थे। वैसे तो भारतीया को कायकारिणी के कार्यों के साथ जोड़ने का काय बढ़ाया गया, उनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई पर उन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग सौंप गए। इन सदस्यों को लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी भी नहीं बनाया गया चूंकि य ब्रिटिश शक्ति से अधिकार प्राप्त करते थे इसलिए इनमें से अधिकतर वाइसराय की हां हजूरी करन वाले होते थे। कोई भी अविश्वास का मत उन्हें हटा नहीं सकता था और चूंकि वे केवल अपन प्रति उत्तरदायी थे इसलिए वे केवल अपन स्वाय के लिए काय करते थे।

दोना विषया का विभाजन भी सोच विचार करके नहीं किया गया था। इनमें परस्पर व्यापकता थी और जहां भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रान्ता को सौंप दिये गये थे व्यापार जैसे कम महत्वपूर्ण विभाग केंद्र के पास रख दिये गए थे। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय उद्देश्य के लिए जा विभाग प्रान्ता को सौंप गए थे आवश्यक रूप से इसे विधायिका उद्देश्य से भी नहीं किया गया था। इस तरह उदाहरणाय जल आपूर्ति और स्वशासी संगठना को, जिन्हें प्रांत के अधीन रखा गया था इनके कानून केंद्र से पारित होते थे प्रान्ता से नहीं।

मुख्य कायकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में बनी रही। वह राज्य का अध्यक्ष था, इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि था और लगातार भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट के पत्र के माध्यम से संपर्क में रहता था। कौंसिलरों पर उसका पूरा नियंत्रण था देश सबंधी उसके पास विस्तृत अधिकार थे। पर प्रान्तीय मामला में उसके अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। उसकी नियुक्ति में भारतीयों की इच्छाओं व अभिलाषाओं का तनिक भी स्थान नहीं प्राप्त होता था।

पर इस सबंध में जो थोड़ी प्रगति की गई थी वह बहुत थोड़ी थी। कायकारिणी के कार्यों में तीन भारतीया का रखा जाना बाई छोटी सफलता नहीं थी और एक बार जब यह हो गया था तो अपनी प्रतिनिधित्व शक्ति बढान में बहुत कठिनाई नहीं थी।

### केंद्रीय विधायिका

पर और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सेट्रल लेजिस्लेटिव कौंसिल से सम्बंधित थे जिसे अब और अधिक शक्तिशाली व प्रतिनिधित्वपूर्ण बना दिया गया था। एक सदनीय इम्पीरियल कौंसिल के स्थान पर अब द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई जिसमें से एक कौंसिल आफ स्टेट्स और दूसरी सेट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली कहलाती थी।

'कौंसिल आफ स्टेट्स' जो उच्च सदन था, उसमें 60 सदस्य होते थे। इनमें से 27 नामित किये जाते थे और 33 चुने जाते थे। इस तरह चुने गए तत्व का

बहुमत हो गया। 27 नामित होने वाले लोगों में से 17 सरकारी और 10 गैर सरकारी होने थे। जबकि 33 चुने गए सदस्यों में से 16 गैर मुसलमानों के प्रतिनिधि और 11 मुसलमानों के प्रतिनिधि 3 यूरोपीयों के, 2 अज्ञातप्रदायिक तत्वों के प्रतिनिधि और 1 सिख होने थे।

कौंसिल 5 वर्ष के लिए चुनी जाती थी, इसका प्रेसीडेंट वाइसराय द्वारा नामित हाना था और इसके सदस्य 'हानरेबुल' कहलाते थे। महिलाएँ इसकी सदस्यता नहीं हो सकती थीं। गवर्नर जनरल सभा में भाषण दे सकता था और वह इसकी बैठक बुला सकता था। इस स्थगित कर सकता था और इसे समाप्त कर सकता था।

मताधिकार अत्यधिक सीमित था। उदाहरणार्थ 10 हजार रु० वार्षिक आय पर आयकर देने वाले या 750 रु० वार्षिक भूराजस्व दान वाले ही मताधिकारी होते थे। इसके अतिरिक्त उनकी याग्यतायें थी कि वे युनिवर्सिटी के सीनेटर हों, या उर्दू भारत के किसी लेजिस्लेटिव कौंसिल में कार्य करने का पुराना अनुभव हो या उसे कोई पद प्राप्त हो। मताधिकार कितना सीमित था इसी से स्पष्ट है कि भारत की पूरी आबादी में से कुल 17,364 लोगों को कौंसिल आफ स्टेट के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

'लेजिस्लेटिव असेम्बली' जो निम्न सदन थी, इसके सदस्यों की संख्या 145 थी। इनमें से 104 चुने जाते थे और 41 को नामित किया जाना था। 104 चुने गये सदस्यों में से 52 सामान्य क्षेत्रों से चुन जाते थे, 30 मुस्लिम, 2 सिखा, 9 यूरोपियनों, 7 जमींदारों और 4 व्यापारियों द्वारा चुन जाते थे। 41 नामित सदस्यों में से 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी लोग नामित होने थे।

एसेम्बली 3 वर्ष के लिए होती थी। इसका प्रथम प्रेसीडेंट गवर्नर जनरल नामित करता था जो 4 वर्ष तक कार्य करता था जिसके बाद एसेम्बली का स्वयं प्रेसीडेंट चुना जाता था। गवर्नर जनरल एसेम्बली में भाषण दे सकता था। इसकी सभा बुला सकता था, स्थगित कर सकता था और सदन का समाप्त कर सकता था।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली के लिए भी मताधिकार बहुत सीमित था। प्रान्त प्रान्त में यह अलग भी था। इसके लिए जो यूनानम याग्यता थी उम्र या किमतदाता के अधिकार में या उम्रका अपना स्वयं का ऐसा मकान हो जिसका किराया कम-से कम 180 रु० मूल्य का हो या वह 15 रु० वार्षिक म्युनिसिपैलिटी का कर दे रहा हो या 50 रु० वार्षिक भूराजस्व अदा कर रहा हो। इस तरह केवल संपन्न और संपत्ति वाले लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था, श्रम का नहीं। 1920 के एसेम्बली के चुनाव में 9,09,874 से अधिक मतदाता नहीं थे।

अलग-अलग प्रांता में जो सीटें प्रदान की गईं वह उनके तथाकथित महत्ता के आधार पर की गईं जनसंख्या के आधार पर नहीं। छोटे प्रांता की ओर अधिक ध्यान दिया गया और अल्पसंख्यका को भी अधिक मुविधा प्रदान की गई।

### केन्द्रीय विधायिका के अधिकार

यह आशा थी कि उपरोक्त ढंग में रची गई द्विसदनीय केन्द्रीय विधायिका को विस्तृत अधिकार प्राप्त होंगे। इसे पूरे ब्रिटिश भारत, भारतीय जनता, सरकारी कर्मचारियों का वह देश में या विदेश में, के लिए कानून बनाने का अधिकार था। पहले से बन हुए कानून को यह वापस ले सकती थी या उसमें परिवर्तन कर सकती थी।

विधायिका के सदस्य विधि बनाने में नियमानुसार सहयोग दे सकते थे। वे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे या त्याग का प्रस्ताव ला सकते थे। उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था। भाषण का अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

पर विधायिका पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। कुछ मामला में बिल प्रस्तुत करने पर गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। उदाहरणार्थ (1) पूर्वकालीन किसी कानून के वापसी या परिवर्तन के संबंध में या गवर्नर जनरल के आर्डिनंस के संबंध में, (2) विदेश से संबंध और भारतीय राज्या से संबंध के मामले, (3) सेना जल सेना या नौसेना के अनुशासन या व्यवस्था के मामले (4) सांख्यिक ऋण और राजस्व एंव, (5) धर्म धार्मिक परंपरायें और जनता की परंपरायें। इसके अतिरिक्त, यदि गवर्नर जनरल को लगे कि किसी बिल या उसके किसी भाग का 'प्रभाव ब्रिटिश भारत की सुरक्षा और शांति पर पड़ सकता है या उसे विचार करने से रोक सकता था।'

भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी कानून को न तो परिवर्तित कर सकती थी और न वापस ले सकती थी, और न वह ऐसा कुछ कर सकती थी जिससे कि अधिकार पर प्रभाव पड़ता है या इंग्लैंड के अतिरिक्त विधान पर असर पड़ता है।

यदि गवर्नर जनरल के मन पर भारतीय विधायिका कोई कानून पारित करने से इनकार करती, तो गवर्नर जनरल इस मस्य पारित कर सकता था। पर इस पर सत्राट की स्वीकृति आवश्यक थी। वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था जो 6 माह तक लागू रह सकता था। इसमें वही शक्ति होती थी जो विधायिका द्वारा पारित कानून में। उसकी स्वीकृति के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता था जिसे वह दोना सदन के पारित करने के बावजूद अस्वीकार कर सकता था और पुनः विचारार्थ इसे सदन के पास वापस भेज सकता था।

बजट के संवध में यह नियम था कि सरकार मांगों के रूप में धन के प्रयोग का प्रस्ताव रखेगी जिसे विधायिका विचार करके पारित करेगी। कुछ ऐसे मद थे जिन पर न तो विचार किया जा सकता था न उस पर मतदान कराया जा सकता था। पर गवर्नर जनरल की अनुमति से यह भी किया जा सकता था। पर ऐसे मद जिस पर विचार भी हो सकता था और मत भी लिया जा सकता था विधायिका की शक्ति सीमित थी। यदि अनुदान अस्वीकृत भी हो जाय तो भी गवर्नर जनरल देश की सुरक्षा और शांति के रक्षाय इसे स्वीकार कर सकता था।

इस तरह स्पष्ट है कि केन्द्रीय विधायिका में ऐसा बहुत कुछ था जो अनिच्छित था। मतदान की योग्यता अत्यधिक ऊँची थी और इसके माध्यम से पूँजीपति, जमींदार और अन्य बड़े लोग ही चुन जा सकते थे। प्रांतों में जो सीटें बाँटी गयीं थी वे भी इच्छानुकूल नहीं थी। एक ही बात जिसकी ओर ध्यान दिया जाता था वह प्रान्त की महत्ता थी जो उसके ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामिभक्ति के फीते से नापी जाती थी या फिर उस प्रांत में व्यापारिक हितास भी उसकी महत्ता बढ़ जाती थी। उदाहरणार्थ बंगाल को 16 सीटें प्रदान की गईं, जबकि उसके आधी जनसंख्या वाले बम्बई को भी 16 सीटें दी गईं। ऐसा उसकी व्यापारिक महत्ता के कारण किया गया। पंजाब को जिसकी जनसंख्या बिहार और उड़ीसा की 1/3 ही थी, उसे 12 सीटें दी गईं। बिहार और उड़ीसा के लिए भी उतनी ही सीटें दी गईं। इसके लिए सैनिक महत्ता का नाम लिया गया। साम्प्रदायिक एलेक्टोरेट जिसकी भत्सना की गई थी उस पंजाब में सिखा को भी प्रदान कर दिया गया। मद्रास में यह गैर ब्राह्मणों को और बम्बई में यह मराठा को प्रदान किया गया।

कार्यों के मामले में यह कहा गया कि विधायिका को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं पर तथ्य यह था कि ये अधिकार इस सीमा तक सीमित थे कि इनका अस्तित्व बेकार था। कुछ मामलों में विल प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता था, जबकि दूसरों में विचार कर सही में इस पर रोक लगायी जा सकती थी या दोना सदन से पारित हो जाने पर भी विल को अस्वीकार किया जा सकता था। गवर्नर जनरल के विधायिका संबंधी अधिकार सचमुच ही निरनुषंग थे। वह एका कानून पारित कर सकता था जिसे सदन ने अस्वीकार कर लिया था। वह अध्यादेश भी घोषित कर सकता था जिसमें कानून की पूरी शक्ति होती थी। बजट के मामले में भी जहाँ कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे वही दूसरे हाथ से इन छीना भी गया था। कुछ मदों पर विचार करना ही मभव नहीं था और यदि गवर्नर उमम बटौती भी कर देती तो गवर्नर जनरल उसे पूरा कर सकता था। इस तरह इस एकट ने बजट का 60% विधायिका के नियंत्रण के बाहर कर दिया

या, शेष 40% को गवर्नर जनरल स्वयं अपने अधिकार में ले सकता था।

उच्च सदन की निर्णय शक्ति ही नहीं थी कि निम्न सदन की सहायता के लिए की गई है—बल्कि—मालूम यह पड़ता था कि 'उसका पय रोकती थी और सरकार के लिए एक मजबूत किले का काम करती थी।'

फिर भी यह ऐक्ट (1919) निश्चित रूप से 1909 के ऐक्ट में एक सुधार था। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना ने वह आधार बना दिया जिसके आधार पर भारत के भविष्य की राजनैतिक प्रगति हुई। मताधिकार में प्रगति हुई और विधायिका की शक्ति भी इतनी कम नहीं थी कि उसका कोई प्रभाव ही न हो। इसके कुछ सदस्य स्टैंडिंग कमटी पब्लिक एकाउंट्स व फाइनेन्स कमेटी में भी रखे गये जहाँ उन्हें सरकार की नीति को प्रभावित करने का अवसर मिला। चुने गए बहुमत की ओर यदि ध्यान नहीं भी दिया जाता तो भी ये सदस्य सरकार की नीति पर वाद विवाद कर सकते थे, उसके विरुद्ध प्रस्ताव रख और पारित कर सकते थे और प्रश्न कर सकते थे और इस तरह सरकार को चैन से बैठने से रोक सकते थे। यह कल्पना करना कठिन है कि सरकार के अधिक स-अधिक अनुत्तरदायी और ध्यान देने वाले सदस्य भी अपने को इन आलोचनाओं का शिकार होने से कैसे बचा सकते थे।

### प्रांतीय सरकारें

पर इस ऐक्ट की सबसे प्रमुख धारा वह थी जो प्रांतीय प्रशासन से संबंधित थी। ऐक्ट ने अपने आमुख में घोषणा की, 'भारत के प्रांतों में स्वशासी संस्थाओं के विकास के साथ-साथ यह आवश्यक है कि उन प्रान्तों को भारत सरकार द्वारा प्रांतीय मसलों पर पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व का वहन कर सकें। और इस तरह इस ऐक्ट में प्रान्तों में जो परिवर्तन प्रस्तावित किये वे सचमुच दूरगामी थे।

### कायकारिणी सवधी परिवर्तन या द्वितंत्र

प्रांतीय सरकारों में पहले कायकारिणी पक्ष का लिया जाए। इसमें एक नयी पद्धति का प्रारंभ किया गया जिसे हम द्वितंत्र का नाम दे सकते हैं। प्रशासकीय विषय पहले से ही दो सूचियाँ में विभाजित किए जा चुके थे—केंद्रीय एवं प्रांतीय। इसकी चर्चा हम पीछे कर आयें हैं। पर प्रांतीय सूची को भी दो भागों में बांट दिया गया अर्थात्—आरक्षित और स्थानांतरित।

आरक्षित विषय वे थे जो अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते थे, जिनका संबंध प्रांतीय कानून और व्यवस्था से था और जो जनता के हितों से जुड़े हुए थे। ये



विषय गवर्नर के नियंत्रण में रखे गये थे जिससे वह अपनी कार्यकारिणी के नामित सदस्यों के बीच विभाजित कर देता था। ये विषय थे—पुलिस, याय, प्रशासन, मिंचाई व नहरें पानी को एकत्रित करना और पनबिजली, नाली व्यवस्था और बाघ निर्माण, भूमि विकास और कृषि, ऋण, छापेखाना एवं पुस्तकें प्रांतों के साथ पर धन ऋण लेना, जेल और सुधार गृह, जंगल (बर्मा और बम्बई को छोड़कर) श्रम झगड़ों का निबटारा, फक्ट्री, निरीक्षण।

स्थानांतरित विषय वे थे जिनमें स्थानीय ज्ञान की अधिक आवश्यकता थी, जिसमें अधिक भारतीय रुचि थी और जिसमें सामाजिक सेवा की अधिक आवश्यकता थी। ये विषय भारतीय चुने गये सदस्या म स मंत्रिपद पाने वालों को दिए जाते थे। ये विषय थे—भारतीयों की शिक्षा, सावजनिक निर्माण जिसमें सड़कें पुल और म्युनिसिपल ट्रामा का निर्माण हो आता था पर इसमें मिंचाई कृषि और मछली-पालन नहीं आते थे स्थानीय स्वशासन जिसमें म्युनिसिपल कार्पोरेशनों और जिला बोर्डों का नियंत्रण आता था, आबकारी, बर्मा व बम्बई के जंगल सावजनिक स्वास्थ्य सफाई और औषधि प्रशासन—जिसमें औषधि शिक्षा अस्पताल और शरण गृह आते थे, तकनीकी शिक्षा, उद्योगों का विकास और शोध।

कौंसिल में गवर्नर आरक्षित विषयों को अपने नियंत्रण में रखता था जिसके लिए वह सदन के प्रति उत्तरदायी थे और इस कार्य को करने वाले सभी यूरोपीय थे। जबकि स्थानांतरित विषयों में सभी भारतीयों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता था और ये प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे।

स्थानांतरित विषयों के मामले में, ऐक्ट में यह प्रावधान था कि यदि कोई मंत्री विभाग का कार्य देखने वाला न हो तो गवर्नर अस्थायी रूप से यह कार्य अपने ऊपर ले सकता था। उसे मंत्रियों के बीच संयुक्त विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना था और आवश्यकतानुसार वह उनके निर्णय को रद्द कर अपने मन की कर सकता था। और अतएव यदि वह संतुष्ट हो कि स्थिति यह कदम उठाने को वाध्य कर रही है तो कौंसिल व कांसिल में सेक्रेट्री आफ स्टेट की पूर्वानुमति लेकर किसी भी स्थानांतरित विषय का समाप्त कर सकता, स्थानांतरित कर सकता या विलंबित कर सकता था। या वह किसी स्थानांतरित विषय को यदि प्रशासकीय दृष्टि से उपयोगी हो तो आरक्षित विषय में ला सकता था।

इस तरह के परिवर्तन प्रांतीय कार्यकारिणी में किये गए। इस तरह की स्थापित प्रथा को द्वितंत्र कहा गया। इसका नाम इसके दो विभागों के नाते ही रखा गया—आरक्षित और स्थानांतरित।

इस ऐक्ट ने प्रांतीय विधायिका में भी कुछ परिवर्तन किये। इसका आकार

तो बढ़ा दिया गया पर द्विसदनी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लेजिस्लेटिव कौंसिल का नाम दिया गया और इसकी संपूर्ण सदस्यता प्रांतों प्रांतों में अलग-अलग रखी गई। इस तरह सबसे छोटी कौंसिल आसाम की थी जिसकी संख्या 53 रखी गई, जबकि सबसे बड़ी बंगाल की थी जिसमें 140 सदस्य थे। इसके बीच में 132 सदस्य मद्रास में, 124 यू०पी०, 114 बम्बई में और 94 पंजाब में थे।

प्रान्तीय कौंसिलों में जितने सदस्य थे उनमें से 40% चुने जाते थे जिनमें से 20% से अधिक सरकारी नहीं होने थे और शेष गैर सरकारी नामित होने वाले सदस्य थे। उदाहरणार्थ मद्रास कौंसिल में 132 सदस्यों में से 98 चुनकर आये, 11 सरकारी थे और 23 गैर सरकारी नामित सदस्य थे। पुनः पंजाब के मामले में, 94 सदस्यों में से 71 चुनकर आये, 15 सरकारी सदस्य थे और 8 नामित गैर सरकारी सदस्य थे।

कौंसिलों में जा चुनाव की व्यवस्था की गई वह प्रत्यक्ष थी। प्राथमिक मतदाता सदस्यों का चुनाव करते थे। पर अधिक सापत्तिक योग्यता, साम्प्रदायिक व वर्गीय एलेक्टोरल एंव विशेष संप्रदायों को विशेष छूट वाली बातें यहां भी चलती रही।

इन कौंसिलों के कार्यों में भी वृद्धि की गई। इसके सदस्यों को स्वतंत्रता पूर्वक बालन और प्रश्न करने का अधिकार था। ये प्रस्ताव रख सकते और किसी प्रांत से संबंधित कोई बिल ला सकते थे। प्रत्येक पारित बिल पर गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होती थी और न होने पर वह कानून नहीं बन पाता था। बचत के मामलों में कुछ ऐसे मद थे जैसे सरकारी कमचारियों का वेतन तथा बैंक को दाय धनराशि आदि पर ये विचार नहीं कर सकते थे। शेष मदों में ये मत दे सकते थे, इनपर उनके मतों की और स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। पर यदि वे ऐसा नहीं करें तो भी गवर्नर उसे ठीक कर सकता था।

### द्वितंत्र की कायपद्धति

द्वितंत्र कैसे काय किया करता था उसका संक्षिप्त परिचय यहां जोड़ा जा सकता है। जैसी व्यवस्था यहां स्थापित की गई उसके अनुसार गवर्नर सारे प्रशासन का बिंदु था। आरक्षित आर स्थानांतरित दोनों मामलों में वह अंतिम अधिकारी था। वहीं प्रांतीय राजस्व का धन विभिन्न विभागों का वाटन का भी उत्तरदायी था। वह सप्ताह में एक बार प्रत्येक विभाग के सचिव को साक्षात्कार देता था और उसके विभाग के मामलों पर विचार विमर्श करता था। अपनी वायवहारिणी कौंसिल में वह नाम संस्तुत करता था और हाई कोर्ट में भी। वह चुन गये सदस्यों में से लोगों को भत्री नियुक्ति के लिए चुनता था और उनकी

विभाग भी चाटता था। वह इन मंत्रियों का बर्खास्त कर सकता था और स्थानांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। वह विधायिका के सदस्यों के विरोध के बावजूद जिसको चाहता मंत्री बनाए रख सकता था। विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले वही करता था और यह पूरे प्रांत में प्रशासन का मुख्य देखभाल करने वाला था।

प्रान्तीय विधायिका पर भी गवर्नर का अच्छा अधिकार था। मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्र बनाने का निश्चय नामित किए जाने के नाम मागना, यह सब उसी के निर्देशन में होता था और नियंत्रण ही में चुनाव होते थे। चुनाव याचिकाएँ वही सुनता था और विवादास्पद मामलों के लिए छात्र-यौन हेतु कमिश्नरों की नियुक्ति वही करता था। विधायिका की बैठक भी बुलाता था। समय के पूर्व वह इन्हें समाप्त कर सकता था। इसका काल 3 वर्ष होता था। वह इसे स्थगित कर सकता था या 1 साल के लिए इसका जीवनकाल बढ़ा भी सकता था। कोई भी बिल उसके स्वीकृति के बिना ऐक्ट नहीं बन सकता था जिसे वह प्रायः अस्वीकृत करता रहता था। बजट में कटौतियों को वह ठीक कर सकता था और स्टैंडिंग कमिटी में सदस्य नियुक्ति के लिए अंतिम अधिकारी था।

जहाँ तक कार्यावरणीय परिपद का प्रश्न था इसमें दो से चार सदस्य तक होते थे और यह गवर्नर के बाद प्रांत में दूसरी महत्त्वपूर्ण शक्ति थी। यह कांसिल में गवर्नर ही था जो आरक्षित विषयों पर प्रशासन करता था। यह सदन के प्रति उत्तरदायी था और इसमें सभी युरोपीय लोग थे जिसके विषय में हम पहले भी बता आये हैं। नामकरण के लिए आमंत्रण मतदान केन्द्रों का निश्चय और मतदान सूचियों को तैयार किया जाना गवर्नर के निर्देशन में कांसिल ही करती थी। कांसिल के हर सदस्य किसी न किसी आरक्षित विषय का कार्य सम्भालते थे जिसमें छोटे-मोटे मामले वे स्वयं तय करते थे। पर विभाग के म्यायी सचिव से मतभेद की स्थिति में पूरा मामला कांसिल के सामने लाया जाता था जहाँ और महत्त्वपूर्ण मामले जैसे सावजनिक सेवाएँ और विधान योजनाओं पर भी विचार होता था। कांसिल में निर्णय बहुमत से किया जाता था जिसमें निर्णायक मत गवर्नर के पास होता था। वैसे गवर्नर को यह निर्णय न मानने का भी अधिकार था। पर वह इस अधिकार का प्रयोग कम ही करता था। कांसिल सदस्यों को विधायिका में आलोचना की बौछार बहुत झेलनी पड़ती थी, उनके वजट की मांगों में या तो वे कटौती कर देते या उसे अस्वीकार कर देते। उनसे प्रश्न भी पूछे जाते थे। पर इन सदस्यों का गवर्नर से बड़ा मधुर संबंध रहता था जिसकी विशेष शक्ति सदा इनकी सहायता करती थी और इस तरह वे तृप्तान झेल ले जाते थे। वे प्रायः अपने निर्देश बदला करते थे और फिर तृप्तान

खड़ा हो जाता। ऐसी स्थिति में कभी-कभी अच्छे मुद्धार हो जाते और लोगों को प्रसन्नता होती।

पर स्थानांतरित विषयों की वायप्रणाली भिन्न थी। महा पर गवर्नर मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। ये मंत्री प्रायः भारतीय होते जा गवर्नर द्वारा चुने जाते थे और अपने कार्यों के लिए कौंसिल के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर वे पूणतया गवर्नर के नियंत्रण में थे जा उन्हें बखाशत भी कर सकता था और रख भी सकता था चाहे उसका कितना भी विरोध क्या न हो। यदि गवर्नर सतुष्ट होता कि परिस्थिति का इसकी आवश्यकता है ता यह कौंसिल की ओर कौंसिल में सेक्रेट्री आफ स्टेट की पूर्वानुमति से जिसे हम पीछे देख आये हैं किसी या सब स्थानान्तरित विषयों का स्थानांतरण, समाप्ति या स्थगन कर सकता था जो इस स्थिति में आरम्भित विषयों की तरह प्रशामित किया जाता।

स्थानांतरित विषयों के मंत्री कौंसिलरों से आराम में नहीं रहते थे बल्कि उनकी स्थिति और खराब थी। लेजिस्लेटिव कौंसिल में दलीय संगठन का उनको कोई समयन नहीं प्राप्त था जहा पर उनकी आलोचना करते और उन्हें अपमानित करते थे। गवर्नर उन्हें एक सीमा में ही समयन देता था और आर्थिक आपूर्ति के मामले में उनके विभाग का अथ विभाग से सीतेला व्यवहार प्राप्त होता था।

विभागों का प्रशासन भी मुचारे नहीं था। उनके सचिव और अधिकारी गवर्नर से सीधे संबधित थे। स्थायी सचिवों से मतभेद होने पर मामला गवर्नर के पास भेजा जाता था जिसमें वह अधिकतर सचिवों का पक्ष लेता था। आरक्षित और स्थानांतरित विषयों का विभाजन भी वैधानिक नहीं था क्योंकि प्रायः अपने विभाग के उत्तम प्रशासन के लिए उन्हें आरक्षित विभाग के सदस्यों के मधुर सबधा पर आधारित होना पड़ता था और यही वे प्राप्त कर सकते थे।

### प्रांतीय विधायिकाएँ

प्रांतीय विधायिकाएँ, जैसा ऐक्ट ने तय कर रखा था, के बहुत सदस्य सीधे मताधिकार के आधार पर क्षेत्रों से चुने चुनकर आते थे। पर मताधिकार की योग्यता ऊँची थी। अभ्यर्थियों की योग्यता भी निर्धारित थी और यह चेष्टा की जाती थी कि सरकार भक्तों का ही अधिक माना में चुनाव हो।

इन्हीं चुने गए सदस्यों में से स्थानांतरित विषयों के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे जो सिद्धांततः उनके प्रति उत्तरदायी होते थे, पर व्यवहार में वे गवर्नर द्वारा नियंत्रित थे। उसकी अभ्यथना करते ता वे रहते अथवा पद से मुक्त हो जाते। गवर्नर उन्हें लोगों के विरोध के बावजूद भी मंत्री बनाए रख सकता था। इस तरह 20वीं सदी के दूसरे दशक के आरम्भ में पंजाब के मंत्रियों का रेट कटौल

बिल अस्वीकृत कर दिया गया पर फिर भी उसने स्वीका नही दिया ।

फिर भी विधायिका के सदस्य अपन भाषण स्वातंत्र्य का प्रयोग करते हुए प्रश्नाधिकार को हाथ म लेकर प्रस्ताव रखन के अस्त्र से प्रहार कर मंत्रियो और कौंसिलरों का जीना हराम कर दते थे । व स्थगन प्रस्ताव भी रखते थे और उनके भूज चूक पर विचार करते थे । व आरक्षित और स्थानांतरित विषया के व्यय पर अलग-अलग विचार करते थे । व कटौती के लिए तथा अल्पव्यय के लिए भी प्रस्ताव कर सकते थे । पर गवर्नर कायकारिणी के कौंसिलरों हाई कोर्ट के यायाधीशा और अ य असैनिक कर्मचारियों के वतन के सबध म वे विचार करने के अधिकारी नही थे । उनके द्वारा स्वीकृत अ य मदा पर कटौती प्रस्ताव को गवर्नर पूववत कर सकता था ।

इही चुने गए सदस्यो म म ही स्टैंडिंग कमेटी और सलकट कमेटी के सदस्य भी चुने जाते थे । वहा पर व सरकार की नीति को प्रभावित करने का अधिक अवसर प्राप्त करते थे । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की उनकी सदस्यता, जो राजस्व आय व व्यय के मामले मे एकाउंटेंट जनरल के रिपोर्ट पर विचार करती थी, उह यह अवसर भी प्रदान करती थी कि वे आर्थिक मामला का भी ठीक से प्रभावित करें । इससे सावधानी से एकाउट रखन की पद्धति का प्रारंभ हुआ ।

विधायिका सबधी काय म वे अपनी सीमाओं मे कानून का निर्माण करते थे । उनके बिला का तीन बार वाचन होता था । तब वह गवर्नर क पास स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता था जिसके बाद यह कानून बन जाता था । और जहा तक स्थानांतरित विषया पर बिला का सबध था, उस पर गवर्नर की स्वीकृति कम हो सकती थी ।<sup>1</sup>

### द्वितंत्र के गुण व दोष

1 अप्रैल, 1921 को 8 प्रांता म द्वितंत्र की स्थापना हुई । य प्रांत थे— आसाम बंगाल, बिहार एव मध्य प्रान्त यू० पी०, बम्बई, मद्रास एव पंजाब । उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत म इस 1912 म स्थापित किया गया । द्वितंत्र को जो सफलता प्राप्त हुई वह अलग-अलग प्रांता म भिन्न भिन्न थी । 1924 और 1925 के बीच बम्बई मे यह लगभग टूट सी गई जोर यही गति इसकी मध्य प्रांत मे 1924 और 1926 के बीच हुई ।

जिन प्रांता मे द्वितंत्र था वहा सरकारी और गुप्त कागजात भी भारतीयों को उपलब्ध थे । भारतीय मंत्री अमेज अधिकारिया का आदेश दते थे । स्थानांतरित

1 देखें, अण्णादुराई, ए० ड्यारकी इन प्रविट्स ।

विभागा में उच्च सरकारी नौकरियां में भारतीया के भर्ती के अवसर अधिक हो गये और भारतीय नताआ को देश में समाज सुधार का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ। देश में शिक्षा के विकास के लिए काफी काम किया गया।

विधायिका के क्षेत्र में भी कम काम नहीं हुआ। 'नये विधायिका में भारतीय विधि प्रणाली में तमाम बड़े परिवर्तन का प्रारम्भ किया। बड़े बड़े नागरिक व आपराधिक कानूनों का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण किया गया तथा व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में आधुनिक काल के उपयुक्त कानून रचे गये।' प्रांतीय विधायिका द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रजातान्त्रिक बनाने के लिए भी बहुत कुछ किया गया जहां मताधिकार की आर्थिक शर्तें नीचे से आई गईं और चुने गए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। गांवों में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करने की चेष्टा की गई।

आर अतत वैसे तो कोटमैन लिखता है 'कि 1919 के ऐक्ट के अधीन प्रांतीय विधायिका ने जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति क्षेत्र में सफलता प्राप्त की वह ऐसे सगठनों की पूंज छाया मात्र थी जिन्होंने दूसरी परंपरा के अंतर्गत अधिक सफलता प्राप्त करने के बाद भी इससे अधिक कुछ नहीं किया—एसी व्यवस्था जो 1935 के ऐक्ट के अंतर्गत आने वाली थी।'<sup>1</sup> इस ऐक्ट का सबसे उत्तम गुण यह था कि इसमें भारतीया को और उच्च उत्तरदायित्वों के लिए तैयार किया।

रावट ने संभवतः सच ही लिखा है कि 'द्वितीय एवं उत्तम सत्ताति कालीन विधि थी जो कई तरीकों के परीक्षण के बाद निकलकर सामने आयी'। वैसे तो यह व्यवस्था तीन वर्ष तक ठीक चली, पर इसमें दोष भी थे।

प्रांता में दो तरह की विषय सूची आरक्षित एवं स्थानांतरित बनाना तकसगत, बुद्धिमत्तापूर्ण और समय में न आने वाला था। परिणाम यह था कि न तो मंत्री कौंसिलरों के सहायता के बिना कार्य कर पाता और न कौंसिलर बिना मंत्री के सहायता के। इसी तरह जहां कृषि को स्थानांतरित कर दिया गया वहां सिंचाई को इससे अलग करके आरक्षित विषय में रखा दिया गया। शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया पर आप्रचयजनक रूप से आग्ल भारतीया की शिक्षा को आरक्षित विषय बना दिया गया। पुन उद्योग को भी स्थानांतरित कर

1 कोटमैन जान इंडिया द रोड टु सेल्फ गवर्नमेण्ट प० 39 68।

2 रावट में ब्रिटिश इंडिया, प० 589 90 और विस्तार के लिए दख फिलिप सो० एच० द इवाल्मुशन ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान 1858 1947, पृ० 201 16, मुशी क० एम० पिनिमिनेट टू प्रोडम प० 9 14 शर्मा ज० एच० इंडियन स्ट्रगिल फार प्रोडम प० 170 262 और 324 424।

दिया गया जबकि पनविजली, फकट्टी, खदान आरक्षित के अनगत रखी गई। यह आश्चर्यजनक है कि सेनेट्री आफ स्टेट, उसके सहायको, किसी सदस्य को जिससे होकर यह बिल गुजरा, उनके समय में नहीं आया कि सिंचाई कृषि से संबंधित है और कृषि सिंचाई से जोर इस कारण इन दोनों को अलग-अलग नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यह भी समय से परे था कि उद्योग, पनविजली पर आश्रित थे और उद्योगों का फैक्ट्रियां से अलगाव समस्याएँ ही पैदा करेगा। मद्रास के एक मंत्री के० ए० रेड्डी ने लिखा है, "मैं जगलात के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री भी था। कृषि मंत्री के रूप में हमें मद्रास एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन के प्रशासन के बाधा में कुछ नहीं करना था। यही स्थिति मद्रास लैंड इम्प्रूवमेंट लोस ऐक्ट को लेकर थी कृषि मंत्री दुर्भाग्य सहायता के मामले को छू भी नहीं सकता था।"

स्थानान्तरित और आरक्षित दोनों विषयों में उद्देश्य की एकरूपता के अभाव में आगे बढ़ना कठिन था। उदाहरणार्थ जब सिख गुरुद्वारा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, तो कानून व व्यवस्था मंत्री जिनका क्षेत्र आरक्षित विषय में आता था वह इस समस्या से निबटने के लिए कुछ कानूनी कार्य करने की आवश्यकता पड़ी पर वे इस मामले पर स्वयं कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि धार्मिक विभाग के मंत्री को ही यह कार्य करने का अधिकार था जिसका क्षेत्र स्थानान्तरित विषय में आता था। इसी तरह शिक्षा मंत्री प्राइमरी शिक्षा को अनिवाय करन की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसे कानून व व्यवस्था मंत्री तथा आर्थिक विभाग की इसमें सहायता की आवश्यकता थी।

कभी-कभी तो इतनी अव्यवस्था हो जाती थी कि अधिकारी यह नहीं समझ पाते थे कि कौन सा विषय किस विभाग से जुड़ा है। ऐसा ही एक अनुभव यू० पी० सरकार के एक मंत्री सी० वार्डे० चित्तमणि ने दिया जिसके अनुसार 1921 में कृषि विभाग न विखंडित भूमि के विषय में एक छानबीन कराई जिसकी रिपोर्ट 1922 में तैयार हुई। पर तभी पता चला कि यह विषय तो राजस्व विभाग के अधीन है और फिर यह रिपोर्ट उस विभाग का स्थानान्तरित कर दी गई। पर यहाँ भी जब दो वर्ष परिश्रम में गवा दिया गया तो 1924 में यह पता चला कि यह विषय तो कोआपरेटिव विभाग से सम्बंधित है।

असली शक्ति सचमुच आरक्षित विभागों के ही हाथ में थी। स्थानान्तरित विषयों में देश की राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवन से जुड़े मामलों कम थे। बहुत से महत्वपूर्ण मसलों में भारतीय मंत्रियों से भी राय नहीं ली जाती थी जैसा कि गांधी के बंद किए जाने का मामला<sup>1</sup> असहयोग आंदोलन के प्रति जो क्रूर रवैया





गवर्नर उनका पक्ष नहीं लेता था और फिर प्रायः उह सफलता तब मिलती थी जब व गवर्नर के सामने कष्ट सहित अपना स्तीफा पेश कर देते थे।

मंत्रियों की महत्वाकांक्षा चूँकि दूसरे तरह की थी जो गवर्नर से मेल न खाती थी, इस कारण मंत्री प्रजातन्त्र की ओर रस्सा खींच रहे थे और गवर्नर निरबुशतन्त्र की ओर। मंत्री प्रशासन में राष्ट्रीय स्वरूप प्रस्तावित करना चाहते थे जबकि गवर्नर इसे मिटाने पर तुले थे। मध्य प्रात के बेलकर ने कहा 'मैं यह नहीं समझ सका कि किस तरह एक गवर्नर ने मेरी निहस्क्षेप नीति का उस समय अनुमोदन किया जब मैं नगरपालिका समिति के प्रस्ताव की नगरपालिका कार्यालय पर एक राष्ट्रीय झंडा फहरान की अनुमति दे दी और पुन उसी गवर्नर ने मुझसे डिप्टी कमिश्नर के उस आदेश को मानन का परामर्श दिया जिसमें उसने एक समिति के प्रस्ताव को कि उसके कमचारी खद्दर पहनेंग उसने फिर निलंबित कर दिया था।'<sup>1</sup>

गवर्नर अपनी इच्छानुसार मंत्रियों का चुनाव करता था जो उसके स्वामिभक्ति के पैमान के आधार पर होती थी। ये मंत्री चुने गए सदस्यों के बहुमत का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते थे। बल्कि वे इनसे घणा करत थे स्वराजी, जा सभी प्रातीय एसेम्बलियों में बहुत सख्या में थे उनके सुधारों का विरोध करत थे। कांग्रेस से लेकर लीग तक के लाग भी उह समयन दन का तैयार नहीं थे।

इन मंत्रियों को दुहरे दबाव में बाध करना पडता था। एक ओर ता था गवर्नर जो उसे यह पद प्राप्त करन का अवसर देता था और दूसरी ओर थी देश की वह जनता जो उनसे सुधार की आशा कर कुछ न पाने पर गाली देती थी पर जनता के हित में कुछ करना इसलिए सरल नहीं था क्योंकि मंत्रियों को कमचारियों, अथ विभाग और गवर्नर से पूरा समथन नहीं मिल पा रहा था।

प्रायः ये मंत्री इसी कारण जनमत की जाखो की बिरकिरी हो जात थे और दशवासी अपनी महत्वाकांक्षाय पूरी न होते देख इह भूल जाते थे। मंत्री की कठिनाई यह थी कि गवर्नर जहा उह नियुक्त करता था हटा भी सकता था और विरोध के बावजूद पद पर बनाए भी रख सकता था। इसलिए शक्ति की व्यक्तिगत भूख के लिए गवर्नर को सतुष्ट करना वे अधिक आवश्यक मानत थे, और विधायिका के सदस्यों को कम। और इस स्थिति में मंत्री कौंसिलरों से भी अधिक प्रतिश्रियावादी हो जात थे।

और फिर साम्प्रदायिक बग और विशेष आधार पर चुन भोग कौंसिल में अलग-अलग दृष्टिकोण और विरोधी विचार रखते थे। सबसे बडा दल लोकप्रिय

1 महात्मादान इवोल्यूशन आफ प्राबिन्सियल आटोनामी इन इण्डिया प० 13-48 देखें, चिन्तामणि पूर्वोक्त।

स्वराजिया का था जो न ता कोई पद चाहो थे और न सरकारी नीति का समर्थन करते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि संविधान को ताड़ा जाय जिससे स्थिति और अव्यवस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में मंत्रिया, कौंसिलरों या गवर्नर का लेशमान भी कार्य करना सरल न था।

1919 के संविधान की तुलना खराब प्रहाम पंदा हुए वच्च स की जा सकती है। 1920 के असफल मानसून न दश को कष्ट म झाक दिया जबकि मेन्टन अवाड अब भी प्रातो से धन की माग करता रहा। इस तरह आर्थिक दुःखवस्था नवीन संविधान पर कठोर आघात कर रही थी। इसी से आकर जुड गई जालिया वाला बाग की करण वहानी। भारत म इसी समय खिलाफत आदालत भी प्रारभ हो गया जिसका उद्देश्य यह था कि यह संविधान सफल न हा।

इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि लोग इसका मजाब उडात थे आर इसकी भत्मना करत थे। सर एच० बटनरन वहा 'भारत म तो यह गाली के शब्द क रूप म प्रयोग किया जा रहा है। मैं एक आदमी को दूसर के विरुद्ध चिल्लात सुना, "तुम डयारकी (जैसे यह डकी का प्रतीक हो) हो।" एक लडके ने दूसरे लडके से कहा, "कि मैं तुम्ह डयारकी से माहगूँ।" जब लडके से पूछा गया कि यह डयारकी क्या है ता उसका उत्तर था, 'यह एक नय तरह का टेनिस रैकेट है।' बर्मा के एक गाव म डयारकी समूह न मरा स्वागत किया जिसन होमरुल का विरोध किया। पूरे गाव के लोग उत्साह से इसमें सम्मिलित हुए। पर इनम से किसी को न तो होमरुल के विषय में जानकारी थी और न डयारकी के विषय में।" इस ऐक्ट के विषय में एल० कार्टिस ने अपना सामान्य मत देते हुए लिखा है कि, "इसके विषय म सबसे अच्छा यही कहा जा सकता है कि उस परिस्थिति का सावधानी से आकलन करन के बाद उह इससे और कम खतरनाक चीज काई नहीं प्राप्त हो पायी।"

## शिक्षा

चेम्सफोर्ड के काल में एक अन्य महत्वपूर्ण काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। 1917 में चेम्सफोर्ड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतगत आन वाले सेकेण्ड्री उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए सेडलर आयोग की नियुक्ति की। पर आयोग ने केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय का ही विस्तृत अध्ययन नहीं किया बल्कि तुलनात्मक स्थिति की जानकारी के लिए और विश्वविद्यालयों का भी अध्ययन किया जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक मजबूत नीति अपनाई जा सके। 1919 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत

हुई जो विस्तृत थी। सेवे उरी और उच्च शिक्षा के मामले में इस अखिल भारतीय समयन प्राप्त हुआ।

आयोग ने सस्तुत किया कि (1) विश्वविद्यालय की इटर कक्षायें सेवे-ड्री स्कूलो को सौंप दी जाय और विश्वविद्यालय में प्रवेश इटरमीडिएट के बाद दिय जाय। (2) इटर के बाद डिग्री के कोर्स का काल तीन वर्ष रखा जाय। (3) सेवे-ड्री और इटरमीडिएट शिक्षा का नियन्त्रण जब विश्वविद्यालय के स्थान पर बोर्ड आफ सेवे-ड्री एजुकेशन को दिया जाय। (4) सरकार का कलकत्ता विश्वविद्यालय का नियन्त्रण केंद्र से हटाकर प्रांत सरकार के हाथ में कर देना चाहिए। (5) ढाका में विश्वविद्यालय स्थापना में शीघ्रता की जानी चाहिए और अलग-अलग कॉलेजों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए जिससे शिक्षा कुछ स्थानों पर केंद्रित हो जाय और भविष्य में यहाँ विश्वविद्यालय केंद्र भी हो सकें। (6) विश्वविद्यालय अध्ययन सेवा सरकारी सेवा से अलग भाति की होनी चाहिए। (7) नारी शिक्षा का आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाना चाहिए। (8) हाई स्कूल शिक्षा का माध्यम प्रांत का बनानेवाला होना चाहिए और उसके आगे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। (9) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। (10) व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि संबंधी, विधि और अध्यापन को विश्वविद्यालय को गंभीरता से लेना चाहिए।

भारत सरकार ने सभी मस्तुतियों को स्वीकार कर लिया। पर इसके लिए बने बिल के रास्ते में आर्थिक कठिनाइयाँ न बाधा डाली। प्रांतीय सरकारों का भी यह रिपोर्ट भेजी गई और उस उनका उम्र पर दृष्टिकोण मांगा गया और उनसे उस पर कारवाई करने का कहा गया। जैसे तो शिक्षा संबंधी मामलाय नीति को केंद्र न अपने हाथ में रखा, पर 1919 के एक्ट के अंतगत यह विभाग उन भारतीय मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया। 1920 में एक विश्वविद्यालय ढाका में तथा दूसरा लखनऊ में स्थापित किया गया। इलाहाबाद में 1921 में और दिल्ली में 1922 में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

20वीं सदी में प्राइमरी शिक्षा के विषय में यहाँ कुछ लिखा जाना जरूरी है। 19वीं सदी में इन दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पायी थी। जून 5वें पंचवर्षीय रिपोर्ट में जिसमें 1902-06 का काल सम्मिलित था मि० आर० ज० न लिखा कि यदि हम यहाँ भी कल्पना करें तो कि जनसंख्या में बढ़ि नहीं हुई है तो भी "पिछले पांच वर्षों की शिक्षा की गति का देखकर तो यही लगता है कि सभी बच्चों को शिक्षित करने में अभी कई पीढ़ियाँ लग जायेंगी।" 1910 में गांधल ने भी इस सदन में चिन्ता व्यक्त की जि हान इन्पीरियल लेजिस्लेचर में यह प्रस्ताव रखा कि देश में निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की योजना

बनाई जाय और अगले बप उहाने एलीमेंट्री एजुकेशन बिल का प्रस्तुत किया जिसमें उहोन इस उद्देश्य के लिए होने वाल व्यय की विस्तार में व्याख्या की।

इही प्रयासों के फलस्वरूप परिणाम सामने आया जिसके फलस्वरूप शिक्षा को अब वाइसराय के कौंसिल के एक सदस्य को मुख्य विषय के रूप में सौंपा गया और फिर जब जाज पचम ने भारत की यात्रा की उस समय दिल्ली दरबार में जा अनुदान घोषित किया गया उसमें प्राइमरी शिक्षा का एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसे 50 लाख का अनुदान मिला और इमें अतिरिक्त भी धन देने के लिए आश्वस्त किया गया। पंजाब, बंगाल, बम्बई यू० पी०, बिहार व उड़ीसा में प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पारित किये गए जो प्रभाव में फरवरी 1918 से फरवरी 1919 के बीच सभी स्थानों पर आ गए। इसके लिए भी प्रयास किये गए कि प्रत्येक प्रांत में लड़कों के लिए प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।

भारत में प्राइमरी शिक्षा की सबसे बड़ी कठिनाई आर्थिक थी। दूसरी कठिनाई योग्य अध्यापकों का अभाव था। उदाहरणार्थ जहां यू० पी० में प्रशिक्षण विद्यालयों से प्रशिक्षार्थी केवल 1630 की संख्या में 1917 में निकले तथा नामल स्कूलों से 300 वहां बनाक्युलर स्कूलों में उनकी मांग 2400 से कम नहीं थी और एक समस्या यह थी कि ऐसे स्कूल खोले जाय और उनका पाठ्यक्रम ऐसा हो कि यह ग्रामवासियों के लिए वाद में भी काम आवे।

1919 तक शिक्षा की प्रगति की कल्पना निम्न आंकड़ों से की जा सकती है जिसका व्यय लाख रुपय में दिखाया गया है। इसमें हर स्तर की शिक्षा और इस पर हर स्रोत में होने वाले व्यय का विवरण है—

वर्ष	1881-82	1891-92	1901-02	1911-12	1918-19
<b>विश्वविद्यालयों</b>					
शिक्षा—	18	33	46	87	159
सेकेट्री—	48	99	127	209	367
प्राइमरी—	76	96	119	207	353
विशेष—	9	17	23	54	84
निर्देश व निरीक्षण—	17	22	25	48	62
भवन आदि—	9	22	23	97	142
छात्र वृत्ति—	5	7	9	13	24
अन्य—	4	8	27	72	108
<b>पूरा योग—</b>	<b>186</b>	<b>304</b>	<b>399</b>	<b>787</b>	<b>1299</b>

उपरोक्त आकड़े में विशेष' मद का व्यय औद्योगिक, तकनीकी 'यापारिक' कला और मडिकल स्कूला पर किया गया जबकि 'भवन' वाले मद में अपेरेटसा माडलो, जप्लायासा और कुर्सी मेन पर व्यय किया गया ।

उपरोक्त आकड़े इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा पर कितना कम धन व्यय किया जाता था । सच तो यह था कि शिक्षा की व्यवस्था में बहुत से ऐसे दोष थे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी पर जो धन के अभाव के कारण नहीं पूरा हुआ पा रहा था । एक दोष तो यह था कि बहुत कम बच्चे स्कूला में सही शिक्षा प्राप्त के लिए रुकत थे । स्टेचुटरी कमीशन के आंतरिक शिक्षा रिपोर्ट में 1922 के मध्य में बताया गया कि "दहाती जीवन की वर्तमान परिस्थितियां में और वर्नाक्युलर साहित्य की कमी के कारण एक बच्चा के लिए प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पा लेने के बाद भी इमका अवसर नहीं है कि वह पढ़ लिख जाय । जो पढ़ लिख गए हैं उनके भी अनपढ़ हो जाने के अवसर अधिक हैं । लड़की का मामले में तो स्थिति और गम्भीर है ।" इसका अतिरिक्त मैट्रीकुलेशन परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी जिससे मानव शक्ति बर्बाद होती थी । विश्वविद्यालय परीक्षा संगठन काट्ट हो गए थे और कॉलेज शिक्षण कम्पाआ के ढेर । सस्थाये किसी भी तरह की जात्म नियंण और बुद्धि विस्तार की शिक्षा नहीं देती थी । और न ऐसा ही कोई उचित तत्त्व निकल रहा था जा विश्व-विद्यालया में उच्च शिक्षा के लिए जा सक । फिर सेकेन्डी और उच्च शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यों में कोई प्रगति भी नहीं थी ।

नारी शिक्षा अब भी पिछड़ी रही और स्त्रियां अब भी मध्य युगीन जीवन जी रही थी । ऐसी ही स्थिति मुसलमाना की थी । 1871 में स्कूला और कॉलेजा में उनका प्रतिशत 14.5 था जबकि 1917 में यह 23.5 हो गया । भारत में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत भी यही था । 1919 में कला और व्यावसायिक शिक्षा में छात्रा की कुल संख्या 66 000 थी जिसमें में मुसलमान छात्र कवल 7,345 थे अथवा ऐसा कहे कि उनकी जनसंख्या ता 1/5 थी पर पढ़ने वाले छात्र 1/9 थे ।

पुन हर तरह की उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विशेषज्ञों का बुलाना पडता था क्योंकि भारत में इसकी सुविधा नहीं थी । भारतीय व्यवस्था दासतापूण और नकल करने वाली थी और इसे भारतीय बनाने का प्रयास नहीं किया गया । हाई स्कूला में शिक्षा पूणतया साहित्यिक रही । वहां उद्योग कृषि व्यापार व वाणिज्य की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । इसका अतिरिक्त भी तमाम दोष थे जिसका विवरण स्थानाभाव के कारण देना सम्भव नहीं है ।

पर कुछ मफतनायें तो प्राप्त ही की गई । पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ी और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तमाम भारतीय छात्र ब्रिटेन गए । 1880

पूर्व विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 100 से अधिक नहीं रही थी। पर 1921 तक इनकी संख्या बढ़कर 1450 हो गई। केवल भारत के लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आतुर नहीं हुए बल्कि हिंदू, मुसलमान और ईसाइया ने अपने-अपने सम्प्रदाय वालों का शिक्षित करने के लिए शिक्षा संस्थाएँ खोलीं। इससे साम्प्रदायिकता की भावना में तो अवश्य वृद्धि हुई पर साथ ही साथ तमाम शिक्षा संस्थाओं के खुलने से लाभ भी रहा।

पुनः जैसा कि सर एच० हार्नी लोवेट ने लिखा है '1864 में प्रारम्भ व्यवस्था ने कई शानदार जन-समचारियाँ के लखवाँ तथा जन प्रतिनिधियों को जन्म दिया है जो केवल अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, अंग्रेजी आदर्शों और विधियाँ से भी परिचित थे। इसने सामाजिक बुगडियाँ भी दूर की और भारत में औद्योगिक व व्यापारिक स्रोतों का विकास किया।'<sup>1</sup>

### तृतीय अफगान युद्ध

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ब्रिटेन के साथ लड़ाई पर जैसे ही बड़ा महान क्रांति हुई, इसके साथ के दूर के भागों जिसमें रूस के खासतौर पर बुखारा भी थे, ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब मोवियता की शक्ति स्थापित हो गई तो इन क्षेत्रों को फिर से जीतना था। यह कारवाई तब तक चलती रही जब तक कि फारस और अफगानिस्तान रूस और ब्रिटिश सीमा के बीच नहीं आ पड़े हुए। बोन्शेविक प्रचार द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर ब्रिटिश भारत के लिए बुप्रचार किया गया। फारस को भी ब्रिटिशों से तोड़ ले जाना उनकी नीति सफल नहीं हुई। पर अफगानिस्तान को तो दूसरी ही गाथा कहना था। प्रथम विश्व युद्ध मुश्किल से समाप्त हुआ था। ब्रिटिशों के 10 लाख सैनिकों के मारे जान और कई लाखों के घायल होने के बाद सैनिकों को घर वापसी चाहते थे कि इसी समय अफगानिस्तान की घटनाओं में 7,50,000 सैनिकों का उस ओर मुड़ने को बाध्य कर दिया। इनके साथ 4,50,000 जानवर भी भेजे गए। तीसरा अफगान युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस समय के कारण थे। बोन्शेविक प्रचार के अतिरिक्त एशिया के देशों में जा राष्ट्रवादिता की लहर आइ हुई थी उससे अफगानिस्तान अपने का मुकदमा नहीं कर मना। अफगान भी अपने का ब्रिटिश नियंत्रण में मुकदमा करना चाहते थे। ब्रिटिशों में अफगानों के सम्बन्ध इस समय साइरियन और जर्मन अदुरहमान खान के बीच सम्बन्धों के आधार पर चल रहे थे। इस सम्बन्धों के

अन्तगत यहा का विदेश सम्बन्ध ब्रिटिशा के हाथ मे था जिसके बदले मे अफगान आरिष्य सहायता प्राप्त करत थे आर भारत से होकर विदेशा से हथियार मगाने की अनुमति । आन्तरिक क्षेत्र म अफगानिस्तान स्वतन्त्र था । 1880 म स्थापित यह व्यवस्था कई दमको तक चलती रही जबकि अब्दुरहमान ने स्वयं जीर उसके उत्तराधिकारी हवीबुल्ला न जो 1901 म शासक हुआ था इस व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की थी । अफगानिस्तान ने लन्दन म सेण्ट जेम्स के दरबार से सीधे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करन की चेष्टा की जो कभी पूरी नहीं हुई । 1916 म हवीबुल्ला न लार्ड चेम्सफोड स पूछा कि वह भी शांति सम्मेलन म सम्मिलित हाना चाहता है पर इसका उसे कोई उत्साहवद्धक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । 1919 म उमन बाइसराय को पुन एव पत्र लिखा कि उसे वर्माय शांति संधि म स्वीकृति प्रदान की जाय और साथ ही उसन माग की कि, ' प्रशासन के मामले मे हम पूण स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्रदान की जाय और अफगानिस्तान को धीरे धीरे स्वतन्त्र कर दिया जाय ।' चेम्सफोड ने इस पत्र का उत्तर भी टाल-मटोल की भाषा म दिया । पर यह अब स्पष्ट हो चला था कि समय बदल रहा है । अपन गद्दी प्राप्ति के समय ही उमन कहा था कि अफगानिस्तान का राज्य आन्तरिक और बाह्य दोनों रूपो म स्वतन्त्र होना चाहिए अर्थात् सरकार के सब अधिकार यदि दुनिया के किसी स्वतन्त्र देश न हमस छीन रखे हैं तो उस अफगानिस्तान का वापस मिलना चाहिए ।' अफगानिस्तान अपनी स्थिति बदलन के लिए आतुर था ।

प्रथम दो अफगान युद्धा म ब्रिटिशो का जा अपमान हुआ था वह जब भी प्रेरणा का स्रोत था । 1905 म रूस के ऊपर जापान की विजय न अफगाना म यह विश्वास जगाया कि वे भी इंग्लण्ड जैसी यूरोपीय शक्ति से लोहा ले सकत है । 1885 म पजदेह पर रूस का अधिकार और इंग्लण्ड का उसके हितो की रक्षा न कर पाना अब भी याद किया जाता था । कजन पर हवीबुल्ला की कूटनीति विजय 1907 म उसके द्वारा आगरा व कलकत्ता मे लाड मिष्टान शानदार स्वागत की प्राप्ति सम्भाट एडवर्ड का उसे 'यारमेजेस्टी' सम्बोधित करना आदि बहुत सी बातें थी जिसस अफगान स्वतन्त्रता को हवा मिल रही थी ।

अफगाना की इच्छानुसार ब्रिटिश अग्रिम नीति कधील के क्षेत्रा म डरण्ड लाइन तक पहुच भी नहीं रही थी । उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र का कजन द्वारा प्राप्त म परिवर्तन कर देने मोरनशाह जो टीची की घाटी मे था वहा तथा

1 स्वि सन आधार नाथ वेस्ट फटियर ल न 1967 प० 268 ।

2 प्रसाद विशश्वर अवर फारेन पालिसी लीगेसा, नई दिल्ली 1965 प० 45 द्वारा उद्धृत ।

चित्ताराल व अय जगहा पर ब्रिटिश चौकी की स्थापना, उनके द्वारा खंवर राइफिल्स माहम्मद मिलीशिया, टोची स्वाउटस, कुरम मिलीशिया आदि सैनिक संगठना के निर्माण आदि से अफगानो का यह सदेह मजबूत होता जा रहा था कि ब्रिटिश ठीक वैसे ही उनके पेशवा को अपन राज्य में मिला लेंगे जैसे रूसी लोगो न अपने ओर के क्षेत्रो को मिला लिया है।

पूणरुणेण इस्लामी आंदोलन पान इस्लाम का भी प्रभाव अफगानिस्तान पर पडा। इसकी प्रेरणा का स्रोत या पूरे विश्व के मुस्लिमो की तुर्की के प्रति सहानुभूति जिसे यूरोप का बीमार आत्मी कहा जाता था और जा अब मृत्यु के दरवाजे पर खडा था। रूस और इंग्लैण्ड इस स्थिति से क्षेत्रीय लाभ उठाने के चक्कर म थे। तुर्की और इटली तथा 1911-13 के बाल्कन युद्ध के अवसर पर ब्रिटेन न जो तटस्थता दिखाई उने भी मुसलमाना न पसंद नहीं किया क्योंकि वे ब्रिटिशो की तुर्की के सुल्तान के प्रति सहानुभूति चाहत थे। 1912 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एस्क्विथ के तुर्की के प्रति असहानुभूतिपूर्ण भाषण ने स्थिति को और प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की विरोधी पक्ष में सम्मिलित था। इसके कारण भी ब्रिटिशो के प्रति मुसलमान नाराज थे। उनके विरुद्ध पूर मध्य पूव में विरोधी और कटु पचार हुआ। जफर अली खा और अली भादुरा जैसे मुस्लिम नेताओ न भारत के महान नेता गांधी जी की सहायता से तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया। उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और अफगानिस्तान के मुसलमान इस आंदोलन से प्रभावित हुए और यह भी ब्रिटिशो के विरोध में गया।

एक अय कारण जिससे इस युद्ध को सह मिली। भारत में गदर पार्टी का संगठन था जिसके आधार इसी क्षेत्र में थे भारत के नेता राजा महेन्द्र प्रताप और बरकतुल्ला न जमना से सहानुभूति प्राप्त कर उनकी सहायता से अपनी समुक्त अध्यक्षता में काबुल में एक अस्थायी सरकार स्थापित की। इन दोनों की मंत्री का आधार दोना की ब्रिटिशो से शत्रुता थी। अक्टूबर 1915 में जब युद्ध घोषित हो चका था, एक तुर्की जर्मन शिष्टमंडल काबुल आया जिसमें अफगाना से ब्रिटिश सम्बंध समाप्त करने की राय दी। अस्थायी भारतीय सरकार न इस शिष्टमंडल को हर तरह की सहायता प्रदान की। वैसे हबीबुल्ला न भारत सरकार से सम्बंध तोडना तो स्वीकार नहीं किया पर उसने उनसे समझौता किया जिसमें उन लोगो न अफगान शासक का 'सप्रभु और स्वतंत्र राज्य का अध्यक्ष माना। इस मिशन के कारण अफगानिस्तान में कुछ प्रगतिवादी और प्रभावशाली व्यक्ति उभरकर सामने आए जैसे अमीर का भाइ नसरुल्ला खा, अमीर का तीसरा लडका अमानुल्ला अमानुल्ला का भाइ उल्या हजरत, अफगान सेनापति नादिर खा। इनको मिशन न मिलीजुली एक 'वारपार्टी' नामक संस्था बनाई जो तुर्की से



सहानुभूति रखते थे। मिशन चाहता था कि अमीर भी इसमें सम्मिलित हो जाय। जब अमीर ने इसे नहीं स्वीकार किया तो यह दल गुप्त रूप से काय बरन लगा।

इसी बीच मुल्लाआ का तुर्की के प्रति सहानुभूति टुतु अफगानिस्तान में प्रचार तेज होता जा रहा था। पड़ोसी क्षेत्रों में भी यही स्थिति थी। रगिस्तान और दक्षिणी पूर्वी फारस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मोहमदो का उत्साहित किया गया। विरोध बढ़ना गया और वातावरण बदलता व विपला हाता गया। अफगानिस्तान में हलचल भरी शांति व्याप्त थी जब एकाएक 19 फरवरी, 1919 को अमीर हबीबुल्ला को जो शिकार खेलन गया हुआ था, एकाएक जलालाबाद में मार डाला गया। हबीबुल्ला का सबसे बड़ा लड़का इनायतुल्ला खा, भाई नसरुल्ला खा और सेनापति नादिर खा शिकार दल में मौजूद थे। जैसे ही यह दुर्घटना हुई नसरुल्ला ने अपने को उत्तराधिकारी अमीर घोषित किया और इनायतुल्ला खा द्वारा भी अपने को शासक मनवा लिया। स्पष्ट था कि 'वार पार्टी' ही इस घटना के पीछे थी। जलालाबाद में हबीबुल्ला के स्वामिभक्त सैनिकों के सेनापति को कैद कर लिया। नसरुल्ला खा को भी उनका सामने सर झुकाना पड़ा। उमन पद छोड़ दिया और हबीबुल्ला के तीसरे लड़के अमानुल्ला खा को जो काबुल का गवर्नर था, देश का शासक घोषित किया गया। सैनिकों को सन्तुष्ट करन के लिए उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई। पुराने सेनापति नादिरखा को दूर खोस्त भेज दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों में अमानुल्ला ने खुलेआम 'वार पार्टी' से सहायता मागी, उससे समझौता किया और अस्थायी भारतीय सरकार की सहायता से भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। मोल्सवर्थ ने लिखा है 'ऐसा लगता है कि भारत के आन्तरिक कठिनाइयों की बढ़ो-चढ़ो रिपोर्ट पर वह विश्वास करता था। उसे ब्रिटिश सैनिकों के वापसी की भी सूचना दी गई थी। हाँ, सचता है उसने एक विद्रोह-व्यस्त देश में सफलता की आशाएँ की हैं कि वह सिंध नदी तक बढ़कर पेशावर और डेर्राजत क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा उससे पास सैनिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं था और न मायना ही। वह अत्यन्त भावुक, अमृतुलित और अविश्वसनीय था।'<sup>1</sup>

इधर अमानुल्ला ने युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ कीं उधर अस्थायी सरकार ने तिलक और गांधी जैसे भारतीय नेताओं से संपर्क स्थापित किया। पञ्जाब में विद्रोह कराने की चेष्टा की गई। अप्रैल 1919 में लाहौर छेहरता, गुल्शामपुर और अमृतसर जैसे कई स्थानों पर विद्रोह भड़क भी उठे। दम्बई, दिल्ली पंजाब

रेलवे पर हिमात्मक प्रहार किया गया। उद्देश्य यह था कि जब अफगान भारत पर आक्रमण करे, ता दण के विद्रोह व्यवस्था का भंग कर दें और जिससे अफगानों की सफलता सरल हो जाये। 4 मई, 1919 का नये अफगान सेनापति सालेह मुहम्मद अपनी सेना के साथ आग बडा और ब्रिटिश क्षेत्र के बाघ नामक गांव पर अधिकार कर लिया। अफगान सैनिक खबर के पश्चिमी काने पर एकत्रित थे। लैंडोकोटल में पानी की आपूर्ति रोक दी गई। पम्पिंग स्टेशन पर भारतीय बमचारियों को मार डाला गया। ब्रिटिश क्षेत्र के जलालाबाद में तमाम कबीले के लोग एकत्रित हुए और उन्हें राइफलें बांटी गईं। ब्रिटिशों के विरुद्ध जेहाद बोल दिया गया।

6 मई को "अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। तीसरा अफगान युद्ध प्रारम्भ हो गया पर यह इसके पहले के दो अफगान युद्धों से भिन्न था। 1839 और 1879 में ब्रिटिशों ने आक्रामक लड़ाई की थी जिससे कि उस क्षेत्र में रूसी प्रभाव न बढ़ सके। पर 1919 में 'रूसी बोगी' पृष्ठभूमि में गायब हो गई थी। इस तरह यह लड़ाई सुरक्षात्मक आक्रामक दोनों थी। किसी भी युद्ध में आक्रमण रक्षा का बेहतर तरीका माना जाता है।"<sup>1</sup>

महत्वपूर्ण युद्धों में से दो तो बाघ में ही लड़े गये। बाघ के प्रथम युद्ध में ब्रिटिशों को अधिक सफलता नहीं मिली। पर बाघ का दूसरा युद्ध उनके पक्ष में समाप्त हुआ। ब्रिटिशों के 10 सैनिक मारे गए और 89 घायल हुए। अफगानों की हानि का पता नहीं चल पाया। सेनापति मोल्सवर्थ जो युद्ध में सम्मिलित थे एक रक्षक घटना का जिम्मेदार हैं जो बाघ के दूसरे युद्ध में उन्होंने देखी, मरे निकट लेटा हुआ एक हरकारा एकाएक घायल हो गया। चोटमाथे पर लगी थी। उसका हेलमेट दूर जा पड़ा था और उसका माथा खून और मांस का लापडा मालूम पड़ता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह घुटनों के बल उठा। वह काफी घायल था। हमारा बैल्लो का मांस का भोजन 6 पौण्ड के टिन में रहता था— और एक सेक्सन में एक टिन मिलता था जिसे एक व्यक्ति को डोना पड़ता था। इस हरकारे ने इसे अपने शाने के ऊपर रख छोड़ा था और ऊर्चाई पर अपने पीठ पर लादे हुए था। गाली उसके हेलमेट से होकर टिन को तोड़ती मांस के टुकड़े उसके माथे पर गिराती निकल गई थी। अपने माथे से उसने जब उसे गिरा गिराकर साफ किया तो उसका बड़ा मजाक हुआ और उसने— तथाकथित चोट की तो बराबर चर्चा हांती रही। पर उसके सेक्शन के वे लागू उतन प्रसन नहीं हुए जिनका मांस का राशन ही जाता रहा था।"<sup>2</sup>

1 मोल्सवर्थ सेफ्टीनेट जनरल जी० एन० अफगानिस्तान (1919) 1962 प० 27।

2 वही प० 23।

## शांति संधि

“बाबुल नदी के पार दक्का में जो लड़ाई हुई उसमें ब्रिटिशों के 22 सैनिक मारे गये और 157 घायल हुए और अफगानों के 200 मारे गये और 400 घायल हुए। हंडलेपज हवाई जहाज द्वारा काबुल पर 24 मई का बमबारी हुई जिससे क्षेत्र में चिंता व्याप्त हो गई। हरम की महिलाय इससे इतना घबड़ा गई कि “वे गलिया की तरफ भागी। यह अत्यधिक लज्जाजनक घटना थी जो इस राजधानी में भोगी थी। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ।”<sup>1</sup> अफगानों की शक्ति शीघ्र ही टूट गई और संधि के लिए वार्ताचीत को आतुर हो गया। 8 अगस्त 1919 को शांति संधि तय हो गई। अफगानों को अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त हो गया। ब्रिटिश शिष्टमंडल जो वार्ता के लिए गया था उसने अपने प्रतिद्वंद्वी शिष्टमंडल से कहा जिसकी भाषा थी “जो शांति संधि हम आपको प्रदान कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके आन्तरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करता हो।” इस संधि के फलस्वरूप ब्रिटिशों ने अफगान राज्य के सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने पास नहीं रखा। अमीर को आर्थिक सहायता देनी भी बंद कर दी गई। पर उसे भारत से होकर हथियार मगान की अनुमति अब भी प्राप्त थी। आपसी शिष्टमंडल के आदान प्रदान की व्यवस्था हुई। कहा जाता है अफगानों से कठोर रुख अपनाकर संधि की गई। पर यह स्पष्ट है कि मोलस्वथ का यह मत सही नहीं है कि उस क्षेत्र में यथास्थिति कायम कर दी गई। अफगान पक्ष का मधि सबधी नेता सरदार अली अहमद की बात संभवतः सत्यता के अधिक निकट है जिसे उसने 12 अगस्त का जलालाबाद की एक सभा में घोषित करते हुए कहा, ‘अफगानिस्तान ने लड़ाई जीत ली है और ब्रिटिश दक्का को खाली करेंगे और जो हानि उहों की है उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।’<sup>3</sup> ब्रिटिशों के अधिकार में जितने भी क्षेत्र थे, खाली कर दिए गए।

## युद्ध का प्रभाव

पर ब्रिटिश उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र पूणतया अव्यवस्थित हो गया और शांति स्थापित करने में कई वर्ष लग गये। लगभग सभी कबीला की सेना जिस कजन न संगठित किया था। इस अवसर पर ब्रिटिशों का माय देन की जगह विरोध में खड़ी हो गई। बहुत से तो प्रारंभ में ही साथ छोड़कर चले गये और

1 स्विसन आधार पूर्वोद्धत प० 277।

2 प्रसाद की० पूर्वोद्धत, प० 46।

3 देखें, मोलस्वथ पूर्वोद्धत प० 93, 95।

इस तरह शक्ति का सरल होन की जगह य एक कठिनाई युद्ध काल तक के लिए बन गया। उस तरह की बाते खबर राइफल्स के माप हूड। मलिक दीनखाल अफरीदिया के नेता व मलिक यार मुहम्मद न जमकर कबीलों म विद्रोह की आग भडकाइ। टोची वजीरिया न भी विद्रोह किया जिम्मा प्रभाव आरी वजीरिस्तान मिलीशिया पर पडा। दक्षिणी वजीरिस्तान मिलीशिया लाग न भी विरोध किया जिसके कारण ब्रिटिश न वाना जैसे स्थाना म सैनिका का हटवा ही दिया। इस स्थान का खाली करत समय म्यामिभक्त सैनिका पर आक्रमण किया गया। ऐसा वाना म ही हुआ जिसके कारण भी ब्रिटिश को हानि पहुची। 1921-22 के बीच ब्रिटिश को वजीरिस्तान म शांति स्थापनाथ महग आक्रमण करन पडे। सच तो यह था कि उत्तर पश्चिम सीमा क्षत्रा म अफगान एजेण्टा न ब्रिटिश क विरुद्ध इतनी आग लगा रखी थी कि 8 अगस्त की शांति का समाचार उह आश्चर्य म डाल गया। कबीले के सरगारा न अमीर स भेट की और इतन जल्दी सधि कर लेन का बुरा माना और उ ह लूटमार का अवसर नहीं मिला। इसका खेद व्यक्त किया पर अमीर न यह इंगित किया कि शीघ्र ही ब्रिटिश के विरुद्ध पुन युद्ध की घोषणा होगी, वे उस अवसर के लिए तयार हा।

जो कुछ सीमा पर युद्धकाल म हुआ उसम इतना स्पष्ट हो गया कि वजन की सीमा नीति अपनी प्रथम परीक्षा म असफल हो गई। सर बटफेजर टाइलर जिसे सीमा पर काम करने का काफी अनुभव था जोर जा 1935 मे अफगानिस्तान के लिए ब्रिटिश मंत्री बनाया गया, उनका कहना था कि "मुझे तो सदेह होना है कि क्या वजन न पूरी सीमा समस्या के मूलभूत समस्या के विषय म गुनाधुना भी। उसकी नीति निश्चित रूप से उनके दडात्मक आक्रमण पर रोक नहीं लगा पायो और न ही उसकी नीति से सीमा के जिला से लोग आक्रमण से सुरक्षित हा पाय वजन की नीति न कबीलो स हमारे सबध को नेश मान भी नही बढाया और यह ततीय अफगान युद्ध के दबाव म टूट गया नयाकि ब्रिटिश के सीमा पार के क्षेत्रो पर से नियंत्रण अफगान सेना के आते ही समाप्त हो गया।"<sup>1</sup>

आग्ल अफगान सबधा म ततीय अफगान युद्ध अंतिम महत्त्वपूर्ण घटना है। इसलिए यह उपयुक्त हागा कि यहा पर कुछ शब्द इन सबधो की कहानी को पूरा करने के लिए कह लिये जाय जो भारत की स्वतंत्रता तक हमारे सामन आय। अगस्त 1919 की सधि न अफगानिस्तान का एक नवीन स्थिति प्रदान कर दी। सच तो यह था कि यह ब्रिटिश द्वारा राष्ट्रवादी तत्त्वा की स्पष्ट स्वीकारावित थी

1 रिक्सन आर्थर पूर्वोद्धत, प० 262 मे उद्धत।

जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे एशिया में उभर रही थी। ब्रिटिशों ने यह जान लिया कि अब भारत की सीमाओं पर अर्थ सहायता से प्रभावित मित्र राज्यों को बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है। जैसे ही अमानुल्ला ने ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पायी उसने यूरोपीय राज्यों से मैत्री विकसित करनी प्रारंभ कर दी। पुरातत्त्ववेत्ता, वैज्ञानिक और तकनीकी लोग इटली, फ्रांस और जर्मनी से अफगान स्रोतों को खोजने के लिए बुलाये गए। सोवियत संघ से एक संधि की गई जिसके अंतर्गत अमानुल्ला को हथियारों की भेंट प्राप्त हुई और कुछ लाभ भी प्रदान किये गए। बाद में अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच उर्तातगई में 1925 में खटपट भी हो गई। पर शीघ्र ही शांति की स्थापना हो गई और दोनों देशों के बीच युद्ध न करने की संधि हो गई। इस काल में वैसे तो ब्रिटिशों ने अफगानों के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया, पर कभी कभी उनकी चिंता यह देखकर बढ़ जाती थी कि किस तरह सोवियत संघ ने अपने नियंत्रण में किरगिजिया, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमिनिस्तान में गणतंत्र की स्थापना कर दी, जबकि बुखारा के अमीर को काबुल में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। पर उन्होंने अपनी भावनाओं को शांत रखा और अफगानों के आन्तरिक व बाह्य नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अमानुल्लाह ने अफगानिस्तान का पश्चिमीकरण भी किया। पश्चिमी जीवन, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था और पश्चिमी ढंग का प्रशासन सब का वहां स्वागत होना लगा। पर कट्टर अफगान उसके साथ इस क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं थे। अमानुल्लाह का आधुनिकीकरण का प्रयास लगा के घम में स्पष्ट हस्तक्षेप माना जाने लगा। उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे अपना देश छोड़कर इटली में शरण लेनी पड़ी। सनापति नादिर खां न शासन अपने हाथ में लिया और एक नये वंश की नींव डाली। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य तमाम यूरोपीय देशों ने तुरंत नादिर खां को शासक स्वीकार किया और आंग्ल-अफगान सीमाओं पर उसके और उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी शांति बनी रही। स्थिति यह थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण का विरोध अफगानिस्तान स्वयं करेगा, यह मान लिया गया। 1919 की शांति संधि से जो नयी नीति उभरकर सामने आई उसे भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट लॉर्ड जेटलैंड ने 1940 में इस तरह से प्रस्तुत किया "एक शक्तिशाली, स्थायी और मैत्रीपूर्ण अफगान प्रशासन में ब्रिटिशों की सदा रुचि रही है और आज तो और भी पहले से अधिक। और यदि हमने भूतकाल में अपने लाभ के लिए उनपर नियंत्रण स्थापित किया और उनकी आर्थिक सहायता की, तो अब हमने उस लाभ का भी अनुभव कर लिया है जो हमने उनके यहां स्थायी मैत्रीपूर्ण और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के माध्यम से

प्राप्त किया है। हम इस बात से मतुष्ट हैं कि एक स्वतंत्र सप्रभु राज्य की मंत्री का आधार अधिक शक्तिशाली होता है वनिस्वत इसके कि राज्य अशांत दास भाव में जकड़ दिया जाय जो स्वतंत्रता प्रेमी अफगाना के लिए कष्टकर हो। इससे दाना देशा का हित साधन हाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच शक्तिशाली मंत्री का भाव है वह कोई भी देय सकता है। दोना दशा की भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितिया से यह स्पष्ट है।”<sup>1</sup>

---

1 प्रसाद बी० पूर्वोक्त पृ० 48 49।

## ग्रन्थ-सूची

- अभ्यकर, एम० जी० द राजपूत राइफिल्स, बम्बई, 1961 ।
- अद्ये, जे० एम० इंडियन फ्रंटियर पालिसी, 1897 ।
- अप्रवाल, आर० एन० नेशनलिस्ट मूवमे ट ऐण्ड कास्टीच्युशनल डेवलपमेण्ट  
आफ इंडिया, दिल्ली, 1967 ।
- अहलूवालिया, एम० एम० फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, दिल्ली, 1965 ।
- अहमद जमोलुद्दीन द इंडियन कास्टीच्युशनल टैंगल ।
- अहमद, सफी ब्रिटिश ऐग्रेसन इन अवध, मेरठ, 1969 ।
- अहमद, जेड० ए० इंडियन फेडरेशन ।
- अहमद, सर सय्यद एस्से आन काजेज आफ इंडियन रिवोल्ट, अनुवाद एम० एन०  
सीस ।
- अल्डर, जी० जे० ब्रिटिश इंडियाज नादन फ्रण्टियर, लंदन, 1967 ।
- अलेक्जेंड्रोविच, सी० एच० कास्टीच्युशनल डेवलपमेण्ट आफ इंडिया,  
1957 ।
- अली, शहमत सिल्लस ऐण्ड अफगांस ।
- अमरनाथ, दीवान जफरनामा-ए रणजीत सिंह ।
- अम्बेडकर, बी० आर० इवोल्यूशन आफ प्राविशियल फाइनैन्स इन ब्रिटिश  
इंडिया ।
- अमीर, अल्लुरहमान आटोबाईग्राफी भाग 2, 1900 ।
- अमतसर खाल्सा कासेज पब्लिशड बाई सेटोनरी वाल्युम आफ रणजीत सिंह ।
- अप्पादोराई, ए० डयारकी इन प्रैक्टिस ।
- अथाल्ये द लाइफ आफ लोकमाय तिलक ।
- अजीज, के० के० ब्रिटेन ऐण्ड मुस्लिम इंडिया, लंदन, 1963 ।
- आनंद, सी० एल० हिस्ट्री आफ गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ।
- आयर, डब्ल्यू० जी० पेरिंटिंग्स आफ द सिन्ध, लण्डन, 1966 ।
- आनल्ड, यडविन माविक्स आफ डलहीजीज ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ब्रिटिश इंडिया,  
2 भाग ।

आयर, सर जी० लाइफ आफ लाड किचनर ।

इल्बट, सी० पी० द गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ।

इल्बट, सी० पी० हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ।

इस द सिप्वाय रिवोर्ट ।

ईश्वरी प्रसाद ऐण्ड, के० एस० सूबेदार ए हिस्ट्री आफ माडन इंडिया ।

ओसबर्न, हान, डब्ल्यू० जी० द कोट ऐण्ड बैम्प आफ रणजीत सिंह, 1840 ।

ओ डायर, माइकेल इंडिया ऐज आई नो इट (1885-1925) लदन, 1925 ।

ऑगमौगटिन ए हिस्ट्री आफ बर्मा, यु० एस० ए० 1967 ।

ए सिम्पोजियम रिवैलियन, 1857 ।

ऐडम्स, ऐंड्रिथ वाडरिंग आफ ए नेचुरलिस्ट इन इंडिया, एडिनबरा, 1867 ।

ऐतचिसन सी० पी० ट्रीटीज, इनरगेजमेण्टस ऐण्ड सनदस, रेलीवे ट वाल्युम्स,

कलकत्ता, 1876 ।

ऐतचिसन सी० एच० लाड लारेस ।

ऐथर, सर पी० एस० एस० इंडियन क्स्टीच्युशनल प्रावलम्स ।

ऐड्रूज, सी० एफ० द राइज ऐण्ड ग्रोथ आफ कांग्रेस इन इंडिया कलकत्ता,

1967 ।

ऐड्रूज, सी० एफ० इंडिया ऐण्ड हर नेवस ।

ऐड्रूज, डब्ल्यू० पी० जवर साइटिफिक फ टियर ।

कोटमन द रोड टु सेल्फ गवर्नमेण्ट ।

कोलचेस्टर द इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ लाड एलेजबरो, लदन, 1874 ।

कोल्ब्रोक, एच० टी० लाइफ आफ एलफिस्टन, 2 भाग ।

काल्विन, ए० जान रसेल कार्विन ।

कोमिंग, सर जान पालिटिकल इंडिया, दिल्ली, 1968 ।

काटन, सर हेनरी इंडिया ओल्ड ऐण्ड निव ।

काटन, सर हेनरी इंडियन ऐण्ड होम मेमरीज ।

काटन, सर हेनरी निव इंडिया इंडिया इन ट्राजिसन ।

कूपनड, आर० इंडिया, ए रीटेस्टामेन्ट ।

कूपलड, आर० द इंडियन प्रान्लेम (1833 1935) 1945 ।

कोट, मेजर हेनरी हिस्ट्री आफ द सिख्स, लाहौर 1888 ।

कोवेस, हबट हिस्ट्री ऐण्ड कास्टीच्युशन आफ द कोट स ऐण्ड लेजिस्लेटिव

अथारटीज इन इंडिया, 1936 ।

क्रेडक, रेजोनाल्ड डेलीमा इन इंडिया ।

कनिंघम, सर एच० एस० अल आफ कनिंग, हटर सिरीज ।

कनिंघम, जे० डी० हिस्ट्री आफ द सिख्स, दिल्ली, 1966 ।



- कटिप एम० एम० एम० ।  
 कबंन बाबंनपनिबन इतिहास बरनमन्ड इन इडिया १९२१ ।  
 कबंन बाबंनपनिबन रक्त इन मेन्डुन एडिन ।  
 कबंन बाबंनपनिबन रिज नीचेव ।  
 कम्प राबटं निरिडिडिड एंड ओरिडिडिड एमेव ।  
 कबंर, हुमायू द इडियन इतिहास बम्बई १९६४ ।  
 कबंर हुमायू इतिहास पानिडिडिड एंड एडर एमेव कतक १९०० ।  
 कर्नाणान तारते पञ्जाब इतिहास इतू पञ्जाबी बरि डे एम० एडिडिडिड  
 १९६८ ।  
 कनूर डी० के० जुडीनिडरी इन द पञ्जाब सरीर १९२९ ।  
 कनूर एम० एम० कन्मीर साउथ एंड स्नैड १९६९ ।  
 कतम निह (हिस्टोरियन) सत्करण डून्ने इतिहास ९ लेख पञ्जाबी ।  
 कतनडिडिड एम० ए० इतिहास इन इडियाज इतिहास दु नडिडिडिड बम्बई  
 १९६८ ।  
 कतनडिडिड डी० पी० रितीबिन एंड पतिडिडिडिड पञ्जाब इन इडिया,  
 नतकना १९६५ ।  
 कतनडिडिड डी० पी० नाडन इडियन पानिडिडिडिड डूडोत ।  
 कानडुर, पनिबरड ड्राम सेडीनरी वानुम धाक राजीत निह ।  
 कम्पवेल जाड मेनापन धाक माई इडियन कैरियर २ भाग सडर, १९०३ ।  
 कोटमंन, जे० इडियन रिडिड १९३२ ।  
 कोणिक पी० डी० द काप्रेस आरिडिडिडिडिड एंड एडराम बम्बई, १९६४ ।  
 केयी सर जान हिस्ट्री आफ द वार इन पञ्जाबनिरता २ भाग १८७४ ।  
 केयी सर जान क्रिडिडिडिडिड इन इडिया १८५९ ।  
 केयी सर जान ऐण्ड मलीसन हिस्ट्री धाक द इडिया म्युडिडिडिड, ६ भाग ।  
 कोर, धनन्यम लोकमान्य तिलक, बम्बई १९६९ ।  
 कोय, ए० बी० ए वानुडीवुडनत हिस्ट्री धाक इडिया, इतिहास, १९६१ ।  
 कोय, ए० बी० स्पीचेज ऐण्ड डाक्यूमेण्ट्स धाक इडियन पानिडिडिड, भाग १ व २ ।  
 केलक महादेव गोविंद रानाडे ।  
 केरल पुत्र वकिग आफ ड्यारवी इन इडिया (१९१९-२९) ।  
 किनकेड, सी० ए० ए हिस्ट्री आफ द मराठा पीपल, दिल्ली, १९६८ ।  
 किशोर, विज ताराबाई ऐण्ड हर टाइम्स, बम्बई १९६३ ।  
 कोयानेक, स्टेनले ए० द काप्रेस पार्टी आफ इडिया १९६८ ।  
 कोहली, सीताराम सन सेट आफ द सिध इम्पायर, बम्बई, १९६७ ।  
 कोहली, सीताराम रणजीत सिंह (पञ्जाबी) ।

कृष्णा, के० बी० द प्रब्लम आफ माइनारिटीज ।

कुलकर्णी, बी० बी० ब्रिटिश डोमीनियन इन इंडिया ऐण्ड आफ्टर, बम्बई, 1964 ।

कुलकर्णी, बी० बी० ब्रिटिश स्टेटसमेन इन इंडिया, बम्बई, 1961 ।

कुमार, रबीन्द्र इंडिया ऐण्ड द पसियन गल्फ रीजन, कलकत्ता, 1965 ।

कुंजर पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया ।

कानूनगो, फातिकारजन स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री, दिल्ली, 1960 ।

खान आगा, एच० एच० इंडिया इन ट्राजिसन, 1918 ।

खान, गुलाम हुसेन सियाहल मुखरोन, कानपुर, 1897 ।

खान, मोर मुशी, सुलतान मुहम्मद द लाइफ आफ अब्दुरहमान अमीर आफ अफगानिस्तान, 2 भाग ।

खेडा, पी० एन० ब्रिटिश पालिसी टुवडस सिध, दिल्ली, 1963 ।

खेडा एस० एस० इंडियाज डिफेस प्रब्लम, बम्बई, 1968 ।

खुशवत सिंह ए हिस्ट्री आफ द सिख्स, 2 भाग ।

खुशवत सिंह फाल आफ द किंगडम आफ पजाब ।

गैडा सिंह प्राइवेट करेस्पॉन्डेस रिप्लेटिंग टु द ऐंग्लो सिख वास (सस्करण) ।

गंडा सिंह द पजाब इन 1839 40 ।

गागुली बी० एन० दादा भाई नौरोजी ऐण्ड द ड्रेन थियरी, बम्बई, 1965 ।

गायकवाड, बी० आर० द ऐंग्लो इंडियंस, लदन, 1967 ।

गाडनर, अलेक्जान्डर मेमायस आफ अलेक्जान्डर गाडनर, सस्करण, ह्युपियर्स गजेटियस, डिस्ट्रिक्टस, गुजरानवाला जालधर, मुल्तान ।

गरेट, जी० टी० लीगसी आफ इंडिया ।

गिब एच० ए० आर० मोहम्मडनिज्म ऐन हिस्टारिकल सर्वे लदन, 1949 ।

गिलियट, एडवर्ड हीरोज आफ माडन इंडिया, दिल्ली 1971 ।

गोल्डबग एन० एम० तिलक ऐण्ड स्ट्रगल फार इंडियन फ्रीडम, नई दिल्ली, 1966 ।

गाडन, जनरल सर जान द सिख्स, 1904 ।

गोफ, जन० सर चार्ल्स ऐण्ड इंस, आयर डी द सिख्स ऐण्ड द सिख वास, 1897 ।

ग्रहम पोल, मेजर डी० ऐण्ड शिवराम बी० द प्रब्लम आफ इंडिया ।

ग्रहम मेजर जी० एफ० एल० द लाइफ ऐण्ड वक्स आफ सर सैयद अहमद खा ।

ग्राण्ट, हाप इसीडेन्स इन द सोव्हाय म्युटिनी ।

ग्रे ऐण्ड गार्नेट युरोपियन ऐडवोचरस आफ नादन इंडिया ।

ग्रिफिन, लेपेल रणजीतसिंह, इंडियन रीप्रिट, दिल्ली, 1967 ।

- ग्रिफिथ्स, पर्सौवस द ब्रिटिश इम्पक्ट आन इंडिया, लंदन, 1952 ।
- गुप्ता, एच० आर० पंजाब आन द रूव आफ द फस्ट सिख वार, (होशियारपुर, 1956) ।
- गुप्ता, एच० आर० हिस्ट्री आफ द सिन्ड्स, 3 भाग ।
- गुप्ता, मनोरजन जगदीशचंद्र बोस, बम्बई, 1964 ।
- गुप्ता, प्रतुलचंद्र नाना साहय ऐण्ड द राईजिंग ऐट कानपुर, लंदन, 1965 ।
- गुप्ता, प्रतुलचंद्र वाजीराव II ऐण्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, बम्बई, 1964 ।
- गुप्ता, मुभाषचंद्र अग्रेरियन रिक्लेशंस ऐण्ड अर्ली ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कलकत्ता, 1963 ।
- घोष, दिलीप कुमार इंग्लैण्ड ऐण्ड अफगानिस्तान, कलकत्ता 1960 ।
- घोष, शंकर द वेस्टन इम्पक्ट आन इंडियन पालिटिक्स, बम्बई, 1967 ।
- घोष, शंकर द रिक्लेशंस टू मिलीटेड नेशनलिज्म इन इंडिया, बम्बई, 1969 ।
- घोष, बी० सी० द डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता, 1960 ।
- घोष प्रेस ऐण्ड प्रेस लाज इन इंडिया ।
- घोषाल, यु० ए० ए हिस्ट्री आफ इंडियन पब्लिक लाइफ, लंदन, 1966 ।
- घलपतिराव द प्रेस इन इंडिया लंदन, 1968 ।
- घट्टोपाध्याय गौतम अवेकनिंग इन बंगाल इन अर्ली नाइनटीथ सेचुरी, कलकत्ता, 1965 ।
- धमनलाल द वैनिशिंग इम्पायर, नई दिल्ली, 1969 ।
- घट्ट, जगप्रवेश देलही, ए पालिटिकल स्टडी, दिल्ली 1969 ।
- घटर्जी, अमिया द नास्टीच्युशनल डेवलपमेंट आफ इंडिया, 1937-47, कलकत्ता, 1958 ।
- घटर्जी, अतुलचंद्र द निव इंडिया, लंदन, 1948 ।
- घटर्जी, बी० सी० द हाट आफ आर्यावत ।
- घटर्जी, ए० सी० इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, 1947 ।
- चक्रवर्ती, असलानद हिंदूज ऐण्ड मुस्लिम्स आफ इंडिया ।
- चले, जे० ऐडमिनीस्ट्रेटिव प्राब्लम आफ ब्रिटिश इंडिया ।
- चौधरी, एस० बी० सिविल रिक्लियन इन द इंडियन म्युटिनीज, (1857-59) कलकत्ता, 1967 ।
- चौधरी, एस० बी० थोयरीज आफ इंडियन म्युटिनी, कलकत्ता, 1966 ।
- चावडा, बी० के० गायकवाडस ऐण्ड द ब्रिटिश, दिल्ली, 1967 ।
- चित्तामणि, सी० घाई० इंडियन पोलिटिक्स सिंस म्युटिनी ।
- चेन्ने, जी० एम० इंडिया अंडर एक्सपेरीमेंट, 1918 ।

चेस्ने, सर जार्ज द इण्डियन पालिटी ।

चिरोल, बाले टाइन इण्डियन अनरेस्ट ।

चिरोल, बाले टाइन इडिया, ओल्ड एण्ड निव, लदन, 1921 ।

चोपडा गुलशनलाल द पञ्जाब ऐज ए सावरेन स्टेट, होशियारपुर, 1960 ।

चौधरी बी० एस० पी० इम्पीरियल पालिसी आफ ब्रिटिश इन इडिया, कलकत्ता, 1968 ।

चौधरी, राष्ट्राकृष्ण हिस्ट्री आफ बिहार, पटना, 1958 ।

छाबडा जी० एस० मोशल ऐण्ड इवोनामिव हिस्ट्री आफ द पञ्जाब, 1849-1901, जालधर, 1962 ।

छाबडा जी० एस० एडवाइड हिस्ट्री आफ द पञ्जाब, 2 भाग, जालधर, 1968 ।

जगदीशराज द म्युटिनी ऐण्ड ब्रिटिश सैण्ड पालिसी इन नाथ इडिया, बम्बई, 1965 ।

जकारिया, एच० गिनेसेट इडिया, 1933 ।

जेंटलैण्ड, लाड स्टेप्स टुवडस होम रुल ।

झा, जगदीशचन्द्र भूमिज रिबोल्ट, दिल्ली, 1967 ।

टगोर, सर रवी ब्रनाथ नेशनलिज्म, 1921 ।

टेलर, एम० कर्पेसस आफ ए ठग ।

टेम्पुल, सर भार० जोरियटल एक्सपीरियन्स ।

टेम्पुल, सर भार० मेन ऐण्ड इवेटस आफ माई टाइम इन इडिया ।

टेम्पुल, सर भार० इडिया इन 1880 ।

टिकर, ह्यू फाउण्डेशंस आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट इन इडिया, पाकिस्तान ऐण्ड बर्मा, 1967 ।

टिकर, ह्यू दी आरियण्टेजस, 1965 ।

टाइटस इडियन वस्ताम, 1930 ।

टोपा, आई० एन० द ग्रीप ऐण्ड डेवलपमेण्ट आफ नेशनलिस्ट थाट आफ इडिया, 1930 ।

टवायनबी, आनड्ड बन बल्ड ऐण्ड इडिया ।

ट्रेवेलियन, सी० एफ० आन द यजूवशन आफ द पीपुल आफ इडिया, 1838 ।

ट्रेवेलियन, जी० बी० कण्टीशनवाला ।

ट्रेवेलियन, जी० एस० कानपुर ।

ट्राटर, एल० जे० हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इम्पायर इन इडिया ।

ट्राटर एल० जे० द अल आफ आकलैण्ड, 1893 ।

टामस, एफ० डब्लू ब्रिटिश एजूवेशन इन इडिया ।

- टाम्सन, एडवर्ड ऐण्ड गैरेट जी० टी० राइज ऐण्ड फुलफिलमेण्ट आफ ब्रिटिश  
रून इन इंडिया, इलाहाबाद, 1962 ।
- टाम्सन एडवर्ड ऐण्ड गैरेट जी० टी० द मॉकिंग आफ द इंडियन प्रिंसेज,  
आक्सफर्ड युनीवर्सिटी प्रेस, 1943 ।
- टाम्सन ई० द अदर साइड आफ द मेडल, 1925 ।
- टाम्सन, ई० लाड मेटकाफ ।
- टाम्सन, ई० सी० एम० इंडिया आफ टुडे 1913 ।
- ठाकोर, बी० के० इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टु द डान आफ रिसपासिबल  
गवर्नमेण्ट ।
- डेवीज द प्रॉब्लम आफ नाथ वेस्ट क्रटियस, 1932 ।
- डेपोल, जी० एस० द रोल आफ द गनर पार्टी इन द नेशनल मूवमेण्ट, दिल्ली,  
1969 ।
- डिग्बी प्राप्तपरस ब्रिटिश इंडिया ।
- डाडवेल, एच० एच० (संस्करण) द कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग 5,  
एव 6, दिल्ली, 1964 ।
- डॉंगरकेटी, एस० आर० मंमायस आफ द युनिवर्सिटीज, बंबई, 1966 ।
- डफ, जेम्स ग्राण्ट हिस्ट्री आफ द मराठाज, भाग 3, 1912 ।
- डफरिन, मार्क्विस्स आफ आवा स्पीचेज डेलीवर्ड इन इंडिया ।
- डूरण्ड, सर एच० यरियन द फ्रंट अफगान वार ऐण्ड इट्स काजेज, 2 भाग ।
- ताराचंद हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया, भाग 1 व 2 ।
- तेहमाकर, डी० बी० लोकमाय तिलक ।
- तिलक, बी० जी० राइटिंग्स ऐण्ड स्पीचेज ।
- थानबन, एस० एस० द पजाब इन पीस ऐण्ड वार लदन, 1901 ।
- थानटन हिस्ट्री आफ द ब्रिटिश इम्पायर इन इंडिया, 2 भाग ।
- थानटन रिचर्ड मीड ।
- थकबल, एडवर्ड जोसेफ नरेटिव आफ द सेकण्ड सिख वार इन 1848-49,  
लदन, 1851 ।
- थेसाई ए० आर० सोशल बैंक ग्राउंड आफ इंडियन नेशनलिज्म, 1948 ।
- बिवाकर, आर० आर० महायोगी श्री आरविंदो, बम्बई, 1967 ।
- दुआ, आर० पी० द इम्पैक्ट आफ द रसो जापानीज (1905) वार आन  
इंडियन पॉलिटिक्स, दिल्ली, 1966 ।
- दास, सी० आर० इंडिया फार इंडियंस, 1918 ।
- दास, एम० एन० द इकोनामिक एण्ड सोशल डवलपमेण्ट आफ माडन इंडिया,  
बलुक्ता, 1959 ।

- दास, एम० एन० इडिया ऐण्ड मार्ले ऐण्ड मिण्टो, लदन, 1969 ।
- दुर्गावास इडिया फ्राम कजन टू नेहरू ऐण्ड आफ्टर, 1969 ।
- दत्त आर० सी० द इकोनामिक हिस्ट्री आफ इडिया ।
- दत्त, आर० सी० इडिया इन द ब्रिटोरियन एज ।
- दत्त, आर० सी० कलकत्ता हेरिटेज आफ बंगाल, कलकत्ता 1962 ।
- द्वारकावास काजी इडियाज फाइट फार फ्रीडम, बम्बई, 1966 ।
- धर्म कुमार लड ऐण्ड कास्ट इन साउथ इडिया, लदन, 1966 ।
- धमपाल ऐडमिनिस्ट्रेशन जाफ सरजान लारेस इन इडिया, 1864 69, शिमला, 1952 ।
- नालीज हेनरी द सिप्वाय म्युटिनी, कम्पाइल्ड फ्राम प्राइवेट जनल्स आफ जन० सर होप ग्राण्ट ।
- नादकर्णी, आर० बी० राज ऐण्ड फाल आफ द मराठा इम्पायर, बम्बई, 1966 ।
- नयियर बिलियम द कान्क्वेस्ट आफ सिंध ।
- नारज गोकुलचंद ट्रासफार्मेशन आफ सिखिज्म, नई दिल्ली, 1960 ।
- नरगिस, दीवान नरसिंह दास गुलाबसिंह ।
- नटराजन, ऐस० ए सेचुरी आफ सोशल रिफार्म्स इन इडिया, 1959 ।
- नटराजन, ऐस० हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इडिया, लदन, 1962 ।
- नेहरू, जवाहर लाल डिस्क्वरी आफ इडिया ।
- नेहरू, जवाहर लाल ऐन आटोबाइग्राफी, बम्बई, 1952 ।
- नेहरू, जवाहर लाल इडिया ऐण्ड द वर्ल्ड ।
- निदरकाट, आथर एच० द फस्ट फाइव लाइंस आफ एनी बेसेट, लदन 1961 ।
- निदरकाट, आथर एच० द लास्ट फोर लाइंस आफ एनी बेसेट, लदन, 1963 ।
- निवटन ए० पी० ए हूड्रेड इयर्स आफ द ब्रिटिश इम्पायर, लदन, 1967 ।
- नामम, मुहम्मद द मुस्लिम इडिया ।
- नारिस, जे० ए० द फस्ट अफगान वार (1838 42), कैंब्रिज, 1967 ।
- नोबिसन द निव स्पिरिट इन इडिया ।
- पाल, बी० सी० मिसेज एनी बेसेट ।
- पलादे, एम० आर० ऐन इंट्रोडक्शन टू इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन ।
- पामर, जे० ए० बी० द म्युटिनी आउटब्रेक ऐट मेरठ इन 1857, लदन 1966 ।
- पांडे, बी० एन० इंट्रोडक्शन आफ इगतिश ला इन ट इडिया, बम्बई 1967 ।
- पांडे, बी० एन० राज आफ माडन इडिया, 1967 ।

- पाणिक्कर, के० एम० फौज डेशनस आफ निव इडिया ।  
 पाणिक्कर, के० एम० आइडियाज आफ सावरेण्टी ऐण्ड स्टेट इडियन  
 पालिटिवल थाट, बम्बई, 1963 ।  
 पाणिक्कर, के० एम० द नेटिव स्टेटस आफ इडिया ।  
 पाणिक्कर, के० एम० रिलेशंस आफ इडियन स्टेटस ।  
 पाणिक्कर, के० एम० स्टडीज इन इडियन हिस्ट्री, 1963 ।  
 पाणिक्कर के० एम० गुलाब सिंह ।  
 पाणिक्कर, के० एम० इंट्रोडक्शन टू स्टडी आफ रिलेशंस आफ इण्डियन स्टेटस  
 टू गवर्नमेण्ट आफ इडिया ।  
 पाणिक्कर, के० एम० इवोल्युशन आफ ब्रिटिश पालिसी टूवर्डस इडियन  
 स्टेट्स (1774 1858)  
 पजाब सेन्स रिपोर्टस आफ 1881, 1891, 1901  
 पजाबी, के० एस० सिविल सर्वेण्टस इन इडिया, बम्बई, 1965 ।  
 पारेख ब्रह्म समाज ।  
 पावले, टी० बी० मेक्स आफ माडन इडिया, दिल्ली, 1964 ।  
 पाटिल, आर० सी० स्पीचेज आफ बाबू सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी ।  
 पवार ए० जी० स्टडीज इन इडियन हिस्ट्री, कोल्हापुर, 1968 ।  
 पेने, सी० एच० ए शाट हिस्ट्री आफ द सिक्स ।  
 पियसन, हस्केंघ द हीरो आफ दहली ।  
 पर्सावल, स्मिथर इडिया ए माडन हिस्ट्री ।  
 पर्सावल, प्रिफिय माडन इडिया ।  
 पर्सावल, प्रिफिय द ब्रिटिश इम्पक्टाण इडिया ।  
 पोल्स डी० प्रेहम, इडिया इन ट्राजिशन, लदन, 1932 ।  
 पावेल प्राइस, जे० सी० ए हिस्ट्री आफ इडिया ।  
 प्रधान, आर० एस० इडियाज स्ट्रगिल फार स्वराज ।  
 प्रसाद अम्बा द इडियन रिवोल्ट आफ 1942, देहली, 1958 ।  
 प्रसाद, विशेश्वर ओरीजिन आफ प्राविंसियल आटोनामी ।  
 प्रसाद, विशेश्वर अवर फारेन पॉलिसी लीगेंसी, नई दिल्ली, 1965 ।  
 प्रसाद बेनी हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, इलाहाबाद, 1947 ।  
 प्रसाद, विश्वनाथ द इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दिल्ली, 1968 ।  
 प्रसाद, एस० एन० पैरामाउंटसी अडर ड नहौजी दिल्ली, 1964 ।  
 प्रिसेप, एच० टी० ओरीजिन आफ द सिख पावर इन पजाब, 1834 ।  
 प्रिसेप ट्रैजिक्सस ।  
 पुनिया, के० बी० द कास्टीच्युशनल हिस्ट्री आफ इडिया, दिल्ली, 1964 । ...

- पिलो, एम०बी० वास्टीच्युशनल गवर्नमेन्ट इन इंडिया, बम्बई, 1965 ।
- फकूहर, जे० एन० भांडने रिलीजस मूवमेन्ट्स इन इंडिया, दिल्ली, 1967 ।
- फिशर हिस्ट्री आफ् यूरोप, एण्ड  
फ्रेजर, लोवेट इंडिया अंडर-कालम एण्ड आपटर ।
- फडनीस, उर्मिला टुवडस इटीग्रेसन आफ इंडियन स्टेटस, बम्बई, 1968 ।
- फिलिप, सी० एच० सेलेक्ट डाक्यूमेन्टस आन द हिस्ट्री आफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान ।
- थॉस, जे० एस० इंडियन इटरनेशनल डिस्प्युटस, बम्बई 1962 ।
- बेयर्ड, जे० सी० ए० प्राइवेट लेटस आफ डलहौजी ।
- बाजवा, फौजा सिंह मिलिटरी सिस्टम आफ द सिटम ड्युरिंग द पीरिएड (1799-1849) ।
- बक्सो, एस० आर० ब्रिटिश डिप्लोमॅसी एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, (1807-13), दिल्ली, 1970 ।
- बाल्फोर, बी० लिटस इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, 1899 ।
- बाल चाल्स हिस्ट्री आफ द इंडियन म्युटिनी, 2 भाग ।
- बनर्जी, ए० सी० ऐंग्लो सिख रिलेशंस, कलकत्ता, 1949 ।
- बनर्जी, ए० सी० द ईस्टन फ्रंटियस आफ ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता 1964 ।
- बनर्जी, ए० सी० इंडियन वास्टीच्युशनल डाक्यूमेन्टस, 3 भाग, 1946 ।
- बनर्जी, एस० एन० स्पीचेज एण्ड रार्टिंग्स ।
- बनर्जी, एस० एन० ए नेशन इन मेकिंग ।
- बाकर, ए० जे० द माच आन देहली, लदन, 1963 ।
- बाकर, ए० जे० नेगलेक्टेड वार मेसोपोटामिया (1914-18) लदन, 1969 ।
- बाकर, ए० टी० (संस्करण) द महात्मा लेटस ।
- बाटन, सर विलियम द प्रिसेज आफ इंडिया ।
- बसू, बी० डी० मेजर राइज आफ द त्रिभिचयन पावर इन इंडिया ।
- बसू, दुर्गादास वास्टीच्युशनल डाक्यूमेन्टस, कलकत्ता, 1969 ।
- बत्रा, एच० सी० रिलेशंस आफ जयपुर स्टेट विद ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली, 1958 ।
- बेलफोर, लेडी बेट्टी पसनल एण्ड लिटररी लेटस आफ जल आफ लिटन, भाग 2 ।
- बेलफोर, लेडी बेट्टी लिटस इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन ।
- बेस, इवान्स ऐन एनेक्सेसन आफ पजाब एण्ड महाराजा दिलीप सिंह, लदन, 1882 ।
- बेस, सर चार्ल्स तिब्वत पास्ट एण्ड प्रजेण्ट, लदन, 1968 ।



- बैन सर चान्मं द पीपुन चक्र निम्बन, लदन 1968 ।
- बेनो एच० डब्लू० नाथ वेन्ट फुन्डिबर ऐन्ड फरमानिस्तान ।
- बेनेन्ट एनी बिन्डर चक्र निव इन्डिया स्पीचेज ऐन्ड रारणित ।
- बेनेन्ट एनी इन्डिया ए नेशन 1930 ।
- बेनेन्ट एनी इन्डिया एन्ड द इन्मानर 1914 ।
- बेनेन्ट एनी द फुवर आक इन्डियन पॉलिटिक्स ।
- बेनेन्ट एनी हाऊ इन्डिया राट फ्रान फ्रीडन ।
- बेनेन्ट, एनी इन्डिया दैट पैत बी ।
- बेनेन्ट, एनी इन्डिया बाउंड चार फी, 1926 ।
- विमन दयाल एत० ए कन्ताइब हिस्ट्री आक मारीरत, बम्बई, 1965 ।
- बेनेडेनबा मेजर रांत आक द मार्क्विज आक हेल्डिस्त, (सस्करण) सर डब्लू० डब्लू० हटर ।
- बनट, डब्लू० एत० इन्डिया अडर रिपन—ए प्रार्वेट डायरी ।
- ब्लट डब्लू० एत० आइडियाज एबाउट इन्डिया ।
- बोस, एम० के० कल्चर ऐन्ड सोसायटी इन इन्डिया, बम्बई, 1967 ।
- बोस नेमाई साधन द इन्डियन नेशनल मूवमेन्ट, कलकत्ता, 1965 ।
- बूजर डेमेट्रियस सी० लाड विसियम बैटिक ।
- ब्रेक्सफोड, एच० एन० सजेक्ट इन्डिया ।
- ब्रोकवे ए० एफ० ए वीक इन इन्डिया ।
- ब्रूस, जाज रिट्रीट फ्राम बाबुल, लदन, 1967 ।
- बूचन जाज लाड मिन्टो ।
- बुचसड एफ० डब्लू० द पालिटिक्स थियरी आफ द इन्डिया म्युटिनी ।
- बुक, द बक्स आफ बहूस सस्करण, 4 भाग ।
- बटन, सेपटी० कनल फस्ट ऐन्ड सेवेण्ड सिथ पास ।
- भगत के०पी० डिबेड आफ इण्डो ब्रिटिश रिलेशन्स, बम्बई, 1959 ।
- भानु, धम हिस्ट्री ऐन्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ द नार्थ वेस्ट प्राविंसेज, आगरा, 1957 ।
- भाटिया, बी० एम० फेमोस इन इन्डिया, बम्बई, 1967 ।
- भाटिया, ओ० पी० सिंह हिस्ट्री आफ इन्डिया, 2 भाग, 7ई दिल्ली, 1965 ।
- मैकडानल्ड, जे० आर० गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ।
- मैकडानल्ड, रम्ने द अवेर्निंग आफ इन्डिया ।
- मकनिकल एन० द मेकिंग आफ माडर्न इन्डिया ।
- मकप्रेगर, डब्लू० एत० द हिस्ट्री आफ द सिखा, 2 भाग, लंदन, 1846
- मैकलागन, माइकेल बलीगेसी वॉनिंग, लंदन, 1962 ।

- महाजन, जगमोहन सरकैम्सर्ट सेज लीडिंग टु अनेक्सेसन आफ पंजाब (1846-49) इलाहाबाद, 1949 ।
- राहेश्वरी, एच० द फिलासफी आफ स्वामी रामतीर्थ, आगरा, 1969 ।
- मजूमदार, ए० के० ऐडवेट आफ इंडेपेंडेन्स, बम्बई, 1963 ।
- मजूमदार, बी० बी० इण्डियन पॉलिटिकल एसोशियेशन् ऐण्ड रिफॉर्मस आफ लेजिस्लेचर, कलकत्ता, 1965 ।
- मजूमदार, बी० पानिटिकल थॉट फ्रॉम राममोहन राय टू दयानंद ।
- मजूमदार, बी० सी० ऐण्ड अक्स ऐन एडवास्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया, 1963 ।
- मजूमदार, आर० सी० ग्लिम्पसेज आफ बंगाल इन द नाइनटीथ सेचुरी, कलकत्ता, 1960 ।
- मजूमदार, आर० सी०, हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इण्डिया, 3 भाग, कलकत्ता, 1963 ।
- मजूमदार, आर० सी० सीप्वाय म्युटिनी ऐण्ड रिबोल्ट आफ 1857, कलकत्ता, 1963 ।
- मजूमदार, आर० सी० प्री फेजेज आफ इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, बम्बई, 1967 ।
- मलकाम, जान द पालिटिकल हिस्ट्री आफ इण्डिया ।
- मैलकाम, जान सेट्रल इण्डिया ।
- मैलीसन द डेसोजिव वैंटल्स आफ इण्डिया, 1970 ।
- मैलीसन इण्डियन म्युटिनी आफ 1857 ।
- मलेट, बी० साइफ आफ लाड टामस जाज अल आफ लाड नाथब्रुक, 1908 ।
- मामुन, लेपटी० अन० सर जाज द इण्डियन स्टेट ऐण्ड प्रिसेज, 1936 ।
- मार्शमन, जे० सी० द हिस्ट्री आफ इण्डिया, 2 भाग ।
- मैरी, फाउंटेस आफ मिण्टो इण्डिया, मिण्टो ऐण्ड मार्ले (1905-19), 1914 ।
- मत्तानी, आर० पी० ब्रिटेन इन इण्डिया ।
- मत्तानी आर० पी० दादा भाई नौरोजी ।
- मसन, फिलिप द मन हू रुल्ड इण्डिया ।
- मंसन, चार्ल्स नैरेटिव आफ वीरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान ऐण्ड द पंजाब, 3 भाग, 1842 ।
- माधुर, जे० एस्० इण्डियन वर्किंग क्लास मूवमेण्ट, इलाहाबाद, 1964 ।
- माधुर, डी० बी० गोखले ए पॉलिटिकल आईग्राफी, बम्बई, 1966 ।
- माधुर, एल० बी० हिस्ट्री आफ अडमान नीकोबार आईलंड्स, दिल्ली, 1968 ।

माशस आन इण्डिया ।

मेहता, अशोक 1857 द ग्रेट रिबेलियन ।

मेहता, एम० एस० हेस्टिंग्स ऐण्ड इण्डियन स्टेटस (1930) ।

मेनन, बी० पी० माटेग्यु चेम्सफोर्ड रिफार्म्स, बम्बई, 1965 ।

मेरसे, विस्काउण्ट द बाइमराय ऐण्ड गवर्नर जनरलस आफ इण्डिया अहमदाबाद, 1949 ।

माटेग्यु, एफ० ए स्टडी आफ इण्डियन पॉलिसी इन बंगाल, दिल्ली, 1961 ।

मप्रेगर, डब्लू० एल० द हिस्ट्री आफ द सिख्स, 2 भाग, 1846 ।

मिल, जेम्स ऐण्ड विल्सन हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इण्डिया, 6 भाग ।

मिण्टो, काउण्ट आफ लार्ड मिण्टो इन इण्डिया ।

मिथा, बी० बी० जुडीसियल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कपनी इन बंगाल, दिल्ली, 1961 ।

मिथा, जी० एस० ब्रिटिश फारेन पालिसी ऐण्ड इण्डियन अफेयर्स, बम्बई, 1963 ।

मिथा, जे० पी० द एडमिस्ट्रेशन आफ इण्डिया अंडर लाड लैंसडाउन (1883-94), नई दिल्ली, 1975 ।

मिथा, के० पी० इण्डियाज पालिसी आफ रिकगनीशन आफ स्टेट्स ऐण्ड गवर्नमेन्ट, बम्बई, 1966 ।

मिश्र, गिशिर कुमार रिसर्जेण्ट इण्डिया, बम्बई, 1963 ।

मोदी, सर एच० फिरोजशाह मेहता ।

मोल्सवय, जी० एन० अफगानिस्तान, 1916, लंदन, 1962 ।

माटेग्यु, एडविन एस० ऐन इण्डियन शायरी ।

मून, पेण्डरेल डिवाइड ऐण्ड क्विट ।

मूर क्रॉफ्ट, डब्लू० ऐण्ड ट्रवेक जी० ट्रवेल्स इन हिमालयन प्राविन्सेज आफ हिंदुस्तान ऐण्ड पंजाब, पटियाला, 1970 ।

मोरलड, डब्लू० एफ० ऐण्ड चटर्जी ए शाट हिस्ट्री आफ इण्डिया ।

मार्ले, जे० रिकलेक्शंस, 2 भाग ।

मार्ले, जे० स्पीचेज आन इण्डिया ।

मारिसन, जे० एल० लाइफ आफ लाड एलिंगन ।

मोल्दन, ई०सी० लाड नाथब्रुकस इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली, 1968 ।

म्योर, रफ्जे मेविन आफ ब्रिटिश इण्डिया ।

मुजीब, एम० द इंडियन मुस्लिम्स, 1967 ।

मुकर्जी, हीरेन्द्र नाथ इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम ।

मकजो हरिदास विपिन चन्द्रपाल एण्ड इण्डियाज स्ट्रगल फार स्वराज, कलकत्ता, 1958 ।

मूकजी नीलमणि द रैयतवाडी सिस्टम इन मद्रास, कलकत्ता, 1962 ।

मुकजो, पी० इण्डियन कास्टीच्युशनल डाक्यूमेण्ट्स ।

मुकजो, राधा कमल लैंड प्रॉब्लम्स इन इण्डिया ।

मलिक जी० धी० लाड नाथब्रुक एण्ड हिज मिशन इन इण्डिया ।

मुशी, के० एम० इण्डियन कास्टीच्युशनल डाक्यूमेण्ट्स, 2 भाग, बम्बई, 1967 ।

मुंशी, के० एम० पिलग्रिमेज टु फ्रीडम ।

भरे रणजीत सिंह ।

यडवडस, मिलियट हीरोज आफ माडन इण्डिया, ओरियटल पब्लिशस, दिल्ली, 1971 ।

यडवडस, माइकेल हाई नून आफ इम्पायर, लंदन, 1965 ।

यडवडस माइकेल ब्रिटिश इण्डिया, लंदन, 1967 ।

यडवडस, माइकेल ए हिस्ट्री आफ इण्डिया, बम्बई, 1961 ।

यडवडस, माइकेल बटलर आफ द इण्डियन म्युटिनी, लंदन, 1963 ।

यडवडस, एच० एण्ड एच० मखिले लाइफ आफ सर हेनरी लारेस, लंदन, 1972 ।

यडवडस, मेजर जनरल हबट द लाइफ आफ हेनरी लारेस, 1872 ।

यमलरी, ऐसली चार्ल्स ग्राण्टस एण्ड ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, लंदन, 1962 ।

यरिक, टी० स्ट्रोबस द इंग्लिश युटीलिटेरियन इन इण्डिया ।

रहीम, एम० ए० लाड डलहीजी एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ द कान्क्वेरड ऐंड अनेक्वड स्टेट्स, बम्बई, 1963 ।

रहेजा, पी० सी० लैंड ट्रांसफार्मेशन, बम्बई, 1962 ।

रघुवंशी, बी० पी० एस० इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट एण्ड थाट ।

रत, आर० एस० लाइफ एण्ड कम्पेस आफ, ह्यू विस्काउट गाफ, 2 भाग ।

रामगोपाल ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, दिल्ली, 1963 ।

रामगोपाल इण्डियन मुस्लिम्स, बम्बई, 1964 ।

रामगोपाल लोकमाय तिलक ।

रानाडे, एम० जी० राइज आफ द मराठा पावर, बम्बई, 1961 ।

रगा अय्यर सी० एस० इण्डिया पीस आर वार, 1930 ।

रस्तोगी आर० एस० इण्डो अफगान रिलेशंस, 1880 1900 ।

रेंटविलफ एस० के० सर विलियम वेडरबन, लंदन, 1923 ।

राव, सर बेनेगल इण्डियाज कास्टीच्युशन इन द मेकिंग, बम्बई, 1960 ।

- रवीन्द्रकुमार वेस्टम इण्डिया इन द नाइनटी य सेचुरी, लंदन, 1968 ।  
 रातिगसन, एच० जी० द ब्रिटिश अचीवमेण्ट इन इण्डिया, 1948 ।  
 रे, पी० सी० लाइफ ऐण्ड टाइम्स आफ सी० आर० दास, आक्सफर्ड युनि-  
 वर्सिटी प्रेस, 1927 ।  
 रोड, सर स्टैनले द इण्डिया आई निव ।  
 रोज रसा, इण्डिया ऐण्ड पर्सियनगल्फ, 1903 ।  
 रेले, टी० लाड कजन इन इण्डिया, 1960 ।  
 रेनोल्डस, रेजीनाल्ड द ह्वाइट साहिब्स इन इंडिया ।  
 रिजले, हबट एच० द पीपुल आफ इण्डिया, दिल्ली, 1959 ।  
 राबट्स, पी० ई० हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया, 1958 ।  
 राबट्स रोड, सर इयर्स आफ चेज इन बंगाल ऐण्ड आसाम, 1966 ।  
 राबटसन, सी० जी० कुरुम, काबुल ऐण्ड कांधार ।  
 राबटसन, फ्रान्ट इगलैण्ड अंडर हैनोवोरियस ।  
 रोलां, रोमां द लाइफ आफ रामकृष्ण, 1944 ।  
 रोनाल्डस, लाड लाइफ आफ लाड कजन, 3 भाग, 1928 ।  
 राय, बी० एन० दत्ता सर एन० एन० सरकाराटस स्पीचेज ऐण्ड पम्पलेटस,  
 कलकत्ता, 1934 ।  
 राय, एम० पी० थोरीजिन, ग्रोथ ऐण्ड सप्रेशन आफ द पिण्डारीज, नई दिल्ली,  
 1973 ।  
 राय, नरेशचंद्र द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कलकत्ता, 1960 ।  
 राय, स्मिथ विलियम नेशनलिज्म ऐण्ड रिफार्म इन इंडिया ।  
 रघु, ए० बी० द वाइसरायज ऐण्ड गवर्नर जनरल्स ।  
 रशबुक विलियम्स, एल० एफ० ह्वाट एवाउट इंडिया ।  
 रसेल, सर डब्लू० भाई डायरी इन इंडिया ।  
 रम्ना स्वामी सम इन्फ्लूय मेज दैट मेड ब्रिटिश ऐडमिनिस्ट्रिव सिस्टम ।  
 राजपतराय यग इंडिया, 1917 ।  
 राजपतराय अनहैप्पी इंडिया ।  
 राजपतराय द पालिटिकल प्रोब्लम आफ इंडिया, 1930 ।  
 लसडाउन स्पीचेज आफ लाड लैसडाउन, 2 भाग ।  
 लतीफ, अब्दुल द मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया ।  
 लतीफ, सयद मुहम्मद हिस्ट्री आफ द पंजाब, नई दिल्ली, 1964 ।  
 ला, ए० इंडिया अंडर लाड एलेनबरो ।  
 लैटनर हिस्ट्री आफ द इन्डिजनस एजुकेशन इन पंजाब सिन्ध अनवऐसन,

ली वानर, द लाइफ आफ द मास्विक्स आफ इलहोजी ।

ली वानर, द प्रोटेक्टिव प्रिमेज आफ इंडिया ।

ली वानर, द जेडिवा स्टेट्स ऑफ इंडिया, भाग 1 ।

लोजिन एफ० डलहौजी सडी लोजिस रिक्लेक्सस, पटियाला, 1970 ।

लोबेट वने, सर द हिस्ट्री आफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट, 1600 1919 ।

लोबडे ए हिस्ट्री ऐण्ड इकानामिक्स आफ इंडियन फेमीस ।

लुडलो ब्रिटिश इंडिया, 2 भाग ।

लायल, अल्फ्रेड द लाइफ आफ मास्विम आफ डफरिन ऐण्ड आवा ।

लायल, अल्फ्रेड द ब्रिटिश डामीनियन इन इंडिया ।

वाजपेयी, जे० एन० द पॉलिटिकल मूवमेण्ट इन इंडिया ।

वाजपेयी, जे० एन० द एक्स्ट्रीमिस्ट मूवमेण्ट इन इंडिया, इलाहाबाद,  
1974 ।

वर्मा, शांति प्रसाद ए स्टडी इन मराठा डिप्लोमैसी, आगरा, 1956 ।

वाल्टर, एच० ए० द अहमदिया मूवमेण्ट, 1918 ।

वस्तो, एस० आर० लाड मिण्टो ऐण्ड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट,  
1964 ।

वेडरबन, विलियम वायाग्राफिकल स्केच आफ अलेन आक्टोवियन ह्युम ।

व्हीलर, एस० द अमोर अब्दुरहमान ।

वोल्फ, लूसिपन लाइफ आफ लाड रिपन ।

वोल्पेस्ट, एस० ए० तिलक ऐण्ड गोयले ।

वुड्रफ, फिलिप्स द मेन हू रुल्ड इंडिया, द गाजियस, लदन, 1963 ।

वुड्रफ, फिलिप्स द मेन हू रुल्ड इंडिया, द फाउंडस, लदन, 1963 ।

सादिक अली द वाप्रेस आइंडियालॉजी ऐण्ड प्रोग्राम ।

सानवाल, बी० डी० नेपाल ऐण्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, बर्बई 1965 ।

सप्रे, बी० जी० द ग्राथ आफ द इंडियन वास्टी च्युशन ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ।

सर देसाई, जी० एस० निव हिस्ट्री आफ मराठाज ।

सर देसाई, जी० एस० द मन बरेटस आफ मराठा हिस्ट्री ।

सावरकर, बी० डी० द इण्डियन वार आफ द इंडेपेंडेस 1857, नई दिल्ली,  
1963 ।

स्करटर सर जाज ऐण्ड बिट इंडिया ऐण्ड डिमोक्रेसी ।

स्क्रेफ्टन रिफ्लेक्शंस आन द गवतमेण्ट आफ इंदोस्तान ।

सील, अनित द इमरजेस आफ इंडियन नेशनलिज्म कम्ब्रिज, 1968 ।

सेटोनरो वाल्युम आफ रणजीत सिंह खालसा कॉलेज, अमृतसर ।

सेन, सुरेन्द्रनाथ एटीन फिफटी सेवन, दिल्ली, 1957 ।

- सेन, सुरेन्द्रनाथ स्वीज इन इंडियन हिस्ट्री ।  
 सेन, सुरेन्द्रनाथ द ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ मराठाज कलकत्ता 1925 ।  
 सेठी, आर० आर० द माइटी ऐण्ड द थ्रीउड महाराजा, नई दिल्ली, 1960 ।  
 सेठी, आर० आर० लाहौर दरबार ।  
 साहनी, टी० के० गोपाल कृष्ण गोखले ।  
 सिंह, त्रिगोडियर राजेन्द्र सोल्जर ऐण्ड सोल्जरिंग इन इंडिया, अम्बाला,  
 1959 ।  
 सिंह, गुरुमुख एन० लै डमाक्स इन इण्डियन कास्टीच्युशनल ऐण्ड नेशनल  
 डेवलपमण्ट (1600 1919) बनारस, 1930 ।  
 सिंह, गुरुमुख एन० इंडियन स्टेट्स ऐण्ड ब्रिटिश इंडिया ।  
 सिंह, हीरालाल प्राब्लेम्स ऐण्ड पालिटिक्स आफ द ब्रिटिश इंडिया, बम्बई,  
 1963 ।  
 सिंह, खुशबत राजा रणजीत सिंह लदन, 1962 ।  
 सिंह, एस० एन० द सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया ऐण्ड हिज कौंसिल  
 1858-1919, दिल्ली 1962 ।  
 सिंहा, बी० बी० इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया, बम्बई, 1965 ।  
 सिंहल, दामोदर, पी० नेशनलिज्म इन इण्डिया ऐण्ड अदर हिस्टारिकल यसेज,  
 दिल्ली, 1961 ।  
 सिंहा डी० पी० एम ऐस्पेक्टस आफ ब्रिटिश सोसल ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेटिव  
 पालिसी इन इण्डिया ड्युरिंग द ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ लाड आक्लैण्ड,  
 कलकत्ता 1969 ।  
 सिंहा, डी० पी० द एजुकेशनल पालिसी आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी इन बंगाल  
 टू 1854, कलकत्ता 1964 ।  
 सिंहा एन० के० ऐण्ड बंनर्जी ए० सी० हिस्ट्री आफ इण्डिया, कलकत्ता,  
 1963 ।  
 सिंहा, एन० के० रणजीत सिंह, कलकत्ता, 1960 ।  
 सिंहा, एन० के० राइज आफ सिख पावर ।  
 सीतारमेय्या, पी० हिस्ट्री आफ इण्डियन नेशनल काग्रेस, 2 भाग, दिल्ली,  
 1969 ।  
 स्लीमैन, सर० डब्लू० एच० रैम्बुल्स ऐण्ड रिकलेक्शन्स ।  
 स्मिथ बोसवथ लाइफ आफ लाड लारेस, 2 भाग, 1885 ।  
 स्मिथ, विल्लेट ए० द आक्सफर्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया, लदन, 1961 ।  
 स्मिथ, डब्लू० आर० नेशनलिज्म ऐण्ड रिवाग इन इण्डिया 1938 ।  
 स्मिथ, डब्लू० आर० स्पीचेज बाई द माक्विंस आफ रिपन ।

स्मोथ, जी कार्मिकेल ए हिस्ट्री आफ द रेनिंग फेमिली आफ लाहौर, कलकत्ता, 1847 ।

स्विपर, पर्सीवेल इण्डियन माडन हिस्ट्री, 1961 ।

स्विपर, पर्सीवेल द आक्सफर्ड हिस्ट्री आफ मॉडन इण्डिया, लंदन, 1965 ।

स्टोनवाच, लेपटी० कनल द पञ्जाब, वोइंग ए ग्रीफ एकाउण्ट आफ द कट्टी आफ सिख्स, पटियाला, 1970 ।

स्ट्रेटची, सरजान इण्डिया, इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस ।

सूद, जे० पी० इण्डियन कास्टीच्युशनल डेवलपमण्ट ऐण्ड नशनल मूवमण्ट ।

सूरी, लाला सोहनलाल उमदत उल तवारीख (अनु० अग्नेजी म वाई० वी० एस० सूरी) दफ्तर 3, नई दिल्ली, 1961, दफ्तर 4, चंडीगढ़, 1972 ।

स्विसन, भायर नाथ वस्त फटियर, दिल्ली, 1967 ।

शर्मा, डी० एस० रिनसॉट हिन्दुइज्म, बम्बई, 1966 ।

शास्त्री, शिवनाथ हिस्ट्री आफ ब्रह्म समाज ।

शर्मा बणीशकर स्वामी विवकानंद, कलकत्ता, 1963 ।

शर्मा जगदीशलाल इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, 3 भाग, (डाकूमण्टल) दिल्ली, 1962 ।

शर्मा, एम० पी० लोबल सेल्फ गवर्नमेण्ट इन इण्डिया ।

शर्मा, एस० आर० द फाउण्डिंग आफ मराठा फ्रीडम बम्बई, 1964 ।

शर्मा, एस० आर० स्वामी रामतीर्थ, बम्बई, 1965 ।

शर्मा, एस० आर० इवोल्युशन आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, इलाहाबाद, 1965 ।

शेरवानी, एच० के० मुहम्मद कुली कुतुबशाह कलकत्ता, 1966 ।

श्याम, राधे द किंगडम आफ जहमदनगर, दिल्ली, 1966 ।

श्री धरणी, कणलाल वार विदाउण्ट वायलेस, बम्बई 1962 ।

श्रीनिवासन, एन० डिमोक्रेटिक गवर्नमेण्ट इन इण्डिया, 1954 ।

श्रीप्रकाश एनी वसेण्ट बम्बई, 1962 ।

हृषकी, एस० ए० एच० युनियन स्टेट रिलेशंस इन इण्डिया मेरठ, 1967 ।

हाल, डी० जी० ई० बर्मा, लंदन, 1950 ।

हार्डिज, लाड माई इण्डियन इयर्स, 1910-16 ।

हार्डिज, चार्ल्स सेकंड विस्काउण्ट विस्काउण्ट हार्डिज ।

हसरत, बिक्रमाजीत ऐंग्लो सिख रिलेशंस ।

हसरत बिक्रमाजीत द पञ्जाब पेपर्स ।

हसनैन, एस० ई० इण्डियन मुस्लिम्स, चलेज ऐण्ड अपारचुनिटी, बम्बई, 1968 ।



- हेस्टिंग्स, मार्क्विस् आफ प्राइवट जर्नल ।  
 हेनरी, जी० ए० ग्रू द सिख वास, पटियाला, 1970 ।  
 हिल्टन, मेजर जनरल रिचर्ड द इण्डियन म्युटिनी ।  
 हालेण्ड, डब्लू० ई० एस० द इण्डियन आउटलुक, 1927 ।  
 होम्स इण्डियन म्युटिनी ।  
 होमलण्ड, जे० एस० गापान कृष्ण गोखले, हिज लाइफ ऐण्ड स्पीचेज, कलकत्ता,  
 1930 ।  
 हटर, डब्लू० डब्लू० ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इण्डिया भाग 2 ।  
 हटर, डब्लू० डब्लू० लाड अमहरट ।  
 हटर, डब्लू० डब्लू० द इण्डियन मुसलमांस ।  
 हटर, डब्लू० डब्लू० मार्क्विस् आफ डलहौजी, इण्डियन रीप्रिट, देहली,  
 1962 ।  
 हटर, डब्लू० डब्लू० द अल आफ मेयो ।  
 हुसेन, मेहदी बहादुरशाह ऐण्ड द वार आफ 1857 इन देलही ।  
 हुसेन, जाकिर द डायनिमिक युनीवर्सिटी, 1965 ।

### प्रतिवेदन, शोध प्रतिकार्ये एव अभिलेख

- द एजुकेशन कमीशन, 1882, रिपोर्ट गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ।  
 द रायल (इन्सिग्टन) कमीशन आन पब्लिक सर्विस, 1917 ।  
 रोलट कमीटी रिपोर्ट, 1918 ।  
 माटेग्यु चेम्सफोड रिपोर्ट, 1918 ।  
 द डिस्ट्राइस इन्व्वायरी कमेटी रिपोर्ट, 1919 20 ।  
 द कलकत्ता युनीवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट आफ 1919 ।  
 द इण्डियन स्टेट्स कमीटी रिपोर्ट, 1919 20 ।  
 गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, रिजोल्युशन, होम यजुकेशन, स० 1-60 । फरवरी 3,  
 1882 ।  
 मिली प्रोसिडिंग्स आफ डिफरेंट डेटस ।  
 पत्राव ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, डिफरेंट वात्युम्स ।  
 गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया (फाइनेंस) रिजोल्युशन न० 3353, सितम्बर 30,  
 1881 ।  
 गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया रिजोल्युशनस, मार्च 27, 1877, स० 1148  
 आफ मार्च 17, 1892, स० 353 आफ अगस्त 17, 1897 ।  
 फाइनसल स्टेटमेण्ट (मासी), 1967 68 ।

पालियामेन्टरी पेपस, 1890-91, स० 392 ।

डोबी, पजाब सेटिलमेण्ट मँनुअल ।

पजाब गवर्नमेण्ट रिवाइस लुधियाना एजेन्सी ।

डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट गजेटियस आफ पजाब ।

इम्पीरिमल गजेटियर आफ इण्डिया ।

पजाब सेन्स रिपोर्ट, 1901 ।

द इण्डियन इअर बुक ।

द मिशनरी क्वाटरली, डिफरेन्ट इम्पूज, दिल्ली ।

द माडन रिव्यु डिफरेन्ट इम्पूज ।

द कलकत्ता रिव्यु, डिफरेन्ट इम्पूज ।

इण्डियन हिस्टारिकल रिवाइस कमिशन, भाग xvii, xxii ।

द सिख रिव्यु, वैरिअस इम्पूज ।





